संसद में
राष्ट्रपति के अभिभाषण

संसद में
राष्ट्रपति के अभिभाषण

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2023

लार्डिस (एलसी)/2023

प्रथम संस्करण: 1996
द्वितीय संस्करण: 2015
तृतीय संस्करण: 2023

मूल्य: रु. 350/-

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और लोक सभा सचिवालय नई दिल्ली 110 001 द्वारा मुद्रित।

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि लोक सभा सचिवालय ''संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण'' शीर्षक वाली पुस्तक के तीसरे संस्करण का प्रकाशन कर रहा है। लोकतन्त्र की जननी भारत में वैदिक काल से ही अनूठी संसदीय परंपराएं रही हैं। संसद के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की आधुनिक प्रथा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष गवर्नर-जनरल के अभिभाषण की सदियों पुरानी प्रथा पर आधारित है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति संसद के सदनों को संबोधित करता है और संविधान में की गई परिकल्पना के अनुसार सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और कार्यक्रमों का विवरण देता है।

पिछले सात दशकों के राष्ट्रपति के अभिभाषणों के संकलन के माध्यम से यह प्रकाशन भारत की समस्याओं और चुनौतियों, वर्तमान में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की इसकी विकास यात्रा से परिचित कराता है। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से भारत की वर्तमान नीतियों और प्राथमिकताओं से संबंधित साहित्य और समृद्ध होगा।

मैं लोक सभा सचिवालय की सराहना करती हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन किया है। मेरा मानना है कि इस प्रकाशन का नवीनतम संस्करण संसद सदस्यों, मीडिया कर्मियों, अध्येताओं और उन सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जो हमारे देश की संसद के इतिहास को जानने के इच्छुक हैं।

(द्रौपदी मुर्मू)

नई दिल्ली;
05 जनवरी 2023

-

आमुख

भारत की संसद हमारे जीवंत और प्रगतिशील लोकतंत्र की नींव है। राष्ट्रपति और दोनों सभाओं – लोक सभा तथा राज्य सभा से मिलकर बनी संसद देश की जनता की शक्ति का प्रतीक है, तथा उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं को स्वर देती है। स्वतंत्रता के पश्चात् 75 वर्ष की अपनी गौरवशाली यात्रा के दौरान, हमारी संसद ने न केवल राष्ट्र को शांति, प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया है, अपितु इस अमृतकाल में कार्यपालिका के सहयोग से समावेशी और सतत विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई है।

भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष और कार्यपालिका के प्रमुख तथा संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं, जिन्हें संविधान द्वारा संसद को नियमित रूप से आहूत करने, सत्र का अवसान करने और संबोधित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रिया है, जिसका हमारे जैसे लोकतंत्र के लिए विशेष महत्व है। इस महत्वपूर्ण माध्यम के द्वारा राष्ट्रपति संसद को और संसद के माध्यम से देश के लोगों को सरकार के उद्देश्य और नीतिगत प्राथमिकताओं, सरकार की उपलब्धियों तथा उनके भावी कार्यकलापों के बारे में सूचित करते हैं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण एक पावन और राष्ट्रीय महत्व का अवसर होता है। इसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 87 में किया गया है। यह संसद के तीनों घटकों–राष्ट्रपति और संसद की दोनों सभाओं को एक साथ लाता है। इससे संसदीय वर्ष की शुरुआत होती है और इसमें आगामी वर्ष में किए जाने वाले ससंदीय कार्यों की रूपरेखा प्रतिबिंबित की जाती है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष पहले सत्र के आरंभ में और लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में संसद की एक साथ समवेत दोनों सभाओं को संबोधित करते हैं। सभा में चर्चा और विमर्श का मार्ग प्रशस्त करते हुए, राष्ट्रपति का अभिभाषण सदस्यों को सरकार के कार्यकरण से संबंधित लगभग सभी पहलुओं से जुड़े विविध मुद्दों और विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इसका समापन सामान्यतः चर्चा के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हमारी राष्ट्रीय योजनाओं, नीतियों और प्राथमिकताओं में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए प्रगति के भावी पथ का निर्धारण करता है।

वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न राष्ट्रपतियों द्वारा दिये गए अभिभाषणों को संकलित करके **'संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण'** विषयक् एक महत्वपूर्ण प्रकाशन निकालने के लिए मैं लोक सभा सचिवालय की सराहना करता हूं। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के ज्ञानवर्धक प्राक्कथन के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ । उनके विचारशील मार्गदर्शन ने इस प्रकाशन को और अधिक उपयोगी बना दिया है।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन हमारे देश के संवैधानिक और संसदीय लोकतंत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के अलावा संसद सदस्यों, लोक सेवकों, विद्वानों और नागरिकों के लिए समान रूप से उपयोगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा।

नई दिल्ली;
जनवरी, 2023

ओम बिरला,
अध्यक्ष, लोक सभा

संपादकीय टिप्पणी

लोक सभा सचिवालय का शोध एवं सूचना प्रभाग सांसदों, विधायकों और भारत एवं अन्य देशों में सहभागी लोकतंत्र का अध्ययन करने वालों के उपयोग हेतु समय–समय पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रकाशन करता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि संसद की कार्यवाहियों में परिलक्षित होने वाले हमारे समय के घटनाक्रमों को प्रलेखनों और प्रकाशनों के माध्यम से भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। संसद के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषणों का यह वर्तमान संस्करण भी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात गठित नई लोक सभा के पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत के राष्ट्रपति अपना अभिभाषण करते हैं। संसद के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और उनके माध्यम से भारत की जनता की जानकारी के लिए केंद्र सरकार की नीतियों एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रस्तुत किया जाता है। यह अभिभाषण देश की जनता के प्रति सरकारों के उत्तरदायित्व की पुष्टि करता है। ये अभिभाषण नीतिगत पहलों के संबंध में सत्तारूढ़ सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इन अभिभाषणों के माध्यम से प्रायः सरकार की उपलब्धियों को भी राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अतः, राष्ट्रपति के अभिभाषण नीति–निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं संसदीय लोकतंत्र की हमारी यात्रा को जानने के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए समस्त सूचना का स्रोत होते हैं।

''संसद के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण'' पुस्तक 2015 में प्रकाशित हुई थी और उसके पश्चात दिए गए अभिभाषणों को शामिल करके यह वर्तमान संस्करण तैयार किया गया है। अतः, इस प्रकाशन में जनवरी, 1950 से लेकर जनवरी, 2022 तक राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सभी अभिभाषणों को शामिल किया गया है।

मैं इस महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशन में श्री प्रसेनजीत सिंह, अपर सचिव और लोक सभा सचिवालय के शोध एवं सूचना प्रभाग के उनके सहयोगियों के प्रयासों

की सराहना करता हूँ । मैं इस संबंध में संपादन एवं अनुवाद सेवा तथा मुद्रण शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं।

नई दिल्ली;
जनवरी, 2023

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

संक्षेपाक्षर

अंकटाड	व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआरएस	इंडियन रिमोट सेंसिंग
आईआरडीपी	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
आईएनएफ	इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज
आईपीसीएल	भारतीय पेट्रो रसायन निगम लिमिटेड
आईसीडीएस	समेकित बाल विकास सेवा
आयुष	आयुर्वेद, योग, एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
आरएलईजीपी	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
आसियान	दक्षिण पूर्व, एशियाई राष्ट्र संघ
इंस्पायर	इन्नोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इन्सपायर्ड रिसर्च
इनसैट	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
ईईसी	यूरोपीय आर्थिक समुदाय
उड़ान	उड़े देश का आम नागरिक
उस्ताद	अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स/क्राफ्ट्स फार डवलपमेंट
एआईबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एपीडीआरपी	त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम
एचआईवी	ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वाइरस

एडुसैट	एजुकेशनल सेटेलाइट
एड्स	अक्वायर्ड इम्यून डेफिशियेंसी सिंड्रोम
एनआरईपी	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
एनआरईजीपी	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम
एनईएलपी	न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी
एनसीईएम	नेशनल कौंसिल आफ इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एलपीजी	द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस
एसएलवी	उपग्रह प्रक्षेपण यान
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम
गैट	टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार
जीटीए	गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन
ट्राइसेम	स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम
ट्राईफेड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
डीएमआईसीडीसी	दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम
दक्षेस	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीआईओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
पीएसएलवी	पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल
प्रसाद	तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन
बीआरपीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्संरचना बोर्ड
ब्रिक्स	ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बिम्सटेक	बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल

मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
मेटसैट	मीट्रिओलॉजिकल सेटेलाइट
मॉडवैट	संशोधित मूल्य संवर्धित कर
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनसीईडी	पर्यावरण एवं विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यूएमपीपी	अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं
यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका
लिट्टे	लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग
सीएमसी	कम्प्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन
सीपीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम
सीपीएसयू	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन
स्टार्ट	स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडम्पशन ट्रीटि
हुडको	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नेफेड	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
पहल	प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ
इंप्रिट	इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एण्ड टेक्नोलाजी
जियान	गलोबल इनिशिएटिव आफ एकडेमिक नेटवर्क
उदय	उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना
संकाप	आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता
स्ट्राइव	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना
स्वनिधि	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
सत्यम	योग और ध्यान का विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विषय-सूची

पृष्ठ

संदेश .... (i)

आमुख .... (iii)

संपादकीय टिप्पणी .... (v)

संक्षेपाक्षर .... (vii)

संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण –एक परिचय .... (xvii)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अभिभाषण
(26 जनवरी 1950-13 मई 1962)

31 जनवरी 1950 1

31 जुलाई 1950 8

14 नवम्बर 1950 13

06 अगस्त 1951 18

05 फरवरी 1952 27

16 मई 1952 32

11 फरवरी 1953 39

15 फरवरी 1954 47

21 फरवरी 1955 52

15 फरवरी 1956 57

18 मार्च 1957 64

13 मई 1957 71

10 फरवरी 1958 78

09 फरवरी 1959 85

08 फरवरी 1960 95

14 फरवरी 1961 106

12 मार्च 1962 113

18 अप्रैल 1962 122

डॉ. एस. राधाकृष्णन के अभिभाषण
(13 मई 1962-13 मई 1967)

18 फरवरी 1963 127

10 फरवरी 1964 135

17 फरवरी 1965 143

14 फरवरी 1966 151

18 मार्च 1967 158

डॉ. जाकिर हुसैन के अभिभाषण
(13 मई 1967-03 मई 1969)

12 फरवरी 1968 165

17 फरवरी 1969 176

श्री वी. वी. गिरि के अभिभाषण
(3 मई 1969-20 जुलाई 1969, 24 अगस्त 1969-24 अगस्त 1974)

20 फरवरी 1970 187

23 मार्च 1971 198

13 मार्च 1972 205

19 फरवरी 1973 214

18 फरवरी 1974 221

डॉ. फखरूद्दीन अली अहमद के अभिभाषण
(24 अगस्त 1974-11 फरवरी 1977)

17 फरवरी 1975 231

05 जनवरी 1976 239

श्री बी. डी. जत्ती, उप-राष्ट्रपति (कार्यवाहक राष्ट्रपति) के अभिभाषण (11 फरवरी 1977-25 जुलाई 1977)

28 मार्च 1977 247

डॉ. एन. संजीव रेड्डी के अभिभाषण (25 जुलाई 1977-25 जुलाई 1982)

20 फरवरी 1978 251

19 फरवरी 1979 260

23 जनवरी 1980 270

16 फरवरी 1981 276

18 फरवरी 1982 284

ज्ञानी जैल सिंह के अभिभाषण (25 जुलाई 1982-25 जुलाई 1987)

18 फरवरी 1983 293

23 फरवरी 1984 299

17 जनवरी 1985 307

20 फरवरी 1986 314

23 फरवरी 1987 326

श्री आर. वेंकटरमन के अभिभाषण (25 जुलाई 1987-25 जुलाई 1992)

22 फरवरी 1988 341

21 फरवरी 1989 355

20 दिसम्बर 1989 368

12 मार्च 1990 374

21 फरवरी 1991 385

11 जुलाई 1991 397

24 फरवरी 1992 411

डॉ. शंकर दयाल शर्मा के अभिभाषण
(25 जुलाई 1992-25 जुलाई 1997)

22 फरवरी 1993 427

21 फरवरी 1994 439

13 फरवरी 1995 454

26 फरवरी 1996 465

24 मई 1996 474

20 फरवरी 1997 484

श्री के. आर. नारायणन के अभिभाषण
(25 जुलाई 1997-25 जुलाई 2002)

25 मार्च 1998 497

22 फरवरी 1999 504

25 अक्तूबर 1999 519

23 फरवरी 2000 532

19 फरवरी 2001 547

25 फरवरी 2002 567

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के अभिभाषण
(25 जुलाई 2002-25 जुलाई 2007)

17 फरवरी 2003 585

07 जून 2004 607

25 फरवरी 2005 622

16 फरवरी 2006 644

23 फरवरी 2007 662

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल के अभिभाषण
(25 जुलाई 2007-25 जुलाई 2012)

25 फरवरी 2008 679

12 फरवरी 2009 696

04 जून 2009 720

22 फरवरी 2010 736

21 फरवरी 2011 751

12 मार्च 2012 765

श्री प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण
(25 जुलाई 2012-25 जुलाई 2017)

21 फरवरी 2013 785

09 जून 2014 804

23 फरवरी 2015 817

23 फरवरी 2016 832

31 जनवरी 2017 849

श्री राम नाथ कोविंद के अभिभाषण
(25 जुलाई 2017–25 जुलाई 2022)

29 जनवरी 2018 865

31 जनवरी 2019 882

20 जून 2019 905

31 जनवरी 2020 927

29 जनवरी 2021 948

31 जनवरी 2022 970

संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण – एक परिचय

भारत की एकजुटता, अखंडता और एकता के प्रतीक, भारत के राष्ट्रपति भारत के गणराज्य के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं जिनका प्रमुख दायित्व संविधान की अक्षुण्णता को संरक्षित रखना है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें द्विसदनीय संसद का उपबंध किया गया है जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों, यथा राज्य सभा और लोक सभा से मिलकर बनता है। अतः राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है।

राष्ट्र और उसके लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यद्यपि भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, वह दोनों में से किसी भी सदन की बैठक अथवा चर्चा में भाग नहीं लेता है। संसद के संबंध में उसे कतिपय संवैधानिक कार्य करने होते हैं। उदाहरण के तौर पर, संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है और इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है।

संवैधानिक उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 86 और 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित हैं। संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण देने का अधिकार है और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित है। यद्यपि, संविधान लागू होने के पश्चात् भारत के राष्ट्रपति ने इस उपबंध के अंतर्गत किसी सदन अथवा एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभी तक कोई अभिभाषण नहीं दिया है।

मूल अनुच्छेद 87(1) में प्रत्येक सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाना अपेक्षित था। संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत इस उपबंध में संशोधन किया गया और अब अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद(संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में) के दोनों सदनों में अभिभाषण देना अनिवार्य

बना दिया गया। संसद की एक साथ समवेत दोनों सभाओं को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण और औपचारिक कार्यवाही है क्योंकि यह हमारी शासन प्रणाली में संविधान में परिकल्पित एक महत्वपूर्ण अवसर है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा संसद के समक्ष अभिभाषण दिए जाने का उपबंध वर्ष 1921 में उस समय किया गया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 के अंतर्गत पहली बार केन्द्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई। अधिनियम में गवर्नर जनरल द्वारा अपने विवेक से केन्द्रीय विधानमंडल के किसी भी सदन के समक्ष अभिभाषण दिए जाने का उपबंध किया गया था। यद्यपि, अधिनियम में गवर्नर जनरल द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समक्ष अभिभाषण किए जाने का कोई विशेष उपबंध नहीं था, परन्तु गवर्नर जनरल ने 1921 से 1946 के दौरान पृथक रूप से निचले सदन में और कई अवसरों पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समक्ष भी अभिभाषण दिया।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल डोमिनियन लेजिस्लेचर के समक्ष अभिभाषण दे सकता है परन्तु, नवम्बर 1947 से जनवरी 1950 तक संविधान सभा (विधायी) के अस्तित्व के दौरान गवर्नर जनरल ने वस्तुतः किसी भी अवसर पर उसके समक्ष कोई अभिभाषण नहीं दिया। संविधान के लागू होने के बाद, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार 31 जनवरी, 1950 को लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को संबोधित किया था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण का महत्व

राष्ट्रपति का अभिभाषण ब्रिटेन के सिंहासन (सम्राट) के भाषण के समनुरूप होता है जिसमें सरकार के राजनीतिक दृष्टिकोण को उजागर करते हुए संसद, निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता को सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं, एजेंडा, पिछले वर्ष किए गए कार्यों और आगामी वर्ष हेतु योजनाओं और विजन की जानकारी दी जाती है। इसमें सरकारी कार्य के कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण भी होता है और यह विधायी कार्य की मुख्य मदों को दर्शाता है, जिन्हें उस वर्ष आयोजित किए जाने वाले सत्रों के दौरान संसद के समक्ष लाया जाना प्रस्तावित है। कोविड-19 के कठिन दौर में भी पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने संसद को संबोधित किया था और इस सदी की सबसे बड़ी विपदा, कोविड-19, से उत्पन्न संकट का सामना करने में भारतीयों के संकल्प और दृढ़निश्चय की सराहना की थी।

कार्यक्रम, मर्यादा और समारोह

संसदीय कार्य मंत्रालय से सत्र प्रारम्भ होने के बारे में सूचना प्राप्त होती है। जब राष्ट्रपति को एक साथ समवेत दोनों सभाओं को संबोधित करना होता है तो मंत्रालय राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीख और समय की सूचना भी देता है। तथापि, समन जारी करते समय अभिभाषण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। सदस्यों को बुलेटिन में एक पैराग्राफ के माध्यम से राष्ट्रपति के अभिभाषण की तिथि, समय और स्थान के बारे में सूचित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा एक साथ समवेत दोनों सभाओं में अभिभाषण दिए जाने से पूर्व कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा राष्ट्रपति के अभिभाषण को अन्य सभी कार्य पर अधिमानता प्रदान करने के लिए किया जाता है।

संसद की दोनों सभाओं के सदस्य संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एक साथ एकत्र होते हैं, जहां राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। इस अवसर पर गरिमा और मर्यादा बनाए रखना अपेक्षित है। अभिभाषण हेतु राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व ही सदस्य संसद के केंद्रीय कक्ष में विराजमान हो जाते हैं। मंत्रियों, उप–सभापति/उपाध्यक्ष, दोनों सदनों में विपक्षी दलों/समूहों के नेताओं, सभापति तालिका के सदस्यों और संसदीय समितियों के सभापतियों के लिए आरक्षित स्थानों के अलावा सदस्य उन सीटों पर स्थान ग्रहण कर सकते हैं जो किसी के लिए विशेष रूप से आबंटित या विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं।

राष्ट्रपति राजकीय बग्घी अथवा लिमोजिन कार में संसद भवन(नॉर्थ–वेस्ट पोर्टिको) आते हैं। उनके साथ उनके सचिव, मिलिटरी सचिव और अंगरक्षक होते हैं। जब राष्ट्रपति अपनी कार या बग्घी से संसद भवन के सामने उतरते हैं तो अंगरक्षक उन्हें 'राष्ट्रीय सलामी' देते हैं और राज्य सभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री तथा दोनों सभाओं के सहासचिवों द्वारा उनकी अगवानी की जाती है।

राष्ट्रपति को शोभा यात्रा में केन्द्रीय कक्ष लाया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति की शोभा यात्रा केन्द्रीय कक्ष पहुंचती है, लोक सभा का मार्शल राष्ट्रपति के आगमन की घोषणा करता है और बिगुल वादक तब तक बिगुलों से धुन बजाते रहते हैं, जब तक राष्ट्रपति अपने स्थान तक नहीं पहुंच जाते। सभी सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और तब तक खड़े रहते हैं जब तक राष्ट्रपति मंच पर अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते। केंद्रीय कक्ष में मंच के सामने शोभायात्रा दो खंडों में बंट जाती हैः राष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारी मंच पर अपने–अपने निर्दिष्ट स्थानों की ओर

बढ़ जाते हैं – राष्ट्रपति मंच पर बीच का स्थान ग्रहण करते हैं और राज्य सभा के सभापति उनके दाईं ओर और लोक सभा अध्यक्ष उनके बाईं ओर विराजमान होते हैं; प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री मंच के सामने की सीटें ग्रहण करते हैं; राज्य सभा के महासचिव, राष्ट्रपति के सचिव और उनके दो एडीसी (एड्स डी कैम्प) मंच के दाईं ओर केंद्रीय कक्ष के पिट में रखी गई कुर्सियों की ओर बढ़ते हैं और लोक सभा के महासचिव, मिलिटरी सचिव और दो एडीसी मंच के बाईं ओर रखी कुर्सियों की ओर बढ़ जाते हैं। दो एडीसी मंच पर राष्ट्रपति के आसन के पीछे खड़े हो जाते हैं।

उसके तुरंत बाद केन्द्रीय कक्ष की किसी एक लॉबी में उपस्थित राष्ट्रपति भवन के बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती है। फिर राष्ट्रपति के आसन ग्रहण कर लेने के बाद पीठासीन अधिकारी और सदस्यगण तथा दर्शक दीर्घाओं में बैठे आगंतुक भी बैठ जाते हैं। तत्पश्चात्, राष्ट्रपति हिन्दी या अंग्रेजी में अभिभाषण पढ़ते हैं। अभिभाषण का यथावश्यक हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद, उप–राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा जाता है। वर्ष 2004 से उप–राष्ट्रपति हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में पहला और अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और शेष अभिभाषण को पढ़ा गया मान लिया जाता है।

अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात् राष्ट्रपति अपने आसन से उठ जाते हैं और उनके उठने के साथ ही सदस्यगण और दीर्घाओं में बैठे आगंतुक भी उठ खड़े होते हैं। राष्ट्रगान की धुन फिर से बजाई जाती है। इसके पश्चात्, राष्ट्रपति शोभा यात्रा में केन्द्रीय कक्ष से बाहर आते हैं, जो वैसी ही होती है जैसी उनके आगमन के समय थी। शोभा यात्रा के केन्द्रीय कक्ष से बाहर जाने तक सदस्यगण खड़े रहते हैं।

बैठने की पृथक व्यवस्था और अभिभाषण की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना

जब संसद की दोनों सभाओं के सदस्य राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने के लिए एक साथ समवेत होते हैं, तो यह न तो लोक सभा की (अथवा राज्य सभा की) बैठक होती है और न ही दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक होती है क्योंकि लोक सभा अथवा राज्य सभा की बैठक अथवा संयुक्त बैठक, तब विधिवत गठित होती है जब इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा अथवा किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाए जो संविधान अथवा नियमों के अंतर्गत पीठासीन होने के लिए सक्षम हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण को सभा की कार्यवाही का अंग बनाने और उसे उसमें शामिल करने के लिए दोनों सभाओं की अलग–अलग बैठक राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के आधे घंटे बाद होती है जहां संबंधित महासचिव द्वारा अभिभाषण की हिन्दी तथा अंग्रेजी की राष्ट्रपति द्वारा अधिप्रमाणित प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं।

परिपाटी के रूप में, राष्ट्रपति के सचिवालय से प्राप्त अभिभाषण की मुद्रित प्रतियों को, सभा पटल पर एक प्रति रखे जाने के पश्चात्, सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। सभाओं की लॉबी में अभिभाषण की अंग्रेजी और हिंदी की एक–एक प्रति सदस्यों को वितरित की जाती है। ऐसे सदस्य जिन्हें लॉबी से प्रतियां प्राप्त नहीं होती हैं, उनसे प्रकाशन फलक से प्रति प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से सभा में चर्चा

संविधान के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करने हेतु किसी भी सभा की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों के तहत प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। संविधान के मूल रूप में अधिनियमित अनुच्छेद 87(2) में यह व्यवस्था थी कि नियमों द्वारा 'सभा के अन्य कार्यों पर इस चर्चा की पूर्ववर्तिता के लिए उपबंध किया जाए'। संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के द्वारा इन शब्दों का लोप कर दिया गया। अतः, अभिभाषण के संबंध में चर्चा अभिभाषण दिए जाने के कुछ दिनों के पश्चात् होती है और बीच की अवधि में अन्य कार्य किए जाते हैं।

अध्यक्ष, सभा के नेता के साथ परामर्श करके, राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करता है। किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए और एक अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ की जाती है। सुस्थापित प्रथा के अनुसार, प्रस्ताव के प्रस्तावक और समर्थक का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और वे सदैव सत्ता दल से होते हैं। प्रस्ताव की सूचना जो एक सदस्य देता है और दूसरा उसका अनुमोदन करता है, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा (तथा सदन के नेता द्वारा यदि प्रधानमंत्री सदन का नेता न हो) प्राप्त होती है और अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने पर वह प्रस्ताव बुलेटिन तथा कार्य-सूची में प्रकाशित कर दिया जाता है।

चर्चा हेतु आवंटित दिनों के दौरान सभा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है। अभिभाषण पर चर्चा का दायरा बहुत व्यापक होता है और सदस्य सरकारी कार्यकलापों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों के माध्यम से ऐसे मामलों पर चर्चा की जाती है जिनका अभिभाषण में विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता । इस संबंध में केवल एक ही बंधन है कि सदस्य उन विषयों की चर्चा नहीं कर सकते जो केन्द्र सरकार की

प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं हैं तथा राष्ट्रपति का नाम इस चर्चा में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अभिभाषण की विषय–वस्तु की जिम्मेदारी सरकार की है, न कि राष्ट्रपति की।

धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिए जाने के पश्चात् ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं सभा पटल पर रखी जा सकती हैं। तथापि, धन्यवाद प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने के बाद ही संशोधनों की सूचियां सदस्यों में परिचालित की जाती हैं और बुलेटिन में प्रकाशित की जाती हैं। निदेश 42 के अनुसार सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में अधिकतम दस संशोधन ही सभा पटल पर रख सकते हैं। सदस्य अभिभाषण में उल्लिखित मामलों तथा उन मामलों के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं सभा पटल पर रख सकते हैं जिनका उनके विचार से अभिभाषण में उल्लेख न किया गया हो। सदस्यों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन उस रूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे जिसे अध्यक्ष उचित समझे।

अंत में, सामान्य तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी चर्चा पर प्रधानमंत्री उत्तर देता है परंतु कोई और मंत्री भी उत्तर दे सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा वाद–विवाद के संबंध में उत्तर दिए जाने के पश्चात् जो संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं उनका निपटान कर दिया जाता है और धन्यवाद प्रस्ताव पर सभा में मतदान कराया जाता है। यदि वाद–विवाद के संबंध में उत्तर दिए जाने के दौरान प्रधानमंत्री त्यागपत्र देने के मंत्रिपरिषद के निर्णय की घोषणा करते हैं, तो धन्यवाद प्रस्ताव को निष्फल घोषित कर दिया जाता है और उस संबंध में आगे और कोई कार्य नहीं किया जाता है।

प्रस्ताव पारित होने के पश्चात्, अध्यक्ष सभापति द्वारा इसकी सूचना पत्र के माध्यम से सीधे राष्ट्रपति को दी जाती है। सभापति और अध्यक्ष के पत्रों के उत्तर में राष्ट्रपति एक संदेश के माध्यम से धन्यवाद प्रस्ताव मिलने की सूचना देते हैं। तत्पश्चात् सभापति और अध्यक्ष इस संदेश को संबंधित सभा में पढ़कर सुना देते हैं। तथापि, यदि राष्ट्रपति का संदेश ऐसे समय में प्राप्त होता है जब किसी भी सभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो सदस्यों की जानकारी के लिए इसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

अंतरिम संसद के समक्ष अभिभाषण – 31 जनवरी 1950

सत्र	-	पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरू
अंतरिम संसद के अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

आज यहां भारत के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मैं भावविह्वल हो रहा हूं और मेरी आंखों के सामने भारत के हाल के कठिन और संघर्षपूर्ण अतीत का दृश्य घूम रहा है। हम भारत गणराज्य की इस प्रभुत्व सम्पन्न संसद में एकत्र हुए हैं तथा यहां हमें अपनी मातृभूमि और लाखों देशवासियों की सेवा का उच्च दायित्व सौंपा गया है। यह एक महान और पवित्र विश्वास है तथा आपके राष्ट्रपति के रूप में मैं विनम्रतापूर्वक इसका निर्वाह करूंगा।

इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें सहज ही महात्मा गांधी का स्मरण हो आया है। हम उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस राष्ट्रपिता की भावनाओं के अनुरूप जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, आओ हम इस महान दायित्व को स्वीकार करें तथा भारत के लोगों के बीच एकता और सद्भावना, साम्प्रदायिक सौहार्द, वर्ग भेद उन्मूलन तथा जन्म जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव को दूर करने और एक शांतिपूर्ण, सामाजिक भारत की स्थापना करने संबंधी उनके इस संदेश को जिससे कि देश के सभी नागरिकों को प्रगति के समान अवसर प्राप्त हों, सदैव याद रखें।

विश्व के सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण संबंध बनाने तथा विश्व शांति स्थापित करने में यथासंभव सहायता देने की मेरी सरकार की दृढ़ नीति है। भारतीय गणतंत्र का न तो कोई देश शत्रु है और न ही किसी से इसकी पुरानी शत्रुता है तथा मेरी सरकार ऐसी नीति अपनाए रखना चाहती है जिससे कि विश्वशांति की स्थापना हो और ऐसी गुटबंदी से बचा जाए जो किसी राष्ट्र के प्रति शत्रुता पैदा करती हो।

भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र है, परन्तु उसने राष्ट्रमंडल में सम्मिलित रहने का निर्णय किया है। यह एक ऐसी अनूठी बात है जो संवैधानिक कानून और इतिहास के लिए अभूतपूर्व है। इस प्रकार हम किसी भी तरह अपनी स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधि देशों के समूह के साथ आपसी मित्रता और सहयोग बनाए रखने की हमने इच्छा व्यक्त की है। हाल ही में मेरे प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोलम्बो गए थे। यह सम्मेलन इस बात का एक उदाहरण था कि किस प्रकार स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिल बैठ सकते हैं, मित्रतापूर्ण माहौल में विश्व के सम्मुख उपस्थित कठिन समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं तथा किसी की भी स्वतंत्रता और संप्रभुता का अतिक्रमण किए बिना कोई सर्वसम्मत कार्यप्रणाली खोज सकते हैं।

विदेशी शक्तियों से हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं और मेरी सरकार ने बड़ी संख्या में देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। स्विट्जरलैंड, जिसकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की एक महान परम्परा रही है, के साथ एक मैत्री समझौता किया गया है। ईरान, नेपाल और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ मैत्री और वाणिज्यिक समझौतों के लिए बातचीत जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे प्रधानमंत्री ने इस महान देश की हाल ही में यात्रा की है और इस यात्रा में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच परस्पर बेहतर समझ-बूझ, सम्मान और निकट संबंध स्थापित हुए हैं।

मेरी सरकार ने चीन की नई सरकार को विधितः मान्यता दी है और आशा है कि जल्द ही राजनयिक संबंध स्थापित होंगे। इस महान देश के साथ हमारे मित्रतापूर्ण और सांस्कृतिक संबंध दो हजार वर्ष पुराने हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे ये मैत्री संबंध बने रहेंगे तथा यह एशिया और विश्व की शांति को बनाए रखने में सहायक होंगे।

यूरोप, अमरीका और आस्ट्रेलिया के देशों के साथ भारत अपने मैत्री सम्पर्कों का विकास कर रहा है। यह स्वाभाविक है कि भारत की एशिया महाद्वीप में और भी अधिक रुचि होनी चाहिए क्योंकि यह इसी का एक हिस्सा है तथा साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप में भी इसकी बहुत रुचि है भारत की मुख्य दिलचस्पी अभी तक पराधीन लोगों की स्वतंत्रता में तथा विभिन्न राष्ट्रों और जनता के पूर्ण विकास के मार्ग की अड़चनों को दूर करने में है। वह किसी भी रूप में औपनिवेशिक शासन जारी रहने के साथ किसी भी तरह के रंगभेद के पूर्णतः खिलाफ है। एशिया में आजादी की लहर चल रही है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ भागों में अशांति और हलचल है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस हलचल से शांति और स्वतंत्रता का सृजन होगा तथा एशिया के सभी देशों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित होंगे।

हाल ही में स्वतंत्र "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया" की स्थापना के रूप में एक ऐतिहासिक घटना घटी है। हमने इसका विशेषरूप से स्वागत किया है क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के लोगों के बीच अतीत में तथा वर्तमान समय में घनिष्ठ संबंध

रहे हैं। अपने बीच "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया" के राष्ट्रपति का स्वागत करना तथा उनको और वहां की जनता के लिए अपनी शुभकामनाएं देना हमारे लिए प्रतिष्ठा और गौरव की बात है।

भारत के लोग बड़ी संख्या में अफ्रीका, फिज़ी, वेस्टइंडीज, मारीशस द्वीप तथा अन्य देशों में रह रहे हैं। उनके लिए हमारी सदैव सलाह रही है कि वे वहां के मूल निवासियों के साथ तादात्म्य स्थापित करें और उस देश को ही अपना मूल निवास समझें।

मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए और हमारे बीच अनेक मामलों पर विवाद है। हमारा इतिहास हमारी संस्कृति और अपरिवर्तनीय भौगोलिक स्थितियां भारत और पाकिस्तान को एक-दूसरे के साथ मैत्री और सहयोगपूर्वक रहने के लिए बाध्य करती हैं। परन्तु हाल की घटनाओं से मिले गहरे घाव को भरने में समय लगेगा। हमारी सरकार की नीति मरहम लगाने की प्रक्रिया में हर प्रकार की सहायता देने का प्रयास करना है। इसी नीति के अनुसार मेरी सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि दोनों ही सरकारें यह औपचारिक घोषणा करें कि वे अपने बीच किसी विवाद के समाधान के लिए युद्ध का सहारा नहीं लेंगी और ऐसे विवादों के निपटारे के लिए वार्ता, मध्यस्थता अथवा मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपने जैसे उपायों का आश्रय लेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान सरकार इस प्रस्ताव को उसी भावना के साथ स्वीकार करेगी जिस भावना से यह प्रस्ताव किया गया है और इस प्रकार दोनों देशों के बीच व्याप्त दुर्भाग्यपूर्ण तनाव को समाप्त करने में सहायक होगी।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्याप्त तनाव के प्रमुख कारणों में जम्मू और कश्मीर के भविष्य पर विवाद है। यह मामला सुरक्षा परिषद के विचाराधीन है और इस स्थिति में मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिससे उस संस्था के प्रयासों से मामले के उचित और शांतिपूर्ण समाधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मेरी सरकार ने बार-बार अपना इरादा स्पष्ट किया है कि राज्य के लोग स्वतंत्र रूप से स्वयं यह निर्णय लें कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है परन्तु अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई है कि लोगों की इच्छा की स्वतंत्र घोषणा की जा सके। जब तक ऐसा नहीं होता और इस कठिन समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं निकल आता, भारत उस राज्य तथा वहां के लोगों की आक्रमण से रक्षा करने का अपना दायित्व निभाता रहेगा।

गत ढाई वर्षों से भारत के मानचित्र में भारी परिवर्तन हुआ है। सैकड़ों रियासतें समाप्त हो गई हैं या बड़ी रियासतें बन गई हैं। यह उल्लेखनीय परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया है और 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया व्यावहारिक

रूप से पूरी कर ली गई है। अब मात्र 16 राज्य रह गए हैं। केन्द्रीय सरकार 1 अप्रैल से संघ और राज्यों के संघीय कार्य अपने हाथ में ले लेगी। मेरी सरकार चालू सत्र के दौरान एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है जिससे जहां तक केन्द्रीय कानूनों का संबंध है, राज्यों और शेष भारत के बीच कानून बनाने की प्रक्रिया में समानता लाई जा सके।

मेरी सरकार देश की आर्थिक स्थिति के मामले पर काफी चिन्तित है। सदियों से साम्राज्यवादी शासन की यातना झेलने वाले भारत को विश्व युद्ध का भारी बोझ भी उठाना पड़ा। उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी, आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी और मुद्रास्फीति हो गई थी। मेरी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। बंटवारे से उत्पन्न भारी कठिनाइयों के कारण, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ आ पड़ा है, वांछित प्रगति नहीं हुई है। रक्षा व्यय का बोझ काफी अधिक रहा है तथा लाखों विस्थापितों के राहत और पुनर्वास पर भी काफी धन खर्च करना पड़ा है। खाद्यान्नों की कमी के कारण सरकार को भारी लागत पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों का देश में आयात करना पड़ा है। मेरी सरकार का लक्ष्य मुद्रास्फीति को रोकना तथा धीरे-धीरे मूल्य वृद्धि को कम करना है। इनके अतिरिक्त भारों तथा हमारी अर्थव्यवस्था में समय-समय पर होने वाले कुछ उतार-चढ़ावों के कारण राष्ट्र-निर्माण के अनेक पक्षों यथा–शिक्षा और स्वास्थ्य जिसे मेरी सरकार अधिक महत्व देती है, के विकास में विलम्ब हुआ है। मेरी सरकार को इस विलम्ब का अत्यधिक खेद है। तथापि देश के समक्ष जो कठिन परिस्थितियां थीं उनमें यह आवश्यक भी था कि प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए ताकि भविष्य की प्रगति का सुदृढ़ ढंग से सूत्रपात किया जा सके। व्यय में निश्चित रूप से कमी हुई है।

हमारी रेलवे में, जिस पर युद्ध के दौरान और उसके तत्पश्चात् विभाजन का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, अनेक दिशाओं में स्वागत योग्य सुधार हुआ है। आगामी प्रथम अप्रैल से भारतीय राज्यों और संघ राज्यों की रेलवे का भारत सरकार की रेलवे के साथ जुड़ने से पूरे देश में एक राष्ट्रीयकृत रेल प्रणाली शुरू होगी।

मेरी सरकार की मंशा एक योजना आयोग का गठन करने की है ताकि देश के विकास हेतु हम अपने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग कर सकें। इस आयोजना के लिए आंकड़े संबंधी जानकारी की आवश्यकता होगी। इसलिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन करने का प्रस्ताव है। इस बात को याद रखना चाहिए कि आयोजना के उद्देश्य स्पष्ट हों तथा कोई भी प्रयास जनता के पूरे सहयोग से ही सफल हो सकता है। जब सरकारी एजेंसियों, उत्साह और सहयोग के बीच समन्वय होगा केवल तभी आर्थिक और सामाजिक विकास बड़े पैमाने पर हो सकता है।

मेरी सरकार पिछले कुछ दिनों से सरकारी तंत्र का पुनर्गठन करने पर भी विचार कर रही है ताकि इसे और अधिक कार्यकुशल बनाया जा सके और बर्बादी को रोका जा सके।

मैंने हमारे रक्षा बलों पर होने वाले भारी व्यय का उल्लेख किया है। मेरी सरकार भारत में तथा इसके बाहर शांति को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है परन्तु विगत ढाई वर्ष के दौरान उसे परेशानी का सामना करना पड़ा है। रक्षा व्यय में कटौती करके वह ऐसे समय में देश के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहती थी जबकि देश के अन्दर और बाहर की विनाशकारी ताकतें इसकी सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर रही थीं। स्वतंत्रता की पहली आवश्यक शर्त यह है कि इसकी सुरक्षा करने की सामर्थ्य होनी चाहिए और कोई भी देश ऐसे महत्वपूर्ण मामले में जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए सैन्य विभाजन की प्रक्रिया, जो विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो जानी चाहिए थी, विलंब से और धीमी गति से प्रारम्भ हुई। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी रक्षा सेनाओं ने अपने दायित्वों को प्रशंसनीय ढंग से निभाया तथा अपनी समुचित निपुणता के कारण प्रशंसा और सम्मान प्राप्त किया है। जबकि देश की सुरक्षा करना किसी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उस समय वे रक्षा में यथासम्भव कटौती कर रहे हैं ऐसा वे मितव्ययिता और शांति की दृष्टि से कर रहे हैं।

खाद्यान्न एक ऐसा मद है जिस पर हमारा राष्ट्रीय व्यय अधिक हुआ है और इस समस्या के समाधान हेतु उनके प्रयास किये गये हैं। मेरी सरकार ने यह घोषणा की है कि 1951 के अंत तक हम खाद्यान्न में कमी को पूरा कर देंगे। साथ ही कपास और पटसन का, जो आवश्यक औद्योगिक कच्चा माल है तथा इनकी कम आपूर्ति की जाती है, पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि खाद्यान्न उत्पादन में निश्चित रूप से प्रगति हो रही है और इसमें वृद्धि करने के लिए हम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं चला रहे हैं। खाद्यान्नों की खरीद हमारी अल्पकालीन योजना का आवश्यक अंग है। सौभाग्यवश सामान्यत: फसल अच्छी हुई है यद्यपि कुछ क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा का अभाव रहा है और मद्रास में तो यह बिल्कुल नहीं हुई है। अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए जनता के विशेषत: किसानों के भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। देश की प्रमुख योजनाओं में कुछ नदी घाटी परियोजनाएं शामिल हैं। इस समय इनमें से तीन परियोजनाएं अर्थात् दामोदर घाटी, भाखड़ा बांध और हीराकुंड निर्माणाधीन हैं। सरकार इन परियोजनाओं को सिंचाई, खाद्यान्न और पन विद्युत की दृष्टि से अधिक महत्व देती है।

मुझे इस बात की खुशी है कि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान में पर्याप्त रूप से प्रगति हुई है। अन्तत: सभी प्रकार की प्रगति विज्ञान और इसके उपयोग पर निर्भर करती है। हाल ही में दो बड़ी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में और दूसरी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में है।

ये दोनों प्रयोगशालाएं भव्य अनुसंधान संस्थान हैं। उपरोक्त दो प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त नौ और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, इनमें से पांच प्रयोगशालाएं इस वर्ष ही कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। ये प्रयोगशालाएं केवल सभी प्रकार के अनुसंधान कार्य ही नहीं करेंगी बल्कि उद्योग की आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगी इससे औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी।

देश की समृद्धि शहरी और कृषि श्रमिकों के कल्याण पर निर्भर करती है। गत दो वर्षों के दौरान कारखाना अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाए गए हैं और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एवं कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 पारित कर सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की शुरुआत की गई है। मेरी सरकार शीघ्र ही श्रम संबंधों और ट्रेड यूनियनों के संबंध में दो व्यापक विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस समय एक अखिल भारतीय कृषि श्रम जांच चल रही है और जांच के पूरा होने पर इससे कृषि उत्पादन में लगे लोगों की दशा में सुधार लाने के उपाय तैयार करने में सरकार को सहायता मिलेगी।

पाकिस्तान से भारी संख्या में आए विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या न केवल उनके लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार ने इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया है। इसमें एक हद तक सफलता भी मिली है और बहुत सारे लोगों का पुनर्वास किया गया है। परन्तु यह भी सत्य है कि अधिकांश लोगों का पुनर्वास होना अभी बाकी है और उन्हें काफी कठिनाई उठानी पड़ी है। मेरी सरकार इन विस्थापित लोगों का यथाशीघ्र पुनर्वास करने के लिए कटिबद्ध है।

इस सत्र के दौरान उचित समय अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और मेरी सरकार के वित्तीय प्रस्तावों के अनुमोदन का अनुरोध आपसे किया जाएगा।

आपके समक्ष बीस विधेयक विचाराधीन हैं। उनमें से कुछ समिति-चरण से गुजर चुके हैं और कुछ विधेयकों पर पहले ही सिद्धान्त रूप में चर्चा हो चुकी है। इनमें से कुछ जिन पर अभी भी समितियों द्वारा विचार किया जा रहा है, उन्हें सत्र के दौरान समितियों की सिफारिशों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

वर्तमान सत्र के आरम्भ होने से पूर्व कुछ अध्यादेश जारी किए गए थे। इनमें से कुछ जिनका स्थायी विधेयन अपेक्षित है, नए विधेयकों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

इस सत्र के दौरान जिन अन्य विधायी उपायों को आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है, उनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण उल्लेख के योग्य हैं:–

आयकर अन्वेषण समिति की सिफारिशों को देखते हुए भारतीय आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक, आयात और निर्यात अधिनियम की

अवधि बढ़ाने के लिए विधेयक, कतिपय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक, भारत के कोयला संसाधनों के संरक्षण और कोयला खनन उद्योग के विनियमन के लिए एक विधेयक, अंतर-राज्य नदियों और नदी घाटियों के समुचित नियंत्रण और विकास के लिए एक विधेयक–ये कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें मेरी सरकार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। यदि आरम्भिक कार्य समय पर निपट गया, तो नए संविधान के तहत चुनाव संबंधी विभिन्न विषयों को समाविष्ट करने के लिए सरकार का विचार एक व्यापक लोक प्रतिनिधित्व विधेयक भी प्रस्तुत करने का है।

मैंने विधायी क्षेत्र में होने वाले कार्य की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की है। समय-समय पर मेरी सरकार इनके बारे में और सामान्य जनता के हित से संबंधित अन्य विधायी कार्यवाही की घोषणा आपके सामने संक्षेप में करती रहेगी और उनकी आवश्यकता के बारे में भी बताएगी।

अब मैं आपको आपके कार्यों पर छोड़ता हूं। हम एक ऐसी अशांत दुनिया में जी रहे हैं जो अभी तक युद्ध के परिणामों से नहीं उबरी है, जो एक के बाद एक संकट से गुजर रही है, और जो संदेह, कड़वाहट और भय के घेरे से घिरी है। हमारे सामने भारी और कठिन दायित्व हैं और हम उनका समाधान केवल साहस, सहयोग और कठोर परिश्रम से ही कर सकते हैं। सर्वोपरि, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश की उन्नति की नींवें अच्छी तरह और सच्चे ढंग से तभी डाली जा सकती हैं, जब वे सही उद्देश्यों, सही कार्य और मानस एवं उद्देश्य की अखंडता पर आधारित हों। महान कार्य क्षुद्र साधनों से पूरे नहीं हो सकते और न ही अनिष्टकारी विधियों से अच्छे परिणाम मिलते हैं। हमें और हमारी पीढ़ियों को महान चुनौतियों का सामना करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम राष्ट्रपिता द्वारा हमारे समक्ष रखे महान आदर्शों को अपना कर ही इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके कार्यों में ज्ञान, सहिष्णुता और सामंजस्यपूर्ण प्रयास की भावना से दिशा-निर्देश मिले।

अंतरिम संसद के समक्ष अभिभाषण – 31 जुलाई 1950

सत्र	-	दूसरा सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
अंतरिम संसद के अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

आज हम यहां संसद के पिछले सत्र के स्थगित किये जाने के बाद नियत समय से पहले मिले हैं क्योंकि विश्व के समक्ष अचानक एक बड़ा आकस्मिक संकट आ गया है। इस पृथ्वी पर पुनः युद्ध की छाया मंडराने लगी है और यद्यपि लड़ाई अभी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है फिर भी अधिक क्षेत्रों में इसके फैलने का भय विश्व को जकड़ रहा है।

संसद के पिछले सत्र से मेरी सरकार का गठन हमारे संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। 5 मई, 1950 को प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया ताकि मैं नए संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद को नियुक्त करने के लिए कार्यवाही कर सकूं। मैंने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और पुनः प्रधान मंत्री का पद स्वीकार करने एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु मुझे परामर्श देने के लिए उनसे भेंट की। उन्होंने इस पर सहमति प्रकट की और उनकी सलाह के अनुसार काम-काज में मुझे सलाह देने के लिए अनुच्छेद 75 के अंतर्गत एक ऐसी मंत्रिपरिषद नियुक्त की जो स्वयं एक अच्छी सरकार साबित हो और इस सभा के प्रति उत्तरदायी हो। इनमें से अधिकांश मंत्री पुरानी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं।

मेरी सरकार कोरिया में चल रहे संघर्ष के बारे में बहुत चिन्तित है। भारत ने सुरक्षा परिषद में इस विषय पर सीमा संबंधी घटनाओं के अतिरिक्त उत्तरी कोरिया के हमले और आक्रमण करने की तैयारी सिद्ध होने के बाद से पहले दो प्रस्तावों का समर्थन किया है। इस घटनाक्रम ने इस निष्कर्ष को भी पुष्ट कर दिया है। भारत की नीति आक्रमण के समक्ष न झुकने की रही है क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में आक्रमण के समक्ष झुकना विश्व के अन्य भाग में इसकी पुनरावृत्ति करना है और इस प्रकार से

शांति और स्वतंत्रता को खतरे में डालना है। जबकि भारत ने कोरिया संघर्ष के संबंध में सुरक्षा परिषद के प्रथम दो प्रस्तावों का समर्थन किया है तो उसने स्पष्ट कर दिया कि वह विश्व शांति के संवर्धन पर आधारित एवं अपने आदर्शों और उद्देश्यों पर दृढ़ रहकर अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करता रहेगा।

मेरी सरकार इस संघर्ष के चलते रहने से और इसके फैलने की संभावना से विश्वशांति पर पड़ने वाले स्वाभाविक संकट के बारे में सचेत है। इसीलिए हमारे प्रधान मंत्री ने प्रीमियर स्टालिन और अमरीका के सैक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री डीन एकसन से अनुरोध किया है कि इन दो महान राष्ट्रों के प्राधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग कोरिया में सशस्त्र संघर्ष को सीमित करने और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में चीन के प्रवेश पर लगे अवरोध को समाप्त करने में किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम किया जा सके और कोरिया की समस्या का सुरक्षा परिषद में विचार-विमर्श द्वारा कोई समाधान निकाले जाने के लिए पथ प्रशस्त किया जा सके। यह सुझाव आक्रमण की अनदेखी करने अथवा सुरक्षा परिषद के प्राधिकार को कम करने के उद्देश्य से नहीं दिया गया है बल्कि इससे संगठन को और अधिक शक्ति और नैतिक बल प्रदान करने एवं खतरनाक स्थिति को शीघ्र समाप्त करने से था। यदि यह बात सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य होती तो मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से एवं इसके द्वारा सुरक्षा परिषद के समर्थित दो प्रस्तावों के आधार पर समझौता कराने में सक्रिय रूप से सहयोग किया होता।

मुझे पूरी आशा है कि कोरियाई संघर्ष शीघ्र समाप्त होगा और विश्व शांति सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों के अथक प्रयास से सुनिश्चित हो सकेगी। शांति मानव जाति की सर्वोच्च आवश्यकता है और जीने की एकमेव आशा है।

मेरे प्रधान मंत्री ने हाल ही में इंडोनेशिया, मलाया और बर्मा* का दौरा किया है। उनके दौरे से हमारे देश और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच निकटता तथा मित्रवत् संबंधों में और अधिक मजबूती आई है। कोरियाई संघर्ष ने इस बात को पहले से कहीं अधिक आवश्यक बना दिया है कि शांति बनाए रखने और अपनी-अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए एशिया के स्वतंत्र देशों में सहयोग होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि इंडोनेशिया की सरकार और वहां के लोग अभी हाल ही में प्राप्त की गयी स्वतंत्रता की आधारशिला को मजबूत कर रहे हैं और बर्मा लम्बे समय से चले आ रहे संकट और परेशानियों से अभी तक जूझ रहा है।

हाल ही में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि सर ओवेन डिक्सन के साथ कश्मीर मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। पांच दिनों तक चली इस वार्ता से दोनों पक्ष उन सिद्धान्तों को पूरी तरह जांच करने में सक्षम होंगे जो कश्मीर

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

के लोगों की इच्छा एवं इन सिद्धान्तों को लागू करने संबंधी वास्तविक समस्या का पता लगाने हेतु व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। यह स्वाभाविक था कि परीक्षा के क्रम में नए दृष्टिकोण सामने आने चाहिएं। इनकी भी परीक्षा की जा रही है और प्रस्ताव किया गया है कि कश्मीर समस्या के उपयुक्त शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए उपाय ढूंढ़ने हेतु दोनों प्रधान मंत्रियों को संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधि के साथ कराची में पुन: मिलना चाहिए।

दोनों प्रधान मंत्रियों की अप्रैल के अंत में दिल्ली में आयोजित पिछली बैठक में एक समझौता किया गया था जिससे एक खतरनाक स्थिति में सुधार हुआ और अल्पसंख्यक समुदाय को राहत मिली। हालांकि इस समझौते से स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार हुआ किन्तु कई कठिनाइयां फिर भी बनी रहीं और बड़ी संख्या में लोगों का पलायन जारी रहा। अपनी हाल की बैठक के दौरान दोनों प्रधान मंत्रियों ने सामान्य स्थिति बहाल करने और अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु इस समझौते के कार्यान्वयन की जांच की। मेरी सरकार सुधार की आवश्यकता तथा बड़ी संख्या में लोगों, जिनको परिस्थितियों ने अपने घरों से पलायन करने पर विवश कर दिया, की दुर्दशा के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है। गत अप्रैल में हुए समझौते के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी भारत तथा पाकिस्तान के केन्द्रीय मंत्री, हमारे प्रधान मंत्री और बाद में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से विचार-विमर्श करेंगे। पूर्वी बंगाल और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली और कराची में आमंत्रित किया जाएगा।

भारत और पाकिस्तान, दोनों के लिए दूरगामी महत्व वाली दूसरी समस्या शरणार्थियों की संपत्ति की है। इस प्रकार प्रगति धीमी रही है किन्तु जैसाकि हाल ही में हुई बातचीत से संकेत मिला है, दोनों सरकारों के इस समस्या का शीघ्र हल निकालने के दृष्टिकोण को प्रेरणा मिली है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि भारतीय समस्या पर चर्चा करने हेतु इस वर्ष बाद में किसी दिन दक्षिण अफ्रीका में एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए गत फरवरी में भारत सरकार, पाकिस्तान और यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते से अपेक्षा की गई थी कि फरवरी में हुए प्रारंभिक सम्मेलन और मुख्य सम्मेलन के बीच मित्रतापूर्ण समायोजन के लिए वातावरण खराब करने जैसी कोई बात नहीं होगी। दुर्भाग्य से यह आशा पूरी नहीं हुई है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय पर लागू होने वाले वर्तमान दमनकारी कानूनों को अधिक सख्त बना दिया गया है और "ग्रुप एरियाज लॉ" बनाने से संघीय सरकार की अलगाववादी नीति, जिस पर भारत सरकार ने लगभग सत्तर वर्षों से अधिक समय से लगातार और दृढ़ता से आपत्ति प्रकट की है, को लागू करने की पुष्टि हुई है। अत: मेरी सरकार ने यह

निर्णय लिया कि संघीय सरकार द्वारा इस शरद ऋतु के प्रारंभ में बुलाये गए सम्मेलन में उनकी भागीदारी से कोई लाभप्रद उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वे यह महसूस करते हैं कि इस विषय को संयुक्त राष्ट्रसंघ में पुनः उठाया जाना चाहिए और उन्होंने इस विषय को सितंबर में संघ की महासभा की न्यूयार्क में होने वाली बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित करने की मांग की है।

माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि मेरी सरकार देश की आर्थिक स्थिति के बारे में निरंतर चिंतित रही है। देश के उत्पादक संसाधनों के संतुलित विकास तथा अधिकाधिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने हेतु योजना बनाने के उद्देश्य से एक योजना आयोग गठित किया गया है जो पूर्ण कुशलता तथा गंभीरता से कार्य कर रहा है। वर्तमान संकट तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जटिलताओं से आर्थिक स्थिति के संबंध में और अधिक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। विश्व शांति को नए खतरे से जिससे प्रत्येक देश प्रभावित होता है, तो हमारे आयात में अत्यधिक वृद्धि की संभावनाएं हैं। इस स्थिति में निरंतर निगरानी रखने और मूल्य स्तर बनाए रखने में सहायक उपायों की जांच करने की आवश्यकता है। सरकार के सभी विभागों में खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और जनता को भी मितव्ययिता बरतनी होगी।

मेरी सरकार खाद्य स्थिति को निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कुल मिलाकर खाद्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है। रबी की फसल क्षेत्रों में गेहूं की रिकार्ड खरीद हुई है। गेहूं की इस खरीद तथा गेहूं के आयात से, जिसके लिए पहले ही प्रबंध किए जा चुके हैं, हमारे पास गेहूं का पर्याप्त भण्डार हो जाएगा। जहां तक चावल की खरीद का संबंध है, कुछ क्षेत्रों में इसकी खरीद संतोषजनक नहीं रही है। कुछ राज्यों में मुख्यतः मद्रास, पश्चिम बंगाल और बिहार में कठिनाइयां आई हैं तथा इनके साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं तथा बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से भी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। सरकार थोड़ा गेहूं तथा ज्वार और बाजरा की आपूर्ति करके तथा चावल का आयात करके किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मेरी सरकार इन कठिनाइयों से निपटने के लिए कृतसंकल्प है तथा 1951 के अंत तक भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रमों की सफलता के प्रति आश्वस्त है।

विस्थापितों के पुनर्वास कार्य में काफी प्रगति हुई है। किन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बड़ी संख्या में इन शरणार्थियों को अभाव और कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उत्तर में जैसे-जैसे इस समस्या पर नियंत्रण किया जा रहा था, वैसे ही बंगाल, असम और त्रिपुरा में शरणार्थियों के निरंतर और बड़ी संख्या में आगमन से पूर्वानुमान गड़बड़ा गए और भारी जटिलताएं पैदा हो गईं तथा समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। इस समस्या का समाधान केवल अखिल भारतीय आधार पर और सभी राज्यों के सहयोग से किया जा सकता है।

भारत की वाणिज्यिक स्थिति पिछले वर्ष के दौरान उससे पहले वर्ष की तुलना में बेहतर रही है। विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत के निर्यात में वृद्धि करने तथा आयात नियमित करने के लिए किये गये उपायों के परिणामस्वरूप 30 जून, 1950 को समाप्त होने वाला वर्ष विदेशी मुद्रा के संबंध में जमा शेष के साथ समाप्त हुआ। यह स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में जो 247 करोड़ रुपयों के घाटे के साथ समाप्त हुआ था, स्वागतयोग्य और उत्साहवर्धक थी। इस वर्ष हमारा निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में दोगुना हुआ है।

यद्यपि संसद के इस सत्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करना है, तथापि सरकार इस संक्षिप्त अवधि के दौरान माननीय सदस्यों की सुविधा के अनुरूप अन्य मामलों को भी सभा के समक्ष विचारार्थ रखेगी, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के संबंध में एक अनुपूरक विवरण आपकी मंजूरी के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। संसद के स्थगन के पश्चात् जो अध्यादेश जारी किये गये थे, उन्हें नये विधेयकों के रूप में आपके सम्मुख रखा जायेगा। इनमें से महत्वपूर्ण विधेयक ये हैं: खान विधेयक, आकस्मिकता निधि अधिनियम, भारतीय वित्त (संशोधन) विधेयक और निर्वाचन विधेयक।

अंतरिम संसद के समक्ष अभिभाषण – 14 नवम्बर 1950

सत्र	-	तीसरा सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
अंतरिम संसद के अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

साढ़े तीन माह पूर्व हम यहां अंतर्राष्ट्रीय मामले के संबंध में उत्पन्न हुए एक संकट पर विचार करने हेतु संसद के विशेष सत्र में एकत्रित हुए थे। उस संकट के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को कोरिया में आक्रमण का सामना करना पड़ा तथा अनेक विपत्तियों और कठिनाइयों के पश्चात्, आक्रमणकारी सेनाओं को रोका और वापस खदेड़ा गया। परन्तु हाल की घटनाओं से वह संकट और गहराया है तथा शान्ति का आकांक्षी विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा प्रतीत होता है। अपने देश में ही हमें अभूतपूर्व आपदाओं का सामना करना पड़ा है। हमारे पूर्वोत्तर राज्य असम में एक बड़ा भूकम्प आया और उसके बाद बाढ़ से तबाही आई। अन्य अनेक राज्यों में भयंकर बाढ़ आयी जिनके प्रकोप से विनाश हुआ, कतिपय अन्य क्षेत्रों में वर्षा की कमी से न केवल खड़ी फसल नष्ट हुई अपितु अगले मौसम की फसल पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इस प्रकार आज हम आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के घोर संकट के समय में यहां एकत्र हुए हैं और इन संकटों तथा खतरों का सामना करने तथा अपने देश के लोगों की भलाई और मानवमात्र की शान्ति हेतु कार्य करने के लिए हमें अपने पूरे विवेक, साहस और संयम से काम लेना होगा।

कठिनाई भरे इन विगत महीनों के दौरान मेरी सरकार ने विश्व शांति को बनाये रखने और कोरिया के युद्ध को फैलने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर प्रयास किया है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि मानव के लिए शान्ति की सर्वाधिक आवश्यकता है, तथापि भय के कारण राष्ट्र एक ऐसी दिशा में दौड़ रहे हैं जिससे शान्ति को खतरा है। विश्व शांति केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जबकि विश्व के बड़े राष्ट्र उसे अनिवार्य समझें और उसके लिए कार्य करें, यदि उनमें से एक भी युद्ध को अपरिहार्य समझेगा तो युद्ध छिड़ सकता है। इस संसद ने अनेक

अवसरों पर शान्ति के लिए अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है और इस लक्ष्य के लिए मेरी सरकार यथासामर्थ्य प्रयास करती रहेगी। मुझे पूरी आशा है कि राजनेता "लेक सक्सेस" में एकत्रित होंगे और राष्ट्रों की विदेश नीति के प्रभारी राजनेताओं को युद्ध को फैलने से रोकने में सफलता मिलेगी। यह सही है कि आक्रमण का सामना करना ही होगा और बुराई को क्षमा नहीं किया जा सकता है, परन्तु इसके साथ-साथ यह भी स्मरण रखना होगा कि युद्ध स्वयं एक बुराई है जो अपने साथ और भी बड़ी बुराइयां लाता है। हम जिस शांति के इच्छुक हैं और जो वांछनीय है वह जीवन्त शांति है न कि श्मशानघाट की शांति। कोरिया में हुए युद्ध से उस देश और उस देश के लोगों का पहले ही भयंकर विनाश हो चुका है और युद्ध का विस्तार होने पर अन्य बहुत से देशों की नियति भी यही होगी। मेरी प्रार्थना है कि विश्व के महान राष्ट्रों के नेता, जिनके ऊपर महान दायित्व है, परस्पर विचार-विमर्श करेंगे और विश्व को बचा लेंगे।

मेरी सरकार अपने विशाल पड़ोसी देश चीन के साथ मैत्रीपूर्ण नीति का निरन्तर पालन कर रही है। इसलिए यह हमारे लिए अत्यन्त खेद की बात थी कि चीन की सरकार ने तिब्बत में सैनिक कार्यवाही ऐसे समय पर की जबकि उनके समक्ष शांतिपूर्वक बातचीत का मार्ग खुला हुआ था। तिब्बत न केवल भारत का पड़ोसी है बल्कि उसके साथ उसके गत अनेक शताब्दियों से हमारे सांस्कृतिक तथा अन्य संबंध रहे हैं। इसलिए भारत को इस बात पर चिन्ता होनी ही चाहिए कि तिब्बत में क्या हो रहा है और आशा करनी चाहिये कि इस देश की शांतिपूर्ण स्वायत्तता सुरक्षित रहेगी।

हाल ही में, महामहिम नेपाल नरेश ने अपने परिवार के साथ काठमांडू स्थित हमारे दूतावास में शरण मांगी थी क्योंकि उनके और उनकी सरकार के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गये थे और उन्होंने भारत आने की इच्छा व्यक्त की थी। महामहिम अब दिल्ली आ गये हैं और हमने उनका सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत किया है। नेपाल एक देश है जिसका भारत के साथ घनिष्ठतम संबंध रहा है और कुछ ही माह पूर्व भारत और नेपाल के बीच एक मैत्री सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये थे। नेपाल की स्वाधीनता का सम्मान करना, उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखना और उसके लोगों की राजनैतिक तथा आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना मेरी सरकार की कामना रही है और आज भी है।

हाल ही में हमारे देश में आई प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों से खाद्य स्थिति गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है। पकती हुयी फसलें बाढ़ से नष्ट हो गयी हैं और कहीं-कहीं पर तो खाद्यान्न के भण्डार बह गये हैं। इससे भी अधिक व्यथित करने वाली बात यह है कि विस्तृत क्षेत्रों, विशेष रूप से बिहार में, जहां वर्तमान स्मृति के अनुसार इतनी बड़ी आपदा इससे पूर्व कभी नहीं आयी थी, आगामी फसल भी गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है। इस कारण खाद्यान्नों का विदेशों से बड़ी मात्रा में आयात करना आवश्यक हो गया है परन्तु इतने पर भी, इस वर्ष के अन्तिम सप्ताहों में हमें सम्भवतः

भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिये यह परमावश्यक हो गया है कि भारत में उपलब्ध खाद्यान्नों का हम सर्वोत्तम उपयोग करें। ऐसी परिस्थितियों में जमाखोरी सर्वाधिक जघन्य अपराध है। जिन राज्यों में कुछ फालतू खाद्यान्न हैं, उन्हें वह खाद्यान्न अभावग्रस्त राज्यों को देना चाहिये। हम सभी को हर प्रकार की फिजूलखर्ची से बचना चाहिये और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिये। स्थिति गम्भीर ही है। इसे छोटा समझने से काम नहीं चलेगा। उसे बढ़ा-चढ़ाकर देखने अथवा उसके संबंध में संत्रस्तकारी भाषा का प्रयोग करना और भी अधिक व्यर्थ है। हमें इस स्थिति को भली-भांति समझना चाहिये और दृढ़तापूर्वक तथा सभी आवश्यक कष्ट सहते हुए दृढ़ संकल्प के साथ इससे निपटना होगा।

खाद्यान्नों की स्थिति को प्रभावित करने वाली आपदाओं और आज हम जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उसके बावजूद भी हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अपने कार्यक्रम को नहीं छोड़ेंगे। हमने खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त प्रगति की है और हमें आशा है कि आगामी वर्ष में हमारी उपलब्धि और भी अच्छी रहेगी। स्मरण रहे कि हमारा वर्तमान खाद्य संकट अत्यंत असाधारण और असामान्य परिस्थितियों के कारण है और मार्च, 1952 तक हमें देश में सामान्य उपयोग के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करने का लक्ष्य नहीं छोड़ना है।

मूल्य वृद्धि से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए मेरी सरकार ने ग्यारह वस्तु की आपूर्ति एवं उनके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए आयात को उदार बनाने तथा असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। इस कार्य में जनता के पूर्ण सहयोग से ही सफलता मिल सकेगी।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार अधिकांश रूप से इसलिए अवरुद्ध हो रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान के रुपये का तुलनात्मक मूल्य के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। यह आशा थी कि इस मामले का निपटारा पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हाल ही की बैठक में हो जाएगा परंतु इस पर विचार स्थगित कर दिया गया। मेरी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए पाकिस्तान सरकार को एक प्रस्ताव दिया है। उन्होंने विस्थापितों को सम्पत्ति और नहर जल के मुद्दों का निर्णय लेने के लिए एक उच्चस्तरीय न्यायाधिकरण के गठन का सुझाव दिया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा और इस प्रकार दोनों देशों के बीच दो गंभीर मुद्दों के विवाद दूर हो जाएंगे। विस्थापितों की सम्पत्ति का मामला भारत और पाकिस्तान के बहुत से लोगों से जुड़ा है और उनके बारे में शीघ्र निर्णय लेने से न केवल उन व्यक्तियों को ही राहत मिलेगी बल्कि दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने में भी सहायता मिलेगी।

मुझे खुशी है कि 8 अप्रैल, 1950 के भारत-पाक समझौता के परिणामस्वरूप स्थितियों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है और विस्थापित व्यक्ति अपने घरों को लौट रहे हैं।

पहले से यह और भी आवश्यक हो गया है कि हम अपने सीमित संसाधनों से अत्यधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करें और उन सभी मार्गों की खोज करें जो देश के विकास में सहायक हों। जो समस्याएं हमारे सामने हैं उनका समाधान विकास के बिना नहीं हो सकता है। योजना आयोग केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों के सहयोग से एक आरम्भिक योजना तथा एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। यह आशा है कि जल्द ही एक अल्पकालिक योजना देश के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। इस बीच तीन बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं–भाखड़ा, दामोदर और हीराकुंड पर्याप्त प्रगति कर रही हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई है तथा कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की गई है।

विस्थापितों के पुनर्वास कार्य में भी प्रगति हुई है और कुछ नए टाउनशिप जैसे फरीदाबाद, नीलोखेरी, राजपुरा, कांडला और फुलिया बसाए गए हैं और अधिकांश रूप से उनमें पुनर्वास कार्य हो रहा है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के संबंध में उनके दोनों तरफ आवाजाही के कारण स्थिति अस्पष्ट है। ऐसे ग्यारह लाख विस्थापितों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भूमि अथवा दुकानें दी गई हैं और उन्हें बसाया गया है। अब भी 2,50,000 शिविर मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में हैं तथा बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और असम में भी हैं। इन शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को बसाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए बहुत कुछ किया जाना है।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों का सही-सही आंकड़ा उपलब्ध है। कुल मिलाकर वे 50 लाख हैं। इनमें 6,00,000 परिवारों को जिनमें तीस लाख व्यक्ति शामिल हैं, भूमि दी गई है और सहायता के रूप में साधन उपलब्ध कराए गए है। इनमें से 5,00,000 व्यक्ति जिन्हें भूमि दी गई है, उन्होंने शहरों में रहने की इच्छा व्यक्त की है। इस प्रकार शहरों में लगभग 25,00,000 विस्थापित व्यक्ति शहरों में आ गए। इनमें से कुछ ने अपने उद्यमी होने का परिचय दिया और उन्होंने अपनी व्यवस्था की हैं अन्य लोगों को सरकार ने आवास तथा रोजगार दिए हैं। आवास के संबंध में 20,70,000 व्यक्तियों को विस्थापितों के घरों में बैरकों में सुधार करके और नए मकानों में बसाया गया है। इसके अतिरिक्त निजी आवासों के निर्माण के लिए भूखण्ड विकसित किए गए हैं और पूरे देश में मकानों का निर्माण किया जा रहा है।

लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 54,000 व्यक्तियों को दुकानें और वाणिज्यिक परिसर आवंटित किए गए हैं तथा 17,00,000 व्यक्तियों को ऋण या रोजगार अथवा व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। इस तरह पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए आवास और पुनर्वास के संबंध में बहुत कुछ किया गया है परंतु दुर्भाग्यवश उपलब्धि बहुत उच्च स्तर की नहीं हो पाई है। इस समस्या को

सुलझाने में विस्थापितों की सम्पत्ति के विवाद को हल करने से अधिक सहायता मिलेगी।

मेरी सरकार नये संविधान के अनुसार यथाशीघ्र संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराना चाहती है। ये चुनाव इस प्रकार के होंगे कि किसी भी देश में इस प्रकार के चुनाव पहले कभी नहीं हुए हैं और अनुमानतः इसमें 17 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता सूची तैयार करने तथा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सभी प्रकार की तैयारियां करने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं ताकि चुनाव अप्रैल–मई, 1951 में कराए जा सकें। यह महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए तिथि निर्धारित की जाये और इसका पालन किया जाये क्योंकि बाद में किए गए परिवर्तनों से संबंधित लोगों को भारी परेशानी होगी। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अभी चुनावों से संबंधित अनेक मामलों को निपटा नहीं पाई है और विभिन्न धारणाओं के आधार पर जो प्रगति हुई है उसे न्यायसंगत ठहराया जा सकता है अथवा नहीं भी ठहराया जा सकता है। इससे अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। कुछ राज्यों ने हमारे पास यह भी सूचना भेजी है कि अप्रैल–मई, 1951 में उनके लिए चुनाव कराना सम्भव नहीं है। बिहार में खाद्यान्नों की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण भीषण कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। मेरी सरकार ने इस स्थिति की सभी पहलुओं से सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और सरकारी तथा गैर–सरकारी दृष्टिकोणों पर विचार किया है। इससे यह निष्कर्ष निकला है कि अप्रैल–मई में आगामी किसी भी तिथि को चुनाव आयोजन से गम्भीर कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं और वर्तमान परिस्थितियों में इसे निर्धारित तिथि नहीं माना जा सकता है। इसलिए उसने नवम्बर के उत्तरार्द्ध में अथवा दिसम्बर, 1951 के शुरू में आम चुनाव की तिथि निर्धारित करने का निर्णय किया है।

भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का अनुपूरक ब्यौरा आपके अनुमोदन हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

इक्कीस विधेयक आपके समक्ष विचाराधीन हैं। इनमें से कुछ विधेयक, जो इस समय प्रवर समितियों के विचाराधीन हैं, उनकी सिफारिशों के साथ उन्हें इस सत्र की अवधि के दौरान ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

संसद के अंतिम सत्र के बाद आठ अध्यादेशों की घोषणा करना आवश्यक हो गया था। इनमें से चार अध्यादेश आपके पास लंबित विधेयकों के मामलों से संबंधित हैं और शेष चार अध्यादेश नये विधेयकों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

इस सत्र के दौरान ही अन्य विधायी उपाय और जनहित के मामलों से संबंधित प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। इनमें से जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, आयकर (संशोधन) विधेयक और वित्त योग विधेयक अधिक महत्वपूर्ण हैं।

अंतरिम संसद के समक्ष अभिभाषण – 6 अगस्त 1951

सत्र	-	चौथा सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
अंतरिम संसद के अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

इस संसद के कार्यकाल के अंतिम चरणों में यहां आज हमारी बैठक हो रही है। कुछ ही महीनों में इस महान देश के सभी भागों में आम चुनाव होंगे जिसमें 17 करोड़ मतदाता भाग लेंगे। ये लोकतांत्रिक चुनाव विश्व में पहले हुए किसी भी चुनाव से बड़े हैं; इससे चुनाव आयोजकों पर भारी दबाव आ पड़ा है और हम सभी लोगों पर भारी जिम्मेदारी आयी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस उत्तरदायित्व का निर्वहन भलीभांति हो और चुनाव हमारे लोगों के बीच अनुशासित सहयोग की भावना से हो तथा उच्च सिद्धान्त दूरदर्शी और प्रयोजन के प्रति निष्ठावान महिलाएं और पुरुष निर्वाचित हों। विश्व और हमारे देश की समस्याएं उलझी हुई तथा जटिल हैं और इनके समाधान के लिए हमें बुद्धिमता और साहस से काम लेना होगा। आज विश्व में युद्ध और शांति का सन्तुलन अनिश्चित है और शांतिपूर्ण रचनात्मक प्रयास करने वाली शक्तियों को विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना है। मेरा पक्का विश्वास है कि केवल सिद्धान्तों का अनुसरण करेंगे और सिद्धान्तों की कीमत पर अस्थायी लाभ की इच्छा त्यागकर हम अपने देश की सेवा और अपने हृदय में संजोये महान उद्देश्यों को पूरा करेंगे।

भाग्यहीन देश कोरिया, जहां गत वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं और विनाश हुआ है, आज इस बात का उदाहरण है कि यदि भय, दुराग्रह और आवेश के कारण बड़े राष्ट्रों में युद्ध होता है, तो कुल मिलाकर विश्व में क्या घटित होगा। कुछ समय से युद्ध विराम की शर्तों पर विचार करने के लिए कोरिया में एक सम्मेलन किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन में किये गए प्रयास सफल होंगे और यह भयावह युद्ध समाप्त होगा। इस प्रथम सफलता के उपरान्त सुदूरपूर्व देशों की समस्याओं के समाधान के लिए अन्य कदम उठाये जायेंगे। यह समाधान तभी हो सकता है यदि इसके कार्य क्षेत्र में उन सभी देशों को सम्मिलित किया जाये, जिनके

सुदूरपूर्व में महत्वपूर्ण हित हों और जिन्होंने आज के विश्व में अपना समुचित स्थान बनाया हो। जापान के साथ शांति संधि करने के लिए प्रस्ताव किये गए हैं। हम शांति स्थापित करने और जापान और उसके लोगों, जिन्हें भारत अपना मित्र मानता है, के द्वारा अपना विकास करने के अवसर देने संबंधी सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस शांति संधि से तनाव से मुक्ति मिलेगी और पूर्व के राष्ट्रों के बीच निरन्तर सहयोग के लिए दरवाजे खुल जायेंगे।

एशिया के देशों का उदय इस युग की महत्वपूर्ण बात है। जब इस काल का इतिहास लिखा जायेगा, निःसन्देह एशिया की इस जागृति को गौरवमय स्थान दिया जायेगा। यह जागृति कष्टों में रही है और रहेगी। यह बदलती रही है और यह विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूपों में रही है। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि एशिया महाद्वीप में भारी परिवर्तन हो रहे हैं; कई मामलों में पुरानी व्यवस्था पूर्णतः बदल गयी है; अन्य मामलों में लोकतांत्रिक प्रगति का मध्यम चरण पाया गया है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ हमारे सदैव घनिष्ठ संबंध रहे हैं, ने लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की ओर कदम बढ़ाये हैं। उसे इस संक्रमण काल में कुछ कठिनाइयां पेश आ रही हैं, किन्तु मुझे पक्का विश्वास है कि इनसे छुटकारा मिल जाएगा और स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक नेपाल तेजी से प्रगति करेगा।

पश्चिम एशिया में राजनैतिक और आर्थिक प्रगति के लिए यही भावना और प्रवृत्ति उभरी है। इससे कभी-कभी कष्ट और तनाव तथा कठिन समस्याएं पैदा हुई हैं। हाल ही के महीनों में इस क्षेत्र में कई दुखद घटनाएं हुई हैं; कुछ दिन पूर्व ही महामहिम जॉर्डन के सम्राट की हत्या हुई है।

ईरान में, तेल विवाद के पीछे, भारी जागरूकता है। मैं आशा करता हूं कि इन विवादों का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो ताकि ईरान फले-फूले और इसके बड़े तेल संसाधनों से विश्व भी लाभान्वित हो।

मेरे शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हाल ही में तुर्की और ईरान की सद्भावना यात्राएं की हैं और उन्हें हमारा मित्रता का संदेश पहुंचाया है। मैं इन सरकारों और इन देशों के लोगों को उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तुर्की में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के लोगों की ओर से उस देश के साथ एक सांस्कृतिक समझौता किया जिससे दोनों के बीच बेहतर समझदारी और सहयोग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। भारत ने भी ईरान, इंडोनेशिया और बर्मा के साथ भी शांति और मित्रता की संधियां की हैं। इन संधियों से इन देशों के साथ भारत के प्राचीन संबंधों और दीर्घकालिक मित्रता को मजबूती मिलेगी।

मुझे खेद है कि दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के संबंध में पारित प्रस्ताव अस्वीकृत किया है। इस प्रश्न का केवल भारत पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है। यह महत्वपूर्ण है तथा इससे विश्व का भविष्य प्रभावित होगा क्योंकि इसके सही समाधान पर ही महान दो जातियों के बीच शांति अथवा संघर्ष की बात निर्भर करती है। विभिन्न जातियों तथा लोगों में समानता और समान व्यवहार के आधार पर ही इस विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तथापि, दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार ने दुर्भाग्यवश जातिवादी नीतियां जारी रखी हैं जो विश्व में केवल असन्तोष और संघर्ष को ही जन्म देंगी।

जबकि पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण हैं परन्तु मुझे बहुत खेद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वैमनस्य जारी है तथा कई अहम प्रश्न अनसुलझे रह गये हैं। हमारी यह हार्दिक इच्छा रही है कि पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण ढंग से इन प्रश्नों का समाधान किया जाये तथा सहयोगपूर्ण संबंधों की स्थापना की जाये। हमारा विगत इतिहास और संस्कृति, हमारे समान हित और घनिष्ठ संबंध इस बात की सीख देते हैं कि हमें आपस में शांति के साथ रहना चाहिए, किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया है। परिस्थितियां हमारे वश में न होने के कारण इन संबंधों पर प्रभाव पड़ा है और पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध युद्ध की आवाज उठायी जा रही है। हमारी सुरक्षा के प्रति सम्भावित खतरों को देखते हुए अपनी रक्षा व्यवस्थाओं में संशोधन करने के लिए मेरी सरकार पर दबाव डाला गया था। किन्तु मेरी सरकार द्वारा उठाये गये ऐसे सभी कदमों का अभिप्राय शांति सुनिश्चित करना तथा युद्ध से बचना था। हम पर जब तक युद्ध न थोपा जाये, हम युद्ध से बचने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं। मेरा विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनाव समाप्त हो जायेगा और समस्याओं पर विचार करने के लिए अनुकूल वातावरण बन जायेगा।

अठारह माह पूर्व पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल और असम में उस समय गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई जब भारी पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ। हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच हुए समझौते से इस खतरनाक प्रवाह पर रोक लगी और स्थिति में सुधार हुआ। मैं यह देखकर चिन्तित हूं कि स्थिति बिगड़ती जा रही है और पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में लोगों का भारी संख्या में आना जारी है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लाखों लोग सम्मिलित हैं और मुझे विश्वास है कि इस विस्थापन को रोकने के लिए गंभीर और प्रभावी कदम उठाए जायेंगे।

पुनर्वास संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में यथेष्ट प्रगति हुई है और बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। किन्तु अभी भी बहुत से लोग हैं जो इन प्रावधानों से वंचित हैं। जहां तक पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित लोगों का प्रश्न है, हमें संतोष है कि समस्या पर नियंत्रण पा लिया गया है और निकट भविष्य

में इससे ठीक ढंग से निपट लिया जाएगा; किन्तु बंगाल में नए घटनाक्रमों के कारण नई-नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिनके फलस्वरूप भारी संख्या में विस्थापित लोग भारत में आ गए हैं और सहायता मांग रहे हैं।

पंजाब के राज्यपाल ने इस वर्ष 17 जून को मुझे एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि उनके मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि मंत्रिपरिषद का गठन करना और संविधान के उपबंधों के अनुरूप राज्य में सरकार चलाना संभव नहीं है। तदनुसार मैंने 20 जून, 1951 को अनुच्छेद एक उद्घोषणा जारी की थी कि पंजाब सरकार के समस्त कार्य एवं राज्यपाल की सारी शक्तियों का संचालन अपने हाथ में लेता हूं और राज्य विधान मंडल की सारी शक्तियों का संचालन संसद द्वारा इसके प्राधिकार के अंतर्गत किया जाएगा। मैंने एक आदेश जारी किया था जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि राज्य का शासन राज्यपाल द्वारा मेरी देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन चलाया जाएगा। इस उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ इस सभा के समक्ष एक संकल्प रखा जाएगा। पंजाब के लिए विधान मंडल के रूप में संसद के प्राधिकार के समुचित और आवश्यक प्रत्यायोजन के लिए एक विधेयक भी पुर:स्थापित किया जाएगा।

मुझे अत्यधिक खेद है कि यह उद्घोषणा करना आवश्यक हो गया था और मुझे आशा है कि पंजाब में सामान्य सांविधानिक व्यवस्था शीघ्र ही लागू हो जाएगी।

मेरी सरकार द्वारा गत वर्ष गठित योजना आयोग ने हाल ही में अपने कार्य का प्रथम चरण पूरा किया है और प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है, इसे आपके विचारार्थ रखा जाएगा। यह योजना विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों के सुविचारित मूल्यांकन पर आधारित है एवं इसे केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तथा उद्योगों और श्रमिकों और विभिन्न क्षेत्रों के कार्यरत अग्रणी संगठनों के परामर्श से तैयार किया गया है। इस समय ये सिफारिशें अंतरिम हैं और आयोग को आशा है कि इन्हें अंतिम रूप इस योजना के संबंध में संसद के विचार जानने एवं केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों से सुझाव प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

हमारे समक्ष अनेकानेक समस्याओं में कोई भी समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारी आर्थिक प्रगति के लिए योजना निर्माण महत्वपूर्ण है ताकि हमारे लाखों लोग, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं, बेहतर जीवन-यापन कर सकें। इस योजना में निश्चित रूप से कृषि उत्पादन जो हमारे जीवन का आधार है, को प्राथमिकता दी गई है। इसके पश्चात् बहु-उद्देश्यीय नदी घाटी विकास योजनाओं और कुछ आधारभूत उद्योगों को महत्व दिया गया है। जो एक राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। यही परियोजनाएं हमें भविष्य के प्रति आशान्वित करती हैं। इस योजना में उत्पादन में वृद्धि करने, रोजगार प्रदान करने और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से कुटीर और लघु उद्योगों के महत्व पर बल दिया गया है, मुझे विश्वास

है कि जब इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा तब यह योजना अपने विभिन्न रूपों में राष्ट्रीय गतिविधियों का आधार बन जाएगी तथा लोगों में आपसी मेलजोल एवं सहयोग को बढ़ावा देगी। इसके शीघ्र और कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। तब तक मुझे आशा है कि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिए गए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए हमारी चालू विकास योजनाएं अग्रसर होती रहेंगी। समय-समय पर इस योजना के कार्यकरण की समीक्षा करने और सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने हेतु मेरी सरकार जल्द ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करेगी जिसमें भारत के प्रधान मंत्री और राज्यों के मुख्य मंत्री शामिल होंगे।

देश में खाद्यान्न की स्थिति हमारी सरकार के लिए एक गंभीर चिन्ता का विषय रहा है और कई माह से देश के बड़े भू-भागों में, विशेषत: बिहार में, अकाल का खतरा मंडराता रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इस स्थिति में आशातीत सुधार हुआ है तथा अकाल का खतरा फिलहाल टल गया है किन्तु खतरे अभी निरन्तर बने हुए हैं और उन पर काबू पाने के लिए सहकारी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं उन मित्र राष्ट्रों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने जहाजों से खाद्यान्न भेजकर हमारी सहायता की है। विशेषत: मैं संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति दो मिलियन टन खाद्यान्न देने के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।

यद्यपि हमारी मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास काफी खाद्यान्न पहुंच गए हैं फिर भी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न आपदाओं और देश के कुछ भागों में काफी समय से निरन्तर पड़ रहे सूखे के कारण उन क्षेत्रों में कुछ वर्गों के लोगों की क्रय शक्ति में पर्याप्त कमी आई है और यहां तक कि खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद भी बहुत से लोगों में खरीदने की क्षमता नहीं है। अत: लोक निर्माण कार्यों द्वारा इस क्रय शक्ति को बढ़ाना और साथ ही अति जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्नों का मुफ्त वितरण करना आवश्यक हो गया है।

हमारे लोगों को कपड़े और सूत की कमी के कारण भारी कष्ट झेलने पड़े हैं। गत वर्ष अपेक्षाकृत कम उत्पादन हुआ था और हमारे आयात संतुलन हेतु निर्यात को उच्च स्तर पर बरकरार रखने की आवश्यकता भी थी। इस वर्ष कपास की बेहतर फसल हुई है और बाहर से भी कपास मंगाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। निर्यात के संबंध में कपड़ा मिलों पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं जिसे दृढ़तापूर्वक सीमित किया गया है और धोती एवं साड़ी के उत्पादन पर बल दिया गया है जिनकी विशेषरूप से कमी है। वस्त्र और सूत के मामले में स्पष्ट तौर पर स्थिति बेहतर हुई है और आशा है कि आगामी कुछ महीनों तक स्थिति बेहतर रहेगी।

हमारे लिए भारत में हथकरघा उद्योग को हर संभव सहायता देना आवश्यक है क्योंकि यह काफी बड़ा क्षेत्र है और बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिलता है। यह मुख्य रूप से सूत की आपूर्ति पर निर्भर करता है और इसकी आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

हाल के महीनों में हुई मूल्य वृद्धि, जो थोक मूल्य सूचकांक से पता चलती है, हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय रही है। इस वृद्धि के लिए पटसन को नियंत्रण से मुक्त करना कुछ हद तक जिम्मेवार है परन्तु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों जिसमें कोरिया युद्ध के बाद परिवर्तन आया है और जिन पर हमारा वश नहीं है, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। इस पूरे कठिन दौर में मेरी सरकार का प्रयास मूल्य वृद्धि को यथासंभव नियंत्रित करने का रहा है। अधिकांश लोगों के जीवन-यापन में मुख्य रूप से खाद्य पर व्यय होता है खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता था क्योंकि देश में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ है और अधिक मूल्य पर इसका आयात करना पड़ा है। ढुलाई दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण इन खाद्यान्नों की देश में आने पर लागत और बढ़ गई। कम से कम मूल्य वृद्धि हो, इसके प्रयास में मेरी सरकार ने राज्यों को खाद्य पदार्थों के लिए दी जाने वाली राजसहायता में दो गुना से अधिक वृद्धि करते हुए उसे 22.3 करोड़ रुपये से 46.73 करोड़ रुपये कर दिया और राजसहायता देने के आधारों में सुधार किया गया जिससे औद्योगिक शहरों को अधिक राहत मिल सके तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य को कम किया जा सके। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य, जो कि आम व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए यथासंभव स्थिर रखने की हमारी सरकार की नीति जारी रखी जायेगी।

देश की आर्थिक स्थिति में संतोष की बात यह है कि हाल के महीनों में औद्योगिक उत्पादन के स्तर को बरकरार रखा गया है। खाद्यान्नों के उत्पादन में विस्तार की योजनाएं अच्छी तरह चल रही हैं जबकि आगामी मौसम में कपास के उत्पादन में भी वृद्धि की संभावना है यदि कोई अनहोनी न घटी तो आर्थिक स्थिति में चंहुमुखी सुधार होने का हमें पूरा विश्वास है।

ऐसी अनहोनी घटनाओं में रेल हड़ताल की धमकी एक ऐसी घटना है जो यदि हुई तो निश्चित ही इस सुधार की गति में रुकावट आयेगी। मेरी सरकार मूल्यों में वृद्धि के कारण रेल कर्मियों, श्रमिकों और जनता को होने वाली कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह सजग है। सरकार ने यथासंभव कम आय वाले कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है और उपलब्ध स्रोतों के अंतर्गत और अपने राष्ट्रीय अर्थतंत्र के विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मित्रतापूर्ण परामर्श के लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार रही है। मैं और मेरी सरकार को आशा है कि रेलकर्मी हड़ताल का विचार त्याग देंगे और रेल यातायात को अस्त-व्यस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा क्योंकि इस कठिन और समस्यापूर्ण स्थिति में

खाद्यान्नों के उचित वितरण हेतु रेलवे द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भी अव्यवस्था निश्चित रूप से उद्योग और उत्पादन की गति को अवरुद्ध कर देगी और वह स्थिति और भी बदतर हो जाएगी जिसमें रेल कर्मी सुधार लाना चाहते हैं। मेरी सरकार ऐसी किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय है।

मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि करने के लिए बार-बार मांग की गई है। वेतन आयोग, जिसका उल्लेख इस संदर्भ में किया जाता है, ने अलग संदर्भ में भिन्न सिफारिश की है और मूल्य में कमी होने की आशा में महंगाई भत्ता में वृद्धि करने के बदले उसमें कमी लाने की सिफारिश की है। दुर्भाग्य से मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है और चूंकि की गई सिफारिश के आधार पर महंगाई भत्ता में वृद्धि स्पष्ट तौर पर देश के आर्थिक संसाधनों की क्षमता से बाहर है और इससे मुद्रास्फीति की खतरनाक कड़ी शुरू हो जाएगी। मेरी सरकार यह आशा करती है कि इस वर्ष के बजट में कराधान संबंधी उपायों तथा विदेशों से प्राप्त गेहूं की बिक्री मुद्रास्फीतिरोधी प्रकृत्ति को बढ़ावा देगी और मूल्यों में कुछ कमी आयेगी।

श्रम मंत्रालय द्वारा बहुत से चुने गए गांवों में किये जा रहे अखिल भारतीय कृषि मजदूर जांच के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है। जांच के दो चरण गांवों का आम सर्वेक्षण और आम पारिवारिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और तीसरा चरण, गहन पारिवारिक सर्वेक्षण का कार्य अभी प्रगति पर है।

मेरी सरकार की सांख्यिकी के अध्ययन को शुरू करने तथा उसे विकसित करने एवं प्रशासन और उद्योग में सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करने में गहरी रुचि है। किसी भी योजना प्रणाली के लिए सांख्यिकीय आंकड़े अत्यावश्यक हैं। इसके लिए एक केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई है।

1950 में कोयले का अधिकतम उत्पादन 31.99 मिलियन टन तक पहुंच गया था। पाकिस्तान को कोयले की आपूर्ति दिसम्बर, 1949 में रोक दी गई थी जिसे मार्च, 1951 में पुनः शुरू कर दिया गया था और 31 मई, 1951 तक 3,34,081 टन कोयले और कोक की आपूर्ति की गई थी। पाकिस्तान को आयात के बदले जुलाई, 1951 से जून, 1952 की अवधि में 15,20,000 टन कोयले और कोक की आपूर्ति करने का विचार है। 1951 में कोयले के निर्यात की अच्छी संभावना है। 1950 में निर्यात किए गए 2,33,902 टन और 1949 में 2,97,716 टन की तुलना में इस वर्ष के प्रथम चार माह में पाकिस्तान को किए गए निर्यात को छोड़कर कुल निर्यात 3,52,000 टन किया गया। कोयला निर्यात कार्यक्रम नौवहन की कम क्षमता होने के कारण अत्यधिक प्रभावित हुआ है।

विशाल उर्वरक कारखाना, जिसका निर्माण कार्य सिंदरी में चल रहा है, तेजी से पूरा होने की स्थिति में है। कारखाने के एक हिस्से ने कार्य करना शुरू कर दिया है और

आशा है कि अमोनियम सल्फेट का उत्पादन जल्द ही शुरू हो जाएगा। 1952 के मध्य तक 3,50,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन की पूर्ण स्थापित क्षमता प्राप्त कर लेने की आशा है। उर्वरकों के अत्यधिक उत्पादन से खाद्यान्न और अन्य फसलों के उत्पादन में अत्यधिक सहायता मिलेगी और इस प्रकार यह कृषकों की आय में भी वृद्धि लाएगा।

संसद के पिछले सत्र के दौरान संविधान के कुछ अनुच्छेद संशोधित किये गये थे। ये संशोधन मुख्यत: जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कानून बनाने और संविधान के अनुच्छेद 19(2) से संबंधित थे। मेरी सरकार इस बात को लेकर चिंतित है और चाहती है कि पूरे भारत में इस विशाल जमींदारी प्रथा का उन्मूलन शीघ्रातिशीघ्र हो जाए, क्योंकि भूमि सुधार की दिशा में यह अनिवार्य आरंभिक कदम है। अनुच्छेद 19(2) के संशोधन की आलोचना की गई क्योंकि ऐसा कहा गया कि इस संशोधन से संविधान द्वारा स्वीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। मेरी सरकार की मंशा किसी प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सिवाए उस स्थिति के, सीमित करने की नहीं है जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालती है या साम्प्रदायिक वैमनस्य को प्रोत्साहित करती है। मेरी सरकार ने हमेशा ही साम्प्रदायिक वैमनस्य को अत्यंत महत्व दिया है क्योंकि यह हमारी राज्य-नीति की आधारशिला है। इस सत्र में सरकार द्वारा एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किए जाने की आशा है जो कानून की किताब से उन सभी प्रावधानों को हटा देगी जो अब अप्रासंगिक और अनावश्यक है। संशोधन करने वाले विधेयक के दायरे में न केवल प्रेस को प्रभावित करने वाले कुछ कानून हैं, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124(क) और 153(क) जैसी धाराएं भी हैं जिनका संबंध भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है।

मेरी सरकार द्वारा संसद के चालू सत्र में भाग ग के राज्यों के संबंध में भी एक विधेयक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है। सरकार की नीति उत्तरोत्तर रूप से उन भेदों को दूर करना है जो राज्यों के विभिन्न वर्गों के बीच संवैधानिक विकास के संदर्भ में विद्यमान है। भाग के राज्यों के बीच एक दूसरे से काफी अंतर है और उनमें से कुछ के समक्ष विशेष समस्याएं हैं। अत: उनके मामलों पर कुछ हद तक अलग से विचार किया जाना है।

संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुरूप मैंने नवम्बर, 1950 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की। आयुक्त ने भारत के उन विभिन्न भागों के व्यापक दौरे किए हैं जहां इन जातियों और जनजातियों के लोग भारी संख्या में रहते हैं और मुझे बहुमूल्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों और साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण मेरी सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी विशेष चिंता का विषय है।

आपके अनुमोदन के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक अनुपूरक विवरण रखा जाएगा।

संसद के गत सत्र के बाद कुछ अध्यादेशों का जारी किया जाना आवश्यक हो गया था। ये अध्यादेश इस सत्र में विधेयक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और आपसे उन पर विचार कर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया जाएगा।

संसद के समक्ष बहुत सारे विधेयक लम्बित पड़े हुए हैं जिनमें कुछ को प्रवर समितियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। संसद के इस सत्र में इन सभी विधेयकों पर विचार कर पाना सम्भव नहीं होगा पर उनमें से कई महत्वपूर्ण हैं और उन्हें इसी सत्र में पारित किया जाना चाहिए। मैं एक संशोधित प्रेस कानून और भाग "ग" राज्यों से संबंधित विधेयक का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। संसद में कुछ वर्षों तक एक विधेयक लम्बित पड़ा है और वह है हिन्दू कोड बिल। मेरी सरकार को आशा है कि यह विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण विधेयक हैं उद्योग (विकास और नियंत्रण) विधेयक, टैरिफ आयोग विधेयक, राज्य वित्तीय निगम विधेयक, 1950 और विस्थापित लोगों के संबंध में कुछ अन्य विधेयक।

अब मैं आपको अपना काम करने का अवसर प्रदान करता हूं जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा अनुरोध है कि ये कार्य मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना से किए जाएं जो राष्ट्र के व्यापक हितों और राष्ट्रपिता द्वारा हमारे समक्ष रखे गए उच्च सिद्धान्तों को सदा ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करते रहने के लिए आवश्यक है। यह प्रार्थना है कि आपके विचार-विमर्श विवेक और उदारता की भावना से परिपूरित हों।

अंतरिम संसद के समक्ष अभिभाषण – 5 फरवरी 1952

सत्र	-	पांचवां सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
अंतरिम संसद के अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

आज हम यहां असाधारण परिस्थितियों में मिल रहे हैं। जबकि यह संसद बैठ रही है, भारत की जनता के आदेश और चुनाव से एक नयी संसद गठित की जा रही है। नई संसद के पूरी तरह से गठित हो जाने के बाद इस महान देश के शासन के संचालन का कार्यभार इस नई संसद पर होगा और उसके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात होगी। परन्तु हम उस समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के संविधान की यह मांग है कि संसद के दो सत्रों के बीच अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण मामले भी हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले निपटाना है। अत: इन्हीं महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने और विशेषकर अगली वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय प्राधिकृत करने हेतु लेखानुदानों को पारित करने तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदानों को स्वीकृत करने के लिए हम यहां मिल रहे हैं। मेरी सरकार ऐसे ही अन्य आवश्यक अथवा अविवादास्पद मामले लाएगी जिन्हें संसद के इस सत्र में निपटाया जा सकता है। इस परिस्थिति में ऐसे विवादास्पद मामले लाना, जिनपर विचार करना स्थगित किया जा सकता है, उचित नहीं होगा और मेरी सरकार का यह इरादा भी नहीं है। नई संसद ऐसे सभी विधानों पर विचार करेगी।

हमारा संविधान दो वर्ष पूर्व लागू हुआ और भारत गणराज्य अस्तित्व में आया। इस संविधान के अनुसार इस विशाल देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के इतिहास में अभूतपूर्व पैमाने पर आम चुनाव हुए। भारत के लोगों ने जो प्रतिज्ञा ली थी वह पूरी हुई और एक विश्वास बना है। यद्यपि आम चुनाव अभी समाप्त नहीं हुए हैं मैं सरकारी तथा गैर-सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके घनिष्ठ सहयोग से कुशलतापूर्वक किए गए इतने बड़े कार्य की सराहना करना चाहूंगा और अपने लाखों मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से मतदान करके अपना सच्चा विश्वास व्यक्त किया है। मैं विशेषरूप से महिलाओं की उस तीव्र रुचि से संतुष्ट हूं जो उन्होंने

पूरे देश में इन चुनावों में स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रदर्शित की है। यह हमारे गणराज्य के शांतिपूर्वक और सहयोगपूर्ण प्रगति के लिए एक बहुत अच्छी बात है, जो हमारी जनता की ताकत और सद्भाव पर आधारित है।

यद्यपि भारत ने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया है, मुझे खेद है कि विश्व में तनाव की आम स्थिति अभी भी बनी हुई है तथा कुछ देशों में, जिनके साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हैं, संघर्ष हुए हैं और हिंसा भड़की है। मैं मिस्र में हुई हाल की घटनाओं पर खेद व्यक्त करता हूं जिससे काफी विनाश हुआ है और अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हुई है और आशा करता हूं कि उस देश की समस्याओं का शांतिपूर्वक और लोगों की वास्तविक भावनाओं के अनुसार समाधान होगा।

पिछली बार के अभिभाषण के समय मैंने आपको बताया था कि जिस युग में हम लोग रह रहे हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एशिया के देशों का उद्भव। यह लहर जारी है और यह केवल एशिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य देशों में भी है जिसके लोग अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। स्वतंत्रता के लिए यही ललक ट्यूनीशिया के लोगों को भी प्रेरित कर रही है और स्वभावतः हमारी सहानुभूति उनके प्रति है। मैं आशा करता हूं कि इस युग की जो भावना इन आन्दोलनों में प्रदर्शित हुई है वह कम नहीं होगी और शांतिपूर्वक तरीकों से पूरी होगी। मैं आपकी और अपनी ओर से स्वतंत्र लीबिया राज्य के उद्भव का स्वागत करता हूं।

नेपाल में इस नई स्वतंत्रता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है तथा कुछ लोगों ने देश की स्थिरता को खतरे में डालने की कोशिश करके बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया है। सौभाग्यवश वे असफल रहे और नेपाल सरकार उत्तरोत्तर सुधार करने के लिए दृढ़ है। वह बंधन जो भारत को नेपाल से जोड़ता है, अनेक आपसी मामलों पर चर्चा के लिए नेपाल के प्रधान मंत्री द्वारा हमारे प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठक से और सुदृढ़ हुआ है। उनके यहां आगमन से और उनसे हुई वार्ता के फलस्वरूप दोनों देशों के हित में निर्णय लिये गये।

हमारे पड़ोसी देश चीन से विज्ञान, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भारत आया था और वह हमारी सरकार का अतिथि रहा। इस शिष्टमंडल ने भारत का व्यापक दौरा किया और इससे प्रत्येक देश की दूसरे देश के प्रति जानकारी बढ़ी जो आपसी समझबूझ के लिए आवश्यक है। हमारी सरकार का यह विचार है कि एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल चीन भेजा जाये, ताकि हमारे लोगों की शुभकामनाएं और उनकी मित्रता की अभिलाषा चीन के लोगों तक पहुंचाई जा सके।

आपको यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमने ईरान, तुर्की तथा इंडोनेशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संधियां की हैं। अफगानिस्तान के साथ विमान सेवा शुरू की गई है। फिलीपीन के साथ विधायन स्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित किये गए हैं तथा बैंकाक में भारतीय दूत के निवास स्थान को तथा नई दिल्ली में थाई दूत के निवास स्थान को दूतावास स्तर का बनाया गया है। हमने इंडोनेशिया और थाइलैंड से

गया है। हमने इंडोनेशिया और थाइलैंड से वायुसेना मिशनों का भारत में स्वागत किया है। ईरान और अफगानिस्तान के साथ विमान सेवा संबंधी समझौते पर बातचीत हो रही है। मेरी सरकार को आशा है कि जापान के साथ शीघ्र ही एक शांति संधि की जायेगी।

मेरी सरकार की इच्छा और सतत् नीति यह रही है कि सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किये जायें और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस नीति के परिणाम आ रहे हैं। परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं ढूंढा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस समस्या पर पुन: विचार किया है तथा इस समस्या को, जो न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सुलझाने के लिए एक त्रिसदस्यीय आयोग नियुक्त किया है। जातिगत असहिष्णुता और शासन पर आधारित कोई भी नीति इस आधुनिक विश्व में स्वीकार नहीं की जा सकती या सफल नहीं हो सकती और इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे विश्व शांति खतरे में पड़ सकती है।

संयुक्त राष्ट्र कश्मीर मसले पर अभी भी विचार कर रहा है। मुझे आशा है कि इस समस्या का जो चार वर्ष पुरानी हो गई है शीघ्र ही अंतिम समाधान मिल जायेगा। यह समाधान केवल जम्मू और कश्मीर राज्य की जनता की इच्छा के अनुसार ही हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जनता की प्रतिनिधि संविधान सभा चुन ली गई है तथा यह शीघ्र ही राज्य के लिए एक नए संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देगी।

पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से में तथा अन्य प्रदेशों के कुछ क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण देश में खाद्यान्न की समस्या अभी भी हमारे लिए गहरी चिन्ता का विषय बनी हुई है। विदेशों से खाद्यान्न के आयात के लिए कदम उठाए जा चुके हैं। "अधिक अन्न उपजाओ" अभियान के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं तथा इसे चयनित क्षेत्रों में तत्परता से जारी रखने का विचार है। मेरी सरकार "अधिक अन्न उपजाओ" अभियान के कार्यकरण की जांच करने के लिए तथा इसके प्रभावी कार्यकरण और इसमें तेजी लाने के लिए व्यापक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त कर रही है।

देश की सामान्य आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। थोक मूल्य सूचकांक जो अप्रैल, 1951 में 457.5 था दिसम्बर, 1951 में 433.1 तक गिर गया है। सूती वस्त्र, पटसन, इस्पात, कोयला, नमक, चीनी, सीमेंट, विद्युत सामान, रबड़ का सामान, मशीनी उपकरणों, छोटे उपकरणों और डीजल इंजनों जैसे कई उद्योगों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू खपत के लिए कपड़े की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है। विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई है। लेकिन व्यापार सन्तुलन अभी हमारे पक्ष में नहीं हैं तथा आयात और निर्यात के बीच अच्छा सामंजस्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

लिनोलियम, स्वचालित करघा, कार्डिंग मशीन और एल्युमिनियम पाउडर जैसे कुछ नए उद्योग प्रारंभ किए गए हैं। गंधक के स्रोतों का पता लगा लिया गया है तथा गंधक

में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मशीन टूल्स फैक्ट्री और टेलीफोन केबल्स फैक्ट्री का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। एक पैंसिलिन फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है जबकि एक पैंसिलिन बॉटलिंग प्लांट की बम्बई* में स्थापना कर दी गई है।

भारत में तेल शोधकों की स्थापना के लिए कुछ विदेशी कंपनियों के साथ समझौता हुआ है।

सिन्दरी स्थित विशाल उर्वरक कारखाने ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है तथा यह आशा की जाती है कि इस वर्ष के मध्य में इसमें पूरा उत्पादन होने लगेगा। इससे हमारी कृषि को बहुत सहायता मिलेगी तथा इससे विदेशी मुद्रा की काफी बचत होने की आशा है।

विशाखापत्तनम शिपबिल्डिंग यार्ड के प्रतिबंधन को एक नई कंपनी द्वारा अपने हाथ में लिया जा रहा है। जिसमें नियंत्रण हेतु सरकार के पास अधिकांश शेयर होंगे। अभी हाल में कच्छ में वाण्डला में एक नए पत्तन की आधारशिला रखी गई है। यह पत्तन, जिसका महत्व तेजी से बढ़ता चला जायेगा, सम्पूर्ण उत्तर भारत को सेवायें प्रदान करेगा।

मैं विकास परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ हुए 500 लाख डालर की सहायता समझौते का स्वागत करता हूं। मैं इस बात पर अपना विशेष सन्तोष व्यक्त करना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य विशेषकर खाद्यान्न को बढ़ाना तथा नीलोखेड़ी, फरीदाबाद और इटावा में चलाई जा रही सामुदायिक योजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण विकास के लिए फोर्ड फाउंडेशन के साथ हुआ समझौता भी स्वागत योग्य है।

श्रमिक कल्याण की दिशा में भी प्रगति की गई है। बागान श्रमिक अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के विरुद्ध वैधानिक संरक्षण प्रदान करने हेतु कार्यवाई की जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। कृषि श्रम जांच पूर्ण होने को है तथा कृषि में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने हेतु कुछ राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। औद्योगिक आवास योजना को भाग ख तथा ग के राज्यों में भी प्रारंभ किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश, जिसे पिछले नवम्बर में जारी किया गया था, औद्योगिक श्रमिक को उसके बुढ़ापे में तथा जीविका अर्जित करने वाले सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

मुझे यह नोट करके खुशी है कि विवादों से निपटने के लिए समझौता वार्ता हेतु एक स्थायी तंत्र की स्थापना के लिए रेलवे के साथ एक समझौता हो गया है। देश के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि हमारी परिवहन व्यवस्था प्रभावी ढंग से तथा बिना किसी व्यवधान या रुकावट के कार्य करती रहे और किसी भी विवाद को

*अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श द्वारा निपटाया जाये। देश के परिवहन की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने में रेलवे ने बहुत सराहनीय भूमिका अदा की है।

कुछ महीने पहले प्रकाशित होने के समय से ही प्रारूप पंचवर्षीय योजना पर देशभर में व्यापक चर्चा हुई है। योजना आयोग दिये गये सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार कर रहा है तथा प्रतिवेदन को अब अंतिम रूप दे रहा है और उसे आशा है कि वह इसे लगभग तीन महीने में पूरा कर लेगा। सभी वर्गों के लोगों में उत्पन्न हुई व्यापक रुचि के कारण मेरी सरकार स्वयं को बहुत प्रोत्साहित महसूस करती है तथा यह आशा करती है कि योजना के क्रियान्वयन में देश की जनता पूर्णतौर पर सहयोग करेगी ताकि देश के मानवीय और सामग्री स्वरूप संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके और हमारी आर्थिक समस्याओं के हल की दिशा में अधिकतम योगदान किया जा सके।

जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि संसद के इस सत्र में केवल तात्कालिक महत्व के या अविवादास्पद विधानों पर ही विचार किया जायेगा। आवश्यक विधानों में संसद के पिछले सत्र के बाद जारी किए गए अध्यादेश तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन विधेयक शामिल होंगे। संसद द्वारा 9 अगस्त, 1951 को स्वीकृत पंजाब संबंधी उद्‌घोषणा की अवधि छह महीने बाद समाप्त हो रही है। इसे नई पंजाब विधान सभा के समवेत होने तक के लिए दोबारा बढ़ाया जाना आवश्यक है।

यह पांचवां और अंतिम अवसर है जबकि मैं इस संसद को सम्बोधित कर रहा हूं। दो वर्ष पहले, यानी भारत गणतंत्र की उद्‌घोषणा के तुरंत बाद 31 जनवरी, 1950 को मैंने आपको पहली बार सम्बोधित किया था। हमारे इस नवोदित गणतंत्र-जिसकी सेवा की हमने शपथ ली है—के ये दो वर्ष घोर पीड़ादायक और कठिन समस्याओं से परिपूर्ण रहे। आपने इन समस्याओं का बहादुरी से सामना किया और आपने जो कार्य किया है, वह अब भारत के इतिहास का एक हिस्सा बन गया है। आप में से कुछ इस ऐतिहासिक चैम्बर में, जो अथाह स्मृतियां अपने में संजोए हुए हैं, फिर लौटकर आएंगे और शायद कुछ नहीं भी आएंगे लेकिन आपकी सेवाएं चाहे संसद के प्रति अर्पित हों अथवा अन्यत्र किसी क्षेत्र में, वह वस्तुतः इस देश के प्रति ही समर्पित हैं। समर्पण की यह भावना और राष्ट्रपिता की स्मृति हमें यह प्रेरणा देती है कि हम उस उच्च परम्परा को जो हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, निभाने में योग्य हो सकते हैं। हमें हमेशा उनके संदेश को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने देशवासियों को एकता और सद्‌भावना के साथ-साथ जन्म, जाति या धर्म पर आधारित भेदभावों को मिटाने तथा दलितों का उत्थान करने तथा एक ऐसे शांतिपूर्ण तथा एकजुट भारत के विकास का संदेश दिया जिसमें सभी नागरिकों को प्रगति का समान अवसर प्राप्त हो। हमारे इतिहास का एक अध्याय समाप्त हुआ और एक नया अध्याय शीघ्र ही शुरू होने वाला है। ईश्वर आपको सद्‌बुद्धि और सहिष्णुता प्रदान करे और मातृभूमि के प्रति सेवाभाव हमेशा बना रहे।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 16 मई 1952

लोक सभा	-	पहली लोक सभा
सत्र	-	पहले आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

मैं आज यहां हमारे संविधान के अन्तर्गत निर्वाचित भारत गणतंत्र की पहली संसद के सदस्यों के रूप में आपका स्वागत करता हूं। हमने विधानमंडलों के गठन तथा राज्यों के नेतृत्व से संबंधित संविधान के सभी उपबंधों को अब पूरी तरह लागू कर दिया है और इस तरह अपनी यात्रा का एक चरण पूरा कर लिया है। चूंकि हमने वह चरण पूरा कर लिया है, इसलिए हम दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। आगे बढ़ते समय किसी राष्ट्र या व्यक्ति के लिए कोई विश्रामस्थल नहीं होता है आप, हमारे 1700 लाख से भी अधिक लोगों द्वारा नवनिर्वाचित संसद सदस्य इसके यात्री हैं, तथा आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अपनी प्राचीन भूमि तथा यहां विशाल संख्या में रहने वाले स्त्रियों तथा पुरुषों के श्रेष्ठ भाग्य का ध्यान आ रहा है। नियति हमारा आह्वान कर रही है और इसका उत्तर हमें ही देना है। जिसने पहले हजारों सालों के इतिहास के आरम्भ से अब तक सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही देखे हैं। इन अनेक वर्षो में हमारी भूमि महान बनी है तथा हमारे भाग्य में दुख भी आए हैं। अब जबकि हम भारत की लम्बी कहानी के दूसरे चरण की दहलीज पर खड़े हैं, हमें नए सिरे से यह निश्चय करना है कि उसकी किस प्रकार सर्वोत्तम सेवा की जाए। आपने और मैंने अपने इस देश की सेवा करने की शपथ ली है। हम अपने इस वचन के प्रति सच्चे रहें तथा इसको पूरा करने के लिए अपना हर सम्भव प्रयास करें, यही हमारी प्रार्थना है।

भारत ने लम्बी गुलामी के पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्त की है। इस स्वतंत्रता को हर कीमत पर बनाए रखना है, उसकी रक्षा करना है तथा उसका विस्तार करना है क्योंकि केवल इसी स्वतंत्रता के आधार पर ही प्रगति का कोई ढांचा खड़ा किया जा सकता है। परन्तु अकेले स्वतंत्रता ही काफी नहीं है—इससे हमारे लोगों को खुशहाली प्राप्त होनी चाहिए तथा वह बोझ कम होने चाहिएं जिनसे वे पीड़ित हैं। इसलिए हमारे लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अपने लोगों की तेज आर्थिक प्रगति के लिए परिश्रम करें तथा समानता और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के उच्च आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं।

भारत ने अपने इतिहास के दौरान कुछ अन्य मानवीय प्रेरणाओं का भी प्रतिनिधित्व किया है। शायद यह भारत का विशिष्ट लक्षण है, तथा हाल के वर्षों में भी हमने भारत की उस महान भावना तथा प्रेरणा का उत्कृष्ट उदाहरण महात्मा गांधी के रूप में देखा है, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनके लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता एक अत्यावश्यक कदम था, परन्तु मानव जाति की सम्पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में यह एक छोटा-सा कदम ही था। उन्होंने हमें शान्ति तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, परन्तु कब्र की शांति या कायर की अहिंसा का नहीं और भारत के प्राचीन ऋषियों तथा महान व्यक्तियों की ही तरह उन्होंने हमें पढ़ाया कि महान उद्देश्यों की प्राप्ति घृणा तथा हिंसा से नहीं होती है, कि सही उद्देश्यों को केवल सही साधनों के द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए। यह मूलभूत सीख सिर्फ हम भारत के लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि सम्पूर्ण संसार के लोगों के लिए है।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामने जो महान कार्य हैं, उनको करने में आप भारत के इस प्राचीन परन्तु, सर्वदा नवीन संदेश को याद रखेंगे तथा राष्ट्र तथा मानवता के हित को अन्य छोटे उद्देश्यों से ऊपर रखते हुए सामूहिक प्रयास की भावना से कार्य करेंगे। हमें भारत की एकता का निर्माण करना है हमें स्वतंत्र लोगों की एकता का निर्माण करना है, जो श्रेष्ठ नियति को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं जो उनका इंतजार कर रही हैं। इसलिए हमें उन सभी प्रवृत्तियों को खत्म करना होगा जो उस एकता को कमजोर बनाती हैं और हमारे बीच की उन बाधाओं जैसे सम्प्रदायवाद की बाधाओं, प्रान्तीयता या जातिवाद की बाधाओं को दूर करना होगा। अनेक राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों में आप लोगों की राय भिन्न-भिन्न होगी और यह भिन्न होनी भी चाहिए, परन्तु यदि भारत तथा इसके लोगों की भलाई हमारा मुख्य उद्देश्य है तथा हम यह अनुभव करते हैं, जो कि हमें करना ही चाहिए कि यह भलाई शांतिपूर्ण सहयोग तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ही की जा सकती है, तो इस भिन्नता से हमारे आम जीवन की समृद्धता में वृद्धि ही हो सकती है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही आप इस देश की समस्याओं का सामना करें तथा विश्व का सामना मित्रतापूर्ण दृष्टि से तथा निडर

होकर करें। आज का डर, किसी सम्भावित अनिष्ट का डर, विश्व को पीछे ढकेल देता है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र, डर के द्वारा प्रगति नहीं करता है बल्कि निडरता, या जैसा कि हमारी प्राचीन पुस्तकें कहती हैं, "अभय" के द्वारा आगे बढ़ता है।

हमने विश्व के सभी देशों के साथ मित्रता की नीति का निरन्तर पालन किया है और यद्यपि कभी-कभी इसका गलत अर्थ लगाया गया, इस नीति की दूसरों द्वारा निरन्तर प्रशंसा की गई है तथा इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम उस नीति को दृढ़तापूर्वक जारी रखेंगे और इस प्रकार विश्व के अनेक हिस्सों में विद्यमान तनाव को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करेंगे। मेरी सरकार ने दूसरे देशों में दखल पसन्द नहीं किया। उसी प्रकार यह दूसरे देशों से अपने देश में दखल पसन्द नहीं करती है। हमने जहां भी सम्भव हुआ, सहयोग के तरीके को अपनाया है तथा शांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारी उन्हें किसी पर थोपने की इच्छा नहीं है। तथापि हमें यह महसूस होता है कि विश्व में कोई भी देश अलग हटकर नहीं रह सकता है, कि यह अपरिहार्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तब तक बढ़ता रहे जब तक कि आने वाले समय में विश्व के सभी देश मानवता की उन्नति के लिए एक महान सहयोगी प्रयास में शामिल न हो जाएं।

लगभग एक वर्ष से कोरिया में युद्ध-विराम के लिए कोई रास्ता निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे उन अनेक समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके जो एशिया के सुदूरपूर्व को ग्रसित किए हुए हैं। मैंने कई अवसरों पर यह आशा व्यक्त की है कि इन प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी तथा दोबारा शान्ति स्थापित की जा सकेगी। यह सबसे बड़ी त्रासदी है कि कोरियाई लोगों के लिए सदिच्छा के दावों के बावजूद यह देश युद्ध, भुखमरी और महामारी के कारण पूर्णतया नष्ट होने के कगार पर है। इस युद्ध के लिए इस समय तत्काल चाहे जो स्पष्टीकरण दे दिया जाए, विश्व को यह एक संकेत है तथा एक चेतावनी है कि युद्ध के क्या मायने होते हैं। युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती हैं बल्कि उत्पन्न होती हैं। कोरिया में अब ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध-विराम के मार्ग की बहुत-सी बाधाओं पर काबू पा लिया गया है और युद्धबंदियों की अदला-बदली की एक मुख्य समस्या ही शेष रह गई है। इस अंतिम बाधा को हल करना राजनीतिज्ञों के लिए मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा न कर पाने का अर्थ न सिर्फ विवेक की हार होगी बल्कि यह मानवता की हार भी होगी। विश्व शांति का भूखा है और जो राजनीतिज्ञ शांति स्थापित करते हैं वे उस विशाल तथा भयकारक बोझ को हटाएंगे जो समस्त विश्व के लाखों लोगों के दिमाग पर छाया हुआ है।

पिछले अवसरों पर मैंने एशिया तथा अफ्रीका के उन भागों में उठ रही तीव्र राष्ट्रवादी लहर का उल्लेख किया है जिनको अभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। विशेष रूप से मैंने हाल ही में ट्यूनीशिया की घटनाओं का जिक्र किया था और उस भू-भाग

पर रह रहे लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी। मैं इस बात पर खेद व्यक्त करता हूं कि एशिया और अफ्रीका में अनेक देशों की इच्छा के बावजूद भी इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व समुदाय जिसमें सभी शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं और इसका मूल उद्देश्य शांति को बनाये रखना था। धीरे-धीरे संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों के महान उद्देश्यों और वह चार्टर जो उन्होंने तैयार किया था, धुंधले होते जा रहे हैं। बृहद दृष्टिकोण का स्थान संकीर्ण दृष्टिकोण ने ले लिया। विश्वव्यापी अस्तित्व की अवधारणा बदलकर और संकीर्ण हो गई और शांति के लिए किये जाने वाले आग्रह कमजोर पड़ गये। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मानवता की अत्यधिक आवश्यकता को पूरा करने में असफल रहता है और शांति बनाये रखने और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए एक निष्प्रभावी अंग सिद्ध होता है, तो यह बहुत ही दु:खद होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह महान संगठन जिस पर विश्व की आशा लगी हुई है, अपनी पुरानी प्रतिष्ठा स्थापित करेगा और अपने उद्देश्य के अनुरूप शांति और स्वतंत्रता का स्तम्भ बन जायेगा।

हमारी सरकार ने हमारे महान पड़ोसी देश चीन में एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजा है। यह शिष्टमंडल चीन के लोगों के प्रति हमारे देश के लोगों की शुभकामनाएं और सौहार्दपूर्ण संदेश लेकर गया है। मैं चीन की सरकार और लोगों द्वारा किए गए सौहार्दपूर्ण स्वागत के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मुझे खेद है कि दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार की रंगभेद की नीति जारी है और इससे गंभीर परिणाम सामने आये हैं। हमारे देश के लोग इस नीति के प्रति बहुत चिन्तित हैं, क्योंकि भारतीय मूल के अनेक लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। परन्तु यह प्रश्न दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले केवल भारतीयों का ही नहीं है बल्कि यह प्रश्न पहले ही व्यापक महत्व का हो गया है। यह जातीय प्रभुत्व और जातीय असहिष्णुता का प्रश्न है। यह अफ्रीकी लोगों का और उससे अधिक दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के भविष्य का प्रश्न है। इसके और इस जैसे अन्य प्रश्नों के हल करने में विलम्ब करना मानवता के साथ एक मजाक है। मुझे खुशी है कि पूरे अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों और भारतीय प्रवासियों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है। हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों के विकास में हस्तक्षेप न करके अपनी पूरी योग्यता के अनुसार उनकी सहायता करना है।

मुझे यह भी खेद है कि बड़ी संख्या में भारतीय लोग जो काफी समय से सीलोन* के निवासी हैं, को मताधिकार से वंचित रखा गया है। वे भी उस देश के अन्य नागरिकों की भांति अपने को सीलोन नागरिक मानते हैं। हमारे देश के सीलोन से संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं और सीलोन और वहां के नागरिकों के साथ हमारे संबंध अत्यन्त मित्रतापूर्ण रहे हैं। हमने उसकी स्वतंत्रता का स्वागत किया था और आशा की थी कि

*अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है।

उस देश के लोग स्वतंत्र नागरिकों की भांति हर क्षेत्र में प्रगति करेंगें। परन्तु काफी संख्या में नागरिकों को उनके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित रखने से सही मायनों में प्रगति नहीं होगी। इससे गम्भीर समस्यायें और पेचीदगियां उत्पन्न हो जायेंगी जैसाकि अतीत में भी होता रहा है।

अतीत में हमें खाद्यान्नों की गम्भीर कमी का सामना करना पड़ा था और हमें बड़ी मात्रा में इनका आयात करना पड़ा था। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारी बहुत सहायता की थी और हमें उस उदार सहायता के लिए उस महान देश का आभारी होना चाहिए। हाल के इतिहास में पहली बार हमारे पास (चावल को छोड़कर) खाद्यान्नों का अपार भण्डार है और हम बड़ी मात्रा में इनका आरक्षण कर रहे हैं जो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम आएगा। यह स्वागत योग्य है। परन्तु देश के बड़े भाग में वर्षा न होने से वहां के लोगों के लिए कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार पांच मौसमों में दुर्भाग्यवश रायलसीमा में सूखा पड़ रहा है और उसकी सर्वाधिक आवश्यकता जल है। हमारी सेना कुंओं को गहरा करके और पानी निकालकर और अन्य तरीकों से लोगों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सूखा प्रभावित और कमी वाले इन बड़े क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिलाने के लिए अनेक लघु परियोजनायें चलायी गई हैं और सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं। जहां कहीं भी आवश्यक है, निःशुल्क अनाज दिया जाता है।

आयातित खाद्यान्नों की लागत अधिक होने के कारण उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है। खाद्य राजसहायता में कमी किये जाने से भी यह मूल्यवृद्धि हुई है और इससे राशन वाले क्षेत्रों में कुछ निराशा और असन्तोष पैदा हुआ है। मूल्यों में सामान्य रूप से आई गिरावट से आंशिक रूप से इस मूल्यवृद्धि को कुछ हद तक कम किया जा सका है। खाद्य राजसहायता को सीमित किये जाने से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकता के खाद्यान्नों के आयात का अनुमान अधिक यथार्थपूर्वक तरीके से लगाया गया है और इससे विभिन्न राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की मांग में कमी आई है जिसका प्रभाव उनके आयात पर भी पड़ा है। निःसंदेह इसका वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए फायदा है। खाद्य राजसहायता से बचत की गई धनराशि को लघु सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया गया है जिससे भविष्य में अधिक खाद्यान्न उगाये जा सकेंगे और इस प्रकार हमें अपनी खाद्य समस्या हल करने में सहायता मिलेगी। हमारी सरकार इन मामलों पर अत्यधिक ध्यान दे रही है। इसे तत्काल भावी लाभों के साथ संतुलित किया जाना है। साथ ही साथ सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि इससे कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और इसे रोकने के लिए सरकार अपनी पूरी शक्ति लगा देगी।

योजना आयोग पंचवर्षीय योजना संबंधी अपनी रिपोर्ट को इस समय अंतिम रूप दे रहा है। पूरे देश में 55 सामुदायिक परियोजनायें शुरू करने के प्रस्ताव द्वारा इस योजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है। ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी तकनीकी सहयोग योजना के द्वारा सहायता प्रदान किये जाने से संभव हुआ है।

इन सामुदायिक परियोजनाओं से न केवल हमारे अनाज उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे सम्पूर्ण सामुदायिक जीवन स्तर में सुधार होगा। यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम का विस्तार होगा और भारत का एक बहुत बड़ा भाग इससे लाभान्वित होगा। परन्तु इसका विस्तार केवल तभी होगा जब इसमें लोगों को पूरा सहयोग प्राप्त होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मामले में जैसा कि योजना आयोग के अन्य प्रस्तावों के क्रियान्वयन में देखा गया है उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

कृषि उत्पादन के लिए समेकित कार्यक्रम ने संतोषजनक प्रगति की है। पटसन का उत्पादन जो 1947-48 में 16.6 लाख गांठ था, काफी बढ़कर 1951-52 में 46.8 लाख गांठ हो गया। इसी अवधि में कपास का उत्पादन 24 लाख गांठ से बढ़कर 33 लाख गांठ से भी अधिक हो गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में 14 लाख टन की वृद्धि हुई यद्यपि यह विभिन्न क्षेत्रों में पड़े सूखे से निष्फल हो गए हैं। चीनी का उत्पादन 1947-48 में 10.75 लाख टन से बढ़कर 1951-52 में 13.5 लाख टन हो गया। इस्पात, कोयला, सीमेन्ट और नमक के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। भारत इस समय नमक के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और अपने फालतू नमक का निर्यात करने की स्थिति में है। सौराष्ट्र में केन्द्रीय नमक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

देश की सामान्य आर्थिक स्थिति का मेरी सरकार ने हमेशा ध्यान रखा है। संसद में अपने पिछले अभिभाषण के दौरान मैंने थोक मूल्यों में कुछ गिरावट का उल्लेख किया था। फरवरी और मार्च के महीनों में इस प्रवृत्ति में और तेजी आई। अंशतः इसका एक कारण सम्पूर्ण विश्व में मूल्यों का पुनः समायोजन था। यह प्रक्रिया 1950 में प्रारम्भ हुई थी लेकिन अब कोरिया युद्ध छिड़ जाने से इसे झटका लगा। लेकिन कोरिया में युद्ध-विराम की संभावना को देखते हुए समायोजन की इस प्रक्रिया को गति मिली। देश में वस्तुओं के बढ़ते उत्पादन तथा बढ़ती हुई कीमतों का उपभोक्ताओं द्वारा मुकाबला करने के सामर्थ्य से इसमें मदद मिली है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा बनाई गई वित्तीय और ऋण नीति ने भी मूल्यों में गिरावट में योगदान दिया है। मूल्य स्तर में तेजी से गिरावट से व्यापार और उद्योगों विशेषतः वस्त्र उद्योग में लगे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इससे हमारे निर्यात में भी गिरावट आई है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका उत्पादन और रोजगार पर प्रभाव न पड़े तथा वह कुछ ऐसे कदम उठाना चाहते हैं, स्थिति पर पूर्ण ध्यान दे रही है जिससे मूल्यों को एक उचित स्तर पर स्थिर रखने में सहायता मिले।

मुझे प्रसन्नता है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय बनाया गया है। राज्य संचालित उद्योगों के उत्पादन का भी अत्यधिक महत्व है और इस उद्देश्य से नए मंत्रालय के सृजन से यह पता चलता है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पिछले वर्ष सरकार द्वारा संसद को एक आश्वासन दिया गया था कि प्रेस से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए एक प्रेस आयोग नियुक्त किया जाएगा। मेरी सरकार निकट भविष्य में ऐसा आयोग बनाने की आशा करती है। प्रेस विधि जांच समिति की सिफारिशों के अनुरूप संसद के समक्ष एक विधेयक लाने का भी प्रस्ताव है।

संसद का यह सत्र मुख्यत: बजट से संबंधित है और इसमें संभवत: अन्य विधानों के लिए अधिक समय नहीं होगा। वित्त वर्ष 1952-53 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण आपके समक्ष रखा जाएगा। लोक सभा के सदस्यों को अनुदानों की मांगों पर विचार करना होगा तथा उन्हें स्वीकार करना होगा।

अनंतिम संसद के पिछले सत्र के बाद सौराष्ट्र पत्तन विकास शुल्क (स्थानीय समुद्र सीमा शुल्क को समाप्त करना और पत्तन विकास शुल्क लगाना) के निरसन के संबंध में एक अध्यादेश लागू करना आवश्यक हो गया। यह अध्यादेश आपके सम्मुख एक नए विधेयक के रूप में लाया जाएगा और आपसे इस पर विचार करने और इसे पारित करने के लिए कहा जाएगा। विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950 के विस्तार के उद्देश्य से एक अन्य अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए भी एक विधेयक आपके समक्ष रखा जाएगा।

अनंतिम संसद में पुर:स्थापित किए गए अनेक विधेयक अब व्यापक हैं। इनमें से कुछ जैसे-जैसे समय मिलेगा आपके समक्ष रखे जायेंगे। नजरबंदी निवाश्रण से संबंधित एक विधेयक भी संसद में लाने का प्रस्ताव है।

अनंतिम संसद द्वारा चर्चित अनेक विधेयकों में से एक विधेयक जिस पर विस्तार से चर्चा की गई, हिन्दू कोड बिल भी था। यह भी अन्य निलंबित विधेयकों के समान पारित न हो सका और व्यापक हो गया। इस विषय पर मेरी सरकार एक नया विधान लाना चाहती है। तथापि विधेयक को कुछ भागों में बांटने और प्रत्येक भाग को अलग से संसद के समक्ष रखने का प्रस्ताव है ताकि इस पर चर्चा करने और इसे पारित करने में सुविधा हो सके।

मैंने उन कार्यों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया जो संसद के सत्र में आपके समक्ष रखे जायेंगे। मुझे विश्वास है कि आपका श्रम हमारी जनता के लिए हितकर होगा और भारत गणतंत्र राज्य की यह नई संसद मैत्रीपूर्ण-सहयोग और कार्य-कुशलता का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। आपकी सफलता आपकी सहनशीलता पर जो आपके कार्य-कलापों को नियंत्रित करती है तथा आपके विवेक पर जो आपके प्रयासों को प्रेरित करता है, पर निर्भर करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विवेक और सहनशीलता हमेशा आप में कायम रहेगी।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 11 फरवरी 1953

लोक सभा	-	पहली लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

नौ माह पूर्व, मैंने आपका स्वागत भारतीय गणतंत्र के भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्वाचित प्रथम संसद के सदस्यों के रूप में किया था। तब से आपको देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में भारी दायित्वों का निर्वहन तथा कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आज जब हम यहां समवेत हुए हैं, हम अपने साथ देश की नियति में आस्था और यह विश्वास लेकर आये हैं कि हमारे लोग, अपने परिश्रम से उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो हमने अपने सामने रखा है। इन नौ महीनों में औद्योगिक और कृषि संबंधी अनेक मोर्चों पर तथा पंचवर्षीय योजना, जिसने आने वाले वर्षों में हमारी प्रगति की रूपरेखा निर्धारित कर दी है, को अंतिम रूप देने में काफी प्रगति हुई है। उस मार्ग पर चलना तथा लोगों से किये गये वायदे को निभाना और पूरा करना हमारा काम है। यह कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि अनेकानेक पुरानी और नयी समस्याएं सदैव हमारे समक्ष मुंह बाए खड़ी रहती हैं और हमारी अभिलाषाएं प्रायः हमारी क्षमता और संसाधनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से चलती हैं।

इस समय, जबकि हमें अपने नेताओं की सम्पूर्ण बुद्धिमत्ता तथा अनुभव की आवश्यकता है, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपने अग्रणी राजनेताओं में से एक अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति खो दिया है। कल प्रातः मुझे श्री एन. गोपाला स्वामी अयंगर के निधन का अत्यंत दु:खद समाचार मिला। श्री अयंगर ने अपने जीवनकाल में अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया और अनेक अद्वितीय कार्य किये। जीवन के अंतिम दिनों में स्वास्थ्य ठीक न होने पर उनके पास जितना भी खाली समय बचा, उन्होंने अपना जीवन अपने देश और लोगों की सेवा में लगा दिया। जब कभी

भी हमारे समक्ष कोई कठिन समस्या आती थी तो सरकार में उनके साथीगण तथा मैं उनकी कुशाग्र बुद्धिमत्ता का सहारा लेते थे। उनका निधन देश तथा हम सभी के लिए एक महान क्षति है।

जब हम अपने देश में विगत काल में गरीबी के अभिशाप से इतने अधिक पीड़ित करोड़ों लोगों को राहत देने के प्रयास में एक नये और समृद्धशाली भारत का निर्माण करने में लगे थे, ऐसे में विश्व की समस्याओं का बोझ भी हम पर पड़ रहा है और हम उनसे बच नहीं सकते और न ही उनसे स्वयं को अलग-थलग रख सकते हैं। मेरी सरकार अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, परन्तु उसे उस उत्तरदायित्व को अवश्य ही निभाना है जो भारत की स्वाधीनता के साथ अनिवार्यतः हम पर आ पड़ी है। यह सुविदित ही है कि हमारा प्रयास विश्व के सभी देशों के साथ शांति और मैत्री की नीति पर चलने का रहा है। जो लोग हमारी इस नीति से सहमत नहीं थे धीरे-धीरे उन्होंने भी इस नीति को समझा और सराहा है। दूसरे राष्ट्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत शांति का पक्षधर है और वह ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे युद्ध की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता हो। इस नीति का अनुसरण करते हुए, मेरी सरकार ने कतिपय प्रस्ताव रखे थे जिनसे उसे आशा थी कि वे कोरिया समस्या के समाधान में सहायक होंगे। उन प्रस्तावों को भारी समर्थन मिला, परन्तु दुर्भाग्यवश इस समस्या से बाह्य रूप से जुड़े कुछ बड़े देश इन्हें स्वीकार नहीं कर सके। इस युद्ध के जारी रहने से न केवल कोरिया के लोगों को अपार कष्ट और उनका विनाश हो रहा है, अपितु शेष विश्व के लिए भी यह खतरे का केन्द्र बिन्दु बन गया है। हाल ही में दिये गये कुछ बयानों से और उनके परिणामस्वरूप कोरिया में युद्ध का विस्तार होने से पूरे विश्व के लोगों के मन में काफी शंका उत्पन्न हो गयी है। मेरी सरकार इन घटनाओं से अत्यधिक चिंतित है। मुझे भरोसा है कि जिस युद्ध ने पहले ही इतना विनाश कर दिया है, उसके विस्तार की किसी भी प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए तथा राष्ट्रों और लोगों का ध्यान इन समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में लगाया जाना चाहिए। मेरी सरकार इस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करती रहेगी और राष्ट्रों के किसी एक समूह के विरुद्ध किसी दूसरे राष्ट्र समूह के साथ गठबंधन न करके सभी देशों के साथ मैत्री की नीति का पालन करेगी। वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जिनके प्रति हम अपने देश में इतने प्रतिबद्ध हैं, उनमें समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के उपाय निहित हैं। लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति तथा सौहार्द की भावना का प्रसार किया जाये।

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा निकट भविष्य में पुनः समवेत होगी और विश्व में शांति अथवा युद्ध जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करेगी। मैं आशा करता हूं कि जिन महान देशों के प्रतिनिधि वहां एकत्र होंगे, वे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने तथा सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देंगे।

अफ्रीका महाद्वीप, जो आज भी उपनिवेशवाद के व्यापक शिकंजे में है, में स्थितियां बदतर हो गई हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर आधारित शासन खुले तौर पर उस देश द्वारा पूरी शक्ति के साथ लागू है। इस समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों की दक्षिण अफ्रीका की संघीय सरकार ने अवहेलना की है। रंगभेद के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण और संयमित आंदोलन को सरकारी कार्रवाइयों और कानूनों से दबाने का प्रयास किया गया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और जिन उद्देश्यों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में की गई है, उन्हें नकारने की एक अद्‌भुत मिसाल है। पूर्वी अफ्रीका के रंगभेदी संघर्ष का समाधान यदि जनता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं किया गया तो यह संघर्ष अफ्रीका के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल सकता है। अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जो यह महसूस नहीं करते कि जातीय वर्चस्व और भेदभाव को दुनिया में आज कोई सहन नहीं करेगा तथा इन्हें बनाए रखने का कोई भी प्रयास विनाशक ही सिद्ध होगा।

पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अत्यंत मधुर और मित्रतापूर्ण हैं तथा हमारे बीच निरन्तर सहयोग रहा है। पाकिस्तान के मामले में भी, जिसके साथ दुर्भाग्य से हमारे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं अब हमारे संबंधों में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है। यद्यपि यह सुधार बहुत अधिक नहीं है, फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के हाल के सम्मेलन मित्रतापूर्ण माहौल में हुए हैं और मुझे आशा है कि इसके अनुकूल परिणाम निकलेंगे। दोनों देशों के बीच पासपोर्ट प्रणाली लागू होने से अस्त-व्यस्त हुई स्थिति अब सामान्य हो रही है तथा इस प्रणाली से उत्पन्न कई कठिनाइयों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यह प्रयास जारी रहेगा और उन मूलभूत समस्याओं का हल करेगा, जिनका पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों को अब भी सामना करना पड़ रहा है।

दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बैंक की सहायता से नहर जल मुद्दे पर तकनीकी स्तर पर विचार किया जा रहा है। उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उद्देश्यपूर्ण और तटस्थ भाव से दोनों देशों के द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है, ताकि जो पानी बह रहा है उसका दोनों देश अधिकतम लाभ उठा सकें। इस जल का अधिकांश भाग बहकर समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। यदि इसका उचित उपयोग किया जा सके, तो भारी संख्या में भारत और पाकिस्तान के लोगों को इससे राहत और समृद्धि प्राप्त होगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मुद्दों पर दुश्मनी की भावना से ग्रस्त माहौल में विचार किया जाए। मुझे विश्वास है कि नए दृष्टिकोण से दोनों देशों के हित में लाभकारी और अच्छे परिणाम निकलेंगे। इसी दृष्टिकोण को विस्थापितों की सम्पत्ति संबंधी उस समस्या को निपटाने के लिए भी ध्यान में रखा जा सकता है, जो भारत और पाकिस्तान के लाखों लोगों के भाग्य को प्रभावित करती है।

भारत और पाकिस्तान के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जम्मू और कश्मीर राज्य का है। इस मामले में भी हमारे प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के साथ बातचीत की जा रही है। अन्य मुद्दों की भांति इस मुद्दे पर भी तटस्थ भाव से तथा राज्य

की जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच की किसी भी समस्या को युद्ध अथवा युद्ध की धमकी से हल नहीं किया जा सकता है। मेरी सरकार ने बार-बार यह घोषणा की है कि जब तक हम पर आक्रमण नहीं होता है, हम युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। यदि युद्ध का भय समाप्त हो जाए, तो हमारे बीच आज जो भी समस्याएं हैं, उन पर विचार करना आसान हो जाएगा।

आंतरिक रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में कई बातों में प्रगति हुई है। हमारे संविधान में इस राज्य के भारत के साथ संबंधों के बारे में विशेष प्रावधान हैं तथा भारत सरकार एवं जम्मू और कश्मीर सरकार के बीच संधि से राज्य को भारत के साथ जोड़ने वाली शक्ति और सुदृढ़ हुई है तथा इस राज्य की भारत के साथ निकटता और बढ़ गई है। इस समझौते के एक भाग को लागू किया गया है और शेष भाग को शीघ्र ही लागू किया जाएगा। दुर्भाग्य से जम्मू में एक आंदोलन गलत ढंग से शुरू किया गया है यद्यपि इसका उद्देश्य भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना है परन्तु इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि गलत दिशा दिखाने वाला यह आंदोलन रुक जायेगा और जम्मू और कश्मीर के लोग भारत संघ के अंतर्गत राज्य के विकास और उत्थान के लिए सहयोग करेंगे। जहां कहीं भी जायज शिकायतें हैं, उनकी निःसंदेह जांच की जायेगी और उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जायेंगे।

देश के विभिन्न भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के मामले ने लोगों को उद्वेलित किया है। जहां भाषा और संस्कृति राज्यों के गठन में महत्वपूर्ण कारक हैं वहीं यह स्मरण रखना आवश्यक है कि राज्य, भारत संघ के प्रशासनिक एकक हैं और इसके साथ-साथ अन्य बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत की एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं तथा आर्थिक विकास भी महत्वपूर्ण हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं है कि राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर पूरी तरह और शांति से विचार न किया जाये जिससे कि लोगों की इच्छाएं पूरी हो सकें और उनके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहायता मिल सके। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सरकार ने एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के मामलों में कदम उठाया है और मुझे आशा है कि इस नए राज्य की स्थापना में अधिक विलम्ब नहीं होगा। नए राज्यों की स्थापना जैसे परिवर्तनों में सभी संबंधित लोगों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और मुझे विश्वास है कि यह मिलता रहेगा।

योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर अपना प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया है। देश के समक्ष इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी एक अन्य तथा अधिक कठिन कार्य पड़ा है और हमें इसके बारे में भी सोचना है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस योजना और देश में शुरू की पचपन सामुदायिक परियोजनाओं से हमारे लोगों में काफी उत्साह पनप रहा है। कुछ ही महीनों में सैंकड़ों मील सड़कों का निर्माण किया गया है, तालाब खोदे गए हैं और विद्यालय के भवनों का निर्माण किया गया है और अन्य अनेक लघु परियोजनायें शुरू की गई

हैं और यह सब अधिकांशतया हमारे लोगों के श्रमदान से ही संभव हुआ है। यह आशा और विश्वास का चमत्कार है क्योंकि अपने भविष्य को कैसे संवारा जाए, यह तो अंततः हमारे लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है।

देश में सामान्य आर्थिक स्थिति पर गौर करने से पता चलता है कि इसमें निश्चित रूप से सुधार हो रहा है यद्यपि दुर्भाग्य से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वर्षा की कमी के कारण अकाल जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकारें जनोपयोगी कार्यों द्वारा या अन्य प्रकार से इन क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। तथापि इस समस्या का समाधान और बुनियादी तौर पर करना है जिससे कि अकाल जैसी परिस्थितियों के बार-बार उत्पन्न होने और वर्षा पर पूरी तरह निर्भरता से बचा जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के अंतर्गत 1951 के अंत में गठित वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मेरी सरकार ने आयोग की सिफारिशें मान ली हैं और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आयोग की सिफारिशें चालू सत्र में संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

खाद्य स्थिति में बराबर सुधार हुआ है और 1952 के अंत तक 19 लाख टन का भंडारण हुआ जो कि अब तक का कीर्तिमान है। इस भंडारण के लिए महत्वपूर्ण कारणों में अमरीका से लिया गया गेहूं भी एक कारण था। 1952-53 के लिए खाद्यान्न की संभावनाएं गत दो वर्षों की तुलना में काफी अच्छी हैं। मुम्बई, मद्रास और मैसूर के भागों में अपर्याप्त वर्षा के कारण पड़े सूखे की वजह से खाद्यान्नों का आयात करना होगा परन्तु उसकी मात्रा गत दो वर्षों की तुलना में काफी कम होगी। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो जायें और मुझे आशा है कि पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों में यह संभव हो जायेगा। पहली बार इस वर्ष शुरुआत में ही हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार हैं। हमें इस खाद्यान्न भंडार में और अधिक वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम किसी आपात-स्थिति का सामना कर सकें। हाल के महीनों में खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट आई है। भारत के अनेक भागों में खाद्यान्न संबंधी पाबंदी में छूट दी गई है और एक स्थान से दूसरे स्थान को खाद्यान्न लाने ले जाने में काफी स्वतंत्रता है। तथापि सरकार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है ताकि किसी भी प्रकार के विपरीत परिणामों का मूल्यों अथवा खरीद पर प्रभाव न पड़े।

1951-52 के दौरान चीनी का 15 लाख टन रिकार्ड उत्पादन हुआ है और पहली बार घरेलू आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन हुआ हैं इससे चीनी, गुड़ और खांडसारी के मूल्यों, इनकी आवा-जाही और इनके वितरण पर लगे नियंत्रण में छूट देना संभव हो सका है। मूंगफली के तेल की पर्याप्त सप्लाई के कारण, उन तेलों को छोड़कर जिनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है, हाइड्रोजनीकृत तेलों के मूल्यों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है।

कपास और पटसन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1948-49 में कपास की 17.7 लाख गांठों और पटसन की 20.7 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था। 1951-52 में कपास का उत्पादन बढ़कर 31.3 लाख गांठ और पटसन का उत्पादन 46.8 लाख गांठ हो गया।

देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 2000 से अधिक नलकूपों के निर्माण और लघु सिंचाई कार्यों के लिए त्वरित कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूरे देश में फसल प्रतियोगिताएं लोकप्रिय होती जा रही हैं और इनके उल्लेखनीय परिणाम निकले हैं। धान की खेती के लिए जापानी कार्यप्रणाली, जिससे पैदावार में वृद्धि होने की संभावना है, शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जा रहे हैं। जम्मू प्रांत में एक बड़ा मंत्रीकृत फार्म बनाया गया है। उर्वरकों और अन्य खादों तथा उन्नत किस्म के बीजों के व्यापक प्रयोग हेतु जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। सामुदायिक केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विस्तार सेवा सहित विभिन्न तरीकों से खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाना है।

पशुओं की नस्ल में सुधार हेतु 1951-52 में 92 महत्वपूर्ण फार्म केन्द्र खोले गए थे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रामीण एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है। उत्तम किस्म की ऊन के उत्पादन के लिए भेड़ पालन योजनाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। जोधपुर में मरुभूमि वनारोपण अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शुष्क क्षेत्र सुधार कार्य शुरू किया जाएगा।

1952 में सिन्दरी उर्वरक कारखाने में 180,000 टन अमोनियम सल्फेट का उत्पादन हुआ। 1953 में इसका उत्पादन बढ़कर 3 लाख टन हो जाने की संभावना है। इसकी मूल कीमत 365 रुपये प्रति टन से कम करके 335 रुपये प्रति टन कर दी गई है।

1952 के दौरान सूती वस्त्रों का 4600 मिलियन यार्ड उत्पादन हुआ जो काफी संतोषजनक था तथा आगामी वर्ष के लिए इसके उत्पादन की संभावनाएं अच्छी हैं। मिल द्वारा निर्मित कपड़े की कीमतों में कमी अच्छी बात है परन्तु इनके कारण हथकरघा द्वारा निर्मित कपड़े की कुल खरीद में गिरावट आयी है और हथकरघा उद्योग के लिए, जिसमें देश के लाखों लोगों को रोजी-रोटी मिलती है, गंभीर कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। मेरी सरकार इस उद्योग को और अन्य कुटीर उद्योगों को अत्यधिक महत्व देती है क्योंकि इनमें बहुत से लोग कार्यरत हैं और ये बेरोजगारी दूर करने के प्रभावशाली उपाय हैं। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के तकनीकी विकास तथा अनुसंधान के लिए धन जुटाने हेतु कानून बनाया गया है। हथकरघा उद्योग की सहायता हेतु मिल उद्योग धोती उत्पादन में 1951-52 की तुलना में 60 प्रतिशत की कटौती कर दी गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट से चाय उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। सरकार ने चाय बागानों की सहायता के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपाय किए हैं और विपणन सहित चाय उद्योग के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव है। अब चाय के मूल्य में कुछ सुधार दिखायी दे रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के पुनर्निर्धारण का विदेशी व्यापार तथा निर्यात के मूल्यों तथा कुछ हद तक निर्यात की मात्रा पर प्रभाव पड़ा है। तथापि, भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषजनक रही है क्योंकि आयात में भी गिरावट आयी है।

मेरी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा भारत के अन्य भागों में जनजातीय क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दे रही है और उनके विकास के लिए सहायता दी जा रही है। पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। भारत में समाचारपत्र प्रेस की समस्याओं पर गौर करने के लिए भी एक प्रेस आयोग गठित किया गया है।

बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं ने अच्छी प्रगति की है तथा उनमें से कुछ परियोजनाओं को शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा। अन्य परियोजनाओं के निर्माण कार्य में निरन्तर प्रगति हुई है।

विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड की कार्यक्षमता को बढ़ाने तथा लौह एवं इस्पात उद्योग के विस्तार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोयला, इस्पात, सीमेंट, नमक तथा उर्वरकों का अधिक उत्पादन हुआ है।

नई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शीघ्र संस्थानों की स्थापना से वैज्ञानिक शोध में और प्रगति हुई है। कराईकुडी में केन्द्रीय इलैक्ट्रो-रासायनिक शोध संस्थान तथा मद्रास में केन्द्रीय चर्म शोध संस्थान खोले गये तथा रुड़की में भवन शोध संस्थान शीघ्र ही खोला जायेगा। त्रावणकोर कोचीन के अलवर शहर में मोनाजाइट सेन्डस के परिशोधन के लिए एक कारखाना लगाया गया है तथा मुम्बई राज्य के अम्बरनाथ शहर में मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री हाल ही में खोली गयी थी। बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री द्वारा स्वयं डिजाइन तैयार कर अनेकों प्रशिक्षण विमान तैयार किये गए हैं जिनका अब प्रयोग किया जा रहा है। जबलपुर के नजदीक एक रक्षा कारखाने का निर्माण कार्य पूरा होने को है।

मेरी सरकार ने वर्तमान हवाई कंपनियों को सरकारी नियंत्रण के अधीन लाने तथा नियमित हवाई सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य हेतु दो सरकारी निगमों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। इन निगमों में से एक आंतरिक सेवाओं के लिए तथा दूसरा विदेशी सेवाओं के लिए होगा।

भारतीय रेल अगले महीने अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। भारतीयों की सेवा में लगे सरकार के इस उपक्रम ने अपनी प्रगति की रफ्तार जारी रखी है तथा अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है।

किसी राष्ट्र या व्यक्ति की प्रगति अंततः शिक्षा पर निर्भर करती है। मेरी सरकार देश में शिक्षा के वर्तमान स्तर के प्रति बहुत अधिक चिंतित है क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रसार संतोषजनक नहीं है। वर्तमान में शिक्षा में व्यक्ति के सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल में सुधार लाने तथा उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद देने के स्थान पर सिर्फ डिग्रियां और डिप्लोमा प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बेसिक शिक्षा को आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया लेकिन दुर्भाग्य से उसमें प्रगति बहुत धीमी रही है। बेसिक, माध्यमिक तथा सामाजिक शिक्षा के सुधार के लिए अनेक योजनाएं विचाराधीन हैं तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आयोग गठित किया गया है।

भारत में हरेक क्षेत्र में कुल मिलाकर चहुंमुखी विकास हुआ है तथा विकास की रफ्तार बढ़ रही है। यह एक संतोष की बात है। लेकिन जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं, वे अभी दूर हैं। तथा उनको प्राप्त करने के लिए और अधिक सतत् प्रयास किये जाने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य इस राष्ट्र को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का है जिसमें सभी भारतीय सहयोगी हों और उन्हें प्राप्त सुविधाएं तथा उनके कर्तव्य एक जैसे हों लेकिन देश में जब तक गरीबी और बेरोजगारी बनी रहेगी तब तक आम जनता के एक वर्ग को इस सहभागिता का कोई लाभ नहीं मिल पायेगा। अतएव हमें पूर्णरूप से उत्पादनोन्मुखी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर बल देना चाहिए।

वर्ष 1953-54 के लिए भारत सरकार की आनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण आपके समक्ष रखा जायेगा। सदन के सदस्य अनुदानों की मांगों पर विचार कर उन्हें स्वीकृति प्रदान करेंगे।

लोक सभा के वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की मांग को पूरा करने के लिए अनुपूरक अनुदान पर भी मतदान करेगी।

आपके समक्ष 24 विधेयक लम्बित पड़े हैं। इनमें से कुछ समिति स्तर पर पारित हो चुके हैं। इनमें से कुछेक जो समितियों के विचाराधीन हैं, इस सत्र के दौरान उन्हें समितियों की सिफारिशों के साथ आपके समक्ष रखा जायेगा।

अन्य विधायी उपायों में, अन्य विधेयक जो आपके समक्ष रखे जाने का विचार है, उनमें से निम्नलिखित का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है—जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय आवास संबंधी विधेयक, विमान सेवा निगम विधेयक, न्यूनतम वेतन (संशोधन) विधेयक तथा भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक।

मेरा विश्वास है कि बुद्धि, सहनशीलता और सहयोग की आपकी भावना आपके प्रयासों को सफल बनायेगी और उसके परिणाम देश तथा देशवासियों के लिए हितकारी होंगे जिनकी सेवा करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 15 फरवरी 1954

लोक सभा	-	पहली लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

मैं आज पूरे एक वर्ष के बाद संसद के नये सत्र के लिए आप लोगों का स्वागत करने यहां आया हूं। इस एक वर्ष की अवधि में आपको बहुत–सी गहन समस्याओं और भारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा है। इनमें से बहुत–सी समस्याएं अभी भी उसी प्रकार हमारे साथ हैं, किन्तु मेरा विश्वास है आप लोग कह सकते हैं कि गत वर्ष में काफी सफलता मिली है। अविजेय बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय पाने के मानव के अदम्य उत्साह के प्रतीकस्वरूप एवरेस्ट की अंतिम विजय हुई है। इस महत्वपूर्ण सफलता में एक वीर भारतीय का भी हाथ था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पुराने भय और तनाव अब भी पहले के समान बने हैं। परन्तु समझौते के प्रयत्न बराबर जारी हैं और मैं हृदय से विश्वास करता हूं कि इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप तनाव के वातावरण में सुधार होगा और पश्चिम तथा सुदूर पूर्व में भावी समझौते का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

भारत, संसार के सभी देशों के साथ शांति और मैत्री की नीति का अनुसरण करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब यह आशा हुई कि हम शांति स्थापना हेतु कुछ कर सकते हैं, हमारे देश ने जिम्मेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया। कोरिया में मेरी सरकार ने तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता स्वीकार की और युद्ध बंदियों के भविष्य के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक उनकी देखभाल के लिए संरक्षक सेना वहां भेजी। दुर्भाग्यवश विराम संधि समझौते में सुझायी गयी पद्धति के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके कारण एक कठिन स्थिति पैदा हो गयी। कुछ दिनों में ही आयोग अपना काम खत्म कर देगा और अब संरक्षक सेना धीरे–धीरे भारत वापस आ रही है। कोरिया में प्रमुख विवादग्रस्त प्रश्नों का अभी तक निबटारा नहीं

हुआ है। मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त राष्ट्र की साधारण परिषद् में, अथवा कहीं और, इन आवश्यक मामलों को सुलझाने का शीघ्र ही प्रयत्न किया जायेगा। आप सब की ओर से और मैं अपनी ओर से, कोरिया में तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने प्रतिनिधियों और संरक्षक सेना के अफसरों तथा सिपाहियों की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता तथा निष्पक्षता के साथ निभाया।

विदेशों से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं, यद्यपि कभी-कभी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधि चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत के संबंध में सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के परिणामस्वरूप सभी विशिष्ट समस्याओं के बारे में समझौता हो सकेगा। सोवियत संघ और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हुई हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ मुलाकातें हुईं। ये मुलाकातें मैत्रीपूर्ण थीं और इनके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवादग्रस्त मामलों के बारे में, जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे, पारस्परिक सद्भावना पैदा हो सकी। इस दिशा में कुछ आगे बढ़े थे पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटनायें घटी हैं जिनके कारण प्रगति में रुकावटें पड़ रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच श्रीलंका के भारतीय प्रवासियों के प्रश्न पर समझौता हो गया है। इस समझौते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से निबटारा नहीं होता, परन्तु उस दिशा में यह पहला कदम है और समस्या के हल के लिए गम्भीर प्रयास है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। अपने पड़ोसी राष्ट्रों, श्रीलंका तथा बर्मा* से, जिनके साथ हमारा भौगोलिक ही नहीं बल्कि चिरकाल से सांस्कृतिक संबंध भी हैं, मैत्रीपूर्ण संबंधों को उन्नत करने का मेरी सरकार सतत् प्रयत्न करती रही है।

पश्चिमी एशिया के देशों और मिस्र के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक सहयोग के रहे हैं। मुझे खुशी है कि सूडान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की प्रशंसा की गयी है और चुनाव व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो गये हैं। मैं सूडान में स्वाधीनता के उदय का स्वागत करता हूं, जो स्वयंमेव तो शुभ है ही, चिरकाल से त्रस्त और आजकल भी अनेक संकटों के शिकार अफ्रीकी भूखंड की भावी उन्नति के लिए भी यह एक शुभ लक्षण है।

गत वर्ष इस अवसर पर मेरे अभिभाषण के बाद भारतीय संघ में आंध्र नामक नये राज्य का उदय हुआ है। भारतीय राज्यों में इस अभिवृद्धि का मैं स्वागत करता हूं और नये राज्य की सफलता की कामना करता हूं। भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए मेरी सरकार ने इस कार्य के लिए एक आयोग की स्थापना की है, जिसमें योग्य और अनुभवी सदस्य रखे हैं, यह कार्य बड़े और ऐतिहासिक महत्व का है। इसे

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

वस्तुगत रूप से पूर्ण शांतचित्तता के साथ करना है, जिससे कि संबंधित क्षेत्रों की जनता का और इसके साथ ही समस्त राष्ट्र का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोग के काम में सभी लोग सद्भावना और समझदारी के साथ सहयोग देंगे।

दूसरे संघ के दो राज्यों में, त्रावनकोर–कोचीन और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ में, आजकल आम चुनाव हो रहे हैं। उपर्युक्त दूसरे राज्य में संविधान सुचारु रूप से नहीं चल सका और नये चुनाव होने तक प्रशासन का कार्य–भार मुझे अपने अधीन लेना पड़ा।

हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना की आधी अवधि समाप्त हो चुकी है। कुछ मामलों में प्रगति इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे, परन्तु कुछ अन्य मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विशेष रूप से सामुदायिक योजनाओं के कार्य में उन्नति हुई है और राष्ट्रीय विकास कार्य में भी, जिसका श्रीगणेश अक्तूबर, 1953 में हुआ था, संतोषजनक उन्नति हुई है। इस कार्य में जनसाधारण का योगदान बहुत ही आशाजनक है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में और कई दूसरे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है, फिर भी व्यापक बेरोजगारी की समस्या मेरी सरकार के लिए चिन्तन का विषय है। लोगों को अधिक रोजगार दिलाने के उद्देश्य से योजना आयोग पहली पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार कर रहा है।

साधारण आर्थिक स्थिति में बराबर सुधार हुआ है। 1952–53 में अनाजों का उत्पादन उसके एक वर्ष पहले की अपेक्षा पचास लाख टन अधिक हुआ है और इस वर्ष की स्थिति भी अच्छी है। खाद्य की स्थिति में सुधार बहुत संतोषजनक है और देश इस दिशा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन में, विशेषकर सूती कपड़े, कागज, रासायनिक पदार्थ, बाइसिकल, नमक और बहुत से इंजीनियरिंग संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन काफी ज्यादा होता रहा है। औद्योगिक उत्पादन की सूचक संख्या बढ़कर 1953 में 134 हो गयी जबकि 1952 में वह 129 थी। युद्ध के बाद से हमारे औद्योगिक उत्पादन का यह उच्चतम स्तर है। इस्पात उद्योग के विस्तार और इस्पात के एक नये कारखाने की स्थापना के संबंध में इस समय अंतिम कार्यवाही हो रही है। जूट और चाय उद्योग, जिन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, अब अच्छी स्थिति में हैं।

मेरी सरकार घरेलू उद्योगों की उन्नति को विशेष महत्व देती है। मुझे खेद है कि इस दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं की जा सकी है। आशा है कि अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के प्रयत्न इस दिशा में निकट भविष्य में ही ठोस कार्य कर सकेंगे।

महान नदी घाटी योजनाओं के संबंध में संतोषजनक प्रगति हुई है और इन योजनाओं में से कुछ पूर्ण भी हो चुकी हैं और इस समय चालू हैं। पांच नयी योजनाएं, अर्थात् कोसी, कोयना, कृष्णा, रिहंड और चम्बल योजनाएं, पंच–वर्षीय योजना में

शामिल कर ली गई हैं। इन योजनाओं के संबंध में प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि आगामी वित्तीय वर्ष में इन्हें चालू किया जा सके। कोसी योजना के बारे में नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है।

भारत के हवाई यातायात का पुनर्गठन हो चुका है और दो सरकारी निगम, एक भीतरी यातायात के लिए और दूसरा विदेशी यातायात के लिए, स्थापित किये जा चुके हैं। विचार हो रहा है कि विदेशी सर्विसों का विस्तार करके उन्हें सुदूर पूर्व तक ले जाया जाए।

पिछले साल हमने दो युगान्तरकारी घटनाओं को मनाया—जो भारत में रेल व्यवस्था तथा तार-डाक व्यवस्था की शताब्दियां हैं। रेल यातायात में बराबर प्रगति हुई है और रेल के डिब्बों तथा इंजनों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नये रेल मार्ग खोलने के लिए निकट भविष्य में कई एक बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया जाएगा। डाक और तार संबंधी सुविधाओं का भी, विशेष रूप से देहाती और पिछड़े हुए क्षेत्रों में, विस्तार किया गया है।

मेरी सरकार घरों की समस्या को महत्वपूर्ण मानती है। विभाजन के बाद से विस्थापित लोगों के लिए घरों पर अभी तक 72 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिए घरों के निर्माण के वास्ते ऋण और सरकारी सहायता दी गई है। सस्ते और आकर्षक मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हाल में ही एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, जिसकी ओर बहुतों का ध्यान आकृष्ट हुआ है।

1954-55 के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के अनुमानित आय तथा व्यय का ब्यौरा आपके सम्मुख रखा जाएगा।

संसद के विगत सत्र के बाद सात अध्यादेश प्रवर्तित करने आवश्यक हो गये। इन में से दो का संबंध इन दो मामलों से है जिनके बारे में एक विधेयक अभी विचाराधीन है। इनमें से उन सभी अध्यादेशों पर विचार करने का आपको अवसर मिलेगा, जिन्हें स्थायी विधान का रूप देना आवश्यक होगा।

आपके सम्मुख 28 विधेयक विचाराधीन हैं। इनमें से कुछ पर प्रवर समितियां विचार कर चुकी हैं। दूसरे विधेयक जिन पर प्रवर समितियां विचार कर रही हैं, उक्त समितियों की सिफारिशों समेत आपके सामने रखे जायेंगे। इन विधेयकों में हिन्दू विधि के सुधार संबंधी विधेयक भी सम्मिलित हैं, जिन्हें मेरी सरकार बड़ा महत्व देती है। संसद के इस सत्र में आपके सम्मुख अन्य विधायी प्रस्ताव भी रखे जायेंगे जिनका संबंध सार्वजनिक कल्याण से है। न्यायालयों के कार्य को गतिशील करने और मुकदमेबाजी के व्यय को घटाने के लिए न्यायिक कार्य प्रणाली में सुधार करने की मेरी सरकार बहुत उत्सुक है।

इस मास के आरम्भ में इलाहाबाद में कुम्भ मेले के समय एक भीषण दुर्घटना घटी। इस अवसर पर यात्रियों का अपूर्व जन-समूह एकत्रित हुआ था। इस विशाल जनसमुदाय की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने संतोषजनक व्यवस्था करने का बड़ा प्रयास किया था। परन्तु अमावस्या के दिन अचानक एक दुर्घटना घटी जिसके कारण बहुत से लोग बेकाबू भीड़ के पांव तले आकर रौंदे गये और मर गये। इस दुखद दुर्घटना से यह शुभ समागम विषादपूर्ण बन गया और हमारे अनेक देशवासियों के लिए शोक का विषय हो गया। आपकी ओर से, मैं अपनी ओर से, दिवंगत आत्माओं के सभी सम्बंधियों को संवेदना तथा सहानुभूति भेजता हूं।

नये वर्ष का आरम्भ इस प्रकार हुआ है कि इसमें जितनी आशा की झलक है उतना ही भय भी दिखाई देता है। शांति स्थापना में प्रगति और तत्संबंधी प्रयत्नों के सफल होने की आशा है। हमें और विश्व को कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, इस बात की आशंका भी है। मानव जाति के लिए इस संकट के समय में हम अपने देश की और समस्त विश्व की सेवा कर सकते हैं यदि हम उन सिद्धान्तों पर अडिग रहें जिन्होंने अतीत में हमारा पथ-प्रदर्शन किया है और यदि हम राष्ट्रपिता के शांति, सहिष्णुता और आत्मविश्वास के संदेश को याद रखें। मैं विश्वास करता हूं कि आपके कार्यकलाप में यह संदेश आपका पथ आलोकित करेगा।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 21 फरवरी 1955

लोक सभा	-	पहली लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

पूरे एक वर्ष के बाद आप से कुछ कहने मैं फिर संसद में आया हूं। मुझे खुशी है कि पिछला वर्ष, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की दृष्टि से, हमारे देश के लिए काफी सफलता का वर्ष रहा है। भारत के लोग और यह संसद अपने कार्य पर संतोष कर सकते हैं। किन्तु सन्तुष्ट होकर बैठे रहने का यह अवसर नहीं है। हमें अपने देश में गहन समस्याओं का सामना करना है और उधर मानवता के भविष्य पर फिर से युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं।

मुझे हर्ष है कि सभी दूसरे देशों से हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं और कुछ देशों के साथ मैत्री तथा सहयोग की भावना में और भी अधिक वृद्धि हुई है। बहुत से देशों से सम्माननीय नेतागण हमारे देश में आये। पिछले वर्ष हमारे यहां पधारने वालों में कैनेडा, इंडोनेशिया, चीन और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का भारत में स्वागत करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे उपराष्ट्रपति ने हमारी सद्भावना का संदेश अमेरिका, कैनेडा, मैक्सिको, अर्जेन्टीना, चिली, बोलीविया, पेरू, ब्राजील, यूरुग्वे और इटली तक पहुंचाया। हमारे प्रधानमंत्री, मित्र के नाते चीन, बर्मा*, इंडोनेशिया, इंडोचाइना और मिस्र गये। हाल ही में लन्दन में होने वाले राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया जहां संसार की शांति से सम्बद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर स्पष्टता से और मैत्रीपूर्ण ढंग से बातचीत की गई।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

तिब्बत के बारे में चीन और भारत के बीच किये गये समझौते का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। इस समझौते द्वारा इन दोनों महान देशों के बीच मैत्री की पुष्टि हुई, जिसका एशिया तथा संसार की शांति से इतना अधिक संबंध है। इस समझौते में कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें अधिक व्यापक रूप दिया जा सकता है और बहुत से देशों ने उन सिद्धान्तों को स्वीकार भी किया है। पांच सिद्धांत, जिन्हें प्राय: पंचशील कहा जाता है, ये हैं: एक दूसरे के प्रभुत्व तथा प्रादेशिक अखंडता के लिए पारस्परिक समादर, अनाक्रमण की नीति, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, पारस्परिक समता तथा लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इन सिद्धान्तों को मैं आप के समक्ष रखता हूं और यह आशा करता हूं कि ये अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार बनते जायेंगे और इस प्रकार संसार भर की सुरक्षा तथा शांति का कारण बनेंगे।

गत वर्ष में श्रीलंका के प्रधान मंत्री के सुझाव पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यह घटना थी कोलम्बो में श्रीलंका, बर्मा*, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन। तत्पश्चात् इसी प्रकार का एक सम्मेलन इंडोनेशिया में बोगोर नामक स्थान पर हुआ। इन सम्मेलनों में उपर्युक्त देशों ने, जो एशिया महाद्वीप का बहुत बड़ा भू-भाग है, अपने विचारों और उद्गारों को संगठित रूप से व्यक्त किया और इससे निस्सन्देह शांति के पक्ष को समर्थन मिला। इन सम्मेलनों के परिणामस्वरूप अब एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन इंडोनेशिया में बुलाने का आयोजन किया गया है। इन दो महाद्वीपों के देशों के विकास और विश्वव्यापी हलचलों के क्षेत्र में इनके उत्थान का यह सम्मेलन एक अन्य कदम है। मेरा विश्वास है कि इसके कारण विश्वशांति के पक्ष को बल मिलेगा और इन देशों के बीच सहयोग और सद्भावना बढ़ेगी।

गत वर्ष की सबसे बड़ी घटना, जो वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी घटना है, जेनेवा सम्मेलन था, जिसके कारण इंडोचाइना में युद्धबन्दी हो सकी और इंडोचाइना के राज्यों को समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सका। जेनेवा सम्मेलन को अनेक महत्वपूर्ण और कठिन समस्याओं से जूझना पड़ा, किन्तु सौभाग्य से शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या को सुलझाने की दिशा में सम्बद्ध राष्ट्रों के प्रयत्न सफल हुए। इस प्रकार उस सम्मेलन ने संसार के सामने एक उदाहरण रखा है। मैं आशा करता हूं कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए भविष्य में इस उदाहरण का अनुसरण किया जाएगा।

जेनेवा सम्मेलन के परिणामस्वरूप भारत ने इंडोचाइना में नियुक्त किये गये तीन आयोगों में अपने ऊपर भारी जिम्मेदारी ली है। भारत की अध्यक्षता में ये आयोग जेनेवा में किये गये निर्णयों को कार्यरूप देने में काफी आगे बढ़ चुके हैं और इनका कार्य प्रशंसनीय है।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

दुर्भाग्य से कुछ झगड़े अभी भी चल रहे हैं जिनके कारण विश्वशांति संकट में है। इनमें सब से प्रमुख सुदूरपूर्व-संबंधी, विशेषकर फारमोसा और चीन के तटीय द्वीपों संबंधी संघर्ष हैं। मेरी सरकार चीन की एक ही सरकार को मान्यता देती है और वह है लोक गणराज्य, और यह समझती है कि इस गणराज्य के दावे उचित हैं। कुछ भी हो, मुझे पूर्ण आशा है कि ये कठिन समस्यायें आपसी बातचीत द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से सुलझ सकेंगी।

यदि हम चाहते हैं कि संसार में समझदारी का बोलबाला रहे, तो यह स्वीकार करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने का और कोई रास्ता नहीं रह गया है। न्यूक्लियर और थर्मोन्यूक्लियर शस्त्रास्त्र इस सीमा तक विकसित हो चुके हैं कि कोई भी युद्ध जिसमें इनका उपयोग किया जाएगा संसार के लिए घातक सिद्ध होगा। इस आत्महत्या की नीति से संसार की कोई समस्या नहीं सुलझ सकती और न किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। एक उद्‌जन बम न केवल एक विस्तृत क्षेत्र में प्रत्येक प्राणी को मार डालता है बल्कि तीव्र विनाशकारी लहरें पैदा करता है, और विनाशलीला का प्रसार दूर-दूर तक कर देता है। ऐसे घातक अस्त्रों से सुरक्षा का कोई उपाय नहीं। कुछ देशों के प्रमुख सैनिकों ने निर्विवाद शब्दों में कहा है कि ऐसा व्यापक युद्ध जिसमें इन अस्त्रों की भयानकता को देखते हुए न केवल इनका उत्पादन बन्द हो जाएगा बल्कि मानव समाज यह भी समझ लेगा कि युद्ध किसी प्रकार की समस्या को सुलझाने का साधन नहीं बन सकता।

अणुशक्ति से जहां संसार के विनाश का भय पैदा हो गया है, वहां एक नवीन आशा की किरण का जन्म भी हुआ है, बशर्ते कि इसका उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में किया जाये। समस्त संसार के लोगों के जीवनयापन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक साधन अणुशक्ति द्वारा जुटाये जा सकते हैं, अर्ध-विकसित देशों को उन्नत करने की दिशा में इसका विशेष महत्व है। इसलिए अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों पर विचार करने के लिए राष्ट्र संघ ने जेनेवा में वैज्ञानिक सम्मेलन का जो आयोजन किया है उस का हमें स्वागत करना चाहिये। यह सम्मेलन न केवल अणुशक्ति की सम्भावनाओं पर विचार करेगा, बल्कि जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और कृषि विज्ञान की दृष्टियों से भी उस पर विचार करेगा।

शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा एक कठिन समस्या के निपटारे का एक और उदाहरण भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का भारत सरकार को सौंपा जाना है। इन बस्तियों के नागरिकों का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। इस समस्या को सुलझाने में फ्रांसीसी सरकार ने जिस नीतिज्ञता का परिचय दिया उसकी मैं सराहना करना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों की समस्या भी इसी प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से जल्द ही सुलझ जायेगी।

देश की आर्थिक स्थिति में बराबर सुधार हुआ है। पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनमें से बहुत से पहले तीन वर्षों में ही प्राप्त कर लिये गये हैं। 1953-54 में अनाजों का उत्पादन पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य से 44 लाख टन

अधिक हुआ। कृषि उत्पादन सूचक-अंक जो 1950-51 में 96 थे, 1953-54 में बढ़कर 114 हो गये। औद्योगिक उत्पादन के सूचक-अंक 1954 में 144 तक जा पहुंचे, जबकि 1953 में 135 थे, जो संख्या स्वाधीनता के बाद सबसे ऊंची थी। गत 4 वर्षों से सूचक-अंक औसतन 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़े हैं।

उत्पादन में सुधार हो जाने के कारण कंट्रोल भी उठा दिये गये हैं। अनाजों का अधिक उत्पादन होने से उन क्षेत्रों में जहां पैदावार मांग की अपेक्षा अधिक थी, भाव बहुत अधिक गिरने की प्रवृत्ति पाई गई। भावों को लाभहीन स्तर तक न गिरने देने के लिये सरकार ने निर्धारित मूल्यों पर अनाज खरीदने का निश्चय किया।

मेरी सरकार ने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अपने सक्रिय नियंत्रण में लेने का निश्चय किया है, विशेषकर इसलिए कि देहाती और पिछड़े हुए इलाकों को उधार-संबंधी सुविधायें अधिक से अधिक दी जा सकें। इंडियन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन की स्थापना से, आशा है, हमारे गैर-सरकारी उद्योगों के क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचेगा।

सिन्द्री में वैज्ञानिक खाद तैयार करने में काफी प्रगति की जा चुकी है। विगत वर्ष में विशाखापटनम् के हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने दो आठ-आठ हजार टन के जहाज तैयार किये और एक सात हजार टन का पोत समुद्र में उतारा। पश्चिमी बंगाल में रूपनारायणपुर की टेलिफोन केबल फैक्टरी में भी उत्पादन शुरू हो गया है। तार और डाक विभाग की इस संबंध में जितनी भी आवश्यकतायें होंगी, उन्हें इस कारखाने द्वारा पूरी करने की व्यवस्था की गई है। पिम्प्री का पेनिसीलीन कारखाना और दिल्ली का डी.डी.टी. कारखाना भी चालू होने जा रहा है और मलेरिया-विरोधी कार्यक्रम की आवश्यकता पूरी करने हेतु एक और डी.डी.टी. कारखाना खोलने का भी विचार है।

देश के इस्पात और लोहे के उत्पादन में वृद्धि को मेरी सरकार बहुत महत्व देती है। इस उद्देश्य से दो नये कारखाने खोलने का निश्चय किया जा चुका है। इन कारखानों का मालिक राष्ट्र होगा। एक कारखाना राऊरकेला में खोला जाएगा और दूसरा मध्य प्रदेश के भिलाई प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इस दूसरे कारखाने के संबंध में सोवियत रूस की सरकार से एक प्रारम्भिक करार किया जा चुका है।

उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के विकास की दृष्टि से मेरी सरकार कुटीर और छोटे उद्योगों की उन्नति को भी बहुत महत्वपूर्ण मानती है। इन उद्योगों में आधुनिक कार्य-प्रणाली का संचार करने के लिए चार विशेष प्रादेशिक संस्थाओं की स्थापना की जा रही है।

हमारी महान नदी-घाटी योजनायें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। कई एक नई योजनायें भी बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं को कार्य रूप देने में हमें जनता द्वारा जो सहयोग मिल रहा है, उसका मैं खासतौर से जिक्र करना चाहूंगा। इनमें भी कोसी योजना में जो सार्वजनिक सहायता प्राप्त हुई है, वह उल्लेखनीय है।

दो वर्ष से कुछ अधिक समय में ही, अक्तूबर, 1952 में चालू की गई सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर की देहाती जनसंख्या का पांचवां हिस्सा आ चुका है। इस समय इस कार्यक्रम से 88,000 ग्राम लाभ उठा रहे हैं और इससे कृषि, पशु सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा और सिंचाई के क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक, आशा है, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त देश आ चुकेगा। इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जनता में सहयोग और उत्साह का संचार हुआ है, उनमें एक नवीन जागृति आई है और वे मिलजुल कर सबके हित के लिए काम करने में विश्वास करने लगे हैं।

पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों में उन्नति तथा सार्वजनिक व्यय में क्रमिक वृद्धि हुई है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में सुधार की दिशा में स्थायी कार्य तथा देहातों और शहरों में पानी और बिजली की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण का कार्य अभी आरम्भ हुआ है। पहली योजना की अपेक्षा इस योजना के अधिक व्यापक होने की आशा है। ख्याल है कि इस योजना में भारी उद्योगों की स्थापना, रोजगार के विस्तार और शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन पर अधिक बल दिया जायेगा।

आंध्र राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाने में जिसमें संविधान के अनुसार राज्य का कार्य नहीं चल सकता था, मैंने संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार आवश्यक पग उठाने की उद्घोषणा की। इस राज्य में इस समय चुनाव हो रहे हैं और आशा है यथाशीघ्र साधारण वैधानिक प्रणाली से प्रशासन कार्य फिर से चालू हो सकेगा।

आपको चतुर्थ संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करना होगा। आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए और संविधान में दिये गये आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए यह संशोधन आवश्यक हो गया है।

1955-56 का भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय संबंधी विवरण आपके सामने रखा जायेगा।

लोक सभा के पिछले सत्र के बाद एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया। इस अध्यादेश के बारे में एक विधेयक आपके सामने रखा जायेगा और बहुत से विधेयक भी विचारार्थ रहते हैं, जिनमें से कुछ पर प्रवर समितियां विचार कर चुकी हैं।

विगत वर्ष में हमने जो उन्नति की है, उससे हमारे देशवासियों में भविष्य के प्रति आशा और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो सकती है। भावी निर्माण का यही दृढ़ आधार है। संसद के सदस्यगण, इस आशा को मूर्तिमान करना और देश को उसके निर्धारित लक्ष्य, अर्थात् कल्याण राज्य की स्थापना तक पहुंचाना तथा समाज का समाजवादी तर्कों के अनुरूप पुनर्गठन करना, आप लोगों का कार्य है।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 15 फरवरी 1956

लोक सभा	-	पहली लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस नये सत्र के समय एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों मामलों की दृष्टि से गत वर्ष हमारे लिये सतत् प्रयत्न और सफलता का रहा है। भारतीय जनता और संसद सकारण विगत वर्ष के प्रयत्नों और सफलताओं को संतोष तथा सतर्क आशा के साथ देख सकते हैं। फिर भी, बाहरी जगत में और देश में कुछ ऐसी घटनायें अवश्य घटी हैं जिनसे हमारा शंकित हो जाना स्वाभाविक है। इन घटनाओं का हमें साहस, धैर्य तथा पूर्ण प्रयत्न के साथ सामना करना चाहिये। साथ ही ये इस बात की चेतावनी भी देती हैं कि हमें न तो निराश होना चाहिये और न पूर्ण संतोष मान लेना चाहिये।

विदेशों से हमारे संबंध बराबर मैत्रीपूर्ण बने हैं। गत वर्ष में बहुत से देशों के साथ हमारे सहयोग और सद्भावना में वृद्धि हुई है और इस दिशा में हम जो कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं, विदेशी राष्ट्र अब उसका अधिक आदर करने लगे हैं। बहुत से देशों से इस वर्ष हमारे देश में सम्मानित अतिथि आये जिनमें राष्ट्रों के अधिपति, प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री शामिल हैं। हमने इन महानुभावों का सहर्ष स्वागत किया। हमारे प्रधानमंत्री ने सरकारी रूप से सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया, पोलैंड, आस्ट्रिया, युगोस्लाविया, इटली और मिस्र की सद्भावना-यात्रा की।

स्वर्गीय महामहिम महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, नेपाल नरेश की मृत्यु से हमें भारी वेदना हुई। उनके निधन से हमारा देश एक सच्चे मित्र और नेपाल एक प्रबुद्ध तथा साहसी नरेश से वंचित हो गया है। हाल ही में महाराजाधिराज महेन्द्र वीर

विक्रम शाह तथा महिष्मती साम्राज्ञी के इस देश में आगमन से भारत और नेपाल के लोगों के मैत्रीपूर्ण संबंध और भी अधिक दृढ़ हो गये हैं। मैं यह कामना करता हूं कि महामहिम का राज्यकाल उन्नति तथा संपन्नता का सूचक हो।

भारत तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बीच रेलमार्ग खोलने और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य पारपत्र संबंधी नियमों को अधिक ढीला करने के लिए पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत सफल रही है। नहर के पानी के सम्बंध में झगड़ों का निपटारा करने के लिए बातचीत अभी भी जारी है। स्थानान्तरित लोगों की चल सम्पत्ति के संबंध में समझौता हो चुका है।

पूर्वी पाकिस्तान* से लोगों की निकासी और उनका भारत में आगमन हाल में बहुत बढ़ गया है, जिससे हमें चिन्ता होती है। यह एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या है जिसका असंख्य लोगों पर दुखद प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य पर आगे ही अत्यधिक भार है, अब उसे और भी अधिक भार वहन करना पड़ रहा है। मेरी सरकार बराबर आशा करती रहेगी कि पाकिस्तान की सरकार उन कारणों को दूर करने के लिए यथोचित कार्यवाही करेगी जिनके कारण यह निकासी हो रही है।

मेरी सरकार को दुख है कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों की समस्या को सुलझाने के लिए हमारे शांतिपूर्ण सुझावों के बावजूद, पुर्तगाल सरकार की ओर से कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई और वह सरकार दमन और आतंक की उपनिवेशवादी नीति का बराबर आश्रय ले रही है। मेरी सरकार को इस बात का बहुत क्षोभ है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सचिव ने इस संबंध में बोलते हुए पुर्तगाली बस्तियों को पुर्तगाल के प्रांत कहा जिससे इस बात का भ्रम होता है मानो वे बस्तियां पुर्तगाल देश का एक अंग हों।

एशिया और अफ्रीका के देशों का जो सम्मेलन बांडुंग में हुआ था, जिसमें 29 राष्ट्रों ने भाग लिया, उसका स्वागत न केवल एशिया में एक महान घटना के रूप में किया गया बल्कि उसे संसार की एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है। बांडुंग में जो ऐतिहासिक महत्व की घोषणा हुई और जिसकी ओर विश्व का काफी ध्यान गया है, उसके अनुसार सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों पर यह दायित्व आता है कि वे सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए और विश्व में शांति और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और नीति को अपनाएं।

मेरी सरकार को आशा है कि अफ्रीका में गोल्ड कोस्ट में शीघ्र ही स्वाधीनता और स्वशासन की स्थापना हो सकेगी और वह देश राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र में अन्य देशों के साथ बराबर का हिस्सेदार हो सकेगा। पश्चिमी अफ्रीका के अन्य भागों में भी

*अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।

कुछ–कुछ इसी प्रकार की घटनायें घट रही हैं और मेरी सरकार को आशा है कि उन्नति की इस प्रवृत्ति को समुचित प्रोत्साहन मिलेगा और गोल्ड कोस्ट का उदाहरण अफ्रीका के उन भू–भागों को भी प्रभावित करेगा जो आजकल औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत हैं। मलाया में भी इसी प्रकार की प्रगति का हम स्वागत करते हैं।

हम स्वाधीन तथा स्वतंत्र गणतन्त्र के रूप में सूडान का स्वागत करते हैं और इस प्रक्रिया में मिस्र तथा ब्रिटेन ने जो महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक योगदान दिया है उसकी प्रशंसा करते हैं। मेरी सरकार ने सूडान गणराज्य के साथ अन्त: राजनैतिक संबंध स्थापित कर लिये हैं। मिस्र के साथ भी हमने मैत्री की संधि की है।

मेरी सरकार ने उन सभी राष्ट्रों के साथ सहानुभूति प्रकट की है जो औपनिवेशिक शासन के चंगुल से निकल स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनमें विशेष रूप से ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को की जनता शामिल है। मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि शांतिपूर्ण बातचीत और आपसी समझौते से इन समस्याओं को सफलतापूर्वक और उचित ढंग से सुलझाया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र का हाल का सत्र इस बात के लिए महत्वपूर्ण रहा है कि सदस्यता के आधार को अधिक व्यापक करने के संबंध में जो अड़चनें थीं वे दूर हो गईं और इस बार सोलह नये राष्ट्र सदस्य के तौर पर स्वीकार किये गये हैं। हमें इस बात की विशेष खुशी है कि दूसरे देशों के साथ हमारे निकट पड़ोसी, नेपाल और लंका* तथा कम्बोडिया, लाओस, लीबिया और जोर्डन भी इन राष्ट्रों में शामिल हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि जापान और मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए अभी भी उम्मीदवार ही हैं। इस समस्या को सुलझाने का मेरी सरकार भरसक प्रयत्न करेगी और निकट भविष्य में सूडान के प्रवेश की भी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है।

मेरी सरकार को इस बात का दुख है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा चीन के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए गत वर्ष जो प्रयत्न किये गये थे, और इस दिशा में जो प्रगति हुई थी, वह आगे नहीं बढ़ सकी है। आपसी बातचीत के द्वारा समझौता न होने के जो संभाव्य दुष्परिणाम हैं, वे मेरी सरकार के लिए चिन्ता का विषय हैं। शांतिपूर्ण बातचीत के लिए मेरी सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी।

इन्डोचीन में अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने, कुछ दुर्घटनाओं के बावजूद, देखरेख और नियंत्रण के काम में उचित संतोषजनक प्रगति की है। जेनेवा में महान शक्तियों ने तथा इंडोचीन से सम्बद्ध दूसरे पक्षों ने जिन राजनैतिक निपटारों को स्वीकार किया था, वियतनाम के प्रश्न को लेकर वे अब आपत्ति में हैं। लाओस के संबंध में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आयोग द्वारा देखरेख और नियंत्रण के कार्य

*अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है।

पर भी इस समस्या का प्रभाव पड़ा है। मेरी सरकार को आशा है कि सभी संबंधित पक्ष, जेनेवा सम्मेलन के दोनों अध्यक्ष तथा अन्य राष्ट्र इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि न केवल युद्धबंदी बनी रहे, बल्कि वास्तविक राजनैतिक समझौते का मार्ग प्रशस्त हो सके, जिससे कि उन सभी देशों का कल्याण हो और एशिया की स्थिति अधिक स्थायी हो सके और संघर्ष का संकट, जिसकी सीमायें सहज ही दृष्टिगोचर नहीं होतीं, टल सके।

संयुक्त राष्ट्र से चीन का बहिष्कार और उनके विरुद्ध व्यापार-संबंधी प्रतिबंध, सुदूरपूर्व में और साधारणतः एशिया में, अस्थायित्व तथा संघर्ष की ओर प्रेरित करते हैं। मेरी सरकार अन्य राष्ट्रों के सहयोग से, जो हमसे सहमत हैं, संयुक्त राष्ट्र में तथा उससे बाहर इस स्थिति में सुधार करने की अधिक से अधिक चेष्टा करेगी जो स्थिति विश्व-शांति के लिए संभवतः गंभीरतम संकट है।

सब मिलाकर, गत वर्ष संसार की स्थिति में, विभिन्न गतिविधियों तथा सम्मेलनों, विशेष रूप से चार सरकारों के अध्यक्षों के सम्मेलन के फलस्वरूप, काफी सुधार हुआ है। मुझे खेद है कि यह प्रगति जारी नहीं रह सकी और इसमें इधर कुछ न्यूनता आई है। निःशस्त्रीकरण के संबंध में वास्तव में हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सके हैं और न ही शीत-युद्ध के भय से उत्पन्न तनाव को दूर कर सके हैं। हमारे देश के अन्य देशों के साथ बराबर मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे किन्तु विश्व शांति की स्थिति में जो बिगाड़ हुआ है उसके कारण दुनिया के दूसरे भू-भागों में भी शांतिपूर्ण संबंधों और पारस्परिक सहयोग की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

शक्ति के संतुलन और आपसी संदेह और भय पर आधारित सैनिक संधियों की नीति से, विशेष रूप से पश्चिमी एशिया के राष्ट्र शस्त्रास्त्र जुटाने लगे हैं। इसके कारण अपनी सीमाओं के निकट हमें भी चिन्ता हुई है। बगदाद की संधि से भी हमें बहुत खेद हुआ है, जैसा हमें दक्षिण-पूर्व एशिया सुरक्षा संघ से हुआ था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि अब समाप्त होने को है और मेरी सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने में व्यस्त रही है। पहली योजना की सफलता से लोगों में विश्वास की भावना का उदय हुआ है और उसके परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की उन्नति की नींव रखी जा चुकी है। पहली योजना के लक्ष्य से कई विषयों में हम आगे बढ़ गये हैं और राष्ट्रीय आय में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पत्ति में 43 प्रतिशत की और कृषि द्वारा उत्पादन में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह विशेष संतोष की बात है कि अन्न का उत्पादन 20 प्रतिशत बढ़ गया है और यह जबकि विध्वंसकारी बाढ़ ने उत्तर भारत और तूफान ने दक्षिण भारत में बड़ी बरबादी की। इन विपत्तियों के कारण क्षति की पूर्ति में सरकार ने और उससे भी अधिक लोगों ने जो काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूं।

हमारा ध्येय इस देश में समाजवाद के नमूने पर समाज की व्यवस्था करना है और विशेष रूप से उत्पादन को इस प्रकार बढ़ाना है कि देश शीघ्र से शीघ्र समुन्नत हो सके। लोगों के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध करने का प्रश्न असाधारण महत्व का है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिक विस्तार पर, विशेषकर आधारभूत उद्योगों और मशीनों के निर्माण के उद्योग के विकास पर, अधिक जोर दिया गया है। हमने तीन बड़े लोहे और इस्पात के कारखाने और भारी बिजली कलों के तैयार करने वाले कारखाने खोलने का निश्चय किया है। बड़े पैमाने पर देश के खनिज पदार्थों का पर्यवेक्षण किया जायेगा जिससे कि देश में निहित साधनों को उपयोग में लाया जा सके। लोगों को अधिक रोजगार दिलाने और कई प्रकार का उपभोग का सामान पैदा करने की दृष्टि से, उत्पादन की उन विधियों पर अधिक जोर दिया जायेगा जिनमें अधिक से अधिक हाथ खप सकें। विशेषकर कुटीर और ग्रामोद्योगों पर भरोसा किया जायेगा। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के फलस्वरूप देश के बहुत से देहातों में पहले ही क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके हैं। ये योजनायें बराबर जारी रहेंगी और इन्हें अधिक विस्तृत किया जायेगा। आशा है कि द्वितीय योजना की अवधि के अंत तक इन योजनाओं के अंतर्गत देश के प्रायः सभी देहात ग्राम आ चुकेंगे।

दूसरी योजना, प्रथम योजना की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वाकांक्षापूर्ण है और उसे कार्यरूप देने के लिए देश के लोगों को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्न करना होगा। समाजवाद के नमूने पर समाज की स्थापना, राष्ट्रीय आय का समुचित स्तर तक विकास और देश के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर–इन सभी आदर्शों को पूरा करने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना रहता है। परन्तु हम प्रगति के पथ को अपना चुके हैं। हमारी उन्नति के आधारभूत मापदंड सदा समाज का हित और समता का क्रमिक निराकरण होंगे। हम अपनी यात्रा की एक मंजिल तय कर चुके हैं और अब एक और भाग्य निर्णायक दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने वाले हैं। जो सफलता हमने विगत वर्षों में प्राप्त की है, उसमें हमें संतोष होता है, आत्मविश्वास की भावना प्राप्त होती है और भविष्य के लिए हमारे अन्दर आशा का संचार होता है। किन्तु, उन्नति करने और विश्व में शांति की स्थापना और सहयोग के लिए अपने कर्त्तव्य का पालन करने हेतु हमारी क्षमता का आधार हमारी आर्थिक दृढ़ता और एकता होगी। राष्ट्रपिता द्वारा निर्धारित मौलिक सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति हमारी आस्था तथा राष्ट्रीयता की भावना ही हमारी सफलता की आधारशिला बन सकती है। उस अदम्य राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सेवा की भावना के बिना, जिसके फलस्वरूप हम स्वाधीनता प्राप्त कर पाये हैं, हम न उन्नति कर सकते हैं और न ही विश्व के महान कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं दो करोड़ दस लाख जमीन की नई सिंचाई, 1 करोड़ टन अधिक खाद्यान्न, 34 लाख किलोवाट नई बिजली, 2 करोड़ 20 लाख टन

कोयले का अधिक उत्पादन, जिससे 1960 तक कुल 6 करोड़ टन उत्पादन हो सके, इस्पात में 38 लाख टन की वृद्धि, सीमेंट में 52 लाख टन की वृद्धि और कृत्रिम खाद में 17 लाख टन की वृद्धि। आशा की जाती है कि नई योजनाओं के फलस्वरूप एक करोड़ आदमियों को उद्योग और कृषि में नये काम मिलेंगे।

भारत के कुछ भागों में घटी हाल की घटनाओं से मुझे भारी खेद हुआ है, जैसा कि आप सबको भी हुआ होगा। अपनी भाषा के प्रति उचित प्रेम के अतिरेक में हममें से कुछ यह भूल जाते हैं कि यह महान देश हम सब की मातृभूमि है और सबके लिए एक जैसी विरासत है। राज्यों का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए सद्‌बुद्धि और सहिष्णुता अपेक्षित है, किन्तु भारत और भारत के भविष्य के प्रश्न की तुलना में राज्यों की सीमा-निर्धारण का यह मामला नगण्य है। यह तथ्य सर्वोपरि है कि हम अहिंसा, सहिष्णुता और राष्ट्रीय महानता सूचक मौलिक दृढ़ता के बिना अपने देश को ऊंचा नहीं उठा सकते। हाल के वर्षो में हमने अपने देशवासियों द्वारा प्राप्त की गई अपूर्व सफलताओं को देखा है। हमने कुछ पुरानी कमजोरियों को अपने मार्ग में आते और पृथकता तथा असहिष्णुता की भावनाओं को उभरते हुए भी देखा है। अतीत में अनेकों बार हमें संकटों का सामना करना पड़ा है और हमने उन पर विजय पाई है। अब फिर हमारे राष्ट्र और लोगों की परीक्षा का समय आया है। अपने प्राचीन आदर्शो और सिद्धांतों पर चलकर ही हम सफल हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बातों पर व्यापक सहिष्णुता की भावना से विचार करेंगे और इस महान देश के हित को जिसकी हम जी-जान से सेवा करना चाहते हैं, सदा सामने रखेंगे। मुझे यह भी आशा है कि यह संसद जो भी ठीक समझ कर निर्णय करेगी, सब लोग उसे स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे।

जैसा आपको विदित है, भारत के पुराने इंपीरियल बैंक को राज्य बैंक बना दिया गया है और बहुत सोच-विचार के बाद मेरी सरकार ने जीवन-बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया है। प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में और पालिसी होल्डरों के हितों के रक्षार्थ, गत मास एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसके अनुसार इस व्यवसाय की व्यवस्था करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। उस अध्यादेश को अधिनियम में परिवर्तित करने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक संसद के समक्ष रखा जायगा। निःसंदेह यह पग जनता के और बीमा व्यवसाय के हित में सिद्ध होगा और यह हमारे समाजवादी आदर्श के अनुरूप होगा।

ग्राम अर्थव्यवस्था और कृषि तथा छोटे-छोटे उद्योगों में सहयोग की उन्नति को मेरी सरकार बहुत महत्व देती है। खाद्य-पदार्थों की उत्पत्ति, उनके बनाने और उनको जमा रखने तथा बाजार में लाने के लिये सहयोग समितियों द्वारा उनको संगठित करने का विधेयक संसद के समक्ष उपस्थित किया जायेगा।

राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में मेरी सरकार एक विधेयक पेश करेगी। संसद के समक्ष कई विधेयक हैं जिनमें से कुछ पर प्रवर समितियां विचार कर चुकी हैं। पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में और सरकार द्वारा उन पर किये गये निर्णयों के अनुसार परिगणित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन करने के हेतु एक विधान होगा। कर-जांच आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार पर और आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने के संबंध में भी विधान-संबंधी प्रस्ताव संसद के समक्ष रखे जायेंगे।

तीन अध्यादेश, जो संसद के गत सत्र के बाद जारी किये गये हैं, संसद के समक्ष रखे जायेंगे। वे इस प्रकार हैं:—

1. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1955;
2. जीवन बीमा (संकटकालीन व्यवस्था) अध्यादेश, 1956; और
3. बिक्री-कर कानून मान्यता अध्यादेश, 1956।

1956-57 के वित्तीय वर्ष का भारत सरकार का आय-व्यय संबंधी विवरण आपके सामने रखा जायेगा।

इस वर्ष हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह मनाने जा रहे हैं। आज से 2,500 वर्ष पूर्व भारत की एक महानतम विभूति, महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, जिसकी अमर स्मृति और अक्षय संदेश आज भी विद्यमान हैं। पूर्ण सत्य और शक्ति से ओत-प्रोत व जीवित संदेश अभी भी हमारे साथ है। विश्व के इतिहास में किसी भी समय उस संदेश की इतनी आवश्यकता नहीं रही जितनी आज है, जबकि अणु और उद्‌जन बमों का भयावह संकट हमारे सामने है। मेरी कामना है कि महात्मा बुद्ध का सहिष्णुता तथा दया का वह संदेश आपके सभी कार्यों में आपके साथ रहे।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 मार्च 1957

लोक सभा	-	पहली लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अन्नतशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

आज मैं पूरे एक वर्ष बाद आपके सामने अभिभाषण कर रहा हूं। यह वर्ष हमारे देश के लिए और विश्व के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण रहा है। हम ऐसे समय एकत्र हुये हैं जबकि देश भर में आम चुनाव चल रहे हैं और इनके परिणामस्वरूप नई संसद की स्थापना होने जा रही है। इस संसद के सम्मुख कुछ कहने का मेरे लिए यह अंतिम अवसर है। अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में आप में से कुछ नई संसद में भी आयेंगे और संभवतः कुछ सदस्यगण नई संसद में नहीं भी आयेंगे। आपका कार्यक्षेत्र कहीं भी हो, मुझे इसमें संदेह नहीं कि जो कुछ भी आप करेंगे वह इस देश के निर्माण-संबंधी महान कार्य के हित में होगा। मैं आपके कार्य में सफलता और आपकी सम्पन्नता की कामना करता हूं।

पिछली बार जब मैंने आपके सामने अभिभाषण दिया था, तब से संसार ने, विशेषकर मध्य-पूर्व ने, तनाव की स्थिति का सामना किया है और एक ऐसा संघर्ष भी देखा है जिसका अंतिम रूप मिस्र पर आक्रमण हुआ। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संसार के जनमत के फलस्वरूप आक्रमणकारी सेनाओं को मिस्र से हटा लिया गया, किन्तु इस संघर्ष से मिस्र को भारी क्षति ही नहीं उठानी पड़ी बल्कि ऐसे समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा था तनाव में वृद्धि हुई। इन परिस्थितियों के कारण बहुत सी समस्यायें पैदा हो गई हैं जिन्हें अब सुलझाना होगा। इन समस्याओं से हमारा भी गहरा संबंध है क्योंकि विश्व-शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हमारी दिलचस्पी है और हमें अपने हितों की भी रक्षा करनी है। इसलिए इन कठिनाइयों को

सुलझाने में हमने योगदान देने की चेष्टा की। इस प्रकार हमारे देश ने अपने ऊपर भारी दायित्व लिये हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र आपातकालिक सेना में सम्मिलित होना भी शामिल है। यह सेना संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के निर्णय के अनुसार और आक्रमणकारी सेनाओं के वापसी-संबंधी प्रस्ताव के अंतर्गत संगठित की गई थी।

मध्य यूरोप में हंगरी में घटने वाली घटनाओं से हमें बहुत घबराहट हुई और दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी हमने विदेशी सेनाओं की वापसी के लिए और राष्ट्रीय आन्दोलनों के दमन के लिए उनके प्रयोग के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके साथ ही विभिन्न अवसरों पर इस समस्या का हल ढूंढ़ने में हमने भरसक सहायता करने की चेष्टा की और हंगरी के लोगों की लाक्षणिक सहायता के रूप में उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की।

विश्व-शांति और सहयोग की संभावनाओं पर मध्य-पूर्व की स्थिति की परछाईं पड़ी है। उधर यातायात के लिए स्वेज नहर का खुलना बाकी रहता है। इस क्षेत्र में सैनिक संधियों की नीति ने राष्ट्रों को आपस में बांट दिया है और एशिया में अधिकाधिक युद्ध सामग्री जुटाई जाने लगी है। फिर भी यह देखकर कि इस क्षेत्र में संघर्ष का और अधिक विस्तार नहीं हुआ हमें सन्तुष्ट होना चाहिए।

भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेश, गोल्ड कोस्ट और इसके साथ अंग्रेजी शासन के अधीन टोगोलैंड का प्रदेश अब घाना नामक स्वतन्त्र और सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्र के रूप में और राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में उदित हुआ है, इस बात से भारत सरकार और भारत की जनता को बहुत खुशी हुई है।

हम संयुक्त राष्ट्र में सूडान, मोरक्को, ट्यूनीसिया, जापान तथा घाना के प्रवेश का स्वागत करते हैं। मंगोलिया के बराबर बाहर रहने और चीन के अधिकृत प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र में स्थान न दिये जाने के कारण हमें क्षोभ होता है और इस स्थिति का प्रतिकार करने में हम बराबर प्रयत्नशील हैं।

हम आशा करते हैं कि मलाया शीघ्र ही एक स्वतंत्र देश बन जायेगा और ऐसा होने से उपनिवेशवाद का प्रभाव और कम हो जायेगा और एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता की सीमायें विस्तृत हो सकेंगी।

संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के 11वें सत्र में मध्य-पूर्व, अल्जीरिया और साइप्रस संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर होने वाले विवादों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने प्रभावोत्पादक और उपयोगी योगदान दिया है और इन समस्याओं का शांतिपूर्ण हल ढूंढ़ने और कार्यप्रणाली तय करने में सहायता दी है। निःशस्त्रीकरण कार्य आगे नहीं बढ़ा है किन्तु संयुक्त राष्ट्र ने एकमत से अपने प्रयत्न जारी रखने और भारत के सुझाव समेत सभी सुझावों पर विचार करने का निश्चय किया है। भारत सरकार को खुशी है कि वह इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में सहायक हो सकी।

हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेन्सी के प्रारम्भिक आयोग का सदस्य था। इसलिए हमें इस बात का सन्तोष है कि इस एजेंसी की अब स्थापना हो गई है। हमारी यह कामना तथा आशा है कि अणुशक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में होगा और विध्वंसक कार्यों में इसका प्रयोग बन्द हो सकेगा।

अपने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की यात्रा का मुझे सुख और सौभाग्य प्राप्त हुआ। उपराष्ट्रपति ने महामहिम नेपाल नरेश महेन्द्र वीर विक्रम शाह के राज्याभिषेक के अवसर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था। आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में नेपाल सरकार तथा वहां की जनता के प्रयत्नों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और हमें खुशी है कि हम उनकी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने में टेक्निकल तथा आर्थिक सहायता दे सके।

भारत में बुद्ध जयन्ती-संबंधी समारोहों के कारण हमें अपने देश में दलाई लामा तथा पंचेन लामा और संसार के विभिन्न भागों के बौद्ध नेताओं के स्वागत का सुअवसर मिला। इस समारोह ने हमें और संसार को भगवान बुद्ध के शांति तथा करुणा के संदेश का फिर से स्मरण कराया। आज विश्व को इस संदेश की अत्यधिक आवश्यकता है।

अपने देश में अनेक सम्मानित आगन्तुकों का स्वागत करने और उनका परम्परागत आतिथ्य करने का भारत सरकार और देश के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे इन सम्मानित अतिथियों में महामहिम ईरान के शहनशाह तथा साम्राज्ञी, महामहिम इथोपिया के सम्राट, सीरिया के राष्ट्रपति, शुक्री-अल-कुवतली, कम्बोडिया के राजकुमार परमश्रेष्ठ नरोदम सिंहनूक, बर्मा*, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, नेपाल और डेनमार्क के प्रधान मंत्री गण, जर्मनी के संघीय गणतंत्र के उपचांसलर, सोवियत संघ के उपप्रधान मंत्री, सूडान के उपप्रधान मंत्री और अमरीका, फ्रांस तथा ब्रिटेन के परराष्ट्र मंत्री शामिल हैं। 1956 में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के अध्यक्ष, डॉ. जोज माजा और संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री भी हमारे सम्मानित अतिथियों में शामिल थे। बर्मा, चीन, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नार्वे, पोलैंड, स्वीडन, सीरिया और यूगांडा से संसदीय, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा सद्‌भावना-संबंधी प्रतिनिधि मण्डल भी हमारे देश में आये।

भारतीय उपराष्ट्रपति ने सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया, बुल्गारिया, पूर्वी अफ्रीका, केन्द्रीय अफ्रीका संघ, इंडोनेशिया तथा जापान की यात्रा की और सभी देशों में उनका हार्दिक स्वागत हुआ।

राष्ट्रपति आइजनहावर के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से तथा अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधान मंत्री में

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

विचार-विनिमय के फलस्वरूप हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच अधिक सद्भावना हुई तथा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिली। मेरी सरकार को विश्वास है कि इसके द्वारा पारस्परिक सम्मान तथा सद्भावना के आधार पर दोनों देशों में अधिकाधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा।

कनाडा के प्रधान मंत्री, श्री लुई सेंट लारा के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने कनाडा की यात्रा की। यह यात्रा कनाडा और हमारे देश के बीच सुखद संबंधों को और दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। हमारे दोनों देशों में सदा निकट के और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।

मेरी सरकार को खेद है कि दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति की समस्या को सुलझाने और अफ्रीकियों तथा भारतीय प्रवासियों के विरुद्ध भेदभाव की नीति को दूर करने के संबंध में कभी प्रगति नहीं की जा सकी। मेरी सरकार के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बार फिर इस समस्या पर विचार किया। बातचीत द्वारा इस समस्या का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से फिर अपील की है। पहले की तरह भारत सरकार ने फिर स्वेच्छा से इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

मेरी सरकार को हार्दिक खेद है कि गोआ अभी भी पुर्तगाली सरकार का औपनिवेशिक चौकी के रूप में बना है और वहां प्रत्येक प्रकार की स्वाधीनता का दमन किया जा रहा है और आर्थिक उन्नति अवरुद्ध है। मेरी सरकार की यह दृढ़ नीति है कि गोआ को औपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्त होना चाहिये और भारत की स्वाधीनता में साझेदार होना चाहिए।

मेरी सरकार को खेद है कि पाकिस्तान से इसके संबंध में बराबर कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और पाकिस्तान में भारत-विरोधी और जेहाद के आन्दोलनों में कुछ भी कमी नहीं आई। भारत सरकार और देश के लोगों का दृष्टिकोण यह है कि हम घृणा का उत्तर घृणा से नहीं देंगे, किन्तु अपने न्यायोचित हितों तथा देश की रक्षा करते हुए दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देने में प्रयत्नशील रहेंगे। पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लोगों की निकासी गत वर्ष बराबर होती रही और इस समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया। कुल मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान से 40 लाख से ऊपर लोग भारत आ चुके हैं और इन लोगों के आ जाने से हमारे देश पर, विशेषकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर, भारी बोझ पड़ा है।

पाकिस्तान सरकार के आवेदन पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में कश्मीर के मामले पर विचार किया गया। भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट और निर्विवाद शब्दों में व्यक्त की गई। अर्थात् अक्तूबर, 1947 से जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ के दूसरे राज्यों की तरह देश का एक वैधानिक भाग रहा है और अब भी है। कश्मीर में जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पास किये

गये प्रस्तावों में निहित समझौतों की अवहेलना करके, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण और भारतीय संघ के भू-भाग पर अवैध रूप से अधिकार कर लेना है। सुरक्षा परिषद् ने गत मास अपने तत्कालीन सभापति को भारत और पाकिस्तान की सरकारों से बातचीत करने के लिए इन देशों में भेजने का निश्चय किया। अपनी साधारण नीति के अनुसार भारत सरकार ने स्वीडन निवासी श्रीयरिंग का, जिनके शीघ्र ही यहां आने की आशा है, स्वागत तथा उनका आतिथ्य-सत्कार करने की सहमति दी है।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, जिसमें पहले सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर होते थे, अब कम आशाजनक दिखाई देती है। फिर भी हमारे देश के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बराबर बने हैं, यद्यपि विश्व की स्थिति में बिगाड़ का पूर्व के देशों के शांतिपूर्ण संबंधों, परस्पर सहयोग तथा आर्थिक विकास पर दूषित प्रभाव पड़ा है। शक्ति के संतुलन पर आधारित सैनिक गुटों की नीति के कारण विशेष रूप से एशिया में तनाव बढ़ा है, शस्त्रास्त्रों में वृद्धि हुई है और शीत-युद्ध के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मेरी सरकार की बराबर यह दृढ़ धारणा है कि शांतिपूर्ण बातचीत और पारस्परिक समझौतों द्वारा ही विश्व की समस्याओं को ठीक और आशाजनक ढंग से सुलझाया जा सकता है।

गत वर्ष राज्यों के पुनर्गठन का कार्य समाप्त कर लिया गया और यह कार्य, जिसके कारण देश के कुछ भागों में दुर्भाग्यवश भावातिरेक के प्रदर्शन हुये, अब सम्पन्न हो चुका है। गत वर्ष ही पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि सफलतापूर्वक समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना को चालू किया गया। इस योजना में खाद्यों के उत्पादन पर पहले की तरह जोर दिया गया है किन्तु इसके साथ ही देश के औद्योगिक विकास विशेषकर बड़े उद्योगों की स्थापना पर अधिक बल दिया गया है। सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का देहाती इलाकों में आश्चर्यजनक तेजी से विस्तार हुआ है। इन सेवाओं के अंतर्गत अब दो लाख बीस हजार गांव और 12 करोड़ 90 लाख जनसंख्या आती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में छोटे और घरेलू उद्योगों की उन्नति पर विशेष जोर दिया गया है।

खनिज पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप तेल की आशाजनक खोज हुई है और राजस्थान तथा बिहार में यूरेनियम धातु का पता लगा है। थोरियम और यूरेनियम की भारी मात्रा में उपलब्धि के कारण इन धातुओं के हमारे ज्ञात साधन दुगने से भी अधिक हो गये हैं। हमारे अणुशक्ति विभाग ने भी प्रगति की है और भारत का पहला अणु रिएक्टर गत वर्ष चालू हो गया। सोवियत संघ से बाहर एशिया में स्थापित होने वाला यह पहला अणु रिएक्टर है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का यह प्रथम वर्ष समाप्त होने वाला है। विगत वर्ष में कुछ कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं। कुछ चीजों के भाव ऊंचे चढ़े और विदेशी विनिमय के हमारे साधन संकुचित हो गये हैं। यह गतिविधि देश के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों

के बढ़ते हुये उत्पादन की परिचायक है। देश में धन लगाने पर जोर और अधिक उपभोक्ता पदार्थों की अधिक मांग त्वरित विकास की प्रक्रिया का आवश्यक अंग है और एक हद तक इस प्रकार का दबाव इस बात का द्योतक है कि विकास के हित में देश के साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। किन्तु हमें सावधान रहना चाहिये कि यह दबाव अधिक न होने पाये। भावों के चढ़ाव को रोकने के लिए और विदेशी विनिमय के साधनों के ह्रास की रोकथाम के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है।

इस दिशा में सरकार के सामने प्रमुख समस्या विदेशी विनिमय के साधनों की सुरक्षा तथा वृद्धि की है। जिस देश में मशीन तैयार करने की काफी क्षमता न हो, उसे औद्योगीकरण के लिए आवश्यक रूप से विदेशी विनिमय अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। विदेशी विनिमय पूंजी में सहसा अधिक वृद्धि संभव नहीं, इसलिए देश के साधनों के विकास के हित में आरम्भ में विदेशी सहायता आवश्यक होती है। फिर भी अधिकाधिक विदेशी विनिमय उपार्जित करना और आयात में मितव्ययिता से काम लेना प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य है। अमरीकी सरकार से हाल में ही जो समझौता हमने किया है और जिसके अनुसार हमें विपुल मात्रा में गेहूं, चावल और रुई उधार मिल सकेगा, उससे हमें चढ़ते हुए भावों को रोकने और अपनी योजना को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हमें आशा है कि विश्व बैंक सरीखी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा मित्र देशों से भी हमें काफी वित्तीय सहायता मिलेगी फिर भी यह निर्विवाद है कि विकास के कामों के लिए आवश्यक साधनों को हमें अपने बल पर ही जुटाना होगा और इसके लिये उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से हमें जनता को संगठित करना होगा।

दूसरी योजना में औद्योगीकरण और आर्थिक व्यवस्था के विविधीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए खाद्य, कपड़ा और उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल संबंधी आधारभूत पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। इस योजना में अधिक धन लगाने पर भी जोर दिया गया है और रोजगार के साधनों का विस्तार इसके प्रमुख उद्देश्यों में एक है। रोजगार के बढ़ाने और धन लगाने से जो आय होगी वह अधिकतर खुराक और कपड़े पर खर्च होगी। इसलिए इन दोनों चीजों के उत्पादन में वृद्धि द्वारा ही योजना को, मुद्राबाहुल्य का संकट उपस्थित किये बिना, आगे बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि विकास के क्षेत्र में हमारे प्रयासों का प्रमुख आधार है। इस काम के लिए जनता के प्रत्येक वर्ग के लोगों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

1957–58 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सम्मुख रखे जायेंगे जिससे कि आप इस पर अपना मत देकर आलोच्य वर्ष के

एक भाग के लिए खर्च करने की अनुमति दे सकें। इसके अतिरिक्त केरल राज्य के संबंध में भी इसी प्रकार के अंक आपका अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आपके सामने रखे जायेंगे।

संसद का यह सत्र स्वल्प होगा और इसमें कोई बड़ा अथवा विवादास्पद विधान हाथ में नहीं लिया जायेगा। कुछ अध्यादेश जो विगत सत्र के बाद जारी किये गये थे, संसद के समक्ष रखे जायेंगे।

पांच वर्ष हुये इस महान देश के मतदाताओं की प्रतिनिधि स्वरूप यह संसद चुनी गई थी और इसने देश के कल्याण तथा प्रगति के लिए और विश्व में सहयोग तथा शांति-स्थापन के लिए यत्न किया है। इस यत्न का सुखद फल हुआ है जिसे हम देश में चारों ओर देखते हैं। जो सफलतायें आपने इस अवधि में प्राप्त की हैं उन पर, संसद के सदस्यगण, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। परन्तु हममें से कोई भी निश्चिंत हो कर बैठ नहीं सकता क्योंकि नवीन और सम्पन्न भारत के निर्माण की कहानी सदा घटित होती रहेगी, जिससे इस देश की जनता को सुख प्राप्त होगा और विश्व-शांति तथा सहयोग के पक्ष को बल मिलेगा।

मैं आशा करता हूं कि भगवान बुद्ध का सन्देश, जिनकी जयन्ती हमने हाल ही में मनाई थी, तथा हमारे राष्ट्रपिता की आत्मा हमें सत्प्रेरणा देती रहेगी।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 13 मई 1957

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	दूसरे आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

देश के लगभग 20 करोड़ निर्वाचकों द्वारा चुने गए आप लोगों ने और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों ने, हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार, एक बार फिर इस गणराज्य के राष्ट्रपति के उच्च पद के लिए मुझे चुना है। मैं इस आदर से पूरी तरह अनभिज्ञ हूं और आपने जो विश्वास मुझमें प्रकट किया है उसके लिए आपका आभारी हूं। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि जिस विश्वास और प्रेम का इतने समय से मैं पात्र रहा हूं, सदा उसके योग्य बना रहूं।

हमारे गणराज्य के इतिहास में यह दूसरी संसद है और इसके सदस्यों के रूप में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कुछ लोग संसद के किसी सदन के सदस्य रहे हैं अथवा राज्यों के विधान मंडलों से बहुमूल्य सांसद अनुभव अपने साथ लेकर आए हैं। आप लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो संसद के लिए पहली बार चुने गए हैं। आप सबको अपने जीवन में तथा संसद के सदस्य के रूप में इस संसद के अन्दर और चुनाव क्षेत्रों में अपने देशवासियों की सेवा के रचनात्मक काम के लिए विभिन्न और व्यापक अवसर मिलेंगे।

हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह दूसरा साल है। योजना के पहले वर्ष में हमारी गति अनिवार्य रूप से कुछ मन्द हुई है, जिसका कारण किसी हद तक राज्यों का पुनर्गठन है। इसके कारण हम पर अधिक दबाव पड़ा है और इस बात की आवश्यकता है कि योजना की शेष अवधि में सरकार और जनता द्वारा और अधिक परिश्रम किया जाए। मेरी सरकार इस बात को भली प्रकार जानती है।

देश की आर्थिक स्थिति, विशेषकर योजना से संबंध रखने वाली बातें जो इस समय हमारे सामने हैं, गंभीर चिन्तन का विषय है और मेरे मंत्रियों का ध्यान उस ओर है, किन्तु इस स्थिति को भयावह कहना गलत होगा। केन्द्रीय और राज्यों के घाटे के बजट, योजना की आवश्यकताएं, विदेशी विनिमय के साधनों का अभाव और कुछ बाहरी मामले इस बात की मांग करते हैं कि हम दृढ़ और योजनाबद्ध प्रयत्न करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम साधनों को सुरक्षित रखें और मितव्ययिता द्वारा कुछ चीजों के आयात पर प्रतिबन्ध, निर्यात व्यापार के विस्तार और उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में वृद्धि द्वारा इन साधनों का विस्तार करें। इस बात की भी जरूरत है कि उत्पादक कार्यों के लिए धन जुटाया जाए, अन्नोत्पादक कामों को हाथ में न लिया जाए और अतिसंग्रह और सट्टे की समाज-विरोधी प्रवृत्तियों का दमन किया जाए। केवल सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि जनता द्वारा भी प्रयत्न करने और सावधान रहने से ही इस काम में ठोस सफलता प्राप्त हो सकती है।

जिन कमियों का मैंने जिक्र किया उन्हें दूर करने का अधिक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम निर्माण-संबंधी काम को स्थगित कर दें पर वह तरीका रचनात्मक या लाभदायक नहीं है, क्योंकि समस्या को सुलझाने का यह सच्चा या स्थायी उपाय नहीं है। हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण-कार्य में सुधार को बनाए रखने के लिए अपने साधनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। मेरी सरकार इस समस्या और इसके लिए आवश्यक प्रयत्न से पूर्ण रूप से अवगत है। उसे इस बात की भी चिन्ता है कि इन तात्कालिक कठिनाइयों के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़ने पावे और जहां जैसी जरूरत हो, कार्यप्रणाली में संशोधन द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटाकर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जाये और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जाये।

ऐसे प्रयत्न की सफलता में जनमत का बहुत बड़ा स्थान है, और यह प्रायः निर्णायक सिद्ध होता है। जनसाधारण का दृढ़ निश्चय और जोश, अनुशासन में रहने के लिए उनकी तत्परता, प्रयत्नों के लिए आह्वान का स्वागत और समाज-विरोधी व्यवहार, जैसे अतिसंचय, फिजूलखर्ची आदि की रोकथाम करने का उनका संकल्प ही देश के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के इस संकट काल को पार करने में सहायक होगा।

संसद के सदस्यगण, इस संबंध में मेरी सरकार जो नीति अपनायेगी तथा प्रयास करेगी, जिनके द्वारा कठिनाइयां दूर कर हमें सफलता प्राप्त करनी है, उस नीति के समर्थन के लिए विशेष तथा सतत प्रयत्न की देश आप से बहुत आशा करता है।

यद्यपि अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है और दैवी विपत्तियों के कारण जो हानि हुई है, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, उसे छोड़कर वृद्धि बराबर बनी रही है, हमें खाद्य के संबंध में देश को आत्म-भरित बनाने के लिए अभी

बहुत कुछ करना है। अनाज की चढ़ी हुई कीमतों के गिरने के कुछ लक्षण दिखाई दिये हैं और मेरी सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए बहुत से उपाय किये हैं। भरपूर प्रयत्नों के फलस्वरूप अनाज का उत्पादन बढ़ा है और फसल में सुधार हुआ है। कुछ मोटे अनाजों को छोड़कर, जिन पर जलवायु का बुरा प्रभाव पड़ा है, अनुमान है कि दूसरे अनाजों का उत्पादन यही नहीं कि कम नहीं हुआ बल्कि पहले से बहुत बढ़ा भी है।

अभी भी जो अभाव है उसे दूर करने और कीमतों में तेजी रोकने के लिए सुरक्षित अन्न भण्डार तैयार करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने विदेशों से अनाज आयात करने की व्यवस्था की है। अनाज भण्डार बनाने का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। अनाज की कीमतों में तेजी रोकने के लिए, जो स्थिति अभाव की आशंका और घबराहट तथा अतिसंचय करने की प्रवृत्ति से पैदा होती है, जनता का रुख निर्णायक होता है और उसका बहुत महत्व है। सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके परिणामस्वरूप और उत्पादन में वृद्धि के कारण खाद्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि जनता किसी भी प्रकार के अविश्वास की भावना को स्थान दे। अनाज की उपलब्धि और आवश्यकता के बारे में मेरी सरकार का यह विचार है कि वह समय-समय पर संसद को खाद्य-स्थिति से अवगत करायेगी। आशा है कि अनाज के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त होने से निराधार आशंका, कृत्रिम अभाव और कीमतों की तेजी–इन तीनों की रोकथाम हो सकेगी।

मेरी सरकार को यह बताने में खुशी होती है कि सामुदायिक योजना संबंधी कार्यक्रम में उन्होंने अनाज के उत्पादन पर जोर देने का निश्चय किया था, उसके फलस्वरूप बहुत लाभ हुआ है। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा संबंधी कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। खेती, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्रों में हमारे जो लक्ष्य थे, सफलता उनसे भी अधिक रही है। राष्ट्रीय निदर्शन अधीक्षण (नेशनल सैम्पल सर्वे) के अनुसार, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतिम काल में, सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा मंडलों के क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन सारे देश के मुकाबले में प्रायः 25 प्रतिशत अधिक हुआ। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा के अंतर्गत इस समय 2,22,000 ग्राम हैं।

सरकारी व्यवसायों की उल्लेखनीय उन्नति रही है और प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा। व्यवसाय के निजी क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। एक परिनियत संस्था के रूप में, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की नियुक्ति से, ग्रामीण-उद्योगों तथा खादी को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। नई बड़ी योजनाओं में, जिस योजना का हाल ही में उद्घाटन होने जा रहा है वह नेवेली लिग्नाइट योजना है, जिस पर कार्य इसी महीने से आरम्भ हो रहा है। मेरी सरकार भारी मशीनों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना को महत्वपूर्ण मानती है और इस दिशा में कार्यवाही कर रही है।

विदेशी विनिमय के साधनों पर दबाव कम करने के लिए, बड़ी योजनाओं के संबंध में मेरी सरकार ने बाद में दाम चुकाने की व्यवस्था की है। कुछ योजनाओं के संबंध में दीर्घकालीन उधार की व्यवस्था की जा रही है।

राज्यों के पुनर्गठन के बाद संघीय प्रदेशों के लिए परामर्शदात्री समितियां नियुक्त की गई हैं और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तथा त्रिपुरा के लिए प्रदेशीय परिषदों की स्थापना की गई है। दिल्ली के लिए शीघ्र ही एक निगम स्थापित होगा। लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमनदीव द्वीपों को मिलाकर एक नवीन संघीय प्रदेश बनाया गया है और अन्डमान द्वीपों के लिए पंचवर्षीय योजना में 5,92,50,000 रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है, जिससे और कामों के अतिरिक्त इस द्वीपसमूह और भारत के बीच यातायात की उचित व्यवस्था भी की जायेगी।

जहाज-घाटों और आधुनिक ढंग के जहाजों के निर्माण के काम में भी विशाखापट्टनम में बहुत प्रगति हुई है और एक दूसरे जहाज-घाट के निर्माण की योजना इस समय हाथ में है।

मेरी सरकार ने हाल ही में घरों की कमी दूर करने और निवास-संबंधी स्तर को ऊंचा करने, गन्दी बस्तियों में सुधार करने, बगीचों में घरों की व्यवस्था करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। दिल्ली और भारत के दूसरे बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों में सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता है और इस समस्या पर केन्द्रीय सरकार, राज्यों की सरकारें और संबंधित निगम पूरा ध्यान दे रहे हैं।

संसद के पिछले सत्र के बाद दो अध्यादेश जारी किये गये हैं। तत्संबंधी विधेयक संसद के सामने रखे जायेंगे। वे इस प्रकार हैं:—

(1) जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1957

(2) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1957

चालू सत्र में मेरी सरकार संसद के समक्ष कई और विधेयक प्रस्तुत करेगी।

1957-58 का आय-व्यय संबंधी अन्तरिम विवरण संसद के पिछले सत्र में पेश किया गया था और मतदान द्वारा वर्ष के एक भाग के लिए खर्च की मंजूरी ली गई थी। आय-व्यय का यह विवरण आवश्यक संशोधनों के साथ संसद के सत्र में फिर पेश किया जाएगा, और वर्षभर के खर्च के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

विदेशों से हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण चले आ रहे हैं। संसद के समक्ष पिछली बार मैंने जब भाषण दिया था उसके बाद हमें पोलैंड के प्रधान मंत्री, श्री जाजेफ सिरेंकीविज; संघीय जर्मन गणतन्त्र के विदेश मंत्री, डॉ. हेनरीश व्रान व्रेन्टानो; और चिली के विदेश

मंत्री, श्री आस्काल्डो सेन्ट मेरी का भारतीय गणराज्य के अभ्यागतों के रूप में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

जून के अंत में लन्दन में होने वाले राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में मेरे प्रधान मंत्री भाग लेंगे। इस विदेश प्रवास के समय वे सीरिया, डेनमार्क, फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, मिस्र और सूडान की भी यात्रा करेंगे।

मध्यपूर्व में स्थिति संतोषजनक नहीं है और वहां तनाव बराबर बना है, फिर भी यह हर्ष का विषय है कि स्वेज नहर जहाजरानी के लिए फिर से खुल गई है। नहर खोलने से पहले मिस्र की सरकार ने एक घोषणा की थी जो 1956 की संप्रतिज्ञा को पुष्ट करती है और अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र के सिद्धांतों का मिस्र द्वारा अनुसरण करने का दृढ़ निश्चय प्रकट करती है। मेरी सरकार उस घोषणा का स्वागत करती है। उस घोषणा में यह व्यवस्था की गई है कि संप्रतिज्ञा की व्याख्या अथवा उसके लागू किये जाने के संबंध में और कुछ जरूरी मामलों के बारे में जो विवाद पैदा हों, उन्हें निर्णय के लिये विश्व न्यायालय के सामने पेश किया जाए और इस न्यायालय के फैसले को बाध्य समझा जाए। मेरी सरकार की राय में उस घोषणा की प्रमुख धारायें युक्तिसंगत हैं और यदि सभी संबंधित पक्ष पारस्परिक सद्भावना तथा सहयोग की भावना से उन पर अमल करें, वे संसार के राष्ट्रों के उचित हितों की रक्षा करने के लिए काफी हैं। इस घोषणा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यद्यपि यह मिस्र की सरकार द्वारा की गई है, उसने यह घोषित किया है कि इस घोषणा का दर्जा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का होगा और यह घोषणा और इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के दर्जे ने उस क्षेत्र में तनाव की भावना को कम करने के मार्ग को प्रशस्त किया है और उसके द्वारा उन सभी समस्याओं को सुलझाने का जो स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद पैदा हुई थी, रास्ता निकल सकेगा।

सुरक्षा परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष, डॉ. गुनार यारिंग ने, 21 फरवरी को कश्मीर संबंधी विवाद के अंत में सुरक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार, पाकिस्तान और भारत की यात्रा की। डॉ. यारिंग दो बार भारत आये और उन्होंने मेरे प्रधान मंत्री से बातचीत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुरक्षा परिषद् को दे दी है।

निःशस्त्रीकरण कमीशन की उप-समिति की बैठक कुछ समय से लन्दन में हो रही है, किन्तु, निःशस्त्रीकरण के किसी भी पहलू पर अभी कोई समझौता हुआ नहीं जान पड़ता है। आणविक तथा परमाणविक शस्त्रों के विस्फोट रोकने के संबंध में भी कोई समझौता नहीं हुआ है। निःशस्त्रीकरण के संबंध में मेरी सरकार के प्रस्ताव एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के द्वारा अन्य प्रस्तावों के साथ निःशस्त्रीकरण कमीशन के पास भेज दिये गये।

इस बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ और अब ब्रिटेन भी सार्वजनिक विध्वंस के इन शस्त्रों के विस्फोट-संबंधी प्रयोग करते रहे हैं। इन विस्फोटों का विषैला प्रभाव संसार के विभिन्न भागों में अधिकाधिक देखा जाने लगा है और विश्व जनमत इन विस्फोटों द्वारा होने वाली हिंसा से चिन्तित हो उठा है। इन विस्फोटों के बन्द करने की मांग व्यापक है और आणविक शक्तियों को इससे बराबर अवगत किया जा रहा है, किन्तु अभी तक इसका कुछ परिणाम नहीं निकला।

मेरी सरकार का मत है कि विभिन्न देशों द्वारा इन विस्फोटों को सीमाबद्ध और पूर्वसूचित करने के संबंध में जो सुझाव किये गये हैं, उनको यह आशा नहीं होती कि विस्फोटों के हानिकर प्रभावों से वे संसार को सुरक्षित रख सकेंगे। इसके विपरीत, इन प्रयोगों के किसी भी प्रकार के नियमन का एकमात्र परिणाम यह होगा कि लोग आणविक तथा परमाणविक युद्ध को न्यायोचित और विश्व जनमत द्वारा समर्थित समझने लगेंगे। युद्ध के अधिक से अधिक घातक शस्त्रों के प्रयोग की खबरें बराबर आ रही हैं। संतोष की बात केवल यही है कि संसार का जनमत इन प्रयोगों का आज पूर्वापेक्षित अधिक विरोधी है। अप्रैल, 1954, में मेरे प्रधान मंत्री ने, लोक सभा के सामने एक वक्तव्य में इन विस्फोटों के रोक के संबंध में "यथास्थिति" समझौते के रूप में कुछ प्रस्ताव रखे थे। तबसे इन प्रस्तावों को विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है और काफी जनमत इनके पक्ष में है। विश्व के दूसरे राष्ट्रों के साथ, मेरी सरकार इन प्रयोगों की रोकथाम और आणविक तथा परमाणविक शस्त्रों के बहिष्कार के लिये दूसरे राष्ट्रों और विश्व-परिषदों के समक्ष बराबर अपना प्रभाव डालती रहेगी।

आज हम उस महान् विद्रोह के पूरे एक सौ वर्ष बाद मिल रहे हैं जो मेरठ में आरम्भ हुआ था और बाद में भारत के अधिकांश भागों में फैल गया था। इस देश में विदेशी शासन को वह पहली प्रमुख चुनौती थी और इसके कारण कुछ विभूतियां प्रकाश में आयीं जो हमारे देश के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इस विद्रोह का नृशंसता के साथ दमन किया गया, किन्तु स्वाधीनता की भावना और विदेशी शासन से मुक्त होने की इच्छा दबाई नहीं जा सकी और बाद में अनेक अवसरों पर वह उभरती रही। अंत में, उसने एक महान् राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप लिया, जो अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर चला और जिसके फलस्वरूप हम स्वाधीनता प्राप्त करने और भारतीय गणराज्य की स्थापना करने में सफल हुये। उन सबके प्रति, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जीवन की आहुति दी अथवा नाना प्रकार के कष्ट सहे, हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

भारत को स्वाधीन हुए आज करीब 10 वर्ष हो चुके हैं और इस अवधि में संसद देश की जनता की उन्नति तथा कल्याण और विश्व में सहयोग तथा शांति स्थापना के लिये प्रयत्नशील रही है। इन प्रयत्नों का फल काफी ठोस रहा है जो हमें इस देश में चारों ओर दिखाई देता है। इन वर्षों में जो चहुंमुखी उन्नति हमने की है उससे लोगों में आशा और आत्म-विश्वास की भावना पैदा हुई है। भावी निर्माण और विकास की यह सुदृढ़ नींव है।

देश के बाहर मेरी सरकार का यह जोरदार प्रयत्न रहा है कि संसार में तनाव की भावना को कम किया जाए और विश्व-शांति के पक्ष को दृढ़ बनाया जाए। इस विचारधारा के परिणामस्वरूप, अपनी नीति को स्वाधीन रखने के लिए और कोरिया, इन्डो-चाइना और अब मध्यपूर्व में भी शांति की स्थापना में योगदान देने के लिए, हमारे देश ने भारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हैं।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारे सामने जो काम हैं वे बहुत अधिक ही नहीं, कभी-कभी बहुत भारी भी दिखाई देते हैं। किन्तु, यदि स्वाधीनता को देश में लोगों के लिये वरदान बनाना है और यदि सतत् तनाव और भावी विभीषिका से संसार को मुक्त कराने में हमें सहायक होना है, तो ये सब काम हमें करने होंगे, कठिनाइयों पर विजय पानी होगी और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं, उन्हें प्राप्त करना होगा।

इन सभी दिशाओं में मेरी सरकार बराबर यथाशक्ति प्रयत्न करती रहेगी। यह धारणा कि उसे देश की जनता का समर्थन प्राप्त है और यह अडिग विश्वास कि युद्ध के उमड़ते हुए बादलों और निराशा के बावजूद भी मानव जाति में प्रगति करने और जीवित रहने की नैसर्गिक आकांक्षा है, मेरी सरकार का बल है। हमारी क्षमता और साधन सीमित हैं और संसार में हमारी आवाज संभवतः बहुत ऊंची नहीं है, किन्तु, राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से, हमारे इतिहास और परम्पराओं तथा विश्वासों को देखते हुए हम किसी और रास्ते को नहीं अपना सकते। यह सौभाग्य का विषय है कि संसार भर के सभी लोगों का यह सामान्य ध्येय और उत्कृष्ट इच्छा है।

संसद के सदस्यगण, मैं आपके प्रयत्नों में आप सबकी सफलता की कामना करता हूं।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 10 फरवरी 1958

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

संसद के नये सत्र का भार संभालने के समय आपका पुनः स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं इस योजना के द्वितीय वर्ष के आरम्भ से ही हमारी आर्थिक व्यवस्था पर काफी दबाव रहा है। अपने मई के अभिभाषण में मैंने आपसे कहा था:—

> "जिन कमियों का मैंने जिक्र किया है उन्हें दूर करने का अधिक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम निर्माण-संबंधी काम को स्थगित कर दें, पर वह तरीका रचनात्मक या लाभदायक नहीं है, क्योंकि समस्या को सुलझाने का यह सच्चा या स्थायी उपाय नहीं है। हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण कार्य में सुधार को बनाये रखने के लिए अपने साधनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। मेरी सरकार इस समस्या से और इसके लिए आवश्यक प्रयत्न से पूर्ण रूप से अवगत है। उसे इस बात की भी चिन्ता है कि इन तात्कालिक कठिनाइयों के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़ने पावे और जहां जैसी जरूरत हो कार्यप्रणाली में संशोधन द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटाकर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जाये और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जाये।"

आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मेरी सरकार ने ऐसे कड़े उपाय अपनाये हैं जो योजनाबद्ध रचनात्मक कार्यक्रम की कठिनाइयों को दूर कर सकें, जो मुद्रास्फीति संबंधी

प्रवृत्तियों का नियंत्रण कर सकें, जो विदेशी मुद्रा विनिमय की स्थिति से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें और जो योजना के अंतर्गत सभी कामों को पूरा करने में सहायक हो सकें। इस दिशा में मेरी सरकार ने अभी तक जो कदम उठाये हैं उनका फल अच्छा हुआ है और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले महीनों में हमारी स्थिति में सुधार भी हुआ है। आयात कम करने के लिए और विदेशी मुद्रा का उपार्जन करने के लिए सरकार ने जो कार्यवाही की है उसके कारण विदेशी परिसम्पत्तियों के ह्रास की गति कम हो गयी है। ऋण द्वारा और कुछ योजनाओं के संबंध में विशेष व्यवस्था द्वारा, आवश्यक पूंजीगत सामान के लिये स्थगित अदायगी की व्यवस्था से और अत्यंत आवश्यक कामों को छोड़कर सभी मदों के लिए विदेशी मुद्रा के प्रयोग पर रोक लगाकर, सरकार ने स्थिति में सुधार करने का यत्न किया है और बहुत हद तक वह इसमें सफल भी हुई है। इस संबंध में मैं उन देशों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनसे हमें इस संबंध में सहायता मिली है। मैं यहां सोवियत संघ, केनेडा, जर्मनी, जापान और विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जिक्र करना चाहूंगा।

उत्पादन में वृद्धि और घरेलू बचत हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। अधिक उत्पादन से विदेशी विनिमय की हमारी आवश्यकतायें कम रहेंगी और विनिमय के उपार्जन में सहायता मिलेगी। बचत द्वारा मुद्रास्फीति की रोकथाम होगी और हमारे आन्तरिक साधनों को बल मिलेगा। इन दोनों कामों के लिए यह आवश्यक है कि जनसाधारण इन समस्याओं को समझें और कुर्बानी के लिए तैयार रहें, सतर्क रहें, मितव्ययिता को अपनावें और जनमत द्वारा समर्थन करें।

विदेशी-मुद्रा-संबंधी और वित्तीय मामलों के बारे में मेरी सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे हमारी अर्थव्यवस्था के स्थायी रहने में मदद मिली है। 1956 में और 1957 के आरम्भ में चीजों के दाम ऊंचे चढ़ते जा रहे थे, किन्तु इस कार्यवाही के फलस्वरूप कीमतों का बढ़ना रुक ही नहीं गया बल्कि गत वर्ष के अंतिम महीनों में उनसे कुछ कमी भी हुई, जो अभी जारी है। हमारे देनदारी के खाते के घाटे में भी काफी कमी हुई है। पिछले साल की अपेक्षा साख-संबंधी स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार हुआ है। हमारे बैंक-संबंधी साधनों में वृद्धि हुई है और बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋण भी अन्दाज के अन्दर रहे हैं। सट्टे की प्रवृत्ति को दबाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखेगा।

देश के भीतर मूल्यस्तर और विदेशों में अदायगी की हमारी क्षमता से खाद्य अनाजों की उपलब्धि और उनकी कीमत का गहरा संबंध है। सूखे के कारण देश के कुछ भागों में फसलों की बरबादी हमारे लिए घोर चिन्ता का विषय है। सरकार के पास अनाज का भंडार है और आयात द्वारा इस संचय को उचित स्तर पर स्थिर रखा जायेगा। इसके साथ ही अन्न के परिवहन पर सीमित किन्तु अनिवार्य नियन्त्रण भी किया गया है। अनाज के व्यापार के लिए बैंकों द्वारा उधार दिये जाने का भी मेरी सरकार ने नियमन किया है ताकि अनुचित संग्रह न किया जा सके। सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानों

द्वारा बड़े पैमाने पर जनता में अन्न के वितरण की व्यवस्था भी की है। इन उपायों से महंगाई की प्रवृत्ति की काफी रोकथाम हुई है।

फसलों के खराब हो जाने के बावजूद, 1956–57 में उत्पादन अधिकतम हुआ है जो 1953–54 में हुआ था। कुल खाद्य उत्पादन 6 करोड़ 87 लाख टन हुआ जो 1955–56 की अपेक्षा 5 प्रतिशत अधिक था। कृषि उत्पादन की अखिल भारतीय गणना के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीब 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापारी फसलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो कपास के उत्पादन में 18 प्रतिशत तथा गन्ने और तिलहन के उत्पादन में क्रमशः 13 और 6 प्रतिशत रही है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपूर्व प्रयास किया जा रहा है। अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है।

औद्योगिक उत्पादन में भी काफी सुधार हुआ है। विदेशी विनिमय की कमी के कारण आयात में काट–छांट का एक सुपरिणाम यह हुआ है कि इससे देश के साधनों तथा क्षमता को अधिक उपयोग और विकास का अवसर मिला। सरकारी और गैर–सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस दिशा में प्रगति अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसी प्रकार हम अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उन्नत कर सकते हैं, और इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति भी है। यद्यपि इस नीति की सफलता का आधार आवश्यकता है, फिर भी इसके कारण विदेशी साधनों पर हमारे उद्योग की निर्भरता कम हो सकेगी।

1957 में कोयले का उत्पादन 4 करोड़ 30 लाख टन हुआ, जो उत्पादन की नयी सीमा थी, जबकि 1956 में यह उत्पादन 3 करोड़ 90 लाख टन था। बहुत से नये क्षेत्रों में कोयले की खोज के लिए खुदाई और पूर्वेक्षण किये गये हैं और आशा की जाती है कि कुछ ही महीनों में बहुत–सी नयी खानों में काम चालू किया जा सकेगा।

अभी हाल में आसाम ऑयल कम्पनी के साथ समझौता किया गया है कि जिसके अनुसार रुपया कम्पनी विस्थापित की जायेगी और इसमें $33^1/_3$ प्रतिशत हिस्सा सरकार का होगा। इस कम्पनी का काम नाहरकटिया के कूपों से तेल का उत्पादन और वहां से तेल का परिवहन होगा। तेल की सफाई के लिए आसाम और बिहार में दो कारखाने स्थापित होंगे। तेल के लिए देश के दूसरे भागों में भी पूर्वेक्षण और ढूंढ़–खोज की जा रही है।

भारतीय जहाजों के अविलम्ब निर्माण और विकास के लिए एक जहाज निर्माण कोष की स्थापना की गई है। इस कोष का आधार भारतीय मुद्रा होगा जिससे कि इस काम के लिए आर्थिक साधन निश्चित रूप से उपलब्ध हों। यह कोष स्थायी होगा और इसकी प्रतिवर्ष मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।

बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं के संबंध में संतोषजनक प्रगति हो रही है। दामोदर घाटी में माइथोन बांध का उद्घाटन गत सितम्बर में हो गया था। भाखड़ा योजना के

संबंध में कार्यक्रम के अनुसार ही नहीं बल्कि उससे बढ़ कर प्रगति हो रही है। नागार्जुन सागर में निर्माण का काम गत जुलाई मास में आरम्भ किया गया। दूसरी बहुमुखी योजनाओं पर भी संतोषजनक रूप से कार्य जारी है।

भारी उद्योगों की दिशा में काफी प्रगति हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में एक भारी मशीन बनाने का कारखाना और कई एक अन्य योजनायें सोवियत संघ की सरकार द्वारा दी गई विशेष ऋण की सहायता से चालू की जायेंगी। लोहा ढालने का एक बड़ा कारखाना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया जायेगा। नंगल में वैज्ञानिक खाद का एक बड़ा कारखाना इंग्लैंड, फ्रांस और इटली की आर्थिक सहायता से बन रहा है। नेवेली में भी खाद का एक कारखाना बनाने की योजना है। बिजली का सामान तैयार करने के लिये एक बड़ा कारखाना ब्रिटिश सहायता से भोपाल में बनाया जायेगा। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात के बड़े कारखानों के निर्माण की दिशा में काफी प्रगति की जा चुकी है।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका उद्‌घाटन 1953 में किया गया था, अब काफी आगे बढ़ चुका है और इसके कारण मलेरिया की बहुत कुछ रोकथाम हुई है। अब हमारा ध्येय इस बीमारी का पूर्ण उन्मूलन है। फाइलेरिया नियंत्रण के कार्य में भी अच्छी प्रगति हुई है। गंदी और पुरानी बस्तियों के सुधार का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बराबर उन्नति कर रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालायें औद्योगिक और राष्ट्रीय विकास संबंधी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। टेक्निकल जनशक्ति के साधनों के विस्तार के लिए विशेष प्रयत्न किया जा रहा है।

पिछले वर्ष में आणविक शक्ति विभाग का काफी विस्तार किया गया। दो नए रियेक्टर और कई नये यंत्र इस समय बनाये जा रहे हैं। मौजूदा वर्ष के समाप्त होने तक आणविक शक्ति के लिए और रियेक्टरों के लिए ईंधन के रूप में उपयुक्त यूरेनियम धातु का उत्पादन शुरू हो जायेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में एक या अधिक आणविक शक्ति केन्द्र स्थापित करने का मेरी सरकार का विचार है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका करीब ढाई साल पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था, पर्याप्त उन्नति की है। राज्यों की सरकारों के प्रबंध में मध्यम बैंक, जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के रूप में चलाया जायेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिक निकट लाये जा सकें, इसके लिए कई सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

योजना आयोग, केंद्र और राज्यों के लिए योजनायें बनाने में और उपलब्ध साधनों की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवश्यक संशोधन करने में व्यस्त हैं। इसके साथ ही आयोग को इस बात का ध्यान रखना है कि देश के विकास संबंधी कार्यक्रम

को किसी प्रकार का धक्का न लगे। इस संबंध में योजना के मूल तत्वों के बारे में आयोग के प्रयत्नों के परिणाम मेरी सरकार इस सत्र में आपके सामने रखेगी।

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सामुदायिक विकास केन्द्रों की संख्या इस समय 2,152 है जिनमें 2,76,000 ग्राम आते हैं। इन ग्रामों की जनसंख्या 15 करोड़ है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निश्चय किया है कि प्रत्येक केन्द्र को ही आयोजन और विकास की इकाई और सब विकास विभागों की सामान्य एजेंसी माना जाए। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि विभागीय विकास बजटों को केन्द्र के बजट से समन्वित किया जाए। विकास केन्द्र अधिकारी को इस बजट के संचालन का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने प्रशासन के क्षेत्र में अधिक विकेन्द्रीकरण का फैसला भी किया है और यह निश्चय किया है कि ग्रामों में और जिलों में सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक अधिकार दिये जायें। विकेन्द्रीकरण की योजना स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्यों की सरकारें ही स्वयं तैयार करेंगी। सुधरी हुई खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषक नेताओं की ट्रेनिंग की एक योजना चालू की गई है।

राजभाषा आयोग की सिफारिशें इस समय विचाराधीन हैं। संसद् के 30 सदस्यों की एक समिति उनका अध्ययन कर रही है। संसद के सदस्यगण, इस संबंध में कोई भी आदेश जारी किये जाने से पहले आपको आयोग के प्रतिवेदन पर और संसद की समिति के विचारों पर अपना मत प्रकट करने का अवसर अविलम्ब दिया जायेगा।

दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम, 1957 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ में निगम स्थापित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

कपड़ा और चीनी उद्योगों के लिए त्रिदलीय वेतन बोर्ड स्थापित किये गये हैं। दूसरे बड़े उद्योगों के लिए भी यथासमय ऐसे बोर्ड स्थापित करने का मेरी सरकार का विचार है। फिलहाल कुछ चुने हुए उद्योग-धन्धों में ऐसी योजनाएं चालू की गई हैं जिनसे उद्योगों के संचालन में मजदूर अधिकाधिक भाग ले सकें। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया जा रहा है और 1952 के कर्मचारी प्रोविडेन्ट फन्ड अधिनियम को अब 19 उद्योगों पर लागू कर दिया गया है और इस अधिनियम के अंतर्गत अब 6,215 कारखाने आ गये हैं। चन्दे की कुल रकम प्राय: 100 करोड़ जमा हो चुकी है।

नागा पहाड़ी इलाके की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। अगस्त, 1957 में कोहिमा में आयोजित नागा लोगों के सम्मेलन के नेताओं ने जो मांगें पेश की थीं उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसके फलस्वरूप नागा पहाड़ी क्षेत्र और त्यूनसांग फ्रन्टिया डिवीजन को मिलाकर गत नवम्बर में संसद के अधिनियम के द्वारा एक नई इकाई बना दी गई है।

1957 में संसद ने 68 विधेयकों को पारित किया और इस समय 8 विधेयक आपके विचाराधीन हैं। चालू सत्र में वाणिज्य जहाजी बेड़ा (मर्चेंट शिपिंग) व्यापार चिह्न

(ट्रेडमार्क) और वाणिज्य चिह्नों (मर्चेंडाइज्ड मार्क) के संबंध में विधान प्रस्तुत करने का मेरी सरकार का विचार है। विभिन्न मामलों से संबंधित संशोधन विधान भी आपके समक्ष रखे जायेंगे।

आगामी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़ों का विवरण आपके समक्ष रखा जायेगा।

विदेशों से हमारे संबंध बराबर मैत्रीपूर्ण बने रहें। पिछली बार जब मैंने संसद के समक्ष अभिभाषण दिया था उस समय से अब तक गणराज्य के सम्मानित अतिथियों के रूप में इण्डोनेशिया, वियतनाम गणराज्य और वियतनाम प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपतियों का, युगोस्लाव संघ प्रशासनिक परिषद् के उपराष्ट्रपति का, बर्मा*, श्रीलंका, चेकोस्लोवाकिया, जापान और इंग्लैंड के प्रधान मंत्रियों का, फ्रांस और मोरक्को के विदेश मंत्रियों का, घाना के वित्त मंत्री का, घाना और मॉरीशस के शिक्षा मंत्रियों का और कई देशों से आने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करने का हमें श्रेय मिला।

गत जून के अंत में मेरे प्रधानमंत्री ने लन्दन में होने वाले राष्ट्र-मंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने सीरिया, डेनमार्क, फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, मिस्र, सूडान, जापान, बर्मा* और श्रीलंका की भी यात्रा की। उपराष्ट्रपति ने भी चीन, मंगोलिया, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस और श्रीलंका की सद्भावना यात्रा की।

यद्यपि कोई तात्कालिक संकट विद्यमान नहीं है, फिर भी संसार की स्थिति संकटपूर्ण है। यह आशंका बराबर बनी है कि यदि गतिरोध और तनाव की भावना को रोका नहीं गया और विशेषकर बड़े राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नींव नहीं रखी गई, तो किसी भी समय स्थिति बिगड़कर विश्वव्यापी संघर्ष का रूप ले सकती है।

सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा उपग्रहों का सफल प्रयोग मानव का, देश और काल की विजय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह विज्ञान की महान उन्नति का प्रतीक है किन्तु विश्व की तनावपूर्ण स्थिति को और अन्तर-महाद्वीपीय प्रक्षेपण अस्त्रों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक आविष्कार विश्वशांति के लिए एक नया संकट पैदा कर सकते हैं।

निःशस्त्रीकरण की दिशा में राष्ट्रों के प्रयत्नों में गतिरोध पैदा हो गया है। इस समस्या के सफलतापूर्ण हल के लिए यह आवश्यक है कि अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा सम्मिलित प्रयत्न किया जाये और जो भी निर्णय किये जायें उनसे ये दोनों राष्ट्र सहमत हों। संयुक्त राष्ट्र की पिछली साधारण सभा में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई थी, किन्तु गतिरोध बराबर बना है। फिर भी साधारण सभा ने सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर गतिरोध के बाद पास किया गया, इसलिए यह आशा होती है कि इस मामले पर नवीन दृष्टिकोण से फिर विचार किया जायेगा।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

मेरी सरकार का यह मत है कि बड़े राष्ट्रों की ऊंचे स्तर पर बातचीत, जिसमें वे ऐसे राष्ट्रों को भी साथ ले सकें, जिनके बारे में वह सहमत हों, तनाव को दूर करने में, संयुक्त राष्ट्र के 14 दिसम्बर, 1957 के प्रस्ताव के अनुसार शांतिपूर्ण सहिष्णुता का वातावरण पैदा करने में और निःशस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगी।

संयुक्त राष्ट्र में मेरी सरकार बराबर तनाव दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करती रही है। मेरी सरकार का यह मत है कि सह-अस्तित्व और एक दूसरे के प्रति आदर की भावना द्वारा ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

भारत को निःशस्त्रीकरण आयोग का सदस्य निर्वाचित किया गया है। यह आयोग सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकता है जब समस्त संबंधित देश इसमें भाग लेने को तैयार हों। मेरी सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगी।

संयुक्त राष्ट्र में और उसके बाहर भी मेरी सरकार आणविक विस्फोट पर रोक लगाने के लिए बराबर जोर देती आ रही है। इन विस्फोटों के संकट से विज्ञानवेत्ता और संसार के जनसाधारण अधिकाधिक चिंतित होते जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ के सर्वोच्च अधिकारियों से निःशस्त्रीकरण की ओर प्रथम पग के रूप में इन विस्फोटों को स्थगित करने की अपील की है। इस दिशा में मेरी सरकार अपनी कोशिश जारी रखेगी।

इंडो-चाइना में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण आयोग, जिनका भारत अध्यक्ष है, कठिनाइयों के बावजूद सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और वहां शांति स्थिर रखी जा सकी है। लाओस में लाओस की सरकार और पाथेट लाओ के नेताओं के बीच समझौता एक शुभ घटना है और अब उस देश में राजनैतिक समझौते का मार्ग प्रशस्त समझना चाहिये।

मेरी सरकार ने यह खबर आश्चर्य और दुःख के साथ सुनी कि बगदाद संधि के हाल में होने वाले अधिवेशन में कुछ देशों ने आणविक शस्त्रों से सज्जित होने की मांग की। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि कोई भी बड़ा राष्ट्र इस प्रकार के दृष्टिकोण और ऐसी इच्छाओं को प्रोत्साहन नहीं देगा।

अपने बारे में मेरी सरकार इस बात को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देना चाहती है कि यद्यपि हमें आज वैज्ञानिक ज्ञान और साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा यदि हम अपनी नासमझी में चाहें तो आणविक शस्त्र तैयार कर सकते हैं, तो भी हमारी कदापि यह इच्छा नहीं कि हम ऐसे शस्त्रों को प्राप्त करें अथवा तैयार करें अथवा उनका कभी प्रयोग करें या किसी अन्य देश द्वारा उनके प्रयोग को क्षमणीय समझें। इस क्षेत्र में हमारे प्रयत्न शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अणुशक्ति के उत्पादन तक ही सीमित रहेंगे।

संसद के सदस्यगण, मैं आपके प्रयत्नों में आप सबकी सफलता की कामना करता हूं और मेरा विश्वास है कि आपके प्रयत्न हमारे लोगों को अधिक सम्पन्न और सन्तुष्ट बनाने में और विश्व में शांति तथा सहयोग का संचार करने में सहायक होंगे।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 9 फरवरी 1959

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

संसद के नये सत्र का भार संभालने के समय आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष समाप्त होने जा रहा है। अपने गत फरवरी के अभिभाषण में मैंने आपका ध्यान हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले दबावों की ओर आकर्षित किया था। मैंने यह कहा था कि मेरी सरकार की यह उत्कट इच्छा है कि इन कठिनाइयों के कारण हमारे विकास के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिये और पुनर्विचार, कार्य-प्रणाली में संशोधन और योजनानुसार साधनों को जुटा कर इन कठिनाइयों पर काबू पाना चाहिये।

गत वर्ष मई में और फिर नवम्बर, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दूसरी योजना से संबंधित साधनों के प्रश्न पर, उत्पादन की समस्या पर और क्रमिक विकास पर विचार किया, और उसने यह फैसला किया कि योजना का कुल खर्चा 4500 करोड़ रुपये होना चाहिये और इसे बचत और साधनों में वृद्धि द्वारा प्राप्त करना चाहिये।

मेरी सरकार की आर्थिक नीति का यह लक्ष्य है। विदेशी मुद्रा के व्यय और भावी उपयोग को कम करने, कीमतों के बढ़ाव को रोकने, और विदेशों में होने वाली आय को बढ़ाने के लिए उपाय अपनाये गये हैं। बहुत सी चीजों पर से निर्यात कर हटा लिया गया है या कम कर दिया गया है और निर्यात के कोटे को बढ़ा दिया गया है। विदेशी

व्यापार संबंधी नियमावली पर पुनर्विचार के परिणामस्वरूप अगस्त, 1958 में 200 वस्तुओं पर से निर्यात कन्ट्रोल हटा लिया गया और जिन चीजों पर निर्यात का प्रतिबंध था, उनकी सूची में काट-छांट की गई।

अस्थायी कठिनाई पर पार पाने की दृष्टि से मेरी सरकार को विदेशों से ऋण तथा सहायता आदि प्राप्त करने में सफलता मिली है। अधिक सहायता के लिए बातचीत जारी है। यह सहायता और ऋण जो हमें विदेशों से मिले हैं और जिनके लिए मेरी सरकार और हमारे देशवासी आभारी हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक शर्तों से मुक्त हैं। भावी सहायता के लिए बातचीत भी इसी आधार पर की जायेगी।

हमारी दूसरी योजना देश के आर्थिक विकास के व्यापक कार्यक्रम का एक अंग है। जो कदम हम इस समय उठा रहे हैं, वे योजनाबद्ध सम्पन्नता के लम्बे और कष्टप्रद मार्ग में पड़ाव मात्र हैं। मेरी सरकार ने योजना आयोग के द्वारा तीसरी योजना के संबंध में अध्ययन तथा सोच-विचार आरंभ कर दिया है। आशा है कि हम मौलिक उद्योगों, कृषि उत्पादन और ग्रामीण उन्नति के संबंध में तीसरी योजना के अंत तक भावी विकास की नींव रख चुकेंगे, जिसके फलस्वरूप आत्मनिर्भर और स्वाश्रयी आर्थिक व्यवस्था का जन्म हो सकेगा।

आयोजना एक राष्ट्रीय प्रयास है जिसके लिए हर कदम पर राष्ट्र भर का सहयोग और सामूहिक प्रयत्न अपेक्षित है। इसलिए मेरी सरकार ने संसद के भीतर और बाहर सभी लोगों से यह याचना की है कि इस विषय में सब लोग रचनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे, भले ही वे आलोचनात्मक हों। इस काम के लिए मेरे प्रधानमंत्री और योजना आयोग सभी दलों का सहयोग चाहते हैं।

हमारा विचार है कि इस वर्ष के अंत तक तीसरी योजना की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार कर ली जाये। जब रूपरेखा विचार-विमर्श के बाद अनुमोदित हो जाये तब केन्द्र और राज्यों की योजनाओं पर विस्तार से सोच-विचार शुरू किया जाये। जिन लक्ष्यों को हमने स्वीकार किया है, उनमें से प्रधान यह है:- राष्ट्रीय आय में ठोस वृद्धि, शीघ्रतापूर्ण औद्योगीकरण, बड़े पैमाने पर रोजगार का विस्तार और आमदनी तथा सम्पत्ति की असमानताओं में कमी। सरकार घरेलू और छोटे उद्योगों को भी यथापूर्व सहायता देती रहेगी। विकास के काम में अभी तक हमें जो सफलता मिली है उसे हमें बनाये रखना है और उसकी गति को तेज करना है।

हमारी आर्थिक व्यवस्था के नियमन के लिए जो बातें सबसे जरूरी हैं उनमें सर्वप्रथम खाने-पीने की चीजें और इन चीजों के भाव हैं। हमारे आयोजन और उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक दूसरी बातें अधिकतर इन्हीं पर निर्भर करती हैं, जैसे विकास के काम के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि, भुगतान सन्तुलन की स्थिति, देश के अन्दर मूल्य स्तरों की स्थिरता और मुद्रा बाहुल्य की प्रवृत्तियों की यथासमय रोकथाम।

फसलों को भारी नुकसान पहुंचने के बाद 1958 के आरम्भ में अनाज के बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिये मेरी सरकार ने उस वर्ष के पहले 11 महीनों में 27 लाख 40 हजार टन अनाज विदेशों से मंगाया, देश के अन्दर अनाज के यातायात का नियमन किया और लोगों को अनाज उपलब्ध करने के लिए सस्ते दामों की दुकानें खोली गयीं। अनाज के व्यापारियों द्वारा अत्यधिक संचय की रोकथाम के लिए रिज़र्व बैंकों द्वारा उधार दिये जाने की नीति कड़ी कर दी।

इस दिशा में खुराक के मामले में आत्मनिर्भरता ही हमारी समस्या का संतोषजनक हल है। भरपूर प्रयत्न, खेती का काम लाभदायक हो, ये बातें उत्पादन में वृद्धि के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार भूमि संबंधी कानून में सुधार और सहयोग तथा ग्रामों को व्यापक कार्यक्षेत्र देकर प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी।

पिछले साल की अपेक्षा 1959-60 में फसलों की स्थिति आशाजनक है। इस वर्ष हम पर प्रकृति की कृपा रही है, और खाद्य तथा व्यापारी फसलें दोनों ही उत्साहवर्द्धक हैं। हमारी चावल की फसल बहुत बढ़िया रही और उसके कारण चावल के दामों में पहले ही कमी हो गई है। हमारा विचार है बड़े पैमाने पर चावल का संचय किया जाये और शासकीय व्यापार का विस्तार किया जाये। गेहूं और चने के भाव ऊंचे चढ़ गये हैं, किन्तु इस समय के लक्षणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रबी की फसल भी अच्छी होगी। भरपूर खेती के आन्दोलन, सिंचाई के छोटे साधनों पर अधिक जोर, सिंचाई के मौजूदा साधनों का पूरा उपयोग, सुधरे हुए तरीकों को अपनाने की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति और भूमि के संरक्षण-संबंधी कार्यक्रम का विस्तार—इन सब बातों के कारण ही खेती के क्षेत्र में और विशेषकर प्रधान फसलों के बारे में स्थिति आशाजनक हो पायी है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ही यह निर्भर करता है कि हमारे देहातों में रहने वाली करोड़ों की जनसंख्या के लिए सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र का विस्तार हो और वह प्रणाली कार्यान्वित हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तीन लाख गांव आ चुके हैं। जिनकी जनसंख्या साढ़े सोलह करोड़ के करीब है। इस कार्यक्रम में लोगों का अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय काम में लाये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत को, जो हमारे लोकतन्त्र की आधारभूत इकाई है, अधिक साधन और अधिकार दिये जा रहे हैं। देहातों में सहयोग समितियां स्थापित और उन्नत की जा रही हैं जिससे कि सारा ग्रामीण क्षेत्र उनके अंतर्गत आ जाये।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु कुछ उद्योगों को, खासकर सूती कपड़े के उद्योग को ठेस पहुंची है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में जिन उद्योगों में उत्पादन बहुत बढ़े हैं, वे हैं—मशीनी औजार, पैनिसिलीन, कृमिनाशक औषधियां, कागज और

गत्ता, डीजल इंजन, बिजली के मोटर, सलफ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, टायर, सिलाई की मशीनें, बाइसिकल और बिजली के पंखे। सार्वजनिक क्षेत्र में जो विस्तार की तथा दूसरी योजनायें इस समय कार्याधीन हैं, उनमें मशीन निर्माण, वैज्ञानिक खाद और औषधियां शामिल हैं। भोपाल, रांची और दुर्गापुर में बिजली का भारी सामान, भारी औद्योगिक मशीनें और खानों में खुदाई की मशीनें बनाने के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। वैज्ञानिक खाद के नये कारखाने नांगल, राउरकेला और नेवेली में लगाये जा रहे हैं और सिन्दरी का कारखाना बढ़ाकर बड़ा कर दिया गया है। जिन नई योजनाओं पर कार्य हो रहा है उनमें दवाइयां और एंटीबायोटिक्स तैयार करने के कारखाने शामिल हैं।

गत सप्ताह मुझे राउरकेला और भिलाई के इस्पात कारखानों का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां लोहे का उत्पादन शुरू हो चुका है। आशा है कि इस वर्ष के समाप्त होने से पहले इन कारखानों में इस्पात भी तैयार होने लगेगा। दुर्गापुर में भी पहली धमन भट्टी इसी वर्ष चालू हो जाने की आशा है। जमशेदपुर में इस्पात के कारखाने के विस्तार का कार्यक्रम करीब-करीब पूरा हो चुका है और कुछ ही महीनों में वहां अपेक्षित उत्पादन होने लगेगा। बर्नपुर के कारखाने का विस्तार इस वर्ष के अंत तक हो चुकेगा।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नेवेली लिग्नाइट योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में आगे कदम उठाये गये हैं। नेवेली थर्मल बिजलीघर की योजना स्वीकार कर ली गई है और इसके निर्माण का काम हाथ में ले लिया गया है।

पर्यवेक्षण और खोज द्वारा भू-गर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई है और राष्ट्रीय खनिज पदार्थ निगम की स्थापना की गई है। कोयले, तांबे और जिप्सम की नई खानों का पता लगा है।

तेल और प्राकृतिक गैस के लिए जोरों से खोज की गई और उसका आशाजनक फल प्राप्त हुआ। तेल के लिए पंजाब में ज्वालामुखी और होशियारपुर में खुदाई जारी रखी गई और आसाम में शिवसागर में खुदाई शीघ्र ही शुरू की जायेगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना बम्बई* राज्य में कैम्बे में तेल की खोज है, जहां तेल के कई स्रोतों के मिलने की आशा की जाती है। आशा है जोरों से खुदाई के परिणामस्वरूप इसी वर्ष कैम्बे में तेल के साधन प्राप्त हो जायेंगे। नाहरकटिया तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के साधन भी मिले हैं।

आसाम में तेल साफ करने के कारखाने के निर्माण में सहायता और आवश्यक मशीनरी प्राप्त करने के लिए रूमानिया की सरकार के साथ समझौता कर लिया गया है।

*अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

औद्योगीकरण की योजनाओं में राष्ट्रीय रसायनशालाओं ने महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंनें परीक्षण योजनाओं द्वारा अनुसंधान के परिणामों को उद्योगों पर लागू कर उत्पादन में सहायता दी है। यह काम विशेषकर इस्पात के कारखानों के लिए कोयले के साधनों को उपलब्ध करने, रिफ्रेक्टरी उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करने और निजी क्षेत्र की कुछ समस्याओं को हल करने की दिशा में हुआ है। कहीं-कहीं ये रसायनशालाएं आयातित सामान की जगह स्वदेशी माल का उपयोग सुझाने में सफल हुई हैं और घटिया किस्म के धातुओं के लाभदायक उपयोग सुझाने में भी सहायक हुई हैं।

4 मार्च, 1958 के वैज्ञानिक नीति संबंधी प्रस्ताव के अंतर्गत उद्देश्यों पर अमल करने की दिशा में मेरी सरकार ने कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय रसायनशालाओं और उद्योग में पारस्परिक सम्पर्क है। रसायनशाला ट्रेनिंग कोर्सों, अनुसंधान के लिए अनुदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ट्रेनिंग प्राप्त विज्ञानवेत्ताओं के उपलब्ध रहने से इस सम्पर्क को दृढ़ता तथा व्यापकता मिली है। यह निश्चय किया गया है कि दुर्गापुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विकास और अनुसंधान के लिए और नागपुर में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय रसायनशालाएं स्थापित की जायें।

सोवियत रूस और यूनेस्को की सहायता से इस वर्ष बम्बई में और जर्मनी के संघीय गणतन्त्र की सहायता से मद्रास में एक-एक उच्च टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट खोला जायेगा। इंग्लैंड की सहायता से दिल्ली में एक इन्जीनियरिंग कालेज स्थापित किया जा रहा है। इस कालेज की नींव परमश्रेष्ठ प्रिन्स फिलिप एडिनबरा के ड्यूक ने अपनी हाल की यात्रा के समय रखी थी।

संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की सीमा में, कार्य-संबंधी और वित्तीय अधिकारों से सम्पन्न एक नया एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापित किया गया है। केवल शांतिपूर्ण कामों में उपयोग के लिए आणविक शक्ति के विस्तार तथा प्रगति के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है और हो रही है इस दिशा में हमारे आयोजन का ध्येय उन मौलिक चीजों का उत्पादन है जिनका उपयोग चालन के लिए आणविक शक्ति का उपलब्ध कराना हो। न्यूक्लियर शक्ति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आयोजन तीसरी योजना के अंतिम वर्षों में ही हो सकेगा, किन्तु मेरी सरकार ने न्यूक्लियर शक्तियुक्त कारखाने स्थापित करने का फैसला किया है जिनमें कम से कम 250 हजार किलोवाट की बिजली पैदा की जायेगी।

गत वर्ष मैंने अपने भाषण में आप से कहा था कि रिएक्टर्स के लिए एटॉमिक विशुद्धता और ईंधन पदार्थयुक्त यूरेनियम धातु का उत्पादन चालू वर्ष के अंत तक आरम्भ हो जायेगा। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि यूरेनियम धातु का कारखाना बन चुका है और उसका आवश्यक परीक्षण भी हो चुका है। एटॉमिक दृष्टि से विशुद्ध यूरेनियम धातु के प्रथम ढेले का उत्पादन 30 जनवरी, 1959 को हुआ। ईंधन पदार्थ के पैदा करने की सुविधायें जुटाने का काम भी अब बहुत आगे बढ़ चुका है।

बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं का काम भी निर्धारित समय के अनुसार इस वर्ष आगे बढ़ा है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नियुक्त उच्चाधिकार सम्पन्न समिति की रिपोर्ट मेरी सरकार के विचाराधीन है।

कलकत्ता* और मद्रास** के बंदरगाहों के सुधार के लिए 20 करोड़ रुपये लगेंगे जिसके लिये संबंधित अधिकारियों ने विश्व बैंक के साथ बातचीत कर वित्तीय समझौते किये हैं।

मेरी सरकार स्वेच्छा से और समझौते के आधार पर दोनों रूप से औद्योगिक संबंध सुधारने और बढ़ाने के प्रयत्न में सफल हुई है। एक अनुशासन नियमावली जो दोनों ओर के मालिक और मजदूरों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की मान्यता की आवश्यकता पर जोर देती है, मालिक और मजदूरों की सभी केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। इस नियमावली में व्यवहार के नियम बताये गये हैं। इसमें बताया गया है कि किसी भी ओर से एकतरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, हड़ताल और कामबन्दी से बचना चाहिए और झगड़ों के बीच-बचाव तथा निपटारों के लिए जो साधन हों वे तुरन्त काम में लाये जाने चाहियें। नियमावली यह भी बताती है कि अपने-अपने दोषी सदस्यों के प्रति मजदूर और मालिक संस्थाएं क्या अनुशासन रखें। श्रम संबंधी कानूनों और निर्णयों की कहां तक अवहेलना हुई है, यह देखने के लिए और उन नियमों तथा निर्णयों को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिए एक त्रि-दलीय समिति बनाई गई है। एम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम, जिसमें करीब-करीब चौदह लाख मजदूर शरीक हैं, अब और अधिक लोगों पर लागू की जा रही है। संचालन कार्य में मजदूरों को हिस्सा देने की दिशा में कदम उठाया गया है और अब निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कतिपय उद्योगों के लिए संयुक्त समितियां स्थापित की गई हैं।

आर्डनेन्स फैक्ट्रियों के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप मेरी सरकार विदेशी मुद्रा में बचत कर सकी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास तथा इसके लिए सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी कदम उठाये गये हैं। प्रतिरक्षा के साधनों के निर्माण के लिए आवश्यक माल और साधन की उपलब्धि की दिशा में कुछ प्रगति है।

अनुच्छेद 344 के अनुसार भाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसद के सदस्यों की जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। चालू सत्र में उस पर विचार करने का आपको अवसर मिलेगा।

नागा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हिंसा और अराजकता की वारदातों में बहुत कमी हुई है नागा लोगों ने साधारण तौर से मेरी सरकार की नीति को पसन्द किया है। मई, 1958 में अखिल जनजाति सम्मेलन में अगस्त, 1957 में हुए

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

**अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।

कोहिमा सम्मेलन के निर्णयों का अनुमोदन किया। बहुत से नागा लोग जो पहले विरोधी दल में थे और लुक-छिप कर आंदोलन चला रहे थे अब शांतिपूर्ण ढंग से जीवनयापन कर रहे हैं।

सिक्किम विकास योजना, जिसका खर्चा भारत वहन करता है, ठीक ढंग से चल रही है। गंगटोक से नाथूला तक सड़क तैयार हो गई है और यातायात के लिए खुल गई है। यह सड़क बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरती है और इसके निर्माण के लिए हमारे इंजीनियर बधाई के पात्र हैं। 900 मील लम्बी सड़क बनाने के लिए गत वर्ष जनवरी में नेपाल, अमेरिका और भारत के बीच एक त्रिदलीय समझौता हुआ था। त्रिसूली जल विद्युत योजना के निर्माण के लिए एक और समझौता किया गया और योजना पर काम जारी हो गया है। यह योजना काठमांडू घाटी के लिए 12 हजार किलोवाट बिजली पैदा करेगी।

पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों के पुनःसंस्थापन के काम में काफी उन्नति की जा चुकी है। जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए लोगों का संबंध है, आशा की जाती है कि पुनःसंस्थापन का अंतिम काम अर्थात् क्षतिपूर्ति की अदायगी इस वर्ष के भीतर समाप्त हो जायेगी। पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों में से करीब 60 हजार पिछले वर्ष शरणार्थी शिविरों से पुनर्वास के स्थानों में पहुंचा दिये गये। यह फैसला किया गया है कि इस वर्ष जुलाई के अंत तक पश्चिम बंगाल में सभी शिविर बन्द कर दिये जायें। हमें आशा है कि बाकी 35 हजार विस्थापित परिवार उस समय तक या तो काम और पुनःसंस्थापन के लिए दण्डकारण्य में जा बसेंगे या दूसरे राज्यों में नियत बस्तियों में जा चुकेंगे।

गैर-सैनिक अनुमानित व्यय के बजट और वित्तीय नियंत्रण के संबंध में जो व्यवस्था थी उसमें सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। विकास योजनाओं को अधिक तेजी से कार्यान्वित करने की दृष्टि से प्रशासनिक मंत्रालयों को अधिक व्यापक वित्तीय अधिकार दिये गये हैं जिससे कि वे वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित और बजट में शामिल की गई मदों पर व्यय की स्वीकृति स्वयं दे सकें।

संसद के गत सत्र के बाद एक अध्यादेश, "दि इंडियन इनकम टैक्स (एमेन्डमेंट) आर्डिनेन्स 1959" जारी किया गया। इस अध्यादेश से संबंधित एक विधेयक संसद के सामने रखा जायेगा।

1958 में संसद द्वारा 49 विधेयक पारित किये गये। तेरह विधेयक आपके विचाराधीन हैं। विधेयकों और संशोधनों के रूप में मेरी सरकार कई वैधानिक प्रस्ताव संसद के समक्ष रखना चाहेगी। उनमें ये प्रस्ताव शामिल हैं:-

(1) दि कम्पनीज़ (एमेंडमेंट) बिल।

(2) एस्टेट ड्यूटी (एमेंडमेंट) बिल।

(3) दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सीडियरी बैंक्स) बिल।

(4) दि कोल माइन्स लेबर वेलफेयर फंड (एमेंडमेंट) बिल।

(5) दि ऑल इंडिया मेटरनिटी बेनिफिट बिल।

(6) बिल टू प्रोवाइड फॉर कम्पलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकेन्सीज़ बाई एम्पलोयर्स टू एम्पलोयमेंट एक्सचेंजिस।

(7) दि जिनेवा कनवेन्शन बिल।

(8) दि सेविंग्स बैंक (एमेंडमेंट) बिल।

(9) दि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (एमेंडमेंट) बिल।

(10) दि चिल्ड्रन बिल।

(11) ए बिल फार दि प्रीवेन्शन ऑफ क्रुएलटी टू एनीमल्स।

1959-60 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सामने रखे जायेंगे।

संसार में तनाव की भावना अभी बनी हुई है और स्थिति में आधारभूत सुधार के लक्षण अभी दिखाई नहीं देने लगे हैं, यह मेरी सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। मेरी सरकार बड़े राष्ट्रों के प्रति तटस्थता की नीति का बराबर अनुसरण कर रही है और तदनुसार तनाव को दूर करने के काम में यथासम्भव योगदान दे रही है।

विज्ञान और टैक्नोलोजी में महान प्रगति के कारण मानव ने अन्तर्नक्षत्रीय आकाश के समन्वेषण का साहस किया है और इसके फलस्वरूप मानवीय उन्नति की कल्पनातीत सम्भावनायें सामने आयी हैं। अन्य राष्ट्रों के साथ मेरी सरकार भी इस बात से चिंतित है कि विज्ञान की यह प्रगति अभी तक अधिकतर ऐसे विध्वंसात्मक शस्त्रों के बनाने में ही काम में लाई गई है जिनसे संसार के विनाश का संकट पैदा हो गया है।

मेरी सरकार को इस बात का खेद है कि जहां एक ओर न्यूक्लीयर और थर्मोन्यूक्लीयर विस्फोटों पर रोक लगाने की दिशा में जिनेवा में कुछ प्रगति हुई है, वहां दूसरी ओर इसके बारे में और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या अर्थात् निरस्त्रीकरण और विनाश के इन अस्त्रों पर रोक लगाने की दिशा में समझौता तो एक तरफ, सच्ची प्रगति भी अभी दिखाई नहीं दी है।

पिछले साल सितम्बर में मेरे प्रधान मंत्री ने उस समय के पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के साथ सीमावर्ती इलाकों के संबंध में कुछ समझौते किये थे। पाकिस्तान में स्थित कूचबिहार के कुछ इलाकों और भारत में स्थित कुछ पाकिस्तानी इलाकों का विनिमय

भी इन समझौतों में शामिल था। इन समझौतों को कानूनी रूप देने के लिए मेरी सरकार आपके सामने प्रस्ताव रखेगी।

दूरस्थ और निकट के देशों से हमारे संबंध बराबर मैत्रीपूर्ण रहे।

जापान के सम्राट के निमंत्रण पर सितम्बर, 1958 के अंत में मैंने उस देश की यात्रा की और जापान के सम्राट तथा लोगों ने मेरा हार्दिक स्वागत किया।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और मलाया के सर्वोच्च शासक के निमंत्रणों पर गत दिसम्बर, 1958 में मैंने उन देशों की यात्रा की और दोनों ही देशों की सरकारों तथा जनता ने उदारतापूर्वक मेरा स्वागत किया।

गत वर्ष सितम्बर में मेरे प्रधान मंत्री ने भूटान की यात्रा की, जिससे हमारा एक विशेष संधिगत संबंध है। वहां के शासक तथा लोगों ने उनका स्नेहपूर्ण स्वागत किया। प्रधान मंत्री ने उन्हें भारत और भूटान के बीच स्थायी मैत्री का आश्वासन दिया और यह कहा कि वहां के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का हमारा संकल्प है। हम आशा करते हैं कि भूटान और भारत के बीच यातायात के साधनों में सुधार के फलस्वरूप दोनों जगह के लोग एक दूसरे के और निकट आ जायेंगे।

सूडान, इराक, गिनी और क्यूबा में नई शासनसत्ताओं के स्थापित हो जाने पर मेरी सरकार ने उन्हें राजनयिक मान्यता प्रदान की।

पिछले वर्ष हमें अपने सम्मानित अतिथियों के रूप में महामहिम अफगानिस्तान के सम्राट, महामहिम नेपाल सम्राट तथा साम्राज्ञी, वियतनाम के लोकतंत्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, न्यूजीलैंड, टर्की, कम्बोडिया, पाकिस्तान, कैनेडा, घाना, नार्वे, रूमानिया और अफगानिस्तान के प्रधान मंत्रियों, अर्थशास्त्र के जर्मन संघीय मंत्री, संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष, श्री हैनरी केबट लाज, और एडिनबरा के ड्यूक के स्वागत करने का श्रेय प्राप्त हुआ।

वियतनाम और कम्बोडिया में देखरेख और नियंत्रण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कमीशन आलोच्य वर्ष में कार्य करता रहा, किन्तु लाओस में कमीशन ने अनिश्चित काल तक के लिए अपनी कार्यवाही स्थगित की और यह निश्चय किया कि साधारण प्रणाली के अनुसार इसे फिर से बुलाया जा सकता है। मेरी सरकार को इस बात का खेद है कि लाओस में स्थिति और अधिक बिगड़ गई है और सुधार की जो आशा मैंने पिछले साल प्रकट की थी वह पूरी नहीं हुई फिर भी मेरी सरकार का बराबर यह विश्वास है कि जेनेवा समझौते से जो शांति वहां स्थापित हुई है वह बनी रहेगी और अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के सदस्य एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग करते रहेंगे और शांति स्थापना के हित में लाओस की सरकार का सहयोग भी उन्हें मिलता रहेगा।

भारत ने लेबनान स्थित संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल में भाग लिया और उस क्षेत्र में एक संकटापन्न स्थिति को सुलझाने में अपना विनम्र योगदान दिया।

दक्षिण अफ्रीका की घटनायें, जहां की सरकार पृथकता की नीति का कठोरता से अनुसरण कर रही है और जिसके कारण उस देश के अधिकांश लोगों को अपमान और यातनायें सहनी पड़ रही हैं, जिनसे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारपत्र में दिये गये मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे लिये घोर चिन्ता का विषय है। किन्तु इस बात से कुछ सन्तोष होता है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत बड़ा बहुमत इस नीति का विरोध करता है। हमारी बराबर यही आशा है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार संसार के जनमत का आदर करेगी और यह स्वीकार करेगी कि प्रबुद्ध अफ्रीका में ऐसी नीतियों का परिणाम यही होगा कि जातीय कटुता बढ़ेगी और अंत में संघर्ष होगा जो व्यापक हो सकता है।

भारत में गत वर्ष न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के दफ्तर की स्थापना का मेरी सरकार ने स्वागत किया है।

पिछले साल हमारे देश में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। देश के लोगों की ओर से बाहर से आने वाले महानुभावों का स्वागत और आतिथ्य कर और विश्व में सद्भावना और पारस्परिक आदान-प्रदान को उभारने में किंचितमात्र अपना योगदान दे सकने की मेरी सरकार को बहुत खुशी है।

संसद के सदस्यगण, मैंने आपके सामने पिछले वर्ष की प्रमुख घटनायें तथा सफलतायें रखी हैं। राष्ट्रीय विकास और उन्नति के संबंध में किसी हद तक हम अपने आप को मुबारिकबाद कह सकते हैं। किन्तु पहले से ही कहीं अधिक आज हमारा यह सौभाग्य और कर्तव्य है कि हम और अधिक दृढ़ता, अनुशासन और ध्येय-प्राप्ति की भावना के साथ लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में अपने देश के जनसाधारण के लिए वरदान बनाने का प्रयत्न करें।

मेरी सरकार की यह नीति है और वह सदा इस बात का प्रयत्न करती रहेगी कि इस पुण्य भूमि की और यहां के लोगों की स्वाधीनता तथा मान सदा सुरक्षित रहें, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक कल्याण की प्रवृत्तियों को बल मिले और ऐसी लोकतंत्रात्मक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से जनमत के बल पर उन्नति की चेष्टा और प्राप्ति की जाये।

संसद के सदस्यगण, अब मैं आपका काम आपको सौंपता हूं और आपके प्रयत्नों में आप सबकी सफलता की कामना करता हूं। आपके प्रयत्न और आपकी एकता और अंतिम ध्येय की प्राप्ति की भावना तथा कर्तव्यपरायणता हमारे देशवासियों को अधिक सम्पन्न और सन्तुष्ट बनाने में, राष्ट्र के स्थायित्व और सुरक्षा को अधिक दृढ़ करने में और विश्व में शांति तथा सहयोग का संचार करने में सहायक हो, यही मेरी प्रार्थना है।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 8 फरवरी 1960

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

एक बार फिर संसद के नये सत्र का भार संभालने के समय मैं आपका स्वागत करता हूं।

बीते वर्ष में मेरी सरकार और हमारे लोग पहले से कहीं अधिक राष्ट्र–निर्माण के काम में संलग्न रहे। देहातों और शहरों में रहने वाले हमारे लोग आर्थिक और सामाजिक उन्नति की आवश्यकताओं और सफलताओं को अधिकाधिक समझने लगे हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण और अपनी स्थिति और रहन–सहन के स्तर में सुधार के लिए आधारभूत मानते हैं।

हमारी परम्परागत और सुपरिचित सीमाओं को लांघ कर भारतीय गणराज्य की भूमि के कुछ भागों पर चीनी लोगों के घुस आने से हमारे लोगों को भारी दु:ख हुआ है और उनमें ठीक ही व्यापक क्षोभ की भावना फैली है। इनके कारण हमारे साधनों और राष्ट्र–निर्माण के प्रयासों पर बहुत भार पड़ा है। हमें इन सीमावर्ती घटनाओं का दु:ख है और अफसोस भी है। हमारे आपसी संबंधों के निर्धारण के लिए जिन सिद्धान्तों को हमने परस्पर स्वीकार किया था, चीन द्वारा उनकी अवहेलना के कारण ही ये घटनायें घटी हैं। हमारी सम्पूर्ण सत्ता के लिए पैदा हुए इन खतरों का मुकाबला करने हेतु मेरी सरकार ने प्रतिरक्षा और राजनयन के क्षेत्रों में सत्वर और सुविचारित कई कदम उठाये हैं।

मेरी सरकार को खासतौर से इस बात का अफसोस है कि हमारे पड़ोसी ने हमारी सामान्य सीमा पर, जहां हमारी सेना तैनात नहीं थी, सैनिक बल का एकतरफा प्रयोग किया। यह विश्वासघात है, किन्तु उन सिद्धांतों में जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिये आधारभूत मानते हैं, अभी भी हमारी आस्था है।

संसद के सदस्यगण, समय-समय पर हमारे प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच पत्र व्यवहार के प्रकाशन द्वारा आपको, हमारे दोनों देशों के बीच जो स्थिति रही है, उससे अवगत रखा गया है। मेरी सरकार ने यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इन विवादग्रस्त मामलों को सुलझाने के लिए हम शांतिपूर्ण प्रयत्न करना चाहते हैं। उतनी ही स्पष्टता से हमने यह भी कहा और दोहराया है कि चीन ने जो रुख अपनाया है और जो एकतरफा कार्य या निर्णय किया है, वह हमें मान्य नहीं होगा। इसलिए मेरी सरकार, उचित शर्तों के साथ और उचित अवसर पर, शांतिपूर्ण बातचीत और इसके साथ ही दृढ़ता से देश की प्रतिरक्षा की तैयारी की नीति का अनुसरण कर रही है।

हम आशा करते हैं कि हमारी कार्यवाही और संसार भर का प्रतिकूल जनमत देर-सवेर चीन को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वह संधियों और परम्परा द्वारा स्थापित हमारी सामान्य सीमाओं के संबंध में हमसे समझौता करे। केवल इसी प्रकार अपने महान पड़ोसी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध, जिनके लिए हमारी सरकार और भारत के लोग आकांक्षी हैं, यथार्थ हो सकते हैं और दोनों देशों के हित में स्थायी बन सकते हैं। यह आशा की जा सकती है कि जो कार्यवाही हमने की है और जो नीति हमारी सरकार ने अपनाई है, वह चीन को हमारी नीति और दृढ़ता का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होगी।

संसद के सदस्यों, हमारी सीमा पर जो स्थिति पैदा हो गई है और उससे जो समस्याएं और परिणाम निकलते हैं, उनके संबंध में मैंने कुछ विस्तार से आप से कहा है। मेरा यह कहना अनावश्यक है कि मैंने जो कुछ भी बताया वह हमारे देश और लोगों की भावनाओं और अपनी सीमाओं की रक्षा के दृढ़ निश्चय को दोहराना मात्र है। किन्तु रक्षा तभी प्रभावी हो सकती है जब उसके पीछे राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता हो। हमारी आर्थिक और औद्योगिक उन्नति, उत्पादन की योजनाओं पर अधिक तेजी और परिश्रम से अमल, जिससे कि देश को आधुनिक रक्षा के साधन उपलब्ध हो सकें, और इसके साथ ही राष्ट्र में बल और अनुशासन की भावना का संचार हो सके, ये सब बातें ही देश की सुरक्षा का आधार हैं।

चीनी-भारतीय सीमाओं पर घटी घटनायें निस्सन्देह दुःखपूर्ण हैं, किन्तु हमें अपने देश की उन्नति और आर्थिक व्यवस्था के योजनाबद्ध विकास के प्रयत्नों को ढीला नहीं करना चाहिये और न हम ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में इन घटनाओं के कारण मेरी

सरकार आर्थिक विकास को अधिक गतिमय और व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठा रही है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने का काम कुछ और आगे बढ़ा है। इस योजना का क्षेत्र अधिक व्यापक है और इसके लक्ष्य अधिक ऊंचे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का ध्येय, 1950–51 के मुकाबले में राष्ट्रीय आय को लगभग दोगुना करना और कृषि उत्पादन तथा हमारी खुराक की जरूरतों, भारी मशीनी औजार निर्माण और लोहा, ईंधन तथा बिजली जैसे मौलिक उद्योगों की ओर ध्यान देना है। छोटी और ग्रामीण दस्तकारियों का और हमारी देहाती आर्थिक व्यवस्था का स्वस्थ और अविलम्ब विकास और औद्योगिक केन्द्रों तथा देहाती लोगों के बीच उचित संबंध स्थापित करना, ये बातें उस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे राष्ट्रीय विकास के नाजुक दौर की द्योतक है। इसका ध्येय हमारी आर्थिक व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और इस योग्य करना है कि इससे हमारे उत्पादन के साधन बढ़ सकें और उनका आपसी विस्तार हो सके। इसके लिए लोगों से निरन्तर प्रयास करते रहने और धैर्य रखने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार हमारी तीसरी योजना में इसकी विकास संबंधी आवश्यकताओं और आगामी चौथी योजना की जरूरतों को सामने रखा गया है। विदेशी सहायता और ऋण के लिए, जो हमारे विकास की मौजूदा हालत में जरूरी हैं, हम आभारी हैं, किन्तु अपने ही हित में और अपने अच्छे और उदार मित्रों के हित में और संसार के अर्धविकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की दृष्टि से, हमें निर्भरता से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए।

देश की विदेशी मुद्रा स्थिति अधिक नहीं बिगड़ी और वह प्रायः यथापूर्व है। इसलिए मेरी सरकार व्यापार के लिए ऐसी नीति अपनाना चाहती है जिससे विदेशी मुद्रा की आमदनी अधिक हो और इसके लिए वह आयात पर सख्त नियंत्रण करके निर्यात को बढ़ाने में प्रयत्नशील है। मेरी सरकार का यह प्रयत्न होगा कि वह विदेशी वित्त साधनों को सुरक्षित रखकर हमारे अदृश्य निर्यात की मात्रा को बढ़ावे, जिसके लिए अभी भी बहुत बड़ा, अप्रयुक्त और बढ़ता हुआ क्षेत्र हमारे पास है।

हमारा औद्योगिक उत्पादन उन्नति की ओर अग्रसर है। वर्ष के प्रथम दस महीनों में पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादन 138 से 149.3 हुआ है और उत्पादन में दस मात्रा से अधिक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सर्वतोन्मुखी है जिसमें सभी उद्योगों का योगदान है, किन्तु धातु-संबंधी उद्योगों की उन्नति से उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला, यह विशेषरूप से उल्लेखनीय है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में उत्पादन 1959 से आरम्भ हो गया है। कच्चे लोहे के उत्पादन में पचास प्रतिशत और इस्पात के उत्पादन में भी काफी, पर इससे कुछ कम, वृद्धि हुई है।

लोहे और इस्पात के उत्पादन से भारी मशीनों को बनाने की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहले से ही अनेक मशीन बनाने की व अन्य योजनाओं को स्वीकृत किया है। इनमें रांची की भारी मशीन योजना और भिलाई में इस्पात उत्पादन को दोगुना करना, भोपाल की भारी बिजली यंत्र निर्माण योजना का विस्तार और बिजली और मशीनी औजार बनाने की कई योजनाएं शामिल हैं।

रासायनिक उद्योग ने भी सराहनीय प्रगति की है। रंगाई के साधनों, दवाओं विस्फोटकों और प्लास्टिक के लिए मौलिक कच्चे साधनों की उपलब्धि के लिए एक आरंभिक मशीन स्थापित की गई है।

अपने रेल विभाग के प्रयत्नों से हम न केवल इंजनों, रेल के डिब्बों, वैगनों सिग्नल और बत्ती के साधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि इनका उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में होता है कि निर्यात के लिये भी कुछ सामान बचा रहता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत खान उद्योग भी काफी मात्रा में बढ़े हैं। नयी खोज और अप्रयुक्त क्षेत्र में धातुओं की गहरी छानबीन के लिए, जो हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं, भारत के भूगर्भ विज्ञान पर्यवेक्षण का विस्तार हुआ है।

एक स्थायी तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन की भी स्थापना हुई है। देश के विभिन्न स्थानों में तेल की प्राप्ति की ढूंढ़-खोज जारी है। तेल के उत्पादन के लिए नाहरकटिया में साठ तेल-कूप खोदे गये हैं। यह तेल आसाम और बिहार की सरकारी रिफाइनरीज के लिए आवश्यक है। आसाम की रिफाइनरी के निर्माण की प्रगति जारी है।

बिहार में बरौनी की रिफाइनरी को बनाने हेतु मशीनों और अन्य साधनों की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार ने सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के साथ समझौता किया है।

मेरी सरकार देश की आर्थिक उन्नति के लिए वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और टेकनोलोजिस्ट्स की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है। वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि ऐसे पुराने और नये वैज्ञानिकों के पद ऊंचे करने के लिए नौकरी की अधिक अच्छी सुविधाएं और सुअवसर देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। हमारी बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति के साथ इन क्षेत्रों में नौकरी के सुअवसर नित्य बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक तरीकों पर आधारित हमारे योजनाबद्ध विकास के लिए यह परमावश्यक है।

हमारे एटामिक विभाग ने बड़ी सराहनीय प्रगति की है। आइसोटोप का अधिक उत्पादन, ईंधन तत्वों का संग्रह, ट्रोम्बे में यूरेनियम मैटल प्लांट उपयोग में लाये हुए ईंधन से प्लूटोनियम का निकालना और यूरेनियम की खान का संचालन—ये इस विभाग के

सफल कार्य रहे हैं। प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना का प्रारंभिक कार्य हाथ में है। यूरेनियम, जोकि बिहार में खोदा जाएगा इस प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन को पर्याप्त कच्चा माल दे सकेगा।

एक लाख ग्रोस टन के जहाज भारतीय व्यापारी बेड़े में जोड़े गये हैं। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड और एक वैधानिक नानलैप्सिंग शिपिंग विकास फंड की स्थापना की गयी है। भारतीय जहाजरानी को, जिसे स्वाधीनता से पहले बहुत अवरोध सहने पड़े, अब विकास और आधुनिकीकरण के लिए बराबर हर सम्भव सहायता मिलती रहेगी। मेरी सरकार देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारी बेड़े के महत्व को समझती है। विदेशी मुद्रा के उपार्जन और उसे सुरक्षित रखने के लिए और हमारे लम्बे तट की रक्षा के कार्य में सहायता के रूप में और आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए इस बेड़े का बहुत महत्व है।

1958 में बनाई गई अनुशासन नियमावली से देश के औद्योगिक संबंधों में सुधार हुआ है और उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि तथा औद्योगिक शांति बनाये रखने की स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा 1959 में काम के मजदूर दिनों का नुकसान कहीं कम हुआ है।

राजकीय कर्मचारी बीमा योजना का और अधिक विस्तार किया गया है और अब इसके अंतर्गत साढ़े चौदह लाख कारखानों के मजदूर आते हैं, जबकि योजना के अंतर्गत दवा-दारू की सुविधाओं को मजदूरों के परिवारों तक बढ़ाकर करीब 12 लाख व्यक्तियों पर और लागू कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का शिक्षण, लड़कियों की शिक्षा का विस्तार और अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग के संबंध में अच्छी प्रगति हुई है, और यह योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

हमारी आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता, विस्तार और दृढ़ता के लिए अनाजों के उत्पादन में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। 1957-58 में अनाज का उत्पादन 7 करोड़ 35 लाख टन हुआ और नकदी फसलों की पैदावार में भी सन्तोषजनक वृद्धि हुई, जिससे कुल मिलाकर कृषि उत्पादन का मूलक बढ़कर 131 हो गया, जो पिछले किसी भी वर्ष की अपेक्षा 14.3 प्रतिशत अधिक है। किन्तु देश में खाद्य उत्पादन की स्थिति से निश्चित तो क्या हम सन्तुष्ट भी नहीं हैं। हर वर्ष हमें खाने के लिए और आरक्षित भंडारों के लिये भारी मात्रा में अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा के हमारे क्षीण साधनों पर बहुत दबाव पड़ता है और जो हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के प्रतिकूल है। प्रति एकड़ पीछे हमारा उत्पादन एशिया, यूरोप और अमरीका के बहुत से देशों के उत्पादन की अपेक्षा कम है। मेरी सरकार वैज्ञानिक खाद्य के उत्पादन और अच्छे बीजों की सप्लाई की तरफ अधिक ध्यान दे रही है। किन्तु व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सम्पन्नता के लिए यह आवश्यक है कि भूमि की अच्छी जुताई हो, कीड़ों से

फसलों की बरबादी को रोका जाये, पशुपालन में सुधार हो, खेती और हाट व्यवस्था में सहकारिता को अधिकाधिक स्थान दिया जाये और आत्मभरित होने के लिए लोग दृढ़-संकल्प हों।

देश के आर्थिक विकास में और राष्ट्र के प्रशासन-संबंधी कार्यों में लोग अधिक से अधिक हिस्सा लें, इसके लिए मेरी सरकार ने हमारे महान और बढ़ते हुए प्रजातंत्र के मौलिक स्तर पर जन-साधारण की संस्थाओं के पक्ष में विकेन्द्रीकरण की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया है। "पंचायती राज" की यह योजना राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पहले ही लागू हो चुकी है और दूसरे राज्यों में शुरू होने जा रही है। "पंचायती राज" प्रणाली को कुशल बनाने के लिए सभी श्रेणियों के गैर-सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

प्रतिरक्षा संबंधी उत्पादन में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। इस दिशा में उत्पादन और उसके साधन दोनों के विस्तार की योजनायें विचाराधीन हैं और उन पर उत्तरोत्तर अमल किया जायेगा।

आगामी वर्ष में मेरी सरकार ने नेशनल केडिट कोर का विस्तार करने और लड़कियों के लिए नर्सिंग और सहायक टुकड़ियां संगठित करने की दिशा में कदम उठाये हैं। टैरिटोरियल आर्मी और लोक सहायक सेना की संख्या में भी वृद्धि की जायेगी और उनकी ट्रेनिंग तथा भावी जिम्मेदारियों में कुछ संशोधन किया जा रहा है।

सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न दलों की सेना संबंधी परिस्थितियों में कई एक सुधार किये गये हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाने और अनुशासित जनशक्ति के इस साधन का उपयोग करने पर सरकार बराबर विचार कर रही है। टैक्नीकल और पेशेवर ट्रेनिंग तथा पथप्रदर्शन और सहकारी समितियों द्वारा आत्म-सहायता की योजनाओं को चालू किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों का पुनः संस्थापन और कल्याण प्रतिरक्षा की योजनाओं का आवश्यक अंग है और सशस्त्र सेनाओं में काम करने वालों में उचित आशा, उत्साह और स्थिरता की भावना का संचार करने का साधन है।

संसद के सदस्य इस बात से परिचित हैं कि केरल राज्य के संबंध में 31 जुलाई, 1959 को जारी होने वाली उद्घोषणा में, जिसका अनुमोदन लोक सभा और राज्य सभा ने अपने प्रस्तावों द्वारा किया, यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य की विधान सभा के लिए जितनी भी जल्दी सम्भव है, चुनाव किये जायें। तदनुसार साधारण चुनाव हुए और सारे राज्य में 1 फरवरी को मतदान हुआ। इस चुनाव में मत देने वालों की संख्या अभी तक अधिकतम मतदान वाले चुनावों में से रही। शीघ्र ही उद्घोषणा को वापस ले राज्य में साधारण वैधानिक व्यवस्था लागू की जायेगी।

संसद के पिछले सत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित रखने संबंधी अभिरक्षण को

10 साल तक और बढ़ाने का निश्चय किया गया था, और इस निर्णय से संबंधित संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम के लिए मैं अपनी स्वीकृति दे चुका हूं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 339 के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में जनजातियों के कल्याण के संबंध में जांच के लिए सरकार एक आयोग की नियुक्ति करने का विचार कर रही है।

1959 में संसद ने 63 विधेयक पारित किये। 15 विधेयक आपके समक्ष विचाराधीन हैं। विधेयकों और संशोधनों के रूप में मेरी सरकार कई वैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती है। इन प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल होंगेः–

दि ऐटामिक एनर्जी बिल।

दि इंडियन टेलिग्राफ (अमेंडमेंट) बिल।

दि एग्रीकलचरल प्रोड्यूस (डिवेलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कॉरपोरेशन बिल।

दि फारवर्ड कांट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट बिल।

दि इंडिया पेटेंट्स एंड डिजाइन्स बिल।

दि एम्पलाइज प्राविडेंट फंड (अमेंडमेंट) बिल।

दि डॉक वर्कर्स (रेग्यूलेशन ऑफ एम्पलायमेंट) बिल।

दि प्लांटेशन लेबर (अमेंडमेंट) बिल।

दि सैंट्रल मेटर्निटी बेनिफिट बिल।

दि इंडियन सेल ऑफ गुड्स (अमेंडमेंट)।

दि रिलिज्यस ट्रस्ट्स बिल।

दि टू-मेम्बर कांस्टिट्यूएंसीज (अबोलीशन) बिल, और

दि पेमैंट ऑफ वेजेस (अमेंडमेंट) बिल।

मौजूदा बम्बई* राज्य के पुनर्गठन और दो अलग राज्यों के संस्थापन के लिए मेरी सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर मेरी सरकार अपना निर्णय पहले ही घोषित कर चुकी है। दूसरी सिफारिशें सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। जगन्नाथदास आयोग जांच के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि में वृद्धि के कारण अनुमान है, करीब 31 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय बैठेगा।

1960-61 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सामने रखे जायेंगे।

*अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

संसार में तनाव की भावना में ढिलाई और नि:शस्त्रीकरण और शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रों के अध्यक्षों के बीच उच्च स्तर के सम्मेलनों की संभावनाओं पर मेरी सरकार सन्तोष प्रकट करती है। महान राजनीतिज्ञों, विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष, हमारे देश और देशवासियों की प्रशंसा और सद्भावना के अधिकारी हैं। स्वेच्छा से अपने-अपने देश में न्यूक्लीयर विस्फोटों के स्थगन को जारी रखने और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रयत्नों का मेरी सरकार स्वागत करती है, पर इस विचार को फिर से दोहराती है कि जन-विध्वंस के अस्त्रों का परीक्षण बन्द होना चाहिए।

बड़े राष्ट्रों के नेताओं में प्रत्यक्ष सम्पर्क और इन प्रवृत्तियों का हम स्वागत करते हैं और इन प्रयासों की सफलता चाहते हैं। हमें विश्वास है कि ये प्रयास विश्व शांति के लिए और शस्त्रों के संचय की दौड़ को रोकने की सच्ची इच्छा से प्रेरित हुए हैं।

शस्त्रास्त्रों की भयानक उत्पत्ति और उनसे पैदा होने वाले तथा उन पर आश्रित भय और द्वेषों के बीच मेरी सरकार दिल से ऐसे युद्धहीन विश्व की कल्पना जागृत करने वाली नई घटनाओं का स्वागत करती है जिनमें राष्ट्र हथियारों को ही नहीं त्याग देंगे बल्कि आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए युद्ध का परित्याग कर देंगे और अपनी सभी शक्तियों और साधनों को शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में लगा देंगे।

हमारी सरकार और लोग संसार में शांति और सहयोग बनाये रखने के लिए तत्पर हैं। वे शांतिपूर्ण उपायों और तटस्थता की नीति पर, जिसका आधार हमारा इतिहास और दृष्टिकोण हमारा विश्वास और व्यवहार और हमारे लोगों की उत्कृष्ट इच्छाएं तथा धारणाएं हैं, स्थिर रहने के लिए दृढ़-संकल्प हैं। इस नीति का संसद ने कई अवसरों पर स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है।

मुझे कम्बोडिया, वियतनाम गणराज्य, वियतनाम प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य, लाओस और श्रीलंका की यात्रा करने का सौभाग्य मिला और इन देशों की सरकारों तथा लोगों द्वारा सुख और उदार स्वागत का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ।

मुझे अपने देश की राजधानी में अमेरिका के राष्ट्रपति और बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति का स्वागत करने का हर्ष हुआ। ये दोनों महानुभाव अपने व्यक्तित्व में अपने देशों की शक्ति और महानताओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि विश्व शांति के लिए अपने देशवासियों की प्रबल इच्छाओं के प्रतिबिम्ब हैं। सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, श्री ख्रुश्चेव के आगमन की, जो संसार में एक और शांति दूत हैं, हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। नि:शस्त्रीकरण और शांति की खोज में इन दोनों महान देशों और दूसरों के भी प्रयत्नों के पीछे हमारी पूर्ण सद्भावना और नैतिक समर्थन होगा।

मेरी सरकार को अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, घाना, नेपाल और स्वीडन के प्रधान मंत्रियों का स्वागत कर खुशी हुई। संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासर, महामहिम मुरक्को सम्राट और फिनलैंड के प्रधान मंत्री की हम उत्सुकता से राह देख रहे हैं।

हमारे उप-राष्ट्रपति ने फिलिपीन्स, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड की यात्रा की और इन सभी जगह की सरकारों और लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

हमारे प्रधान मंत्री ने अफगानिस्तान, ईरान और नेपाल की यात्रा की और वहां उनका सद्भावना से ओतप्रोत स्वागत हुआ।

भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों की एक दूसरे के यहां यात्राओं के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच मैत्री और निकटता की भावना को और दृढ़ता मिली और दोनों देशों के हित में सहयोग का निश्चय हुआ और उसके लिए प्रबल इच्छा प्रकट हुई।

राष्ट्रमण्डल के देशों के साथ हमारे संबंधों को कई राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों में हमारे भाग लेने के कारण बढ़ावा मिला और हमारी आन्तरिक और विदेशी नीतियों तथा हमारे आर्थिक विकास कार्यक्रम के प्रति अधिक सद्भावना पैदा हुई।

मुझे खुशी है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच सीमा संबंधी झगड़ों पर समझौता हो गया है। मेरी सरकार को आशा है कि पाकिस्तान के साथ इस समझौते के फलस्वरूप हमारे पड़ोसी के साथ, जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की हमारी इच्छा रही है, सीमा निर्धारण का कार्य सफलतापूर्वक हो सकेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक मामलों को सुलझाने की दिशा में भी प्रगति हुई है और यह आशा है कि नहरों के पानी संबंधी पुराना झगड़ा शीघ्र ही तय हो जायेगा। इन घटनाओं की, जिनसे हमें पूर्ण आशा है कि दोनों देश एक दूसरे के निकट आयेंगे, मैं स्वागत करता हूं।

गत 25 सितम्बर, 1959 को स्वर्गीय एसडब्ल्यूआरडी भंडारनायके, श्रीलंका के प्रधान मंत्री, की हत्या के समाचार से भारत के लोगों और सरकार को बहुत दु:ख हुआ और चोट पहुंची। वे भारत के बड़े मित्र थे और हमारे देश में कई बार आये थे। श्रीमती भंडारनायके, उनके बच्चों और श्रीलंका के लोगों और सरकार के प्रति हमने हार्दिक संवेदना प्रकट की।

संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि ने, उपनिवेश देशों की आज़ादी की समस्या, विशेषकर अल्जीरिया के लोगों के निरन्तर स्वातंत्र्य युद्ध के प्रति हमारे देश के लोगों की सहानुभूतिपूर्ण भावना प्रकट की।

केमरून की, जो अभी तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था, स्वाधीनता का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते है कि आगामी वर्षों में अफ्रीका के कई और उपनिवेश देश इसी प्रकार राष्ट्र पद प्राप्त कर लेंगे।

दक्षिण अफ्रीकी संघ की सरकार की जाति के आधार पर पृथकता की नीति के कारण उस देश के अधिकांश लोगों को जो उस देश के नागरिक हैं, अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़ रहे हैं। इन लोगों में बहुत से मूल भारतीय भी शामिल हैं। यह नीति संयुक्त राष्ट्र के अधिकारपत्र में दिये गये मानवीय अधिकारों के प्रतिकूल है और संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के पिछले सत्र में इस नीति की फिर से घोर निन्दा की गई।

मेरी सरकार ने दक्षिण अमेरिका में क्यूबा, वेनेजुएला और कोलम्बिया से तथा अफ्रीका में गिनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का निश्चय किया है।

संसद के सदस्यगण, मैंने आपके सामने गत वर्ष की प्रमुख घटनाएं, सफलताएं और चिन्ताएं रखी हैं। मैंने आपको उन सब महान कार्यों और भारी जिम्मेदारियों का दिग्दर्शन कराया जो इस समय हमारे सामने हैं। ये सब आपके गम्भीर चिन्तन की अपेक्षा करती हैं। हमारे आर्थिक आयोजन, देश की प्रतिरक्षा और विश्व शांति में हमारे योगदान के लिये, देश की सरकार और लोगों को अधिकाधिक आपकी सूझबूझ तथा सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार संसद संविधान के द्वारा इस ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करेगी।

हमने इस वर्ष अपने नन्हे गणराज्य की 10वीं वर्षगांठ मनायी। हमारा संविधान, जो हमने अपने लिये निश्चित किया और जिसके अनुसार समस्त सत्ता देश की जनता पर आश्रित है और जनता से ही प्रवाहित होती है, स्थिर रहा और उसमें शक्ति का संचार हुआ। मेरी सरकार और हमारे लोगों की नीतियों तथा सफलताओं से हमारे प्रजातंत्र को बल मिला और उसमें आर्थिक और सामाजिक कल्याण की क्षमता बराबर बढ़ती जा रही है।

हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा स्वातंत्र्य युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार विकसित हुआ कि अपने राष्ट्रपिता के जीवन और उदाहरण से हमें प्रेरणा मिली। अपने नन्हे गणराज्य के इस ग्यारहवें वर्ष में हम अपने अतीत और भविष्य को गर्व और विश्वास के साथ किन्तु अत्यधिक निश्चिंतता के साथ नहीं देख सकते हैं। हमारे सामने जो कार्य हैं उन्हें सम्पन्न करने के लिए अपने लोगों और देश के प्रशासन में निरंतर सतर्कता, अधिकाधिक दृढ़ता, अनुशासन और भावना की जरूरत है। इस प्रकार ही देश के जन गण के लिए हमारा प्रजातंत्र यथार्थ हो सकता है।

हमारे विस्तृत साधन और हमारे लोगों की योग्यताएं, निर्माण और उन्नति के कार्य में लगी हैं, जो हमारे सामने हैं। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक और विचारणीय है

कि प्रशासन की योग्यता भी उसी कोटि की हो, उसमें बराबर बढ़ती हुई शीघ्रता की भावना कार्यप्रणाली को सरल और सुबोध बनाया जाये और उसे इस प्रकार चलाया जाये कि उसमें और श्रेणियों के लोगों का विश्वास बढ़ता जाये और जनशक्ति तथा समय का अपव्यय न हो।

मेरी सरकार का यह बराबर यत्न रहेगा कि नीतियों के निर्माण और उनके पूर्ण होने में जो समय लगता है वह कम से कम हो, सभी वर्गों के लोग हमारी आर्थिक तथा सामाजिक योजनाओं में भाग ले सकें और इस प्रकार योगदान देकर वे आत्मोपयोगिता और भावना का अनुभव कर सकें जो हमें स्वतंत्रता से मिली हैं।

मेरी सरकार मातृभूति की स्वाधीनता और हमारे लोगों की गरिमा को व एकता की भावना को प्रोत्साहित करने, सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने और ऐसे समाजवादी समाज का गठन करने के लिए, जिसमें लोगों की उन्नति, सहमति और शांति प्राप्त की जाये, संगठित करने के लिए कृतसंकल्प है।

संसद के सदस्यगण, अब मैं आपके नये सत्र का काम आपको सौंपता हूं, सफलता की कामना करता हूं। मेरी यह सत्याकांक्षा है कि बुद्धिमानी, सहिष्णुता और भावना आपके प्रयत्नों का मार्गदर्शन करें। आपके प्रयत्न, देश के और देशवासियों के, विश्व के, जिसकी सेवा करना हमारे लिये गौरव का विषय है, हित में सफल हों, यही मेरी प्रार्थना है।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 14 फरवरी 1961

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

संसद के नए सत्र का भार सम्भालने के समय मैं आपका स्वागत करता हूं।

पिछला वर्ष हमारे लिए आन्तरिक और बाहरी दबाव व कठिनाइयों का वर्ष रहा है। मेरी सरकार ने अपनी आधारभूत नीति के सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हुए और भविष्य में विश्वास रखते हुए बड़े परिश्रम के साथ सब समस्याओं का सामना किया है। यद्यपि अभी बहुत सी जटिल समस्याओं का सुलझाया जाना बाकी रहता है अथवा उनका समाधान हो रहा है, देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुधार के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं जिससे सफलता की कुछ आशा बंधती है।

हमारे राष्ट्र की सर्वाधिकार-सम्पन्न भूमि पर आक्रमण तथा हमारी सीमा के अतिक्रमण की समस्यायें अभी नहीं सुलझ पाईं, किन्तु मेरी सरकार उन समस्याओं तथा उनसे संबंधित समस्त उलझनों के प्रति जागरूक है। रक्षा संबंधी व्यवस्था की ओर वह निरन्तर ध्यान दे रही है और साथ ही संचार के साधनों द्वारा सम्पर्क स्थापित करके उन स्थानों का विकास कर रही है।

लांगजू में चीन ने जो सैनिक चौकी स्थापित की थी, यद्यपि उसे उसने वहां से हटा लिया है और भारतीय क्षेत्र का और अधिक उल्लंघन करने की चेष्टा उसने नहीं की है, किन्तु तो भी उसका दुराग्रह जारी है। हमारी सीमा के उस पार हमारे प्रति जो वैर-भाव जारी है उसे ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार प्रतिरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में निरन्तर प्रयत्नशील है। फिर भी मेरी सरकार उन सिद्धांतों पर दृढ़ रहेगी जिन्हें हमारा देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों के लिए आधारभूत मानता है। मेरी सरकार चीन के एकतरफा निर्णयों अथवा कार्रवाई के परिणामों को स्वीकार नहीं कर सकती।

इस शांतिपूर्ण किन्तु दृढ़ नीति और रक्षा की तैयारी को जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, हमारे लोगों का समर्थन प्राप्त है और इसका विश्व-मत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारा यह दृढ़ मत है कि भारत और चीन के बीच की सीमाएं चिरकाल से संधियों, रीति-रिवाजों तथा व्यवहार द्वारा भली प्रकार निश्चित रही हैं। मेरी सरकार को आशा है कि चीन वर्तमान अनिच्छा अथवा दुराग्रह के बावजूद शीघ्र ही उन सीमाओं के बारे में, जो हमारे और उसके बीच सांझी हैं, हमारे देश के साथ संतोषजनक समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने महान पड़ोसी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध जिन्हें उन्नत करने के लिए मेरी सरकार सदा उत्सुक रही है, तभी ऐसी वास्तविकता का रूप धारण कर सकते हैं जो स्थिर रहे और जिससे हम दोनों देशों की भलाई हो और एशिया तथा विश्व की स्थिति में स्थिरता आये।

मेरे प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच नई दिल्ली में गत अप्रैल में किए गए और बातचीत के अंत में संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा घोषित हुए समझौते के अनुसार, दोनों देशों की सरकारों द्वारा मनोनीत अधिकारी नई दिल्ली, पेकिंग और रंगून में बातचीत करते रहे हैं। यह बातचीत अब समाप्त हो चुकी है। मेरी सरकार को अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है वह संसद के सामने रखी जाएगी।

अफ्रीकी भूखंड में बहुत से देशों का स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में उदय और संयुक्त राष्ट्रसंघ में पूर्ण सदस्यों के रूप में उनके प्रवेश का मेरी सरकार स्वागत करती है। अफ्रीका में जागृति की लहर और कई सर्वाधिकार सम्पन्न गणराज्यों का उदय हमारे लिए हर्ष का विषय है। इन राष्ट्रों द्वारा तटस्थ रहने और शीत युद्ध के संघर्ष से अलग रहने की घोषणा का हम खासतौर से स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मेरी सरकार ने जिस नीति का बराबर अनुसरण किया है, यह घोषणा, वास्तविकता के आधार पर, उस नीति का निष्पक्ष समर्थन है।

कांगो की स्थिति से मेरी सरकार बराबर चिंतित है। हाल में आजाद हुए इस देश की स्वतंत्रता और एकता अफ्रीकी भूखंड की उन्नति और विकास, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता तथा प्रतिष्ठा और दुर्बल राष्ट्रों की शक्तिशाली राष्ट्रों के आक्रमण से सुरक्षा, इन सब प्रश्नों का कांगो की स्थिति से संबंध है। बेल्जियम के शस्त्रास्त्र और उसके सैनिक और अर्द्ध-सैनिक नागरिकों का दबाव और संयुक्त राष्ट्र के निश्चित निर्णयों के विरोध में कांगो में कुछ प्रतिस्पर्धी दलों को बेल्जियम द्वारा सहायता, कांगो की स्थिति में उलझनों के यही प्रमुख कारण हैं।

मेरी सरकार बराबर उस नीति का अनुसरण करती रहेगी जिसका आधार संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में हमारी आस्था और कांगो के लोगों को उनकी नवोदित स्वाधीनता भोगते हुए देखने की हमारी उत्कट इच्छा है। इस उद्देश्य से मेरी सरकार बेल्जियनों के हटाए जाने और राजनीतिज्ञों की, विशेषकर उनकी जिन्हें संसदीय अधिकार प्राप्त हैं, कारावास से रिहाई, परस्पर विरोधी और सशस्त्र दलों के तटस्थीकरण, वहां की पार्लियामेंट के संयोजन और संवैधानिक सत्ता के पुनःस्थापन पर बराबर जोर देती रही है।

इधर हमारे देश के निकट लाओस में भी स्थिति ऐसी बन गई है जिससे भारी चिन्ता होने लगी है। इस स्थिति में और अधिक बिगाड़ न होने पावे, इस दृष्टि से, मेरी सरकार संबद्ध राष्ट्रों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय कमीशन को फिर से कार्यारूढ़ करने की दिशा में भरसक प्रयत्न कर रही है। वहां संघर्ष के विस्तार के, एशिया और समस्त विश्व में, भीषण परिणाम हो सकते हैं और ऐसी घटना की रोकथाम करने की मेरी सरकार की नीति है।

गोआ अभी भी पुर्तगाल के उपनिवेशवादी अधिकार में है। मेरी सरकार भारत के इस भाग की जहां अभी भी जीर्ण उपनिवेशवाद का बोलबाला है, शांतिपूर्ण आजादी के लिये वचनबद्ध है।

भारत के पड़ोसी राज्यों और अन्य देशों के साथ हमारे शांतिपूर्ण संबंध बराबर बने हैं। मेरी सरकार अपनी शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व और पड़ोसी सद्भाव की नीति पर दृढ़ रहते हुए किसी भी देश के साथ सैनिक–संधियों में उलझे बिना इन संबंधों को प्रोत्साहित करने के पक्ष में है।

सद्भावना बढ़ाने हेतु दूसरे देशों के साथ यात्राओं का विनिमय किया गया। सोवियत संघ के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के प्रत्युत्तर में मैंने रूस की यात्रा की। वहां के राष्ट्रपति, उनकी सरकार और वहां की जनता ने जो मेरा हार्दिक स्वागत किया उसके लिये मैं आभारी हूं। हमारे उप–राष्ट्रपति ने अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस की यात्रायें कीं।

हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त अरब गणराज्य, लेबनान, टर्की और पाकिस्तान की यात्रायें कीं। अन्य मंत्रीगण और भारत सरकार के कुछ विशेष प्रतिनिधिमंडल आपसी सद्भावना बढ़ाने के लिए अथवा विशेष उद्देश्य को लेकर विविध देशों की यात्रा पर गये। इन देशों में सिलोन, मेक्सिको, पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप के देश, इथोपिया, नाइजीरिया, घाना और मंगोलिया लोक गणराज्य शामिल हैं।

गत वर्ष उरुग्वे, पेराग्वे कांगो और मलागासी गणराज्यों के साथ हमारे राजनयिक संबंध स्थापित हुए।

मेरी सरकार ने एक स्वाधीन गणतंत्र राज्य के रूप में साइप्रस के उदय का जहां एक दीर्घकालीन उपनिवेशवादी सत्ता का अंत हुआ, स्वागत किया है।

महिष्मती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और एडिनबरा के ड्यूक राजकुलमान्य प्रिंस फिलिप ने भारत आने के लिए मेरे निमंत्रण को कृपापूर्वक स्वीकार किया। उन्हें अपने बीच पाकर हमें खुशी होती है और वे मेरे ही नहीं, मेरी सरकार और हमारी जनता के भी सम्मानित अतिथि हैं।

हमें जापान के सम्राट के प्रतिनिधित्व–रूप आये हुए राजकुलमान्य राजकुमार और राजकुमारी, रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव, नेपाल के महामहिम सम्राट, संयुक्त अरब

गणराज्य के राष्ट्रपति नासर, इंडोनिशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, गिनी के राष्ट्रपति सकूतूर, जर्मन संघीय गणतंत्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर थ्योडोर हैस, फिलीपीन्स के उप-राष्ट्रपति मापगल और चीन, बर्मा*, पोलैंड, नेपाल तथा सिलोन** के प्रधानमंत्रियों का स्वागत करके बड़ी खुशी हुई है। भूटान और सिक्किम के महामहिम महाराजा का अपने सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। इन सब विशेष सम्माननीय मेहमानों की भारत यात्रा हमारे लिए बड़े गौरव की बात है।

आज संसार के सामने सबसे प्रमुख बात नि:शस्त्रीकरण की है। हर अवसर पर, विशेषकर संयुक्त राष्ट्रसंघ में, इस विषय में राष्ट्रों के बीच, खासकर बड़ी शक्तियों के बीच, समझौते के लिए आधार के निर्माण में मेरी सरकार प्रयत्नशील रही है। इस के लिए मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण परिषद् में कुछ प्रस्ताव रखे हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि नि:शस्त्रीकरण की बातचीत का निश्चित आधार यह होना चाहिये कि देशों के बीच आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए युद्ध को साधन न माना जाये और उसे गैर-कानूनी करार दिया जाये।

हमें खेद है कि हमारी कोशिशों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की सरकार मूल भारतीय नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव करने और जातीय भेदभाव के आधार पर अपने समाज का संगठन करने में लगी है। मानवीय गौरव की अवहेलना, मानव के अधिकारों के उल्लंघन और पृथक्करण की इस नीति के अनुसरण से समस्त संसार को गहरा धक्का लगा है।

राज्यों की सरकारों के सहयोग से योजना आयोग तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार कर चुका है और यह रूपरेखा सिद्धान्त रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। जैसे ही रिपोर्ट का प्रारूप तैयार होगा उसे राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने और उसके बाद संसद के सामने रखा जायेगा।

1952-53 के मूल्यों के आधार पर अनुमान है कि 1959-60 की राष्ट्रीय आय 12,212 करोड़ होगी, जबकि 1955-56 में यह आय 10,920 करोड़ थी। आय में वार्षिक वृद्धि इतनी रफ्तार से नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे। 1957-58 और 1959-60 में खेती को जो भारी नुकसान पहुंचा, वही इसका कारण था। हमें आशा है इस साल की फसलें अच्छी हैं और औद्योगिक उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल्यों के स्तर करीब 6 प्रतिशत ऊपर गये हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने जो उपाय अपनाये हैं उनसे कुछ रोकथाम हुई है और कहीं-कहीं, जैसे कपड़े के मामले में, सरकारी कार्यवाही के कारण मूल्यों में कमी होने लगी है। विदेशी मुद्रा के संचय में कमी के कारण हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके बावजूद खेती और उद्योग दोनों की स्थिति आशाजनक है।

---

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

**अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है।

पंचायती राज अथवा ग्राम लोकतंत्र ने तीव्र गति से प्रगति की है। मेरी सरकार को आशा है कि 1961 के समाप्त होने से पहले पंचायती राज संबंधी संस्थायें सभी राज्यों में स्थापित हो चुकेंगी। इन संस्थाओं के सुचारू संचालन और सहायता के लिए गैर-सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग का विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ हो चुका है। सर्विस सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या में लगभग 1 करोड़ 80 लाख की वृद्धि हुई है। आशा है ये समितियां 190 करोड़ रुपये तक लोगों को ऋण के रूप में दे सकेंगी।

1960-61 में फिर कृषि उत्पादन में निश्चित उन्नति हुई है। अन्दाजा है कि 1960-61 की खरीफ में अनाज का उत्पादन पहले वर्ष की अपेक्षा 20 लाख टन अधिक होगा। आशा है यह 1958-59 की अपेक्षा भी अधिक होगा। उस वर्ष का उत्पादन अधिकतम था। रबी की फसल की स्थिति भी आशाजनक है। सब मिलाकर, आशा है कृषि उत्पादन की दृष्टि से 1961 हमारे बहुत अनुकूल पड़ेगा। देश में उत्पादन में वृद्धि के कारण और मेरी सरकार ने गल्ला संचित करने की दिशा में जो ठोस कदम उठाये हैं उनके फलस्वरूप, अनाज के भाव पहले ही गिरने शुरू हो गये हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार सिंचाई की छोटी योजनाओं और बीज उत्पादन के लिए फार्मों की स्थापना के कार्यक्रम पर जल्द ही पूरी तरह अमल होने की आशा है। भरपूर जुताई को देशभर में और कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेती के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार दृढ़ हो सके। हमारा लक्ष्य अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होना और दूसरे कृषि उत्पादनों को यथोचित प्रोत्साहन देना है।

कुछ मामलों में औद्योगिक उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा है। 1960 के पहले दस महीनों में उत्पादन की सूची 167 थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में वह 149 थी। सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले तीन इस्पात के कारखाने लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। औद्योगिक मशीनरी और मशीनी औजारों के निर्माण में भी संतोषजनक प्रगति हुई है। खनिज तेल के नये साधनों का पता लगा है, खास गुजरात में अंकलेश्वर में और असम में सिबसागर में। आशा है कि परीक्षण के रूप में तेल का उत्पादन इस वर्ष शुरू हो जायेगा। तेल साफ करने के दो कारखानों पर काम चालू है और तीसरा कारखाना स्थापित होने जा रहा है।

कनाडा-भारत रिएक्टर जो हाल ही में चालू हुआ है, हमारा तीसरा रिएक्टर है। इस के उद्घाटन से उद्योगों, चिकित्सा और खेती संबंधी कामों में अणुशक्ति के उपयोग की संभावना बढ़ी है।

बहु-उद्देश्यीय नदी-घाटी योजना में चम्बल नदी योजना, गांधी सागर बांध और कोटा बराज का उद्घाटन हो चुका है और भाखड़ा में 90 हजार किलोवाट बिजली की 5 इकाइयों में से दो खोली जा चुकी हैं। बाकी तीन भी आगामी कुछ महीनों में ही खुल सकेंगी, इस बात की पूरी संभावना है।

सरकारी कर्मचारियों की हाल में होने वाली खेदजनक हड़ताल को छोड़कर, कामगार संबंधों में सुधार हुआ है। अनुशासन नियमावली के लागू करने का अच्छा असर पड़ा है और आगे के दिनों की संख्या में काफी कमी हुई है। सरकारी मजदूर बीमा योजना का विस्तार कर उसके अंतर्गत 15.8 लाख और कामगारों को शामिल कर लिया गया है। सूती कपड़ा, सीमेंट और चीनी जैसे प्रमुख उद्योगों की देखभाल त्रिदलीय वेज बोर्ड पहले ही कर चुका है और अब जूट उद्योग और चाय के बगीचों के लिए बोर्डों की नियुक्ति कर दी गई है। कुछ औद्योगिक इकाइयों में प्रबंध कार्य में मजदूरों की सहूलियत की प्रयोगात्मक योजना लागू की गई है।

प्रशासन में हिन्दी को स्थान देने की दिशा में उन्नति हुई है। हिन्दी के विकास और प्रचार के संबंध में सरकारी निर्णयों को कार्य रूप देने के लिए एक केन्द्रीय हिन्दी विभाग की स्थापना की गई है।

जैसा कि संसद सदस्य जानते हैं, गत जुलाई में नागा नेताओं से बातचीत के फलस्वरूप मेरी सरकार ने भारतीय संघ के अंतर्गत नागालैंड नामक पृथक् राज्य के गठन का निश्चय किया था इस दिशा में पहले कदम के रूप में मैंने एक अधिनियम जारी किया है, जिसके अनुसार संक्रांति काल की अवधि में नागालैंड के प्रशासन में राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रतिनिधियों की अन्तरिम परिषद् निर्वाचित की गई है। मेरी सरकार उन विरोधी तत्वों को दबाने के लिए कृतसंकल्प है जो वहां के लोगों के लिए कठिनाइयां और कष्ट पैदा कर रहे हैं।

1961-62 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े यथापूर्व आपके सामने रखे जायेंगे।

संसद के पिछले सत्र के बाद दो अधिनियम "दी यू.पी. शूगरकेन सैस (वेलिडेशन) आर्डिनेन्स" और "दी बैंकिंग कम्पनीज़ (अमेण्डमेंट) आर्डिनेन्स" जारी किये गये हैं।

संसद के सदस्यगण, गत वर्ष जब मैंने आपके समक्ष भाषण दिया था उस समय से आपके दोनों सदनों ने 67 विधेयक पारित किये हैं। 16 विधेयक पिछले सत्र से आपके सामने विचाराधीन हैं। उन्हें पारित करने की दिशा में मेरी सरकार इस सत्र में कदम उठायेगी।

दहेज उन्मूलन विधेयक पर दोनों सदनों में कुछ मतभेद हैं। इस विधेयक पर विचार करने के लिए मेरी सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की दिशा में उचित कार्यवाही करेगी।

मेरी सरकार अन्य विधेयकों के अतिरिक्त निम्न विधेयक आपके विचाराधीन प्रस्तुत करेगी—

1. दी इन्कम टैक्स (अमेंडमेंट) बिल।
2. दी एक्सट्राडीशन बिल।

3. दी इंडियन पेटेन्ट्स एण्ड डिजाइन्स बिल।
4. दी इसेंशियल कमोडटीज़ (अमेंडमेंट) बिल।
5. दी शुगर एक्सपोर्ट प्रोमोशन (अमेंडमेंट) बिल।
6. दी नारकोटिक्स बिल।
7. दी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बिल।
8. दी हिमाचल प्रदेश एबोलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफार्म्स (अमेंडमेंट) बिल।

संसद के सदस्यगण, मैंने गत वर्ष की प्रमुख घटनाओं और सफलताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है। आगामी वर्ष में अपनी सरकार के कार्यक्रम की तरफ भी मैंने आपका ध्यान खींचा है। हम सबके सामने जो महान कार्य और जिम्मेदारियां हैं उनकी ओर भी मैंने संकेत किया है। मुझे इसमें संदेह नहीं कि इन सब कामों पर आप ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मेरा विश्वास हमारे आर्थिक आयोजन, हमारी प्रतिरक्षा, विश्वशांति और पराधीन राष्ट्रों की संघर्ष संबंधी बहुत-सी समस्याओं को सुलझाने के लिये और हमारे देशवासियों को आश्वस्त करने के लिए मेरी सरकार को आपका विवेक, सतर्कता और सहयोग उपलब्ध होगा। हमारे देश के साधन और राष्ट्र के लोगों की योग्यता, प्रगति तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उन ऐतिहासिक और महान कामों में संलग्न हैं, जिनका दायित्व हम पर आता है।

मेरी सरकार बराबर ऐसी एक योजना को चलाने और प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करती रहेगी जिससे कि उसके नीति संबंधी निर्णयों के निर्माण और उन पर अमल के बीच कम से कम समय लगे। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे प्रजातंत्र में और उसके विकासोन्मुख महान आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर जनसाधारण भाग ले सकें। यदि हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गौरव और सफल प्रयत्न की भावना के साथ जीवित रहना है तो यह हमारे लिये आवश्यक है। राष्ट्र की समस्त जनता के सामाजिक कल्याण की एकसूत्रता, जनतंत्रात्मक और समाजवादमूलक समाज के संगठन की ओर ऐसी प्रगति जिसमें परिवर्तन सामयिक हो और उन्नति आत्मचालित हो— हमारा लक्ष्य है, जिसको हमें शांतिपूर्वक और लोगों की सहमति से प्राप्त करना है।

संसद के सदस्यगण, अब मैं आपको नये सत्र का काम सौंपता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि सन्मति, सहिष्णुता और सामूहिक प्रयत्न की भावना आपका पथ-प्रदर्शन करेगी। आपके प्रयत्न पूर्ण सफल हों, और हमारे देश तथा उसके जनगण और विश्व के लिए, जिनकी सेवा के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, यही मेरी कामना है।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 12 मार्च 1962

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

आपके सम्मुख इस संसद में कुछ कहने का मेरे लिए यह अंतिम अवसर है। लोक सभा के माननीय सदस्यगण, इस सदन की आपकी सदस्यता की पंचवर्षीय अवधि अब समाप्त होने को है। शीघ्र ही आपके इस सत्र की समाप्ति के बाद नयी लोक सभा की बैठक होगी। आपमें से बहुतों को देश सेवा के लिए फिर से चुन लिया गया है। आपमें से कुछ इस चुनाव तथा लोक सभा की समाप्ति के बाद नयी लोक सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और लोक सभा के सदस्यों की हैसियत से आपके द्वारा की गई सेवाओं के लिए देश की जनता की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं कि यहां से जाने के बाद जहां भी आपका कार्यक्षेत्र हो, आप देशनिर्माण के काम में लगे रहेंगे और अपनी योग्यता तथा अनुभव का सदा ही अपने देश की जनता के हितार्थ उपयोग करते रहेंगे।

संसद के माननीय सदस्यगण, जब मैंने पिछली बार आपको सम्बोधित किया था, तब अपने अधिक व्यापक दृष्टिकोण तथा उच्चतर लक्ष्यों के साथ हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी। अब यह योजना चालू की जा चुकी है। पहली योजनाओं से प्राप्त अनुभव और उससे उत्पन्न हुए उत्साह और राष्ट्रनिर्माण के काम में योजनागत प्रयास के संबंध में अधिक देशव्यापी बोध और अधिमूल्यन—ये सब बातें इस योजना की सफलता की द्योतक हैं और हमें अपने निर्धारित उद्देश्य के निकट ले जाने वाली हैं। हमारा उद्देश्य ऐसी समर्थ अर्थव्यवस्था की प्राप्ति है, जिसमें स्वावलम्बन, अभिवृद्धि और अधिक भावी विकास के साधनों को पैदा करने की क्षमता हो।

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास* तथा केरल में बाढ़ों द्वारा जो भारी नुकसान हुआ, उसके बावजूद 1961-62 में होने वाली खेती की पैदावार उत्साहवर्धक है। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेती की उन्नति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारा उद्देश्य केवल अनाज में आत्मनिर्भर होना ही नहीं है, बल्कि निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा संग्रह करने तथा बढ़ते हुए उद्योगों के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए व्यापारी पैदावार को बढ़ाना भी है।

1960-61 में खेती उत्पादन का इन्डैक्स नम्बर 139.1 हो गया है जबकि 1959-60 में वह 128.7 था। इस तरह इसमें 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में दोनों फसलों का अनाज तथा व्यापारी हिस्सा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार वर्ष 1955-56 था और उस वर्ष के इन्डैक्स की तुलना में 1960-61 उत्पादन का इन्डैक्स 19.1 प्रतिशत अधिक है।

भूमि के संरक्षण संबंधी उपायों और सूखी खेती के साधनों को अपनाने के फलस्वरूप तीन करोड़ तीस लाख एकड़ भूमि में सुधार होगा। सिंचाई की छोटी योजनाओं से एक करोड़ अट्ठाइस लाख भूमि तीसरी योजना में खेती के योग्य बन सकेगी। मेरी सरकार ने एक उन्नत बीज निगम स्थापित करने का निश्चय किया है, जो अधिक उत्पादन देने वाले और बीमारी का प्रतिरोध करने वाले बीजों के वितरण और बिक्री की व्यवस्था करेगा। बनावटी खाद की मांग उसके उत्पादन से कहीं अधिक है। इसलिए बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद के कई और कारखाने खोले जा रहे हैं। खाद के स्थानीय साधनों और हरी खाद के उपयोग को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सात राज्यों के चुने हुए जिलों में भरपूर खेती का कार्यक्रम चालू किया गया है। इस वर्ष सभी राज्यों में फसल उत्पादन आन्दोलन शुरू किये गये हैं, जिनके साथ पंचायतों, सहकारी समितियों और दूसरी ग्रामीण संस्थाओं का गहरा संबंध है। चार नये कृषि कालेज, दो पशु चिकित्सा कालेज और कुछ कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी तीसरी योजना में शामिल है।

उत्पादन और योजनाओं की विभिन्नता की दृष्टि से औद्योगिक पैदावार में भी काफी वृद्धि हुई है। लोहे और इस्पात, मशीनरी, बिजली के सामान और बनावटी खाद की पैदावार में पिछले वर्ष की अपेक्षा महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। हमें आशा है कि 1961-62 में लक्ष्यों की प्राप्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होगी।

फिर भी आत्मसन्तोष और प्रयत्नों की ढिलाई के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी बहुत-सी मुश्किलें और कठिनाइयां हैं, जैसे यातायात और कोयले की सप्लाई के संबंध में। निःसंदेह तीव्र आर्थिक विकास ही इन कठिनाइयों का कारण है।

*अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।

योजना में दिये गये कार्यक्रम को कार्यरूप देने के लिए दृढ़ प्रयत्न जरूरी है और यह तभी हो सकता है यदि हम मितव्ययिता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखें और समय तथा प्राथमिकता की सूची का भी ख्याल रखें। ये सब बातें मेरी सरकार के ध्यान में हैं और इन्हीं के द्वारा हम अपनी कठिनाइयों पर पार पा सकते हैं।

मेरी सरकार ने भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में लोहे के कारखानों के विस्तार तथा बोकारो में कच्चा लोहा और इस्पात का मिला-जुला कारखाना और दुर्गापुर में मिश्रित कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है।

तीसरी योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर हमने नौ करोड़ सत्तर लाख टन किया है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें इस उद्योग का योजनाबद्ध विकास करना है। सार्वजनिक क्षेत्र में अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी और रूस की सहायता से बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया जा रहा है। कोयले के उत्पादन में निजी खंड अपनी विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक द्वारा दिये गये साढ़े तीन करोड़ डालर के ऋण को उपयोग में ला सकेगा।

नेवेली में पिछले वर्ष के अगस्त महीने में लिग्नाइट की परतें दिखाई पड़ी थीं। लिग्नाइट के प्रयोग से चलने वाला पहला बिजली का कारखाना आशा है शीघ्र ही काम करने लगेगा।

गुजरात में अंक्लेश्वर में तेल के उत्तम और लाभदायक साधन प्राप्त हुए हैं। नूनमाटी में तेलशोधक कारखाना इस वर्ष जनवरी में चालू हो गया था। इसके अतिरिक्त बीस लाख टन क्षमता का ऐसा कारखाना गुजरात में स्थापित करने की योजना है।

आयात में कमी और निर्यात में कुछ वृद्धि के कारण गत बारह महीनों की अपेक्षा हम अपने व्यापार संबंधी घाटे को 364 करोड़ से घटाकर 218 करोड़ कर सके हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने की दिशा में अपने सतत् प्रयत्नों के फलस्वरूप मेरी सरकार निर्यात वस्तुओं की सूची में नयी चीजें जोड़ सकी है और नयी मंडियां ढूंढ सकी है। निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नये प्रोत्साहन भी दिये हैं। यद्यपि गत वर्ष निर्यात व्यापार से वृद्धि केवल 34 करोड़ रुपये की ही हुई है, इस बात से हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमारे व्यापार संतुलन का रुख अब अनुकूल है।

औद्योगिक संबंधों के सुधार के लिए 1958 में ऐच्छिक आधार पर जो अनुशासन नियमावली बनाई गई थी उसका अधिकाधिक पालन किया जा रहा है, और इससे बहुत से ऐसे झगड़ों का निपटारा किया जा सका जो अन्यथा किसी एक पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही का कारण बन सकते थे। ऐच्छिक आधार पर औद्योगिक कारखानों में जो सम्मिलित प्रबंध समितियां स्थापित की गई थीं उनके काम से यह प्रमाणित होता है कि पूर्ण विचार-विमर्श से औद्योगिक संबंधों में सुधार और उत्पादन में वृद्धि होती है।

प्रगतिशील खेती और ग्राम सुधार के लिए पंचायती राज और सहकारिता की उन्नति और विकास अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में मेरी सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप आठ राज्यों में ग्राम स्वशासन का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है और अनुमान है कि देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या इस सुधार के अंतर्गत आ गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेरी सरकार ने 6 से 11 साल तक की उम्र के सब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की है। यह संख्या देश के कुल स्कूल जाने वाले लड़कों का 90 प्रतिशत और लड़कियों का 62 प्रतिशत है और 6-11 आयु के कुल बच्चों की संख्या का 76 प्रतिशत है। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी को अनिवार्य बनाने के लिए राज्यों की सरकारों को विधान स्वीकृत करने का सुझाव दिया जायेगा।

तिरुपति में केन्द्रीय संस्कृत परिषद् से आशा है कि आगामी वर्षों में संस्कृत के अध्ययन का विस्तार होगा। यह परिषद् संस्कृत साहित्य से संबंधित विशेष विषयों में अनुसंधान भी करेगी।

इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की मांग बराबर बढ़ रही है। इसे पूरा करने के लिए मौजूदा संस्थाओं का विस्तार और देश के विभिन्न भागों में नयी संस्थाओं का स्थापन किया जायेगा।

गरीब, किन्तु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सहायता के लिए बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।

छूत की बीमारियों के उन्मूलन के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राथमिकता देना मेरी सरकार की नीति है। इसके परिणामस्वरूप मलेरिया का लगभग उन्मूलन हो चुका है और क्षय रोग तथा गुप्तेन्द्रिय रोगों पर व्यापक नियंत्रण किया जा सका है। देश भर से चेचक के उन्मूलन के कार्यक्रम को भी मेरी सरकार ने हाल ही में चालू किया है।

अभी तक हमारे अधिकांश ग्रामों में पीने के शुद्ध पानी की जो कमी है, उसे दूर करने के लिए स्वीकृत ग्रामीण योजनाओं का 50 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में और शहरी इलाके में 100 प्रतिशत तक ऋण के रूप में सरकारी सहायता के तौर पर दिए जायेंगे।

सिंचाई की व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नर्मदा योजना द्वारा, जो 43 करोड़ रुपये की है और जिसका उद्घाटन अप्रैल, 1961 में किया गया था, 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और उससे 5 लाख किलोवाट बिजली प्राप्त होगी।

राजस्थान नहर व्यवस्था की पहली नहर का उद्घाटन उप-राष्ट्रपति ने गत अक्तूबर में किया था। जब यह नहर पूर्ण हो जायगी और प्रयोग में आने लगेगी, इसके द्वारा राजस्थान की मरुभूमि भारत के सबसे बड़े धान्यागार में परिवर्तित हो जायेगी।

मालदा होकर सिलीगुड़ी तक बड़ी लाइन के निर्माण से कलकत्ता* और उत्तरी बंगाल में फिर से रेल संबंध स्थापित हो गया है, जो विभाजन के कारण टूट गया था। पूर्वी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में चालू 700 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण हो गया है।

गत वर्ष दो महत्वपूर्ण शताब्दियां राष्ट्रीय पैमाने पर मनाई गईं। टैगोर शताब्दी के संबंध में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी में विश्वभर के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भाग लिया। सभी राज्यों की राजधानियों में टैगोर रंगमंच की स्थापना इस शताब्दी कार्यक्रम का अंग है।

भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी अपनी शताब्दी मनाई और उसके द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एशियाई पुरातत्व सम्मेलन ने संसार के विभिन्न भागों से विद्वानों को आकृष्ट किया। दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी ने हमारी सभ्यता के अटूट ऐतिहासिक क्रम को लोगों के सामने चित्रित किया और हमारे अतीत को खण्डहरों और जीर्ण अवशेषों की कहानी न बताकर उसे राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा के स्रोत का रूप दिया।

चीन के साथ भारत के उलझे हुए संबंध अभी तक सुलझे नहीं हैं। अधिकारियों की रिपोर्ट, जो मेरी सरकार ने 1961 में संसद के सामने रखी थी, अभी तक चीन में प्रकाशित नहीं हुई है।

1954 की हिन्द-तिब्बती संधि की अवधि 2 जून, 1962 को समाप्त होती है। चीनी लोकतन्त्र सरकार ने इस संधि के स्थान पर नई संधि के लिए बातचीत का सुझाव भेजा है। इसके उत्तर के रूप में मेरी सरकार ने उनसे आग्रह किया है कि हमारे पड़ोसी अपनी आक्रमणात्मक नीतियों को छोड़ दें जिससे कि पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर शांति का वातावरण फिर से स्थापित किया जा सके।

जैसा कि संसद को विदित है, कांगो में संकट के समय, मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की सहायता के लिए पर्याप्त सैनिक दल भेजने का निश्चय किया था, यद्यपि ऐसा करना हमारे लिए भार-स्वरूप था और अभी भी है। हमारे सैनिकों और अफसरों ने उल्लेखनीय वीरता, अनुशासन, संयम और सबसे बढ़कर सद्भावना का परिचय दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने ही नहीं बल्कि सभी देशों के नागरिकों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। निजी आवश्यकताओं की दृष्टि से हम इन सैनिकों को घर वापस बुलाना चाहेंगे, किन्तु मेरी सरकार महसूस करती है कि वे आवश्यक काम जिनके लिये भारतीय सैनिक बाहर भेजे गये थे, अभी अधूरे रहते हैं और इसलिए जो सहायता हमने दी है उसे जारी रखना मेरी सरकार ने मंजूर किया है, यद्यपि हमारे जवानों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है जो लोग बहुत समय से अफ्रीका में हैं, उनकी बदली के लिए मेरी सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं। मेरी सरकार को इस बात से भी संतोष हुआ है कि इस मामले में पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के बीच संयुक्त राष्ट्र में सहयोग के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे हैं।

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

मेरी सरकार के लिए यह भारी संतोष और सुख का विषय है कि अल्जीरिया में स्वाधीनता के आधार पर समझौते की ओर कदम उठाये गये हैं। हिंसा के कारण वहां जान का भारी नुकसान हो रहा है और उससे मेरी सरकार को बहुत क्षोभ हुआ है और इसीलिए वह अल्जीरिया और दि-गौल के पारस्परिक प्रयत्नों के सफल परिणाम की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। मेरी सरकार बार-बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि शांतिपूर्ण समझौते का एकमात्र आधार अल्जीरियन लोगों की स्वाधीनता है और स्थायी शांति अहिंसात्मक शांतिपूर्ण उपायों द्वारा ही स्थापित हो सकती है।

भारत को 18-राष्ट्र निःशस्त्रीकरण समिति का सदस्य चुना गया है। जिन नीतियों का इस समझौते में अनुसरण किया जायेगा, और इस दिशा में हमने अभी तक जो योगदान दिया है उससे परिस्थितियों के सुलझने में सहायता मिलेगी, एक शांतिपूर्ण देश के रूप में और संसार में शांति के लिए उत्सुक क्षेत्रों के विस्तार में, सम्भव है, हम इस समझौते में भाग लेकर शांतिपूर्ण समझौते और पारस्परिक मेल-मिलाप की भावना को बढ़ावा दे सकें, इस आशा से मेरी सरकार ने इस कठिन दायित्व को स्वीकार किया है। इस बीच में मेरी सरकार सभी दिशाओं में संसार भर में तनाव की भावना को कम करने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी। मेरी सरकार को आशा है कि निःशस्त्रीकरण संबंधी बातचीत, कठिनाइयों के बावजूद, हमें युद्ध-विहीन विश्व की ओर ले जायेगी, जो हमारा ध्येय और नीति है।

जिनेवा में होने वाले लाओस संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आयोग में मेरी सरकार बराबर भाग ले रही है। हम बराबर इस नीति को अपनाते रहे हैं कि लाओस की समस्या को राष्ट्रीय स्वाधीनता और वहां के लोगों तथा सरकार को सभी सम्बद्ध राष्ट्रों द्वारा आश्वस्त तटस्थता की नीति का अवलम्बन करने की पूर्ण स्वाधीनता के आधार पर सुलझाया जा सकता है। यद्यपि यह समस्या अभी हल करनी रहती है, इस बात के लक्षण दिखाई देते हैं कि सुविख्यात राजनीतिज्ञ राजकुमार सुबन्नफूल के प्रधानमंत्रित्व में इन सिद्धांतों के आधार पर लाओस सरकार का निर्माण किया जा सकेगा। शांति के हित में हम वियतनाम और कम्बोडिया के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आयोग में बराबर भाग लें रहे हैं।

मेरी सरकार गाजा में संयुक्त राष्ट्रीय आपातकालिक सैन्यदल में भी भाग ले रही है। इस दल में एक भारतीय टुकड़ी भी शामिल है।

स्वाधीन राष्ट्रों की पंक्ति में हम कई एक अफ्रीकी देशों का स्वागत करते हैं, जिनमें भूतपूर्व फ्रैंच कलोनियल अफ्रीका के बहुत से राज्य, भूतपूर्व अंग्रेजी भूभाग सीरात्योन और ब्रिटिश शासनाधिकार में भूतपूर्व मैंडेटेड टेरेटरी टांगानीका शामिल हैं।

हमने सीरिया, सेनेगल और टांगानीका में अपने राजनयिक प्रतिनिधि नियुक्त किये हैं और कुवैत तथा उत्तर-दक्षिण कोरिया के साथ, जिनके प्रतिनिधि हमारे देश का दौरा कर चुके हैं, व्यापार संबंध स्थापित किये हैं।

स्वाधीन राष्ट्र के रूप में हम पश्चिमी सामोआ के उदय का स्वागत करते हैं। अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के संबंध में मेरी सरकार ने सोवियत संघ के साथ संधि की है।

सोवियत संघ के राष्ट्रपति, मलाया के सम्राट और साम्राज्ञी, नेपाल के सम्राट महेन्द्र, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फ्रोंडिजी, पोलैंड के राष्ट्रपति जबदस्की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त अरब राष्ट्र के उपराष्ट्रपति, डेनमार्क, हंगरी, जापान, ट्रिनीदाद और बर्मा* के प्रधानमंत्रियों ने भारत की यात्रा की और हमारे प्रधानमंत्री के साथ पारस्परिक हितों पर विदेश मंत्री के साथ विभिन्न विषयों के संबंध में बातचीत की। फ्रांस के परराष्ट्रमंत्री और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी भारत आये और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से बातचीत की।

हिन्द-पाकिस्तान के संबंधों में सुधार के लक्षण दिखाई नहीं दिये हैं। हमने पाकिस्तान सरकार के साथ "युद्ध नहीं" संधि पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दोहराया। हाल में पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा परिषद् से कश्मीर के प्रश्न पर विवाद करने के लिए प्रार्थना की, यद्यपि उन्होंने अपनी सेनाओं को हटा लेने और युद्ध-बंदी रेखा के दूसरी तरफ हिंसात्मक गतिविधि बन्द करने और कश्मीर के अन्दर शांति-विरोधी शक्तियों की सहायता न करने संबंधी उन समझौतों पर अमल किया है और न उनके प्रति कोई आदर दर्शाया है। किन्तु सुरक्षा परिषद् ने पाकिस्तान की प्रार्थना पर विचार स्थगित रखा है।

जैसा कि संसद जानती है, 14 वर्षों तक धैर्यपूर्ण बातचीत और प्रतीक्षा के बाद, हमारे देश की भूमि पर स्थापित पुर्तगाली उपनिवेशवाद की समस्या को सुलझाने का पुर्तगाल के मित्रों को पूर्ण अवसर दे चुकने के बाद, भारत सरकार को शांति के हित में, भारत की एकता के हित में और देश में अरोध्य जनमत के अनुसार देश की भूमि पर पुर्तगाली उपनिवेशवाद का अन्त करने के लिए, कार्यवाही करनी पड़ी। पुर्तगाल द्वारा नग्न हिंसा जिसमें हमारे व्यापारी बेड़े पर गोली चलाना, हमारे देशवासियों की हत्या करना और हमारी भूमि पर आक्रमण करना भी शामिल है, इन कार्यवाहियों के कारण वह समस्या भड़क उठी। यद्यपि कुछ देशों ने भ्रांतिपूर्ण आलोचना की है, फिर भी संसार के अन्य राष्ट्रों ने हमारी कार्यवाही की प्रशंसा की है, और निश्चय ही सब देशों की जनसंख्या ने पुर्तगाली उपनिवेशवाद का संसार के कम से कम एक भाग में अन्त का स्वागत किया है।

आप सब संसद सदस्यों के समान ही मुझे भी इस बात की खुशी है कि गोवा-संबंधी कार्यवाही लगभग रक्तपात के बिना, और जहां तक वहां की गैर-सैनिक जनसंख्या का संबंध है, जिसमें हमारे देशवासी और अन्य लोग भी शामिल हैं, पूर्णरूप

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

से हिंसा के बिना, की जा सकी। गोवा पर सिविल कानून के अंतर्गत मिलिट्री गवर्नर का शासन है और भारतीय संघ के अविभाज्य अंग के रूप में उन भूभागों की स्थिति को वैधानिक रूप देने के लिए संसद के इस सत्र के सामने एक विधेयक रखा जायेगा। हमने गोवा की जनता और संसार को बार-बार आश्वासन दिया है कि ऐतिहासिक कारणों से जो विशेषता इस प्रदेश को प्राप्त है, उसका हमारे संविधान के मौलिक तत्वों की सीमा में सदा आदर किया जाएगा और जो भी परिवर्तन हो वह रचनात्मक तथा निर्विघ्न होगा। पहले के पुर्तगाली उपनिवेश के लोगों को हमारे संविधान के आधारभूत अधिकारों और मौलिक सिद्धांतों के अनुसार संरक्षण प्राप्त है। मेरी सरकार इस विषय पर इसी संसद के इसी सत्र में एक विधेयक पेश करना चाहती है।

मेरी सरकार ने भूटान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में सत्रह करोड़ रुपये की सहायता देना स्वीकार किया है। स्वयं भूटान की सरकार के तथा सीमा-सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यातायात को सबसे प्रमुख स्थान मिल रहा है। आशा की जाती है कि इस वर्ष भूटान में मोटर यातायात स्थापित करना सम्भव होगा। मेरी सरकार को इस बात से खुशी है कि इन सभी विकास कार्यों में भूटान की सरकार ने पहल की है जिसमें मेरी सरकार पूरा सहयोग दे रही है।

आर्थिक चालू वर्ष 1962-63 के लिए भारत सरकार का अनुमानित आय-व्यय का ब्यौरा इस वर्ष के एक भाग के व्यय का अधिकार देने के लिए आपके सामने पेश किया जायेगा।

संसद का यह अधिवेशन बहुत ही छोटा होगा और इसलिए केवल आवश्यक विधान ही इस सत्र में हाथ में लिया जायेगा। कुछ अध्यादेश जो पिछले सत्र के बाद जारी किये गये थे, संसद के सामने रखे जायेंगे।

आम चुनाव अब पूरे हो चुके हैं। संसद के माननीय सदस्यगण, मैं भी आपकी खुशी में अपनी प्रसन्नता की यह ध्वनि मिलाना चाहूंगा कि इतना बड़ा मताधिकार शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार संपन्न हुआ है। हमने अपने लिये एक उदाहरण स्थापित किया है और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली में संसार की आस्था को बढ़ाया है।

चुनाव के परिणामस्वरूप मेरी सरकार को अपनी आन्तरिक तथा विदेश नीतियों के प्रति विशेष विश्वास प्राप्त हुआ है और इस बात का उसे फिर से अधिकृत आदेश मिला है कि दूर गांवों में भी आम चुनावों के आधार पर जनतंत्रात्मक पद्धति के द्वारा लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना के लिए फिर से वह कठिन अध्यवसाय के साथ और तेजी से प्रयत्नशील हो ताकि लोकतन्त्र एक वास्तविकता बन जाये। राष्ट्रीय एकता और तटस्थ नीति द्वारा विश्वशांति, शांतिपूर्ण और आस्था जो लोगों ने मेरी

सरकार के प्रति और उसकी आन्तरिक विदेश नीति के प्रति, जिसे अनेक बार संसद का समर्थन प्राप्त हो चुका है और चुनाव से पहले जिसका देशव्यापी विवेचन हो चुका है, सरकार की नीतियों को सुदृढ़ बनाती है और इसके द्वारा मेरी सरकार पर राष्ट्रीय आदेश के रूप में यह दायित्व आता है कि वह दृढ़ता से इन नीतियों को कार्यान्वित करे।

संसद के माननीय सदस्यगण, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मुझे विश्वास है कि आपमें से जो लोग पुनः संसद सदस्य के रूप में यहां नहीं आयेंगे, वे राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य में लगे रहेंगे। यह कार्य हमारे जनतन्त्र की प्रगति, समाजवादी समाज के निर्माण तथा संसार में शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है। आप में से जिन्हें इन वैधानिक प्रवृत्तियों को चालू रखने के लिए जनमत का आदेश मिल गया है, वे अपने कठिन किन्तु रचनात्मक और राष्ट्र-निर्माण के फलदायी प्रयास को जारी रखने के लिए उन्हीं के साथ शामिल हो जायेंगे जो पहली बार संसद में आ रहे हैं।

थोड़े ही समय बाद एक नई संसद का उद्घाटन होगा और पूर्व वर्षों की तरह ही किन्तु नवीन उत्साह और नवोदित शक्ति के साथ आप तथा वे सभी हमारे संविधान के मौलिक सिद्धांतों की स्थापना और उन्हें अधिकाधिक कार्य रूप देने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे।

वे मौलिक सिद्धांत इस प्रकार हैं:—

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता;

सभी नागरिकों के बीच भ्रातृभाव को प्रोत्साहन जिसके द्वारा

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की

एकता सुनिश्चित हो।

ये सिद्धांत अपने पूर्ण अर्थों समेत हाल के शिक्षाप्रद और महान चुनावों के समय मेरी सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के सामने रख दिये गये थे।

आप जहां भी हों, मैं आपकी सफलता और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 अप्रैल 1962

लोक सभा	-	तीसरी लोक सभा
सत्र	-	तीसरे आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	सरदार हुकम सिंह

माननीय सदस्यगण,

अपने गणराज्य के तीसरे संसद अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर, संसद के सदस्यों के रूप में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से बहुत से ऐसे हैं जो गत वर्षों में भी संसद के सदस्य रहे हैं और जिन्हें एक बार फिर उनके निर्वाचकों ने चुनकर उनमें अपना विश्वास प्रकट किया है। आप में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सार्वजनिक कार्य के लिए या शायद विधान सभाओं के लिए भी, नये नहीं, किन्तु जिन्हें संसद के लिए पहली बार चुना गया है।

मैं आप सब को बधाई देता हूं और अपनी मातृभूमि की सेवार्थ सामूहिक प्रयत्नों के लिये आपका स्वागत करता हूं। संसद की सदस्यता की अवधि में आप में से प्रत्येक को, संसद के अन्दर अथवा अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में अपने देश की सेवा के रचनात्मक कार्य के लिए अनिवार्य रूप से लगातार अनेक और व्यापक अवसर मिलेंगे। राष्ट्र-निर्माण के कार्य की दिन-प्रतिदिन की और अन्तिम जिम्मेदारी संसद की है। इस कार्य के लिए आपकी पूर्ण विचारशक्ति, विश्लेषण, रचनात्मक आलोचना, सावधानी और समर्पण की क्षमता अपेक्षित है।

करीब एक महीना हुआ मैंने दूसरी संसद के अंतिम सत्र के सम्मुख अभिभाषण दिया और उनसे विदा ली थी। राष्ट्रीय जीवन में हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में जो उन्नति हो रही है, उसका मैंने उस समय संक्षेप में ब्यौरा दिया था। तबसे आज के दिन तक, जब मुझे आपका स्वागत करने का श्रेय मिल रहा है, इस अल्प अवधि में भी कई दिशाओं में हमारा देश आगे बढ़ा है।

हमारे भौतिक विकास और वेगवान सामाजिक तथा आर्थिक संतुलन को बनाये रखने का आधार हमारी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने दूसरे साल में है और इसका आरम्भ अच्छा हुआ है। इस व्यापक प्रयास का अभिप्राय है हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना और अपने संविधान के आदेशानुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के आधार पर समाज का गठन करना। यह आवश्यक है कि इस योजना के कार्यरूप में परिणत होते हुए हमें उत्पादन के काम में अपने लोगों का बराबर बढ़ती हुई संख्या में सहयोग प्राप्त होता रहे और इस सहयोग का रूप दक्षता और जनता द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य को हृदयंगम करना हो।

देहाती क्षेत्रों में जनशक्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय हुआ प्रयोगात्मक योजनायें चालू की गई थीं। देहात विकास का यह कार्य बढ़ाया जा रहा है और अब इसके अंतर्गत 200 विकास केन्द्र आते हैं। ग्राम और घरेलू उद्योगों के विकास के लिए भी, चुने हुए देहाती क्षेत्रों में, प्रयोगात्मक योजनायें चलाई जा रही हैं। इनका अंतिम ध्येय देहाती लोगों की अर्थव्यवस्था को संतुलित और विविध बनाना है।

मेरी सरकार ने जनशक्ति के उपयोग के लिए दिल्ली में 'अप्लाइड मैन पावर रिसर्च' नामक संस्था स्थापित करने की दिशा में कदम उठाये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा के अनुसार बेरोजगारी दूर करने और बेरोजगारों की सहायता करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। मजदूर अनुसंधान के लिए बम्बई* में एक केन्द्रीय संस्था खोली जा रही है। आशा है, तीसरी योजना में दिये गये मजदूर शिक्षण संबंधी कार्यक्रम से इस श्रेणी के अधिकांश लोग लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का ध्येय हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा आधारभूत सिद्धांतों के समझने को प्रोत्साहन देना और मजदूरों में ज्ञान तथा हुनर का प्रसार करना है जिससे कि वे लोग अधिक अच्छी तरह अपना संगठन कर सकें।

कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और खाद्य की स्थिति आमतौर से बिल्कुल संतोषजनक है। कुछ क्षेत्रों में बिजली की कमी के बावजूद औद्योगिक उत्पादन में बराबर वृद्धि हो रही है।

अणुशक्ति के क्षेत्र में, खेती, जीव विज्ञान, उद्योग और चिकित्सा में काम आने वाले रेडियो आइसोटोप का उत्पादन भी आगे बढ़ा है। ट्रॉम्बे में तैयार किये गये रेडियोकोबाल्ट अब देश भर के अस्पतालों में उपलब्ध हैं। अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग तथा विकास के लिए गत वर्ष हंगरी, स्वीडन और सोवियत संघ के साथ हमारी संधियां हुई हैं।

पंचायती राज ने हमारे लोगों को अपनी ओर से बहुत आकर्षित किया है, क्योंकि यह हमारी परम्परा और विचारधारा के अनुरूप है। पंचायती राज चार और राज्यों में लागू होने जा रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह बारह राज्यों में लागू हो जायेगा।

---
*अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

बरौनी में सार्वजनिक खण्ड में आने वाले दूसरे तेलशोधक कारखाने पर काम जारी है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष 20 लाख टन तेल साफ किया जायेगा। दस लाख टन की क्षमता वाला पहला कारखाना आगामी 12 महीनों में काम करने लगेगा।

नूनमाटी से सिलीगुड़ी तक और कलकत्ता* से बरौनी होकर दिल्ली तक तेल की ढुलाई के लिए पाइप लाइन बिछाने की योजना है। देश के पश्चिमी भाग में तेल क्षेत्रों को प्रस्तावित तेलशोधक कारखाने के साथ और इस कारखाने को अहमदाबाद के साथ पाइप लाइन से जोड़ा जायेगा। पूर्व में पेट्रोलियम के उत्पादन से परिवहन और पश्चिम में कच्चे तेल, गैस और तैयार माल की ढुलाई के लिए तेल क्षेत्रों से विभिन्न शक्ति-क्षेत्रों तक पाइप लाइनें ले जायी जायेंगी। पाइप लाइनें बिछाने का यह कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूर्ण हो जायेगा। इससे हमारी रेल व्यवस्था पर सामान की ढुलाई का बोझ काफी हल्का हो जायेगा।

भारत को अठारह-राष्ट्र निःशस्त्रीकरण समिति और संयुक्त राष्ट्र की प्रस्ताव कार्यान्वयन समिति का सदस्य चुना गया है। जिनेवा में होने वाली निःशस्त्रीकरण संबंधी बातचीत में अभी तक विशेष प्रगति नहीं हो पायी है। निःशस्त्रीकरण के ध्येय की प्राप्ति के अभाव में सम्मेलन की कोशिशें ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जारी हैं, जैसे अणुबम के प्रयोगात्मक विस्फोटों की रोकथाम, अचानक आक्रमणों पर प्रतिबन्ध लगाकर राष्ट्रों के बीच विश्वास की भावना पैदा करना, अणुप्रभाव से मुक्त क्षेत्रों के संबंध में समझौता और शस्त्रीकरण की दौड़ की रोकथाम करना। निःशस्त्रीकरण संधि का सर्वमान्य प्रारूप तैयार करने में भी सम्मेलन व्यस्त है। इस संधि की प्रस्तावना इस समय विचाराधीन है। इस सम्मेलन के प्रयत्न सफल हों और बातचीत सवेग आगे बढ़ती रहे, इसके लिए मेरी सरकार सर्वोत्तम और सम्पूर्ण प्रयत्न करेगी। हमारा प्रतिनिधिमंडल, अन्य राष्ट्रों के साथ, अणुविस्फोटों की रोकथाम के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उनका समर्थन करने में विशेष रूप से और इस कार्य को अत्यन्त आवश्यक मानकर पूरी सहायता देगा।

1962-63 के लिए अन्तरिम बजट विगत संसद के सामने रखा गया था और वर्ष के एक भाग के लिए आय-व्यय पर मतदान द्वारा खर्च करने की अनुमति ले ली गई थी। नई संसद के सामने भी इसी सत्र में आवश्यक संशोधनों के साथ बजट पेश किया जायेगा और समस्त वर्ष के लिए संसद से धनराशि स्वीकृत करने की प्रार्थना की जायेगी।

मेरी सरकार निम्नलिखित विधेयक पेश करना चाहती है:—

1. विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए कुछ विधेयक,
2. दि कांस्टीट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल्स,

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

3. दि एटौमिक एनर्जी बिल
4. दि इलैक्ट्रीसिटी (सप्लाई) अमेंडमेंट बिल
5. दि पेटेंट्स बिल
6. दि इंडियन टैरिफ (अमेंडमेंट) बिल
7. दि इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल
8. दि पोर्ट ट्रस्ट्स बिल
9. दि ऑयल एंड नैचुरल गैस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल
10. दि मिनिमम वेजेस (अमेंडमेंट) बिल
11. दि फैक्ट्रीज (अमेंडमेंट) बिल
12. दि पेमेंट ऑफ वेजेस (अमेंडमेंट) बिल
13. दि वर्कमैन्स कम्पन्सेशन (अमेंडमेंट) बिल
14. दि इंडस्ट्रीयल (अमेंडमेंट) बिल
15. दि वर्किंग जर्नलिस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल
16. दि एम्पलोइस प्रोविडेंट फंड (अमेंडमेंट) बिल
17. दि एम्पलोइस स्टेट इन्श्योरेंस (अमेंडमेंट) बिल
18. दि वैल्थ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल
19. दि फाइनांस बिल (नं. 2)

संसद के माननीय सदस्यगण, गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में आपके सम्मुख अभिभाषण देने का मेरे लिये यह अंतिम अवसर है। बारह वर्षो से अधिक समय तक लोगों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में देश की सेवा करने का सुयोग मुझे मिला, यह मेरे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है। इस उच्च पद को स्वीकार करने से पहले, संसदीय जीवन और उसके कर्तव्यों का भी मुझे कुछ अनुभव रहा है। उसके लिए मेरे मन में अधिक से अधिक आदर है और संसदीय प्रणाली तथा उसकी संस्थाओं में मेरा आशापूर्ण विश्वास और गहरी आस्था है। इसमें मुझे संदेह नहीं कि आप अपने पूर्वाधिकारियों द्वारा स्थापित उच्च परम्पराओं को बनाये रखेंगे।

यह भी सौभाग्य की बात है कि हमारी संसद के प्रति लोगों की आदर भावना है और हमारी राजनीतिक भावनाओं में इसकी जड़ें गहरी जम गई हैं। यद्यपि इसके मूल आदर्श और कार्य-प्रणाली ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिये गये हैं, हमारी संसद ने अपना सजीव व्यक्तित्व विकसित किया है और यह प्रक्रिया बराबर जारी है। हमने अपने

अनुभव के आधार पर और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी रीतियों और कार्यविधियों की स्थापना की है।

जैसा कि मैंने अपने पिछले अभिभाषण में कहा था, मेरी सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य अपनी नीतियों पर दृढ़तापूर्वक चलना और अपने देश में लोकतंत्रात्मक तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही करना है। ऐसा करने से ही राष्ट्रीय उन्नति तथा उत्पादन में वृद्धि सामाजिक न्याय का रूप ले सकती है, उन्नति की वेगवती प्रवृत्ति शांतिपूर्ण रह सकती है और हमारा देश दृढ़ता और तेजी से आगे बढ़ सकता है।

अब मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको आपका कार्यभार सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके अनुभव, देश भक्तिपूर्ण उत्साह और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना, आपकी त्यागपूर्ण कर्तव्य-परायणता तथा दक्षता और जो जरूरी काम हमारी राह देख रहे हैं उनकी पुकार, हमेशा और पूरी तरह इस कार्य को प्राप्त रहेगी।

मैं आपका शुभ चाहता हूं। आप सब और हमारी लोकतंत्रात्मक संस्थाएं स्थायी और शक्तिशाली बनें, लोगों को जनतंत्रात्मक प्रयत्नों के लिए अधिकाधिक प्रेरित करें और शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को उन्नत करने में सहायक हों, यही मेरी कामना है।

डॉ. एस. राधाकृष्णन

संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 फरवरी 1963

लोक सभा	-	तीसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	सरदार हुकम सिंह

माननीय सदस्यगण,

हमारे गणराज्य की तीसरी संसद के नये इजलास का कार्यभार उठाने के लिए मैं आप सब का स्वागत करता हूं।

हमारे गणराज्य की स्थापना के समय से ही हमारी संसद को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा और भारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी हैं। संसद की रहनुमाई में हमने अपने संविधान में बताये गये उन मकसदों को पूरा करने का यत्न किया है, जो इस प्रकार हैं:–अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना विचार, इजहार, विश्वास, निष्ठा और पूजा की आज़ादी; दर्जे की बराबरी, और अवसर की समानता और सब में भाईचारे की भावना बढ़ाना और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना। हमने अपनी सारी शक्ति ऐसे समाज की स्थापना में लगाई है जिसमें ये सारे मकसद कारगर ढंग से हासिल किये जा सकते हैं। अपनी परम्परा के मुताबिक हमने विश्व शांति के लिए परिश्रम किया है और सैनिक गठबंधनों से अलग रहते हुए सभी देशों के साथ मित्रता और सहयोग के संबंध कायम करने का यत्न किया है। हम यह सोचने का साहस करते हैं कि इस बारे में हम संसार की थोड़ी बहुत सेवा कर सके हैं।

अपने गणराज्य के निर्माण के बाद शीघ्र ही हमने अपनी लम्बी यात्रा शुरू की, जिससे कि हम लोकतंत्रीय और समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का अपना मकसद

हासिल कर सकें और इसके लिए हमने योजना बनाकर काम किया। दो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में हैं। इस अर्से में हमने अपनी अर्थव्यवस्था के बहुत से क्षेत्रों में काफी तरक्की की है, जो हमें इस तरक्की से हमेशा संतोष नहीं हुआ।

खेती-बाड़ी हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे अहम पहलू है। इसका बहुत विकास हुआ है और खेती-बाड़ी की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। बड़े और छोटे, दोनों तरह के उद्योगों में और ग्राम उद्योगों में भी काफी तरक्की हुई है और धीरे-धीरे हमारी अर्थव्यवस्था का औद्योगिक आधार स्थापित होता जा रहा है। देश के लोगों की सेहत में सुधार हुआ है और 1940-50 के दौरान आम लोगों की जो औसत आयु 32 वर्ष हुआ करती थी वह 47 वर्ष तक पहुंच गई है और उसमें वृद्धि हो रही है। मलेरिया खत्म करने के कार्यक्रम के बहुत अच्छे नतीजे निकले हैं। अगरचे शिक्षा का स्तर ऊंचा करने और उसके स्वरूप को सुधारने की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है तो भी इस का तेजी से विस्तार हुआ है। मार्च, 1962 के अंत तक हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पांच करोड़ से ऊपर लड़के और लड़कियां शिक्षा पा रही थीं। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर खासतौर से जोर दिया गया है और अब बहुत बड़ी संख्या में तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थाएं काम कर रही हैं।

हालांकि हम अपने देश की अंदरूनी तरक्की करने में लगे रहे फिर भी हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उद्देश्यपूर्ण दिलचस्पी ली और हम संसार की शांति की अहमियत पर हमेशा जोर देते रहे। कुछ मौकों पर तो हमारे हिस्सा लेने से बड़ा फर्क पड़ा और उसके कारण शांति के काम को बढ़ावा मिला। हमें आशा थी कि न केवल संसार में शांति सुनिश्चित होती जायेगी बल्कि हम भी अपने पड़ोसियों के साथ अमन से रह सकेंगे, और अगर कोई मसले उठ खड़े होंगे तो वे शांतिपूर्ण तरीकों से हल कर लिये जायेंगे। हमने पाकिस्तान के साथ अपने कुछ अहम मसले तो सुलझा लिये हैं लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे कुछ ऐसे मसले हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। हम उन्हें भी शांति से हल करना चाहते हैं ताकि भारत और पाकिस्तान अपने समान इतिहास, संस्कृति और परम्परा के मुताबिक आपस में दोस्ती और सहयोग की भावना वाले पड़ोसियों की तरह रह सकें।

कुछ वर्ष हुए चीन ने लद्दाख में चोरी-छिपे हमला शुरू कर दिया जिसके कारण बाद में दोनों देशों के बीच कुछ घटनाएं हुईं। इस मामले पर संसद में अक्सर बहस हुई है। हमें आशा थी कि हम इस प्रश्न को भी शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने में सफल हो जायेंगे। लेकिन पिछले आठ सितम्बर को नेफा में सीमा के पार एक नया हमला शुरू हुआ और टोह लगाने वाले कुछ हमलों के बाद चीन ने बीस अक्तूबर को भारत-चीन सीमा पर नेफा और लद्दाख दोनों इलाकों पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। नवम्बर के

मध्य में एक और ज़बरदस्त हमला हुआ और हमारे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इस के बाद चीन की सरकार ने लड़ाईबन्दी करने और अपनी सेनाएं हटा लेने का इकतरफा आदेश दे दिया।

हमारे इलाके पर इन बड़े हमलों का और लगातार जोर ज़बरदस्ती का हमारी जनता पर बड़ा असर पड़ा और इसका नतीजा यह हुआ कि देश भर में तुरन्त एकता की लहर दौड़ गई। राष्ट्र की अखण्डता और स्वतंत्रता के खतरे की इस घड़ी में छोटे-मोटे सभी अन्दरूनी भेदभाव दब गये और रुक गये। नवम्बर के महीने में हमारी संसद ने राष्ट्र का इस मामले में नेतृत्व किया और समूचे भारत में हमारी जनता ने इस नेतृत्व का दिल से अनुसरण किया।

भारत की अखण्डता पर किसी के भी हमले से हमें दुःख होता, लेकिन एक ऐसे देश का आक्रमण, जिसके साथ हमने दोस्ती रखने की कोशिश की और जिसके पक्ष का समर्थन हमने अंतर्राष्ट्रीय कौंसिलों में किया, हमारे साथ बड़ा भारी धोखा था और इससे हमारे लोगों को बहुत धक्का पहुंचा। ज़ाहिर है, ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश का पहला कर्तव्य यह था कि वह इस हमले का मज़बूती से मुकाबला करे और उसके लिये अपने आपको तैयार करे।

आजकल कोई लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के अनुभव से हम खबरदार और मज़बूत हुए हैं और हमने यह पक्का इरादा किया है कि हम इस संकट से अपना बचाव करेंगे और अपनी रक्षा व्यवस्था तथा आर्थिक ढांचे को पूरी कोशिश से मजबूत बनायेंगे। हमारी सरकार इस जरूरी और अहम काम में लगी हुई है।

चीनी हमले के बाद जल्दी ही हमारी सरकार ने संसार के देशों से हमदर्दी और हिमायत की अपील की। हम उन बहुत से देशों के आभारी हैं जिन्होंने हमारी हिमायत की और हमारे साथ हमदर्दी जाहिर की। इनमें से कई देशों ने तो वास्तविक तौर पर हमारी मदद की है और हम उनके प्रति आभारी हैं। खासतौर पर मैं संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटिड किंगडम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस संकट में तेजी से हमें सहायता दी।

श्रीलंका तथा गुटबंदी से अलग पांच अन्य राष्ट्रों की सरकारों ने जो प्रस्ताव रखे थे, उन पर संसद के पिछले इजलास में पूरी तरह बहस हुई। भारत और चीन के बीच जो बुनियादी झगड़ा है, उसके गुण-दोषों का तो इन प्रस्तावों में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उनमें ऐसा वातावरण तैयार करने के तरीके का सुझाव जरूर है, जिससे इन बुनियादी सवालों पर बातचीत हो सके। इन प्रस्तावों पर अच्छी तरह विचार करने और संसद की राय जान लेने के बाद हमारी सरकार ने, कोलम्बो राष्ट्रों के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखकर, इनके बारे में अपनी रजामंदी बिना किसी शर्त के भेज दी। चीन सरकार ने इन प्रस्तावों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है और हम अभी यह नहीं कह सकते कि आगे चल कर क्या होने वाला है। क्योंकि हमारा देश शांतिपूर्ण तरीकों

का कायल है, वह झगड़ों को हमेशा ही शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करता रहेगा, बशर्ते कि ऐसा करने से हमारी इज्जत और आजादी को आंच न आये। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सैनिक शक्ति के बल पर न कोई हमसे अपनी बात मनवा सकता है और न हम मानेंगे ही।

हमारे सामने आज चीन के हमले की समस्या सबसे बड़ी है और इसको सामने रखकर ही हमें बाकी सब बातों पर विचार करना है। किसी भी देश की आज़ादी और इज्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है और अगर कोई देश इन्हें नहीं बचा सकता तो दूसरे मामलों की अहमियत नहीं रह जाती। इस तरह राष्ट्र के सभी काम इसी बुनियादी मसले पर केन्द्रित हैं। एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद् बना ली गई है और एक राष्ट्रीय रक्षा कोष खोल दिया गया है। हमारे लोगों ने इसमें खुले दिन से धन दिया है। विभिन्न राज्यों में बहुत सी नागरिक परिषदें बना दी गई हैं और उनके काम में तालमेल रखने के लिए एक केन्द्रीय नागरिक परिषद् भी बना दी गई है।

हमारी हथियारबंद सेनाओं का विस्तार करने और आर्डनेंस फैक्टरियों तथा रक्षा के दूसरे कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं। इस दिशा में असैनिक कारखानों से भी सहायता ली जा रही है। इन फैक्टरियों में काम करने वाले सभी लोगों का अपनी सरकार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने राष्ट्र के काम में तन-मन से योग दिया है। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो समूचे देश में खेतों, कारखानों और सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। मातृभूमि पर संकट की घड़ी में इस महान देश के लोगों ने बड़ी लगन से जो योग दिया है उसे देखकर हमारे हौंसले बहुत बढ़े हैं।

एमरजेंसी का एलान हो जाने के बाद जल्दी ही मजदूरों और प्रबन्धकों की केन्द्रीय संस्थाओं ने उद्योगों में शांति बनाए रखने के लिए एक राय होकर प्रस्ताव पास कर दिया जिसका मकसद यह था कि कारखानों में झगड़े बिल्कुल खत्म कर दिए जायें, उत्पादन को बढ़ाया जाये और जहां तक हो सके लागत में कमी की जाए। इसका नतीजा यह हुआ है कि केन्द्र में, राज्यों में और बहुत से कारखानों में एमरजेंसी उत्पादन कमेटियां बना दी गई हैं।

चीनी हमले से हमारे ऊपर जो भारी बोझ पड़े और उसका मुकाबला करने के लिए जो कदम उठाये गए, उन सबको ध्यान में रखते हुए यह सवाल उठा कि कोई बड़ी तब्दीली किए बगैर हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना किस तरह पूरी की जा सकती है। इस मामले पर पूरी तरह से गौर करने के बाद हमारी सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्र को मज़बूत बनाने के लिए इस योजना के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरा करना ही होगा और इसलिए रक्षा की दृष्टि से भी इस पर अमल करना जरूरी है। आर्थिक विकास और उद्योगों की तरक्की ही हमारी रक्षा की तैयारी का आधार है। आर्थिक

विकास को रोकने या इसकी प्रगति धीमी करने का नतीजा यह होगा कि देश कमजोर हो जायेगा। इसलिए यह फैसला किया गया है कि हालात के मुताबिक इधर-उधर कुछ फेरबदल करके तीसरी पंचवर्षीय योजना पर अमल जारी रखा जाये, और हमारे उद्योगों का इस तरह पुनर्गठन किया जाये कि रक्षा की जरूरतों को पहला स्थान दिया जा सके। इस तरह खेती-बाड़ी, उद्योग, परिवहन, संचार, बिजली, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में हमें भरसक कोशिश करते रहना है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि खेती-बाड़ी का आधार मज़बूत हो। रक्षा के लिए उद्योग ज़रूरी है और इसी तरह बिजली, परिवहन और तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना भी।

खेती में अधिक पैदावार के कार्यक्रम से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चावल की प्रति एकड़ पैदावार में पन्द्रह से इक्कीस प्रतिशत, गेहूं की आठ से पन्द्रह प्रतिशत और जौ की ग्यारह से पच्चीस प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में बराबर वृद्धि हुई है और 1962 के पहले नौ महीनों में कोई साढ़े सात प्रतिशत अधिक उत्पादन होने का अनुमान है। लोहे और इस्पात का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है। पब्लिक सेक्टर में इस्पात के कारखानों का विस्तार करने की दिशा में और दुर्गापुर में अलॉय स्टील कारखाना लगाने की दिशा में कदम उठाये गये हैं। खनिज और तेल साधनों के विकास कार्य में और तरक्की हुई है। कोयले का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है और यह आशा की जाती है कि हमने इस वर्ष में छः करोड़ दस लाख (मीट्रिक) टन कोयला निकालने का जो लक्ष्य रखा है वह पूरा हो जायेगा।

दिसम्बर, 1962 में भारतीय व्यापारी जहाज़ी बेड़े का टनभार दस लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन तक पहुंच गया। 1966 तक साढ़े पांच लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन का अतिरिक्त भार प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वह योजना काल समाप्त होने से तीन वर्ष पहले ही पूरा हो जायेगा, ऐसी आशा है। दो लाख टन तो पहले प्राप्त कर लिया गया है और दो लाख टन से ज्यादा और लेने के पक्के आर्डर दे दिये गए हैं।

खर्च में कमी करना, चीज़ों को ज़ाया न होने देना, अपने सीमित साधनों को बचाए रखना और संभाल कर उनका इस्तेमाल करना—हमेशा ही जरूरी होता है, लेकिन आज इसकी खास अहमियत है। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिएं और कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहिये। हमारे देशवासियों में एकता और डिसिप्लिन की इतनी अच्छी भावना जगी कि एमरजेंसी का ऐलान होते ही अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की जरूरत सभी ने फौरन मान ली। थोक भावों का मौजूदा स्तर उससे ऊंचा नहीं है, जो तीसरी योजना के शुरू में था। भारत में चोरी-छिपे सोना लाने से हमारी विदेशी मुद्रा के साधनों पर जो भार पड़ता है, उसे रोकने के लिए सोने पर नियंत्रण रखने के मकसद से कुछ नियम बनाये गये हैं।

एटमी शक्ति विकसित करने के हमारे कार्यक्रम में तेजी से तरक्की हुई है। बिहार में यूरेनियम की एक खान खोदी जा रही है तथा एक यूरेनियम मिल बनाई जा रही है।

पहला एटमी बिजलीघर तारापुर में; दूसरा राजस्थान में, राणा प्रताप सागर में; और तीसरा मद्रास राज्य में पूर्वी तट पर कलपक्कम में बनाया जायेगा और जांच करने पर यह मालूम हुआ है कि तारापुर में बिजलीघर में बिजली पैदा करने पर जो लागत आयेगी, वह उससे कम होगी जो इसी जगह इतने ही बड़े किन्तु कोयले से बिजली पैदा करने वाले बिजलीघर में आयेगी। एटमी शक्ति से चलाये जाने वाले इन बिजलीघरों से हमारी रेल और परिवहन व्यवस्था का भार भी कम हो जायेगा।

अब लगभग सारे देश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं और पंचायती राज भी नौ राज्यों में लागू हो गया है। एमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा को दी गई चुनौती का सामना करने के लिए ग्रामीण भारत के एक साथ काम में जुटाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रत्येक पंचायत में ग्राम स्वयंसेवक दल बनाये जायेंगे और इनके तीन काम होंगे—उत्पादन, सामूहिक शिक्षा और ग्राम रक्षा। इस योजना का एक जरूरी अंग है एक रक्षा श्रम बैंक, जिसके लिए महीने में हर बालिग कम से कम एक दिन मुफ्त काम करेगा। देहाती इलाकों में सहकारी आंदोलन ने काफी तरक्की की है। बुनियादी कृषि कर्ज देने वाली सोसाइटियों की सदस्य संख्या इस समय दो करोड़ है और आशा है कि 1963 में वह दो करोड़ चालीस लाख और अगले वर्ष तक दो करोड़ अस्सी लाख हो जायेगी। अब तक एक हजार से ज्यादा सहकारी खेती समितियां बनाई जा चुकी हैं।

आपको यह सूचना देते हुए मुझे खुशी होती है कि फ्रांस सरकार ने पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के बारे में विसर्जन संधि को पक्का कर दिया है। इस कार्रवाई से इन बस्तियों को कानूनी रूप से भारत को सौंप देने का काम पूरा हो गया है।

नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध बदस्तूर मित्रतापूर्ण हैं। भारत ने आर्थिक और तकनीकी—इन दोनों ही क्षेत्रों में नेपाल को जो सहायता दी है उसके संतोषजनक नतीजे निकले हैं। भारत ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नेपाल को अठारह करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का वायदा किया है। यह सहायता कोसी और गंडक प्रोजेक्टरों के अलावा है जिनसे भारत और नेपाल दोनों को ही लाभ होगा।

भारत ने भूटान और सिक्किम को भी, उनके आर्थिक विकास के लिए काफी मदद दी है। भारत ने भूटान को कोलम्बो योजना का मेम्बर बनाने का प्रस्ताव किया और भूटान ने नवम्बर, 1962 में मेलबोर्न में कोलम्बो योजना सलाहकार समिति में भाग लिया।

भारत सरकार ने अल्जीरिया, बुरुण्डी, जमैका, रुआण्डा, ट्रिनिदाद, टोबागो और युगांडा की आजादी का स्वागत किया है और वे संयुक्त राष्ट्र के मेम्बर बना लिए गए हैं। हम इन नए आजाद देशों की सफलता की कामना करते हैं। जल्दी ही न्यासालैंड में भी उसकी अपनी सरकार बन जायेगी।

कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन काम करते हुए हमारे सैनिकों ने वहां के कठिन मसलों को सुलझाने में बड़ी मदद दी है। हमारे सैनिक तब तक वहां रहेंगे जब तक संयुक्त राष्ट्र ऐसी हालत में नहीं हो जाता कि अपने शांतिपूर्ण प्रयत्नों में बिना किसी प्रकार की बाधा के उन्हें वहां से लौटने की अनुमति दे सके।

पिछले वर्ष बहुत से देशों के राज्याध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री और दूसरे नेता हमारे यहां सद्भाव यात्रा पर आये और हमने उनका स्वागत किया। इन अतिथियों में थे: नेपाल के महाराजाधिराज और महारानी; मेक्सिको के राष्ट्रपति, श्री लोपेज मातिओस; रुमानिया लोक गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री ग्येग्र्ये ग्येग्र्यू देज; साइप्रस के राष्ट्रपति, श्री मकारिओस; जर्मन संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति, डॉ. हेनरिख लुम्के; कम्बोडिया के राजकुलमान्य राजकुमार नरोदम सिंहनुक; यूनान के महामहिम महाराज और महारानी; सिंगापुर के प्रधान मंत्री, श्री ली क्वान इयू; मलय के प्रधान मंत्री, श्री तुंकु अब्दुल रहमान; यूगोस्लाविया के उप-राष्ट्रपति, श्री ऐडवर्ड कार्देत्ज और लेबनान के प्रधान मंत्री, डॉक्टर रशीद करामे।

इस समय जबकि हमारी सारी कोशिशें अहम मसलों का सामना करने पर और रक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए अपनी जनशक्ति और साधनों को जुटाने पर लगी हुई हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय हालात में जो थोड़ा-सा सुधार हुआ है, उसका स्वागत करते हैं। क्यूबा एक ऐसी मिसाल रहा जिसके कारण समूचा संसार एटमी जंग के किनारे पर जा खड़ा हुआ था, लेकिन दो बड़े राष्ट्रों के सद्भाव और संयम के कारण यह जंग टल गई। तनाव खत्म होने के कुछ आसार दिखाई दिए हैं और एटमी हथियारों पर रोक लगाने के बारे में समझौता हो जाने की भी उम्मीद हो गई है।

भारत सरकार के 1963-64 के माली साल की आमदनी और खर्च के अंदाजे का ब्यौरा आपके सामने रखा जाएगा।

आपके सामने विचार के लिए जो बिल रखे जायेंगे उनमें से ये भी हैं:

1. संघीय प्रदेश पांडिचेरी, कराइकल, माहे और यनाम के लिए संसद में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने का एक बिल।
2. संघीय प्रदेश बिल।
3. गंदी बस्ती (सुधार और सफाई) संशोधन बिल।
4. भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) बिल।
5. उद्योग-विवाद (संशोधन) बिल।
6. फैक्ट्री (संशोधन) बिल।

7. बिजली सप्लाई (संशोधन) बिल।

8. दिल्ली विकास (संशोधन) बिल।

माननीय संसद सदस्यगण, देश के इतिहास की एक बहुत नाजुक घड़ी में हम यहां इकट्ठे हुए हैं। ऐसी हालत में, जबकि हमने लोकतंत्रीय समाजवादी समाज का निर्माण करने का वचन लिया है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीकों और रजामंदी से तरक्की की जाती है, हमें विदेशी हमले के खतरे का भी सामना करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संसद जो हमारी नीति और राष्ट्र की रहनुमाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, इन बड़े कामों को हौंसले और समझदारी से तथा बर्दाश्त और सहयोग की भावना से पूरा करेगी। मैं चाहता हूं कि आपकी कोशिशें सफल हों, जिससे हमारी जनता और दुनिया का भला हो। उठो, जागो जो अवसर आपको प्राप्त है उनको समझो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक मत रुको।

"उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत"।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 10 फरवरी 1964*

लोक सभा	-	तीसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरू
लोक सभा अध्यक्ष	-	सरदार हुकम सिंह

माननीय सदस्यगण,

संसद के नए इजलास का कार्यभार उठाने के लिए एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं।

हाल ही में जो साल खत्म हुआ है उसमें भारत की सरकार और जनता को कुछ ऐसे मसलों का सामना करना पड़ा जो बड़े और पेचीदा थे। मगर तरह-तरह की कठिनाइयों और रुकावटों के बावजूद हम अपने लक्ष्य की तरफ बराबर बढ़ते रहे हैं, जो यह रहा है कि अपने देश में हम लोकतंत्रीय तरीकों से समाजवादी समाज की स्थापना करें और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में शांति और सहयोग बनाए रखें।

हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना ने तीन वर्षों में जो प्रगति की उसका मूल्यांकन करने पर योजना कमीशन को पता चला है कि बाकी के दो वर्षों में बहुत बड़ी मंजिल तय करनी है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्मीदें पूर्ण हों तो हमको जी-जान से कोशिश करनी पड़ेगी।

दोबारा मूल्यांकन करने पर यह जरूरी था कि हम उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देते जिनमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से पीछे रह गए हैं लेकिन इसके मारे वह कमी नहीं है कि जो प्रगति हमने की है या जो सफलता हमें मिली है उसे हम कम करके

---

* भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया अभिभाषण।

देखें या उसकी तरफ से आंखें फेर लें। औद्योगिक उत्पादन बराबर बढ़ता रहा है ऐसी आशा की जाती है कि पिछले साल जितना औद्योगिक उत्पादन हुआ था, 1963-64 में उससे 7-8 प्रतिशत अधिक होगा। कोयला और इस्पात जैसे बुनियादी उद्योगों में और प्रगति हुई है। इस्पात के कारखाने लगभग पूरी ताकत से उत्पादन कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में बिजली की कमी महसूस की गई है लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा बिजली पैदा की गई है और परिवहन की कठिनाइयां भी कम हुई हैं। निर्यात से हमारी आमदनी बढ़ी है और हमारे मित्र देश हमें जो बाहरी सहायता देते हैं उससे हमारे विदेशी मुद्राकोष की हालत सुधरी है और देश को जो अदायगियां करनी हैं उनके कारण पिछले साल उस पर जितना दबाव पड़ रहा था इस साल नहीं पड़ रहा है।

पब्लिक सेक्टर के प्रतिष्ठानों ने अच्छी-खासी तरक्की की है। 16 नवम्बर, 1963 को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने भारत में बना पहला ए.सी. बिजली का इंजन चालू किया। भोपाल के हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट का उत्पादन बढ़ गया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने किरीबूरु की लोहे की खानों का विकास करीब-करीब पूरा कर लिया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ने गुजरात में तेल और गैस के काफी बड़े जखीरों का पता लगा लिया है ट्रांबे के एटॉमिक एनर्जी इस्टेबलिशमेंट ने रेडियो आइसोटोप्स का निर्यात करना शुरू कर दिया है।

कई ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं जिनको अमल में लाने की दर्जे-ब-दर्जे तैयारियां हो रही हैं और इनसे आने वाले वर्षों में हमारी आर्थिक व्यवस्था को नई शक्ति मिलेगी। पब्लिक सेक्टर के तीन इस्पात के कारखानों को और बड़ा करने की योजना चल रही है। दुर्गापुर के अलॉय एंड टूल स्टील प्लांट में काम हो रहा है। बोकारो में इस्पात का कारखाना खोलने के काम की शुरुआत कर दी गई है। तारापुर और राणा प्रताप सागर, राजस्थान में एटमी शक्ति के स्टेशनों को स्थापित करने के लिए क्रमशः संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा से करार किए जा चुके हैं। जब कुछ और ऐसे कारखाने बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनके लिए जरूरी विदेशी सहायता ली जा चुकी है, तब हम अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से बहुत पीछे न रहेंगे। साथ ही हमारी चौथी योजना के शुरू के वर्षों में हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ और बिजली के कारखाने खोलने के संबंध में पहले से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

ये बातें संतोषजनक हैं, फिर भी हमारा आर्थिक विकास उस गति से नहीं हो रहा है जो हमारी योजना का लक्ष्य था। इसकी खास वजह है खेती की पैदावार का घटना, जो 1962-63 में 3.3 प्रतिशत कम हुई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खेती को यके-बाद-दीगरे खराब मौसम का सामना करना पड़ा है। हमारे सामने आज सबसे जरूरी काम यह है कि खेती की पैदावार को बराबर बढ़ाया जाए।

तीसरी योजना के पहले दो सालों में खेती के काम को बढ़ाने के लिए बराबर कोशिश की गई है। लगभग 60 लाख एकड़ नई जमीन को सिंचाई की सुविधा पहुंचाई गई है। कोशिश हो रही है कि चालू वर्ष में इसके अलावा 5.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा दी जाए। छोटे पैमाने पर सिंचाई, भूमि-संरक्षण और खेती की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 19.15 करोड़ रुपये और दिए गए।

गल्ले की पैदावार में जो कमी आई है उसका कीमतों के स्तर पर बुरा असर पड़ा है। सरकारी गोदामों से ज्यादा गल्ला निकाल कर, जहां मुमकिन हो, सस्ते अनाज की और ज्यादा दुकानें खोलकर, गल्ले को ठीक जगहों पर पहुंचाकर, और उधार देने की नीति बरतकर, हर तरह कोशिश की गई है कि गल्ले का दाम चढ़ने न पाये। अप्रैल, 1963 से फैक्टरी से निकलने पर चीनी के दाम तथा उसके वितरण पर फिर से कंट्रोल लगा दिया गया है।

जो बात खेती की पैदावार के लिए कही जा सकती है, वही औद्योगिक उत्पादन के लिए भी ठीक है कि आखिर में चलकर दामों में ठहराव तभी आएगा जब पैदावार इतनी बढ़ जाये कि उससे बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके। खेती के क्षेत्र को मजबूत बनाने और खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो उपाय हमने किए हैं उनका जिक्र मैं कर चुका हूं। इन तथा और दूसरे उपायों से, साथ ही खेती की खास-खास फसलों का भाव ठीक रखने की नीति से, ऐसा समझा जाता है कि खेती की पैदावार भी बढ़ेगी और उत्पादन की क्षमता भी।

औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज करने के लिए कई तरह के प्रशासन सम्बन्धी परिवर्तन किए गए हैं, काम करने के तरीकों को आसान किया जा रहा है, और कुछ कंट्रोलों में ढील दे दी गई है। खेती और उद्योग दोनों के लिए, खासकर सरकारी क्षेत्र और छोटे पैमाने पर उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाई जा रही है।

प्रशासन के काम में चुस्ती लाने के लिए और भ्रष्टाचार और बेइमानी के खिलाफ की गई शिकायतों पर फौरन और कारगर ढंग से ध्यान देने के लिए यह तय किया गया है कि एक सेण्ट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की जाए जिसका दर्जा, अपने क्षेत्र में, लगभग वैसा ही होगा जैसा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसकी सालाना रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाया करेगी।

जुलाई, 1963 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और पांडिचेरी की यूनियन टेरीटरी में विधान सभाएं और मंत्रिपरिषदें बनाई गईं, और पिछली दिसम्बर में गोवा, दमन, दीव में भी इस तरह की सभा और परिषद् की स्थापना हुई। 1 दिसम्बर, 1963 को नागालैंड राज्य बनाया गया और जनवरी, 1964 में उसकी विधान सभा के लिए चुनाव किए गए।

हालांकि हमारी सीमा पर लड़ाई नहीं हुई, फिर भी सारे साल चीन से खतरा बना रहा। कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में चीन अभी तक अपना जिद्दी रवैया अपनाए हुए है और उसने हमारी सीमाओं पर अपनी फौजी शक्ति बढ़ाई है।

हम शांति के कायल हैं और इस नीति के भी कि संसार के तमाम झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाए, फिर भी हम अपने बचाव की तरफ से ग़ाफ़िल नहीं हो सकते। इस वर्ष के दौरान हमारी फौज और हवाई सेना को सुधारने और बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए। हमारी हथियारबंद फौजों की सभी शाखाओं में रंगरूटों की भर्ती संतोषजनक रही है लेकिन तकनीकी सेवाओं में काम करने वाले योग्य आदमियों की कमी महसूस की जा रही है। सेना में काम करने वाले लोगों की नौकरियों की शर्तों में बहुत से सुधार किए गए हैं। जो कुछ बड़े-बड़े उपाय किए गए हैं, वे ये हैं: कमीशन-प्राप्त अफसरों की पेंशन दरों में संशोधन; अफसर दर्जे से निचले दर्जे के जो कर्मचारी मर गये हों, उनकी विधवाओं और उन पर निर्भर लोगों को पेंशन का लाभ पहुंचाने में उदारता; और छोटी रकम की पेंशन में बढ़ोतरी।

हमारी सेनाओं को साज-सामान से लैस करने की दिशा में हमें संयुक्त राज्य अमरीका, युनाइटेड किंगडम और राष्ट्रमंडल के कई देशों से काफी मदद मिल चुकी है और आगे और भी साज-सामान आने को हैं। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार ने हमें कई सामान ढोने वाले हवाई जहाज और अन्य उपकरण दिये हैं और वे हमारे देश में आवाज की गति से तेज चलने वाले हवाई जहाज तैयार करने का कारखाना बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इन देशों ने हमें जो सहायता दी है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

हमारी रक्षा सेनाएं साज-सामान से पूरी तरह लैस रहें, इसके लिए हम चाहते हैं कि उसका ज्यादा-से-ज्यादा उत्पादन हमारे ही देश में हो। हमारी रक्षा के लिए विदेशों से जिस सहायता की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जरूरी प्लांट और मशीनें मंगाकर हम सामरिक उद्योगों में उत्पादन का आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं 1963-64 में आर्डनेंस फैक्टरियों में 100 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन होने की आशा है, जबकि 1962-63 में यह उत्पादन 63 करोड़ रुपये का था और 1961-62 में 41.45 करोड़ रुपये का।

अपनी घोषित नीति के अनुसार, हम दुनिया के तमाम देशों के साथ मित्रता और सहयोग का सम्बन्ध रखने की कोशिश करते रहे हैं। साथ ही हमने शांतिपूर्ण सह-जीवन और गुटों से अलग रहने की नीति का भी पालन किया है। हमारी इस नीति का समर्थन और उसकी सराहना कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों ने की है।

हमारे राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनकी सरकार तथा वहां के लोगों का प्रेम-पूर्ण स्वागत-सत्कार पाकर हमें बड़ी खुशी हुई है। सद्‌भाव और मित्रता को और बढ़ावा देने की गरज से मैंने इथोपिया, सूडान और संयुक्त अरब गणराज्य की यात्रा की। इसके अलावा, हमारे कई मंत्रियों और अन्य सम्मानित व्यक्तियों ने इसी भावना से संसार के कई देशों का दौरा किया।

इस वर्ष के दौरान हमारी सरकार को जिन सम्मानित अतिथियों के भारत आने पर उनका स्वागत-सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे ये हैं: महामहिम लाओस नरेश, महामहिम नेपाल नरेश और उनकी महारानी, जोर्डन के महामहिम शाह, साइप्रस गणराज्य के उप-राष्ट्रपति, संयुक्त अरब गणराज्य की कार्यकारिणी परिषद् के प्रधान, सोमाली गणराज्य के प्रधान मंत्री, नाइजीरिया संघीय गणराज्य के उत्तरी क्षेत्र के मुख्य मंत्री, न्यू साउथ वेल्स के मुख्य मंत्री, संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री, अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा, डेनमार्क की राजकुलमान्या राजकुमारी मार्गरेट और सोवियत अंतरिक्ष यात्री वेलेन्तीना तेरेशकोवा निकोलायवा और उनके दो साथी।

प्रेसीडेन्ट केनेडी की हत्या का समाचार सुनकर हमें सदमा पहुंचा और दु:ख हुआ। उनकी मृत्यु से भारत ने एक सच्चा मित्र खोया और दुनिया ने अमन और दोस्ती का जबर्दस्त हिमायती। हम प्रेसीडेन्ट जॉनसन के उस एलान का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वे तनाव कम करने और दुनिया में अमन बनाए रखने के अहम और मुश्किल काम में स्वर्गीय प्रेसीडेन्ट केनेडी की नीति का ही पालन करेंगे; साथ ही वे उन देशों के आर्थिक विकास में सहयोग भी देंगे जो कम विकसित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो अति उत्साहवर्धक घटनाएं हुई हैं उनमें से एक यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ ने बाहरी अंतरिक्ष में एटमी हथियारों पर रोक लगाने के सिद्धांत को मंजूर कर लिया है। इसे बाद में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी स्वीकार कर लिया है। यह घटना और परीक्षण रोकने का करार नि:शस्त्रीकरण करने और सच्ची शांति स्थापित करने की दिशा में पहले अहम कदम हैं, जिन्हें उसी वातावरण में हासिल किया जा सकता है जिसमें एक-दूसरे पर भरोसा किया जा सके और एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहा जा सके। चेयरमैन ख़ुश्चेब ने प्रदेश या सीमा के झगड़ों को तय करने में शक्ति का प्रयोग न करने के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय करार करने का जो प्रस्ताव किया है, उसमें निहित सिद्धांत से हम मोटे तौर पर सहमत हैं, और आशा करते हैं कि जिन प्रमुख राष्ट्रों का इनसे सरोकार हो, वे परस्पर विश्वास की भावना के इस अहम सुझाव पर एक ऐसा समझौता कर सकेंगे जो सबके लिए संतोषजनक हो और सबको मंजूर हो।

नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत ही मजबूत और मित्रतापूर्ण हैं और दोनों देश एक-दूसरे की समस्याओं और आकांक्षाओं को पूरी तरह समझते हैं और उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं। हम भूटान के आर्थिक और सामाजिक विकास में बराबर मदद दे रहे हैं।

महाराजा सिक्किम की मृत्यु से भारत और सिक्किम, दोनों को जो जबर्दस्त सदमा पहुंचा है वह संसद के सदस्यों से छिपा नहीं है। उनके सुपुत्र, राज्यमान्य पाल्देन थोंडुप नामग्याल दिसम्बर, 1963 में गद्दी पर बैठे।

हमें इस बात की खुशी है कि कुवैत को संयुक्त राष्ट्र में वह स्थान मिल गया है जिसका वह हकदार है। कीनिया और उगांडा की आजादी पर हमें खुशी है और इस पर भी कि अफ्रीका के दूसरे देश जल्द आजाद होने को हैं। हम चाहते हैं कि इन देशों के साथ हमारे संबंध ज्यादा से ज्यादा नजदीकी हों और हम विकास के उन बहुत से कार्यभारों में भी उनका हाथ बंटा सकें जो नए आजाद मुल्कों को उठाने पड़ते हैं।

हमें उन अफ्रीका निवासियों के साथ पूरी हमदर्दी है और हम उनकी पूरी-पूरी हिमायत करते हैं जो अब भी पुर्तगाल की उपनिवेशी हुकूमत में हैं और आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अफ्रीका और दुनिया के दूसरे मुल्कों के उन लोगों के साथ भी हमारी हमदर्दी है और हम उनकी हिमायत करते हैं जो दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंग और जातिभेद की नीतियों को खत्म कराने की कोशिशें में लगे हैं।

जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारा सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान की मंशा समझौता करने की कतई नहीं है। "कश्मीर और उससे जुड़े हुए दूसरे मसलों" पर दिसम्बर, 1962 में मंत्रियों के स्तर पर बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह पांच दौरों के बाद 16 मई, 1963 को कटु वातावरण में टूट गया। सच तो यह है कि इस बातचीत के सफल होने की आशा तो तभी टूट गई थी जब पाकिस्तान ने चीन के साथ सीमा समझौता करके कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया था जिस पर पाकिस्तान ने फौजी कब्जा कर रखा था। इसके बावजूद और भारत के खिलाफ चीन के साथ सांठगांठ करने की दूसरी कारस्तानियों के बावजूद भी, हमारी सरकार धीरज के साथ बातचीत करती रही लेकिन इस बातचीत के पांचों दौरों ने यह बात साफ कर दी कि पाकिस्तान तर्क और तथ्य के आधार पर समझौता करना नहीं चाहता और इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ यह है कि उसे भारत के खिलाफ प्रोपेगंडा करने का मौका मिल सके।

इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद, भारत-पाकिस्तान की समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का रास्ता भारत खोजता रहा, और जहां तक हो सका, उसने पाकिस्तान द्वारा चलाए 'भारत से नफरत' के आंदोलन को भी नजर अंदाज किया। हमारे प्रधान मंत्री ने एक बार फिर यह अपील की कि भारत और पाकिस्तान के बीच

'जंग न करने का एलान' किया जाए और साथ ही भारत और पाकिस्तान के सभी झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन प्रधान मंत्री की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और साल के खत्म होते-होते भारत और पाकिस्तान के संबंध उससे भी कहीं ज्यादा खराब हो गए जितने कि वह 1962 में थे।

दिसम्बर, 1963 के आखिरी हफ्ते में कश्मीर के कुछ समाजविरोधी लोगों ने हजरतबल की दरगाह से पवित्र बाल चुराकर जो घोर अपराध किया उससे कश्मीर और बाकी भारत के लोगों को बहुत चिन्ता हुई। लेकिन कश्मीर के अधिकारियों को सहायता करने में हमारी सरकार ने बड़ी फुर्ती से कार्रवाई की जिसके कारण पवित्र बाल मिल गया और इससे समूचे भारत के लोगों को बड़ी खुशी हुई और राहत मिली। परन्तु पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस दुर्घटना का फायदा उठाकर पाकिस्तान में भारत-विरोधी और फिरकापरस्ती की भावना फैलाई जिसका नतीजा यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान* में कई जगहों में, जिसमें कि ढाका भी शामिल था, जोर के दंगे हुए, कानून और इन्तजाम खत्म हो गया और उसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान* में अल्पसंख्यक जाति के कई सौ आदमी मार डाले गए और उनकी सम्पत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया। कलकत्ता** और पश्चिमी बंगाल के कुछ दूसरे इलाकों पर इन दुर्घटनाओं का बुरा असर पड़ा, लेकिन सरकार ने बलवाइयों के खिलाफ बड़ी तेजी और सख्ती से कार्रवाई की और, जाति-धर्म का ख्याल किए बिना, भारत के सभी नागरिकों के जानमाल की पूरी हिफाजत की। हमारे राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव भी रखा कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मिलकर दोनों देशों में रहने वाली विभिन्न जातियों से मेल-मिलाप और शांति से रहने की अपील करें और इस अपील पर कार्रवाई करने के कुछ अमली तरीके भी सुझाए लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इन सुझावों को मानने से इन्कार ही किया है। पूर्वी पाकिस्तान* में जो दंगे हुए उनमें वहां के विभिन्न इलाकों में रहने वाली अल्पसंख्यक जाति के लोगों की जान और माल का भारी नुकसान हुआ। नतीजा यह हुआ कि आज हमारे सामने पूर्वी पाकिस्तान* से बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक जाति के लोगों के भारत आने की समस्या खड़ी हो गई है।

संसद के सदस्यगण! मैंने आप लोगों के सामने पिछले वर्ष देश की खास-खास कामयाबियों और मसलों का एक ब्यौरा रखा है। हमें जो काम करने हैं और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उनका एक छोटा-सा खाका मैंने आपके सामने पेश किया है। इन पर आप अच्छी तरह गौर करें, इन्हें समझें और इन्हें पूरा करने और निभाने में अपना ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। हमारी सरकार हर तरह से अपने देश और देश के निवासियों की आजादी और इज्जत को बनाये रखने की, देश में एकता और खुशहाली बढ़ाने की, और एक ऐसा लोकतंत्रीय और समाजवादी समाज बनाने की कोशिश करती रहेगी जिसमें शांतिपूर्ण तरीकों और सबकी रजामंदी से प्रगति की जा सके।

*अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।

**अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

1963 के दौरान संसद ने 58 बिल पास किए थे। 19 पिछले बिल अभी बाकी हैं जिन पर आपको विचार करना है। विचार के लिए जो बिल आपके सामने रखे जाएंगे उनमें ये भी शामिल होंगे:–

(1) कंपनी (संशोधन) बिल।

(2) भारतीय फसल बीमा बिल।

(3) भार एवं माप-मानक (संशोधन) बिल।

(4) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) बिल।

(5) केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 को खत्म करने और कुछ संशोधनों के साथ पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 दिल्ली में लागू करने से संबद्ध बिल।

(6) विदेशी मुद्रा नियमन (संशोधन) बिल।

(7) संविधान (अट्ठारहवां संशोधन) बिल।

(8) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल।

(9) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल।

भारत सरकार के 1964-65 के माली साल की आमदनी और खर्च के अंदाजे का ब्यौरा आपके सामने रखा जाएगा।

संसद सदस्यगण! मेरी कामना है कि आपको अपने कार्य में सफलता मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि विवेक, सहनशीलता और सहयोग की भावना से आप लोग काम करते रहेंगे। मेरी शुभकामना है कि आपके प्रयत्नों से हमारे देशवासियों को अधिकाधिक सुख और संतोष प्राप्त हो, हमारी मातृभूमि सुस्थिर और सुरक्षित रहे और संसार में शांति और सहयोग की भावना समुन्नत हो।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 17 फरवरी 1965

लोक सभा	-	तीसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री लाल बहादुर शास्त्री
लोक सभा अध्यक्ष	-	सरदार हुकम सिंह

माननीय सदस्यगण,

संसद के नए अधिवेशन का कार्यभार उठाने के लिए एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं।

हाल ही में जो साल समाप्त हुआ है, उसमें हमारा देश परीक्षा की एक ऐसी घड़ी से गुजरा जो पिछले कुछ वर्षों में सबसे कठिन कही जा सकती है। जनता ने अपने प्यारे नेता श्री जवाहरलाल नेहरू को खो दिया; वे लोगों के मित्र, शुभचिन्तक और पथ-प्रदर्शक थे। इसके अलावा और भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में अभूतपूर्व तूफानों के कारण जान और माल की जो भारी हानि हुई, उससे हमें बड़ा दु:ख पहुंचा। सहायता संबंधी उपाय तत्काल बरते गए। हमारे सामने अब भी कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका मुकाबला हमें हिम्मत और मुस्तैदी के साथ करना है। इनके बावजूद हमारे देश ने अनेक दिशाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

पिछले बारह महीनों पर अगर हम नजर डालें तो हम देखेंगे कि कई क्षेत्रों में हमें विशेष सफलतायें प्राप्त हुई हैं जो हममें आशा और विश्वास का संचार करती हैं। तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में राष्ट्र की आमदनी केवल 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ग की दर से बढ़ी थी। 1963-64 में औद्योगिक उत्पादन में 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से आमदनी की बढ़ोतरी के आंकड़े बढ़कर 4.3 प्रतिशत हो गए हैं। चालू वर्ष के दौरान में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की आशा है।

तीसरी योजना के दौरान में पब्लिक सेक्टर के जिन बहुत से प्रतिष्ठानों में भारी मात्रा में पूंजी लगाई गई थी, उनमें उत्पादन शुरू हो गया है। इनमें शामिल हैं: रांची का भारी इंजीनियरी कारखाना, दुर्गापुर का खनन मशीन का कारखाना, बरौनी का तेल शोधक कारखाना और पिंजोर तथा कलामासेरी के मशीनी औजारों के कारखाने। हालांकि इनमें से कुछ प्रतिष्ठानों में उत्पादन अभी प्रारंभिक स्तर पर ही है, फिर भी हम यह आशा कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में इन कारखानों से हमारे आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।

बिजली और परिवहन के क्षेत्र में हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है। पहली योजना के शुरू में जिन गांवों को बिजली दी गई थी उनकी संख्या 4,000 थी; अब वह बढ़कर लगभग 40,000 हो गई है। दूसरी योजना के अंत में बिजली के उत्पादन की क्षमता 56 लाख किलोवाट थी; ऐसी आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अंत तक वह बढ़कर 117 लाख किलोवाट हो जाएगी। पानी के जहाजों का टनभार लगभग 1.4 लाख ग्रौस रजिस्टर टन्स पहुंच गया है जो तीसरी योजना के लक्ष्य से अधिक है। रेलवे में हमारी आज की आवश्यकताएं पूरी करने की काफी क्षमता है और इसका निरंतर विकास हो रहा है।

गुजरात और असम में तेल की नई खोज की गई है और भारत को ईरान के तटवर्ती द्वीपों में तेल खोजने के अधिकार मिल गए हैं। यूरेनियम के नए और उपयोगी भंडार मिले हैं और हमारे पास यूरेनियम के काफी बड़े रिज़र्व हैं। एक प्लूटोनियम प्लांट चालू हो गया है। ट्राम्बे प्रतिष्ठान के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ही इसका डिजाइन तैयार किया और इसे खड़ा किया है। तारापुर और राणा प्रताप सागर में एटमी बिजलीघर बनाने का काम शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एटमी शक्ति का उपयोग भविष्य में निरंतर बढ़ाया जाएगा और वह अधिकाधिक देश में बनी चीजों, देश के ही तकनीकी ज्ञान और अनुसंधान पर आधारित होगा।

एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि आम आदमी के काम आने वाली कई चीजें और अधिक मात्रा में मिलने लगी हैं। 1964 में मिल के कपड़े का उत्पादन 2100 लाख मीटर और बढ़ गया है।

जैसा कि आपको मालूम है, पिछले तीन वर्षों में खाद्यसामग्री के उत्पादन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। कुछ राज्यों में खाद्यसामग्री की कमी हुई जिसके कारण गहरी चिंता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए बाहर से ज्यादा खाद्यसामग्री मंगाई गई और ऐसे उपाय बरते गए जिनसे सुलभ सामग्री का, जहां तक हो, समुचित वितरण किया जा सके। हाल ही में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और खाने-पीने की चीजों की कीमतें कुछ गिरी हैं। सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और उसका इरादा है कि निकट भविष्य में खाद्यसामग्री के वितरण की नीति पर फिर से विचार किया जाए।

हाल के महीनों में खाने की सामग्री की जो समस्या उठ खड़ी हुई थी उसका सामना करने के लिए जो उपाय किए गए उनके अलावा खाद्यसामग्री की उपज बढ़ाने के लिए एक लंबे अरसे की नीति अपनाई गई है, कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं और कुछ पर अमल हो रहा है। किसान को यह आश्वासन दे दिया गया है कि कीमतें एक निश्चित दर से नीचे नहीं गिरने दी जाएंगी और वे आर्थिक स्तर पर नियत कर दी गई हैं। कीमतों की स्थिति का निरंतर अध्ययन करते रहने के लिए एक कृषि मूल्य कमीशन नियुक्त कर दिया गया है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसान को समय पर रासायनिक खाद मिल सके और उसकी अन्य आवश्यकताएं पूरी हो सकें। प्राथमिकता के आधार पर ऐसी छोटी सिंचाई योजनाओं पर अमल किया जाएगा जिनके परिणाम जल्दी निकल सकें।

इस साल के शुरू में ही खरीफ की ऐसी बड़ी फसल हुई है जैसी पहले नहीं हुई थी। आशा है, पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष रबी की फसल भी काफी अच्छी होगी। इन अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए और पैदावार को बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उन्हें ध्यान में रखकर हमारी सरकार खाने-पीने की चीजों की कीमतों में लंबे अरसे तक स्थिरता रखने के लिए सभी संभव उपाय बरत रही है। फिर भी, हर तरह के संभव परिणामों को ध्यान में रखकर, देश की पैदावार और आयात की हुई सामग्री में से रक्षित (बफर) भंडार बनाने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। पब्लिक सेक्टर में जो फूड कारपोरेशन स्थापित किया गया है, उससे सुचारू बाजार व्यवस्था सुनिश्चित करने और व्यापारी वर्ग में समाज-विरोधी कार्रवाइयों को रोकने में सहायता मिलेगी।

औद्योगिक क्षेत्र में हालांकि हमारा पिछला रिकार्ड अच्छा रहा है, फिर भी उसमें नये सिरे से गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। यह न केवल मूल्यों को स्थिर करने के लिए ही आवश्यक है, बल्कि अधिक उत्पादन के लिए भी।

मुद्रास्फीति के खतरे का सही जवाब अधिक उत्पादन करना है, फिर भी मूल्य के स्तर पर मुद्रा के दबाव को और विदेशों में अपनी अदायगी के प्रश्न को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ अंशों में यह दबाव ऐसे धन से उत्पन्न हुआ है जो खाते में नहीं दिखाया जाता और न उसका पता ही दिया जाता है। इस प्रकार के धन का पता लगाने के लिए कठोर उपाय बरते जा रहे हैं और इस कोशिश में कोई ढील नहीं दी जा सकती। साथ ही, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो सीधे रास्ते पर आने को तैयार हैं और कानून के खिलाफ की गई कमाई के बारे में पूरी जानकारी देने को तैयार हैं।

इसके अलावा, हमारी सरकार यह घोषणा पहले ही कर चुकी है कि घाटे का वित्तप्रबंधन (डेफिसिट फाइनेंसिंग) नहीं किया जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक व्यय पर

निश्चित रूप से नियंत्रण करना होगा। बैंक ऋण के विस्तार को भी रोकना होगा। मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए मुद्रा संबंधी अनुशासन को दृढ़ बनाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि हमारे आयात और निर्यात में उचित संतुलन कायम रहे।

हाल के महीनों में, सरकार को ऋण और ब्याज की अदायगी के रूप में और आयात किए हुए माल के मूल्य के रूप में बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी है। इससे हमारे विदेशी मुद्राकोष में कमी आ गई, हालांकि 1964 के दौरान हमें निर्यात से जो आमदनी हुई, वह पिछले साल की अपेक्षा 50 करोड़ रुपए अधिक थी। इस स्थिति को सुधारने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

इस समय हम देश की चौथी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में लगे हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। ये वर्ष हमारे लिए निर्णायक होंगे। इस योजना से संबद्ध एक ज्ञापन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् विचार कर चुकी है और इसे संसद पटल पर रख दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा—उत्पादन की गति बढ़ाना और साधनों का पूरे प्रभावकारी ढंग से इस्तेमाल करना। इस काम के लिए सरकार योजना-तंत्र को सुदृढ़ करने का विचार कर रही है। इस योजना में खेतीबाड़ी, भारी और अन्य उद्योगों के संतुलित विकास, गांवों की प्रगति, ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने और सामाजिक तथा आर्थिक अंतर मिटाने पर जोर दिया जाएगा। ऐसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनके नतीजे जल्दी सामने आएं। हमें देखना यह है कि इस विशाल देश के हरेक परिवार का रहन-सहन एक खास स्तर से नीचे न गिरे। इस प्रकार की योजना पर अमल करने के लिए यह जरूरी होगा कि समाज का हर वर्ग समर्पण और त्याग की भावना से काम करे। मुझे विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन पाकर जनता अपना सहयोग देती रहेगी।

पब्लिक सेक्टर की परियोजनाओं पर और तेजी से काम किया जाएगा और इस तरह कि इनके परिणाम उत्पादन और लाभ के रूप में जनता के सामने जल्दी आएं। चौथी योजना की कई परियोजनाओं पर इस वर्ष से ही अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सीमेंट की कमी दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर में सीमेंट के उत्पादन का एक कॉरपोरेशन स्थापित कर दिया गया है। चौथी योजना में प्राइवेट सेक्टर का काम महत्वपूर्ण होगा। सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि प्राइवेट सेक्टर को सभी मुनासिब सुविधाएं दी जाएं ताकि वह अपना काम अच्छे और कारगर तरीके से कर सके।

देश की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण खेती और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन की रफ्तार तेज करना बहुत जरूरी हो गया है। 1951 और 1961 के बीच देश की जनसंख्या 36 करोड़ से 44 करोड़ हो गई और अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो तीसरी योजना के अंत में 49 करोड़ और चौथी योजना के पूरे होते-होते

55 करोड़ हो जाएगी। राष्ट्र के लिए यह बहुत आवश्यक है कि परिवार सीमित रखे जाएं। परिवार परिसीमन नियोजन की सम्मिलित सेवा तैयार की गई है जिसमें परिवार परिसीमन और जच्चा-बच्चा के कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। लगभग 12,000 परिवार नियोजन केन्द्र खोले जा चुके हैं।

ठीक योजनाएं बनाना तो बहुत जरूरी है ही लेकिन जहां तक जन-सामान्य का प्रश्न है, परिणाम का महत्व अधिक होता है और संतोषजनक ढंग से परिणाम तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब योजनाओं और नीतियों पर अमल करने वाला प्रशासन-तंत्र तेजी, होशियारी और ईमानदारी से काम करे। इसलिए सरकार खास तौर से यह प्रयत्न करेगी कि प्रशासन-तंत्र में सुधार किया जाए।

सरकार सामाजिक सेवाओं का विस्तार तथा सुधार करने की आवश्यकता के प्रति सजग है, विशेषकर अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप के विषय में सरकार को सलाह देने के लिए शिक्षा कमीशन बनाया गया है। अधिक धन निर्धारित करके और समन्वित कार्रवाई करके, भवन निर्माण कार्यक्रम को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और इसी उद्देश्य से भवननिर्माण बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। कम आमदनी वाले वर्ग के लोगों को मुनासिब दामों पर जमीन दिलाने की बात भी सोची जा रही है।

हमारी सरकार इस बात को बहुत महत्व देती है कि कारखानों में शांति बनी रहे और इस काम के लिए बातचीत, समझौता और पंच-फैसले के उपलब्ध साधनों से काम लिया जाए। मजदूरों के कल्याण के उपायों पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्ड कायम किये जा रहे हैं, बोनस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर फैसले किए जा रहे हैं, कारखानों में उपभोक्ता सहकारी समितियां और उचित मूल्य की दुकानें खोली जा रही हैं तथा मजदूर शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि 1964 के दौरान में कुछ सेक्टरों में औद्योगिक संबंध बिगड़ गए। हमारी सरकार को पूरी आशा है कि मालिक और मजदूर दोनों अधिक से अधिक उत्पादन का महत्व समझेंगे और देशहित को सामने रखकर, साथ मिलकर, काम करेंगे।

दक्षिण भारत की घटनाओं से हमें बहुत दुःख पहुंचा है। हम हिंसात्मक कार्रवाइयों की निंदा करते हैं और अपनी हार्दिक संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट करते हैं जिन्हें क्षति पहुंची है। ऐसा लगता है कि वहां के लोगों के मन में भाषा के प्रश्न के प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हुए जिनसे वे उत्तेजित हो उठे। हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने जो आश्वासन दिए थे और जिनकी पुनर्पुष्टि हमारे प्रधान मंत्री ने की है, उन पर पूरी तरह और बिना किसी शर्त के अमल किया जाएगा। देश की एकता के लिए यह जरूरी है। यद्यपि हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है, अंग्रेजी

सह राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। यह तब तक चलेगा जब तक अहिंदी भाषी इसकी आवश्यकता समझते हैं। हमें पूरी आशा है कि इससे लोगों की आशंकायें दूर होंगी और वे अपने सामान्य कामकाज पर लौट जायेंगे। इसमें संदेह नहीं कि संसद के सदस्यगण इस पूरी नीति पर विचार करेंगे जिसकी पुष्टि और पुनर्पुष्टि, उसके वैध, प्रशासनिक और कार्यकारी सभी पहलुओं के साथ, अक्सर की गई है। इस परिस्थिति पर विचार करने के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया है।

हमारी उत्तरी सीमाओं पर चीनी खतरा बराबर बना हुआ है। अपने बचाव के साधनों को मजबूत करने के लिए एक पंचवर्षीय रक्षा योजना पर काम हो रहा है जो 1964 से 1969 तक चलेगी। कार्यक्रम के अनुसार नए डिवीजनों को तैयार और हथियारबंद किया जा रहा है। तीन वर्ष पहले हमारी आर्डनेंस फैक्टरियां जितना सामान तैयार करती थीं, पिछले साल उन्होंने उससे लगभग दुगना तैयार किया। हवाई सेना का विस्तार किया जा रहा है ताकि वह दुश्मन के हवाई हमलों से हमारी रक्षा ज्यादा अच्छी तरह कर सके और फौजों को लड़ाई के मैदान में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और सामान पहुंचाने में भी उनकी सहायता कर सके। नौ सेना को मजबूत बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

रक्षा पर खर्च बढ़ जाने से मुल्क के ऊपर अधिक बोझ आ पड़ा है और विकास के साधनों को दूसरी ओर लगाना पड़ा है। हथियार बनाने में हम किसी भी देश के साथ होड़ नहीं लगा रहे हैं। साथ ही, अपने को मजबूत बनाने का हमारा पक्का इरादा है ताकि कोई हम पर हमला करे तो हम उसका मुकाबला कर सकें।

चीन के एटमी विस्फोट से दुनिया के सभी शांतिप्रिय लोगों को धक्का लगा है। हो सकता है, चीन जल्द ही दूसरा विस्फोट करे। हमने यह निश्चय किया है कि इस स्थिति के बावजूद भी हम एटमी हथियारों को बनाने का काम शुरू नहीं करेंगे। इसके बजाय हम अंतर्राष्ट्रीय समझ-बूझ बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि एटमी लड़ाई का खतरा ही मिट जाए।

दूर और पास के, बड़े और छोटे, पूर्व और पश्चिम के सभी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध दोस्ती के हैं। सिर्फ चीन ने हमारी तरफ दुश्मनी का रुख अख्तियार कर लिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ भी हमारे संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ।

गुटबंदी से अलगाव और सह-जीवन हमारी विदेश नीति के दो बुनियादी सिद्धांत हैं। हमारा हमेशा यह दृढ़ विश्वास रहा है कि इन्सान की तरक्की के लिए शांति बहुत जरूरी है। दुनिया के जो देश विकास की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए तो यह और भी जरूरी है क्योंकि उनको बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना है। इन कारणों से, और

निकटतम पड़ोसी देशों में दिलचस्पी रखने की वजह से भी इधर जो घटनाएं दक्षिण–पूर्व एशिया में हुई हैं, उनसे हमें बड़ी चिंता है। ऐसी घटनाएं जो खतरनाक मोड़ ले रही हैं, खासकर वियतनाम में, उनको रोकने के लिए हमारी सरकार ने यह सुझाव दिया है कि जल्द ही जेनेवा की तरह का कोई सम्मेलन बुलाया जाये ताकि इस समस्या का कोई राजनीतिक हल निकाला जा सके। इस मामले पर हम अपने दोस्त मुल्कों के संपर्क में भी हैं।

मिस्टर हैरल्ड विल्सन का युनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री के रूप में मि. कोसीजिन का सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में और संयुक्त राज्य अमरीका ने मिस्टर जानसन का प्रेजीडेन्ट चुना जाना बड़ी अहम घटनाएं हैं। ये तीनों नेता भारत के पुराने मित्र हैं। फ्रांस के प्रधान मंत्री ने पहली बार भारत की यात्रा की है परिणामस्वरूप दोनों देशों में समझ–बूझ बढ़ी है। श्रीलंका की प्रधान मंत्री, बर्मा* की क्रांतिकारी परिषद के चेयरमैन, भूटान के महाराज और नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज और महारानी तथा विदेश मंत्री की भारत यात्राएं इस बात का सबूत हैं कि भारत और उसके पड़ोसियों में दोस्ती बढ़ी है। बेल्जियम के महामहिम राजा और रानी, इराक गणतंत्र के राष्ट्रपति, सिंगापुर के प्रधान मंत्री, कुवैत के युवराज और प्रधान मंत्री और मारिशस के प्रधान मंत्री का स्वागत करने का मौका भी हमें मिला।

परम पावन पोप पाल षष्टम की यात्रा भी विशेष उल्लेखनीय है जो दिसम्बर, 1964 में यूकेरिस्टिक कांग्रेस में भाग लेने के लिए बम्बई** पधारे। वे हमारे देश में कुछ ही दिन रुके, फिर भी अपने परम्परा के अनुसार सब धर्मों के लोगों ने उसका हार्दिक स्वागत किया।

हमारा मुल्क उपनिवेशवाद का पूरा विरोधी है; इसलिए मलावी, माल्टा और जाम्बिया की आजादी पर हमें बड़ी खुशी हुई। हमें प्रसन्नता है कि कल इस सूची में गांबिया का नाम भी जुड़ जाएगा।

पिछले वर्ष सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और आयरलैंड की सरकारों के निमंत्रण पर मैंने उन देशों की यात्राएं कीं। दोनों देशों में मेरा जो हार्दिक स्वागत हुआ, वह इस बात का सबूत है कि इन देशों में भारत और उसकी जनता के लिए बड़ी सद्भावना है।

गुटों से अलग देशों का जो सम्मेलन काहिरा में हुआ उसके भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व प्रधान मंत्री ने किया। सम्मेलन में जो बुनियादी एकता और एक तरह का जो रुख देखा गया उससे इस बात का भारी सबूत मिला कि गुटों से अलग रहने की नीति बराबर सही और ठीक रही है।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

**अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

संसद के सामने 22 बिल हैं जिन पर आपको विचार करना है। साल के दौरान में जो नए बिल सरकार सामने लाना चाहती है, उनमें से कुछ ये हैं:–

(1) बोनस की अदायगी का बिल।

(2) फैक्टरी (संशोधन) बिल।

(3) आयात-निर्यात नियंत्रण (संशोधन) बिल।

(4) भारतीय टैरिफ (संशोधन) बिल।

(5) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बिल।

(6) नौ-जल प्रोवीडेन्ट फंड बिल।

(7) चावल-पिसाई उद्योग (विनियम) संशोधन बिल।

(8) पेटेन्ट बिल।

(9) आयकर (संशोधन) बिल।

1965-66 के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमान का एक ब्यौरा आपके सामने रखा जाएगा।

माननीय सदस्यगण, आपके सामने एक लंबा-चौड़ा कार्यक्रम है और उसे पूरा करने में आपको बड़ा श्रम करना पड़ेगा। एक संपन्न समाजवादी समाज का विकास और दुनिया के दूसरे देशों के साथ दोस्ती और सहयोग का विस्तार हमारी नीति की बुनियादें हैं। हम क्या करना चाहते हैं यह सबको मालूम है और हमारी मंजिल साफ हमारे सामने है। वहां तक पहुंचने के लिए पक्के इरादे और पूरे विश्वास के साथ आपको राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करना है।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 14 फरवरी 1966

लोक सभा	-	तीसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	सरदार हुकम सिंह

माननीय सदस्यगण,

एक बार फिर, संसद के नए सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। महीना भर हुआ राष्ट्र से उसके प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री छिन गए। वे निश्चय ही जन-साधारण थे और जन-साधारण से उनका संबंध निरन्तर बना रहा। साध्य की दृढ़ता को कायम रखते हुए वे यथावश्यक साधनों को अपनाते थे। वे स्वभाव से अत्यंत विनम्र, व्यवहार में सरल, वाणी में कोमल और शांति के पुजारी थे। संकट की घड़ियों में वे शान्त, उत्साही और अडिग बने रहते थे।

जिन घटनाचक्रों में पड़कर हमें पाकिस्तान के साथ सशस्त्र संघर्ष करना पड़ा, उनसे उन्हें बड़ा दु:ख था फिर भी उन्होंने राष्ट्र को प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान किया। हमारी वीर सेनाओं ने हमारे इतिहास में गौरव का एक नया अध्याय जोड़ दिया है। हम अपने वीरों का सम्मान करते हैं, शहीदों के लिए शोक मनाते हैं और उनके दु:खी संबंधियों को सान्त्वना देते हैं। भारत की जनता ने एक बार फिर अपनी एकता और संगठन का सबूत दिया। देश भर में सांप्रदायिक एकता बनी रही। हमारे मजदूरों ने भी अनोखा उत्साह दिखाया।

जब लड़ाई बंद हो गई तब लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शक्ति पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी के संबंध स्थापित करने की ओर लगाई। अपनी अचानक और असामयिक मृत्यु के पूर्व उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के साथ सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष

श्री कोसीगिन की उपस्थिति में ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए। श्री कोसीगिन की सद्भावना और मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण इस करार के संपन्न होने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुआ। लाल बहादुर शास्त्री को आशा तथा विश्वास था कि ताशकंद घोषणा से भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति और मित्रता की नींव पड़ेगी। ताशकंद घोषणा के शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण उसकी भावना है। दोनों पक्षों को आस्था और दूरदर्शिता के साथ उसका आदर करना है।

हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के प्रायः सभी देशों के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं। हमें इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि अपने पड़ोसियों के साथ हमारी समझ-बूझ अधिक बढ़ी है और मित्रता के संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। दुर्भाग्यवश, चीन लोक गणराज्य के साथ हमारे संबंधों में अब भी तनाव बना हुआ है। देश को होशियार रहना और मजबूत बनना है।

हमारी सरकार विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न करती रहेगी। शांति हमारे अपने विकास, प्रगति और हमारी सारी जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य से हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करेंगे। इस सहयोग के आधारभूत सिद्धांत होंगे—शांतिपूर्ण सहजीवन, दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, गुट-विमुक्ति जिसमें समस्याओं पर तथ्यानुसार निर्णय करने की स्वतंत्रता है और, उन सबसे बढ़कर, झगड़ों को तय करने में बल-प्रयोग का परित्याग। अगर खुशहाल राष्ट्रों के साधन, जिनका अपव्यय आज हथियार बनाने पर किया जा रहा है, मानवता की सेवा में लगाए जा सकते, तो दीनता और अज्ञानता में रहने वाले लोग अपने जीवन-काल में ही नई उपलब्धियों की आशा रख सकते थे।

एशिया और अफ्रीका के देश, जो उपनिवेशवादी आधिपत्य में थे, एक के बाद एक, स्वतंत्र हुए हैं और उन्होंने राष्ट्रों के समुदाय में अपना समुचित स्थान प्राप्त किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ देश अब भी पुर्तगालियों के आधिपत्य में हैं, और हमारी सहानुभूति उनके साथ है जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में वर्णभेद के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं।

रोडेशिया द्वारा स्वाधीनता की एकतरफा घोषणा और अल्पसंख्यक जाति का बल द्वारा सत्ता को अपने हाथ में लेना, जो रोडेशिया की जनता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है—यह एक बहुत दुःखद घटना है। हमने रोडेशिया के साथ राजनयिक, आर्थिक सब तरह के संबंध तोड़ दिए हैं और एक सच्ची प्रजातंत्रात्मक सरकार स्थापित करने में हम रोडेशिया की जनता का पूरी तरह समर्थन करते रहेंगे।

वियतनाम की वर्तमान स्थिति पर हमें गंभीर चिंता है। हमारा समर्थन किसी भी ऐसे प्रयत्न के साथ होगा, जिससे यह संघर्ष शांतिपूर्ण उपायों से समाप्त किया जा सके।

गत वर्ष मैंने यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और इथियोपिया की यात्रा की। इन सब देशों में मेरा हार्दिक स्वागत किया गया और भारत और उसकी जनता के प्रति सद्भावना और घनिष्ठ मैत्री के मुझे सबूत मिले। उपराष्ट्रपति ने कुवैत, सउदी अरब, जॉर्डन, टर्की और ग्रीस की यात्रा की, जहां पर उनका बहुत खलूस और मित्रता से स्वागत किया गया। वही मित्रता की भावना नेपाल, सोवियत संघ, संयुक्त अरब गणराज्य, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, यूगोस्लाविया और बर्मा* की जनता और सरकार में देखी गई जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री शास्त्री जी ने इन देशों की यात्रा की। हमें भी नेपाल के महाराज और महारानी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, अफगानिस्तान, चेकोस्लोवाकिया, लाओस और उगांडा के प्रधान मंत्रियों तथा संसार के विभिन्न देशों के बहुत से विशिष्ट व्यक्तियों का अपने देश में स्वागत करने का सुअवसर मिला। लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए पिछले महीने बहुत-सी सरकारों के अध्यक्ष और अन्य महानुभाव दिल्ली आए और उनकी उपस्थिति से हमें बड़ी सान्त्वना मिली।

1965-66 हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि जो योजना के पहले दो वर्षों में मंद थी, अब गतिमय होकर तीसरे वर्ष में 4.5 प्रतिशत और चौथे वर्ष में 7.3 प्रतिशत तक पहुंच गई है। सामान्य परिस्थितियों में यह संभव होना चाहिए था कि चालू वर्ष में भी तुलनात्मक वृद्धि की यह दर कायम रखी जाती। दुर्भाग्यवश, कई प्रतिकूल बातों से उत्पादन की गति मंद हो गई है। वर्षा की बेहद कमी, सशस्त्र संघर्ष जिसमें देश को उलझना पड़ा और बाहर से मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोक दिया जाना–इन सबने हमारी वृद्धि की दर को घटा दिया है।

समय पर वर्षा न होने के कारण ऐसी आशंका है कि 1965-66 में खाद्यान्नों की पैदावार सिर्फ 760 से 770 लाख टन होगी जबकि पिछले वर्ष 880 लाख टन हुई थी। खाद्यान्नों की कमी के कारण, साथ ही चरी और पानी की कमी के कारण भी, बहुत से प्रदेशों में सूखे की हालत आ पहुंची है, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। सूखे से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें कदम उठा चुकी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, और विभिन्न मित्र देशों की सरकारों और जनता ने जो हमें तुरन्त सहायता दी है उसके लिए हम इस अवसर पर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। विशेषरूप से, हम संयुक्त राज्य अमेरीका के राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे जिन्होंने इस आड़े समय में उदारतापूर्वक हमारी सहायता की।

ऐसे उपाय बरतने पड़ेंगे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त सामग्री में से हर मनुष्य और हर राज्य को उसका समुचित हिस्सा मिल सके। कानूनी राशनिंग कलकत्ता@, मद्रास#, कोयम्बटूर और दिल्ली में शुरू कर दी गई है। आगामी महीनों में कई अन्य नगरों में भी शुरू की जाएगी।

---

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।
@ अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।
# अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।

केरल में जो कठिनाई अनुभव की जा रही है उससे सरकार अवगत है। चावल की उपलब्धि से वहां प्रति व्यक्ति को केवल 140 ग्राम रोजाना राशन दिया जा सकता है। उसे उतने ही गेहूं से पूरा किया जा रहा है। चावल कम मिलने के कारण वहां पिछले दिनों बड़ा असंतोष रहा और आंदोलन हुआ। बाहर से आयात करके और देश से अतिरिक्त राशि प्राप्त करके अधिक चावल देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि जिन प्रदेशों में अधिकता है, वे केरल के लोगों को ज्यादा चावल उपलब्ध कराने में पूरी तरह सहयोग देंगे।

हमारी वर्तमान कठिनाइयां ऐसे साधनों को एकत्र करने और उनके प्रयोग करने की आवश्यकता पर एक बार फिर बल देती हैं जिनसे कम-से-कम समय में खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाई जा सके। केवल आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विद्या की सहायता से ही हम अपनी खेती की पैदावार पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सकते हैं। हमारी सरकार के कृषि-संबंधी नए उपायों में सबसे अधिक बल सुधरे किस्म के बीजों के प्रयोग पर दिया जाता है जिन पर उर्वरकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। 1966-67 तक पैंतालीस लाख एकड़ जमीन के लिए देश में उर्वरकों की पैदावार बढ़ाई जा रही है। ट्राम्बे फर्टिलाइजर प्लांट चालू हो चुका है और नैवेली प्लांट निकट भविष्य में उत्पादन आरंभ कर देगा। 1967 में नामरूप, गोरखपुर, बड़ौदा और विशाखापट्टनम में चार प्लांट लगाए जाएंगे। इस क्षेत्र में लगाने के लिए, देशी और विदेशी निजी पूंजी को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में कुछ निर्णय किए गए हैं। जब तक देशी उत्पादन पर्याप्त नहीं होता तब तक सरकार अपने कृषि कार्यक्रम के लिए वांछित मात्रा में उर्वरकों का आयात करना चाहती है।

सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। ऐसा अनुमान है कि आगामी वित्तीय वर्ष में बड़ी और मंझली सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 30 लाख एकड़ जमीन के लिए पानी मिल सकेगा। छोटी सिंचाई परियोजनाओं की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। चौथी योजना के दौरान, ऐसी आशा की जाती है कि लगभग 7 लाख पंपिंग सेट चालू कर दिए जाएंगे। गांव में बिजली पहुंचाने पर काफी जोर दिया जाएगा।

हमारी सिंचाई योजना से पानी और उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने के लिए काश्तकार को धन की आवश्यकता होगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि काश्तकार को उधार धन जल्दी मिल सके और अपेक्षाकृत कम ब्याज की दर पर।

खेती-बाड़ी को जो हम ऊंचे दर्जे की प्राथमिकता दे रहे हैं वह केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि उससे हमारी अनाज संबंधी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सकेगी, बल्कि इसलिए भी कि उससे हम कृषि और औद्योगिक उत्पादन का अपना निर्यात बढ़ाने में भी समर्थ हो सकेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में हमारे निर्यात में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई। लेकिन पिछले दो वर्षों में हमारा निर्यात प्रायः

जहां का तहां रहा है। पूर्व यूरोपीय देशों में सामान्य रूप से, और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से विशेष रूप से, हमारा निर्यात काफी बढ़ा है। तो भी, दुनिया के शेष देशों के साथ लेन-देन की स्थिति हम पर बोझ बनी हुई है। देश के विकास में बाहरी सहायता से वांछित योगदान मिलता रहा है और हम उन बहुत से देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति आभारी हैं जिनसे हमें सहायता मिलती है, फिर भी, जितनी जल्दी हो सके हमें निर्यात बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी लगन से जुट जाना चाहिए।

सरकारी सैक्टर के कई संयंत्रों ने कुछ समय हुआ उत्पादन आरंभ कर दिया है। मशीन बनाने वाले, तेल शोधन वाले, और एलॉय स्टील का उत्पादन करने वाले सैक्टरों की क्षमता और बढ़ी है। चौथी योजना में सरकारी सैक्टर में उद्योगों के विस्तार के लिए पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय है, बोकारो का स्टील प्लांट जो सोवियत सहयोग से खड़ा किया जाएगा और वे कारखाने जिनका उद्देश्य है परमाणु शक्ति को शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यों के लिए नियोजित करना। डॉ. एच.जे. भाभा की दु:खद मृत्यु से एटॉमिक एनर्जी कमीशन और वस्तुत: विज्ञान संसार को क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना असंभव है। जो काम उन्होंने आरंभ किया था उसे अबाध गति से आगे बढ़ाना चाहिये।

सरकारी सैक्टर में जो पूंजी हम लगाते हैं उसका पर्याप्त लाभ हमें मिलना चाहिये। हमारी सरकार का इरादा है कि वह सरकारी सैक्टर के कारखानों के दक्षतापूर्ण प्रबन्ध की ओर विशेष ध्यान दे।

निजी सैक्टर के उद्योगों को भी अपना उत्पादन और क्षमता बढ़ानी है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और तंगी की हालत में कुछ कटौतियां और नियंत्रण अनिवार्य हैं, फिर भी ऐसी स्थितियां लाई जानी चाहिएं जिनमें चौथी पंचवर्षीय योजना के ढांचे के भीतर निजी पहलकदमी और निजी बचत, वृद्धि और विकास के हित में ज्यादा से ज्यादा काम आ सके।

अपनी जनता का स्वास्थ्य सुधारने और जीवनावधि की औसत बढ़ाने में हमने जो सफलता प्राप्त की है उससे हमें संतोष है। इस समय उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या लगभग 90,000 है जबकि 1960-61 में यह संख्या 70,000 थी, और इस अवधि में अस्पताली बिस्तरों की संख्या लगभग एक तिहाई बढ़ गई है। पिछले दशक में मलेरिया से होने वाली मृत्यु पर प्राय: पूरी तरह काबू पा लिया गया है। मृत्यु की दर में कमी लाने के साथ-साथ हमें पैदायश की दर भी घटानी पड़ेगी। अगर आबादी लगभग दस लाख प्रति मास की दर से बढ़ती गई तो हमें अपने जीवन-स्तर को ऊंचा करना और अपनी जनता का पेट भरने के लिए आयात पर लगातार निर्भर होने से बचना कठिन हो जाएगा। परिवार परिसीमन के कार्यक्रम को तेजी से चलाना है और सबको इससे परिचित कराना है।

प्राइमरी दर्जे पर स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या जो प्रथम योजना के आरंभ में 40 प्रतिशत से कुछ अधिक थी, इस वर्ष लगभग 80 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में उच्च दर्जों पर प्रतिशत लगभग तिगुणा हो गया है। तीसरी योजना के दौरान टैक्नीकल ट्रेनिंग संस्थाओं के स्नातकों की संख्या दुगनी हो गई है।

साल के दौरान कीमतें बराबर बढ़ती रहीं, तो बढ़ोतरी की दर इतनी ऊंची नहीं थी जितनी पिछले साल। इस वर्ष कृषि उत्पादन में जो गिरावट आई है उसे ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्फीति संबंधी दबाव पर नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाना जरूरी हो गया है। सरकारी खर्च में कटौती करने से इस संबंध में काफी असर हो सकता है।

हमारी सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि योजना के बाहर के खर्चों में कुछ काट-छांट करे और अपने संसाधनों को विकास पर केन्द्रित करे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अधिक खर्च करना ही पड़ेगा। हमें उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी है जो हाल के संघर्ष में विस्थापित हो गए हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हमें राहत पहुंचाने के उपाय करने ही हैं। हाल के महीनों में हमारी उत्तरी सीमा पर जो तनाव बढ़ा है उसके कारण सुरक्षा पर अधिक व्यय की व्यवस्था करने को हम बाध्य हैं। जैसी परिस्थितियां हैं उनमें अधिक कठोर आर्थिक अनुशासन अनिवार्य है, जो भीतर भी लागू हो और बाहर भी।

धन संबंधी और आर्थिक नियंत्रण, भले ही वे थोड़े समय के लिए आवश्यक जान पड़े, हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकते। गरीबी को हटाने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकारी सेक्टर और निजी सेक्टर को भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं।

किन्हीं कारणों से जिनका गुमान नहीं था, चौथी योजना की तैयारी में दुर्भाग्यवश विलंब हो गया है। 1966-67 के लिए योजना तैयार है, इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारें अपने संसाधनों को एकत्र कर रही हैं। यद्यपि 1966-67 की योजना पर होने वाला कुल खर्च उससे कम रहेगा जिसकी हमने आशा की थी, फिर भी इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि इस कमी को चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में पूरा कर दिया जाए।

माननीय सदस्यगण, एक नई सरकार सत्तारूढ़ हुई है। इसका नेतृत्व एक ऐसी हस्ती के हाथ में है, जिसे आप सब जानते हैं, और जो आजादी के सैनिकों में युवा पीढ़ी की है। विभागों और मंत्रालयों के पुनर्गठन में वह प्राथमिकता प्रतिबिंबित है जिसकी ओर मैंने अभी संकेत किया है।

आपके विचारार्थ आपके सामने 38 बिल पहले से हैं। जो नए बिल सरकार आपके सामने रखना चाहती है, उनमें से कुछ ये हैं–

(1) चावल-शोधक उद्योग (विनियम) संशोधन बिल, 1966;

(2) फसल बीमा बिल, 1966;

(3) भारतीय तटकर (संशोधन) बिल, 1966 (ऑर्डिनेंस की जगह);

(4) आवश्यक व्यापार वस्तु (संशोधन) बिल, 1966;

(5) ठेका मजदूर (नियमन और समाप्ति) बिल, 1966;

(6) अग्रिम ठेका (विनियम) संशोधन बिल, 1966;

(7) सशस्त्र सेना (विशेषाधिकारों की बरकरारी) बिल, 1966; और

(8) आयात-निर्यात नियंत्रण (संशोधन) बिल, 1966।

1966-67 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के अनुमानित आय-व्यय का एक ब्यौरा आपके सामने रखा जाएगा।

माननीय सदस्यगण, मेरी शुभकामना है कि आप अपने कार्यों में सफल हों। हमारा उद्देश्य विदित और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हमें देश में अपनी जनता के जीवन की बेहतरी के लिए प्रयत्न करना, और विश्व में शांति और सहयोग को समुन्नत करने के लिए सहायता प्रदान करना है। उन लक्ष्यों की ओर साहस, बुद्धि और सहकारिता की भावना से आपको अपने देश को ले चलना है।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 मार्च 1967

लोक सभा	-	चौथी लोक सभा
सत्र	-	चौथे आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी

माननीय सदस्यगण,

संसद के दोनों सदनों के इस संयुक्त अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नव-निर्वाचित तथा पुनर्निर्वाचित सदस्यों को मैं अपनी बधाई देता हूं और जो लोग हमारे बीच इस सभा में अब नहीं हैं उनको अपनी शुभकामनाएं।

पहले ऐसा विचार था कि इस महीने तीसरी लोक सभा का अंतिम अधिवेशन खास तौर पर लेखानुदान पास करने के लिए बुलाया जाए। लेकिन अधिकांश चुनाव परिणाम घोषित होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों ने हमसे यह आग्रह किया कि इस मौके पर नई लोक सभा का ही अधिवेशन बुलाया जाए जिसमें लेखानुदान पास किया जाए और दूसरी आवश्यक कार्रवाई हो। सरकार इस राय से सहमत हुई और उनकी सलाह पर तीन मार्च को तीसरी लोक सभा भंग कर दी गई।

हमारे चौथे आम चुनाव ने फिर से हमारे लोकतंत्र की शक्ति और सजीवता का सबूत पेश किया है। पिछले सभी आम चुनावों से अधिक मतदाताओं ने इस बार के निर्वाचन में भाग लिया। मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई। चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में व्यवस्थित रूप से सम्पन्न हुआ, जो भी हिंसा और उपद्रव की कुछ दु:खद घटनाएं कहीं-कहीं हुईं जिनकी सभी ओर से निन्दा की गई। आम चुनाव का काम जिस तरह पूरा हुआ उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। साथ-साथ हमारी जनता भी बधाई की पात्र है, जिसने

लोकतंत्र और प्रतिनिधिक संस्थाओं के प्रति उत्साह, परिपक्वता और मर्यादा के साथ अपना विश्वास फिर से प्रकट किया।

स्वतंत्रता के बाद पहली बार केन्द्रीय सरकार से भिन्न राजनीतिक विचारधारा के दलों ने कई राज्यों में सरकार बनाई है। संघीय लोकतंत्रात्मक राज्य में यह कुछ अप्रत्याशित नहीं। हमारे संविधान में संघ और राज्यों के पारस्परिक संबंधों के नियमन के लिये उपबंध हैं। इसके अलावा पिछले कई वर्षों के दौरान संघ और राज्य तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सहयोग, सद्भाव और सामंजस्यपूर्ण संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए कई संस्थाएं बन गई हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् जोनल काउन्सिलों और राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों के समय-समय पर होने वाले सम्मेलन इनके विशेष उदाहरण हैं।

संघ सरकार संविधान के उपबन्धों को अक्षरशः बिना किसी भेदभाव और सही मायने में पालन करेगी तथा राष्ट्रीय समस्याओं को सहयोग से हल करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। हमें विश्वास है कि सभी राज्य इन संस्थाओं को कायम रखने में सहयोग देंगे तथा विचार-विमर्श द्वारा अपने और केन्द्र दोनों के हित में इनको अधिकाधिक उपयोगी बनायेंगे। देश की एकत्र और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, लोकतंत्रीय संस्थाओं को कायम रखना, आर्थिक विकास और जन-कल्याण हमारा परम उद्देश्य है और इस दिशा में संघ एवं राज्य को एक साथ मिलकर प्रयत्न करना है।

हमारी सरकार ने अभी-अभी कार्यभार संभाला है। मतदाताओं की इच्छा के अनुकूल नीति और कार्यक्रम तैयार करने और आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा। आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने चार प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं:—

उन्होंने संकल्प किया है कि 1971 के अन्त तक खाद्य के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहें;

यह भी संकल्प किया है कि बुनियादी जरूरत की चीजों के मूल्य में अभिवृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने और कम से कम समय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाए;

तीसरा संकल्प यह है कि आर्थिक विकास की गति को पर्याप्त तीव्र करें ताकि 1976 तक विदेशी सहायता लेने की आवश्यकता न रहे; और

यह भी संकल्प किया है कि जन्म-दर प्रति हजार चालीस से घटकर यथाशीघ्र पच्चीस हो जाए, इसके लिए परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।

ये काम इतने बड़े और महत्वपूर्ण हैं कि सारी जनता और दलों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के बिना पूरे नहीं हो सकते। इन्हें प्राप्त करना सरकार का प्रधान उद्देश्य होगा।

खाद्य समस्या का सामना करने के लिए संकटकालीन स्थिति की तरह जो कदम उठाये गये हैं, उन्हें और जोरदार बनाया जायेगा। देश में अपनी पैदावार अथवा आयात से प्राप्त जो भी अनाज सुलभ है, हमें यह देखना है कि उनका वितरण समान रूप से हो। खाद्य के मामले में और कौन से काम करने हैं इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार जानने तथा उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पहले ही सम्पर्क किया है।

साथ ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न करेगी। आगामी प्रत्येक वर्ष में हमारे खाद्य आयात की मात्रा कम हो जानी चाहिये। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार काफी रासायनिक खाद और अच्छे बीज सुलभ कराने और किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान देगी। लघु सिंचाई और कुओं को अधिक उपयोगी बनाने पर विशेष जोर दिया जायेगा। सिंचाई की जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं और जिनके निर्माण का काम काफी आगे बढ़ चुका है उनको शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे तथा सिंचाई के लिए देश में जो साधन सुलभ हैं उनके समुचित और सर्वाधिक उपयोग की व्यवस्था की जायेगी।

बारिश की कमी के कारण खेतों की पैदावार कम हुई और खासकर इसी वजह से पिछले दो वर्षों में कीमतें बढ़ती गईं। समय पर बारिश न होने की वजह से औद्योगिक उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा और औद्योगिक उत्पादन में कमी का एक कारण यह भी था कि विदेशी मुद्रा की कमी होने से आवश्यक कच्चा माल विदेश से मंगाया नहीं जा सका। केन्द्र द्वारा घाटे का बजट और राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) के कारण स्फीति दबाव अधिक बढ़ा। इस स्थिति का सामना करने के लिए कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के हरसंभव उपाय किये जाने चाहियें। पिछले सालों में हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो साधन और क्षमता पैदा की गई है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना है। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। किफायतसारी और कुशलता में कोई विरोध नहीं है और सरकारी खर्च के हर क्षेत्र और हर दिशा में जितनी भी कटौती हो सकती हो, की जानी चाहिये।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य है हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और अधिक विकास के योग्य बनाना। इस लक्ष्य को 1976 तक प्राप्त कर लेने के लिए चौथी योजना में उन उद्योग धन्धों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिनसे निकट भविष्य में हमारा तेजी के साथ विकास हो, विशेषत: ऐसे उद्योग धंधे जो खेती और निर्यात में सहायक सिद्ध हों। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अधिक कार्यकुशलता पर सर्वाधिक जोर देना होगा। पहली तीन योजनाओं में उद्योग धंधों के ऊपर काफी सरकारी

पूंजी लगाई गई है और इस ख्याल से यह बहुत आवश्यक है कि इन उद्योग धंधों से ज्यादा मुनाफा हमें मिले ताकि विकास का काम आगे बढ़े। चौथी योजना की रूपरेखा का मसौदा कुछ महीने पहले प्रकाशित किया गया था। सूखे के कारण जो असर देश पर पड़ा, कीमतों की जो प्रवृत्ति अभी है, देश और देश के बाहर से क्या अतिरिक्त साधन जुटाये जा सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर उस मसौदे का पुनरीक्षण किया जा रहा है और जल्दी ही राष्ट्रीय विकास परिषद् से इस योजना के संबंध में विचार-विमर्श करने के बाद संसद के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

हमारी आबादी पचास करोड़ से आगे बढ़ गई है। यह एक खतरे की सूचक है और यदि हम इस ओर से बेपरवाह रहे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। राज्यों के साथ मिल कर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सभी स्तरों पर सुदृढ़ बनाया जायेगा।

आर्थिक कठिनाइयां तो एक कारण है, लेकिन इनके अलावा भी खासकर नौजवानों के बीच व्याप्त असंतोष के कुछ और भी कारण हैं। आजादी के बाद जो एक नई पीढ़ी पैदा हुई है उसके मन में कुछ नये विचार और नई आकांक्षायें हैं। हमें उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षा आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनके संबंध में राज्यों के विचार मांगे गये हैं और उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हमारी शिक्षापद्धति को पुनर्गठित करना जरूरी है। विश्वविद्यालय स्तर पर एक राष्ट्रीय सेवा की योजना के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

हमारी सभी योजनाओं और परियोजनाओं की सफलता हमारे प्रशासन की कुशलता और सत्यनिष्ठा पर निर्भर करती है। काम में कुशलता लाने के लिए प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किये जायेंगे। योजना आयोग का पुनर्गठन होगा। अभी जो नियंत्रण लागू किये गये हैं उनका पुनरीक्षण किया जायेगा और उनमें से जो अनावश्यक होंगे उन्हें हटा दिया जायेगा तथा नियंत्रण को अधिक कुशल और उपयोगी बनाने के लिए उनको फिर से समंजित किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार के पुनर्गठन के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होने वाली हैं।

सार्वजनिक जीवन और सरकारी कर्मचारियों के आचरण में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला है। इस विषय पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है। सरकार आयोग की इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करती है कि ऊंचे राजनीतिक अथवा प्रशासनिक पदों के भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करने के लिए समुचित संस्था के गठन की आवश्यकता है। सरकार शीघ्र ही इस विषय में अपने प्रस्तावों को तय कर संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उन्होंने आयोग की उन सिफारिशों को जिनका राज्य सरकारों से संबंध है, उन्हें भेज दिया है।

श्रम के संबंध में श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है। ग्रामीण श्रमिकों सहित सभी प्रकार के श्रमिकों के आजादी के बाद के काम और रहन-सहन के हालात का पुनरीक्षण कर यह आयोग समुचित सिफारिश करेगा। संघ की राजभाषा के संबंध में दिये गये आश्वासनों को सांविधिक स्वीकृति देने के लिए शीघ्र ही संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। जो घोषणा पहले की जा चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए गोवध पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जायेगी। जैसा कि घोषित किया जा चुका है असम के नेताओं से हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए असम राज्य के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी। राज्य सरकारों से परामर्श कर वित्तीय वर्ष को बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

आज के संसार में कोई भी देश अलग नहीं रह सकता। भारत को विश्व-कुटुम्ब में अपना समुचित स्थान लेना है। सुरक्षा परिषद् में हमारी सदस्यता से हम पर गुरुतर उत्तरदायित्व आ गया है, जिसे निभाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे।

भारत की विदेश नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। भारत ने जिस शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को प्रवर्तित करने के लिए जितना भी कार्य किया है, उसे अब दोनों गुटों के नेताओं ने स्वीकार कर लिया है अमरीका और रूस दोनों देशों के साथ हमारे विशेष मित्रतापूर्ण संबंध हैं। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति सफल प्रमाणित हुई है। सरकार इस नीति को सुदृढ़ बनाने का हर सम्भव प्रयत्न करेगी और उसके भावात्मक सिद्धांतों पर संकल्प के साथ चलती रहेगी।

आज मानवता के सामने दो संकट विद्यमान हैं। एक है निर्धन राष्ट्रों और धनी राष्ट्रों के बीच बढ़ती हुई खाई। दूसरा है कुछ देशों द्वारा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत का अस्वीकार।

सरकार की विदेश नीति के दो उद्देश्य होंगे। हमारे राष्ट्रीय हितों—आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा संबंधी हितों को आगे बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन। इस उद्देश्य की प्राप्ति में, हम संसार के अधिकांश देशों के साथ अधिकाधिक मित्रतापूर्ण संबंध बनाने और उन्हें कायम रखने में सफल हुए हैं। भारत के अन्य एशियाई देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने का सरकार का विशेष प्रयत्न रहेगा।

यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मित्र देश बर्मा* की सरकार के साथ हमारी सरकार, हमारी परम्परागत सीमा का औपचारिक सीमांकन संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने में सफल हुई है।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

सरकार वियतनाम संबंधी अपनी नीति पर दृढ़ है, जिसका अनेक बार स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

पाकिस्तान सरकार और वहां के लोगों की मित्रता और सहयोग प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार हृदय से इच्छुक है। सामान्य हित रखने वाले हमारे इन दोनों देशों को जिस कटुता और संघर्ष ने कभी-कभी विलग कर दिया है उससे हमें सबसे अधिक दुःख पहुंचा है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सद्भावना, मित्रता और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए हमारी सरकार भरसक प्रयत्न करेगी।

हम चीन के साथ भी शांति से रहना चाहते हैं। परन्तु चीन सरकार की आक्रामक कार्रवाई और गतिविधि और साथ ही उसके द्वारा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना की अस्वीकृति—ये बड़ी कठिनाइयां चीन के साथ हमारे संबंध सुधारने में बराबर बाधक बनी हुई हैं।

संसार के जिन मित्र राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अभिकरणों ने हमारे विकास कार्यक्रमों में तथा हमारे खाद्यान्न संकट को दूर करने में हमें अमूल्य सहायता प्रदान की है, उनके हम आभारी हैं।

विकासशील देश भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आपसी सहयोग द्वारा सुदृढ़ कर सकते हैं। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासर और हमारे प्रधान मंत्री—इन तीनों गुट-निरपेक्ष देशों के नेताओं के त्रिपक्षीय सम्मेलन ने इस दिशा में कार्य करने का आधार स्थापित कर दिया है।

हाल ही में हमें एक और राष्ट्र के अध्यक्ष, अफगानिस्तान के महामान्य सम्राट, के स्वागत करने का अवसर मिला जिनके साथ हमारी बहुत ही मित्रतापूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई।

संसद सदस्य, आज हमारे सम्मुख जो प्रश्न हैं उनमें से कुछ का मैंने संक्षेप में उल्लेख किया है। इन विषयों में तथा अन्य विषयों में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की पूरी जानकारी प्राप्त करने का आपको यथासमय अवसर मिलेगा। आपका वर्तमान सत्र छोटा ही होगा, जो कुछ अनिवार्य वित्तीय और बजट संबंधी कार्यवाही तक सीमित रहेगा। आगे की कार्यवाही पर विचार करने के लिए आप फिर से शीघ्र ही मिलेंगे।

वर्तमान सत्र में निम्नलिखित अध्यादेशों का स्थान लेने के लिए विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे:—

(1) खनिज उत्पादन (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 1966,

(2) अत्यावश्यक वस्तुएं द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 1966,

(3) भूमि अर्जन (संशोधन) तथा मान्य अध्यादेश, 1967 और

(4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1967।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) स्थिरता विधेयक भी प्रस्तुत किया जायेगा।

1967-68 के वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

यह हमारे लिए दु:ख का विषय है कि राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा। हमारी हार्दिक आशा है कि इस व्यवस्था को अधिक समय तक बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा और शीघ्र ही उत्तरदायी सरकार फिर से स्थापित करना सम्भव होगा। 1967-68 के वित्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण भी आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

संसद सदस्य, मेरी शुभकामना है कि आप अपने प्रयास में सफल हों।

डॉ. जाकिर हुसैन

संसद के समक्ष अभिभाषण – 12 फरवरी 1968

लोक सभा	-	चौथी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी

माननीय सदस्यगण,

नये वर्ष के इस प्रथम अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

पिछला साल कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था। लगातार दूसरे साल भी देश ने अभूतपूर्व सूखे और अभाव का सामना किया। पहले के अकालों के विध्वंस को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा गौरव है कि समूचे राष्ट्र ने एकजुट होकर करोड़ों देशवासियों के जीवन पर आये भयंकर खतरे का सामना कर सफलता प्राप्त की। इस सफलता के कई विशेष कारण हैं: केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समयोचित और महत्वपूर्ण कार्य, स्वैच्छिक संस्थाओं की निष्ठापूर्ण सेवा, मित्र राष्ट्रों की सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों की कुशलता और उनके कठिन परिश्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की अटूट हिम्मत और साहस का बल।

एक साल पहले भविष्य अन्धकारपूर्ण दिखता था लेकिन निराशा के बादल अब हटने लगे हैं। इस साल अनाज की पैदावार पिछले सभी सालों से ज्यादा होने की उम्मीद है। आमतौर पर यह अन्दाज लगाया जा रहा है कि इस साल लगभग साढ़े नौ करोड़ टन अनाज पैदा होगा जो 1966-67 की तुलना में दो करोड़ टन ज्यादा और 1964-65 से, जबकि बहुत ज्यादा अनाज पैदा हुआ था, 60 लाख टन ज्यादा होगा। पैदावार की इस वृद्धि से खाद्य स्थिति में सुधार की आशा है। फिर भी इस साल जो उपज होगी उसका बहुत अधिक हिस्सा तो सरकारी और निजी खाली गोदामों को भरने में चला

जाएगा। खाद्य स्थिति में स्थिरता लाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि नियंत्रित दाम पर सरकार की ओर से अनाज का बंटवारा जारी रखा जाए। इन्हीं उद्देश्यों के लिए सरकार अपने देश में अन्न संग्रह के लिए बराबर कोशिश कर रही है और प्रयास है कि 30 लाख टन का एक बफर स्टाक तैयार किया जाय। इन सबके लिए देश में पैदावार को बहुत अधिक गतिशील बनाने की जरूरत है। लेकिन इन सबके बावजूद बाहर से कुछ आयात करना जरूरी होगा।

यह सही है कि अच्छे मौसम की वजह से पैदावार बढ़ी है लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कृषि की पैदावार में जो सफलता हमें मिली है उसमें खेती के नए तरीकों का बहुत बड़ा योगदान है। 1966-67 में 50 लाख एकड़ भूमि पर अधिक उपज देने वाले बीज बोये गए थे। पिछली खरीफ की फसल में 60 लाख एकड़ भूमि पर यह बीज बोया गया था और अनुमान है कि मौजूदा रबी की फसल में 90 लाख एकड़ भूमि में यह बीज बोया गया है। कपास, जूट, ईख, तम्बाकू, मूंगफली जैसी व्यापारिक फसलों की पैदावार भी बढ़ने की आशा है। 30 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि पर लघु सिंचाई कार्यक्रम लागू होगा। नाइट्रोजन पूरक खाद का उपयोग भी बहुत अधिक बढ़ा है और 1965-66 की तुलना में इसकी खपत इस साल लगभग दूनी हो गई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग 3 चौथाई अधिक इलाके में पौधा संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। खेती कें लिए उधार पर रुपये देने की व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। खेती संबंधी शिक्षा, प्रशिक्षण, खोज और विस्तार के कार्यक्रम को अमल में लाने के बारे में भी लगातार तरक्की हो रही है। खेती के विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है कम से कम समय में अपने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना।

खेतों में पैदावार बढ़ने की वजह से राष्ट्रीय आय में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। 1966-67 में जो हमारी आय थी उसमें 10.8 प्रतिशत वृद्धि की इस साल आशा है खेती की पैदावार बढ़ने की वजह से दामों का ऊपर बढ़ना भी कुछ कम हुआ है। 1966 में थोक कीमतें 16 प्रतिशत बढ़ गयी थीं किन्तु मौजूदा साल में इनकी वृद्धि 5.7 प्रतिशत हुई है। मूल्यों में स्थिरता आने के अच्छे आसार दिखाई पड़ रहे हैं फिर भी जैसा कि मैंने आपसे कहा, मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए यह जरूरी होगा कि अनाज के सरकारी वितरण की व्यवस्था कायम रहे और राजकोष, आर्थिक तथा आय संबंधी नीति पर हमारा अनुशासन बना रहे।

पिछले दो सालों में जो भयंकर सूखा पड़ा उसका असर कारखानों की पैदावार पर भी हुआ। कारखाने जो खेत की पैदावारों पर मुनहसिर थे उनको कच्चा माल पूरा नहीं मिल सका और आमदनी में कमी होने के कारण मांग भी कुछ गिर गई। कुछ पूंजी और उत्पादक माल बनाने वाले कारखानों के सामने भी कम मांग की समस्या आई चूंकि पूंजी लगाने की शक्ति में कमी हो गई थी। औद्योगिक विस्तार की गति धीमी होने की वजह से रोजगार हासिल करने में खासकर हुनरमन्द लोगों को दिक्कत हुई।

सरकार ने बाहर भेजने और देश में खपत के लिए कुछ चीजों की पैदावार बढ़ाने के लिए खास कदम उठाये हैं, इनमें कर्ज की शर्तों में ढील देना, सरकारी कारखानों द्वारा अग्रिम आर्डर देना और जो चीजें देश में बनाई जाती हैं उनको विदेशों से नहीं मंगाने की नीति शामिल है। खेती की पैदावार बढ़ने से राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है उससे यह आशा की जाती है कि अगले साल औद्योगिक उत्पादन की बहुत-सी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

पिछले दो सालों में लागत और मूल्य के बराबर बढ़ते रहने तथा खेती की पैदावार में बहुत कमी होने के कारण हमारे निर्यात को धक्का पहुंचा। लेकिन अभी अन्न की अच्छी उपज तथा कारखानों के लिए खेती से अधिक कच्चे माल प्राप्त होने के कारण अगले साल हमारे निर्यात के बढ़ने की आशा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के 7 महीनों में 1966-67 के इन सात महीनों की तुलना में हमारा निर्यात 5.7 प्रतिशत अधिक रहा है। इंजीनियरी के सामान बनाने वाले कारखानों के पास निर्यात के लिए काफी आर्डर मिल चुके हैं। औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने से यह आशा की जाती है कि विदेशों के बाजारों के लिए हम अधिक चीजें बनाने में समर्थ हो सकेंगे।

तरह-तरह के सामान बनाने और उत्पादन में वृद्धि, माल बेचने की कला के विकास और क्षमता बढ़ाने के लिए उत्पादकों और निर्माताओं को सरकार बराबर सहायता देती रही है। अपने देश के उत्पादन के निर्यात को बढ़ाने और विदेशों में हमारे माल की ज्यादा मांग बढ़ाने की कोशिश हुई है। विदेश स्थित हमारे मिशनों से इसके लिए बराबर रोज-ब-रोज सम्पर्क रखा जा रहा है और द्विदेशीय करार तथा बहुपक्षीय वार्ता भी हुई है। समाजवादी देशों के साथ जो हमारे करार हुए हैं उनसे हमारे व्यापार का बराबर विस्तार होता रहेगा। कैनेडी द्वारा प्रारंभ करारों के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर हमारे निर्यातकर्ताओं को माल भेजने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के साथ जो हमारा त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोग करार हुआ है उससे पारस्परिक व्यापार बढ़ेगा और दूसरे विकासशील देशों के साथ हमारे व्यापारिक सहयोग के विस्तार का आधार प्राप्त होगा। निर्यात का विस्तार हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य है और उसे सदा बढ़ावा दिया जाएगा।

निर्यात से अधिक आयात तथा विदेशी ऋण को चुकाने के भार, अनाज के आयात और निर्यात के लिए जो चीजें तैयार की जाती हैं, उनके लिए विदेशी माल को मंगाने के कारण हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पिछले साल कठिन रही। विदेशी ऋण पर खर्च की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में सरकार ने मित्र देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता मांगी है। इस ओर हमें कुछ हद तक सहायता प्राप्त भी हुई और चर्चा आगे चल रही है। विदेशी मुद्रा की जो राशि अपने पास थी उसमें कमी हुई इसलिए यह जरूरी हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से कुछ और अल्पकालीन सहायता ली जाए।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक सफलतापूर्वक चलाने की किसी भी योजना के लिए अपने व्यापारिक जहाजों का विकास और बंदरगाहों की सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं—तूतीकोरिन और मंगलौर बंदरगाहों का विकास और हल्दिया गोदी का निर्माण, बंदगाहों पर जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार, हिन्दुस्तान शिपयार्ड का पुनर्गठन और आधुनिक बनाया जाना। कोचीन में सरकारी क्षेत्र द्वारा दूसरे शिपयार्ड की स्थापना की गई है जहां 66,000 डेडवेट टन के जहाजों का निर्माण हो सके और 85,000 डेडवेट टन तक के जहाजों की मरम्मत की सुविधा हो। जहां तक हमारे व्यापारिक जहाजों की भारवहन क्षमता का प्रश्न है, वह लगभग 20 लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन तक पहुंच गयी है। सरकार ने एक ऐसे आयोग की भी स्थापना की है जो बड़े-बड़े बन्दरगाहों की आर्थिक समस्याओं पर विचार करे और उनके आधुनिक बनाये जाने के संबंध में सुझाव दे।

परिवार नियोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की चर्चा किए बगैर वार्षिक सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं होगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम में जोरदार प्रगति हुई। देहाती और शहरी आबादी में बहुत से नए वर्गों के लोगों ने इस कार्यक्रम को स्वीकार किया। अनुमान है कि 28.50 लाख से अधिक स्त्री और पुरुष विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं। अब तक किसी एक वर्ष की जो संख्या रही है, उससे यह संख्या कहीं ज्यादा है। फिर भी, वार्षिक जन्म दर को एक हजार में लगभग 40 से 25 तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इससे भी ज्यादा और लगातार कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह इरादा किया गया है कि अगले वर्ष 60 लाख अतिरिक्त स्त्री-पुरुषों को परिवार नियोजन के तरीकों और सेवाओं की परिधि में ले आया जाए। आबादी को नियंत्रित करने के कुछ अन्य उपायों पर भी सरकार विचार कर रही है।

भविष्य की ओर देखते हुए सरकार के सामने सबसे बड़ा काम अर्थव्यवस्था को नए सिरे से गतिशील बनाना है। पिछले दो वर्षों में इसे जो जबर्दस्त धक्के लगे हैं, उन्हें पार कर यह अब संभल रही है। सरकार का ख्याल है कि योजना के तरीके से ही कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा में देश आगे जा सकता है।

योजना आयोग चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने में लगा हुआ है। यह योजना अब अप्रैल, 1969 से चालू होगी। इस बीच विकास संबंधी आयोजन वार्षिक योजनाओं के आधार पर होता रहा है। 1968-69 वार्षिक योजना जल्दी ही आपके सामने रखी जाएगी। सरकार और योजना कमीशन, दोनों ही स्वाभाविक रूप से इसके लिए उत्सुक हैं कि योजना समय पर तैयार हो जाए ताकि 1968-69 के बजट में उसे शामिल किया जा सके।

हमें अपनी योजनाओं को तैयार करने के लिए कई सवालों पर ध्यान देना है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं: संसाधनों को इकट्ठा करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग-धंधों की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना और विज्ञान तथा टैक्नोलोजी का समुचित उपयोग करना। सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में काफी हद तक बचत किए बगैर आंतरिक संसाधनों को अच्छी तरह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि हम आत्मसंयम से काम लें और कम खर्च कर बचत करें क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कारगर ढंग से संसाधन इकट्ठे किए जा सकें, इसके लिए सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है जैसे कि टैक्स के कानून सरल कर दिए जाएं, टैक्स की प्रक्रिया में सुधार किया जाए और समाहरण तंत्र को समुन्नत किया जाए।

सरकारी क्षेत्र की क्षमता को फौरन बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति सरकार सजग है। विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं ने जो सलाह दी है, उसके संदर्भ में सरकार इस क्षेत्र के गठन और उसमें होने वाले कार्य की समीक्षा कर रही है। अच्छा प्रबंध, कर्मचारियों के संबंध में अधिक युक्तियुक्त और सुविचारित नीति, श्रमिकों के साथ सुधरे हुए संबंध और वरीयताओं (प्रायोरिटीज) तथा मूल्यांकनों को दृढ़ता से लागू करके प्रभावकारी तरीके से किफायत करने के संबंध में खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है।

सदस्यों को याद होगा कि संसद के पिछले अधिवेशन में उपप्रधान मंत्री ने आम बीमा को सामाजिक नियंत्रण में लाने के बारे में सरकार के निर्णय पर एक बयान दिया था। सरकार का इरादा है कि उस बयान में जो निर्णय बताए गए थे, उन पर अमल करने के लिए चालू सत्र में एक बिल पेश किया जाए।

हमारे आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और टैक्नोलोजी का प्रयोग करने को सरकार जो महत्व देती है, उसका मैंने जिक्र किया। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति यह है कि हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में, सरकारी मशीनरी और उद्योग में उत्पादक तथा रचनात्मक तालमेल हो।

समीक्षाधीन वर्ष में, थुम्बा इक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन औपचारिक रूप से समर्पित किया गया। केन्द्र से जो पहला रोहिणी राकेट तैयार किया गया था, उसे थुम्बा से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। अहमदाबाद में एक्सपेरीमेंटल सैटेलाइट कम्यूनिकेशन अर्थ स्टेशन पूरा कर लिया गया है और आरवी में एक नया स्टेशन तैयार किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि एटमी शक्ति के क्षेत्र में तारापुर का एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इस वर्ष आरंभ कर दिया जाएगा। दो और एटॉमिक पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं।

सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हमारा प्रशासनिक ढांचा ऐसा होना चाहिए कि वह न सिर्फ जरूरतों को ही पूरा करे बल्कि लोगों का विश्वास भी प्राप्त

करे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। उसने कई रिपोर्टें दी हैं जिनमें व्यापक रूप से लोगों ने दिलचस्पी ली है। हमारे देश में इस तरह की व्यापक जांच पहली बार की गई है। इस आयोग के सामने नागरिकों की शिकायतें दूर करने की समस्या थी और उन्होनें कुछ सिफारिशें भी की हैं। सरकार ने अब यह फैसला किया है कि एक ऐसे सांविधिक तंत्र की स्थापना की जाए जो कुप्रशासन से उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार और अन्याय की कथित शिकायतों की जांच करे। इस तंत्र का अध्यक्ष होगा एक लोकपाल, जिसे केन्द्रीय मंत्रियों और सचिवों के प्रशासनिक कार्य से उत्पन्न होने वाले आरोपों की जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह लोकपाल लोकायुक्त के दर्जे के दो अन्य प्राधिकारियों के कार्य संचालन में भी तालमेल रखेगा। पहला तो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा और दूसरा सचिवों के दर्जे से कम दर्जे के केन्द्रीय सरकारी नौकरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। संसद के वर्तमान सत्र में इस आशय का एक बिल पेश किया जायेगा।

हमारे राष्ट्रीय जीवन के कुछ खास पहलुओं पर सरकार को निरंतर चिंता बनी रहती है। बेरोजगारी स्वाभाविक रूप से एक ऐसा विषय है जिससे परेशानी होती है और खास तौर से पढ़े-लिखे और तकनीकी विज्ञान की दृष्टि से योग्य नौजवानों की। फिर भी हमें यह समझना है कि इसके कोई सरल और अल्पकालिक समाधान नहीं हैं। हमारी आर्थिक उन्नति से रोजगार के जो संवर्द्धित अवसर प्राप्त होंगे, उनसे ही ये समस्याएं हल की जा सकती हैं क्योंकि ऐसा करने से शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं से निकले हुए लोगों को खपाया जा सकेगा। इसके साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या को भी ध्यान में रखना होगा। भविष्य में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में योजना कमीशन समीक्षात्मक पुनरीक्षण कर रहा है। इस बीच, सरकार को यह पूरी आशा है कि हमारे नव युवा स्त्री और पुरुष, जो श्रम की गरिमा को पहचानते हैं, इस तरह के रोजगार के अवसरों को स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाएंगे जो अब सुलभ हैं चाहे वे कार्य उनकी तकनीकी योग्यता के समकक्ष न बैठते हों।

हमारे समाज के अब तक के अविकसित वर्गों—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों, और पिछड़ी जातियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति सरकार के लिए अत्यंत रुचि और चिंता का विषय रहा है। हालांकि उनकी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया गया है, तो भी सरकार यह जानती है कि बहुत कुछ करना बाकी है। इस लिहाज से भी हमारी इस समस्या का आखिरी उत्तर हमारी अर्थव्यवस्था के जल्दी समुन्नत होने में ही निहित है।

अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों ही दृष्टियों से आर्थिक उन्नति और बढ़ोतरी के विषय में हमारी सारी आशाएं इस पर निर्भर करती हैं कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से काम करें, हमारे देशवासी परिश्रम करें, उनमें आत्मानुशासन की भावना जागे, उनके श्रम से उत्पादन बढ़े और उद्योग-धंधों में शांति बनी रहे।

यह चिंता का विषय है कि विभाजक शक्तियां सिर उठाती रही हैं जिसके कारण क्षेत्र, भाषा और जाति के नाम पर झगड़े और फसाद हुए हैं। यह मामला राष्ट्र के लिए गहरी चिंता का विषय है जो दलगत संबंधों से ऊपर है। यह मानकर ही संसद के दोनों सदनों ने सांप्रदायिकता को दूर करने के प्रयत्नों का स्पष्ट समर्थन किया था। देश के विभिन्न भागों में हुई बड़ी-बड़ी घटनाओं की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कमीशन की नियुक्ति से सरकार के इस दृढ़ निश्चय की झलक मिलती है कि वह अपनी भरपूर कोशिश से विध्वंसकारी शक्तियों को मिटाने के लिए तत्पर है।

यह स्वाभाविक है कि हमारे जैसे बड़े देश में कुछ न कुछ समस्याएं यहां-वहां लोगों को आंदोलित करती रहें। फिर भी, हमारे यहां एक ऐसी राजनीतिक पद्धति है जिसमें ये सारी समस्याएं लोगों के प्रतिनिधियों के समक्ष लाई जा सकती हैं और उन पर निष्पक्षता से विचार किया जा सकता है। तर्कसंगत और समझा-बुझाकर विवाद तय करना ही लोकतंत्रीय ढंग है। गली-मोहल्लों में हिंसात्मक उपद्रव लोकतंत्रात्मक पद्धति की नींव को कमजोर बनाते हैं।

सरकार के लिए यह बड़े ही खेद का विषय है कि देश के कुछ भागों में भाषा के प्रश्न को लेकर प्रदर्शन हों और कानून भंग किये जाएं। सरकार की भाषागत-नीति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि समुदाय के तमाम वर्गों को आत्माभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विकास के पूरे अवसर दिए जाएं। सरकार को पूरी आशा है कि भाषा के बारे में तमाम विवाद अब समाप्त कर दिए जाएं। हमारी भाषा नीति और कार्यक्रमों पर अमल करने से जो व्यावहारिक समस्याएं उठ खड़ी हों, उन पर समझ-बूझ और आपसी समझौते की भावना से विचार किये जाएं।

सरकार इस बात से आश्वस्त है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समझ-बूझ से राष्ट्रीय हित का साधन निरंतर होता रहेगा। वह अपनी ओर से इसकी पुनः पुष्टि करती है कि वह दलगत संबंधों की परवाह किए बगैर राज्य सरकारों के साथ मिल-जुल कर काम करना चाहती है और इसके बदले में वह राज्य सरकारों से समान सहयोग की अपेक्षा करती है।

संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ और असम के विभिन्न मत वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह-मशविरा करके असम के पुनर्गठन के प्रश्न पर आम राय स्थिर करने के लिए सरकार ने बराबर कोशिश की है। उम्मीद की जाती है कि उनके सहयोग से निकट भविष्य में कोई संतोषजनक समाधान निकल आएगा।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, स्वर्गीय मेहर चन्द्र महाजन ने मैसूर* और महाराष्ट्र तथा मैसूर*-केरल के बीच सीमा के समंजन संबंधी मसले पर अपनी रिपोर्ट पिछले अगस्त में पेश कर दी थी। सरकार का विश्वास है कि ये सीमा समस्याएं संतोषजनक

*अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है।

ढंग से सुलझ जाएंगी। हमारी सीमाओं पर बराबर जो खतरा बना हुआ है उसका मुकाबला करने के लिए हम अपनी रक्षा सेनाओं को लगातार अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं; उन्हें साज-सामान से फिर से लैस करने और उनका आधुनिकीकरण करने का काम बराबर चल रहा है। सुलभ साधनों के अनुसार, समग्र रक्षा योजना के ही अंग के रूप में अपने वायु रक्षा के प्रबंध भी बेहतर किए गए हैं। नौसेना के आधुनिकीकरण करने और जहाजों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी हमने संतोषजनक प्रगति की है। रक्षा उत्पादन की दिशा में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए सरकार विशेष प्रयत्न करती रहेगी।

सीमाओं पर दो पड़ोसियों से खतरा अब भी बना हुआ है। हम उनके साथ मित्रतापूर्ण और शांतिपूर्ण संबंध कायम करना चाहते हैं लेकिन अपने देश की प्रादेशिक एकता की रक्षा के लिए हम जरूरी त्याग करने के लिए तैयार हैं।

शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ-बूझ और सहयोग के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना अब भी हमारी विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य हैं। हमारे ये उद्देश्य राष्ट्रीय हित से मेल खाते हैं। सरकार का यह विश्वास है कि आज की दुनिया में सिर्फ सह-अस्तित्व का सिद्धांत ही एक ऐसा सिद्धांत है जिसके ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय शांति संभव हो सकती है।

आज दुनिया में संघर्ष और तनाव के अनेक स्रोत हैं। इनमें सबसे खतरनाक वियतनाम और पश्चिम एशिया के संघर्ष हैं। सरकार का विश्वास है कि वियतनाम का दुखद संघर्ष सिर्फ राजनीतिक तरीकों से ही हल किया जा सकता है, संगीन की नोक पर नहीं। इसलिए, सरकार का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सबसे पहले उत्तर वियतनाम पर बमबारी बिना शर्त बंद की जानी चाहिए। संसार के अधिकाधिक देशों की अब यही धारणा बनती जा रही है।

पश्चिम एशिया का संकट अभी तक टला नहीं है। समुचित समाधान में जितनी देर लगेगी उतनी ही यह समस्या ज्यादा पेचीदा बनती जाएगी। सुरक्षा परिषद् के एक सदस्य के रूप में हमने उन सभी प्रयत्नों का निरंतर समर्थन किया है जो इस समस्या का शीघ्र और न्यायोचित समाधान ढूंढने के लिए किए गए हैं ताकि किसी राज्य को आक्रमण से हुए लाभों को अपने पास रखने की इजाज़त न दी जा सके और इस क्षेत्र का हर एक राज्य अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक सुरक्षित रह सके।

हमें इस बात की खुशी है कि बर्मा*, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण हैं और उनके साथ आपसी सद्भावना और सहयोग के संबंध धीरे-धीरे बराबर बढ़ रहे हैं। इन देशों के विशिष्ट नेताओं की भारत यात्रा में और प्रधानमंत्री की तथा उनके कुछ दूसरे साथियों की इन देशों की यात्राओं में यह बढ़ता हुआ सौहार्दभाव प्रतिबिम्बित हुआ है।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

यह बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे संबंध अब भी असंतोषजनक बने हुए हैं। हमने सोचा था कि सत्यनिष्ठ ताशकंद घोषणा से पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण और सहयोग के संबंध विकसित करने का आधार मिल जायेगा। सरकार ने अनेक प्रकार से एक-दूसरे से जुड़े दो पड़ोसी देशों के अनुरूप संबंधों को सामान्य करने की सच्चे हृदय से कोशिश की है। आपसी संपर्कों को फिर से जोड़ने, टूटे हुए संचार सूत्रों को पूरी तरह फिर से स्थापित करने और व्यापार तथा वाणिज्य को फिर से चालू करने से दूसरे मसलों पर विचार करने में सहूलियत होगी। हम आशा करते हैं और हमारा विश्वास है कि बुद्धिमानी और राजनीतिज्ञता से काम लिया जाएगा जिससे कि दोनों देशों के करोड़ों नागरिकों के फायदे के लिए और इस क्षेत्र की शांति और समरसता के हित में मित्रता और समझ-बूझ का ताना-बाना धीरे-धीरे तैयार हो जाए।

जहां तक चीन के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है हमेशा हमने उनका भला चाहा है, हमारे लिए चीन से इतनी उम्मीद रखना बड़ा स्वाभाविक है कि अपनी घरेलू और विदेशी नीतियों पर अपनी मर्जी के अनुसार चलने के हमारे अधिकार का वह सम्मान करेगा। परस्पर सम्मान, अनाक्रमण और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों के अंतर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का स्थायी आधार मिल सकता है। हम इन सिद्धांतों पर चीन के साथ अपने संबंध स्थापित करने को हमेशा तैयार हैं।

हमारे देश के लोगों को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाने के आन्दोलन में सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त है। हमने जातीय भेदभाव और दमन की घिनौनी प्रथा समाप्त करने का भी समर्थन किया है। हम दक्षिण रोडेशिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पुर्तगाली उपनिवेशों के दमित लोगों को स्वतंत्रता और मुक्ति दिलाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। जो लोग रंगभेद की बर्बर नीति के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं उन्हें हमारा समर्थन बराबर मिलता रहेगा।

अफ्रीका के स्वतंत्र और प्रभुसत्ता प्राप्त राज्यों के साथ हमारे संबंध बहुपक्षीय हो गए हैं। इनमें से कई देशों के साथ हम आर्थिक, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं।

यह बड़े संतोष की बात है कि यूरोप में तनाव कम करने की प्रक्रिया बराबर चल रही है। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ खुद हमारे संबंध संतोषजनक रूप से बढ़ रहे हैं चाहे इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था और सिद्धांत कैसे भी क्यों न हों। वे आर्थिक प्रगति के हमारे प्रयत्नों में तरह-तरह से हाथ बंटा रहे हैं और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम उनके साथ व्यापार और आर्थिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए बराबर काम करते रहेंगे। सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ और यूगोस्लाविया के साथ हमारे सौहार्द और मित्रतापूर्ण संबंध राष्ट्रपति टीटो और अध्यक्ष कोसीगिन की यात्राओं में प्रतिबिम्बित हुए हैं जिनके स्वागत करने की खुशी हाल ही में मिली है। सोवियत समाजवादी गणतंत्र

संघ से हमें बहुमूल्य सहायता मिली है जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं, और हमें पक्का विश्वास है कि चूंकि हम दोनों शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के हिमायती हैं इसलिए हमारे संबंध निरन्तर बढ़ते ही जाएंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका हमें काफी मात्रा में बहुमूल्य आर्थिक और अनाज की सहायता बराबर दे रहा है जिससे कि विगत में हमें अपनी मुश्किलें आसान करने में सहायता मिली है और जिससे भविष्य में हमें अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने जो सद्भावना दिखाई है और जो सहायता दी है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। यह खुशी की बात है कि अमरीकी महाद्वीप के देशों के साथ हमारी कोई विशेष समस्या नहीं है और उनके साथ हमारे दो तरफा संबंध मित्रता के हैं।

आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे मित्र देशों ने हमें जो आर्थिक सहायता दी है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारे संबंध संतोषजनक नीति से विकसित हो रहे हैं और हम उनके साथ अपने संबंधों को विशेषकर आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सुदृढ़ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बहुत से देश भारत की मित्रता का सम्मान करते हैं, यह उन यात्राओं से प्रकट है कि बहुत से राज्यों के अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा विदेशों के अन्य नेतागण भारत की यात्रा पर आएं।

हमें इस बात की खुशी है कि हम दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के मेजबान हैं। आशा की जाती है कि यह सम्मेलन इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ती हुई आर्थिक खाई को पाटने के लिए कोई ठोस प्रोग्राम देने में सफल होगा। सरकार को इस बात का पक्का विश्वास है कि आज दुनिया के देशों में अमीरी और गरीबी का जो अन्तर है, वही अस्थिरता और तनाव का प्रमुख कारण बना हुआ है और यह शांति और सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है।

घरेलू और विदेशी मामलों का यह विहंगावलोकन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि विधान संबंधी एवं उन अन्य कार्यों का उल्लेख न किया जाए जो कि आपके सामने आएंगे।

आगामी 1968-69 के वर्ष के लिए भारत सरकार की आय-व्यय के अनुमान शीघ्र ही आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

सरकार चालू अधिवेशन में निम्नलिखित वैधानिक कार्य संसद के सामने लाना चाहती है:–

(1) कम्पनी (संशोधन) बिल, 1968

(2) सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) अवस्थिति बिल, 1968

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) बिल, 1968

(4) वायदा संविदा (नियमन) (संशोधन) बिल, 1968

(5) भारतीय सीमा शुल्क दर की नाम-पद्धति को युक्तियुक्त बनाने से संबद्ध बिल।

(6) सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों की बेदखली) संशोधन बिल, 1968

(7) स्वर्ण नियंत्रण (संशोधन) बिल, 1968

(8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क बिल, 1968

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का पहला) को बदलने के लिए एक बिल रखा जाएगा।

माननीय सदस्यगण, मैंने कुछ उन महत्वपूर्ण मसलों पर संक्षेप में प्रकाश डाला है जो हमारे सामने हैं। सदियों बाद भारत के लोग तेजी से बदलते हुए दौर से गुजर रहे हैं। अपने देशवासियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का जवाब देने की आज हम सबको चुनौती मिली है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। सरकार राष्ट्रीय हित और महत्व के प्रमुख मसलों पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर विचार करने और उनकी सलाह लेने के लिए तैयार रहेगी।

माननीय सदस्यगण, आगामी वर्ष में आपको रचनात्मक परिश्रम करना होगा और इन प्रयासों में मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 17 फरवरी 1969

लोक सभा	-	चौथी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी

माननीय सदस्यगण,

संसद के दोनों सदनों के इस मिले-जुले सेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सरकार के लिए यह उचित अवसर है कि वह इस वर्ष की वास्तविक स्थिति को सामने रखे और अगले वर्ष में अपनी नीतियों और उद्देश्यों की मोटी रूपरेखा बताए।

हमारे गणराज्य के इतिहास में पिछला वर्ष आर्थिक दृष्टि से बहुत बुरा था और हम उससे अभी निकल ही पाए हैं। हमारे देशवासियों ने जिस साहस और धीरज के साथ कठिनाइयों को झेला, उस पर गर्व होना चाहिए। उनके त्याग, सहयोग, मेहनत, लगन और देशभक्ति की भावना के बगैर केन्द्र और राज्य की योजनाएं और कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते थे।

हमारी आर्थिक प्रगति के मार्ग में जो निशान दिखाई दिए हैं, और जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है ये हैं—खेती-बाड़ी की पैदावार में निश्चित बढ़ोत्तरी, उद्योग के बड़े भाग में उन्नति, कीमतों में कमोबेश स्थिरता और शोधन संतुलन में स्पष्ट सुधार।

1967-68 की फसल से हमारी खेती की पैदावार में एक मोड़ आया। अनाज का उत्पादन 9 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन हुआ जोकि 1964-65 के मुकाबले में 60 लाख मीट्रिक टन अधिक था। जूट, कपास, तेल के बीज, चाय, कॉफी और गन्ने जैसी तिजारती फसलें भी अच्छी रहीं। कई राज्यों में सूखा और बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ था, उसके बावजूद यह आशा की जाती है कि 1968-69 में अनाज का

उत्पादन उतना ही अच्छा होगा जितना कि 1967-68 में हुआ था। हमारे किसान वैज्ञानिक कृषि को तेजी से अपनाते चले जा रहे हैं। वे सिंचाई के लिए जमीन में से पानी निकालने और खेती-बाड़ी की मशीनें खरीदने के लिए भारी तादाद में पूंजी लगा रहे हैं। 1968-69 में 85 लाख हैक्टेयर जमीन पर अधिक उपज वाली फसलें बोई जाएंगी और अगले वर्ष उसका और भी विस्तार किया जाएगा। 1968-89 में 61 लाख हैक्टेयर और जमीन पर खेती की जाएगी।

सरकार किसानों को काफी मात्रा में रासायनिक खाद देगी और बड़े पैमाने पर उसका आयात भी करेगी और इस तरह उनका हौसला बढ़ाएगी। गोरखपुर, नामरूप और कोटा में नए प्लांट चालू करके भी देसी खाद तैयार की जा रही है। अगले वर्ष के दौरान यह उम्मीद की जाती है कि कानपुर, दुर्गापुर, कोचीन और बड़ौदा की खाद योजनाएं चालू हो जाएंगी। देश में ट्रैक्टर बनाने पर लाइसेंस की पाबंदी हटाने से ऐसी आशा की जाती है कि ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ जाएगा। इस बीच सरकार ने किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर से ट्रैक्टर मंगाने का इन्तजाम कर दिया है। इस कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देख-रेख में सहकारी संस्थाएं और कमर्शियल बैंक इस काम को कर रहे हैं। अगले दो या तीन वर्षों के अन्दर बाहर से अनाज की सहायता न लेने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कुछ ही महीनों में 30 लाख मीट्रिक टन अनाज का बफर स्टाक तैयार हो जाएगा। 1967-68 में जो फसल हुई थी, उसमें से 64 लाख मीट्रिक टन अनाज लिया जा चुका है। अनाज सुरक्षित रखने और उसका भंडार तैयार करने के लिए सरकार ने बड़ी मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की है। यह मुमकिन हो सका है कि अनाज के लाने-ले-जाने पर पाबंदियों में ढील दे दी जाए और खास-खास अनाजों के लिए क्षेत्रों का विस्तार कर दिया जाए।

सरकार ने विकास का जो कार्यक्रम बनाया है, उसमें परिवार नियोजन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस कार्यक्रम का विस्तार बड़े पैमाने पर अब देहाती आबादी तक हो गया है और उनमें बहुत दूर के इलाके भी शामिल हैं।

1967-68 के दौरान खेती की अच्छी पैदावार से राष्ट्रीय आमदनी पिछले वर्ष के मुकाबले 9.1 प्रतिशत तक बढ़ गई। ताजा अनुमानों से पता चलता है कि 1967-68 में वास्तविक राष्ट्रीय आमदनी 16,665 करोड़ रुपये थी (1960-61 के मूल्यों पर) जबकि 1966-67 में यह आमदनी 15,272 करोड़ रुपए थी। इससे मालूम होता है कि इस वर्ष राष्ट्रीय आमदनी में 1,393 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। हालांकि चालू वर्ष में कृषि उत्पादन पिछले वर्ष की सीमा तक ही महदूद रहा, तो भी उद्योग में उत्पादन के सुधार से राष्ट्रीय आमदनी बढ़ने की आशा हो गई है।

उद्योग में भी उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले दो वर्षों में जिन उद्योगों का आधार कृषि था, उनमें कच्चे माल की कमी रही। कृषि में अधिक कार्य करने से और खेतों की आमदनी बढ़ जाने से कृषि-प्रधान उद्योगों में सुधार के लक्षण दिखाई देने

लगे। रासायनिक खाद, कीड़े मारने की दवाइयों और ट्रैक्टरों वगैरह का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। बिजली अधिक पैदा की जा रही है और बिजली की मशीनों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों के क्षेत्र में, सूती कपड़े और वनस्पति का अधिक उत्पादन होने लगा है। लेकिन मशीन बनाने वाले कुछ उद्योगों में बनी हुई चीजों की मांग उनकी क्षमता के मुकाबले में नाकाफी रही है। 1968 के पहले नौ महीनों में उद्योग उत्पादन का इन्डैक्स मोटे तौर पर (1960:100) 159.3 था जोकि जनवरी-सितम्बर 1967 के स्तर से 5.6 फीसदी ऊंचा था। वर्तमान संकेतों के आधार पर ऐसा मालूम होता है कि इस वर्ष के दौरान इस इन्डैक्स में 5 से 6 फीसदी तक वृद्धि होगी।

खेती-बाड़ी और कल-कारखानों में उत्पादन के बढ़ने का देश की बेरोजगारी की समस्या पर अच्छा असर पड़ा है। दो वर्षों तक सूखा पड़ने के असर को दूर करने और हालात को सुधारने में हमें अभी देर लगेगी। हमें खास तौर पर तकनीकी माहिरों की बेरोजगारी को दूर करने की बड़ी चिंता है। क्वालीफाइड इंजीनियरों को 'एक खुद को काम पर लगाने की योजना' के अंतर्गत काम दिलाने का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है।

कृषि उत्पादन के बढ़ने से यह समस्या खड़ी हो गई है कि किसान को खेती से पैदा की गई चीजों की मुनासिब कीमत मिले। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कोशिशों का यह नतीजा है कि अनाज मोल लेने की कीमतों में स्थिरता आयी है। थोक कीमतों का इन्डैक्स, जो कि एक वर्ष 211 हुआ था, अब 205 है।

निर्यात के क्षेत्र में और आयात कम करने के प्रयास में हमारी सफलतायें उत्साहजनक रही हैं। हमारी लगातार यह कोशिश रही है कि आयात की जाने वाली चीजों की जगह देशी चीजें इस्तेमाल की जायें। और ऐसी नावाजिब तौर पर बड़ी-बड़ी इनकी फहरिश्तों को कम किया जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि 1968-69 के पहले नौ महीनों में सिर्फ 1,376.49 करोड़ रुपये का माल आयात किया गया। यह पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के आंकड़ों के मुकाबले में 107.72 करोड़ रुपये कम है। दूसरी तरफ निर्यात करने से हमें 1,019.04 करोड़ रुपये की आमदनी हुई, यह रकम पिछले वर्ष इन्हीं महीनों में किये गये निर्यात से लगभग 116.65 करोड़ रुपये अधिक थी। इस वर्ष इंजीनियरी के सामान का नुमायां तौर पर निर्यात हुआ। कपड़ा उद्योग ने भी अधिक मात्रा में अपना निर्यात बढ़ाया है। अब हम पॉलिश किये हुए नगीनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश बनने जा रहे हैं।

हमारे उद्योगों की बनी हुई चीजें, खासतौर से इस्पात, इस्पात की बनी चीजें, बिजली का सामान, चमड़े की चीजें और कुछ कैमिकल चीजें अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बहुत कामयाब रही हैं और औद्योगिक देशों की उन मण्डियों में जहां मुकाबला ज्यादा

है और एशिया तथा कई अरब देशों की मण्डियों में भी उन्हें काफी लाभ पहुंचा है। विदेशों से हमें जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी अदायगी के लिए हमने अपने प्राकृतिक और औद्योगिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों के कारण विकासशील देशों के निर्यात से होने वाली आमदनी के बढ़ने में रुकावट पड़ रही है।

सरकार को मालूम है कि अदृश्य खाते के साधनों को बढ़ाने में परिवहन, जहाजरानी और पर्यटन का बड़ा महत्व है। हमारे व्यापारी जहाजी बेड़े का आकार लगभग 20 लाख टन (जी.आर.टी.) है और लगभग 7 लाख टन तैयार करने का आर्डर है। भारवाहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेड़े की रचना में विविधता लायी जा रही है। देश में ही जहाज बनाने का काम धीरे-धीरे बढ़ रहा है और आशा की जाती है कि इस साल के दौरान कोचीन के दूसरे जहाजों के कारखाने में काम शुरू हो जायेगा।

विदेशों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनायें चालू की गई हैं, खास तौर से महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर अच्छे किस्म के होटलों में रहने का अच्छा इन्तजाम किया जा रहा है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय और देश के अन्य हवाई अड्डों पर ठोस तरीके से सुधार का काम किया जा रहा है।

देश में सिंचाई और बिजली की योजनाओं की बड़ी मांग है। देश में सिंचाई के विकास कार्य की समीक्षा करने के लिए एक अखिल भारतीय सिंचाई कमीशन बनाने का विचार है। यह कमीशन इस बात की रिपोर्ट देगा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भूतल और भूगर्भ जल संसाधनों का किस तरह पूरे तौर पर विकास हो सकेगा। हालांकि पिछले बीस वर्षों में बिजली पहले से लगभग छह गुना मिलने लगी है, फिर भी, देश के कई भागों में उसकी मांग उत्पादन क्षमता से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। वर्तमान क्षमता का ठीक उपयोग करने के लिए सरकार बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसके वितरण की योजनाओं पर और हर क्षेत्र में बिजली के सिस्टम को पूर्ण रूप से चलाने और क्षेत्रीय ग्रिड तैयार करने पर भी अधिक ध्यान दे रही है। इसके अलावा एक क्षेत्र की फालतू बिजली से पड़ोसी क्षेत्र में जहां बिजली की कमी है उसको पूरा करने के लिए टाई लाइन्स भी बनाई जा रही है। इस तरह आखिर में एक अखिल भारतीय ग्रिड बन कर तैयार हो जायेगा। देहातों में बिजली पहुंचाने के काम को भी विशेष स्थान दिया जा रहा है क्योंकि इससे किसान को अपनी पैदावार बढ़ाने में लाभ मिलेगा।

योजना कमीशन चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे रहा है। यह योजना अगले अप्रैल से आरम्भ हो जायेगी। अगर हमारी योजनायें हमारे राष्ट्र की इच्छा और उसके दृढ़ निश्चय की तरजुमानी नहीं करतीं और लोगों की आवश्यकताओं और सुलभ

संसाधनों के फर्क को पूरा नहीं करतीं तो वे केवल भविष्य की नाममात्र रूपरेखा बनकर रह जायेंगी। उनमें हमारी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप भविष्य का निर्माण करने के प्रयत्नों की कोई झलक दिखाई न देगी। सरकार ने पक्का निश्चय कर लिया है कि हमें अपनी बचत, उद्यम और प्रबंधन योग्यता के साधन जुटाने की पूरी कोशिश करनी होगी। देहाती इलाकों में जो नई खुशहाली दिखाई देती है उसे इस तरह काम में लाना होगा जिससे कि खासतौर पर छोटे किसान पैदावार बढ़ा सकें और निसबतन पिछड़े इलाकों में तरक्की होने लगे। पब्लिक और प्राइवेट सैक्टरों में ज्यादा पूंजी लगाने की गरज से हमें वास्तविक बचत को बढ़ावा देना होगा और इसका उपयोग केन्द्र तथा राज्यों की माली हालत को मजबूत बनाने में करना होगा।

सरकार को इसकी जानकारी है कि हमारी अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास में हमारे पब्लिक सेक्टर को कितना महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना है। इसके फलस्वरूप, सरकार इस सेक्टर की कार्यक्षमता बढ़ाने पर बराबर ध्यान लगाये हुए है। सरकारी क्षेत्र उद्यम के विषय में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की सिफारिशों पर विचार किया गया है। इन उद्यमों के प्रबंधकों को अधिक शक्ति प्रदान करने पर इस उद्देश्य से बहुत से फैसले किये गये हैं ताकि उनकी कार्यक्षमता और लाभ उठाने की शक्ति बढ़ सके। इन उद्यमों के लिए प्रबंध संबंधी साधन जुटाने के लिए कदम भी उठाये गये हैं, जिनमें कर्मचारियों और मजदूरों से सम्बद्ध मामलों पर समुचित नीतियां बरतना भी शामिल है।

विदेशी सहायता के विषय में बड़ी अनिश्चितता आ गई है। विदेशी कर्जे का बोझ बढ़ रहा है और इस वर्ष 51 करोड़ 40 लाख डालर हो गया है। कन्सोर्टियम के देशों और इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एण्ड डैवलपमेंट ने 10 करोड़ 10 लाख डालर के कर्जे की अदायगी की जो नई व्यवस्था की है, उसका हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमें पर्याप्त विदेशी सहायता मिलती रहेगी। इसके साथ ही हम ऐसी नीति पर चलना चाहते हैं कि विदेशों से मिलने वाले कर्ज का अच्छी तरह उपयोग किया जाए और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते हुए धीरे-धीरे विदेशी सहायता का सहारा लेना कम कर दिया जाए।

यह कुछ सन्तोष की बात है कि महाराष्ट्र राज्य में तारापुर नामक स्थान पर भारत का पहला अणु बिजलीघर जुलाई, 1969 से 380 मेगावाट बिजली देना आरम्भ कर देगा। बिहार में जादुगुडा मुकाम पर भारत के पहले यूरेनियम खान और कारखाने ने यह काम चालू कर दिया है और वहां यूरेनियम के कंसेंट्रेट्स का उत्पादन होना शुरू हो गया है। हमारे अणु बिजली कार्यक्रम के लिए इन कंसेंट्रेट्स से तैयार किए जाने वाले ईंधन तत्वों के लिए हैदराबाद में कारखाना लगाने का काम शुरू हो गया है। स्पेस रिसर्च के काम में भी काफी तरक्की हुई है। 'रोहिणी' और मौसमी राकेटों को आकाश में छोड़कर एक कामयाब तजुर्बा भी किया गया है। इन राकेटों का डिजाइन भारत में ही तैयार किया गया है और ये पूरे तौर पर यहीं बनाये गये हैं। अब भारत ने उपग्रह

संचार क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। पूना के पास आरवी में भारत का पहला 'कमर्शियल उपग्रह संचार भूमि केन्द्र' बन रहा है। आशा है कि अक्तूबर, 1969 के आखिर तक यह केन्द्र काम करना आरम्भ कर देगा।

सरकार को मालूम है कि देश में पूरे तौर से आर्थिक विकास की समस्याओं के हल के लिए राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और नागालैंड की विधान सभाओं के चुनाव काफी हद तक अच्छे ढंग से और शांतिपूर्ण वातावरण में हुए हैं। यह संतोष की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आवश्यक समझकर केवल 28 चुनाव केन्द्रों में दोबारा मतदान करने या नये सिरे से चुनाव करने का आदेश दिया है। ये केन्द्र पांच राज्यों के उन एक लाख दस हजार से भी अधिक चुनाव केन्द्रों में से हैं, जहां लगभग दस करोड़ बीस लाख मतदाताओं से हाल ही में अपना मत डालने के लिए कहा गया था। कई जगहों से चिंताजनक सूचना मिली है कि लोगों पर दबाव धमकी के रूप में डाला गया जिसके कारण वे अपना मतदान नहीं दे सके। सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है। हरेक राजनीतिक दल को राजनीतिक स्थिरता बनाये रखने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि वह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस बीच में हम आशा करते हैं कि चुनावों के बाद, जो अभी खत्म हुए हैं, राजनीतिक दलों के सहयोग से स्थायी सरकारें बन सकेंगी। चूंकि संगठित राजनीतिक पार्टियों से दलबदली के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, इसलिए एक समिति बना दी गई थी कि वह लोक सभा में पास किये हुए प्रस्ताव को ध्यान में रखकर इस समस्या पर विचार करे। इस समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है उसकी सिफारिशों पर संसद में विचार किया जाएगा।

पिछले वर्ष मैंने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातों की चर्चा की थी जिनसे हमारे राष्ट्रीय कार्यों में बाधा पड़ी। प्रांत, क्षेत्र, जाति और संप्रदाय के आधार पर किये गये आन्दोलनों के कारण देश में तनाव बढ़ा और हिंसात्मक घटनाएं हुईं। जून, 1968 में श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, बहुत से विरोधी दलों के नेता और अन्य बड़े-बड़े नेतागण शामिल हुए थे। उस मीटिंग में राष्ट्रीय एकता और खास तौर से सांप्रदायिक तनाव की समस्या पर विचार-विमर्श हुआ था। एकता परिषद् ने कई खास सिफारिशें की हैं जिन पर केन्द्र और राज्यों की सरकारें कार्यवाही कर रही हैं। परिषद् की सिफारिशों के अनुसार, "अपराध एवं निर्वाचन नियम (संशोधन) बिल 1968" संसद के सामने है। जब यह बिल पास होकर कानून की शक्ल में आ जाएगा, तब इससे सांप्रदायिकता की बुराइयों को मिटाने में सरकार के हाथ मजबूत हो सकेंगे। हालांकि कानूनी और इंतजामी तरीके बरतने जरूरी हैं, फिर भी हमारे सभी लोगों को इन बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिये। सफलता इसी में है कि लोगों के दिल और दिमाग में नेशनलिज्म और सैक्युलेरिज्म का जज्बा पैदा किया जाए।

देश को कुछ इन्तहापसंद राजनीतिक दलों की तरफ से भी हिंसा का खतरा है। इन दलों ने जिन सिद्धांतों को सामने रखा है, वे स्पष्ट रूप से हमारे संविधान और कानून के खिलाफ हैं। वे ठीक तरह से सरकार चलाने और प्रगति करने में बाधक हैं। लोकतांत्रिक समाज में ऐसे किसी दल के लिए कोई जगह नहीं है जो हथियारों की मदद से विद्रोह करके सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने की कोशिश में लगा हुआ हो।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि 1966 में सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध बढ़ाने और उनकी शिकायतों को दूर करने की गरज से स्वेच्छा के आधार पर एक संगठन "ज्वाइंट कंसलटेशन एण्ड कंपल्सरी आरबीट्रेशन" बनाया गया था। सरकार को पूरा विश्वास है कि आपसी परामर्श और अनिवार्य पंच-निर्णय की योजना पर अमल करने से ही सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद तय हो सकेंगे, लेकिन इसके साथ यह जरूरी है कि सार्वजनिक सेवाओं में अनुशासन बनाए रखा जाए और आवश्यक सेवाएं बेरोक-टोक जारी रखी जाएं। उनका यह इरादा है कि इस योजना को कानूनी आधार दे दिया जाए ताकि वह मजबूत पाए पर खड़ी रह सके।

कई बरसों तक धैर्यपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद, पिछले वर्ष असम के पुनर्गठन के बारे में एक फार्मूला तैयार किया गया था। असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य बनाने के लिए संसद को आवश्यक अधिकार देने की गरज से एक संविधान संशोधन बिल संसद के सामने पहले ही रखा है। अनुच्छेद 368 के अनुसार जब संसद इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी और राज्यों की विधान सभाएं इनका अनुमोदन कर देंगी तब सरकार इस योजना पर अमल करने के लिए एक कानून सामने लाएगी जिसमें पूरा ब्यौरा दिया होगा।

अपने देश के आंतरिक मामलों की चर्चा करके मैं अब संक्षेप में विदेशी मामलों की चर्चा करना चाहूंगा। सरकार इस बात से आश्वस्त है कि मोटे तौर पर उसकी विदेश नीति का ढांचा पक्का है और उसके सिद्धांत निश्चित रूप से खरे उतरे हैं। आज की दुनिया में, सभी देशों के बीच शांतिपूर्ण सहजीवन, शांति को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण सहयोग, विश्व में आर्थिक खुशहाली और स्थिरता का कोई और विकल्प नहीं है। हरेक देश को निरंतर यह कोशिश करनी चाहिए कि वह आपस में सहमति के क्षेत्र का निरंतर विस्तार करे ताकि समय-समय पर उठ खड़ी होने वाली कठिनाइयों और झटकों के बीच तनाव कम करने की प्रक्रिया बेरोक-टोक चलती रहे।

संसार के बहुत से देशों के साथ भारत के संबंध कुल मिलाकर मजबूत हुए हैं। और सुधरे हैं। हमारा यह पक्का विश्वास है कि पाकिस्तान बड़ा परिश्रम करके भारत के खिलाफ जो अविश्वास और संदेह फैलाता है और चीन अपनी विचारधारा की प्रिज्म के जरिए हमारे देश का जो चित्र तोड़-फोड़ कर पेश करता है, ये दोनों ही, स्थिति

की असलियत के सामने धराशायी हो जाएंगे। सरकार ने कई मौकों पर सफाई और ईमानदारी के साथ यह कहा है कि वह प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता के अनुरूप और एक दूसरे के अन्दरूनी मामलों में बिल्कुल दखल न देने के आधार पर अपने दोनों पड़ोसी देशों के साथ अत्यंत मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहती है।

वियतनाम के विषय में सरकार का दृष्टिकोण साफ रहा है। इस दृष्टिकोण का आधार हमेशा यह रहा है कि वहां जो ताकतें काम कर रही हैं, उनका सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कैसी भी कठिनाइयां आएं, इस बात का पक्का इरादा होना चाहिए कि वे बातचीत के जरिए दूर कर ली जाएंगी। यह बातचीत आजकल पेरिस में चल रही है। वियतनाम के जिन बहादुर लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली हैं, उन्हें किसी बाहरी हस्तक्षेप के बगैर अपने भाग्य का खुद निर्णय करने देना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति का तकाजा है कि विश्व के उस भाग में होने वाले संकट को तत्काल दूर किया जाए। 22 नवम्बर, 1967 को सुरक्षा परिषद् में जो प्रस्ताव पास किया गया था, उस पर अमल करने में देरी नहीं की जानी चाहिए। सरकार को आशा है कि सोवियत संघ, अमरीका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच आजकल जो बातचीत चल रही है, उससे इस क्षेत्र में जल्दी ही शांति स्थापित होगी।

हमारी नीतियों का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि संबंधों को मजबूत किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जाए। मेरी और प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं का यही उद्देश्य रहा है। पिछले वर्ष मैं नेपाल, सोवियत संघ, हंगरी और यूगोस्लाविया गया था। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा के अलावा, प्रधान मंत्री अर्जेन्टाइना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबागो और वेनेजुएला भी गई थीं। इन सभी देशों में मेरा और प्रधान मंत्री का जो स्वागत किया गया, वह इस बात का सबूत है कि ये राष्ट्र भारत का कितना आदर करते हैं। प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया था और यह बड़े संतोष की बात है कि उसमें भारत की विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत बताए गए थे, उनका व्यापक और हार्दिक स्वागत हुआ। प्रधान मंत्री ने लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री, सम्मेलन में भी भाग लिया। उस सम्मेलन में जो बहुत से राज्य-प्रमुख और प्रधान मंत्री इकट्ठे हुए थे, उनके साथ उन्हें विचारों का आदान-प्रदान करने का अच्छा अवसर मिला।

हमें भी बहुत से देशों और सरकारों के प्रमुखों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में, ईरान के महामहिम शहनशाह, आर्यमेहर और शाहबानो, श्रीलंका, बुल्गारिया और न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री भारत आए थे।

हमारी सरकार और हमारा सारा देश शांति के लिए उत्सुक है और उसे बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इसके बावजूद हमें रक्षा की तैयारी में भी बहुत सावधान रहना है।

हमारी हथियारबंद सेनाओं को नए सिरे से हथियारों से लैस करने और उन्हें आधुनिक बनाने में काफी प्रगति हुई है। हमारी जंगी फौजों को अच्छी ट्रेनिंग दी गयी है और उनके हौंसले बुलन्द हैं। हमारे सिपाहियों, नाविकों और हवाबाजों की सेवा संबंधी शर्तों में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय बरते गए हैं। उनके वेतनमान बढ़े हैं और पेंशन की शर्तों में सुधार किया गया है। उनके कुछ भत्तों के दरों में भी इज़ाफा हुआ है। इसके साथ ही रक्षा खर्च में कमी करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है।

आईएनएस "नीलगिरि" पहला फ्रिगेट है जो हमारे देश में बना है और जिसे हाल ही में जल में उतारा गया है भारतीय नौसेना के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण तरक्की का निशान है।

हमारे आंतरिक और विदेशी मामलों का विवेचन करते समय यह जरूरी है कि उन कानून संबंधी और अन्य कार्यों की चर्चा की जाए जो कि आपके सामने रखे जाएंगे।

1969-70 के अगले माली वर्ष के लिए भारत सरकार की आमदनी व खर्च के अनुमानों का ब्यौरा आपके विचार के लिए जल्दी ही रखा जाएगा।

सरकार इस सेशन में ये वैधानिक कार्य संसद के सामने लाने की प्रस्थापना करती है:—

(क) वर्तमान अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए बिल:—

(1) परिसीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1968

(2) लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 1968

(3) सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969

(4) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1969

(ख) नये बिल:—

(1) कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श और आवश्यक माध्यस्थम के तंत्र के लिए कानूनी आधार का उपबंध करने के लिए विधेयक।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् विधेयक, 1969

(3) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1969

(4) चाय (संशोधन) विधेयक, 1969

(5) जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969

(6) दिल्ली मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1969

(7) कुछ केन्द्रीय श्रम अधिनियमों का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर करने के लिए विधेयक।

मैं इस भाषण को अब यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि इस वर्ष हम गांधी जी की जन्म-शताब्दी मना रहे हैं। हमारे मन में बहुत-से विचार, भावनाएं और नक्श उभर रहे हैं और हमारे देश का पूरा इतिहास आंखों के सामने आ रहा है। हम एक महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं। हमारा देश साधनों से भरपूर है। हमारे देशवासी अच्छे कलाकार हैं। हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी लोग कुछ उन श्रेष्ठ लोगों में से हैं जिन पर कोई भी देश गर्व कर सकता है। हम अपने समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए अच्छे साधनों और तरीकों पर तर्क और समझदारी की सीमा में रहकर एक-दूसरे के साथ बहस तो कर सकते हैं, पर हम सब इसमें एक हैं कि मिलकर गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण करें और हर आदमी का दु:ख दूर करने, हर आंख का आंसू पोंछने की भी कोशिश करें। इस तरह से ही हम जनसाधारण की सेवा कर सकेंगे और इस विशाल गणराज्य की जिन महान पुरुषों ने नींव रखी है, उनके वचनों को पूरा कर सकेंगे। आप सब इस प्रयास में सफल हों, यही मेरी शुभकामना है।

श्री वी.वी. गिरि

संसद के समक्ष अभिभाषण – 20 फरवरी 1970

लोक सभा	-	चौथी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री गोपाल स्वरूप पाठक
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस नए अधिवेशन में आपके कार्यों की सफलता के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मेरी कामना है कि आप अगले वर्ष भी देश की सेवा में निष्ठापूर्वक कार्य करते रहें।

यह नए दशक का पहला बजट अधिवेशन है। 1969 में समाप्त होने वाला दशक हम पीछे छोड़ आये हैं। इन दस बरसों में चिन्ता, कष्ट और संकट का सामना रहा, लेकिन कुछ उपलब्धियां भी हुईं। भारत को दो लड़ाइयों का सामना करना पड़ा और यहां दो बरस तक अभूतपूर्व सूखे की स्थिति रही। सभी देशवासियों ने बड़े हौसले के साथ इन मुसीबतों का सामना किया। लड़ाइयों ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये और सूखे की स्थिति के फलस्वरूप हमने संकल्प किया कि हम कृषि उत्पादन को पूरी शक्ति के साथ बढ़ायें। निस्संदेह, इस अवधि में कृषि-विकास के नए कार्यक्रम पर अमल किया गया जिसकी सफलता पर सारे संसार के देशों का ध्यान आकर्षित हुआ।

उद्योगों में मंदी के कारण जो चुनौतियां आईं, उनका भी कई तरीकों से मुकाबला किया गया। बहुत से उद्योगों ने अपने उत्पादन में परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया और हमारे माल के लिए नई मंडियां खोजने की कोशिशें और बढ़ा दी गईं।

यदि आजादी से 1969 तक की हमारी उपलब्धियों का लेखा-जोखा लिया जाए, तो माननीय सदस्यगण इस बात को मानेंगे कि हमारे देश ने उद्योग और कृषि, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान तथा शिक्षा और कला के क्षेत्रों में व्यापक उन्नति की है।

प्रगति का मार्ग सदा सरल नहीं बल्कि उसमें असफलता, निराशा और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारा देश आज गतिहीन नहीं है वह गतिमान हो गया है। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। वे मुखरित और सक्षम हो उठे हैं—अपनी आवश्यकताओं और अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं। ऐसे समाज में जहां ऊंच-नीच की भावना इस सीमा तक रही कि जिसमें अस्पृश्यता की भ्रष्ट विचाराधारा पनपी, अब हम देखते हैं कि विभिन्न श्रेणियों और वर्गों के लोगों में आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास की भावना आ गई है।

लोगों में बड़ी ताकत आई है और जोश पैदा हुआ है। विचार, रुख और आदतों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पर यह जन-सहमति से और राजनैतिक लोकतंत्र के ढांचे के अंतर्गत ही हो रहा है। पिछले बीस बरसों के विकास कार्यों से उत्पन्न इन शक्तियों को एक नई दिशा, उद्देश्य और प्राप्य लक्ष्य देने के लिए भारत सरकार कृत-संकल्प है।

सरकार को इस बात का पूरा ज्ञान है कि देश में असमानता है जो कि कुछ धनी वर्गों की सुख-समृद्धि की पृष्ठभूमि में और भी प्रखर हो उठती है परिणामस्वरूप, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन और गरीबी का उन्मूलन एक ही प्रश्न के दो पहलू हैं। किसी एक की प्राप्ति दूसरे के बिना नहीं हो सकती।

सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगी जो न्यायपूर्ण एवं मानवीय भावना से ओतप्रोत हो। ऐसा करते समय वह समाज के गरीब वर्गों का विशेष ध्यान रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्र की जो भी थोड़ी-बहुत सम्पदा है, उसे कड़े परिश्रम और निष्ठा से काम करके बढ़ाया जाए। मेरी सरकार का यह उद्देश्य है कि उसका हर कदम देश को एक समाजवादी लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के गंतव्य की ओर अविचल ले जाए। यह काम लम्बा और कठिन है। न ही हमारे सामने कोई ऐसा उदाहरण है जिससे मार्गदर्शन हो सके। भारत की समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें सुलझाने के लिए हमें अपने तौर-तरीकों, इतिहास और परम्परा को ध्यान में रखते हुए विशुद्ध भारतीय समाधान खोजने होंगे।

देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति विकास की गति को बढ़ाने के लिए बहुत आशाप्रद है। देश के कुछ भागों में, जैसे पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में मानसून की कमी और जाड़ों के मौसम में कुछ देरी से वर्षा होने के बावजूद भी पिछले दो वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अच्छी फसल होगी। यद्यपि चीजों की कीमतों में समय के अनुसार उतार-चढ़ाव होता रहा है और कुछ चीजों की कीमतों में कुछ वृद्धि होती भी दिखाई दी है, तो भी सब कुछ देखते हुए कीमतें अच्छी तरह नियंत्रण में हैं। खाद्य स्थिति संतोषजनक है और हमने अपने भण्डार में वृद्धि की है। फिर भी कीमतों में

स्थिरता बनाए रखने के लिए निरन्तर देखभाल करना जरूरी है। शोधन संतुलन सन्तोषजनक रहा है और वर्ष के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इन्टरनेशनल मॉनिटरी फंड) को पर्याप्त अदायगी करने के बाद भी आरक्षित कोष में वृद्धि ही होगी। हमें विशेष आहरण अधिकारों (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) की पहली किश्त भी मिल गई है जिसके कारण युक्तिसंगत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति के विकास को महत्वपूर्ण गति मिली है। उद्योग में सामान्यत: संतोषजनक वृद्धि हुई है और विशेष तौर से इंजीनियरी के क्षेत्र में स्थिति स्पष्टतया अच्छी हो गई है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने नये कार्यक्रमों के अंतर्गत खेती-बाड़ी की पैदावार को बढ़ाने में अपनी कोशिशें और तेज कर दी हैं। अधिक उत्पादन करने वाली फसलों का क्षेत्रफल 1966-67 में 19 लाख हैक्टेयर था, वह 1968-69 में बढ़कर लगभग 90 लाख हैक्टेयर हो गया। 1969-70 में यह क्षेत्रफल और बढ़ जायेगा। देश में पहली बार खाद सप्लाई करने की स्थिति में सुधार हुआ है और हम खाद का इस्तेमाल बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं। ट्रैक्टरों की बढ़ती मांग से यह स्पष्ट है कि हमारी कृषि व्यवस्था में तकनीक का स्थान तेजी से बढ़ रहा है। देश में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर बनाकर और बड़ी मात्रा में उन्हें विदेशों से मंगाकर सरकार उस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है। छोटे उद्यमियों, विशेषकर, इंजीनियरों और तकनीशियनों द्वारा कृषि-सेवा केन्द्र खोलने के एक बड़े कार्यक्रम को बैंकिंग क्षेत्र की सहायता से जोरों से कार्यान्वित करने का भी विचार है।

खेती-बाड़ी की पैदावार बढ़ाने और व्यापक रूप से उसका लाभ वितरित करने की दृष्टि से गांवों में बिजली देने का कार्यक्रम तैयार करना और भूमि से जल निकालने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीयकरण के बाद राज्यों के बिजली बोर्डों को बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण लेने की सुविधा दे दी गई है। इन साधनों का विशेष प्रयोग ये बोर्ड गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए करेंगे। माननीय सदस्यों को मालूम है कि एक ग्राम बिजली निगम स्थापित कर दिया गया है जो बिजली बोर्डों को धन देने की व्यवस्था करेगा ताकि वे उत्पादक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में पम्पसैट चालू करा सकें।

कृषि विकास में उत्कृष्ट सफलता अभी तक उन सिंचाई वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है जिन पर अधिक उत्पादन करने वाली फसलें उगाई जाती हैं। उसे अब और व्यापक बनाना है। आगे आने वाले बरसों में भारत सरकार अपना ध्यान सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं पर केन्द्रित करेगी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीक के विकास पर अनुसंधान करने को तो प्राथमिकता दी ही जायेगी। साथ ही, मेरी सरकार का इरादा है कि कुछ नये तरीके अपनाने और धीरे-धीरे कार्यक्रम को व्यापक बनाने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में कुछ प्रमुख परियोजनाएं (पायलट प्रोजेक्ट) शुरू की जाएं।

मेरी सरकार ने कृषि से संबद्ध समस्याओं और नीतियों का सर्वेक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है। अब से पहले ऐसा सर्वेक्षण चालीस वर्ष पहले हुआ था। तब से इस क्षेत्र में इतनी नई बातें हुई हैं कि नया सर्वेक्षण

आवश्यक हो गया है। मेरी सरकार ने चीनी उद्योग की समस्याओं का विशद अध्ययन करने के लिए एक जांच समिति स्थापित करने का भी निश्चय किया है।

सरकार को इसका पूरा आभास है कि देहातों में असंतुलन बढ़ रहा है जिससे उत्पन्न तनावों के कारण देश में जहां-तहां हिंसात्मक उपद्रव हुए हैं। ये निस्संदेह सार्वजनिक व्यवस्था की समस्याएं हैं, तो भी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से हटाकर उन्हें नहीं देखा जा सकता। अनुचित काश्तकारी पद्धति से कृषि उत्पादन की वृद्धि में अड़चनें आना स्वाभाविक हैं। इसलिए, सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे काश्तकारी की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए, भूमि-सुधार, उचित लगान, जोत का निर्धारण, भूमिहीनों में भूमि वितरण और छोटे किसानों को कृषिगत वस्तुओं की आपूर्ति करने के कार्यों को अधिक प्राथमिकता दें। भूमि-सुधार से संबंधित समस्याएं राष्ट्रीय महत्व की हैं। मेरी सरकार को पूरी आशा है कि विभिन्न राज्य इस स्थिति की वास्तविकता पर ध्यान देंगे और इसे सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। भूमि-सुधारों पर तेजी के साथ अमल करने से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जन-जातियों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार को इन लोगों के कल्याण की विशेष चिन्ता है।

1966 और 1967 में उद्योग के क्षेत्र में जो झटके आये थे, उनके बाद उद्योगों के कार्यकलापों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वर्तमान संकेतों के अनुसार, 1969 में औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत से कुछ अधिक बढ़ा होगा। वर्तमान औद्योगिक स्थिति की विशेष उत्साहवर्धक बात यह है कि पूंजीगत माल और उपकरण तैयार करने वाले बहुत से उद्योग फिर से अधिक सक्रिय दिखाई देने लगे हैं।

उद्योग लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने एक नई लाइसेंस नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य होगा—आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण तथा एकाधिकार की भावना के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए उद्योगों को बढ़ावा देना। छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को प्रोत्साहन देना इसकी प्रमुख विशेषता है। सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने को बहुत उत्सुक है। इसीलिये, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची बढ़ा दी गई है।

मेरी सरकार के विचार में पब्लिक और प्राइवेट, दोनों सेक्टरों में बड़े-बड़े उद्योगों के लिए इस बात की काफी गुंजाइश है कि वे आनुषंगी उद्योगों को पुर्जे बनाने का काम दें। सरकार की लाइसेंस और वित्त-संबंधी नीतियों का उद्देश्य यह होगा कि बड़े और छोटे उद्योगों के समन्वित विकास को प्रोत्साहन दिया जाये। पिछले कुछ महीनों में सरकार का ध्यान विशेष तौर से इस पर भी गया है कि प्रदेशों के असंतुलन को दूर किया जाये। उद्योग की दृष्टि से पिछड़े हुए इलाकों का पता लगाने और उनके औद्योगिक विकास को विशेष प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक संगठित नीति बनाई गई है।

पिछड़े इलाकों के उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में वित्तीय संस्थानों की नीतियों को धीरे-धीरे नया रुख दिया जा रहा है। यह नीतियां इस तरह बनाई जा रही हैं कि उनकी सहायता से पिछड़े इलाकों में औद्योगिक विकास के लिए अधिक धनराशि तो सुलभ कराई जाये, लेकिन वे उस हद तक ही सफल हो सकेंगी कि उन उद्योगों के लिए जिस निचले ढांचे का निर्माण करना जरूरी है, वह जल्दी से तैयार कर दिया जाए। इस संबंध में प्रारम्भिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और मेरी सरकार संतुलित ढंग से प्रदेशों के विकास को समुन्नत करने में राज्य सरकारों के साथ निकट सामंजस्य रखकर काम करने का प्रयास करेगी।

चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि आरम्भ हुई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि इस्पात और इस्पात से बनी चीजों की मांग बढ़ रही है। हालांकि उत्पादन में कमी को किसी हद तक पूरा करने के लिए बाहर से इस्पात मंगाने के प्रबंध कर दिये गये हैं—तो भी, हमारा लक्ष्य यह है कि वर्तमान संयन्त्रों से ही सर्वाधिक उत्पादन किया जाए और जहां तक हो सके, जल्दी ही अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की जाए।

सरकार ने बोकारो प्लांट के दूसरे चरण का कार्य तत्काल आरम्भ करने का निर्णय किया है। निश्चय ही हमारा उद्देश्य यह होगा कि समुचित स्थानों पर अन्य इस्पात कारखाने लगाने का काम शुरू किया जाये जिससे कि अवस्थाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, अतिरिक्त क्षमता तैयार हो सके। आजकल जो चौथी योजना बनाई जा रही है, उससे पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार देश में इस्पात उद्योग का और विस्तार करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। इन निर्णयों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी होगा कि हमारे भारी इंजीनियरी कारखानों की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग हो सकेगा।

आर्थिक आत्म-निर्भरता की दिशा में हमारे कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण अंग है—तेल की खोज। चालू वर्ष में तेल खोज निकालने और उसका उत्पादन करने में प्रगति हुई है। 1969 में कुल मिला कर 67 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष 58 लाख मीट्रिक टन तेल का ही उत्पादन हो सका था। एक नई महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि कैम्बे की खाड़ी के तट से दूर के क्षेत्रों में भी तेल खोजने का काम आरम्भ कर दिया गया है। हमें आशा है कि हम जल्दी ही छिछले पानी में पहला कुआं खोद लेंगे और फिर कैम्बे की खाड़ी के गहरे पानी में भी तेल की खोज शुरू करने का प्रारम्भिक कार्य हाथ में ले लेंगे। ईरान एवं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का समुद्र तट से परे संयुक्त कारखाने में उत्पादन कार्य आरम्भ हो चुका है।

इस्पात और तेल के अलावा, हमारी योजना में खाद बनाने को सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई है। चालू वर्ष में दो नए खाद संयंत्रों से उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है और नाइट्रोजन की कुल स्थापित क्षमता बढ़ाकर 134 लाख मीट्रिक टन कर दी

गई है। आशा है कि 1970 में दुर्गापुर, कोचीन और मद्रास में 500,000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले तीन और कारखाने काम करना शुरू कर देंगे। कोयला–आधारित संयंत्रों पर भी काम जल्दी ही आरम्भ हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम पूरे जोश के साथ आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

विकास की गति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हमारे निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हो। विदेशों को निर्यात करने की दिशा में पिछले वर्ष बहुत सन्तोषजनक प्रगति हुई। औद्योगिक उत्पादन की गति में हाल की वृद्धि के बावजूद, आयात बराबर गिरता रहा और इस तरह प्रतिस्थापन–आयात में सफलता देखने को मिली। लेकिन, चालू वर्ष के पहले सात महीनों में, बाह्य और आंतरिक कई कारणों से निर्यात उतना अच्छा नहीं हो सका। इसलिए, मेरी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढ़ाने का एक ठोस कार्यक्रम हाथ में लिया है।

हमारे शोध संतुलन में अच्छी साम्यावस्था लाने के लिए अदृश्य खाते में हुई आय का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिशा में इस वर्ष कुछ प्रगति हुई है। यह सन्तोषजनक बात है कि 1968 के मुकाबले 1969 में पर्यटक अधिक संख्या में भारत आए। इसका परिणाम यह हुआ कि इस खाते में हमारी विदेशी मुद्रा की आय 27 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 32 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार हमारे जहाजों के टन–भार में वृद्धि होने से समुद्रपार का व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा अधिक मात्रा में होने लगा और अब जहाजरानी में भारतीय जहाजों का हिस्सा 18 और 20 प्रतिशत के बीच है।

हमारे देशवासियों के रहन–सहन के स्तर की वृद्धि का संबंध परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वित होने से भी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विकास से प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो जाते हैं। पिछले चार वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ा है। परन्तु यदि दस वर्षों में ही आज की जन्म दर को 39 प्रति हजार से 25 प्रति हजार तक कम करने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना है तो अभी इसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

हमारी आर्थिक नीति के तथ्यों की परिधि यह होनी चाहिए कि रोजगार के लिए धन–सम्पदा का उत्पादन अधिक किया जाये और उसका समुचित वितरण हो और साथ ही आय–उत्पादक साधन भी बढ़ाए जायें। ये प्राथमिकतायें चौथी योजना के प्रलेख में दी जायेंगी जो कि जल्दी ही अंतिम रूप से तैयार हो जायेगा और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मेरी सरकार को मालूम है कि बेरोजगारी हमारी अर्थ–व्यवस्था के सम्मुख ऐसी गम्भीर समस्या है जिसे जल्दी ही हल करना होगा। पिछले दो बरसों में संगठित क्षेत्र में, रोजगार की स्थिति अपेक्षाकृत अवरुद्ध रहने के बाद उसमें दो प्रतिशत वृद्धि हुई है; यह आगे के लिए आशाजनक है।

केन्द्र और राज्य, दोनों की योजनाओं में, पब्लिक सेक्टर के व्यय में, अन्य बातों के साथ–साथ, विशिष्ट रूप से वृद्धि इसलिए की गई है कि सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ही ऐसे कदम भी उठाने हैं कि विकास के साथ–साथ

रोजगार भी बढ़े। अधिक रोजगार दिलाने के कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस दिशा में कुछ कदम पहले ही उठा लिये गये हैं। चालू वर्ष में, यह प्रबंध किया गया है कि राज्य सरकारें बड़े और छोटे सिंचाई कार्यक्रमों तथा गांवों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए अधिक धनराशि नियत करें जिससे कि बड़ी संख्या में इंजीनियरों और तकनीशियनों को रोजगार मिल सके। भूमि का कृष्यकरण, छोटे सिंचाई कार्यों के नवीकरण, गांवों को मंडियों के साथ मिलाने के लिए सड़क-निर्माण के कार्यक्रम और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों से ग्राम विकास और रोजगार पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

योजना के अंतर्गत सुलभ साधनों को इकट्ठा करके गांवों में बड़े पैमाने पर एक निर्माण कार्यक्रम बनाया जायेगा जिसे 12 से 18 महीनों की अवधि में ही कार्यान्वित किया जायेगा। यह एक ऐसा काम है जिसके लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत योजना तैयार करनी होगी और राज्य स्तर पर स्थानीय रूप से पहल करनी होगी। निर्माण-कार्य से इंजीनियरों, तकनीशियनों, कुशल और अकुशल कारीगरों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए, मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि जिन बड़े-बड़े शहरों में विशेषकर मकानों की विकट समस्या है, वहां मकानों के लिए जमीनें देने, कम आमदनी वाले लोगों को मकान बनाने और गन्दी बस्तियों की सफाई करने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण और विकास जैसे कार्यक्रमों को पूरा करने के अधिकाधिक साधन जुटाए जायें।

हमारे तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों को भी इस प्रकार का नया रुख देना होगा कि जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। हमारे पोलिटेकनीकों में अब जो शिक्षा दी जाती है, उसे उद्योगों के व्यावहारिक अनुभव के साथ जोड़ना होगा। इसके लिए पोलिटेकनीकों में दी जाने वाली शिक्षा में परिवर्तन करना होगा ताकि सिद्धान्त को व्यवहार के साथ संबद्ध किया जा सके और प्रशिक्षण को उद्योग कार्य से। इसके साथ ही साथ, हमें अन्य विद्यार्थियों को भी अधिकाधिक अवसर देने हैं जिससे कि वे काम का अनुभव प्राप्त कर सकें। डिग्री स्तर पर पहले दो वर्षों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय सेवा का कार्यक्रम आरम्भ करने का इरादा है जो कि धीरे-धीरे सभी विश्वविद्यालयों पर लागू कर दिया जायेगा। आशा है कि इस योजना में लगभग एक लाख विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस तरह विद्यार्थियों को समाज-सेवा में लगे रहने का अवसर मिलेगा जिससे वे अनुभव करेंगे कि वे भी राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदार हैं।

पूंजी लगाने से अधिक रोजगार मिलेगा पर पूंजी लगाने के लिए अधिक बचत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। उनकी अधिक शाखाएं खोलने का जो साहसपूर्ण कार्यक्रम है, उससे यह आशा की जा सकती है कि पहले की अपेक्षा अब और बड़े पैमाने पर धन जमा होगा। इसके साथ ही, समाज के कमजोर वर्गों को पायेदार और उत्पादक योजनाओं के लिए बैंकों से पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीयकरण की नीति में निहित भावना का

प्रभाव बैंकों के कार्य-कलापों पर पड़ने लगा है और उन्होनें खेती-बाड़ी, सेवा-उद्योग और खुदरा व्यापार को उत्पादक और लाभकारी कार्यों के लिए सहायता देना आरंभ कर दिया है जिनकी अभी तक घोर उपेक्षा की जाती रही है। उच्चतम न्यायालय के हाल में दिये गये निर्णय के आधार पर जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कानून फिर से बन जाएगा, तब जो लाभकारी प्रक्रिया अभी तक अपनाई गई है, वह और भी सक्रिय हो जाएगी।

इस स्थिति में सरकार की श्रम नीति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस नीति का हमेशा यह उद्देश्य रहा है कि मजदूरों के रहन-सहन और उनके काम करने की दशा में सुधार किया जाये, उनकी मजदूरी और वेतन को बढ़ाया जाए और किसी हद तक उन्हें काम मिलने का आश्वासन भी प्राप्त हो। इस नीति के अनुसार, सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि पत्तन एवं गोदी मजदूरी बोर्डों की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए। सरकार ने लोहा तथा इस्पात उद्योग में मजदूरी के ढांचे में संशोधन करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। सरकार को राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट हाल में ही प्राप्त हुई है। इस आयोग ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने और प्रभावकारी सामूहिक मोल-तोल को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की हैं। मेरी सरकार खासतौर से संगठित श्रमिकों के सभी वर्गों से अपील करती है कि वे उत्पादन और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सरकार के प्रयासों में सहयोग दें। अनुशासन एवं निरंतर कठिन परिश्रम के बिना देश अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता।

लेकिन सामाजिक-आर्थिक उन्नति की दिशा में किये जाने वाले ये सारे प्रयास तब ही सफल हो सकेंगे जबकि शांति और सामंजस्य का वातावरण और लोकतंत्र के सिद्धांतों में अटूट निष्ठा बनी रहे। इसलिए, हिंसा की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति बड़ी चिन्ता का कारण बन गई है। यह समस्या राजनीतिक मतभेदों से परे है और सरकार इसके निराकरण के लिए सभी राजनीतिक दलों और जिम्मेदार नागरिकों का सहयोग चाहती है।

हिंसा का सबसे अधिक चिन्ताजनक स्वरूप वह है जब अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच झगड़ा होता है क्योंकि उससे सभ्य जीवन के सभी मूल्यों का विनाश होता है। 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद की मीटिंग के बाद से साम्प्रदायिक संबंधों में सुधार दिखाई दिया था। लेकिन फिर अहमदाबाद में दिल को दहला देने वाली घटनाएं हुईं। उससे हमारी प्रतिष्ठा भंग हुई और हमारे गौरव को कलंक लगा। ऐसी घटनाएं हम सब लोगों के लिए चुनौती हैं जो धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की मर्यादा और मानव-जीवन के प्रति आदर रखने में विश्वास करते हैं। हमें इस बात की खासतौर से बहुत चिन्ता है कि उग्रवादी राजनैतिक दल निरन्तर हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यकलापों के पीछे एक राजनैतिक विचारधारा है, जिससे वे अपने विध्वंसकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक असन्तोष का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हम सामाजिक असन्तोष

के वास्तविक कारणों को दूर करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हिंसात्मक कार्रवाइयों का सख्ती से दमन करना होगा।

भूतपूर्व राज्यों के नरेशों ने हमारे इतिहास के एक संकटमय समय में जनता की आकांक्षाओं का आदर करते हुए एक लोकतंत्रीय शासन के अंतर्गत भारत के शांतिपूर्ण एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देकर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया था। मुझे पूर्ण आशा है कि देश के व्यापक हित में वे उसी तरह वर्तमान युग की सामाजिक आवश्यकताओं को समझेंगे और एक बार फिर सद्भाव और सहयोग की भावना दिखायेंगे। राजाओं के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों का हमारे आज के सामाजिक उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं प्रतीत होता है और वह समतावादी सामाजिक व्यवस्था से भी मेल नहीं खाते। इसलिए, सरकार ने भारत की पूर्व रियासतों के राजाओं के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का फैसला कर लिया है और इस पर अमल करने के लिए कानून लाया जायेगा। लेकिन हमारा यह विचार है कि संक्रमणकाल में कुछ ऐसे प्रबन्ध किये जायें जिससे कि पूर्व नरेशों को बदली हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने का समय मिल सके।

मेरी सरकार को पूरी आशा है कि चंडीगढ़ और फाज़िल्का तहसील के कुछ भाग के संबंध में जो निर्णय लिये गये हैं, उनसे दोनों पड़ोसी राज्यों के लोग आगे आने वाले रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति लगा सकेंगे। जब भावनायें भड़का दी जाती हैं, तब हर एक को सन्तुष्ट करने वाला कोई निर्णय लेना संभव नहीं होता। लेकिन सरकार को विश्वास है कि जो निर्णय लिये गये हैं, वे न्यायसंगत और निष्पक्ष हैं। सरकार जल्दी ही एक कमीशन बिठायेगी जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को फिर से ठीक करने के दावों पर विचार करेगा। भाखड़ा प्रयोजना के प्रबन्ध तथा व्यास प्रयोजना के निर्माण से संबंधित वर्तमान प्रबन्धों में आवश्यक हेरफेर करने पर भी सरकार विचार करेगी।

हमारी अगली दस वर्षीय जनगणना 1971 के आरम्भ में की जायेगी। इसके साथ हमारे देश की जनगणना के इतिहास के सौ वर्ष पूरे होंगे। भारत में जनगणना विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य है और इस प्रकार के पेचीदा और बड़े पैमाने पर किये जाने वाले कार्य की सफलता तब ही संभव है जबकि केन्द्र और राज्यों की सरकारें, स्थानीय प्राधिकारीगण और प्रत्येक नागरिक इसमें अपना सहयोग प्रदान करें।

विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमने अन्य देशों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाने और उसे अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। शांति, अन्तर्राष्ट्रीय समझ–बूझ और परस्पर लाभकारी सहयोग के रास्ते पर हम निरन्तर चल रहे हैं।

शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के सिद्धांत की स्वीकृति का क्षेत्र बढ़ रहा है। शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व का क्षेत्र स्थायी रूप से व्यापक हो जायेगा और इससे मैत्रीपूर्ण सहयोग की नई भावना उत्पन्न होगी, ऐसा हमारा विचार है। हमारा विश्वास है कि सैनिक गुटों का कठोर रुख ढीला पड़ने और शक्ति गुटों के बीच तनाव कम होने से गुटों से अलग

रहने के सिद्धांत को अब अधिक स्वीकृति मिलने लगी है और राष्ट्रों की स्वतंत्रता, समृद्धि और स्थिरता को समुन्नत करने के अवसर बढ़ रहे हैं।

यह सन्तोष की बात है कि अपने पड़ोसी देशों–श्रीलंका, बर्मा*, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान–के साथ हमारे संबंध अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। उन देशों और अन्य देशों के साथ भी आपसी सहयोग और समझ–बूझ के नये रास्ते बराबर खोजे जा रहे हैं।

सरकार की यह नीति रही है कि सभी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आर्थिक संबंधों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाये। विकासशील देशों के साथ आमतौर से और एशिया के देशों के साथ खासतौर से इस प्रकार के संबंध बढ़ाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अब जबकि भारत में कृषि और उद्योग का विकास महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच गया है, हमारे लिये यह सम्भव हो गया है कि हम इस दिशा में भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में कुछ योगदान दे सकें। हमने इस बात का समर्थन किया है कि एशिया एवं सुदूर–पूर्व के देशों की आर्थिक परिषद् (ईकाफे) के अधीन एशियाई आर्थिक सहयोग मंत्रिपरिषद् के जरिये व्यापक आधार पर प्रादेशिक प्रबंध किये जायें।

सरकार सच्चे दिल से यह चाहती है कि पाकिस्तान की सरकार और जनता के साथ समझ–बूझ, सहयोग और मित्रता बढ़े। हमने वर्तमान गतिरोध को तोड़ने के लिये पाकिस्तान सरकार को कई रचनात्मक सुझाव और प्रस्ताव भेजे। खेद है कि हमने जो पहलकदमियां कीं, उनका पाकिस्तान से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। फिर भी, मेरी सरकार सहयोग की भावना मित्रता और अच्छे पड़ोसियों से व्यवहार के आधार पर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की निरन्तर कोशिश करती रहेगी।

चीन के साथ भी हमारा उद्देश्य यह रहा है कि हम एक–दूसरे देश की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता के परस्पर आदर और एक–दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों के आधार पर अपने संबंधों का संचालन करें। हम आशा करते हैं कि चीन हमें अपनी विदेश नीति बरतने और अपने घरेलू मामलों का संचालन करने के हमारे अधिकार का आदर करेगा।

मेरी सरकार इस बात से चिंतित है कि पश्चिम एशिया और वियतनाम में लड़ाई का कोई समाधान नहीं हो सका है। इन दोनों लड़ाइयों के कारण विश्व की शांति और स्थिरता पर बुरा असर पड़ा है। पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक विस्फोटक स्थिति में पहुंच रहा है। संयुक्त राष्ट्र के लिये यह आवश्यक है कि वह सुरक्षा परिषद् के 22 नवम्बर, 1967 में प्रस्ताव पर अमल कराये। वियतनाम में लड़ाई अभी चल रही है। मेरी सरकार ने बराबर यह कहा है कि वहां से तमाम विदेशी फौजों को हटाया जाये ताकि वियतनाम के लोग किसी बाहरी हस्तक्षेप के बगैर अपने भविष्य का स्वयं ही निर्णय कर लें।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

हमें बहुत-से देशों और सरकारों के प्रमुखों का अपने बीच स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष, मैं अपने पड़ोसी मित्र देश, श्रीलंका की यात्रा पर गया था और प्रधान मंत्री ने बर्मा*, अफगानिस्तान, जापान और इंडोनेशिया की यात्रा की थीं। ये यात्राएं इन देशों के साथ समझ-बूझ और मित्रता बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध हुईं।

हम शांति के लिये कटिबद्ध हैं लेकिन हमें ऊंचे स्तर पर अपनी रक्षा की तैयारियां रखने के प्रति भी जागरूक रहना है। हमारी रक्षा सेनाओं को सज्जित करने में आत्मनिर्भरता की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। रक्षा कार्यों के लिये देश में आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार तैयार किया जा रहा है। बहुत तरह के महत्वपूर्ण हथियारों और गोला-बारूद के विषय में हम अब आत्मनिर्भर हो गये हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोनॉटिक्स और जंगी जहाजों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी देश में उत्पादन करने में काफी प्रगति की है।

अगले वित्तीय वर्ष (1970-71) के लिये भारत सरकार की आमदनी और खर्च का ब्यौरा आपके विचार के लिये जल्दी ही रखा जायेगा।

चौदह बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण करने का हाल में जो अध्यादेश जारी किया गया है, उसके स्थान पर सरकार संसद के सामने एक बिल प्रस्तुत करेगी। एक बिल राज्य सभा के सामने पहले से ही है जोकि अनिवार्य वस्तु (संशोधन) अवस्थिति अध्यादेश, 1969 के स्थान पर आ जायेगा। हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1970 के स्थान पर भी एक बिल रखने का सरकार का इरादा है। सरकार इस सत्र में निम्नलिखित वैधानिक कार्य संसद के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती है:—

1. प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन करने का बिल।
2. राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अनादर रोक बिल, 1970
3. विदेशी सहायता (नियमन) बिल, 1970
4. फसल बीमा बिल, 1970
5. समाचारपत्र वित्त निगम की स्थापना के लिए बिल।
6. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिए बिल।
7. एनसीडीसी (संशोधन) बिल, 1970।
8. भारत में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबंध के लिए एक स्वायत्तशासी सांविधिक निगम स्थापित करने के लिए बिल।

संसद सदस्यगण! आप ऐसे समय में यहां इकट्ठा हो रहे हैं जबकि लोग बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं। आप उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का सही मूल्यांकन करें और अपनी विवेकशीलता तथा बुद्धिमत्ता से उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करें।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 23 मार्च 1971

लोक सभा	-	पांचवीं लोक सभा
सत्र	-	पांचवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री गोपाल स्वरूप पाठक
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

भारतीय गणराज्य की पांचवीं संसद के संयुक्त सत्र में आपके सम्मुख भाषण करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं देश की उन्नति के नए प्रयासों में लग जाने के लिए आपका आह्वान करता हूं।

आम चुनाव ने एक बार फिर दिखा दिया है कि लोकतंत्र में स्थायी राजनीतिक शक्ति का एकमात्र स्रोत जनता है। चुनाव से यह सिद्ध हो गया है कि लोगों को अपने पर और लोकतंत्र की प्रक्रिया पर कितना भरोसा है।

हमारे देशवासियों ने अपना निर्णय ले लिया है। मतदान द्वारा उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता दृढ़ता से व्यक्त की है। उन्होंने परिवर्तन के लिए बहुत प्रभावशाली निर्देश दिया है–ऐसे शांतिपूर्ण परिवर्तन का जिससे तेज़ी के साथ देश की गरीबी और समाज के कुछ वर्गों की अलगाव की भावना शीघ्र दूर हो और सबको इसका प्रत्यक्ष आभास हो।

हमने कार्य आरंभ कर दिया है। लेकिन, अब हमें एक बार फिर अपने युग की आवश्यकताओं और देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप नए दृष्टिकोण विकसित करने हैं, नई नीतियां निर्धारित करनी हैं, नई रीति अपनानी है।

गरीबी दूर करने की नीति को अपना मुख्य उद्देश्य बनाने की स्पष्ट प्रतिज्ञा के आधार पर ही मेरी सरकार फिर से सत्तारूढ़ हुई है। अब इस ध्येय की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार उस घोषणा पत्र में उल्लिखित आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध है जिसे मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिला है।

शीघ्र ही सरकार मतदाताओं के निदेश पर आधारित नीतियां और कार्यक्रम बनाएगी। चौथी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा। इस समीक्षा से यह जानकारी संभव हो सकेगी कि योजना को क्या नया रूप दिया जाए जिससे कि अर्थव्यवस्था में पूंजीविनियोजन की गति बढ़ सके और उसका प्रभावकारी उपयोग किया जा सके। साथ ही साथ सरकार यह भी निश्चित कर सकेगी कि विकास कार्यक्रमों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए जिससे बेरोजगारी की समस्या हल करने में ठोस सहायता मिले। रोजगार बढ़ाने के व्यापक कार्यक्रम का केन्द्रबिंदु गांव में रोजगार दिलाने का वह कार्यक्रम होगा जिस पर अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ से काम शुरू होगा। यह कार्यक्रम खेती की पैदावार बढ़ाने की योजनाओं से संबद्ध होगा और इसके अंतर्गत सिंचाई के छोटे साधनों का निर्माण और नवीकरण तथा पीने का पानी देने और योजक सड़कें बनाने जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी होगी। शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि समतावादी सामाजिक व्यवस्था एवं अधिक से अधिक कृषि उत्पादन के लिए भूमि सुधार अत्यंत आवश्यक है। पिछले महीनों में मेरी सरकार ने भूमि सुधार से संबद्ध कई मसलों पर विशेष ध्यान दिया है। केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय भूमि सुधार समिति बनाई गई है। भारत सरकार के मार्गदर्शन के फलस्वरूप उन राज्यों ने भी जहां मध्यवर्ती पट्टेदारी अभी तक पूर्णरूप से समाप्त नहीं हो पाई थी, उसे समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों ने पट्टेदारी को सुरक्षित रखने, लगान की कमी और जोत की अधिकतम सीमा कम करने और छूट पर पाबंदी लगाने के बारे में कानून बनाए हैं।

भूमि सुधार का विषय राज्यों के विधायी अधिकार-क्षेत्र में आता है, फिर भी मेरी सरकार राज्य सरकारों से बराबर अनुरोध करती रहेगी कि वे ग्राम व्यवस्था को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए आगे कार्रवाई करें। साथ ही सरकार शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य को पूरा करने में लगी रहेगी।

मेरी सरकार का एक महत्वपूर्ण ध्येय यह है कि पैदावार बढ़ाने के लिए ऋण की सुविधाएं उन इलाकों और वर्गों तक पहुंचाई जाएं जिनकी अब तक उपेक्षा की जाती रही है। हाल ही में एक व्यापक ऋण गारंटी योजना आरंभ की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गई है। यह निगम 1 अप्रैल, 1971 के वाणिज्य एवं सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले छोटे ऋणों पर लगभग 75 प्रतिशत तक की गारंटी दे सकेगा। पहले उत्पादक उद्योगों व खेतीबाड़ी को मुख्य रूप से साहूकारों पर निर्भर होना पड़ता था। अब बैंक इनकी वास्तविक आवश्यकताओं पर

अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह निश्चय ही एक नया और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसके द्वारा जनसाधारण को बैंक राष्ट्रीयकरण के लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के काम को, और विशेषकर सिंचाई के लिए बिजली के उपयोग को, विशेष महत्व देती है। ग्रामों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रमों में तेजी लाई गई है। इस पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में 2.66 लाख पम्पिंग सैटों के लिए बिजली दी गई थी। चालू वर्ष में यह काम और तेजी से किया गया है। ग्राम बिजली निगम ने लगभग 70 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकार कर अपने कार्य का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम को भी और आगे बढ़ाया जाएगा।

मेरी सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि शहरों में गरीब लोग कितनी बुरी हालत में रह रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक सुधार की कार्य-सूची में गंदी बस्तियों की सफाई और उनके सुधार को मुख्य स्थान दिया जाएगा और इनके लिए सरकार अधिक से अधिक साधन जुटाने का प्रयत्न करेगी। हाल ही में आवास एवं नगर विकास वित्त निगम की स्थापना की गई है और इसके द्वारा बड़े-बड़े नगरों तथा शहरी इलाकों में आवास की सुविधाओं में वृद्धि हो सकेगी।

साथ ही गांवों में मकानों की स्थिति सुधारने पर भी और अधिक ध्यान दिया जाएगा। लक्ष्य यह होगा कि भूमिहीन कामगारों को अधिक संख्या में मकान बनाने की जमीन दी जा सके, आवास भूमि का अधिकार देने का कानून बनाया जाए और देहाती आबादी के लिए अच्छे रहने योग्य मकानों का निर्माण करने में सहायता दी जाए। इस कार्यक्रम में निश्चय ही केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मिलकर भाग लेना होगा।

मेरी सरकार के कुछ अन्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(क) उद्योगों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विनियोग (इन्वैस्टमेंट) कार्यक्रमों पर तेजी के साथ अमल करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए विशेष दस्ते नियुक्त किए जाएं और औद्योगिक उत्पादन की दर में वृद्धि की जाए;

(ख) कृषि में नए तकनीकी ज्ञान का सूखी खेती, नई फसलों और नए क्षेत्रों तक विस्तार किया जाए जहां अभी तक वह नहीं पहुंच पाया है। रेशे और तिलहन जैसी बहुत खपत वाली वस्तुओं का तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों की गति को और बढ़ाया जाए;

(ग) मजदूर संघों के नेताओं और प्रबंधकों के परामर्श से स्वस्थ औद्योगिक संबंध विकसित किये जाएं, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कामगारों को न्यायोचित व्यवहार भी मिले। उत्पादन की वृद्धि के लिए औद्योगिक संबंधों में सुधार उतना ही आवश्यक है जितना कि पूंजी और तकनीकी ज्ञान;

(घ) प्रशासनिक तंत्र के स्वरूप और संचालन में ऐसे परिवर्तन किए जाएं जिससे कि अधिकारों का वास्तविक प्रतिनिधान (डेलीगेशन) हो सके और निर्णय शीघ्र लिए जा सके; और

(ङ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए सुव्यवस्थित प्रबंधक संवर्ग (मेनेजीरियल काडर) का निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

भारत की अर्थव्यवस्था में 1969-70 में वृद्धि लगभग नियोजित दर से हुई है और चालू वर्ष में भी इसी प्रकार की वृद्धि का अनुमान है। आशा है कि गत तीन वर्षों की भांति इस वर्ष भी फसल अच्छी रहेगी और पैदावार पिछले वर्ष से 55 लाख टन अधिक होकर साढ़े दस करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। गेहूं के उत्पादन में हुई क्रांति सर्वविदित है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने चावल की अधिक पैदावार देने वाली कई किस्में निकाली हैं। नए तकनीकी ज्ञान को किसानों तक हम जितने प्रभावकारी ढंग से पहुंचा पाते हैं उतना ही वह उसे अपनाते हैं।

तथापि, खाद्य स्थिति में जो सुधार हुआ है उससे हमें सिर्फ थोड़ी राहत मिली है। नई जनगणना के परिणाम गम्भीर चेतावनी देंगे कि हमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इसे एक आंदोलन का रूप देना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि शीघ्र से शीघ्र छोटे परिवार के प्रति आस्था हमारा एक नया सामाजिक मानदंड बने। सच तो यह है कि सामाजिक परिवर्तन का जो महान कार्य हमारे सामने है, उसमें प्रमुख स्थान परिवार नियोजन का होना चाहिए।

यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था का सामान्य स्वरूप आशाजनक है मेरी सरकार को इसका पूरा ज्ञान है कि पिछले महीनों में कीमतों के बढ़ने से कुछ चिन्ता उत्पन्न हुई है। थोक मूल्य का सूचक अंक प्रायः एक वर्ष पहले की अपेक्षा अब लगभग 3.4 प्रतिशत अधिक है। लेकिन कीमतों के इस प्रकार बढ़ते रहने पर भी अनाज की कीमतों में लगभग 6.5 प्रतिशत की कमी हुई है। इसलिए जिन चीजों की कमी है, उन्हें बड़ी मात्रा में बाहर से मंगवाकर सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने की कोशिश की है और साथ ही देश में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं।

मेरी सरकार देश के विकास में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाकर उस पर अमल करने का विचार रखती है। यह योजना मुख्य रूप से हमारी सामाजिक-आर्थिक योजना पर आधारित होगी। इस योजना की एक विशेषता यह होगी कि राष्ट्रीय प्रयास के कुछ ऊंची प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विस्तृत कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे जिनमें विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग होगा।

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के संतुलित विकास के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन की स्थापना की है। यह कमीशन इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और औद्योगिक कार्य से संबंधित होगा।

मेरी सरकार को इस बात की चिंता है कि तीव्र आर्थिक विकास के फलस्वरूप वायु, जल और धरती दूषित न होने पाए। प्राकृतिक साधनों का प्रबंध विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए और इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जीवन और परिस्थितियों का पारस्परिक संतुलन न बिगड़ने पाये।

देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिक तनाव रहने और कभी-कभी हिंसात्मक उपद्रव होने से हमारी धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा सभ्य जीवन के आधारभूत मूल्यों के लिये खतरा पैदा होता है। सरकार इस खतरे पर काबू पाने के लिए कृतसंकल्प है। यह राष्ट्र के जीवन-मरण का प्रश्न है और इसलिए यह आवश्यक है कि इस समस्या के समाधान को राष्ट्रीय महत्व का कार्य माना जाये।

पिछले दिनों पश्चिमी बंगाल में हिंसा बढ़ी है। स्वतंत्रता संग्राम के हमारे एक वरिष्ठ व कर्मठ साथी श्री हेमंत कुमार बसु तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या से हम सभी को आघात पहुंचा है। समाज विरोधी गुट प्राय: राजनीतिक ढोंग रचकर बदला लेने की भावना से काम करते हैं। फिर भी, पश्चिमी बंगाल में हाल के चुनावों के परिणामों से साफ पता चलता है कि लोगों ने लोकतंत्र में अपनी आस्था पुन: स्थापित की है।

मेरी सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि वह अव्यवस्था और हत्या तथा हिंसा की 'राजनीति' को समूल नष्ट करेगी। इसके साथ ही वह निजी और सरकारी विनियोग की सहायता से कलकत्ता* के कायाकल्प करने के कार्यक्रम पर तेजी से काम करने का विचार रखती है। कलकत्ता* महानगर विकास अधिकरण ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम भी शीघ्र स्थापित होने वाला है। पश्चिमी बंगाल में विकास के और भी कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम जुलाई, 1970 में पास किया गया था जिसके अनुसार, फसल में बटाइदार का हिस्सा बढ़ा दिया गया है, और भूमि पर खेती करने और उस पर विरासत पाने का उसका अधिकार सुरक्षित कर दिया गया है। जोत की अधिकतम सीमा कम करने और परिवार को इकाई मानकर उसे नियत करने की दृष्टि से हाल ही में एक राष्ट्रपति अधिनियम बना दिया गया है।

आप जानते ही हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत निर्णय से भूतपूर्व रियासतों के राजाओं की मान्यता समाप्त करने के आदेश रद्द घोषित कर दिये गये हैं। फिर भी,

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

राजाओं के प्रिवी पर्सों और उनके विशेषाधिकारों को समुचित सांविधानिक उपायों द्वारा समाप्त करने के सरकार के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कहीं आशा है कहीं निराशा। पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच तनाव में कमी हुई है। जर्मन संघ गणराज्य और सोवियत संघ तथा पोलैंड की सरकारों के बीच हुए समझौतों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में स्थिति बिगड़ी है।

हिन्द-चीन में स्थिति और बिगड़ी है। कम्बोडिया और लाओस में युद्ध क्षेत्र बराबर बढ़ ही रहा है, जो शांति के हित में नहीं है। हमारा हमेशा यह अनुरोध रहा है कि सावधानी से काम लिया जाये। हमने इस बात पर जोर दिया है कि जेनेवा समझौते के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा ही समस्या का हल किया जाये। हमारा विश्वास है कि सबसे अच्छा हल यह होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो, जिस पर संसार की बड़ी शक्तियों और इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे देश हस्ताक्षर करें।

पश्चिम एशिया में विराम-संधि के होते हुए भी बेचैनी है। संयुक्त अरब गणराज्य ने हाल ही में कुछ एक कदम उठाकर यह स्पष्ट किया है कि वह वास्तव में सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर, 1967 के प्रस्ताव पर अमल करना चाहता है। मेरी सरकार को आशा है कि इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी।

हिन्द महासागर में विदेशी शक्तियों द्वारा सैनिक अड्डे बनाने और दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की प्रस्तावित बिक्री से हमें चिंता हुई है। लुसाका घोषणा के अनुसार हम चाहते हैं कि हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र बना रहे और सैनिक मुठभेड़ और बड़े राष्ट्रों की होड़ से बचा रहे।

हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरण और बाद में उसे नष्ट कर देने के संबंध में पाकिस्तान सरकार के रवैये पर भारत सरकार और यहां की जनता में गहरा रोष था। इस प्रकार भड़काने वाली कार्यवाहियों से मित्रता और आपसी समझ-बूझ पैदा नहीं हो सकती, जोकि हम चाहते हैं।

मेरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय गुटबंदी से अलग रहने की अपनी नीति पर अडिग रहेगी और उसका निर्भयता से पालन करेगी। जब कभी शांति को खतरा होगा, स्वतंत्र देशों की स्वाधीनता नष्ट होगी, और उपनिवेशवाद को उसके पुराने या नये रूप में लाने की कोशिश की जायेगी, मेरी सरकार आवाज उठायेगी।

आपका यह सत्र छोटी अवधि का होगा जिसमें आवश्यक वित्तीय और बजट संबंधी कार्य ही निपटाए जायेंगे। आगे के कार्यक्रम के लिए आप कुछ समय बाद फिर एकत्रित होंगे। 1971-72 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की आमदनी और खर्च का ब्यौरा आपके सामने रखा जायेगा। हिमाचल राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 1971 तथा

श्रम भविष्य निधि नियम (संशोधन) अध्यादेश, 1971 के स्थान में सरकार बिल प्रस्तुत करेगी। आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को जारी रखने के लिए भी संसद के इसी सत्र में बिल प्रस्तुत किया जायेगा।

माननीय सदस्यगण, भारत की जनता ने स्पष्ट शब्दों में अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय के साथ ही राजनीतिक अनिश्चितता और दांवपेच की राजनीति समाप्त होती है। चुनाव की सरगर्मी के बाद अब हमें अपने देशवासियों की सेवा में लग जाना चाहिये। हम सबको इसका गर्व है कि राजनीतिक लोकतंत्र और संसदीय संस्थाओं का विकास हुआ है और उनकी जड़ें हमारे देशवासियों के दिलों और दिमागों में गहरी बैठ गई हैं। जनता की इच्छा का आदर करते हुए हमें लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना चाहिये।

मेरी सरकार को जो भारी बहुमत मिला है, वह उस लंबी और कठिन यात्रा का पहला कदम है जिसे हमें तय करना है। गरीबी और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में विजय पाने के लिए हमारे लाखों-करोड़ों देशवासियों को बड़ी लगन और निष्ठा के साथ परिश्रम करना होगा। मुझे विश्वास है कि संसद के सदस्यगण और भारत की जनता समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देगी।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 13 मार्च 1972

लोक सभा	-	पांचवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री गोपाल स्वरूप पाठक
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

राष्ट्र एक बहुत बड़ी परीक्षा में खरा उतरा है। बाहरी आक्रमण के मौके पर देश ने बहुत बड़ी एकता, साहस, संवेदनशीलता तथा स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया। इससे संसार को यह स्पष्ट हो गया है कि देश के लोग किस तत्व के बने हैं। बंगलादेश के साढ़े सात करोड़ लोगों की आजादी और जिन्दगी खतरे में पड़ गई थी। इस मामले में जब संसार के लोग आगा–पीछा कर रहे थे, भारत ने अत्याचारों से पीड़ित बंगलादेश से भाग कर आए हुए एक करोड़ लोगों को शरण दी। जब हम पर आक्रमण हुआ तो हमने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसका मुंहतोड़ जवाब दिया तथा मानव स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम बंगलादेश की सहायता को गए।

हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बड़ी वीरता, कुशलता और निष्ठा से युद्ध लड़ा। सेना के तीनों अंगों तथा अर्द्ध–सैनिक संगठनों ने आपसी समन्वय में अनुकरणीय कौशल का परिचय दिया। जवानों और अधिकारियों के बीच भी भाईचारे का अपूर्व संबंध देखा गया। सेना के बहुत से जवानों और अधिकारियों ने वीरगति प्राप्त कर सर्वोच्च बलिदान किया। बहुत से अपंग हुए जिनके समय चिह्न आजीवन उनकी देशभक्ति के प्रमाण रहेंगे। रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के नाते मैं उनका अभिवादन करता हूं और उनके परिवारों के प्रति राष्ट्र की सहानुभूति अर्पित करता हूं। सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने देशवासियों के मनोबल की मैं सराहना करता हूं, जिन्होंने खतरे की स्थिति तथा सामान्य जीवन के अस्त–व्यस्त होने पर भी शांति और धैर्य से काम लिया। युद्ध के कारण जो

लोग अपने घर-बार से विस्थापित हो गये हैं उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व का हमें पूरा आभास है। अन्यत्र भी हमारे नागरिक एकता के सूत्र में बंधे रहे और उन्होंने अवसर के अनुरूप कार्य किया।

इस कार्य में संसद ने जो मार्गदर्शन दिया, राजनीतिक, राजनयिक तथा सैन्य संबंधी नीति और निर्णयों में सरकार ने जिस विवेक और नेतृत्व का परिचय दिया, प्रशासन के सभी स्तरों पर जो प्रभावकारी कार्य संचालन हुआ, तथा देश की जनता ने जो संकल्प और मनोबल दिखाया उसी सबसे यह सफलता सम्भव हो सकी। इस पर देश को गर्व और आत्मविश्वास होना स्वाभाविक है।

पिछले वर्ष आपके समक्ष भाषण करते हुए मैंने कहा था कि अब हमें आर्थिक और सामाजिक पुनर्व्यवस्था की ओर ध्यान देना है उस समय हम लोगों को इस बात का अनुमान भी नहीं था कि हम पर एक युद्ध थोपा जाएगा लेकिन जब कभी किसी चुनौती का हम सामना करते हैं, किसी विशेष ऊंचे आदर्श के लिए खतरा मोल लेते हैं, किसी काम को अच्छी तरह पूरा करते हैं तो उससे हममें एक नई क्षमता और शक्ति का संचार होता है। विगत वर्ष में हमारी एकता, शक्ति और संकल्प तीनों का विकास हुआ है।

इनका उपयोग अब हमें सामाजिक न्याय तथा समानता के कार्यक्रम को व्यापक बनाने में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने में और अपनी मूलभूत नीति के अनुसरणों में करना चाहिए जिसके अंतर्गत हम मित्रता का अभिनन्दन, हर प्रकार के दबाव का विरोध व राष्ट्र हित व विश्वशांति का संवर्धन करते हैं।

पिछले बारह महीनों में देश के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई और दक्षिण को सूखे का सामना करना पड़ा। बंगलादेश से आए हुए शरणार्थियों के कारण विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां और भीषण प्रशासनिक और संगठनात्मक समस्याएं उत्पन्न हुईं। फिर भी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। अकारण पाकिस्तान ने हम पर जो आक्रमण किया उसका सामना करने के लिए अपनी रक्षा व्यवस्था पर जो हमें अधिक खर्च करना पड़ा उसका भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ा। आज भी हम अपनी सीमाओं के बारे में निश्चित नहीं हैं और हमें सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है। बंगलादेश को स्वतंत्रता मिलने के बाद हम नवजात राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भी हमें सहायता देनी है। इन सब कारणों से हमारी लघु और दीर्घकालीन आर्थिक प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण स्वाभाविक है।

हमारी अर्थव्यवस्था अपने लोच के कारण अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव का सामना कर सकी जिससे वृद्धि तथा विकास की गति बनी रही। खाद्यान्न का उत्पादन पहले से 8 प्रतिशत अधिक हुआ और 1970-71 के फसली साल में 10.80 करोड़ टन की

कुल पैदावार ने एक नया रिकार्ड बनाया। चालू वर्ष में पैदावार इससे भी अधिक होने की आशा है। परिणामस्वरूप सरकार ने विदेशों से रियायती दर पर अन्न मंगाना बन्द कर दिया है। निर्यात बढ़ने लगा है। देहाती क्षेत्रों में अधिक रोजगार दिलाने और शहर के बेरोजगारों को रोजी दिलाने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रमों में कुछ प्रगति हुई है। इन कार्यक्रमों को और गहन बनाने का विचार है। रोजगार समिति की अंतरिम रिपोर्ट अभी मिली है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। योजना कमीशन का पुनर्गठन और पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

भूमि सुधार कार्यों पर तेजी से अमल हो रहा है। असम, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल में पट्टेदारी को अधिक सुरक्षित कराने और लगान में अधिक समानता लाने की दिशा में प्रगति हुई है। असम, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कानून बनाकर कृषि योग्य भूमि की अधिकतम जोत में और कमी कर दी गई है। इस संबंध में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन सिफारिशों को ध्यान में रखकर अपने कानूनों में समुचित संशोधन करें।

किसानों को पानी, बिजली और ऋण देने के कार्यक्रमों में प्रगति हुई है। सिंचाई, विशेषकर भूमि जल संसाधनों, के विकास के लिए सार्वजनिक और सहकारी संस्थाओं द्वारा काफी ऋण दिये जा रहे हैं। ग्राम बिजली निगम ने 106 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है; इस राशि में से रियायती शर्तों पर 43 करोड़ रुपये पिछड़े इलाकों को दिए गए हैं।

उद्योग के क्षेत्र में धीमी प्रगति चिन्ता का विषय है। इस स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय बरते गए हैं, विशेषकर ऐसे उपाय जिनसे क्षमता का ज्यादा अच्छा उपयोग और उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की गति में तेजी हो सके। नए और मध्यम श्रेणी के उद्यमकर्ताओं की मांगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं की ऋण देने की नीतियों का पुनर्निर्धारण पिछड़े इलाकों के लाभ की दृष्टि से किया गया है। छोटे उद्योग-धंधों को अधिक मात्रा में कच्चा माल दिला कर और आवश्यकतानुसार आयात की सुविधायें देने से उनका उत्पादन बढ़ा है।

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक व्यय की व्यवस्था की है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग संबंधी कार्यकलापों की गति का संचालन अधिकतर इस प्रकार के व्यय से होता है। प्रत्येक मंत्रालय में कार्यकारी दलों की स्थापना कर दी गई है कि वे योजना स्कीमों की प्रगति का आकलन करें, उनकी कमियों का पता लगायें और परिवर्तनों का सुझाव दें। सरकार को बन्द उद्योग-कारखानों का नियंत्रण हाथ में लेने और अधिक अधिकार दिलाने की दृष्टि से उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम में संशोधन किया गया है। एक योजना विनियोजन बोर्ड शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा जो बड़ी राशि के विनियोजन प्रस्तावों पर विचार-विनिमय करेगा।

पश्चिम बंगाल में उद्योग-धंधों को पुनः चालू कराने में मेरी सरकार ने विशेष रुचि ली है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो सोलह-सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है उस पर अमल हो रहा है।

हाल की आपातकालीन स्थिति के उत्पन्न होने पर, मैंने यह कहा की कि हड़ताल और तालाबंदी नहीं होनी चाहिए जिससे कि औद्योगिक अशांति के कारण उत्पादन में ढील न आने पाए। प्रधानमंत्री ने भी मजदूर नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूर औद्योगिक शांति बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। उनको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि अधिक उत्पादन के लाभ का सरकार निश्चित रूप से समुचित वितरण कराएगी।

सहायता देने वाले देशों की सहायता के माध्यम से हमारी नीति को प्रभावित करने की प्रवृत्ति के कारण आत्मनिर्भरता शीघ्र प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यह अनिवार्य है कि हम कृषि उत्पादन की कमी को पूरा करें, मशीनों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करें, हड़ताल और तालाबंदी समाप्त करें और हर क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करें। उद्योग के क्षेत्र में इस्पात और खाद और कृषि में कपास और तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों के अधिकाधिक उत्पादन और तकनीकी क्षमता की वृद्धि से ही आर्थिक स्वराज प्राप्त हो सकेगा। हमें उत्पादन की दक्षता और कम लागत को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने निर्यात में वृद्धि करने और आयात की जाने वाली वस्तुओं की जगह अपनी चीजें बनाने में हमें गंभीरतापूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ काम करना चाहिए।

सेलम, विशाखापत्तनम और विजयनगर के नए इस्पात कारखानों का प्रारंभिक कार्य चल रहा है। सरकार ने इस्पात और पत्थर का कोयला, लोहा, मैंगनीज़ जैसे सम्बद्ध उद्योगों के लिए एक नियंत्रक कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया है जिससे कम से कम लागत पर समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके। खाद उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास जारी हैं। दो खाद कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है तथा दो और कारखाने प्रायः तैयार हो चुके हैं। अन्य तीन कारखानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है जिनमें से दो का उत्पादन कार्य कोयले पर आधारित होगा। इसी तरह का तीसरा कारखाना शीघ्र ही बनाना शुरू होगा। छः नई परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं जिनमें से तीन सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

गहन कपास जिला कार्यक्रम के अंतर्गत तेरह जिलों में प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त कपास की अधिक पैदावार वाली एक नई किस्म संकर 4 के प्रसार से सम्बद्ध एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। सोयाबीन तथा सूर्यमुखी जैसे नए तिलहनों का प्रयोग आरम्भ कर दिया गया है। केन्द्र की ओर से चलाई जाने वाली एक स्कीम के अंतर्गत 1973-74 तक 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की खेती होगी। सूर्यमुखी की उपयुक्त किस्मों का परीक्षण और चयन का काम शुरू हो गया है।

नवगठित विज्ञान एवं प्रौद्योगिक राष्ट्रीय समिति ने कई प्रकार से इस बात का अध्ययन करना शुरू कर दिया है कि अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मविश्वास जगाने में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास किस प्रकार सहायक हो सकते हैं।

आर्थिक स्वराज प्राप्त करने के लिए बाहरी सहायता पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ घरेलू साधनों को अधिकाधिक जुटाना व सभी क्षेत्रों में कठोर वित्तीय अनुशासन रखना भी आवश्यक है। राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक उनके ओवरड्राफ्टों में कमी लाई जा सके। यह आवश्यक है कि कृषक समुदाय के समृद्धि वर्ग के पास जो अतिरिक्त आय जमा हो रही है उसके कुछ अंश को भी राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग में लाया जाए। सरकार ने इस समस्या की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है।

यह संतोष की बात है कि शरणार्थी सहायता तथा पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बावजूद कीमत की स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं गई। फिर भी सरकार इससे संतुष्ट नहीं है और वह कीमतों तथा अनिवार्य वस्तुओं के वितरण पर कड़ी नज़र रखेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत बनाई जाएगी और ऋण संबंधी नीति की निरन्तर समीक्षा की जाएगी।

योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से इस बात का पता चला है कि समाज कल्याण से सम्बद्ध स्कीमों को कार्यान्वित करने की ओर कम ध्यान दिया गया है। इस प्रवृत्ति में सुधार लाया जा रहा है।

एक ऐसी स्कीम मंजूर की गई है जिसमें भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के आवास के लिए मुफ्त जमीन देने में केन्द्रीय सरकार मदद करेगी। इससे जमींदारों द्वारा बेदखल किए जाने वाले किसानों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों के कार्यों को सहायता मिलेगी। शहर की गंदी बस्तियों में सुधार से सम्बद्ध एक योजना भी सरकार ने मंजूर कर ली है। कलकत्ता* के मैट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए नगर पुनर्निर्माण तथा नवीकरण योजना का काम पूरे जोर से चला। चालू वर्ष में जल पूर्ति, परिवहन, आवास तथा इस क्षेत्र में विकास सम्बंधी अन्य कार्यों पर 40 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है।

शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर अभी तक आठ राज्यों ने केन्द्रीय कानून बनाने के विचार का समर्थन किया है। उनसे यह आग्रह किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत वे अपने विधानमंडलों में प्रस्ताव पारित कराएं। इस बीच, जैसा कि आवास मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई है, एक अध्ययन दल इसके क्रियान्वयन के कुछ पक्षों की जांच कर रहा है।

---
*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

प्रतिरक्षा और शरणार्थियों के कामों में उलझे रहने पर भी सरकार ने सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण सुधार लाने के प्रयास में प्रगति की। इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि राजाओं के विशेषाधिकार और भत्ते समाप्त कर दिए गए। साथ ही संसद ने संविधान में कुछ ऐसे संशोधन किए जिनसे ऐसे कदम उठाए जा सकेंगे कि एक समतायुक्त समाज का निर्माण हो सके।

सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का भी पुनर्गठन किया तथा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तथा संघशासित मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। राष्ट्र की सद्‌भावना इन क्षेत्रों के लोगों के साथ है। उत्तर-पूर्वी परिषद् की जल्द ही स्थापना होगी। मुझे आशा है कि ये राज्य तथा संघशासित क्षेत्र अपने विकास प्रयत्नों में समन्वयन लाकर शीघ्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे।

सोलह राज्यों और दो संघ प्रदेशों में अभी चुनाव हुए हैं। जिस शांति के साथ यह चुनाव सम्पन्न हुए वह हमारी जनता की परिपक्वता और संसदीय लोकतंत्र में उनकी दीर्घ आस्था की परिचायक है। विभिन्न राज्यों में जनता की पसन्द से जो नई सरकारें बनेंगी गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के हमारे समान कार्य में उनको मेरी सरकार पूरा सहयोग देगी।

शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बंगलादेश का अभ्युदय इस उपमहाद्वीप के इतिहास में ही क्या वास्तव में मनुष्य द्वारा स्वतंत्रता की खोज की दिशा में भी एक अभूतपूर्व घटना है। बंगलादेश के लोगों की विजय से हम भी खुश हैं। इस बात का संतोष है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं इतनी जल्दी बंगलादेश से लौट आईं। शेख मुजीबुर्रहमान और उनके सहयोगियों ने हमारे सरकारी नेताओं के साथ पारस्परिक हित के मामलों पर कई बार विचार-विमर्श किया है। पारस्परिक हित के मामलों पर आगे विचार करने के लिए तथा बंगलादेश के बहादुर लोगों को भारतीय जनता की बधाई देने के लिए हमारी प्रधान मंत्री शीघ्र ही ढाका जाएंगी। बंगलादेश के उजड़े हुए लोगों को फिर से बसाने तथा वहां की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के विशाल कार्य के लिए मेरी सरकार बंगलादेश को यथासंभव सहयोग दे रही है। हमें विश्वास है कि दोनों देशों के बीच मित्रता और सभी क्षेत्रों में सहयोग की अबाध प्रगति होगी। ऐसे संबंधों के विकास के लिए हमारे आदर्श और दृष्टिकोण की समानता शुभ लक्षण हैं। एक दृढ़, शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बंगलादेश से इस उप-महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की शक्ति और स्थिरता को बल मिलेगा। हमें विश्वास है कि इस नए देश को राष्ट्रों के समुदाय में अपना प्रभावी सहयोग देने का अवसर प्राप्त होगा।

हम पाकिस्तान की जनता और सरकार के प्रति भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। दोनों देशों के बीच बिना किसी शर्त के द्विपक्षीय बातचीत करने का प्रस्ताव करने में हमने पहल की है। हमें आशा है कि पाकिस्तान उप-महाद्वीप की बदली हुई स्थिति को

स्वीकार करके इस पहल का उत्तर सद्भावनापूर्वक देगा। पाकिस्तान अथवा किसी अन्य देश की भूमि हड़पने का भारत का कोई इरादा नहीं है। इस बात की पुष्टि, यदि पुष्टि की आवश्यकता हो तो, इसी से होती है कि पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा बंगलादेश में हथियार डाल देने के बाद हमने पश्चिमी मोर्चे पर एकतरफा और स्वेच्छा से युद्ध विराम की घोषणा की।

पिछले वर्ष हमारी विदेश नीति ने जटिल चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। उप-महाद्वीप में काम कर रही शक्तियों के विषय में हमारे सही विश्लेषण और उनसे निपटने में हमने जो संयम दिखाया, उसकी सभी ने सराहना की है। हमारे अधिकतर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ है।

पिछले वर्ष अगस्त में शांति, मित्रता और सहयोग की जिस भारत-रूस संधि पर हस्ताक्षर किये गए उससे हमारी पुरानी मित्रता पर मोहर लग गई। यह युद्ध के विरुद्ध एक शांति-संधि है। किसी देश के विरुद्ध नहीं है।

हम संयुक्त राष्ट्र में चीन लोक गणराज्य के प्रवेश का, चाहे वह विलम्ब में ही हुआ, स्वागत करते हैं। इस कदम का हम सदैव समर्थन करते रहे हैं। हमें आशा है कि इससे एशिया तथा विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

अमरीका की सरकार ने बंगलादेश के लोगों द्वारा किए गए अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों और मूलभूत आजादी के संघर्ष के प्रति जो गैर-सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया उससे इस देश में गहरी निराशा हुई। अमरीकी जनमत ने तो पर्याप्त सहानुभूति व्यक्त की और पाकिस्तान के भूतपूर्व सैनिक शासकों की नीतियों की आलोचना की। इससे यह आशा होती है कि अमरीका के साथ हमारे संबंध, जो पारस्परिक सम्मान और समझ-बूझ पर आधारित हैं, नहीं बिगड़ने पायेंगे।

अमरीका और चीन द्वारा अपने संबंधों को पुनर्निर्धारित करने का प्रयास इस वर्ष की एक सबसे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटना है। हमें उम्मीद है कि इससे तनाव में कमी ही आएगी न कि मतभेद और बढ़ेंगे।

विश्व शक्तियों का रूप तेजी से बदल रहा है। महान् शक्तियों के बीच आपसी संबंधों तथा अन्य शक्तियों के साथ उनके संबंधों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जिन्हें छोटे और बड़े सभी राज्यों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी राज्य को शक्ति संतुलन के सिद्धांत का प्रयोग कर अपने लिए प्रभाव क्षेत्र के निर्माण का प्रयास इस भू-भाग में नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छोटे या बड़े देशों को दूसरे देशों के साथ उनके संबंधों के बारे में अपना निर्णय थोपना चाहिए। भारत कोई नेतृत्व या आधिपत्य नहीं चाहता पर वह किसी दूसरे का आधिपत्य भी सहन नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि यह उप-महाद्वीप, वास्तव में समूचा दक्षिण एशियाई तथा हिन्द महासागर के क्षेत्र शक्ति प्रतिस्पर्द्धाओं अथवा आधिपत्य से मुक्त रहें और इस क्षेत्र

का विकास शांति और सहयोग के क्षेत्र के रूप में हो, न कि संघर्ष के। भारत यह भी चाहेगा कि सबसे पहले उप-महाद्वीप के देशों के बीच और उसके बाद दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के अन्य देशों के बीच अधिकाधिक क्षेत्रीय सहयोग, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, व्यापार और परिवहन, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन व बढ़ावा दिया जाए।

मेरी सरकार चार शक्तियों के बर्लिन समझौते का स्वागत करती है और आशा करती है कि यूरोप में तनाव कम होने की प्रक्रिया चलती रहेगी ताकि संबंधित देशों के बीच स्थायी समझौते हो सकें।

बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात संघ का स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अभ्युदय एक शुभ घटना है।

मेरी सरकार को इस बात पर खेद है कि पश्चिम एशिया और वियतनाम में संघर्ष अब भी जारी है। मेरी सरकार को आशा है कि इन दोनों क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के प्रयासों के परिणाम शीघ्र ही सुलभ होंगे। वियतनाम में घनघोर बमबारी शांति स्थापित करने की इच्छा के अनुरूप नहीं है।

नागरिकता तथा अधिकाधिक आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-श्रीलंका समझौते के सतत कार्यान्वयन से, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। नेपाल के साथ नई व्यापार तथा पारगमन संधि के सफलतापूर्वक निष्पादन से दोनों देशों के बीच गलतफहमी दूर हुई और हमारे आपसी लाभ के लिए सहयोग के क्षेत्रों का रास्ता खुल गया है।

नेपाल के महामहिम राजा महेन्द्र का आकस्मिक निधन हमारे लिए बहुत दुःख की बात है। नेपाल के नये नरेश, सरकार एवं वहां की जनता के प्रति हम अपना सहयोग और शुभकामना व्यक्त करते हैं। हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र में शांति, प्रगति एवं स्थायित्व को सुदृढ़ करने के लिए हमारी मैत्री एवं सहयोग उन्हें सदा मिलता रहेगा।

भूटान से हमारा निकट संबंध है तथा यह अत्यधिक संतोष का विषय है कि सितम्बर, 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया है। हमारे पहले के आश्वासनों के अनुरूप भूटान के साथ हमारा सहयोग लगातार बना रहा है और भविष्य में भी दोनों देशों एवं जनता के हितों में इस सहयोग की भावना अवश्य बढ़ेगी।

आंतरिक एवं बाहरी मामले के सर्वेक्षण में विधायी एवं अन्य कार्यों के उल्लेख को, जो आपके सामने आयेगा, शामिल करना आवश्यक है।

आपके समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए भारत सरकार के आय-व्यय का प्राक्कलन शीघ्र ही विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

भारत के आकस्मिक व्यय निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972, प्रशासक सामान्य (संशोधन) अध्यादेश, 1972, सार्वजनिक वक़्फ (परिसीमन का विस्तार) (देहली संशोधन) अध्यादेश, 1972 और भारतीय ताम्र निगम (प्रबंध का लिया जाना) अध्यादेश, 1972 की जगह संसद के समक्ष सरकार विधेयक प्रस्तुत करेगी। सरकार द्वारा संसद में निम्नलिखित विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे:—

1. पुरावस्तु एवं कला भंडार विधेयक, 1972
2. उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक।
3. अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक, 1972
4. सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, स्वर्ण नियंत्रण, आयकर एवं सम्पत्ति कर से संबद्ध कानूनों का उल्लंघन कर कुछ प्रकार के आर्थिक अपराधों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था के लिए विधेयक।
5. विदेशी-मुद्रा विनिमय अधिनियम में संशोधन की व्यवस्था के लिए एक व्यापक विधेयक।
6. आम बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिए विधेयक।
7. उन कोकिंग-कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए विधेयक जिनका प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा ले लिया गया था।
8. वायुदूषण नियंत्रण विधेयक।
9. अशांत क्षेत्र (विशेष अदालत) विधेयक।

सम्माननीय सदस्यों, अंत में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई किसी सैनिक कार्रवाई से कम बहादुरी की बात नहीं है। इस महान् संघर्ष के लिए कठिन परिश्रम एवं लक्ष्य के प्रति गहन निष्ठा की आवश्यकता है। सतत परिश्रम एवं त्याग के बिना कभी कोई महान् कार्य नहीं हुआ है। मैं इस महान देश के सभी वर्ग के लोगों एवं दलों से निवेदन करता हूं कि युद्ध के समय आप लोगों ने जिस एकता की भावना का प्रदर्शन किया, देश के निर्माण के लिए भी वैसी ही भावना का प्रदर्शन करें। महानता इस राष्ट्र का आह्वान कर रही है—वह महानता जो परम्परागत शक्ति-संचय द्वारा नहीं बल्कि आत्मिक बल से प्राप्त होती है।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 19 फरवरी 1973

लोक सभा	-	पांचवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री गोपाल स्वरुप पाठक
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

आप उन कठिन कार्यों के लिए एकत्र हुए हैं जो आपके सामने आगे आएंगे। औपचारिक विधायी कार्य के अतिरिक्त आपको उन समस्याओं पर, जिनका राष्ट्र सामना कर रहा है, विचार कर सरकार और जनता का मार्गदर्शन करना है।

जैसे ही देश 1971 की असाधारण चुनौतियों का सामना करने में सफल हुआ कि हमारे सामने नई समस्याएं उठ खड़ी हुईं। शरणार्थियों की बाढ़ और युद्ध से उत्पन्न कठिनाइयां देश के कई भागों में सूखा पड़ने से और बढ़ गईं। सूखे और कुछ अन्य क्षेत्रों में तूफान और बाढ़ से जिन लोगों को कष्ट हुआ है उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। इन सभी क्षेत्रों में रोजगार और सहायता के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। इस स्थिति का सामना करने में अनाज के बफर स्टॉक और जनता को अनाज मिलने की व्यवस्था को मजबूत करने से सरकार को बड़ी मदद मिली। 1972 में इस व्यवस्था द्वारा 1 करोड़ 6 लाख टन अनाज बांटा गया।

सूखा पड़ने से अनाज की पैदावार में कमी हुई, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां खेती वर्षा पर निर्भर रहती है। इससे कीमतों पर भी असर पड़ा, जो पिछली मई के बाद काफी बढ़ी हैं। सरकार को इससे बड़ी चिंता हुई है। जनता को अनाज मिलने की व्यवस्था को मजबूत करने के अतिरिक्त, खरीफ फसल के नुकसान को पूरा करने के लिए, रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों की उपज बढ़ाने के लिए एक आपातकालीन कार्यक्रम शुरू किया गया। आशा है कि इस वर्ष रबी की फसल अच्छी होगी। फिर भी, हमें अनाज के सभी उपलब्ध साधनों को होशियारी से काम में लाना चाहिए और अपव्यय से बचना चाहिए।

गेहूं और चावल के अधिशेष को लेकर थोक व्यापारियों को इन चीजों के व्यापार से अलग करके, और जनता, विशेषकर अभावग्रस्त क्षेत्रों और अधिक जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत बनाकर, खाने की चीजों की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकता है और आम जनता के हितों की रक्षा की जा सकती है। जब मंडियों में गेहूं की अगली फसल आने का समय होगा तब उसका थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी। बाद में चावल का थोक व्यापार भी सरकार ले लेगी। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिशेष और कमी वाले, दोनों प्रकार के राज्यों को पूरा सहयोग देना होगा।

उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता, प्राथमिकताओं की पूर्ति और उपेक्षित क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऋण नीति द्वारा नियंत्रण जरूरी है। सरकार ने इस वर्ष बाजार से ऋण लेने का कार्यक्रम अपनाया था उसका मकसद भी यही था कि वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की बेशी नकदी खपाई जा सके।

1972 में, वर्ष 1970 और 1971 के औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षाकृत धीमी गति में तेजी आई और उत्पादन 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। यदि देश के अधिकांश भागों में बिजली की कमी न होती तो उत्पादन और अधिक होता। सरकार बिजली पैदा करने, उसके संचार और वितरण में सुधार लाने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय कर रही है।

हाल ही में सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की उत्पादन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एकाधिकार और आर्थिक शक्ति के एकत्रीकरण को कम करने के उद्देश्य से अपनी औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में कुछ स्पष्टीकरण किया है। कई ऐसे उपायों की घोषणा की गई है जिनसे निवेश (इन्वेस्टमेंट) को व्यापक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। लाइसेंसों, पूंजीगत माल (कैपीटल गुड्स) औद्योगिक वित्तदाता संस्थाओं से वित्तीय सहायता, कम्पनियों और पूंजी निकासन की अर्जियों की बढ़ती हुई संख्या और उनकी स्वीकृति से पता चलता है कि औद्योगिक कार्यकलाप में तेजी आ रही है। सरकार भी इस बात पर बल दे रही है कि जो औद्योगिक लाइसेंस पहले मिल चुके हैं उन पर जल्दी कार्यवाही हो और इसमें तेजी लाने के व्यावहारिक उपाय कर रही है।

अव्यवस्था और अधिशेष पूंजी को फिर से न लगा पाने और संयंत्रों के आधुनिकीकरण न कर सकने के कारण कुछ टेक्सटाइल और इंजीनियरी यूनिट या तो बंद पड़े हैं या भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार ऐसी यूनिटों की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। उत्पादन और रोजगार की सुविधा को बढ़ाने के लिए ऐसी कई यूनिटों का प्रबन्ध इस वर्ष सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के फिर से स्थापित होने पर, 16-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक स्थिति तेजी से सुधर रही है।

समाजवाद की ओर हमारी सतत प्रगति में, आर्थिक क्रियाकलाप का एक व्यापक भाग, सार्वजनिक स्वामित्व और प्रबंध के अंतर्गत आ गया है। इसमें परिवहन और

संचार का एक बड़ा भाग, बिजली, कोयला, इस्पात, भारी इन्जीनियरी, बैंकिंग, बीमा और बाह्य तथा आंतरिक व्यापार के महत्वपूर्ण अंश शामिल हैं। सरकार द्वारा प्रभावशाली कदम उठाए जाने के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों में निश्चय ही सुधार हुआ है। वास्तव में इन सभी क्षेत्रों में उत्पादन तथा जन-सेवा का भाव प्रबंधक तथा श्रमिकों की कार्यनिष्ठा तथा सहभागिता की भावना पर निर्भर है। आजकल के संदर्भ में, प्रबंधकों और श्रमिकों दोनों को ही अपनी भूमिका के संबंध में पारम्परिक धारणा छोड़नी होगी। प्रबंधकों को नई मनोवृत्तियां अपनाकर श्रमिकों को जन-सेवक समझना होगा। श्रमिकों ने सदा समाजवादी परिवर्तन लाने में अगुआ होने की ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्हें अब देखना होगा कि हमारे सार्वजनिक उद्यमों को पूरी तरह सफल बनाकर उन्हें जन-सेवा का आदर्श बनाने में ट्रेड यूनियन की आपसी होड़ कोई बाधा न डाल पाये। जहां तक सरकार का प्रश्न है, वह यह मानती है कि आर्थिक प्रक्रिया में श्रमिकों का विशिष्ट स्थान है। सरकार का हमेशा यह प्रयत्न होगा कि श्रमिकों के न्यायसंगत अधिकारों की रक्षा हो। मैं श्रमिकों से, विशेष रूप से मुख्य उद्योगों और क्षेत्रों में काम करने वालों से, अपील करता हूं कि देश के हितों को सर्वोपरि मानें और बहुत बड़ी संख्या में कम वेतन वाले बेरोजगार लोगों की स्थिति को अपने ध्यान से न हटाएं।

निर्बाध उत्पादन, उत्पादकता की वृद्धि, प्रबंध और मजदूरी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के विभिन्न पहलुओं पर ट्रेड यूनियनों में सामंजस्य लाने का सरकार प्रयास करती रहेगी।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य में सुधार लाने के तरीकों पर विचार कर रही है। इनमें से कुछ का पुनर्गठन होल्डिंग कम्पनी के रूप में करने की आवश्यकता होगी जिसमें वास्तविक सार्वजनिक उत्तरदायित्व और औद्योगिक साहसिकता और क्षमता का मिलन हो। इस्पात उद्योग को इन नए तरीकों पर पुनर्गठित करने के लिए 'स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड', की स्थापना की गई है। प्रबंध कार्य तथा सामान्य प्रशासनिक क्रियाविधियों में और सुधार लाने के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र को स्वीकार कर लिया है। इस प्रलेख से उस प्रयास का संकेत मिलता है जो स्वावलम्बन प्राप्त करने और गरीबी हटाने के दोनों लक्ष्यों को उचित समय में पूरा करने के लिए आवश्यक होगा। पंचवर्षीय योजना में कई कार्यक्रमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है, जैसे न्यूनतम आवश्यकता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, रोजगार संबंधी कार्यक्रम, पिछड़े वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल देना, तथा जन-साधारण द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले माल के अधिक उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन के ढांचे का पुनर्गठन करना। गरीबी की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। यह दृष्टिकोण-पत्र सरकार के इस विश्वास पर आधारित है कि विकास और सामाजिक न्याय का अविच्छिन्न संबंध है। सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि विकास अर्थपूर्ण हो और विकास के लिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय दीर्घकालीन और स्थायी हो। कोरे विकास से अधिक महत्वपूर्ण है विकास की श्रेष्ठता और उसका अर्थतत्व।

पंचवर्षीय योजना को जो नई दिशा दी गई है और इसके लक्ष्य की विशालता हमारी जनता के सभी वर्गों से महान् प्रयास की अपेक्षा रखती है। बाहरी खतरों का सामना करते समय हमने जो एकता, मनोबल और विश्वास दर्शाया था, हमें उन पर देश के आर्थिक और सामाजिक पुनर्गठन के कार्य में दृढ़तापूर्वक जमे रहना है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता इस चुनौती को स्वीकार करेगी। हमारे गणराज्य की इस पांचवीं संसद को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह इस पंचवर्षीय योजना को आकार प्रदान करके आर्थिक स्वराज्य की दिशा में एक नया मोड़ देगी।

पिछले दो-तीन वर्षों से ग्रामीण जनता के हित के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं—कृषकों के लिए छोटे और व्यावहारिक कार्यक्रम, ग्राम-रोजगार का कार्यक्रम, सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों का कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था तथा आहार-पुष्टि संबंधी कार्यक्रम। 5,00,000 शिक्षित लोगों को रोजगार देने का एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया है। भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास-स्थान की व्यवस्था, ग्राम-रोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और बिजली पहुंचाने की स्कीमों में और गति लाई जाएगी। भूमि-सुधार के कार्य को पूरा करने में तेजी लाई जाएगी।

साथ ही साथ, पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारंभिक कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। प्रयत्न यह है कि दाल, तिलहन, गन्ना और कपास का उत्पादन बढ़े, सिंचाई परियोजनाओं में तेजी आए, बिजली घरों के काम में सुधार हो और नए बिजली घर जो प्रायः बन चुके हैं, जल्दी काम करने लगें। इस्पात तथा रसायनिक खादों के उत्पादन में भी वृद्धि की जा रही है।

सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास दोनों में शिक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा के नव-निर्माण और विकास के लिए कदम उठाएगी।

एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना तैयार की जा रही है जो आर्थिक योजना का एक अभिन्न अंग होगी। इससे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को स्वावलंबन और आर्थिक विकास के लिए अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम में ला सकेंगे। पर साथ ही ऐसे कदम भी उठाने होंगे जिससे प्राकृतिक परिवेश की स्वच्छता की रक्षा हो सके।

बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोगों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक नए अंतरिक्ष विभाग व अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई है।

आंध्र प्रदेश की हाल की घटनाओं से सरकार को काफी चिंता हुई है। इस समस्या का एक लम्बा इतिहास है। हमें इस बात की काफी चिंता है कि इस समस्या को सुलझाने में हिंसा का आश्रय लिया जा रहा है। इस प्रकार की हिंसा से हमारे आधारभूत मूल्यों को आघात पहुंचता है। इससे जान-माल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जिन्होंने नुकसान उठाया है उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका शांति से विचार-विमर्श करके तर्कसंगत हल न निकाला जा सके। सरकार

अपनी जनता के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना चाहती है। मैं आंध्र प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं कि वे एक शांतिपूर्ण हल ढूंढ़ निकालने में सरकार का पूरा साथ दें।

अब मैं पास और दूर के पड़ोसियों से अपने संबंधों की चर्चा करूंगा। हमारी इच्छा रही है कि पाकिस्तान के साथ आपसी हित के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हों। हमने स्थायी शांति की राह पर पहले कदम के रूप में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इस बात पर बल देता है कि हम दोनों अपने मतभेद किसी बाहरी एजेंसी या तीसरे पक्ष को लाए बिना आपसी विचार-विमर्श और शांतिपूर्ण तरीकों से दूर करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत और पाकिस्तान ने आपसी बातचीत द्वारा ही जम्मू और कश्मीर में, एक ऐसी नियंत्रण रेखा बनाई है जिसका दोनों पक्षों को आदर करना है। इसी प्रकार दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सेनाएं हटा ली हैं इस प्रकार भारत ने पांच हजार नौ सौ वर्ग मील से अधिक पाकिस्तानी भूमि छोड़ी। पाकिस्तान के प्रति भारत के मित्रतापूर्ण रवैये का ठोस प्रमाण इसी से मिल जाना चाहिए।

पश्चिमी क्षेत्रों के युद्धबंदी अपने-अपने देश को लौटा दिए गए हैं। जहां तक पूर्वी क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त कमान के आत्म-समर्पण करने वाले युद्धबंदियों का प्रश्न है, यह आशा की जाती है कि पाकिस्तान ऐसे कदम उठाएगा कि इस युद्ध से संबंधित तीनों देश इस प्रश्न पर बातचीत कर सकें। शिमला समझौते से न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार हो सकता है और उनको सामान्य किया जा सकता है, बल्कि सम्पूर्ण उप-महाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना भी हो सकती है। इससे इस उप-महाद्वीप के देश अपनी शक्ति तथा सीमित साधनों को अपनी जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के आवश्यक कार्य में तेजी लाने के लिए लगा सकेंगे।

मित्रता, सहयोग तथा शांति की ऐतिहासिक संधि और आपसी हित के विभिन्न मामलों से संबद्ध समझौते, बांग्लादेश के साथ हमारी मित्रता के प्रतीक हैं। बांग्लादेश ने मुक्ति-संग्राम में हुए विध्वंस से हुई क्षति को पूरा करने में अच्छी प्रगति की है। एक वर्ष के भीतर ही बांग्लादेश ने अपना संविधान बना लिया है और पहला आम चुनाव होने जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने इतनी कठिनाइयों के बावजूद राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक क्षतिपूर्ति के मार्ग पर इतनी तेजी से कदम बढ़ाया हो। हमें आशा है कि बांग्लादेश, जिसे 95 देश मान्यता दे चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में उचित स्थान ग्रहण करेगा। बांग्लादेश के साथ हमें भी इस बात की चिंता है कि उसके नागरिक पाकिस्तान में रोके रखे गए हैं। हम आशा करते हैं कि वे जल्द ही मुक्त कर दिए जायेंगे।

नेपाल के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध और सहयोग बराबर बढ़ रहे हैं। अप्रैल-मई, 1972 में हमें नेपाल के प्रधानमंत्री, सम्माननीय श्री कीर्तिनिधि बिष्ट का अपने देश में स्वागत करने का सुअवसर मिला। हमारी प्रधानमंत्री ने इस महीने के आरम्भ में नेपाल की यात्रा की जिसके दौरान महत्वपूर्ण विचार-विनिमय हुए। इन यात्राओं से दोनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे निकट के मित्रतापूर्ण और आपसी हित के संबंधों को और मजबूत होने में सहायता मिली।

महामहिम जिग्मे दोरजी वागंचुक के निधन से भूटान ने एक महान राजनीतिज्ञ और भारत ने एक परमप्रिय मित्र खो दिया। नैरोबी में उनकी मृत्यु के समाचार से भारत में गहरा शोक हुआ। नये नरेश महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक को हमारा पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। हमें विश्वास है कि उनके शासन-काल में भूटान और भारत के बीच निकट मित्रता के संबंध और भी सुदृढ़ होंगे।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वियतनाम में बहुत लम्बे अर्से के बाद शांति समझौता हो गया है। वह भयंकर युद्ध, जिसने पूरी एक पीढ़ी को तबाह किया, और जिससे लोगों को बहुत कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा, समाप्त हो गया है। हम आशा करते हैं कि इस युद्धविराम के बाद स्थायी शांति आयेगी और वियतनाम की जनता पुनर्निर्माण के कार्य में लग सकेगी। हम यह भी आशा करते हैं कि इसके पड़ोसी राज्य लाओस और कम्बोडिया में शांति और व्यवस्था कायम होगी।

हमने सभी देशों के साथ मित्रता, आपसी समझ-बूझ और सहयोग के संबंध मजबूत किए हैं। यह संतोष की बात है कि इनमें से कई देशों के साथ हमारा व्यापार भी बढ़ा। सोवियत संघ के साथ अपने निकट संबंधों की महत्ता हम समझते हैं और उन्हें हम सुदृढ़ करते रहेंगे।

यह हमारी तीव्र इच्छा है कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझ-बूझ और सहयोग बढ़े।

युनाइटेड किंग्डम, डेनमार्क और आयरलैंड के प्रवेश के बाद, विशाल यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में एक नये पश्चिमी यूरोप का प्रकट होना एक महान घटना है। हमारी आशा है कि यह विशाल यूरोपीय समुदाय अपने में ही सीमित न रह कर अपनी दृष्टि बाहर भी फैलाएगा और विकासशील देशों की समस्याओं के प्रति सहायक रवैया अपनाएगा।

हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में ऐसी सभी गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जिनसे तनाव में कमी आई है। मेरी सरकार चीन के साथ संबंध सामान्य बनाना चाहेगी। हमारे विचार से संयुक्त राज्य अमरीका और चीन, जापान और चीन और उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के बीच मेल-मिलाप बढ़ाने के प्रयत्न तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यूरोप में जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा वर्तमान सीमाओं को मान लेने से जर्मन संघीय गणराज्य और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच, विशेष रूप से और यूरोपीय राज्यों के बीच सामान्य रूप से, तनाव में कमी हुई है।

रोडेशिया का जाम्बिया के साथ अपनी सीमा बंद करने और जाम्बिया के सभी आयात और निर्यात का आना-जाना रोक देने से जांबिया की जनता में जो दु:ख और रोष स्वाभाविक था उसके प्रति हमारी सहानुभूति थी। हमने जाम्बिया सरकार से उस देश को यथायोग्य सहायता देने की बात की है। हमें खेद है कि रोडेशियाई कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के कारण, पिछले महीने डॉ. केनेथ कौण्डा भारत की राजकीय यात्रा पर नहीं आ सके।

युगाण्डा से एशियाइयों का निष्कासन, सरकार के लिए भारी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे भारतीय मूल के ऐसे कई हजार लोग बेघर हुए जिन्होंने युगाण्डा को अपना घर बनाया था और इसके विकास में योगदान दिया था। मैंने इथोपिया, तनज़ानिया और जाम्बिया की अपनी यात्रा में पाया कि इससे उन अफ्रीकी देशों के, जो आर्थिक विकास, जातीय समानता और सहिष्णुता के लिए प्रयत्नशील हैं, उदार विचारों वाले समुदायों को काफी हैरानी हुई है। उपनिवेशवाद, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में हम अफ्रीकी जनता के साथ हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अफ्रीकी देशों के साथ हमारा तकनीकी और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।

हमें खेद है कि अरब क्षेत्रों पर इज़राइली आधिपत्य से उत्पन्न समस्या के समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस नाजुक मामले पर हमारा रवैया उन सिद्धांतों पर आधारित है जिनका हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के पिछले प्रस्ताव में फिर से समर्थन किया है, जिसमें इज़राइल से यह कहा गया है कि वह इन क्षेत्रों से हट जाए।

माननीय सदस्यगण, हमारी आंतरिक और बाहरी नीतियों के औचित्य तथा हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्थाओं और हमारी जनता की आधारभूत जीवन शक्ति कई बार सिद्ध हो चुकी है, जब-जब देश को गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ा है। मुझे विश्वास है कि हमारी वर्तमान कठिनाइयां अस्थायी हैं और हम इनका सफलतापूर्वक सामना कर अधिक संगठित और अनुशासित बनेंगे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें स्पष्ट दृष्टि और एक ही लक्ष्य से काम करना है।

आप इस वर्तमान अधिवेशन में अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों तथा विधायी कार्य पर विचार करेंगे। सरकार संसद के समक्ष कोयला खान (प्रबंध अधिग्रहण) अध्यादेश, 1973 के स्थान पर एक विधेयक पेश करेगी। सरकार संसद के समक्ष एक व्यापक कर नियम (संशोधन) विधेयक भी पेश करना चाहती है। इसके अतिरिक्त, विदेशी अंशदानों को नियमित करने के लिए कानून बनाना, छोटे और मध्यम समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक समाचारपत्र वित्त निगम की स्थापना करने का विधेयक तथा चुनाव कानून, सिनेमैटोग्राफी अधिनियम तथा दिल्ली विकास अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक संसद में पेश किए जायेंगे।

सम्माननीय सदस्यगण! अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं नए प्रयासों के लिए आपका आह्वान करता हूं।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 फरवरी 1974

लोक सभा	-	पांचवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री गोपाल स्वरुप पाठक
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

आपका सत्र इस बार कठिनाई और परीक्षा की घड़ी में आरम्भ हो रहा है। कीमतें बढ़ने, आवश्यक वस्तुओं की कमी और हड़ताल, बंद व असंतोष जिसने देश के कुछ भागों में हिंसात्मक रूप ले लिया है और जिससे उत्पादन व वितरण में रुकावटें हुई हैं, के कारण जनसाधारण को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय तेल संकट का हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इन अप्रत्याशित घटनाओं से हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास की गति निश्चय ही धीमी पड़ी है। इस स्थिति में लोगों की चिन्तित मनोदशा स्वाभाविक है। मुझे उन लोगों, विशेष रूप से निर्धन वर्ग वालों से जिन्हें कष्ट उठाना पड़ा है, गहरी सहानुभूति है। शायद ही कभी किसी देश के सामने लगातार एक के बाद एक इतनी बड़ी समस्याएं आई होंगी, जितनी कि पिछले तीन वर्षों में हमारे सामने आई हैं। यह राष्ट्र की हिम्मत की निरन्तर परीक्षा का समय रहा है। राष्ट्र ने इन कठिनाइयों का सामना करते हुए विकास के मूल प्रयत्नों में रुकावटें नहीं आने दी हैं। इस उपलब्धि को नज़र-अन्दाज़ नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि कठिन समय में रचनात्मक पक्षों पर हमारा ध्यान नहीं जाता।

कुछ अच्छी घटनाएं भी घटी हैं। उनमें से एक यह है कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपने अन्तर्प्रदेशीय तनाव की समस्या का हल निकाल लिया है। एक साल पहले इस समस्या का समाधान असंभव सा लगता था। मैं इस राज्य के सभी वर्गों के लोगों को उनकी बुद्धिमानी और मेल-मिलाप की भावना के लिए बधाई देता हूं। छह सूत्री फार्मूले से इस राज्य के पूर्ण एकीकरण में सहायता मिलेगी और यहां के पिछड़े इलाकों का तेजी से विकास होगा।

आर्थिक क्षेत्र में दो आशाजनक प्रवृत्तियां देखने को मिली हैं—निर्यात आय में वृद्धि हुई है और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कामों में सुधार हुआ है। लगभग दो साल पहले तक, हमारे निर्यात का धीमा विकास चिन्ता का कारण था, लेकिन 1972–73 से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इस साल हमारे निर्यात में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1973–74 के पहले आठ महीनों में कई प्रकार के प्रतिबंधों के बावजूद, निर्यात में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें विश्वास है कि और ज्यादा राष्ट्रीय प्रयास से निर्यात काफी बढ़ाए जा सकते हैं।

इसी प्रकार करीब दो साल पहले हमारे सार्वजनिक उद्यमों में लगातार घाटा चिन्ताजनक था। यह संतोष की बात है कि सरकार के प्रयत्नों के कारण हमारे केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने कुल मिलाकर अपने उत्पादन में वृद्धि की है और 1972–73 में पहली बार मुनाफा कमाया है। इस साल स्थिति और अच्छी होने की आशा है। सामान्य रूप से क्षमता का उपयोग बढ़ेगा, कुछ यूनिटों में मुनाफा ज्यादा होने की आशा है और दूसरे यूनिटों के घाटे में भारी कमी होगी।

बढ़ती हुई कीमतें और खाद्यान्नों की कमी, विशेषकर अभावग्रस्त राज्यों में, जनसाधारण और सरकार के लिए चिन्ता का मुख्य विषय है। आशा थी कि 1973 की खरीफ की अच्छी फसल से कीमतों में स्थिरता आने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक कारण आंतरिक मुद्रास्फीति है। साथ ही, योजना कार्यक्रमों की लागत और सुरक्षा की जरूरतों पर व्यय को बिना कम किए पहले की अपेक्षा सूखाग्रस्त इलाकों में लोगों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम और सहायता की व्यवस्था करने के कारण सरकार के घाटे की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जरूरी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट का भी हमारे देश पर असर पड़ा है। दुनिया के विभिन्न भागों में राष्ट्रों के बीच तनाव कम करने की दिशा में किए गए उपायों से विकासशील देशों की तेज प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण की आशा हुई थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति से नई और जटिल समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट और फिर कई वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि से भारत जैसे गरीब देशों पर दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक असर पड़ा है। पिछले कुछ महीनों में लगभग उन सभी चीजों के दाम दो–चार गुना बढ़ गए हैं, जिन्हें हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, जबकि हमारे अपने निर्यात की चीजों के दामों में यदि वृद्धि हुई भी है तो केवल नाममात्र की।

इन घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति, जमाखोरी, अनैतिक व्यापारियों की सट्टेबाजी तथा प्रबंधकों की भूलों और संगठित वर्गों और गुमराह लोगों से उत्पादन, संचालन और वितरण में जो रुकावटें हुई हैं उनसे और भी बिगड़ गई है। उत्पादकों तथा समृद्ध उपभोक्ताओं द्वारा स्टॉक भी जमा किये जा रहे हैं। हमारी जनता के इन सभी वर्गों को यह समझना चाहिये कि यदि हमारे राष्ट्र का ही अस्तित्व न रहा तो हम सब कहां रहेंगे? हिंसा और बंद से स्थिति बिगड़ती ही है; और सबसे अधिक कष्ट होता है गरीब

समुदाय को। जमाखोरी तथा उत्पादन, संचालन और वितरण में रोड़ा अटकाने के प्रयासों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी।

अनाजों की पर्याप्त मात्रा में वसूली से ही कमी वाले इलाकों तथा समाज के अत्यधिक कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक प्रणाली से वितरण व्यवस्था कायम रखी जा सकती है। उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने इस वर्ष खरीफ अनाजों की वसूली कीमतों में काफी वृद्धि की। हालांकि कई राज्यों में चावल की वसूली संतोषजनक है, यह दुर्भाग्य की बात है कि मोटे अनाजों की वसूली तेजी से नहीं हो रही है। खरीफ की वसूली अभी कई महीनों तक चलेगी। सरकार ने विस्तार से एक-एक राज्य की स्थिति का अध्ययन किया है और राज्य सरकार द्वारा जो उपाय किए जाने हैं उनके बारे में उन्हें सलाह दी है। आगामी रबी की वसूली और वितरण में सुधार लाने के लिए इस साल के अनुभवों को पूर्णरूप से ध्यान में रखा जाएगा। मैं राज्य सरकारों से यह बात विशेषरूप से कहना चाहूंगा कि वसूली लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को भली-भांति समझना चाहिए कि जिस मात्रा में राज्य सरकारें अनाज की वसूली करके उसे मुहैया कराती हैं, केन्द्रीय सरकार इसी के अनुसार उसका वितरण कर सकती है। इसलिए सभी राज्य सरकारों को, चाहे वे बेशी वाले राज्य हों या कमी वाले (जहां बेशी वाले क्षेत्र भी हैं), इस मामले को और जमाखोरी तथा तस्करी रोकने पर सर्वाधिक महत्व देना चाहिये।

विश्व मानकों को देखते हुए हमारा तेल का खर्च बहुत कम है। फिर भी, कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों से हमें एक साल में आठ सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ विदेशी मुद्रा में उठाना पड़ेगा। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अभूतपूर्व चुनौती है।

तेल उत्पादक देशों की इस चिन्ता को हम समझ सकते हैं कि उनके रिजर्व समाप्त न हो जायें। साथ ही, हम यह भी समझते हैं कि वे अपने तेल के निर्यात से प्राप्त राजस्व से अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता और मजबूती लाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार के क्षेत्र में, जिस पर अब तक तेल कम्पनियों का नियंत्रण था, वे स्वयं महत्वपूर्ण भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम उनका समर्थन करते हैं। तेल निर्यात करने वाले देशों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर तेल की बढ़ी कीमतों का जो असर पड़ा है उसे पश्चिम एशिया के मित्र देश समझते हैं। हमें इस बात का सुनिश्चय करने के उपाय करने हैं कि इन देशों की यह भावना ठोस रूप में परिणत हो सके। हम तेल उत्पादक देशों के साथ निकट संपर्क बनाए हुए हैं और हमें आशा है कि पारस्परिक प्रबंधों द्वारा हम उचित हल निकाल लेंगे।

हमारे पास कोयले के संतोषजनक रिजर्व हैं और जलविद्युत शक्ति की विशाल क्षमता है। हमारे पास न्यूक्लीय विद्युत उत्पादन के लिए उपकरण हैं। हमें आशा है कि

तेल खोज करने के हमारे प्रयास सफल होंगे। थोड़ा समय और जरूरी संसाधन मिलने पर हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका विकास करने में समर्थ होंगे। लेकिन बीच का समय कठिन होगा जिसमें एक ओर तो हमें पूर्ण अनुशासित ढंग से प्रयास करने होंगे और दूसरी ओर हमारे मित्र देशों को हमारी कठिनाइयों से सहानुभूति रखनी होगी।

सरकार ऊर्जा के अपने देशी स्रोतों का विकास करने तथा निर्यात से अपनी आय बढ़ाने का जोरदार प्रयास कर रही है। इस प्रयास की सफलता के लिए जरूरी है कि ऊर्जा के अपने स्रोतों तथा निर्यात करने की दृष्टि से स्थापित उद्योगों से ज्यादा और अच्छा उत्पादन हो, तेल से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल हो और निर्यात की जाने वाली चीजों के घरेलू उपयोग पर नियंत्रण रखा जाए। मैं जनता के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के साथ पूरा सहयोग दें।

समुद्री तट पर और उससे दूर तेल की खोज तेजी से की जाएगी। तट से दूर एक स्थान पर तेल की खोज शुरू हो गई है तथा इस काम में और तेजी लाई जाएगी। हमने ईरान में कच्चे तेल के उत्पादन के लिए पहले ही संयुक्त प्रयास शुरू कर दिया है। इराक में तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन ने संभावित क्षेत्रों में तेल खोजने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी जगहों पर भी इस प्रकार के काम विचाराधीन हैं।

बिजली पैदा करने की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान यूनिटों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा उन परियोजनाओं को शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनका निर्माण काफी हद तक हो चुका है। इससे बिजली की उपलब्धि में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बहुत सी परियोजनाओं पर काम शुरू करके उन्हें पूरा किया जाएगा। इन परियोजनाओं को आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है। विभिन्न थर्मल प्लान्टों के लिए उन कोयला क्षेत्रों को, जहां से कोयला पहुंचाना है, निर्धारित करके विशेष परियोजनाओं के साथ संबंधित कर दिया गया है। कोयला क्षेत्रों, परिवहन और विद्युत संयंत्रों के समन्वित विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। इस विशाल कार्यक्रम के लिए विद्युत उद्योग का पुनर्गठन जरूरी है।

आर्थिक विकास के निर्धारित लक्ष्यों को तेल की बढ़ी कीमतों से अलग रखने के हमारे प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जबकि कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाए और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की अच्छी सुविधा हो। खान और रेल विभाग को विभिन्न जरूरतमंद स्थानों पर कोयला पहुंचाने के लिए कटिबद्ध होना होगा। राज्य सरकारें अपनी ओर से इस बात का प्रबंध करें कि बिजली तथा सड़कों जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। प्रबंधकों तथा खान और रेलवे में काम करने वाले पन्द्रह लाख श्रमिकों पर एक भारी जिम्मेदारी है। उनके सहयोग से 1974-75 में कोयले का

उत्पादन कम से कम 900 लाख टन तक पहुंच जायेगा और उद्योगों को सुचारु रूप से चलाए रखने के लिए कोयला मिलता रहेगा।

वर्तमान स्थिति में, जनता के प्रति हमारी यह जिम्मेदारी है कि उत्पादन को, विशेषकर अनिवार्य क्षेत्रों में, बनाए रखा जाये। हाल के महीनों में श्रमिकों को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इनके बावजूद, हमारे श्रमिक, जिनकी देशभक्ति की गर्वपूर्ण परम्परा है, यह अच्छी तरह जानते हैं कि स्थिति तभी सुधर सकती है जब कि उत्पादन संबंधी सामाजिक कार्य विशाल राष्ट्रीय संदर्श में देखे जाएं। इसलिए श्रमिकों को भरसक प्रयत्न करना है कि उत्पादन बढ़े, संचालन की गति तेज हो और उसमें किसी प्रकार की रुकावट न आए। यही एक रास्ता है जिससे वह जनसाधारण को अभाव से छुटकारा दिलाने में योगदान दे सकते हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में खाद्य और ईंधन की समस्याओं का सामना करने का आधार और कार्यक्रम निहित है। कृषि क्षेत्र की नीति नई तकनीक को लागू करने और उत्पादन के आधार को विस्तार करने पर खड़ी की गई है। इसमें एक ओर सिंचाई के अग्रणी तथा सीमांत क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों पर बल दिया गया है और दूसरी ओर छोटे किसानों के कार्यक्रमों पर। परिणामतः उत्पादन वृद्धि का वितरण विभिन्न क्षेत्रों और जनता के विभिन्न वर्गों में अधिक व्यापक हो सकेगा। यह योजना बिजली, कोयले, तेल, परिवहन तथा रासायनिक खाद जैसे उद्योगों को विशेष महत्व देती है, जो कृषि के प्राणाधार हैं। कई क्षेत्र में योजना के अधिकांश उत्पादन लक्ष्य इस धारणा पर आधारित हैं कि वर्तमान क्षमताओं का पूरा और अधिक कुशलता से उपयोग होगा। नये निवेश की तरह यह भी योजना का एक अंग है।

पहली बार पिछड़े क्षेत्रों, जिनमें पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं, के विकास के लिए राज्य की योजना के सम्पूर्ण ढांचे में संगठित उप-योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिससे हमारी जनता के सभी वर्गों के लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी, आवास, गन्दी बस्तियों की सफाई, ग्रामीण सड़कों तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था हो सके और सामाजिक उपभोग के न्यूनतम स्तर तक वे पहुंच सकें। क्षेत्रीय स्तर पर, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, आहार, शिक्षा और समाज कल्याण के अंतर्गत सेवाएं संगठित करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता का यह एक माप है कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, इस महीने इसकी जनता का पांचवा हिस्सा राज्य विधान सभाओं के चुनाव में वोट डाल रहा है। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वे इन चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न करायें। हमें इस संबंध में अपने रिकॉर्ड पर गर्व है, क्योंकि स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव स्थायी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सफल लोकतंत्र केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि चुनने की स्वतंत्रता हो, बल्कि इस बात पर

भी कि सबको यह विश्वास हो कि आपसी मतभेद के बावजूद, सत्तारूढ़ और विरोधी दलों के लिए एक आधारभूत आचार संहिता का पालन करना जरूरी है जिसमें कि किसी भी रूप में हिंसा और गैर-संवैधानिक तरीकों का कोई स्थान न हो।

इस महीने के शुरू में गुजरात में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। सभी नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि ऐसा वातावरण स्थापित करने में मदद करें जिसमें आत्मसंयम और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा मिले ताकि लोगों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।

समीक्षाधीन वर्ष में, हमने विदेश नीति पर प्रभावशाली ढंग से कार्य किया और हमें कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं मिलीं। हमारे पड़ोसी देशों, विशेषरूप से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा* तथा अफगानिस्तान के साथ शांति, मित्रता और आपसी हित के सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

1971 की लड़ाई के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में फंसे लोगों की मानवीय समस्या, भारत और बांग्लादेश द्वारा की गई ऐतिहासिक पहल के परिणामस्वरूप संतोषजनक रूप से सुलझाई जा रही है। पिछले सितम्बर में तीनों देशों में देश प्रत्यावर्तन का काम साथ-साथ शुरू हुआ और इस साल के मध्य से पहले यह काम पूरा हो जाने की आशा है। मेरी सरकार शिमला समझौते के बाकी मुद्दों को लागू करने के लिए पाकिस्तान के साथ विचार-विमर्श के लिए तैयार है। हमें पूरी आशा है कि पाकिस्तान सरकार भी यही चाहती है।

बांग्लादेश के साथ आपसी हित के सभी मामलों पर हमारी निरंतर बातचीत होती रहती है। दोनों देशों की सरकारों ने मित्रतापूर्ण संबंध और वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए ठोस प्रयत्न किए हैं।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश की प्रधान मंत्री और श्रीलंका की प्रधानमंत्री की एक दूसरे देश की यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और सहयोग बढ़े हैं। श्रीलंका में सभी भारतीय मूल के लोगों की स्थिति की समस्या का हल अंतिम रूप से निकाल लिया गया है और अन्य प्रश्नों को सुलझाने की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है।

हमारी प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा और नेपाल नरेश तथा महारानी की भारत यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच निकट संबंध की प्रतीक है। यह संबंध पारस्परिक विश्वास और समान हितों पर आधारित हैं। हम नेपाल सरकार की इस बात की बहुत सराहना करते हैं कि उन्होंने अपनी जनता के आर्थिक और सामाजिक हितों के लिए काम करने का संकल्प किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि नेपाल सरकार की इच्छानुसार हम इस काम में हिस्सा ले रहे हैं।

---

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

अफगानिस्तान के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग से और बढ़ रहे हैं तथा मजबूत हो रहे हैं। अफगानिस्तान में ऐसी कई परियोजनाएं हैं, जिनमें हम अपने तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत हिस्सा लेने में समर्थ होंगे।

मार्च, 1973 में, अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान, मैंने इन्डोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, थाईलैंड और सिंगापुर की नवम्बर, 1971 की घोषणा का समर्थन किया था। मैंने उस अवसर पर कहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया शांति और तटस्थता का क्षेत्र रहना चाहिए। इस क्षेत्र के अन्य देशों से हमने हमेशा यह आग्रह किया है कि हिन्द महासागर बड़े देशों के सैनिक अड्डों से मुक्त रहकर शांति का क्षेत्र रहे। इस बात पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा और पिछले साल अल्जीयर्स में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में बल दिया गया है। इसलिए हमारे लिए यह गहरी चिन्ता और असंतोष का विषय है कि युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका ने हिन्द महासागर के डीगो गार्सिया द्वीप में एक सैनिक अड्डा बनाने पर समझौता किया है। हमारा विचार है कि सैनिक अड्डा कायम करना शांति के हितों के विरुद्ध है। अतः हमारी पूरी आशा है कि इस क्षेत्र के लोगों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की इच्छा इस मामले में सर्वोपरि होगी।

हम पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं। विकासशील देशों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक आदान-प्रदान की भूमिका में हम इन संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इराक गणराज्य के साथ समझौता किया है जिसमें इस प्रकार के सहयोग के कई क्षेत्र शामिल हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान निकालने में इराक ने जो अनुकूल रवैया अपनाया वह भारत और इराक के बीच बढ़ती मित्रता का परिचायक है।

हमारा विचार है कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती, जब तक सभी अधिकृत क्षेत्रों से इजराइली सेना नहीं हटा ली जाती, और फिलिस्तीन में अरब जनता को फिर से अधिकार दिलाने की बात तो सर्वविदित है। हाल ही में, कुछ अच्छी घटनायें घटी हैं और हमें आशा है कि पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन से इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता कायम होगी।

हाल ही में, ईरान और हमारे बीच उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि-मण्डल की यात्राओं से हम दोनों देश एक दूसरे की नीतियों को अधिक अच्छी तरह समझ सके हैं। आपसी हित और सहयोग के अनेक नये मार्ग प्रकट हुए हैं जिनपर सरकार निष्ठा के साथ अग्रसर होगी।

सोवियत संघ के महासचिव श्री ब्रेझनेव नवम्बर, 1973 में भारत की यात्रा पर आए। हमें उनके साथ विचार-विनिमय करने का मौका मिला और हमने समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनसे हमारे संबंधों में एक और नया अध्याय जुड़ा है। इन समझौतों से

दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को दीर्घकालीन आधार मिला है। हमें सन्तोष है कि भारत–सोवियत मित्रता और सुदृढ़ हुई है तथा इनके बीच सहयोग के नये आयाम प्रकट हुए हैं।

जून, 1973 में प्रधानमंत्री ने युगोस्लाविया की यात्रा की। अक्तूबर, 1973 में, मैंने रूमानिया और चेकोस्लोवाकिया की यात्रा की। इस साल के अंत में हमने चेकोस्लोवाकिया के महासचिव डॉ. गुस्ताव हुसाक का स्वागत किया और चेकोस्लोवाकिया के साथ आर्थिक सहयोग पर एक समझौता हुआ। पिछले महीने राष्ट्रपति टीटो की यात्रा से गुटनिरपेक्ष देशों पर असर पड़ने वाली हाल की घटनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक विचार–विनिमय करने का एक और मौका मिला।

हमारी और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों की ओर से समानता और आपसी हित के आधार पर संबंध मजबूत करने के सचेत प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारत में संयुक्त राज्य के रुपए फण्ड के प्रश्न पर हाल ही में हुआ समझौता इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वाणिज्यिक समझौता संपन्न होना एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे, इस विशाल समुदाय के साथ हमारे संबंधों की अच्छी शुरुआत हुई है। हमें विश्वास है कि आगामी वर्षों में इस समुदाय और भारत के बीच व्यापारिक और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

राष्ट्रमण्डल के दो सदस्य देशों—ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड—के प्रधानमंत्रियों की यात्रा के दौरान विचार–विनिमय से विश्व के मामलों पर इन नेताओं के विवेकपूर्ण रवैये, शांति में आस्था और भारत तथा एशिया के अन्य देशों में बढ़ती हुई रुचि का पता चला। जून, 1973 में प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं।

अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध निकट और सहयोगपूर्ण हैं। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में तंजानिया की यात्रा की और जंजीबार में क्रांति की दसवीं वर्षगांठ में हिस्सा लिया। नये राज्य गिनी–विसाओं की स्थापना का हम स्वागत करते हैं, जो उपनिवेशवाद और जातिवाद के विरुद्ध अफ्रीकी जनता के संघर्ष में हमारे सुविदित समर्थन के अनुरूप है।

अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ निकट सहयोग, हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सितम्बर, 1973 में, प्रधानमंत्री ने अल्जीयर्स में गुटनिरपेक्ष देशों के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सहमति तथा सदस्य देशों का एक दूसरे के साथ ज्यादा सहयोग करने के संकल्प का परिचय दिया।

सम्माननीय सदस्यगण! विश्व के देशों में संबंधों के आधार और स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं और इसी प्रकार कई विचार भी, जिन्हें पिछले दो दशकों में महत्व दिया जा रहा है। फिर भी, यह सन्तोष का विषय है कि आजादी के बाद से अब तक हमारी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों को हमेशा समर्थन प्राप्त हुआ है।

इस अधिवेशन में आप अगले वित्तीय वर्ष के अनुदानों की मांगों, गत वर्ष के शेष तथा नये विधायी कार्यों पर विचार करेंगे। सरकार संसद के समक्ष खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी जिससे यह और भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। अन्य विधेयकों में से हैं: पांडिचेरी* और हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के विधेयक, संविधान की 9वीं अनुसूची में और संशोधन लाने का एक विधेयक, और कृषि पुनर्वित्त अधिनियम में संशोधन करने का एक विधेयक, जिससे क्षेत्र विकास निगमों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी जा सके।

सम्माननीय सदस्यगण! मैं 1974 के कठिन कार्यों के लिए आपका आह्वान करता हूं। राष्ट्र के सामने जो बड़ी चुनौती है उसे कृतसंकल्प जनता ही सुयोग के रूप में बदल सकती है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में, निष्ठा और रचनात्मक सहयोग की भावना से आप इस काम में उचित मार्गदर्शन देंगे और यह देश वर्तमान कठिनाइयों को पार करके अपने चुने हुए रास्ते पर और भी मजबूती से और अधिक संगठित होकर आगे कदम बढ़ायेगा।

*अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है।

डॉ. फखरूद्दीन अली अहमद

संसद के समक्ष अभिभाषण – 17 फरवरी 1975

लोक सभा	-	पांचवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. फख़रुद्दीन अली अहमद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री बी.डी. जत्ती
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अगले वर्ष फिर मेहनत और लगन के साथ राष्ट्र की सेवा करने का बुलावा देता हूं।

पिछले चार वर्षों में नागहानी और भारी चुनौतियों का हिम्मत से मुकाबला करने के बाद हम बड़े साहस के साथ यह वर्ष शुरू कर रहे हैं। लगातार बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए, 1974 में सरकार की सबसे बड़ी चिन्ता यह रही कि अर्थव्यवस्था को पायदार बनाया जाए। मुद्रा-स्फीति पर काबू पाने के लिए सरकार ने एक व्यापक नीति अपनाई और जुलाई, 1974 से इसे अमल में लाया गया।

अधिक से अधिक साधन जुटाने और गैर-योजना खर्च में कमी करने के अलावा, एक उचित मुद्रानीति के जरिये मुद्रा-प्रसार पर रोक लगाई गई। स्मगलिंग, जमाखोरी और टैक्स इवेजन जैसे आर्थिक अपराधों तथा कम मिलने वाली चीजों का नकली माल बनाने वालों के खिलाफ एक जोरदार मुहिम चलाई गई। डिविडैंड्स की आमदनी को सीमित करके और बढ़ाई गई, मजदूरी वेतन और महंगाई भत्ते के एक हिस्से को रोके रखकर कन्जयूमर खर्च को काबू में रखा गया। सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया गया और अनाज, जरूरी कच्चा माल और दूसरे सामान को काफी मात्रा में आयात करने का बन्दोबस्त किया गया। 1974-75 की सालाना योजना पर फिर से गौर किया गया और उत्पादन बढ़ाने की गर्ज़ से जरूरी क्षेत्रों में खर्च की जाने वाली

रकम को बढ़ाया गया। पावर प्लांट्स, रेल ट्रांसपोर्ट, कोयला उत्पादन, इस्पात प्लांट्स और दूसरे सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की क्षमता को पूरी तरह काम में लाने के लिए जोरदार कार्रवाई की गई।

इन सब कार्रवाइयों के नतीजे सितम्बर, 1974 के आखिर में सामने आने शुरू हुए। कई राज्यों में वर्षा की कमी की वजह से खरीफ की फसल तसल्लीबख्श न होते हुए भी कीमतें गिरनी शुरू हुईं और मुद्रा-स्फीति को बढ़ावा देने वाले जरिये कमजोर पड़ने लगे। जरूरियातें जिंदगी की चीजों के मिलने में सुधार हुआ है और रबी की फसल अच्छी होने के आसार हैं।

इस माली साल के पहले नौ महीनों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। थरमल प्लांट्स से चौदह फीसदी ज्यादा बिजली पैदा की जा रही है और डी.वी.सी. प्लांट्स से बिजली पैदा करने में चौंतीस फीसदी की बढ़ोतरी काबिले ज़िकर है, क्योंकि कई राज्यों में फिर भी बिजली की कमी पाई जाती है, पावर प्रोजेक्ट्स के पूरा करने के काम को जोरों से हाथ में लिया जा रहा है। 1974-75 में लगभग बीस लाख कि.वा. बिजली की क्षमता बढ़ाई जा रही है और तीस लाख अगले वर्ष में बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष एक करोड़ टन ज्यादा कोयला पैदा होगा। इस्पात का उत्पादन बढ़ रहा है और सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरिंग उद्योग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अधिक रेल वैगन रोज़ाना चलाए जा रहे हैं।

मैं मजदूरों, किसानों और दूसरे तबके के लोगों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को पायदार बनाने के सरकारी प्रोग्रामों के समर्थन में पुख्ता इरादे, साहस और राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुसार कार्य किया।

सरकार यह जानती है कि अभी आत्मसंतोष नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूर्ति और मांग के बीच अभी भी भारी असंतुलन है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के बारे में भी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता।

मुद्रा-संबंधी और माली सुधार के लिए जो कदम उठाये गये और आर्थिक अपराधों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसे जोरों से जारी रखा जाएगा। साथ-साथ सरकार यह कोशिश करेगी कि जरूरी क्षेत्रों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाये जायें और उत्पादन बढ़ाया जाये। हम विकासशील देशों और ऐसे विकसित देशों, जिन्होंने हमारी समस्याओं को समझने का परिचय दिया है, के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक न्यायपूर्ण और वायबल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपना काम जारी रखेंगे।

तेल, अनाज और रासायनिक खाद की कीमतें अचानक बढ़ जाने से हमें काफी धक्का लगा है। आम जरूरत की चीजों पर असर पड़ा है और इससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विदेशी-मुद्रा का काफी निकासन हुआ है।

1974–75 के पहले आठ महीनों में एक्सपोर्ट अर्निंग 36 फीसदी बढ़ी। फिर भी यह नुमायां बढ़ोतरी फॉरेन एक्सचेंज की कमी को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। तेल आयात करने वाले विकासशील देशों की समस्यायें हल करने के लिए खास प्रयास और बन्दोबस्त जरूरी है। इस मामले में तेल निर्यात करने वाले कुछ देशों ने हमारी मदद की है। अन्तर्राष्ट्रीय सतह पर भी कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन हालात को देखते हुए ये उपाय काफी नहीं हैं। यह मान्य होगा कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है और इसे ग्लोबल पैमाने पर दुनिया के सभी देशों के अर्थपूर्ण सहयोग से दूर करना होगा। बाइलेट्रल नैगोसियेशन और इंटरनेशनल फोरम्स के जरिये हम इस दिशा में उचित पहल जारी रखेंगे।

तेल का उत्पादन बढ़ाने और कोयले के इस्तेमाल पर जोर देने के अलावा, हमने तेल की खोज का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया है। बम्बई हाई क्षेत्र में जो खोजें की गई हैं उनके नतीजे बहुत ही आशाजनक हैं। सरकार ने यह फैसला किया है कि इस तेल–क्षेत्र का जल्दी से विकास किया जाए ताकि उत्पादन शुरू हो सके। ऐसी योजना बनाई जा रही है कि 1976 में उत्पादन शुरू हो जाए और अगले चार वर्षों में इस क्षेत्र में एक करोड़ टन का उत्पादन हो सके। जल व थल दोनों ही इलाकों में तेल–उत्पादन का भविष्य बहुत आशाजनक है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ चिन्ता होना वाजबी है। योजना का एक ढांचा होता है और उद्देश्यों की एक सुसंगत प्रणाली होती है। इसके साथ तफसीली प्रोग्राम भी होता है जिससे लक्ष्यों और उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधनों का पता चलता है। पांचवीं योजना के बुनियादी ढांचे और इसके लक्ष्यों में कोई हेर–फेर नहीं किया गया है साथ ही देश और विदेश के आर्थिक क्षेत्रों में अनोखी घटनाओं को देखते हुए अपने प्रोग्राम में कुछ रद्दो–बदल करने की जरूरत है। इसी बीच 1975–76 की वार्षिक योजना तैयार की जा रही है, जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जरूरी क्षेत्रों–कृषि–उत्पादन, सिंचाई, रासायनिक खाद, बिजली, इस्पात, कोयला और तेल खोज में अधिक धनराशि लगाने पर बल दिया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि विकास के उन प्रोग्रामों को बढ़ाया जाए जिनसे कम विकसित खण्डों और कमजोर वर्गों, जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी शामिल हैं, को फायदा पहुंचे। स्माल फार्मर्स डवलपमेंट एजेंसी और मार्जिनल फार्मर एण्ड एग्रीकलचरल लेबर, सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों और कमांड एरियास प्रोग्रामों को बढ़ाया जा रहा है।

1974 के राष्ट्रीय प्रयासों की समीक्षा परमाणु क्षेत्र में अपनी महान तरक्की का जिक्र किये बिना पूरी नहीं होगी। 18 मई, 1974 को जमीन के नीचे परमाणु विस्फोट किया गया था। मैं इस महान उपलब्धि के लिए परमाणु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को

बधाई देता हूं। हमने फिर से प्रतिज्ञा की है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल शांति के लिए ही किया जाएगा और इसके लिए सभी देशों ने हमारी सराहना की है। सरकार आर्थिक तरक्की लाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण स्थान देती रहेगी।

मुझे खुशी है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों और जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ व्यापक रूप से बातचीत के ठोस नतीजे निकले हैं। इस संबंध में सरकार जल्दी ही घोषणा करेगी। हमारी कामना है कि राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप में जम्मू-कश्मीर के लोग तेजी से तरक्की करें।

माननीय सदस्यगण, जब राष्ट्र महान चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रहा है, यह दु:ख की बात है कि कुछ जमातों के लोग जनता के संकल्प को कमजोर करने और संयुक्त तथा समान उद्देश्य, जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत है, को निष्फल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनका लक्ष्य पूर्ण क्रांति लाना और भ्रष्टाचार मिटाना है लेकिन असल में नतीजा यह रहा कि हिंसा फैली और राजनीतिक और आर्थिक जीवन छिन्न-भिन्न हुआ। सरकार इस बात को पूरी तरह जानती है कि राष्ट्रीय जीवन के बहुत से क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। असल में, हमारा उद्देश्य है समाज में परिवर्तन लाना और जनजीवन के स्वभाव में सुधार लाना। लोकतंत्र की प्रणाली का यही सार है कि परिवर्तन ज्यादा से ज्यादा विचार-विमर्श और आपसी समझौते के आधार पर ही लाया जाए। जब तक काबिले अमल कोई बेहतर तरीका सामने न रखा जाए मौजूदा व्यवस्था और संस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने से हमारे देश की पायदारी और तरक्की को खतरा होगा।

सरकार चाहती है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर, जो कुछ समय से आपके सामने है, विचार हो और इस वर्ष इसे अंतिम रूप दिया जाए। इससे राजनीतिक प्रशासन में भ्रष्टाचार से निपटने का कानूनी आधार मिलेगा। सरकार चुनाव-कानून में संशोधन के प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ जल्दी ही विचार-विमर्श करेगी। जो भी सुधार लाए जाएं वे ऐसे होने चाहिएं कि जहां तक हो सके उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिले और उनसे हमारे संविधान में रखी गई संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली मजबूत हो।

शिक्षा के मामले में भी, सरकार ने इम्तेहान के तरीकों में सुधार लाने, सेकेंडरी एजुकेशन को काम-धन्धों का आधार देने, उच्चतर शिक्षा के लिए एनरोलमेंट का असूल इख्त्यार करने और गैर-औपचारिक शिक्षा की प्रणाली लागू करने के प्रोग्राम बनाए हैं। पिछले तजुर्बे से पता चलता है कि शिक्षा के सुधार की योजनाओं में तब तक तेज़ी नहीं आती जब तक राज्य सरकारें, शिक्षक, माता-पिता और विद्यार्थी इन्हें स्वीकार नहीं करते। इसी बीच लाखों नौजवानों के पढ़ाई के जीवन में काफी बेचैनी देखने में आई है। राज्य सरकारों ने सुधार के कुछ प्रोग्रामों को अमल में लाने के उपाय किए

हैं। हम यह चाहते हैं कि तालीम के तरीकों में अगर कोई बुनियादी तबदीली लानी है तो इसे पूरी तरह विचार–विमर्श के बाद लाया जाए।

मैं सभी तबके के लोगों से अपील करता हूं कि वे इन बुनियादी सवालों पर संजीदगी से विचार करें, ठोस और रचनात्मक सुझाव सामने रखें और हल ढूंढ़ने के लिए सरकार को सहयोग दें। लोकतंत्र का यही तरीका है। कोई और तरीका अपनाने से गड़बड़ फैलेगी और कोई कारआमद नतीजा न निकलेगा।

अब मैं सिक्किम की घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। अप्रैल, 1974 में वहां पहली बार चुनाव हुए। सर्व–सम्मति से विधान सभा के प्रस्ताव पर 4 जुलाई, 1974 को चोग्याल की घोषणा के आधार पर नया संविधान लागू किया गया। सिक्किम की जनता की इच्छायें पूरी करने के लिए आपने सितम्बर, 1974 में संविधान संशोधन विधेयक पास किया, जिसमें भारत और सिक्किम की मित्रता को मजबूत बनाने के लिए खास व्यवस्था थी और सिक्किम के प्रतिनिधियों को हमारी संसद में स्थान दिया गया। सिक्किम की जनता को, लोकतंत्र हासिल करने की अपनी इच्छाओं और आशाओं को रफ्ता–रफ्ता पूरा करने में कामयाब होने पर हम बधाई देते हैं।

हमने, विदेशों के साथ अपने संबंधों के मामले में स्वाभाविक तौर से अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंधों को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया है।

हमें दिसम्बर, 1974 में भूटान के राजा का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इस यात्रा से भारत और भूटान के बीच आपसी दोस्ती ज्यादा गहरी और मजबूत हुई।

पिछली मई में बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की यात्रा के दौरान, बंगला देश के साथ एक समझौता हुआ जो हमारे निकट संबंधों की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें सीमा के उन मसलों को हल किया गया जिन पर लगभग एक पीढ़ी से कोई फैसला नहीं हो पाता था। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों देश समझबूझ और सहयोग की उसी भावना से कोई भी मसला, जो सामने आये, सुलझाएंगे।

राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अफगानिस्तान के साथ हमारा सहयोग बढ़ा है। हम अगले महीने राष्ट्रपति दाउद के आने का इन्तजार कर रहे हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के दौरान, भारत–नेपाल संबंधों के मुख्तलिफ पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार हुआ। यह स्वीकार किया और एक–दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए बाइलेट्रल संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करें।

मुझे इस बात पर खास तौर से संतोष है कि कच्चातीबू के मसले पर, पाक के मुहाने की समुद्री सीमा और श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के दर्जे के मामले में पुराने सवालों को मित्रतापूर्ण हल किया गया जिससे श्रीलंका और भारत की दोस्ती के ताल्लुकात और मजबूत हुए।

मालदीव और भारत के प्रधानमंत्रियों की एक-दूसरे के देश की यात्रा से दोनों देशों के बीच मित्रता के संबंध मजबूत हुए।

मॉरिशस के प्रधान मंत्री सर शिवसागर रामगुलाम की यात्रा से, उस देश के साथ हमारे निकट संबंध और मजबूत होने में मदद मिली है।

अप्रैल, 1974 में बर्मा* के राष्ट्रपति ने-विन की सद्भावना यात्रा से आपसी सहयोग और समझ-बूझ को बढ़ावा मिला है।

पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने की दिशा में कई कदम उठाये गए हैं। प्रगति धीमी हुई है, लेकिन निराशाजनक नहीं है। दोनों देशों के बीच डाक-सेवा, टेली-कम्यूनिकेशन, यात्रा-सुविधा और व्यापार फिर से शुरू करने पर समझौते हुए हैं। हमें आशा है कि एक-दूसरे से बातचीत करके और शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद दूर करने के अच्छे रवैये में तेजी आएगी और पाकिस्तान यह समझने की कोशिश करेगा कि मुख्तलिफ जरियों से हथियार जमा करके अपने आपको फिर से लैस करना बेसूद है, क्योंकि इससे आपसी मेल-मिलाप और इस उप-महाद्वीप में पायदार अमन कायम करने में रुकावट आयेगी।

इन्डोनेशिया के साथ कांटिनेटल शैल्फ बाऊन्ड्री एग्रीमेंट हुआ है। दिसम्बर, 1974 में मलेशिया के राजा और रानी का स्वागत करने का हमें फख्र हासिल हुआ। उनकी यात्रा से हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और समझ-बूझ बढ़ने में मदद मिली।

पूर्वी एशिया के देशों के साथ हमारे राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की रफ्तार बढ़ी है। जापान के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण बने हुए हैं और हमारे व्यापार संबंध बढ़ते जा रहे हैं।

जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के साथ औपचारिक तथा और ज्यादा सीधा संबंध कायम करने के उपाय कर रही है।

अरब देशों के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात बराबर की जिम्मेदारी और निकट सहयोग के आधार पर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे और इराक, सूडान, अरब गणराज्य, संयुक्त अरब लघु गणराज्य जैसे कई अरब देशों के बीच बड़े से बड़े प्रतिनिधि मण्डलों की यात्राओं के दौरान हमने अपनी सामान्य नीतियों पर विचार-विमर्श किए और आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में कई समझौते हुए ।

पश्चिम एशिया की हालत गहरी चिन्ता का कारण है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक फिलिस्तीनियों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता और हमला करके हथियाई गई अरबों की जमीन को वापस नहीं किया जाता। हम युनाइटेड नेशन्स में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की मौजूदगी का स्वागत करते हैं।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

हमारी प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा और ईरान के शहंशाह की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत हुए। हमने लम्बी अवधि वाली कई परियोजनाओं पर सहमति जाहिर की है जो आर्थिक और दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों को और निकट लाएगी।

दुनिया में मुक्ति और स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पुर्तगाल सरकार में परिवर्तन था। भारत और पुर्तगाल के बीच डिप्लोमैटिक संबंध फिर कायम करने पर एक समझौता हो गया है। हम उस देश के साथ मित्रता और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत का स्वागत करते हैं।

स्वतंत्रता की दिशा में अफ्रीकी लोगों की कामयाबी से एक नया युग शुरू हुआ है। पुर्तगाल की कुछ कालोनियां स्वतंत्रता के द्वार तक आ पहुंची हैं और कुछ में यह प्रोसैस शुरू हो गया है। साफ तौर से इन घटनाओं का रोडेशिया के गैर-कानूनी शासन पर असर पड़ा है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि जिम्बाबवे में भी बहुमत शासन की स्थापना के लिए एक समझौता हो जाएगा और भेदभाव का अन्त होगा। दक्षिण अफ्रीका इस असर से बचा नहीं रह सकता। हमें पूरी उम्मीद है कि इन वाक्यात की तर्कसंगति और इसके नतीजे, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, कालोनियलिज्म और जातिवाद के इस आखिरी गढ़ को साफ नजर आने लगेंगे और माननीय स्वतंत्रता के दमन और अन्य प्रकार के अत्याचारों का खात्मा होगा जिनके कारण मुहज़्ज़ब दुनिया ने उन्हें सेंसर किया है।

जाम्बिया के राष्ट्रपति, डॉ. केनेथ कौंडा और तनजानिया के उपराष्ट्रपति, श्री कवावा की यात्राओं से भारत और उन देशों के बीच आर्थिक व तकनीकी सहयोग और मजबूत हुआ है।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग से एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के विकासशील देशों के साथ हम अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। हमने कई क्षेत्रों में एक्सपरटाइज का विकास किया है और हमारे यहां सिखाई हुई और तजुर्बेकार मानव-शक्ति का विशाल भण्डार है और इस प्रकार आर्थिक विकास की दिशा में सहयोग के लिए विकासशील मित्र देशों की मांगों को पूरा करने की हममें क्षमता है। इसी प्रकार इनमें से कई देश कई तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। तेल की स्थिति का एक पॉजिटिव पहलू यह है कि इससे विकासशील देशों में आपसी सहयोग की संभावनाएं बढ़ी हैं।

सभी राष्ट्रों के बीच मित्रता और नॉन-एलाइन्मैन्ट की हमारी नीति, और इस सब-कांटिनेंट में सामान्य स्थिति लाने का प्रोसैस तेज करने की हमारी पहल का सोवियत रूस द्वारा समर्थन किए जाने की हम बड़ी सराहना करते हैं। भारत-रूस सहयोग सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है।

1974 में, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणराज्य और हंगरी के प्रधानमंत्रियों का स्वागत करने का हमें सौभाग्य मिला। इन नेताओं के साथ विचार-विमर्श से हमारी आपसी समझबूझ बढ़ी है।

नॉन-एलायंड मूवमैंट में और यूनाइटेड नेशन्स और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों, पर भारत और यूगोस्लाविया ने निकट सहयोग बनाए रखा है।

अक्तूबर, 1974 में डॉ. हेनरी किसिंजर की भारत यात्रा के दौरान, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच बेहतर समझ-बूझ और परिपक्व संबंध की आपसी इच्छा जाहिर की गई थी। एक संयुक्त भारत-अमरीका आयोग की स्थापना की गई है, जिससे सहयोग के लिए संस्थागत आधार मिलेगा। हमें आशा है कि संयुक्त राज्य अमरीका इस सब-कांटिनेंट में आम हालात पैदा करने की दिशा में कोशिश करता रहेगा और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे इस पर उल्टा असर पड़े।

यूरोपियन इकोनामिक कम्युनिटी विकास की समस्याओं के प्रति अधिक प्रगतिशील और उदार पालीसी अपना रही है। भारत का एक तिहाई से ज्यादा व्यापार इस कम्युनिटी के मुल्कों के साथ है और हम उनके साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ख्वाहिशमन्द हैं।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंध, एशियाई प्रश्नों पर बढ़ती हुई समझबूझ के आधार पर निकट और खुशगवार बने रहे हैं। ये दोनों देश हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखने की जरूरत के संबंध में तटवर्ती राज्यों की चिन्ता से सहमत हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसे हम बहुत महत्व देते हैं।

हमारा विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था का संकट और विकासशील देशों की समस्याएं तभी दूर होंगी जबकि सारे विश्व में शांति रहे और तनाव न हो।

माननीय सदस्यगण, इस अधिवेशन में आप आमदनी और खर्च के ब्यौरे तथा अगले माली साल के अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगे, जो अर्थव्यवस्था को और पायदार तक एक निश्चित दिशा देने के नजरिये से महत्वपूर्ण है। नये लैजिस्लेटिव उपायों में जो आपके सामने पेश किये जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण वह है जिसका संबंध अर्बन लैंड की सीलिंग से है। आपके सामने कई चरणों में 34 बिल विचार के लिए हैं। इनमें से कुछ का बहुत महत्व है। आपके आगे एक सम्पूर्ण और कठिन प्रोग्राम है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि तल्ख बहस मुबाहसा और आन्दोलनों पर राष्ट्र की शक्ति जाया न करें, बल्कि भारत की जनता को, जिनमें चुनौतियों का मुकाबला करने की पूरी क्षमता है, रचनात्मक और साहसपूर्ण नेतृत्व दें।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 5 जनवरी 1976

लोक सभा	-	पांचवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. फख़रुद्दीन अली अहमद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री बी.डी. जत्ती
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री बलिराम भगत

माननीय सदस्यगण,

मैं बहुत खुशी से आप सबका स्वागत करता हूं, खासकर सिक्किम के नुमाइन्दों का जो मई, 1975 में भारतीय यूनियन का 22वां राज्य बना। सरकार की यह कोशिश होगी कि इस पिछड़े पहाड़ी राज्य का तेजी से विकास हो।

पिछले साल, सरकार की मजबूत कार्रवाई की वजह से अर्थव्यवस्था में अच्छे नतीजों का जिक्र करते हुए मैंने आपका ध्यान कुछ जमातों की उन कोशिशों की तरफ दिलाया था जो मौजूदा निजाम और संस्थाओं को छिन्न-भिन्न करना चाहती थीं जिससे देश की तरक्की और पायदारी खतरे में पड़ गयी थी। मैंने उनसे अपील की थी कि तबदीलियां लाने के लिए वे बातचीत का रास्ता अपनायें और सुधार के लिए तजवीजों का स्वागत किया था। मुझे अफसोस है कि इस अपील पर कोई तवज्जो न दी गई। कुछ जमातें और ऐसे लोग, जिनके विचार एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे, देश के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में रुकावट डालने के लिए आपस में मिल गए। उन्होंने लोगों के मन में गलतफहमी पैदा करने और बदअमनी फैलाने के लिए हर मौके का गलत फायदा उठाना चाहा। उनकी इन कार्रवाइयों से देश की अन्दरूनी सलामती बड़े खतरे में पड़ गई थी। उनका यह मकसद था कि किस तरह आर्थिक अपराध रोकने, पैदावार बढ़ाने और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन पर काबू पाने, माल को सही ढंग और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, अर्थव्यवस्था को पायदार बनाने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की जोरदार कोशिशों को नाकाम बनाया जाये। देश के हित में कड़ा और फैसलाकुन कदम उठाना लाज़मी हुआ।

25 जून, 1975 के इमरजेंसी के एलान, 1 जुलाई, 1975 की 20-सूत्री आर्थिक प्रोग्राम की घोषणा और कौमी जिन्दगी के सभी क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों से राष्ट्र के जीवन पर नुमायां असर पड़ा। मायूसी और बेहिसी की जगह जो एतमाद पैदा हुआ उससे हमें महसूस हुआ कि अगर हममें एकता और डिसिप्लिन हो और अपनी शक्ति को जाया न होने दें तो हम अपनी समस्याओं को कामयाबी से हल कर सकते हैं।

जनता ने सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की भरपूर ताईद की है और देश की फिज़ा में आई हुई तबदीली का स्वागत किया है। इससे उत्साहित होकर सरकार ने बहुत से मामलों में फैसलाकुन कार्रवाई की है। इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया गया है। सितम्बर, 1974 में बहुत बढ़ी हुई कीमतों के मुकाबले में औसतन दस फीसदी गिरावट आई है और खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तकरीबन 20 फीसदी कमी हुई है। आर्थिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी। 1973 में और 1974 के शुरू में कोयला, बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसी चीजों की कमी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गड़बड़ी और खराब कार कर्दगी से हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था। इस साल उत्पादन बढ़ा है और इन सभी क्षेत्रों के काम में नुमायां सुधार हुआ है। मजदूरों के सहयोग से कुछ को छोड़कर, सभी उद्योगों में, शांति रही है। हमारी इक्तिसादी हालत में जो बहुत से डिस्टार्शन्ज़ और इमबैलेंसिज पैदा हो गये थे उनमें सुधार हुआ है। इसकी वजह से कुछ तबकों के जो विशेषाधिकार थे उनमें कमी हुई है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कोई भी तबका अलग रह कर सिर्फ अपने ही हितों को नहीं बढ़ा सकता। हर एक तबके की भलाई का दारोमदार मजमुई इक्तिसादी मजबूती पर ही है।

गरीबों की वहबूदी के प्रोग्रामों में एक नई जान डाली गयी है। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें घर बनाने के लिए जमीन दिलाने, भूमि सुधार लागू करने, खेती-बाड़ी पर काम करने वालों की मजदूरी बढ़ाने और कर्जे से राहत दिलाने के काम तेजी से आगे बढ़ाये जा रहे हैं।

गरीबी का हल थोड़े अर्से में नहीं निकाला जा सकता। लगातार कड़ी मेहनत और जिन्दगी के सभी शोबों में डिसिप्लिन से ही इसमें तबदीली लायी जा सकती है। इसलिए पिछले महीनों में जो नया जोश पैदा हुआ है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए और उसे जारी रखना है।

20-सूत्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल किया जायेगा। सरकार जनता का पूरा सहयोग चाहती है, क्योंकि यह जनता का प्रोग्राम है और इसे सिर्फ सरकारी एजेंसियों से ही नहीं चलाया जा सकता।

इस साल जैसी खरीफ की फसल पहले कभी नहीं हुई। अनाज की ज्यादा से ज्यादा वसूली की जाएगी ताकि किसान प्रोक्योर्मेंट प्राइस से कम पर अनाज बेचने पर मजबूर न हो और साथ ही साथ नागहानी जरूरत के लिए हमारे पास काफी स्टाक हो।

हम चाहते हैं कि 1979 के पहले ही और 50 लाख हैक्टेयर की सिंचाई का इन्तजाम हो सके। राज्यों के आपसी झगड़ों की वजह से कई प्रोजेक्टों को शुरू करने में देरी हुई है। सरकार इस उसूल को मनवाने की कोशिश करेगी कि पानी राष्ट्रीय सम्पत्ति है जिसका इस्तेमाल देश के बेहतरीन फायदे के लिए होना चाहिए। नदी घाटियों के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए एक नेशनल वाटर रिसोर्सिज़ कौंसिल काफी इख्त्यारात के साथ कायम की जाएगी। इस अर्से में, संबंधित राज्यों को एक साथ ला करके ज्यादा से ज्यादा विवादों को निपटाने की तेजी से कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश का नतीजा है कि नर्मदा घाटी के कुछ प्रोजेक्ट, बेतवा नदी पर राजघाट प्रोजेक्ट और माही नदी पर कदाना प्रोजेक्ट के संबंध में समझौते हो गए हैं। हाल ही में, गोदावरी नदी के पानी के अधिक भाग के इस्तेमाल के संबंध में पांच राज्यों के बीच हुआ समझौता, राज्यों के दरम्यान पानी संबंधी विवादों को बातचीत के जरिये हल करने की दिशा में एक अहम कदम है। गोदावरी घाटी देश के रकबे का दसवां हिस्सा है और इस समझौते से पचास लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई करने के प्रोजेक्ट बनाने में मदद मिलेगी।

इस साल सालाना योजना के लिए पिछले साल के मुकाबले में 25 फीसदी ज्यादा का प्रावधान है। प्राथमिक क्षेत्रों पर बल दिए जाने को ध्यान में रखते हुए इसे अगले साल और बढ़ाया जायेगा ताकि विकास की तहरीक में और तेजी आये। साथ ही साथ कपड़े और चीनी जैसे उद्योगों को, जो जनता की आम जरूरतों को पूरा करते हैं और जिनकी मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, जदीद बनाने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

सनअती लाइसैंसिंग की पालिसी और उसके काम करने के तरीकों पर फिर से गौर किया जा रहा है। आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में जमा होने पर रोकथाम लगाने की नीति का पालन करते हुए, प्राथमिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और नई सनअतों को बढ़ावा देने की खातिर ऐसे कन्ट्रोल हटा दिये जायेंगे जिनकी अब जरूरत नहीं है।

पिछले 3 सालों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं की वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर भारी बोझ पड़ा है। इकत्सादी हालत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्यात में काफी इजाफा जरूरी है। निर्यात बढ़ाने के लिए हाल ही में कई कदम उठाये गए हैं। हैंडलूम और दस्तकारी की चीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों की मदद से खास कदम उठाए जायेंगे। रुकावटों और कमियों को दूर करने के लिए नीति और काम के तरीकों पर गौर किया जा रहा है।

इन्तजामी कार्यकुशलता को बेहतर बनाने की कोशिशों को जारी रखा जायेगा और इन्हें बढ़ाया जायेगा। हमारे इन्तजाम के तरीकों और नज़रियों में ज्यादा तबदीली नहीं हुई है, खासतौर से माली इन्तजाम में, जिसका असर सरकार के सभी क्षेत्रों की कार कर्दगी पर पड़ता है। सरकार ने माली इन्तजाम में सुधार लाने की एक मुकम्मिल योजना तैयार

करने का फैसला किया है, जिस पर इस साल से अमल होगा। यूनियन का हिसाब-किताब आडिट से अलग करके डिपार्टमेंट्स के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तन्ख्वाह और पैन्शन की अदायगी, प्रोविडेंट फंड का हिसाब-किताब, रुपया जमा करने, निकालने और खर्च की मंजूरी के नियम और तरीकों को आसान और जदीद बनाया जाएगा। कर्मचारियों के काम करने के तरीकों का जायजा लेने के ढंग को बदलना होगा ताकि हर स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कार कर्दगी के बारे में जवाबदेह और रिजल्ट-ओरिअंटिड हो।

चेचक का उन्मूलन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी है। यह वबा दोबारा न हो, इसके लिए बड़ी निगरानी रखी जा रही है। छूत की दूसरी बीमारियों के खिलाफ भी मुहिम तेज की जा रही है।

हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले तीन सालों में जन्म दर घट कर 30 फी हजार आ जाये। इस मकसद को हासिल करने के लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जन-आन्दोलन का रूप लेना होगा। इन्सेंटिव और डिसइन्सेंटिव की नई स्कीमें तैयार की जा रही हैं, ताकि छोटे परिवार की मकबूलियत में इजाफा हो।

दूसरे देशों की तरह हमने भी 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया। बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं के मामलों का तफसील से अध्ययन किया गया है। महिलाओं को बराबर काम के लिए बराबर उजरत दिलाने का आर्डिनेन्स इस सेशन में आपके सामने आएगा। महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जा रही है, जिसके अमल से उन कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी जिनकी वे शिकार हैं।

पहले सेटेलाइट "आर्यभट्ट" के निर्माण पर स्पेस साईंटिस्ट्स और इन्जीनियर्स को मैं बधाई देता हूं। देहात की जनता के हित में साइन्स और टेक्नोलॉजी को अमली तौर से इस्तेमाल में लाने के लिए सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलिविजन एक्सपेरीमेंट की कामयाबी एक नुमायां कदम है। इस तजुर्बे से हम टेलिविजन को गांव में जन-सम्पर्क के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में तय कर सकेंगे।

एनर्जी के नए जरियों के विकास की अहमियत को मान लिया गया है और कई क्षेत्रों में काम को तेज किया जा रहा है। बायो-गैस और सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को ज्यादा तरजीह दी जा रही है।

अब मैं दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में जिक्र करूंगा।

हमारा यह पक्का विश्वास है कि इस उप-महाद्वीप के सभी देशों में सामान्य और दोस्ती के ताल्लुकात आवाम की तरक्की के लिए जरूरी हैं।

बांग्लादेश में हाल की घटनाओं से हमें दुःख और चिन्ता हुई। शेख मुजीबुर्रहमान, उनके परिवार और साथियों की बेरहमी से हत्या का हमें बड़ा दुःख और गहरा सदमा

पहुंचा। फिर भी, हमने बांग्लादेश की घटनाओं को उस देश का अन्दरूनी मामला समझा। इसलिए, कुछ हल्कों में, जो गलत प्रचार किया जा रहा है, उससे हमें बहुत दुःख है। दोनों देशों के नुमाइन्दों के बीच हाल की बातचीत में हमने इस बात पर फिर जोर दिया है कि हम सीमा पर शांति चाहते हैं और यह भी कि बांग्लादेश पायदार और स्वतंत्र रहे जहां सभी तबके के लोगों के हित और कल्याण की रक्षा हो सके। बांग्लादेश ने अपनी नीति बनाये रखने और अपनी जनता को, चाहे किसी भी जाति, मजहब या धर्म से ताल्लुक रखती हो, समान अधिकार देने की ख्वाहिश पर बल दिया है।

मुझे दुःख है कि शिमला समझौते पर अमल की रफ्तार धीमी रही है, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया निराशाजनक रहा है जो कि भारत की गलत तस्वीर पेश करने की अपनी मुहिम जारी रखे हुए है।

भूटान के साथ दोस्ती के हमारे पुराने संबंध और बढ़ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। चूखा पनबिजली प्रोजेक्ट का काम शुरू होने से आर्थिक सहयोग का प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ा है।

1975 में नेपाल के महामहिम नरेश और महारानी की भारत यात्रा से उस मित्र पड़ौसी देश के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए। उनकी यात्रा के दौरान जो बातचीत हुई, उसका नतीजा यह निकला कि नेपाल से भारत में बहने वाली नदियों के पानी के इस्तेमाल के बारे में आपसी फायदों का बेहतर अंदाजा हुआ है।

श्रीलंका के साथ हमने अनौपचारिक बातचीत और आपसी हित के मामलों में सहयोग की परम्परा को और मजबूत किया है। बर्मा* के साथ हमने अपने आर्थिक सांस्कृतिक और विज्ञान संबंधी ताल्लुकात बढ़ाये हैं।

हमने दक्षिण पूर्व एशिया तथा जापान और पूर्व एशिया के दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की। हिन्द-चीन में बहुत दिनों से चली आ रही लड़ाई खत्म होने पर हमें खुशी हुई और हमने उस समझौते का स्वागत किया, जिसके मुताबिक वियतनाम के दोनों इलाके फिर से एक दूसरे से मिल गये। हमारा विश्वास है कि री-युनाइटिड वियतनाम और पायेदार और आर्थिक लिहाज से मजबूत कम्बोडिया और लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और इस्तेहकाम का बाईस होंगे। मैंने मार्च, 1975 में इन्डोनेशिया की यात्रा की, और पाया कि इन्डोनेशिया और भारत के बीच आपसी हित के आर्थिक, सनअती और तकनीकी सहयोग के फायदे का अहसास बढ़ रहा है।

तारीखी और सांस्कृतिक समानता और मौजूदा मसलों पर एक जैसे नज़रिये के आधार पर अफगानिस्तान के साथ हमारे करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हमें खुशी है कि टेक्नीकल और आर्थिक सहयोग के प्रोग्राम में अच्छी तरक्की हो रही है।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

ईरान के साथ एक दूसरे के नज़रिये को बेहतर समझने और आपसी हित के मामलों में हमारे आदान-प्रदान बढ़े और फैले। कुदरेमुख आयरन ओर प्रोजेक्ट के विकास के लिए समझौतों पर दस्तखत होना इस सिलसिले में एक नुमायां कदम है।

अरब देशों के साथ आर्थिक, तिजारती और सांस्कृतिक संबंध बढ़ रहे हैं। मिस्र, अरब गणराज्य और सूडान यात्रा से मुझे पश्चिम एशिया की समस्याओं को और गहराई से समझने का मौका मिला। सरकार अपने इस विश्वास पर फिर जोर देती है कि जब तक ताकत के जोर से कब्जा की हुई अरबों की जमीन को खाली नहीं किया जाता और फिलिस्तीनियों को उनके जाइज़ हक वापिस नहीं दिये जाते, तब तक पश्चिम एशिया में पायेदार अमन कायम नहीं हो सकता।

मोजाम्बिक, अंगोला, केप बर्डे, सन तोमे और प्रिंसिपे को सदियों पुरानी पुर्तगाली कालोनियलिज्म से आजादी हासिल करने पर हम बधाई देते हैं। साथ ही, कमोरोस, सूरीनाम और पपुआ न्यू गिनि के स्वतंत्र होने का हम स्वागत करते हैं।

हम अंगोला के अन्दरूनी मामलों में दक्षिण अफ्रीका की हथियारबन्द मदाखलत की निन्दा करते हैं। भारत ने अफ्रीकी एकता संगठन का बराबर समर्थन किया है और अपार्थाइड को खत्म करने, नमीबिया को आजाद कराने, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में माइनोरेटी रूल खत्म करने की सभी कोशिशों में भारत अफ्रीका का साथ देगा।

सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंध गहरी दोस्ती, समझबूझ और बढ़ते हुए क्षेत्रों में आपसी हित में सहयोग की बुनियाद पर कायम हैं। इन देशों ने सभी अहम मामलों में भारत का हमेशा समर्थन किया है। पिछले महीनों में कई बड़े नुमाइन्दे एक-दूसरे के देश गये और मैंने हंगरी और यूगोस्लाविया की यात्रा की।

यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन की कामयाबी पायेदार शांति की तरफ एक अहम कदम है। तनाव कम करने की यह भावना दुनिया के उन देशों में भी फैलनी चाहिए जहां झगड़ा और तनाव अब भी है। ई.ई.सी. और पश्चिम यूरोप के दूसरे देशों के साथ व्यापार और साइंस टैक्नोलोजी के क्षेत्रों में हमारे आर्थिक सहयोग और संबंध बढ़ रहे हैं।

हम चाहते हैं कि यू.एस.ए. के साथ हमारे संबंध पक्के और अमल पजीर हों। शांति, पायेदारी और सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक-दूसरे के विचारों को समझने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए।

नॉन-एलाइन्ड देशों के राज्याध्यक्षों का अगला सम्मेलन इस साल अगस्त में श्रीलंका में होगा। हमें खुशी है कि नॉन-एलाइन्मैंट को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। लेकिन साथ कुछ ऐसी कोशिशें भी की जा रही हैं कि नॉन-एलाइन्ड मूवमैन्ट

कमजोर और धीमी हो। हम गुटों से दूर रहने के बुनियादी उसूलों और नॉन–एलाइन्ड देशों की एकता और प्रभाव बनाये रखने के लिए कोशिशें करते रहेंगे।

दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे खटकने वाली बात यह है कि इस पर कुछ अमीर देश हावी हैं और सारा बोझ गरीब और विकासशील देशों को सहना पड़ता है। ज्यों–ज्यों समय गुजरता है, उन देशों की समस्यायें और भी कठिन होती जा रही हैं। इस रुख को जल्दी बदलना होगा और ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे दुनिया में एक नयी अर्थव्यवस्था कायम हो सके। यू.एन. जनरल असेम्बली के सातवें विशेष अधिवेशन में सबका इत्तेफाक राय होना आपसी बातचीत की शुरुआत में एक कदम है। एनर्जी, कच्चे माल और सनअती पैदावार की कीमतें मुकर्रर करने के लिए और गरीब देशों के आर्थिक विकास की समस्याओं का उचित हल निकालने की गरज से हमने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर पेरिस सम्मेलन में तामीरी हिस्सा लिया। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंचों में कार्रवाई के लिए जल्द–से–जल्द ठोस समझौते हो जायेंगे।

माननीय सदस्यगण, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, खास कर हमारे सब–कोंटिनैंट और पड़ोसी देशों में गैर–यकीनी हालत का होना देश में विघटनकारी शक्तियों की चुनौती का जारी रहना और सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रामों को तेज करने की जरूरत मानते हुए राष्ट्र को चौकस और अनुशासित रहना होगा। कार्य कुशलता बढ़ाने और राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में तबदीली और सुधार लाने की लगातार कोशिश जारी रहनी चाहिए।

खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि चासनाला कोयला खान का दर्दनाक वाकया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, का जिक्र करूं जिससे सारे देश में गहरा रंज छा गया है। खान से पानी निकालने का काम जारी है। बहुत से दोस्त मुल्क और देश में कई संस्थायें इस काम में मदद पहुंचाने के लिए आगे आईं। जिन परिवारों पर इस दुर्घटना से मुसीबत आई है उनकी तकलीफें दूर करने और खान मजदूरों की सुरक्षा के इन्तजाम में सुधार लाने के लिए सरकार कोई दकीका बाकी न रखेगी।

आपका यह अधिवेशन मुख्तसर होगा, लेकिन इसका एजेन्डा भारी है। पिछले सेशन के बकाया मामलों तथा आर्डिनैन्सों को पार्लियामेंट के एक्टों में बदलने के अलावा आपको इस अधिवेशन में पेश किये जाने वाले अर्बन लैण्ड संबंधी बिल पर विचार करना है। ऐसा वक्त है कि एक मिनट भी जाया नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि आप साफ, साहसपूर्ण और मजबूत रहनुमाई करेंगे, जिसकी जनता आपसे आशा रखती है। मैं आपको इन अहम कामों को शुरू करने की दावत देता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

श्री बी.डी. जत्ती

संसद के समक्ष अभिभाषण* – 28 मार्च 1977

लोक सभा	-	छठी लोक सभा
सत्र	-	छठे आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री बी.डी. जत्ती (कार्यवाहक)*
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री बी.डी. जत्ती
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री मोरारजी देसाई
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी

माननीय सदस्यगण,

मैं नई लोक सभा के सदस्यों को बधाई देता हूं और छठी संसद के संयुक्त अधिवेशन में आप सबका स्वागत करता हूं।

इस अवसर पर जब हम एक सौम्य और परिचित चेहरा नहीं देखते तो विचार हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति फख़रुद्दीन अली अहमद की ओर जाते हैं, वे एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, विवेकपूर्ण सलाहकार, अनुभवी अगुवा तथा सज्जन पुरुष थे। आज हम उनके निधन पर शोक प्रकट करते हैं और बेगम आबिदा अहमद को अपनी हार्दिक संवेदनायें देते हैं।

अभी जो आम चुनाव हुआ है उससे प्रभावपूर्ण तथा निर्णायक ढंग से यह सिद्ध हो गया है कि जनता को अपनी ताकत, लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया की जीवन-शक्ति, जिसकी जड़ जमी है, पर कितना भरोसा है। जनता ने प्रशासक के मनमानेपन तथा व्यक्ति-पूजा के अभ्युदय तथा गैर-संवैधानिक शक्ति केन्द्रों के विरुद्ध वैयक्तिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा विधि-नियम के पक्ष में अपना स्पष्ट निर्णय दिया है। यह चुनाव हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की एक स्वस्थ दो-दलीय प्रणाली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील-पत्थर है।

मेरी सरकार जनता द्वारा दिए गए निर्णय को हर तरह से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसा करने में यह मान कर नहीं चला जाएगा कि जनता कुछ नहीं जानती और सरकार ही सभी उत्तर और हल जानती है। पिछले दो वर्षों में लोगों पर कई अत्याचार किए गए तथा उन्हें असीम कष्ट झेलने पड़े, और कई लोगों की तो जानें भी गईं। इस दुःखद अनुभव के कारण यह बात कहनी पड़ी।

---

*भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति।

माननीय सदस्यगण, नई सरकार ने तीन दिन पहले कार्यभार सम्भाला है। अभी जो ये कई उपाय करना चाहती है उनकी विस्तृत योजना बनाने का अभी समय नहीं मिला है। ये उपाय इस वर्ष यथासमय किए जाएंगे और आपके सामने पेश किए जाएंगे। पर, फिर भी, कई कामों पर तत्काल ध्यान देना है और सरकार इन्हें तुरन्त अपने हाथ में लेगी।

सबसे पहला काम है जनता की मौलिक स्वतंत्रताओं और नागरिक अधिकारों पर रोक हटाना, जिससे विधि-नियम तथा प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार फिर से स्थापित हो। 1971 में जिस बाह्य आपातकाल की घोषणा की गई थी उसे मेरे द्वारा कल रद्द कर दिया गया है। सरकार निम्नलिखित कदम उठाएगी:—

(i) पिछले दो सालों में आंतरिक सुरक्षा कानून का जो घोर दुरुपयोग हुआ, उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी, जिससे इसे रद्द किया जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि न्यायालयों में जाने के अधिकार को बरकरार रखते हुए देश की सुरक्षा तथा आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान कानून को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है या नहीं।

(ii) इस आशय का कानून बनाया जाएगा जिससे यह सुनिश्चय हो सके कि किसी भी राजनीतिक अथवा सामाजिक संगठन पर पाबंदी न लगाई जाए, जब तक पर्याप्त आधार न हों और इस संबंध में न्यायिक जांच की जा चुकी हो।

(iii) आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक संबंधी अधिनियम को रद्द किया जाएगा। विधायिकाओं की कार्यवाहियों को छापने का प्रेस का अधिकार फिर से लौटाया जाएगा।

(iv) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन में भ्रष्ट आचरणों की जो व्याख्या की गई है तथा जिन कुछ व्यक्तियों के चुनाव अपराध को न्यायालयों की संवीक्षा से बाहर रखकर संरक्षण दिया गया है, उन्हें रद्द किया जाएगा।

इस वर्ष के दौरान, जनता तथा संसद, संसद तथा न्यायपालिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका, राज्य तथा केन्द्र, नागरिक तथा सरकार में संतुलन फिर से लाने के लिए, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी, संविधान में संशोधन करने की एक व्यापक योजना आपके सामने प्रस्तुत की गयी।

इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 (तीन सौ बावन) के प्रावधानों का संशोधन शामिल है, जिनसे आपातकाल की घोषणा करने के अधिकार तथा सम्बद्ध अनुच्छेदों के दुरुपयोग पर रोक रखी जा सके, जिससे कि इस बात का निश्चय हो सके कि राष्ट्रपति शासन संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार लागू हो, न कि किन्ही बाहरी उद्देश्यों से।

पिछले कुछ समय से एक जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है वह यह है कि सूचना तथा जनसंपर्क माध्यमों की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता खत्म हो गई है। मेरी सरकार ऐसे उपाय करेगी जिनसे इन माध्यमों को लोकतंत्र में उचित स्थान दिलाया जा सके। ऐसे उपाय भी किए जायेंगे जिनसे यह सुनिश्चय हो सके कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग तथा अन्य सरकारी माध्यम उचित तथा निष्पक्ष तरीके से काम करें।

पिछले साल इस देश के कई इलाकों में परिवार नियोजन का कार्यक्रम जिस प्रकार से चलाया गया उससे जनता में जितना आक्रोश देखा गया वह पहले कभी नहीं देखा गया। इससे इस कार्यक्रम को, जो राष्ट्र के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, भारी नुकसान पहुंचा। परिवार नियोजन एक ऐच्छिक कार्यक्रम तथा एक व्यापक नीति के अभिन्न अंग के रूप में जोरदार ढंग से चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ-केन्द्र और बाल कल्याण, परिवार-कल्याण, महिला-अधिकार तथा पौष्टिक आहार शामिल हैं।

आर्थिक क्षेत्र में सरकार 10 वर्षों की अवधि में गरीबी हटाने के लिए वचनबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षाकृत उपेक्षा से अर्थव्यवस्था में एक भयानक असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिससे लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे हैं। किसानों को अपने उत्पादन का उचित दाम नहीं मिला है। कृषि तथा संबद्ध विकासों के लिए विनियोजन बहुत ही अपर्याप्त है और गांवों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर बहुत कम ध्यान दिया गया। एक लाख से ज्यादा गांवों में पीने के पानी जैसी प्राथमिक सुविधा भी नहीं है। मेरी सरकार रोजगार उन्मुख नीति अपनाएगी, जिसमें कृषि विकास, कृषि उद्योग, छोटे और कुटीर उद्योगों को, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में प्राथमिकता मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रावधानों तथा समग्र ग्रामीण विकास को भी ऊंची प्राथमिकता दी जाएगी। पंचवर्षीय योजना की यथासंभव समीक्षा की जाएगी। योजना की प्रक्रिया में फिर से प्राण संचार किया जायेगा और छठी पंचवर्षीय योजना पर अविलंब काम शुरू होगा। इस साल बाद में अंतिम बजट पेश करते समय उन आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी जिन्हें चलाने का प्रस्ताव है।

अब मैं वैदेशिक संबंधों पर आता हूं। मेरी सरकार उन सभी वायदों को निभाएगी जो पिछली सरकारें कर चुकी हैं। यह समानता और परस्पर सद्भाव के आधार पर सभी पड़ोसी तथा विश्व के अन्य देशों के साथ मैत्री भाव रखेगी और गुटनिरपेक्षता की सही नीति अपनाएगी। मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि मेरी सरकार अगले महीने के प्रारंभ में गुटनिरपेक्ष समन्वयात्मक ब्यूरो की बैठक की मेज़बानी करेगी। मेरी सरकार सभी विकासशील राष्ट्रों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग तथा संबंधों को भी मजबूत करने पर विशेष ध्यान देगी।

माननीय सदस्यगण, आपका वर्तमान अधिवेशन छोटा होगा, जिसमें वित्तीय मामलों— संघ की पूरक मांगों, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्यों और आम बजट के संबंध में वोट ऑन एकाउन्ट, रेल बजट तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के बजट पर तत्काल ध्यान देना होगा। आगामी महीनों में आपके सामने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम हैं। आज राष्ट्र को आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा है और मेरा विश्वास है कि आप उन कार्यों को, जो आपके सामने सरकार द्वारा पेश किए जाएंगे, लगन और तत्परता से पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। मैं इन कार्यों की ओर आपका आह्वान करता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

डॉ. नीलम संजीव रेड्डी

संसद के समक्ष अभिभाषण – 20 फरवरी 1978

लोक सभा	-	छठी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री बी.डी. जत्ती
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री मोरारजी देसाई
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री के.एस. हेगड़े

माननीय सदस्यगण,

मैं इस साल के पहले संसद सत्र में आपका स्वागत करता हूं। भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद संसद को संबोधित करने का यह मेरा पहला मौका है। यों तो इस समय ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए लेकिन इस समय मेरा मन उन लोगों के लिए व्याकुल है जिन्हें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी* और लक्षद्वीप में कहर ढाने वाले समुद्री तूफानों में अपनी जान और माल से हाथ धोने पड़े। उनके जो सगे-संबंधी बचे हैं उनके लिए भी मेरा मन बहुत परेशान है। मेरी सरकार ने इसे राष्ट्रीय विपत्ति माना है और इसके लिए हर मुमकिन मदद दी है और राहत कार्य संगठित करने में संबंधित राज्य सरकारों के साथ पूरा सहयोग किया है। हमारे देश के हर हिस्से के लोगों ने खुले दिल से उदारता के साथ योगदान दिया है और उनकी इस मदद के लिए मैं हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं।

आम चुनावों के बाद इन महीनों में संसद और सरकार ने संविधान में दी गई स्वतंत्रताओं और संरक्षणों को जनता को फिर से पूरे तौर पर हासिल कराने के लिए तेजी से काम किया है। न्यायालयों को उनकी शक्तियां दोबारा हासिल हो गई हैं। समाचार-पत्र स्वतंत्र हैं। नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता पर मनमानी रोक-टोक लगने का अब कोई डर नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपसी संबंधों में और इनके साथ नागरिकों के संबंधों में फिर से संतुलन बनाने के वायदे को कदम-ब-कदम पूरा किया जा रहा है। दरअसल, संविधान में किए जाने वाले कुछ संशोधनों को छोड़ कर, बाकी काम लगभग पूरा हो चुका है।

*अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है।

सरकार को जो जनादेश मिला उसके मुताबिक इसके सामने सबसे पहला काम यह था कि संविधान में जोड़े गये निरंकुशता से संबंधित उपबंधों को हटाया जाए। संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और यह अब राज्यों के विधानमंडलों के पास अनुसमर्थन के लिए भेजा गया है। इससे न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र पर लगी तरह-तरह की पाबंदियां दूर हो जाएंगी। विरोधी दलों के नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा के बाद, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम से संविधान का जो रूप बिगड़ गया था उसे ठीक करने के लिए एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है। यह विधेयक इसी सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। मुझे आशा है इसे दोनों सदनों के सभी वर्गों का जल्द ही पूरा सहयोग मिलेगा ताकि काले धब्बों को मिटा कर संविधान को इसके असली रूप में फिर से ला सकें। लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को नकारते और उलटने के लिए संविधान का ही उपयोग करने की किसी कोशिश की संभावना न रह जाए, इसके ठोस उपाय करने की खास जरूरत है।

कानून की निगाह में बराबरी के सिद्धांत को दूषित करने, भ्रष्टाचारपूर्ण तरीकों की धारणा को बदलने और न्यायालयों में अपील करने की शक्तियों को कम करने के लिए चुनाव कानूनों में कई परिवर्तन कर दिये गए थे। अब उन्हें निरस्त कर दिया गया है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1974 तथा 1975 में किए गए संशोधनों को हटाने के लिए एक विधेयक आपके सामने पेश है जिससे इन संशोधनों से पहले जो लोकतांत्रिक तत्व इस कानून में मौजूद थे, उन्हें बहाल किया जा सके। इस तरह गैर-लोकतांत्रिक हस्तक्षेपों को दूर किया जा रहा है, लेकिन चुनाव कानूनों और कार्य-पद्धतियों में बुनियादी सुधार करने की जरूरत बनी हुई है, ताकि चुनाव-प्रक्रिया को अधिक न्याय-संगत तथा नुकसानदेह प्रभावों के प्रति ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। सरकार इस मसले पर विस्तार से गौर कर रही है और वह शीघ्र ही अपने प्रस्ताव राजनीतिक दलों के सामने पेश करेगी।

जनता सच्चे मन से यह चाहती है कि राजनीति और सभी स्तरों पर प्रशासन अधिक स्वच्छ हो। जब तक ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों की ईमानदारी में विश्वास नहीं जमेगा, तब तक सांविधानिक सरकार का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। आपातकाल में हुई ज्यादतियों और अपने पदों का गलत इस्तेमाल करने वाले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए गठित आयोग अपने कठिन कामों में लगे हुए हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार तथा अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के विरुद्ध व्यावहारिक तथा विश्वसनीय सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए तैयार किया गया लोकपाल विधेयक आपके सामने पेश है। सभी संसद सदस्यों को अपनी परिसम्पत्तियों, देनदारियों तथा कारबारी संबंधों के बारे में घोषणा करने के लिए सरकार एक विधेयक पेश करेगी।

एक सचेत जनमत ही विधि-संगत शासन तथा ईमानदार और कुशल लोकतांत्रिक सरकार को सुनिश्चित कर सकता है। आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन निवारण अधिनियम को निरस्त करके तथा संसद कार्यवाही (प्रकाशन की सुरक्षा) अधिनियम को बहाल करके संसद ने समाचार-पत्रों को एक बार फिर से व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समाज के कल्याण के प्रहरी के रूप में कार्य करने में समर्थ बना दिया है। समाचार एजेंसियों पर सभी प्रकार के नियंत्रणों को हटाने के लिए सरकार ने स्वयं पहल की है। प्रेस के कार्य-निष्पादन का जायजा लेने का काम प्रेस परिषद् जैसे व्यावसायिक संगठनों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रेस परिषद् जल्द ही फिर से काम करने लगेगी। सरकार का विचार है कि वह एक प्रेस आयोग बनाए जो देश में मजबूत तथा स्वतंत्र समाचार-पत्रों और समाचार सेवाओं का विकास करने की और सुविधाएं देने की उपयुक्त सिफारिशें दे सके।

जून, 1977 में राज्य विधान सभाओं के लिए चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक दलों को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर अपना प्रचार करने की सुविधा देने से हमारे संचार माध्यमों के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सरकार ने यह बात साफ-साफ कह दी है कि सरकारी संचार माध्यमों का दलगत उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन को अधिक स्वायत्तता देने के प्रश्न पर विचार कर रहे एक कार्यकारी दल की रिपोर्ट की सरकार प्रतीक्षा कर रही है।

सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का पूरे तौर पर रिव्यू किया जा चुका है और मीसा को निरस्त करने तथा दण्ड-प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की रक्षा और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और समाज के जीवन-यापन के लिए अनिवार्य पूर्तियों और सेवाओं को बनाए रखने के हित में न्यूनतम आवश्यक कानूनी प्रावधान तो रखे ही जाएं, लेकिन साथ ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की मनमानी को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाये और यदि जरूरत पड़े तो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा मनोनीत न्यायाधीशों के बोर्डों से रिव्यू भी कराया जाए।

राष्ट्रीय जीवन के कुछ क्षेत्रों में, जनता की दबाई गई भावनाएं तरह-तरह के विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के रूप में व्यक्त हुई हैं। इसके साथ ही, प्रतिबंधों को हटाने से, समाज के कुछ वर्गो ने हिंसा, आतंक और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में भाग लेना आरम्भ कर दिया है। विदेशों में भी कर्मचारियों और सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की घटनाएं हुई हैं तथा धमकियां भी मिली हैं। कोई भी ऐसा वर्ग जिसके साथ न्याय न हुआ हो, अपनी न्यायोचित शिकायतों को सांविधानिक माध्यमों को दूर करवा सकता है लेकिन सरकार हिंसा तथा अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इस प्रकार की कार्रवाई करने वालों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जायेंगे ताकि ये दोबारा

न हों। केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि नागरिकों, विशेषकर कमजोर वर्ग के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए देश की पुलिस को जन-सेवा का एक प्रभावी साधन बनाना होगा। इस संबंध में सरकार ने प्रशासन को विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। चूंकि भारतीय पुलिस अधिनियम बहुत पहले 1861 में बनाया गया था और अंतिम पुलिस आयोग 1902 में गठित किया गया था, इसलिए सरकार ने देश में पुलिस प्रशासन से सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने और इसके बारे में सिफारिशें देने के लिए एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया है।

सरकार इस बात को सर्वोच्च महत्व देती है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों तथा उनके हितों की सुरक्षा संबंधी उपायों को लागू किया जाए। सरकार यह महसूस करती है कि इन वर्गों को राष्ट्र के प्रमुख कार्यों में अन्य वर्गों के समान स्तर पर प्रभावकारी तथा स्वतंत्र रूप में भाग लेने में समर्थ बनाने के लिए स्थायी संस्थागत प्रबंध करने आवश्यक हैं। अत: इसके लिए निम्नलिखित आयोग गठित किए जा रहे हैं:—

(1) सांविधानिक सुरक्षणों को लागू करने तथा संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा पास किए गए कानूनों की सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जा रहा है।

(2) संविधान और कानूनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जो सुरक्षा दी गई है उससे संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जा रहा है।

पिछले साल अर्थव्यवस्था का ठीक तरह संचालन हुआ जिसकी वजह से यह अब इतनी अच्छी अवस्था में है कि अगले साल तेज प्रगति की जा सकती है। इस सरकार के कार्यभार संभालने से पहले वाले साल में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 2 प्रतिशत से भी कम थी जबकि इस साल यह बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई है। कृषि उत्पादनों में पिछले वर्ष में हुई कमी को पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि अन्न का उत्पादन 1180 लाख टन से ज्यादा ही होगा। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी वर्तमान वर्ष में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि निर्यात अर्जन में कमी आई है फिर भी भुगतान संतुलन मजबूत रहा है तथा हमारे विदेशी मुद्रा कोष में खासी बढ़ोतरी होती रही। जोन प्रणाली को समाप्त करने के बावजूद अनाज की वसूली काफी बड़े पैमाने पर हुई है। हालांकि सरकारी वितरण प्रणाली में काफी बड़ी मात्रा में अन्न दिया जा रहा है फिर भी इस समय 170 लाख टन अनाज भण्डार में है।

मुद्रास्फीति संबंधी दबावों पर नियंत्रण पा लिया गया है। पिछले साल कीमतों में लगभग 12 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद इस समय कीमत का स्तर मार्च, 1977 के स्तर

से ऊंचा नहीं है। मुद्रा की सप्लाई में जो कि 20 प्रतिशत अधिक थी, इस वर्ष काफी कमी ला दी गई है। चूंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की शक्यता काफी है, इसलिए सरकार कीमतों की मौजूदा स्थिति के बारे में निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती। अगले साल कीमतों को उचित स्तर पर स्थिर रखने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

इस सरकार को विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जिसमें घोर गरीबी और बेरोजगारी थी, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अधिकतर लोगों को पिछले 30 सालों में हुए विकास का लाभ नहीं मिला था। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा को दूर करने के लिए तथा गरीबी और बेरोजगारी की पुरानी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने विकास प्रक्रिया को सही दिशा देने का निर्णय किया है। इसलिए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना को इस साल समाप्त कर अप्रैल, 1978 से एक नई पंचवर्षीय योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में विकास के लक्ष्य निर्धारण संबंधी सरकार की नई विचारधारा का समावेश होगा। बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी को कम-से-कम समय में दूर करना, इसी अवधि में निम्नतम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना, आय और सम्पत्ति की असमानता में महत्वपूर्ण कमी करना और तकनीकी आत्म-निर्भरता में लगातार प्रगति करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य होंगे। इसलिए, अगली पंचवर्षीय योजना में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों, कुटीर और लघु उद्योगों, सिंचाई और बिजली, प्रौढ़ शिक्षा, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा, गांव में पानी, सड़कों की व्यवस्था करने पर खास तौर से जोर दिया जायेगा। अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक आधारभूत सामग्री जैसे तेल, कोयला, धातुएं, उर्वरक, सीमेंट आदि के उत्पादन पर भी बल दिया जाएगा।

सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है जिसमें कुटीर और लघु उद्योगों के विकास को पूरे देश में अच्छी तरह फैलाने पर जोर दिया गया है। इससे रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि करने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता भी मिलेगी। इस नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र और वृहत् उद्योग, स्वदेशी और विदेशी तकनीक, विदेशी निवेश, कामगारों की भागीदारी और उसमें संबंधित मामले भी आते हैं, और इससे इस दिशा में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने में और फिर से पूंजी निवेश करने में काफी सहायता मिलेगी।

विदेश व्यापार के क्षेत्र में, इस साल भारत के निर्यातों में और प्रगति हुई है। सरकार ने हमारे निर्यातों की सामाजिक लागत को कम-से-कम रखने की सुविचारित नीति अपनाई है और चीनी, चावल, तेल, तिलहनों, ताजी सब्जियों और सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का नियमन किया है। निर्यात से होने वाले अर्जन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की काफी से ज्यादा क्षतिपूर्ति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्यातों के विकास की गति को बढ़ाकर कर ली गई है।

देश में उत्पादित वस्तुओं की पिछले बहुत सालों से चली आ रही कमी और आयातों के कारण अर्थव्यवस्था में ढेर सारे नियंत्रणों और नियमनों को लागू करना पड़ा था। सरकार की उत्कृष्ट इच्छा है कि इनमें से जिनकी उपादेयता समाप्त हो चुकी है, उन्हें हटा दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को निर्धारित करने में लोगों के उद्यमों और पहलशक्ति का पूरा उपयोग हो सके। अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति ऐसी है जिसमें ऐसी नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात और आयात तथा औद्योगिक लाइसेंसों संबंधी नीति और प्रक्रिया की पहले ही जांच की जा चुकी है। नियंत्रणों की समूची व्यवस्था का व्यापक अध्ययन करने और उनको कम करने तथा सरल बनाने की सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है।

औद्योगिक अशांति से उत्पादन में हानि होगी और यह किसी के भी हित में नहीं होगा। मैं मालिकों, कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से अपील करता हूं कि वे सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम करें जिससे विकास पर कोई बुरा असर न पड़े। इस संदर्भ में मैं इस कठिन विषय पर सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुझे आशा है कि इस अध्ययन दल की सिफारिशों से मजदूरी और आय की नीति बनाने में सहायता मिलेगी।

विकास की चुनौती का सामना करने तथा विद्यार्थियों को जन-सेवा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार शिक्षा प्रणाली को पूरे तौर पर बदलने की आवश्यकता को बहुत ही महत्व देती है। इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई निरक्षरता की समस्या की ओर भी प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हमें शिक्षा संबंधी नीतियों के बारे में अकादमिक ही नहीं, बल्कि प्रौढ़ शिक्षा के दृष्टिकोण से भी सोचना है। वास्तव में यदि देश को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर तेज गति से बढ़ना है तो बड़े पैमाने पर साक्षरता के प्रसार के बिना काम चल ही नहीं सकता। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्राधिकारियों से सभी संभव दृष्टिकोणों से सलाह-मशवरा किया है और परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा आदि व शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार कर लिये गये हैं और केन्द्र तथा राज्यों की योजनाओं में पहले से अधिक प्रावधान किए जा रहे हैं।

अपने देशवासियों के रहन-सहन के स्तर को सुधारने के लिए और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति को पूरा महत्व देती है। अनुसंधान की दिशा में अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि वे हमारे प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षण, कृषि और उद्योग और ऊर्जा स्रोतों की तात्कालिक समस्याओं के लिए अधिक संगत हो सकें। सरकार ने राष्ट्रीय उपग्रह परियोजना पर अमल करना शुरू

कर दिया है। इस परियोजना से संचार, मौसम विज्ञान और तूफान-चेतावनी के क्षेत्र में सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार होंगे जिनका लाभ देश को मिलेगा।

अब मुझे उस विषय का उल्लेख करना है जो देश के भावी कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इमर्जेन्सी में की गई ज्यादतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस साल परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़ा धक्का लगा है। इस महत्वपूर्ण मामले में इस प्रवृत्ति को नहीं चलने दिया जा सकता। हम चाहते हैं कि लोग परिवार नियोजन अपनी इच्छा से अपनाएं। इसके लिए लोगों को शिक्षित करने और प्रेरणा देने के लिए अधिक कोशिश करने की जरूरत है। मैं राज्य सरकारों और सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे इस कार्यक्रम के महत्व को समझें और राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के उपायों में मदद करें।

परिवार कल्याण और सांविधानिक जिम्मेदारी निभाने के सिलसिले में एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय नशाबन्दी का है। पिछले साल मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार अगले 4 सालों में क्रमिक रूप से नशाबन्दी लागू कर दी जाएगी। इस क्रमिक कार्यक्रम के ब्यौरे राज्यों के साथ मशवरा करके तैयार किये जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, मैं अब दूसरे देशों के साथ अपने देश के संबंधों की चर्चा करूंगा। मेरी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में लगातार पहल करके इस उप-महाद्वीप को शांति और सहयोग का क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गंगा पानी के बंटवारे के संबंध में बांग्लादेश के साथ करार किया गया। समानता, परस्पर सम्मान और एक दूसरे की संवेदनशीलताओं और आकांक्षाओं के समादर पर आधारित यही भावना हमने भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा*, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे दूसरे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में भी अपनाई है। विशेष रूप से ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह एक दूसरे को समझने के लिए प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाने से ही संभव हो सकता था।

हालांकि सीमा से संबंधित मतभेद सुलझ नहीं पाए हैं फिर भी हम चीन के साथ पंचशील के आधार पर द्विपक्षीय संबंध धीरे-धीरे सुधार रहे हैं। मेरी सरकार ने दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों के साथ निकटता के बढ़ते हुए संबंधों के महत्व को माना है। जनतांत्रिक गणराज्य वियतनाम और इन्डो-चीन के अन्य देशों और इस क्षेत्र के राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ सहयोग के सेतुओं के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस क्षेत्र की राष्ट्र-मंडलीय सरकारों के प्रमुख पिछले दिनों पहली बार मिले और उन्होंने आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। जहां तक जापान से हमारे संबंध की बात है अब यह अधिक अच्छी तरह समझा और महसूस किया जा

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

रहा है कि भारत–जापान संबंध एशिया में शांति प्राप्त करने और विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकते हैं।

जहां तक बड़ी शक्तियों से संबंधों की बात है उसे सरकार ने सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति में आस्था, लाभकारी द्विपक्षीयता और रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि में दृढ़ विश्वास पर आधारित किया है। हमें पूरा यकीन है कि सोवियत रूस और अन्य समाजवादी देशों के साथ हमने जो बहुमुखी सहयोग और सौहार्द स्थापित किया है, वह मजबूत और समृद्ध होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के समान सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारी भी आस्था है और इन देशों के साथ अपने संबंधों में हमने मित्रता और सौहार्द स्थापित कर लिया है। भले ही पहले हमारे बीच मतभेद रहे हों लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इन संबंधों को पारस्परिक विश्वास के उस उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं जो कि किन्हीं खास मामलों पर मतभेदों से कहीं ऊपर होगा और एक दूसरे में समझ–बूझ और विश्वास का क्षेत्र विस्तृत करेगा।

विश्व के विशिष्ट क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में अभी भी तनाव बना हुआ है। हमने उपनिवेशवाद और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में अफ्रीकी देशों के मुक्ति–आन्दोलन का समर्थन करना जारी रखा है और नामीबिया, जिम्बाबवे और दक्षिणी अफ्रीका में मुक्ति आन्दोलनों को अपना राजनीतिक समर्थन और ठोस सहायता देने का वायदा किया है। जातिवाद और उपनिवेशवाद के सामान्य शत्रु के विरुद्ध अफ्रीकी नेताओं में एकता की जरूरत के बारे में जितना कहा जाए, थोड़ा है। पश्चिमी एशिया के संबंध में हमारा अब भी यही मत है कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए एक न्यायसंगत और चिरस्थायी समझौता होना चहिए। यह समझौता सारे अधिकृत क्षेत्र से इजराइली सेनाओं की वापसी पर आधारित हो और संयुक्त राष्ट्र के उन संकल्पों के अनुसार हो जो कि फिलस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों को तथा इस क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट–निरपेक्ष विश्व, राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संबंधी सम्मेलनों में मेरी सरकार ने भारत की रचनात्मक सहभागिता को मजबूत किया है।

हमारा यह दृढ़ मत है कि वे विराट समस्याएं, जिनका विकासशील और विकसित देश सामना कर रहे हैं, केवल तभी हल की जा सकती हैं जब विश्व के सभी भागों में शांति और स्थिरता हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि बड़ी अणु शक्तियां आणविक परीक्षण पर रोक लगाने, सभी आणविक हथियारों को कम करने और उन्हें अंतिम रूप से समाप्त करने तथा प्रभुसत्ता, समानता और पक्षपातहीनता के प्रति सम्मान रखते हुए परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के उपयोग

के लिए शीघ्र ही सहमत हो जाएं। आणविक निरस्त्रीकरण के लिए विश्व के सभी देश व्यग्र हैं। इस साल ही कुछ समय बाद निरस्त्रीकरण सम्मेलन करने का प्रस्ताव है। हमें उम्मीद है कि उसमें प्रमुख आणविक शक्तियां निरस्त्रीकरण के लिए एक सर्वसम्मत और समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करेंगी। अपनी ओर से हमने आणविक शक्ति को केवल शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग करने के दृढ़ निश्चय को फिर दोहराया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी का इंतजार किए आणविक परीक्षण करने से हम स्वयं दूर रहेंगे। बहरहाल इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध हैं।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र के दौरान आपको आय और व्यय विवरण और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों के लिए मांगों पर विचार करना होगा जिससे उन नई दिशाओं का निर्धारण होगा जिनमें देश को आने वाले वर्षों में प्रगति करनी है। आपको उन वैधानिक उपायों को अंतिम रूप देना होगा जो आपके पास विचाराधीन हैं। आपको प्रस्तुत किए जाने वाले कुछ नए वैधानिक उपायों पर भी विचार करना होगा, जिनमें से कुछ के विषय में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। इनमें से कई उपाय हमारी लोकतांत्रिक नीति और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार आपके सामने बहुत ही लम्बी कार्यसूची होगी। इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। आपके योगदान के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं और आपकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 19 फरवरी 1979

लोक सभा	-	छठी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री बी.डी. जत्ती
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री मोरारजी देसाई
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री के.एस. हेगड़े

माननीय सदस्यगण,

संसद के 1979 के इस पहले सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने काफी लम्बी-चौड़ी कार्यसूची है और मैं आपके बजट तथा विधायी कार्यक्रम के शीघ्र पूरा होने की शुभकामना करता हूं।

पिछले वर्ष हमें अभूतपूर्व बाढ़ों का सामना करना पड़ा जो वर्तमान समय में सबसे भयंकर थीं। इनमें बहुत सी जानें गईं; दूर-दूर तक फसलों को नुकसान पहुंचा और निजी और सरकारी दोनों प्रकार की सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ। हमारे देश के लोगों ने इस मुसीबत का जिस साहस और धैर्य से सामना किया उसकी प्रशंसा करनी होगी। राज्य सरकारों ने इन बाढ़ों से उत्पन्न हुई अति कठिन स्थिति का सामना दक्षता और शीघ्रता से किया। केन्द्रीय सरकार ने उदारतापूर्वक धनराशि तथा अन्य आवश्यक साधन देकर सहायता की। रक्षा सेवाओं और पुलिस कर्मचारियों ने भी राहत प्रदान करने में उल्लेखनीय कार्य किया और मैं यहां उन सभी की प्रशंसा करना चाहूंगा। साथ ही, मैं भारत और विदेशों में स्थित उन विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों के प्रति भी व्यक्तिगत आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने धन और साधन दोनों देकर सहायता की और कई अन्य प्रकार से सेवा कार्य किया। इतने बड़े पैमाने पर आई बाढ़ों के अनुभव के आधार पर, सरकार उन्हें नियंत्रित करने के एक सुनियोजित प्रयास की ओर विशेष ध्यान दे रही है।

पिछले वर्ष मैंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1974 और 1975 में किए गए संशोधनों के निरसन का जिक्र किया था ताकि इन संसाधनों से पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसकी पुनः स्थापना की जा सके। निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक न्यायोचित बनाने और उसे हानिकर प्रभावों से मुक्त रखने के लिए निर्वाचन कानूनों और कार्यविधि में कुछ बुनियादी सुधार सरकार के विचाराधीन हैं। इस संबंध मे तैयार किए गए विस्तृत प्रस्तावों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा।

यह उल्लेखनीय है कि हमारी प्रणाली ने समय-चक्र के तनावों और दबावों का सफलतापूर्वक सामना किया है। इसका बहुत कुछ श्रेय नागरिक स्वाधीनताओं की पुनःस्थापना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाए जाने को है। 1977 से पहले के वर्षों में बहुत अधिक मुद्रास्फीति हुई और बाद में सभी मांगों का दमन किया गया। आज की बहुत-सी मांगें उस काल में दबाई गई मांगों की पूर्ति का ही प्रयास दिखाई देती हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इनमें से कुछ मांगों का आधार राजनीतिक अधिक, और आर्थिक कम है।

सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आपातकाल की बेड़ियों से मुक्त कराने और विधि पर आधारित शासन को पुनः स्थापित करने के प्रयास को जारी रखा है। संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और अब उसे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन के लिए भेजा हुआ है। विभिन्न आयोगों ने आपातकाल की ज्यादतियों और कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने उच्च पदों के कथित दुरुपयोग की जांच की है। उनकी रिपोर्टों पर कार्रवाई की जा रही है। आपातकाल के दौरान उच्च राजनीतिक और सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराधों के सम्बंध में मुकदमे चलाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के बारे में सरकार का एक विधेयक पेश करने का विचार है। आकाशवाणी और दूरदर्शन को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जो कार्य-दल नियुक्त किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार का इस विषय में जल्द-से-जल्द एक विधेयक पेश करने का विचार है।

पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक क्रियाकलापों का गुरुत्व केन्द्र शहरों से देहात की ओर बढ़ता रहा है। बढ़ती हुई आशाओं और आकांक्षाओं ने देहात के लोगों को आर्थिक मामलों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है। इस परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक तनाव भी बढ़े हैं। हमारे लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम, राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से, इस परिवर्तन को कितने सुव्यवस्थित ढंग से संभाल पाते हैं।

पिछले वर्ष मैंने यह उल्लेख किया था कि विकास की नीति को नया रूप देकर और, खासतौर से देहाती इलाकों में, गरीबी और व्यापक बेरोजगारी की समस्याओं का

दृढ़ता से मुकाबला करके सरकार ने अपने सोचने के तरीके में दिशा–परिवर्तन किया है। सरकार की यही मूलभूत उत्कंठा छठी योजना में प्रतिबिम्बित हुई है। सरकार के इस बुनियादी दृष्टिकोण का राष्ट्रीय विकास परिषद् ने समर्थन किया है।

देश के विकास में राज्यों को जो भूमिका निभानी है उसके विचार से यह उपयुक्त ही है कि उसकी पूर्ति के लिए उन्हें वित्तीय रूप से समर्थ बनाया जाए। सातवें वित्त आयोग ने राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन सौंपने का प्रावधान किया था। भारत सरकार ने आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निदेश दिया था कि संविधान के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का पुनर्विलोकन किया जाए, और उसकी जांच करने के लिए उसने एक समिति नियुक्त की थी। 1978–79 में, योजना प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद पहली बार, राज्यों के कुल योजना परिव्यय केन्द्र से अधिक रहे।

1977–78 में, उससे पिछले वर्ष के 1.4 प्रतिशत की तुलना में, राष्ट्रीय आय में लगभग 7.4 प्रतिशत (1970–71 की कीमतों के आधार पर) वृद्धि हुई। कृषि और ग्रामीण विकास को जो उच्च प्राथमिकता दी गई है उसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। चालू वर्ष में, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ों से हुई व्यापक क्षति के बावजूद, खरीफ में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग पिछले वर्ष जितना होने की आशा है। मूंगफली, तिलहन, कपास और जूट का उत्पादन पिछले वर्ष से भी अधिक होने की संभावना है। वर्तमान रबी की फसल भी अच्छी होगी, ऐसी आशा है।

1977–78 में, 26 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाई गई जो किसी एक वर्ष में किसी भी देश द्वारा प्राप्त की गई उच्चतम उपलब्धि है। चालू वर्ष का लक्ष्य 28 लाख हैक्टेयर का है। 1977–78 में उर्वरकों की खपत में पिछले वर्ष की अपेक्षा 26 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह रुख इस वर्ष भी कायम रखा गया है। सिंचाई और उर्वरकों की खपत के ये आंकड़े कृषि की ओर अधिकाधिक ध्यान देने की नीति की सफलता को उजागर करते हैं और इस नीति के परिणाम भी प्रत्यक्ष ही हैं।

खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन के कारण, जो पिछले वर्ष 125.6 लाख मीट्रिक टन था, खाद्य पूर्ति की स्थिति सुखद हो गई है। सभी अनाज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे हैं और उनकी कीमतें स्थिर रही हैं। उनके एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने पर पाबंदियां न होने से कमी और अधिकता वाले क्षेत्रों के बीच खाद्यान्नों की कीमतों में अंतर कम हो गया है।

चीनी का उत्पादन 1977–78 में 64.7 लाख मीट्रिक टन के एक नए कीर्तिमान तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के रिकार्ड से लगभग 34 प्रतिशत अधिक है। चीनी की खपत 20 प्रतिशत बढ़कर लगभग 45 लाख मीट्रिक टन हो गई। 16 अगस्त, 1978 से चीनी की कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिया गया। उसके बाद चीनी की कीमतें और

गिरीं और जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। गन्ना उत्पादकों के दीर्घकालीन हितों की रक्षा के लिए भी उपाय ढूंढ़ लिये गये हैं।

खाद्यान्नों और औद्योगिक क्षेत्र के बढ़े हुए उत्पादन की झलक मूल्य स्तरों के स्थिर रहने और देश भर में आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता सामग्री के आसानी से उपलब्ध होने में परिलक्षित होती है। चालू वर्ष के अधिकांश भाग में थोक मूल्य-सूचकांक 2 प्रतिशत से भी कम के सीमित दायरे के भीतर रहा है। दरअसल अप्रैल-अक्तूबर, 1978 का सूचकांक 1977 के उन्हीं महीनों, जो स्वयं अपेक्षाकृत मूल्यों में यह स्थिरता मुद्रा और राजकोष संबंधी नियंत्रण, उपयुक्त मूल्य निर्धारण नीतियों, अधिक उत्पादन, खाद्य तेलों जैसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के आयात द्वारा प्राप्त की गई हैं। अभी भी दालों, तिलहनों और सीमेंट जैसी कुछ वस्तुओं के मूल्य और उपलब्धता निरन्तर चिन्ता का विषय बने हुए हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

कंट्रोल प्रणाली में ढील देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। खाद्यान्नों की आवाजाही पर पाबंदियां हटाने और औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने और आयात नीतियों और प्रक्रियाओं में ढील देने के लाभ उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को हुए हैं। समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि कंट्रोल प्रणाली में और कहां दखल देना संभव है।

देहात में गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1978-79 में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम एक सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरम्भ करना था। इस नये कार्यक्रम में, देहाती इलाकों में विकास की गतिविधियों को और गहन करके गरीबी हटाने की जोरदार कोशिश की गई है। कुछ 5,004 ब्लाकों में से 2,300 ब्लाकों को गहन विकास के लिए चुना गया है। इन ब्लाकों को कमजोर वर्गों के हित की स्कीमें बनाने के लिए प्रति ब्लाक पांच लाख रुपये की विशेष सहायता दी जायेगी जो उनके सामान्य विकास कार्यक्रम पर होने वाले परिव्यय के अलावा होगी। इस अतिरिक्त सहायता से गांव के बेरोजगार और अल्प-रोजगार व्यक्तियों के लिए लाभदायक रोजगार पैदा होंगे और उनकी आय, पोषण और रहन-सहन के स्तरों में वृद्धि होगी। इससे स्थायी प्रकृति के सामुदायिक साधन उपलब्ध होंगे और गांवों का आधार मजबूत होगा। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम गांवों में रोजगार दिलाने और उनके विकास में प्रमुख रूप से सहायक हुआ है। पिछले वर्ष, राज्यों के जरिये, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.04 लाख मीट्रिक टन गेहूं बांटा गया तथा इस वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। 'काम के बदले अनाज' स्कीमों के द्वारा इस वर्ष 40 करोड़ दिहाड़ी के बराबर काम उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की जांच की और ग्रामीण योजना और विकास की अधिक कारगर और विकेन्द्रीकृत प्रणाली के लिए उपाय सुझाए। इसकी रिपोर्ट पर निकट भविष्य में राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाना है।

सरकार भूमि सुधार उपायों को जल्दी अमल में लाए जाने को बहुत महत्व देती है। संविधान की नवीं अनुसूची में प्रदत्त संरक्षण को सभी नये भूमि सुधार कानूनों पर लागू किया जाएगा। नवम्बर, 1978 तक भूमिहीन लोगों को 6.48 लाख हैक्टेयर भूमि बांटी गई थी। भूमि प्राप्त करने वालों में 50 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के थे। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि जो जमीन अतिशेष घोषित की जाये, उसके शीघ्र वितरण का प्रबन्ध हो। राज्य सरकारों का ध्यान भूमि-अभिलेखों को सही तरीके से रखने और उन्हें अद्यतन बनाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया गया है। सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं और बकाया मामलों के निपटान के लिए राज्यों ने विशेष अभियान चलाए हैं।

समाज के कमजोर वर्गों, जैसे छोटे-छोटे किसानों, खेतिहर मजदूर, देहाती कारीगरों, आसामी काश्तकारों, बटाइदारों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को कृषि-ऋण देने पर जोर दिया गया है। 1978-79 के अंत तक कृषि-ऋण की मात्रा 2,215 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है जबकि पिछले वर्ष यह 1,676 करोड़ रुपये थी। संस्थाओं के माध्यम से दिए जाने वाले कुल ऋण का एक तिहाई भाग समाज के कमजोर वर्ग लेते हैं।

राष्ट्रीय सहकारिता-नीति संकल्प के अनुसार, इस बात पर निगरानी रखने के लिए कदम उठाये गये हैं कि सहकारी संस्थाएं ऋण, उर्वरकों और अन्य कृषि-संबंधी जरूरतों को पूरा करें। सरकारी संस्थाएं कृषि-उत्पाद की तैयार माल के रूप में लाने और उसकी बिक्री की व्यवस्था करने का काम कर रही हैं और उन्हें मूल्य-समर्थन भी दे रही हैं। सार्वजनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर, खासकर देहाती इलाकों में, उपलब्ध कराने का काम बहुत सारे सहकारी बिक्री-केन्द्रों के जरिये किया जा रहा है।

विकेन्द्रीकृत ग्रामीण, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार देश के प्रत्येक जिले में जिला उद्योग-केन्द्र खोल रही है। अब तक ऐसे लगभग 250 केन्द्रों को मंजूरी दे दी गई है, और बाकी केन्द्रों को आगामी वर्ष में खोलने का विचार है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के सहायता कार्यक्रमों को मजबूत किया गया है। एकमात्र लघु क्षेत्र में ही विकसित किए जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या 504 से बढ़ा कर 807 कर दी गई है और लघु और कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाने का विचार है।

सरकार देहात के लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं से अवगत है, जैसे कि पीने का पानी, देहाती सड़कें, चिकित्सा सुविधायें (खासकर स्त्रियों के लिये), प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा और बेघर लोगों के लिए मकान बनाने की जमीन और इन सबके लिये कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी गई है। मिसाल के तौर पर, मार्च, 1981 तक 1,13,000 से अधिक समस्या-ग्रस्त गांवों की जरूरत को पिछले वर्ष पूरा किया गया और 27,000 अन्य गांवों की जरूरत को इस वर्ष पूरा किये जाने की सम्भावना है। देहाती और शहरी दोनों इलाकों में गरीब लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था भी की जा रही है और एक बड़ी राशि देहात में मकान बनाने के लिए खासतौर से निर्धारित की जा रही है। ग्रामीण आवास-स्थल योजना के अंतर्गत 74.6 लाख भूमिहीन परिवारों को पहले ही घर बनाने के लिए जमीन दे दी गई है और अब इन परिवारों को छोटी लागत के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पूरी लगन से कार्यान्वित करेंगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसार और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अनुमोदन से, उत्पादन व वितरण की एक व्यावहारिक स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम में सम्मिलित उपाय के रूप में उत्पादन, प्राप्ति, भंडार, परिवहन और वितरण सभी शामिल हैं। प्रस्तावित प्रणाली का अधिकांश लाभ समाज के कमजोर वर्गों को होगा। इस स्कीम का देशव्यापी कार्यान्वयन 1 जुलाई, 1979 से शुरू होगा।

देश के उत्तर-पूर्वी भाग की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छह नई रेलवे लाइनों की मंजूरी दी गई है। इनके बन जाने से उस क्षेत्र का प्रत्येक राज्य और संघ-शासित क्षेत्र रेलवे प्रणाली से जुड़ जाएगा।

सरकार ने 1978-79 में 7 से 8 प्रतिशत के बीच औद्योगिक वृद्धि की दर प्राप्त करने की दिशा में एक कार्यक्रम की घोषणा की। व्यापक बाढ़ों के बावजूद, जिनसे कोयला, इस्पात और रेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की संभावना है। प्रभावी परिवीक्षण से अड़चनों पर काबू पाने में सहायता मिली और अप्रैल-नवम्बर, 1978 के दौरान वृद्धि-दर लगभग 8 प्रतिशत रही। अगले वर्ष के लिए जिस लक्ष्य को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है वह इस वर्ष की उपलब्धि से अधिक होगा। बिजली उत्पादन की कमी इस साल औद्योगिक उत्पादन में रुकावट का कारण नहीं रह गयी है क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा अब तक लगभग 13 प्रतिशत बिजली उत्पादन अधिक हुआ है। इस्पात का कुल उत्पादन भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 6 प्रतिशत अधिक हुआ है। उर्वरकों, वाणिज्यिक वाहनों तक अल्युमिनियम का उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर से कहीं ऊपर है। उर्वरकों तेल और गैस, इस्पात, सीमेंट, कागज, अल्युमिनियम और अन्य अलौह धातुओं जैसे कुछेक अति महत्वपूर्ण

क्षेत्रों में देश की समग्र जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले ही एक नीति को अंतिम रूप दे दिया है ताकि हमारे आर्थिक विकास के इन बुनियादी क्षेत्रों में हमारे देश को पहले की तरह लगातार कमियों का सामना न करना पड़े। सरकार भारतीय नौवहन उद्योग की दशा पर भी चिन्तित है। इसके महत्व को देखते हुए सरकार ने सुपात्र नौवहन कम्पनियों को सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है ताकि वे अपनी विकट वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पा सकें। रुग्ण उद्योगों की समस्या से सामान्य रूप से निबटने के लिए सरकार ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए हैं जिनके अनुसार, पहले अपनाई गई तदर्थ नीति के स्थान पर, रुग्ण यूनिटों का अधिग्रहण विवेकपूर्ण किया जाएगा। एक उच्चाधिकार-प्राप्त छानबीन समिति ऐसे सभी प्रस्तावों की जांच करती है और उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करती है।

रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में वस्त्र-उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अगस्त, 1978 में एक समेकित वस्त्र-नीति की घोषणा की गई थी जिसमें आम जनता की कपड़े की जरूरतों को पूरा करने और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए हथकरघों के विकास पर बल दिया गया है। कंट्रोल के कपड़े का वितरण-प्रबंध मजबूत कर दिया गया है और सस्ते कपड़े के उत्पादन का दायित्व मुख्यतः राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंप दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में सूती धागे के उत्पादन में 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। इसके बावजूद, मिल-क्षेत्र में वस्त्र का उत्पादन केवल 2 प्रतिशत बढ़ा है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि धागे के उत्पादन का पहले से अधिक भाग विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में बढ़े हुए उत्पादन में इस्तेमाल हुआ है। नई नीति इसी उम्मीद पर आधारित थी।

इस समय संसद के समक्ष प्रस्तुत औद्योगिक संबंध विधेयक में माननीय सदस्यों को इस विधेयक पर गंभीरता और तत्परता से विचार करना चाहिए।

सरकार ने साक्षरता के प्रसार के अपने वायदे को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अगले पांच वर्षों में 10 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को शिक्षित करने के लिए एक विराट राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगले 10 वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसामान्य बनाने के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया गया है। इसके साथ-साथ, शिक्षा को व्यावहारिक बनाने तथा उसे लोगों के जीवन और वातावरण के साथ जोड़ने के उद्देश्य से, सभी स्तरों पर शिक्षा की विषय-वस्तु को नया रूप देने के लिए कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। जहां तक महिलाओं का संबंध है, प्रौढ़ महिलाओं को शैक्षिक और व्यावसायिक निपुणता प्रदान करने के लिए व्यावहारिक साक्षरता-कार्यक्रम शुरू किये जाने हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के संकल्प के अनुसार, 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, रोग-प्रतिरक्षण और शिक्षण की समेकित सेवाओं में वृद्धि करने का सरकार का विचार है। ये सेवायें प्रौढ़ महिलाओं को व्यावहारिक साक्षरता प्राप्त कराने और शिशु कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ चलेंगी। स्वयंसेवी संगठन शिशु कल्याण कार्यक्रम आरम्भ कर सकें, इस दृष्टि से एक राष्ट्रीय बाल-कोष की स्थापना की जा रही है।

कोठारी समिति और संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने परीक्षा की एक संशोधित प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की है जिसका उद्देश्य चयन के आधार को व्यापक बनाना है। इस प्रणाली के अंतर्गत, पहले एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और उम्मीदवारों को आठवीं अनुसूची की किसी भी भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की छूट होगी।

जनसंख्या में बेहिसाब वृद्धि देश की आर्थिक उपलब्धियों को सीमित कर देती है। सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को जोरदार तरीके से चलाने के लिए कृत-संकल्प है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकारों और जनता का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। सारे देश को छोटे परिवार का आदर्श स्वीकार करना चाहिए।

सरकार विज्ञान-नीति संकल्प, 1958 के प्रति वचनबद्ध है। 1978-83 की योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2,491 करोड़ रुपये है, जो कि पांचवीं योजना में दी गई राशि का लगभग दुगना है। सरकार का शीघ्र ही प्रौद्योगिक नीति पर एक वक्तव्य जारी करने का विचार है।

विश्व के और देशों के साथ हमारे सम्बंधों के मामले में सरकार ने गुट-निरपेक्षता और रचनात्मक सहयोग की नीति का दृढ़तापूर्वक अनुसरण किया है। यह बहुत संतोष की बात है कि हमारी विदेश नीति अब अधिक सराही जाती है और सभी देश इसका इस दृष्टि से सम्मान करते हैं कि यह प्रादेशिक और विश्व की शांति और सुरक्षा की प्रक्रिया में योगदान दे रही है।

बड़ी शक्तियों के साथ भारत के सम्बंध गुट-निरपेक्षता के प्रति गहरी आस्था, आपसी हित और रचनात्मक सहयोग पर आधारित हैं। जून, 1978 में प्रधान मंत्री की वाशिंगटन यात्रा से भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सम्बंध सुधरने की दिशा में प्रगति हुई है। भले ही कुछ मामलों में हमारे विचार उनके विचारों से न मिलते हों, लेकिन हमारी और अमरीका की विचारधाराओं में कई मौलिक समानतायें हैं। सोवियत संघ के साथ हमने एक दीर्घकालिक सहयोग का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है और हमें विश्वास है कि हमारे दोनों देशों को जो अनेक सम्बन्ध-सूत्र जोड़ते हैं, वे प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन की इस देश की आगामी यात्रा के दौरान और भी मजबूत होंगे। इसी

प्रकार प्रधान मंत्री के यूरोपीय आर्थिक समुदाय के ब्रेसेल्स स्थित मुख्यालय के दौरे से भी सौहार्द बढ़ा है। चीन के जनवादी गणराज्य के साथ हमारे सम्बंधों के सामान्य बनाने की दिशा में भी 'पंचशील' के सिद्धांतों के आधार पर कदम उठाये गए हैं। माननीय सदस्यों को विदेश मंत्री की हाल की चीन यात्रा के बारे में मालूम ही है।

चीन-वियतनाम सीमा पर अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व को जो खतरा पैदा हो गया है, उससे हम गम्भीर रूप से चिन्तित हैं। लड़ाई तत्काल बंद होनी चाहिए, और पहला कदम यह हो कि चीन की फौजें वियतनाम से हट जाएं।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलनों में हम निरस्त्रीकरण, खासतौर से आणविक निरस्त्रीकरण पर हुए विशेष अधिवेशन में और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशनों में भी हमने परमाणु-अस्त्र स्थिति के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना को कायम रखने की कोशिश के खिलाफ बराबर अभियान जारी रखा है। साथ ही हमने एक ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसका पालन, प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण बनाये रखते हुए, पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की ओर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि निरस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता मानव जाति को शांति, प्रगति और सद्बुद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है।

विकसित देशों ने जो संरक्षणवादी कदम उठाए हैं उनसे सरकार गम्भीर रूप से चिंतित है। इससे देश के निर्यात पर काफी असर पड़ा है। विकसित देशों में संरक्षणवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए विकासशील देशों द्वारा सामूहिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर अधिक बल दिए जाने का महत्व स्पष्ट ही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर कई बातों में पहल की है।

पश्चिम एशिया में स्थायी और न्यायोचित शांति की तलाश अभी जारी है। अरब लोगों के न्यायोचित पक्ष का समर्थन करने की भारत की सुसंगत नीति अपरिवर्तित है, और इज़राइल द्वारा सभी अधिकृत प्रदेशों को खाली किये जाने और फिलिस्तीन के लोगों को आत्म-निर्णय तथा एक स्वतंत्र राज्य के लिए उनके अनपरिहार्य अधिकारों को पुनः प्राप्त कराने की समस्याओं के व्यापक समाधान के प्रति हम निरन्तर आशावान हैं। अरब जगत के साथ हमारे आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग में गहरी और विस्तृत वृद्धि हुई है।

दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागरीय प्रदेशों में, हमने दोस्ती के मौजूदा संबंधों को बनाये रखा है और अपने देश तथा इस प्रदेश के देशों के बीच आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखा है। दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के साथ बातचीत करने की दिशा में प्रयत्न आरम्भ किये गये हैं।

विश्व शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने की दिशा में हम भारत–जापान संबंधों को जो महत्व देते हैं वह विदेश मंत्रियों के स्तर पर विचार–विमर्श की वार्षिक प्रक्रिया आरम्भ किए जाने से स्पष्ट हो जाता है।

अफ्रीका के देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध आर्थिक सहयोग में वृद्धि के जरिये और भी सुदृढ़ हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति अभी भी हमारे लिए चिंता का विषय बनी हुई है। नामीबिया और जिम्बाबवे की समस्याओं के न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान की जो उम्मीदें बंधी थीं वे जातिभेदवादी सरकारों के संदिग्ध रुखों और पैंतरेबाजियों के कारण विफल हो गईं। फिर भी, हमें इसकी पूरी आशा है कि निकट भविष्य में नामीबिया और जिम्बाबवे आजादी प्राप्त कर लेंगे। हमने दक्षिणी अफ्रीका में स्वाधीनता आन्दोलनों को नैतिक और भौतिक सहायता देना जारी रखा है।

समस्त विश्व में और खासकर अपने नजदीक के पड़ोसियों के साथ हम अपनी शांति और सहयोग की नीति का पालन तो करते ही रहेंगे, साथ ही हम निरन्तर प्रभावशाली सुरक्षा कटिबद्धता की स्थिति में रहने की आवश्यकता को भी पूरी तरह महसूस करते हैं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि हमारी रक्षा सेनाओं के मनोबल और प्रशिक्षण की स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। उनके उपस्कर को आधुनिक बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस कार्य में हमारे रक्षा उद्योग भूमिका निभाते हैं। उत्तरोत्तर आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण उनके प्रगामी विकास के प्रमुख लक्ष्य हैं।

माननीय सदस्यगण, मैंने जो अभी कहा है वह इस आशा और विश्वास का पर्याप्त प्रमाण है कि यह देश एक न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, बशर्ते कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें। दृष्टिकोण भिन्न होते हुए भी हमें अपने उद्देश्यों में एकरूपता लाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हमें चाहिए कि न हम ऐसे काम करें, न ऐसी बात कहें और न ऐसे रवैये अपनाएं जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक हों। राष्ट्रीय प्रयास की एकरूप भावना के साथ मैं इस सत्र के कार्य के लिए आह्वान करता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिंद।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 23 जनवरी 1980

लोक सभा	-	सातवीं लोक सभा
सत्र	-	सातवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री एम. हिदायतुल्लाह
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

सातवीं संसद के इस पहले संयुक्त सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी है। नई लोक सभा के सदस्यों का मैं अभिनन्दन करता हूं।

छठी लोक सभा मार्च, 1977 में निर्वाचित हुई थी लेकिन यह अपनी पूरी अवधि तक नहीं चल पाई और आधी अवधि से पहले ही इसे विघटित करना पड़ा। इसके विघटन के बाद कुछ महीनों तक देश का शासन बिना लोक सभा के ही चलाना पड़ा। संतोष की बात है कि अब पिछले कुछ महीनों की अस्थिरता समाप्त हो गई है। भारत के लोगों ने क्षेत्रीय, भाषायी, वर्गीय व सांप्रदायिक भेदभावों पर आधारित विचारधाराओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये असंदिग्ध रूप से अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने ऐसे लोगों की सरकार को चुना है जिन्हें देश के सभी वर्गों और जनता के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त है। चुनावों के नतीजे से ही यह हो पाया है कि अब हमारा देश केन्द्र में स्थायी शासन की आशा कर सकता है।

खेद का विषय है कि कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों के कई चुनाव हल्कों के नुमाइन्दे आज यहां हमारे बीच नहीं हैं। इस इलाके की, और इस समय खासतौर से असम की समस्याओं को तत्काल, सभी ओर से आपस में मेलजोल और भाईचारे की भावना से, हल करने की जरूरत है। इन समस्याओं का शीघ्र हल खोजने और हिंसा को खत्म करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार सभी वर्गों से अपील करती है कि वे इसके लिए सही माहौल पैदा करने के काम में उसका हाथ बटाएं।

राष्ट्र-विरोधी शक्तियां हमारी सीमाओं पर सक्रिय हो गई हैं जिससे हमारी सुरक्षा के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है। देश के कई हिस्सों में साम्प्रदायिक और दूसरी विभाजक शक्तियां भी सर उठा रही हैं जिस सबब से राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को गहरी चोट पहुंच रही है। भाषायी और दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों, हरिजनों और समाज के कमजोर तबकों की आस्था को गहरी ठेस लगी है। अपराधों में बढ़ोतरी होने की वजह से और उनका पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए किए गए नाकाफी उपायों के कारण कानून-प्रिय लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। कानून के प्रति अनादर और चारों ओर फैली अनुशासनहीनता ने उत्पादन के प्रयासों की गति धीमी कर दी है।

मौजूदा सरकार को विरासत में मिली आर्थिक स्थिति गहरी चिन्ता और बेचैनी का विषय है। पिछले वर्ष मुद्रास्फीति का कुचक्र देखने में आया जिससे मूल्यों में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन को भारी धक्का लगा है और औद्योगिक उत्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई है। बुनियादी संरचना में गतिरोध आने से, खासतौर से देश के कुछ भागों में, इस्पात और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इस कारण हमें महंगे आयात करने पड़े हैं जबकि भारी लागत से बनी देशी क्षमता निष्क्रिय पड़ी है। कोयले के उत्पादन में भी वृद्धि नहीं के बराबर हुई है। निर्यातों में वृद्धि की दर घट गई है और व्यापार-शेष भारी घाटे में चल रहा है। कारगर प्रबंधन के अभाव में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ गई है। औद्योगिक संबंध खराब हो गए हैं और सारे औद्योगिक क्षेत्र में मनोबल गिर गया है।

लोगों ने नई सरकार को जो विराट और व्यापक विश्वास दिया है उसमें उनकी यह चाह दिखाई देती है कि कानून और व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई उसे रोक कर उसमें सुधार किया जाए। सरकार लोगों को यह आश्वासन देना चाहती है कि वह जरूर इसी दिशा में मजबूती और तेजी के साथ कदम उठाएगी।

सरकार का भरसक प्रयत्न होगा कि अव्यवस्था का दमन किया जाए और सभी लोगों में, खासतौर से कमजोर वर्गों में, विश्वास की भावना फिर से पैदा की जाए, केन्द्र और राज्यों के स्तर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सक्रिय किया जाएगा, ताकि समस्याओं को तत्परता और कारगर तरीके से हल किया जा सके।

माननीय सदस्यगण, नई सरकार ने कोई एक हफ्ता हुए काम संभाला है। बजट अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इस समय सरकार के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले सामाजिक और आर्थिक उपायों के बारे में बताया जाएगा। फिर भी ऐसे कुछ मामले हैं जिनका आज जिक्र करना जरूरी है।

सरकार दुहराना चाहेगी कि वह अब भी यही विश्वास करती है कि योजना के रास्ते से ही हम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें राष्ट्र-निर्माण का महान् कार्य फिर से दुगने उत्साह से शुरू करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां खुशहाल और बेहतर जिन्दगी की आशा कर सकें।

सरकार देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर तुरंत ध्यान देगी। मूल्यों के नियंत्रण के लिए उपाय किए जाएंगे। तस्करों, जमाखोरों और कालाबाजारियों जैसे समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है। गरीबों, भूमिहीन लोगों, दस्तकारों, हथकरघा बुनकरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के दूसरे वर्गों के लिए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वरदान सिद्ध हुआ था, उसमें नई जान डालकर, अब उसे कारगर तरीके से अमल में लाया जाएगा। पांचवीं योजना में शुरू किए गए न्यूनतम-आवश्यकता कार्यक्रम को फिर एक बार उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस सिलसिले में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाएगा।

सरकार की यह नीति होगी कि कृषि और ग्रामीण विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए जिसमें छोटे और सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को मदद देने पर खास जोर दिया जाएगा। व्यापक सूखे के कारण पैदा हुई मुसीबत को कम करने की ओर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। उर्वरक, ऋण, पानी, बिजली, डीजल, मिट्टी का तेल आदि वस्तुओं की समय पर उचित सप्लाई सुनिश्चित करते हुए, किसानों को अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की सहायता दी जाएगी। इसके लिए राज्य-सरकारों का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त किया जाएगा। सरकार का यह प्रयत्न होगा कि किसान को अपनी उपज का उचित लाभकारी मूल्य अवश्य मिल सके। कृषि के सतत विकास की व्यवस्था करते हुए सरकार तिलहनों जैसी वस्तुओं के उत्पादन की तरफ ज्यादा ध्यान देगी ताकि इस प्रकार की जरूरी चीजों के लिए हमें दूसरे देशों का आसरा न लेना पड़े।

बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब होने से परिवहन-व्यवस्था में रुकावटें आ गई थीं और इस्पात, सीमेंट, कोयला और बिजली जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की सप्लाई अपर्याप्त हो गई थी, अब इनमें सुधार लाकर इन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। लगातार देखभाल तथा ठीक वक्त पर सही कार्रवाई करके यह सुनिश्चत किया जाएगा कि रेलों और जहाजों द्वारा यातायात के कामों में दक्षता रहे और बन्दरगाहों पर माल की शीघ्र निकासी हो।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का संबंध है, मौजूदा क्षमता के बेहतर उपयोग, सुधरे हुए श्रम-संबंधों और खासतौर से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर संचालन द्वारा उत्पादन में तेजी के साथ वृद्धि पर जोर दिया जाएगा। कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों के बेहतर प्रबंध के द्वारा निर्यातों को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

देश के सामने ऊर्जा का भयानक संकट है। हम ऊर्जा की बढ़ती हुई कीमतों और उसकी सप्लाई में संभावित कमियों के दौर से गुजरने वाले हैं। सरकार का ऊर्जा के बारे में एक ऐसी व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव है जिसमें परम्परागत और

गैर-परम्परागत, दोनों प्रकार के नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के पूरे-पूरे उपयोग पर जोर दिया जाए।

पर्यावरण के लगातार दूषित होने से क्या आज और क्या भविष्य में देश और जनता दोनों की खुशहाली के लिए खतरा पैदा हो गया है। वनरोपण, बाढ़-नियंत्रण, भू-संरक्षण, वनस्पति और जीव-जन्तुओं की रक्षा, भूमि के उचित उपयोग की योजना, जल और वायु प्रदूषण का नियंत्रण, और उद्योगों को सही स्थानों पर लगाने के कामों को तुरन्त हाथ में लिया जाना चाहिए। सरकार एक ऐसा विशिष्ट तंत्र गठित करने जा रही है जिसे सभी योजनाबद्ध विकास में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के उपायों को शामिल करने का पूरा-पूरा अधिकार होगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को सशक्त किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि अनुसंधान और विकास दोनों को राष्ट्रीय प्रयास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित स्थान मिले।

सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दुहराती है। वह सभी छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के विकास के लिए हर संभव प्रोत्साहन देने में विश्वास रखती है। इनमें प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्र भी शामिल होंगे।

स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक सहवर्ती तत्व है। सरकार की तीव्र इच्छा है कि हमारी कानून पद्धति में न्याय मिलने में देर न लगे और कोई भी नागरिक आर्थिक अथवा अन्य किसी असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे। इसके और दूसरे संबंधित मामलों के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

सरकार धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि अल्पसंख्यक वर्ग, अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित रखते हुए, राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान भागीदारी का अनुभव कर सकें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को आश्वस्त करने के लिए विधेयक अगले सत्र में लाया जाएगा।

जैसी हमारी राज्य-व्यवस्था है उसमें कारगर तरीके से काम करने के लिए यह जरूरी है कि केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध हों। केन्द्रीय सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे अच्छे संबंध बने रहें और पुष्ट हों।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, सरकार गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर चलेगी। भारत हमेशा इस बात पर अटल रहा है कि अपनी विदेश-नीति का निर्माण करने में वह अपने ही विवेक से काम लेने के लिए स्वतंत्र है। अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के रास्ते से हमको कोई भी दबाव व प्रलोभन नहीं हटा पाए हैं। हमारी सरकार का इरादा है कि वह इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए हमारे मूल लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग पर बिना किसी डर या

पक्षपात के आगे बढ़े। सरकार गतिशील, सकारात्मक और संघटनकारी नीति का अनुसरण करेगी। सरकार की कोशिश होगी कि विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को कम किया जाए ताकि स्थायी शांति स्थापित हो और विश्व की समृद्धि में सभी को समुचित हिस्सा मिल सके। सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान तथा एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति के आधार पर, वह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेगी और उन्हें सुदृढ़ करेगी।

क्या हमारे क्षेत्र में और क्या हमारे पड़ोस में, बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और हथियारों के आने से न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि सारे क्षेत्र के लिए, एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। अफगानिस्तान में हुई हाल की घटनाएं शीत युद्ध की स्थिति फिर से पैदा होने का स्पष्ट संकेत देती हैं। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। इस क्षेत्र के देशों को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपनी शक्ति क्षेत्रीय स्थायित्व स्थापित करने और परस्पर सहयोग बढ़ाने में लगा सकें। इस क्षेत्र के साधन विशाल हैं और उनका इस्तेमाल यहां के लोगों की खुशहाली के लिए किया जाना चाहिए। इन देशों को महाशक्तियों की अपनी होड़ों का शिकार बनाया जाना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। शासन का इरादा है कि वह इस सारे क्षेत्र की खुशहाली के लिए आपसी परामर्श और सहयोग की कार्रवाई शुरू करेगा।

पड़ोसी देशों के साथ सरकार आपसी सहयोग और मित्रता की नीति अपनाना चाहती है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सामान्य हो रहे हैं और सरकार उस रास्ते पर चलते रहना चाहती है जिसकी शुरुआत 1972 के शिमला समझौते के साथ हुई थी। हमें उम्मीद है कि सरकार की नीति का समुचित आदान-प्रदान हो सकेगा।

भारत-चीन संबंधों का सामान्य रहना स्थायित्व के लिए बड़ा जरूरी है। जाहिर है कि इस दिशा में की गई कोशिशें चीन-वियतनाम युद्ध के परिणामस्वरूप प्रभावित हुईं। चीन के साथ सीमा-विवाद सहित अन्य सभी मामलों पर विचार करने के लिए भारत अब भी इच्छुक है ताकि समानता पर आधारित कोई शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके। हम आशा करते हैं कि द्विपक्षीय आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे।

वियतनाम के साथ हमारी मैत्री हमारी नीति का एक स्थिर तत्व रही है। हम चाहते हैं कि कम्पूचिया किसी बाहरी दबाव के बिना स्वयं अपने भविष्य को निर्धारित करे। दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य-राष्ट्रों के प्रति हमारे मन में सद्भावना और सौहार्द है। हम चाहते हैं कि इन संबंधों में और सुधार हो। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में आपसी विश्वास का बल तथा तनावों का ढीला होना आवश्यक है।

लैटिन अमरीकी देशों अथवा राष्ट्रमंडल के दूरस्थित देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में भौगोलिक दूरी हमारे लिए बाधक नहीं हुई है। जापान और यूरोपीय देशों के साथ हमारे संबंध व्यापक और एक-दूसरे के लिए संतोषजनक हैं।

उपनिवेशवाद और प्रजातिवाद के विरुद्ध संघर्ष में हम अपने अफ्रीकी बन्धुओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़े हैं। अरब आन्दोलन के साथ हमारी हमदर्दी सिद्धांतों पर आधारित है और हमारा विश्वास है कि अपने वतन के लिए फिलिस्तीनियों की वैध मांग को पूरा किए बिना पश्चिमी एशिया की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता।

सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध बढ़े हैं। ये संबंध ऐसी स्थायी मित्रता पर आधारित हैं जो भरोसे और आपसी मेलजोल की खूबियों को साबित करती है। हम चाहते हैं कि यह सहयोग और बढ़े और फले-फूले।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे बहुमुखी संबंध हैं। दोनों देशों के लोकतांत्रिक होने के कारण हम कुछ समान मूल्यों का आदर करते हैं। इन्हें देखते हुए हमें भरोसा है कि ये संबंध और भी सुदृढ़ होंगे। हम आशा करते हैं कि हम दोनों इस प्रदेश में विकास और सहयोग के साथ-साथ शांति और स्थायित्व स्थापित करने के प्रयासों में एक-दूसरे के सहयोगी हो सकेंगे।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया-उर्रहमान अभी भारत आकर गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जिस्कार दोस्तां इस वर्ष गणतन्त्र दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि होंगे। आस्ट्रिया के चांसलर क्रेइस्की और क्यूबा के राष्ट्रपति कास्त्रो शीघ्र ही हमारे यहां आ रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस प्रकार के आदान-प्रदान अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों को खासतौर से मजबूत बनाते हैं।

माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र अल्पकालिक होगा। आपको अत्यावश्यक विधायी कार्यक्रम संपन्न करना है जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो-इंडियनों के लिए विधानमंडलों में आरक्षण जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

अगले पांच वर्षों के कार्यकाल में आपके विचार के लिए कई मुद्दे आएंगे। एक स्वस्थ और क्रियाशील संसदीय लोकतंत्र सुनिर्धारित नियमों को लेकर चलता है। सरकार और विपक्ष के बीच परस्पर आदर का भाव होना जरूरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों का सामंजस्य अनुकूलन और मेलमिलाप की भावना से हो, न कि परस्पर प्रतिरोध और मुकाबले की भावना से। सदन के सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि वे गए दिनों के विवादों और संघर्षों को भुला दें। जनता की सेवा और राष्ट्रीय हितों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वे देश के सामने जो बहुत जरूरी काम हैं उनमें सहयोग और सामंजस्य की भावना से जुट जाएं। मेरी कामना है कि आपके प्रयास सफल हों।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 16 फरवरी 1981

लोक सभा	-	सातवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री एम. हिदायतुल्लाह
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

संसद के 1981 के इस पहले सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने काफी लम्बी-चौड़ी और महत्वपूर्ण कार्यसूची है। मैं आपके बजट तथा विधायी कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने की शुभकामना करता हूं।

तेरह महीने पूर्व सरकार ने सत्ता संभाली। तब से वह तीन वर्षों की निष्क्रियता और दिशाहीनता के कारण बिगड़ी हुई देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी और मजबूती से आगे बढ़ रही है। स्फीति-निवारक नीतियों को जोरदार तरीके से अपनाया गया। अधिक उत्पादन द्वारा देश की आपूर्तियों में वृद्धि, क्षमता का बेहतर उपयोग, बुनियादी संरचना का बेहतर तरीके से काम करना, आवश्यक वस्तुओं का आयात और देश की आपूर्तियों में बाधा डालने वाली समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकना–इन नीतियों का प्रमुख मुद्दा रहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो। मुद्रा और ऋण संबंधी चयनात्मक नीति से मुद्रा-विस्तार को नियंत्रित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में महत्वपूर्ण कमी आई है जो कि 23 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गई है।

1979-80 के अभूतपूर्व सूखे से बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो गई। इसके अनर्थकारी परिणामों को रोकने के लिए केन्द्र और राज्यों की सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पर राहत कार्य किये, जिनमें खाद्यान्नों की सप्लाई, पीने के पानी की व्यवस्था और "काम के बदले अनाज" कार्यक्रमों को जोरदार ढंग से अमल में लाना शामिल हैं। इस बात का श्रेय सभी को है ऐसा विराट कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सका।

1979-80 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 2 करोड़ 30 लाख टन की कमी आई। गन्ने व तिलहनों के उत्पादन में भी गिरावट आई। इस सरकार ने 1980-81 में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की ओर ज्यादा ध्यान दिया। उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों और सुधरी किस्म के कार्यक्रमों को उपलब्ध कराया गया। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की गई। ये उपाय कपास, जूट और गन्ने जैसी खरीफ फसलों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि करने में सहायक हुए। इस खरीफ सीजन में खाद्यान्नों का लगभग 7 करोड़ 95 लाख टन का उत्पादन अब तक का रिकार्ड है। गेहूं की मौजूदा फसल से अच्छी उपज मिलने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी पुनरुद्धार के स्पष्ट चिह्न दिखाई पड़ने लगे हैं। औद्योगिक गतिविधि ने जो उन्नति जून-जुलाई, 1980 में करनी शुरू की थी उसने वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में अच्छी रफ्तार पकड़ ली। जून, 1979 के मुकाबले में जून, 1980 के उत्पादन में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन जनवरी, 1980 के मुकाबले में जनवरी, 1981 में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित हुई है। बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत वृद्धि हो जाने की आशा है। कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष इसी अवधि के स्तर से पहले ही 8 प्रतिशत अधिक है। रेलों की कार्यचालन दक्षता का स्तर इस समय ज्यादा ऊंचा है और वे आवश्यक वस्तुओं के लाने-ले-जाने के काम को ज्यादा तेजी से कर रही हैं। उम्मीद है कि 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय आय में लगभग 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

हमारी अर्थव्यवस्था को बाहरी मुद्रास्फीति-दबावों से पृथक रखना संभव नहीं है। भुगतान-शेष की स्थिति चिन्ता का विषय बनी हुई है। तेल के मूल्यों में 1979 से तेजी के साथ हुई वृद्धि का पूरा असर अब 1980-81 में ही महसूस हुआ है। इसकी वजह से और देश के आवश्यक आयातों को प्रभावित करने वाली अन्य मूल्य-वृद्धियों की वजह से, 1978-79 में हुए 6800 करोड़ रुपये के कुल आयात 1979-80 में तेजी के साथ बढ़कर 8500 करोड़ रुपये के हो गये और 1980-81 में वे 11000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के होंगे। इस तरह 1980-81 में व्यापार-घाटे में काफी वृद्धि होने की आशंका है।

सरकार निर्यातों में वृद्धि करने और आयात की जाने वाली वस्तुओं को प्रतिस्थापित करने के लिए यथासंभव कदम उठा रही है। निर्यातों के लिए उत्पादन की अनुमति देना, इस प्रकार के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रति अनुकूल रुख अपनाना और शत-प्रतिशत निर्यातलक्षी यूनिटों को प्रोत्साहन देना शामिल है। सरकार ने निर्यातों के लिए ऋण उपलब्ध होने की स्थिति में सुधार करने के लिए एक निर्यात और आयात बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है।

औद्योगिक निवेश और वृद्धि के लिए वातावरण सुधरा है। लघु और सहायक उद्योगों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है, स्वतः वृद्धि की सुविधा अधिक

उद्योगों को प्रदान की गई है, और लाइसेंस और मंजूरी की कार्यविधियों को सरल और कारगर बना दिया गया है। इस दिशा में जो अन्य कदम उठाए गए हैं उनमें उत्पादन को और रोजगार के अवसरों को अधिकतम करना, क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करना, कृषि-आधारित उद्योगों को मजबूत करना और निर्यातलक्षी तथा आयात-प्रतिस्थापक उद्योगों को ज्यादा तेजी से विकास करना शामिल हैं। पिछड़े इलाकों के विकास की एक नई नीति भी तैयार की गई है।

छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बैंकिंग क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई कि वह खासतौर से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाए गए 20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करे।

सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। खाद्यान्नों, गन्ने, दालों, कपास, तिलहनों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की गई है। फसल कटने के बाद अधिप्राप्ति व्यवस्था द्वारा विपणन सहायता सुनिश्चित की गई।

पिछली सरकार की कंट्रोल हटा लेने की नीतियों से गन्ने और चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आई। इसमें सुधार लाने के लिए सरकार ने किसानों को मिलने वाली गन्ने की कीमतों में वृद्धि की, नए कारखानों और विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया, कमजोर कारखानों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए मूल्य-निर्धारण फार्मूले को युक्तिसंगत बनाया और एक विकास निधि की स्थापना की। विभिन्न उपायों के फलस्वरूप 1980-81 वर्ष में चीनी के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

तिलहनों के उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि न होना चिन्ता का प्रमुख विषय रहा है। देश के लगभग 100 चुने हुए जिलों में तिलहनों के उत्पादन को गहन करने के अलावा, 1981-82 के दौरान सोयाबीन और मूंगफली के विकास से संबंधित दो विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है। चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत ग्रीष्मकाल सिंचित मूंगफली की खेती का विस्तार करने के लिए भी वृहत प्रयास किया जा रहा है। तिलहनों के उत्पादन को सुधारने के लिए विभिन्न अन्य उपाय भी किए जाएंगे।

अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार के पथ पर अग्रसर है लेकिन हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। विभिन्न वर्गों द्वारा ऊंचे मूल्यों और आयों की वजह से मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ने लगते हैं। ऐसी मांगों से निवेश और वृद्धि के लिए उपलब्ध साधनों में भी कमी आने लगती है। इन परिस्थितियों में, यह राष्ट्र के तथा समाज के सभी वर्गों के हित में होगा कि वे अधिक ऊंची आयों और कीमतों की मांग करते समय संयम से काम लें।

छठी योजना रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गई है। इससे विकास प्रक्रिया में गतिशीलता आई है। इस योजना में 97,500 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्यक्रमों की गति को तेज करने का प्रावधान किया गया है। योजना में वृद्धि और

स्थायित्व में सामंजस्य स्थापित करने, आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करने, आत्म-निर्भरता प्राप्त करने, असमानता कम करने, रोजगार पैदा करने और गरीबी को उत्तरोत्तर कम करने की कोशिश की गई है।

नई पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया गया है कि वे इन लक्ष्यों की प्राप्ति में यथेष्ट रूप से सहायक हो सकें। सार्वजनिक क्षेत्र में, कोयला, ऊर्जा, सिंचाई और परिवहन जैसे बुनियादी संरचना वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यक प्रावधान करने के अलावा, कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। योजना की अवधि के दौरान लगभग 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाई जाएगी। सामुदायिक वनरोपण पर उचित बल दिया जा रहा है। कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योगों के उचित विकास के लिए कार्यक्रमों पर काफी ध्यान दिया गया है। महिलाओं तथा सामाजिक रूप से दलित और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रमों की रफ्तार को कारगर तरीके से बढ़ाया जाए। देहाती इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी।

समदृष्टि पर आधारित विकास के लिए अपनी वचनबद्धता का ध्यान रखते हुए केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजना को पहली बार सहायता प्रदान कर रही है। आदिवासी उप-योजनाओं के लिए भी सहायता की मात्रा बढ़ा दी गई है। गरीब लोगों को प्रत्यक्ष उत्पादक लाभ प्रदान करने वाले कार्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है जिनमें परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण, निविष्टियां, ऋण, प्रशिक्षण और सेवाओं का प्रावधान और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के जरिये मजदूरी वाले रोजगार पैदा करना शामिल है।

विश्व के ऊर्जा संकट को देखते हुए अपने देश के ही स्रोतों पर अधिक आत्मनिर्भर रहने की जरूरत बहुत बढ़ गई है। तेल की खोज के लिए एक जोरदार कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें तटवर्ती और अप-तटवर्ती, दोनों ही इलाके शामिल होंगे। कोयला और परमाणु ऊर्जा जैसे अन्य परम्परागत स्रोतों से दोहन करने में भी तेजी लाई जाएगी।

नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा सूर्य, ज्वार-भाटा और पवन जैसे अन्य नए ऊर्जा स्रोतों को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। सरकार एक दीर्घकालिक ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए भी कदम उठा रही है जिससे अपव्यय समाप्त हो, ऊर्जा की खपत नियंत्रित हो, ऊर्जा के विविध स्रोत प्राप्त हों और तेल तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों के अन्वेषण के कार्य में तेजी आए। सरकार तेल की खपत में किफायत करने के उपाय भी करेगी।

भविष्य में हमारे आर्थिक विकास के लिए समुद्री साधनों के ईष्टतम उपयोग के महत्व के प्रति सरकार सचेत है। महासागर के विशाल साधनों का दोहन करने के लिए

बहुमुखी प्रयास अपेक्षित हैं, इसलिए उपयुक्त संस्थान-संबंधी व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, गत वर्ष जुलाई में श्रीहरिकोटा से एसएलवी-3 को सफलतापूर्वक छोड़कर देश ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंजिल तय की। 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया। 1982 के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह का अंतरिक्ष में छोड़ा जाना एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रचालन उपग्रह के उपयोग के लिए भूमि पर यंत्र-तंत्र व्यवस्था को तैयार रखने के लिए वसूली प्रबंध किए जा रहे हैं। 1980-81 के लिए अंतरिक्ष रूपरेखा को स्वीकृति दे दी गई है।

सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है। एक पर्यावरण विभाग बना दिया गया है। हाल ही में पारित एक अधिनियम का पूरा उपयोग करके, अंधाधुंध कटाई आदि से वनों की रक्षा करने की कोशिश की जा रही है।

देश के सीमांत क्षेत्रों को इंडियन एअरलाइन्स के प्रमुख मार्गों से जोड़ने के लिए सरकार ने फीडर विमान सेवाएं चलाने के लिए "वायुदूत" की स्थापना की है। यह कम्पनी प्रारंभ में पश्चिम बंगाल तथा उत्तरपूर्वी राज्यों और राज्यक्षेत्रों में विमान सेवाएं चलायेगी। उसने 26 जनवरी, 1981 से ये सेवाएं चलानी शुरू कर दीं।

1981 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष है। सरकार ने इसे मनाने के लिए कार्यक्रम की योजना तैयार कर ली है। इससे विकलांगों की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता पैदा होगी और समाज के लिए अधिक उपयोगी बनने में उन्हें सहायता मिलेगी। यह भी सोचा जा रहा है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं का विस्तार किया जाए और उनकी चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और रोजगार के लिए उपाय किए जाएं।

सुव्यवस्थित वातावरण में ही आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास संभव है। सांप्रदायिक वैमनस्य, जात-पात के झगड़ों, उग्रपंथियों की गतिविधियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचारों और विभिन्न निहित स्वार्थ वाले दलों द्वारा भिन्न-भिन्न मुद्दों को लेकर आन्दोलन छेड़ने की सामान्य प्रवृत्ति की वजह से स्थिति काफी बिगड़ गई थी। पृथकतावादी गतिविधियों और क्षेत्रीय आन्दोलनों ने भी देश के कुछ भागों में स्थिति को बहुत बिगाड़ दिया है। इन सबकी वजह से लोगों को परेशानी हुई है और देश को आर्थिक नुकसान हुआ है।

इसलिए पिछले वर्ष के दौरान समस्त देश में अराजकता पर काबू पाने और शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने कई प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए। राष्ट्रीय एकता परिषद को पुन: सक्रिय कर दिया गया है। हाल में कुछ समय से कानून और

व्यवस्था की स्थिति में सुधार दिखाई देने लगा है। उम्मीद है कि जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों और सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से स्थिति में निरन्तर सुधार होगा।

असम में "विदेशियों" की समस्या का शीघ्र हल खोजने के लिए सरकार ने अत्यंत सहनशीलता से काम लिया है और विभिन्न स्तरों पर गंभीर प्रयास किए हैं। आन्दोलनकारी संगठनों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों के प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ, अखिल भारतीय स्तर और राज्य स्तर पर कई बार विचार-विमर्श किया गया है। बड़े खेद की बात है कि सरकार के सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक प्रयासों के बावजूद आन्दोलन को समाप्त नहीं किया गया है। बहरहाल सरकार ऐसा हल खोजने की कोशिश करती रहेगी जो सभी संबंधित पक्षों को मान्य हो।

माननीय सदस्यगण, मैं अब दूसरे देशों के साथ अपने देश के संबंधों की चर्चा करूंगा। अस्सी के दशक में प्रवेश करते हुए, हम आशंकित हैं कि बड़ी ताकतों के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में हुई घटनाओं और हिन्द महासागर में बड़ी ताकतों की बढ़ती हुई सैनिक गतिविधियों ने हमारे सुरक्षा पर्यावरण पर गंभीर असर डाला है। सरकार सहनशीलता और सौहार्द की शक्तियों को सुदृढ़ करने की कोशिशें जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है। शांति में भारत की आस्था, उसके लोकाचार और परम्पराओं में मूलबद्ध होने के अलावा इस प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है कि जिन मूल तत्वों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का निर्माण हो, वे सैन्य बल के बजाय तर्क से, और आर्थिक जोड़-तोड़ के बजाय निष्पक्ष व्यवहार से प्रेरित हों। इस लोकाचार के अनुरूप, सरकार तनावों को ढीला करने और ऐसे हालात पैदा करने के लिए कार्य करती रहेगी जिनमें इन्सान शान्ति और खुशहाली से रह सकें।

हाल ही में नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन करके हमको खुशी हुई। बैठक में गुट-निरपेक्षता की नीति की सार्थकता की पुनः पुष्टि की गई, तथा इस आन्दोलन की एकता और अखंडता को, जिसमें हमारी गहरी आस्था है, मजबूत किया गया। इस बैठक के निष्कर्षों से तथा प्रथम शिखर सम्मेलन की 20वीं जयन्ती के रूप में आयोजित विशेष अधिवेशन में जारी की गई नई दिल्ली अपील से यह साबित हुआ कि गुट-निरपेक्ष देश विश्व की शान्ति और प्रगति में सकारात्मक योगदान करने के लिए सदैव कृतसंकल्प हैं। इस सम्मेलन में न केवल उन कतिपय बुनियादी सिद्धांतों को दोहराया गया जो देशों के बीच संबंधों पर लागू होने चाहिएं, बल्कि उसने पुनः इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है। हमें इस पर खुशी हुई कि सम्मेलन की अंतिम घोषणा में हिन्द महासागर में शांति का क्षेत्र, स्थापित करने की मांग को दोहराया गया, जिससे कि सागर-तटवर्ती देशों द्वारा लगभग दस वर्ष पहले की गई मांग का समर्थन हुआ।

ईरान और इराक के साथ हमारे देश के संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण हैं। उन दोनों के बीच चल रहा संघर्ष हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। हमने ऐसी सभी प्रक्रियाओं में भाग लिया है और उनका समर्थन किया है जो दोनों देशों के लिए

सम्मानजनक हल हासिल करा सकती हैं। शांति और गुट–निरपेक्षता के महान लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार का इन कोशिशों को जारी रखने का इरादा है।

सोवियत संघ के साथ उच्चतम स्तर पर यात्राओं के आदान–प्रदान से हमारी चिर–परीक्षित मैत्री और भी मजबूत हुई है। अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भी हमारे संबंधों की मात्रा और विविधता में वृद्धि हुई है। इन संबंधों का जो स्वरूप उभर रहा है उससे शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के सिद्धांतों में हमारे विश्वास की पुष्टि होती है। इससे हमारे इस विश्वास को बल मिलता है कि भिन्न–भिन्न सामाजिक, राजनीतिक प्रणालियों और विचारधाराओं वाले देश भी यदि परस्पर सहयोग करें तो वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व ला सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका और हमारा देश समान मूल्यों और आदर्शों में विश्वास करते हैं। हमारी यह कोशिश होगी कि हम दोनों देशों के बीच मौजूदा बहुमुखी मैत्री मजबूत हो। पश्चिम यूरोप के देशों के साथ हितों की नई पारस्परिकता उत्पन्न होने से हम प्रसन्न हैं और हमें उम्मीद है कि सभी क्षेत्रों में हमारे संबंधों में विस्तार होगा।

गत वर्ष सितम्बर में एशियाई और प्रशान्त महासागरीय राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों का स्वागत करते हुए भारत की सरकार और उसकी जनता को बड़ी खुशी हुई। हमने उनके साथ उन मुद्दों पर सार्थक विचार–विमर्श किया जो हम सभी के लिए महत्व के हैं।

ऐतिहासिक और भौगोलिक अनिवार्यताओं के अनुरूप, अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध पारस्परिक विश्वास, लाभ तथा एक दूसरे के प्रति अच्छे पड़ोसियों की भावना से विकसित होते रहे हैं। सरकार कृतसंकल्प है कि इन संबंधों को समानता, आदान–प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर आगे भी विकसित और मजबूत किया जाए ताकि इस उप–महाद्वीप के लोग शांति और मेल–मिलाप से रह सकें।

हमने अपनी तरफ से यह बात काफी साफ कर दी है कि हम पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कृतसंकल्प हैं जो शिमला समझौते के साथ शुरू हुई थी। हमें इसकी पूरी आशा है कि हमारा पड़ोसी देश भी इस मार्ग का अनुसरण करने की राजनैतिक इच्छा जाहिर करेगा तथा आपसी समझ–बूझ और आदान–प्रदान की भावना और द्विपक्षीय रूप से मतभेदों को सुलझाने की स्वस्थ प्रवृत्ति को जारी रखेगा।

यह बात बार–बार साफ की गई है कि हम चीन के साथ अपने संबंधों को और सामान्य बनाने तथा सभी अवशिष्ट समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के इच्छुक हैं। हम आशा करते हैं कि चीन यह साबित करेगा कि वह भी ऐसा करने का इच्छुक है।

हमने फिलिस्तीन के लोगों के अनपहार्य अधिकारों की प्राप्ति के लिए उनके न्यायोचित संघर्ष का हमेशा समर्थन किया है। श्री यासर अराफात की भारत यात्रा और नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) के मिशन को भारत द्वारा पूर्ण राजनयिक दर्जा दिया जाना इसी समर्थन की कड़ी है।

दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता संग्राम के सेनानी श्री नेल्सन मंडेला को अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द के लिए 1979 के जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से विभूषित करना इस बात का द्योतक है कि दक्षिण अफ्रीका जनता के आन्दोलन में भारत की गहरी आस्था है। जिम्बाब्वे के लोगों को आजादी मिलने से हमें बड़ी खुशी हुई। नामीबिया के स्वतंत्रता आन्दोलन का हम सदैव समर्थन करते रहेंगे। अन्य अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं।

मैक्सिको के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा से लैटिन अमरीका के साथ हमारे संबंधों में एक नया आयाम जुड़ा है। हमारी यह कोशिश है कि लैटिन और दक्षिणी अमरीका के लोगों के साथ हम सौहार्द और सहयोग के संबंध बढ़ाते रहें।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक से संबंधित विचार-विमर्श विफल रहे और एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आता। साधनों और तकनीकों की उपलभ्यता के मामले में विकासशील देश भारी दुर्दशा से ग्रस्त हैं। सहयोग और पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा ही सबके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

माननीय सदस्यगण, मैंने जो रूपरेखा प्रस्तुत की है उससे यह स्पष्ट है कि देश आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कठिनतम दौर को पार कर चुका है। बिगड़ी हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को काफी हद तक सुधारा जा चुका है, कृषि उत्पादन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की आशा है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। प्रयास में एकता हो तो न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की ओर निरन्तर प्रगति करते रहने की विराट संभावनाएं हैं। हमारे जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में दृष्टिकोणों में अन्तर तो हमेशा रहेगा। राष्ट्रव्यापी प्रयास के इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उद्देश्य की अभिन्नता के लिए प्रयत्नशील रहें, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के बीच आदान-प्रदान की भावना से सामंजस्य स्थापित करें और अपनी शक्ति को व्यर्थ के वाद-विवादों में नष्ट न करें।

वर्तमान सत्र में, बकाया कार्य के साथ-साथ आपको अनेक नए विधायी कार्यों पर भी विचार करना होगा। इनमें एक तो है निर्यात-आयात बैंक विधेयक, 1981 और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, 1981 जिसका प्रयोजन संविधान में "वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर" को पुनः परिभाषित करना है।

सदन के सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि जनता के हितों की पूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वे देश के सामने जो बहुत जरूरी और दायित्वपूर्ण काम हैं उनमें सहयोग की भावना से जुट जाएं। मेरी कामना है कि आपके प्रयास सफल हों।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 फरवरी 1982

लोक सभा	-	सातवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री एम. हिदायतुल्लाह
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 1982 के साल में पार्लियामेंट के इस पहले सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने बजट और विधान कार्य के सिलसिले में जो काम है उसको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूं।

1981–82 के साल में हमारा काम और मजबूत हुआ है। दुनिया भर में आर्थिक वातावरण ठीक न होने के बावजूद मुद्रा के फैलाव को काफी हद तक कम कर दिया गया है। चालू साल में हमारे बुनियादी ढांचे में सुधार से और संशोधित बीस-सूत्री कार्यक्रम के एलान की बुनियाद पर हम और टिकाव तथा ज्यादा सामाजिक न्याय के साथ-साथ आगे बढ़ सकें। अप्रैल, 1981 और जनवरी, 1982 के दौरान पिछले साल इसी अर्से के मुकाबले बिजली की पैदावार में 11.3 फीसदी की बढ़ोतरी, कोयले की पैदावार में 11.2 फीसदी और रेल से माल की ढुलाई में 14.4 फीसदी इजाफा हुआ है। दरअसल, रेलवे इस साल 22 करोड़ मीट्रिक टन से भी ज्यादा माल की ढुलाई का अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड कायम करेगी। यह पहले के सबसे ऊंचे आंकड़े से 80 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अप्रैल, 1981 और जनवरी, 1982 के दौरान सभी खास-खास उद्योगों के उत्पादन में खासी बढ़ोतरी हुई है। इसकी कुछ ध्यान देने योग्य मिसालें इस प्रकार हैं: बिक्री योग्य इस्पात (18.7 फीसदी), सीमेंट (15.0 फीसदी), नाइट्रोजन वाली खाद (51.9 फीसदी), कच्चा पेट्रोलियम (61.2 फीसदी) और पेट्रोलियम की चीजें (18.4 फीसदी)।

इस बात के पक्के आसार हैं कि इन और दूसरे उद्योगों में और भी ज्यादा उत्पादन होगा। रसायनिक खाद के मामले में तीन नये कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है और मौजूदा कारखानों का प्रसार हो गया है। उससे नाइट्रोजन खादों की पैदावार की क्षमता 45.75 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 53 लाख मीट्रिक टन हो जायेगी। फॉस्फेट की क्षमता 12.82 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 14.90 लाख मीट्रिक टन हो जायेगी। पेट्रोलियम के मामले में 1980–81 के दौरान कुल 105 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में 1981–82 के साल में कुल उत्पादन 160 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो सकेगा। बम्बई हाई के पूरब के समुद्री इलाके, पाक स्ट्रेट, गुजरात में सिसोदरा, आसाम में नापामुआ में तेल का पता चला है। त्रिपुरा में तारामुरा और गुजरात में कुदारा के मुकाम पर गैस का पता चला है। इससे यह यकीन होता है कि इनके उत्पादन की रफ्तार और तेज होगी। तेल को साफ करने की हमारी क्षमता 1980–81 में 318 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1981–82 में 378 लाख मीट्रिक टन हो गयी है। खाना पकाने की गैस का जो उत्पादन चालू साल में 15 फीसदी बढ़ा है आने वाले साल में उसके कोई 40 फीसदी और बढ़ जाने की उम्मीद है। तब उसकी मांग और सप्लाई की हालत में काफी सुधार दिखाई पड़ेगा। उम्मीद है कि छह मिले–जुले इस्पात कारखानों में बिक्री के काबिल इस्पात की पैदावार 72 लाख मीट्रिक टन की सतह को छू लेगी जो अब तक की सबसे ऊंची सतह है। यह पिछले साल की पैदावार के मुकाबले 10 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा होगा। यह इस बात का सबूत होगा कि इस्पात कारखानों की लगभग 84 फीसदी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया गया है। सितम्बर, 1981 में सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया कि पारादीप में एक मिला–जुला इस्पात कारखाना खड़ा किया जाये। विशाखापत्तनम में एक मिले–जुले इस्पात कारखाने को खड़ा करने का फैसला तो हो ही चुका। इन बातों से जाहिर है कि सरकार ने इस बारे में अपनी कमर पूरी तरह कस ली है कि वह अपनी मौजूदा क्षमता को इतना बढ़ाकर ही दम लेगी कि इस अहम सैक्टर में अपनी जरूरतों को खुद पूरा किया जा सके।

कल–कारखानों में पैदावार की जो रफ्तार बन चुकी है इसे कायम रखने के लिए और माली तरक्की में तेजी लाने के लिए 1982 के साल को 'उत्पादकता का साल' के रूप में मनाया जा रहा है। हम पूरे जोर–शोर से इस बात की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था के सभी सैक्टरों में जो हमारी क्षमता है, उसका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें।

1981–82 में खेती की पैदावार भी बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। जो अंदाजा लगाया गया है, उससे पता चलता है कि खरीफ की फसल की उपज अब तक की पैदावार को लांघती हुई 199 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगी। आशा है कि पूरे साल में अनाज की पैदावार बढ़कर पहले के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1320 लाख मीट्रिक

टन तक पहुंच जायेगी। 1980-81 की पैदावार 1299 लाख मीट्रिक टन थी। उसके मुकाबले इस साल का उत्पादन जाहिर तौर पर बहुत अच्छा होगा जबकि 1980-81 की पैदावार ही 1979-80 के मुकाबले 18.4 फीसदी ज्यादा थी।

गन्ने की जो पैदावार 1979-80 में घटकर 1290 लाख मीट्रिक टन रह गई थी, 1980-81 में 1505 लाख मीट्रिक टन तक पहुंची थी और इस साल इसके 1700 और 1800 लाख मीट्रिक टन के बीच पहुंच जाने की उम्मीद है। अनुमान है कि दालों की पैदावार जो 1979-80 में 86 लाख मीट्रिक टन और 1980-81 में 112 लाख मीट्रिक टन थी, वह इस साल बढ़कर 120 से 130 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगी। जहां सरकार ने इस बात का इन्तजाम कर लिया है कि खेती के आदान काफी मात्रा में वक्त पर मिल सकें, वहां खेती में ध्यान देने योग्य हमारी तरक्की बहुत कुछ हमारे किसानों के उत्साह, लगन और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। इसका सेहरा उनके सिर पर ही बंधना चाहिये।

1980-81 के दौरान 24 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की और गुंजाइश पैदा की गई। 1981-82 के दौरान 26 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई का इन्तजाम हो जाने की उम्मीद है। इस तरह इन दो सालों में 50 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सहूलियत हो जायेगी। छठी योजना के बाकी तीन सालों में हर साल 30 लाख हेक्टेयर जमीन जोड़ते चले जाने का हमारा इरादा है। एक साल में सिंचाई का सबसे ज्यादा इंतजाम करने का यह हमारा रिकॉर्ड है। दुनिया का कोई भी दूसरा मुल्क अभी तक इसे नहीं कर सका है। सरकार ने पानी के साधनों के विकास के लिए एक नेशनल प्लान भी तैयार किया है। वह राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशविरा करेगी और छानबीन करेगी। हमारे देश में जो पानी के साधन मौजूद हैं उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करने के सिलसिले में योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी बनाई जायेगी। शुरू-शुरू में यह देश के दक्षिणी भाग में नदियों के पानी के इस्तेमाल के बारे में योजना बनायेगी। इस साल के दौरान दो खास बातें हुई हैं। वे ये हैं कि नर्मदा नदी के पानी के इस्तेमाल के बारे में सहमति तथा रावी और व्यास नदियों के फालतू पानी की हिस्सेदारी के बारे में समझौता हो गया है। मैं इन दोनों के लिए इससे ताल्लुक रखने वाली राज्य सरकारों को मुबारकबाद देता हूं।

एक सैंट्रल लैंड रिसोर्सेज कन्जर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन कायम किया जा रहा है वह जमीन के साधनों के इंतजाम के वास्ते राष्ट्रीय नीति बनाने के मामले में विशिष्ट मार्गदर्शन करेगा और राज्यों में जमीनों के इस्तेमाल के सिलसिले में मौजूदा बोर्ड के साथ तालमेल रखेगा। जंगलात की हिफाजत के 1980 के कानून के लागू किये जाने से पहले हर साल जंगलात की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो दूसरे प्रयोगों में लायी जाती थी, अब उस मसले पर काबू पा लिया गया है। चूंकि भारतीय वन कानून, 1927 सभी राज्यों में एक जैसा लागू नहीं होता इसलिए यह विचार किया जा रहा है

कि मौजूदा कानून की जगह लेने के लिए एक और बड़ा कानून पेश किया जाये। समाजी रूप से वन लगाने के प्रोग्राम के तहत उम्मीद की जाती है कि 1981-82 में 135 करोड़ पौधे लगाये गये हैं। देहाती इलाके में कर्ज दिये जाने की सहूलियतें और ज्यादा बढ़ें, इसके लिए एक राष्ट्रीय बैंक कायम करने के बारे में कानून का पास हो जाना एक खास कदम है।

सरकार की ताकत मुद्रा के फैलाव पर काबू पाने में लगी रही। मुद्रा के फैलाव पर काबू पाने के तरीके हैं कि पैदावार बढ़ाई जाये, कारखानों के उत्पादन की क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाये, लोगों को जरूरत की चीजें दिलाने की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाये, जब जरूरत हो जरूरी चीजों को बाहर से मंगाया जाये, राजस्व और मुद्रा के मामले में अनुशासन हो और समाज-विरोधी लोगों की हरकतों को रोका जाये। मुद्रा के फैलाव की सालाना दर, जो थोक भावों के प्वाइंट दर प्वाइंट बढ़ने-घटने से मापी गई है, 12 जनवरी, 1980 को खत्म होने वाले हफ्ते में 22.2 फीसदी से घटकर 10 जनवरी, 1981 को खत्म होने वाले हफ्ते में 14.8 फीसदी और 9 जनवरी, 1982 को खत्म होने वाले हफ्ते में और भी घटकर 6.9 फीसदी रह गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यानी 28 मार्च, 1981 और 23 जनवरी, 1982 में इन्डेक्स सिर्फ 2.8 फीसदी बढ़ा है। मार्च, 1981 में उचित दर की दुकानों की तादाद 2 लाख 73 हजार थी उसके मुकाबले नवम्बर, 1981 में इनकी तादाद 2 लाख 98 हजार हो गई। इस तरह मुद्रा के फैलाव के खिलाफ जो मुहिम है, उसकी चौकसी करने में कोई कमी नहीं की जायेगी।

जबकि मौजूदा रवैये से मुद्रा के फैलाव के खिलाफ लड़ाई में और अच्छे नतीजे निकलने की आशा है, व्यापार भुगतान के हालात में बिगाड़ से निपटने के लिए और ज्यादा कोशिशों की जरूरत है। 1980-81 में तेल और तेल की चीजों को बाहर से मंगाने में दी जाने वाली कीमतों में तेजी से इजाफा हो जाने के सबब इस बरस व्यापार का घाटा बढ़कर करीब 5,500 करोड़ रुपये हो गया था जबकि 1979-80 में यह घाटा 2,450 करोड़ रुपये था। इन हालात से निपटने के लिए और लगातार तरक्की करने के लिए सरकार ने इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड से एक करार किया है जिसके तहत हम अगले तीन सालों में एसडीआर पांच बिलियन निकाल सकेंगे।

निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किये हैं। उनकी वजह से अप्रैल-नवम्बर, 1981 के दौरान अन्दाजा है कि दूसरे मुल्कों को जाने वाले माल में 15.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। देश के माली-सिस्टम की पैदावार की गुंजाइश बढ़ाने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, उनका नतीजा यह है कि बाहर से माल मंगाने के बिल में इसी दौरान 11.4 फीसदी की कमी आई है। इस बात का यकीन किया जा सकता है कि पिछले चन्द सालों में व्यापार भुगतान में जो घाटा बढ़ता चला जा रहा था वह 1980-81 में रुक जायेगा। संसद को भी पता है कि निर्यात के लिए कर्ज में मदद देने के वास्ते एक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक कायम किया गया है आने वाले सालों में निर्यात बढ़ाने के काम को तरजीह दी जाती रहेगी।

अंदाज लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार के मातहत सरकारी उद्योगों में अप्रैल-सितम्बर, 1981 में, पिछले साल के इसी अर्से के मुकाबले पैदावार के इजाफे की कुल दर 20 फीसदी हो जायेगी। इस काम के और अच्छा होने की गुंजाइश और जरूरत है। सरकारी सैक्टर के उद्योग-धंधे को और ज्यादा ताकत देकर, इनके कामकाज के तरीकों को आसान बनाकर और इनकी जवाबदेही में और कड़ाई लाकर इनके काम को ठीक तरह चलाने और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

सरकार को कामगारों की बेहतरी की बहुत फिक्र है क्योंकि ये लोग पैदा करने की देश की ताकत और पैदावार बढ़ाने में खासा रोल अदा करते हैं। औद्योगिक झगड़ों, ट्रेड यूनियनों, कामकाज के तरीकों की वजह से होने वाली देरी को दूर करने और कामगारों को तेजी से इंसाफ दिलाने से ताल्लुक रखने वाले कानूनों में तबदीली करने के लिए इस सेशन में एक बिल पेश करने का विचार है। मजदूरों के मसलों का पहले से अनुमान लगाने और उनके फौरन हल करने के लिए औद्योगिक रिश्तों से ताल्लुक रखने वाली मशीनरी को मजबूत और कारगर बनाया जा रहा है।

बीस-सूत्री कार्यक्रम में संशोधन किया गया है ताकि छठे प्लान में शामिल कुछ खास समाजी तथा आर्थिक प्रोग्रामों को और ज्यादा तेजी से चलाया जा सके। मोटे तौर पर इसके जरिये उस मकसद को और ज्यादा ठोस बना दिया गया है जिसकी तमन्ना हम सबके लिए, खास तौर पर कमजोर वर्गों के लिए छठे प्लान में की गई है। ऐसे प्रोग्रामों पर खास जोर दिया जा रहा है जिनसे उन वर्गों की मदद की जा सके जिनके लिए खास लक्ष्य तय किये गये हैं। मदद का यह काम मिले-जुले देहाती विकास प्रोग्राम, शैड्यूल्ड कास्ट कम्पोनेंट प्लान और हिल एंड ट्राइबल सब प्लान, गंदी बस्ती सफाई प्रोग्राम और देहाती परिवारों को रहने की जगह देने के प्रोग्राम के जरिये होना है। जहां संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम का खास जोर इस बात पर रहेगा कि आबादी के कम सुविधा वाले तबकों के लिए रहन-सहन का और अच्छा इन्तजाम होता रहे, वहां समूचे प्रोग्राम का मकसद यह है कि सब तरफ पैदावार की जो हमारी शक्ति है वह दिनों-दिन बढ़ती चली जाये।

1981 की जनगणना से यह साफ हो गया है कि आबादी पर काबू पाने का खासा महत्व है। सरकार इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देती है कि लोग अपनी मर्जी से परिवार-नियोजन को अपनाएं ताकि वह लोक-हित का और देश की तरक्की का एक निहायत जरूरी हिस्सा बन सकें। इसीलिए इस बात को संशोधित बीस-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। हमारा मकसद यह है कि इस सदी के आखिर तक हम जन्म-दर को घटाकर प्रति हजार 21 तक और मौत की दर को 9 तक ले जायें। मैं इस बात की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कोढ़ और अंधेपन पर काबू पाने के मुल्क के प्रोग्रामों में भी तेजी लाई गई है ताकि सन् 2000 तक "सबकी तन्दुरुस्ती रहे" के मकसद को पूरा किया जा सके। अब इन दोनों प्रोग्रामों को ऐसा समझा जा रहा है कि वे 100 फीसदी केन्द्रीय सरकार के प्रोग्राम हैं।

इस काम में भी तेजी लाई जा रही है कि बच्चों के लिए शुरू की तालीम का इन्तजाम किया जाये और अनपढ़ बालिग लोगों के लिए शिक्षा के उचित कार्यक्रम चलाये जायें। सरकार ने गैर-रस्मी शिक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम भी शुरू किया है। पेशों से संबंध रखने वाली शिक्षा की विषय-वस्तु को बदलने का विचार है। ऊंची शिक्षा में खास तौर पर ऊंची तकनीकी शिक्षा में जोर, किस्म पर दिया जायेगा।

इस साल के दौरान स्पेस टैक्नोलोजी और संचार में काफी तरक्की हुई है। भारत में बने तीन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गये। रोहिणी को हमारे अपने सैटेलाइट भेजने के यान ने आकाश में भेजा। इसके अलावा तजुर्बे के तौर पर संचार सैटैलाइट 'एप्पल' और धरती की निरख-परख करने वाला सैटेलाइट 'भास्कर-2' भी भेजे गये। नवम्बर, 1981 में जब इन्टेलसेट-IV की मदद से जम्मू और कश्मीर में लेह, मिजोरम में ऐजोल, अन्डमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार तथा लक्षद्वीप में कवरदवी जैसे दूरदराज के इलाकों के साथ सैटेलाइट के जरिये संबंध कायम किया गया तब भारत संसार के कुछ उन देशों में से एक ऐसा देश बन गया जिनके पास देश के अन्दर संचार के लिए सैटेलाइट है। रूस के साथ एक ट्रैपोस्कैटर संचार सम्पर्क, श्रीलंका के साथ समुद्री तार और बांग्लादेश के साथ माइक्रोवेव सम्पर्क कायम किया गया है। इस दिशा में हमारा अगला बड़ा कदम 'इन्सैट' नाम के एक इंडियन नेशनल सैटेलाइट को अप्रैल, 1982 में छोड़ा जाना है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल मौसम-विज्ञान, संचार और रेडियो तथा दूरदर्शन के लिए किया जायेगा। माइक्रोवेव सम्पर्क भारत के मद्रास, बंगलोर, बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े-बड़े नगरों के बीच पहले ही कायम हो चुका है। इस वेव के जरिये दूरदर्शन कार्यक्रम भी देखे जा सकेंगे। दिल्ली और कलकत्ता तथा दिल्ली-श्रीनगर के बीच सम्पर्क का काम जून, 1982 तक पूरा हो जायेगा और शहरों तथा देहातों के बहुत से इलाकों में सैटेलाइट और माइक्रोवेव सिस्टम चालू हो जायेगा।

इस साल केबिनेट की साइंस सलाहकार कमेटी बनाई गई है। साइंस और टैक्नोलोजी के दायरे में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार एक साइंस एण्ड टैक्नोलोजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड कायम कर रही है। इसके अलावा कुछ दूसरे बड़े कदम उठाये गये हैं। उनमें एडीशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए एक कमीशन का कायम किया जाना भी है। वह समूचे देश में बड़े पैमाने पर खोज और तरक्की तथा प्रदर्शन के बहुत से कार्यक्रम शुरू कर चुका है। एक और बड़े फैसले के मुताबिक एक कौमी बायोटैक्नोलॉजी बोर्ड कायम किया जायेगा जो बायोटैक्नोलॉजी के काम में तालमेल रखेगा जो खेती, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में महत्व रखती है। साथ ही दिल्ली में इम्यूनोलॉजी के लिए राष्ट्रीय संस्था और अहमदाबाद में एक प्लाजमा फिजिक्स प्रोग्राम कायम किया गया है।

वायुमंडल से संबंध रखने वाले विभाग ने हमारे चारों ओर के पेड़, पौधों वगैरह को बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किये हैं। इसने एक नैशनल इको-डेवलपमेंट बोर्ड भी कायम किया है। विभाग ने ऐसे कुछ तरीके ईजाद किये हैं ताकि यह जायजा लिया

जा सके कि बड़े-बड़े प्रोजेक्टों का हमारे चारों तरफ के हवा-पानी वगैरह पर क्या असर पड़ता है और इस बात की निगरानी की जा सके कि ऐसे प्रोजैक्टों में हवा-पानी वगैरह की हिफाजत का काम चल रहा है या नहीं।

जुलाई, 1981 मे कायम किये गये समन्दरों की तरक्की से संबंधित विभाग, समन्दरों की तरक्की के लिए आने वाले वक्त को ध्यान में रखकर एक योजना तैयार कर रहा है। इसने दक्षिणी ध्रुव के लिए एक वैज्ञानिक अभियान दल भेजा है जो दो महीने से ज्यादा के कामयाब समन्दरी सफर के बाद इसके नेता वापस आ चुके हैं और दूसरे लोग जल्दी ही वापस लौट रहे हैं। इस दल के काम में मौसम विज्ञान, ग्लेश्योलॉजी और समुद्र-विज्ञान के दायरे में वैज्ञानिक जांच का बहुत-सा काम शामिल है।

अब मैं कानून और व्यवस्था से संबंध रखने वाले कुछ मामलों को लूंगा। फिर्केवाराना हितों द्वारा फैलाये गये आन्दोलनों में कौम की ताकत जाया नहीं की जानी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं है। कुछ जगहों पर शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर जो जुल्म ढाये गये हैं उनसे सरकार दु:खी है। उसने इस बात का बीड़ा उठा लिया है कि सभी तबकों के लोग हिफाजत और इज्जत के साथ रहें। जो लोग कसूरवार पाये जायेंगे, उनके साथ सख्ती से निबटा जायेगा। इन वर्गों के सामने जो मसले हैं, वे देश की बड़ी समाजी-माली समस्याओं से अलग नहीं हैं। फिर्कापरस्ती और जातिवाद में यकीन रखने वाली उन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए जनता का पूरा-पूरा सहयोग जरूरी है जो अक्सर समाज विरोधी लोगों के साथ सांठ-गांठ रखती हैं। अनुसूचित जातियों और जन-जातियों तथा कमजोर तबकों के मिले-जुले समाजी-माली विकास के प्रोग्रामों को तेज कर दिया गया है उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा रुपये-पैसे का इंतजाम किया गया है। इन प्रोग्रामों को अमल में लाने के तरीके पर पैनी निगाह रखी जायेगी।

असम में विदेशियों के मसलों का उचित और संतोषजनक हल खोजने की अपनी सच्ची कोशिशों के हिस्से के रूप में सरकार ने आन्दोलन करने वाले संगठनों के नुमाइन्दों और सियासी पार्टियों के नेताओं से कई बार बातचीत की। ये कोशिशें जारी हैं।

दुनिया में मुल्कों के आपसी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ फौजी जमाव की मौजूदगी बढ़ती जा रही है यह एक ऐसा खतरा है जिसकी वजह से हम सबको अपने मन में यह पक्का निश्चय कर लेना चाहिए कि हम गुटों से अलग रहते हुए मतभेदों को शांति के साथ निपटाते हुए कौम की हिफाजत और उसके हितों की रक्षा करेंगे। हम हृदय से यह आशा करते हैं कि बड़ी-बड़ी फौजी ताकतें इस बात का एहसास करेंगी कि लड़ाई-झगड़ा बेकार होता है और वे विकास और भलाई के साधनों को हथियार बनाने के काम में नहीं लायेंगी और इससे परे रहेंगी। अफसोस की बात है कि दूसरे मुल्कों की समर नीति की वजह से हम पर फालतू बोझ पड़े। हम चैन

से बैठने की हालत में नहीं हैं। मुल्क को हर वक्त तैयार रखने और बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए उससे भारी कुर्बानियां करने के लिए कहना ही पड़ेगा।

अपने नजदीक के पड़ोसी के साथ और ज्यादा आपसी विश्वास और नजदीकी दोस्ती के संबंध रखने की हमारी कोशिश जारी रही है। मैं अभी श्रीलंका की उपयोगी यात्रा से लौटा हूं। इससे पहले, मैं नेपाल और इन्डोनेशिया भी गया था। भूटान नरेश जल्दी ही हमारे यहां आने वाले हैं। हमारे विदेश मंत्री बर्मा*, वियतनाम और थाईलैंड हो आये हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा कई बार विचारों का लाभप्रद आदान-प्रदान हुआ है। चीन के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए और कदम उठाये गये हैं। इस वर्ष के दौरान चीन के विदेश मंत्री की यात्रा के बाद सीमा और राज्य क्षेत्र के प्रश्न व दूसरे मुल्कों से और दोनों मुल्कों से संबंध रखने वाले मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक सरकारी डैलीगेशन बीजिंग गया था। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, संसद को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा बहुत ही नये किस्म के हथियार हासिल करने के फैसले और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार मिल रहे हैं, उनसे समूचा देश चिंता में पड़ गया है। बढ़िया किस्म के विमान प्राप्त करने के अपने इरादे का एलान करते हुए पाकिस्तान ने हमको सूचना दी कि वह जंग न करने का समझौता करने की इच्छा रखता है। यह एक ऐसा सुझाव है जिसे हम पिछले वर्षों में कई बार कई तरह से उसके सामने रख चुके हैं। दिसम्बर, 1981 में हमने पाकिस्तान के सामने उन उसूलों की एक रूपरेखा रखी जिनके आधार पर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बातचीत की जा सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान इस बातचीत को आगे बढ़ाया गया। हमने अमन और दोस्ती की अपनी इच्छा को दोहराया और साथ ही अपना यह निश्चय व्यक्त किया कि मुद्दों को दोनों देशों के आपसी संबंधों के समूचे दायरे की जांच करने, उनको नया बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों का एक कमीशन बनाने का हमारा प्रस्ताव मंजूर कर लिया है।

हमारे महाद्वीप में दूसरी जगह तनाव बना हुआ है। अफगानिस्तान का मसला और ईरान-इराक के बीच झगड़ा अभी तय नहीं हुआ है। फिलीस्तीन की जनता के अधिकारों में बाधा चली आ रही है। हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र बनने से अभी कोसों दूर है।

कुछ आशा के संकेत भी हैं जैसे पिछले वर्ष नई दिल्ली में हुए गुटों से बाहर के देशों के विदेश मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस के बाद गुटों से अलग रहने के आन्दोलन में नया जोश, राष्ट्रों के बीच सहयोग को और बढ़ावा देने के बारे में कॉमनवैल्थ मुल्कों की पहल, तरक्कीयाफ्ता और तरक्की कर रहे मुल्कों के बीच बातचीत की कोशिशों की

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

शुरुआत जो चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो। प्रधान मंत्री ने मेलबोर्न में कॉमनवैल्थ देशों की सरकारों के अध्यक्षों की बैठक में और कानकुन, मैक्सिकों में सहयोग और तरक्की की इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। साल के दौरान ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फिजी, फ्रांस, इटली, कुवैत, केन्या, इन्डोनेशिया, फिलिपीन्स, रूमानिया, सैशल्स, स्विट्जरलैंड टांगा और युनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा से उन देशों के साथ दोस्ती और मजबूत हुई है। मेरे पिछले भाषण के बाद केन्या, फैडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, गिनी, तंजानिया, ब्रिटेन, बहरीन, पीडी आर यमन, जिम्बाबवे, नारू, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, दोतस्वाना, घाना, वेनेजुएला, उगांडा, स्पेन और स्वीडन की सरकारों या राष्ट्रों के प्रमुखों ने हमारे देश की यात्रा की है जो सबकी सब उपयोगी रही हैं। हम अगले हफ्ते प्रेसीडेन्ट नायरेरे की यात्रा और कुछ विकासशील देशों की कॉन्फ्रेन्स का इन्तजार कर रहे हैं। विकासशील देशों के बीच और ज्यादा सहयोग आपस में फायदेमंद हैं और आगे बढ़े हुए देशों के साथ व्यवहार में उन्हें सामूहिक रूप से शक्ति मिलती है।

मौजूदा सत्र में बकाया काम को पूरा करने के अलावा विचार के लिए आपके सामने बहुत से विधान संबंधी नये बिल आयेंगे। उनमें यह भी शामिल होंगे—

दि लैंड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट) बिल, 1982; इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए नेशनल वाटरवे बिल, 1982।

माननीय सदस्यगण, दुनिया एक बड़ी ही कठिन घड़ी से गुजर रही है। हमारे अपने भी मसले कोई कम नहीं हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जिसके सामने एक भरपूर उद्देश्य है। हमारी जनता ने भी दिखा दिया है कि वह असीम धीरज से चुनौतियों का मिलकर, एकजुट होकर मुकाबला कर सकती है। जिस प्रजातंत्र में राय जाहिर करने और संगठन बनाने की आजादी की गारन्टी दी गई हो, उसमें सियासी मतभेद तो होंगे ही। लेकिन, मतभेद को फूट की भोंडी शक्ल अख्तियार नहीं करनी चाहिये। मुल्क की भलाई एक ऐसा मकसद है, जिसके लिए आपसी झगड़ों को भुलाकर हमें मिलकर काम करने की सीख लेनी चाहिए। हमारे पास इतनी शक्ति और साधन हैं कि हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। छठे प्लान के पहले दो साल ऐसे साल हैं, जिसमें चीजों को पक्की तौर पर जमाने की कोशिश की गई है। आइये, इस ताकत का इस्तेमाल हम प्लान के अगले तीन वर्षों के ऐसे बरस बनाने के लिए करें जिनमें हमारे कदम आगे बढ़ते रहें।

जय हिन्द।

ज्ञानी जैल सिंह

संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 फरवरी 1983

लोक सभा	-	सातवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	ज्ञानी जैल सिंह
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री एम. हिदायतुल्लाह
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1983 में, संसद के इस पहले अधिवेशन में, मैं आपका स्वागत करता हूं। आने वाला वर्ष हमारे लिए चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है, जिसके लिए संसद, सरकार और जनता को मिल-जुल कर काम करना होगा।

आर्थिक मोर्चे पर, आवश्यकता इस बात की है कि अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जाए, अनुत्पादक खर्च को खत्म किया जाए और कीमतों पर काबू रखा जाए। कई देशों में मुद्रा फैलाव के बावजूद, हम मुद्रा के फैलाव पर नियंत्रण रखने में सफल रहे हैं, जिस पर हमारा गर्व करना वाजिब है। वर्ष 1983 की मध्य जनवरी में थोक बाजार कीमतें इससे पहले के 12 महीनों की अपेक्षा केवल 2.8 प्रतिशत ही अधिक रहीं और यह सब उस व्यापक सूखे के बावजूद है, जिसकी लपेट में 4.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि आ गई थी और 31.2 करोड़ लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और उसे अधिक कुशल बनाया गया। पिछले तीन वर्षों में लगभग 50,000 उचित दर की दुकानें खोली गईं। इस वर्ष केन्द्रीय सरकार सूखा, बाढ़ और तूफान के शिकार लोगों को राहत देने के लिए राज्यों को लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि देगी, जो राहत कार्य के लिए किसी भी वर्ष में दी जाने वाली राशि से ज्यादा है। इन कुदरती आफतों के शिकार लोगों से हमें हमदर्दी है और हम उनके साहस और राहत कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं की कर्त्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हैं।

हमारे बुनियादी ढांचे और हमारे उद्योग ने विकास की गति को बनाए रखा है। अप्रैल, 1982 और दिसम्बर, 1982 के बीच, बिजली के उत्पादन में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कोयले का उत्पादन 4.2 प्रतिशत बढ़ा तथा सीमेंट का उत्पादन 10.2 प्रतिशत और फर्टिलाइजर का उत्पादन 9.6 प्रतिशत बढ़ा है। रेलगाड़ियों द्वारा माल की ढुलाई 3.5 प्रतिशत बढ़ी है। बन्दरगाहों में, जहाजों को माल उतारने के लिए जो काफी समय तक इन्तजार करना पड़ता था, वह अब लगभग खत्म हो गया है। इस्पात के उत्पादन में फिर से बढ़ोतरी हुई है। तेल की ऊंची कीमतें अर्थव्यवस्था पर बोझ बनी रहीं, परन्तु इस अरसे के दौरान देश में कच्चे तेल का उत्पादन 30.6 प्रतिशत बढ़ा है। जहां 1980–81 में, कच्चे तेल का उत्पादन 1.05 करोड़ मीट्रिक टन था, वहां 1981–82 में यह उत्पादन 1.62 करोड़ मीट्रिक टन हो गया और अनुमान है कि 1982–83 में यह उत्पादन बढ़कर 2.1 करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगा। भुगतान शेष की कठिनाइयों, मौसम की प्रतिकूल स्थितियों और साधनों की भारी कमी के बावजूद, अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरे वर्ष भी उचित विकास हुआ है। चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल टर्न ओवर 21 प्रतिशत बढ़ा है। लघु उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है और इसने लगभग 10 प्रतिशत के विकास की दर को बनाए रखा है। खरीफ और रबी की फसलों के सामने आई समस्याओं के बावजूद, चावल और गेहूं की वसूली इससे पहले के किसी भी वर्ष की अपेक्षा अधिक रही। सरकार ने किसानों को वसूली की ऊंची कीमतें दी हैं।

निर्यात में वृद्धि को कायम रखा जा रहा है। पिछले वर्ष के पहले सात महीनों की अवधि में, निर्यात के अनन्तिम आंकड़े 3,960 करोड़ रुपये थे, जब कि चालू वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान निर्यात उससे लगभग 17.8 प्रतिशत अधिक होने की आशा है। आयात में तीव्र वृद्धि की प्रवृत्ति को रोक दिया गया है। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल आयात खर्च में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ सकती है, फिर भी, तेल की खोज में तेजी से काम करने के कार्यक्रम और इस्पात तथा फर्टिलाइजर्स जैसे अन्य क्षेत्रों में अधिक उत्पादन और पूंजी लगाए जाने से, आयात में और आगे वृद्धि पर काबू रखना सम्भव हो सकेगा। विकासशील देश जिस कच्चे माल का निर्यात करते हैं, उसकी कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, परन्तु जिस तैयार माल को हम आयात करते हैं उनकी कीमतें काफी बढ़ गई हैं। पश्चिमी देशों में ब्याज की ऊंची दरों ने भारत जैसे देशों के लिए स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया है।

संसार एक गम्भीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बहुत से देश मंदी की लपेट में हैं और वे इन्वेस्टमेंट में कटौती करते रहे हैं। फिर भी हमने अपनी विकास की गति को बनाए रखा है। केन्द्रीय योजना खर्च 27 प्रतिशत बढ़ गया है और केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं को मिलाकर उन पर कुल खर्च 21 प्रतिशत बढ़ गया है।

14 जनवरी, 1982 को घोषित संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के, जिसमें निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई पर बल दिया गया है, उत्साहजनक नतीजे निकले हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष 33 करोड़ से अधिक अतिरिक्त श्रम दिवसों का देहाती रोजगार पैदा किया जाएगा। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन के कार्यकलापों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और सक्रिय रूप से इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इनका संबंध ग्रामीण रोजगार के लिए की जा रही सभी कोशिशों के साथ जोड़ दिया जाए। पीने के पानी की सुविधा ऐसे और 24,000 गांवों में पहुंचाई गई जहां पीने के पानी की समस्या थी। 5 लाख 40 हजार मकान बनाने के लिए जगह दी गई है। आवास और शहरी विकास निगम 2 लाख 35 हजार घर बनाने के लिए सहायता देगा। इस वर्ष 23.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा जुटाई जा रही है।

जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है, राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। उनके प्रति आभार के प्रतीक के रूप में सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना में विस्तार किया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है और इसके लिए उसने त्रिमुखी नीति तैयार की है। इसमें राज्यों की विशेष कम्पोनेन्ट योजनाओं, और अनुसूचित जाति विकास निगमों के अलावा राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष कम्पोनेन्ट योजनाएं, और विशेष केन्द्रीय सहायता भी शामिल हैं। जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता को वर्ष 1982-83 में 85 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

हमारे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और पिछड़ी श्रेणियों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की दिशा में किए जा रहे कार्य को सरकार के विकास कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाती रहेगी। केन्द्र द्वारा प्रायोजित मछुआरों की एक बीमा योजना भी शुरू की गई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लोगों के भाग लेने और उसके आम समर्थन की एक लहर पैदा हुई। अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान परिवार नियोजन के सभी तरीकों को स्वीकार करने वालों की संख्या इससे पहले वर्ष की इसी अवधि की संख्या से 16% अधिक थी। संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन कुष्ठ रोग, नेत्रहीनता और तपेदिक पर नियंत्रण पाने के कार्यक्रमों को एक नये जोश के साथ लागू किया जा रहा है।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए हमें उतनी ही चिन्ता है जितनी कि कृषि मजदूरों और किसानों के लिए है। औद्योगिक विवाद एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं उनमें शिकायतों को निपटाने के लिए एक अंदरूनी मशीनरी की व्यवस्था है और उनमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि श्रम न्यायालय एक निर्धारित समय में ही अपना निर्णय दे दें।

शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, बालिगों में निरक्षरता समाप्त करने और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रमों और नीतियों को जिसमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है।

पिछले वर्ष की दो महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं, जिनका हमारे नौजवानों के भविष्य पर और उनकी शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्ति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ये घटनाएं हैं— खेल विभाग की स्थापना और सफलता के साथ एशियाई खेलों का आयोजन। जिस ढंग से इन खेलों का आयोजन किया गया, उसकी व्यापक सराहना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक खेलकूद सुविधाओं के जुटाए जाने और 17 स्टेडियमों के निर्माण एवं दर्जा बढ़ाये जाने ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम बड़े पैमाने पर खेलों को आयोजित करने की क्षमता रखते हैं। खेलकूद का यह बुनियादी ढांचा आने वाले वर्षों में हमारे पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के काम आता रहेगा।

एशियाई खेलों के कारण हमें बहुत से नए क्षेत्रों में दूरदर्शन का विस्तार करने और रंगीन प्रसारण का "प्रारम्भ" करने का अवसर भी मिला है। हमारी दूरदर्शन नीति में देहाती लोगों की जरूरतों, और शिक्षा तथा विकास के लिए इस शक्तिशाली माध्यम के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हमारे लिए यह घटनापूर्ण वर्ष रहा है। हमने टेक्नोलॉजी संबंधी अपना नीति वक्तव्य तैयार किया है और उसकी घोषणा कर दी है, जिसमें उन बातों को निर्धारित किया गया है जो देसी टेक्नोलॉजी के विकास और ऐसी टेक्नोलॉजी के आयात के संबंध में निर्णय लेने में हमारा मार्गदर्शन करेगी, जिससे हम शक्तिशाली हों। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में अपना कार्य जारी रखेंगे। हम मूल विज्ञान के साथ-साथ बायो टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस में फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी और समुद्र इंजीनियरी जैसे नए क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव में अब हमारा दूसरा वैज्ञानिक अभियान चल रहा है जिसमें महत्वपूर्ण प्रयोग किए जा रहे हैं और भविष्य में एक ऐसा स्थायी केन्द्र कायम करने के लिए स्थान का सर्वे किया जा रहा है जहां आदमी रह कर काम कर सके। सागर तल में पोली-मेटलिक नोड्यूल्स के सर्वे के हमारे कार्य को सागर नियम सम्मेलन में पायोनीर इन्वेस्टर के रूप में मान्यता मिली है। भारत ही एकमात्र ऐसा विकासशील देश है जिसे इस प्रकार की मान्यता हासिल हुई है।

इस वर्ष इनसेट-1बी छोड़ा जाएगा जो ऊंचे दर्जे की दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान संबंधी क्षमता हासिल करने में हमारी सहायता करेगा। इनसेट-1ए के छोड़े जाने से पहले जिसका मूल डिजाइन ठीक था जो अनुभव हमें हासिल हुआ उसे ध्यान में रखते हुए इनसेट-1बी में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

माननीय सदस्यगण, उन समस्याओं से वाकिफ हैं, जो तारापुर न्यूक्लियर पावर रियेक्टर के लिए ईंधन की पूर्ति को निश्चित रूप से बरकरार रखने में हमारे सामने आई हैं। इन्हें अब फ्रांस और अमरीका की सरकारों के साथ सलाह-मशवरे से हल कर लिया गया है।

अब मैं देश की अंदरूनी राजनीतिक स्थिति की ओर आता हूं। फूट डालने वाली और विघटनकारी ताकतें हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय ढांचे को कमजोर करने में लगी हुई हैं। इनका मुकाबला दृढ़ता के साथ किया जाना चाहिए। असम और पंजाब जैसे मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श में विरोधी दलों को शामिल करने के लिए सरकार ने पहल की है और यह सराहनीय प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी तत्व आपत्तिजनक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनको कारगर ढंग से दबाना होगा। उत्तर-पूर्वी कुछ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में उग्रवादी संगठन सरगर्म हैं। इनकी गतिविधियों से निपटने तथा शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए हमने अच्छे तालमेल के साथ एक अभियान चलाया है। इसी बीच पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को बढ़ाया गया है।

हाल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में और इससे पहले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं। मेघालय में चुनाव अभी-अभी समाप्त हुए हैं और असम में चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव हमारी लोकतांत्रिक परम्परा का हिस्सा और एक संवैधानिक जिम्मेदारी रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़ गई है। तटवर्ती देशों की इच्छाओं का अनादर करते हुए हिन्द महासागर में विदेशी सैनिकों का बढ़ता हुआ अनधिकार प्रवेश, ईरान और इराक के बीच लगातार युद्ध, इज़राइल का बढ़ता हुआ दु:साहस और फिलिस्तिनियों की मुसीबतें, दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार की अपनी ही जनता और अपने पड़ोसी देशों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाइयां तथा नि:शस्त्रीकरण की बातचीत, और उत्तर-दक्षिण वार्ता में गतिरोध—ये सब चिंताजनक मामले हैं। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व एशिया के हालात के राजनीतिक हल अभी निकाले जाने बाकी हैं।

पड़ोसी देशों में होने वाली कुछ-एक गतिविधियों से हमारी सुरक्षा का वातावरण बिगड़ा है। हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान द्वारा सोफिस्टिकेटेड हथियार हासिल किए जाने से सारा राष्ट्र चिन्तित है। हमारी अपनी नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और इस दिशा में पहल करने की रही है। उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जो बैठकें हुई हैं, उनसे अंततः शांति, दोस्ती और सहयोग के स्थायी संबंधों का रास्ता तैयार होगा।

बांग्लादेश के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक के साथ भी हमारी बातचीत हुई है। इनसे हमारे दोस्ती के संबंध और मजबूत हुए हैं। चीन के साथ सीमा के सवाल तथा दोनों

देशों के अन्य आपसी मामलों पर सरकारी–स्तर की बातचीत का तीसरा दौर पिछले महीने बीजिंग में हुआ था। भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध बने रहे हैं।

सारे संसार में तथा अपने क्षेत्र में शांति, दोस्ती और स्थिरता बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की हमारी नीति ने हमें बिना विचलित हुए काम करने में सहायता दी है। जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, अगले महीने के शुरू में दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का सातवां सम्मेलन हो रहा है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा सर्वसम्मति से अनुरोध किए जाने पर हम इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं। हमारे देश में होने वाला राष्ट्राध्यक्षों का यह सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। हम यह आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जो समस्याएं हैं उनके हल निकालने में यह शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण योगदान देगा। बाद में इसी वर्ष राजधानी में एक और मुख्य सम्मेलन हो रहा है, वह है राष्ट्रमण्डल देशों की सरकारों के अध्यक्षों की बैठक। इन दोनों सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए।

मैं अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति द्वारा की गई आयरलैण्ड तथा यूगोस्लाविया और हमारी प्रधानमंत्री की ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, मारीशस, मुज़ाम्बिक और सोवियत संघ की यात्राओं का भी जिक्र करना चाहूंगा तथा साथ ही तंज़ानिया और ग्रीस के राष्ट्रपतियों, भूटान नरेश, मुज़ाम्बिक, अल्जीरिया, नौरू, पाकिस्तान, फ्रांस, मिस्र और नाईज़ीरिया के राष्ट्रपतियों, ब्रिटेन, नेपाल और मारीशस के प्रधानमंत्रियों, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष, बांग्लादेश के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक तथा दूसरे राजनेताओं द्वारा की गई भारत की यात्राओं का भी उल्लेख करूंगा। यात्राओं के इस आदान–प्रदान से आपसी लाभ हुआ है।

माननीय सदस्यगण, संसार में आर्थिक और राजनैतिक संकटों के कारण जो तनाव बढ़ा है उसका मुकाबला भारत केवल चौकसी, एकता और अपनी उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग द्वारा ही कर सकता है। भ्रष्टाचार और अकुशलता से जूझने के अलावा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतभेदों को इस तरह प्रकट न किया जाए जिससे हिंसा भड़के या हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो। पिछले तीन वर्षों में हम अपनी स्थिरता और प्रगति को बरकरार रख सके हैं। मेरा हार्दिक अनुरोध है कि समस्त राष्ट्र भारत की अखण्डता को बनाए रखने और उसके कल्याण तथा सम्मान को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उनके सामने जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें सहयोग और सद्भावना से पूरा करें। बजट कार्य, विधायी कार्य तथा अन्य कार्य जो आपके सामने हैं उन्हें सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 23 फरवरी 1984

लोक सभा	-	सातवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	ज्ञानी जैल सिंह
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री एम. हिदायतुल्लाह
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

मुझे वर्ष 1984 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं उसको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

चालू वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था में भारी सुधार हुआ है, जिससे व्यापक रूप से वर्षा न होने के कारण हुई हानि को पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष कृषि उत्पादन में 9 प्रतिशत वृद्धि की आशा है, जबकि पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत की कमी हुई थी। अनाज का उत्पादन 1420 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से अधिक हो जाने की आशा है, जबकि 1982-83 में वास्तविक उत्पादन 1284 लाख मीट्रिक टन था और इससे पहले सबसे अधिक उत्पादन का रिकार्ड 1333 लाख मीट्रिक टन रहा था। कृषि उत्पादन में ये सफलताएं वर्षों से अपनाई गई हमारी ठोस नीतियों और कार्यक्रमों का ही परिणाम है। 1982-83 में सिंचाई क्षमता में 23.4 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई थी। अब 1983-84 में इसमें 23.7 लाख हेक्टेयर की और वृद्धि होने की सम्भावना है। सिंचाई में जो क्षमता हासिल की गई है उसके उपयोग में सुधार लाने के लिए खासतौर से कोशिशें की जा रही हैं। अधिक पैदावार देने वाली फसलों की किस्मों के कार्यक्रमों में विस्तार किया जाता रहा है और यह उम्मीद है कि 1983-84 में 520 लाख हेक्टेयर भूमि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगी। 1983-84 के दौरान उर्वरक की खपत योजना लक्ष्य से काफी अधिक हो जाएगी।

सूखी भूमि पर खेती की तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए 4246 लघु-जल विभाजकों का पता लगाया गया है। इससे गरीब से गरीब ग्रामीण समुदायों को सहायता मिलेगी। 1983-84 में छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता के लिए केन्द्रीय रूप में चलाई गई एक योजना शुरू की गई थी।

औद्योगिक अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करने और बुनियादी ढांचे में सुधार का काम पूरी गति से चलता रहा। कोयले के उत्पादन में सितम्बर के बाद लगातार सुधार हुआ है और 1983-84 के दौरान इसका उत्पादन 1400 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंच जाएगा। 1983-84 के पहले 9 महीनों के दौरान बिजली उत्पादन पिछले वर्ष से लगभग 5 प्रतिशत बढ़ गया है। खनिज तेल का उत्पादन जो 1980-81 में 105 लाख मीट्रिक टन था और 1982-83 में 210.6 लाख मीट्रिक टन हो गया था, अब 1983-84 में बढ़कर उसके 260 लाख मीट्रिक टन हो जाने की सम्भावना है। रेल द्वारा माल की ढुलाई को पिछले वर्ष से ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के लिए विशेष कोशिशें की गई हैं। बन्दरगाहों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और 1983-84 में मुख्य बन्दरगाहों पर जो कुल यातायात होने की सम्भावना है, उम्मीद है कि वह दस सौ दस लाख मीट्रिक टन से अधिक होगा, यह अब तक का सबसे अधिक यातायात होगा।

औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति जो वर्ष के पहले छह महीनों में धीमी रही थी, उसमें वर्ष के आखिरी छह महीनों में सुधार हुआ है और 1983-84 में कुल औद्योगिक विकास दर 4.5 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है। औद्योगिक निर्माण क्षेत्र में अच्छा उत्पादन रहा है। सूती कपड़ा इंजीनियरी और सीमेंट उद्योगों में भारी सुधार हुआ है।

देश के विभिन्न भागों में मुख्तलिफ दबावों के बावजूद वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंधों की स्थिति भी सन्तोषजनक बनी रही। आर्थिक विकास में गति को बनाए रखने के सरकार के अनुरोध का आम कामगारों पर अच्छा असर पड़ा है, जिसका पता उत्पादन में हुई वृद्धि से चल जाता है।

इस वर्ष कुल राष्ट्रीय उत्पादन की विकास दर लगभग 6 से 7 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है, जबकि 1982-83 में यह दर केवल 1.8 प्रतिशत थी। छठी योजना की पहले चार वर्षों में कुल राष्ट्रीय उत्पादन की औसत विकास दर 5.4 प्रतिशत हो जाएगी। इस उपलब्धि पर देश जायज तौर पर गर्व कर सकता है।

कीमतों की स्थिति हमारे लिए चिन्ता का कारण रही है। 7 जनवरी, 1984 को मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 10.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव का अधिक कारण, सूखे की वजह से 1982-83 में कृषि उत्पादन में कमी, रहा था। इस दबावों का मुकाबला करने और मुद्रा के फैलाव को कम करने के लिए अनेक उपाए किए गए हैं, जिनमें खाद्यान्नों, तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विस्तार और उसे मजबूत बनाया जाना, अनाज की वसूली का जोरदार अभियान, आयात के जरिए समय पर घरेलू पूर्तियों का

सीमान्त विस्तार, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और मुद्रा प्रणाली में अधिक नकदी को घटाने के उद्देश्य से राजकोष और मुद्रा पर अंकुश लगाना शामिल है। 1983-84 की रिकॉर्ड फसल और बुनियादी ढांचे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार सुधार से आने वाले महीनों में मुद्रा के फैलाव की दर को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार ने खर्च को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही उत्पादन और उसकी कुशलता तथा क्षमता के पूरे उपयोग की प्रेरणा को भी बनाए रखा है।

हमारे विदेशी भुगतान की स्थिति में सुधार हुआ है। व्यापार अन्तराल लगातार दूसरे वर्ष में घट जाने की सम्भावना है। अप्रैल-अक्तूबर, 1983 के दौरान (तेल को छोड़कर) निर्यात में 1982-83 की इसी अवधि की तुलना में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयातों का मूल्य (तेल निर्यात के अलावा) 2.5 प्रतिशत गिर गया। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमताओं के निर्माण और आयात की अधिक मात्रा को कम करने की नीति से लाभ हुआ है। एक दूसरी उत्साहजनक बात यह है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों से धन की प्राप्ति में काफी सुधार हुआ है।

चूंकि हमारी सुरक्षित विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है, इसलिए सरकार ने स्वेच्छा से ही यह निर्णय किया है कि वह चालू वर्ष के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ एक्स्टेंडेड फंड फेसेलिटी के अधीन कोई और अधिक धन नहीं लेगी। कुल 5 बिलियन एसडीआर में से हम केवल 3.9 बिलियन का ही उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार 1.1 बिलियन एसडीआर का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दूसरे विकासशील देशों की सहायता के लिए उपलब्ध हो गया है। हमारे देश के लोग विदेशी तालमेल की हमारी नीतियों की कामयाबी पर गर्व कर सकते हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम को, जिसमें निर्धनता को दूर करने के उपायों पर जोर दिया गया है, जोरदार ढंग से लागू किए जाने से गांव के निर्धन लोगों की दशा में सुधार हो रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन 90 लाख ग्रामीण परिवारों को जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 32 लाख परिवार भी शामिल हैं, छठी योजना के पहले तीन वर्षों में सहायता दी गई है। पहले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर कुल मिलाकर 2253 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। चालू वर्ष में और भी 30 लाख परिवारों की सहायता की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन और अधिक रोजगार पैदा करने के लक्ष्यों को, योजना के पहले तीन वर्षों में पूरी तरह हासिल कर लिया गया और चालू वर्ष में भी इस दिशा में प्रगति संतोषजनक है। 15 अगस्त, 1983 को एक नया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके लिए 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं। तालीमयाफ़्ता बेरोजगारों को अपना रोजगार खुद चुनने के नए कार्यक्रम को भारी सफलता मिली है। 1983-84 के लिए 2.5 लाख शिक्षित व्यक्तियों की सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

माननीय संसद सदस्यगण, 1983-84 में भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों से वाकिफ हैं। 17 अप्रैल, 1983 को रोहिणी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया गया था। इनसेट-1बी को 30 अगस्त, 1983 को सफलता के साथ छोड़ा गया था, जो 15 अक्तूबर, 1983 से हमारे दूरसंचार, दूरदर्शन, रेडियो और मौसम विज्ञान कार्यक्रमों में सहायता दे रहा है। दूरदर्शन सेवाओं में भारी विस्तार की योजना बनाई गई है, जिससे कि इसकी सेवाओं के अंतर्गत 1983-84 में 23 प्रतिशत जनसंख्या से बढ़कर 1984-85 तक 70 प्रतिशत जनसंख्या आ सके। भारत ने दक्षिणी ध्रुव संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इस प्रकार इसका 15वां सलाहकार सदस्य राज्य बन गया है। अब तक दक्षिणी ध्रुव के तीन अभियान आयोजित किए गए हैं और वहां एक नियमित स्टेशन भी स्थापित किया जा चुका है। सबसे पहली बार दो महिला वैज्ञानिक उस महाद्वीप में गई हैं। हमने केन्द्रीय हिन्द महासागर में बहु धातु पिंड के व्यापक सर्वेक्षण हेतु एक मार्गदर्शक क्षेत्र के लिए अपने आपको अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के पास रजिस्टर्ड करा लिया है। मद्रास परमाणु बिजली केन्द्र की पहली इकाई, 2 जुलाई, 1983 को बनकर तैयार हो गई, इसका ढांचा और डिजाइन स्वदेश में ही तैयार किया गया था। यह अब 200 मेगावाट तक बिजली तैयार कर रही है।

संसद ने हाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्वास्थ्य की देख-रेख के निरोधात्मक, प्रेरक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं पर जोर दिया गया है। इस नीति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें समाज को शामिल किया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये दूर-दराज के देहाती इलाकों के लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तपेदिक, कुष्ठ रोग और अन्धेपन पर नियंत्रण पाने के लिए भारी उपाय किए जा रहे हैं। परिवार नियोजन में भारत की कोशिशों को उस समय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल हुई, जब हमारी प्रधान मंत्री को न्यूयार्क में 30 सितम्बर, 1983 को हुए एक विशेष समारोह में संयुक्त राष्ट्र संघ का जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। गर्भधारण के प्रति 25.9 प्रतिशत दम्पत्तियों को सुरक्षित किया गया है और यह प्रतिशत अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। परिवार नियोजन की मुख्तलिफ विधियों को अपनाने वालों की संख्या अप्रैल-दिसम्बर, 1983 में पिछले वर्ष की इसी अवधि से 15 प्रतिशत बढ़ गई है।

शिक्षा में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा को जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, सब तक पहुंचाने और 1990 तक प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को खत्म करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाता रहा। रेडियो और टेलीविजन की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा के एक जबरदस्त कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी यह कोशिश रही है कि विश्वविद्यालयों और उच्च टेक्नोलॉजी की संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए। शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए गठित दो आयोगों का कार्य प्रगति पर है।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कला परिषद् की स्थापना की गई है, जो देश के सांस्कृतिक विकास और देश की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए मुख्तलिफ क्षेत्रों में की जा रही राष्ट्रीय कोशिशों में सुधार लाने के लिए नीतियां तैयार करेगी। हमारे पुस्तक उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् की भी स्थापना की गई है।

देश एकता और अखण्डता के किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए दृढ़ इरादे और सद्‌भावना के वातावरण में ही लगातार तरक्की कर सकता है। साम्प्रदायिक और पृथकतावादी तत्वों की विघटनकारी गतिविधियों, हिंसात्मक आन्दोलनों और अनेक क्षेत्रों में हुई राष्ट्र की उपलब्धियों को मिट्‌टी में मिलाने की योजनाबद्ध कोशिशों से जो नुकसान पहुंचा है, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ये प्रवृत्तियां राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रही हैं। कुछ अन्दरूनी और बाहरी ताकतें भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को कमजोर करने के काम में लगी हुई हैं।

आज की जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक और राजनीतिक आजादी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सतर्कता पर ज्यादा ध्यान दें। हर एक देशभक्त नागरिक को चाहिए कि वह ऐसी ताकतों को कुचलने में सरकार के साथ सहयोग करे जो जाति, नस्ल, क्षेत्र या भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करती हैं। हाल ही में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधारा के मतभेद को भुलाकर एक मत से यह स्वीकार किया गया था कि राष्ट्रीय एकता के ढांचे को मजबूत किया जाए और भारतीयता की भावना को बढ़ावा दिया जाए। यह निर्णय बहुत ही उत्साहजनक था। आन्दोलनों के समर्थन में हिंसा का सहारा लेने और धार्मिक स्थानों पर असामाजिक तत्वों को शरण देने के विरुद्ध लगभग सभी पार्टियों में सहमति है। अपराधियों द्वारा पूजा स्थलों का इस्तेमाल किए जाने से धर्म के नाम पर धब्बा तो लगता ही है साथ ही उनकी पवित्रता भी नष्ट होती है और राष्ट्र हितों को नुकसान पहुंचता है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बढ़ते हुए इस अहसास को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में तबदील करें जिससे कि देश में विभिन्न दलों और मुख्तलिफ वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय एकता के एक मजबूत सूत्र में बांधा जा सके।

असम में राज्य सरकार ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारी प्रयास किए हैं। इन कोशिशों को जनता का व्यापक समर्थन मिला है, जिसने यह महसूस किया है कि हिंसा से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक गड़बड़ी ही फैलती है। अधिकरणों ने विदेशियों के मसले पर एक संकल्प तैयार करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। अवैध रूप से देश में दाखिल होने वालों पर निगरानी रखने के लिए भी कड़े उपाय किए गए हैं। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्यगण समझौते और मेल-मिलाप की प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

पंजाब में मासूम लोगों के खिलाफ दर्दनाक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। कुछ ताकतों ने सम्प्रदायों के बीच सदियों पुराने भाईचारे के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिशें की हैं। परन्तु यह देखकर भारी सन्तोष होता है कि अधिकांश लोग चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, नफरत के दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार से गुमराह नहीं हुए हैं। यह जरूरी है कि उस राज्य में फिर से शांति और सामान्य स्थिति कायम की जाए। सरकार हमेशा ही इस बात की फिक्र में रही है कि पंजाब की समस्याओं को सभी संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के जरिए हल किया जाए।

हाल ही में, हरियाणा में साम्प्रदायिक हिंसा का फैलना एक दुखदायी घटना है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभावित इलाकों में जल्दी ही फिर से शांति स्थापित हो जाएगी।

साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियों में जो तेजी हुई है, वह सरकार के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय रही है। इनसे देश की सुरक्षा और अखण्डता के लिए खतरा है। एक ऐसे आतंकवादी गिरोह द्वारा जिसका यह दावा है कि वह जम्मू व कश्मीर में पृथकतावादी आन्दोलन की नुमाइन्दगी करता है, ब्रिटेन में एक भारतीय राजनयिक की कायरतापूर्ण हत्या किए जाने से हमारे लिए इस बात की जरूरत बढ़ गई है कि हम सतर्क और चौकस रहें। ऐसी घटनाओं के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हमारी राजनीतिक प्रणाली इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए काफी मजबूत और लचकदार है हमारी लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थिति मजबूत है। भारत के लोगों ने बार–बार अपने इस दृढ़ निश्चय का सबूत दिया है कि हम बड़ी मुश्किलों से हासिल की गई अपनी आजादी और एकता की रक्षा कर सकते हैं। यह हमारा काम है कि हम उनकी इस असीम शक्ति और आदर्श का उपयोग राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए करें।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति शांतिजनक नहीं है। शस्त्रों की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है और शस्त्रों पर सारे विश्व में 600 बिलियन डालर वार्षिक से ज्यादा खर्च हो रहा है। नि:शस्त्रीकरण की बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इंटरमीडिएट न्यूक्लीयर फोर्सेस को सीमित करने के संबंध में बातचीत स्थगित हो गई है। आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आशाएं भी इसी प्रकार से कमजोर पड़ गई हैं।

हमारे अपने क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण खराब हो गया है। हिन्द महासागर क्षेत्र का लगातार सैनिकीकरण होता जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में अति आधुनिक शस्त्रों के आ जाने से चिंता पैदा होती है। हम अपने दुर्लभ साधनों का इस्तेमाल विकास के कामों में करना पसंद करते हैं, परन्तु हम अपनी रक्षा जरूरतों के प्रति भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। हमारे चारों ओर इस प्रकार की तैयारी के बावजूद, हमने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की अपनी नीति को कायम

रखा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सरकार हमारे विरुद्ध किए जा रहे प्रचार को बंद करने के लिए दोस्ती, शांति और सहयोग के लिए हमारे प्रस्तावों और बेहतर संबंधों के लिए कदम उठाए और इस प्रकार की हमारी इच्छा का सकारात्मक रूप से उत्तर दे। श्रीलंका में जातीय हिंसा से जिसमें भारतीय नागरिक और तमिल तथा भारतीय मूल के अन्य व्यक्ति भारी संख्या में हताहत हुए थे और सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ था, सारे देश को स्वाभाविक रूप से गहरी चिन्ता हुई। यह सन्तोष की बात है कि श्रीलंका सरकार ने हमारी सद्भावनापूर्ण कोशिशों के प्रस्ताव को मान लिया है, जिससे कि किसी व्यावहारिक राजनीतिक समझौते में सुविधा हो। हम उम्मीद करते हैं कि सर्वदलीय सम्मेलन से कोई मुश्तकिल और संतोषजनक हल निकल आएगा। चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सीमा प्रश्न के समझौते के उद्देश्य से कोशिशें की जा रही हैं। इस क्षेत्र के देशों के साथ अनेक बार यात्राओं का आदान-प्रदान और आपसी विचार-विमर्श हुआ है, जिससे कि प्रमुख समस्याओं का हल निकाला जा सके और आपसी संबंधों में और सुधार लाया जा सके। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का सम्मिलित कार्यक्रम शुरू किया जाना इस दिशा में एक लाभदायक कदम था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में हमें भूटान नरेश का स्वागत करने का अवसर मिला था।

नई दिल्ली में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों का 7वां सम्मेलन 1983 की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस सम्मेलन ने फिर से इस बात की पुष्टि की है कि गुटनिरपेक्ष नीति लगातार संगतिपूर्ण और उचित है। इस आन्दोलन की अध्यक्ष होने के नाते, प्रधानमंत्री ने शांति, निःशस्त्रीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में पहले से ही अनेक प्रारम्भिक कदम उठाये हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहल यह थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर न्यूयार्क में अनौपचारिक रूप से शिखर स्तर पर विचार-विमर्श किए गए। इन विचार-विमर्शों का भारी स्वागत हुआ है और इन्हें आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत को उपयोगी प्रक्रिया में सहायक माना है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के भीतर हुई घटनाओं के संबंध में मंत्रिस्तर पर गुटनिरपेक्ष देशों के दल का पश्चिम एशिया में भेजा जाना भी इस दिशा में एक कदम था। सरकार फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और दक्षिणी अफ्रीका तथा नामीबिया में मुक्ति आन्दोलनों को हर मुमकिन सहायता देने के लिए सैद्धांतिक नीति के रूप में दृढ़ता से पाबन्द है। हमने नवम्बर में राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की थी। इससे औद्योगिक और विकासशील देशों के शासनाध्यक्षों को साथ-साथ मिलने का मौका मिला और शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हल को नया समर्थन मिला।

सोवियत संघ और समाजवादी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग की परम्परा बढ़ती जा रही है हमें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सोवियत संघ के राष्ट्रपति, श्री यूरी आन्द्रोपोव के निधन पर गहरा दु:ख हुआ है। प्रधानमंत्री सोवियत जनता के दु:ख में भारत की हमदर्दी प्रकट करने के लिए मास्को गई थीं। वहां सोवियत

संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव श्री कान्स्टेंटिन चर्निनको के साथ उनकी उपयोगी बैठक हुई थी, जिसमें आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की इच्छा को दोहराया गया।

प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क में राष्ट्रपति रीगन के साथ उपयोगी विचार-विनिमय किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में "भारत उत्सव" मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। पश्चिम यूरोप के देशों के साथ हमारे संबंध दोनों ओर से की गई उच्च स्तर की अनेक यात्राओं से और भी मजबूत हुए थे।

मैंने चेकोस्लोवाकिया, कतर और बहरीन की राजकीय यात्राएं की थीं। प्रधानमंत्री ने युगोस्लाविया, फिनलैंड, डेनमार्क, नार्वे, आस्ट्रिया, साईप्रस और ग्रीस की यात्राएं की थीं। वे पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मिली थीं। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन और राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष सम्मेलन के अवसर पर राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शामिल होने के अलावा, हमने अनेक प्रतिष्ठित विदेशी मेहमानों की भी मेजबानी की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष सम्मेलन के शुरू होने के अवसर पर भारत की राजकीय यात्रा की थी। बुल्गारिया के राष्ट्रपति, जर्मनी संघीय गणराज्य के चान्सलर, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति और चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हमारे देश में तशरीफ लाने वाले दूसरे विशिष्ट मेहमान थे। इन यात्राओं से भारत और इन देशों के बीच सहयोग और दोस्ती के संबंधों को मजबूत बनाने में सहायता मिली है।

माननीय सदस्यगण, हमारा गणराज्य तनाव के दौर से गुजर रहा है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कामों के लिए देश के लोक सेवकों और जनता के नुमाइन्दों की दृढ़ निष्ठा की जरूरत है। जितना हम राष्ट्र से लेते हैं उससे ज्यादा हमें उसे देना चाहिए। आज हमारे लिए राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति पुनः समर्पण की भावना की जरूरत है, ताकि हम सभी राष्ट्रीय एकता और विकास में अधिक से अधिक योगदान दे सकें।

मैं कामना करता हूं कि माननीय सदस्यों को अपने उन कठिन कार्यों में जो उनके सामने हैं, सफलता हासिल हो।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 17 जनवरी 1985

लोक सभा	-	आठवीं लोक सभा
सत्र	-	आठवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	ज्ञानी जैल सिंह
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री राजीव गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

आठवीं संसद के प्रथम अधिवेशन में, मैं आप सबका हर्ष से स्वागत करता हूं। लोक सभा के नए सदस्यों का मैं अभिवादन करता हूं। मुझे विश्वास है राष्ट्र की प्रगति में वे अपना पूर्ण योगदान देंगे।

1984 भारत के लिए संकट और परीक्षा का वर्ष रहा। लेकिन दुःख और संताप के बीच आशा थी, और साथ ही राष्ट्र ने जिन सिद्धांतों को अपनाया है और पालन किया है उनके प्रति दृढ़ आस्था भी थी।

1984 के आरम्भ में पंजाब में विघटनकारी और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने अपनी गतिविधियां तेज कीं। बातचीत की प्रक्रिया को सफल नहीं होने दिया गया। उग्रवादियों और आतंकवादियों की ओर से देश की एकता और अखण्डता को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए सेना बुलानी पड़ी। भारत की एकता और अखण्डता के खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार को सेना का मजबूर होकर उपयोग करना पड़ा। इसका सिलसिलेवार ब्यौरा 10 जुलाई, 1984 के श्वेत-पत्र में दिया गया है।

31 अक्तूबर, 1984 को हमारी प्रिय नेता, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की विश्वासघाती हत्या कर दी गई।

किन परिस्थितियों में हत्या की गई इनसे संबंधित तथ्यों की जांच के लिए जस्टिस एम.पी. ठक्कर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है।

इंदिरा गांधी विश्व इतिहास के अमर व्यक्तियों की श्रेणी में आ गई हैं। उनकी जीवन-गाथा भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा-स्रोत है। उनके जीवन का हर पल, हर क्षण भारत की एकता को सुदृढ़ करने और सभी क्षेत्रों में देशवासियों को मजबूत बनाने के लिए समर्पित था। कोई भी स्मारक उनके व्यक्तित्व की भव्यता और प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित नहीं कर सकता। उनके प्रति हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक जिस मार्ग को आलोकित किया उस पर हम चलें।

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के कुछ अन्य हिस्सों में गड़बड़ी और हिंसा से जान-माल का नुकसान हुआ। कम से कम समय में स्थिति पर काबू पाने के वास्ते सख्त और प्रभावी कदम उठाये गए। इस हिंसा के दौरान जिन परिवारों का नुकसान हुआ उनके प्रति मेरी सरकार की गहरी सहानुभूति है। प्रभावित लोगों के पुनर्वास का कार्य प्राथमिक है और केन्द्र तथा राज्य सरकारें इसे पूरा महत्व दे रही हैं।

भोपाल में गैस से पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार की पूरी हमदर्दी है। जिन परिवारों में रोजगार का कोई साधन नहीं रहा उनके पुनर्वास पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। सरकार औद्योगिक संस्थानों के स्थान और बचाव उपायों की पूरी जांच कर रही है ताकि दोबारा ऐसी भयानक दुर्घटना न हो।

भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की परिपक्वता और शक्ति कांग्रेस(इ) संसदीय दल के नये नेता के रूप में श्री राजीव गांधी के निर्विघ्न और व्यवस्थित चुनाव से प्रदर्शित हुई। लोक सभा के चुनाव अविलम्ब कराये गए। जिस निष्पक्षता और शांति से ये चुनाव हुए उनका श्रेय हमारे देशवासियों की लोकतांत्रिक प्रतिभा को जाता है।

1984 के चुनाव भारतीय राष्ट्रीय के पुनर्जीवन का प्रतीक हैं जो जात-पात, सम्प्रदाय और प्रदेश के सभी बंधनों से मुक्त वातावरण में हुए। शासक दल श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में जिस अभूतपूर्व बहुमत से विजयी हुआ उससे जाहिर है कि हमारे देशवासियों को राष्ट्र की एकता और अखण्डता की कितनी चिन्ता है और साथ ही इनको संजोये रखने के लिए केन्द्र में एक मजबूत और स्थायी सरकार बनाने की कितनी प्रबल इच्छा है।

यह स्पष्ट निर्णय उन आधारभूत नीतियों के पक्ष में भी है जिनसे हमारे देश को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल काम करने के लिए शक्ति मिली है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। छठी योजना की अवधि में औसत विकास दर 5.2 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने की आशा है। अनाज का उत्पादन 1979-80 में 109.7 मिलियन टन से बढ़कर 1983-84 में

151.5 मिलियन टन हो गया जो इस वर्ष के लक्ष्य से 9.5 मिलियन टन अधिक था। चालू वर्ष में कृषि उत्पादन की गतिशीलता बने रहने की आशा है। हमारे किसानों और खेत मजदूरों के उद्यम और कड़ी मेहनत से उपलब्धियों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिस पर हम सबको गर्व है। कृषि उत्पादन में इस वृद्धि की महत्वपूर्ण विशेषता है देश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में हरित क्रांति का फैलना।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन में भी 1983-84 तक लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष के प्रथम 6 महीनों में विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक रही है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। परम्परागत रूप से श्रमिक वर्ग ने उत्पादन की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

छठी योजना की अवधि में बुनियादी उद्योगों के कार्यों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 1983-84 के अंत तक कोयले का उत्पादन 32.9 प्रतिशत और बिजली का उत्पादन 32.6 प्रतिशत बढ़ गया। कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में 121 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उर्वरक और सीमेंट के उत्पादन में भी क्रमशः 52.3 प्रतिशत और 53.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में उत्पादन और अधिक बढ़ा है।

कीमतों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। चालू वर्ष में दिसम्बर, 1984 के अन्त तक थोक मूल्य में 1983 की उसी अवधि में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1984 के अंत में मुद्रा फैलाव की वार्षिक दर दिसम्बर, 1983 के अन्त में 10.7 प्रतिशत के मुकाबले 5.4 प्रतिशत थी।

मांग और आपूर्ति दोनों के कुशल प्रबंध के कारण मुद्रा फैलाव के दबाव पर नियंत्रण रखने में सफलता मिली है। मुद्रा विस्तार की गति और सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखने के प्रयास किये गये। आपूर्ति के मामले में आवश्यक वस्तुओं को सुलभ बनाने के कई उपाय किए गए। इस प्रक्रिया में वस्तुओं के लाभकारी दाम देने की सरकार की नीति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। साथ ही मुख्य निवेशों की आपूर्ति, जरूरत पड़ने पर आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात तथा अनाज का बफर स्टॉक बनाने से भी इस दिशा में मदद मिली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने कीमतों को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विदेशी ऋण की अदायगी की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है। आपको स्मरण होगा कि पिछले वर्ष सरकार ने आईएमएफ के 5 बिलियन एसडीआर ऋण में से 3.9 बिलियन प्राप्त करके शेष भाग को स्वेच्छा से छोड़ दिया था। राजकीय कोष की स्थिति अधिक मजबूत हुई है। विदेशी मुद्रा का भण्डार 1982-83 के अन्त में 4265 करोड़ रुपये से बढ़कर 1983-84 के अन्त में 5498 करोड़ रुपये हो गया है। दिसम्बर, 1984 के अंत में बढ़कर 6250 करोड़ रुपये हो गया। लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ढील देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

20-सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी कम करने के निरंतर प्रयास होते रहे। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में समेकित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के 4.7 मिलियन परिवार और विभिन्न समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7.9 मिलियन परिवार शामिल हुए। इसके साथ चालू वर्ष में नवम्बर, 1984 तक 19.45 लाख परिवारों के शामिल होने से इस कार्यक्रम में परिवारों की कुल संख्या 14.5 मिलियन हो गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन गारण्टी योजना से गांव के गरीब तबके के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इन कार्यक्रमों को लागू करने में महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 2.31 लाख समस्याग्रस्त गांवों में से 1.52 लाख गांव 31 मार्च, 1984 तक शामिल हो गये थे। 1984-85 के दौरान करीब 42,000 अधिक गांव शामिल हो जायेंगे।

छठी योजना के दौरान 11.5 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने की आशा है। छठी योजना के अंत तक देश की कुल सिंचाई क्षमता लगभग 68 मिलियन हेक्टेयर हो जाने की आशा है कि जबकि देश की सम्पूर्ण सिंचाई 113 मिलियन हेक्टेयर है। नर्मदा घाटी का बहुउद्देशीय विकास हाथ में ले लिया गया है।

छठी योजना में अर्थव्यवस्था की बहुमुखी प्रगति यह सिद्ध करती है कि योजनाबद्ध विकास की हमारी नीति खरी है। सरकार अब सातवीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर लगी है जो अप्रोच पेपर के अनुसार है। सातवीं योजना में इंदिरा गांधी ने "भोजन, काम और उत्पादन" को प्राथमिकता दी है। देश को अब अनुशासित ढंग से और जोरदार प्रयास से विकास की उस अवस्था में पहुंचाना है जिसमें तकनीकी प्रगति और सामाजिक न्याय के आदर्श एक दूसरे को शक्ति दें।

नई सरकार को जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से एक सुसंगत और सिद्धान्तयुक्त विदेशी नीति विरासत में मिली है। हमारी विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर आधारित है, गुटनिरपेक्षता के प्रति समर्पित है और पुराने या नये उपनिवेशवाद तथा जातीय रंगभेद की विरोधी है।

गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर विश्व में एक न्यायोचित व्यवस्था कायम करने, तनाव कम करने और सदस्य देशों के बीच झगड़े सुलझाने के प्रयास किये। आज सबसे ज्यादा खतरा है परमाणु युद्ध का। पिछले वर्ष अर्जेंटीना, ग्रीस, मेक्सिको, स्वीडन, तनज़ानिया और भारत के नेताओं ने मिलकर परमाणु हथियार बनाने वाले राष्ट्रों से अनुरोध किया कि वे परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगायें और उनके भण्डार को कम करें। कुछ ही दिन बाद इन छह देशों के नेता दिल्ली में मिलेंगे और परमाणु युद्ध के खतरों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इस पर विचार करेंगे।

जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र अमरीका और सोवियत संघ के बीच वार्ता फिर आरम्भ हुई है इसका हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि निरस्त्रीकरण की दिशा में अर्थपूर्ण कदम उठाये जायेंगे।

सरकार अपने सभी पड़ोसी देशों से निकट के संबंध बनाने को अधिक महत्व देती है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग विकास के लिए हम उत्सुक हैं।

हिन्द महासागर में सैन्यीकरण जारी है। इससे हमारे तटवर्ती इलाकों में तनाव और संघर्ष की सम्भावना बढ़ गई है। सरकार हिन्द महासागर को सैन्यीकरण से मुक्त रखने के ध्येय के प्रति वचनबद्ध है ताकि इस क्षेत्र में और उन तटवर्ती राष्ट्रों में तनाव दूर हो, जो मुख्यत: विकासशील देश हैं और जो विकास के कार्यों में अपने साधन, ध्यान और शक्ति लगा सकते हैं।

पड़ोसी क्षेत्रों में आधुनिक हथियार दिया जाना हमारे लिए चिन्ता का विषय है। हम आशा करते हैं कि इसे रोकने के लिए सरकार ने पहल की है, उसके अनुरूप पाकिस्तान सकारात्मक और रचनात्मक रवैया अपनायेगा।

श्रीलंका में जातीय हिंसा से हमें बहुत चिन्ता है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि ताकत के जोर पर कोई हल नहीं निकाला जा सकता। एक राजनीतिक प्रक्रिया ही उचित समाधान निकाल सकती है जिसमें सभी संबंधित पक्ष शामिल हैं। श्रीलंका में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे भारी संख्या में भारत में आये शरणार्थी वापस जा सकें।

चीन के साथ संबंधों में सुधार हुआ है। हम अपनी सीमा के प्रश्न को हल करने का प्रयास करते रहेंगे।

सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग में निरंतर प्रगति हो रही है।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का हम स्वागत करते हैं।

पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, प्रशान्त महासागर, पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, मध्य तथा दक्षिण अमरीका और कैरीबियन के देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में निरन्तर वृद्धि हमें देखने को मिली है।

हम अफ्रीका के कुछ भागों में अभूतपूर्व सूखे और अकाल की स्थिति से दु:खी हैं। हमने 1 लाख टन गेहूं अकाल सहायता के लिए भेजा है और चिकित्सा सहायता भी प्रदान की है। संकट की इस घड़ी में विश्व के सभी देशों को अफ्रीकी देशों की सहायता करनी चाहिए।

मैं पिछले वर्ष अर्जेंटीना, मेक्सिको, मारिशस, यमन जनवादी गणराज्य और यमन अरब गणराज्य की राजकीय यात्रा पर गया था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री सोवियत संघ, लीबिया और ट्युनिशिया की यात्रा पर गई थीं। भूटान नरेश, कतर के अमीर, श्रीलंका और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपतियों, आस्ट्रिया के फैडरल चांसलर, चेकोस्लोवाकिया, जापान, न्यूजीलैंड और वानूआतू के प्रधान मंत्री, वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के अध्यक्ष हमारे देश के राजकीय अतिथि थे। इस आदान-प्रदान से भारत और उन देशों के बीच मैत्री संबंधों तथा सहयोग को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। श्रीमती इंदिरा गांधी की अन्त्येष्टि में 102 देशों के नेताओं ने भाग लिया और दु:ख की घड़ी में अपनी जनता की ओर से संवेदना प्रकट की।

मैं अब भावी कार्यों की समीक्षा करूंगा। प्रधान मंत्री ने पंजाब और असम की समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार का दृढ़ निश्चय पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

सरकार एक स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए वचनबद्ध है। वह चाहती है कि चुनावी सुधारों पर राजनीतिक दलों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श करने में पहल की जाए। इसमें सरकार उनके सहयोग का स्वागत करेगी।

एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से सरकार दल-बदल रोक पर एक विधेयक संसद के इस सत्र में ला रही है।

सरकार, प्रशासनिक प्रणाली में सुधार की ओर पूरा ध्यान देगी जिससे यह अधिक कुशल बन सके तथा जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं पर ध्यान दे सके।

वस्त्र उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं है और इस समस्या पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार इस उद्योग के लिए एक नई नीति बनायेगी और इसकी घोषणा करेगी।

शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किये जायेंगे तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जायेगी।

संविधान की गरिमा बनाये रखने तथा जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने में हमारी न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ मसले हैं जिन पर ध्यान दिया जाना है। समाज के कमजोर वर्गों को न्यायिक सहायता अधिक आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। लोगों को शीघ्रतर न्याय मिलना चाहिए। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार कदम उठायेगी।

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास को सरकार प्राथमिकता देगी। बालिकाओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा नि:शुल्क उपलब्ध कराना इस

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार महिलाओं के लिए एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम बनायेगी। इस कार्यक्रम को बनाने और उसे लागू करने में स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

1985 युवा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अखण्डता, समाज सेवा तथा मानव प्रयास से संबंधित हर क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने का प्रमाण हमारे युवक पहले ही दे चुके हैं। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि युवक आगे आयें और राष्ट्र निर्माण के कार्य में उत्साहपूर्वक भाग लें। इस संबंध में उचित कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

देश के लिए, जंगलों को बचाने और उनका विकास करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वन तथा वन्य जीवन का एक पृथक विभाग बनाया है। एक नई वन नीति की शीघ्र घोषणा की जायेगी। एक वेस्टलैंड डेवेलपमेंट बोर्ड का गठन किया जा रहा है जिससे वनारोपण को एक जन आन्दोलन का रूप दिया जा सके। वायु तथा जल प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए भी कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

गंगा को दूषित होने से बचाने के लिए मेरी सरकार एक केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापित कर रही है। गंगा कोई साधारण नदी नहीं है। इसके साथ हमारे अतीत की स्मृतियां, हमारे गीत, काव्य और सत्य की खोज जुड़ी है। इसलिए एक स्वच्छ गंगा से लोगों को असीम संतोष होगा।

अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के कार्य को सरकार बहुत महत्व देती है। इतना ही महत्व रचनात्मक कलाओं के विकास को भी दिया जायेगा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन तथा लोगों की समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने को सरकार उच्च प्राथमिकता देती रहेगी।

ये हैं कुछ राष्ट्रीय प्रयास की प्राथमिकताएं। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि लोगों में जो उमड़ता हुआ उत्साह है उसे हम एक सहयोगी और अनुशासनमय प्रयास में बदलें जिससे विकास में गति आए और देश को 21वीं सदी के लिए तैयार कर सकें। इस महान और रोचक कार्य में सफलता के लिए मैं आपको शुभकामनायें देता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 20 फरवरी 1986

लोक सभा	-	आठवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	ज्ञानी जैल सिंह
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री राजीव गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

1986 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं नये सदस्यों को बधाई देता हूं।

पिछले साल संसद ने अपनी कार्यवाही उद्देश्यपूर्ण ढंग से और सहयोग के वातावरण में चलाई। आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनायें देता हूं।

जुलाई, 1985 में सरकार ने पंजाब में जटिल और कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि एकता और अखण्डता की ताकतों को मजबूत किया जाए। सर्वोच्च राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर नीति निर्धारित की गई। आतंकवाद पर लोकतंत्रीय प्रणाली की जीत हुई। पंजाब में शांतिपूर्ण चुनावों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि राज्य में बहुत बड़ी संख्या में लोग अमन-चैन और सामान्य स्थिति कायम करने के इच्छुक हैं।

जिन लोगों को जनादेश मिला है उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। उनका सबसे पहला काम यह है कि वे ऐसे लोगों को अलग-थलग कर दें जो साम्प्रदायिक सद्‌भावना और शांति को भंग करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। इस काम में उन्हें उन सभी राजनीतिक ताकतों का समर्थन मिलेगा जो भारत की एकता और अखण्डता के लिए वचनबद्ध हैं। विघटनकारी ताकतों के साथ किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि सभी

धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतें, हमारे संविधान में शामिल राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद के उन मूल्यों की, जो भारत की एकता के आधार हैं, रक्षा के लिए मिलकर एक जन–अभियान चलाएं।

असम समझौते के बाद वहां विधान सभा और लोक सभा के चुनाव हुए। वहां एक नई सरकार ने कार्यभार सम्भाला है।

सरकार पंजाब और असम समझौतों को पूरी तरह लागू करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार उन सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करती है जिनकी देश के विभिन्न भागों में हुई हिंसात्मक घटनाओं में जानें गईं या जो लोग घायल हुए या जिनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा। सार्वजनिक जीवन में हिंसा हमारी सभ्यता की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। एक वर्ग या दूसरे वर्ग द्वारा समझी जाने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए हिंसा का बार–बार सहारा लेने से उन लोगों को गहरी तकलीफ होनी चाहिए जो लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था रखते हैं। हालांकि, सरकार को जहां कहीं भी हिंसा हो, उसे सख्ती से दबाना चाहिए लेकिन यह जरूरी है कि जो राजनीतिक दल लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था रखते हैं, उन्हें लोगों के बीच जाकर अपने लगातार और उद्देश्यपूर्ण कार्यों के जरिये हिंसा के मूल कारणों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। साम्प्रदायिक और दूसरी प्रकार की हिंसा से छोटे–मोटे लाभ हासिल करने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए।

साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए गम्भीर खतरा बनी हुई है। धार्मिक रूढ़िवाद और कट्टरपन से खतरा और बढ़ता जा रहा है। ये प्रवृतियां प्रतिक्रियावाद सामाजिक दृष्टिकोण की प्रतीक हैं, जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध गरीबों और शोषितों के संघर्ष को कमजोर करती हैं। धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद् को दृढ़ निश्चय के साथ व्यवस्थित रूप में कार्य करना होगा।

मैंने अपने 17 जनवरी, 1985 के भाषण में सरकार की प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की थी। मैं मुख्य बातों को संक्षेप में दोहरा रहा हूं:–

(i) एक स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के प्रति वचनबद्धता;

(ii) प्रशासनिक सुधार;

(iii) न्यायिक सुधार;

(iv) एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति;

(v) महिलाओं के लिए एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम;

(vi) राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने और श्रेष्ठता हासिल करने के कार्यक्रमों में युवकों को शामिल किया जाना;

(vii) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना;

(viii) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना;

(ix) एक नई कपड़ा नीति; और

(x) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा के उपायों की पूरी जांच।

मेरी सरकार ने पिछले साल के लिए जो कार्य निर्धारित किए थे वे बहुत हद तक पूरे कर लिए हैं।

दल-बदल विरोधी अधिनियम अब विधि पुस्तक में शामिल है। कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को अंशदान दिए जाने को कानूनी स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने सार्वजनिक जीवन में एक नया वातावरण कायम करने की कोशिश की है। इससे राष्ट्रीय विश्वास को शक्ति मिली है। सभी वर्ग के लोगों में सार्वजनिक मामलों में हिस्सा लेने की गहरी भावना और भारी उत्साह पाया गया जो पिछले साल की एक विशेषता रही। इन्हीं गुणों के आधार पर हमें सार्वजनिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना है।

भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सभी स्तरों पर ठोस कार्मिक प्रबंध और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर काफी जोर दिया गया है। सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने की उचित व्यवस्था मौजूद है। इसके परिणामों का लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के लागू किए जाने पर निगाह रखने के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना की गई है। सरकार के सभी विभागों को हिदायत दी गई है कि वे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत कार्य योजनाएं बनाएं। इन्हीं के आधार पर उनकी प्रगति को आंका जाएगा। प्रशासनिक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रणाली को और अच्छा बनाने पर गहराई से विचार हो रहे हैं, ताकि निर्णय जल्दी लिए जा सकें और उन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।

सरकार का न्याय प्रक्रिया में लगने वाली देरी को खत्म करने का पक्का इरादा है। लोक अदालतों के तजुर्बों से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारी न्याय प्रणाली की बुराई को दूर करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों की स्थापना से अदालतों का भार हल्का होगा। इससे वे बकाया मामलों के निबटान में अधिक समय दे सकेंगे। हालांकि ये उपाय स्वागत योग्य हैं, फिर भी ये न्याय को कम खर्चीला बनाने और न्याय को आसानी से गरीबों की पहुंच तक लाने की बुनियादी समस्या के समाधान के लिए काफी नहीं हैं। इसके लिए आमूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। सरकार ने विधि आयोग को ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

सरकार ने अगस्त, 1985 में 'शिक्षा की चुनौती' नाम से एक दस्तावेज प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य था विभिन्न विषयों और विकल्पों पर व्यापक और गहन राष्ट्रीय बहस के लिए लोगों को प्रेरणा देना। सरकार को इस बात पर संतोष है कि इस बहस में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए हैं और कई उपयोगी विचार और उपाय सामने आए हैं। नई शिक्षा नीति का मसौदा जल्दी ही संसद में पेश किया जाएगा।

सरकार ने महिलाओं की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की है। महिलाओं के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा—एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र के विकास में महिलाओं को अपनी भूमिका पूरी तरह निभाने के योग्य बनाना।

युवा विकास के कार्यक्रमों में काफी प्रगति हुई है, परन्तु अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना है।

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना हो चुकी है और इसने वन लगाने के महान कार्य को शुरू कर दिया है। हाल ही की एक बैठक में सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय भूमि प्रयोग नीति और बंजर भूमि विकास की नीतियों के प्रति एक सम्मिलित रवैया अपनाने को अपना समर्थन दिया है।

केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से गंगा के प्रदूषण को रोकने का काम पूरे जोर-शोर से शुरू हो गया है।

जून, 1985 में एक नई कपड़ा नीति की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सस्ते कपड़े का उत्पादन करना है। इस नीति का उतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा करना भी है। यह विचार है कि सातवीं योजना में 70 करोड़ वर्ग मीटर कंट्रोल तथा जनता कपड़े के सम्पूर्ण उत्पादन को हथकरघा क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। दि हैण्डलूम्स (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) एक्ट, 1985 को पास कर दिया गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को जो करोड़ों लोगों की रोज़ी का ज़रिया है, मजबूत बनाया जा सके। इस नीति को पूरी तरह और कुशलता के साथ लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा और खतरनाक पदार्थों के प्रबंध से सम्बंधित मामलों की जांच पूरी कर ली है और संसद के इस अधिवेशन में इस पर विधेयक लाया जाएगा।

सांस्कृतिक समरसता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करेगी जिनमें से अभी तक तीन स्थापित किए जा चुके हैं। ये केन्द्र प्रादेशिक और भाषायी सीमाओं से ऊपर उठकर हमारी विविध समृद्ध क्षेत्रीय

सांस्कृतिक परम्पराओं और उनमें निहित एकता को प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी संस्कृति के श्रेष्ठ गुणों को जनसाधारण तक पहुंचाएंगे और उनके जीवन और संघर्षों के साथ उनका समन्वय स्थापित करेंगे। उपनिवेशक काल में जनता और भारतीय संस्कृति को जीवित परम्पराओं के बीच खड़ी की गई दीवार को तोड़ना होगा। साथ ही इन केन्द्रों का उद्देश्य लोक-कला को नई शक्ति प्रदान करना होगा, जिसने हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाया है।

अब मैं अपनी अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों के संबंध में चर्चा करूंगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना की बुनियादी नीति निर्धनता दूर करने और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के दीर्घकालीन ध्येय को सामने रखकर तैयार की गई है। इसमें निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए मूल क्षेत्रों में काफी मात्रा में पूंजी लगाई जाए।

योजना को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पक्के इरादे से और पूरी तरह वचनबद्ध होकर पूंजी निवेश के लिए काफी मात्रा में साधन जुटाएं। एक मजबूत, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए अथक परिश्रम, त्याग और मुश्किलें बर्दाश्त करने की जरूरत है। विकास के मार्ग में मुद्रास्फीति रुकावट न बने, इसके लिए बचत के काफी साधन जुटाने होंगे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बचतों का इस्तेमाल कारगर ढंग से किया जाए। हमें चुनौती का सामना करना होगा। विकास के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।

निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों को जोर-शोर से लागू करने के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक करोड़ पचास लाख परिवारों को सहायता पहुंचाना था। वास्तव में, इससे एक करोड़ छियासठ लाख परिवारों को फायदा हुआ, जिनमें चौंसठ लाख परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे। इन कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जा रहा है और अनाज के अतिरिक्त भण्डार का उपयोग वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किया जाएगा, जिससे 10 लाख अतिरिक्त परिवारों को लाभ होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को आवास की सुविधाएं देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक सौ करोड़ रुपये सालाना की व्यवस्था की गई है।

दो लाख 31 हजार गांव ऐसे थे जहां पीने का अच्छा पानी उपलब्ध नहीं था। इनमें से एक लाख 92 हजार गांवों को मार्च, 1985 के अंत तक पीने के पानी का कम से कम एक साधन अवश्य उपलब्ध कराया गया। 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम में और तेजी लाई गई।

वर्ष 1985-86 में कृषि के क्षेत्र में बराबर प्रगति हुई है। नवम्बर, 1985 में, सरकार के पास अनाज का भंडार 1984 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक था। इसके फलस्वरूप सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों और दूसरे अभावग्रस्त वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों, गर्भवती माताओं, बच्चों आदि के लिए खास रियायती दामों पर गेहूं और चावल बांटने की योजना चलाई है। खरीफ की फसल के लिए निश्चित क्षेत्रों में एक व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की गई है। सरकार ऐसी योजनाओं का और अधिक विस्तार करने पर विचार कर रही है।

1985-86 के पहले सात महीनों में औद्योगिक उत्पादन 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। सरकार की नीति के कारण पूंजी निवेश का एक उत्साहजनक वातावरण तैयार हुआ है। बुनियादी उद्योगों का कार्य अच्छा रहा है। पिछले साल के पहले नौ महीनों की तुलना में बिजली का उत्पादन 8.2 प्रतिशत, बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 12.9 प्रतिशत और उर्वरक का उत्पादन 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। हमारे बन्दरगाहों में 13.2 प्रतिशत अधिक माल लादा-उतारा गया है और रेलवे ने माल ढोने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।

वर्ष 1985-86 में केन्द्रीय योजना लागत में विशेषकर निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों, मानव संसाधन विकास और बुनियादी उद्योगों पर 1984-85 के मुकाबले 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य योजनाओं के लागत में काफी वृद्धि की गई थी। सरकार 1985-86 में खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता पर 1650 करोड़ रुपये और उर्वरक आर्थिक सहायता पर 2050 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया और उपयुक्त सप्लाई प्रबन्ध से जरूरी चीजों की कमी नहीं होने दी गई। यह बहुत संतोष की बात है कि सार्वजनिक पूंजी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

कर वसूली का काम उत्साहजनक रहा है, जिससे निराशाजनक स्थिति का अनुमान गलत साबित हुआ है। प्रत्यक्ष करों की वसूली पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। अप्रत्यक्ष करों की वसूली में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल कर वसूली में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले दस वर्षों में सबसे ज्यादा है। कर की चोरी करने वालों, तस्करों और कालाबाजारियों के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया गया था। जो कर्मचारी आर्थिक अपराधियों से मिलीभगत के दोषी पाए गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सरकार आर्थिक जीवन को साफ-सुथरा बनाने और कालेधन की बुराई को खत्म करने का पक्का इरादा रखती है।

पहली बार, पंचवर्षीय योजना की अवधि तक की एक दीर्घकालीन आर्थिक नीति की घोषणा की गई है सरकार को विश्वास है कि इस नीति से अवश्य ही आर्थिक प्रगति होगी और लाभकारी निवेश तथा रोजगार के अवसरों का तेजी से विस्तार होगा।

सामाजिक न्याय के साथ विकास के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में अर्थव्यवस्था के ढांचे संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान देना जरूरी है। सार्वजनिक पूंजी निवेश के स्तरों में लगातार वृद्धि होती रहे, इसी पर भारत का विकास निर्भर करता है इन निवेशों के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार होगी? पिछली योजनाओं में बड़े पैमाने पर किए गए पूंजी निवेश से काफी लाभ मिलना चाहिए। उत्पादन लागत में कमी करनी होगी। राष्ट्रीय बचत के हर पैसे का उत्पादन में अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। नहीं तो आत्मनिर्भर विकास की गति को कायम रखने, गरीबी हटाने के कार्यक्रमों का विस्तार करने और आर्थिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर अपेक्षित पूंजी निवेश के लिए वास्तविक साधनों को हासिल करना कठिन होगा। देर-सवेर, बल्कि जल्दी ही हमें स्थिति की असलियत का सामना करना है। किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि विकास, सामाजिक न्याय, मूल्यों में स्थिरता और आत्मनिर्भरता के बिना कार्यकुशलता, अनुशासन और जिम्मेदारी के हासिल किया जा सकता है। समकालीन इतिहास हमें ऐसे खतरों से सावधान करता है।

हमें उत्पादन में काम आने वाले सामान की लागत को कम करना होगा और निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में कमी करनी होगी। नहीं तो देश तथा विदेश के बाजारों में हमारा माल बिक नहीं पाएगा। उत्पादकता के निम्न स्तरों और उत्पादन की ऊंची लागत के आधार पर एक आधुनिक औद्योगिक समाज का विकास नहीं हो सकता। अगर मौजूदा औद्योगिक प्रतिष्ठान हर साल घाटे में चलें, तो रोजगार के नए अवसर नहीं पैदा किए जा सकते। परिचालन कार्य में कुशलता न होने से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप अवश्य ही कीमतों में वृद्धि होती है और वास्तविक निवेश में कमी हो जाती है।

योजना की प्रक्रिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी क्षमता से कठिन प्रश्नों का सामना करते हैं और सख्त निर्णय लेते हैं। इन निर्णयों में त्याग निहित है, परन्तु इनके बिना आगे बढ़ना सम्भव नहीं होगा। निर्धन लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विकास निहायत जरूरी है। क्या हम ऐसे निर्णयों को टाल सकते हैं, जिनसे विकास की यह प्रक्रिया सुरक्षित और मजबूत हो? राष्ट्रों का निर्माण ऐसी पीढ़ियों द्वारा किया जाता है जो एक सुन्दर भविष्य के लिए त्याग करती हैं।

भुगतान शेष की स्थिति से इसी प्रकार की चुनौती उत्पन्न होती है। 1985-86 में हमारे निर्यात में मंदी रही है और हमारा आयात बढ़ा है पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य तेलों का आयात देश की क्षमता से काफी अधिक हुआ है। मूल प्रश्न यह है कि क्या हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं या नहीं? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें

पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती खपत को रोकना होगा और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। हमें अपने पूंजीगत माल के आयात पर भी नए सिरे से गौर करना होगा। हम नई टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि इससे हमें नुकसान होगा। परन्तु हमें यह देखना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जरूरत के कठिन मापदण्ड की पूर्ति करे। बाहर से वित्तीय साधनों की जरूरत है, किन्तु सरकार का दृढ़ निश्चय है कि भारत कभी भी विदेशी बैंकों और संस्थाओं की दया पर निर्भर न रहे। हमारे विकास के सिद्धांत का केन्द्र बिन्दु आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता है। हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हर कीमत चुकाएंगे।

गुटनिरपेक्षता, शांति और परमाणु निःशस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति के बुनियादी उद्देश्य बने हुए हैं। इनसे दोस्ती और सहयोग के क्षेत्र का विस्तार होगा और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण में मदद मिलेगी।

सोवियत संघ और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय बातचीत शुरू हुई, हम इसका स्वागत करते हैं। यह जरूरी है कि परमाणु शस्त्रों की होड़ को रोकने और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पाबन्दी लगाने की व्यापक संधि के लिए कदम उठाए जाएं। छह राष्ट्रों द्वारा इस संबंध में पहल की गई है। जनवरी, 1985 में दिल्ली में की गई घोषणा का सारे संसार के जनमत पर अच्छा असर पड़ा है, छह राष्ट्रों के नेता अगले कदमों के बारे में एक-दूसरे से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

पिछले वर्ष में उप-महाद्वीप के वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हमने अनेक क्षेत्रों में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में प्रगति की है परन्तु हम श्रीलंका में जातीय समस्या से उत्पन्न स्थिति और पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल करने की लगातार कोशिशों से चिंतित हैं। हम यह मानते हैं कि श्रीलंका की स्थिति केवल राजनीतिक आधार पर ही हल की जा सकती है, सैनिक हल ढूंढ़ने की कोशिशें असफल रहेंगी और इसका परिणाम यह होगा कि बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।

ढाका में दिसम्बर, 1985 में हुई दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संस्था (सार्क) की स्थापना का सरकार स्वागत करती है। हम आशा करते हैं कि इससे हमारे क्षेत्र में दोस्ती और सहयोग की शक्तियों को बल मिलेगा।

सरकार ने तनाव के मुख्य क्षेत्रों को कम करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। अक्तूबर में बहामा में हुई राष्ट्रमण्डल देशों की बैठक में, जिसमें हमारे प्रधान मंत्री ने भाग लिया था, हमारे प्रतिनिधिमण्डल ने दक्षिण अफ्रीका के संबंध में राष्ट्रमण्डल समझौते के स्वीकार किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति पर चलने वाली सरकार के विरुद्ध पूर्ण अधिदेशात्मक प्रतिबंधों की लगातार मांग कर रहे हैं। यदि वहां की सरकार, तथा वे सरकारें जो दक्षिण अफ्रीकी सरकार को समझाने की स्थिति में हैं, समय रहते कार्य नहीं करेंगे तो वहां बड़े पैमाने पर हिंसा को टाला नहीं जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ में भी भाग लिया। राष्ट्रमण्डल देशों के नेताओं द्वारा विश्व व्यवस्था के संबंध में स्वीकार की गई नसाऊ घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का समर्थन करना हमारी विदेश नीति का एक मुख्य अंग है। हम बहुपक्षीय संस्थाओं के लिए बढ़ते हुए खतरे तथा एक पक्षीय कार्यवाही का सहारा लेने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से चिन्तित हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का समर्थन करती है और साथ ही उपनिवेशिक शासन के अधीन लोगों को अपने न्यायपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल करने के अधिकारों को मान्यता देती है।

सरकार को इस बात का खेद है कि फिलिस्तीनी लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है जिनमें उनका अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिकार भी शामिल है। जब तक इस बुनियादी समस्या को हल नहीं किया जाता, पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित नहीं होगी।

प्रधानमंत्री ने सोवियत संघ, मिस्र, फ्रांस, अल्जीरिया, अमरीका, भूटान, ब्रिटेन, क्यूबा, नीदरलैण्ड्स, वियतनाम, जापान, ओमान तथा मालदीव की सरकारी यात्रा की। प्रधान मंत्री की सोवियत नेताओं से मास्को में बातचीत से सोवियत संघ के साथ हमारे परम्परागत गहरे मैत्री संबंध और मजबूत हुए हैं। अमरीका की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने भीषण समुद्री तूफान के समय बांग्लादेश के लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए ढाका की यात्रा की तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना के लिए बुलाई गई राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान यूनेस्को में भाषण दिया। उन्होंने जिनेवा में आईएलओ के वार्षिक सम्मेलन में भी भाषण दिया। नेपाल नरेश, भूटान नरेश, नीदरलैण्ड की महारानी, मैक्सिको, मालदीव, स्वापो, श्रीलंका, तंजानिया, इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष, इथोपिया के राज्याध्यक्ष और पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, मॉरीशस, ब्रिटेन, न्यूजीलैण्ड, यमन लोकतांत्रिक गणराज्य एवं त्रिनिडाड व टोबेगो के प्रधानमंत्री हमारे देश की राजकीय यात्रा पर आए। नार्वे के युवराज तथा राजकुमारी और पोप ने भी भारत की यात्रा की।

अब मैं वर्ष 1986-87 तथा उसके बाद के कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा।

समय की मांग है कि गरीबों के रहन-सहन के दर्जे को ऊंचा उठाया जाए। इस बुनियादी उद्देश्य की प्राप्ति में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी मिशन स्थापित करेगी:—

(1) सभी गांवों में पीने का पानी;

(2) निरक्षरता दूर करना;

(3) बच्चों को टीके लगाना तथा उनका प्रतिरक्षण;

(4) तिलहनों तथा खाद्य तेलों का उत्पादन; और

(5) विकसित संचार सुविधायें।

इस वर्ष के दौरान उद्योग और कृषि की उत्पादकता में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्रों को निर्धारित किया जाएगा। चुने हुए क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी मिशन भारत के वैज्ञानिक कार्यकलापों को पहली पंक्ति में लाने की कोशिश करेंगे।

एक व्यापक कृषि नीति बनाई जाएगी जिससे कि साधनों का समुचित उपयोग हो सके, जल और मिट्टी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, सभी फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाए, छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि की जाए और तिलहन तथा दालों की पैदावार को बढ़ाकर अनाज के मामले में कड़ी मेहनत से हासिल की गई आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति लाने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाएगी।

यह संतोष की बात है कि जल को एक राष्ट्रीय संसाधन समझने पर राष्ट्रीय सहमति तैयार हुई है। सरकार राष्ट्रीय जल नीति के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है जिससे कृषि, उद्योग और दूसरी सामाजिक जरूरतों के लिए जल का अधिकतम उपयोग होगा।

सरकार ने हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रमों का गहन विश्लेषण किया है। पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हुए परिवार नियोजन के लिए एक अधिक कारगर नीति तैयार की जा रही है जिसकी जल्दी ही घोषणा की जाएगी।

गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों पर आधारित एक नया कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और उसकी घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी। इसमें बड़े पैमाने पर गरीबी के सभी पहलुओं, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य प्रयास के रूप में सभी तत्वों, नीतियों और कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों को जोर-शोर से लागू किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने पर जिसमें आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ाए जाने पर खास जोर दिया गया है, पूरी नज़र रखी जाएगी।

जनसामान्य को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में गति लाने और भारतीय उद्योग की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उद्योग नीति को एक व्यापक स्वरूप देने की आवश्यकता है। हमारी उद्योग नीति में पहले ही काफी परिवर्तन किए गए हैं, जो कि अब आधुनिकीकरण के नए आयाम, नयी तकनीकों के समावेश तथा देशी तकनीकी के विकास के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। ऊंची लागत और अकुशल उद्योगों से गरीबों को तकलीफ होती है क्योंकि ये उन साधनों को अपने में समा लेते हैं जो गरीबों को नए रोजगार दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। वस्तुओं के उत्पादन और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए सेवाओं में हर सम्भव वृद्धि करना गरीबी हटाने की हमारी नीति का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए उत्पादन का पैमाना, क्षमता उपयोग, स्वदेशी टेक्नॉलोजी की भूमिका, श्रम उत्पादकता, विस्तृत नियंत्रक कार्यप्रणाली, भविष्य में लघु और मध्यम उद्योगों के महत्व और मौजूदा प्रशासनिक तथा प्रबंध-तंत्र का संचालन करने वाली नीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा। उद्योगों को चाहिए कि वे विशाल जन समुदाय की सेवा करें।

भुगतान शेषों की एक व्यावहारिक स्थिति बनाए रखने की चुनौती का सामना करने के लिए निर्यात और पर्यटन को बढ़ावा देने की भारी जरूरत है। इन क्षेत्रों की उन्नति में किसी तरह की असावधानी हमारी सम्पूर्ण विकास नीति को ही संकट में डाल देगी। सरकार इस अहम क्षेत्र में नई पहल करेगी।

हमारे प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे कि सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। सरकार में प्रबन्ध को नई सामाजिक विचारधारा के अनुरूप ढालना है। यह ऊपर से कुछ लादने का प्रश्न नहीं है। सुधार की भावना अन्दर से आनी चाहिए। सम्पूर्ण राष्ट्रीय समुदाय को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से ताल्लुक रखने वाले मुद्दों पर बहस में हिस्सा लेना चाहिए। इसी प्रकार एक ठोस कार्यक्रम सामने आएगा। हमारे प्रशासन में कार्यकुशलता और जिम्मेदारी की भावना आनी चाहिए।

हमें अपनी बुनियादी राजनैतिक संस्थाओं को स्वस्थ और प्राणवान रखने के लिए अपने चुनाव संबंधी तथा अन्य कानूनों को बदलने की जरूरत होगी। सरकार ठोस सुझावों के लिए राजनैतिक पार्टियों के नेताओं से विस्तार के साथ सलाह-मशविरा करेगी जिससे कि सार्वजनिक जीवन को और साफ-सुथरा बनाया जा सके।

एक शक्तिशाली भारत की कल्पना तभी साकार होगी जबकि पुरुषों और महिलाओं के वास्तविक जीवन में चरित्र-बल, उद्देश्य के प्रति दृढ़ता और श्रेष्ठता के प्रति वचनबद्धता होगी। मानव संसाधनों के विकास के लिए सरकार की नीति का लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय जीवन में गुणों का विकास करना है। नई शिक्षा, नीति का एक अभिन्न अंग होगी। इसका उद्देश्य सद्‌भावनापूर्ण वातावरण में समाज का शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास करना होगा।

केवल लक्ष्यों की बात करना काफी नहीं होगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने में आवश्यक साधन मिलते रहें, इसके लिए राष्ट्रीय गतिशीलता आवश्यक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में की जा रही राष्ट्रीय कोशिशों को नई दिशा देने में युवकों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, बुद्धिजीवियों, कामगारों तथा किसानों का योगदान होना चाहिए। अपने सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए हमें शिक्षा को कक्षाओं की सीमा से बाहर निकाल कर उसे एक सामाजिक प्रक्रिया का रूप देना होगा। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और उसे समृद्ध बनाने के अपने दृढ़ निश्चय और उत्पादन, दोनों ही के साथ शिक्षा को और मजबूती के साथ जोड़ना होगा ताकि हम अपने भारतीय होने पर गर्व कर सकें।

आने वाले वर्ष चुनौतियों के वर्ष हैं। सरकार ने विकास में तेजी लाने, अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और सामाजिक न्याय हासिल करने के अपने कार्यक्रमों को नया रूप देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यह जरूरी है कि इन्हें लागू करने के काम की अहमियत को समझाया जाए।

पिछले वर्ष हमारी बहुत सी उपलब्धियां रहीं। हमारी जनता को हमसे बड़ी आशाएं तथा आकांक्षाएं हैं। उनके प्रतिनिधि होने के नाते उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना आपका प्रमुख कर्तव्य है। इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज की धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों और सभी राजनैतिक विचारधाराओं के संगठनों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हिंसा और कट्टरता की ताकतों के साथ लड़ना होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपनी आर्थिक क्षमताओं को इतना मजबूत बना लिया है कि अब हम दृढ़ और सम्मिलित कोशिशों के जरिए आगे बढ़ सकते हैं और निर्धनता को दूर कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम और अधिक राजनैतिक समरसता पैदा करें, जिससे कि निर्धनता और पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सके। आपके सामने जो कार्य करने को हैं, उनमें आपकी सफलता की मैं कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 23 फरवरी 1987

लोक सभा	-	आठवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	ज्ञानी जैल सिंह
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरामन
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री राजीव गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1987 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

1986 में हमने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी नीति में व्यापक तब्दीलियां की थीं, जिनके लाभ हमें मिले हैं। साथ ही, इसी वर्ष देश की एकता और अखण्डता के सामने बाहरी और अन्दरूनी चुनौतियां थीं, जिनके विरुद्ध राष्ट्र को जूझना पड़ा। हमारा धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र, साम्प्रदायिक और अलगाववादी ताकतों का साहस के साथ मुकाबला कर रहा है। लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद हमारे गणतन्त्र के आधार हैं। इन सिद्धान्तों में भारतीय जनता के विश्वास को कभी भी कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती।

पंजाब में लोकतंत्र, देश की एकता, प्रगति और धर्म-निरपेक्षता की पूरी शक्तियां राष्ट्र-विरोधी तत्वों को अलग-थलग करने और उन्हें मिटाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये राष्ट्र-विरोधी तत्व विदेशी सूत्रों के इशारे व नियंत्रण में काम कर रहे हैं। मुख्य मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला की लीडरशिप में पंजाब की राज्य सरकार और वहां के लोगों ने धर्म-निरपेक्ष प्रजातन्त्र के मूल्यों को कायम रखने में अपूर्व साहस दिखाया है। भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा करने में पंजाब के लोग हमेशा आगे रहे हैं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने ऐसी ऐतिहासिक भूमिका निभाई जिसकी उनके दिल व दिमाग पर धर्म-निरपेक्षता और लोकतंत्र की कभी न मिटने वाली छाप पड़ी है। यही

वजह है कि पंजाब की जनता ने धार्मिक भावनाओं को खतरनाक तरीके से भड़का कर, लोकतंत्र प्रणाली को उलटने की घोर असंवैधानिक कोशिशों का डट कर मुकाबला किया है। गुरु नानक देव ने जिस महान धर्म की स्थापना की थी, उस धर्म के पवित्र उसूलों और परम्पराओं का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यकर्ताओं और पवित्र धार्मिक स्थानों को, आतंक फैलाने और सरकारी तंत्र को तहत-नहस करने का साधन बनाया है। पंजाब का आज यही अहम मसला है। भारत की एकता और अखण्डता के शत्रु साम्प्रदायिक कटुता पैदा करना चाहते हैं और पंजाब में नफरत व हिंसा का वातावरण बनाना चाहते हैं। सरकार उनके नापाक इरादों को विफल करने के लिए कटिबद्ध है। इन प्रतिक्रियावादी, फासिस्ट और राष्ट्र-विरोधी ताकतों पर काबू पाने के लिए जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रही हैं, सभी देश प्रेमी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्र और प्रगति में विश्वास रखने वाली ताकतों को एकजुट होकर भारत को मजबूत बनाना है यह चुनौती हम सबके लिए है। इसे सबको स्वीकार करना होगा।

जैसे-जैसे हमारा राष्ट्र अपनी आजादी की 40वीं वर्षगांठ के नजदीक बढ़ रहा है, उसे धार्मिक कट्टरता और फिरकापरस्ती के खतरों का पूरा-पूरा अहसास हो रहा है। अप्रैल, 1948 में हमारी संविधान सभा (विधायी) ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें सरकार से कहा गया था कि वह भारत के राजनैतिक जीवन से फिरकापरस्ती को खत्म करने के लिए कदम उठाए इससे सिर्फ दो महीने पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय हमारे संविधान-निर्माताओं के दिमाग में दर्दनाक हत्याओं की याद भी ताजा थी। फिरकापरस्ती से देश की एकता को होने वाले खतरे उन्हें साफ नजर आ रहे थे। जैसे-जैसे हमने योजना के जरिये विकास के मार्ग पर कदम रखे, हम यह मानकर चले कि सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साम्प्रदायिक भावना अपने आप कमजोर हो जाएगी। लेकिन हमें अनुभव यह हुआ कि साम्प्रदायिक और कट्टरपंथी ताकतों ने बाहरी ताकतों की मदद और शह पाकर, राष्ट्रवाद, धर्म-निरपेक्षवाद, लोकतंत्र और समाजवाद के बुनियादी मूल्यों को ही ललकारा है। फिरकापरस्तों और प्रतिक्रियावादियों के नापाक इरादों के विरोध में भारत की एकता और अखण्डता के पवित्र आदर्शों की रक्षा के लिए ही इंदिरा जी शहीद हुईं। साफ दिखाई दे रही सामाजिक-आर्थिक तरक्की के बावजूद, ये दूषित शक्तियां एक गहरे रोग की तरह जड़ पकड़े हुए हैं। हालात का तकाजा है कि स्थिति का फिर से जायजा लिया जाए और सरकार इस उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता करना चाहती है। अनेकता में एकता हमारी मूल्यवान विरासत है, जिसकी रक्षा सभी प्रकार की फूट डालने वाली ताकतों का मुकाबला करके ही की जा सकती है।

आजादी की 40वीं सालगिरह और आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता कि हम

अपने राष्ट्र से साम्प्रदायिकता के घातक रोक को मिटाने के लिए एकजुट होकर दृढ़ कार्रवाई करें। भारत के उप-राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय समारोह समिति के अध्यक्ष हैं। धर्म-निरपेक्षता के आदर्शों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिल में बिठाने के लिए यह समिति व्यापक कार्यक्रम बनाएगी।

एक ऐसे समय जब हमारी सरकार पंजाब में आतंकवादी कार्रवाइयों पर काबू पाने में लगी हुई थी, हमारी सीमाओं पर एक नया खतरा पैदा हुआ। जनवरी, 1987 में पाकिस्तान ने अपनी आक्रामक सेनाएं इस तरह तैनात कर दीं कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है हमारी सरहद पर ज्यादातर हमारे अर्ध-सैनिक बल तैनात हैं। इस स्थिति को देखते हुए, सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी सरकार को अपनी सशस्त्र सेनाओं को तैनात करना पड़ा। पाकिस्तानी सेनाओं की आगे की तरफ बढ़ती हुई हलचल के कारण तनाव पैदा हो गया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की सरकारों को तुरन्त आपसी बातचीत की पहल की। दोनों सरकारों के बीच अभी हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में बातचीत के दौरान तनाव को कम करने के उपायों पर एक समझौता हुआ। पाकिस्तान रावी-चनाब क्षेत्र से आर्मी रिजर्व नार्थ को वापिस हटाने के लिए सहमत हो गया। आगे बातचीत इस्लामाबाद में होगी। भारत की नीति सभी देशों के साथ शांति और सहयोग रखने की है। अपने पड़ौसी देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के कई उपाय सरकार ने किए हैं। भारत अपनी प्रभुसत्ता और अखण्डता की रक्षा के लिए दृढ़ रहते हुए, इस बात के लिए हमेशा तैयार है कि दोनों देशों के बीच तनाव और अविश्वास के सभी कारणों को शिमला समझौते के तहत आपसी सहयोग की भावना से दूर किया जाए।

1986 में मिजोरम समझौते के साथ, हमारे देश के उस खूबसूरत इलाके में दशकों से चली आ रही विद्रोह और संघर्ष की स्थिति समाप्त हो गई। इस समझौते के अनुसार, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है और चुनाव कराए गए हैं। एक नई सरकार सत्ता में आई है।

अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए संसदीय अधिनियम के पारित हो जाने से वहां के लोगों की पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने की आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। नया राज्य 20 फरवरी, 1987 से बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के इतिहास में एक नया अध्याय खुल गया है।

सरकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषायी मामलों के बारे में हमारे संविधान में जिन पवित्र आश्वासनों को शामिल किया गया है, उनका सही-सही पालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के 15-सूत्री कार्यक्रम के अमल की सूचना सावधानीपूर्वक रखी जा रही है।

मैंने अपने 20 फरवरी, 1986 के भाषण में, सरकार की 1986-87 और उससे आगे के प्राथमिकता के क्षेत्रों की रूपरेखा पेश की थी। नीति में मुख्यत: इन विषयों पर बल दिया गया था:—

(1) नया 20-सूत्री कार्यक्रम बनाना;,

(2) नई शिक्षा नीति तैयार करना;

(3) ग्रामीण और शहरी निर्धनों की दशा सुधारने के लिए तकनीकी मिशन तैयार करना;

(4) कृषि नीति को नई दिशा देना और हरित क्रांति को पूर्वी क्षेत्रों तक ले जाना;

(5) परिवार नियोजन की एक अधिक कारगर नीति;

(6) औद्योगिक विकास को तेज करना;

(7) निर्यात और पर्यटन का विकास;

(8) प्रशासनिक तंत्र में सुधार; और

(9) चुनाव नियमों में परिवर्तन।

इन सभी क्षेत्रों में मेरी सरकार ने कार्रवाई की है और इसके अच्छे परिणाम निकलने शुरू हो गए हैं।

सन् 1986 के 20-सूत्री कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु गरीबी को दूर करना है। नए कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(1) गरीबी दूर करने के कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना और उत्पादकता और उत्पादन में सुधार करना है;

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को न्याय मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम;

(3) आमदनी की असमानताओं को कम करना और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना;

(4) महिलाओं को समान दर्जा दिलवाने के लिए आन्दोलन को मजबूत करना;

(5) युवकों के लिए नए अवसर पैदा करना;

(6) सभी गांवों के लिए स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था;

(7) पर्यावरण की सुरक्षा;

(8) गांवों में ऊर्जा पहुंचाना; और

(9) संवेदनशील प्रशासन।

नई शिक्षा नीति बना ली गई है। यह गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई का एक कारगर हथियार है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य गरीबों और शोषितों तक पहुंचकर उनके हाथों में ऐसे साधन देना है जिससे वे अपने भाग्य के खुद मालिक बन सकें। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय जैसे कार्यक्रम शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे। वे समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सीधे सहायता पहुंचाएंगे। नई शिक्षा नीति से कौमी एकता भी मजबूत होगी। हमने अपने सभी नागरिकों में इस बात का एहसास जगाने की अहमियत पर जोर दिया है कि भारत की विरासत में हम सबकी शिरकत है। इस काम को नए स्थापित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने उत्साहपूर्वक शुरू कर दिया है। उन्होंने राजधानी में अपना उत्सव और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में हमारी संस्कृति के नए तरीके के उत्सव आयोजित किए हैं।

जिन क्षेत्रों में पांच तकनीकी मिशन कायम किए गए हैं वे इस प्रकार हैं:—

(1) सभी गांवों के लिए पीने का पानी;

(2) निरक्षरता को दूर करना;

(3) सभी बच्चों का रोगों से प्रतिरक्षण;

(4) तिलहनों और खाद्य-तेलों का उत्पादन; और

(5) बेहतर संचार व्यवस्था।

सरकार मिशनों के लिए एक कारगर प्रबंध और मॉनीटरिंग प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रही है। यहां मुख्य उद्देश्य लोगों को मिशनों से संबंधित क्रियाकलापों में शामिल करना है ताकि वे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की संभावना को कार्यरूप दे सकें।

कृषि संबंधी नीति में और सुधार का कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। पूर्वी अंचल में उत्पादकता में वृद्धि ने सरकार की नीति को सही साबित कर दिया है। हमारे भू-संसाधनों के बहुत बड़े भाग में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और स्थिर करने के लिए चालू वर्ष में 16 बड़े वर्षा सिंचित/सूखी खेती करने वाले राज्यों में वाटर शैड विकास के द्वारा वर्षा सिंचित कृषि का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है। आवश्यक प्रोटीन वाली दालों की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1986-87 में 50 करोड़ रुपये लागत से एक राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना आरम्भ की गयी है।

हमने एक नई परिवार नियोजन नीति तैयार की है जिसके अंतर्गत दो बच्चों के मानदण्ड को स्वेच्छा से स्वीकार करने पर अधिक जोर दिया गया है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य रक्षा, आहार और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ समन्वित होगा। सरकार ने निश्चय किया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

उद्योग के क्षेत्र में कार्यकुशलता और आधुनिकीकरण पर दिये गये विशेष जोर के परिणाम सामने आने लगे हैं। औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है।

प्राथमिक वस्तुओं और तैयार सामान दोनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित नीति के अनुसार ठोस प्रयास किए गए हैं। हमारी नीति में उत्पादन को संवर्धनक्षेत्र का दर्जा दिया गया है। निर्यात हेतु उत्पादन के लिए आधुनिक पूंजीगत माल के आयात पर शुल्क में छूट दी गई है। जिन क्षेत्रों पर हम इस समय जोर दे रहे हैं, वहां मौजूदा तकनीक उपयोग में लाई जा रही है। निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के इरादे से महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक कदम उठाये गए हैं, जैसे नई नकद मुआवजा योजना, शुल्क वापसी प्रणाली, घोषित विषयों में "माडवेट" की व्यवस्था, निर्यात के लिए लाभ में छूट, निर्यात के लिए जहाज में लदान-पूर्व तथा लदान-बाद ऋण की ब्याजदरों में भारी कमी तथा नई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर नीति।

हमारी प्रशासनिक पद्धति में सुधार की प्रक्रिया की गति तेज हुई है। बदलती परिस्थितियों में ठोस नतीजों पर जोर, सामाजिक जिम्मेदारी और एक नई कार्य पद्धति का प्रशासन में शामिल करना है। इन आस्थाओं के प्रति हमारे लोकसेवकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। सरकार, कार्यबल के सभी वर्गों के सहयोग से सरकारी प्रबन्ध में गुणवत्ता के एतबार से सुधार लाने के कार्य को आगे बढ़ाने का पक्का इरादा रखती है।

हमारी निर्वाचन पद्धति का बुनियादी ढांचा समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसके कारण ही संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्बाध और स्वच्छ चुनाव सम्पन्न हुए हैं और इसी कारण सारी दुनिया में इसको मान्यता तथा प्रशंसा मिली है। मुख्य चुनाव आयुक्त की 1986 की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कुछ सुझाव तय किये हैं जिन पर विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श होना है तथा उन्हें आम बहस के लिए भी खोला जाना है। जैसा कि पहले किया गया था, ऐसे विचार-विमर्श से उत्पन्न सर्वसम्मति के आधार पर आवश्यक कानून बनाये जायेंगे।

वर्ष 1986 राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर असर डालने वाले सार्थक कानूनों के लिए याद किया जाएगा। एक कठोर और व्यापक पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया है। पर्यावरण के प्रति हमारे आत्मचिन्तन को जागृत करने में जितनी अहम भूमिका

श्रीमती इंदिरा गांधी ने निभाई उतनी और किसी ने नहीं। उनकी याद में सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में यह कानून 19 नवम्बर, 1986 से लागू हो गया है।

उपभोक्ताओं के अधिकारों को कानून की पुस्तक में स्थान दिया गया है।

महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए प्रगतिशील कानून पास किए गए हैं।

व्यापारिक उद्देश्य से अनैतिक व्यापार के शिकार सभी व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार निवारण दमन कानून, 1956 में संशोधन किया गया है। बच्चों और नाबालिगों की व्यापार-कमाई पर जीवन चलाने वालों के लिए और अधिक कठोर सजा निर्धारित की गई है।

दहेजविरोधी कानून में संशोधन किया गया, जिसके तहत अब यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी कि दहेज की कोई मांग नहीं थी, दहेज लेने वाले या दहेज लेने के लिए उकसाने वाले की है। इस कानून के तहत जुर्म के लिए जमानत नहीं हो सकती है।

महिलाओं का अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) कानून पास कर लिया गया है जिसके अन्तर्गत किसी महिला की आकृति, उसके नख-शिख या शरीर के ऐसे अभद्र, असम्मानपूर्ण प्रदर्शन को, जिससे महिलाओं की बेइज्जती हो, दण्डनीय बनाया गया है।

इन कानूनों का एक सार्थक पहलू यह है कि कोई भी नागरिक इनके तहत न्यायालय में जा सकता है। इन व्यापक कानूनों को लागू करने में जनहित-प्रेमी जागरूक नागरिकों का सहयोग बहुत अहमियत रखता है।

अब मैं अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात करूंगा।

मानसून का अच्छा रुख न होने के बावजूद, वर्ष 1986-87 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष में भी सातवीं योजना के वृद्धि दर लक्ष्य पूरे हो जाएंगे।

लगातार तीसरे वर्ष पर्याप्त वर्षा न होने के बावजूद खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ वृद्धि होगी। सरकार इस बात से चिन्तित है कि हालांकि कृषि उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है पर उत्पादन के एक ऊंचे स्तर पर रुकने के आसार हैं। लगातार तीन वर्षो तक बहुत कम वर्षा होने के कारण भी ऐसा हुआ है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मूलभूत नीति काफी सुदृढ़ है। सिंचाई की सम्भावनाओं को बढ़ाने और बीजों की ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने वाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों को जोरदार ढंग से लागू करने से, विश्वास है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के वृद्धि-दर लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाएगा। सरकार ने देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीति संबंधी कदम उठाये हैं।

बुनियादी औद्योगिक ढांचे की प्रगति वर्ष 1985-86 और 1986-87 में बहुत अच्छी रही है। पिछले दो वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दरें बिजली में 9.5 प्रतिशत, कोयले में 6 प्रतिशत, बाजार-योग्य इस्पात में 7.7 प्रतिशत, हॉट मैटल धातु में 6.8 प्रतिशत, रेलभाड़े में 8 प्रतिशत और उर्वरकों में 16.5 प्रतिशत होने की आशा है। इस बुनियादी औद्योगिक ढांचे की खासियत यह है कि वार्षिक कार्यनिष्पादन में हर तिमाही में लगातार सुधार हुआ है। कई क्षेत्रों में तो एक तिमाही का न्यूनतम उत्पादन, पिछले वर्ष की किसी भी तिमाही के उच्चतम उत्पादन से भी अधिक रहा है। बुनियादी ढांचा अब पूंजीनिवेशों का कुशल उपयोग करने लगा है।

पुराने सूचकांक के मुकाबले व्यापार और अधिक नुमाइंदगी वाले औद्योगिक उत्पादन के नए संशोधित सूचकांक आधार वर्ष (1980-81=100) में संतोषजनक औद्योगिक वृद्धि का संकेत मिलता है। वर्ष 1985-86 में औद्योगिक उत्पादन 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। वर्ष 1986-87 में वृद्धि दर सात आठ प्रतिशत होने का अनुमान है। पिछले दो वर्षों में इलेक्ट्रॉनिकी सामान में प्रभावशाली वृद्धि रही है जिसकी दर करीब 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है। हमारे आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र के उद्यम अहम भूमिका निभाते रहे हैं। वर्ष 1985-86 के अन्त में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कुल पूंजी निवेश 50,341 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1984-85 की तुलना में 14,947 करोड़ रुपये अधिक है। केन्द्रीय सरकार के उद्यमों की आर्थिक उपलब्धि उत्साहजनक रही है। सरकारी उद्यमों की स्वायत्तता को मजबूत करने और उन्हें परिणामों के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

खाद्यान्नों का सरकारी भण्डार उच्च स्तर पर रहा है और दिसम्बर, 1986 में यह 230 लाख टन था। इसके कारण ही सरकार जनता में वितरण करने के लिए राज्यों को और अधिक चावल और गेहूं दे सकी, समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं और आहार कार्यक्रमों को रियायती दरों पर गेहूं दे सकी तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण मजदूर रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के लिए और अधिक आवंटन कर सकी। खाद्यान्नों का अच्छा भण्डार होने के कारण ही सरकार काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए सूखाग्रस्त राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दे सकी।

गन्ना और चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीति को और अधिक अनुकूल बनाया गया है। नई द्विवार्षिक चीनी नीति का उद्देश्य गन्ना पैदा करने वाले किसानों को अधिक लाभदायक मूल्य घोषित करने से भी माहौल स्थिर हुआ है। इस नीति के परिणामस्वरूप वर्ष 1985-86 में चीनी का उत्पादन करीब दस लाख टन बढ़ा है और वर्ष 1986-87 के दौरान इसमें और वृद्धि होने की आशा है। इसी वजह से सरकार चीनी का आयात कम करने में सफल हुई है।

तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी मिशन ने काम करना आरम्भ कर दिया है। वर्ष 1989-90 में तिलहनों की पैदावार को 180 लाख टन तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। 1986-90 के दौरान इस कार्यक्रम पर 170 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। प्रतिकूल मौसम के कारण कृषि क्षेत्रफल में 3 प्रतिशत की कमी आ जाने के बावजूद वर्ष 1985 की तुलना में वर्ष 1986 की खरीफ फसल में तिलहनों की उत्पादकता में 10 प्रतिशत और उत्पादन में 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। देसी पैदावार को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य तेलों का आयात कम किया गया। वर्ष 1985-86 में आयात में लागत के हिसाब से 55 प्रतिशत और परिणाम के हिसाब से 15 प्रतिशत की कमी की गयी। गौण तिलहनों और धान की भूसी से अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिये गये।

वर्ष 1986-87 में गरीबी के खिलाफ कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और रोजगार कार्यक्रम गरीबी के खिलाफ अभियान के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्ष 1986-87 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 543.83 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई। इसकी तुलना वर्ष 1984-85 में दिए गए 2070.7 करोड़ रुपये और वर्ष 1985-86 में दिये गए 205.9 करोड़ रुपये से की जा सकती है। दिसम्बर, 1986 के अंत तक 20.7 लाख परिवारों को सहायता दी जा चुकी थी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो नई विशेषताएं लाई गई हैं, वे हैं—प्रति परिवार पूंजीनिवेश का उच्चतर स्तर, अगले और पिछले सम्पर्कों का प्रावधान, लाभ-प्राप्तकर्ताओं के प्रशिक्षण पर बल, स्वैच्छिक संस्थाओं की शिरकत, समवर्ती मूल्यांकन का प्रावधान तथा महिलाओं को और अधिक सहायता देना। इन सभी कार्यक्रमों में अत्यन्त गरीब लोगों एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिक से अधिक सहायता देने पर मूल रूप से बल दिया गया है।

1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को सुदृढ़ किया गया। इससे कुल 5500 लाख मनुष्य-दिवस रोजगार पैदा होने की आशा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1984-85 में 230 करोड़ रुपये और 1985-86 में 337.21 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले केन्द्र द्वारा 1986-87 में कुल 479.75 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन, जिसके लिए सम्पूर्ण धनव्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है, 1986-87 के लिए 731.10 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया जिसकी तुलना 1984-85 में उपलब्ध कराये गए 400 करोड़ रुपये और 1985-86 में 606.33 करोड़ रुपए से की जा सकती है।

1986 के 20-सूत्री कार्यक्रम में सभी गांवों में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया गया है। 1986-87 में, केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में

पेयजल कार्यक्रम के लिए कुल 794.05 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इस कार्यक्रम के तहत 40,000 गांवों के आ जाने की आशा है जो 35,930 गांवों के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

1985-86 में वार्षिक योजना के परिव्यय में काफी वृद्धि की गई थी। हमारी योजना के इतिहास में पहली बार, योजना अवधि के पहले दो वर्षों में पंचवर्षीय योजना का 40 प्रतिशत धन वास्तविक रूप से उपलब्ध करा दिया गया। संसाधनों का आवंटन करने में गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता दी गई। गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में 65 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई। कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई के लिए परिव्यय में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि की गई। शिक्षा संबंधी परिव्यय में लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि की गई। 1986-87 की केन्द्रीय योजना में 22,300 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था जिसमें पिछले वर्ष के परिव्यय के मुकाबले 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। योजना में वास्तव में ज्यादा धनराशि, 23,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। भारत के विकास में मूलभूत निभाने के सरकार के दृढ़ संकल्प का इससे बेहतर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

सरकार ने लम्बी अवधि की वित्तीय नीति में निहित बुनियादी प्रस्तावों पर अमल करने के लिए उपाय किए हैं। करढांचे में सुधार करके उसे सरल बनाया जा रहा है। कर की अदायगी को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रशासन और प्रवर्तन के द्वारा विकास के लिए संसाधन जुटाने पर अधिक जोर दिया गया है, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थायी वित्तीय माहौल पैदा किया जा रहा है, और वित्तीय नीति के संबंध में ज्यादा खुला हुआ दृष्टिकोण अपनाया गया है।

केन्द्रीय सरकार के राजस्व, जिसमें 1985-86 में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अप्रैल-दिसबर, 1986 में 17 प्रतिशत से अधिक और वृद्धि हुई है। वैयक्तिक आयकर की वसूलियों में 1985-86 में 30 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई है, अप्रैल-दिसम्बर, 1986 में इनमें 16 प्रतिशत और वृद्धि हुई है। केन्द्रीय राजस्व में लगातार वृद्धि ने करों की तर्कसंगत दरों और कर संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू करने के प्रति सरकार के मौलिक दृष्टिकोण को सही ठहराया है।

निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल की एक निर्यात संबंधी समिति का गठन किया गया। अप्रैल-नवम्बर, 1986 में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 17.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उसी अवधि में निर्यात में केवल 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार घाटे में काफी कमी आई है। फिर भी, हम संतुष्ट नहीं बैठ सकते। आत्मनिर्भर होने और पूरी तरह से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए अथक कोशिशें करने की जरूरत है।

चालू वर्ष में हमने दस लाख विदेशी पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य पार कर लिया है। 1985-86 के दौरान 1300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय के मुकाबले, पर्यटन से लगभग 1600 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू पर्यटन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार मार्गीय सुविधायें, वन्य प्राणी विहारों, ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों और सस्ते पर्यटक आवासों के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

जबकि संसाधन जुटाने के मामले में शानदार नतीजे हासिल हुए हैं सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए इसी तरह की कोशिश करनी होगी। सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास की आवश्यकता, गैर-उत्पादक खर्च पर रोक लगाने की ओर गंभीरता से ध्यान देने पर मजबूर करती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चिंता का विषय है। यह जरूर है कि यदि कीमतों को थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से देखें तो मुद्रा के फैलाव को तर्कसंगत सीमा के भीतर रखा गया है। सरकार हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के फैलाव की प्रवृत्ति को प्रभावहीन करने की नीतियों का अनुसरण करती रहेगी।

पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक संबंधों में सुधार की सही प्रवृत्ति देखने में आई है। हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या 1984 में 2094 से घटकर 1985 में 1716 और 1986 में (जनवरी से अक्तूबर तक) 1234 हो गई। औद्योगिक विवादों के कारण होने वाली मनुष्य-दिवसों की हानि में कमी आई है। 1984 में 560.3 लाख मनुष्य-दिवसों की क्षति के मुकाबले 1985 में 293.7 लाख मनुष्य-दिवसों की क्षति हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं कि असंगठित श्रमिकों को उनके जायज फायदे मिल सकें।

पिछले दो वर्षों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक श्रमिकों ने प्रशंसनीय योगदान दिया है। सरकार उनके हित की रक्षा करने और औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

सरकार न्याय पर आधारित विश्व समाज का निर्माण करने में शांति, निःशस्त्रीकरण, विकास और सभी देशों के साथ सहयोग की अपनी गुट-निरपेक्ष विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए कोशिश कर रही है।

पांच महाद्वीपों के छह राष्ट्रों की पहल से, जिसमें अर्जेन्टीना, यूनान, भारत, मैक्सिको, स्वीडन और तंजानिया शामिल हैं, परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए लगातार और भारी कोशिशों के पक्ष में संसार भर में लोकमत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। रेकजेविक में परमाणु अस्त्रों की होड़ को खत्म करने के लिए प्रभावकारी प्रस्ताव रखे गए। दुर्भाग्य की बात है कि उन पर कोई समझौता नहीं हो सका। हमने अमरीका और

सोवियत संघ दोनों से शांति और परमाणु हथियारों से मुक्त समाज की स्थापना के लिए मानवजाति की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखने का आग्रह किया है।

हरारे गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत ने आन्दोलन की अध्यक्षता जिम्बाबवे को सौंप दी। सम्मेलन में गुट-निरपेक्षता को मजबूत करने और इस आन्दोलन के मूल उद्देश्यों को और पक्का करने में हमारे देश की भूमिका की प्रशंसा की गई। सम्मेलन ने, रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने और अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए नवगठित अफ्रीका कोष समिति की अध्यक्षता हमारे प्रधान मंत्री को सौंप दी। 24-25 जनवरी, 1987 को दिल्ली में हुए अफ्रीका कोष शिखर सम्मेलन ने हरारे की धारणा को ठोस आकार दिया है। सरकार यह मानती है कि व्यापक अनिवार्य प्रतिबंध ही दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार को रक्तपात रोकने और विवेक की आवाज सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। जो सरकारें अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के कारण दक्षिण अफ्रीका पर दबाव डालने की स्थिति में हैं उन्हें व्यापक अनिवार्य प्रतिबंधों के जरिए अपना दबाव तेज करना होगा।

हमारे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की भारत की नीति के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। भारत की अध्यक्षता में नवम्बर, 1986 में बंगलौर* में हुए सफल सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग के लाभों को दर्शाया है। अब सार्क का एक स्थायी सचिवालय काठमांडू में स्थापित किया गया है। सार्क सहयोग के कार्यक्रम के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है जिनमें नशीले पदार्थों के व्यापार पर नियंत्रण, बाल कल्याण, प्रसारण, पर्यटन और वजीफे शामिल हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने सार्क बैठक के अवसर का उपयोगी द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए लाभ उठाया है।

पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं पर अपनी फौजें तैनात किए जाने से हुई बाधा के बावजूद, पाकिस्तान के साथ सहयोग का आधार बनाने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। संबंधों को सामान्य बनाने की राह में जो बाधाएं हैं, वे हैं पाकिस्तान द्वारा गुप्त रूप से परमाणु हथियारों की क्षमता प्राप्त करने का प्रयास, उसका शस्त्र कार्यक्रम, जिसका हमारे सुरक्षा के वातावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, और पंजाब में राष्ट्र-विरोधी तथा अलगाववादी तत्वों को इसका समर्थन।

यह दुर्भाग्य की बात है कि श्रीलंका के साथ बंगलौर* में हमारे द्विपक्षीय विचार-विमर्श और बाद में दिसम्बर, 1986 में उच्चस्तरीय परामर्श से उत्पन्न आशाओं को ठेस पहुंची है। श्रीलंका सरकार के 19 दिसम्बर, 1986 के अपने फार्मूले के बारे में उनके ढुलमुल रवैये के कारण बातचीत की प्रक्रिया में बाधा पहुंची है। श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं द्वारा चलाए गए भारी सैनिक अभियानों और जाफना क्षेत्र की आर्थिक नाकाबन्दी के कारण और जटिलताएं पैदा हुई हैं। श्रीलंका की तमिल असैनिक

*अब बेंगलुरू के नाम से जाना जाता है।

आबादी को जिन कठिनाइयों और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और जान से हाथ धोना पड़ रहा है उसके प्रति हमारी गहरी चिन्ता है। श्रीलंका के जातीय मसले को केवल राजनीतिक बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है।

मेरी सरकार चीन के साथ सीमा प्रश्नों के न्यायसंगत और शांतिपूर्ण हल के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हमारे संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बना हुआ है। सीमा पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना चिन्ता का कारण बनी हुई है। सीमा प्रश्न पर हमारी स्थिति को सभी अच्छी तरह जानते हैं। इस प्रश्न पर चीन के साथ हमारी बातचीत जारी है।

हम फिलिस्तीनी जनता के अभेद्य अधिकारों की हिमायत करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के मुक्ति संघर्ष का समर्थन करते हैं। हम ईरान और इराक के बीच भाई-भाई की लड़ाई का जल्द खात्मा चाहते हैं। हम मध्य अमरीका में संकट के शांतिपूर्ण स्थायी हल के लिए कॉन्टाडोरा ग्रुप के प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम अफगानिस्तान के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहल का भी समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान के बारे में शेष मुद्दों पर लचीली प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि अफगानिस्तान को एक ऐसे स्वतंत्र, गुट-निरपेक्ष देश का दर्जा मुकम्मल करने की परिस्थितियां शीघ्र बनेंगी और उनमें कोई बाहरी ताकतों से दखलअंदाजी और प्रवेश नहीं होगा।

पिछले साल मैंने नेपाल, यूनान, पोलैण्ड और यूगोस्लाविया की सद्भावना यात्राएं कीं। उप-राष्ट्रपति फ्रांस और बोत्सवाना गए। प्रधान मंत्री ने मालद्वीव, जाम्बिया, जिम्बाबवे, अंगोला, तंजानिया, मॉरिशस, मेक्सिको, इन्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड की द्विपक्षीय यात्राएं कीं। प्रधान मंत्री लंदन में राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की समीक्षात्मक बैठक, पांच महाद्वीपों के छह राष्ट्रों की शांति के लिए पहल से संबंधित शिखर बैठक में इक्सतपा में और हरारे में आठवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसके अलावा उन्होंने स्वीडन के स्वर्गीय प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए स्वीडन की भी यात्रा की।

हमें यूनान के प्रधानमंत्री, कोरिया गणराज्य के प्रधानमंत्री, तुर्की के प्रधान मंत्री, सेशल्स के राष्ट्रपति, जर्मन जनवादी गणतंत्र के चांसलर, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वापो के अध्यक्ष, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री, निकारागुआ के राष्ट्रपति, जाम्बिया के प्रधानमंत्री, जार्डन के शाह, डेनमार्क के प्रधानमंत्री, पेरू के राष्ट्रपति, मलेशिया के प्रधानमंत्री और फिनलैण्ड के राष्ट्रपति की मेजबानी करने का मौका मिला। पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन के तत्कालीन प्रधानमंत्री और अब राष्ट्रपति तथा इटली के प्रधानमंत्री अपनी यात्राओं के दौरान भारत में रुके। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़िया-उल-हक गैर-सरकारी यात्रा पर आए।

इन द्विपक्षीय यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे मैत्री संबंध मजबूत हुए हैं। आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए बहुत से करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत-सोवियत संघ के बीच 40 वर्षों के सहयोग से उभरे घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों के संदर्भ में, सीपीएसयू के जनरल सैक्रेटरी, श्री गोर्बाचोव की यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी। श्री गोरबाचोव और हमारे प्रधान मंत्री ने दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिससे अहिंसा, न्याय तथा समता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक बिल्कुल नई संरचना उपलब्ध हुई है। इसका मानवता की कठिन समस्याओं के अनुरूप नए दृष्टिकोण और मूल्यों की स्थापना करने में विश्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा।

सरकार की नीति का जोर समाज के आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के कल्याण में सुधार लाने पर है। पिछले दो सालों में लागू की गई नीतियों और कार्यक्रमों का ज्यादा जोर भूमिहीन कृषि मजदूरों, छोटे मामूली किसानों, कारीगरों और दस्तकारों, हथकरघा बुनकरों, महिलाओं और बच्चों, शहरी गरीबों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सहायता करने पर रहा है। हमारी विकास नीति में सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाता रहा है। हम इस सर्वोपरि उद्देश्य पर कायम रहेंगे।

बहुत-सी समस्याओं के बावजूद, लोगों में एक मजबूत और खुशहाल भारत बनाने की अपनी क्षमता में पूरा विश्वास है। यह विश्वास हमारी शानदार उपलब्धियों का नतीजा है। भारत स्थिरता तथा प्रगति का प्रतीक बनकर मजबूती से खड़ा है। बुनियादी मूल्यों के प्रति हमारी वचनबद्धता और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के हमारे दृढ़ संकल्प ने हमें अपना सिर ऊंचा उठाकर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की है। हमें अभी बहुत कुछ करना है। जनता के सहयोग और असीम उत्साह की मदद से मेरी सरकार देश को अपने चुने हुए रास्ते पर और आगे ले जाएगी।

हमारे कार्य मुख्य रूप से मूलभूत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सम्बद्धता को मजबूत बनाया जाएगा। साम्प्रदायिकता का दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा। गरीबी के खिलाफ कार्यक्रम को पूरी शक्ति से लागू किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों को मजबूत बनाया जाएगा और उनमें विस्तार किया जाएगा ताकि विकास कार्य में हम आत्मनिर्भर हों। युवकों की शक्ति और स्फूर्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे। आजादी की लड़ाई में हमारी कुर्बानी की जो भावना रही थी हमें उसे फिर से जागृत करना है ताकि हम मौजूदा चुनौतियों का सामना कर सकें। हमारे दिलों में राष्ट्र निर्माण का जज़्बा होना चाहिए। इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द।

श्री आर. वेंकटरमन

संसद के समक्ष अभिभाषण – 22 फरवरी 1988

लोक सभा	-	आठवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री राजीव गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

मेरे लिए यह गौरव की बात है कि मैं राष्ट्रपति के रूप में पहली बार आपको सम्बोधित कर रहा हूं। मैं संसद के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से नए सदस्यों को बधाई देता हूं जिनमें दमण और दीव के नव गठित निर्वाचन-क्षेत्र का एक प्रतिनिधि पहली बार शामिल हुआ है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर मैं वहां के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

चन्द हफ्ते ही हुए हैं, हमें एक महापुरुष से वंचित होना पड़ा। वे स्वतंत्रतासंघर्ष के हलचलपूर्ण युग की कड़ी थे, अब वे हमारे बीच नहीं हैं। महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगी, खान अब्दूल गफ्फार खां, अहिंसा और धर्म-निरपेक्षता की भावना के प्रतीक थे। उनका जीवन अद्‌भुत धैर्य और बलिदान की वीरगाथा था। मैं अपने उन दूसरे साथियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनमें हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री चरण सिंह। दूसरे हैं श्री एम.जी. रामचन्द्रन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया।

हमारी संकल्पना एक ऐसे भारत की है जहां देश की भीतरी कमजोरियों या बाहरी खतरों से उसकी एकता और अखण्डता को आंच न आने पाए:

– जहां हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद के आदर्श पूर्णत: चरितार्थ हों;

– जहां सामाजिक न्याय हो, और प्रत्येक मानव प्राणी को समान अवसर मिले;

– जहां विज्ञान और टेक्नालॉजी गरीबी और बीमारी को समाप्त करने में सहायक हों;

– जहां आर्थिक विकास से प्रकृति का कोष रिक्त न हो जाए, बल्कि प्रकृति से सुमेल रखते हुए धन-सम्पदा का सृजन हो;

– जहां औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ-साथ हमारे नैतिक आचार व आध्यात्मिक विचार कायम रहें;

– जहां सभी धर्म और संस्कृतियां आपसी आदर और सहयोग के माहौल में फलें-फूलें।

हमारी कल्पना ऐसे भारत की है जिसका विश्व के अन्य देशों के साथ आचार-व्यवहार शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति समर्पित हो, और हम एक ऐसी विश्व-व्यवस्था देखना चाहते हैं जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित हो।

पिछले 40 वर्षों में हम उस रास्ते पर आगे बढ़े हैं जिसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने दिखाया था। चाहे जो भी कठिनाइयां आएं हम उसी रास्ते पर उसी संकल्प और साहस के साथ चलते रहेंगे जिनको इंदिरा गांधी ने हमारे मन में बैठाया था।

स्वतंत्रता संग्राम आत्मनिर्भर प्रगति के लिए संघर्ष का, सामाजिक विमुक्ति का, मानव सभ्यता के अग्रणी के रूप में भारत को उसका परम्परागत, ऐतिहासिक स्थान पुनः दिलाने के लिए संघर्ष का अग्रदूत था। हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। उससे भी अधिक उल्लेखनीय रही हैं हमारे प्रयास की समनुरूपता, हमारे प्रयत्न की ईमानदारी, हमारी जनता की निष्ठा और कड़ी मेहनत। हमारा मुख्य उद्देश्य गरीबी की स्थिति में तेजी से सुधार लाना और उसका उन्मूलन करना रहा है। गरीबी दूर करने का मुख्य साधन है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का तेजी से और निरन्तर विस्तार करना। हमारी नीति सम्पत्ति-निर्माण और रोजगार-निर्माण गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के जरिए समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने के साथ-साथ तेज गति से और अधिक विविधतापूर्ण विकास करने की रही है और उसके साथ-साथ क्वालिटी शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम भी चलाया है। हम अपने अतुलनीय मानव संसाधनों की पूरी क्षमता को प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की विकास संबंधी अपेक्षाओं और रोजगार संबंधी आवश्यकताओं के साथ देश की शिक्षा रूपरेखा का सुमेल बना रहे। हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। गत सात वर्षों में प्रगति की रफ्तार उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। आठवीं योजना में इससे भी अधिक गति से विकास, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बनाए जाने और क्षेत्रीय असमानताओं को जोरदार ढंग से कम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें विकास की उच्चतम दर और ऐसे विकास के स्वरूप दोनों की आवश्यकता है जो हमारी जनता की बुनियादी आवश्यकताओं और हमारी अर्थव्यवस्था एवं विकासशील अपेक्षाओं से मेल खाता हो।

हमने दो महत्वपूर्ण बुनियादी उसूलों में रहते हुए विकास के लिए कार्रवाई की है: हमारे देश की स्वतंत्रता और हमारी जनता की स्वतंत्रता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने अपने नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी के लिए तथा अपनी स्वतंत्रता, अखण्डता एवं राष्ट्रीयता के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से शक्तिशाली संस्थाओं का निर्माण किया है। बाहर से और भीतर से हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को नष्ट करने, दुर्बल बनाने और क्षति पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए हैं। हमारी जागरूक जनता ने सदैव ऐसे सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया है।

वर्षा के न होने से हमारी अर्थव्यवस्था की लोचशीलता और हमारे उद्देश्य की दृढ़ता कसौटी पर चढ़ी है। हमारे कृषि समुदाय और वस्तुतः सम्पूर्ण राष्ट्र ने इस गम्भीर आर्थिक चुनौती का अत्यधिक वीरता के साथ मुकाबला किया है। लोग सरकार को बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। राष्ट्र का आर्थिक कार्यनिष्पादन इस बात का परिचायक है कि हमारी विकास नीति कितनी स्वस्थ और शक्तिशाली है।

दृढ़ संकल्प और संगठित राष्ट्रीय प्रयास के साथ पंजाब और अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला किया जा रहा है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन के परिणामस्वरूप कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने पंजाब के लोगों की पुनर्जीवित इच्छा शक्ति का उपयोग किया है और भ्रमित राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध दृढ़ता के साथ अभियान चलाया है। सबसे पहला काम है आतंकवाद को समाप्त करना और अलगाववादियों को अलग-थलग करना। हाल में आतंकवादियों ने अपनी विध्वंसक गतिविधियों को तेज कर दिया है उनका मुकाबला हमारी सुरक्षा सेना के उच्च मनोबल, पुनर्जीवित व्यावसायिकता तथा कड़ी सतर्कता से है। उनका मुकाबला उन लोगों से भी है जो धमकी में नहीं आते या भयभीत नहीं होते। राष्ट्र की अखण्डता और एकता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और न होगा। संविधान की रूपरेखा के अंतर्गत समस्या का अहिंसक राजनीतिक समाधान खोजने के लिए सरकार उन सभी से वार्ता करने के लिए तैयार है जो हिंसा का तिरस्कार करते हैं। राष्ट्र को निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु पर दुःख है। हम उनका अभिवादन करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों की बलि दी है।

त्रिपुरा में उग्रवादियों ने आतंक का अपना अभियान तेज कर दिया। हिंसा में वृद्धि होने और निर्दोष व्यक्तियों की अधिक हत्याएं होने के कारण सरकार के पास त्रिपुरा को अशांत क्षेत्र घोषित करने के अलावा कोई चारा न रहा। हम वहां हिंसा को दबाने के लिए कृत-संकल्प हैं।

साम्प्रदायिकता, कट्टरपंथ तथा अन्य अलगाववादी प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के अपने इरादे में हम दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की समितियां

साम्प्रदायिक सद्‌भाव बढ़ाने के उपाय निकालने में सक्रिय रही हैं। केन्द्र एवं राज्यों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए सतत् प्रयास करने चाहिएं।

सदियों पुराने सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और दमन के परिणामों को समाप्त करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हमने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का पुनर्गठन किया है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय को मजबूत किया है। हमारे समाज के इन सुविधाहीन वर्गों के कल्याण और विकास को हम कितना महत्व देते हैं, उसका अंदाजा सातवीं योजना में उनके लिए रखे गए 14000 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय से लगाया जा सकता है। यह एक विशेष संतोष की बात है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) के अधीन इन दोनों श्रेणियों के 41 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचा, जो निर्धारित 30 प्रतिशत के लक्ष्य से कहीं अधिक है।

वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, नागालैण्ड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव हुए।

तमिलनाडु में जनवरी में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे देखते हुए उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबंधों का सहारा लेना पड़ा। उस राज्य में जल्दी ही चुनाव कराने का प्रस्ताव है।

केन्द्र राज्य संबंध आयोग ने जिसकी स्थापना न्यायमूर्ति श्री आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में की गई थी, अपनी रिपोर्ट दे दी है। निर्णयों पर पहुंचने से पहले संसद, राज्यों और जनता के विचारों पर गौर किया जाएगा।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आगामी पीढ़ियों के लिए हमारी धरोहर है और भविष्य के लिए हमारा मापदण्ड है। सबके लिए क्वालिटी शिक्षा राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई कार्यक्रम 1986 में संसद में पेश किया गया। नीति के अनुसार वर्ष के दौरान प्रमुख कदम उठाए गए। हमारी नजर में प्राथमिक शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का स्तर सुधारने और अवस्थापन में सुधार लाने के लिए ऑपरेशन "ब्लैक बोर्ड" शुरू किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए राज्यों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर साल 5 लाख अध्यापकों के प्रशिक्षण के विशाल कार्यक्रम को जारी रखा गया है। राष्ट्रीय एकता की भावना और अपनी विरासत के प्रति जागृति लाने के लिए एक राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 206 हो गई है। 1986 के लिए इन विद्यालयों में प्रवेश-परीक्षाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि चुने गए 41 प्रतिशत बच्चे गरीबी की सीमा रेखा से नीचे स्तर के परिवारों के हैं, 77 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण इलाकों के हैं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों का प्रतिशत

कुल आबादी में उनके प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। लड़कियों के लिए माध्यमिक स्तर की नि:शुल्क शिक्षा की योजना पर अब सभी राज्यों में अमल किया जा रहा है। शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर ली गई है। उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर कार्यवाही कर रही है।

छोटे परिवार के मानदण्ड को बढ़ावा देना उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है। गत वर्ष 2 करोड़ लोगों द्वारा गर्भ-निरोधक उपाय अपनाये गए, जो अब तक प्राप्त स्तरों में सबसे उच्च है। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य की समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी हैं। अत: उनका समाधान अनेक एकीकृत उपायों से किया जा रहा है। रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में पिछले दो सालों में तेजी आई है।

सब प्रकार के पूर्वाग्रह, भेदभाव और दुर्व्यवहार, वंचन तथा अत्याचार से नारी की विमुक्ति राष्ट्रीय कर्तव्य और राष्ट्रीय कार्य है। राष्ट्र के जीवन में उनकी पूरी और समान सहभागिता राष्ट्रीय आवश्यकता है। महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने 2000 ईसवी तक की एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाई है। सरकार ने महिलाओं से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने और परामर्श देने के लिए महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय समिति का भी पुनर्गठन किया है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं पर गौर करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया है। उसकी रिपोर्ट जल्दी ही मिल जाने की आशा है।

देवराला की बर्बरतापूर्ण घटना के बाद, सती (निरोधक) अधिनियम, 1987 पारित किया गया। सरकार इस कुरीति को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। इन प्रयासों के समर्थन में यथासंभव व्यापक जनमत तैयार किया जाना चाहिए।

देश की जनसंख्या के स्वरूप में हो रहा परिवर्तन हमारे परिवर्तनशील समाज की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्र के जीवन में युवा वर्ग का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए युवा वर्ग की आवश्यकताएं पूरी करना और उन्हें राष्ट्र के जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करना उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। नेहरू युवा केन्द्रों में उच्च स्तर की गतिशीलता लाई गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स और गाइड्स तथा नेशनल कैडेट कोर के द्वारा हमारे लाखों लड़के-लड़कियों में बौद्धिक और शारीरिक अनुशासन तथा उत्साह और साहस की भावना जगाई जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हमारे युवाओं के एथलेटिक कौशल को अवसर प्रदान करके प्रशंसनीय कार्य किया है।

सद्भावनापूर्ण औद्योगिक संबंध वर्ष की महत्वपूर्ण बात रही। हम श्रमिकों तथा प्रबंधकों दोनों को उनके रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए बधाई देते हैं। हम उद्योग में प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदारी की प्रथा को बढ़ावा देना चाहते हैं। सरकार औद्योगिक

संबंधों पर एक व्यापक विधेयक और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में विस्तृत परिवर्तनों के लिए एक विधेयक लाना चाहती है।

जबकि हमारे श्रमिकों के वर्गों ने अधिकार प्राप्त करने और उनकी रक्षा करने के लिए अपने आपको संगठित कर लिया है, हमारे श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या असंगठित है और इसलिए उनका शोषण किया जाता है। काम की उनकी दशाओं के बारे में आंकड़े अपर्याप्त हैं और उनकी स्थिति सुधारने के लिए कार्रवाई असंतोषजनक है। हमें उनके कल्याण एवं उनकी प्रगति की गहरी चिन्ता है। हम उनकी दशा सुधारने के लिए वचनबद्ध हैं। अतः हमने ग्रामीण श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की है। हमने बाल श्रमिकों के बारे में भी राष्ट्रीय नीति तैयार की है। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनका पुनर्वास करने के काम में स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल किया जा रहा है।

20-सूत्री कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्र में नई आशा जगाई है। इसके लिए चालू वर्ष में कुल योजना परिव्यय का 30 प्रतिशत भाग रखा गया है। आईआरडीपी, एनआरईपी तथा आरएलईजीपी ग्रामीण गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने के हमारे मुख्य साधन हैं। पिछले 7 सालों में, आईआरडीपी के तहत कमजोर वर्गों और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले अन्य पिछड़े ग्रुपों के 234 लाख से भी अधिक परिवारों को सहायता दी गई है। लाभ प्राप्त करने वालों में महिलाओं की संख्या अब 16 प्रतिशत हो गई है। अप्रैल, 1987–जनवरी, 1988 की अवधि में एनआरईजीपी और आरएलईजीपी कार्यक्रमों से रोजगार के 47 करोड़ 10 लाख श्रम दिवस उपलब्ध हुए।

जल को पहली बार एक अत्यावश्यक राष्ट्रीय सम्पत्ति माना गया है। नई राष्ट्रीय जल नीति इस बारे में राष्ट्रीय मतैक्य के परिणामस्वरूप ही सामने आई है। इससे हमारे जल संसाधनों के प्रभावी योजनाबद्ध विकास और पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है।

गंगा एक्शन योजना की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित हुआ है। 25 नगरों और शहरों में यह योजना पूरे जोरों पर है। पर्यावरण संरक्षण कार्य प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभर कर आया है। प्राथमिकता वाले 24 उद्योगों के लिए पर्यावरण संबंधी मानदंड अधिसूचित किए गए है। वायु प्रदूषण के बारे में संसद ने पहले ही कानून में संशोधन कर दिया है हमारे वनों को संरक्षण देने और जल प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर विधायी उपाय किए जाने की योजना है।

सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में कानून पेश किया। इस बैंक के प्रमुख कार्यों में एक होगा कमजोर वर्गों को आवास के लिए वित्त की व्यवस्था करना। इस सत्र में सरकार लाखों बेघर लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय आवास नीति प्रस्तुत करेगी।

20-सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सूत्र और अधिक संवेदनशील प्रशासन का विकास करना है, विशेषकर जहां तक इसका संबंध कमजोर वर्गों से है। संवेदनशील प्रशासन विषय पर जिला कलेक्टरों के लिए अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। लोक शिकायतों को दूर करने वाले तन्त्र को मजबूत बनाया जा रहा है। जिला योजना प्रकोष्ठों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

पददलित लोगों को जल्द और कम खर्चीला न्याय दिलाने की योजना में प्रगति हुई कानूनी सहायता योजनाओं को अमल में लाने का काम एक समिति को सौंपा गया है, जिसके मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।

पिछले वर्ष तस्करी, विदेशी मुद्रा के अवैध धन्धे और नशीले पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध अभियान को नये सिरे से तेज किया गया। केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो तस्करों और इस धन्धे में लगे बड़े गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है।

नशीले पदार्थों का खतरा चिन्ताजनक रूप धारण कर रहा है। यदि हम सावधान नहीं रहे, तो हमारे युवकों का यौवन खतरे में पड़ जाएगा, राष्ट्र का शारीरिक और नैतिक ढांचा निर्बल हो जाएगा। हम इस बुराई को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने इस वर्ष भारी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े हैं। नशे के शिकार अभागे व्यक्तियों की आदत छुड़ाने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम चलाए गए हैं।

हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग, विशेषकर ग्रामीण भारत में, गरीबी दूर करने के प्रयोजन से सजगतापूर्वक कर रहे हैं। हमारे पांच टेक्नोलॉजी मिशनों का यही उद्देश्य है। इन पांच मिशनों को दिए गए कार्य इस प्रकार हैं: देश के सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराना; 2 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 1 करोड़ 80 लाख नवजात शिशुओं को वैक्सीन-निरोध्य बीमारियों से बचाना; 3 करोड़ बालिगों को प्रयोजनमूलक शिक्षा देना; तिलहनों और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाना; और दूरसंचार सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाना। इन मिशनों ने 1988-89 और 1989-90 के लिए अपनी प्रचालन योजनाएं बना ली हैं। योजनाओं की ध्यानपूर्वक मॉनिटरिंग की जा रही है तथा उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जा रहा है।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत ऊर्जा की नीति अपनाई है। ऊर्जा के प्राकृतिक तथा सतत् स्रोतों जैसे सूर्य, वायु, बायोमास को और मिनी-हाइडल स्रोतों एवं उन्नत चूल्हों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

तेल खोजने और निकालने का काम तेज किया जा रहा है। तेल साफ करने की क्षमता और बढ़ाई जाएगी। तेलशोधक कारखानों में आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने, उनका विकास करने और उन्हें अनुकूल बनाने के लिए एक हाई टेक्नोलॉजी केन्द्र की स्थापना की गई है। एचबीजे पाइपलाइन का पहला सेक्शन वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया।

इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत उन चंद देशों की श्रेणी में आ गया है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बनाने की अपनी टेक्नोलॉजी है। सॉफ्टवेयर निर्यात एक प्रमुख नये विकास क्षेत्र का रूप धारण कर रहा है।

परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में हम उन गिने-चुने देशों में से एक हैं जिन्हें परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए सम्पूर्ण परमाणु ईंधन चक्र में निपुणता प्राप्त है। इस क्षेत्र में 500 मेगावाट क्षमता के रिएक्टरों को डिजाइन करना एक ऐतिहासिक घटना है। परमाणु पावर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए परमाणु पावर निगम की स्थापना की गई है।

समुद्र-तल में खदान की क्षमताओं के विकास के लिए हमारे प्रयासों में अगस्त, 1987 का महत्वपूर्ण स्थान रहा। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के प्रारम्भिक आयोग ने हिन्द महासागर में एक खान-क्षेत्र में खोज और विकास करने के भारत के दावे को पंजीकृत कर लिया। यह गर्व की बात है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसका ऐसा दावा इस प्राधिकरण ने मंजूर किया है।

भारत के पहले रिमोट सेंसिंग उपग्रह का डिजाइन व विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने किया है। इस उपग्रह को अगले महीने सोवियत लांचर द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा जायेगा। एस.आर.ओ.एस.एस.-II उपग्रह सहित संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान की दूसरी उड़ान अप्रैल माह में होगी। यह उपग्रह संयुक्त इसरो पश्चिम जर्मन पेलोड ले जायेगा। जून में हमारा संचार उपग्रह इन्सैट-I सी फ्रेंच एरियन लांचर से छोड़ा जायेगा।

जहां तक स्मृति जाती है, अब तक के एक सबसे खराब मौसमी संकट अर्थात् देश के अधिकांश भागों में व्यापक सूखे और पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ के बावजूद, हमारे अर्थतंत्र ने अपने लचीलेपन का परिचय दिया है। हमने चुनौती का अच्छी तरह सामना किया है और संकट को टाला है क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई विकास नीति और गत तीन वर्षों के नए प्रयासों से हमारे अर्थतंत्र को आंतरिक शक्ति प्राप्त हुई है। जैसे ही जलवायु संबंधी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी हम कृषि विकास में फिर से गति लाने के काम को सुनिश्चित करेंगे।

15 राज्यों और 6 संघ राज्यक्षेत्रों के 269 जिलों की लगभग 450 लाख हेक्टेयर भूमि सूखे से प्रभावित हुई। बहुत से क्षेत्रों में अनावृष्टि का यह लगातार दूसरा वर्ष था; कुछ में तीसरा या चौथा। वर्ष 1986-87 के स्तर के मुकाबले अनाज के उत्पादन में 7 से 10 प्रतिशत की कमी होने का अंदेशा है। सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई। राज्यों को रोजगार, पीने के पानी और चारे की आपूर्ति के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय सहायता दी गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को काफी विस्तृत किया गया। किसानों को

ऋण सहायता और अतिरिक्त ऋण सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। तीन या उससे अधिक वर्षों से प्रभावित किसानों के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी का स्थगन भी इनमें शामिल है। रबी की अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए नीति अपनाई गई है।

हमारा हमेशा से यही विश्वास रहा है कि राष्ट्र तभी मजबूत बन सकता है जब कृषि और किसान मजबूत होंगे। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की ओर हमारा प्रयास बड़ा कारगर साबित हुआ है। हमने खाद्यान्नों के बड़े बफर भण्डार बनाए। इनसे हम मुश्किल हालात पर काबू कर पाए हैं। चावल उत्पादन के विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वी राज्यों में हाल के वर्षों में चावल की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सरकार 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्यान्न उत्पादन को 1750 लाख टन करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जुटी हुई है। शुष्क भूमि पर कृषि की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। इस नीति पर विस्तृत विचार के लिए एक कार्यदल नियुक्त किया गया है। इस दिशा में एक नवीन परिवर्तन है—कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर काश्तकारी की योजनाएं बनाना।

सूखा राहत के लिए आवश्यक धनराशि बजट में निर्धारित राशि से बहुत अधिक हो गई। यह आवश्यक हो गया कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए जवाबी आर्थिक उपाय किए जाएं इसके लिए आयकर, सम्पत्ति-कर, निगम-कर और सीमा-शुल्क पर अस्थायी अधिभार लगाया गया। सरकारी खर्चों में सख्ती के साथ किफायत की गई। रिज़र्व बैंक ने भी बैंकिंग प्रणाली में अधिक नकदी समेटने और चयनात्मक नियंत्रणों को कड़ा करने के उपाय किए। मुद्रास्फीति का दबाव पहले के सूखों की अपेक्षा बहुत कम रहा है वर्ष 1979-80 में थोक मूल्य सूचकांक में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत, जनवरी, 1988 के तीसरे सप्ताह तक यह वृद्धि केवल 9.8 प्रतिशत रही है।

औद्योगिक क्षेत्र का कार्य सराहनीय रहा है यह उत्पादन और निवेश में वृद्धि तथा बेहतर तकनीक के लिए सरकार की नीतियों की सफलता का परिचायक है। हमारे औद्योगिक श्रमिक विशेष प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के आह्वान पर अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई। वर्ष 1984-85 से उद्योग में प्रतिवर्ष 8.5 से लेकर 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 1987-88 में वृद्धि की यह दर बरकरार रही और अप्रैल-नवम्बर, 1987 में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। गैर-कृषि क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव सामने आने पर पूरे वर्ष में इसके 8 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है। इस अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र ने औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लघु औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नेशनल इक्विटी फण्ड की स्थापना की गई। बीमार औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने गत मई से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

अवस्थापना ने, जो लगभग पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में है, बहुत अच्छा कार्य किया है। वर्ष 1986–87 में अर्थतंत्र के इस क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हुई जैसे बिजली के उत्पादन में 10.2 प्रतिशत, कोयले के उत्पादन में 7.5 प्रतिशत और रेल द्वारा माल ढुलाई में 7.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। चालू वर्ष में इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति होती रही है। सूखे के कारण पनबिजली उत्पादन में हुई काफी कमी के बावजूद अप्रैल–दिसम्बर, 1987 में बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 7.6 प्रतिशत अधिक हुआ। तापविद्युत के उत्पादन में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल–दिसम्बर, 1987 में प्लांट लोड फैक्टर का औसत 55 प्रतिशत रहा है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 52.2 प्रतिशत था। वर्ष 1987–88 के पहले 9 महीनों में कोयले में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर रही। रेल द्वारा माल ढुलाई में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राष्ट्रीय अर्थतंत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभावशाली स्थान है। यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। समाजवाद लाने की हमारी विकास नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की यह प्रमुख भूमिका बनी रहनी चाहिए और बनी रहेगी। यही कारण है कि सरकार ने इस क्षेत्र की कार्यपटुता और वित्तीय क्षमता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। हम मैमोरैण्डा ऑफ अण्डरस्टैंडिंग के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक कार्य संबंधी स्वायत्तता दे रहे हैं।

कठिन बाहरी परिस्थिति के बावजूद भुगतान संतुलन की स्थिति को सफलतापूर्वक संभाला गया है निर्यात को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयत्नों का अच्छा परिणाम रहा है। वर्ष के पहले नौ महीनों में मूल्य के हिसाब से निर्यात में 24.7 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हुई है जबकि आयात में वृद्धि 13.5 प्रतिशत तक रखी गई है। अप्रैल–दिसम्बर, 1987 में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए घाटे से कम था। सरकार भुगतान संतुलन की स्थिति पर कड़ी नजर रखेगी।

केन्द्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों से अधिक रहे हैं। यह संतोष की बात है, फिर भी, हमें वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति पर और अधिक ध्यान देना है। योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा पूरी कर ली गई है और इसे शीघ्र ही राष्ट्रीय विकास परिषद् और संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रारम्भिक काल से भारतीय विचारधारा "संकीर्ण घरेलू सीमाओं" को पार कर ली गई है और उसने सम्पूर्ण मानवता को विशाल कुटुम्ब के रूप में देखा है। सहस्रों वर्षों से हमारी विरासत सहिष्णुता और दया की, सभी स्थानों से जो कुछ सर्वोत्तम है, उसे आत्मविश्वास के साथ आत्मसात् और संश्लिष्ट करने की रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सत्य, अहिंसा और मानव की एकता के प्राचीन सिद्धांत हमारे मार्गदर्शक रहे। हमारी विदेशी नीति के आधारभूत सिद्धांत इसी एकीकृत और पूरी तरह से स्थापित विश्व दृष्टिकोण पर आधारित हैं। गुट–निरपेक्षता का सिद्धांत और उस पर व्यवहार करना

समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आधुनिक भारत का उल्लेखनीय योगदान है। यह वह सिद्धांत है जिसकी संकल्पना व जिसका प्रतिपादन महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदृष्टि वाले महापुरुषों द्वारा किया गया था। शुरू में यह दृष्टिकोण अल्पसंख्यकों का दृष्टिकोण था जिसके प्रति विरोध प्रकट किया गया और यहां तक कि उसका उपहास किया गया किन्तु अब इसके मानने वालों की संख्या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का दो-तिहाई हिस्से तक बढ़ गई है जिसका सर्वत्र विचारशील लोगों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है और नई विश्व व्यवस्था के निर्माण में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी विदेश नीति ने हमारी प्रभुसत्ता की रक्षा की है, हमारे राष्ट्रीय हितों को उन्नत किया है और एक उचित, न्यायसंगत एवं लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास करते हैं। हम सभी देशों के साथ अपनी मैत्री और सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और परमाणु निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जबकि रक्षा नीति निर्धारक निवारण की पुरानी अवधारणाओं की कीचड़ में फंसे रहे, ऐसे विश्व में जिसके परमाणु अस्त्रों के द्वारा समाप्त होने की आशंका थी, हिरोशिमा के तुरन्त बाद ही महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु अस्त्रों के विनाशकारी प्रभाव को भांप लिया था। इन हथियारों की समाप्ति स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार बनी। गत चालीस वर्षों में लगातार भारत ने परमाणु अस्त्र-रहित अहिंसक विश्व के लिए दृढ़ निश्चय से कार्य किया है। छह देशों की पहल ने, जिसमें इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निःशस्त्रीकरण वार्ताओं को, जिनमें गतिरोध आ गया था, पुनः आरम्भ करने में सार्थक सहयोग दिया। इस पहल से परमाणु निःशस्त्रीकरण के पक्ष में विश्वव्यापी जनमत तैयार हुआ। इसने भू-आधारित मध्यम और कम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की समाप्ति के बारे में गत दिसम्बर में वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित करार के लिए वातावरण तैयार करने में मदद की है। हमने परमाणु निःशस्त्रीकरण की ओर पहले ऐतिहासिक कदम के रूप में इस करार का स्वागत किया है और साथ ही हमने इस संबंध में तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि परमाणु अस्त्रों के भंडारों में आगे भी भारी मात्रा में कमी हो और इस प्रक्रिया में परमाणु अस्त्र वाली सभी शक्तियों का प्रवेश हो। पिछले महीने स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन में उन कदमों की व्याख्या की गई जिन्हें आईएनएफ संधि के संदर्भ में उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि एक निश्चित अवधि के अन्दर विश्वव्यापी रूप से सभी परमाणु अस्त्रों की समाप्ति सुनिश्चित हो सके।

हमारे भविष्य को मानवीय पर्यावरण में बढ़ते हुए विकार से भी खतरा है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली कोशिशों का समर्थन करते

हैं। हमने पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की बैठक अपने यहां आयोजित की। आयोग की रिपोर्ट पर विशेष बहस के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सम्बोधित किया।

जुलाई, 1987 में हमने ऐतिहासिक भारत-श्रीलंका करार संपन्न किया जिसका श्रीलंका में शांति और उस देश में तमिल अल्पसंख्यकों के लिए न्याय के अग्रदूत के रूप में तमिलनाडु में और भारत के दूसरे भागों में स्वागत किया गया। इस समझौते को सर्वोच्च राजनीतिक कौशल के रूप में विश्व भर में सराहा गया है। करार के उपबन्धों से श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की वैध आकांक्षाएं पूरी होती हैं और साथ ही श्रीलंका की एकता और अखण्डता भी सुनिश्चित होती है। इस करार से उस देश में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इससे हमारी जरूरी सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी होती हैं और हमारे क्षेत्र में गुट-निरपेक्षता को बल मिलता है। जैसी कि करार में व्यवस्था की गई है, और राष्ट्रपति जयवर्धने के तत्काल अनुरोध पर श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी गई। उसने अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में उल्लेखनीय काम किया है। हम अपने बहादुर सैनिकों की सराहना करते हैं। जिन लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमारा संकल्प है कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हमारा दृढ़ संकल्प है कि संविधान के करार के सभी उपबंधों को पूरी तरह से अमल में लाया जाए। हम उसके अंतर्गत उपबंधित प्रक्रियाओं को और गति प्रदान कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि श्रीलंका में जातीय समस्या का स्थायी हल प्राप्त करने का उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त हो जाए।

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, और उस क्षेत्र की बढ़ती हुई अहमियत हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण आयाम रही है। हमारी अध्यक्षता में क्षेत्रीय सहयोग मजबूत हुआ और कई बड़े प्रयत्नों को बढ़ावा मिला। काठमाण्डू में तीसरे शिखर सम्मेलन से यह प्रक्रिया आगे बढ़ी है। हमें दक्षिण एशियाई सहयोग के लिए उपयोग में न लायी गयी बड़ी क्षमता प्राप्त करनी चाहिए।

भारत और पाकिस्तान के लोगों में बहुत समानताएं हैं। हम पाकिस्तान के लोगों की भलाई की कामना करते हैं। हम दोनों देशों के लोगों के बीच अधिक आपसी आचार-व्यवहार के जरिए विश्वास और मित्रता बढ़ाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान सरकार हमारी भावनाओं के सदृश व्यवहार करेगी और स्थायी शांति व मैत्री का माहौल बनाने में सहायक होगी। दुर्भाग्यवश, इस दिशा में हमारी कोशिशों में अड़चन पैदा की गई है और हमारे बहुत से प्रयत्नों को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान परमाणु अस्त्र प्राप्त करने की अपनी गुप्त कोशिशों में लगा हुआ है। वह भारत में आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों की मदद करने में भी लगा हुआ है। क्या मैत्री और सहयोग का यही मार्ग है? मेरी सरकार का अब भी यह विश्वास है कि उनमें विवेक और सद्बुद्धि आएगी और पाकिस्तान सरकार भारत के प्रति अपनी नीति का नए सिरे से मूल्यांकन करेगी।

हम चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने को बहुत महत्व देते हैं। विवादग्रस्त मुद्दों का हल हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाना है। सीमा पर शांति और अमन बनाए रखना आवश्यक है।

हम अफगानिस्तान के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा की जा रही कोशिशों का समर्थन करते हैं। यद्यपि, समझौते के रास्ते में अड़चनें पैदा की जा रही हैं, फिर भी, इस मामले में ठोस परिवर्तन के संकेत हैं। निर्धारित समयावधि में सोवियत सेनाओं की वापसी के बारे में हम महासचिव गोर्बाचोव की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि जेनेवा में होने वाली आगामी सन्निकट वार्ता में अंतिम हल निकल आएगा। हम संबंधित पक्षों से संपर्क बनाए हुए हैं। हम उनके साथ मिलकर प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र और गुट-निरपेक्ष देश के रूप में अफगानिस्तान के दर्जे को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे।

कम्पूचिया के लोगों की मुसीबतों से हमें बहुत दुःख पहुंचा है। कम्पूचिया के लोगों की अपने देश के पुनर्निर्माण, अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता की रक्षा, और अपने गुट-निरपेक्ष दर्जे को सुरक्षित रखने की कोशिशों के प्रति हमारी सहानुभूति और गहरी रुचि है। हम वहां शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में सहायता कर रहे हैं। हमने उन पक्षों को एक साथ लाने में अपना सहयोग दिया है जिन्हें मिल-जुल कर कम्पूचियाई प्रश्न का हल निकालना चाहिए। हम संबंधित पक्षों के सहयोग से अपनी कोशिशें जारी रखेंगे।

हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष के प्रति गहरी सहानुभूति रही है। भारत का विभाजन और फिलिस्तीन का विभाजन एक ही वर्ष में हुआ। हमने फिलिस्तीनी लोगों के दुःख, तकलीफों और घोर मुसीबतों में हमेशा उनका साथ दिया है। हम अधिकृत क्षेत्रों में इस्रायली सेना द्वारा फिलिस्तीनियों के क्रूर दमन की कड़ी निन्दा करते हैं। फिलिस्तीनी जनता के अभेद्य अधिकारों की अवहेलना करते हुए कोई हल नहीं निकल सकता। उसकी जन्मभूमि में उनका अपना राज्य होना चाहिए। स्थायी हल तलाश करने के लिए तुरन्त एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन बुलाया जाए, जिसमें फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और अन्य सम्बंधित पक्ष भी शामिल हों।

ईरान-इराक युद्ध बड़े दुःख का विषय है। इसके कारण हमारे पड़ोस में हालात अस्थिर होते जा रहे हैं और इस क्षेत्र में बाहरी सैन्य शक्तियों का जमाव बढ़ रहा है। हम अन्य सभी के साथ मिलकर शांति लाने के भरसक प्रयत्न बराबर जारी रखेंगे।

रंगभेद सभ्यता पर एक कलंक है जो मानव परिवार की एकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के विपरीत है। दक्षिण अफ्रीका में सत्य के साथ महात्मा गांधी के प्रारम्भिक प्रयोगों के दिनों से ही जातीय रंगभेद को समाप्त करना हमारे स्वतंत्रता का अभिन्न अंग रहा है और यह अभी भी हमारी विदेश नीति का लक्ष्य बना हुआ है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। रंगभेद इसी वजह से जिंदा है क्योंकि प्रिटोरिया सरकार को कुछ समृद्ध शक्तिशाली देशों से अधिक तथा सैनिक मदद मिल रही है। बहुत अधिक रक्तपात के

बिना इस अत्यंत घृणित बुराई को समाप्त करने का एक यही तरीका है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के अध्याय-VII के अधीन व्यापक, अनिवार्य प्रतिबंध लगाए जाएं। हमने संयुक्त राष्ट्र, गुट-निरपेक्ष और राष्ट्रमंडल के मंचों से इसके लिए प्रयास किए हैं। पिछले अक्तूबर में वेंकूवर शिखर सम्मेलन में केवल एक देश को छोड़कर राष्ट्रमंडल के सभी देश रंगभेद के खिलाफ अपने प्रतिबंधों में तीव्रता लाने के लिए सहमत हुए। अफ्रीका कोष के प्रति, जिसकी संकल्पना हमने एक व्यावहारिक समर्थन के रूप में की, विश्वभर में सभी देशों ने संतोषजनक प्रतिक्रिया दिखाई है।

फीज़ी में केवल जातीय आधार पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिशों से बहुत रोष पैदा हुआ है। फीज़ी की संवैधानिक व्यवस्थाओं में इस बात की यकीनी व्यवस्था होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में सभी समुदायों को उचित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व मिले।

हम उस समझौते का स्वागत करते हैं जिस पर ग्वाटेमाला में पांच मध्य-अमरीकी देशों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। हम गंभीरतापूर्वक आशा करते हैं कि इससे ऐसी न्यायोचित और स्थायी व्यवस्था कायम होगी जिससे उस क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा, प्रभुसत्ता और स्वाधीनता बनी रहे।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे आपसी संबंधों में, खासतौर पर तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति के साथ अनेक विषयों पर बातचीत की। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता प्राप्त करने की लगातार कोशिशों के बावजूद उसे हथियार सप्लाई किए जाने पर हम संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी गम्भीर चिन्ता बराबर व्यक्त कर रहे हैं।

सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध हमेशा ही स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। नवम्बर, 1986 के दिल्ली घोषणा-पत्र में अहिंसा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति दोनों देशों की समान प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। पिछले तीन सालों में हमारे संबंधों में विस्तार हुआ है और हमारे संबंध समृद्ध हुए हैं। उच्चस्तरीय यात्राओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, व्यापार में अद्‌भुत बढ़ोतरी हुई है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़े हैं जिससे हमारे पहले से ही चले आ रहे व्यापक सहयोग में आगे विस्तार हुआ है। दोनों देशों में आयोजित महोत्सवों में हमारे आपसी सद्‌भाव का सुन्दर दिग्दर्शन हुआ है। वर्ष के दौरान, भारत के प्रधानमंत्री सोवियत संघ गए और सोवियत संघ के प्रधान मंत्री भारत आए।

माननीय सदस्यगण, राष्ट्र के संयुक्त प्रयास से हम विश्वासपूर्वक उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो हमारे सामने हैं। हम अपने गणतंत्र के आदर्शों और लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान रहेंगे। हम राष्ट्रीय हित को किसी भी वर्गगत हित से ऊपर रखेंगे। आने वाले वर्ष में आपके प्रयासों की सफलता के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 21 फरवरी 1989

लोक सभा	-	आठवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री राजीव गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

मैं संसद के इस सत्र में आप सब का स्वागत करता हूं। साथ ही इस सत्र में आपके समक्ष जो बजट और विधायी कार्य हैं उनके सफलतापूर्वक सम्पन्न होने की कामना करता हूं।

हम इस वर्ष को जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। भारत के इस महान सपूत की हमारे स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत निर्माण के प्रारम्भिक वर्षों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने हमारे आधुनिक राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गुट-निरपेक्षता के आधार स्तम्भों का निर्माण किया। उनके आदर्शों का स्थायी महत्व है। उनके शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम स्वयं को उनके आदर्शों के प्रति और मानव सभ्यता की अग्र पंक्ति में भारत को उसका उचित स्थान पुनः दिलाने के उनके महान स्वप्न के प्रति पुनः समर्पित करते हैं।

जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आधारभूत नीति के ढांचे को आकार दिया। पण्डित नेहरू का लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर आधारित समाज का स्वप्न हमारी सामाजिक और आर्थिक कार्य-नीति को दिशा प्रदान करता रहा है। हम इंदिरा गांधी के ऋणी हैं जिन्होंने निहित स्वार्थों के विरुद्ध तीव्र संघर्ष कर इसका रचनात्मक विकास किया। योजना प्रक्रिया को, जो इस कार्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इंदिरा जी ने एक नयी जीवनशक्ति प्रदान की जिन्होंने सामाजिक न्याय पर, जो हमारी विकास शैली का अभिन्न अंग है, पुनः जोर दिया। पण्डित नेहरू और इंदिरा जी, दोनों यह मानते थे कि भारत की प्रभुसत्ता, राष्ट्रीय अखण्डता और आधुनिक राष्ट्र के

रूप में भारत का विकास शांति, निःशस्त्रीकरण और न्याय संगत विश्व व्यवस्था के प्रति समर्पित विदेश नीति के साथ गहरे रूप से जुड़े हैं।

इस संसद के अंतिम वर्ष में प्रवेश करते हुए हम पिछले चार वर्षों के रचनात्मक प्रयासों पर सन्तोष व्यक्त कर सकते हैं। तब हम इंदिरा जी की हत्या के भयानक सदमे से उबर ही रहे थे। एक ओर आतंकवादी, विद्रोही और अलगाववादी तथा दूसरी ओर अनेक असंतुष्ट तत्व देश की एकता पर प्रश्न-चिह्न लगाने, देश की अखंडता को चुनौती देने और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन लोकतंत्र कायम रहा और भारी जनादेश से सरकार बनी। चार वर्षों के बाद आज राष्ट्र में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सामंजस्य है। विचार-विमर्श और बातचीत से समझौतों और करारों के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। पूरा उत्तर-पूर्व अब पूरी तरह से राष्ट्र की लोकतांत्रिक मुख्यधारा में शामिल है। सारा देश यह जान गया है कि हिंसा का मुकाबला सख्ती से किया जाएगा किन्तु शिकायतों के साथ न्याय किया जाएगा शर्त सिर्फ यह है कि हथियारों को पहले त्याग दिया जाए और संविधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इन चार वर्षों में आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं और ऐसा भयंकर सूखे के बावजूद हुआ है। सरकार और जनता ने मिलकर इस संकट का धीरज और दृढ़ संकल्प के साथ सामना किया है। जहां इस तरह के सूखे से पहले अर्थव्यवस्था को हमेशा भारी नुकसान पहुंचता रहा है और वहां देश के आर्थिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब सूखे के कारण हुई क्षति के बावजूद अर्थव्यवस्था ने वस्तुतः 3.6 प्रतिशत की निश्चित वृद्धि प्राप्त की है जो अस्सी के दशक तक की औसत वृद्धि से भी अधिक है। सरकारी नीतियों ने अर्थव्यवस्था में जिस लचीलेपन और आत्मविश्वास का समावेश किया है उसी के अनुरूप अब हम दीर्घकालीन वृद्धि के पथ पर अग्रसर हैं जो 5 प्रतिशत से भी अधिक है और अगली योजना में जिसका लक्ष्य 6 प्रतिशत या उससे भी अधिक रखा गया है। हमारा सीधा प्रहार गरीबी पर है। हमने बेरोजगारी को घटाने के लिए भरसक प्रयास जो गांव-गांव तक पहुंचता है, धर्मनिरपेक्षता, जिसमें सभी धर्मों का आदर किया जाता है और सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा होती है, समाजवाद, जिसका उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी दूर करना है और गुट-निरपेक्षता, जो हमें स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता का आश्वासन देती है और इसी से विश्व में हमारी बात को महत्व दिया जाता है, और जिसका प्रभाव हितकारी भी है और निर्णायक भी।

सरकार की यह नीति रही है कि सभी विवादों और मतभेदों को शांतिपूर्वक निपटाया जाए। लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं का सम्मान अवश्य किया जाएगा लेकिन राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखने के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बातचीत और विचार-विमर्श, समझौते और सहमति का लोकतांत्रिक रास्ता

उन सब व्यक्तियों के लिए खुला है जो हिंसा का रास्ता छोड़कर संविधान के ढांचे के अन्दर काम करने के लिए तैयार हों। यही दृष्टिकोण 1985 में असम में, 1986 में मिजोरम में और पिछले ही वर्ष त्रिपुरा और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपनाया गया।

हम आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कृत-संकल्प हैं। हम तब तक डटे रहेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि पंजाब में आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाता। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में सबसे शक्तिशाली हथियार स्वयं जनता है। धमकियों और उत्तेजक गतिविधियों के बावजूद पंजाब के लोगों ने आतंकवादियों की हिंसा का डटकर मुकाबला किया है और आपस में सामुदायिक सामंजस्य और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। वे हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्हीं के बल पर सरकार को यह विश्वास है कि वह अपने प्रयत्नों से पंजाब का कोई राजनीतिक हल ढूंढ़ लेगी। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इस बीच आतंकवादियों को विदेश से मिलने वाली सहायता और समर्थन को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश और बिहार में उग्रवादी गतिविधियां पुन: सक्रिय हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में उग्रवादी हिंसा की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक हुई हैं। भारत सरकार इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है।

हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता का अस्तित्व हर प्रकार के उतार-चढ़ावों के बावजूद बना रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें धार्मिक सहिष्णुता तथा विविधता में गहरी रही हैं। आज भारत को खतरा संकीर्ण मानसिकता की शक्तियों से है। संकीर्ण मानसिकता के अनेक रूप हैं: जैसे धार्मिक रूढ़िवादी, सम्प्रदायवादी तथा जातिवादी, क्षेत्रीय और भाषायी। जब ये शक्तियां आपस में मिल जाती हैं तो एक अत्यंत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह सौभाग्य की बात है कि भारत के लोगों के विचार कभी संकीर्ण नहीं रहे हैं। सरकार लोगों के सहयोग से इन शक्तियों से लड़ने के लिए कटिबद्ध है।

हमारे देश का भविष्य युवाओं का है। हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग युवा हैं। प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ हमारी जनसंख्या में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। देश को युवाओं की आकांक्षाएं अवश्य पूरी करनी होंगी और उनकी सहभागिता प्राप्त करनी होगी। मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। हम युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे राष्ट्र-निर्माण में पूरी तरह हिस्सा लें।

अन्य क्षेत्रों में चुनाव सुधार किये गये हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संविधान के प्रति वचनबद्धता अनिवार्य शर्त बना दी गई है। बूथ पर कब्जा करने को संज्ञेय अपराध बना कर कमजोर वर्गों के नागरिक अधिकारों को अधिक सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध करने के दोषी लोग चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए हैं।

सरकार धर्म का राजनीति से पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए गत वर्ष एक अधिनियम पारित किया गया। आगे अन्य उपाय भी किए जाएंगे।

मैंने जब आपको गत वर्ष सम्बोधित किया था, उस समय हमारी जनता असाधारण रूप से भयंकर सूखे का सामना कर रही थी। प्रधान मंत्री ने स्वयं देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का व्यापक रूप से दौरा किया। उन्होंने सूखे के प्रभाव का गहन अध्ययन करने के लिए और इस चुनौती से जूझने के हमारे प्रयासों पर नजर रखने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय सूखा राहत समिति गठित की। केन्द्र सरकार की पहल पर तथा इसकी भारी आर्थिक सहायता और परामर्श के बल पर इन वर्षों के दौरान विकास के लिए स्थापित किए गए आधारभूत साधनों का सूखा-राहत, सूखे से स्थायी बचाव तथा सूखा-पीड़ित लोगों के लिए स्थायी परिसंपत्तियां बनाने हेतु कारगर ढंग से उपयोग किया गया। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सक्रिय बनाया गया। आमतौर से जनता ने और विशेष रूप से किसानों ने सरकार के प्रयासों में सहयोग दिया। इस परीक्षा से उबर कर हम दृढ़ संकल्प होकर नई स्फूर्ति के साथ, सशक्त और स्वावलम्बी होकर सामने आए। यह एक बड़ी प्राकृतिक विपदा का प्रभावशाली ढंग से सामना करने का एक शानदार उदाहरण है।

सूखे का सामूहिक रूप से सामना करने के अनुभव का उपयोग गत वर्ष के अच्छे मानसून का पूरा लाभ उठाने के लिए किए जाने वाले सम्मिलित प्रयासों में किया गया। एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। परिणामस्वरूप खरीफ की फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और रबी की फसल अच्छी होने की भी काफी अधिक संभावनाएं हैं। खाद्यान्न का उत्पादन शानदार रहा है। कपास और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तिलहन के उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिससे तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की उपलब्धियां परिलक्षित होती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष असाधारण आर्थिक-निष्पादन का वर्ष रहा है। सूखे का पूरी दृढ़ता से सामना करने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था एक नयी शक्ति से पुनः अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। सकल देशी उत्पादों की विकास दर 9 प्रतिशत से अधिक हो जायेगी। योजना के प्रथम चार वर्षों में विकास दर 5 प्रतिशत के लक्ष्य से भी अधिक होगी। आठवीं योजना की विकास दरों में एक निश्चयात्मक वृद्धि के लिए यह एक शुभ लक्षण है। राष्ट्र इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि हम गरीबी मिटायेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे।

सरकार का ध्यान मुख्य रूप से किसानों पर केन्द्रित है। किसान के लिए वित्त उपलब्ध कराना एक मुख्य प्राथमिकता रही है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने का लक्ष्य बढ़ाकर पूरे बैंक ऋण का 17 प्रतिशत तक कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दिए जाने वाले ऋण

में 30 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 1800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2550 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं को उनके सेवा क्षेत्र में ग्रामों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है और इसके लिए उनको अधिकार दिया गया है। 5 लाख ग्रामों के लिए ग्रामों की रूपरेखाएं और ऋण संबंधी योजनाएं बनाई गई हैं, जिसके तहत किसान अपनी फसल स्थानीय सहकारी समिति के पास बंधक रखकर 10,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

एक नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। इस तरह खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा किसानों के उत्पादों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा जिससे किसानों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की आय और रोजगार में वृद्धि हो। एक नई बीज नीति अपनाई गई है, जिससे कि संगरोध की शर्तों में ढील दिए बगैर सब्जियों, फलों, फूलों, तिलहनों और दलहनों के लिए उन्नत श्रेणी के बीज और पौध प्राप्त करने का अवसर मिल सके। अंत:स्थलीय और समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के उद्योग के समन्वित विकास के लिए एक राष्ट्रीय मछली उद्योग सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है।

1985 से उद्योग में उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहित करने, कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करने, अधिक प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिक उन्नति के लिए सरकार ने नीति विषयक कई पहल की हैं। इसी के परिणामस्वरूप, पिछले चार वर्षों में औद्योगिक वृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक हुई है। चालू वर्ष के पहले छह महीनों में समग्र औद्योगिक वृद्धि 9.5 प्रतिशत थी। विनिर्माण क्षेत्र में यह वृद्धि 10.6 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लघु क्षेत्र में उत्पादन में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई। क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर भारी बल दिया गया है। औद्योगिक संबंध स्थिर रहे हैं और सरकार ने विभिन्न उद्योगों के हालात सुधारने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

इसी प्रकार आधारभूत उद्योग के क्षेत्र में सरकार की नीतियों के प्रभावशाली परिणाम निकले हैं। 1987-88 में समाप्त होने वाले 3 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि की दर कोयले में 7.3 प्रतिशत, रेलों द्वारा माल की ढुलाई में 7.6 प्रतिशत, विक्रेय इस्पात में 7.6 प्रतिशत, पत्तनों पर माल की चढ़ाई-उतराई में 7.9 प्रतिशत, बिजली में 9.6 प्रतिशत, सीमेंट में 10.3 प्रतिशत और उर्वरकों में 12.5 प्रतिशत रही है। उत्साहवर्धक बात यह है कि हर वर्ष कार्य-निष्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती रही है। 1987-88 के पहले आठ महीनों के मुकाबले इस वर्ष तुल्य अवधि में कोयले में 7.1 प्रतिशत तक, बिजली में 7.6 प्रतिशत तक, पत्तनों पर माल की चढ़ाई-उतराई में 10.2 प्रतिशत तक, विक्रेय इस्पात में 11.5 प्रतिशत तक, सीमेंट में 12.2 प्रतिशत तक और उर्वरकों में 34.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों और

अन्य दूरसंचार उपस्करों के देशीय विकास और निर्माण से दूरसंचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश में दूरसंचार सेवाओं का विकास तेज करने के लिए एक दूरसंचार आयोग स्थापित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। पिछले चार वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय पूंजी निवेश किया गया है। उत्पादन और लाभकारिता में वृद्धि हुई है। जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना के अनुसार हमारे सार्वजनिक क्षेत्र ने न केवल अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को छुआ है, अपितु यह अधिक दक्ष व गतिशील भी होता जा रहा है। एक सशक्त और जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रचालन में पूर्ण-स्वायत्तता आवश्यक है। इस वर्ष जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वे इस बात के द्योतक हैं कि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधक-वर्ग को सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक प्राधिकार और स्वतंत्रता देना चाहती है।

पिछले दो वर्षों में शुरू में धीमी गति के बाद निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। निर्यात में गत वर्ष 25% वृद्धि और चालू वर्ष के पहले नौ महीनों में 25% की वृद्धि और हुई जिससे दो वर्ष की अवधि में 50% से भी अधिक वृद्धि परिलक्षित होती है।

अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में हमने महत्वपूर्ण विस्तार करने का काम आरम्भ किया है। देशी जानकारी पर आधारित दस नये परमाणु शक्तिचालित रिएक्टरों से देश की विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 4000 मेगावाट की वृद्धि होगी जो सोवियत प्रौद्योगिकी के आधार पर स्थापित की जा रही 2000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा के अतिरिक्त है। परमाणु केन्द्रों में आपातकालीन तैयारी और सुरक्षा प्रणालियों के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है।

विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह का इस्तेमाल भू-जल का पता लगाने और बाढ़ पर नजर रखने जैसी ग्रामीण विकास की समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है। स्वास्थ्य और कृषि में इस्तेमाल के लिए अनेक बायो-टेक्नॉलाजी उत्पाद तैयार किए गए हैं। देश में ही विकसित गाय भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल देश के दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए किया जा रहा है। सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं को अधिक से अधिक शरीक करने की योजना बना रही है।

प्रौद्योगिकी मिशनों के लाभ मिलने आरम्भ हो गए हैं। एक लाख छह हजार समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल साधन मुहैया किए जा चुके हैं। 500 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से अनेक राज्यों में प्रौढ़ साक्षरता के लिए एक व्यापक

जन अभियान शुरू किया गया है। सरकार ने पशु उत्पादकता में सुधार और दूध के अधिक उत्पादन के जरिए ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए डेयरी विकास का छठा प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ किया है।

मूल्य और भुगतान संतुलन हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले दो क्षेत्र हैं। मूल्य अवश्य बढ़े हैं, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि जितना भयंकर सूखा पड़ा, उतने ही भयंकर पिछले सूखों की तुलना में मूल्यवृद्धि काफी कम रही। मुद्रास्फीति की दर के कारगर नियंत्रण के लिए वित्तीय और आर्थिक नीति संबंधी सभी उपाय किए जा रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

भुगतान संतुलन के विषय में हमें बहुत सतर्क रहना है। निर्यात में वृद्धि की गति को बरकरार रखना होगा तथा अधिक निर्यात और विदेशी मुद्रा के अधिक अर्जन से इसे और सुदृढ़ करना होगा। यथासंभव कारगर आयात प्रतिस्थापन पर विशेष बल देते हुए आयात पर सावधानीपूर्वक नजर रखनी होगी।

अधिक तीव्र विकास, विशेषरूप से कृषि के क्षेत्र में अधिक तीव्र विकास, गरीबी समाप्त करने की आवश्यक पूर्वापेक्षा है। लेकिन यही काफी नहीं है। इसीलिए, गरीबी पर सीधा प्रहार अभी जारी है। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार परिसम्पत्ति-निर्माण और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों पर पहले की अपेक्षा अधिक खर्च कर रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, हमारे ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ 50 लाख लाभग्राहियों को सहायता प्राप्त हुई है। इनमें लगभग आधे लाभग्राही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। एनआरईपी के अंतर्गत, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को योजना के चौथे वर्ष में ही पूरा कर लिया गया। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत चार लाख से भी अधिक घरों का निर्माण किया गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के लाभार्थ दस लाख कुआं योजना आरम्भ की गई है। जनजातियों के लिए उनके उत्पादों के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मार्केटिंग संस्था "ट्राइफेड" आरम्भ की गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय आवास नीति संसद में पास की जा चुकी है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को आवास उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। इनके साथ-साथ ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों, कारीगरों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लोगों को उनकी स्थिति के अनुसार आवास दिलाने में सहायता की जाएगी। इसी प्रकार अकेली महिलाओं, विधवाओं तथा उन परिवारों की भी सहायता की जाएगी जिनकी प्रधान

महिलाएं हैं। शहरी क्षेत्रों में सबसे खराब स्थिति पटरी पर रहने वालों की है। पटरी पर रहने वालों को घर प्रदान करने के लिए महानगरों में एक योजना शुरू की गई है। एक राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है। गृह निर्माण कार्य में आने वाली रुकावटों, जैसे अपर्याप्त भूमि और पूंजी को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है। शहरीकरण संबंधी राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट विचाराधीन है।

इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत पहले ही देश के लगभग 40 प्रतिशत ब्लॉक लाए जा चुके हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वत्र प्रसार को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की प्रभावी शुरुआत भी की गई है। अब तक 256 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले 40 प्रतिशत बच्चे ऐसे परिवारों से हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के हैं।

भारतीय समाज के समस्त पिछड़े वर्गों में महिलाएं सबसे पीछे हैं। राष्ट्रीय जीवन में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने और उन पर पड़े परिवार तथा समाज के भारी दायित्वों के निर्वाह में उनकी सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए एक दीर्घकालिक नीति की रूपरेखा तैयार करना है। इसका उद्देश्य उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना के तहत देश के विकास में पूरी भागीदार बनने में महिलाओं की सहायता करने का प्रयास किया गया है।

विकास प्रक्रिया में आर्थिक आयाम के अलावा और भी बहुत कुछ है। विकास की हमारी वर्तमान अवस्था में इस प्रक्रिया के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां हैं—पर्यावरण की रक्षा, संस्कृति की रक्षा तथा हमारे लोगों की भागीदारी।

पर्यावरण का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने और पारिस्थितिकी संतुलन को बेहतर ढंग से बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय वन नीति में काफी परिवर्तन किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम को सुदृढ़ बनाया गया है तथा जल प्रदूषण संबंधी कानून को अधिक कठोर बनाया गया है। गंगा कार्य योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गंगा की सफाई के लिए 262 योजनाएं मंजूर की हैं, जिन पर 256 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं में से 45 योजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। शेष योजनाएं तेजी से क्रियान्वित की जा रही हैं। खतरनाक रसायनों तथा उनके प्रतिष्ठापनों को विनियमित करने और रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाया गया है।

तेजी से हो रहे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की इस अवधि में हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य दांव पर हैं। हमारी मूल्य प्रणाली का मूल आधार करुणा, सहिष्णुता और जन-कल्याण हैं। हमारे सामने यह घोर संकट है कि कहीं इन मूल्यों की उपेक्षा कर इनका स्थान बेलगाम भौतिक लालसाएं न ले लें। हमारे उत्कृष्ट मूल्यों की रक्षा तथा राष्ट्रीय अखण्डता को बरकरार रखने, हमारी विविधता को सहज रूप में स्वीकार करने, विविधता में एकता बनाए रखने, बाहर के अच्छे सांस्कृतिक प्रभावों को ग्रहण करने और समन्वय के माध्यम से विकास के लिए संस्कृति सर्वाधिक प्रभावी साधनों में से एक साधन है। यही वे गुण हैं जिन्होंने हजारों वर्षो से हमारी सभ्यता को निरन्तर बनाए रखा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने परम्परागत, लोकमूलक और आदिवासी तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक ताने-बाने को संरक्षित रखें और उनका विकास करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो शानदार विरासत प्राप्त हुई है उसकी जानकारी हम सर्वसाधारण को दें और उनमें उसके प्रति एक अहसास पैदा करें। यही वे उद्देश्य और प्राथमिकताएं हैं जिन पर सरकार की सांस्कृतिक नीति आधारित है।

योजना प्रक्रिया में जन सामान्य के स्तर पर वास्तविक सहभागिता की बहुत अधिक आवश्यकता है। यही एक तरीका है जिससे स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय प्राथमिकताओं पर अपेक्षित बल दिया जा सकेगा। हमें अपने लोकतंत्र के तीसरे सोपान को मजबूत करना होगा ताकि गांव, तहसील और जिला स्तरों की प्रतिनिधि संस्थाएं विकास कार्यक्रमों की योजना बना सकें, उन्हें कार्यान्वित कर सकें और उनकी निगरानी कर सकें। इसलिए इस वर्ष सरकार के लिए मुख्य प्राथमिकता होगी पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्गठित कर उनकी शक्तियों और कार्यो को नया रूप देना। सरकार जनता को शक्तियां सौंपने के लिए एक बड़ा विधायी कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहती है।

अब हम आठवीं योजना तैयार कर रहे हैं। सरकार का यह प्रयास होगा कि योजना को जिला स्तर से, बल्कि उससे भी नीचे से शुरू कर राज्य योजना आयोगों और योजना भवन तक लाया जाए। इस योजना में हमने 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर का लक्ष्य रखा है। रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश के युवा वर्ग को उत्पादक काम और रोजगार मुहैया करने को हम सबसे अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। अतः इस प्रकार ही गरीबी और विकास की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। राष्ट्र-निर्माण के महान कार्य में युवाओं को शामिल करना ही इनका समाधान है।

जब हम आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर नजर डालते हैं तो स्थिति आशाजनक तो जरूर है परन्तु ऐसी नहीं कि हम संतुष्ट होकर बैठ जाएं। आईएनएफ संधि के रूप में परमाणु निःशस्त्रीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रमुख सैनिक शक्तियों के बीच बेहतर समझ इस बात से भी जाहिर होती है कि विश्व के अनेक

भागों में तनाव कम हुआ है। यहां तक कि ऐसी समस्याएं हल हुई हैं जो असाध्य प्रतीत होती थीं। टकराव के स्थान पर बातचीत को लगातार अधिक महत्व दिया जा रहा है यह संतोष की बात है कि इन रचनात्मक प्रवृत्तियों के पीछे गुट-निरपेक्षता, पंचशील और 1986 की दिल्ली घोषणा के सिद्धांतों का दार्शनिक आधार मौजूद है। फिर भी, समाधान ढूंढने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम पहले की अपेक्षा अधिक सुन्दर और अधिक लोकतांत्रिक विश्व के निर्माण में अपना सहयोग दें और संबंधित देशों के हितों को अनदेखा न किया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इस ऐतिहासिक घड़ी में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लिए यह लाजमी है कि वह निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की प्रक्रियाओं को उनके वास्तविक अर्थों में आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका अदा करे। 'एक्शन प्लान' में निर्धारित किया गया उद्देश्य, जिसे प्रधान मंत्री ने जून, 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया था, सभी परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने और परंपरागत शस्त्रों और सेनाओं को न्यूनतम सुरक्षा-स्तर तक लाने का होना चाहिए जिससे ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण हो सके जिसका मूलाधार अहिंसा हो।

हमारे क्षेत्र में दक्षेस के माध्यम से सहयोग की प्रक्रिया के ठोस परिणाम मिलने आरम्भ हो गए हैं। लोगों के बीच संपर्क सूत्रों का विस्तार आरम्भ हो गया है जिससे क्षेत्रीय सहयोग को एक जन आन्दोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। खाद्य संरक्षण और आतंकवाद के दमन के क्षेत्र में समझौते हुए हैं। वर्ष 1989 को नशीली दवाइयों के सेवन के विरुद्ध दक्षेस वर्ष घोषित किया गया है। नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार, इस क्षेत्र के देशों में इनको लाने-ले-जाने की कार्य प्रणाली के संबंध में जानकारी और नशीली दवाइयों के संबंध में परामर्श संबंधी विचारों के आदान-प्रदान में भी एक उपयोगी शुरुआत की गई है। पर्यावरण की सुरक्षा और दैवी आपदाओं के संबंध में कार्यवाही के लिए विस्तृत अध्ययन का कार्य आरंभ हो गया है। मूल आवश्यकताओं पर क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने से क्षेत्र की एक जैसी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिलेगी।

प्रधान मंत्री के हाल ही के चीन के दौरे के साथ हमने चीन के साथ अपने संबंधों में एक नई तथा सार्थक शुरुआत की है। चीनी नेताओं से हुए सद्भावपूर्ण और रचनात्मक विचार-विमर्श ने दोनों देशों के बीच स्थायी, शांतिपूर्ण एवं परस्पर लाभकारी संबंधों का रास्ता प्रशस्त किया है। यह क्षेत्रीय और विश्व शांति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि भारत और चीन दोनों मिलकर सम्पूर्ण मानव जाति का एक तिहाई हिस्सा हैं। आर्थिक संबंध, व्यापार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक संयुक्त ग्रुप बनाया जाना है। सीमा विवाद को उचित, तर्कसंगत और एक-दूसरे को स्वीकार्य तरीके से हल करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया जा रहा है। अपने द्विपक्षीय संबंधों में तथा एक नयी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण के लिए एक आधार के रूप में दोनों देशों ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों में अपनी आस्था पुनः व्यक्त की है।

हमने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का स्वागत किया है। तनाव कम करने और सहयोग बढ़ाने के लिए हम नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा रखते है। प्रधान मंत्री ने इस्लामाबाद की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री बेनजीर भुट्टो के साथ विस्तृत बातचीत की। इसके परिणामस्वरूप तीन करारों पर हस्ताक्षर हुए जिनसे परस्पर विश्वास बढ़ने और हमारे लोगों के बीच ज्यादा मेलजोल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हमने इस रचनात्मक बातचीत को आगे जारी रखना स्वीकार किया है।

भारत-श्रीलंका समझौते के प्रावधानों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जिससे श्रीलंका की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के दायरे के अन्दर तमिलों की न्यायोचित आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है। उत्तर-पूर्वी राज्य परिषद् के चुनाव कराए गए और अब वहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार कायम है। तमिल को राजभाषा बनाने और भारतीय मूल के राज्यहीन तमिलों की काफी समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए कानून बनाया गया है। राष्ट्रपति और संसद के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए हैं। स्थिति में सुधार होने के कारण हमने सेना की कुछ टुकड़ियां हटा ली हैं। हमारी सशस्त्र सेना ने जिस निष्ठा और बहादुरी से अपने कर्तव्यों का पालन किया है उसकी हम सराहना करते हैं।

हमारे पड़ोसी मित्र मालदीव को अपनी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र खतरे का सामना करना पड़ा। इस खतरे का मुकाबला करने मे मालदीव की सहायता के अनुरोध पर हमने तुरन्त कार्रवाई की।

सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को उनके साहसी एवं सूझबूझपूर्ण प्रयासों के लिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान किया है, इंदिरा गांधी शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और सोवियत संघ के संबंधों ने घनिष्ठता, व्यापकता और महत्व की नयी ऊंचाइयों को छू लिया है। सोवियत संघ से अपनी मित्रता को हम कितना महत्व देते हैं, यह दोनों देशों के नेताओं की अनेक यात्राओं से स्पष्ट है। राष्ट्रपति गोर्बाचोव के साथ अनेक विषयों पर प्रधान मंत्री द्वारा किए गए विचार-विमर्श ने दोनों देशों के बीच आपसी समझ को और सुदृढ़ किया है, परस्पर आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया है और भावी सहयोग को एक नई दिशा प्रदान की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का हमारा कार्यक्रम विशेष रूप से आशाजनक है। भारत उत्सव के समापन समारोह के अवसर पर मेरी सोवियत संघ यात्रा ने सोवियत नेताओं के साथ लाभदायक विचार-विमर्श का अवसर प्रदान किया। इन उत्सवों ने हमारे लोगों के बीच मित्रता, सद्भावना और आपसी समझ को बढ़ाया है।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे संबंधों में काफी सुधार हुआ है तथा तकनीकी आदान-प्रदान और परस्पर आर्थिक सहयोग के क्षेत्र का विस्तार हुआ है।

संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार में अब हमारा सबसे बड़ा सहभागी है और उच्च प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्रोत है। रचनात्मक संबंधों की स्थापना और एक-दूसरे के विचारों को समझने की आवश्यकता के प्रति दोनों देश पहले की अपेक्षा अधिक सचेत हैं।

अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी का काम पूरा हो गया है। समय का तकाज़ा है कि एक शांतिपूर्ण राजनीतिक समझौता सम्पन्न हो ताकि उस देश में और अधिक खून-खराबे को रोका जा सके और शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी हालात बनाए जा सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, अखण्डता और गुट-निरपेक्ष हैसियत सुनिश्चित करने के लिए जेनेवा समझौते का सभी संबंधित पक्षों द्वारा पालन किया जाए।

भारत उन पहले देशों में से है, जिन्होंने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को पूर्ण मान्यता प्रदान की है। अध्यक्ष यासर अराफात परामर्श के लिए दिल्ली आए थे। हमने संयुक्त राज्य अमरीका और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच बातचीत की शुरुआत का स्वागत किया है। हम आशा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में पश्चिम एशिया पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन शीघ्र बुलाना सम्भव होगा और उसमें सभी संबंधित पक्ष भाग ले सकेंगे।

कम्पूचिया की समस्या के समाधान में प्रगति होने के आसार हैं। हम सभी संबंधित पक्षों से संपर्क बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी नुयान वान लिन्ह से विस्तृत विचार-विमर्श किया था। हम ऐसा राजनीतिक हल तलाश करने के प्रयासों में सहायता करने के लिए तैयार हैं, जिससे कम्पूचिया की प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और गुट-निरपेक्षता सुनिश्चित हो सके।

नामीबिया के बारे में हुए समझौतों का हमने स्वागत किया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में रोड़े अटकाकर नामीबिया की आजादी के हस्तांतरण को विफल करने की प्रिटोरिया की किसी भी चाल को शुरू में ही नाकाम करना जरूरी है। रंगभेद समाप्त करने के लिए प्रिटोरिया पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव अवश्य बनाए रखा जाना चाहिए। फिजी में भी जातीय भेदभाव को जीवन-शैली का अंग बनाने के सभी प्रयासों का डटकर विरोध किया जाना चाहिए।

वर्ष के दौरान मैंने सोवियत संघ, मंगोलिया, नीदरलैंड, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, साइप्रस, भूटान और पाकिस्तान की यात्रा की। उप-राष्ट्रपति ने मारीशस, ट्रिनिदाद-टोबागो, गुयाना तथा सूरीनाम की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने जापान, वियतनाम, सीरिया, जर्मन संघीय गणराज्य, हंगरी, जोर्डन, युगोस्लाविया, स्पेन, तुर्की, चीन और पाकिस्तान की यात्रा की। इन यात्राओं से आपसी समझ और सहयोग बढ़ा है। हमारे यहां भी विदेशों के अनेक राजनेता आए। इनमें कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के प्रधानमंत्री सिंगापुर

के प्रधानमंत्री, जोर्डन के युवराज, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, मोजाम्बीक के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, नेपाल नरेश, कीनिया के राष्ट्रपति, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष, अंगोला के राष्ट्रपति, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, मारीशस के गवर्नर जनरल, कम्पूचिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के प्रधानमंत्री, स्वापो के अध्यक्ष, राष्ट्रपति गोर्बाचोव, मालदीव के राष्ट्रपति, माल्टा के प्रधान मंत्री, वियतनाम के साम्यवादी दल के महासचिव, फ्रांस के राष्ट्रपति और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल हैं।

हमारे आगे कठोर चुनौतियां और उत्साहपूर्ण अवसर हैं। आप जनता की इच्छा-शक्ति के मूर्त प्रतीक हैं। आप पर लोगों के स्वप्न को साकार करने की भारी जिम्मेदारी है। हम सामाजिक परिवर्तन के लिए एक ऐसा महानतम प्रयास कर रहे हैं जो मानव जाति के इतिहास में इस प्रकार का प्रथम प्रयास है। यह कार्य इतना महान है और कभी-कभी इतना हतोत्साह करने वाला है कि हम प्रायः यह सोचकर किंकर्तव्यविमूढ़ रह जाते हैं कि इस दिशा में कितना कुछ और किया जाना बाकी है। इस दिशा में हमारी जो उपलब्धियां हैं, कभी-कभी हम उनके महत्व को भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। इसके लिए एक संतुलित दृष्टि अपेक्षित है। पिछली अनेक शताब्दियों की तुलना में गत 40 वर्षों में अधिक विकास और अधिक सामाजिक न्याय हुआ है। हमारे लोग गरीबी की जंजीरों से मुक्त हो रहे हैं। इस गति को अभी और तेज करने की जरूरत है। हमारे युवाओं को अधिक व्यापक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इन अवसरों को अभी और तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। शताब्दियों से जो सामाजिक दमन और भेदभाव चले आ रहे हैं उनका अंत हो रहा है। इस प्रक्रिया को अभी और तेज करना होगा। हमें इसमें सफलता मिलेगी और शीघ्र ही मिलेगी, क्योंकि हमारी नींव ऐसे ठोस सिद्धांतों पर है, जो हमें अपनी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता से विरासत में मिले हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भट्ठी में तपकर खरे उतरे हैं और जिन्हें राष्ट्र-निर्माण के चालीस वर्षों में आजमाया और परखा गया है। यदि हम इन सिद्धांतों का सच्चाई से पालन करते रहेंगे और अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तो इस संक्रमण काल से नए भारत का अभ्युदय होगा और वह अपना ध्येय प्राप्त करने में सफल होगा।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 20 दिसम्बर 1989

लोक सभा	-	नौवीं लोक सभा
सत्र	-	नौवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री रवि राय

माननीय सदस्यगण,

लोक सभा के नौवें आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नई लोक सभा के सदस्यों को मैं बधाई देता हूं।

अभी-अभी जो आम चुनाव हुए हैं, उससे भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता का परिचय मिला है। जनता ने परिवर्तन के पक्ष में स्पष्ट निर्णय दिया है।

सरकार ने एक पखवाड़ा पहले ही कार्यभार सम्भाला है और वह जो विभिन्न नीतिगत पहल करना चाहती है और जिन पर बल देना चाहती है उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के काम में तत्परता से जुट गई है। मैं इस अभिभाषण में केवल उन्हीं व्यापक समस्याओं का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें सरकार सुलझाना चाहती है।

मेरी सरकार जनादेश को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार, राष्ट्र एवं व्यक्ति की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य करेगी। सरकार, शासन एवं विकास का ऐसा वैकल्पिक स्वरूप अपनाना चाहती है जो आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय के समाजवादी सिद्धांतों, संघवाद एवं विकेन्द्रीकरण, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा मानव अधिकारों पर आधारित हो। सरकार एक अन्तर-राज्यीय परिषद् स्थापित करने तथा योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कदम उठायेगी।

मेरी सरकार राष्ट्रीय सामंजस्य और आम सहमति की प्रक्रिया विकसित करके राष्ट्र की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। पिछले कुछ वर्षों में, हमने व्यापक हिंसा देखी है। अलगाववाद से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और उग्रवादियों के सामने झुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु निःसंदेह इस बात की पूरी जरूरत है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास किया जाए। सरकार राष्ट्रीय सहमति के लिए विभिन्न वर्गों के नेताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करेगी। 17 दिसम्बर, 1989 को हुई सर्वदलीय बैठक में इसकी शुरुआत हो चुकी है। रंगनाथ मिश्र जांच आयोग की रिपोर्ट पर शीघ्र कार्रवाई पूरी की जाएगी।

जम्मू और कश्मीर की स्थिति अत्यधिक नाजुक है और इससे गंभीर समस्याएं जुड़ी हुई हैं। देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के लोगों को, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में किसी से पीछे नहीं रहे हैं, राष्ट्र की प्रगति और विकास की प्रक्रिया में अपनी उचित भूमिका निभाने में समर्थ बनाया जाएगा। राज्य के लोगों की समस्याओं का शीघ्र और स्थायी समाधान खोज निकालने के लिए गहराई से विचार किया जाएगा। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर हमें तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हम इस क्षेत्र के शीघ्र आर्थिक विकास तथा बातचीत और विचार-विमर्श के जरिए असम सहित इस क्षेत्र की जनजातियों से सम्बद्ध मसलों को हल करने के लिए वचनबद्ध हैं।

हाल के महीनों में, देश को साम्प्रदायिक मसलों से उत्पन्न दंगों और हिंसा का सामना करना पड़ा है। धर्मनिरपेक्ष भारत ही हमारी भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय अखण्डता का आधार है। अहिंसा के अग्रदूत, महात्मा गांधी की भूमि पर हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। समय की मांग है कि मैत्री एवं सद्भाव का वातावरण बनाया जाए ताकि किसी प्रकार की साम्प्रदायिक फूट से बचा जा सके। सरकार राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बढ़ावा देने के अपने अनवरत प्रयत्नों में लोगों का सहयोग चाहती है। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् को पुनर्गठित किया जा रहा है और यह राष्ट्रीय हित के मामलों में कारगर पहल और पारस्परिक क्रियाकलापों के लिए मंच का काम करेगी।

स्वस्थ एवं जीवन्त लोकतंत्र का मुख्य आधार है लोकतंत्रीय संस्थाओं की पवित्रता एवं शक्ति। सरकार उन संस्थाओं की गरिमा और शक्ति को पुनः बहाल करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में कमजोर बना दिया गया है। जनता ही शक्ति का स्रोत है। यह अत्यावश्यक है कि लोगों को स्वयं अपने प्रशासन के बारे में अन्तिम निर्णय लेने का हक हो। मेरी सरकार राष्ट्रीय सहमति से पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति, कार्य और संसाधनों की वास्तविक सुपुर्दगी को बढ़ावा देगी ताकि विकास की प्रक्रिया में जनता की पूरी भागीदारी हो। सरकार राज्यों के सहयोग से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं का इन निकायों में समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। वास्तव में, इस संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत केन्द्र, राज्य, जिला और पंचायत स्तरों पर शासन व्यवस्था के संघीय ढांचे को मजबूत करना होगा।

स्वच्छ सार्वजनिक जीवन लोकतंत्र का मूल आधार है। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक जीवन के आदर्शों और मूल्यों में लगातार गिरावट आयी है। उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार के मामलों में कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। सरकार इस सत्र के दौरान लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक विधेयक पेश करेगी, जिसके अधिकार-क्षेत्र में प्रधान मंत्री को भी शामिल किया जायेगा।

मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि एक भागीदार लोकतंत्र को प्रबुद्ध और जानकार मतदाताओं की आवश्यकता होती है। इसका यह भी विश्वास है कि पूरी तरह से जनता के समक्ष सरकार के खुले तौर से काम करने से गलत कार्यों की संभावना बहुत कम रह जाएगी। शासकीय गोपनीयता अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाएगा ताकि लोगों को अधिकाधिक जानकारी मिल सके। दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी ताकि सूचना का निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। इस सत्र में इस आशय का एक विधेयक पेश किया जायेगा। संविधान के उनसठवें संशोधन को, जिससे नागरिक के जीवन अधिकार को भारी खतरा पहुंचा है, निरस्त किया जायेगा। डाक विधेयक को, जिससे नागरिकों के निजी जीवन के अधिकार में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई थी, वापस ले लिया जाएगा। इसी प्रकार, जांच आयोग अधिनियम के संशोधन के जरिए जनता और संसद से महत्वपूर्ण सूचना छिपाने की जो कोशिश की गई थी, उसे कानून की पुस्तक से हटा दिया जाएगा। मेरी सरकार संविधान का संशोधन करके, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सामाजिक और आर्थिक अन्याय के शिकार अभी भी बने हुए हैं। सरकार का प्रमुख उद्देश्य उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होगा ताकि वे अपना जीवन गरिमा और सम्मान से व्यतीत कर सकें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधान-मण्डलों में आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया जायेगा।

सरकार मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए समुचित कदम उठायेगी।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं, विशेष रूप से समान रैंक के लिए समान पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार प्रदान करने संबंधी उनकी मांग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

सरकार इस बात की पूरी गारंटी देगी की अल्पसंख्यक निर्भय होकर जीवन व्यतीत करें और राष्ट्र की प्रगति में समान भागीदार बनें।

संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा दिया गया है। लेकिन महिलाओं को भेदभाव और अपमान अब भी झेलना पड़ रहा है। मेरी सरकार महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए सभी कदम उठायेगी।

राष्ट्र की प्रगति में युवकों की विशेष भूमिका होती है। उनकी विशाल शक्ति को एकजुट करके उसे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगाना है। वे परिवर्तन के अग्रदूत हैं और उन्हें ही एक नए और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला रखनी है। सरकार ऐसे कदम उठायेगी जिनसे युवाशक्ति का इस्तेमाल करने में मदद मिले ताकि सामाजिक शक्तियों को समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रवर्तित किया जा सके। शिक्षा प्रणाली में इस तरह सुधार किया जायेगा कि इससे नई पीढ़ी की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

इस सरकार का यह प्रयास होगा कि राष्ट्रीय विकास के लिए हमारे अन्य प्रयत्नों के साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का एकीकरण सुनिश्चित किया जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि का उत्पादन बढ़ाने और प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकें, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके और सबसे निचले स्तर पर लोगों को सामान्यत: लाभ मिल सके।

सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने को प्राथमिकता देगी। यह समुचित रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि प्रत्येक नागरिक को काम का अधिकार मिले जिससे वह राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सके।

आर्थिक मोर्चे पर स्थिति चिन्ताजनक है। अनियंत्रित सरकारी व्यय और उसके परिणामत: धन की आपूर्ति तथा काले धन में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की समस्या और भी भयंकर हो गई है। आर्थिक असंतुलन बजट में भारी घाटे के रूप में दिखाई दिया है। भुगतान-शेष पर काफी दबाव बना हुआ है।

सरकार, मुद्रास्फीति के दबावों पर काबू पाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हाल के महीनों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। इससे गरीब तथा साधनहीन लोग और गरीब हो गए हैं। सरकार मुद्रास्फीति की समस्या को सुलझाने के लिए हर सम्भव उपाय करना चाहती है।

घाटे की वित्त व्यवस्था अत्यधिक नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है। अनावश्यक सरकारी खर्च को कम करने के उपाय किये जायेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में बाह्य और आन्तरिक स्थिरता पुन: लाने के लिए सरकारी खर्च और घाटे पर प्रभावी नियंत्रण अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।

कई मध्यकालिक कारणों से भुगतान-शेष पर दबाव पड़ा है। आयात की व्यवस्था करके और निर्यात को बढ़ावा देकर बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार एक कार्य योजना तैयार करेगी जिसका उद्देश्य हमारी बाह्य अदायगी की स्थिति के असंतुलन को ठीक करना होगा।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जायेगा और उस पर कड़ी नज़र रखी

जायेगी। आम खपत की चीजों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये चीजें समाज के कमजोर वर्गों की पहुंच के अन्दर हों।

राष्ट्र अभी भी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक असमानतायें बढ़ी हैं। विकास का लाभ सही वर्गों के लोगों को समान रूप से नहीं मिल पाया है। सरकार इस असंतुलन को ठीक करने तथा विकास के लाभों को समाज के निर्धन वर्गों तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। गरीबों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जायेगा और खासतौर पर सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम चलायेगी जिससे सभी गांवों को पीने का पानी मिल सके।

हमारे अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से मानव तथा अन्य संसाधनों का पलायन हुआ है। इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। सरकारी निवेश परिव्यय के एक महत्वपूर्ण भाग को ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मोड़ना होगा। सरकार की नीतियों को गरीबों तथा मजदूरों के लिए बनाना होगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि कृषि क्षेत्र के संबंध में व्यापार की शर्तों में सुधार हो तथा किसानों को अपनी उपज के लिए लाभकारी कीमतें मिलें। सरकार सीमांत किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, दस्तकारों और बुनकरों को 10,000 रुपए से कम के ऋणों में राहत देने के लिए समुचित कदम उठाएगी। मेरी सरकार भूमि तथा जल जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण करने के लिए विद्यमान कानूनों में संशोधन करेगी और खेत जोतने वाले को ही खेत का मालिक बनाएगी। भूमि सुधार संबंधी सभी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

मेरी सरकार औद्योगिक विकास को इस प्रकार बढ़ावा देगी कि रोजगार के अवसर अधिकतम बढ़ें। लघु उद्योगों, कृषि संसाधन उद्योगों तथा ग्रामीण दस्तकारों की दस्तकारी पर आधारित उद्योगों और महिलाओं एवं ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से लाभदायक ग्रामीण उद्योगों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपेगी तथा उन्हें सब प्रकार से मदद देगी। सार्वजनिक क्षेत्र को सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि उत्पादित अतिरिक्त माल को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि भावी विस्तार के लिए या विकास कार्यकलापों में उपयोग के लिए उनका पुनः निवेश किया जा सके। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को प्रभावी बनाया जायेगा ताकि उत्पादकता और औद्योगिक शांति का वातावरण तैयार किया जा सके।

पर्यावरण की अधोगति और इसके फलस्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधन आधार के अपक्षय को रोकने के लिए सरकार राज्य नीति के अंतर्गत जिन विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी उनमें पर्यावरण का संरक्षण भी शामिल होगा। बायोमास के पुनः सृजन संबंधी कार्यक्रमों पर पूरा जोर दिया जाएगा।

मेरी सरकार की विदेश नीति का मूलाधार वे आदर्श और सिद्धांत हैं जिनसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली थी। यह गुट-निरपेक्षता के प्रति हमारी दृढ़ आस्था के जरिए तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव और सभी प्रकार के आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध हमारे संघर्ष द्वारा परिलक्षित हुआ है। तेजी से बदलता हुआ अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण, भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों प्रदान करता है जिससे राष्ट्रीय सहमति को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता सिद्ध होती है।

मेरी सरकार दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने और पुनः सुदृढ़ करने तथा सार्क की संरचना के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया में नये सिरे से गतिशीलता लाने को महत्व देती है। सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ अनसुलझे द्विपक्षीय मसलों को सुलझाने का हर सम्भव प्रयत्न करेगी जोकि हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा। सरकार इस क्षेत्र में स्थायित्व, विश्वास और सहयोगात्मक प्रयास के एक नये युग में प्रवेश करने के लिए और आगे प्रयास करेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, श्रीलंका सरकार के साथ पहले ही बातचीत शुरू हो चुकी है।

मेरी सरकार भारत और चीन के बीच सद्भाव एवं सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को जारी रखेगी। आशा है कि सीमा के सवाल को हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप उचित और तर्कसंगत तरीके से सुलझाया जा सकता है।

मेरी सरकार सोवियत संघ के साथ अपनी परम्परागत मैत्री को और मजबूत बनायेगी; संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रचनात्मक एवं सहयोगात्मक संबंधों को नई दिशा प्रदान करेगी; और जापान तथा यूरोपीय समुदाय के साथ आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करेगी।

मेरी सरकार शांतिपूर्ण पश्चिम एशिया में अपने देश को प्राप्त करने के फिलिस्तीनी लोगों के अदेय अधिकारों को स्वीकार करती है। इस दिशा में सरकार का समर्थन और एकजुटता हमेशा उपलब्ध रहेगी। मेरी सरकार का यह भी प्रयास रहेगा कि जातीय पृथग्वासन को समाप्त करने के उद्देश्य से बातचीत शीघ्र शुरू करने के लिए प्रिटोरिया शासन पर दबाव जारी रखा जाए। संयुक्त लोकतांत्रिक और जातीय भेदभाव रहित दक्षिण अफ्रीका का अभ्युदय ही हमारा लक्ष्य है।

माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र थोड़े समय के लिए है। लेकिन यह अपने महत्व की दृष्टि से ऐतिहासिक है और नौवीं लोक सभा के गठन के तुरंत बाद बुलाया गया है, ताकि संसद के समक्ष नई कार्यसूची प्रस्तुत की जा सके।

मैं आपके प्रयासों की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 12 मार्च 1990

लोक सभा	-	नौवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री रवि राय

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1990 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्ता हो रही है। आपके सामने बजट और विधान कार्य हैं उनकी सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

हाल में नौ राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभाओं के लिए जो निर्वाचन हुए हैं, उनसे गत लोक सभा निर्वाचनों में परिवर्तन के पक्ष में जनता के निर्णय की सामान्यतः पुनः पुष्टि हुई है।

मेरी सरकार ने केवल सौ दिन पहले कार्यभार सम्भाला है। इस छोटे अर्से में, इसने बहुत से क्षेत्रों में जो वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए पहले ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी जनता ने जो अटूट विश्वास व्यक्त किया है, उसके अनुकुल मेरी सरकार कार्य कर रही है।

पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर की जो हालत बिगड़ी थी, वह अभी भी गम्भीर बनी हुई है। सरकार ने इस बात पर चिन्ता जाहिर की है कि बाहरी ताकतों ने आतंकवाद को प्रोत्साहन देने, इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप देने और सीमा पर सुनियोजित ढंग से घुसपैठ कराने का प्रयास किया है। मेरी सरकार ने इन ताकतों के विरुद्ध दृढ़ता से काम लिया है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मेरी सरकार आन्तरिक मामलों में दूसरों का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्य सरकार आतंकवाद और अलगाववाद पर काबू पाने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए

सभी संभव उपाय कर रही है। मेरी सरकार सभी जायज शिकायतों को दूर करने तथा राज्य में विकास संबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए ठोस उपाय करेगी।

सरकार पंजाब में शांति स्थापित करने तथा राज्य के लोगों में विश्वास की भावना जगाने को उच्च प्राथमिकता देती है। ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनमें जनता के सभी वर्गों को शामिल किया जाए और आम सहमति तथा मेल-मिलाप की भावना से इस समस्या का हल ढूंढा जाए। राज्य प्रशासन दृढ़ और निष्पक्ष रहेगा और आतंकवाद तथा अलगाववाद के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने 59वें संविधान संशोधन को निरस्त करने का वचन पूरा कर दिया है जिसमें केवल इस राज्य पर आपात स्थिति लागू करने का विशेष प्रावधान था। मेरी सरकार सभी का सहयोग चाहती है ताकि इस राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पुनः बहाल करने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा की जा सके।

हमें अपने राष्ट्रवाद के धर्मनिरपेक्ष आधार पर गर्व है। सरकार धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत करने के लिए उपाय कर रही है। राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन किया गया है और जल्द ही इसकी बैठक होगी।

सरकार ने जबसे सत्ता संभाली है तबसे साम्प्रदायिक स्थिति में प्रत्यक्षतः सुधार हुआ है। मेरी सरकार ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए नए सिरे से पहल की है। इस संवेदनशील मामले का हल बातचीत तथा आम सहमति से ही निकाला जाना चाहिए। सरकार ने स्वीकार्य हल निकालने के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया है।

सरकार ने 1984 में दिल्ली और 1989 में भागलपुर में हुए दंगों से पीड़ित लोगों सहित, साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत देने और उन्हें फिर से बसाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली और मेरठ में विशेष अदालतों का गठन किया गया है। बिहार सरकार को भागलपुर में हुए दंगों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करने के लिए कहा गया है। अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर पूरी नजर रखे हुए है। एक पैनल गठित किया गया है जो उर्दू के विकास के संबंध में गुजरात समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सुझाव देगा।

राष्ट्र की अखण्डता को मजबूती प्रदान करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि केन्द्र और राज्य मिलकर सहयोग, सद्भाव और सौहार्द की भावना से काम करें। केन्द्र-राज्य के बीच मधुर संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् गठित करने का निर्णय लिया है। परिषद् की पहली बैठक जल्दी ही बुलाई जाएगी।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुकूल दीर्घकालिक नीतियों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन किया जाए।

मेरी सरकार जनता को यह आश्वासन देना चाहेगी कि हमारी रक्षा संबंधी तैयारियों में कोई कमी नहीं है और सशस्त्र सेनाओं का मनोबल ऊंचा है। हम किसी भी प्रकार के बाहरी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए "समान रैंक के लिए समान पेंशन" के प्रस्ताव के प्रति अपनी वचनबद्धता को कार्यान्वित करने के तरीकों की जांच कर रही है।

राष्ट्र और व्यक्ति की गरिमा वास्तव में सशक्त और गतिशील लोकतांत्रिक संस्थाओं में निहित है। ये हमारे सार्वजनिक जीवन के कुछ ठोस और स्थायी मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। मेरी सरकार उन प्रवृत्तियों से संघर्ष करेगी, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं से उनका स्थायित्व और शक्ति छीन ली है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि हमारी निर्वाचन पद्धति, धन और बाहुबल के प्रभाव से मुक्त रहे। चुनाव सुधारों पर एक समिति गठित कर ली गई है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रख्यात व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। "लोकपाल" संस्था बनाने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है। यहां तक कि देश के उच्चतम राजनीतिक पदों, जिनमें प्रधान मंत्री का पद भी शामिल है, को भी "लोकपाल" के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जायेगा। सरकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने के लिए एक उच्च-स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन करने के लिये उपयुक्त विधान प्रस्तुत करेगी। मैंने, संसद को डाकघर (संशोधन) विधेयक पर पुन: विचार करने को भी कहा है। इस विधेयक से लोग काफी चिन्तित थे कि इससे नागरिकों के गोपनीयता अधिकार में गंभीर हस्तक्षेप होगा।

एक स्वतंत्र सूचना माध्यम, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शक्ति और स्थायित्व प्रदान करता है। मेरी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वायत्तता मंजूर करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। संसद के पिछले सत्र में "प्रसार भारती विधेयक" प्रस्तुत किया गया था। सरकार प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। लोगों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे और सरकारी गोपनीयता अधिनियम में संशोधन के लिए विधान प्रस्तुत किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था के लिए 1989-90 का वर्ष एक कठिन वर्ष रहा है। पिछले वर्ष की वृद्धि की तुलना में कृषि एवं उद्योग दोनों में उत्पादन की वृद्धि कम रही है। औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से मन्दी अधिक रही, प्रथम छह महीनों में औद्योगिक उत्पादन में केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हो पायी। वृद्धि में कमी के साथ-साथ, पिछले कुछ वर्षों में व्यापक आर्थिक असन्तुलन और भी बढ़ गया है।

वर्ष 1989-90 के दौरान बजट की स्थिति में अत्यधिक गिरावट आयी। जब नई सरकार ने सत्ता संभाली तो बजट का घाटा 13,790 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था। 1989 में कीमतों पर काफी दबाव पड़ा जबकि अच्छी फसल का यह दूसरा वर्ष था। भुगतान शेष में, जिस पर पहले ही वर्ष 1988-89 में दबाव था, वर्ष 1989-90 में काफी वित्तीय अन्तर बना रहा। बाहरी ऋण स्थिति और खराब हो गई।

कार्यभार संभालने के दिन से ही मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार को उच्चतम प्राथमिकता दी है। चावल की खरीद 93.2 लाख मीट्रिक टन के नए कीर्तिमान तक पहुंच गई है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का भंडार बढ़ा दिया गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 83.4 लाख मीट्रिक टन की तुलना में अब 116.7 लाख मीट्रिक टन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने तथा इस प्रणाली की कार्य पद्धति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले तीन महीनों में, जब से नई सरकार ने कार्यभार संभाला है—चावल, चीनी और चाय जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में पहले जो तेजी से वृद्धि हुई थी उनमें अब कमी के संकेत हैं। लेकिन सरकार को यह अच्छी तरह पता है कि मूल्य स्थिति कुल मिलाकर कठिन बनी हुई है। मूल्य स्थिति के क्षेत्र में किसी तरह की ढील नहीं दी जायेगी और आर्थिक प्रबंध में मुद्रास्फीति के नियंत्रण को हम प्रथम वरीयता देते रहेंगे।

भुगतान शेष की समस्या पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समस्या देश के सामने मूल रूप से राजकोषीय संकट का द्योतक है और इस समस्या के समाधान के लिए राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इस बात की काफी गुंजाइश है कि आयात करने की बजाय हम उन चीजों का उत्पादन खुद करें और ऐसी बहुत सी जिन्सों की खपत को कम करें, जिनके लिए आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। लेकिन विदेशों को किए जाने वाले भुगतान की कठिनाई के संबंध में हमारा स्थायी समाधान यही होगा कि हम अपने निर्यात संबंधी प्रयासों को अधिक मजबूती दें। चालू वर्ष में आयात की तुलना में निर्यात में तेजी से वृद्धि के निश्चित संकेत हैं। हमें अपने निर्यात अभियान में तीव्रता लाने के लिए लगातार एक सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास करना होगा। आर्थिक प्रबंध की नीति में निर्यात में तेजी से वृद्धि, विशेषतः देश में अधिक मूल्य वर्धित माल के निर्यात को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। निर्यात में तेजी से वृद्धि करने के साथ-साथ कुशल आयात प्रतिस्थापन से यह सुनिश्चित होगा कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर विकास के पथ पर अग्रसर है। एक नई त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति अप्रैल में प्रारम्भ की जा रही है, जिनसे अनावश्यक विलम्ब होता है और भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। इस नीति में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जायेंगे।

योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है और इसने आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रस्ताव को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा और राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य होगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, गरीबी दूर करने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे असंतुलन को समाप्त करने के महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर विशेष ध्यान रखते हुए तीव्र गति से विकास सुनिश्चित करना। आठवीं योजना की मुख्य विशेषता होगी, संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन लाना जिससे योजना का विकेन्द्रीकरण तथा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

हमारे किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। उनकी उन्नति एवं खुशहाली से ही भारत शक्तिशाली और समृद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्र की आय में निरंतर वृद्धि औद्योगीकरण की सफलता की एक शर्त है। सरकार कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा उनकी बुनियादी आर्थिक और सामाजिक जरूरतों की ओर विशेष ध्यान देगी। हमारा उद्देश्य होगा प्रमुख फसलों की पैदावार में विशेष रूप से बारानी और शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में काफी अधिक वृद्धि करना। सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और इसके साथ-साथ विपणन सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, सरकार उत्पादन लागत निर्धारित करने के सूत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगी, ताकि सभी लागतों का पूरा हिसाब-किताब रखा जा सके। इस नई पद्धति को आगामी खरीफ मौसम के लिए घोषित किए जाने वाले समर्थन मूल्यों में प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार कृषि संबंधी नीतियां तैयार करते समय भी किसान समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, एक स्थायी कृषि समिति का गठन किया गया है, जिसमें किसान समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सरकार वास्तविक पंचायती राज प्रणाली के प्रति वचनबद्ध है, ताकि ग्रामीण जनता योजना एवं विकास कार्य में पूर्ण रूप से भाग ले सके। इस संबंध में विशेष प्रस्तावों और नगर निकायों से संबंधित प्रस्तावों को अन्तर्राज्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

हमारी कृषि नीति के लिए जल संसाधनों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी सरकार इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देगी। सरकार, अन्तर्राज्यीय जल-विवादों को संबंधित राज्यों के साथ बातचीत और आपसी समझौते के जरिए सुलझाने के लिए भी कृतसंकल्प है।

कृषि क्षेत्र की खुशहाली को कृषि संबंधी और अन्य ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण कार्यों से अलग नहीं किया जा सकता। श्रमिकों का यह इतना बड़ा वर्ग अभी तक असंगठित और शोषित है। मेरी सरकार उन्हें उचित मजदूरी और ग्रामीण विकास कार्यों में व्यापक हिस्सेदारी देने की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। कमजोर वर्ग के प्रति हमारी जो वचनबद्धता है उसे शीघ्र पूरा करने के लिए भूमि सुधार संबंधी कुछ और कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है ताकि निहित स्वार्थ रखने वालों से उनके हितों की रक्षा की जा सके। सरकार छोटे किसानों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और

बुनकरों के लिए 10,000 रुपये तक के कर्जों में राहत देने की योजना को भी आरंभ करना चाहती है। इस संबंध में एक विस्तृत योजना की घोषणा इसी सत्र में की जायेगी।

कृषि विकास में तेजी लाने के प्रयासों के साथ-साथ औद्योगिक विकास की गति में भी तेजी लाई जायेगी। मेरी सरकार की औद्योगिक नीतियां इस तरह की होंगी कि वृद्धि, उत्पादक रोजगार के विस्तार और संतुलित क्षेत्रीय विकास संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। औद्योगिक क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए यह जरूरी है कि उत्पादकता में लगातार वृद्धि और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण हो। हमारे उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतियोगी बनाया जाना चाहिए ताकि निर्यात निष्पादन में सतत विकास के लिए आधार प्रदान किया जा सके। मेरी सरकार देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। स्थानीय संसाधनों और कौशल को काम में लाने तथा लाभकारी रोजगार के सृजन कार्य को सुविधामय बनाने के लिए लघु स्तरीय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लघु उद्योग एवं कृषि व ग्रामीण उद्योग नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया है।

मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व देती है। इस क्षेत्र की उत्पादकता और निवेश योग्य संसाधनों के समुचित उत्पादन की इसकी क्षमता हमारे आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करने और अनुकूल स्थिति पैदा करने के लिए वचनबद्ध है ताकि इस क्षेत्र की अधिकांश जनता के प्रति जवाबदेही हो और यह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके। मेरी सरकार इस वर्ष सरकारी क्षेत्र के संबंध में श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और अपनी जनता के विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने संबंधी हमारे प्रयासों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी निवेशों का प्रयोग रोजगार में वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष अनुसंधान, उन्नत सामग्रियों और जैव-प्रौद्योगिकी आदि में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं और इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयासों को सरकार की ओर से हर तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे विकास को मजबूती प्रदान करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और उन्हें हमारा पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। देशी प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम में उल्लेखनीय उपलब्धियां उनके समर्पित व प्रशंसनीय प्रयासों का ही परिणाम है और हमारे प्रौद्योगिक विकास की ऐतिहासिक घटनाएं हैं।

परिसम्पत्तियों के उत्पादन में श्रमिकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है किन्तु फिर भी उनके हितों की प्राय: पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं की जाती है। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से यह समस्या हल की जा सकती है और हम अधिक उत्पादकता का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून पर विचार किया जा रहा है।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगी कि सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार दिलाया जाए जिससे वे अपनी जीविका कमा सकें और राष्ट्र निर्माण के कार्य में भागीदार हो सकें। सरकार एक संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी जिससे काम करने के अधिकार को संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जा सके।

सतत विकास के लिए पर्यावरण की रक्षा करना अनिवार्य है। वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते समय विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। जनजातियों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

भोपाल गैस त्रासदी की स्मृति अभी भी ताजी है। इससे पीड़ित लोगों को राहत तथा मदद देने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। मेरी सरकार भोपाल में 36 प्रभावित नगर वार्डों में रहने वाले गैस पीड़ितों को अंतरिम राहत देने के निर्णय की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इस संबंध में दी जाने वाली अन्तरिम राहत की राशि 360 करोड़ रुपये है। विभिन्न सामाजिक कार्य ग्रुपों ने भोपाल गैस पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिलाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। मेरी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष उनकी याचिकाओं का समर्थन किया है और वह समुचित मुआवजा दिए जाने के लिए न्यायालय में उनके मुकदमें पर आगे कार्रवाई करेगी। सरकार ऐसा कानून भी बनाएगी जिसमें खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करने वाली फैक्टरियों तथा संस्थानों के लिए न्यूनतम क्षतिपूर्ति बीमा कराना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इन संयंत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार निर्दोष लोगों को तत्काल राहत दी जाए।

हमारी जनसंख्या का एक चौथाई भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। हम जब तक उन्हें सम्मान से नहीं जीने देंगे, तब तक हमारे राष्ट्र की वास्तविक रूप से उन्नति नहीं हो सकती। मेरी सरकार ऐसे आर्थिक तथा सामाजिक अन्यायों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोग सहते आ रहे हैं, दूर करने के लिए निश्चित रचनात्मक कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध है। इस संबंध में शुरुआत हो गई है और पहले ही कई ठोस उपाय कर दिए गए हैं। लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले 10 वर्ष तक आरक्षण बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया है। उन पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए जो कानून 1989 में पारित किया गया था परन्तु लागू नहीं हुआ था, उसे 30 जनवरी, 1990 से लागू कर दिया गया है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को वही सुविधाएं देकर उनकी चिरकालिक तथा न्यायोचित आकांक्षाएं पूरी करने का निर्णय लिया गया है, जो अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाती हैं। इस निर्णय को लागू करने के लिए संसद के इस सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। हमारे लिए अन्य पिछड़े वर्ग विशेष चिन्ता का एक और

विषय है और मण्डल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए मंत्रिमण्डल की एक समिति गठित की गई है।

हमारे समाज का एक वर्ग अत्यधिक भेदभाव का सामना कर रहा है यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है, इसे दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सफाई वालों के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसर ढूंढ़ने के कार्यक्रम में तेजी लायी जाए।

विकलांगों के कल्याण की ओर मेरी सरकार का विशेष ध्यान है और उसका प्रस्ताव है कि विकलांगों के पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों को नई दिशा दी जाए।

भारतीय समाज में महिलाओं को बहुत कम अधिकार मिले हुए हैं। संवैधानिक समानता का अधिकार प्राप्त होने पर भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का आधार कानून की दृष्टि से और दैनिक जीवन में महिलाओं की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना तथा उन्हें समानता प्रदान करना होगा। सरकार महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है।

समाज में परिवर्तन लाने के लिए युवावर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार हमारे युवावर्ग से संबंधित विषयों तथा उनकी आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। हम अपने युवावर्ग से वास्तविक समानता तथा सामाजिक न्याय पर आधारित नए भारत का निर्माण करने की आशा करते हैं। युवावर्ग के प्रति समाज का विशेष दायित्व है। अत: उनको इस संबंध में यथासंभव अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं। हम अपनी युवा संबंधी नीतियों को नया रूप देंगे ताकि उन्हें ग्रामीण युवावर्ग की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकूल बनाया जा सके। सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवावर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा की ऊपरी आयु सीमा 26 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी है।

जनता के पूर्ण विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। लेकिन सबको साक्षर बनाने के अपने लक्ष्य से हम अभी बहुत दूर हैं। मेरी सरकार ने शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए कदम उठाए हैं, ताकि इसे हमारी जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके और सबको समान अवसर प्रदान किए जा सकें।

सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकता है। सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के निवारक और संवर्धनकारी पहलुओं पर और अधिक बल दिया जाएगा। हमारे आर्थिक लाभों और उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाने तथा हमारी जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। ऐसे ठोस कदम उठाना आवश्यक है जिससे इस क्षेत्र को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता परिलक्षित हो। इसके लिए राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है।

हमारी विदेश नीति का आधार है गुट-निरपेक्षता के प्रति हमारी वचनबद्धता, और आधिपत्य, शोषण तथा युद्ध रहित शांतिपूर्ण विश्व की हमारी आकांक्षाएं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारी परिवर्तन हो रहे हैं और संघर्ष और टकराव का स्थान सहयोग और सहमति ले रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने, शांति को सुदृढ़ करने, जातीय भेदभाव को दूर करने, पर्यावरण की सुरक्षा करने और अधिक न्यायोचित विश्व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए विश्वव्यापी सहयोग के प्रयासों में हम अपना योगदान देना जारी रखेंगे।

मेरी सरकार पड़ोसियों से संबंधों को फिर से मजबूत बनाने को उच्च प्राथमिकता देती है और उसी के अनुरूप हमने अनसुलझी समस्याओं का परस्पर स्वीकार्य हल खोजने, अपनी मित्रता को सुदृढ़ करने और हमारे सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए और गहराई से बातचीत के लिए पहल की है। इन प्रयासों के परिणाम सामने आ रहे हैं।

भूटान नरेश की दो बार भारत यात्रा और व्यापार और वाणिज्य के नए समझौते से भूटान के साथ हमारे पारंपरिक घनिष्ठ संबंधों में और मजबूती प्रदर्शित होती है।

हाल ही में विदेश मंत्री की बांग्लादेश की यात्रा से, उस देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हुए हैं।

भारत-मालदीव संयुक्त आयोग की पहली बैठक माले में आयोजित करने से मालदीव के साथ हमारे अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध और भी प्रगाढ़ हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति इस माह भारत की सरकारी यात्रा पर आएंगे।

मेरी सरकार ने नेपाल के साथ अपनी सभी अनसुलझी समस्याओं के व्यापक समाधान के लिए शुरू में ही पहल की है। हाल ही में विदेश मंत्रियों के स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर की गई वार्ताओं के परिणामस्वरूप परस्पर हितों और समस्याओं के बारे में आपसी समझ और बढ़ी है। नेपाल की जनता के साथ हमारे घनिष्ठ और पुराने संबंधों में और मजबूती आएगी।

हमारी अधिकांश शांति सेना श्रीलंका से लौट आयी है और हम आशा करते हैं कि इस महीने के अंत तक शेष सेना की वापसी का काम भी विभिन्न चरणों में पूरा हो जाएगा। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने कठिन परिस्थितियों में अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। मैं, राष्ट्र की ओर से, अपनी सशस्त्र सेनाओं की वीरता, समर्पण की भावना और अनुशासन तथा उनके बलिदानों की प्रशंसा करना चाहूंगा। भारत, श्रीलंका की एकता और अखंडता का समर्थन करता है। हम, श्रीलंका सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह भारत-श्रीलंका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरी तरह निभाएगी और अपनी तमिल-भाषी जनता की सुरक्षा, संरक्षा और उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार का विश्वास है कि ऐसा करना श्रीलंका में शांति,

श्रीलंका की जनता के सभी वर्गों में आपसी मेल-मिलाप और इस क्षेत्र में स्थिरता के हित में होगा।

दुर्भाग्य से, पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवादी और अलगाववादी शक्तियों को निरन्तर बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में तनाव आ गया है। मेरी सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम अपने आंतरिक मामलों में इस प्रकार के हस्तक्षेप को सहन नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तान सरकार पर उस शिमला समझौते का पूर्णरूप से पालन करने की आवश्यकता के लिए जोर डाला है, जिससे शांति बनाए रखने और हमारे संबंधों को स्थायी आयाम प्रदान करने में सहायता मिली है। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी समझदारीपूर्ण राय बनेगी जिससे शांति बनी रहेगी और हमें इस देश के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में सहायता मिलेगी।

हमारा विश्वास है कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच संबंधों को बातचीत, खुलेपन और सहयोग की सार्वभौमिक प्रवृत्तियों के अनुरूप बनाये रखा जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में दक्षेस ने महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा प्रदान किया है। अपने क्षेत्र की जनता की सम्पूर्ण भलाई के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु हम दक्षेस के क्रियाकलापों का विस्तार करने की आशा करते हैं।

हम अफगानिस्तान के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बहुत अधिक महत्व देते हैं और इन संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जेनेवा समझौते को सख्ती से लागू कर अफगानिस्तान में हो रहे खून-खराबे को तुरन्त रोका जाएगा और स्वयं अफगानों द्वारा एक राजनैतिक समाधान ढूंढ़ा जाएगा जिससे संप्रभुतासंपन्न, स्वतंत्र और गुट-निरपेक्ष देश के रूप में अफगानिस्तान की रक्षा हो सके।

सोवियत संघ के साथ हमारी समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली व निरन्तर प्रगाढ़ होती गई मित्रता और बहुमुखी सहयोग-भावना में लगातार मजबूती आयी है। हमारे संबंध शांति, मैत्री और सहयोग संबंधी भारत-सोवियत संधि पर अच्छी तरह आधारित हैं। नाभिकीय हथियारों से मुक्त और अहिंसात्मक विश्व की कल्पना में सोवियत संघ के साथ हमारा घनिष्ठ विचार सामंजस्य परिलक्षित होता है।

अमरीका के साथ हमारे संबंध निरंतर सुधर रहे हैं और उनमें विविधता आ रही है। अमरीका इस समय व्यापार में हमारा प्रमुख भागीदार और उच्च प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न देशों में हमारे बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंध, हमारे दोनों लोकतांत्रिक देशों के साझे उद्देश्यों और दीर्घकालिक हितों की आपसी समझ में अधिक परिपक्वता को परिलक्षित करते हैं।

भारत और चीन के बीच राजनयिक विचार-विनिमय की गति को बढ़ाया जा रहा है, जिससे एक-दूसरे के हित में पंचशील पर आधारित सहयोग को बढ़ावा मिला है। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए चीन के विदेश मंत्री शीघ्र ही भारत आ रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सीमा-विवाद का उचित, तर्कसंगत और एक-दूसरे को स्वीकार्य समाधान ढूंढ़ने का अपना प्रयास जारी रखेंगे।

हम आशा करते हैं कि कंबोडिया में संघर्ष शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। एक ऐसा व्यापक समाधान होना चाहिए जो कंबोडिया की संप्रभुता और अखंडता के प्रति पूर्ण सम्मान पर आधारित हो तथा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अभी हाल की जन-संहारक नीतियों की पुनरावृत्ति न हो पाये।

यह बड़े संतोष की बात है कि नामीबिया की स्वतंत्रता के साथ ही अफ्रीका में उपनिवेशवाद का अंतिम दुर्ग अन्ततः ध्वस्त हो जाएगा। हमारे प्रधान मंत्री अगले सप्ताह नामीबिया में होने वाले स्वतंत्रता समारोहों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में भी परिवर्तन के उत्साहवर्धक संकेत हैं। रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक, श्री नेल्सन मंडेला के रिहा होने की विश्वव्यापी खुशी में हम भी शरीक हैं और हम उनकी भारत-यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री मंडेला के स्वागत के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति बना दी गई है। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीका के शासन पर बराबर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना आवश्यक है ताकि रंगभेद को शीघ्र ही समाप्त किया जा सके।

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम साहसी फिलिस्तीनियों को शांतिपूर्ण पश्चिम एशिया में स्वदेश प्राप्त करने के उनके न्यायोचित संग्राम में अपना पूरा सहयोग जारी रखेंगे। हम राष्ट्रपति यासर अराफात की इस महीने भारत-यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस सत्र में विभिन्न उपायों पर सदस्यों को विचार करना है। रेल बजट और आम बजट आपके समक्ष रखे जाएंगे। आप वित्त विधेयक, 1990-91, प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) विधेयक, 1989, लोकपाल विधेयक, 1989, वन्य जीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1990 और अन्य दूसरे विधायी उपायों पर भी विचार करेंगे।

आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। मेरी सरकार एक मजबूत भारत का निर्माण करने के लिए सार्थक कार्य कर रही है—एक ऐसा भारत जो व्यक्ति की मर्यादा पर आधारित हो, एक ऐसा भारत जहां विकास का लाभ सभी को, विशेषरूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोगों को मिले। यह कार्य आसान नहीं है। चुनौतियां जबरदस्त हैं। किन्तु विजय हमारी होगी। हम यह देखने के लिए कृतसंकल्प हैं कि हमारी जनता का भविष्य अधिक उज्ज्वल हो।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 21 फरवरी 1991

लोक सभा	-	नौवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री चन्द्रशेखर
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री रवि राय

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस नये अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने बजट और विधायी कार्य हैं, उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

हम अत्यन्त कठिन एवं चुनौतीपूर्ण समय में मिल रहे हैं। देश की एकता और अखण्डता को गंभीर खतरा है। साम्प्रदायिक और विघटनकारी तत्व राष्ट्र के लिए संकट बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत कठिन है। खाड़ी संकट से मुद्रास्फीति बढ़ी है, भुगतान शेष की प्रतिकूल स्थिति है, जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के ढांचे में गहन परिवर्तन हुआ है और जो नक्शा बन रहा है वह हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आएगा। जिस स्थिति में हम आज हैं वह पहले की तुलना में कहीं अधिक यह मांग करती है कि देश को वर्तमान संकट से उबारने के लिए भारत के लोग एकजुट हो जाएं और इसे समृद्धि एवं प्रगति के पथ पर लाएं। हमें आंतरिक कलह और छोटे-मोटे झगड़ों और उन सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए जो संकीर्ण हैं, स्वार्थपूर्ण हैं और फूट डालने वाली हैं तथा राष्ट्र के हित मे एकजुट हो जाना चाहिए। कठिनाइयों के इस दौर में हमें आधारभूत सिद्धांतों–लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद–जो हमारी राष्ट्रीयता के आधार स्तम्भ हैं, के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी होगी।

पिछले वर्ष देश की कानून और व्यवस्था की समग्र स्थिति में गिरावट आई। जम्मू-कश्मीर और पंजाब में हिंसा जारी है। असम में उल्फा की गतिविधियों में

अत्यधिक वृद्धि हुई। वर्ष के उत्तरार्ध में साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ गई और जातिगत हिंसा भी बढ़ गई। आंध्र प्रदेश और बिहार उग्रवादी हिंसा से प्रभावित रहे।

पंजाब की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है सरकार उन सब लोगों के दु:ख और गम में शरीक है जो आतंकवाद की निरर्थक हिंसा के शिकार हुए हैं। सरकार आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। आतंकवाद पर अंकुश लगाने और शांति की स्थिति बहाल करने के लिए सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। खोजबीन करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। सीमा पार से घुस-पैठ और हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। सरकार की राय है कि पंजाब समस्या का राजनैतिक हल निकालने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने कई पहलें की हैं। राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने के अलावा सरकार का उग्रवादियों के साथ भी बातचीत करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक क्रियाकलापों में लगाया जा सके।

जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी और कुछ कट्टरपंथी तत्व सीमा-पार से सहायता और प्रोत्साहन पाकर कुछ समय से आतंकवाद और तोड़-फोड़ की गतिविधियों में लगे हुए हैं। सरकार का मानना है कि यदि उग्रवादियों को बाहरी सहायता न मिले तो जम्मू और कश्मीर में तोड़-फोड़ की गतिविधियों में काफी हद तक कमी आएगी। सरकार को आशा है कि अपने पड़ोसी देश के साथ बातचीत से स्थिति में परिवर्तन होगा और इससे राज्य में सामान्य जीवन बहाल होगा।

इस वर्ष असम में अलगाववादी गतिविधियों में वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जिसमें विधान सभा के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं कराए जा सकते थे और राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती थी। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और राज्य की विधान सभा को स्थगित कर दिया गया। अलगाववादियों से निपटने के लिए असम राज्य "अशान्त क्षेत्र" और उल्फा को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया। सेना और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है जिन्हें वहां सफलता मिल रही है। जैसे ही परिस्थितियां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अनुकूल होंगी, वहां चुनाव कराए जाएंगे।

सरकार भारत के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत पंजाब, कश्मीर तथा असम की समस्याओं का स्वीकार्य हल निकालने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहती है।

श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी प्रांत में बिगड़ती हुई स्थिति के कारण मुख्यत: तमिलनाडु राज्य में बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए हैं। शरणार्थियों के अतिरिक्त, "लिट्टे" के अनेक लड़ाकू संगठन तमिलनाडु में स्थलों का उपयोग अपने कार्यकलापों के लिए कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा चिन्ता व्यक्त किए जाने के बावजूद, तमिलनाडु में स्थिति बिगड़ती गई और आमतौर पर यह समझा गया कि "लिट्टे" के सदस्य अपनी गतिविधियां बेझिझक जारी रख सकते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में "लिट्टे" संगठन

के सदस्य विरोधी तमिल गुट के 15 व्यक्तियों की हत्या कर फरार होने में सफल हो गए। संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं थी और केन्द्र के सहायता-प्रस्ताव का राज्य सरकार द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। लिट्टे की कई गैर-कानूनी हरकतों की सूचना मिलने तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में असफल होने के कारण तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवा सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं रह गया था। परन्तु सरकार राज्य में जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार बहाल करने के लिए इच्छुक है।

हमारे देश का साम्प्रदायिक सामंजस्य मुख्यत: रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के कारण बिगड़ा है। सरकार ने धार्मिक नेताओं और दूसरे लोगों से विचार-विमर्श के माध्यम से इस मसले का समाधान करने के लिए नई पहल की है ताकि कोई परस्पर स्वीकार्य हल निकल सके। सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि सभी धर्मों के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और सारे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाया जाए।

पिछले वर्ष मार्च में मैंने आपके समक्ष अपने अभिभाषण में, राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर सहमति प्राप्त करने तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हेतु एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन करने की सरकार की इच्छा के बारे में जिक्र किया था। मुझे प्रसन्नता है कि इस परिषद् का गठन हो चुका है और अक्तूबर, 1990 में इसकी पहली बैठक हुई है।

देश में आर्थिक स्थिति गंभीर चिन्ता का विषय है। बजट घाटे, तेल संकट, भुगतान शेष की गिरती स्थिति और मुद्रास्फीति की पेचीदा स्थिति ने लोगों, विशेषकर समाज के गरीब तबकों के लिए अत्यधिक कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। सरकार ने इन बुराइयों का सामना करने के लिए एक बहुमुखी रणनीति आरम्भ की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी खर्च और मुद्रा आपूर्ति में भारी कटौती करना, अल्पावधि उपायों के रूप में आवश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति का उन्नत प्रबंध करना और दीर्घावधि उपायों में उत्पादन में वृद्धि करना शामिल है। वित्तीय असन्तुलन ने इससे पहले लगातार मुद्रास्फीति में वृद्धि को बनाए रखा है। इन्हें रातों-रात या केवल एक कदम उठाकर ठीक नहीं किया जा सकता। स्थिति से निपटने के लिए कठोर विकल्पों और कड़े उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने वर्ष 1991 के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने और व्यय में कटौती करने के लिए दिसम्बर, 1990 में एकमुश्त उपायों की घोषणा की थी। इस भयावह स्थिति का सामना करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास की तुरन्त आवश्यकता है। यह प्रस्ताव है कि विकास कार्य के लिए संसाधनों और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति के पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष की स्थापना की जाए।

खाड़ी संकट के कारण भुगतान शेष की स्थिति और भी अधिक खराब हो गई है और इसके परिणामस्वरूप 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आ पड़ने की आशंका है। यह संतोष की बात है कि खाड़ी संकट से उत्पन्न किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की हमारी अग्रिम योजना हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए समय रहते यह कार्रवाई की कि हमारे पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार संतोषजनक स्तर पर बने रहें। अल्प अवधि में भुगतान शेष के दबाव को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में निर्यात संवर्धन, आयात पर नियंत्रण और विदेशी पूंजी का अधिक से अधिक अन्त:प्रवाह शामिल हैं।

इस वर्ष विदेश व्यापार की स्थिति भी अच्छी नहीं रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अप्रैल-नवम्बर, 1990 की अवधि में निर्यात वृद्धि दर, डॉलरों में केवल 12.9 प्रतिशत रही है, जबकि आयात में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु कुछ सकारात्मक प्रवृत्तियां भी आई हैं और कुछ उत्पादों के निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई है। इंजीनियरी सामान, सूती कपड़ा तथा सिले-सिलाए वस्त्र, चमड़ा और चमड़े से बने सामान तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात की स्थिति उत्साहवर्धक रही है। सरकार निर्यात के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों को उच्च प्राथमिकता देगी। इस सम्बन्ध में विशेष कर बड़े औद्योगिक घरानों से निर्यात क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाने की अपेक्षा की जाएगी। भारतीय उद्योगों की प्रतियोगिता क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन और गुणवत्ता में सुधार लाने की ओर लगातार ध्यान दिया जाएगा। जब कभी समग्र रूप से कार्यकुशलता में सुधार लाए जाने की आवश्यकता होगी तो औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्गठन करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने 1991-92 के लिए तैयार की गई निर्यात नीति में इन बातों को सम्मिलित किया है।

इस गंभीर आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में हम आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के कार्य में लगे हैं। हालांकि स्थिति विकट है किन्तु हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था वर्तमान समस्याओं से निपटने के लिए सक्षम है। हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति हमारी जनशक्ति है और हम अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में हमारी उपलब्धता ने भी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। देश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अच्छी वर्षा हुई है। रबी की फसल भी अच्छी होने की आशा है। चालू वर्ष के खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 175.5 मिलियन टन होने की संभावना है। हमारा खाद्यान्नों का भण्डार संतोषजनक स्थिति में है।

योजना दस्तावेज को मार्च, 1991 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जनता में बड़े पैमाने पर व्याप्त गरीबी को हटाने, उत्पादक रोजगार के अवसरों के विस्तार और अपनी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया

जाएगा। संसाधनों की कमी को देखते हुए हमें प्राथमिकताओं के चयन में अधिक कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यक बुनियादी ढांचे विशेषकर ऊर्जा, चालू परियोजनाओं को पूरा करने, सिंचाई, घरेलू स्तर पर खाद्य सामग्री संबंधी सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा और दलितों तथा आदिवासियों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अन्य प्रमुख विशेषताओं में पर्यावरण की रक्षा करना और भूमि तथा जल संसाधनों में आई गिरावट को रोकना, कृषि सम्बंधी उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग करना, कृषि अनुसंधान कार्य की ओर अधिक सुव्यवस्थित ध्यान देना, कृषि ऋण प्रणाली को मजबूती प्रदान करना, और अधिक उत्पादकता तथा कुशल प्रबन्ध के माध्यम से पहले से किए गए निवेशों से और अधिक प्रतिफल प्राप्त करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना एवं विकास संबंधी प्रशासन को समुचित रूप से विकेन्द्रीकृत करना आदि शामिल होगा। सरकार कृषि विकास को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। कृषि नीति संकल्प को संसद के समक्ष इसी सत्र में रखे जाने की आशा है।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ठोस जल प्रबन्ध आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे छिड़काव, सिंचाई इत्यादि द्वारा उपलब्ध आपूर्ति का बेहतर उपयोग करने और लघु सिंचाई की ओर विशेष ध्यान देते हुए जल संसाधनों में वृद्धि करने के प्रयास किए जायेंगे।

वर्ष 1990-91 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) में विविधता लाने तथा उसे एक नई दिशा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें सभी जिलों में आईआरडीपी के अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने वाले सामूहिक प्रयत्नों को बढ़ावा देना तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को तथा महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1991-92 के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की संख्या दुगनी कर दी जाए। जवाहर रोजगार योजना को जारी रखा गया है।

सरकार औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। औद्योगिक विकास को, विशेषरूप से पिछड़े क्षेत्रों में, और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 8वीं योजना के दौरान देशभर में नई विकास केन्द्र योजना कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। सरकार विशेषरूप से खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास द्वारा ग्रामीण औद्योगीकरण पर भी बल देगी। लघु क्षेत्र के उद्योग, जो रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा देश के निर्यात प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, के विकास के संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। औद्योगिक नीति पर एक विवरण इस सत्र में संसद के समक्ष रखा जाएगा।

सरकार इलैक्ट्रॉनिक उद्योग की, विशेषरूप से निर्यात के क्षेत्र में, अत्यधिक विकास की सम्भाव्यताओं से अवगत है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी कि इस सम्भाव्यता को प्राप्त किया जा सके। सरकार का यह प्रयास होगा कि वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास किया जाए।

सरकार आधारित संरचना क्षेत्र पर पूरा ध्यान देगी। कोयला संसाधनों का विकास किया जाएगा और बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। खनिज विकास के क्षेत्र में उत्पादन-प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जाएगा। इस्पात के मामले में आधुनिकीकरण और क्षमता के विस्तार के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना लक्ष्य होगा। सरकार कच्चे तेल के देशी उत्पादन को बढ़ाने को अत्यधिक महत्व देती है। तेल को बचाने के उपायों को प्रोत्साहन देते हुए सरकार औद्योगिक और कृषि उत्पादन को संरक्षण देने के प्रति जागरूक है। कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। अपारम्परिक और पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास जारी रहेंगे। संचार के क्षेत्र में सरकार दूरसंचार सेवाओं के शीघ्र विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश है। समझौता ज्ञापन पद्धति के माध्यम से कार्यक्षमता में सुधार करने की वर्तमान नीति और उपक्रमों पर भी लागू किया जाएगा।

हमारे वैज्ञानिकों ने देश के विकास के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जून, 1990 में इनसेट-1 डी का सफलतापूर्वक छोड़ा जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनसेट-2 उपग्रह का विकास और उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी आईआरएस शृंखला का डिजाइन विकास संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। जीव प्रौद्योगिकी, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, में प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रोटीन इंजीनियरी और मानव आनुवंशिकी जैसे उच्चस्थ क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। लोगों के ठोस लाभों के लिए वैज्ञानिक विकास का उपयोग करना हमारी विज्ञान नीति का लक्ष्य होगा।

हमारा विकास का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो निरंतर चलता रहे। ऐसा विकास जो पर्यावरण का विनाश करता है, जीवन के मूलाधार को नष्ट करता है, आत्मघाती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। एक दस वर्षीय राष्ट्रीय वनप्रान्त कार्य योजना तैयार की गई है। जिसमें लोगों की सहभागिता पर बल दिया गया है। विकास आयोजना हेतु एकीकृत ढांचा बनाने के लिए एक संरक्षण नीति तैयार की जा रही है। प्रदूषण पर रोक और उसमें कमी लाने संबंधी नीति में तकनीकी निवेशों और कचरे की रोकथाम के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान की जाएगी और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। नागरिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को संहिताबद्ध किया जाएगा ताकि जो लोग पर्यावरण की हानि से पीड़ित होते हैं उन्हें राहत देने में सहायता मिल सके।

सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण कार्य भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बदनसीब पीड़ितों और उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने का भरसक प्रयास किया जाएगा।

हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। उनके शौर्य, व्यावसायिक दक्षता और कर्तव्य-परायणता के कारण भारत का नाम ऊंचा रहा है। उन्होंने मातृभूमि के लिए जो बलिदान किए हैं, राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल ऊंचा है और वे किसी भी बाहरी खतरे का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार हैं। सरकार, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के कार्मिकों की कल्याण योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देती रहेगी। हमारी सशस्त्र सेनाओं की खास जरूरतों को पूरा करने में हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में जो महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं उसके लिए हमें उन पर गर्व है। इन्टीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई है। पिछले वर्ष जमीन से जमीन पर मार करने वाली 'पृथ्वी' मिसाइल तथा रिएन्ट्री टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट 'अग्नि' का सफल परीक्षण करके अब हम इस साल मध्यम दूरी की, जमीन से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल 'आकाश' का परीक्षण करने तथा तीसरी पीढ़ी की टैंकरोधी मिसाइल 'नाग' का परीक्षण करने में सफल हुए हैं।

देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के हमारे प्रयास और आर्थिक विकास करने की हमारी कोशिशें अन्ततोगत्वा केवल लोगों की पूर्ण भागीदारी से ही सफल हो सकती हैं। हमारे राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की सहभागिता के लिए आधार प्रदान करती है। सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए वचनबद्ध है जो लोकतंत्र को अधिक गतिशील और वास्तविक बनाएंगी।

औद्योगिक तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में हमारा श्रमिक बल हमारी जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उनके कठिन परिश्रम पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। सभी सामाजिक हलचलों के बीच देश में औद्योगिक सम्बन्ध स्थिर रहे हैं। यह हमारी वर्षों से अर्जित औद्योगिक व्यवस्था की पूर्णता का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनको पूरा मेहनताना मिले। विशेष श्रेणियों के असंगठित श्रमिकों के लिए श्रम कानून लागू करने के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्र के युवाओं के पूर्ण सहयोग के बिना लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। हमें अपने युवाओं के विकास तथा प्रगति के लिए उनको हर संभव अवसर प्रदान करना चाहिए। हमें उनके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिएं कि वे अपनी उन्नति, समाज की उन्नति तथा देश की उन्नति के लिए अपने कौशल का उपयोग कर सकें। सरकार युवाओं के लिए शहरी तथा ग्रामीण दोनों

क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विशेष ध्यान देगी। सरकार यह प्रयत्न करेगी कि राष्ट्रीय अखण्डता को संजोए रखने तथा देश की एकता को सुदृढ़ करने में युवा सक्रिय रूप से शामिल हों। हाल में राष्ट्रीय युवा परिषद् की एक बैठक हुई। युवकों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाते समय इस बैठक में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

यह चिन्ता की बात है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव बरता जा रहा है और कई प्रकार से उनका अनादर हो रहा है। सरकार महिलाओं का संरक्षण करने तथा उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगी। सरकार पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा की सुलभता के संबंध में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों तथा बच्चों के अधिकारों पर अविलम्ब ध्यान देगी। वर्ष 1990 को दक्षेस बालिका वर्ष मनाने के संदर्भ में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्र डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की स्मृति संजोये है। 12 अप्रैल, 1990 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में उनके चित्र का अनावरण किया गया। 14 अप्रैल, 1990 को डॉ. अम्बेडकर को राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से विभूषित किया गया। सरकार कमजोर वर्गों और पिछड़ी जातियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति पूर्णतया सचेत है और उनके हितों की रक्षा करने तथा उन्हें उत्पादक रोजगार प्रदान करने में सहायता करने के लिए वचनबद्ध है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने, उनमें शिक्षा का प्रसार करने और उनकी सामाजिक असमर्थताएं दूर करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना और जनजाति उप योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए जायेंगे। अनुसूचित जनजातियों में से अभावग्रस्त और अति दयनीय जातियों जैसे मूल जनजातियों और समूहों, जगह बदलने वाले खेतिहरों और बंधुआ मजदूरों की ओर सरकार का विशेष ध्यान जारी रहेगा। जनजाति बहुल क्षेत्रों का विकास करना सरकार के लिए विशेष महत्व का मामला है। सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि इन क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाया जाए और क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने एक अहम भूमिका निभायी है विशेषरूप से आवश्यक वस्तुओं की कमी की स्थिति में। इसको और अधिक प्रभावी बनाना अपेक्षित है। सरकार यह मानती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकास और सामाजिक न्याय के लिए हमारी रणनीति का एक मुख्य घटक बने। सरकार इस बात पर जोर देगी कि गरीबों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सकारात्मक ढंग से कार्य कर सके। सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सतर्क है और कालाबाजारी तथा जमाखोरी को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।

सरकार की कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य देख-भाल का क्षेत्र विस्तृत किया जाए और इसकी गुणवत्ता में सुधार हो। चिकित्सा की देशी प्रणाली को विकसित करने और समाज के कमजोर तबकों को प्राथमिक स्वास्थ्य देख-भाल सेवाएं प्रदान करवाने पर अधिक बल दिया जाएगा। बच्चों और माताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों का एक प्रमुख अंग रहेगा। जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर को कम करने के लिए अधिक जोर दिया जाएगा ताकि हमारे विकास प्रयत्नों के लाभ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सीमित न रह जाएं।

लोकतंत्र का मूलमंत्र है शिक्षा और साक्षरता। लोगों में फैली निरक्षरता और शिक्षा का निम्न स्तर कमजोर वर्गों के उत्थान और एक अधिक न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में मुख्य रूप से बाधक हैं। निरक्षरता दूर करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। सरकार निरक्षरता-उन्मूलन के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करे और इसके लिए विश्वविद्यालयों, स्कूलों और स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करेगी। सरकार प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

सरकार ऐसी सुविधाएं पैदा करने को अत्यंत महत्व देती है जिनसे लोगों को उपयुक्त आवास प्राप्त करने में सहायता मिल सके। एक राष्ट्रीय आवास नीति बनायी जा रही है। यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को वासभूमि अधिकार देकर मकान बनाने के लिए भूमि के आबंटन को तेज किया जाए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण सहायता को भी बढ़ाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में रात्रि शरणगृहों के निर्माण के कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं। शीत युद्ध में कमी आई है और इसके बदले उन राष्ट्रों के बीच अधिक समझबूझ और सहयोग की भावना बढ़ी है जो विरोधी खेमों में बंटे थे। इससे हमारी विदेश नीति के सामने नई चुनौतियां आई हैं और उसको नए अवसर मिले हैं। हमारा दृष्टिकोण गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों तथा शांति, निरस्त्रीकरण तथा अधिक न्यायसंगत विश्व स्वास्थ्य के लिए हमारी वचनबद्धता पर अडिग रहेगा। जनवरी, 1991 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे।

सरकार विश्व की प्रवृत्तियों के अनुरूप हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने तथा क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की बात को उच्च प्राथमिकता देती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व का सबसे निर्धन क्षेत्र है। विकास तथा हमारी जनता के बेहतर रहन-सहन के लिए हमारे क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता होना अनिवार्य है।

माले में लगभग दो वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित 5वें दक्षेस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को नई प्रेरणा प्रदान की गई है। हमारी पहल पर शिखर

सम्मेलन ने कुछ नए प्रस्तावों पर विचार करने तथा कुछ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के संबंध में सहमति प्रदान की है। हमें विश्वास है कि राजनैतिक संकल्प को ध्यान में रखते हुए दक्षेस हमारी जनता के प्रत्यक्ष लाभ के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए अग्रसर हो सकता है।

हम अनसुलझे मामलों को बातचीत के माध्यम से हल करने तथा अपने द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए बंगलादेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं।

भूटान और मालदीव के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध कायम रहे हैं और उच्चस्तरीय वार्ता के जरिए मजबूत हुए हैं।

हमने नेपाल में बहु–दलीय लोकतंत्र अपनाए जाने का स्वागत किया है। नेपाल के साथ हमारे परम्परागत निकटवर्ती द्विपक्षीय संबंध पुनः स्थापित हुए हैं। हमारे प्रधान मंत्री की प्रथम द्विपक्षीय यात्रा नेपाल की हुई, यह इस बात का द्योतक है कि उस देश के साथ हमारे संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। हम कई क्षेत्रों में, जिनमें दोनों देशों में बहने वाली नदियों के पानी का उपयोग करना तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रबंध शामिल हैं, नेपाल के साथ अपना सहयोग बढ़ाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को और अलगाववादी गतिविधियों को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने के बावजूद हमने पाकिस्तान के साथ तनाव खत्म करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं और हम द्विपक्षीय मामलों के व्यापक क्षेत्र पर विचार–विमर्श दोबारा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। हमने पाकिस्तान सरकार पर शिमला समझौते का पूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हमें आशा है कि पाकिस्तान सरकार दोनों देशों और इन देशों के लोगों के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी।

श्रीलंका के उत्तर–पूर्वी प्रांत में युद्ध के कारण भारी संख्या में श्रीलंकाई शरणार्थी भारत में आ गए हैं। हमने अपनी चिन्ता से उनको अवगत करा दिया है और समस्या का शांतिपूर्ण राजनैतिक समाधान ढूंढने की आवश्यकता पर बल दिया है जो श्रीलंका की एकता और अखंडता के ढांचे के अंतर्गत श्रीलंकाई तमिलों की उचित आकांक्षाओं को पूरी करता हो।

अफगानिस्तान के साथ हमारी परम्परागत मैत्री राष्ट्रपति नजीबुल्ला की अगस्त, 1990 में नई दिल्ली यात्रा से और अधिक मजबूत हुई है। हमें आशा है कि अफगानिस्तान में रक्तपात और हिंसा बंद होगी। समय की मांग है कि अफगानी लोगों द्वारा स्वयं राजनैतिक समाधान निकाला जाए जिससे अफगानिस्तान को एक संप्रभुता सम्पन्न, स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष देश का दर्जा सुनिश्चित हो सके।

हमने चीन के साथ बेहतर सूझबूझ प्रदान करने वाली प्रक्रिया को जारी रखा है। हमारा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा है और हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर एक दूसरे के साथ और अधिक निकटता से परामर्श करना भी आरम्भ किया है। सीमा के प्रश्न का उचित, तर्कसंगत और एक दूसरे को स्वीकार्य हल निकालने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संयुक्त कार्य दल में बातचीत जारी है। हमें विश्वास है कि भारत और चीन के बीच और अधिक निकट सहयोग, एशिया और विश्व में शांति और स्थिरता के हित में होगा।

सोवियत संघ के साथ हमारे विशेष संबंध हैं और हमारे द्विपक्षीय सहयोग का क्षेत्र काफी व्यापक है। हमारी इच्छा है कि सोवियत सरकार और वहां के लोगों को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने के उनके प्रयासों में सफलता हासिल हो। सोवियत संघ ने जरूरत के समय भारत का साथ दिया है और हम उनकी गर्मजोशी और दोस्ती का जवाब हर समय समझदारी और सहयोग से देंगे।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे संबंधों में स्थायी सुधार हुए हैं। अब एक दूसरे की चिन्ताओं और हितों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उच्च तकनीक का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हम आशा करते हैं कि आपसी हितों के क्षेत्र में हमारा सहयोग और आगे बढ़ेगा।

जापान, हमारे एक प्रमुख आर्थिक भागीदार के रूप में उभर कर सामने आया है। एक एशियाई देश के रूप में, हम उसके द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हैं और द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने की आशा करते हैं। भारत और जापान के बीच निकटतर साझेदारी, शांति और प्रगति की दिशा में एक रचनात्मक कदम होगा।

हमने जर्मनी के एकीकरण का स्वागत किया है जो अत्यंत ऐतिहासिक महत्व की घटना है। हम जर्मनी के राष्ट्रपति की आगामी भारत यात्रा और एकीकृत जर्मनी के साथ अपने निकट और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य यूरोपीय देशों के साथ हमने अपने मैत्रीपूर्ण संबंध तथा सहयोग बनाए रखे हैं और उन्हें सुदृढ़ किया है।

हम गंभीर रूप से चिंतित हैं कि हमारे एवं अन्य सभी के प्रयासों के बावजूद खाड़ी में युद्ध छिड़ गया है और खाड़ी की घटनाओं ने दु:खद मोड़ ले लिया है। इस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा और विश्व की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। विशेषरूप से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित होंगी। हम आशा करते हैं कि युद्ध का अन्त होगा। हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करके, तुरन्त युद्धविराम और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों के अनुरूप इराक द्वारा कुवैत से अपनी सेनाएं हटाने की घोषणा किए जाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। हमारी पहल पर गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के एक ग्रुप की बैठक बेलग्रेड में आयोजित की गई। हम, युद्ध

समाप्त करवाने और समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने हेतु आम सहमति के लिए सुरक्षा परिषद् के सदस्यों और अन्य राष्ट्रों के साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं।

फिलिस्तीनी लोगों का अपने देश की मांग करने का जो अभिन्न अधिकार है उनकी उस न्यायोचित लड़ाई में हम उनको पूरा समर्थन देते हैं। फिलिस्तीन के प्रश्न का न्यायोचित हल निकले बिना पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थायित्व नहीं आ सकता। इस समस्या को बहुत दिनों तक खींचा गया है और अब इसे पूरी गंभीरता के साथ जल्द से जल्द हल कर लिया जाना चाहिए। हम शांति और स्थायी हल निकालने के लिए तत्काल एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए अपना दबाव बनाए रखेंगे, जिसमें सभी संबंधित देश भाग लें।

हम कंबोडिया में दु:खद संघर्ष का शांतिपूर्ण हल निकालने के प्रयासों का समर्थन करते हैं और इस प्रक्रिया में सहायता देने के लिए तैयार हैं। ऐसे हल में कंबोडिया की प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्ष प्रतिष्ठा सुनिश्चित होनी चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका में गम्भीर परिवर्तन हो रहे हैं। अंतिम अफ्रीकी उपनिवेश, नामीबिया को 21 मार्च, 1990 को स्वतंत्रता मिली। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी अनेक पहल की गई हैं जिनसे रंगभेद समाप्त करने के लिए बातचीत का रास्ता निकल सके। अक्तूबर, 1990 में डॉ. नेल्सन मंडेला की भारत-यात्रा एक ऐतिहासिक घटना थी जब सारे देश ने रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में उनका स्वागत किया।

हम फिजी और अन्य स्थानों में जातिगत आधार पर विभेदीकरण को संस्थागत बनाने के प्रयासों का कड़ा विरोध करते हैं।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र के दौरान आप अनेक विधायी उपायों तथा वित्तीय कार्य पर विचार करेंगे।

अब मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप अपने श्रमसाध्य कार्यों में जुट जाएं। संकट की इस घड़ी में भारत की जनता का ध्यान आपकी दूरदर्शिता और विवेक की ओर लगा है। हमने पहले भी उद्देश्य-बोध, अद्भुत शक्ति और चुनौती के समय एकजुट होने की क्षमता का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि ये गुण एक मजबूत संगठित और समुन्नत भारत के निर्माण में सहायक होंगे।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 11 जुलाई 1991

लोक सभा	-	दसवीं लोक सभा
सत्र	-	दसवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री पी.वी. नरसिंह राव
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री शिवराज वी. पाटील

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस संयुक्त अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं नई लोक सभा के सदस्यों को बधाई देता हूं।

21 मई, 1991 का दिन एक भयंकर दु:स्वप्न था। राजीव गांधी की जघन्य हत्या से सारा देश शोक-सागर में डूब गया। उनकी हत्या निकृष्टतम अमानवीय कृत्य था। उन्होंने हमारे राष्ट्र के इतिहास में अत्यन्त संकटपूर्ण घड़ी में हमारा नेतृत्व किया था। उनकी मृत्यु से देश ने एक होनहार नेता खो दिया है। राजीव गांधी द्वारा भविष्य के लिए देखा गया स्वप्न, उनका अदम्य आशावाद, उनकी महान् देश भक्ति तथा विश्व शांति के लिए उनके द्वारा किया गया भगीरथ प्रयास भारत की जनता तथा सम्पूर्ण विश्व के शांति-प्रेमी लोगों को निरन्तर प्रेरणा देते रहेंगे।

पिछली सरकार ने श्री राजीव गांधी की हत्या के मामले की जांच के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया। सरकार का यह विचार है कि आयोग के विचारार्थ विषयों का विस्तार किया जाना चाहिए और उन्हें व्यापक बनाया जाना चाहिए।

भारत की जनता ने इस संकट का सामना धैर्य और संयम के साथ किया है। जिन ताकतों ने लोकतंत्र को नष्ट करने और देश को अस्थिर करने की कोशिशें की थीं उन्हें निराशा हाथ लगी है। हाल ही में सम्पन्न हुए चुनाव ने एक बार फिर भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की शक्ति और जीवंतता प्रमाणित की है।

राजीव गांधी की हत्या से देश में हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर ध्यान और अधिक तीक्ष्णता से आकृष्ट हुआ है। देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुछ समय से अत्यधिक चिन्ता का कारण बनी हुई है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर में हिंसा जारी है। असम, नागालैंड और मणिपुर में हालात चिन्ताजनक चल रहे हैं। कुछ राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था तंत्र पर भारी दबाव बना हुआ है।

पंजाब में हिंसा और आतंकवाद अभी भी तेजी पर हैं। यह खुशी की बात है कि आतंकवादियों, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है, की घृणित नीतियों के बावजूद पंजाब के लोगों ने साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है। सेना की सहायता से सुरक्षा बल सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध हत्याओं, लूट-खसोट और अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं। पंजाब में, सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने और फ्लड लाइटिंग के काम में तेजी लाई गई और उसे योजनानुसार पूरा कर लिया गया है। पंजाब में विधान सभा और लोक सभा के चुनाव 22 जून, 1991 को होने वाले थे, किन्तु उम्मीदवारों की बड़े पैमाने पर हत्या और उग्रवादियों द्वारा फैलाए गए भय और आतंक के वातावरण के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना असंभव हो गया। इसलिए मतदान 25 सितम्बर, 1991 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार, आतंकवाद और अलगाववाद से सख्ती से निपटती रहेगी। सरकार, पंजाब में सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए कृतसंकल्प है। लेकिन उग्रवादियों और अलगाववादियों को चुनावों का अपने स्वार्थों के लिए दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। सरकार राजीव-लोंगोवाल समझौते को मानती है। उन लोगों के साथ हमेशा बातचीत की जा सकती है, जो हिंसा छोड़ दें और हमारे संवैधानिक ढांचे को स्वीकार करें। सरकार जरूरत के मुताबिक कोई भी नई पहल करने के लिए तैयार है। वह पंजाब समस्या के स्थायी और शांतिपूर्ण हल के लिए सभी बकाया मसलों के पूर्ण निपटारे के अपने प्रयास जारी रखेगी।

जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा की स्थिति पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान तेजी से बिगड़ी है। अलगाववादी तथा कुछ कट्टरपंथी तत्व, जिन्हें सीमा पार से सहायता और प्रोत्साहन मिल रहा है, आतंकवाद तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों में लगे हुए हैं। अलगाववाद तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल आवश्यक और कारगर उपाय कर रहे हैं। कुछ समय से कई आतंकवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के रूप में उत्साहवर्धक संकेत प्राप्त हुए हैं। सरकार और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जन समितियां गठित की जाएंगी। इसके साथ-साथ अलगाववादी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

असम में चुनाव सम्पन्न हो गए हैं और वहां की जनता ने अलगाववादी ताकतों को वाजिब जवाब दिया है। असम के लोग शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए बधाई के पात्र हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि असम में अलगाववादी तत्वों को मुख्य धारा में वापस लाया जाए। जनता की उचित शिकायतों को दूर किया जाएगा। असम के त्वरित आर्थिक विकास के लिए उपाय किए जाएंगे।

यह बड़ी चिन्ता की बात है कि साम्प्रदायिक ताकतें देश का वातावरण दूषित करने में सफल हुई हैं, जिससे पिछले दो वर्षों में भीषण दंगे भड़के हैं। सरकार ऐसी ताकतों से लड़ने और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार धार्मिक, भाषायी और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। एक संयुक्त त्वरित कार्रवाई बल का गठन किया जाएगा और उसे दंगों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह बल अति अल्पसूचना पर राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए आवश्यकतानुसार और अधिक विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा। साम्प्रदायिक दंगों के शिकार हुए लोगों को शीघ्र और पर्याप्त मुआवजा देने के लिए संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत बनाया जाएगा। धर्मस्थलों की पवित्रता को समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए। हम साम्प्रदायिक तत्वों को कोई विवाद उत्पन्न करने और फूट डालने के लिए धर्मस्थलों का उपयोग करके उनकी पवित्रता को नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते। सरकार राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद को दोनों समुदायों की भावनाओं का समुचित आदर करते हुए बातचीत द्वारा हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अन्य सभी धर्मस्थलों के संबंध में कोई नया विवाद उत्पन्न न होने देने की दृष्टि से 15 अगस्त, 1947 की स्थिति बनाए रखने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील जिलों में जानकारी प्राप्त करने के लिए 1988 में स्थापित किए गए विशेष सैल को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि दंगों को रोका जा सके। साम्प्रदायिक दंगों में जिन लोगों की जानें जाएंगी उनके निकट संबंधियों को समुचित रोजगार प्रदान कर उनका पुनर्वास किया जाएगा।

हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जब कभी उन्हें हमारे देश की अखण्डता की रक्षा करने, कानून और व्यवस्था कायम रखने में सिविल अधिकारियों की सहायता करने तथा राहत और बचाव कार्य करने के लिए कहा गया है तो उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। सरकार रक्षा सेवाओं के दोनों कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर अमल जारी रखेगी। सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने तथा उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के कार्य को प्राथमिकता देगी।

सरकार यह मानती है कि देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करता रहा है और आसान तरीके अपनाता रहा है। हम

हालात से मजबूर हो गए हैं। अब हमें कुछ करना होगा। अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है और देश को कुछ कठोर तथा अप्रिय आर्थिक निर्णय लेने के लिए तैयार रहना होगा।

सरकार व्यापक आर्थिक स्थिरता और संरचनात्मक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है, जिससे त्वरित विकास के लिए राष्ट्र की अन्तर्निहित ऊर्जा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो उठे। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात को और अधिक बढ़ाने व प्रतियोगितापरक बनाने, अनावश्यक आयात के खर्च में कटौती करने, पूंजीनिर्गम के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में कमी करने और पूंजी खाते में स्थिरता लाने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। हम अपने निर्यातों की प्रतियोगिता में और वृद्धि करने के लिए व्यापार नीति और औद्योगिक नीति में सुधार के क्षेत्रों में ठोस उपाय करना चाहते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प हैं कि समायोजन की इस प्रक्रिया में निर्धनों और साधनहीनों पर कोई अनुचित बोझ न पड़े।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि विशेष चिंता की बात है, इससे सबसे ज्यादा मुश्किल गरीब तबके को होती है। सरकार मुद्रास्फीति को घटाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देगी और इस दिशा में सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए रणनीति तय करते समय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार मुद्रा पूर्ति में वृद्धि को नियंत्रित करने, सरकारी खर्च में किफायत बरतने, लघु बचतों को बढ़ावा देने, अति आवश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति की बेहतर व्यवस्था और मध्यावधि में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन को प्राथमिकता देगी।

राजकोषीय असंतुलन अभी भी सरकार के लिए चिन्ता का मूल कारण बना हुआ है। खर्च को नियंत्रित करने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रयासों के बावजूद वर्ष 1990-91 के लिए परिशोधित अनुमानित बजट घाटा 7206 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की अपेक्षा 10,772 करोड़ रुपये है। सरकार कठोर राजकोषीय अनुशासन का पालन करने के लिए वचनबद्ध है। काले धन के विस्तार पर रोक लगाई जाएगी। सरकारी खर्च को नियंत्रित किया जाएगा। आवश्यक समायोजन करते समय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इससे निर्धन वर्ग को कोई कठिनाई न हो।

पहले से ही अत्यधिक खराब चल रही भुगतान संतुलन की स्थिति खाड़ी संकट के कारण और अधिक बिगड़ गई है, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो 2.7 बिलियन डालर (4900 करोड़ रुपए से अधिक) आंका गया है। इसमें से तेल के आयात की अतिरिक्त लागत ही 2 बिलियन डालर बैठी है और शेष निर्यात की हानि, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा खाड़ी देश छोड़ने और पूंजी की कम आमद के कारण है। भुगतान संतुलन की स्थिति अत्यधिक जटिल हो गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से आशा के अनुरूप पूंजी की आमद नहीं हुई है, हालांकि

अनेक देशों ने सहायता देने की पेशकश की है। जापान और साथ ही जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैण्ड तथा डेनमार्क से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सहायता प्राप्त हुई है। भुगतान संतुलन को नियंत्रित करना हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार इस संबंध में आवश्यकतानुसार कठोर निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं करेगी।

भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1990-91 के दौरान हमारे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप विकास की दर धीमी हो गई है। सरकार ने हाल ही में व्यापार नीति में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है हमें आशा है कि निर्यात व्यापार धीमे विकास, ऊंची लागत, कड़े नियंत्रण के शिकंजे से निकल आएगा और पुनः तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। सरकार का ध्येय अन्ततः कुछ एक वस्तुओं को छोड़कर, जिनकी संख्या बहुत ही कम होगी, पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल के आयात पर सभी प्रकार के लाइसेंस नियंत्रण को समाप्त करना है।

जेनेवा में बहुपक्षीय विचार-विमर्श का उरुग्वे दौर चल रहा है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के कार्य को महत्व देते हुए सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि विचार-विमर्श के नतीजे विकासशील देशों के लिए अनुकूल व्यापारिक वातावरण बनाने में सहायक हों।

औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। 1990-91 में औसत औद्योगिक विकास दर 8.4 प्रतिशत रही जबकि सातवीं योजना अवधि में यह 8.5 प्रतिशत थी। सरकार, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस प्रयोजन के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया जाएगा। उद्योग और व्यापार के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न अवसरों का पूरी तरह उपयोग किया जाएगा। सरकार लघु उद्योगों और खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देगी। सरकार नियमों को व्यापक रूप से शिथिल करने और नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम करने की दिशा में कार्य करेगी। इस प्रयोजन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा का कार्य शुरू कर दिया गया है भारतीय उद्योगों की प्रतिक्रिया और गुणवत्ता को बढ़ाकर विश्व-स्तर पर लाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात को उदार तथा सरल बनाया जाएगा, जहां भारतीय प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। विदेशी कंपनियों और अनिवासी भारतीयों की भागीदारी के लिए पूंजी निवेश के माहौल को अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है। उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं को वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से जिन सेवाओं की आवश्यकता है उनकी दक्षता में वृद्धि की जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में बढ़ोतरी के लिए इसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाए जा रहे हैं। उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्तियों का चयन करके

सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों को, उनकी जवाबदेही को कम किए बिना, अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। विनिवेश के लिए तथा इक्विटी में कामगारों की भागीदारी के लिए और काम के जिन क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करना अनिवार्य नहीं है और जहां निजी और संयुक्त क्षेत्रों के पास विकसित क्षमता है, उन क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे से मुक्त करने के लिए एक नीति बनाई जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को और बढ़ावा देने तथा साफ्टवेयर के निर्यात के संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना और भारत में सेमी कंडक्टर प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आकर्षित करना शामिल है। कच्चे तेल के उत्पादन और तेल शोधन क्षमता बढ़ाने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार कपड़ा उद्योग की रुग्णता के निवारण और निर्यात किए जाने वाले भारतीय वस्त्रों के मूल्य को प्रतियोगी बनाने के लिए विशेष उपाय करेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा, जो कृषि उत्पाद का बेहतर उपयोग करने तथा उसे और अधिक लाभप्रद बनाने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सरकार आधारभूत व्यवस्था के विकास पर विशेष ध्यान देगी। बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इस्पात उद्योग को और प्रतियोगी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। रेल परिवहन का आधुनिकीकरण करने और उसकी क्षमता के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा। दूरसंचार सेवाओं को अति उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार दूरसंचार और डाक सेवाओं के स्तर में सुधार लाने का प्रयास करेगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इस दशक की समाप्ति से पहले प्रत्येक गांव में टेलीफोन अवश्य पहुंच जाए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आर्थिक योजना में महत्वपूर्ण स्थान देने की आवश्यकता है। इस बात का श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है कि हम अनेक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षमता प्रदान कर पाए हैं। चालू वर्ष के दौरान इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट तथा इंडियन नेशनल सेटेलाइट प्रक्षेपण के दो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम सम्पन्न किए जाएंगे। ये प्रक्षेपण संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराने तथा भूमिगत पेयजल, वानिकी, कृषि और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में संगत आकड़े उपलब्ध कराने के प्रति हमारी वचनबद्धता के परिचायक हैं। विभिन्न उपग्रह प्रक्षेपणयानों के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग संबंधी हमारे प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले कुछ महीनों में नरोरा-2 पावर रिएक्टर तथा काकरापाड़-1 पावर स्टेशन क्रांतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने में हर संभव सहायता करेगी।

आशा है कि वर्ष 1990–91 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 177.2 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का यह तीसरा वर्ष होगा और ऐसा आजादी के बाद पहली बार हुआ है। यह हमारे किसानों के अथक परिश्रम और वैज्ञानिक कृषि प्रबंध पद्धतियों को अधिक प्रभावी ढंग से अपनाने का परिणाम है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि किसानों को उनके माल का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके। कृषि उपज में और वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जाएंगी। सरकार कृषि अनुसंधान पर पूरा ध्यान देगी। विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी इस रूप में उपलब्ध कराई जाएगी कि वे उसका उपयोग व्यावहारिक तौर पर कर सकें। वर्षा प्रधान कृषि की पैदावार बढ़ाने की प्रौद्योगिकी को और विकसित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि इन क्षेत्रों के छोटे और सीमान्त किसानों की आय का स्तर बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जाएं उनके लाभ उन तक पहुंचे। जल संसाधन के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार उर्वरकों का देशी उत्पादन बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ये किसानों को समय पर उपलब्ध हों। आठवीं योजना के दौरान बबराला, शाहजहांपुर, गडेपन और काकीनाड़ा में गैस आधारित संयंत्रों को चालू कर तथा बीजापुर, आंवला तथा जगदीशपुर स्थित संयंत्रों की क्षमता को दुगुना कर नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के क्षेत्र में कम से कम 90 प्रतिशत आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाएगी। नस्ल में सुधार, पशु स्वास्थ्य और सस्ते चारे पर विशेष ध्यान देते हुए पशु पालन के क्षेत्र को और विकसित किया जाएगा। दूर–दराज के क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

देश की विद्यमान विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम और महत्वपूर्ण हो जाता है। योजना आयोग ने यह योजना तैयार करने का काम 1988 में प्रारंभ किया था, किन्तु सरकार में लगातार बदलाव के कारण योजना संबंधी दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए गहरी प्रतिबद्धता रही है, जो इसकी स्वाभाविक विशेषता है। आर्थिक और प्रौद्योगिक गतिविधियों से पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई चिन्ता से भारत भी चिंतित है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे कि स्थायी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता निश्चित रूप धारण कर सके। परती भूमि और जल संसाधन विकास में रोजगार और उत्पादकता की अत्यधिक संभावनाएं हैं। प्रदूषण के निवारण की एक नई नीति तैयार की जा रही है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है ताकि परती जमीन कम की जा सके और प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। सभी राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस कार्य में नागरिक दलों की भूमिका को बढ़ावा दिया जाएगा।

भारत का युवा वर्ग हमारे समाज के वृहत, सृजनात्मक और जीवंत संसाधन का एक अंग है। इनके विकास के लिए निवेश करना देश के भविष्य के लिए निवेश करना है। सरकार राष्ट्रीय एकता की भावना को और देश के आत्म गौरव को अक्षुण्ण रखने के अपने प्रयासों में युवा वर्ग की सक्रिय भागीदारी के लिए नीतियां तैयार करेगी। शिक्षा, युवा विकास, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के बीच संबंधों को मजबूत किया जाएगा। उत्पादक रोजगार के अवसरों में शीघ्रता से वृद्धि करना हमारी योजना और आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य होगा।

महिलाएं और बच्चे, विशेष रूप से गरीब घरों के बच्चे और महिलाएं, हमारी जनसंख्या के दो अत्यधिक नाजुक हिस्से हैं, जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जो विश्व का सबसे बड़ा बाल विकास कार्यक्रम है, अपने सफल कार्यान्वयन के पन्द्रह वर्ष पूरे कर चुकी है। सरकार सभी पिछड़े और सूखा तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और उन क्षेत्रों को, जहां अधिक संख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग बसते हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाकर आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार करने के प्रति वचनबद्ध है। सरकार इंदिरा महिला योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। महिला और बाल विकास के इस एकीकृत कार्यक्रम के प्रेरणास्रोत श्री राजीव गांधी थे और इसकी घोषणा नवम्बर, 1989 में की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में एक नई चेतना विकसित करना और उन्हें सशक्त बनाना है ताकि वे सामाजिक बदलाव और पुनरुत्थान की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। बाल विकास इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होगा। हम महिलाओं के लिए उन सभी विधानों को लागू करने के लिए कदम उठाएंगे, जो पहले से ही कानून का अंग हैं। इस दिशा में पहले कदम के रूप में हमें महिलाओं के अधिकारों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए वचनबद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग, जिसे कानूनी दर्जा दिया गया है, के गठन का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय आयोग को वह सभी सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए रक्षोपायों और अन्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तथा नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है। इन उपायों को लागू करते समय उनमें अधिक निर्धन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां अधिक निर्धन उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे वहां यह लाभ

पिछड़े वर्गों के अन्य लोगों को दिया जाएगा। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे लोगों को भी दिया जाए, जो विद्यमान योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं। एक पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना की जाएगी।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के 15–सूत्री कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए और सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार के अवसरों और विकास योजनाओं से होने वाले लाभों के मामले में उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया जाएगा।

सरकार गांवों के गरीब लोगों के जीवन–स्तर में सुधार लाने पर सबसे अधिक ध्यान देगी। रोजगार के वैकल्पिक अवसर प्रदान कर भूमि पर निर्भरता को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त आर्थिक सहसंबंध स्थापित किए जाएंगे तथा कृषेतर रोजगार बढ़ाया जाएगा। कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण के छोटे, मझोले और बड़े उद्योग भी लगाए जाएंगे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्व–रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रमुख जरिया बना हुआ है। इसे और सुदृढ़ बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में और रोजगार पैदा करने के लिए "जवाहर रोजगार योजना" को जारी रखा जाएगा। राजीव गांधी के नाम पर एक विशेष क्रैश कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसके तहत पांच वर्षों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के आधारभूत ढांचे में भी सुधार लाए जाएंगे।

हमारी अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता काफी हद तक श्रमिक वर्ग, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं, के अथक परिश्रम पर निर्भर करती है। श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करना तथा उनका संवर्धन करना सरकार का प्रमुख प्रयास होगा। श्रम विवादों के समाधान से संबंधित तंत्र में सुधार लाकर स्वस्थ औद्योगिक संबंध विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे।

स्वास्थ्य विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य तत्व है और वह जीवन–स्तर में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी है। यद्यपि स्वास्थ्य रक्षा संबंधी सुविधाओं में लगातार विस्तार हुआ है, किन्तु इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मृत्यु–दर तथा अस्वस्थता दरों को, जो कि विशेष रूप से बच्चों में अभी भी बहुत ऊंची हैं, कम करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए टीकों, किटों तथा रीएजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए एक राष्ट्रीय जैविक संस्थान स्थापित किया जा रहा है। विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का

लाभ उठाने के लिए सरकार देशी प्रणालियों को बढ़ावा देने और उनका विकास करने के लिए कदम उठा रही है। होम्योपैथी के अध्ययन को और प्रोत्साहन देने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

आज विश्व जनसंख्या दिवस है। यह अवसर एक ऐसी समस्या पर ध्यान केन्द्रित करने का है जो समूचे विश्व की समस्या है और जो भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। हम इस समय विकास के एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे सीमित संसाधनों पर निरंतर दबाव डालती जा रही है। छोटे परिवार के मानदंड का प्रचार करके जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने पर बल दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सामान्य लोगों और विशेषकर महिलाओं के लिए एकीकृत स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा और प्रेरक सेवाओं में सुधार लाया जाएगा और उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। मां और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत का सबसे बड़ा संसाधन इसकी जनता है। हमारे जन संसाधनों की पूरी क्षमता का कारगर ढंग से उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय सहमति के आधार पर तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक, आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस नीति के बारे में पिछले डेढ़ वर्षों में उत्पन्न अनिश्चितता की स्थिति से भारी नुकसान हुआ है। अब हम इस नीति को नए उत्साह से लागू करने के लिए पुनः प्रयास करेंगे। हमें सार्वजनिक साक्षरता और सभी बच्चों, खासतौर से साधनहीन वर्ग के बच्चों को अच्छे स्तर की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ अग्रसर होना होगा। सरकार का ऐसा विश्वास है कि शिक्षा का समान अवसर सामाजिक सौहार्द और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति पर बल देना सरकार का मुख्य लक्ष्य रहेगा। महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके साथ-साथ हम शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाएंगे और श्रम और ज्ञान के बीच इस समय विद्यमान गहरी खाई को समाप्त कर देंगे।

समस्त आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर तथा समुचित मात्रा में उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस प्रयास के महत्वपूर्ण अंग के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त और अधिक लक्ष्यपरक बनाया जाएगा, जिससे कि इसका लाभ गरीब से गरीब लोगों को, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का उन्मूलन करना और ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाना हमारी कार्यनीति का अभिन्न अंग होगा। इस प्रयास में मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों और अनुपूरक पोषण कार्यक्रमों में दिए जाने वाले खाद्यान्नों की समय पर और समुचित मात्रा में सुपुर्दगी सुनिश्चित कराना भी शामिल

होगा। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी जैसी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। घटिया माल, घटिया सेवाओं और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित, कम खर्चीले और सरल समाधान के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को और अधिक कारगर ढंग से लागू किया जाएगा। इन सारे प्रयासों पर निगरानी रखने के लिए एक कारगर मशीनरी स्थापित की जाएगी।

सरकार लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन को और अधिक दक्ष तथा उत्तरदायी बनाने को बहुत महत्व देती है। प्रशासन के जिन क्षेत्रों से लोगों का लगातार और सीधा वास्ता पड़ता है उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक कारगर बनाने के लिए इसकी गहन संवीक्षा की जाएगी। सरकार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित खाली पड़े हुए पदों को भरने का अभियान समयबद्ध ढंग से पूरा करेगी।

विदेश नीति में हम दक्षिण एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को द्विपक्षीय आधार पर और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के माध्यम से सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

हम बांग्लादेश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार बनने का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि बातचीत के जरिए बकाया मसलों को सुलझा लिया जाएगा तथा आपसी सहयोग को और सुदृढ़ किया जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश में आए तूफान से वहां जो अभूतपूर्व विनाश हुआ है उस पर हमें बहुत दुःख हुआ है और हम मैत्री की भावना से तथा अच्छे पड़ोसी के नाते राहत कार्यों में योगदान दे रहे हैं।

आपसी विश्वास और सहयोग के आधार पर मालदीव के साथ हमारे संबंधों में निरन्तर प्रगति हो रही है। मालदीव भी भयंकर समुद्री तूफानों का शिकार रहा है। भारत राहत प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

भूटान के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग और अधिक गहरे और सुदृढ़ होंगे।

नेपाल में बहु-दलीय लोकतंत्र का आविर्भाव हमारे अद्वितीय रूप से घनिष्ठ संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगा। पिछले साल दोनों तरफ से हुई उच्च-स्तरीय यात्राओं से हमारी आपसी राजनैतिक समझ सशक्त हुई है और हमारे आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाने में हमारा संकल्प समान रूप से प्रकट हुआ है।

सरकार पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के लगातार प्रयास करेगी। परस्पर विश्वास उत्पन्न करने वाले अनेक करार किए गए हैं, जिनमें सैनिक अभ्यास के बारे में पूर्व-सूचना देना और सैनिक वायुयानों द्वारा वायु-सीमा के उल्लंघन को रोकना शामिल है। हमारा विश्वास है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सारे मतभेद शिमला समझौते के आधार पर शांतिपूर्ण ढंग से एवं द्विपक्षीय रूप में दूर हो जाएंगे। फिर भी, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान की मदद गंभीर चिन्ता का विषय है और हमारे रिश्तों में वास्तविक और सतत सुधार के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है।

हम श्रीलंका में हो रही हिंसा से चिंतित हैं, जिसके कारण लोगों को लगातार दु:ख झेलने पड़ रहे हैं और फलस्वरूप करीब दो लाख श्रीलंकाई नागरिक हमारी धरती पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि जातीय समस्या के पूर्ण और स्थायी समाधान के प्रयासों में तेजी लाई जाए और ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं जिससे इन शरणार्थियों को शीघ्र वापस भेजा जा सके। भारत-श्रीलंका समझौता इस उद्देश्य के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करता आ रहा है।

हम अपने निकट पड़ोसी देश, अफगानिस्तान के साथ मित्रता और सहयोग के अपने पारंपरिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। हम इस बात से चिंतित हैं कि फिर से की जाने वाली सैनिक कार्रवाई से शांति प्रयासों में गतिरोध उत्पन्न होगा। हम आशा करते हैं कि राजनीतिक हल के द्वारा वहां शीघ्र शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी। भारत एक मजबूत, स्थायी, स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष अफगानिस्तान के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेगा।

1988 में श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के समय से चीन के साथ हमारे संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और हम इस प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करना चाहेंगे। दोनों देशों के बीच क्रमश: बम्बई और शंघाई में अपने-अपने वाणिज्य दूतावास पुन: खोलने और सीमा व्यापार पुन: आरंभ करने पर सहमति हो गई है। वैज्ञानिक और तकनीकी आदान-प्रदान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। दोनों देशों के बीच चले आ रहे सीमा-विवाद को निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। भारत और चीन के बीच बेहतर समझ और सहयोग का हमारे क्षेत्र और पूरे विश्व में शांति और स्थायित्व की स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

सोवियत संघ हमारा प्रमुख साथी है जिसके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और व्यापक सहयोग है, जो दोनों देशों के लिए समान रूप से लाभकारी है। हम सोवियत संघ के लोगों द्वारा अपने देश में परिवर्तन लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि इस महान देश के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों का विकास पारम्परिक घनिष्ठता और आपसी समझ के वातावरण में जारी रहेगा।

हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने संबंधों को और विकसित करना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि दोनों देशों का उद्देश्य परस्पर लाभप्रद और परिपक्व संबंध स्थापित करना है। वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत-अमरीका सहयोग लगातार बढ़ता रहा है।

खाड़ी क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ हमारे प्रगाढ़ और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। वहां युद्ध के बाद की घटनाओं पर हम लगातार नजर रख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि नई सुरक्षा व्यवस्था इस क्षेत्र के देशों की अपनी पहल पर आधारित होगी और पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में की जाएगी।

फिलिस्तीन की समस्या का कोई व्यापक समाधान ढूंढे बगैर पश्चिमी एशिया में स्थायी अथवा स्थिर शांति नहीं हो सकती। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के न्यायपूर्ण संघर्ष का हमेशा समर्थन किया है और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। हम ऐसे किसी भी समाधान का समर्थन करने के प्रति वचनबद्ध हैं जो फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार, 1967 से अधिगृहीत सभी अरब क्षेत्रों को खाली करने तथा क्षेत्र के सभी राज्यों की सुरक्षा पर आधारित हो।

यूरोप के सभी देशों के साथ हमारे अच्छे परम्परागत संबंध रहे हैं। यूरोपीय समुदाय हमारा प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और निवेश एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम राजनीतिक एवं आर्थिक हस्ती के रूप में इसके संभावित विकास को भी मान्यता प्रदान करते हैं। हम इस समुदाय के साथ निकट संपर्क बनाए रखेंगे।

जर्मनी के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से जर्मनी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आदान-प्रदान, जो कि पिछले दशकों में भारत-जर्मनी संबंधों की प्रमुख विशेषता रहा है, के उपलक्ष्य में इस वर्ष सितम्बर में जर्मनी में भारत महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा।

पूर्वी यूरोप के देशों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत इन देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफल होने का स्वागत करता है और उनके साथ अपने परम्परागत मैत्रीपूर्ण संबंधों के मजबूत होने की आशा करता है।

हमारी इच्छा है कि जापान के साथ हमारे संबंध मजबूत हों। वह पहले से ही हमारा प्रमुख आर्थिक भागीदार रहा है। हम परस्पर संबंधों के सभी मामलों में जापान के साथ रचनात्मक बातचीत कर रहे हैं। हम उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता की प्रशंसा करते हैं।

सरकार दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी देशों के साथ घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को जारी रखेगी। हम कम्बोडिया संघर्ष का ऐसा राजनीतिक समाधान ढूंढने में अपना

योगदान जारी रखेंगे, जो कि कम्बोडिया की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतंत्रता और गुट-निरपेक्ष स्थिति के अनुकूल हो।

हम फिजी में जातीय भेदभाव को संस्थागत आधार प्रदान करने के प्रयासों का कड़ा विरोध करते हैं।

हम दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा रंगभेद का कानूनी प्रावधान समाप्त करने के लिए किए गए उपायों का स्वागत करते हैं। हम इस संबंध में और उपाय लागू करने की अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं ताकि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पूर्ण रूप से समाप्त हो सके।

इस वर्ष जनवरी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अपनी वर्तमान सदस्यता की अल्पावधि के दौरान हमने बहुपक्षवाद में अपनी निष्ठा के अनुरूप न केवल अपनी राष्ट्रीय नीतियों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बरकरार रखने का काम भी किया है।

हमारी विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हो रहे दूरगामी परिवर्तनों का भी ध्यान रखा जाएगा। हम विकासशील देशों में गरीबी कम करने तथा जीवन-स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ शांति, नि:शस्त्रीकरण और विश्व सहयोग के लिए काम करना जारी रखेंगे।

माननीय सदस्यगण, आपके समक्ष मुख्य कार्य वर्ष 1991-92 का बजट पारित करना और राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण अनेक उपायों पर विचार करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विषय में आपका विचार-विमर्श परिपक्वता एवं बुद्धिमत्ता से युक्त तथा देशभक्ति की भावना और राष्ट्रहितों के प्रति आपकी नि:स्वार्थ निष्ठा से प्रेरित होगा।

संकट की इस घड़ी में संसद के इस सत्र का विशेष महत्व है। आपको नेतृत्व प्रदान करने के साथ-साथ मार्ग भी प्रशस्त करना है, जिससे हमारे देशवासियों के मन में आत्मविश्वास उत्पन्न हो और वे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में सोत्साह जुट जाएं। आपके समक्ष एक मजबूत और खुशहाल भारत का निर्माण करने का ऐतिहासिक कार्य है, एक ऐसा भारत जहां सहृदयता हो, ऐसा भारत जहां सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द्ध हो, एक ऐसा भारत जहां गरीबी समाप्त हो चुकी हो, एक ऐसा भारत जो समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित हो।

मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 24 फरवरी 1992

लोक सभा	-	दसवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री पी.वी. नरसिंह राव
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री शिवराज वि. पाटील

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1992 में संसद के इस प्रथम अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं, उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंजाब से आये नये सदस्यों का विशेष रूप से स्वागत करता हूं।

सरकार ने आश्वासन दिया था कि फरवरी, 1992 में पंजाब में चुनाव कराए जाएंगे। कई गम्भीर समस्याओं के बावजूद इस आश्वासन को पूरा किया गया है। सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि पिछले दशक से पंजाब राज्य आतंकवादी हिंसा का सामना करता रहा है और कई निर्दोष जानें गई हैं। पंजाब की बहादुर जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीयता के स्थायी मूल्यों में अपनी आस्था को पुनः व्यक्त करने में जिस साहस का परिचय दिया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सरकार पंजाब में सभी अनसुलझे मसलों का उचित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए वचनबद्ध है। राजीव-लोंगोवाल समझौता इस दिशा में एक कदम था। निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अर्थपूर्ण वार्ता और इस प्रक्रिया में राज्य के सभी वर्गों की भागीदारी के लिए बल मिलेगा।

कश्मीर में आतंकवादियों को सहायता और हथियार देने तथा संभार-तंत्र का समर्थन देने में सीमापार के बलों का शामिल होना अब एक सर्वविदित तथ्य है। पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने तथा आतंकवाद को वह जो प्रच्छन्न-अप्रच्छन्न रूप से समर्थन दे रहा है उससे संसार का ध्यान हटाने के लिए व्यापक रूप से गलत

और झूठे प्रचार का अभियान चलाया है। आतंकवादी कार्रवाई से अनेक निर्दोष लोगों की जानें गयी हैं। दो वर्ष से भी अधिक समय से इस राज्य का सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कुछ लोगों को जबरन राज्य से भागना पड़ा है और बाहर शरण लेनी पड़ी है। इसमें संदेह नहीं कि जिन लोगों ने स्थान बदला है उनकी जरूरतों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, किन्तु समस्या का समाधान इस बात में है कि वे अपने घर लौट जाएं जहां सुरक्षित रूप से फिर बस सकें।

सरकार ने सेना की मदद से आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस बात के सभी प्रयास किये जा रहे हैं कि सीमा पर घुसपैठ रोकी जाए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उग्रवादियों ने हाल में नियंत्रण रेखा पार करने के जो व्यापक प्रयास किए उससे उस क्षेत्र में शांति को भारी खतरा उत्पन्न हुआ। देर से ही सही, पाकिस्तान द्वारा की गई जमीनी कार्रवाई और मेरी सरकार द्वारा किये गये राजनयिक प्रयासों से इस गम्भीर खतरे का मुकाबला करने में सफलता मिली। कुछ आतंकवादी ग्रुपों ने अपने हथियारों के साथ समर्पण किया है। विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श हुए हैं जिससे कि जनता के साथ एक अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रियाकलाप में तेजी लाई जा सके। साथ ही, मेरी सरकार ने राज्य में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। राज्य स्तर पर एक सलाहकार परिषद् का भी गठन किया गया है। सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई भी बातचीत करने के लिए इच्छुक है जो संविधान के ढांचे के भीतर हो।

सितंबर, 1991 से देश के पूर्वी भाग असम में शांति और सामान्य स्थिति फिर से बहाल करने के लिए सेना तैनात करनी पड़ी थी। सुरक्षा बलों ने अनेक उल्फा उग्रवादियों को पकड़ा है और उनके हथियार जब्त किये हैं। कुछ उग्रवादियों ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण भी किया है। उल्फा ने बंदी बनाये गये सभी व्यक्तियों को मुक्त कर दिया है तथा अपने आंदोलन को रोकने की एकतरफा घोषणा कर दी है। उल्फा ने संविधान के ढांचे के तहत असम समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। उल्फा के साथ बातचीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए असम में फिलहाल सेना की कार्रवाई रोक दी गई है।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से उत्पन्न स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार ने 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान अन्य पूजा स्थलों की यथास्थिति बनाये रखने के लिए कानून बनाया है। साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए परिवारों के बच्चों की देखभाल के लिए साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मेरी सरकार की एक वचनबद्धता थी साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के लिए एक संयुक्त त्वरित कार्रवाई बल का गठन करना। इस संबंध में सभी आवश्यक निर्णय ले लिये गये हैं। इस बल की स्थापना कर दी गई है।

आपको याद होगा कि पिछले अधिवेशन में संसद ने कानून बनाकर संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली के लिए विधान सभा और मंत्रिपरिषद् की स्थापना हेतु जनता द्वारा काफी समय से की जा रही मांग को पूरा किया है। सरकार ने चुनाव शीघ्र करवाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की कार्रवाई आरंभ कर दी है।

मैंने अपने पहले अभिभाषण में देश को विकट आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कठोर निर्णय लिए जाने की बात कही थी। सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई आरम्भ कर दी है। भुगतान संतुलन की समस्या को सफलतापूर्वक निपटाया गया है। इस समय हमारी विदेशी मुद्रा का आरक्षित कोष 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है। हमने बंधक रखे गए सोने को छुड़ा लिया है तथा पूंजी के देश से बाहर जाने पर रोक लगाने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। अन्तर्राष्ट्रीय साख पुनः स्थापित की जा रही है। साथ ही, मेरी सरकार ने अधिक उत्पादकता तथा विकास के लिए अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की कार्रवाई आरम्भ कर दी है। औद्योगिक, राजकोषीय और व्यापार नीतियों में परिवर्तन लाए गये हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया जारी रहेगी और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया लागू करनी होगी।

नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य पिछले दशक के लाभों को समेकित करना तथा भारतीय उद्योग की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नए प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस नीति से महत्वपूर्ण परिणाम मिलने शुरू हो गये हैं। नीति में परिवर्तन की घोषणा के बाद गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निवेश प्रस्तावों की संख्या दुगुनी हो गई है। विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को स्वीकृति दिए जाने में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों के साथ-साथ लघु क्षेत्र के उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए एक नीति पैकेज की घोषणा की गई है। लघु तथा छोटे उद्योग, रोजगार प्रदान करने तथा औद्योगिक उत्पादन में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों को मुख्य भूमिका निभानी है। केन्द्र सरकार उनसे सहयोग करती रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उदारीकृत नीति का लाभ सम्पूर्ण देश को मिल सके।

हम निर्यात पर अधिक जोर देते हैं। लगभग 20 प्रतिशत अपरिहार्य आयात दबाव के बावजूद, सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को किए गए निर्यात में डालर के रूप में 6 प्रतिशत की साधारण वृद्धि हुई है। फिर भी, उन क्षेत्रों में जहां भुगतान रुपये में होता है, निर्यात पर बाहरी बाधाओं के कारण संपूर्ण निर्यात वृद्धि प्रभावित हुई है। भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के साथ व्यापार पुनः आरम्भ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन सब के साथ ढांचागत करार किए जा रहे हैं।

नई नीतियों के परिणामस्वरूप वर्तमान ढांचे में किए जाने वाले परिवर्तनों से जो कामगार प्रभावित होंगे उनके हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है। पुनः प्रशिक्षण और पुनः नियोजन के कार्यक्रम आरम्भ किये जाएंगे,

जिसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की जाएगी। भारत की शक्ति उसके कामगार वर्ग में निहित है। श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव की जांच करने और श्रमिकों से संबंधित समस्याओं के संबंध में समय-समय पर सिफारिशें करने के लिए एक स्थायी त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग ने पिछली जुलाई में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है और रोजगार के अवसरों के सृजन, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान, विद्यमान कानूनों के सुदृढ़ीकरण और नए विधान तैयार करने के माध्यम से ग्रामीण कामगारों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। सरकार इन सिफारिशों का अध्ययन कर रही है।

कीमतों में हो रही वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। मुद्रास्फीति काफी हद तक राजकोषीय घाटे के कारण हो रही है। एक बार यदि राजकोषीय घाटा कम हो जाए और उस पर काबू पा लिया जाए तो आशा है कि मुद्रास्फीति कम होकर समुचित स्तर तक आ जाएगी। जमाखोरी को रोकने के उपाय और गोदामों से अधिक खाद्यान्न निकालने जैसे अन्य संभव प्रशासनिक कदम उठाये गये हैं। अगस्त, 1991 में मुद्रास्फीति की दर 16 प्रतिशत से अधिक थी जो घटकर इस समय 12 प्रतिशत रह गयी है। मेरी सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखेगी और उन्हें और कम करने के उपाय करेगी।

हाल ही में किये गये आर्थिक नीति संबंधी परिवर्तन आठवीं योजना का आधार होंगे और आठवीं योजना की विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया है। विकास के इस लक्ष्य को 400,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित कुल परिव्यय से पूरा किया जायेगा। योजना का प्रमुख उद्देश्य अधिक रोजगार पैदा करना होगा। योजना की अन्य प्राथमिकतायें हैं—निरक्षरता का उन्मूलन करना, प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाना और पीने का पानी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस बात पर बल दिया जाएगा कि उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें और गरीब से गरीब तथा सर्वाधिक जरूरतमंद वर्गों को ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। आठवीं योजना में इसके बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल में हुई बैठक में आठवीं योजना के नीतिगत दृष्टिकोण का राज्यों द्वारा पहले ही समर्थन किया जा चुका है और सरकार को विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था जल्दी ही विकास की दिशा में जीवन क्षम और स्थिर हो जाएगी।

बिजली, कोयला, इस्पात एवं सीमेंट जैसे अनेक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में विकास दर उत्साहवर्धक रही है। सरकार बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है। बिजली की पूर्ति बढ़ाने और उसे अधिक स्थिर बनाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। आणविक ऊर्जा एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। देश के विकास के लिए प्रभावी संचार प्रणाली के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क की क्षमता और परिवहन क्षमता में वृद्धि करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा। नई नौ-परिवहन नीति आरंभ की जा रही है। इंडियन एअरलाइन्स और

एअर इंडिया के ढांचे में भारी परिवर्तन करने का विचार है जिसमें वायुयानों का आधुनिकीकरण और सहायक सुविधाएं शामिल होंगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे दूर संचार सेवाओं के नेटवर्क का पर्याप्त विस्तार किया जाएगा।

हमारे देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह गर्व का विषय है। उदाहरणार्थ इनसेट-2 उपग्रह का देश में स्वदेशी निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। इनसेट-2ए को अगले महीने छोड़े जाने की संभावना है। अगले एक वर्ष में उपग्रह प्रक्षेपण यान के योजनाबद्ध प्रक्षेपण के साथ ही भारत उन इने-गिने देशों की श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास अपनी प्रक्षेपण क्षमता है। बायोटेक्नोलॉजी की असीमित क्षमता का पूरा लाभ उठाया जाएगा जो कृषि, मत्स्य पालन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इलेक्ट्रॉनिकी की क्षमताओं को और बढ़ाया जाएगा ताकि इससे हमारे देश की जनता को सुनिश्चित लाभ हो सके। वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा होने वाले लाभों का एक अन्य उदाहरण है नई गर्भ निरोधक गोली का तैयार किया जाना। इन्हें अंतत: सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने के साथ-साथ, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को हमारी जनता के जीवन स्तर से इस प्रकार पूर्णत: संबद्ध किया जाना चाहिए जिससे कि उसमें सुधार हो सके।

हर दृष्टि से प्रगति में तेजी लाने के लिए भी पर्यावरण के प्रति सभी को अर्थात् सरकार, उद्योग और जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस लक्ष्य को सामान्य नियामक उपायों के साथ-साथ वित्तीय प्रोत्साहन और प्रतिबंध की योजना द्वारा प्राप्त किया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोग के अधिकार के साथ-साथ भागीदारी आधार पर अवक्रमित वनों में वृक्षारोपण में जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को सहबद्ध करने की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। 1985 में चलाए गए परती भूमि विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा और देश में 50 जिलों में सूक्ष्म जल विभाजकों के समन्वित विकास का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। गंगा नदी स्वच्छ करते समय प्राप्त अनुभव से मेरी सरकार का यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत इस नदी की मुख्य सहायक नदियों और अन्य बड़ी नदियों के समग्र रूप से प्रदूषित नालों को साफ करने का काम हाथ में लिया जाए। भारत पर्यावरण और विकास के संबंध में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा कि इस सम्मेलन में विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा की जाए।

विश्व की सर्वाधिक दु:खद औद्योगिक घटना 2 दिसम्बर, 1984 को भोपाल में हुई। इस दु:खद घटना के परिणामस्वरूप हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। भारत सरकार ने इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने और उन्हें राहत प्रदान करने की स्वयं जिम्मेदारी ली है। 3 अक्तूबर, 1991 को उच्चतम न्यायालय के निर्देश से कानूनी कार्रवाइयां पूरी कर दी गई हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को अधिक से अधिक राहत दी जाए।

पर्यटन का क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है जो कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। सरकार ने, राज्य सरकारों, ट्रैवल ट्रेड और होटल उद्योग के सहयोग से, पर्यटन के विकास को बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास किये हैं। इसके परिणाम मिलने आरम्भ हो गये हैं तथा पर्यटकों के आने में वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1991 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही है। मेरी सरकार की पर्यटक कार्य योजना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में पर्यटक सुविधाएं मुहैया कराना, उदार चार्टर नीति तथा समन्वित विकास के लिए विशेष पर्यटक केन्द्र स्थापित करना और घरेलू और कम बजट के पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए चुनिंदा गन्तव्य स्थलों पर व्यापक विपणन सुविधा प्रदान करना शामिल है। हमारे लोगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे अपने देश को बेहतर ढंग से जान सकें तथा समझ सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार युवा पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

भविष्य में हमारी सुरक्षा और प्रगति का आधार काफी हद तक कृषि के विकास पर निर्भर करता है। कृषि, जिसमें खाद्य उपज, बागवानी, मत्स्य उद्योग, पशु प्रजनन तथा मुर्गी पालन शामिल है, के क्षेत्र में हमने जो तेज प्रगति की है, उसका श्रेय हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में हुई प्रगति को है, किन्तु इस प्रगति की कहानी अन्य सभी बातों के अतिरिक्त भारतीय किसान के जीवन तथा उसके धैर्य और दृढ़ निश्चय की भी कहानी है। 1990-91 का वर्ष लगातार ऐसा तीसरा कृषि वर्ष रहा, जब खाद्यान्न उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून का रुख अल्पकालिक और स्थानिक स्वरूप का रहा है, जिसके कारण उत्पादन में कुछ गिरावट आने की आशंका है। हालांकि हमारे अनुसंधानकर्ता अब ऐसी तकनीक तैयार कर रहे हैं जिससे कि मौसम की अनिश्चितता का प्रतिकार हो सके, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में भूमि सुधार और उत्पादकता में वृद्धि के लिए आगे और अधिक प्रयास करने होंगे क्योंकि भारत की कृषि का 70 प्रतिशत भाग वर्षा के जल से सिंचित खेती पर आधारित है। मेरी सरकार ने फसल के उन्नत तरीकों, विनाशकारी कीटों पर कारगर नियंत्रण, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा स्थानीय नमी को सुरक्षित रखने जैसे उपायों के माध्यम से वर्षा सिंचित भूमि उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए पहले ही बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बागवानी, पशुपालन, पशुधन विकास और कृषि प्रसंस्करण के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भेड़ पालन, मुर्गी पालन और सूअर पालन के क्षेत्र में सहकारी और अनुसंधान प्रयासों को और तेज किया जाएगा। इनमें तथा अन्य क्षेत्रों में प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सके। तिलहनों, दालों और अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार उत्पन्न करने और कृषि के विविधीकरण के लिए अनुसंधान पर बल दिया जाएगा।

हाल ही में, राज्यों के बीच जल के बंटवारे से जुड़े सवालों के कारण क्षोभ और तनाव उत्पन्न होते रहे हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति के इस बहुमूल्य उपहार, जल का बंटवारा व्यापक राष्ट्रीय हित में न्यायसंगत रूप में हो। जल एक प्रवाहशील तत्व है, इसकी मात्रा एक वर्ष से दूसरे वर्ष में तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में घटती-बढ़ती रहती है। इसकी व्यवस्था, इससे संबंधित क्षेत्रों के बीच परस्पर समझदारी और सहयोग की भावना से सौहार्दपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। नदियों को विवाद का विषय होने की अपेक्षा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने वाली शक्ति होना चाहिए। किसी भी अंतर-राज्यीय नदी के पानी को प्रयोग में लाने से संबंधित सभी विवादों को बातचीत के जरिए हल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो सरकार इस उद्देश्य के लिए विधि द्वारा स्थापित अधिनिर्णयन कार्य-प्रणाली के माध्यम से इन विवादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करेगी।

सबसे अधिक कमजोर वर्गों के लिए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के जरिए रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने हेतु प्रभावकारी उपाय किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी क्योंकि इस पर उनका स्वास्थ्य निर्भर करता है। पेयजल की समस्या वाले सभी गावों को, जिनकी पहचान कर ली गई है, 1992-93 के अंत तक पेयजल साधन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुदूर गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने को श्री राजीव गांधी की वचनबद्धता का सम्मान करते हुए, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल संबंधी टेक्नोलॉजी मिशन को, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नया नाम दिया है। इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाकर ग्रामीण आवास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है ताकि लोगों को प्रभावी राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो सके। इस संबंध में सितम्बर, 1991 में लोक सभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी कम भयानक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं जारी रहेंगी। जल्दी ही एक नई राष्ट्रीय आवास नीति प्रस्तुत की जाने वाली है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य भवन निर्माण संबंधी क्रिया-कलापों के लिए समुचित वातावरण तैयार करना होगा और जनता को, विशेषतः कमजोर वर्गों को सहायता देनी होगी ताकि वे अपने लिए विकसित भूमि, भवन निर्माण सामग्री, वित्त व्यवस्था और प्रौद्योगिकी की पहुंच के माध्यम से उचित मूल्य पर घर प्राप्त कर सकें। सरकार समयबद्ध कार्यक्रम के तहत कम लागत वाली सफाई योजना चलाकर मानव द्वारा मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। देश के 740 से भी अधिक कस्बों में शुष्क शौचालयों को कम लागत वाली सफाई यूनिटों में बदलने की योजना पहले ही अनुमोदित कर दी गई है। मैला ढोने वाले लोगों

के पुनर्वास का काम भी किया जा रहा है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन ऐसा कानून बनाने का निर्णय लिया है जिसके अधीन मानव द्वारा मैला ढोने की प्रथा को अपराध माना जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोक सभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है ताकि इनसे लोगों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त हो सकें।

मेरी सरकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों की समस्याओं के प्रति अत्यधिक जागरूक है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर बार-बार हो रही अत्याचार की घटनाओं को ध्यान में रखकर अक्तूबर, 1991 में मुख्य मंत्रियों के एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि इस समस्या के समाधान पर राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर उनका ध्यान केन्द्रित किया जा सके। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई कि वे तनाव बहुल क्षेत्रों का पता लगाएं और उनसे निपटने के लिए विशेष प्रशासनिक कदम उठाएं। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को नौकरियों के अवसर प्रदान करने के संदर्भ में सरकार, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में उनके अनुपात को बढ़ाने के उपाय करती रही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस समय तीसरा विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल के मेरे अभिभाषण में किए गए वायदे के अनुसरण में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये की प्राधिकृत प्रदत्त पूंजी वाले एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम का गठन किया गया है।

मैंने अपने पिछले अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और लोक सेवाओं में नियोजन और विकास योजनाओं से होने वाले लाभ के मामले में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे नया रूप दिया जा रहा है।

मेरी सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद् को सांविधिक दर्जा दिए जाने का निर्णय किया है। यह परिषद् अपंगों के पुनर्वास के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण का मानदण्ड स्थापित करती है। सरकार ने मंदबुद्धि तथा मस्तिष्क पक्षाघात वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास का गठन करने के लिए कानून बनाने का भी निर्णय लिया है।

सरकार महिलाओं और बच्चों, जो हमारे समाज के अति संवेदनशील वर्ग हैं, की आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता देगी। सरकार आठवीं योजना के दौरान समेकित बाल विकास योजना संबंधी कार्यक्रम को व्यापक बनाएगी ताकि इसमें समस्त देश को

शामिल किया जा सके। बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिसमें उनके पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षिक जरूरतों पर हमारा ध्यान केन्द्रित होगा। सरकार भलीभांति जानती है कि महिलाओं का केवल विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक संरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। महिलाओं की समानता के प्रश्न का अन्ततः उत्तर यह है कि उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनको संगठित किया जाए जिससे उन्हें अधिकार मिलें तथा उनके लिए अच्छी आय और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। अतः सरकार इंदिरा महिला योजना को कार्यान्वित करेगी। इसी उद्देश्य के लिए सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है।

सरकार यह सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देती है कि लोगों को अपनी आधारभूत दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता न बनी रहे। इसके लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी। सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर वितरण प्रणाली के संबंध में सचेत रहना और उसका पर्यवेक्षण करना होगा जिसमें इन दायित्वों को पूरा करने के लिए स्थानीय रूप से पहल करनी होगी और विशेष रूप से महिलाओं को यह काम सौंपना होगा ताकि इस व्यवस्था में पाई जाने वाली कमियों और गलत तरीकों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यपालन में सुधार लाने का प्रयास करते समय देश के दूर-दराज के क्षेत्रों और अधिक पिछड़े क्षेत्रों के लगभग 1700 ब्लॉकों में इस नई नीति सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जो कि समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाएं, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र और शहरी गंदी बस्ती योजना के अंतर्गत आते हैं। उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और क्रेडिट सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को और व्यापक बनाया जाएगा। राज्य सरकारों के घनिष्ठ सहयोग से इस दिशा में पहले ही उपाय शुरू किए जा चुके हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और बनाई रखी जा सके और यह अभियान जारी रहेगा। मेरी सरकार एक नए सामाजिक विकास के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का आधार मानती है। जवाहर रोजगार योजना और समेकित बाल विकास सेवा योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ समुचित तालमेल रखा जाएगा। उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा तथा संवर्धन के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन देश में 28 राज्य आयोग और 360 जिला फोरम कार्य कर रहे हैं। मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि शेष राज्य आयोगों और जिला फोरम की भी स्थापना करें और यह सुनिश्चित

करें कि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। जिला फोरम में अभी तक दायर की गई 33,851 शिकायतों में से 82 प्रतिशत शिकायतों का निर्णय उपभोक्ताओं के पक्ष में किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन किए जाने के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त दल की रिपोर्ट हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई। इस समय इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित संशोधनों के संबंध में इस कार्यदल की सिफारिशों पर शीघ्र ही केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में विचार किया जाएगा।

सरकार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, अंधता नियंत्रण और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सहित 14 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रही है। हर वर्ष कालाजार की सूचना मिल रही है और हाल ही में इसने बिहार में महामारी का रूप धारण कर लिया है। इसको युद्ध स्तर पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। एड्स की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ रक्त सुरक्षा की जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए इस खतरे का मुकाबला करने के लिए पहले ही कार्यक्रम तैयार कर लिया है। कुष्ठ रोग की वर्तमान दरों में अत्यधिक कमी हुई है और रोगियों को इससे मुक्ति दिलाने में सुधार हुआ है। जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नेत्र चिकित्सा सुविधाओं को स्थायी रूप से उन्नत करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। टीका निवार्य रोगों में सामान्यतया कमी आयी है। पोलियो के रोग में भी उल्लेखनीय कमी हुई है। काली खांसी और डिप्थीरिया के रोगों में भी अत्यन्त कमी आयी है।

जिस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उससे हमारे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। मेरी सरकार ने जन्म-दर में भारी कमी लाने के लिए हाल के महीनों में समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इस उद्देश्य के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें गुणवत्ता में सुधार लाने और सेवाओं को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। अब यह साबित हो गया है कि जिन क्षेत्रों में साक्षर महिलायें कम हैं, विवाह के समय लड़कियों की उम्र कम है और नवजात शिशु तथा प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है वहां जन्म दर ऊंची बनी हुई है। इस कार्य योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में विशेष प्रयास किये जाएंगे। देश के उन 90 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनमें प्रति हजार जन्म-दर 39 से भी अधिक है। राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रियों की बैठक में और राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस कार्य योजना की समीक्षा की गई और इसका समर्थन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस कार्य योजना के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में मुख्य मंत्रियों की एक उपसमिति भी गठित की है जो सभी उपायों के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगी। जनसंख्या की समस्या केवल केन्द्र और राज्य सरकारों की ही चिन्ता का विषय नहीं है। चुने हुए

प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठनों, आम जनता के अन्य नेताओं—वास्तव में हम सभी अर्थात् समाज के सभी वर्गों के लोगों को इन प्रयासों में भाग लेना होगा। इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति आज की सबसे बड़ी जरूरत है और संसद को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

संसद ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित की थी और उसके तुरंत बाद ही इसे लागू कर दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में हुए कई विकासों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह जरूरत महसूस की गई कि शिक्षा नीति में संशोधन करने की आवश्यकता की जांच की जाए। जांच प्रक्रिया पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और मुझे विश्वास है कि इस नीति की अनिश्चितता अब समाप्त हो जाएगी, जिसमें मुख्यत: 1986 की शिक्षा नीति पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को, जिसे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने मई, 1988 में शुरू किया था, महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। वास्तव में आप सबके साथ मुझे भी इस बात का गर्व है कि केरल और पांडिचेरी* के सभी जिलों और अन्य कई राज्यों ने निरक्षरता उन्मूलन में सफलता प्राप्त कर ली है। देश के लगभग 70 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाये जा रहे हैं। इन जिलों के इन अभियानों में विभिन्न आयु वर्गों के लगभग 3 करोड़ निरक्षरों को शामिल किया जाएगा और इन पर 210 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये अभियान स्वयंसेवी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन से चलाये जा रहे हैं। परन्तु इस दिशा में हमें अभी बहुत काम करना है और हमें यह संकल्प लेना है कि हम आठवीं योजना के अंत तक देश के सभी भागों को, विशेषकर 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने का महान और चुनौती पूर्ण कार्य पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही हमें प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने की दिशा में भी कार्य करना है, जो सबकी पहुंच में हो, जिसमें सबकी सहभागिता हो और न्यूनतम स्तर तक सबको सुलभ हो। प्राथमिक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था को केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्कीम द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है। यह स्कीम आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है। देश के कुल 5.7 लाख स्कूलों में से 3.8 लाख स्कूलों को इसमें पहले ही शामिल कर लिया गया है। 70,000 से अधिक अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 620 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे स्कूल की औपचारिक सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा 2.45 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं। अन्य 27 हजार केन्द्र 410 स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों के लिए 208 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि डिग्रियों को नौकरियों से कारगर रूप में अलग रखा जाए और सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को कार्य तथा व्यवसाय प्रधान बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अधीन केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की

*अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है।

स्थापना करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। यह संस्थान व्यावसायिक शिक्षा को सक्रिय प्रोत्साहन देगा। तकनीकी शिक्षा के सुधार पर निरन्तर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता तो स्पष्ट ही है। यह आवश्यक है कि शिक्षण एवं अनुसंधान के कार्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए और उत्कृष्टता के मानदण्ड स्थापित करने वाली संस्थाओं की संख्या में वृद्धि की जाए।

पिछले वर्ष जुलाई में जब मैंने संसद में अभिभाषण किया था उसके बाद विश्व में घटनायें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। बीच का यह समय भारत की विदेश नीति के लिए अत्यधिक व्यस्ततापूर्ण रहा है।

सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताएं भारत की एकता और प्रादेशिक अखंडता बनाये रखना है, ताकि हम अपने क्षेत्र में स्थिरता और शांति का स्थायी वातावरण तैयार करके अपनी भौगोलिक और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और विदेशों में स्वस्थ आर्थिक वातावरण बना करके अपनी जनता के आर्थिक कल्याण के अनुकूल एक संरचना का निर्माण कर सकें। प्राथमिकताओं की केवल इस संपूर्ण संरचना में हम निःसंदेह न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के प्रति सचेत हैं बल्कि हम यह भी भली भांति जानते हैं कि हमारा भाग्य एशिया, विशेष रूप से दक्षिण एशिया पर निर्भर करता है। भारत में बहुत पहले 1947 में ही आयोजित किया गया प्रथम एशियाई-संबंध-सम्मेलन इस तथ्य का प्रमाण है कि यह आरम्भ से ही स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ रहा है। भारत की नीतियां इस प्रकार बनाई गई हैं कि वे पुनरुत्थानशील एशिया के अनुकूल हों, क्योंकि हमें आशा है कि 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी।

अपने पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय आधार पर तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के माध्यम से संबंध को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। हमें आशा है कि पिछले दिसम्बर में कोलम्बो में बुलाये गये दक्षेस शिखर सम्मेलन से दक्षेस के ढांचे के अंतर्गत आने वाले दक्षिण एशियाई देशों में और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों के एक गुणात्मक नये युग का सूत्रपात हुआ है। इसके परिणामस्वरूप सहयोग के महत्वपूर्ण द्वार खुलेंगे जो हमारे उन संबंधों की अभूतपूर्व निकटता को मजबूती प्रदान करेंगे जो नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र का आविर्भाव होने से सुदृढ़ हुए हैं।

चीन के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा हमारे संबंधों को और विकसित करने के मार्ग में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। हमने उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान के द्वारा अपनी आपसी समझबूझ को बढ़ाया है।

हम बांग्लादेश में लोकतंत्र के आविर्भाव के कारण बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, दोनों देशों के बीच और अधिक संबंध हो जाने के परिणामस्वरूप बांग्लादेश के साथ पारम्परिक मैत्री संबंधों के और अधिक विस्तार के लिए उत्सुक हैं।

हम श्रीलंका के साथ दोनों देशों के बीच पारम्परिक और ऐतिहासिक संबंधों को बनाये रखते हुए, द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ और गहरे बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। श्रीलंका सरकार से प्राप्त आश्वासन के आधार पर श्रीलंका के शरणार्थियों की स्वैच्छिक स्वदेश वापसी 20 जनवरी, 1992 से शुरू हो गई है और यह वापसी जारी है।

मालदीव के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध 1991 के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर हुई अनेक यात्राओं के कारण और अधिक सुदृढ़ हुए हैं।

समय-समय पर होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के फलस्वरूप भूटान के साथ हमारे उत्कृष्ट संबंधों में निकट की समझदारी और सहयोग को बनाये रखने और सुदृढ़ करने में सहायता मिली है।

पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रति नकारात्मक रुख अपनाना और पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को सहयोग देना, संबंधों को सामान्य बनाने में प्रमुख बाधा बनी हुई है। पाकिस्तान को उसकी हरकतों से उत्पन्न होने वाले उन खतरों से बार-बार आगाह किया गया है जिन्हें वह शिमला समझौते और पूरी दुनिया द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय आचरण के उल्लंघन द्वारा कर रहा है। हमने इसके बावजूद विश्वास बनाने की प्रक्रिया और द्विपक्षीय वार्तालाप को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी रखे हैं। दुर्भाग्यवश, हाल ही में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान नेशनल असेम्बली ने ऐसे बयान दिये हैं और ऐसे कार्य किये हैं जिनसे माहौल दूषित हो गया है। हमें आशा है कि पाकिस्तान सरकार दोनों देशों के बीच तनाव मुक्त और अच्छे पड़ोसी संबंध स्थापित करने के हमारे महत्वपूर्ण प्रयासों में सहयोग करेगी।

26 दिसम्बर, 1991 को हमने रूसी संघ और भूतपूर्व सोवियत संघ के अन्य सभी गणराज्यों को औपचारिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। रूस को एक उत्तराधिकारी राज्य का दर्जा मिला है और उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भूतपूर्व सोवियत संघ का स्थान ले लिया है। हमने न केवल रूस के साथ बल्कि अन्य गणराज्यों के साथ भी अपने परम्परागत निकटवर्ती सम्बंधों को बरकरार रखने की कोशिश की है। मास्को में अपने दूतावास के साथ-साथ उक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस में भी दूतावास खोलने और उजबेकिस्तान के तासकंद में अपने महावाणिज्य दूत का दर्जा बढ़ाने की हमारी योजना है। इन स्वतंत्र गणराज्यों के साथ राजनीतिक सम्बंधों को नया स्वरूप देने और उनके साथ अपने लम्बे समय से चले आ रहे व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने रूस और उक्रेन की यात्रा की। मध्य एशियाई गणराज्यों के अनेक नेताओं ने भारत की यात्रा की है और अगले कुछ महीनों के दौरान और यात्रा करने की संभावना है। इन यात्राओं के दौरान हम अपनी ऐतिहासिक मित्रता वाले इन देशों के साथ अपने राजनीतिक,

आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए उचित करारों को अंतिम रूप देना चाहेंगे।

लोकतंत्र, वैयक्तिक स्वतंत्रता के मूल्यों और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के संबंध में अमेरिका के साथ हमारी वैचारिक समानता, विश्व के इन दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच निकट सहयोग का एक सशक्त आधार प्रदान करती है। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों ही मंचों पर हमारे व्यापक विचार-विमर्श में शांति, सुरक्षा और आतंकवाद एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से उत्पन्न होने वाले खतरों सहित कई अन्य मामले भी शामिल हैं। अमरीका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख स्रोत है। वह अस्थायी आर्थिक समस्याओं पर काबू पाने के हमारे प्रयासों और आर्थिक सुधार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाने में हमारा समर्थन करता रहा है। हम अमेरिका के साथ एक दीर्घकालीन और पारस्परिक लाभ की आर्थिक साझेदारी की आशा करते हैं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की बैठक के दौरान राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ एक उपयोगी बैठक की। इस बैठक में हमारे द्विपक्षीय और बहुआयामी सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में गहरी आपसी दिलचस्पी दिखाई गई।

पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ हम अपने संबंधों को विशेष महत्व देते हैं। हम अरब के हित, विशेष रूप से फिलिस्तीनियों के न्यायिक और अविच्छेद्य अधिकारों के संघर्ष को वर्षों से निरन्तर एवं स्पष्ट समर्थन देते रहे हैं। भारत ने पश्चिमी एशिया की शांति प्रक्रिया को फिर से बहाल करने तथा अरब राज्यों और इजराइल के बीच अरब-इजराइली विवादों के न्यायसंगत एवं उचित समाधान ढूंढ़ने के लिए बातचीत जारी रखने का स्वागत किया है।

इस क्षेत्र में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया है। हम इजराइल के साथ व्यापक और बहुआयामी संबंध स्थापित करना चाहते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्ष में हमारे अनुकूल और प्रभावी समर्थन के कारण दक्षिण अफ्रीकी देशों में भारत की अच्छी साख बनी है। हमें गर्व है कि दक्षिण अफ्रीका के रंग-भेद के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष के कारण 1990 से वहां ठोस सुधार हुए हैं।

कम्बोडिया संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों में हमने उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। शांति प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के संबंध में कम्बोडिया पर हुए पेरिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य देशों के साथ-साथ भारत का भी विशेष उल्लेख किया गया।

हमने 1987 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिजी के मामले को उठा कर और राष्ट्रमंडल में फिजी के पुन: प्रवेश का विरोध करके फिजी में जातीय भेदभाव स्थापित करने के प्रयासों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है।

इस समय विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में जापान की स्थिति परस्पर संबंध के व्यापक मामलों में जापान के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। हमारा विश्वास है कि यह शांति एवं प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारक है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हमारे पुराने सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। यह वह क्षेत्र है जिसने बहुत ही कम समय में तेजी से प्रगति की है। मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से इस क्षेत्र के साथ हमारे पारस्परिक आर्थिक क्रियाकलाप को सुदृढ़ करने के नए अवसर उत्पन्न होंगे। मेरी सरकार "एसियान" और इसके सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने को प्राथमिकता देती है। हमें आशा है, "एसियान" के साथ हमारी क्षेत्रीय वार्ता जल्दी शुरू होगी।

पिछले दिसम्बर में मास्ट्रिच शिखर सम्मेलन के बाद आधुनिक विश्व में एक सुदृढ़ राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के रूप में यूरोप का प्रादुर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। यूरोपीय समुदाय व्यापार में हमारा मुख्य भागीदार, और निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और हम अपना सहयोग और अधिक बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के इच्छुक हैं। हमारे प्रधान मंत्री का सबसे पहला विदेशी दौरा जर्मनी का था, जहां उन्होंने जर्मनी के नेताओं से दोनों देशों के पारस्परिक महत्व और सहयोग के अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया। हमने यूनाईटेड किंगडम, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे अन्य प्रमुख यूरोपीय देशों के साथ भी उपयोगी वार्ता की।

शीत युद्ध के अंत में हुई घटनाओं और उससे संबंधित मुद्दों के कारण हुए आमूल परिवर्तनों से यह निश्चित है कि यह नया स्वरूप संघर्ष विरोधी संदर्भ और व्यवस्था की संरचना में उत्तरी-दक्षिणी देशों के संबंध एक नया रूप धारण करेंगे। विश्व के विकासशील देशों को अपने आपको विकास की इस नई गति के अनुकूल बनाना होगा जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में समान समृद्धि प्राप्त करना होगा। खुशहाल एवं संतुष्ट मानव जाति के इस स्वप्न को साकार करने में विश्व-शांति और व्यापक निरस्त्रीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होगा। भारत इस स्वप्न को साकार करने का भरसक प्रयास करेगा।

इसी प्रकार बहुपक्षीय स्तर पर भी हमने प्राथमिकताओं की समग्र संरचना के भीतर ही अपना सहयोग प्रदान किया है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अत्यधिक तेजी से होने वाले विश्वव्यापी विकास के अनुरूप हो रहा है। हमने इसकी स्थायी प्रासंगिकता के प्रति अपना विश्वास पुनः प्रकट किया है। इसके सिद्धान्त में राष्ट्रीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता आज जितनी प्रासंगिक है उतनी पहले कभी नहीं थी। जी-15 और राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों पर प्रधान मंत्री ने न केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे विचार व्यक्त किए बल्कि बहुपक्षीय कार्यसूची के विकास संबंधी मुद्दों की प्रधानता और महत्ता को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उरुग्वे वार्ता का दौर निर्णायक चरण में पहुंच गया है। हम अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करते रहेंगे

और एक अच्छे और संतुलित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली स्थापित करने के अपने प्रयासों में सुधार लायेंगे।

पर्यावरण संबंधी मुद्दे तेजी से अन्तर्राष्ट्रीय महत्व और ध्यानाकर्षण का केन्द्र बिन्दु बनते जा रहे हैं। हम बहुपक्षीय सहयोग के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और विश्वव्यापी भागीदारी का समर्थन कर रहे हैं जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं के समाधान में विकासशील देशों के विकास की आवश्यकताओं को समन्वित करना है।

हमारा विश्वास है कि न्यूक्लियर शस्त्रों के विश्वव्यापी प्रसार को ध्यान में रखते हुए हमें न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण के मुद्दों के संबंध में विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाना होगा। अतः सीमित न्यूक्लियर-शस्त्र मुक्त क्षेत्र जैसे अंशतः या खण्डतः किए गए उपायों की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती बल्कि ये उपाय हमारे अंतिम लक्ष्य से हमारा ध्यान विचलित कर सकते हैं।

31 जनवरी, 1992 को हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की उस नई एवं प्रभावी भूमिका पर प्रकाश डाला गया जो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अदा की थी। हमारे प्रधान मंत्री ने इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की जैसे मानव अधिकारों के लिए और विश्व में एक न्यायसंगत एवं उचित आर्थिक व्यवस्था लाने के लिए विश्वव्यापी परमाणु अप्रसार क्षेत्र के बारे में आम सहमति बनाना और राष्ट्रीय अखण्डता की रक्षा के बारे में एकमत स्थापित करना। इस सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने और नए महासचिव को अपना समर्थन देने का संकल्प करने का अवसर प्राप्त हुआ।

भारत भविष्य की ओर तेज और उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं जिनसे विकास की गति तेज हो, हमारी जनता अच्छी जिन्दगी जी सके और भारत विश्व में तेजी से हो रहे बदलाव में अपनी पहचान बनाये रख सके। इस समय हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। आइये, हम इन चुनौतयों को अवसरों में बदल डालें। हम नये रास्ते खोजने में पीछे न रहें। आज की कठिनाइयां उज्ज्वल भविष्य की सूचक हैं। किन्तु भविष्य की ओर बढ़ते हुए हम अपने दृष्टिकोण में अनुशासन और दृढ़ता लायें। हम बातचीत के लिए उग्रता का, सौहार्द के लिए हिंसा का त्याग करें, वरना इतिहास में हमारा महत्व गौण हो जाएगा।

माननीय सदस्यगण से इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और राष्ट्रीय महत्व के बड़े कार्यों पर विचार करने की अपेक्षा की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श विवेकशील तथा बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे। अब मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने कार्य में जुट जायें। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

डॉ. शंकर दयाल शर्मा

संसद के समक्ष अभिभाषण – 22 फरवरी 1993

लोक सभा	-	दसवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री पी.वी. नरसिंह राव
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री शिवराज वि. पाटील

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं।

हमारे सामने आज सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों के मन में उस विश्वास और साम्प्रदायिक सौहार्द को फिर से स्थापित करना है, जिसे पिछले वर्ष 6 दिसम्बर और उसके तत्काल बाद घटी दु:खद घटनाओं के कारण गहरा धक्का लगा है। धर्मनिरपेक्षता और विधि की सर्वोच्च सत्ता जैसी आधारभूत बातों को भी अब खतरा पैदा हो गया है। राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, प्रभावशाली नेताओं और अन्य प्रभावी लोगों को इस बढ़ते हुए साम्प्रदायिक कुप्रचार को रोकने के लिए मिलकर विरोध करना चाहिए, ताकि हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग सकें और अपने आधारभूत मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रख सकें। हमें साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना को, जो कि सदैव ही हमारे समाज की विशेषता रही है, और अधिक मजबूत करना होगा।

राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद विवाद के मुख्य मुद्दे को संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को भेजा जा चुका है। सरकार ने भी परिसर की लगभग 68 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और सरकार अब राम मंदिर तथा मस्जिद के निर्माण कार्य का संचालन करने के लिए दो पृथक न्यास गठित करने संबंधी कार्रवाई कर रही है। सरकार इस बात का भरसक प्रयास करेगी कि निर्माण कार्य दोनों संबंधित समुदायों की सलाह और सहयोग से और दोनों समुदायों के प्रमुख तथा जिम्मेदार नेताओं की सक्रिय भागीदारी से पूरा किया जाए। सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी वर्गों के लोगों का समर्थन चाहती है और उनके सहयोग की अपेक्षा रखती है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार देने तथा संभारतंत्र को समर्थन देने में सीमापार के बलों की भूमिका में अभी कोई कमी नहीं आई है। अत्यधिक कठिन स्थितियों में कार्य करने की मजबूरी के बावजूद हमारे सुरक्षा बल इस चुनौती का मुकाबला करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। राज्य में आतंकवादियों के कायरतापूर्ण कार्यों, बार-बार बंद का आह्वान किये जाने और आर्थिक तथा वाणिज्यिक क्रियाकलापों में रुकावट पैदा किये जाने आदि के कारण जम्मू और कश्मीर की जनता को जिस प्रकार की कठिनाई और तंगी का सामना करना पड़ रहा है, सरकार उसके प्रति पूरी तरह से सचेत है। राज्य में कार्रवाई कर रहे सुरक्षा बलों से भी कुछ मामलों में ज्यादती हुई है। इस संबंध में दोषी लोगों को दंडित किये जाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की गई है। लोगों की शिकायतों को दूर करने और राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः बहाल करने के प्रथम कदम के रूप में राज्य स्तर पर एक बहुदलीय सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है, ताकि वह परिषद् प्रशासन और लोगों के बीच सेतु का कार्य कर सके। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर समितियां बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अक्तूबर, 1992 में एक संसदीय शिष्टमंडल ने घाटी का दौरा किया। राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली की दिशा में वातावरण तैयार करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया है।

पंजाब में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद राज्य के लोगों के जीवन में भारी सुधार हुआ है। अलगाववादी और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ स्पष्ट संदेश देने के लिए इन बहादुर लोगों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। राज्य में लगभग 13 वर्ष के अन्तराल के बाद नगर पालिका के चुनाव हुए हैं और लगभग 9 वर्ष के अन्तराल के बाद पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हुए हैं। इन चुनावों से नई उमंग और उत्साह पैदा हुई है। राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास पर नए सिरे से बल दिया जा रहा है। सरकार पंजाब में सभी अनसुलझे मसलों का उचित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने और राज्य सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ किए जा रहे उपायों के लिए उसे सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की गति में, विशेष रूप से रेल, सड़क और दूरसंचार में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकारों और पूर्वोत्तर परिषद् ने कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन आदि के विकास के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। केन्द्र सरकार एक कृषि विश्वविद्यालय और एक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कर रही है। विकास के इन सभी कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी पर बल दिया जा रहा है। नागालैण्ड और मेघालय में हाल ही में चुनाव सम्पन्न हुए हैं।

पिछले वर्ष एक अप्रैल को शुरू हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 1991-92 की कीमतों पर कुल निवेश 7 लाख

98 हजार करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि है। इस निवेश में से सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 4 लाख 34 हजार एक सौ करोड़ रुपये होगा। हमारी आर्थिक नीति में हुए परिवर्तनों के अनुसार अब हम निर्देशात्मक योजना की ओर बढ़ रहे हैं।

वर्ष 1992-93 में आर्थिक स्थायित्व के कार्यक्रम और संरचनात्मक सुधारों की प्रक्रिया और अधिक मजबूत हुई है। वर्ष 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत थी और वर्ष 1992-93 में यह दर लगभग 4 प्रतिशत होने की आशा है। पिछले वर्ष के गतिरोधों, औद्योगिक क्षेत्र की अपेक्षाकृत धीमी गति और वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह वृद्धि दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

वर्ष 1992-93 में औद्योगिक उत्पादन में अप्रैल से अक्तूबर, 1992 तक की अवधि में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग एक प्रतिशत की कमी आई थी। इसी प्रकार अप्रैल-दिसम्बर, 1992 की अवधि में निर्यातों में डॉलर के रूप में लगभग 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 3.7 प्रतिशत की कमी आई थी। ऋणों की अदायगी के संबंध में रूस के साथ हाल ही में हुए करार से रूस में परम्परागत बाजारों को किए जाने वाले हमारे निर्यातों को फिर से प्रारम्भ करने में मदद मिलेगी। हमारे पास 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की पर्याप्त विदेशी मुद्रा रिजर्व है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करके सरकार के एक प्रमुख उद्देश्य को पूरा कर लिया गया है, क्योंकि मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो अगस्त, 1991 में 16.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जनवरी, 1993 के अंतिम सप्ताह में घटकर 7 प्रतिशत रह गई है।

हाल ही में विदेशी मुद्रा संबंधी नियंत्रणों को उदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। नई आर्थिक नीति से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हमारी कार्यविधि भी काफी उदार हो सकी है। अगस्त, 1991 से जनवरी, 1993 के अंत तक अनुमोदित कुल इक्विटी निवेश 2.3 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया है, जो लगभग 35 हजार करोड़ रुपए के मूल्य की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त होगा। लगभग 25 करोड़ डॉलर की विदेशी इक्विटी राशि वाले कई ऐसे अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं, जिससे 7,500 करोड़ रुपये के कुल मूल्य की परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। इनमें से अधिकांश निवेश प्राथमिकता के क्षेत्रों में हैं, जैसे: ऊर्जा के क्षेत्र में 24 प्रतिशत, पेट्रोलियम में 26 प्रतिशत, रसायन में लगभग 8 प्रतिशत, खाद्य संसाधन उद्योग में लगभग 12 प्रतिशत और विद्युत उद्योग में 8 प्रतिशत। शेष 22 प्रतिशत परिवहन, टैक्सटाइल, दूरसंचार और औद्योगिक मशीनरी के लिए है। गैर-प्राथमिकता वाली उपभोक्ता मद 4 प्रतिशत से कुछ कम है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन करके उसे प्रभावी बनाया गया है, जिससे औद्योगिक कामगारों को पुनर्गठन की प्रक्रिया से नुकसान न पहुंचे। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का नवीकरण किया जाना इसका पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके लिए

राष्ट्रीय नवीकरण कोष, कार्यशील पूंजी, पुनःप्रशिक्षण एवं पुनर्वास उपायों तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमों के लिए धन मुहैया करायेगा। यह स्कीम बहुत तेजी से प्रगति कर रही है और अब तक लगभग 22,000 कामगारों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है।

सरकार ने सुधार प्रक्रिया से संबंधित सामान्य मुद्दों पर तथा क्षेत्र से संबंधित सामान्य मामलों पर श्रमिक प्रतिनिधियों से परामर्श किया है। श्रम राज्य मंत्रियों की बैठक और भारतीय श्रम सम्मेलन में हमारे औद्योगिक संबंध विषयक विधियों को नवीकृत करने के मामले की जांच की गई है। सरकार इन परिवर्तनों को उच्च प्राथमिकता देती है क्योंकि यह आशा की जाती है कि इनसे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, मजदूरों की आय अधिक होगी और औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण होंगे।

हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर जुटाने और देश में चारों ओर औद्योगिक गतिविधियों को फैलाने में सक्षम है। वर्ष 1992-93 में लघु क्षेत्र में 129 लाख व्यक्तियों के रोजगार में होने और कुल उत्पादन एक लाख 66 हजार 4 सौ करोड़ रुपये का होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 4 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है। औद्योगिक क्षेत्र में काम की धीमी गति को देखते हुए इसे सराहनीय कहा जा सकता है। पूरे उद्योग क्षेत्र में नवीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र के निष्पादन में वर्ष 1993-94 के दौरान महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। लघु यूनिटों की बकाया राशि का अन्य उद्योगों द्वारा तुरन्त भुगतान कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब माल प्राप्त करने या सेवाएं प्रदान किए जाने के तीस दिन के भीतर भुगतान कर देना अपेक्षित होता है।

आज पूरे विश्व में यह बात स्वीकार की जा रही है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति उसके उत्पादन की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और कीमत पर निर्भर होगी। अतः हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अगले कुछ वर्षों में डॉलर के रूप में 15-20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सतत निर्यात वृद्धि दर प्राप्त कर लें। सरकारी नीति का मूल आधार सभी सम्भव तरीकों से निर्यात को बढ़ावा देना और उसकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सभी बाधाओं या अवरोधों को दूर करना होगा।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके जनजीवन का मुख्य आधार है। चूंकि कृषि अभी भी पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, इसलिए वर्ष 1991-92 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 90 लाख मीट्रिक टन घट गया, जबकि उस वर्ष 16 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान था। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता कीमतों पर दबाव पड़ा है। लेकिन सीमित मात्रा में गेहूं का आयात करने का निर्णय समय पर ले लिए जाने से उसकी कीमत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मई और

दिसम्बर, 1992 के बीच कीमतों में वृद्धि 3.6 प्रतिशत एक सीमित रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चालू वर्ष में बिहार के भागों में अन्य राज्यों के भागों के सिवाय अच्छा मानसून रहा है। इस वर्ष कुल खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 10 करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष 9.142 करोड़ मीट्रिक टन था। खरीफ के चावल की अधिप्राप्ति संतोषजनक है और अब तक 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है तथा ऐसी आशा है कि यह लगभग 7 करोड़ 60 लाख से 7 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन तक होगी। खरीफ के तिलहन का उत्पादन लगभग 16 लाख मीट्रिक टन तक हो गया है। अक्तूबर, 1992 को समाप्त होने वाले चीनी-वर्ष में हमारा चीनी का उत्पादन 133 लाख मीट्रिक टन था, जिसके फलस्वरूप भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया। इन सब बातों का कीमतों एवं उपलब्धता पर सराहनीय प्रभाव पड़ा है। कृषि में देश की उपलब्धियां हमारे कृषकों के कठोर परिश्रम एवं उद्यम का स्पष्ट प्रमाण है।

हमारी कृषि योजनाओं का लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर होना नहीं है। हमारी दृष्टि में यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो कि अत्यधिक सम्भावना वाला है और किसानों तथा ग्रामीण मजदूरों को अधिक आय देने में सक्षम है। इस क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त, 1992 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति क्विंटन बढ़ा दिया गया था और अप्रैल, 1993 से प्रारंभ होने वाले बाजार-मौसम के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 55 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया गया है। गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 25 रुपये का बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। गन्ने का न्यूनतम परिनियत मूल्य चीनी-वर्ष 1991-92 के लिए 3 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 26 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। चीनी-वर्ष 1992-93 में इसे और अधिक बढ़ाकर 31 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। फॉस्फेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों पर से कन्ट्रोल हटा लिए जाने के परिणामत: नि:संदेह थोड़े ही समय में उनकी कीमत बढ़ गई है। इस वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने एक बार की सहायता के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को 340 करोड़ रुपये दिए हैं। यूरिया की कीमत 10 प्रतिशत घट गई। सरकार ने छोटे किसानों के लिए कृषि के बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए 500 करोड़ रुपये की एकमुश्त सहायता देने की घोषणा की है। इन उपायों और आगामी वर्ष में शुष्क खेती पर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण किसानों के हितों की काफी रक्षा होगी।

समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सरकार ने इस योजना के तहत निर्धारित जनजातीय, सूखा पीड़ित, रेगिस्तानी एवं निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के 1700 ब्लाकों में प्रति वर्ष वितरण के लिए 20 लाख मीट्रिक

टन अतिरिक्त खाद्यान्न अलग रखने का निश्चय किया है। जब से नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई है, तब से इन ब्लाकों में 10,121 नई उचित दर दुकानें खोली गई हैं और 26 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आठवीं योजना में ग्रामीण बुनियादी आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के साथ जवाहर रोजगार योजना को और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को एकीकृत करने पर अत्यधिक बल दिया गया है, जिससे ऐसी स्थायी और उत्पादक आर्थिक परिसंपत्तियां सृजित की जा सकें, जिनसे और अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों। सातवीं योजना में आबंटित छह हजार एक सौ उन्नासी करोड़ रुपए और वास्तविक व्यय दस हजार नौ सौ छप्पन करोड़ रुपये की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए परिव्यय बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991, जिसे पिछले सत्र में संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, अधिनियमित किए जाने पर कार्यात्मक रूप में नियमित चुनावों को सुनिश्चित करके तथा शक्तियों एवं वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त हस्तांतरण द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी रूप में सुदृढ़ करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था ग्रामों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की गई है। जिन सीटों के लिए सीधे ही चुनाव कराए जाएंगे, उनमें से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सीटें नियत की गई हैं। इस कानून में अध्यक्ष के पद के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। यदि राज्य विधानमंडल चाहे तो पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं।

नगरपालिका को सुदृढ़ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नगर पालिकाएं स्थानीय सरकार की प्रभावी इकाई के रूप में कार्य करें, संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 1991 में पारित किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, जैसा कि पंचायत के मामले में पहले किया गया था।

वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार ने रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है। इन कार्यक्रमों में 2000 ई. तक एड्स नियंत्रण, कुष्ठ रोग के उन्मूलन, जनजाति क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण और पिछड़े क्षेत्रों में तपेदिक के उपचार के लिए अल्पकालिक केमो-चिकित्सा भी शामिल है। मोतियाबिंद के कारण होने वाले अंधेपन के उपचार के लिए सात राज्यों में गहन कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है।

1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, जो 1971-81 के दशक में 2.22 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, घटकर 2.14 प्रतिशत रह गई है। सन् 1990 में प्रति एक हजार की जनसंख्या पर जन्म-दर 30.2 थी, जो 1991 में

घटकर 29.3 रह गई है, किन्तु 1.95 प्रतिशत की वर्तमान मूल वृद्धि दर अभी भी बहुत अधिक है। अत: जनसंख्या के स्थिरीकरण को सर्वाधिक राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जाएगी।

अगले पांच वर्षों में चार लाख सफाई कर्मचारियों को मुक्ति और उनके पुनर्वास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। सफाई कर्मचारियों के लिए एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जा रहा है, जो इस कार्यक्रम का प्रभारी होगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह निगम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लाभ के लिए आय उत्पन्न करने वाली स्कीमों के लिए धन प्राप्ति में निरंतर सहायता करता रहेगा। अब तक निगम ने 277.63 करोड़ रुपये मूल्य की 312 स्कीमें मंजूर की हैं, जिसमें से अब तक 54.05 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं। यह निगम रोजगार और स्वरोजगार हेतु कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए 48 जिलों में आवासीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के शताब्दी समारोह वर्ष में उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि के रूप में डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुस्तकालय, विश्वविद्यालयों में डॉ. अम्बेडकर पीठों और डॉ. अम्बेडकर विदेश शिक्षावृत्ति जैसी स्कीमों का प्रबन्ध करने के लिए डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन की स्थापना की गई है। इनके अतिरिक्त सरकार ने डॉ. अम्बेडकर की सम्पूर्ण कृतियों और उनके भाषणों के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। डॉ. अम्बेडकर पर एक पूरी फीचर फिल्म का भी निर्माण किया जाएगा।

राष्ट्रीय पिछड़ी जाति और वित्त और विकास निगम, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 200 करोड़ रुपये है, वित्त का एक अतिरिक्त जरिया होगा और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों में तकनीकी और उद्यम कौशलों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा।

संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 पारित कर दिया है, जिसमें इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। आयोग के मुख्य कार्य होंगे—अल्पसंख्यकों की प्रगति और उनके विकास का मूल्यांकन करना, संवैधानिक सुरक्षा उपायों को मॉनीटर करना और उन पर सिफारिशें करना, विशिष्ट शिकायतों को देखना, अध्ययन और अनुसंधान करना, उपयुक्त उपायों का सुझाव देना और समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू करने के लिए सरकार ने कार्रवाई आरम्भ कर दी है। सरकार सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों और वर्गों को, सम्पन्न व्यक्तियों को अन्य पिछड़ी जातियों में से निकालने के लिए सम्बन्धित सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को लागू करते हुए आधार विनिर्दिष्ट करेगी। नागरिकों की अन्य पिछड़ी जातियों की सूचियों से अधिक अथवा कम जातियों को शामिल कराने के संबंध में की गई शिकायतों पर विचार करने, उनकी जांच करने और उन पर सिफारिशें करने के लिए एक स्थायी निकाय गठित करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। इस निकाय द्वारा दी गई सलाह सामान्यत: सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।

अनौपचारिक क्षेत्र में निर्धन महिलाओं की अल्पावधि और मध्मय अवधि के विकासात्मक ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का प्रस्ताव गैर-सरकारी संगठनों जैसी मध्यवर्तीय एजेन्सियों के माध्यम से एक राष्ट्रीय महिला कोष स्थापित करने का है। सामाजिक सुरक्षा नेट के रूप में किए जा रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में इस कार्यक्रम के लिए निधि का आबंटन कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा की गई है, और मई, 1992 में इस नीति में आवश्यक संशोधन किए गए। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वतोमुखी बनाना, सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना, शैक्षिक अवसरों की समान सुलभता, महिलाओं की शिक्षा और विकास, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, उच्च शिक्षा का एकीकरण, तकनीकी शिक्षा का आधुनिकीकरण और सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता, विषयवस्तु एवं प्रक्रिया में सुधार करना शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे विषय हैं, जो राष्ट्रीय प्रयत्नों में अपना प्राथमिक स्थान बनाए हुए हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में हमने अपना ध्यान केवल छात्रों का नाम दर्ज किए जाने से हटाकर इस बात पर केन्द्रित कर दिया है कि उनकी उपस्थिति बनी रहे और शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो। संशोधित नीति में यह सुनिश्चित करने का संकल्प किया गया है कि इस दशक में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषप्रद गुणवत्ता वाली नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो जाए। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान नीति पर आधारित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रसंशनीय परिणामों की उपलब्धि हुई है और वर्ष 1996-97 तक देश के 75 प्रतिशत जिलों को इस मिशन के अंतर्गत लाया जाएगा। आगामी वर्षों में शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में स्वस्थ प्रबंधन सिद्धांतों को अनुप्राणित करने और शैक्षिक प्रबन्धन को विकेन्द्रित करने पर बल दिया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्साहवर्धक प्रगति हुई है। मई, 1992 में ए.एस.एल.वी. का सफल प्रक्षेपण स्वदेशी प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण विकास है। जुलाई, 1992 में किया गया इन्सेट-2 ए का प्रक्षेपण और उसका सफलतापूर्वक

कार्य प्रारंभ कर देना परिष्कृत बहु-उद्देशीय उपग्रह बनाने की हमारी क्षमता का सूचक है। इस वर्ष जून में इन्सेट-2 बी और पीएसएलवी का प्रक्षेपण करने की योजना से हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। अंटार्कटिका में 11वीं वैज्ञानिक खोज यात्रा पूरी कर लेना और 12वें अभियान का शुभारंभ करना वर्ष 1992 में किए गए अन्य उल्लेखीय विकास कार्य हैं। कृषि और स्वास्थ्य से सम्बद्ध जैव-प्रौद्योगिकी साधन का लाभ उठाने के संबंध में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें जारी रखा जाएगा।

इस वर्ष परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है—3 दिसम्बर, 1992 को 220 मेगावाट के काकरापाड़ा ऐटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट-1 का चालू किया जाना तथा 24 नवम्बर, 1992 को इसे ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाना।

हमारे सशस्त्र बल हमारी क्षेत्रीय अखण्डता की सुरक्षा करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। जन-शक्ति योजना और प्रबंधन कार्य सुधार और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के संबंध में किए गए निवेशों के अब अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

सशस्त्र बलों ने इस वर्ष अनेक अवसरों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राहत और बचाव कार्य करने में सिविल प्राधिकारियों की सहायता की है। उन्होंने अपना कार्य प्रशंसनीय समर्पण की भावना से किया है।

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, विशेष रूप से अतिरिक्त पुर्जों के स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में सुदृढ़ प्रयास किए गए हैं। परिवर्तित औद्योगिक नीतियों को ध्यान में रख कर ही रक्षा और सिविल क्षेत्र की उत्पादन यूनिटों के बीच के सम्बन्धों की पारस्परिक सुदृढ़ता को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के कार्मिकों के कल्याण में वृद्धि करने के लिए सरकार वचनबद्ध है।

हमने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों का द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम दोनों में दृढ़तापूर्वक अनुसरण किया है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया और इसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। इन देशों के जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भारत का दौरा किया, उनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति, बांग्लादेश की प्रधान मंत्री, नेपाल के प्रधान मंत्री और भूटान नरेश भी शामिल हैं। इन दौरों के परिणामस्वरूप इन देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधान मंत्री के दौरे के समय बांग्लादेश को तीन बीघा का गलियारा पट्टे पर सौंप देने की हमारी वचनबद्धता पूरी की गई थी। भूटान नरेश के आगमन के समय महत्वपूर्ण संकोष बहुउद्देशीय परियोजना के लिए गहन अन्वेषण कार्य करने हेतु दोनों देशों के बीच एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर और पंजाब में लगातार आतंकवाद और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में मदद दिए जाने के बावजूद हमने विभिन्न द्विपक्षीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रधान मंत्री ने पिछले वर्ष दो बार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बातचीत की। दुर्भाग्यवश हमारे प्रयासों से इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हम पाकिस्तान से अनुरोध करते हैं कि यह जानबूझकर कोई विवाद खड़ा न करे और भड़काने वाली कार्रवाइयों से दूर रहे तथा हमारे साथ अपने संबंधों का एकतरफा लाभ उठाने के लोभ से बचे। द्विपक्षीय बातचीत के अलावा हमारे पास और विकल्प नहीं है।

पुराने मतभेदों को भुलाकर सरकार लगातार चीन के साथ एक अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध बनाने की नीति पर चल रही है। हम सीमा संबंधी विवाद का एक निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य हल निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय यात्राओं में से एक यात्रा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन की थी। इस वर्ष चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर आने की संभावना है। हमारे प्रधान मंत्री भी चीन की यात्रा पर जाएंगे।

हम अमरीका के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन तथा उनके प्रशासन के साथ मिलकर आपसी सहमति, विश्वास और साझा मूल्यों तथा समान हितों के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित करने के इच्छुक हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत-अमरीका संबंधों को मजबूत करने की दिशा में गति आई है, जिससे कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग के साथ-साथ राजनीतिक स्तर भी दोनों देशों के बीच समझबूझ की भावना बढ़ी है।

राष्ट्रपति येल्तसिन की यात्रा से द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचारों के विस्तृत आदान-प्रदान का मौका मिला है। कश्मीर के सम्बन्ध में हमने अपनी स्थिति स्पष्ट की। राष्ट्रपति येल्तसिन ने स्पष्ट रूप से भारत को अपने देश का पूरा समर्थन दिए जाने की बात कही है। इस यात्रा के दौरान ऋण की अदायगी के मुद्दे को सुलझाया गया तथा कई करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे कि दोनों देशों के बीच भावी मित्रता और घनिष्ठ सम्बंधों की मजबूत नींव रखी जा सकी है।

पिछले महीनों में हमें पश्चिमी यूरोप के तीन महत्वपूर्ण शासनाध्यक्षों का अपनी भूमि पर स्वागत करने का अवसर मिला है। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री जॉन मेजर हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। उनकी यात्रा से भारत-ब्रिटेन मैत्री और सहयोग बढ़ा है तथा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर कायम रहने की हमारी प्रतिबद्धता के प्रति ब्रिटेन की सहमति की फिर से पुष्टि हुई है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में पूरा सहयोग देने का वायदा किया है। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इससे भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक

सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिला है। इस महीने के शुरू में हमने स्पेन के राष्ट्रपति श्री फिलिप गॉजालेज का स्वागत किया। हाल ही में जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल अंतर्राष्ट्रीय सद्‌भाव के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने भारत की यात्रा पर आए। इन महत्वपूर्ण यात्राओं से इस बात का परिचय मिलता है कि देश के सामने उपस्थित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की हमारी क्षमता तथा हमारी लोकतांत्रिक एवं सर्वधर्म सम्मान की प्रणाली की मजबूती की सराहना विदेशों में हो रही है। इन यात्राओं से हमारी विदेश नीति और हमारे आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों को और अधिक समर्थन मिला है।

यह संयोग की बात है कि भारत और जापान के बीच राजनयिक सम्बन्धों की चालीसवीं वर्षगांठ पर वर्ष 1992 में प्रधान मंत्री जापान की यात्रा पर गए और उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। हमारी आर्थिक उदारीकरण की नीति में जापान की दिलचस्पी बढ़ने का इस बात से पता चलता है कि भारत में जापान के प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई है। हम सभी स्तरों पर जापान के साथ सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध हैं।

हमने मध्य एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया है, जिनके साथ हमारे वर्षों पुराने सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं। पिछले वर्ष उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा के बाद मध्य एशिया में भारत से उच्चस्तरीय यात्राएं हुईं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधान मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान ऐसे करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे मध्य एशिया के सभी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को एक नया और दीर्घकालीन आयाम मिला है।

सामरिक महत्व के आणविक भंडारों में कमी लाने के लिए अमरीका और रूस के बीच हुई स्टार्ट-II संधि का हम स्वागत करते हैं तथा इसे सही दिशा में उठाया गया कदम मानते हैं। बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में रासायनिक शस्त्र समझौते का सफलतापूर्वक सम्पन्न होना एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें व्यापक विनाश के सभी प्रकार के हथियारों को समाप्त करने की व्यवस्था है। यह एक विश्वव्यापी और भेदभाव रहित संधि है, जिसे भविष्य में होने वाली वार्ताओं के लिए एक आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। यह व्यापक निरस्त्रीकरण के लिए भारत की कार्य योजना को एक दृढ़ आधार प्रदान करती है, जिसे 1988 में प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया था। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणामों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय अथवा उप-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की नहीं अपितु एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

समय की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पुनः शक्तिशाली हो और इसकी कार्यसूची अधिक सुस्पष्ट हो। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा

कि वह अपनी संरचना को प्रजातांत्रिक बनाने और व्यवस्थित करने में कितना सक्षम है ताकि यह अपने सदस्यों की चिन्ताओं का समायोजन और प्रतिबिंबन कर सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आन्दोलन, राष्ट्रमंडल और ग्रुप-15 में बहुपक्षीय स्तर पर हमारी सहभागिता अपनी प्राथमिकताओं और चिंताओं के सामान्य ढांचे के अंतर्गत ही रही है। पिछले सितम्बर में जकार्ता में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधान मंत्री के भाषण से विचार-विमर्श का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसमें गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सतत सार्थकता पर पुनः बल दिया गया और भावी कार्यसूची को प्राथमिकता दी गई ताकि इसकी विशिष्ट चिन्ताओं के मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।

रियो डी जेनेरो में जून, 1992 में हुए पर्यावरण एवं विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) के दौरान प्रधान मंत्री के भाषण में पर्यावरण और विकास के बीच अभिन्न संबंध बनाए रखने पर जोर दिया गया, जो पर्यावरण तथा विकास संबंधी सभी मसलों को हल करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। विकासशील देश पर्यावरण को सुरक्षित रखने के व्यापक प्रयास में विकसित देशों के साथ शामिल हो सकें, इसके लिए उनको प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने तथा अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के भारत के प्रस्ताव का सम्मेलन में व्यापक स्वागत तथा समर्थन किया गया।

माननीय सदस्यगण, देश आज जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, उसमें आपके कन्धों पर भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। पिछले वर्ष जहां आपने उल्लेखनीय स्तर पर सहयोग देखा, वहीं असहमति के प्रबल पक्ष भी देखे। ये सब एक जीवन्त लोकतंत्र को प्रदर्शित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष समस्याओं से निपटने के लिए आप पूरे देश के समक्ष अपने उत्कृष्ट आचरण और नेतृत्व का परिचय देंगे। राष्ट्र इस महान् संस्था के प्रतिनिधियों से इससे कुछ भी कम की आकांक्षा नहीं रखता। आपको साहस, बुद्धिमत्ता और अनुशासन के साथ राष्ट्र का मार्गदर्शन करना है।

मैं आपका आह्वान करता हूं कि इस अधिवेशन में आप अपने कार्य में जुट जाएं और इसके लिए आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 21 फरवरी 1994

लोक सभा	-	दसवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री पी.वी. नरसिंह राव
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री शिवराज वि. पाटील

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं।

नये वर्ष में आपको संबोधित करते हुए मुझे यह महसूस हो रहा है कि आज देश का परिप्रेक्ष्य विगत वर्ष की तुलना में बदला हुआ है। वर्ष 1993 के शुरू में हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आयीं, लेकिन जैसे-जैसे यह वर्ष बीतता गया, हमारे नागरिकों ने अत्यधिक स्वस्थ प्रतिक्रिया अपनायी, और 1993 का वर्ष समाप्त होते-होते निश्चित ही आशा की किरण सामने दिखाई देने लगी। सभी मोर्चों पर निरन्तर प्रगति हुई, जिसका आभास कानून तथा व्यवस्था की सुधरती हुई स्थिति, खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन, खरीद के अभूतपूर्व स्तर, खाद्यान्नों के बहुत बड़े भंडार, मुद्रास्फीति को एकल अंकीय स्तर पर बनाये रखने, विदेशी मुद्रा के संतोषजनक भंडार, व्यापारिक घाटे में पर्याप्त कमी, निर्यात में वृद्धि, मूलभूत संरचना के कुछ आवश्यक क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार और प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियो, दोनों में अधिक विदेशी पूंजी निवेश से मिलता है। ये सभी हमारी उभरते हुए आशावाद के प्रतीक हैं, और इसके औचित्य को सिद्ध करते हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऊर्जा को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वास को फिर से प्राप्त कर लिया है। हमारे पास इस सर्वतोमुखी उपलब्धि पर संतुष्टि महसूस करने का कारण है, और इसका प्रमाण है। लेकिन हमने अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हे प्राप्त करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। इसी आशा के आधार पर सरकार 1994 में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है।

कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार आया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह की स्थिति नियंत्रण में रही। पिछले वर्ष पंजाब में जो सफलता प्राप्त हुई, उसे और सुदृढ़ किया गया है। देश के पांच राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। सरकार इस सुधार की उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है, और शेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है।

पिछले वर्ष लगभग इसी समय राष्ट्रीय परिदृश्य पर अयोध्या मसले की छाया रही। विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों के संभावित असर को लेकर लोगों में गहरी चिंता व्याप्त थी। देशवासियों में व्याप्त बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को ही यह श्रेय प्राप्त है कि तरह-तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थीं, वे सब गलत साबित हुईं। वातावरण में पर्याप्त सुधार आया है, और हम इस विवाद के स्थायी समाधान की आशा कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत यह मामला उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है, और इस न्यायालय द्वारा उस पर कार्यवाही की जा रही है। उच्चतम न्यायालय की राय को ध्यान में रखते हुए सरकार समुचित उपाय करेगी।

अयोध्या का मसला आज साम्प्रदायिकता को राजनीति से जोड़ने में निहित खतरे का ज्वलंत उदाहरण है। इस विकार को दूर करना और धर्म तथा राजनीति; दोनों को अपने-अपने न्यायसंगत क्षेत्रों में बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म निरपेक्ष देश की आज यही मांग है। आवश्यकता इस बात की है कि इस मसले पर पूरी तरह से विचार-विमर्श किया जाए, और इसके लिए कारगर उपाय किए जाएं। सरकार इस बारे में दिए गए सुझावों का स्वागत करेगी।

जम्मू और कश्मीर में हम आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने की नीति पर चल रहे हैं। इस वर्ष पुलिस तथा सुरक्षा सेनाओं को अपनी आतंकविरोधी कार्रवाइयों में पर्याप्त सफलता मिली है। उनकी कार्य-दक्षता को और बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इस बात के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बल प्रयोग करने में अधिक से अधिक संयम बरता जाए। हजरतबल दरगाह में जो भारी संकट उत्पन्न हो गया था, उसे प्रशासन और सुरक्षा सेनाओं ने जनता के सहयोग से सराहनीय ढंग से हल किया। इस संकट के समाधान ने सरकार के संयम के दृष्टिकोण की क्षमता को प्रदर्शित किया है। जब भी कोई ऐसी घटना हुई है, जिसमें लगा हो कि बल का अधिक प्रयोग किया गया है, तो तुरन्त जांच बैठाई गई है, और इस पर कार्रवाई की गई है। कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है, साथ ही प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया गया है, और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। हम जनता की परेशानियों के बारे में बहुत चिंतित हैं। हम जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी प्रभावी भागीदारी का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर, भारत का अविभाज्य अंग है, और हम इसमें सीमा पार से या अन्य किसी ओर से अस्थिरता पैदा करने के किसी भी प्रयास को निष्फल कर देंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोडो समझौते के अनुरूप अंतरिम बोडोलैंड स्वायत्त परिषद् की स्थापना जनजातीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। जब कोकराझार और बोंगाइगांव जिलों में गैर-जनजातीय लोगों के खिलाफ हिंसा भड़की, तो असम सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। नागा और कुकी लोगों के बीच हिंसा भड़कने और मणिपुर में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति बिगड़ने पर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई की। इससे यह परिलक्षित होता है कि सरकार विघटनकारी तत्वों से सख्ती से निपटेगी।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आयोग के सदस्यों में एक भूतपूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के और एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हैं। आयोग की स्थापना इस बात की द्योतक है कि हम मानवाधिकार के मसले पर शीघ्र और स्पष्ट कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। आयोग ने पूरे संकल्प से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 1993 में विभागों से संबद्ध संसद की 17 स्थायी समितियां गठित की गईं, ताकि संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों, अनुदान मांगों, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों और राष्ट्रीय बुनियादी दीर्घकालीन नीति प्रलेखों की विस्तृत जांच की जा सके। इससे संसद के कामकाज में भारी सुविधा होगी।

देश को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र में भूकंप से हुई अभूतपूर्व क्षति इनमें सबसे बड़ी है। इन सभी आपदाओं में सरकार ने सराहनीय सतर्कता का परिचय दिया है, और तेजी से राहत प्रदान की है। कई अन्य देशों की सरकारों, विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं ने भी तत्परता से सहायता की है। हम उन सभी के आभारी हैं। महाराष्ट्र के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में एक हजार करोड़ रुपये के परिव्यय का एक बृहद पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस पुनर्निर्माण कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को भी समुचित रूप से संबद्ध किया जा रहा है।

1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने पिछले वर्ष गति पकड़ी और उन्हें निरन्तर आगे बढ़ाया गया है। इसके बावजूद अभी और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सरकार यह जानती है कि सुधार कभी भी पीछे न मुड़ने वाली और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके प्रति देश की प्रतिक्रियाओं तथा परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखकर दृढ़ता और दूरदर्शिता से इसे लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन में निरन्तर और ठोस प्रगति हुई है, जो आम सहमति पर आधारित है। हम सावधानी से इस गति को और आगे बढ़ाएंगे।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन तथा उनकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कमी की गयी है,

तथा कुछ और उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। 31 मार्च, 1993 को घोषित नई आयात-निर्यात नीति में कृषि और सेवाओं के क्षेत्र, जिनमें देश तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर स्थिति में है, निर्यात की प्रक्रियाओं को कारगर और उदार बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 1993-94 के बजट में अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की सुविधा प्रदान की गई।

सुधार कार्यक्रम तैयार करते समय सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर विशेष बल दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं को अनिवार्यत: नया स्वरूप देना, और उन्हें मजबूत बनाना होगा, ताकि वे निजी क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण आए नये उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें। मार्च, 1993 में एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन विनिमय दर का एकीकरण और रुपये को खुले बाजार में लाने के बाद उसका मूल्य स्थिर रहा है, इस विषय में सरकार के उचित निर्णय का प्रमाण है।

मूल आर्थिक सूचकों से यह पता चलता है कि हालांकि यह वर्ष कठिन परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ था, किन्तु वर्ष 1993-94 के दौरान अर्थव्यवस्था का कार्य-निष्पादन संतोषप्रद रहा है। वर्ष 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानत: 4% की वृद्धि हुई है। सरकार को यह आशा है कि वर्ष 1993-94 में भी विकास की दर लगभग इसी स्तर पर बनी रहेगी। इस वर्ष कुछ समय के लिए मुद्रास्फीति की दर गिर कर 6% से भी कम हो गई, जबकि इसकी उच्चतम दर 8.4% रही।

अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों का भारतीय बाजार में विश्वास बढ़ा है। नई औद्योगिक नीति के प्रारंभ से 1993 के अंत तक अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश इक्विटी के रूप में अब लगभग 13,000 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में 65,000 करोड़ रुपये का कुल निवेश होने का अनुमान है। इस पूंजी निवेश की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अधिकांश भाग बिजली, तेल शोधन, खाद्य प्रसंस्करण, धातुकर्मीय उद्योग, विद्युत उपस्कर, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित पूंजी निवेश का लगभग 7% ही ऐसे उत्पादों के लिए होगा, जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। निवेश की इस राशि को 3-4 वर्ष की अवधि में खर्च किया जाएगा, जो कि वृहत् परियोजनाओं के प्रारंभ होने से उत्पाद शुरू होने तक की अवधि है।

सरकार निर्यात को बढ़ावा देने पर बराबर भारी जोर दे रही है। व्यापार नीति में किए गए परिवर्तनों एवं विनिमय दर को मुक्त किए जाने तथा अर्थव्यवस्था का सामान्य उदारीकरण किए जाने के सुपरिणाम निकले हैं, और निर्यात में खासी वृद्धि हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1993 की अवधि में यह वृद्धि डॉलर के रूप में 20% के करीब थी, जबकि 1992 की इसी अवधि में यह वृद्धि 3% से कुछ अधिक थी।

सरकार कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पर्याप्त और तर्कसंगत मूल्यों वाले निवेशों का समय पर प्रावधान करना, तथा एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना, जिससे समय पर मूल्य की घोषणा हो सके, और जिससे अधिक उत्पादन हो, तथा देश की घरेलू जरूरतों के साथ-साथ निर्यात की जरूरतों को पूरा किया जा सके, सरकार के प्रमुख उद्देश्य हैं। समग्र कार्यनीति के अनुरूप कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए योजना परिव्यय में 26.6% की वृद्धि कर दी गई है। 1992-93 में जहां यह 1,050 करोड़ रुपये था, वहां 1993-94 में बढ़ाकर इसे 1,330 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 1992-93 में खाद्यान्न का उत्पादन अट्ठारह करोड़ मीट्रिक टन रहा, जो 1991-92 में हुए उत्पादन से 7.1% से भी अधिक था। 1993-94 में खरीफ की फसल में खाद्यान्न का उत्पादन 9 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। रबी की फसल भी बहुत अच्छी होने की संभावनाएं हैं।

सरकार उद्यान-कृषि, जल-जीव संवर्धन, तिलहनों, दालों तथा निर्यात की संभावना वाली अन्य वस्तुओं को महत्व देकर कृषि क्षेत्र के विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। किन्तु ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हमारे अपने उपभोक्ताओं के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। ग्रामीण सहकारिता ऋण प्रणाली तथा विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में किसानों के लिए विपणन, संसाधन एवं अन्य अनिवार्य सेवाओं को पुन: सक्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र की नयी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार सेवाओं को व्यापक आधार दिया जाएगा, और इसमें स्वैच्छिक संगठनों का भी और अधिक सहयोग लिया जाएगा।

निर्धनता स्तर को घटाने के उपाय के रूप में हमारी कृषि नीति का लक्ष्य भू और जल संरक्षण की समन्वित नीति तथा कार्बनिक और जैव-उर्वरकों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे कृषि निवेशों का प्रयोग बढ़ाकर सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। आठवीं योजना में वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। आठवीं योजना में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय जल-विभाजक विकास परियोजना के लिए 1,100 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को अनाज, चारा, ईंधन और रेशे के सतत् उत्पादन प्रणाली में विविधता आएगी तथा अन्तत: जल-विभाजक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय के स्तर और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस परियोजना से भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे परियोजना क्षेत्र में सूखे से बचा जा सकेगा। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में विकसित किए जाने के लिए 2,500 छोटे जल-विभाजक क्षेत्रों की पहचान की गई है, और इन पर काम शुरू कर दिया गया है।

नाइट्रोजन उर्वरकों की विनिर्माण क्षमता को भी बढ़ाया गया है, और इससे भी अधिक बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। चूंकि देश में उर्वरकों के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धता सीमित है अत: विदेशों में विशेषकर, खाड़ी देशों

और पश्चिम एशिया के देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार भू-पोषकों का संतुलित प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहेगी, जिससे उत्पादन का स्तर बनाए रखा जा सके।

कृषि नीति के अंग के रूप में, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे खाद्यान्नों को राज्यों में लाने-ले-जाने के संबंध में सभी प्रतिबन्धों को हटा दें।

उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने में सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही प्रबल रही है। गरीबों के खर्च-सामर्थ्य को बढ़ाने की दृष्टि से नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य को सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों की तुलना में 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक कम रखा गया है। वर्ष 1992 में योजना के शुरू होने के समय वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्र के अंतर्गत 10,580 नई उचित दर की दुकानें खोली जानी सम्भावित थीं। इसमें से इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य की सीमा को पार करते हुए 11,681 नई उचित दर दुकानें खोली जा चुकी हैं। इस योजना के लागू होने के समय से 1,81,296 टन भण्डारण क्षमता वाला स्थान उपलब्ध कराया गया है, या किराये पर लिया गया है। नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यावधि समीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि योजना के लागू होने से पूर्व की तुलना में, करीब 15 लाख मीट्रिक टन अधिक खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक नया ग्रामीण आयाम जुड़ा है। खरीद प्रयासों में तेजी लाए जाने से 1 जनवरी, 1994 को केन्द्रीय पूल में स्टॉक 2 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंच गया, जो अब तक का रिकॉर्ड स्टॉक है। आवश्यक हुआ तो सरकार इन क्षेत्रों में और अधिक प्रोत्साहन आसानी से देने की स्थिति में है।

सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे महिलाएं हों या बच्चे, अल्पसंख्यक हों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग, विकास की मुख्य धारा से अलग नहीं रहना चाहिए। 1993-94 में गरीबों के विकास के हर क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संसाधन जुटाये गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए संशोधित परिव्यय 56% बढ़ गया, जबकि कल्याण मंत्रालय का योजना परिव्यय 820 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 980 करोड़ रुपये कर दिया गया। सर्वाधिक पिछड़े 120 जिलों में जवाहर रोजगार योजना को सुदृढ़ बना दिया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी को प्रति परिवार 1,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया। 1992-93 में शुरू किए गए ग्रामीण कारीगरों के लिए उन्नत औजार किट कार्यक्रम को 1993-94 में 100 और जिलों में 2 लाख 30 हजार ग्रामीण कारीगरों को लाभ पहुंचाया गया है। बुनकरों के कल्याण एवं विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाए गए। इसके अंतर्गत आवास, कार्यस्थल, हथकरघा विकास केन्द्र, क्वालिटी डाइंग इकाई, दक्षता विकास के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशील पूंजी शामिल

है। वर्ष के दौरान 1,372 करोड़ रुपए लगाए गए। हथकरघा विकास केन्द्र एवं क्वालिटी डाइंग इकाइयों के लिए सन् 1993 के लिए 120 केन्द्र तथा 20 इकाइयों के लक्ष्य के स्थान पर 213 केन्द्र एवं 94 इकाइयों को स्वीकृति दी गई। 25 केन्द्र एवं 25 इकाइयों ने काम करना आरम्भ भी कर दिया है।

सरकार ने निर्धनों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं एवं शहरी युवाओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से तीन नई योजनाएं बनाई हैं।

देश के 1,752 सर्वाधिक पिछड़े एवं दूरवर्ती इलाकों में जहां देश के 17 करोड़ गरीब लोग रहते हैं, ताकि उन्हें कृषि के खाली समय में 100 दिन के लिए सुनिश्चित मजदूरी रोजगार मुहैया कराया जा सके। इस प्रकार यह योजना और ऊंचे स्तर तक ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराती रहेगी।

"महिला समृद्धि योजना" ग्रामीण महिलाओं को अपनी कमाई और घरेलू संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने और बरतने में समर्थ बनाएगी। 4 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही इस योजना के तहत ग्रामीण डाकघरों में अपने खाते खोल चुकी हैं। इस योजना और राष्ट्रीय महिला कोष से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी।

शिक्षित शहरी युवकों को लघु उद्यमों में सतत् रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से एक रोजगार योजना शुरू की गई है। अब तक विभिन्न राज्यों से युवाओं से लगभग 1,95,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 41,275 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है और उन्हें सिफारिश करके बैंकों को भेज दिया गया है। उनमें से लगभग 2,000 आवेदन पत्र मंजूर भी कर लिए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान इस योजना में 40,000 लाभभोगियों को शामिल किया जाएगा, और वर्ष 1994-95 से प्रति वर्ष 2,20,000 लाभभोगियों को इसमें शामिल करने का विचार है। इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कुल सात लाख लाभभोगियों को इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। इस योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

इन सभी कार्यक्रमों में जागरूकता पैदा करने और इनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है।

कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने और उनके सम्बन्ध में अपेक्षित निर्देश और बल देने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया है। यह विशेष कक्ष कार्यान्वयन विभागों

और क्षेत्रीय भ्रमण तथा स्वतंत्र मूल्यांकनों पर आधारित सूचना से फीड-बैक प्राप्त करेगा, ताकि कार्यक्रमों की सभी संभावित रुकावटों को दूर किया जा सके। सम्बन्धित क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के समन्वित कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए सचिवों की एक विशेष समिति का भी गठन किया गया है, जो इन तीनों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

संचार सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा। वर्ष 1993-94 में, 46,800 पंचायतों को टेलीफोन से जोड़ा जाएगा। 1994-95 के दौरान 72,000 गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं में विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आबंटन में सन् 1993 में वृद्धि की गई और उसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया, ताकि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% या इससे अधिक है उन क्षेत्रों में आधारिक संरचना के विकास की योजनाओं को इसमें शामिल किया जा सके।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम का पारित होना इस वर्ष की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के त्वरित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा रहा है।

सरकार देश के कुछ भागों में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। कानून के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की रक्षा तथा उनके लिए बने सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। 1992-93 के दौरान लगभग 21 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों और 8 लाख अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से ऊपर आने में सहायता दी गई। 1993-94 के दौरान सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इन परिवारों की संख्या बढ़कर क्रमशः 27 लाख और 9 लाख हो जाने की संभावना है।

जिन क्षेत्रों में जनजातीय महिला साक्षरता बहुत कम है, उनमें इस वर्ष शिक्षा परिसर बनाने की योजना शुरू की गई। अब तक ऐसे 13 परिसरों को मंजूरी दी गई है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का कारोबार, जो 1991-92 में 22 करोड़ रुपये था, 1992-93 में बढ़कर 86 करोड़ रुपये हो गया है। चालू वर्ष में इसके काफी अधिक बढ़ जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त और विकास निगम ने चालू वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की। 1993 के दौरान इसने 80 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए और आगामी वर्ष में इसका प्रस्ताव अपने काम को दुगना कर देने का है।

भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का चिर प्रतीक्षित आरक्षण 8 सितम्बर, 1993 को तब साकार हुआ, जब मौजूदा सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण के आदेश जारी किए। इसके साथ देश के अन्य पिछड़े वर्गों की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आकांक्षा पूरी हुई।

बाबा साहेब अम्बेडकर की रचनाओं के क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन से सम्बन्धित कार्य को आगे बढ़ाया गया, और हिन्दी, तमिल, गुजराती, प्रत्येक में दो-दो खंड प्रकाशित किए गए। अन्य भाषाओं में भी कार्य की बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। बाबा साहेब के दर्शन में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में आठ पीठों की मंजूरी दी गई है।

मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1954 और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के स्थान पर अगस्त, 1993 में संसद में एक नया वक्फ विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ वक्फ बोर्ड का और अधिक लोकतांत्रिक गठन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें वक्फ मामलों से सम्बन्धित मसलों का निर्णय करने और वक्फ की संपत्ति की बेहतर रक्षा और प्रबंध के लिए वक्फ अधिकरण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम इस वर्ष काम शुरू कर देगा, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये होगी। इसका स्वरूप तैयार किया जा रहा है।

अपने पिछले अभिभाषण में मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 1986 की सन् 1992 में की गई समीक्षा और उसमें किए गए संशोधनों का उल्लेख किया था। सरकार साक्षरता और पश्च साक्षरता अभियानों और प्राथमिक शिक्षा के प्रति एक नए जिला-विशेष और समुदाय अभिमुख दृष्टिकोण द्वारा समर्थित पूर्ण साक्षरता अभियानों की अभिनव कार्य नीतियों पर आधारित प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है। केरल और पांडिचेरी के सभी 18 जिलों ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। 32 जिलों में, जिन्होंने पूर्ण साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न किए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नव-साक्षर लिखना-पढ़ना भूल न जाएं, पश्च साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। इस समय 258 जिलों में 238 पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहे हैं।

नए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भागीदारी योजना एवं प्रबंध पर जोर दिया गया है और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर और विकेन्द्रीकृत प्रबंध के माध्यम से स्कूलों की प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हाल ही में भारत ने विश्व के नौ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की "सबके लिए शिक्षा" शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और इसमें भारत ने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस सदी के अंत तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस सदी के अंत तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6% तक शिक्षा परिव्यय बढ़ाने के

सरकार के निर्णय की घोषणा की। नौवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार पृथक-पृथक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करके और विकेन्द्रीकृत प्रबंध द्वारा सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकारों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर में कमी हो रही है। 1981-91 के दशक में वार्षिक औसत चरघातांकी वृद्धि दर 2.14% थी, जो वर्ष 1992 में घटकर 1.9% रह गयी है। अशोधित जन्म दर, जो 1951-61 में 41.7 प्रति हजार थी, 1992 में घटकर 29 प्रति हजार रह गयी। अशोधित मृत्यु दर, जो 1951-61 में 22.8 थी, वह 1992 में घटकर 10 रह गई है। कुल प्रजनन-दर, जो 1961 में 5.97 थी, 1991 में घटकर 3.6 रह गई। पूरे देश में शिशु मृत्यु दर 1961 में 146 प्रति हजार जीवित शिशु थी। यह 1992 में घटकर 79 रह गई। यद्यपि ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, परन्तु जनसंख्या में वृद्धि अभी भी विचलित करने वाली है। सरकार जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समूचा राष्ट्र एकमत है। इसके लिए राज्य सरकारों, अग्रणी नेताओं, गैर-सरकारी संस्थाओं और समाज के सभी वर्गों की ओर से बहु-आयामी एवं बहु-क्षेत्रीय प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सभी राजनैतिक दलों को इस सम्बन्ध में एकमत होकर लोगों को छोटे परिवार के मानदण्ड अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक जन आन्दोलन का रूप देना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने हाल ही में गठित की गई जनसंख्या समिति की सिफारिशों का समर्थन किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह भी निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भावी कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्रियों और विचारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाए। यह कार्य शीघ्र ही किया जाएगा।

विकास प्रक्रिया और पर्यावरण संरक्षण के परस्पर संबंध के प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। हमारी वन और वन्य-जीवन नीतियों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उसके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग की आवश्यकता, हमारी प्रमुख नदियों की सफाई और प्रदूषण निवारण कार्यक्रमों में परिलक्षित होती है। जैव-विविधता, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए मरुस्थल के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही बहस में भाग लेते समय हमने 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में संसाधनों, प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के संबंध में उठाए गए मूलभूत मसलों पर ध्यान केन्द्रित किया। सरकार विकास से संबंधित हमारे प्रयासों में हमारी पर्यावरण सम्बंधी चिन्ताओं पर पूरा ध्यान देगी।

अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निरन्तर प्रगति हुई है। यद्यपि हम पोलर सैटेलाइट लांचिंग व्हीकल की उड़ान में असफल रहे हैं, परन्तु इस अनुभव से काफी लाभ मिला है।

संग्रह किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और इससे जटिल प्रणालियों की प्रभावशीलता सिद्ध हुई है। पोलर सैटेलाइट लांचिंग व्हीकल की अगली उड़ान अगस्त-सितम्बर, 1994 में किए जाने की योजना बनाई गई है। भारतीय पोलर सैटेलाइट लांचिंग व्हीकल के विकास में भी प्रगति हुई है, जिससे आज से कुछ वर्षों के बाद इनसैट श्रेणी के उपग्रह छोड़े जा सकेंगे। इनसैट-2ए को चालू करने के एक वर्ष के भीतर पिछले वर्ष हमने इनसैट-2बी को सफलतापूर्वक छोड़कर और चालू कर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इनसैट-2बी से दूरदर्शन को अपने पांच उपग्रह चैनल शुरू करके अपनी सेवाओं में वृद्धि करने में मदद मिली है। इससे दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण सशक्त बना है।

भारत की एक सशक्त और व्यापक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक आधार-संरचना है। भारत ने विभिन्न उच्च-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की गति और पर्यावरण के अनुरूप प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता के कारण हमसे अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। प्रौद्योगिकी अंतरण पर लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप हमें अपनी क्षमताओं पर और अधिक निर्भर रहना होगा। सरकार इसके लिए देश में उपलब्ध प्रतिभा की महान क्षमताओं के उपयोग के लिए हर प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए दृढ़-संकल्प है। उभरते हुए आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अनुसंधान परिणामों से हमारे उद्योग लाभ उठा सकेंगे। उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाएगा। सौर एवं अन्य गैर एवं अन्य गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के लिए उन्नत सामग्री और साधनों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

हमारी सशस्त्र सेनाएं देश की भू-भागीय अखंडता की रक्षा के लिए सीमा पर निरंतर चौकसी रखती हैं। राष्ट्र को इन सेनाओं पर और उन रक्षा वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों पर गर्व है, जिन्होंने हमारी रक्षा तैयारियों में सराहनीय योगदान दिया है। गोला-बारूद के स्वदेशी विकास और रक्षा उत्पादन यूनिटों के विविधीकरण में भी तेजी से प्रगति हुई है।

अपने सामान्य कर्तव्य के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाएं आवश्यकता पड़ने पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोही गतिविधियों से निपटने में सिविल प्राधिकारियों को सहयोग देती रही हैं। वे प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्यों में भी सहायता करती रही हैं। इन क्षेत्रों में इनका कार्य अनुकरणीय रहा है। सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना कार्मिकों को बेहतर सुविधाएं और स्थितियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। फील्ड एरिया में तैनात कार्मिकों को हाल ही में अपेक्षाकृत अधिक भत्ते प्रदान किए गए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन में एक बार वृद्धि स्कीम का लाभ दो लाख अतिरिक्त पेंशनरों को भी दिया जाएगा।

सतत् अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के परिणामस्वरूप सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में यह विश्वास उत्पन्न करने में सफल रही है कि भारत विश्व के सर्वाधिक सुरक्षित पर्यटन स्थलों में से है। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1993 और जनवरी, 1994 के महीनों में पर्यटकों के आगमन में अब तक की रिकार्ड वृद्धि हुई है। यह 1992 और 1993 की इसी अवधि के दौरान आए पर्यटकों की तुलना में क्रमश: 23.8% और 28.4% अधिक है।

पिछले एक वर्ष में सरकार की विदेश नीति हमारे अपने राजनीतिक एवं सुरक्षा हितों के संवर्धन को जारी रखते हुए विदेशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों में हमारे आर्थिक हितों की रक्षा पर केन्द्रित रही। हमारे आर्थिक सुधारों की सार्थकता से विदेशों को प्रभावशाली ढंग से अवगत करा दिया गया है।

पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं और इस वर्ष बांग्लादेश, भूटान मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पारस्परिक कार्यकलापों में भी अच्छी प्रगति हुई है। केवल पाकिस्तान के मामले में उसके द्वारा जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद और विद्रोह का समर्थन किए जाने तथा विश्व भर में भारत–विरोधी कार्य किए जाने के कारण संबंधों को सामान्य बनाने के हमारे प्रयासों को गहरा धक्का लगा है। प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के समक्ष शिमला समझौते के अनुरूप एक अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। इस संबंध में द्विपक्षीय वार्ता की गई, किन्तु पाकिस्तान के भारत–विरोधी बयानों की भरमार से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे और पाकिस्तान की जनता के बीच झगड़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर शिमला समझौते के अनुरूप भारत–पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने की हमारी कामना में बराबर का सहयोग दे।

चीन के साथ हमारे संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सितम्बर, 1993 में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शांति बनाए रखने के करार पर हस्ताक्षर करने से इन संबंधों में नए आयाम विकसित हुए हैं। इस करार के अधीन गठित विशेषज्ञ दल ने हाल ही में अपनी पहली बैठक की और उसमें इस पेचीदा मुद्दे पर परस्पर संबंध स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने की दोनों पक्षों की इच्छा को अभिव्यक्त किया।

भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को इसके चार्टर के उद्देश्यों के अनुरूप क्षेत्रीय सहयोग का माध्यम मानता है। प्रधान मंत्री ने पिछले वर्ष ढाका में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ने आम हित के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे कि गरीबी, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, महिलाओं, बालकों और युवाओं की स्थिति तथा मादक

पदार्थों से संबंधित समस्याओं पर विचार किया। हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर के अनुरूप उसके सामाजिक–आर्थिक और अन्य उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से लेकर संस्कृति और खेलकूद के अनेक क्षेत्रों में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपस में पारम्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपसी समझबूझ की दिशा में और ऐसे मुद्दों पर, जिनके सम्बंध में समझबूझ बढ़ाने की आवश्यकता है, मिलकर काम करना चाहते हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र के साथ व्यापक परीक्षण रोक संधि जैसे निरस्त्रीकरण से संबंधित मसलों पर भी सहयोग किया है। हमारी आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पिछले दो वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में काफी निवेश किया। इससे हमारे दोनों देशों के बीच जीवंत लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आदर्श परिलक्षित होते हैं।

विगत दिनों में हमारी मैत्री की समृद्ध परम्परा के आधार पर रूसी संघ के साथ हमारे संबंधों में आपसी समझबूझ और सहयोग बना रहा। दोनों देशों के समक्ष आई कुछ कठिनाइयों के बावजूद राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग का दोनों पक्षों द्वारा समर्थन करने का प्रयास किया गया। हमारे सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने वाली हमारी सद्भावना और समझबूझ से आज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में आगे सहयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाने में हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिला है।

मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। 1993 में प्रधान मंत्री की उज़बेकिस्तान और कजाकिस्तान यात्राएं बहुत सफल रहीं। पिछले वर्ष उज़बेकिस्तान के राष्ट्रपति और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी यात्रा की। भारत और इन दोनों देशों के बीच राजनीतिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग तथा व्यापार, नागर विमानन और संस्कृति के क्षेत्रों में भी सहयोग के कई करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ और पूर्वी एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग के नए युग के सूत्रपात के लिए संगठित रूप से प्रयास किया गया। नए आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किए गए और व्यापार बढ़ाया गया। भारत और दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के संघ के देशों के बीच क्षेत्रीय बातचीत का शुरू होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। अप्रैल, 1993 में प्रधान मंत्री की थाइलैंड यात्रा से भारत–थाई सम्बन्धों को नया बल मिला। भारत–सिंगापुर सम्बन्धों में गुणात्मक सुधार हुआ है और सिंगापुर के प्रधान मंत्री गोह चोक टोंग ने इस वर्ष जनवरी में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की। मलेशिया के प्रधान मंत्री

महातिर मोहम्मद और इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो ने भी दिसम्बर, 1993 में भारत की यात्रा की। सितम्बर, 1993 में उप-राष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा से वियतनाम के साथ हमारे सम्बन्ध सुदृढ़ हुए। सरकार जापान के साथ आर्थिक और अन्य सम्बन्धों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए सतत प्रयास करती रही। कोरिया गणराज्य के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सम्बंधों को और गति प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1993 में कोरिया गणराज्य की यात्रा की, जिसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही।

खाड़ी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध पारम्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहे हैं और अब आर्थिक सम्बन्धों में भी सहयोग बढ़ रहा है। सितम्बर, 1993 में प्रधान मंत्री की ओमान और ईरान की यात्राओं ने पारस्परिक आर्थिक लाभ के बढ़ते हुए सम्बन्धों की नींव डाली।

हम पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने तथा फिलिस्तीनी लोगों के जायज अधिकारों को वापस दिलाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम के रूप में इजरायल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच सितम्बर, 1993 में सम्पन्न अंतरिम स्वशासी व्यवस्थाओं के सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत करते हैं।

भारत और यूरोपीय संघ ने विविध क्षेत्रों में आपसी लाभदायक सम्बन्धों को और अधिक विकसित करने को जो महत्व दिया है, उसका परिचय 20 सितम्बर, 1993 को सम्पन्न साझेदारी और विकास पर सहयोग समझौते तथा राजनैतिक बातचीत पर भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य से मिलता है। पिछले वर्ष के दौरान यूरोप से जिन उच्च स्तर के गणमान्य व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की, उनमें आयरलैंड के राष्ट्रपति, स्वीडन के नरेश और नीदरलैंड के प्रधान मंत्री सम्मिलित हैं। हाल ही में प्रधान मंत्री ने स्विट्जरलैंड में डावोस और जर्मनी की सफल यात्राएं कीं। डावोस में प्रधान मंत्री ने विश्वभर से आए उद्योगपतियों, राजनीतिक नेताओं और प्रबुद्ध लोगों को संबोधित किया। इसके परिणामस्वरूप भारत की नीतियों और क्षमताओं के प्रति समझबूझ बढ़ी है। जर्मनी की यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्धों को और बल मिला है तथा आर्थिक सहयोग और मजबूत हुआ है।

जुलाई, 1993 में मैंने तुर्की, उक्रेन और हंगरी की राजकीय यात्राएं कीं, जो इन देशों के साथ हमारे सहयोगपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने की हमारी इच्छा का परिचायक है।

इस वर्ष के दौरान हमने उप-सहारा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक पारस्परिक बातचीत की, जिसमें बुरकिनो फासो, मारीशस, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री स्तर की यात्राएं शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका में हो रही

विकास की सकारात्मक गतिविधियां हमारे ध्यान में हैं और वहां पर बहुमत वाली सरकार शीघ्र स्थापित हो, इसकी हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भारत राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मामलों, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मानवाधिकार, पर्यावरण और जनसंख्या से संबंधित विषयों पर विश्व कार्यसूची को एक स्वरूप प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट-निरपेक्ष आंदोलन अथवा इन विषयों से संबंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विभिन्न बैठकों में विश्व सहमति को बढ़ावा देने के लिए हमने विकासशील देशों की विशिष्ट चिन्ताओं को उजागर करने में बढ़-चढ़ कर भाग लिया है।

वर्ष 1993 आर्थिक सुधारों के लाभों और सरकार द्वारा की गई राजनीतिक पहल को सुदृढ़ करने का वर्ष रहा। हमने सन् 1994 में इस आशावाद के साथ प्रवेश किया है कि हम अपने आर्थिक विकास की गति को और अधिक बढ़ाएंगे। लोगों ने सुधारों के पक्ष में और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जो समर्थन दिया है, उससे हमारा यह आशावाद सुदृढ़ हुआ है।

मुझे विश्वास है कि इस सत्र के दौरान तथा उससे आगे भी आपकी बहस तथा विचार-विमर्श लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में राष्ट्र को और आगे ले जाएगी। मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने कार्य में जुट जाएं। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 13 फरवरी 1995

लोक सभा	-	दसवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री पी.वी. नरसिंह राव
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री शिवराज वि. पाटील

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं।

इस वर्ष आपको संबोधित करते हुए मुझे यह महसूस हो रहा है कि पिछले वर्ष की हमारी आशावादिता और विश्वास सही सिद्ध हुए हैं। हमारी परिकल्पनाएं काफी हद तक साकार हुई हैं, और अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सरकार की नई आर्थिक और अन्य नीतियों के फलस्वरूप देश में अपेक्षित बदलाव आने लगा है। जनता ने सामाजिक स्थिरता के प्रति अपना विश्वास खुलकर व्यक्त किया है। राजनीतिक दलों ने भी लोकतंत्र को तथा विधि-सम्मत शासन जैसे मूलभूत मूल्यों को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए अपना योगदान दिया है। हमारे देश ने विश्व-समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है, तथा अब हमारी अर्थव्यवस्था संसार में तेजी से विकसित हो रही एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रही है।

वर्ष 1994-95 में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। देश में कोई बड़ा साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ, तथा हिंसा की घटनाएं भी अपेक्षाकृत कम रहीं। गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। सरकार सतर्क रहने के लिए कृतसंकल्प है–विशेष रूप से देश की एकता तथा अखण्डता के लिए संकट पैदा करने वाली अलगाववादी तथा साम्प्रदायिक ताकतों के संबंध में।

अयोध्या मसले के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि उच्चतम न्यायालय को जो मामला विचार के लिए भेजा गया था, उस पर उसने अपना निर्णय दे दिया है।

न्यायालय ने अधिग्रहण अधिनियम की वैधता को उचित ठहराया है, किन्तु निर्णयाधीन वायदों के उप-शमन से संबंधित उपबंधों का समर्थन नहीं किया है। विवादास्पद क्षेत्र अब केन्द्र सरकार के अधिकार में है, जिसे पुन: प्रवर्तित वायदों का निपटान होने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए अब कानूनी रिसीवर के रूप में कार्य करना है। न्यायालय के निर्णय का पालन करना अनिवार्य है। इस निर्णय में विवाद को बातचीत द्वारा सुलझाने की सम्भावना को भी स्वीकार किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सुधरे हुए वातावरण में इस विवाद का स्थायी समाधान हो जाए, और हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि साम्प्रदायिकता के कारण राजनीति दूषित न होने पाए।

जम्मू व कश्मीर के मामलों के लिए प्रधान मंत्री के अधीन एक अलग विभाग का गठन किया गया है। राज्य में विकास तथा आर्थिक कार्यकलापों की गति तेज करने के जोरदार प्रयास किए गए हैं। सरकार ने राज्य के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की है, और इसकी विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित साधन मुहैया कराने के लिए वह नियमित रूप से इसकी जरूरतों का आकलन करेगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित की जा रही हैं, तथा मतदाताओं की सूची संशोधित करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग ने आरम्भ कर दिया है। उग्रवादियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। उग्रवादियों द्वारा अमरनाथ यात्रा में व्यवधान डालने के प्रयासों को विफल करने में भी प्रशासन सफल रहा। विकट परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बल संयम से काम ले रहे हैं, तथा स्थानीय लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं। राजनयिकों और सांसदों के शिष्टमंडलों ने राज्य का दौरा किया, और जनता के विभिन्न वर्गों से खुलकर बातचीत की। इन सतत् और स्वच्छ प्रयासों से सर्वत्र विश्वास की भावना पैदा हुई है।

उत्तर-पूर्व में विद्रोही गतिविधियों से दृढ़तापूर्वक निपटने की अपनी नीति पर सरकार पूरी तरह अमल कर रही है। साथ ही इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि इन विघटनकारी तत्वों को हिंसा का रास्ता छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मिजोरम की सरकार ने "ह्मार पीपुल्स कन्वेंशन" के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। असम में भी इसी प्रकार उल्फा उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

सितम्बर, 1994 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद् का प्रावधान है। इस करार के प्रावधानों को शामिल करते हुए बिहार विधान सभा ने एक नया विधेयक पारित किया है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे आन्दोलन से उभरे मसलों के प्रति सरकार सचेत है, और उसका विश्वास है कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा धैर्यपूर्वक और

सहानुभूतिपूर्ण ढंग से काम करने पर समस्या का सर्वमान्य हल निश्चय ही निकल सकेगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर रहा है। सरकार मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की अपनी नीति के लिए प्रतिबद्ध है।

आर्थिक सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत प्रगति हुई है। वर्ष 1994-95 के दौरान स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 4.3 प्रतिशत थी। 1994-95 की पहली छमाही में उत्पादन में 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जो औद्योगिक पुनर्जीवन का संकेत है। विदेशी मुद्रा का भण्डार 31 मार्च, 1994 को 15.1 बिलियन डालर था। किन्तु यह जनवरी, 1995 के अंतिम सप्ताह में बढ़कर 19 बिलियन डालर हो गया। सरकार नियत समय से पहले ही लगभग 1.1 बिलियन डालर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लौटाने की स्थिति में थी। औद्योगिक क्षेत्र के पुनः सुदृढ़ स्थिति में आ जाने से आयात 23.9 प्रतिशत तक बढ़ गया है। निर्यात में भी डालर के रूप में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रुपये का मूल्य स्थिर रहा, और उसे चालू खाते में परिवर्तनीय बना दिया गया।

सरकार कीमतों में वृद्धि से चिंतित है—विशेष रूप से सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से। कीमतों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी न होने देने के उपाय किए जा रहे हैं। कुछ वस्तुओं; जैसे—चीनी और खाद्य तेल की कीमतें मुख्य रूप से अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण बढ़ी हैं। विदेशी मुद्रा की संतोषजनक स्थिति के कारण अधिक आयात करने से कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने में सहायता मिली है। भारतीय खाद्य निगम के पास मौजूदा अनाज के सार्वजनिक स्टॉक में से गेहूं व चावल की खुले बाजार में भी बिक्री की गई है। आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं पुनर्व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दिशा में आगे और प्रयास किए जाएंगे। देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराए जाते रहेंगे। जहां तक आवश्यक वस्तुओं का संबंध है, सरकार पर्याप्त उपलब्धता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगी, जिसमें गरीबों को अतिरिक्त रियायतें दी जाएंगी।

उद्योगों को व्यापक रूप से नियंत्रणों से मुक्त करने का उद्यमियों ने सराहनीय स्वागत किया है। जुलाई, 1991 से अब तक 17,000 से भी अधिक निवेश संबंधी मंतव्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा, तथा इससे 34 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। लगभग 20 प्रतिशत निवेश संबंधी मंतव्यों को अब तक कार्यान्वित किया जा चुका है, और अन्य 20 प्रतिशत निवेश प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें 14 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। हमारी प्रमुख वित्तीय

संस्थाओं ने वर्ष 1994 में अप्रैल से दिसम्बर माह के बीच पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक राशि का संवितरण किया। इस दिशा में देश में जो पहल की गई, उससे विदेशी निवेशकों और सहयोगकर्ताओं में भी निवेश के प्रति रुचि जागृत हुई है विदेशी निवेशकों ने भारतीय साझीदारी के कौशल और संसाधनों में जो विश्वास प्रकट किया है, वह इसी बात से स्पष्ट है कि विदेशियों ने संयुक्त उद्यमों में 80 प्रतिशत तक सीधे पूंजी निवेश किया है। वर्ष 1991 से आज तक प्रत्यक्ष विदेशी संचयी निवेशों की अनुमोदित राशि 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गयी है। इसमें से अधिकांश राशि का निवेश लम्बी अवधि वाली आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं में किया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी सुधार लाने और विनियमों में मुक्ति देने की सरकार की नीति जारी रही। नई औषधि नीति तथा दूरसंचार नीति इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र हमारी औद्योगिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उत्पादन स्तर 2 लाख 41 हजार 648 करोड़ रुपए है, जिससे 1 करोड़ 39 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिछले वर्ष इसमें 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र द्वारा निर्यात की राशि लगभग 24,000 करोड़ रुपए है, जो कुल निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत है। इस क्षेत्र की क्रेडिट संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इसमें ऐसे 85 जिलों में जहां लघु क्षेत्र इकाइयां संकेन्द्रित हैं, "सिंगल विंडो स्कीम" को अपनाना, और विशेष बैंक शाखाओं की स्थापना करना शामिल है। सरकार इस क्षेत्र को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उदारतापूर्वक सहायता देकर और अधिक बढ़ावा देगी।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने खादी और ग्रामीण उद्योगों को सुधारने, और पुनरुज्जीवित करने के लिए एक कार्य-योजना को मंजूरी दी है, जिससे 20 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलेगा। एक विशेष रोजगार कार्यक्रम 50 चुने हुए जिलों में प्रारम्भ किया जाएगा, तथा देश के 125 ब्लाकों में गहन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है। 2 अक्तूबर, 1993 से प्रारम्भ हुई प्रधान मंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। अब इस वर्ष से इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रारम्भ कर दिया गया है। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम से 2 लाख 30 हजार शिक्षित युवाओं को लाभ पहुंचेगा, जबकि पिछले वर्ष इससे 31 हजार 797 युवा लाभान्वित हुए थे। बैंकों ने 31 दिसम्बर, 1994 तक 69,483 उद्यमियों को ऋण मंजूर किए । सरकार 7 लाख युवकों को ऋण प्रदान करेगी, जिससे आठवीं योजना की अवधि समाप्त होने से पूर्व रोजगार के 10 लाख अवसर प्राप्त होंगे।

पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजनीय उर्वरकों का उत्पादन वर्ष 1994-95 में 78 लाख 20 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने की आशा है, जो अपने आप में एक

रिकार्ड है। पोषक तत्व के रूप में फास्फेटिक उर्वरक का उत्पादन; जो वर्ष 1993-94 में 18 लाख 50 हजार मीट्रिक टन था, उसके वर्ष 1994-95 में बढ़कर 23 लाख मीट्रिक टन तक हो जाने की संभावना है। सरकार देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। पांच नए संयंत्रों में शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ होने वाला है।

सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष 18 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन था, जिसके चालू वर्ष में बढ़कर 18 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। वर्ष 1993-94 में 15,100 करोड़ रुपए के कृषि ऋण का संवितरण किया गया। वर्ष 1993-94 में इस ऋण के 16,700 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। वर्ष 1994-95 में 27 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि के और सिंचित हो जाने की संभावना है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र बढ़कर 8 करोड़ 78 लाख 20 हजार हेक्टेयर हो जाएगा। अनुमान है कि वर्ष 1994-95 में उर्वरक पोषक तत्वों की खपत 1 करोड़ 36 लाख मीट्रिक टन होगी, जो कि वर्ष 1993-94 की खपत की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी और मत्स्य उद्योग जैसे व्यवसायों से अधिक आय अर्जित कराने के लिए विविध योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में बागवानी के लिए 1,000 करोड़ रुपयों का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जबकि पिछली पंचवर्षीय योजना में इसके लिए केवल 24 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। वर्ष 1993-94 में मत्स्य उत्पादन 46 लाख 80 हजार मीट्रिक टन था, जो अपने आप में अब तक का एक रिकार्ड है। वर्ष 1994-95 में इसका उत्पादन 47 लाख 50 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। पिछले पांच वर्षों में कृषि उत्पादों के निर्यात में तीन गुणा वृद्धि हुई है।

सरकार के विकास संबंधी समस्त प्रयासों का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण विकास है। सुस्पष्ट लक्षित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की रोजगार नीति के आधारस्वरूप हैं। पिछले तीन वर्षों से ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय योजना के आबंटन में निरंतर वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में इस कार्य के लिए 7,010 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जो हमारी योजना के इतिहास में अब तक आबंटित सर्वाधिक राशि है। इतनी बड़ी राशि के परिव्यय से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होंगे, तथा बड़े पैमाने पर संस्थागत वित्त जुटाकर स्व-रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जवाहर रोजगार योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 5,055 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चालू वर्ष में रोजगार आश्वासन योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम को बढ़ाकर देश के सबसे अधिक पिछड़े 2,279 क्षेत्रों में प्रारम्भ कर दिया गया है, जबकि पहले यह केवल 1,778 ब्लाकों में था। जवाहर रोजगार योजना के

अतिरिक्त एक गहन रोजगार योजना कार्यक्रम लम्बे अर्से से 120 पिछड़े जिलों में चल रहा है। इन सभी योजनाओं से चालू वर्ष के दौरान रोजगार के 147 करोड़ श्रम दिवस उपलब्ध होने की संभावना है।

परिसम्पत्ति एवं ऋण पर आधारित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष से लगभग 20 लाख गरीब ग्रामीण परिवार स्व-रोजगार पा सकेंगे। जिला और ब्लाक स्तर की ऋण योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित किया जा रहा है, तथा प्रति परिवार औसत निवेश को बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जा रहा है। 1,098 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपए का संस्थागत ऋण जुटाया जाएगा। ये कार्यक्रम ग्रामीण शिक्षित युवा वर्ग की आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूरा करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास संबंधी कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महिला ग्रुपों को अब तक दी जाने वाली 15,000 रुपए की राशि के स्थान पर 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि वे आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर सकें, और साक्षरता एवं परिवार कल्याण जैसे कार्यों को ग्रुपों में करने की प्रवृत्ति विकसित हो सके। इससे महिलाओं को और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा।

अप्रैल, 1994 तक की निर्धारित अवधि में सभी राज्यों ने अपने मौजूदा पंचायती राज कानूनों को संशोधित कर लिया है, या नए कानून बना लिए हैं। अब यह आवश्यक है कि सभी जगह चुनाव कराए जाएं, और सभी स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाए। कुछ राज्यों में इसकी शुरूआत हो भी चुकी है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। मैं सभी राज्यों का आह्वान करता हूं कि वे पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया अविलम्ब पूरी करें।

सरकार शहरों में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव करती है। इस कार्यक्रम में शहरों के सभी प्रकार के कूड़ा-करकटों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाना भी शामिल है। इस कार्यक्रम को तैयार करने और कार्यान्वित करने में स्वयंसेवी संगठनों का भी भरपूर सहयोग लिया जाएगा। सरकार देश के 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले श्रेणी-II के 345 शहरों के लिए योजना बनाने पर विचार कर रही है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। इस दिशा में राज्यों के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष राज्यों को 273 करोड़ 85 लाख रुपए आबंटित किए हैं। पिछले वर्ष सफाई कर्मचारियों को इस कार्य से मुक्त कराने; तथा उनके पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया

गया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह आयोग प्रशिक्षण देने, अधिकाधिक संस्थागत वित्त जुटाने जैसे पुनर्वास कार्यक्रम चलायेगा तथा यूनिट लागतों के परिवर्धन की आवश्यकता पर विचार करेगा।

"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम" के माध्यम से मार्जिन राशि और ऋणों का प्रावधान करके गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, तथा उनका विस्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस क्रम में इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 125 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई है।

भारत सरकार ने सितम्बर, 1993 में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की दिशा में पहला कदम उठाया था, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका पूरा लाभ अन्य पिछड़े वर्गों को मिले, सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को अपेक्षित मानकों में ढील दी है, जिस प्रकार की सुविधा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उपलब्ध थी। परिणामस्वरूप वर्ष 1994 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के 1,873 अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की। सरकार ने आयु में तीन वर्ष की छूट देने के नियम को लागू करने, तथा इस परीक्षा के लिए तीन अतिरिक्त प्रयासों की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है।

अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने तथा उनके तकनीकी ज्ञान एवं उद्यम-कौशल के उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने सितम्बर, 1994 से कार्य आरम्भ कर दिया है। चालू वर्ष में मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को 25 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रतिष्ठान ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे स्लमों में; जहां साक्षरता कम है, लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल खोलेगा।

सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ नए उपायों पर विचार कर रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत एक आयोग के गठन पर विचार किया जा रहा है जो अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे जनजातीय उपयोजना तथा अन्य उपायों की समीक्षा करेगा, ताकि इनकी कार्य नीतियों में सुधार लाया जा सके, शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार नियोजन जैसे क्षेत्रों में विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाएं तथा मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए न्यास बनाया जा सके।

महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों में सरकार का दृष्टिकोण ऐसी अनुकूल नीतियां तैयार करने का रहा है, जिनमें योजना का केन्द्रबिन्दु महिलाएं एवं बच्चे; और विशेषकर बालिकाएं हों। इस योजना में महिलाओं को सक्षम बनाने, समर्थन सेवाएं प्रदान करने, तथा पोषण कार्यक्रम चलाने को प्राथमिकता दी गई है। इस बारे में उल्लेखनीय उपलब्धियों में राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाना, राष्ट्रीय पोषण परिषद् और राष्ट्रीय शिशुगृह निधि की स्थापना करना तथा महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन शामिल है। महिला समृद्धि योजना को काफी लोकप्रियता मिली है। दिसम्बर, 1994 तक 72 लाख खाते खोले जा चुके थे, जिनमें कुल जमाराशि 65 करोड़ 90 लाख रुपए थी। 8वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय शिशुगृह निधि से सेवारत महिलाओं और बीमार माताओं के 45,000 बच्चों की दिन में देखभाल करने के लिए 1,800 अतिरिक्त शिशुगृह खोलने में सहायता मिलेगी।

पूरे देश में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम लागू करने के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान प्रथम उपाय के रूप में सामुदायिक पोषण केन्द्रों के माध्यम से 1 लाख गांवों में 1,000 नए ब्लाकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

सन् 2,000 तक "सभी को शिक्षा" प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार शिक्षा पर खर्च की राशि को उत्तरोत्तर बढ़ाएगी, ताकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। देश में इस समय 312 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें 9 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूर्ण साक्षरता अभियानों के प्रारंभ होने से अब यह लगने लगा है कि सार्वभौम प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

सन् 2,000 तक जोखिमपूर्ण उद्योगों में तथा सभी प्रकार के रोजगारों में क्रमिक रूप से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार कृतसंकल्प है। शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा श्रम जैसे विकास प्रशासन के प्रमुख क्षेत्रों की कार्रवाई को समन्वित करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इससे ऐसे एकीकृत कार्यक्रम बनाए जा सकेंगे जिनसे बालकों को रोजगार से निकालकर निश्चित रूप से स्कूलों में दाखिल कराने के लिए अनुकूल स्थितियां बन सकें।

आज हम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक रूप से लागू करने के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पोलर सैटलाइट लांच व्हीकल) डी2 तथा संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (ऑगमेन्टेड सैटलाइट लांच व्हीकल)-एएसएलवी डी4 से यह स्पष्ट हो गया है कि हम ध्रुवीय तथा पृथ्वी की समीपवर्ती कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। इनसेट श्रेणी के हमारे उपग्रह दूर-संचार, दूरदर्शन-प्रसारण, मौसम तथा विनाश संबंधी चेतावनी जैसी सेवाएं

प्रदान कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आगामी उपग्रह इनसेट 2सी, तथा दूरसंवेदी सीरीज़ उपग्रह-आईआरएस 1सी वर्ष 1995 में छोड़े जाने की योजना है। यह हर्ष की बात है कि एशिया प्रशान्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र की स्थापना करने के लिए भारत का चयन किया गया है।

अपनी भाषा में कार्यक्रम देखने की जन अभिलाषा पूरी करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ने अपनी उपग्रह सेवा में अनुकूल परिवर्तन कर लिया है। 14 चैनलों में से 11 उपग्रह चैनल अब केवल क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए हैं।

देश परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने का लगातार प्रयास कर रहा है। भारत में डिजाइन किया गया एवं बना छठा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर तैयार हो गया है, जो काकरापार परमाणु शक्ति स्टेशन की दूसरी इकाई है। इसने इस वर्ष 8 जनवरी को काम करना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार देश ने इस उन्नत प्रौद्योगिकी में एक बार फिर आत्मनिर्भरता का प्रमाण दिया है। नाभिकीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और भी उपलब्धियां हुई हैं; जैसे-नाभिकीय ग्रेड ग्रेफाइट का उत्पादन, मैडिकल लेसर का निर्माण तथा समानान्तर सुपर कम्प्यूटर का विकास आदि।

हमारी सशस्त्र सेनाएं हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा समुद्री हितों की रक्षा करने में सतर्क रही हैं। उन्होंने जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व में विद्रोह को दबाने के कार्य में बड़ा योगदान दिया है।

हमारी स्थल सेना ने, भारतीय वायु सेना और नौसेना के कौशलपूर्ण सहयोग से, सोमालिया में शांति बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से युद्धरत सेनाओं को पीछे हटाने में जो सफलता प्राप्त की है उसकी विदेशों में भूरी-भूरी सराहना हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने की दिशा में पिछला वर्ष संतोषजनक रहा। पूरे विश्व में मौजूदा मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आई है, और हमारे उद्देश्यों एवं नीतियों के प्रति नई समझ पैदा हुई है।

संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हमारा निरन्तर समर्थन रहा है, क्योंकि यह मानवता के समान लक्ष्यों की प्राप्ति का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जो पहल की है, उसमें विश्व संगठन का लोकतंत्रीकरण तथा समसामयिक वास्तविकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या बढ़ाना शामिल है। हमने शीतयुद्ध के बाद ही विश्व सुरक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए चौथे विशेष निरस्त्रीकरण सत्र का प्रस्ताव रखा है।

हम अगले वर्ष अप्रैल में अपने देश में अगला सार्क सम्मेलन आयोजित करेंगे, तथा क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए अपने सार्क सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे।

पिछले वर्ष हमने पड़ोसी देशों के साथ परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की ओर निरन्तर ध्यान दिया है। हम उन नई सरकारों का स्वागत करते हैं, जो श्रीलंका तथा नेपाल में बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आई हैं। हम उनके साथ, तथा अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध और अधिकाधिक सहयोग चाहते हैं।

परन्तु खेद की बात है कि पाकिस्तान अभी भी भारत के साथ टकराव के मार्ग पर चल रहा है और हमारे अंदरूनी मामलों में उसका अनुचित हस्तक्षेप जारी है। हमने दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दों को शिमला समझौते के अनुसार सुलझाने की दिशा में बार-बार पहल की है। बातचीत के लिए हमारी पेशकश अभी भी बरकरार है। हमें खेद है कि इस बीच पाकिस्तान ने बम्बई* में अपना कार्यालय तथा कराची में भारतीय महाकांसुलावास बंद करने के इकतरफा कदम उठाए हैं। ऐसा करके उसने लोगों के आपसी संपर्क और वाणिज्यिक, सांस्कृतिक तथा अन्य संबंधों में और अधिक रुकावटें पैदा की हैं।

सरकार ने अपने पुराने और विदेशी मित्रों के साथ पारस्परिक समझ और सहयोग सुदृढ़ करने के प्रयास किए हैं। बल्गारिया और रुमानिया की मेरी राजकीय यात्राओं से वे घनिष्ठ संबंध फिर से ताजे हुए हैं, जो भारत तथा पूर्वी यूरोप के देशों के मध्य अनेक दशकों से चले आ रहे हैं।

हमारे उप-राष्ट्रपति ने आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चीन की यात्राएं कीं, और इन यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं।

प्रधान मंत्री की ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वियतनाम और सिंगापुर की यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे संबंधों को हर क्षेत्र में बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

अमेरिका की यात्रा से दोनों देशों के महत्पूर्ण मसलों को आपस में अधिक अच्छी तरह से समझा जा सका है, और इससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा है। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी परस्पर आदान-प्रदान को फिर से आगे बढ़ाने का आधार मिला है।

---

*अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

प्रधान मंत्री की ब्रिटेन, वियतनाम तथा सिंगापुर की यात्राएं इस बात का प्रमाण हैं कि हम अपने यूरोपीय तथा एशियाई सहयोगियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के इच्छुक हैं।

पिछले वर्ष के दौरान भारत–रूस संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं, और उनमें गति आई है। राष्ट्रपति येल्तसिन और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बहुवादी राज्यों के हितों की सुरक्षा संबंधी मास्को घोषणा दोनों देशों के संबंधों में एक उल्लेखनीय योगदान है।

हमने हाल ही में इस वर्ष के अपने गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया। उनकी यात्रा से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है।

हमारे आर्थिक प्रबंधों की सफलता; जिस पर हमारे देशवासियों की आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है, तथा आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप हुए लाभकारी परिवर्तनों को विदेशों में कारगर ढंग से प्रस्तुत करने के हमारे प्रयासों की विदेशों में बहुत अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है।

इन नीतियों के कारण देश में जो गतिशीलता आई है, उसे बनाए रखना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि जो लाभ मिलने शुरू हुए हैं, उन्हें गंवा न दें। हमारी अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकर्ताओं का और आर्थिक सुधारों के प्रति जनता, विशेषरूप से विशेषाधिकारहीन जनता का विश्वास दृढ़ करने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। संसद में बहस के दौरान आपके शब्द और विचार इन दोनों बातों को प्रतिफलित और प्रभावित भी करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इन उद्देश्यों पर उचित ध्यान देते हुए अपने काम में अग्रसर होंगे। कार्यारम्भ के लिए आपका आह्वान करते हुए मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 26 फरवरी 1996

लोक सभा	-	दसवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री पी.वी. नरसिंह राव
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री शिवराज वि. पाटील

माननीय सदस्यगण,

मैं संसद के इस सत्र में आपका स्वागत करता हूं।

10वीं लोक सभा ने अपने कार्यों को काफी हद तक पूरा कर लिया है तथा आपके कुशल नेतृत्व में देश के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस अवसर पर मैं, आप सभी को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से की गई आपकी सेवाओं के लिए बधाई देता हूं।

राष्ट्र ने महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनायी। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी सिद्धान्तों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार डॉ. जुलियस के. नरेरे को प्रदान किया गया। गांधी जयंती समारोह 31 जनवरी, 1996 को नई दिल्ली के बाल्मीकि मंदिर परिसर में स्थित "बापू कुटीर" में गरिमामय समारोह के साथ संपन्न हुआ। गांधी जी प्रायः वहां ठहरा करते थे।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। विभिन्न समुदायों तथा वर्गों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिए सरकार आगामी महीनों में और अधिक सतर्कता बरतेगी।

आतंकवाद तथा विद्रोही ताकतों पर काबू पा लिया गया है। अलगाववादी प्रवृत्तियों को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में सुरक्षा बलों का कार्य काफी

सराहनीय रहा है। परन्तु पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में हथियार गिराए जाने की घटना से यह आवश्यक हो गया है कि सतर्कता निरंतर बरती जाए। इस घटना की छानबीन काफी तेजी से की जा रही है, और देश में एवं देश के बाहर इससे जुड़े तत्वों का पता लगाया जा रहा है। देश के हवाई मार्गों की प्रभावी चौकसी सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

जम्मू व कश्मीर में उग्रवादियों तथा भाड़े के विदेशी सैनिकों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई तथा वहां विकास संबंधी कार्यकलापों में तेजी लाने के फलस्वरूप स्थिति में स्पष्ट सुधार आया है। इससे राजनीतिक गतिविधियों को बहाल करना संभव हो पाया है। संसद ने 1995-96 में संतुलित बजट पारित किया, और पिछले कई वर्षों के बाद पहली बार यह आशा की जा रही है कि योजनागत परिव्यय को पूरी तरह से विकास योजनाओं पर ही व्यय किया जा सकेगा, और गैर-योजना संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। यद्यपि सरकार को इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाकर 17 जुलाई, 1996 तक करनी पड़ी, फिर भी सरकार राज्य में शीघ्रातिशीघ्र चुनी हुई सरकार की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। पूर्वोत्तर परिषद् इस क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक कारगर संस्था के रूप में उभर कर सामने आई है। असम में कारबी अंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के स्वायत्त जिला परिषदों को और शक्तियां देने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन किया गया है।

आर्थिक परिदृश्य में लगातार सुधार हो रहा है। 1991-92 के बाद के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षाकृत काफी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1994-95 में यह बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1994-95 में वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू बचत में सुधार हुआ, और यह सकल घरेलू उत्पाद का 24.4 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में चालू वर्ष के पहले 6 महीनों में औद्योगिक उत्पादन में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उल्लेखनीय सुधार है।

इसके साथ-साथ, चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में निर्यात में 24.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में चहुंमुखी विकास के कारण और अधिक आयात भी करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति काफी अच्छी है, और अब यह लगभग 16 बिलियन डालर है।

मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर अगस्त, 1991 में लगभग 17 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी। परन्तु अब इसे नियंत्रित कर लिया गया है, और यह चालू वर्ष में घटकर 5 प्रतिशत के आसपास आ गई है, जो पिछले सात वर्षों में सबसे कम है। कृषि क्षेत्र को मिले

व्यापक प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और उसका पर्याप्त भंडार है। आम उपभोग की विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखी गयी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है और पुनर्व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करके देश के सबसे निर्धन इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त रियायतें दी गयी हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान विनिर्माण के क्षेत्र में हुए उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है, और यह देश के कुल निर्यात का 34 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, और वर्ष 1994-95 के अंत तक 146 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। इस क्षेत्र से वर्ष 1991-92 में 13,883 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया था। अनुमान है कि यह वर्ष 1994-95 में बढ़कर 26,400 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ष 1994-95 में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में 4069 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई। इसी वर्ष इस क्षेत्र में 53.46 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। खादी ग्रामोद्योग निगम को इस वर्ष पहली बार एक हजार करोड़ रुपये का सहायता संघ ऋण दिया गया है। इसमें से खादी ग्रामोद्योग निगम ने लगभग एक लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए जनवरी, 1996 के अंत तक कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जिनकी लागत लगभग 235 करोड़ रुपये है।

हमारी कृषि नीति मृदा एवं जल का एकीकृत रूप में सर्वोत्तम उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि करने की रही है। आठवीं योजना के दौरान वर्षा-प्रधान क्षेत्रों के लिए पुनर्संगठित राष्ट्रीय जलविभाजक विकास परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम का विस्तार 13 राज्यों के 149 जिलों के 946 प्रखण्डों तक किया गया है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम का विस्तार 7 राज्यों के 36 जिलों के 227 प्रखंडों तक कर दिया गया है। इन कार्यक्रमों को स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से लागू किया जा रहा है।

वर्ष 1994-95 में 19 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। चीनी का उत्पादन भी 1994-95 में लगभग 145.85 लाख मीट्रिक टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया। सरकार ने चीनी की उपलब्धता और कीमतों में संभावित उतार-चढ़ाव के संबंध में एहतियात के तौर पर इस वर्ष चीनी का बफर स्टॉक पांच लाख मीट्रिक टन बनाया है।

वर्ष 1994-95 के दौरान संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से 21,113 करोड़ रुपए के कृषि ऋण वितरित किए गए, जबकि वर्ष 1995-96 में इनका वितरण

26,450 करोड़ रुपये तक हो जाने का अनुमान है। वर्ष 1994-95 के दौरान 135.64 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की खपत हुई थी, तथा वर्ष 1995-96 में इनकी खपत बढ़कर 156.64 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है।

सरकार गरीबों की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह सजग है। गरीबी का उन्मूलन करने के कारगर कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है। यह ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि मदों के लिए आबंटनों में हुई पर्याप्त वृद्धि से परिलक्षित होता है।

वर्ष 1985-86 और 1994-95 के बीच इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लगभग 20 लाख मकानों का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1995-96 में एक हजार करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से 10 लाख मकानों के निर्माण का वृहत कार्यक्रम शुरू किया गया है, और निर्माण कार्य जोरों पर है। इसके अतिरिक्त अन्य वर्गों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए और अधिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपाय किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान 1,96,154 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित रोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। वर्ष 1995-96 के लिए इस योजना के तहत 2.6 लाख व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है।

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, प्रसूति-सुविधा और गरीब परिवारों में अकेले कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर एकमुश्त राशि प्रदान करने की व्यवस्था है। इस पैकेज के साथ-साथ समूह जीवन बीमा की एक अग्रणी योजना शुरू की गई है, जिसमें गरीबों के लिए घटी दर पर प्रीमियम की व्यवस्था है।

शहरी गरीबों की समस्याओं से एकीकृत रूप से निपटने के लिए 50 हजार से एक लाख की आबादी वाले श्रेणी-2 के सभी 345 शहरों में नवम्बर, 1995 में एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने जिला स्तर एवं उससे निचले स्तरों पर संचालित केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं में पंचायतों और नगरपालिकाओं की भूमिका एवं शक्तियों का दायरा बढ़ा दिया है। इस पहल के कारण सबसे निचले स्तरों पर दस लाख से अधिक महिलायें नेतृत्व करने और निर्णय लेने की स्थिति में होंगी। इन निकायों को समुचित वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्व सौंपे जाने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है।

विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत विशेष घटक योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के लिए आबंटनों, तथा स्वैच्छिक संगठनों को दी जाने वाली सहायता में काफी वृद्धि की गई है। सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निर्वाह एवं अन्य भत्तों की दरों में भी संशोधन किया है।

मल-सफाई के कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई है। इस योजना के प्रारम्भ होने से अब तक लगभग ऐसे 94 हजार व्यक्तियों को अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया गया है तथा 2.5 लाख व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने स्व-रोजगार संबंधी कार्यों के लिए अब तक 131.64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। सरकार ने अब तक 122 कोचिंग केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में समान रूप से भाग ले सकें।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित किया है। निगम स्व-रोजगार के लिए उनके माध्यम से ऋण वितरित कर रहा है। वक्फ बोर्डों के प्रभावी और लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए पहली जनवरी, 1996 से वक्फ अधिनियम, 1995 लागू किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 बनाया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए 400 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी से राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। मंदबुद्धि व्यक्तियों और दिमागी पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों की पूर्ण देखभाल करने के लिए राष्ट्रीय न्यास स्थापित करने के बारे में विधेयक लोक सभा में पेश किया गया है।

वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली छह बीमारियों से बच्चों की प्रतिरक्षा के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के अभी से उत्साहवर्द्धक नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं। सन् 2000 तक पोलियो उन्मूलन के विश्व लक्ष्य को देखते हुए 9 दिसम्बर, 1995 को पूरे देश में 3 वर्ष तक के आयु वर्ग के साढ़े सात करोड़ से भी अधिक शिशुओं को पोलियो टीके की पूरक खुराक दी गई। इस कार्यक्रम का दूसरा दौर 20 जनवरी,

1996 को चलाया गया। आने वाले वर्षों में भी पल्स पोलिया टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा।

सन् 2000 तक शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत आबंटन का लक्ष्य प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए शिक्षा क्षेत्र के लिए आबंटन राशि में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। सबके लिए प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आठवीं योजना के अंत तक 110 जिलों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दायरे में लाया जाएगा। इस शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के हिस्से के रूप में देश में समग्र साक्षरता अभियानों का विस्तार 368 जिलों में, और साक्षरता उपरान्त अभियानों का विस्तार 159 जिलों में किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को पोषण-आहार प्रदान करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से तीन वर्ष में लगभग 11 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।

पिछले पांच वर्षों से देश में औद्योगिक संबंध परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हड़तालों एवं तालाबंदियों की संख्या तथा बेकार श्रम दिवसों की संख्या में बहुत कमी आई है। सरकार नवम्बर, 1995 में शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत एक करोड़ 90 लाख औद्योगिक कामगारों और उनके परिवारों को पहली बार आजीवन सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

हमने अपने माध्यस्थम कानून को अंतर्राष्ट्रीय सोच के अनुरूप बनाने के लिए 'माध्यस्थम और सुलह अध्यादेश, 1996' प्रख्यापित किया है। इस अध्यादेश से, तथा विवादों के समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने के लिए किए गए अन्य उपायों से यह आशा की जाती है कि भारत इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शीघ्र ही दक्षिण एशिया क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

पिछले वर्ष हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियां उल्लेखनीय रहीं, जो भविष्य के लिए हमारे मन में विश्वास पैदा करती हैं।

इनसैट-2सी और आईआरएस-1सी उपग्रहों को पिछले दिसम्बर में सफलतापूर्वक छोड़े जाने से अति आधुनिक अंतरिक्ष प्रणालियों के अभिकल्प, निर्माण, और संचालन की हमारी क्षमताओं का एक बार फिर प्रदर्शन हुआ है। ये उपग्रह हमारे दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम एवं संसाधन सर्वेक्षण कार्यक्रमों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वर्ष 1996-97 में इनसैट-2डी और 1997-98 में इनसैट-2ई एवं आईआरएस-1डी

छोड़ने की हमारी योजना है। हमने अपने इनसैट वर्ग के उपग्रहों को छोड़ने के लिए जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपणयान के विकास में भी अच्छी प्रगति की है।

इस वर्ष देश का ककरापार स्थित दसवां परमाणु शक्ति रिएक्टर संतोषजनक ढंग से स्थापित हो गया है, और इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। ट्राम्बे में स्थित रिसर्च रिएक्टर पूरे देश में 300 से अधिक चिकित्सा संस्थानों में निदान एवं उपचार के लिए 60,000 से अधिक किट उपलब्ध करा चुका है।

भारत के पड़ोस के कुछ भागों में वर्ष 1995-96 में सुरक्षा की दृष्टि से अनिश्चितता रही है। पाकिस्तान का अत्याधुनिक हथियार और यूरेनियम संवर्धन संबंधी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का लगातार प्रयास करना हमारे लिए गंभीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के इन प्रयासों से हमारे क्षेत्र में तनाव बढ़ता है और इससे हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र की सुरक्षा करने में पूर्णत: सक्षम हैं। फिर भी इस संबंध में सरकार इनकी क्षमता बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण भी हमारी सशस्त्र सेनाओं की कर्त्तव्यनिष्ठा और समर्पण की भावना के लिए उनकी सराहना करेंगे।

रक्षा अनुसंधान में कार्यरत हमारे वैज्ञानिकों के एकीकृत प्रयासों से ही हल्का लड़ाकू विमान नवम्बर, 1995 में राष्ट्र को सौंपा गया। इस वर्ष के अंत तक इसकी परीक्षण उड़ानें शुरू हो जाएंगी। मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन को सेना में शामिल करने की दृष्टि से पूर्णत: विकसित कर लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बहु-आयामी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्चकोटि के सुपर कम्प्यूटर का विकास किया है, जिससे बहुत लम्बे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता की पूर्ति हुई है, तथा इस क्षेत्र में हम और अधिक आत्मनिर्भर हुए हैं।

विदेश नीति के मामले में पड़ोसी राष्ट्रों से हमारे संबंध और प्रगाढ़ हुए। भूटान के साथ हमारे पारम्परिक निकट संबंध इस वर्ष और अधिक घनिष्ठ हुए हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन अधिकारी की अप्रैल, 1995 में की गई भारत की यात्रा और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देऊबा की इस माह के शुरू में की गई यात्रा से आपसी समझ और अधिक बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने अप्रैल, 1995 में मालदीव में इंदिरा गांधी स्मृति अस्पताल का उद्घाटन किया। यह उस देश के साथ मैत्री और सहयोग की हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध सौहार्द और विश्वास पर आधारित हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे व्यापार संबंधों में सुधार हुआ है। साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ा है। चीन के साथ लगातार उच्च स्तर पर बातचीत से हमारे संबंधों में गतिशीलता बनी हुई है। हमारे प्रयासों से

दक्षिण एशिया में, केवल पाकिस्तान को छोड़कर, अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अधिक अच्छे हुए हैं। हम पाकिस्तान सरकार से आग्रह करते हैं कि वह भारत के साथ टकराव का रास्ता छोड़कर सभी अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय वार्ता की हमारी पेशकश पर रचनात्मक रवैया अपनाए।

पिछले वर्ष 7 दिसम्बर, 1995 से दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार करार के लागू हो जाने से 'सार्क' की प्रगति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गयी। भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान द्वारा पारगमन के बारे में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना मध्य एशिया के साथ हमारे संपर्कों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे वाणिज्यिक एवं अन्य सम्पर्कों के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच सुगम जल-भूतल मार्ग स्थापित हो सकेगा। 'आसिआन' भारत को संवाद साझेदारी का पूर्ण दर्जा देने पर सहमत हो गया है। इससे भारत और 'आसिआन' के बीच बढ़ते हुए आपसी हितकारी संपर्कों का पता चलता है।

रूसी संघ के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ बना रहा। इस देश के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग की और संभावनाओं का भी पता लगाया गया है। भारत-संयुक्त राज्य अमरीका संबंध, विशेषकर आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में और प्रगाढ़ हुए। माले, मारीशस, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मिस्र, बुरकीना फासो और घाना की उच्चस्तरीय यात्राओं से अफ्रीकी महाद्वीप के इन देशों के साथ राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिला।

भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मार्च, 1995 में डेनमार्क में आयोजित विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन; अक्तूबर, 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 50वीं वर्षगांठ की विशेष स्मारक बैठक; और उसी माह कोलम्बिया में आयोजित किए गये 11वें गुटनिरपेक्ष शिखर-सम्मेलन में विकासशील देशों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य मामलों को उठाने में मुखर रहा है। निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में की जा रही वार्ताओं में भारत सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। परन्तु हम परमाणु अप्रसार संधि का अनिश्चित समय के लिए प्रभावी होना सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के मार्ग में बाधक मानते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य परमाणु हथियार वाले राज्यों के परमाणु शास्त्रागारों को उचित ठहराना है।

चूंकि यह सत्र संक्षिप्त अवधि का होगा, अत: इस सत्र के दौरान केवल आवश्यक विधायी कार्यों पर ही विचार हो पाएगा। पिछले सत्र के बाद से प्रख्यापित कुछ

अध्यादेश संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 1996-97 के अनुमानित आय और व्यय का विवरण आपके समक्ष इस उद्देश्य से रखा जाएगा कि उस वर्ष की अवधि विशेष के लिए व्यय प्राधिकृत करते हुए लेखानुदान पारित किया जा सके। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के संबंध में भी लेखानुदान पारित किया जाना आवश्यक होगा।

सरकार की नीतियों से देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जिससे जनता को अपनी क्षमता का अहसास हुआ है। देश की शक्ति उसकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और उसकी जन-एकता में निहित है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान आपने जिस समर्पण की भावना, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय दिया है, वह राष्ट्र को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा।

मैं इस सत्र में आपका अपने कार्यों में जुटने का आह्वान करता हूं, और आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 24 मई 1996

लोक सभा	-	ग्यारहवीं लोक सभा
सत्र	-	ग्यारहवीं आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री पी.ए. संगमा

माननीय सदस्यगण,

लोक सभा के ग्यारहवें आम चुनावों के बाद इस पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं, नई लोक सभा के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं।

हाल ही में हुए आम चुनावों में भारतीय जनता ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। राष्ट्र एवं विश्व ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भव्यता को देखा है। यह चुनाव कुशलता एवं तत्परता के साथ कराए गये। हमारे लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकार का प्रयोग किया। भारत ने एक बार फिर अपनी लोकतांत्रिक चेतना की सुदृढ़ता, जीवन्तता एवं स्थायित्वता की प्रवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया है। सरकार चुनाव परिणामों में निहित जनादेश का पूरा सम्मान करेगी। संसद का वर्तमान सत्र यह निश्चित करेगा कि मंत्रीपरिषद् को लोक सभा का विश्वास प्राप्त है या नहीं।

आज देश इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। 20वीं शताब्दी समाप्त होने जा रही है, और हम नई सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। नियति एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए हमारा आह्वान कर रही है। इस पृष्ठभूमि में उपजे ऐतिहासिक कार्यों को पूरा करने की हमारी साझी जिम्मेदारी के प्रति सरकार पूरी तरह सचेत है। हमारा यह सतत प्रयास होगा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति प्राप्त की जाए।

राष्ट्र का मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और शक्ति को कायम रखना हमारे प्रमुख कार्यों में है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने अच्छा शासन मुहैया कराने के उद्देश्य से जो मूल संस्थाएं निर्मित की हैं, उन्हें सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसके लिए हमारी शासन-व्यवस्था एवं प्रशासन में आवश्यक सुधार लाना जरूरी है।

स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन उपलब्ध कराना आज की आवश्यकता है और सरकार इस उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है। ईमानदारी एवं जिम्मेदारी को लोक प्रशासन के मूल प्रतिमान बनाना है। प्रशासनिक, वैधानिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में उचित मर्यादा, स्फूर्ति एवं प्रभावशीलता परिलक्षित होनी चाहिए।

हमारी चुनाव प्रक्रियाओं की कमियों की ओर भी ध्यान दिया जाना है। यह मामला काफी समय से लंबित है और इसमें अब अधिक विलंब ठीक नहीं होगा। इस बारे में समय-समय पर अनेक सुझाव दिए गये हैं। उपलब्ध पर्याप्त जानकारी और अन्य बातों के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में तत्काल अपेक्षित सुधार लाए जायेंगे। चुनाव प्रक्रिया में धन-शक्ति के इस्तेमाल को रोकने, राजनीतिक दलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुचित तरीकों को समाप्त करने पर बल दिया जाएगा।

निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करना एक और ऐसा पहलू है, जिसकी ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा प्रमुख उद्देश्य मनमाने ढंग से निर्णय लेने की गुंजाइश को यथासंभव कम करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत सरल और सुस्पष्ट हैं। ऐसे कार्यक्रम के सार्थक कार्यान्वयन हेतु लोक शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने होंगे।

सरकार न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग अधीनस्थ न्यायपालिका की कार्यप्रणालियों एवं कार्य परिवेश, परिलब्धियों व सेवा-शर्तों का व्यापक परीक्षण कर रहा है। सरकार उसके कार्य में हर प्रकार की सहायता करेगी, ताकि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर सके।

सरकार आधुनिक प्रबंध तकनीकों का विस्तार करके तथा न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरकर न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने का पूरा प्रयास करेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कल्याण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सचेत है। पांचवां वेतन आयोग इस समय उनकी परिलब्धियों, वेतन-ढांचे और सेवा-शर्तों पर विचार कर रहा है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय और लग सकता है। अतः सरकार ने आयोग से यथाशीघ्र अंतरिम

सिफारिश करने का अनुरोध किया है, जिससे उसके आधार पर कर्मचारियों को यथोचित राहत दी जा सके।

सरकार प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापक विस्तार के कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक बढ़ गया है। हम प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को पूर्णत: कार्यान्वित करके आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए कृत संकल्प हैं। वर्ष 1995 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार को यह निदेश दिया है कि वह वायुतरंगें विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करे। सरकार सही मायनों में स्वायत्तशासी प्रसार भारती निगम स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। यह निगम सूचना के प्रसार में राष्ट्रीय पहचान, एकता एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ करेगा, तथा गुणात्मक शिक्षा व मनोरंजन की व्यवस्था करेगा।

हमारे देश की विशालता, इसकी विविधता और अंतर्निहित एकता हमारी मूल शक्ति है। भारत एक राष्ट्र, एक जन है, जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुदृढ़ हों, सभी कदम उठाएगी। सरकार सभी लोगों, विशेषकर कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हिंसा के बल पर अलगाववाद, उग्रवाद, अपराधीकरण और असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होता और इनसे सरकार सख्ती से निपटेगी। ऐसा करने के लिए सरकार यह नहीं भूलेगी कि इन समस्याओं को हल करने में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपाय भी समान रूप से जरूरी हैं।

हमारे देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र आज भी हिंसा, विद्रोह और जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। सुरक्षा के साधनों और खुफिया-तंत्र को सुदृढ़ बनाकर सीमा-पार से विदेशी हथियारों और आतंकवादियों के प्रवेश को रोकने की आवश्यकता है। गैर-कानूनी आप्रवास अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है। अत: इसको रोकने के लिए व्यापक उपाय करने होंगे। आर्थिक विकास को तेज करने के लिए प्रभावी प्रशासन का होना और लोक शिकायतों को तत्काल निपटाने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करना भी नितांत आवश्यक है।

जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हम अपने आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस राज्य की लोकतांत्रिक कार्य-प्रणाली को बहाल करना चाहते हैं। इसके लिए ऐसे सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सकें। इसके साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयासों को भी तेज किया जाएगा।

सरकार केन्द्र एवं राज्यों के संबंधों में और सुधार लाने के लिए उत्सुक है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट तथा अन्य व्यापक अध्ययनों से इस समस्या के विभिन्न

पहलुओं पर पर्याप्त सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारों के साथ और अधिक परामर्श किया जाए और संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग न हो। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत परिकल्पित अंतर्राज्यीय परिषद् की भूमिका एवं महत्व की व्यापक समीक्षा की जाएगी, तथा उसे एक ऐसा प्रभावी तंत्र बनाया जाएगा, जो राज्यों के बीच विवादों को निपटाने और उनके साझे हितों से संबंधित नीतियों एवं कार्यों के मामले में बेहतर तालमेल बनाने में समर्थ हो।

उत्तरांचल और वनांचल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ऐसे सभी कदम उठाएगी, जो उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उपयुक्त हों। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।

हम भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐसा रूप देखना चाहते हैं, जिससे भारत विश्व के राष्ट्रों में अग्रणी होकर अपनी नियति प्राप्त कर सके। हमें प्रत्येक भारतीय की रचनात्मक प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। इन प्रतिभाओं का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों एवं विनियमों के पुराने ढांचे को हटाना होगा, तथा विकास के लिए मुक्त बाजार व्यवस्था के सहायक की भूमिका अदा करने के लिए सरकार को मजबूती प्रदान करनी होगी। साथ ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा सामाजिक संरचना को भी सुदृढ़ करना होगा।

पिछले पांच वर्षों में हुए आर्थिक सुधारों से कुछ सफलता मिली है। सरकार आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को तेज करके, आधारभूत संरचना के विकास को अधिक प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देकर तथा राजस्व एवं मुद्रा नीतियों का एक सुदृढ़ ढांचा कायम करके अर्थव्यवस्था में विकास की शक्ति को बढ़ाएगी, तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगी।

आज ब्याज की ऊंची दरों तथा जमापूंजी की कमी से उद्योग, व्यापार व कृषि के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसका मूल कारण यह है कि सरकार लगातार बढ़ रहे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज ले रही है। सरकार गैर-विकास खर्च कम करेगी, तथा राजस्व घाटा कम करने के लिए कर-सुधारों में तेजी लाएगी। इस प्रकार अधिक उत्पादक कार्यों के लिए संस्थान मुहैया कराए जाएंगे। सरकार उन क्षेत्रों का पता लगाएगी, जिनमें उसकी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। कराधान के क्षेत्र में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न केवल कर के स्तर एवं दरें ऐसी हों, जिनसे विकास कार्य में बाधा न पड़े, बल्कि उनसे समाज के समृद्ध वर्गों के बीच कर के बोझ का समान रूप से बंटवारा हो सके। हम एक उपयुक्त मूल्य संवर्धित कर-ढांचा भी तैयार करेंगे।

काफी समय से लंबित सरकारी कर्ज से छुटकारा पाने तथा लोक उद्यमों में लगी परिसम्पत्तियों से अधिकाधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए सरकार एक ऐसे विनिवेश आयोग का गठन करेगी, जो विनिवेश की प्रक्रिया में सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ढंग से तेजी ला सके। मुनाफे का कुछ हिस्सा सरकारी ऋण को चुकता करने के लिए निर्धारित किया जाएगा, तथा शेष राशि का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए किया जाएगा। विनिवेश करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कामगारों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का उपयोग कामगारों के पुनः ऐसे प्रशिक्षण तथा उन्हें फिर से ऐसे काम पर लगाने के लिए किया जाएगा, जो तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

आर्थिक विकास तेज करने तथा गरीबी हटाने हेतु अधिक से अधिक राष्ट्रीय निवेश के लिए सरकारी बचत को बढ़ाया जाएगा, तथा निजी बचतों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय बचत प्रयासों में वृद्धि के लिए विदेशी बचत एवं निवेश का स्वागत किया जाएगा। भारत जैसा विशाल एवं पूंजी निवेश की संभावना वाला देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना संबंधी क्षेत्रों में, विशेषकर विद्युत, सड़कें, बन्दरगाह एवं दूरसंचार में आसानी से दुगुना कर सकता है।

सरकार ऊर्जा, विशेष रूप से बिजली, कोयला एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में तथा सड़क, बन्दरगाह, रेलवे और दूरसंचार के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर करने, और इनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक एकीकृत एवं समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगी। विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

सरकार काफी समय से लंबित पड़े निगम कानूनों में ऐसा सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे इस कानून का उपयोग केवल नियामक तंत्रों के रूप में ही नहीं, बल्कि आर्थिक उन्नति के साधनों के रूप में हो। इन नियमों से उद्यम-प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, तथा उद्योगों की सभी अवरोधों एवं हतोत्साहनों से छुटकारा मिलेगा। इस दिशा में आवश्यक विधायी कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

सरकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के महत्व को पूरी तरह से स्वीकार करती है। इस क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, और तीव्र प्रगति के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर किया जायेगा।

निर्माण उद्योग हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो लाखों व्यक्तियों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम रहा है। सरकार इस अधिनियम के औचित्य की समीक्षा करेगी।

इन सबके लिए हमारे छोटे-बड़े सभी उत्पादों के प्रतियोगी पक्ष को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर

सकें। अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु हमें अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात बढ़ाना होगा। अल्प एवं मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन के लिए सरकार लगातार और तेजी से निर्यात बढ़ाने तथा पर्याप्त रूप में बिना कर्ज वाली पूंजी जुटाने के लिए नीतियां बनाएगी। सरकार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के अनुरूप विदेशी मुद्रा नियंत्रणों की समीक्षा करेगी तथा इन्हें सरल बनायेगी।

हमारे वित्तीय एवं पूंजी बाजारों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार बैंकों सहित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को अधिक-से-अधिक उत्तरदायी एवं प्रतियोगी बनाएगी। स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देने तथा घोटालों एवं अनियमितताओं से बचने के लिए सरकार पूंजी बाजारों की व्यवस्था संबंधी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी। इसमें जमाकर्ताओं के लिए शीघ्र एक सरल कानून बनाना भी शामिल होगा।

भारत की तीन-चौथाई आबादी गांवों में बसती है, और कृषि ग्रामीण लोगों के जीवन-यापन का मूलाधार है। ग्रामीण निर्धनता में सुधार लाने, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने, उद्योग तथा सेवाओं के लिए घरेलू बाजार सुदृढ़ बनाने, तथा कृषि एवं उद्योग के बीच पारस्परिक लाभकारी संबंध बनाने के लिए कृषि का तेजी से व्यापक विकास करना जरूरी है। सरकार ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए अधिक से अधिक धन आबंटित करेगी, किसानों को उनके उत्पाद की लाभकारी कीमतें दिलाएगी, चीनी जैसे कृषि पर आधारित उद्योगों को लाइसेंस नियंत्रणों से मुक्त करेगी, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करेगी। कृषि विकास के लिए दुर्लभ जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग जरूरी है। सरकार निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को विशेष प्राथमिकता देगी।

जल हमारा सबसे कीमती संसाधन है और इसके संरक्षण एवं कारगर उपयोग का सर्वोपरि महत्व है। सरकार पर्याप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर, एवं लोगों की भागीदारी से सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के जल-विभाजक आधारित विकास और परती भूमि पुनरुद्धार को उच्च प्राथमिकता देती है।

गो-सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा गो-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार उपयुक्त उपाय करेगी।

महिलाओं को वास्तविक शक्तियां प्रदान करने के लिए सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी, जिनसे यह सुनिश्चित हो कि उनकी गरिमा और अधिकारों का हनन न हो, और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। सरकार राज्य विधान सभाओं और संसद सहित सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए आवश्यक विधायी एवं अन्य उपाय करेगी।

विकलांगों और अन्य ऐसे सभी व्यक्तियों की देख-रेख की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्र की है, जो किन्हीं ऐसे कारणों से जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है, अभावग्रस्त हैं। साथ ही इस बारे में व्यापार और उद्योगों को उनके सामाजिक उद्देश्य के लिए सुग्राही बनाया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नागरिकों पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार उनकी समस्याओं पर विचार करेगी और ऐसे उपाय करेगी, जिनसे वृद्धावस्था में उनका जीवन अधिक से अधिक सहज हो सके।

सरकार देश में व्याप्त घोर गरीबी की समस्या के बारे में काफी चिंतित है। देश के सबसे गरीब वर्गों की आवश्यकताओं पर तत्काल एवं सहानुभूतिपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। हम उन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाएंगे, जो उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में काफी सहायक हों। इनसे उन्हें लाभकारी रोजगार मिलेंगे, तथा आमदनी पैदा करने के साधन प्राप्त होंगे। ऐसा करते समय हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं को दूर किया जा सके। इसलिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों तथा बंधुआ मजदूरों एवं बाल श्रमिकों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लिए गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कल्याणकारी उपायों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रूप से उन लोगों पर सही ध्यान केन्द्रित करना होगा, जिन्हें वास्तव में सरकार से सहायता की जरूरत है। सरकार गरीबों में से भी सबसे गरीब पांच करोड़ परिवारों की शीघ्र पहचान करके उन्हें तत्काल राहत प्रदान करेगी। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम उन्हें आवश्यक सहयोग देंगे, तथा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के कार्य में उनका सक्रिय सहयोग लेंगे।

केवल आर्थिक प्रगति ही विकास का मापदंड नहीं हो सकती। गरीबी, बीमारी तथा भुखमरी की समस्याओं पर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी उपायों जैसी सामाजिक जरूरतों के अभाव में लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं लाया जा सकता, जो कि विकास का वास्तविक सूचक है। सरकार दस वर्षीय एक ऐसी नवीन योजना शुरू करेगी, जिसमें मुख्य ध्यान गरीबों के बच्चों के लिए पोषक-आहार, उनके स्वास्थ्य की देख-रेख और शिक्षा सुविधाओं पर होगा, ताकि उन्हें अन्य बच्चों के समकक्ष लाया जा सके। इस योजना के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

सरकार शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है, क्योंकि यह भौतिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास एवं समाज तथा व्यक्ति की सम्पन्नता का एक साधन है। श्रम तथा संसाधनों के सापेक्ष लाभ पर आधारित पुरानी व्यवस्था के स्थान पर मानव संसाधन कार्य-दक्षता तथा प्रौद्योगिकी के आधार पर बन रही नई व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। हमारे बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य तथा बढ़ती हुई सामाजिक आकांक्षाओं

को देखते हुए शैक्षिक कार्यक्रमों में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार अभी तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा तक मुहैया नहीं करा पायें हैं। इसमें तत्काल सुधार लाने की आवश्यकता है। सरकार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगी। सरकार महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता को भली-भांति समझती है। इस दिशा में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाएगा, ताकि महिलाएं उपयुक्त रोजगार अवसर प्राप्त करने के योग्य बन सकें। उच्च शिक्षा में और सुधार लाया जाएगा और भारत के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में भी शिक्षा को सहायक बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस क्षेत्र में मौजूदा विशिष्ट शिक्षा केन्द्रों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की ओर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। नए क्षेत्रों में भी ऐसे केन्द्र खोलने पर विचार किया जाएगा।

हम स्वास्थ्य तथा पौष्टिक-आहार कार्यक्रमों में सरकारी निवेश बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होगा—सभी के लिए स्वास्थ्य। इन कार्यक्रमों में शिशु मृत्यु-दर में कमी, घातक रोगों से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार जैसे पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए हम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा चिकित्सा की अन्य भारतीय पद्धतियों का भी पूरा-पूरा उपयोग करेंगे।

सरकार राष्ट्रीय कार्यसूची में जनसंख्या से संबंधित मुद्दों, विशेषकर परिवार नियोजन को उचित प्राथमिकता देगी। हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य अगली सदी के प्रथम दशक तक जनसंख्या को बढ़ने से रोकना है। सरकार परिवार नियोजन के मानदण्डों को अपनाने के लिए उत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन की नीति बनाएगी।

दुर्भाग्य की बात है कि अनेक बस्तियों में अभी भी पीने के स्वच्छ पानी की कमी है, या उपलब्ध ही नहीं है। एक लाख 60 हजार बस्तियां ऐसी हैं, जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और एक लाख 40 हजार बस्तियों में पीने का पानी बहुत दूषित है। सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अपने सभी लोगों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। जिन क्षेत्रों में पेयजल रसायनों से दूषित हो गया है, वहां उसे स्वच्छ और पीने योग्य बनाने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। सरकार इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी आवश्यक समझती है, और इसे प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

सरकार समाज का कायाकल्प करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को भली-भांति समझती है। लोक-कल्याण हेतु आधुनिक तकनीकों का

इस्तेमाल करने के लिए कदम उठाये जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि राष्ट्रीय हितों और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण मिले। सरकार राष्ट्र के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग देती रहेगी, जिसने देश के समग्र विकास के लिए उच्च क्षमता तथा उपयोगिता का प्रदर्शन किया है।

हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की पोषक है। यह विश्व परिदृश्य में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिबिम्बित करती है, जो शीतयुद्ध के बाद की स्थिति से उत्पन्न संभावनाओं एवं चुनौतियों का सामना करने, तथा हर तरह के आधिपत्य एवं प्रभुत्व को अस्वीकार करने में समर्थ है। इस प्रक्रिया में हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा अन्य हितों की रक्षा स्पष्ट एवं सुनिश्चित ढंग से की जाएगी।

सरकार अपनी विदेश नीति के तहत पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया के अपने सभी पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय रूप में, तथा सार्क के मंच पर संबंध सुधारने को विशेष प्राथमिकता देगी। हम सभी देशों के साथ आपसी हितों में सहयोग करेंगे। हम रूस के साथ अपने व्यापक संबंधों को और प्रगाढ़ बनायेंगे। हमें आशा है कि अमरीका के साथ हमारे संबंध और अधिक सुदृढ़ तथा व्यापक होंगे। हम भारत–चीन संबंधों को सुधारने के लिए मिलने वाले सभी अवसरों का लाभ उठायेंगे, ताकि दोनों देशों में मित्रता तथा सहयोग बढ़े। एशियाई देशों के साथ भाईचारे के लिए अपनी वचनबद्धता के अनुरूप हम आसियान के सदस्य देशों के साथ अपने मैत्री संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

बहुआयामी क्षेत्र में भारत की भूमिका सदैव रचनात्मक रही है। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि तथा फिसाइल मैटीरियल कट–ऑप ट्रीटी जैसे मुद्दों पर हमारी नीति हमारी परम्परागत वचनबद्धता के अनुरूप परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की है। यद्यपि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की हमारी प्रतिबद्धता से सभी भली–भांति परिचित हैं, फिर भी राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक होने पर हम अपनी परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।

भारत के पड़ोस के कुछ भागों में सुरक्षा की दृष्टि से अनिश्चितता बनी हुई है। यह दुःखद है कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आतंकवाद भड़काना जारी है। हम पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि वह सभी अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की हमारी पेशकश पर रचनात्मक रवैया अपनाए।

देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मामलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं हथियार प्राप्त करने के मामले में हमारी रक्षा क्षमता के स्वदेशी तकनीकी विकास का कार्यक्रम जारी रहेगा, तथा हमारी सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक इसे सुदृढ़ बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के ढांचे में सुधार करके और उसका स्तर बढ़ाकर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर बल देंगे।

राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं की क्षमता पर हमें पूरा विश्वास है और उनकी क्षमता को बरकरार रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि सशस्त्र सेनाओं की कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण की भावना की सराहना करने में मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को भी परिलक्षित कर रहा हूं। उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए सरकार उनके कल्याण हेतु हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने राष्ट्र की अमूल्य सेवा की है। इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए समुचित निधि वाले सैनिक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना करेगी।

हम अगली सदी के द्वार पर खड़े हैं और हमारे समक्ष अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। ग्यारहवीं लोक सभा को देश को अगली सदी में ले जाने के कार्य में अपना योगदान करने का गौरव प्राप्त होगा।

इस ऐतिहासिक कार्य में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 20 फरवरी 1997

लोक सभा	-	ग्यारहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री एच.डी. देवगौड़ा
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री पी.ए. संगमा

माननीय सदस्यगण,

मुझे, वर्ष 1997 में संसद के इस पहले सत्र में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं नए सदस्यों को बधाई देता हूं, और आगामी बजट एवं विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के पश्चात्, मैं संसद को पहली बार संबोधित कर रहा हूं। संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्रीय विकास, समानता, सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित मूल कार्यसूची दी गई है। हमारे समाज और जनता की अधिक समृद्धि और खुशहाली के लिए यह एक माध्यम है। इसमें हमारे संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने, मूलभूत न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने तथा गरीबी एवं अज्ञानता दूर करने के लिए आवश्यक सुविधाओं से वंचित वर्गों, विशेषकर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को समर्थ बनाने से संबंधित विशिष्ट नीतियों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लेख है। इस कार्यक्रम में उद्योग एवं आधारित संरचना के लिए प्रचुर निवेश जुटाकर त्वरित आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने पर बल दिया गया है।

इस प्रकार इस कार्यक्रम में एक ओर आर्थिक विकास तथा दूसरी ओर समानता एवं अनुपाती न्याय के प्रति चिंता का उचित संतुलन दिखाई देता है। सरकार इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है।

हमारी लोकतांत्रिक संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मिली-जुली सरकारें स्थिर हो सकती हैं, तथा वे सतत् सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। हमारे संविधान की ऐसी उत्कृष्ट विशेषताएं हैं, जिनमें संघ और राज्यों के संबंधों का स्पष्ट उल्लेख है। सरकार बिना किसी भेद-भाव के संवैधानिक उपबंधों का आदर करेगी तथा राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान राज्यों के साथ मिल-जुल कर करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। हमें विश्वास है कि सभी राज्य इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने तथा अपने विचार-विमर्श को संघ एवं राज्यों के लिए अधिक उपयोगी बनाने में अपना सहयोग देंगे।

सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद्, राष्ट्रीय विकास परिषद् एवं योजना आयोग को गतिशील बनाने के लिए कदम उठाए हैं, और समय-समय पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद् ने 15 अक्तूबर, 1996 को हुई अपनी बैठक में सरकारिया आयोग की अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए मान लीं। सरकारिया आयोग की शेष सिफारिशें, विशेषकर राज्यों को वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित करने और संविधान के अनुच्छेद 356 में अपेक्षित परिवर्तन करने की समीक्षा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद् ने अपनी एक स्थायी समिति गठित की। मूलभूत न्यूनतम सेवाओं तथा विद्युत क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों में बनी सहमति से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रमों को तैयार करना तथा विद्युत के क्षेत्र में सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्ययोजना को अपनाया जाना संभव हुआ है। योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार करने में बहुत कम समय लिया, और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् की 16 जनवरी, 1997 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। सहयोग की यह भावना नौवीं पंचवर्षीय योजना को समय पर शुरू करने में महत्वपूर्ण होगी।

पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने, कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक अभीष्ट संरचना प्रदान करती है। सरकार इन संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां और विधियां हस्तांतरित करना चाहती है। संसद द्वारा उसके पिछले सत्र के दौरान भाग-IX को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू किए जाने के कानून को पारित किया जाना एक ऐतिहासिक घटना रही, जो इस प्रतिबद्धता को पर्याप्त रूप से दर्शाती है।

सार्वजनिक जीवन में सभी लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और आचरण लोकतंत्र के आधार हैं। सरकार ने प्रशासन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन पर राष्ट्रीय बहस शुरू की है। सरकार इस संबंध में प्राप्त विभिन्न अभिमतों पर विचार करने के साथ-साथ मुख्यमंत्रियों के शीघ्र होने वाले सम्मेलन के समक्ष एक कार्य-योजना प्रस्तुत करना

चाहती है। सरकार सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में चिंतित है, तथा इस बुराई को खत्म करने के लिए कारगर कदम उठाने हेतु कटिबद्ध है। लोकपाल विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है, और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 को पारित किए जाने के साथ चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने की शुरूआत की गई है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करके अधिक व्यापक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाए।

राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये विघटनकारी ताकतें देश के भीतर और बाहर, दोनों जगह पनपती हैं। सरकार इन ताकतों के प्रति पूरी तरह सजग है। उसने इन चुनौतियों का दृढ़ता से मुकाबला किया है। आतंकवादियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने तथा कल्याण एवं विकास के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनावों के सफलतापूर्वक होने तथा लोकप्रिय सरकार स्थापित किए जाने से वहां सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया में काफी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान विशेष आर्थिक उपायों की घोषणा की थी, जिनके कार्यान्वयन के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गुटों की गतिविधियां निरन्तर चिंता का कारण बनी हुई हैं। ये लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे दुर्गम क्षेत्रों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापक राजनीतिक पहल की है। सरकार इस स्थिति के समाधान के लिए एक बहुआयामी नीति बनाकर प्रभावी कदम भी उठा रही है। इन कदमों में इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से पिछले अक्तूबर में अनेक उपायों की घोषणा की गई थी। आधारिक संरचना विकास और बुनियादी सेवाओं के बारे में एक उच्चस्तरीय आयोग तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के संबंध में एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

पंजाब में स्थानीय शासन संस्थाओं और राज्य विधान सभा के चुनावों का सफलतापूर्वक सम्पन्न होना राज्य के लोगों का लोकतंत्र में अडिग विश्वास और शान्ति एवं सदभाव बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम नौवीं योजना अवधि के दौरान कम से कम 7 प्रतिशत की वृद्धि दर सुनिश्चित करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में लगभग 7 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन लगभग 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक की औसत दर

से वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा का भण्डार निरन्तर बढ़ता रहा है और इस समय यह लगभग 19.5 बिलियन अमरीकी डालर है।

सरकार तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सुधारों के प्रति वचनबद्ध है। निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित कानूनों और नीतियों में उपयुक्त संशोधन किये जा रहे हैं। प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कार्य-प्रणालियों को सरल बनाया गया है। निवेशकों में यह विश्वास पैदा करने के लिए भी कार्रवाई की गई है कि उनके साथ न्यायसंगत और समान व्यवहार किया जाएगा।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पूरी तरह पुनर्गठन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र निर्णय लिए जाएं और वे पारदर्शी हों। विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का भी गठन किया गया है, जिससे विदेशी पूंजी सुचारू रूप से प्राप्त होती रहे। स्वतः अनुमोदन के पात्र उद्योगों की सूची को व्यापक बनाया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। हम एक वर्ष में कम से कम दस बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं।

इसी प्रकार, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप बन सके। निक्षेपागारों की स्थापना करने और शेयर बाजारों का आधुनिकीकरण करने से संस्थागत निवेश जुटाने के लिए तेजी से समझौते होने की संभावना है। हम विदेशों से दीर्घावधिक पेंशन और बीमा निधियां जुटाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए विद्युत, परिवहन एवं सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण आधारिक संरचना वाले क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से निवेश बढ़ाना अनिवार्य है। नई आधारिक संरचना विकास वित्त कंपनी बनाने से सक्षम बुनियादी आधारिक संरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण की बड़ी कमी को दूर किया जा सकेगा। बिजली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पांच त्वरित विद्युत परियोजनाओं को प्रति-गारंटी दी गई है। बिजली के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाने, राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार देने, राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करने तथा टैरिफ को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने हाल ही में विद्युत संचरण में निजी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

पत्तनों के मामले में निजी निवेश प्राप्त करने तथा 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था करने के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूंजी आधार में विस्तार करने से

भारत में राजमार्गों का आधुनिक रूप से विकास करने के कार्य को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1955 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश भी प्रख्यापित किया गया है। इससे भूमि का शीघ्र अधिग्रहण तथा सड़क-निर्माण में निजी निवेश हो सकेगा। सरकार ने पूर्वोत्तर जैसे अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास भी किए हैं।

अक्तूबर, 1996 में विस्तृत क्षेत्रों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाने से खनन क्षेत्र के लिए भी विदेशी और भारतीय निवेश करने की अनुमति से संबंधित प्रक्रिया में और प्रगति हुई है। सांविधिक दूरसंचार नियमन प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक नया अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। सरकार लंबित मामलों को सुलझाकर बुनियादी दूरसंचार सेवाओं को कारगर बनाना चाहती है।

आगामी दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में होने वाले विकास में तेल और गैस नीति एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्ति के रूप में सहायक होगी। इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ने और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के फलस्वरूप चालू वर्ष के अंत तक तेल पूल का घाटा लगभग ₹15,500 करोड़ हो जाएगा। देश में तेल क्षेत्र के समुचित विकास के लिए यह जरूरी है कि तेल पूल खाता संतुलित रहे। हमें इस क्षेत्र में भारी निवेश करना होगा, ताकि इसमें और अधिक अन्वेषण एवं उत्पादन किया जा सके। हमें न केवल वर्तमान लागतों को पूरा करने के लिए ही, बल्कि नए निवेशों की दृष्टि से भी पर्याप्त साधन जुटाने होंगे।

तीव्र औद्योगिक विकास के साथ-साथ हमें कृषि के क्षेत्र में भी उसी दर से उत्पादन बढ़ाना होगा। यह गरीबी दूर करने और कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। वर्षा प्रधान, सूखा-संभावित और कम उपजाऊ भूमि पर कृषि विकास करना उच्च प्राथमिकता का विषय है। इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के शीघ्र एवं सतत विकास के लिए आधुनिक भूमि प्रबंध और जल-संरक्षण प्रणालियों को एक साथ मिलाकर जल-विभाजक विकास नीति अपनाना ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। सरकार जल-विभाजक आधारित विकास की सभी उप-प्रणालियों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए कटिबद्ध है, ताकि इस ओर अधिक ध्यान दिया जा सके, बेहतर तालमेल किया जा सके एवं सूक्ष्म स्तरीय योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और अधिक कारगर बनाया जा सके।

स्थानीय क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याएं हल करने तथा विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों के लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए शोध कार्य को बढ़ाना होगा। देश के बड़े भू-भाग में मृदा परीक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हमारे देश में टिशू कल्चर अनुसंधान से

वाणिज्यिकरण को गति मिली है, और यह प्रौद्योगिकी बंजर भूमि पर बागवानी और वनरोपण के लिए बड़े पैमाने पर अपनायी जा रही है। संकर धान की किस्म से चावल की उत्पादकता और उपज बहुत बढ़ाई जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बासमती संकर धान की एक किस्म तैयार कर रहा है। इससे अच्छे किस्म के चावल का उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा। वाणिज्यिक खेती के लिए चावल की पांच संकर किस्में निकाली जा चुकी हैं। इस प्रकार भारत विश्व में संकर धान का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। इस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक भी खोला गया है, जो विश्व के बड़े जीन बैंकों में से एक है। विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में हुई प्रगति का लाभ खेतों तक पहुंचाने से संबंधित मुद्दों की व्यापक रूप में जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गई है।

हालांकि कृषि विकास के लिए सिंचाई पर सदैव अधिक ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए आठवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। सरकार ने 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामीण आधारिक संरचना में, विशेष रूप से सिंचाई और जल-विभाजक विकास में ऐसे ही परिणाम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण आधारिक संरचना विकास कोष को सुदृढ़ बनाया गया है।

छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 'गंगा कल्याण' नामक एक नये कार्यक्रम से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य को गति मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को भूमिगत जल एवं सतही जल के उपयोग की योजनाएं शुरू करने के लिए उदार आर्थिक सहायता, अनुरक्षण सहायता और ऋण सुविधा दी जाएगी।

एकीकृत जल संरक्षण एवं उपयोग योजना तैयार करने तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताएं प्रभावी ढंग से पूरी करने के बारे में फालतू पानी का उपयोग करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। सरकार सिंचाई प्रबंध और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बना रही है।

हमारे आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना है। रोजगार के अवसर पैदा करने, परिसंपत्तियों के सृजन, कार्यकुशलता में सुधार और बहुत अधिक निर्धन लोगों की आय बढ़ाने के सभी कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया गया है। गरीबी हटाने से संबंधित इन सभी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दुगुना किया जाएगा।

रोजगार आश्वासन योजना और मध्याह्न भोजन योजना अप्रैल, 1997 तक पूरे देश में लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार स्व-रोजगार की योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन

कार्यक्रमों को पुनः कारीगरों और शिल्पकारों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं तथा अन्य गरीब वर्गों के हितों के अनुकूल बनाया जा रहा है। अधिक आर्थिक सहायता, बेहतर प्रशिक्षण और ऋण व्यवस्थाओं के जरिए हर वर्ष कम-से-कम दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उपयुक्त उद्यम और व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाएगी।

सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने हेतु पहल करना और अनेक ठोस कदम उठाना। इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर खर्च करने से न केवल अति आवश्यक सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, तथा भारत के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के पुनरुत्थान में भी उसकी एक प्रमुख भूमिका होगी। यही एक रास्ता है, जिससे हमारे कामगार, किसान और कारीगर आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्रियों के जुलाई, 1996 में हुए सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि निम्नलिखित सात बुनियादी न्यूनतम सेवाएं हासिल करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाए:

(1) प्रत्येक बस्ती में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना;

(2) पांच हजार लोगों के प्रत्येक समूह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कारगर व्यवस्था करना;

(3) सभी के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार के लिए उपाय करना;

(4) बेघर गरीब लोगों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता की व्यवस्था करना;

(5) गांवों/बस्तियों को निकट के बाजार अथवा मुख्य सड़क तक संपर्क सड़कों से जोड़ना;

(6) गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व तथा प्राथमिक शिक्षा स्तरों पर पोषाहार की व्यवस्था करना; तथा

(7) गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना।

राष्ट्रीय वचनबद्धता और स्थानीय पहल को ध्यान में रखकर इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को 2216 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लाभ के लिए एक नई और लक्ष्योन्मुखी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घोषणा की गई है, जिसमें विशेष रूप से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नई प्रणाली से रोजगार

आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी ग्रामीण मजदूरी रोजगार योजनाओं में भाग लेने वाले लोगों के अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 32 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

इन विकास कार्यक्रमों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त हो सकेंगे, जब हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगा लेंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली समाप्त करके उसके स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर विकेन्द्रीकृत सहभागिता योजना बनाकर इस कार्यक्रम को नई दिशा दी गई। आशा है कि इससे इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, तथा अधिक लोग छोटे परिवार के मानदण्ड अपना सकेंगे।

सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के स्तरों में अन्तर कम करने और उन्हें शेष समाज के साथ बराबरी पर लाने के लिए वचनबद्ध है। वास्तव में इसका उद्देश्य सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना तथा उप-योजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता और राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम के जरिए उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए निधियां बढ़ाना है। सफाई कर्मचारियों के बेहतर प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। हम महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेद-भाव को समाप्त करने के लिए भी उत्सुक हैं। आप जानते ही हैं कि सरकार ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के विषय में एक विधेयक पेश किया है, जिससे नीति बनाने में उनकी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

सरकार सभी कामगारों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। इसके संबंध में निर्माण कार्यों से जुड़े 90 लाख कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए इस वर्ष दो विधेयक पारित किए गए। हमने न्यूनतम मजदूरी तथा बाल श्रम और बंधुआ मजदूरों से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक सामूहिक अभियान चलाया है। खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी एवं काम करने की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव संसद में शीघ्र पेश किया जा रहा है।

सरकार विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी से संबंधित कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण कानून के अंतर्गत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं, और राज्य सरकारों से शीघ्रातिशीघ्र ऐसी ही कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाने हेतु एक राष्ट्रीय निगम स्थापित कर दिया गया है।

सरकार यह मानती है कि आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। विश्व के निरंतर बदलते परिदृश्य में हमारा अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण एवं विस्तार हमारी प्रतिस्पर्धा की क्षमता के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधारिक संरचना का व्यापक रूप में नवीकरण किया जाए। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यों को समन्वित करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष-स्तरीय ढांचे के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कलपक्कम में कामिनी रिएक्टर के क्रान्तिक स्थिति में पहुंचने के फलस्वरूप हमने परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत अग्रिम पंक्ति में है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की सफलता से हमारा देश आई.आर.एस. श्रेणी के उपग्रह छोड़ने में आत्मनिर्भर हो गया है, और जियो-सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। हमारे अपने कैमरों से भारतीय उपग्रहों से प्राप्त चित्र विश्व में सर्वोत्तम हैं, और अब हम अंतरिक्ष से प्राप्त चित्र आदि विश्व के बाजारों में बेच रहे हैं। इन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं।

सेना और अर्ध-सैनिक बलों के जवान और अधिकारी सिविल प्राधिकारियों को बहुमूल्य सहयोग देते रहे हैं। इसमें सीमा पार से अशान्ति फैलाने के निरंतर प्रयासों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर में संसद और विधान सभा के चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से करवाया जाना भी शामिल है। जिन क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य करना कठिन था, वहां राहत और बचाव मिशनों की सहायता करने में हमारी सशस्त्र सेनाओं का योगदान अनुकरणीय रहा है।

हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करना सरकार की सर्वप्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता के प्रति सचेत है, और यह उद्देश्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक सभी साधन उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। अपने विद्यमान उपकरणों को निरन्तर उन्नत बनाने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उच्च कोटि के शस्त्र प्राप्त करने से राष्ट्र की रक्षा सेनाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी।

सुरक्षा प्रणालियों में अधिक आत्मनिर्भर होने के लिए दस वर्षीय राष्ट्रीय मिशन बहुत अधिक प्रगति कर रहा है। बहुमुखी मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन का निर्माण इस वर्ष आरंभ हो जाएगा। हमारे देश ने सेनाओं के लिए अपेक्षित किसी भी प्रकार की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का डिजाइन तैयार करने और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। नौ सेना के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है, और इसकी पूर्ति के लिए

इसको उन्नत एवं सुसज्जित करने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष हल्का लड़ाकू वायुयान परियोजना के अपने उड़ान परीक्षणों में भी निरंतर प्रगति हो रही है।

जहां तक हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का प्रश्न है, हमारी रचनात्मक और व्यावहारिक विदेश नीति के सकारात्मक परिणाम काफी हद तक सामने आ रहे हैं। हम उनके साथ द्विपक्षीय आधार पर, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के माध्यम से आपसी हित के संबंध बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं। सार्क से वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा इस संघ को सुदृढ़ करने और इसके कार्यकलापों को व्यापक बनाने में निभाई गई सक्रिय भूमिका का बहुत स्वागत हुआ है।

बंगलादेश के प्रधान मंत्री की दिसम्बर, 1996 में की गई भारत की यात्रा के समय दोनों देशों द्वारा गंगा जल के दीर्घकालिक बंटवारे के संबंध में एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से भारत और बंगलादेश के संबंधों में मित्रता के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है।

इसी प्रकार, महाकाली संधि किए जाने के परिणामस्वरूप भारत-नेपाल संबंधों को एक नई दिशा मिली है। इस संधि से जल संसाधनों के संयुक्त उपयोग और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की काफी संभावनाएं पैदा हुई हैं। भूटान, श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण बने रहे।

चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बीच सहयोग का एक नया द्वार खुला है। इस यात्रा के समय विश्वास निर्माण उपायों के बारे में करार पर हस्ताक्षर किये जाने का बहुत महत्व है, तथा इससे द्विपक्षीय संबंधों के और सुदृढ़ होने की आशा है।

हम शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान के साथ टकराव की स्थिति समाप्त करने तथा सद्भावपूर्ण मैत्री और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा विश्वास है कि लोगों के परस्पर मिलने-जुलने तथा व्यापारिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। हम पाकिस्तान की नई सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं, और उससे शीघ्र ही बातचीत फिर शुरू करने की आशा करते हैं।

अफगानिस्तान में निरन्तर विदेशी हस्तक्षेप के कारण पैदा हो रही अस्थिरता से भारत चिंतित है। विदेशी हस्तक्षेप को रोके बिना अफगान समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के एक मित्र और हितैषी के रूप में हमारी परम्परागत भूमिका को सभी जानते हैं, और हम उसके पीड़ित लोगों के लिए मानवीय आधार पर उसे सहायता देते रहेंगे।

जापान इस महीने के प्रारंभ में सम्पन्न हुए भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले में मित्र देश के रूप में हिस्सा लेने वाला प्रथम एशियाई देश रहा। इससे यह पता चलता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। हम जापान के साथ अपने संबंधों को और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के साथ हमारे आपसी हितों के लिए बातचीत होती है, जो पिछले वर्ष नए स्तर पर पहुंची है। हमें विश्वास है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी, और हम एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कार्यकलापों में अपनी यथोचित भूमिका निभाएंगे।

अरब देशों के साथ हमारे परम्परागत मैत्री, आपसी सूझ-बूझ और व्यापक सहयोग के संबंध बने रहेंगे। भारत ने मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया का समर्थन किया है, और अब तक हुई प्रगति का स्वागत किया है। हमें इसके शीघ्र पूरा होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा है। इज़राइल के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से उस देश के साथ हमारे तेजी से बढ़ रहे आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को गति मिली है।

हमने रूस के साथ संबंधों को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है, जो निरन्तरता, विश्वास और आपसी सूझ-बूझ पर आधारित हैं।

हमें आशा है कि क्लिंटन प्रशासन के द्वितीय कार्यकाल के दौरान भी भारत-अमरीका संबंधों में निरन्तर वृद्धि होगी। भारत और अमरीका में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और दोनों ही एक-दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते आये हैं, तथा परस्पर लाभकारी संबंधों का विस्तृत आधार विकसित करने का महत्व स्वीकार करते हैं।

पश्चिम यूरोप के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जिन्हें घनिष्ठ आर्थिक सहयोग से और सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही हम लोकतंत्र के प्रति समान रूप से वचनबद्ध हैं। यूरोपीय संघ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है और वह भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने संबंधों को और बढ़ाना चाहता है। हम उसकी इस भावना का स्वागत करते हैं। उसके प्रति हमारी भी ऐसी ही भावना है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति हमारी वचनबद्धता बरकरार है, और भारत इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों को पूरा समर्थन देता रहेगा। भारत इस वर्ष अप्रैल में नई दिल्ली में होने वाले गुटनिरपेक्ष देशों के अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

विधायी कार्य से संबंधित तैंतीस विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ हैं, जिनमें लोकपाल विधेयक, 1996, दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995 और लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के उपबंध से संबंधित

संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 शामिल हैं। सरकार वर्तमान सत्र के दौरान संसद के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है:–

(1) प्रसारण विधेयक, 1997;

(2) प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) संशोधन विधेयक, 1997;

(3) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1997;

(4) विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1997;

(5) बहुराज्य सहकारी समिति विधेयक, 1997;

(6) भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1997; तथा

(7) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1997

हम इस वर्ष अगस्त से अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगाठ मनाने जा रहे हैं। हमारा स्वतंत्रता संग्राम अहिंसा पर आधारित होने के कारण विश्व इतिहास में अद्वितीय था। आज भारत लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि सम्मत शासन, मानवाधिकार तथा धर्म-निरपेक्षता बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारी इन नीतियों से स्वतंत्रता और आर्थिक विकास में तालमेल स्थापित हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस शताब्दी के महान नेता लोकतंत्र और स्थायित्व की कठिन चुनौतियों का सामना करने में हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं।

इस सदी के शेष चार वर्ष भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें इसे पिछली उपलब्धियों के आधार पर और विकास करके एक नए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आज भारत आशा और विश्वास के साथ 21वीं सदी में पदार्पण करने की तैयारी कर रहा है, जो उसके लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। विश्व में हमारा स्थान इस बात से तय होगा कि क्या हम दृढ़ता और यथार्थता से आगे बढ़ते हैं, अथवा अपनी परम्परागत सोच से बंधे रहते हैं। अगली सहस्त्राब्दि के आरम्भ में हम इन सभी बातों पर विचार करें और बुनियादी मुद्दों को सुलझाएं, ताकि हम अगली सदी के शुरू में ही विश्व के विशाल और विकसित देश के रूप में उभरने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

जय हिन्द।

श्री के. आर. नारायणन

संसद के समक्ष अभिभाषण* — 25 मार्च 1998

लोक सभा	-	बारहवीं लोक सभा
सत्र	-	बारहवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री कृष्ण कांत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.एम.सी. बालयोगी

माननीय सदस्यगण,

मुझे लोक सभा के 12वें चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए बहुत हर्ष है। मैं इस नई लोक सभा के सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

मैं भारत के निर्वाचन आयोग का भी आम चुनावों को तत्परता और कुशलता से सम्पन्न कराने के लिए धन्यवाद करता हूं।

हाल ही में संपन्न हुए मध्यावधि चुनाव ने बदलाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में हमारे लोगों के दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित किया है। ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कम मतदान होगा जबकि लगभग 62 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव परिणाम इस बात के द्योतक है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्थान मिलना चाहिए। मेरी सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन आकांक्षाओं की पूर्ति हो और साथ ही राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखा जाए।

संसदीय गणित से ही सुशासन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अपितु संसदीय बहुमत और अल्पमत के भाव से ऊपर उठकर तथा सहयोग, मेल-मिलाप और आम सहमति की भावना से कार्य करने की इच्छा से ही इसका समाधान निकल सकता है। मेरी सरकार इसी भावना को लेकर शासन में एक नया मार्ग तैयार करेगी

---

*अभिभाषण का हिन्दी पाठ भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

जिसका उद्देश्य एकता लाना होगा, न कि फूट डालना, अतीत के तुच्छ विरोधों के स्थान पर वार्तालाप, बहस और चर्चा का दौर शुरू किया जाएगा।

मध्यावधि चुनावों के बाद अब राष्ट्र एक ऐसी सरकार को देखना चाहता है जो वास्तव में काम करके दिखाए। सरकार ठीक यही काम करने का इरादा रखती है: अभी जो एकदम तुरंत कार्य किए जाने हैं उनमें 1997-98 की पूरक मांगें और 1998-99 का लेखानुदान पारित करना शामिल है। इसके बाद तुरंत ही विधायी कार्यो सहित शेष निलंबित मामलों को लिया जाएगा।

अब आरंभ में, हम इस दिशा में सभी प्रयास करेंगे जिससे एक नए भारत का निर्माण किया जा सके—जो एक ऐसा भारत हो, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार के तीनों अभिशापों से मुक्त हो, एक ऐसा भारत हो जहां निरक्षरता और रोग का नामोनिशान न रहे, एक ऐसा भारत जहां अधिकाधिक लोगों को लाभप्रद रोजगार मिल सके, एक ऐसा भारत जहां प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी कोई जाति, नस्ल या धर्म हो, भारतीय होने का गौरव अनुभव करे।

धर्मनिरपेक्षता भारतीय परम्पराओं का अंतरंग भाग है। मेरी सरकार देश के सेक्युलर मूल्यों को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों की सहायता करना है जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं और जो शक्ति संपन्न नहीं हैं। हमारे एक-तिहाई से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इससे भी अधिक संख्या उन लोगों की है जिन्हें बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हमारे इस विशाल जनसमूह को राष्ट्र की समृद्धि में अपना सार्थक हिस्सा मिलना चाहिए।

सरकार बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था कर प्रत्येक परिवार के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित कर, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि कर तथा यथा-संभव अधिक से अधिक लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करके इन तीन रणनीतियों के जरिए इस लक्ष्य को पूरा करना चाहती है।

अभी तक सामाजिक-आर्थिक नीतियों की एक कमजोरी यह रही है कि सामाजिक क्षेत्र की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। सरकार सामाजिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में और अधिक धन लगाने की प्रतिज्ञा करती है। शिक्षा पर व्यय को उत्तरोत्तर सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत तक ले जाने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जाएगा। सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ एक निर्धारित समयावधि में प्रत्येक गांव तथा बस्ती में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

हमारी बढ़ती जा रही जनसंख्या की दर गंभीर चिंता का विषय है। सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य होगा कि अन्य बातों के अलावा लोगों को प्रोत्साहनों तथा हतोत्साहनों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया जाए।

सभ्य समाज में, बच्चों का जन्म सुखमय जीवन बिताने के लिए होता है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में अधिकांश बच्चे पैदा होने के बाद फैक्टरियों, कारखानों और खेतों में मेहनत-मजदूरी करने में लग जाते हैं। मेरी सरकार मानती है कि बच्चों को स्कूलों और खेल के मैदानों में जाना चाहिए न कि वे अपना जीवन मेहनत-मजदूरी करने में बिताएं। संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान को क्रियान्वित करने के अलावा सरकार बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय अधिकार-पत्र तैयार करेगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई बच्चा भूखा न सोए। बच्चों के अधिकार हैं और इनका सम्मान किया जाएगा।

आज जो लिंग असमानता तथा अन्याय, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार के अवसरों और राजनैतिक प्रतिनिधित्व के मामलों में दिखाई पड़ता है, उसे समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। सरकार महिलाओं को स्नातक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करेगी ताकि महिलाओं में साक्षरता की कमी की बाधा को दूर करने में भारत विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण बन सके। मेरी सरकार महिलाओं की शिक्षा पर धन व्यय कर भारतीयों की भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए धन व्यय करेगी।

संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण संबंधी लंबित विधेयक को तुरंत लिया जाएगा। महिला उद्यमियों के लिए एक विकास बैंक स्थापित किया जाएगा, जो इस प्रकार का पहला बैंक होगा।

सरकार कानूनी, कार्यपालिका संबंधी एवं समाज के प्रयासों को एक साथ मिला करके अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के तेजी से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति संवर्धन तथा उत्थान का प्रयास करेगी। मेरी सरकार राज्य स्तर पर शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के मौजूदा प्रतिशत को बनाए रखने के समुचित उपाय करेगी। अपने इस विश्वास के साथ कि शासन का उद्देश्य फूट डालने की अपेक्षा एकता में पिरोना होना चाहिए, सरकार सामाजिक टकराव और अन्याय की बजाय सामाजिक समरसता तथा न्याय का वातावरण बनाने का प्रयास करेगी।

समृद्धि एवं आर्थिक उन्नति का लाभ कुछ थोड़े से लोगों तक सीमित न रहकर अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अतः मेरी सरकार के दो उद्देश्य होंगे, एक तो रोजगार के अवसरों का सृजन करके गरीबी को पूर्णतया समाप्त

करना और दूसरे सकल घरेलू उत्पाद की 7 से 8 प्रतिशत तक की अधिक अभिवृद्धि दर को निरंतर कायम रखना। मेरी सरकार की राष्ट्रीय विकास की योजना का मूल मंत्र "बेरोजगारी हटाओ" होगा।

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। सरकार आवास इकाइयों के निर्माण की गति में तेजी लाने तथा इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करने के लिए नीतियां तैयार करेगी ताकि सबके लिए आवास का सपना साकार हो सके।

विद्युत, सड़कों तथा पुलों, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों, सामुद्रिक पत्तनों, नौवहन, हवाई अड्डों, दूरसंचार तथा सूचना टेक्नोलॉजी सहित मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में पूंजी निवेश को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। सरकार राजकोषीय एवं मुद्रा नीतियों का एक ठोस ढांचा तैयार करेगी।

सरकार का यह विश्वास है कि भारत का निर्माण भारतीय ही कर सकते हैं और करेंगे। कोई भी देश जो अधिकांशतया अथवा पूर्णतया विदेशी संसाधनों पर निर्भर करता है सच्चे अर्थों में समृद्ध नहीं हो सकता। अत: अगले पांच वर्षों तक राष्ट्रीय बचत को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत तक करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्र तथा भौतिक मूलभूत ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत भाग अनिगमित क्षेत्र से प्राप्त होता है जो अब तक उपेक्षित रहा है सरकार का देश में विद्यमान लाखों लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने का विचार है। अर्थव्यवस्था के इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसमें रोजगार के अवसरों के सृजन एवं विकास की अपार क्षमता है, सरकार एक समर्पित विकास बैंक स्थापित करने पर विचार करेगी।

सरकार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में श्रमिकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करेगी। कृषि श्रमिकों, जो कि अधिकतर असंगठित हैं, के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

कृषि के क्षेत्र में धन लगाने में लगातार कमी करते रहने के कारण इसे हानि उठानी पड़ी है। सरकार इस कमी को रोकेगी और हमारी अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण खण्ड के लिए योजना राशि का 60 प्रतिशत तक धन निर्धारित करेगी। आर्थिक सहायता जारी रहेगी, परन्तु जिन्हें यह सहायता मिलनी चाहिए, उनके बारे में पहचान करने में लक्ष्य को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार हमारे किसानों को समृद्धि के लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें एक सशक्त तथा आत्म-विश्वासी समुदाय के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण भारत के चहुंमुखी विकास के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने के अलावा मेरी सरकार कारगर फसल बीमा नीतियां शुरू करके किसानों को आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी संरक्षण प्रदान करेगी। सभी प्रयास किए जाएंगे जिससे तेजी से ग्रामीण औद्योगिकरण किया जाए जिसमें कृषि आधारित उद्योग पर विशेष बल दिया जाएगा।

चूंकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत उपाय करेगी कि विकास के सभी कार्यक्रम दीर्घकालिक विकास के सिद्धांतों के अनुरूप हों। सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि दीर्घकालीन विकास की सफलता और भारत को एक समृद्ध, सुदृढ़ तथा स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में मेरी सरकार तुरंत ही सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी और ऐसे तौर-तरीके अपनाने का प्रयास करेगी जिनसे पंचायत स्तर तक और अधिकार सौंपे जा सकें। प्राय: राज्यपाल के पद के मामले में अशोभनीय विवाद खड़े हुए हैं। राजभवनों का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 18 भाषाओं को सरकारी भाषाओं के रूप में मानने की व्यावहारिकता के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाएगी।

सरकार राज्यों द्वारा संसाधनों के और अधिक आबंटन की मांग पर ध्यान देगी। एक पिछड़ा क्षेत्र आयोग बनाया जाएगा जो उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है ताकि ये क्षेत्र विकास में पीछे न रह जाएं।

सरकार उत्तर प्रदेश में से उत्तरांचल*, बिहार में से वनांचल और मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाएगा।

एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार की जाएगी, जिसमें विवादों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से निपटाने और समयबद्ध कार्यान्वयन का प्रावधान रहेगा।

राष्ट्र और इसके नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मेरी सरकार इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। राष्ट्र की सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा हर कीमत पर की जाएगी। हम इस बारे में किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। मेरी सरकार राष्ट्र के साथ मिलकर हमारी सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों की वीरता को नमन करती है जो देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

---

*अब उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता है।

प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित महसूस करने और भय मुक्त रहने का अधिकार है। आज आम आदमी पर जो आतंकवाद, तोड़-फोड़ और विद्रोही गतिविधियों का खतरा छाया हुआ है, सरकार उसका मुकाबला करने का प्रयास करेगी। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मतभेदों का समाधान बातचीत और चर्चा से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

मेरी सरकार सभी राष्ट्रों के बीच शान्ति, विश्व में सभी लोगों की समृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत द्वारा अपनी अधिक भूमिका निर्वाह करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। हम एशिया के देशों की एकता तथा अधिक क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रयास करेंगे। बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अथवा हस्तक्षेप के पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए फिर से प्रयास किए जाएंगे।

विश्व समुदाय के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके घटकों का पुनर्गठन करना है जिससे कि उन्हें और अधिक प्रजातांत्रिक बनाया जा सके तथा जो समकालीन विश्व का और भी अधिक प्रतिनिधित्व कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के बारे में हमने अपने विचार विश्व समुदाय के सामने रख दिए हैं और हम अपने उद्देश्य के लिए उत्साहपूर्वक जुटे रहेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में हम अपने सहयोगी सदस्य देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों को उचित स्थान दिलाने की जिम्मेदारी लेंगे और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक अन्य प्राथमिकता है जिसे हम बढ़ावा देंगे।

सरकार एक राष्ट्रीय मीडिया नीति तैयार करेगी जो हमारी सामाजिक जरूरतों तथा सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सुसंगत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न दृश्य, श्रव्य और प्रिंट मीडिया में हो रही प्रगति को समन्वित करेगी।

स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद अब समय आ गया है कि हम पुनः अपने संस्थानों को सशक्त बनाएं ताकि वे भावी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन सकें। सरकार ऐसा ही करने का इरादा रखती है और संविधान की समीक्षा करने एवं अपनी सिफारिशें देने के लिए एक आयोग बनाएगी ताकि भूतकाल में जो असामान्य अनुभव हुए हैं, भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो।

इससे पहले मैं, भारत के लोगों को सुशासन देने की सरकार की सत्यनिष्ठ प्रतिबद्धता का उल्लेख कर चुका हूं। यह तभी संभव है जब सरकार नैतिकता और सदाचार की नींव पर खड़ी हो। हम अपने चारों तरफ राजनीति में नैतिकता और शासन में सदाचार के प्रति निरन्तर उपेक्षा भाव को बढ़ता देख रहे हैं। इससे सरकार में लोगों का विश्वास बुरी तरह क्षत-विक्षत हुआ है।

सरकार लोकपाल विधेयक पारित कर सार्वजनिक पद पर बैठे सभी लोगों को जवाबदेह बनाना चाहती है सरकारी गोपनीयता अधिनियम की समीक्षा की जाएगी ताकि सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी कानून को इसमें शामिल किया जा सके। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किए बिना निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा को बनाए रखा जा सकेगा।

भ्रष्टाचार और हमारी राजव्यवस्था में मूल्यों के ह्रास तथा राजनीति के अपराधीकरण का एक कारण चुनावी प्रक्रिया में दोषों की व्याप्ति है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने और धन तथा बाहुबल के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाएगी, जिसके लिए पहले ही आधारभूत कार्य किया जा चुका है।

आम सहमति-निर्माण राष्ट्र-निर्माण का एक अत्यावश्यक अंग है। समाज की व्यापक भलाई के लिए सहयोग हमारी सभ्यता का आधार है। हमारा लोकतंत्र एक बहु-पार्टी जनतंत्र है जिसमें व्यापक आम राष्ट्रीय सहमति तैयार करने के लिए सत्तारूढ़ तथा विपक्षी दलों में परस्पर रचनात्मक वार्तालाप, परामर्श एवं सहयोग अत्यावश्यक है।

अत: सरकार जहां तक व्यवहार्य हो, आम सहमति से शासन चलाने की पद्धति का विकास करने का प्रयास करेगी। कुछ मुद्दे जिन पर तत्काल राष्ट्रीय आम सहमति तैयार करने की आवश्यकता है, चुनावी सुधार, केन्द्र-राज्य संबंध, जनसंख्या नीति, सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बना कर उनका शक्ति संवर्धन, अन्तर्राज्यीय जल विवादों का समाधान, पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए कारगर संस्थागत गारंटियां प्रदान करना है।

माननीय सदस्यों, आपको आम सहमति की इस प्रक्रिया को तैयार करने में रचनात्मक योगदान करने का एक अमूल्य विशेष अवसर प्राप्त हुआ है जिस पर 21वीं सदी और आगे आने वाली सहस्त्राब्दी में इस महान राष्ट्र के भविष्य का दारोमदार है।

यह वर्ष अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है। यह हमारी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती वर्ष है। यह महात्मा गांधी के अमर बलिदान का भी 50वां वर्ष है—जो इस शताब्दी के मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम महात्मा गांधी तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के अमर बलिदानों के उत्तराधिकारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके स्वप्नों एवं आदर्शों को साकार करें।

इस अभूतपूर्व कार्य में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण* — 22 फरवरी 1999

लोक सभा	-	बारहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री कृष्ण कांत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.एम.सी. बालयोगी

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1999 में संसद के दोनों सदनों के इस प्रथम सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण सत्र है। संसद में बजट तथा विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

नई शताब्दी और नई सहस्राब्दि की ओर बढ़ते हुए, हमें आने वाले युग की अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप अब ठोस और निश्चित प्रयास करने चाहिए। जनता ने इस संसद को इस शताब्दी से अगली शताब्दी में प्रवेश का यह अनूठा अवसर प्रदान किया है। स्वतंत्रता के बाद की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए, हमें अधूरे रह गए कार्य मिल-जुल कर पूरे करने चाहिए और भावी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और दृढ़ता से करना चाहिए हमारे गणराज्य की स्वर्ण जयन्ती निकट ही है। देश के चुने हुए सर्वोच्च निकाय और विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के स्तम्भ के रूप में, संसद का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व इन प्रयासों के लिए राष्ट्रीय साधन जुटाना है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य दूरदर्शिता से और उपयुक्त निर्देशन देकर यह उत्तरदायित्व निभाएंगे।

मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार चलाने के लिए राष्ट्रीय एजेन्डा को पूरी निष्ठा से कार्यान्वित किया जा रहा है जो कि मिलीजुली सरकार की साझा नीति है।

*अभिभाषण का हिंदी पाठ भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

पिछले ग्यारह महीनों में, सरकार ने जनता के कल्याण को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास त्वरित करने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुदृढ़ बनाने, और भारत के पड़ोसियों तथा अन्य देशों के साथ घनिष्ठ मित्रता और सहयोग विकसित करने के लिए अनेक मोर्चों पर दृढ़तापूर्वक कार्य किया है। समग्र रूप से इन प्रयासों ने देशवासियों में आत्मविश्वास की एक नयी भावना भर दी है और वर्तमान और भावी चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है।

गत वर्ष पोखरण में 11 और 13 मई को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करना सरकार का एक ऐतिहासिक कदम रहा है जिससे भारत एक परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र बन गया है। सरकार ने यह कदम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् उठाया। भारत की परमाणु नीति न्यूनतम सुरक्षात्मक उपायों पर आधारित है और इस क्षेत्र में शस्त्रों की होड़ के सख्त खिलाफ है। भारत ने घोषणा की है कि वह किसी गैर-परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र के विरुद्ध अपने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करेगा और न कभी किसी परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश के विरुद्ध इनके प्रयोग में पहल करेगा। हम, जन संहार के सभी हथियारों का संपूर्ण विश्व में शीघ्र व पूर्ण रूप से समाप्त करके विश्व शांति सुनिश्चित करने जैसे नेक मुद्दों की हमेशा हिमायत करते रहेंगे। विदेश नीति संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय सहमति बनाए रखते हुए सरकार व्यापक रूप से और भेदभाव रहित परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए जोरदार प्रयास कर रही है।

कुछ देशों ने हम पर प्रौद्योगिकी प्रतिबंध लगाए हैं। राष्ट्र इस अनुचित कार्रवाई का दृढ़ता से मुकाबला कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हम और अधिक मजबूत व आत्मनिर्भर होकर सामने आएंगे। हमारी रक्षा व विकास संबंधी जरूरतों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा उपस्करों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशी क्षमताओं का विकास करने में हमारे सशस्त्र बलों, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रक्षा उत्पादन यूनिटों के सम्मिलित प्रयासों के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

राष्ट्र, सशस्त्र बलों और अर्द्ध-सैनिक बलों के वीर जवानों और अफसरों के प्रति कृतज्ञ है जो आतंकवादियों द्वारा छेड़े गए परोक्ष युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। सियाचिन और अन्य दूर-दराज के सीमा क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा में तैनात जवानों के त्याग के प्रति देश उनका आभार प्रकट करता है। कच्छ में चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत तथा बचाव सहायता देने जैसी आपात स्थितियों से निपटने में सिविल प्राधिकारियों की मदद करने में सुरक्षा बलों की भूमिका अनुकरणीय है।

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन किया है। भारत को मिलने वाले सैन्य, आर्थिक व राजनैतिक खतरों का सही तथा गहन विश्लेषण करने में यह कारगर साबित होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों पर एक समेकित दृष्टिकोण तैयार करने में सहायता करेगी।

पंथ-निरपेक्षता की जड़ें हमारे समाज और राज व्यवस्था में बहुत गहरी हैं इसलिए सरकार इसे बनाए रखने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। हाल ही में गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में हुई कुछ घटनाएं हमारे लिये वेदना और चिंता का विषय रही हैं, लेकिन इन्हें अपवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को परिलक्षित नहीं करती हैं। सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः वचनबद्ध है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे ऐसे सभी मामलों में दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार करें। शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के संबंध में सरकार की कार्यक्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दस वर्षों की अपेक्षा 1998 में सांप्रदायिक हिंसा में मौतों की घटनाएं सबसे कम हुई हैं।

आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी सरकार का मुख्य कर्तव्य है। मैं इस बात से काफी संतुष्ट हूं कि देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद तथा विघटनकारी गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया गया है। सुरक्षा बलों तथा राज्य प्रशासन के लगातार दबाव, सतर्कता और संगठित कार्रवाई तथा लोगों के सक्रिय सहयोग से जम्मू-कश्मीर में 1998 के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है कि स्थिति का बदलना साफ दिखायी देता है। अन्य बातों के साथ-साथ, यह इससे भी परिलक्षित होता है कि यहां पर्यटकों का आना-जाना पुनः आरंभ हो गया है जो पिछले दशक में लगभग बंद हो गया था। सरकार, इस राज्य में शान्ति को बढ़ावा देने, सामान्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों को पुनः बहाल करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि स्थिति सामान्य हो जाने पर बहुत से कश्मीरी अपने घरों तथा परिवारों में शीघ्र लौट जाएं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायी जा रही है। वाहनों, उपकरणों, हथियारों व गोला-बारूद की आपूर्ति बढ़ाकर राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया गया है ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आर्थिक विकास के लिए सहायता बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 को निरस्त करने पर विचार कर रही है। इंफाल में राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने का निर्णय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में भावनात्मक एकता बढ़ाने और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया तीव्र करने की अनेक संभावनाओं का द्योतक है।

अनिवासी भारतीय जो विश्व में कहीं भी रह रहे हैं, भारतीय परिवार का एक हिस्सा हैं। भारत के साथ उनके भावनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंध हमें बहुत अधिक शक्ति प्रदान करने का स्रोत हैं। सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.आई.ओ.) के लिए कार्ड योजना को स्वीकृति दे दी है। इससे भारतीय मूल के लोगों को, जो अन्य देशों के नागरिक हैं, वीजा-मुक्त प्रवेश तथा अन्य सुविधाओं की अनुमति हो सकेगी।

'बेरोजगारी हटाओ' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में त्वरित व संतुलित आर्थिक विकास की एक पूर्वापेक्षा है। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व-अर्थव्यवस्था में आयी मंदी की वजह से अत्यधिक प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ा है, जैसा कि यह मंदी, दक्षिण-पूर्व एशिया सहित विश्वभर के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयी तीव्र कमी और बाजार संकटों के रूप में दिखायी दी है। इसके परिणामस्वरूप, उभरते हुए बाजारों में पूंजी-प्रवाह में कमी आई है। देश की अर्थव्यवस्था में चली आ रही कई बाधाओं से बाह्य चुनौतियां बढ़ी हैं।

इन बाह्य और आंतरिक कठिनाइयों के बावजूद, अर्थव्यवस्था काफी ठीक रही है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर विकासशील देशों में सबसे अधिक होनी चाहिए। मुद्रा बाजार में काफी उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारतीय रुपये की विनिमय दर नियंत्रण योग्य विनिमय सीमा के अंदर स्थिर बनी रही है। 17 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 27.9 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। रिसर्जेंट इंडिया बाण्डों की भारी खरीद होने से 4.2 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से अनिवासी भारतीयों की भारत के प्रति निरंतर वचनबद्धता को दर्शाता है।

इस समय, केन्द्र और राज्य सरकारें, दोनों ही अत्यधिक वित्तीय दबाव में हैं। हाल के वर्षों में सामान्य सरकारी घाटे में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। मुद्रा-स्फीति संबंधी संभावनाओं के साथ-साथ ब्याज दरों, पूंजी निवेश और विकास पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों के लिए राजस्व और वित्तीय घाटे में कमी लाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिए व्यर्थ और कम प्राथमिकता वाले व्यय पर कड़ा नियंत्रण लगाकर और लागत वसूली संबंधी उपयुक्त नीतियां अपनाकर संसाधन जुटाने के भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है।

सरकार ने औद्योगिक सम्पत्ति और पेटेंट सहयोग संधि के संरक्षण के लिए पेरिस समझौता स्वीकार कर लिया है। इससे सूचना प्राप्ति में वृद्धि होने से औद्योगिक

वातावरण में सुधार होगा, भारतीय आविष्कारकों को बेहतर संरक्षण प्राप्त होगा तथा प्रौद्योगिकीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 का उद्देश्य बीमा क्षेत्र को सुदृढ़ करना और विश्वव्यापीकरण से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने में इसे समर्थ बनाना है।

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार प्रगति कर रहा है। इस वर्ष इनसैट–2ई के साथ ही दूरसंवेदी उपग्रह आईआरएस–पी 4 छोड़ा जा रहा है। पीएसएलवी की अगली उड़ान में कोरिया के किटसैट तथा जर्मनी के टुबसेट को भी छोड़ा जाएगा। यह हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक अन्य विशेष उपलब्धि होगी। इस क्षेत्र में सफलता से बेहतर दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं, सुदूर शिक्षण, भूमि और जल–संसाधनों के मानचित्रण तथा फसल संबंधी पूर्वानुमान के लिए बड़ी आशाएं हैं।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है तथा हमारी जनसंख्या की जीविका का साधन है। मैं मेहनती किसानों को हार्दिक बधाई देता हूं, जो अनेक कठिनाइयों के बावजूद कृषि उत्पादन बढ़ाने और देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहे हैं। मुझे, सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1998–99 में 720 लाख टन के संभावित दुग्ध उत्पादन से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन जाएगा। आशा है कि खाद्यान्नों, दालों और अन्य फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह गर्व की बात है कि भारत अब सर्वाधिक गेहूं उत्पादक पहले तीन देशों की श्रेणी में आ गया है।

सरकार कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति बना रही है। इस नीति से, विशेषकर छोटी और मध्यम परियोजनाओं के मार्फत सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा, छोटे एवं सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंध और प्रौद्योगिकी व संस्थागत परिवर्तनों के द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। विशेष बल, देश के विस्तृत वर्षा–पोषित क्षेत्रों तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर होगा। कृषि सहकारी समितियों और अन्य ग्रामीण ऋण संस्थाओं का विस्तार करने एवं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे जिससे कि वे आर्थिक उदारीकरण के अवसरों का लाभ उठा सकें। नई नीति का उद्देश्य बागवानी, पुष्पकृषि, औषधीय पौधों और वनरोपण में, विशेषकर इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए, उत्पादन अधिक से अधिक करना है।

कृषि वस्तुओं के मूल्यों का प्रबन्ध करने की क्रान्तिक आवश्यकता है क्योंकि इसका संबंध किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों से है। सही और समय पर सूचना का अभाव इस क्षेत्र की मुख्य बाधाओं में से एक बाधा रही है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उनके मूल्यों के बारे में इन वस्तुओं की पहले से चेतावनी देने के लिए

एक राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना की गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की ध्यानपूर्वक निगरानी के लिए खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ एक उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य नियंत्रण बोर्ड को सचिवालयी सेवा दे रहा है। मूल्य स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस बोर्ड की साप्ताहिक बैठक होती है। जमाखोरी और कालाबाजारी को अधिक कारगर ढंग से रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक विधेयक संसद के इस सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है।

जल का इष्टतम उपयोग हमारी आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। जल के अनुचित उपयोग से, आर्थिक नुकसान होने के अलावा भूमि व पर्यावरण का स्तर कम हो सकता है तथा सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। इस समय, एक राष्ट्रीय आयोग बहुउपयोग के लिए जल संसाधनों के विकास की एक समन्वित योजना बना रहा है। इसकी रिपोर्ट इस वर्ष प्राप्त होने की आशा है, जिसमें देश के विविध जल संसाधनों के एकीकृत और कुशल प्रबंध के लिए अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपायों की सिफारिश की जाएगी। काफी समय से लंबित कावेरी जल विवाद के संबंध में पिछले वर्ष सहमति बनने में हुई प्रगति सहयोगी और राष्ट्रीय भावना की विजय है। इस सफलता का महत्व ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाने से अन्य लंबित अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों के निपटारे की संभावना में है जिनकी वजह से कई बड़ी विकास परियोजनाएं रुकी हुई हैं।

सरकार आधारभूत संरचना के त्वरित विकास को उच्च प्राथमिकता देती है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। योजना आयोग के तत्वावधान में गठित आधारभूत संरचना संबंधी कार्यदल ने सिल्चर से सौराष्ट्र को जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम मार्ग तथा कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण मार्ग सहित एक छः लेन वाली राष्ट्रीय एकीकृत राजमार्ग परियोजना के निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें चार महानगरों दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता* को जोड़ने वाले पिछली स्वर्णिम चौमार्गीय परियोजना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयुक्त स्थानों के बीच एक्सप्रेसवेज़ बनाए जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद इस सर्वाधिक महत्वाकांक्षी आधारभूत संरचना पर कार्य पहले ही शुरू हो गया है। देश में कई स्थानों पर साथ-साथ इसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएंगे। बिल्ड-ऑन-ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी हो सकेगी।

आधारभूत संरचना संबंधी कार्य दल ने राष्ट्रीय एकीकृत परिवहन नीति का प्रारूप बनाया है जिससे रेलों, सड़कों, बंदरगाहों, विमानपत्तनों और अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच सहयोगपूर्वक किए जाने वाले काम से इष्टतम प्रतिलाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने देश में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

व विस्तार करने का एक मुख्य कार्य करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में पांच विमानपत्तनों—मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता*, चेन्नई और बंगलौर@ का निगमीकरण किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी 21वीं सदी में भारत के लिए विकास का एकमात्र सबसे बड़ा अवसर है। भावी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तथा समाज की पूर्ण इमारत उसकी नींव पर निर्भर करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व स्थापित करने में भारत की नैसर्गिक श्रेष्ठता आज सर्वविदित है। यह पहचान भारत एवं विदेश में कार्यरत हमारे सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों तथा उद्यमियों द्वारा प्राप्त शानदार सफलता पर आधारित है।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यदल की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सॉफ्टवेयर के विकास को बहुत अधिक बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए हैं जिससे कि 2008 तक पचास बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। भारत को हार्डवेयर डिजाइन करने, बनाने तथा निर्यात करने का प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए एक कार्य-योजना पर भी विचार किया जा रहा है। पहली बार, देश में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नीति की घोषणा की गई है। साथ ही, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, इंटरनेट को शीघ्रातिशीघ्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने, इंटरनेट पर, विशेषकर भारतीय भाषाओं में भारतीय कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने, प्रशासन, बैंकिंग, वाणिज्यिक क्षेत्र और जन-उपयोगी सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल तथा अनेक राज्यों में 'वायर्ड विलेजिस' परियोजनाओं के जरिये ग्रामीण विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रमुख कदम उठाने की योजना बना रही है।

सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के सपने साकार करने में दूरसंचार द्वारा निभायी जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। तद्नुसार, सरकार ने दूरसंचार संबंधी एक दल का गठन किया है जो एक नयी दूरसंचार नीति को अंतिम रूप दे रहा है। इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटर, दूरसंचार, दूरदर्शन, मल्टीमीडिया तथा उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिक सामान के इस्तेमाल के संयुक्तीकरण को ध्यान में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की बड़े पैमाने पर उपलब्धता, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तीव्र गति से कनेक्टिविटी लाना, और यह सुनिश्चित करना होगा कि दूरसंचार सेवाएं वहन की जा सकें। इन उद्देश्यों को, अधिक मजबूत नियामक ढांचा सृजित करके एक बेहतर प्रतियोगी वातावरण में प्राप्त किया जाएगा।

---

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

@अब बेंगलूरू के नाम से जाना जाता है।

लंबित पड़ी अनेक विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने में आ रही अड़चनों को दूर करने के बारे में सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। अनेक स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय स्रोत बहुत जल्दी औपचारिक रूप से तय हो जायेंगे जिससे उनका निर्माण-कार्य शीघ्र किया जा सकेगा। हाल ही में, सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बिजली मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें विशेष रूप से आधारभूत संरचना के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हुई त्वरित प्रगति की चर्चा की गई। मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अधिकाधिक राज्य सरकारों ने विनियामक आयोग का गठन करने, अपने विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करने के लिए उपाय करने आरंभ कर दिए हैं ताकि पारेषण और वितरण संबंधी क्षतियां कम की जा सकें और प्रत्याशित पूंजी-निवेश प्रवाह बढ़ाया जा सके। इस बात पर राष्ट्रीय सहमति बनाई जाए कि चूंकि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यावसायिक कार्यकलाप हैं, इसलिए प्रयोक्ता प्रभारों की पूरी वसूली की जानी चाहिए। यदि कम प्रभारों के लिए सहमति बनाई जाती है तो इसके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए।

भारत परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति वचनबद्ध है। कैगा परमाणु ऊर्जा यूनिट 2 और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट 3 पर काम चल रहा है और आशा है कि ये यूनिटें इस वर्ष क्रान्तिक हो जायेंगी। हमारे द्वारा निर्मित तीसरे और सर्वाधिक बड़े पुनर्संसाधन संयंत्र-कलपक्कम पुनर्संसाधन संयंत्र को सितम्बर, 1998 में राष्ट्र को समर्पित किया गया।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता आज भी कायम है। गैर-पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग में भारत का स्थान अब विश्व में चौथा है। इसके अलावा, भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारा देश अपनी चीनी मिलों में विश्व में सबसे बड़े खोई-आधारित सह-उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

प्रत्येक भारतीय परिवार का सपना है कि उसका अपना एक घर हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नई आवास नीति 1998 बनाई है जिसके तहत एक वर्ष में 20 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे हमारे इस्पात, सीमेंट और निर्माण सामग्री वाले उद्योगों के बढ़ावे के साथ-साथ, कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। शामिल हितकारियों के साथ व्यापक परामर्श के बाद आवास उद्योग के रास्ते में आने वाली मुख्य अड़चनों को दूर कर दिया गया है और अन्य को दूर किया जा रहा है।

सरकार ने भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रौद्योगिकीय उन्नयन कोष के सृजन का निर्णय लिया है। यह योजना 1 अप्रैल, 1999 से आरंभ होगी। कृषि मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही अलग से एक कपास प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया जाएगा।

लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होते हैं। लघु क्षेत्र की सहायता करने के लिए, लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993 को संशोधित किया गया है। इस कार्यक्रम पर अतिरिक्त बल देने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना भी संशोधित की गई है।

शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में उद्योग को अफसरशाही नियंत्रण से मुक्त करने की प्रतिबद्धता का उल्लेख है। सरकार ने कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम उत्पादों व चीनी जैसे उद्योगों और कुछेक बल्क औषधियों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। इसने वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और उन निजी कंपनियों, जिनकी पिछली साख अच्छी रही है, की परियोजनाओं के लिए स्वत: स्वीकृति की अनुमति देकर प्रौद्योगिकी आयात को भी उदार बनाया है।

सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की पुनर्संरचना, पुनर्वास, विनिवेश, और नीतिगत बिक्री करके उनका सुधार भी कर रही है। अलग से एक मंत्रिमंडल समिति विनिवेश और योजनाओं की पुनर्संरचना का निरीक्षण करेगी और शीघ्रता से निर्णय लेगी।

तीन दशकों के बाद दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई है जोकि संगठित क्षेत्र में मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत करने और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के न्यूनतम संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एक कानूनी दायरा प्रदान करने के सुझाव देगा। आयोग उभरते आर्थिक पर्यावरण पर विचार करेगा जिसमें ऐसे तीव्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण काम के तरीकों, समय और दशाओं में शीघ्र बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। यह मौजूदा कानूनों में परिवर्तनों की सिफारिश करेगा ताकि उन्हें भावी श्रमिक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। यह सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी व उत्पादकता के बीच तालमेल से संबंधित उपायों की प्रभावशीलता में सुधारों की भी सिफारिश करेगा। यह महिलाओं और विकलांग कामगारों के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों तथा सुविधाओं का भी अध्ययन करेगा।

अपने नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना किसी भी सरकार का पहला कर्त्तव्य होता है। साक्षरता, शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और पेय जल क्षेत्र में निवेश करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है क्योंकि इससे हमारे नागरिकों का जीवन स्तर प्रभावित होता है और भारत की मानव विकास तालिका में सुधार होता है। पिछले बजट में, सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आबंटन में काफी वृद्धि की थी। यह प्रतिबद्धता बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार समाज के सबसे गरीब वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए और उपाय करेगी।

हाल के वर्षों में स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान को अपार सफलता मिली है। इस सफलता को देखते हुए अब भारत को चाहिए कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियत लक्ष्य के अनुरूप अर्थात् सन् 2000 तक पोलियो को जड़ से मिटाने का लक्ष्य प्राप्त कर ले। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए परिवार कल्याण विभाग ने प्रजनक शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयुर्वेद को शामिल किया है।

राष्ट्र विशेष रूप से एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती—अर्थात् तेजी से फैलते एड्स का सामना कर रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नीति तथा राष्ट्रीय रक्त नीति का एक मसौदा तैयार किया है। इससे इस जानलेवा बीमारी के तेजी से बढ़ने पर रोक लगाई जा सकेगी, घरों तथा अस्पतालों में पड़े एड्स से पीड़ित लोगों की देखभाल से संबंधित सेवाओं में सुधार किया जा सकेगा और एक स्वस्थ सामाजिक-आर्थिक वातावरण बनाया जा सकेगा ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग एचआईवी संक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। मादक पदार्थों की लत भी एचआईवी फैलने का एक प्रमुख कारण है। सरकार नशामुक्ति और नशे से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रम चलाने के लिए भी वचनबद्ध है।

गत वर्ष डॉ. अम्बेडकर जन्मदिवस पर कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रखा गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की प्राधिकृत पूंजी तिगुनी से भी अधिक कर दी गयी है। उनके त्वरित आर्थिक विकास के लिए और कदम उठाए जाएंगे।

सरकार ने छह राज्यों में ग्रामीण महिलाओं के विकास और अधिकारिता के लिए ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना आरंभ की है। महिलाओं की अधिकारिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन बाल विकास के क्षेत्र में एक नया प्रयास होगा।

सरकार ने अधिकांश वृद्ध लोगों की उभरती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी स्वास्थ्य देखभाल, आवास, कल्याण, जीवन, संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है।

विकलांगों के बीच कार्य कर रहे पुनर्वास व्यवसायिकों के प्रशिक्षण के मानकीकरण और विस्तार करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से तैयार

प्रधानमंत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें 15 हजार बच्चों को शामिल किया गया है। बाद में और अधिक बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क अप्रघात, मानसिक रूप से विक्षिप्त और कई तरह से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना, संसद के वर्तमान सत्र में पेश किए जा रहे विधेयक के पारित होते ही की जाएगी।

हालांकि, सामाजिक क्षेत्र का विकास केवल वित्तीय संसाधनों की बढ़ोत्तरी पर ही निर्भर नहीं करता। प्रशासनिक और प्रबंधकीय संसाधनों का बेहतर और वचनबद्धतापूर्ण इस्तेमाल भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। केन्द्र और राज्य, दोनों ही स्तरों पर सरकारी तंत्र को सुग्राही बनाने की काफी आवश्यकता है। मैं, यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब तक संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं के कार्यान्वयन में लोगों को शामिल करने के लिए भागीदारीपूर्ण रवैया नहीं अपनाएंगे, तब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होगी।

उच्च शिक्षा और अन्य सुविधाओं में किए गए सतत् निवेश का लाभ मिलना आरंभ हो गया है। अनेक भारतीय युवा भारत और विदेश दोनों जगह उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। खेलों में भी तेजी आ रही है। पिछले वर्ष एशियाई खेलों में मिले पदक, 1982 के बाद से सर्वाधिक हैं जिसमें हाकी में प्राप्त किया गया स्वर्ण पदक भी शामिल है। लगभग 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले हमारे समाज में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमें इन प्रतिभाओं का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए गहन प्रयास करने चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के खेल स्तर को सुधारा जा सके।

सरकार ने प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक आयोग गठित किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर विचार किया जा रहा है। सरकार सूचना की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार विधेयक प्रस्तुत करने की भी योजना बना रही है।

संसद के दोनों सदनों में चुनाव प्रक्रिया में सुधार पर कई बार चर्चा की गई है। सरकार ने चुनावों के लिए राज्यों द्वारा धन की व्यवस्था करने तथा अन्य संबंधित मामलों में सुझाव देने के लिए संसद के वरिष्ठ तथा आदरणीय सदस्य श्री इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में, एक समिति गठित की है। इस समिति ने 14 जनवरी, 1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने सुझाव दिया है कि मान्यताप्राप्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को सरकार की ओर से वस्तु रूप में कुछ सहायता प्रदान की जाए। सरकार सभी पार्टियों से परामर्श करके अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी।

भारतीय लोकतंत्र में नव-चेतना लाने की चुनौती का सामना करने के लिए पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। अत: शासन की गुणवत्ता का अंदाजा सरकार और सबसे निचले स्तर के नागरिकों के बीच के संबंधों से ही लगाया जाएगा। इन पंचायतों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने, विशेषकर बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए इसके सदस्यों को शिक्षित करने के लिए, कई योजनाएं बनाई गई हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता और गुंजाइश बहुत है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके अनेक योजनाओं की पुनर्संरचना कर रहा है। इससे लाभों की स्वीकृति और इनके वितरण में प्रक्रिया संबंधी देरी से बचने के लिए पंचायतों और नगर-पालिकाओं को और अधिक अधिकार मिल सकेंगे।

माननीय सदस्यों, निरन्तरता और सहमति भारत की विदेश नीति के प्रमाणक हैं। इस वर्ष पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध काफी सुदृढ़ हुए हैं। बांग्लादेश के प्रधान मंत्री की जून, 1998 में दिल्ली और जनवरी, 1999 में कलकत्ता* यात्राओं ने पूर्व में स्थित हमारे पड़ोसी देश के साथ बेहतर समझ-बूझ कायम करने में योगदान किया है। मई, 1998 में मेरी नेपाल यात्रा और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोहों में विशेष अतिथि के तौर पर नेपाल नरेश की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और भी अधिक सुदृढ़ हुई और नेपाल के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सद्भावना और गर्मजोशी को रेखांकित किया गया है। नेपाल के साथ पारगमन संधि को भी आगे बढ़ा दिया गया है। भूटान नरेश की अक्तूबर, 1998 में भारत यात्रा से भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के पारंपरिक संबंधों को नई गति मिली है। इसी प्रकार मालदीव देश के साथ हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। वहां के राष्ट्रपति की हमारे देश की यात्रा पर उनका अभिनन्दन करते हुए हमें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ।

प्रधान मंत्री ने 20-21 फरवरी, 1999 को दिल्ली-लाहौर बस सेवा के उद्घाटन के अवसर पर पाकिस्तान की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान की सरकार एवं जनता को भारत की उनके प्रति शान्ति और मैत्री की भावना को प्रकट किया और चाहा कि दोनों देशों की जनता के हित में साथ-साथ काम करने का विस्तृत ढांचा विकसित हो। प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किये जो दो देशों के बीच शान्ति और सुरक्षा की एक ऐतिहासिक घटना है।

---

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

भारत और पाकिस्तान अब आपसी विश्वास बढ़ाने हेतु समझौते करने की दिशा में कार्य करेंगे। दोनों देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सहयोग के नये और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत की और मंत्रियों के स्तर पर मानवीय हित से जुड़े मुद्दों को शीघ्रता से हल करने का निर्णय लिया। हम आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री की ऐतिहासिक पहल और उनके इस बात के दोहराने से कि एक स्थिर, सुरक्षित और खुशहाल पाकिस्तान भारत के हित में है, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा।

भारत आपसी हित के सभी क्षेत्रों में चीन के साथ अपने ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ और घनिष्ठ बनाना चाहता है। उस देश के साथ हमारी वार्ता आशापूर्वक जारी है।

क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की हमारी नीति के मद्देनजर, प्रधान मंत्री ने जुलाई, 1998 में कोलम्बो में संपन्न 'दक्षेस' शिखर सम्मेलन में 1 अगस्त, 1998 को दक्षेस देशों के लिए मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाते हुए इस क्षेत्र में व्यापार उदारीकरण को गति प्रदान करने संबंधी कुछ ठोस प्रयासों की घोषणाएं कीं। यह दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की हमारी वचनबद्धता को दर्शाता है। दिसम्बर, 1998 में श्रीलंका के राष्ट्रपति की यात्रा के समय दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए। इससे आर्थिक सहयोग में और निकटता आएगी और अन्य दक्षेस देशों के लिए यह उदाहरण साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने डरबन में गुटनिरपेक्ष देशों के 12वें सम्मेलन में भाग लिया जिसमें उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और महत्व को उजागर किया। सम्मेलन के निष्कर्षों में निरस्त्रीकरण के बारे में भारत के पक्ष को न्यायसंगत ठहराया है, और इस सहस्राब्दि के समाप्त होने से पूर्व, एक निश्चित समय-सीमा में परमाणु शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन के एक चरणबद्ध कार्यक्रम पर सहमति बनाने के लिए संभवत: 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया गया है।

यह सरकार पश्चिमी तथा मध्य-एशिया के देशों को अपना महत्वपूर्ण सहभागी मानती है। इस क्षेत्र को दी जाने वाली प्राथमिकता को देखते हुए, प्रधान मंत्री की पहली विदेश यात्रा ओमान राज्य की थी जिसके साथ हम घनिष्ठ आर्थिक संबंध बना रहे हैं। सितम्बर, 1998 की मेरी तुर्की यात्रा से दोनों राष्ट्रों के बहुत पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने में सहायता मिली है। जनवरी, 1999 में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के हमारे संबंधों को पुनर्जीवित करने तथा मध्य एशिया में क्षेत्रीय विकास पर अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराने का अच्छा अवसर मिला है।

पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तथा संस्थापिक रूप से आसियान के साथ हमारे संबंध संतोषजनक ढंग से विकसित हो रहे हैं। भारत इंजीनियरी व्यापार मेला-99 के उद्‌घाटन के लिए कोरिया गणराज्य के प्रधानमंत्री भारत आये। यह पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ हमारे आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और ठोस कदम है। हमें थाइलैण्ड के युवराज की इस देश की यात्रा के दौरान उनका अभिनन्दन करते हुए प्रसन्नता हुई।

दिसम्बर, 1998 में रूस के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने कई विषयों पर वार्ता करके और अधिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहभागिता और संबंधों को सुधारने के हमारे दृढ़ संकल्प को और अभिपुष्ट किया है। अक्तूबर, 1998 में बल्गारिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से बल्गारिया के साथ हमारे संबंध और मजबूत हो रहे हैं। मार्च, 1998 में कनाडा के गवर्नर जनरल की हमारे देश की यात्रा के दौरान उनका स्वागत करते हुए बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। फरवरी, 1999 में पहली बार इस्टोनिया के राष्ट्रपति द्वारा की गई भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच आशापूर्ण संबंधों की नींव पड़ी है।

सितम्बर, 1998 में मैं, जर्मनी, लग्जमबर्ग और पुर्तगाल गया था और इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मेरा बहुत ही उपयोगी विचार-विमर्श हुआ। सितम्बर, 1998 में प्रधान मंत्री वाजपेयी ने फ्रांस की यात्रा की जिनके साथ हमारे ऐसे संबंध हैं कि हम अपने अनुभव, गहरी सोच और विश्वास का आदान-प्रदान कर रहे हैं। जनवरी, 1999 में स्विट्‌जरलैंड के राष्ट्रपति, बेल्जियम के क्राउन प्रिंस तथा लग्जमबर्ग के प्रधान मंत्री की यात्राओं से इन महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों को भारत के निकट लाने में बहुत मदद मिली है।

प्रधान मंत्री की अगस्त-सितम्बर, 1998 में की गई नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका तथा मॉरीशस की यात्राओं तथा फरवरी, 1999 की मोरक्को यात्रा से भारत और अफ्रीका के संबंधों में और प्रगाढ़ता आयी है। अक्तूबर, 1998 में मॉरीशस के प्रधान मंत्री भारत आये।

अब हम लेटिन अमरीका और कैरिबीयन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। अप्रैल-मई, 1998 की मेरी ब्राजील व पेरु यात्रा तथा फरवरी, 1999 की प्रधान मंत्री की त्रिनिडाड, टोबेगो और जमैका यात्रा से यह ज्ञात होता है कि मेरी सरकार लेटिन अमरीका देशों को कितनी महत्ता दे रही है।

सुदृढ़ 'संयुक्त राष्ट्र' के जरिए पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता। भारत संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ इसमें सुधार के लिए कार्य करता रहा है ताकि वह संस्था सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक कारगर व जवाबदेह बन सके।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हाल ही में गोवा और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। गोवा में लंबे समय से राजनैतिक अस्थिरता चल रही थी जिसके कारण राज्य प्रशासन पंगु हो गया था। विधायकों की लगभग आम सहमति से राज्य विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की गई थी ताकि शीघ्र चुनाव कराए जा सकें। बिहार में हाल में कुछ निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या का सिलसिला जारी था जिनमें से अनेक दलित थे। इन सामूहिक हत्याओं से हम सभी दुखी और खिन्न हुए हैं। किसी भी सरकार का पहला दायित्व नागरिकों, विशेषरूप से गरीब उत्पीड़ित लोगों की जान-माल की रक्षा करना है। दोनों मामलों में, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थीं जिनसे इन राज्यों की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल पायी। गोवा विधान सभा को भंग कर दिया गया है और बिहार विधान सभा को निलंबित रखा गया है।

माननीय सदस्यों, भारत को सभी क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करने की दिशा में किए गए विविध प्रयासों और कोशिशों को सफल बनाने में आपका विशिष्ट योगदान रहा है। मुझे विश्वास है कि आप वर्ष के अन्य सत्रों की तरह, संसद के आगामी सत्र और वर्ष के दौरान अन्य सत्रों में भी ऐसी रचनात्मक परिचर्चा करेंगे जिससे सभी निर्धारित विधायी और बजट संबंधी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किये जा सकेंगे। मैं, आप सभी को इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 25 अक्तूबर 1999

लोक सभा	-	तेरहवीं लोक सभा
सत्र	-	तेरहवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री कृष्ण कांत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.एम.सी. बालयोगी

माननीय सदस्यगण,

13वीं लोक सभा के चुनावों के पश्चात्, संसद के दोनों सदनों के इस प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं, नव-निर्वाचित सदस्यों सहित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं।

हाल ही में हुए संसदीय चुनाव इस शताब्दी के अंतिम चुनाव थे। इन चुनावों ने हमें अगली सदी की पहली लोक सभा दी है। अनेक सहस्राब्दियों के इतिहास वाले महान राष्ट्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, भारत के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अतीत को गर्व और भविष्य को आशा एवं विश्वास के परिप्रेक्ष्य में देखें। हमने ऐसे कई मौके गंवाए हैं, जिनके कारण स्वतंत्र भारत चहुंमुखी प्रगति और समृद्धि से वंचित रह गया है, उन पर भी हमें विचार करना होगा। आइए, आज हम प्रण करें कि हम अपनी सामूहिक शक्ति, दृढ़-निश्चय और राष्ट्रीय उद्देश्य की भावना को अपनाकर ऐसे उज्जवल भविष्य का सपना साकार करें जो हमारा आह्वान कर रहा है।

आने वाला वर्ष भारतीय गणराज्य की स्थापना का 50वां वर्ष है। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा रचित हमारे महान संविधान को अंगीकार करना इस प्राचीन राष्ट्र के इतिहास की एक गौरवमयी घटना थी जिसके फलस्वरूप एक स्वतंत्र और आधुनिक गणराज्य के रूप में इसका पुनर्जन्म हुआ। हमारे संविधान की उद्देशिका के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रारंभिक सूत्र-वाक्य "हम, भारत के लोग...", के साथ एकता, संप्रभुता, लोकतंत्र एवं समता का

चिरस्थायी संदेश देने वाले तेजस्वी शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। ये शब्द, हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने महान स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों और उनके फलस्वरूप निर्मित प्रबुद्ध संविधान के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करें।

वे हमें महात्मा गांधी के उस आदर्श को प्राप्त करने हेतु काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो उन्होंने भारत के स्वतंत्र होने से बहुत पहले संविधान के लिए रखा था। 1931 में गांधी जी ने लिखा था: ***"मैं एक ऐसे संविधान के लिए संघर्ष करूंगा जो भारत को सभी बंधनों और आश्रयों से मुक्ति दिलाए। मैं एक ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जिसमें गरीब से भी गरीब व्यक्ति यह महसूस करे, कि यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली भूमिका रही है; एक ऐसा भारत जिसमें न कोई उच्च वर्ग होगा और न कोई निम्न वर्ग; एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूरी तरह मिल-जुल कर रहेंगे... यही है मेरे सपनों का भारत। इससे कम में मुझे संतुष्टि नहीं होगी।"*** क्या हम इससे कम में संतुष्ट हो सकते हैं?

हाल ही में हुए चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और भारतीय मतदाता की परिपक्वता को फिर से दोहराया है। मतदाताओं ने सरकार को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश देकर केन्द्र में अस्थायित्व के चरण को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी और सुसंगत साझेदारी से देश के कार्यों के प्रबंधन में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी हमारे लोकतंत्र और संघीय राज-व्यवस्था के लिए शुभ लक्षण है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि "गौरवशाली, सम्पन्न भारत का एजेन्डा" जो सरकार का एक साझा नीतिगत दस्तावेज है, में पंथनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघीय सौहार्द, सत्यनिष्ठा और सामाजिक-आर्थिक समानता के सिद्धान्तों के प्रति अपनी आस्था को पुनः दोहराया गया है। ये सिद्धांत हमारी प्राचीन सभ्यता के शाश्वत मूल्यों से गहरे जुड़े हैं और आधुनिक भारत की आधारशिला भी हैं। सरकार अपने साझे एजेन्डा में किए गए वायदों को पूर्णतः पूरा करेगी।

पिछली लोक सभा के भंग होने और तेरहवीं लोक सभा के चुनावों के बीच की अवधि में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ा। नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सीमा में सामरिक भू-क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने करगिल में जो सशस्त्र आक्रमण किया, उसे हमारे बहादुर जवानों, वायु सैनिकों और अधिकारियों ने दृढ़ता के साथ विफल कर दिया। पाकिस्तान को युद्ध के मैदान और राजनयिक दोनों ही मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। आज हम करगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान और वीरता राष्ट्र के लिए हर क्षण सदैव प्रेरणा और शक्ति के स्रोत बने रहेंगे।

करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ रहे हमारे जवानों को पूरे देश का अभूतपूर्व समर्थन मिला। पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया। ऐसे हर व्यक्ति ने, जिसके पास देने को कुछ भी नहीं था, हमारे बहादुर जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए खुले दिल से योगदान किया। हम "आपरेशन विजय" के दौरान शहीद हुए अथवा युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण अशक्त हुए हमारे बहादुर जवानों के परिवारों के पुनर्वास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। ऐसे परिवारों के कल्याण के लिए कई प्रकार की सहायता दी जा रही है।

करगिल युद्ध में भारत की विजय पर हम सबको गर्व है, पर इसमें बहुत संतुष्ट होने की बात नहीं है। करगिल युद्ध के बाद जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य भागों में अचानक फैले आतंकवाद और सुरक्षा बलों पर हुए हमले इसका प्रमाण हैं। सरकार सभी विघटनकारी गतिविधियों को विफल करने और सभी मोर्चों पर चौकसी बरतने के लिए कृतसंकल्प है। करगिल युद्ध ने हमारी सुरक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को भी जरूरी बना दिया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे सुरक्षा बल देश की सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः साधन-सम्पन्न हों।

हम, एक-समान और भेदभाव रहित आधार पर, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लिए पूर्णतः वचनबद्ध हैं। साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की नीतिगत-स्वायत्तता सुरक्षित रहे। यह इस प्रकार किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का वातावरण बनाने के संबंध में हमारे अपने मूल्यांकन को देखते हुए भारत के न्यायोचित सुरक्षा पहलुओं की समुचित रक्षा की जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सरकार को इस संबंध में और साथ ही एक विश्वसनीय परमाणु निवारक की स्थापना के संबंध में भी परामर्श देगी। परमाणु सिद्धांत का प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका है और सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। थोक मूल्य सूचकांक से आंकी गई मुद्रास्फीति लगभग दो प्रतिशत है जो पिछले दो दशकों में सबसे कम रही है। पिछले वर्ष विश्व में प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषजनक रही है और हमारा विदेशी मुद्राकोष लगभग 33 बिलियन अमरीकी डालर है, जो कि एक रिकार्ड है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, गरीबी पर काबू पाना अभी भी हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। हमारे देश के करोड़ों लोगों, विशेषरूप से गांवों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल, उचित आवास, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी मुहैया कराई जानी हैं। हमारी अधिकांश जनता,

विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण महिलाओं के लिए निरक्षरता अभी भी एक अभिशाप बनी हुई है। लाखों युवक और युवतियां बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। हालांकि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जिन देशों ने पहल की है हम भी उनमें हैं, पर हम इस उद्देश्य में विफल रहे हैं। भविष्य के लिए एक नई नीति बनाते समय हमें इन गंभीर कमियों को दूर करना होगा।

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने वाला मुख्य आधार है **"रोजगार और समानता के साथ तीव्र विकास"।** सरकार प्रतिवर्ष एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाने के लिए वचनबद्ध है। ये रोजगार मुख्य रूप से कृषि, पर आधारित व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग, आवास एवं निर्माण, सेवाएं तथा स्व-रोजगार के क्षेत्र में जुटाए जाएंगे। तथापि, जब तक भारत कम से कम सात से आठ प्रतिशत की दर से उन्नति नहीं करता, तब तक हम किसी भी दशा में गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों अनुभव हमें यह बताते हैं कि आर्थिक सुधारों की एक ठोस नीति का अनुसरण करके ही तीव्र और बहु-क्षेत्रीय विकास संभव है। राष्ट्र के विकास की पुन: अभिमुखीकरण की नीति तीन बातों पर निर्भर करेगी जिसमें सरकार सुदृढ़ नीति और विनियामक नेतृत्व प्रदान करती है; निजी क्षेत्र गतिशीलता और प्रतियोगी वातावरण की क्षमता प्रदान करता है और स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा नागरिक समाज लोगों की उत्साहजनक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इस नीति में समाज, राज-व्यवस्था और प्रशासन के प्रत्येक भाग में एक नई विकास-परक सोच की आवश्यकता है जिससे कि अतीत से हटकर एक ठोस राष्ट्रीय सहमति बनाई जा सके।

विकास की दिशा में उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर, सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग से एक प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग बनाया गया है। महिला साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल देने के लिए एक कार्य-योजना शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इसके अलावा, ऐसी सभी बस्तियों में, जहां प्राथमिक स्कूलों के लिए भवन नहीं है, प्राथमिक स्कूल भवनों की व्यवस्था का एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्रियता से बढ़ावा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी, जिसका दोहरा उद्देश्य सभी नागरिकों को पर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और जनसंख्या वृद्धि को कम करना होगा। जनता की अधिक भागीदारी के जरिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य

सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति के इस्तेमाल को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी और गैर-सरकारी संयुक्त प्रयासों के जरिए विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा और त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन सेवाओं में विशेषज्ञता अस्पताल, रोग निदान केन्द्र और संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं।

सरकार ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुधार पर फिर से बल देगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय में हाल ही में बना पेयजल आपूर्ति विभाग अगले पांच वर्षों के अंदर सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित करेगा। सभी गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ने का एक कार्यक्रम शीघ्र शुरू किया जाएगा जिसके तहत बारहमासी सड़कें बनायी जाएंगी। इस कार्यक्रम के लिए प्रचास प्रतिशत डीजल उपकर निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने के लिए "सबके लिए आवास" नामक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इनमें से 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और रोजगार सृजन मुख्यतः तेजी से विकसित हो रहे कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसमें कृषि पर आधारित उद्योगों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का भी योगदान है। कृषि के क्षेत्र में, सरकार द्वारा वर्षा-पोषित कृषि के विकास, मृदा संरक्षण, बंजर भूमि विकास, जल विभाजक प्रबंध, कृषि, ऋण पद्धति, बागवानी एवं पुष्प कृषि के संवर्धन, शीत-भण्डार गृह नेटवर्क के विस्तार, उर्वरक मूल्य-निर्धारण, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जैविक खाद के प्रोत्साहन पर बल दिया जाएगा। फसल बीमा, फसल कटाई के बाद की व्यवस्था, कृषि उपज की कीमत निर्धारण और अधिप्राप्ति नीति, पूर्वानुमान एवं अग्रिम चेतावनी प्रणालियां, आदि जैसे सहकारी-क्षेत्र के सुधारों पर भी इस नई नीति में जोर दिया जाएगा। अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को एक समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की जाएगी।

जल की कमी तीव्रगति से एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। जब तक जल का समुचित रूप से संरक्षण और प्रबंध नहीं हो जाता तब तक वह देश की घरेलू, कृषि एवं उद्योगों की बढ़ती जल संबंधी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय जल नीति प्रस्तुत करेगी जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रशासनिक, वाणिज्यिक और प्रौद्योगिकीय समाधान करने में आसानी होगी जिससे वर्तमान एवं भावी पीढ़ियां इस जीवनदायी स्रोत से वंचित न रहें। अंतर्राज्यिक जल-विवाद समुचित ढंग से सुलझा लिये जाएंगे। सतत् विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण और वानिकीकरण की आवश्यकता पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

आज तीव्र आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारी आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता है। सरकार एक सुदृढ़ नियामक तंत्र के अंदर और अधिक निजी निवेश के सिद्धांत का पालन करते हुए इस स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार राज्य बिजली बोर्डों के समयबद्ध निगमीकरण के लिए राज्य सरकारों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करेगी। बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण संबंधी कार्य अलग-अलग रूप में किए जाएंगे। टैरिफ सुधार, विद्युत संचरण और वितरण प्रणाली के निजीकरण और राज्य बिजली विनियमन आयोगों की स्थापना संबंधी कार्यों को त्वरित गति से किया जाएगा। **"हाइड्रो-कार्बन-विजन 2020"** नामक रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कुछ समय पहले एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। इसकी सिफारिशें कार्यान्वित की जाएंगी। प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। महत्वपूर्ण कोयला उद्योग के विकास में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन विभाग में पुनर्गठित किया गया है। एकीकृत परिवहन नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित कर सके। इस परियोजना के अंतर्गत पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण मार्ग भी हैं। एक समर्पित सड़क निधि बनायी जाएगी। एक रेल सुधार आयोग की शीघ्र स्थापना की जाएगी जिससे कि संसाधन जुटाने की एक नयी नीति बनाने, टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, परियोजना संविधान को प्राथमिकता देने और रेल सुरक्षा की अपूर्ण आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करने सबंधी कार्य किए जा सकें। विद्यमान बंदरगाहों की कार्य क्षमता सुधारने, कुछ वृहद् बंदरगाहों को निगमीकृत करने और नए बंदरगाहों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी करने संबंधी कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। एक नई नागर विमानन नीति तैयार की जाएगी, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए हमारे हवाई-अड्डों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम को भी समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा।

नई दूरसंचार नीति-1999 को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा जिससे कि लोगों को न्यूनतम संभव मूल्य पर विश्वस्तरीय दूरसंचार सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। जिन गांवों में यह सुविधा नहीं है, उनके लिए एक विशेष योजना बनाकर निश्चित समय-सीमा के भीतर ग्रामीण दूरभाष सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। भारतीय दूरसंचार के रूप में, दूरसंचार विभाग का निगमीकरण कार्य तीव्र गति से पूरा किया जाएगा। प्रथम कदम के रूप में, निर्णय लेने वाली इकाई को सेवा उपलब्ध कराने वाली इकाई से अलग करने के लिए नया दूरसंचार सेवा विभाग बनाया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण अधिनियम में उपयुक्त

संशोधन करके निवेशकर्ता का विश्वास बढ़ाने और जनता एवं निजी ऑपरेटरों के मध्य एक आधार बनाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण को मजबूत बनाया जाएगा। भारतीय तार अधिनियम, 1885 के स्थान पर एक नए विधान की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा जिससे कि भारत दूरसंचार, कम्प्यूटर, टेलीविजन और इलेक्ट्रानिकी के बीच प्रौद्योगिकी विकास से सृजित नए अवसरों का लाभ उठा सके।

एक नया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाया गया है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षा अकादमियों, भारतीय निजी क्षेत्र तथा विदेशों में स्थित सफल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायियों के सभी प्रयासों में मदद देने के लिए केन्द्रीय संस्थागत तंत्र होगा। यह मंत्रालय एक व्यापक कार्य योजना कार्यान्वित करेगा जिससे कि भारत अगली सदी के प्रारंभ में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बन सके और सन् 2008 तक सॉफ्टवेयर निर्यात में 50 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यह भारत में इन्टरनेट क्रांति में तीव्रता लाएगा जिसमें भारतीय भाषाओं में उपयोगी सामग्री तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा, हार्डवेयर विनिर्माण और निर्यात, ई–कॉमर्स और इन्टरनेट पर आधारित उद्यमों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें लाखों भारतीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन और व्यापार के अवसर प्रदान करने की क्षमता है। ई–कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही एक विधान बनाया जाएगा। फार्मास्युटिकल और ज्ञान पर आधारित अन्य उद्यमों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिससे भारत इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन सके। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व, अपनी सभी महत्वपूर्ण कम्प्यूटर प्रणालियों में **वाई 2 के** की समस्या का निवारण करने की दिशा में अग्रसर है।

आधारभूत संरचना संबंधी इन सभी उपायों से भारत के औद्योगिक आधार, विशेषकर लघु और कुटीर उद्योगों, ग्रामीण शिल्पकारों व कारीगरों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के एक बड़े तथा अब तक उपेक्षित क्षेत्र के पुनरुद्धार और विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी। समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने जिसमें ऋण गारंटी योजना का कार्यान्वयन शामिल है, मार्किटिंग, प्रौद्योगिकीय उन्नति, कौशल सुधार और मुख्य रूप से नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को खत्म करने जैसी इस क्षेत्र की बहु–आयामी जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ ध्यानपूर्वक चुने गए उद्योगों के नियमों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा जिनमें निर्यात और रोजगार सृजन की काफी संभावना है। सरकार, विशेष रूप से एम.एफ.ए. व्यवस्था के बाद की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय कपड़ा उद्योग की काफी समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने

के लिए व्यापक और चिरस्थायी प्रयास करेगी। भारतीय कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि वे विश्व बाजारों में अपना परम्परागत उच्च स्थान वापस पा सकें।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध पद्धतियां अपनाकर तीव्र आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरकार और अधिक पारदर्शिता लाने, परियोजना कार्यान्वित करने में होने वाले विलम्ब को कम करने तथा प्रतिवर्ष कम से कम 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुनिश्चित करने की एक समर्थ नीति बनाने के लिए वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रणाली की समीक्षा करेगी। ध्यानपूर्वक चुने गए कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकृति के लिए एक स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया होगी।

हम, उन्नत व्यय व्यवस्था के जरिए राजकोषीय आय-व्यय के सहीकरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेंगे, कर ढांचे में व्यापक सुधार करेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की और तेजी से पुनर्सरचना करेंगे तथा उनमें विनिवेश करेंगे। एक व्यय आयोग का शीघ्र ही गठन किया जाएगा जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सभी प्रकार की सब्सिडी की समीक्षा करेगा, सभी चालू व्यय मदों तथा योजनाओं की जांच करेगा और सरकारी आकार कम करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा। कर सुधार संबंधी एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर ढांचों में सुधार के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश करेगी। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करके तथा विवेकपूर्ण मानदण्डों को सख्ती से लागू करके बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के सुधार में तेजी लाई जाएगी। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए दिवालियापन, पुरोबंध, ऋण वसूली और विलय संबंधी आवश्यक विधान बनाया जाएगा।

सरकार आर्थिक सुधारों के नए परिवेश में, श्रमिकों, विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के हितों के संवर्धन के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। दूसरा श्रम आयोग विभिन्न श्रम कानूनों में आवश्यक परिवर्तनों का अध्ययन करेगा जिससे श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्य किए जा सकें, उनके लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाए जा सकें और तीव्र औद्योगिक विकास हो सके तथा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार न्यायिक प्रणाली में उपयुक्त सुधार करके न्याय दिलाने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूर्णतः सम्मान किया जाएगा और न्यायिक खण्डपीठ में योग्यतम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने कुछ समय पहले उन मौजूदा कानूनों, नियमों और विनियमों का अध्ययन किया था जो पुराने पड़ चुके हैं और तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस अध्ययन

की सिफारिशों के आधार पर ऐसे सभी पुराने और अनावश्यक कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की और अधिक रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ सम्पर्क बनाए रखेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार आगामी सीएटल सम्मेलन के लिए एक सुविचारित नीति तैयार कर रही है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विश्व व्यापार संगठन के विचार-विमर्श के किसी भी नए दौर में भारत के राष्ट्रीय हित पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें और विश्व व्यापार में हमें अधिक से अधिक लाभ मिले।

सरकार, सामाजिक-आर्थिक विकास की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, बुनियादी अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक प्रयास करेगी। भारतीय उद्योग, केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आई.सी.एम.आर. और अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, बायो-टेक्नॉलाजी और समुद्री विकास विभाग के बीच आपसी तालमेल बढ़ाया जाएगा। 'जय विज्ञान' के संदेश को देखते हुए, हमारे बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने और समस्या का समाधान ढूंढ़ने में उनके दृष्टिकोण का विकास करने और उभरती हुई युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे।

सरकार भारत के शहरी क्षेत्रों को एक नई दिशा देने और हमारे शहरों का व्यवस्थित, स्वस्थ और गतिशील विकास करने का प्रयास करेगी जो शहरों में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए जरूरी है। नागरिक सेवाओं का स्तर बढ़ाने और नगर निकायों और जनोपयोगी सेवाओं के संचालन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्र निर्माण के कार्य में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार रचनात्मक कार्यकलापों, खेल, कला और संस्कृति में उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी को नए सिरे से प्रोत्साहित करने के लिए देश भर के हजारों युवाओं और छात्र संगठनों के प्रयासों पर अपना ध्यान देगी और इसके लिए मदद देगी। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, स्वैच्छिक रूप से कार्य करने की भावना को पुनर्जागृत करना और हमारे प्रतिभावान युवाओं को विश्व-स्तरीय उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सक्षम बनाना होगा।

आंतरिक सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। सरकार भारत के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है, चाहे वे किसी भी

जाति, धर्म, लिंग अथवा भाषा के हों। पिछले वर्ष हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं गत दशक में सबसे कम रही हैं। सरकार दंगा रहित व आतंकवाद मुक्त भारत के निर्माण के लिए पहले से ही प्रभावी कदम उठाने में लगी हुई है।

पिछले दो वर्षों में जम्मू-कश्मीर की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस राज्य में शिक्षा, पर्यटन और अन्य आर्थिक कार्यकलाप तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में 1,10,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने भाग लिया। ऐसा होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। हम इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला करेंगे और आतंकवादियों का सफाया करने के लिए राज्य सरकार को सभी प्रकार की सहायता देंगे। पाकिस्तान ने, करगिल में अपनी करारी हार के बाद, भारत के विरुद्ध परोक्ष युद्ध तेज कर दिया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का प्रत्यक्ष उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालना था। तथापि, इन राज्यों की जनता ने एक बार फिर आतंकवादियों की गोलियों का मुकाबला करते हुए मत का विकल्प चुना। उन्होंने भारत की एकता व पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में अपनी आस्था का स्पष्ट समर्थन किया है और मजहबी अलगाववाद को नकार दिया है।

प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि सरकार, आतंकवाद को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। साथ ही, सरकार सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के घातक प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करती रहेगी, जिसने सम्पूर्ण विश्व में अनगिनत लोगों की जानें ली हैं। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य की कमी नहीं है कि राज्य समर्थित आतंकवाद ने दक्षिण एशिया और उससे परे भी शांति एवं स्थिरता को किस कदर प्रभावित किया है। भारत विश्व के किसी भी भाग में राज्य-समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार, मनी-लांडरिंग और स्वापक-आतंकवाद के खतरे से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों द्वारा प्रभावी ढंग से निपटना है।

सरकार पूर्वोत्तर परिषद् का शीघ्र पुनर्गठन करेगी जिससे पूर्वोत्तर राज्यों का सामाजिक-आर्थिक विकास और तेजी से हो सके। पूर्वोत्तर परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1998 शीघ्र ही लाया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक विशेष योजना शुरू की गई है। आशा है कि राज्य पुलिस बल शीघ्र ही विद्रोह और कानून व व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाएंगे। भारत-बांग्लादेश सीमा के शेष भाग पर शीघ्र ही बाड़ लगाई जाएगी।

केन्द्र-राज्य के सौहार्दपूर्ण संबंध, एक स्वस्थ संघीय शासन-व्यवस्था तथा संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास हासिल करने के लिए मूल आधार हैं। इस संबंध में

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की लंबित सिफारिशों पर विचार किया जाएगा जिससे कि उनका शीघ्र कार्यान्वयन हो सके। मेरी सरकार का मत है कि राज्यों के पास ज्यादा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार होने चाहिए और पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से सबसे निचले स्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उत्तरांचल*, वनांचल और छत्तीसगढ़ नए राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

सरकार एक आयोग नियुक्त करेगी जो संविधान के पचास वर्षों के अनुभव का अध्ययन करेगा और अगली शताब्दी की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त सिफारिश करेगा। इस आयोग में प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और जन-प्रतिनिधि होंगे। सरकार, केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की वर्तमान पद्धति के स्थान पर 'अविश्वास का विकल्प मत' की पद्धति अंगीकार करने और लोक सभा तथा विधान सभाओं का पूरा कार्यकाल सुनिश्चित करने की जांच भी करेगी।

महिलाओं को अधिकार देने और बालिकाओं के पालन-पोषण की सुव्यवस्था के बिना, कोई भी राष्ट्र खुशहाल नहीं हो सकता। तीव्र विकास की कुछ चमत्कारी कहानियां महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारिता से जुड़ी हुई हैं। सरकार का विचार है कि संसद और राज्य विधान सभाओं में, विधान द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएं। इसके अतिरिक्त, हम व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित कॉलेज स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएंगे और लघु एवं अति लघु क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए एक विकास बैंक स्थापित करेंगे। नारी-शक्ति एक आधुनिक और गतिशील भारतीय समाज का निर्माण करेगी।

हम समुचित कानूनी, कार्यकारी और सामाजिक प्रयासों के जरिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम बड़े पैमाने पर शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक अधिकारिता पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे। हम अपने समाज से छुआछूत के अंतिम अवशेष को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और दस वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा और कुछ राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे 50 प्रतिशत से ऊपर के आरक्षण को विधायी उपायों द्वारा मान्यता दिलाई जाएगी। सरकार ने जनजातीय लोगों के सर्वांगीण कल्याण के उद्देश्य वाली नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पहले ही एक नया जनजातीय कार्य मंत्रालय बना दिया है।

*अब उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता है।

यदि चुनावों को सही मायने में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाना है जो बाहुबल और धनबल के चंगुल से मुक्त हों, तो उसके लिए व्यापक चुनाव सुधार आवश्यक हैं। हमारे चुनाव कानूनों में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता पर मोटे तौर पर आम सहमति पहले से ही बनी हुई है। सरकार हमारे लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए शीघ्र ही एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाएगी। सरकार परोक्ष मतदान की पद्धति लागू करके रक्षा व सुरक्षा बलों के मताधिकार भी सुनिश्चित करेगी।

भ्रष्टाचार का नासूर हमारे राष्ट्र की प्रत्येक संस्था को खाए जा रहा है। सरकार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, लोकपाल विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है। इसके दायरे में अन्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री पद को भी लाया जाएगा। सरकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक भी अधिनियमित करेगी।

निरंतरता और सर्व-सम्मति सदैव भारत की विदेश नीति के आधार रहे हैं। एक के बाद एक सरकारों ने विश्व परिदृश्य में भारत के लिए एक ऐसा स्थान, भूमिका और स्थिति सुरक्षित करने में अपनी वचनबद्धता दर्शायी है, जो इसके आकार और महत्व के अनुरूप हो।

हाल ही में पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता को हाथ में लेना गंभीर चिंता का विषय है। केवल लोकतंत्र ही देशों तथा लोगों के मध्य शांति, समझबूझ तथा सहयोग स्थापित कर सकता है। हम पाकिस्तान की स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखे हुए हैं। हमने प्राय: सभी विषयों पर एक साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की थी और लाहौर घोषणा के जरिए इसे लागू करना चाहते थे। पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में सीमापार से होने वाले आतंकवाद को रोकना होगा तथा भारत के विरुद्ध किए जा रहे वैमनस्य का प्रचार भी खत्म करना होगा।

अफगानिस्तान की स्थिति का सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करने तथा एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जब अफगानिस्तान आतंकवाद, मादक द्रव्यों तथा घातक अस्थिरता के कारण टूट कर बिखर रहा था, दुर्भाग्य से तब विश्व निष्क्रिय रूप से यह देखता रहा। परिणामस्वरूप, भारत के सुरक्षात्मक हितों पर इसका प्रभाव पड़ा है। हम अफगानिस्तान में स्थायित्व की शीघ्र बहाली के लिए, समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में बाहरी हस्तक्षेप समाप्त हो।

हाल के वर्षों में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा मालद्वीव के साथ भारत की पारम्परिक घनिष्ठ मैत्री और सहयोग काफी सुदृढ़ हुए हैं तथा 'सार्क' देशों के साथ आपसी विचार-विमर्श में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हम इन पड़ोसी देशों के

साथ और 'सार्क' क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे ताकि इस क्षेत्र में सहयोग की प्रवृत्ति को बनाए रखा जा सके। भारत दक्षिणी अफ्रीका, मारीशस, गुयाना तथा त्रिनिडाड एवं टोबैगो, फिजी और ऐसे ही अन्य देशों जहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, के साथ सांस्कृतिक तथा आर्थिक रिश्तों को और घनिष्ठ बनाएगा।

भारत अपनी और अमेरिका की साझी मान्यताओं एवं आदर्शों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और घनिष्ठ एवं व्यापक बनाना चाहता है। हम रूस के साथ अपने परम्परागत घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए भी वचनबद्ध हैं। हम सद्भावना और आपसी हितों की दृष्टि से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के साथ-साथ यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों और जापान के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करेंगे। हम चीन से अपनी बातचीत जारी रखेंगे ताकि उसके साथ हमारे संबंधों में और सुधार हो एवं उनमें व्यापकता लाई जाए। भारत मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा प्रशांत, अफ्रीका, लैटिन अमरीका और कैरेबियन देशों के साथ अपने सौहार्दपूर्ण और निरन्तर बढ़ते संबंधों को काफी महत्व देता है। डरबन में होने वाला राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन (चोगम) क्षेत्रीय तथा विश्व महत्व के विविध विषयों पर भारत के विचार प्रस्तुत करने के लिए एक उपयोगी मंच होगा।

मेरी सरकार विश्व के अन्य देशों के साथ अपने राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने नीतिगत साझेदारी तथा मुख्य संभाविषयों के साथ घनिष्ठ समझ-बूझ बनाए रखेगी और उसे विकसित करेगी। हम और अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ और उसके घटकों के और अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए अपने प्रयासों को भी जारी रखेंगे। विश्व परिषदों में विकासशील देशों की और अधिक भूमिका होने से बहु-अपेक्षित स्थिरता आएगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में न्याय मिल सकेगा।

माननीय सदस्यगण, 13वीं लोक सभा में आपके समक्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण परन्तु साथ ही प्रतिफल-दायक कार्य हैं। लोगों ने आपको चुनकर भेजा है उन्हें आपसे काफी अपेक्षाएं हैं। वे लोग आशा करते हैं कि संसद की कार्यवाही उच्च स्तर की होगी और आप सभी सदस्य अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर आपसी सहमति व सहयोग की भावना से कार्य करेंगे। इस संदर्भ में, मैं माननीय अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुने जाने पर 13वीं लोक सभा को बधाई देता हूं। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। मुझे विश्वास है कि संसद के आगामी सत्र में तथा इसके बाद के सत्रों में दोनों सदनों में रचनात्मक परिचर्चा होगी जिससे सभी विधायी तथा अन्य निर्धारित कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किए जा सकेंगे। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 23 फरवरी 2000

लोक सभा	-	तेरहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री कृष्ण कांत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.एम.सी. बालयोगी

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2000 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं सदस्यों को बधाई देता हूं और इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट तथा विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

पिछले महीने ही भारत ने गणराज्य के रूप में पचास वर्ष पूरे किए। इस प्राचीन सभ्यता के इतिहास में यह एक गौरवमय क्षण था। यह सभ्यता आधुनिक युग में एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरी है। हमारे गणराज्य की स्वर्ण जयंती उत्सव व चिंतन दोनों का ही अवसर इसलिए है क्योंकि पिछले 50 वर्ष में हम सबको सफलताओं की खुशियों के साथ-साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उपलब्धियों के साथ-साथ कमियों का भी अनुभव हुआ है।

अगर विश्वभर में लोकतंत्र का प्रसार बीसवीं शताब्दी का प्रमाण चिह्न रहा है तो भारत ने न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में बल्कि सभी विषमताओं को झेलते हुए उत्साहपूर्वक इसे संभालकर रखने के लिए भी समुचित सम्मान प्राप्त किया है। सम्पूर्ण विश्व की निगाहें भारत की तरफ आशा और प्रत्याशा के साथ उठी हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक महान लोकतांत्रिक संविधान देकर अपने कर्तव्य का पालन किया था। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने लोकतंत्र को प्रत्येक भारतीय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक

कारगर साधन के रूप में परिवर्तित करें। जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपिता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें प्रेरित किया, उसी प्रकार हमें यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ सबसे पहले गरीब और कमजोर को मिलें।

भारत ने जिस संविधान को पचास वर्ष पूर्व अंगीकार किया था, उससे लगभग हमारे सभी प्रयोजन पूरे हुए हैं। यह संसदीय लोकतंत्र, पंथ-निरपेक्षता और मूलभूत अधिकारों का एक विश्वसनीय संरक्षक रहा है, जिनकी अभिलाषा हम सभी अपने हृदय में संजोए हुए हैं। इसने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को अधिकार देकर तथा हमारी शासन पद्धति को अधिक भागीदारीपूर्वक और प्रगतिशील बनाकर हमारे समाज में लोकतांत्रिक जागरूकता के प्रसार को भी प्रेरित किया है। फिर भी, संविधान के मूल ढांचे और उसकी प्रमुख विशेषताओं को अक्षुण्ण रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पिछले पचास वर्षों के अनुभव की जांच की जाए जिससे कि संविधान में प्रतिष्ठापित इन आदर्शों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके। इसलिए, सरकार ने व्यापक आधार वाले संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया है। इस आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जाएंगी जो भारतीय लोकतंत्र में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

निःसंदेह, भारत ने पिछले पांच दशकों में अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। मानव इतिहास में ऐसा कोई अन्य दृष्टांत नहीं रहा है जहां भिन्न-भिन्न परम्पराओं वाली सौ करोड़ की जनता, मिल-जुल कर रह रही हो व बेहतर जीवन के लिए संघर्षरत हो और उन्हें उनके अधिकारों एवं आजादी की छूट हो। बहरहाल, हम केवल इसी से संतुष्ट नहीं रहे। हाल ही में आजाद हुए और अनेक विकासशील देशों के अनुभव से पता चलता है कि सभी के लिए चहुंमुखी प्रगति करने के लिए पचास वर्ष एक लम्बा समय है। आज हमारे गणराज्य की आधी शताब्दी बीतने के बाद समय की मांग यही है कि हम अपनी जनता की गरीबी का उन्मूलन करने, निरक्षरता हटाने और अपने सभी साथी नागरिकों के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए और अधिक समय न गंवाएं। इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करते समय हमें चाहिए कि हम इसके साथ ही सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करें, महिला-पुरुष के बीच समान न्याय को प्रोत्साहित करें, क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करें और गांव एवं शहर में अंतर कम करें।

यदि हमारा एक बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या के अधिकांश वर्ग वंचित एवं गरीब रहते हैं, तो भारत वह सुदृढ़ता और खुशहाली प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी हम सभी इच्छा करते हैं और जिसके लिए हमारा देश सक्षम है। विकास में सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए तीव्र आर्थिक वृद्धि एक पूर्वापेक्षा है। आर्थिक वृद्धि को तेज करने के स्पष्ट इरादे के साथ, पिछले दशक के आरम्भ में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। पिछले दशकों में हमारी

विकास प्रक्रिया में जो कमियां आई हैं उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। यह गर्व और संतोष का विषय है कि हमारे देश ने इन सुधारों को सामाजिक अशांति के बिना और प्राय: पूर्ण राजनीतिक सहमति से कार्यान्वित किया है। इन सुधारों से अब विभिन्न क्षेत्रों में वांछित परिणाम मिल रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की सतत वृद्धि दर बढ़ी है। हमारे उद्योग और वित्तीय प्रणाली अधिक मजबूत हुए हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।

सरकार आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने और उनके क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए वचनबद्ध है। साथ ही, हम आर्थिक सुधारों के लाभों को उन क्षेत्रों और समुदायों के पास पहुंचाने के लिए सुविचारित व संगठित प्रयास करेंगे जिनको अभी तक उनका लाभ नहीं मिला है। हो सकता है कि, विगत दस वर्षों में भारत के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में बदलाव हुआ हो परन्तु समानता और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों में नहीं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे कि आर्थिक सुधारों में गरीब और वंचित लोगों की भागीदारी, उनकी वर्तमान भागीदारी की अपेक्षा और अधिक हो। हम अनुभव करते हैं कि विकास प्रक्रिया में लोगों की उत्साहवर्धक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।

'गौरवमय, खुशहाल भारत का एजेन्डा' में समानता व रोजगार सहित तीव्र विकास के लिए ढांचे की व्यवस्था की गयी है। यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार का एक साझा नीतिगत दस्तावेज है। नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने के कार्य में तेजी लाने तथा लंबित विधान को पारित करने का सरकार का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि वह इस एजेन्डा में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार आर्थिक सुधारों की संगत योजना पर सशक्त कार्रवाई जारी रखेगी। इन सुधारों में कृषि, उद्योग, लोक उद्यम, राजकोषीय समेकन और अन्तरण, कर-सुधार, वित्तीय सेक्टर में सुधार और विदेशी निवेश संबंधी नीतियां शामिल होंगी। मुख्य रूप से इनमें विद्युत, सड़कें, रेल, बन्दरगाह, नागर विमानन, दूरसंचार और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों के कार्य के निष्पादन में सुधार संबंधी नीतियां भी शामिल होंगी।

हमारा देश मुख्य रूप से गांवों का देश है और हमारी अधिकांश जनता जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए, कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, विशेषकर वर्षापोषित और सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में जहां अत्यधिक गरीबी है। इसके लिए कृषि में पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करने तथा अपेक्षाकृत कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता होगी। चूंकि हमारी कुल जनशक्ति का दो तिहाई भाग अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और अधिक खुशहाली लाने के लिए कृषि-व्यापार सहित, कृषि में अधिक निवेश की व्यवस्था की जाएगी। सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय कृषि नीति को अंतिम रूप देगी जिसमें इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

इस समय, भूमि संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंध से संबंधित कार्यक्रम केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में चलाए जा रहे हैं। यह अत्यावश्यक है कि एक एकीकृत कार्यप्रणाली तैयार की जाए, जो हमारे दुर्लभ भूमि-संसाधनों के प्रबंध की चुनौतियों का कारगर ढंग से सामना करने में सक्षम हों— विशेषकर वे जो सार्वभौमिकरण, उदारीकरण और निजीकरण से उत्पन्न होती हैं। इसलिए, सरकार उन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित संस्थागत आधारभूत संरचना को ग्रामीण विकास मंत्रालय में नव-निर्मित भूमि संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन लाएगी।

विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी आधारभूत संरचना परिसम्पत्तियां और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादनकारी मजदूरी रोजगार पैदा करने के विशिष्ट कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और पुनर्गठित सुनिश्चित रोज़गार योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा और उसे ध्यानपूर्वक मॉनीटर किया जाएगा।

शहरीकरण की प्रक्रिया से शहरों एवं कस्बों में रहने वाले भारतीय लोगों के अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है। हमारे शहरों में जनसंख्या जिस अनुपात से बढ़ी है, दुर्भाग्य से, शहरी आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं में हुई वृद्धि उसके अनुरूप नहीं हो पाई। सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि एक नए और पुनरुत्थान के पथ पर अग्रसर भारत के लिए शहरी नवीकरण निर्णायक महत्व रखता है। इसके लिए शहरी रोजगार, आवास निर्माण, परिवहन और अन्य जनोपयोगी सेवाओं संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और नगर प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। सरकार भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास में संवर्धित सार्वजनिक व निजी निवेश को सुकर बनाएगी जिसमें शहरी गरीब वर्ग के रहन-सहन की स्थितियों को सुधारने पर बल दिया जाएगा। वह अच्छे नगरीय शासन को बढ़ावा देने के लिए भी ज्यादा प्रयास करेगा।

हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चों और युवाओं पर है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सभी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकार शीघ्र ही बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी जिससे कि उनके चहुंमुखी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और उनकी वर्तमान एवं भावी अर्थात् दोनों प्रकार की रचनात्मक शक्तियों को उजागर किया जा सके। खेल एवं युवा कार्य संबंधी सभी मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और हमारे संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें पुनः क्रियाशील किया जाएगा जिससे कि हमारे युवा वर्ग के शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान को आरंभ करने के लिए एक निर्णय लिया गया है जिसका प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि सन् 2003 तक 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग का हर बच्चा स्कूल या किसी शिक्षा गारंटी केन्द्र अथवा 'बैक-टू-स्कूल कैम्प' में जाए। हम उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए और ज्यादा प्रयास करेंगे। सरकार एक नीति लाना चाहती है जिसका उद्देश्य, सभी को शिक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय प्रयास में गैर-सरकारी प्रयासों को पूरी तरह समाविष्ट करना होगा।

भारत की आधी जनसंख्या महिलाओं की है परन्तु हमारे समाज में उनकी स्थिति कमजोर है। उन्हें सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने में प्रायः शामिल नहीं किया जाता है। कोई भी देश उस समय तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा न हो, वे साक्षर न हों और सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में पुरुषों के साथ बराबर की हिस्सेदार न हों। हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि पुरुषों व महिलाओं में समानता हो और उनके बीच कोई भेदभाव न हो और हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध हैं। संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999 पिछले सत्र के दौरान लोक सभा में पेश किया गया था जिसमें लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। महिला और बाल विकास विभाग शीघ्र ही महिला अधिकारिता संबंधी एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप देगा जिसका उद्देश्य सरकार की विधियों, नीतियों, कार्यक्रमों और बजटीय आबंटनों के मामलों में उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। इंदिरा महिला योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा तथा उसका विस्तार और 450 प्रखण्डों में किया जाएगा।

विश्व में वृद्ध व्यक्तियों की सर्वाधिक आबादी वाले देशों में भारत भी है। हाल के समय में संयुक्त परिवार प्रथा खत्म होती जा रही है जिससे वृद्ध लोगों की भावनात्मक उपेक्षा हुई है व उनकी देखभाल में कमी आई है। सरकार ने वृद्ध लोगों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई है तथा हमारे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उन समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय वृद्ध जन परिषद् की स्थापना की गई है। एक विशेषज्ञ समिति ने वृद्ध लोगों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित पेंशन योजना के बारे में एक रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है। सरकार इसकी जांच कर रही है जिसके बारे में निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

जब मैंने, पिछली बार, 25 अक्तूबर, 1999 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था, उस समय मुझे सरकार के मध्यावधिक आर्थिक एजेन्डा को आपके समक्ष रखने का अवसर मिला था। तब से, अर्थव्यवस्था में स्पष्ट सुधार का

संकेत आर्थिक आंकड़ों में मिलता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत होने की आशा है। वर्तमान वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान मुद्रा स्फीति भी काफी नियंत्रण में रही है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी संतोषजनक है जो इस समय 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्र में हुए पुनरुत्थान के कारण स्टॉक सूचकांक में सामान्यत: बढ़त का रुझान रहा है। स्पष्ट आर्थिक क्षमताओं के आधार पर आगे निर्माण करने के लिए हमें इस सुधार प्रक्रिया को और व्यापक व त्वरित करने के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने मध्यावधिक आर्थिक एजेंडा को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। इसकी रूपरेखा मैंने संसद के अपने पिछले संबोधन में प्रस्तुत की थी। मैं उनमें से कुछ मुद्दों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना चाहूंगा:—

क. भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 प्रख्यापित किया गया। इससे दूरसंचार सेवाओं के त्वरित विकास के रास्ते में आने वाली अनेक बाधाएं दूर हो सकेंगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और सार्वजनिक एवं निजी ऑपरेटरों के मध्य एक समान आधार बनाया जा सकेगा। इस विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा।

ख. भारतीय तार अधिनियम, 1885 के स्थान पर एक ऐसे नए विधान की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और टी.वी. के अभिसरण की घटनाक्रम का उल्लेख हो।

ग. सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के नाम से सड़क निर्माण का एक वृहद कार्यक्रम 54,000 करोड़ रु. की लागत पर पहले ही शुरू कर दिया है जिसमें स्वर्णिम चौमार्गीय और पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण मार्ग भी शामिल हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अति आवश्यक राजमार्ग नेटवर्क का कार्यान्वयन शीघ्र हो।

घ. सरकार पुनर्संरचना और सुधार की इस प्रक्रिया को विद्युत क्षेत्र में कार्यान्वित कर रही है। जल-विद्युत के विकास पर विशेषत: देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में बल दिया गया है। प्रभावी अंतर-प्रादेशिक विद्युत प्रवाहों को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय पावर ग्रिड को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

ङ. पेट्रोलियम क्षेत्र में, अन्वेषण की नई लाइसेंस नीति के अंतर्गत 25 प्रखंड दिए गए हैं जो एक रिकॉर्ड है। इसके द्वारा घरेलू अन्वेषण प्रयासों को

त्वरित किया जा रहा है। इंडिया हाइड्रोकार्बन विज़न-2025 संबंधी ग्रुप ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है और सरकार उन्हें कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगी।

च. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें भारतीय कम्पनियों को निजी क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति होगी।

छ. हवाई अड्डों को दीर्घावधिक लीज पर देकर हवाई अड्डा क्षेत्र में निजी भागीदारी को समर्थ करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के मौजूदा हवाई अड्डों को दीर्घावधिक लीज आधार पर दिया जाएगा जबकि बंगलूर* स्थित एक नए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निजी क्षेत्र की भागीदारी से ग्रीनफील्ड वेंचर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे हमारे हवाई अड्डों की आधारभूत संरचना और उनकी कार्य प्रणाली में विश्वस्तरीय सुधार लाने में काफी सहायता मिलेगी।

ज. सरकार ने निजी क्षेत्र की और ज्यादा भागीदारी से अपने बंदरगाहों के कामकाज में व्यापक सुधार लाने तथा अन्य प्रभावी एवं आधुनिक बंदरगाह सुविधाएं विकसित करने के लिए नए कदम उठाने का भी निर्णय लिया है।

झ. ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 लोक सभा के पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया।

ञ. नए सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु उदीयमान उद्यमियों के लिए 100 करोड़ रु. का एक राष्ट्रीय उद्यम पूंजी कोष बनाया गया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों द्वारा देश से बाहर विदेशी कम्पनियों के अधिग्रहण की अनुमति देने सबंधी दिशा-निर्देशों को उदार बनाया गया है। देश में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं के विकास को तीव्र करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वारों की स्थापना और ग्रेटर बैंडविड्थ के लिए विदेशी उपग्रहों के इस्तेमाल संबंधी एक उदार नीति बनाई गई है। विशेषकर गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट एवं दूरसंचार सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए और भी उपाय किए जाएंगे।

ट. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और भी उपाय कर रहा है। इन उपायों में: 'भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर ब्रांड इक्विटी निधि' स्थापित करने का प्रस्ताव, लघु एवं मध्यम उद्यमों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए

*अब बेंगलूरू के नाम से जाना जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना, ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भारतीय पहल-कदमियों को बढ़ावा देना एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं व दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों की स्थापना करना शामिल है।

ठ. संसद ने अपने पिछले सत्र में बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित कर दिया था। इससे बीमा क्षेत्र में निजी भारतीय कम्पनियां भी भागीदार बन सकेंगी और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, तीव्र आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक निवेश भी जुटाया जा सकेगा।

ड. सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी पद्धति की समीक्षा करके उसे नया रूप दिया है। इससे ध्यानपूर्वक चयन किए गए कुछेक विषयों को छोड़कर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वत: ही स्वीकृति प्रणाली सुनिश्चित हो सकेगी। इससे अधिक पारदर्शिता आएगी, विलम्ब की संभावनाएं कम हो जाएंगी तथा प्रतिवर्ष, कम से कम 10 बिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त व्यवस्था तैयार हो जाएगी।

ढ. एक अध्यादेश द्वारा ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। यह वित्तीय क्षेत्र में किए जा रहे ठोस सुधारों में से एक है। इस अध्यादेश के स्थान पर, अधिनियम बनाने संबंधी विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

ण. विभिन्न श्रम कानूनों में परिवर्तन सुझाने के लिए दूसरे श्रम आयोग का गठन किया गया है ताकि श्रम कल्याण, अतिरिक्त रोजगार सृजन, उच्चतर निवेश तथा त्वरित औद्योगिक विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

त. पूरे देश में 1 जनवरी, 2000 से बिक्री कर की समान दर लागू करके कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। ऐसा केन्द्र तथा राज्यों के घनिष्ठ सहयोग से ही संभव हुआ है। करों को और तर्कसंगत बनाने के संबंध में क्रमिक उपाय के रूप में राज्यों ने 1 अप्रैल, 2001 से मूल्यवर्धित कर (वी.ए.टी.) प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है।

थ. संविधि-संग्रह से अनेक पुराने अथवा अनावश्यक कानून और विनियमन हटा दिये गये हैं। यह कार्य विधिक क्षेत्र में तेजी से अति अपेक्षित सुधार करने की दिशा में सरकार के सतत प्रयासों का एक हिस्सा है।

तथापि, बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा गहन चिंता का विषय बना हुआ है। यह, नि:संदेह सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण बृहत आर्थिक प्रबंधन संबंधी समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। घाटे से सरकारी निवेश कम हो जाता है, निजी निवेश में मुश्किलें आने लगती हैं, ब्याज-दरें बढ़ जाती हैं और मुद्रास्फीति का दबाव बनने लगता है। ब्याज अदायगियों का भार सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से ज्यादा बना हुआ है,

जो केन्द्र सरकार के राजस्व कर में से राज्यों के हिस्से को निकालकर शेष का लगभग दो–तिहाई बैठता है। चूंकि सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज भार बढ़ जाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का विस्तार करने की सरकार की क्षमता सीमित होती जाती है। नॉन–मेरिट वस्तुओं पर सब्सिडी को, जो इस समय बहुत अधिक है, कम करके चरणबद्ध रूप से समाप्त करना होगा। यह, इस समय, सकल घरेलू उत्पाद की 11 प्रतिशत है, जो चौंका देने वाली बात है।

अगर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हुए व मुद्रास्फीति पर अंकुश रखते हुए भारत को त्वरित विकास करते रहना है, तो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना आवश्यक है। हमें गैर–योजना खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए, सरकारी खर्च के स्वरूप, सरकार के आकार को कम करने, माल और सेवाओं की आर्थिक लागत की वसूली और सरकारी खर्च में किफायत बरतने संबंधी कठोर निर्णय लेने होंगे। विनिवेश और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन संबंधी कार्यक्रम में भी तेजी लाने की आवश्यकता है और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सुधार लाने के लिए हमारी कर प्रणाली को नया स्वरूप देना होगा। यदि हम वित्तीय सुदृढ़ता प्राप्त कर लें तो भारत अपनी टिकाऊ मैक्रो फ्रेमवर्क की बुनियाद पर, आने वाले वर्षों में सही मायने में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करने की आशा कर सकता है। यदि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग करने पड़ें तो वे अवश्य करने लायक हैं क्योंकि पुनर्संरचना की दीर्घावधिक उपलब्धियों से सभी भारतवासियों को लाभ होगा और वे इस पर आने वाली अस्थायी लागत से कहीं अधिक होंगे।

राज्यों की वित्तीय स्थिति भी काफी चिंताजनक है। राज्य सरकारों के वित्तीय आंकड़ों से पता चला है कि नब्बे के बाद उनकी वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब हुई। वर्ष 1998–99 के आंकड़ों से पता चला कि राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा बहुत अधिक रहा, जो 75,000 रु. करोड़ से ज्यादा बैठता है और यह सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत तक पहुंचा है। यह वास्तव में असहनीय स्थिति है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में गिरावट की इस प्रवृत्ति को तत्काल बदलने की आवश्यकता है इसलिए केन्द्रीय सरकार ने नीति में सुधार करने के लिए राज्यों के परामर्श से आवश्यक उपाय करने आरम्भ किये हैं। इन उपायों का उद्देश्य राजकोषीय स्थिति का सहीकरण व समेकन तथा उनकी इस स्थिति को दीर्घकालीन रूप से टिकाऊ बनाना है।

सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए वचनबद्ध है। पूर्वोत्तर परिषद् का विस्तार किया जा रहा है ताकि उसमें सिक्किम को शामिल किया जा सके और इन राज्यों के त्वरित विकास के लिए हम इसे एक प्रभावी एजेंसी बनाने का प्रयास करेंगे। पिछले माह शिलांग में हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों और

सिक्किम के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ विकास और सुरक्षा मामलों की समीक्षा की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। उन पूर्वोत्तर राज्यों को, जो उग्रवाद और समाज विरोधी गतिविधियों से प्रभावित हैं, सभी सहायता मुहैया कराई जा रही है।

सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 10,200 करोड़ रु. से अधिक एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक नए कार्यक्रम शामिल हैं। इससे इस क्षेत्र में आधारभूत व्यवस्था, विशेष रूप से विद्युत, सड़कों, रेलों, हवाई अड्डों और दूरसंचार के विकास की गति में अधिक वृद्धि आएगी। इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना है। इस क्षेत्र के विकास के लिए पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को भी महत्व देना होगा।

अक्तूबर के अंत में, उड़ीसा में आए भयंकर समुद्री तूफान से हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और राज्य की जनसंख्या के एक बड़े भाग का सामाजिक और आर्थिक जन-जीवन तहस-नहस हो गया। प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए, पूरे देश ने उदारतापूर्वक योगदान दिया। हम सशस्त्र और अर्ध-सैनिक बलों, मौसम-विज्ञान विभाग, रेल, बन्दरगाह प्राधिकारों और अन्य सरकारी विभागों तथा भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ-साथ गैर-सरकारी और धर्मार्थ संगठनों द्वारा भेजे गए राहत दलों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रबंध योजना तैयार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और उन्हें कम करने के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। यह संगठनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाएगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्राकृतिक आपदा प्रबन्ध हेतु एक व्यापक मॉडल योजना तैयार करेगी।

विश्व परिप्रेक्ष्य में, हम नियमानुसार, गैर-विभेदकारी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना के लिए कार्य करते रहेंगे जो सभी देशों के लिए उपयुक्त और समान हो। 'गैट' और 'विश्व व्यापार संगठन' का संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत ने पिछली सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं और विश्व व्यापार संगठन की तीनों मंत्रिस्तरीय बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत ने व्यापार संबंधों में अधिक समानता और एकरूपता लाने एवं असंगत विषयों को व्यापार से न जोड़ने के अपने मिशन को हमेशा सतत् रूप से आगे बढ़ाया है। यदि गरीबों के हितों की अनदेखी की जाती है तो आर्थिक एकीकरण नहीं किया जा सकता। विकासशील देश होने के नाते भारत इस वास्तविकता से अन्य सदस्य देशों को अवगत करा रहा है। हम उरुग्वे दौर की चर्चाओं में लिए गए निर्णयों के उचित कार्यान्वयन के लिए निरन्तर प्रयास करते रहेंगे।

पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता हथियाने के बाद के महीनों में, पाकिस्तान समर्थित सीमापार आतंकवाद बढ़ा है, जिसका निशाना मुख्य रूप से हमारे सुरक्षा बल हैं। सीमापार से पाकिस्तानी गोलाबारी में भी वृद्धि हुई है। इन गतिविधियों से हमारे सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चौकसी बरते जाने की आवश्यकता और स्पष्ट हो गई है। हालांकि आतंकवादी हमलों का खतरा ऐसा है जिसका असर भारत के सभी नागरिकों पर पड़ता है। हमें, अपने देश के विरुद्ध निरन्तर चल रहे आतंकवादी अभियान को देखते हुए, एकजुट होकर सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग रहना चाहिए। अपनी ओर से, सरकार, देश की बाह्य और आतंरिक सुरक्षा के सभी खतरों के प्रति पूरी तरह सतर्क है। हम अपनी राष्ट्रीय अखण्डता और अपनी खुली, लोकतांत्रिक जीवन-शैली के प्रति किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।

मैं अपनी सेना के बहादुर जवानों और अफसरों का अभिनन्दन करता हूं, जो अपने परिवारों और प्रियजनों से कहीं दूर करगिल और अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर सजग प्रहरी की भांति खड़े हैं। यह हमारी सेनाओं के अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का प्रतीक है कि उन्होंने शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम, जमा देने वाले तापमान को सहन करते हुए बर्फ से ढकी चोटियों पर जोखिम उठाकर पहरा दिया है। ये हमारे जवानों का साहस और कौशल ही है जिसकी वजह से हमारी सीमाएं शत्रु सेनाओं से सुरक्षित हैं।

सरकार द्वारा गठित सुब्रह्मणयम समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति का गठन उन घटनाओं व परिस्थितियों की जांच करने के लिए किया गया था जो करगिल और नियंत्रण रेखा के अन्य हिस्सों में पाकिस्तान की सशस्त्र घुसपैठ की पृष्ठभूमि में थीं। इस रिपोर्ट को इस सत्र के दौरान संसद में रखा जाएगा। सरकार समिति की सिफारिशों की गहराई से जांच करने के बाद सभी आवश्यक अनुवर्ती उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

हमारे सैनिकों का साथ देने में हमारे रक्षा-वैज्ञानिकों और रक्षा उत्पादन की इकाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मैंने पिछली बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था, उसके बाद से हमारे रक्षा वैज्ञानिकों ने अपनी उपलब्धियों में दो और प्रमुख सफलताएं हासिल की हैं। कम दूरी पर मार करने वाली, शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने वाली और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल, का सफल परीक्षण किया गया है। रिमोट द्वारा नियंत्रित निशांत का भी सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। हमारी रक्षा उत्पादन इकाइयों ने सिद्ध कर दिया है कि उनमें अत्यन्त जटिल एवं प्रभावी सुरक्षा उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के पहले नौ महीनों में आयुद्धशालाओं में उत्पादन 33 प्रतिशत अधिक हुआ है।

पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों से प्रभावित कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक

रही है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की घटनाएं सर्वाधिक देखी गई हैं—विशेष रूप से करगिल में पाकिस्तान की हार और इस्लामाबाद में सेना द्वारा सत्ता हथियाने के बाद। केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों ने पाकिस्तानी सहायता प्राप्त आतंकवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा खड़ी की गई चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना किया है। हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा का मुकाबला करने के लिए अपनी चहुंमुखी नीति जारी रखे हुए हैं, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहन बनाना, आर्थिक विकास तेज करना, भाड़े के विदेशी सैनिकों और आतंकवादियों को अलग-थलग करना और उन्हें समाप्त करने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना शामिल है। जम्मू-कश्मीर पुलिस को सुदृढ़ बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने के अलावा, सरकार राज्य के सुरक्षा संबंधी खर्च की क्षतिपूर्ति कर रही है एवं सामान्य योजना सहायता के अतिरिक्त और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मैं, जम्मू-कश्मीर और देश के कुछ अन्य भागों में आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करने में अपनी सशस्त्र सेनाओं, अर्ध-सैनिक बलों और पुलिसकर्मियों के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूं।

सरकार हमारे देश के पंथनिरपेक्ष लोकाचारों को बनाए रखने तथा उन्हें और सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में, देश में साम्प्रदायिक सद्भावना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले दो वर्ष साम्प्रदायिक हिंसा से प्राय: मुक्त रहे। वर्ष 1999 में, इसमें और कमी आई। परिणामस्वरूप, साम्प्रदायिक घटनाओं में 10 प्रतिशत तक, मृतकों की संख्या में 32 प्रतिशत तक और घायलों की संख्या में 11 प्रतिशत तक की कमी देखने में आई है।

सरकार उत्तरांचल*, वनांचल तथा छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के अपने वचन पर कायम है। इस उद्देश्य के लिए विधेयक संबंधित राज्य विधान सभाओं को उनके विचार जानने के लिए भेजे जा रहे हैं।

अंतर्राज्यीय परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। सरकार, विगत समय में इसके कामकाज के अनुभव के आधार पर, इसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बढ़ाने वाला एक प्रभावी मंच बनाएगी।

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। भारत ने अपने दूरवर्ती प्रतिसंवेदी उपग्रहों को अपेक्षित ध्रुवीय सन-सिनक्रोनस कक्षा में स्थापित करने की स्वदेशी क्षमता अर्जित कर ली है। हम अब जियो-सिनक्रोनस उपग्रह छोड़ने वाले यान विकसित करने के पथ पर अग्रसर हैं। इनसेट तंत्र विश्व के सबसे बड़े घरेलू उपग्रह तंत्रों में से एक है तथा इसी श्रृंखला का अगला उपग्रह, इनसेट-3 बी छोड़े जाने के लिए तैयार है। मार्च-अप्रैल, 2000 में इसको शुरू करने का कार्यक्रम है।

---
*अब उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता है।

सरकार जनकल्याण हेतु शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग की नीति को जारी रखे हुए है। सभी नाभिकीय संयंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं तथा उनका औसत क्षमता घटक 75 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। कर्नाटक में कैगा पर स्थित भारत का 11वां नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर 21 सितम्बर, 1999 को प्रथम क्रांतिक स्तर पर पहुंच गया जिसे ग्रिड से जोड़ दिया गया है। रावतभाटा, राजस्थान में स्थित 12वां नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर 24 दिसम्बर, 1999 को प्रथम क्रांतिक स्तर पर पहुंच गया है।

सरकार राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए पूर्णत: कृतसंकल्प है। किन्तु गम्भीर चिन्ता का विषय यह है कि पर्याप्त संख्या में युवा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र को जीविका के रूप में नहीं अपना रहे। इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। अपने उच्च प्रतिभा सम्पन्न युवाओं के लिए एक आकर्षक कैरियर सुनिश्चित करके हम इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए वचनबद्ध हैं जिससे कि वे भारत में रहकर काम करते हुए विश्वस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कर सकें।

सरकार तीव्र गति से इलैक्ट्रॉनिक शासन पद्धति की ओर अग्रसर होने के लिए भी वचनबद्ध है जिससे नागरिकों व सरकार में बेहतर तालमेल तथा बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सरकार ने भारतीय भाषाओं में जनप्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित व प्रोत्साहित करने के प्रयास सघन कर दिए हैं। ताकि कम्प्यूटरों की उपलब्धता और उनके प्रयोग को बढ़ाया जा सके। मुझे खुशी है कि अनेक राज्य सरकारों ने भी सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के केन्द्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत की गुटनिरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की विदेश नीति आज के बहु-ध्रुवीय विश्व के लिये प्रासंगिक है। यह हमारे अत्यावश्यक हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय आदर्शों को प्रोत्साहित करने वाले सिद्धांतों पर आधारित है। अपने पड़ोसी देशों—नेपाल तथा बंगलादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव तथा भूटान के साथ अपने मित्रतापूर्ण, घनिष्ठ, व्यापक तथा रचनात्मक संबंधों को निरन्तर बढ़ाने व घनिष्ठ करने की अपनी नीति को सरकार जारी रखे हुए है। इन देशों के साथ नियमित विचार-विमर्श से आपसी संबंधों को और मजबूत करने तथा एक-दूसरे के हितों, अतिसंवेदनशील मुद्दों तथा सरोकारों का पारस्परिक मूल्यांकन करने में बल मिला है।

लेकिन, पाकिस्तान ने भारत विरोधी अपने शत्रुतापूर्ण प्रचार तथा सीमा पार से आतंकवाद को उकसाने व उसे सहायता देने की अपनी नीति को समाप्त करने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई है। हाल ही में, काठमांडू से हुए इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका को रेखांकित करता है। सरकार ने इसमें अपहरणकर्ताओं के पाकिस्तानी मूल के होने तथा

काठमांडू में नियुक्त पाकिस्तानी अधिकारियों का हाथ होने के पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। हम सचमुच आशा करते हैं कि पाकिस्तान भारत के प्रति शत्रुता की इस नीति को बदलेगा ताकि सामान्य सम्बन्ध पुनः स्थापित हो सकें।

अफगानिस्तान में अमन और चैन की बहाली होना हमारे क्षेत्र में स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। स्वापक-आतंकवाद को रोकने के लिए भी यह आवश्यक है। सबसे बढ़कर, यह अफगानिस्तान की जनता के लिए आवश्यक है, जिनके साथ हमारे वर्षों पुराने संबंध हैं। अफगानिस्तान में शांति की बहाली केवल तभी हो सकती है जब काबुल में व्यापक जनाधार वाली सरकार का गठन हो, जिसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो तथा पाकिस्तानी हस्तक्षेप समाप्त हो।

हम मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, खाड़ी के देशों तथा एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के अपने विस्तारित पड़ोस के साथ संबंधों को और घनिष्ठ व व्यापक बनाते रहेंगे। हम अपने एशियाई पड़ोसी चीन के साथ अपने सम्बन्धों की कदर करते हैं। हम चीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस संदर्भ में मैं इस वर्ष मई में होने वाली चीन की अपनी राजकीय यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम आशा करते हैं कि मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया से सन्तोषजनक निष्कर्ष निकलेगा। इज़राइल के साथ हमारे संबंध बढ़ते रहेंगे। भारत यूरोपीय संघ के साथ-साथ पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भी अपने मित्रतापूर्ण संबंधों की कदर करता है जिनके साथ पारम्परिक मित्रता के हमारे संबंध हाल के वर्षों में और प्रगाढ़ हुए हैं। हम अफ्रीकी, लेटिन अमरीकी तथा कैरेबियन देशों के साथ अपने मित्रता संबंधों को और सुदृढ़ करेंगे।

भारत, सोवियत संघ के साथ सामरिक भागीदारी में अपने घनिष्ठ और समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों के दृढ़ होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। हम सोवियत संघ के राष्ट्रपति की भारत-यात्रा और दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हाल ही के वर्षों में, युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और फ्रांस के साथ हमारे संबंधों में संतोषजनक सुदृढ़ता आई है। उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप, फ्रांस के साथ सामरिक महत्व की चर्चा आरम्भ हुई है जिसके उत्साहप्रद परिणाम सामने आए हैं। इंडो-फ्रेंच फोरम ने भी संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्रों में फ्रांस के साथ हमारे संबंधों में नई ऊर्जा का संचार किया है। इस वर्ष अप्रैल में होने वाली फ्रांस की अपनी राजकीय यात्रा की मुझे उत्सुकता से प्रतीक्षा है।

सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु अस्त्रों की एक विश्वसनीय व न्यूनतम मात्रा को बनाए रखते हुए भारत से संबद्ध सुरक्षा, परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर अमरीका से गम्भीर वार्तालाप जारी रखा है। इस बातचीत का एक महत्वपूर्ण परिणाम संयुक्त कार्य दल की स्थापना का निर्णय है जो सीमापार से होने

वाले आतंकवाद से निपटेगा। यह आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। हमें आशा है कि अगले महीने राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत–यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक विस्तृत आधार प्रदान करेगी और उनके बहुआयामी विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी।

भारत एक व्यापक एवं भेदभाव रहित आधार पर समयबद्ध तरीके से नाभिकीय हथियारों से मुक्त विश्व के लिए अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहराता है। बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण के लिए पहल–कदमी करते हुए संधियां निष्पादित करते समय, सरकार भारत की सामरिक स्वायत्तता अक्षुण्ण रखने की अनिवार्यता का पालन करती रहेगी।

भूमंडलीय सुरक्षा के लिए बढ़ते हुए गैर–परम्परागत खतरों, विशेषतया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण बढ़ती चुनौतियों के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि इनसे प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक समझौते को शीघ्र स्वीकार करने एवं उसे अमल में लाने का आह्वान करते हैं। भारत, मानवता के विरुद्ध इस अपराध से लड़ने के किसी भी भूमंडलीय प्रयास में योगदान करेगा।

उच्च वृद्धि दर की प्राप्ति के संबंध में हमारी सोच केवल अमीर या मध्यवर्ग को लाभ पहुंचाने पर ही केन्द्रित नहीं है, बल्कि निर्धन वर्ग ही हमारे सभी विकास संबंधी प्रयासों का केन्द्र बिन्दु है। हमें यह मानना पड़ेगा कि हम अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर प्राप्त किए बिना, आम आदमी की हालत में सुधार नहीं ला सकते। अर्थव्यवस्था के विस्तार से ही रोजगार के बढ़ते अवसर और सभी के लिए बढ़ती आय सुनिश्चित हो सकती है। जब तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद प्रतिवर्ष 7 से 8 प्रतिशत की त्वरित दर से नहीं बढ़ता है, तब तक गरीबी और पिछड़ेपन से छुटकारा मिलने की कोई संभावना नहीं है। उच्च वृद्धि दर प्राप्त करके ही हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई और सड़कों जैसे सामाजिक क्षेत्र के लिए अधिकाधिक संसाधन जुटा सकते हैं, विशेष तौर पर गांव और शहरी गंदी बस्ती के निवासियों के लिए। इस उद्देश्य के लिए, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख मेरे पिछले संबोधन में रेखांकित सामाजिक एवं आर्थिक एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

माननीय सदस्यगण, संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में वैधानिक कार्य के निष्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के बाद, आज हम बजट सत्र प्रारम्भ करते हैं। आम बजट एवं रेल बजट से संबंधित वित्तीय कार्य और दो अध्यादेशों को विधेयक बनाने की वैधानिक आवश्यकता के अलावा, हमारी अर्थव्यवस्था व समाज के सर्वांगीण विकास से संबंधित विधायी कार्य का एक व्यापक एजेंडा हमारे समक्ष है। सरकार इस एजेंडा को इसी सत्र में पूर्ण करने के लिए तत्पर है।

आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 19 फरवरी 2001

लोक सभा	-	तेरहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री कृष्ण कांत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.एम.सी. बालयोगी

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2001 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। मैं इस सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले बजट और विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

संसद का यह सत्र गत माह गुजरात में आए भूकम्प के कारण हुए विनाश की भयंकर छाया में हो रहा है। इसमें हजारों जानें गईं, हजारों करोड़ रुपये की सरकारी और निजी सम्पत्ति नष्ट हुई और बहुत से लोग बेघर हो गये। हम, आज शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। हम उन्हें, और भूकम्प से प्रभावित अन्य सभी को, विश्वास दिलाते हैं कि संकट और वेदना की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र उनके साथ है, और उसने पूरी सहानुभूति और दृढ़ता का परिचय दिया है। इस दु:खद घटना से विश्व की अनेक सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और बहुपक्षीय एजेन्सियों ने खुले दिल से, इस राष्ट्रीय प्रयास में योगदान दिया है। मेरी सरकार और भारत की जनता उन सभी की अत्यधिक आभारी है।

केन्द्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार राज्यभर में राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों को मिलकर कर रही हैं। मैं थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के जवानों और अफसरों की इस प्रयास में उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए प्रशंसा करता हूं। अन्य सभी राज्यों की सरकारें भी गुजरात की सहायता में बढ़कर आगे आई हैं। अवश्य ही, यह सभी केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सियों के समन्वित प्रयास का फल है

कि विद्युत, दूरसंचार, रेल, हवाई व सड़क संपर्कों की उल्लेखनीय गति से बहाली हुई। बड़े पैमाने पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सराहनीय योगदान ने इन प्रयासों में बहुत सहायता की है और इन्हें सुदृढ़ बनाया है। जीवित बचे लोगों की सहायता करने के लिए हजारों स्वयंसेवक दिन-रात काम कर रहे हैं। मैं, इस सम्मान्य सदन की ओर से, उनके समर्पित और अथक कार्यों के लिए उनकी सराहना करता हूं? बाह्य अथवा आंतरिक संकट की घड़ी में, हमारे देशवासियों ने सदैव अपूर्व एकता और सेवा भावना से कार्य किया है। हमें इन परोपकारी गुणों को और विकसित करना चाहिए ताकि ये हर समय, हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर सकें।

गुजरात में आई विपत्ति, 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात और हाल के वर्षों में देश के अन्य भागों में आई प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी आपदा प्रबंध क्षमताओं का विस्तार करने और उन्हें आधुनिक बनाने की तात्कालिक आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है हमें निर्माण तथा नगर नियोजन नियमों में तत्काल संशोधन करने होंगे तथा उन्हें अद्यतन बनाना होगा। हमें उन्हें दृढ़ता से लागू करने और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि उनकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि हमारे पास केन्द्र, राज्य तथा जिलों में एक व्यापक आपदा प्रबंध योजना हो, जिसके विशिष्ट दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक उद्देश्य हों। हमें सामूहिक रूप से प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि आपदा के बाद का जीवन उससे पहले के जीवन से बेहतर हो।

मुझे खुशी है कि सरकार ने गुजरात भूकंप पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में आम सहमति होने पर, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति गठित की गई है। इसमें, अन्य के साथ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह गुजरात में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों के लिए अल्प, मध्य और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देगी। यह गुजरात में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेगी। यह, भविष्य में, राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी और दीर्घकालीन नीति के लिए आवश्यक और विधायी उपायों पर भी विचार करेगी। इसके अतिरिक्त, यह राष्ट्रीय आपदा को परिभाषित करने वाले मापदण्डों पर भी विचार करेगी। यह समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार एक स्थायी राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, और राज्यों में उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरणों की स्थापना करने पर विचार करेगी।

भारत के संपूर्ण इतिहास में, तीर्थों ने लोगों को धार्मिक निष्ठा और राष्ट्रीय एकता के बंधनों में बांधकर एकजुट रखने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। इलाहाबाद में आयोजित महाकुंभ में एकत्रित अपार जनसमूह में आस्था के भव्य प्रदर्शन ने पुनः यह बात सिद्ध की। मैं इस महापर्व की सुचारू व्यवस्था करने पर उत्तर प्रदेश शासन, रेलवे

और सभी अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों को उनके समन्वित प्रयासों के लिए बधाई देता हूं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है।

यह वर्ष, हमारे गणतंत्र की स्वर्ण जयंती समारोहों का समापन वर्ष है। जैसे-जैसे साल बीतते जाएंगे, 15 अगस्त, 1947 और 26 जनवरी, 1950 इतिहास के पन्नों में और पीछे होते चले जाएंगे। ये अतीत की बात लग सकते हैं, खासतौर पर भारत के युवकों को, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत हैं। फिर भी, समय हमारे देश के बृहत इतिहास में इन दो तारीखी दिनों के महत्व को कम नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की पवित्र ज्योति नई शताब्दी और सहस्त्राब्दि में भारत की यात्रा को प्रदीप्त करती रहेगी। इस संसद को, जोकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुना हुआ सर्वोच्च निकाय है, हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित गणतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक योगदान करने का संकल्प करना चाहिए।

यद्यपि हम सभी को स्वतंत्रता के बाद हुई भारत की उपलब्धियों पर गर्व है, फिर भी हम उन गंभीर चुनौतियों के बारे में भी समान रूप से जागरूक हैं, जिनका हम अभी भी सामना कर रहे हैं। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के सचेतक शब्दों से हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्होंने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय, बड़े विश्वास से कहा था "26 जनवरी, 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में समानता होगी, और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता। हमें शीघ्रातिशीघ्र इस अंतर्विरोध को दूर करना होगा।" दुर्भाग्य से, जिस अंतर्विरोध के बारे में डॉ. अंबेडकर और स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत से अन्य समर्थकों ने हमें आगाह किया था, वह आज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन को क्षति पहुंचा रहा है। इसलिए, हम सभी को अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को तब तक अधूरा मानना चाहिए, जब तक कि हम इस अंतर्विरोध को समाप्त न कर दें और अपने महान राष्ट्र का निर्माण ऐसी मातृभूमि के रूप में करें जिसमें उसके सौ करोड़ से भी अधिक नागरिकों को न्याय और समान अवसर मिले।

भारत में लोकतंत्र की मुख्य उपलब्धियों में से एक यह है कि राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, न केवल मतदाता के रूप में, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकारी उत्तरदायित्व के धारकों के रूप में भी लगातार बढ़ रही है। साथ ही, इस सकारात्मक अनुभव ने महिलाओं और पुरुषों, दोनों को संसद और राज्य विधान सभाओं में हमारी बहनों के अल्प-प्रतिनिधित्व के बारे में जागरूक किया है। संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999 जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के इस व्यापक समर्थन के परिप्रेक्ष्य में था, संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विधेयक अभी तक अधिनियम नहीं बना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि वे इस विधेयक पर सहमति बनाएं और उसे इस सत्र में पारित करें। हम यह वर्ष 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मना रहे हैं। भारतीय संसद द्वारा ऐसा करना इसके लिए समीचीन भेंट होगी।

भारत ने पिछले पखवाड़े में अपना सबसे बड़ा जनगणना अभियान आरंभ किया है। हमारी जनसंख्या अब 100 करोड़ को पार कर गयी है। पिछले वर्ष हमने एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी अंगीकार की है। यह नीति तीन प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई है। ये हैं—जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना; आकार को स्थिर बनाना; और सारी जनसंख्या, विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याण और विकास के अवसर प्रदान करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों के सहयोग से कुछ प्रोत्साहन और हतोत्साहन का कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं के पूर्ण सहयोग के बिना जोर-जबर्दस्ती के लागू किया जाना चाहिए।

भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसी भी संभावित घटना का मुकाबला करने के लिए देश की स्ट्रैटेजिक रेस्पांस कैपेबिलिटी को सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। मंत्रियों के एक दल ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली पर करगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच की है और यह शीघ्र ही अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा। अपने देश में बनाए गए हल्के लड़ाकू विमान ने गत माह सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्र इस वैमानिक उपलब्धि, और प्रक्षेपास्त्र विकास में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए भी अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पित कार्य की प्रशंसा करता है।

सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए एक बहु-कोणीय नीति अपना रही है। इसके एक भाग के रूप में इसने 19 नवम्बर, 2000 को रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान राज्य में संघर्ष की पहल न करने की एकतरफा घोषणा करके एक प्रमुख शांति मिशन आरम्भ किया है। इस साहसिक पहल की अवधि दो बार बढ़ाकर 26 फरवरी 2001 तक रखी गई है। जैसा कि प्रत्याशा थी, इसका जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भरपूर स्वागत किया जो अपने इस सुन्दर राज्य में उग्रवाद और हिंसा की समाप्ति के लिए उत्सुक हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पूरा समर्थन दिया है क्योंकि वह इसे कश्मीर मामले के शांतिपूर्वक और स्थायी समाधान के लिए भारत की सच्ची वचनबद्धता के एक और प्रमाण के रूप में देखता है।

हम सभी के लिए यह अत्यन्त दुःख और चिंता का विषय है कि पाकिस्तान ने भारत के सद्भाव के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं की है। पाकिस्तान की धरती से होने वाले सीमा-पार के आतंकवाद तथा द्वेषपूर्ण भारत विरोधी प्रचार में समाप्ति तो दूर, कोई कमी भी नहीं आयी है। उन लोगों द्वारा 'जेहाद' की ओट में बर्बरतापूर्ण कृत्यों के कारण रोजाना बहुत से बेकसूर लोग मर रहे हैं। मानवता के विरुद्ध किए जा रहे ये कृत्य धर्म का उपहास हैं और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। भारत के साथ बातचीत फिर शुरू करने की उसकी उत्सुकता संबंधी उसके प्रकथन तब तक विश्वसनीय नहीं होंगे, जब तक कि वह आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी कराता रहेगा।

यदि पाकिस्तान सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाए तो भारत वार्ता प्रक्रिया पुन: शुरू करने के लिए तत्पर है। हमारी सेना और अर्धसैनिक बल कष्टप्रद परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र उनकी अटल दृढ़ता एवं बलिदान की कद्र करता है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अधिकाधिक भाड़े के विदेशी गुटों तक सीमित होकर रह गया है। इससे राज्य में लोकतांत्रिक कार्यकलाप की गुंजाइश बढ़ गयी है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में राज्य के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैं फिर से यह दोहराता हूं कि सरकार राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले किसी भी समूह से वार्ता के लिए तैयार है।

पूर्वोत्तर की स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति के लिए राजनीतिक स्थिरता और तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास जरूरी है। इसे उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ जोड़ना होगा। पूर्वोत्तर के लिए तैयार किए गए विकास संबंधी विशेष पैकेज को तीव्रता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस क्षेत्र को प्रत्येक वर्ष पर्याप्त विकास संबंधी संसाधन दिये जाते हैं, परन्तु बुनियादी तौर पर उनका प्रभाव उस अनुपात में नहीं है। मैं, राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी निधियों का कोई कुप्रबंध या दुरुपयोग न हो। इसके लिए वे प्रभावी विकेन्द्रीकरण करें, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं और लोक संगठनों की भागीदारी बढ़ाएं। उन्हें अपने संबंधित राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी अवश्य करनी चाहिए।

सरकार पंथनिरपेक्षता के प्रति अपनी वचनबद्धता पर कायम है। सांप्रदायिक तथा जातीय हिंसा लगातार घट रही है। भारत में सांप्रदायिक गड़बड़ी को फैलाने के लिए सीमा पार से की जा रही लगातार कोशिशों के मद्देनजर, यह सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हमने साम्प्रदायिक एवं उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध अपनी चौकसी बढ़ा दी है। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर और निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई करने के संबंध में कानून अपना कार्य करेगा।

पिछले वर्ष हुई अति महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी—तीन नए राज्यों—छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड का सृजन किया जाना। इस प्रकार, भारत संघ में राज्यों की संख्या 25 से 28 हो गई। इन नए राज्यों के बनने से वहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। इससे उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी आएगी। मैं, आप सभी के साथ इन नए राज्यों को हार्दिक बधाई देता हूं।

केन्द्र तथा राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद् तथा उसकी स्थायी समिति की नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं। यह हमारे लोकतंत्र तथा हमारी

संघीय राज्य व्यवस्था के लिए शुभ संकेत हैं। अगस्त में, आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें उग्रवाद, आतंकवाद तथा संगठित अपराध से निपटने के लिए राज्यों के बीच तथा केन्द्र व राज्यों के बीच और बेहतर समझबूझ तथा अधिक समन्वय विकसित करने में मदद मिली है। राज्य द्वारा किए जाने वाले समान अंशदान के आधार पर, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता अगले दस वर्षों के लिए ₹200 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ प्रतिवर्ष कर दी गई है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें राज्य सरकारों की बिगड़ती राजकोषीय दशा के गंभीर मुद्दे का उल्लेख किया गया है। राज्यों के राजकोषीय घाटे को कम करने तथा चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सुधार लाने के लिए मॉनीटर किए जाने योग्य एक सुधार कार्यक्रम उसकी सिफारिशों में से एक है। केन्द्र में यह सकारात्मक उद्देश्य प्राप्त किए जाने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक तैयार किया गया है।

भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अब एक दशक हो गया है। इस अवधि के दौरान, केन्द्र तथा राज्यों में विभिन्न दलों और गठबंधनों वाली कई सरकारों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार सुधारों की कार्यसूची को बढ़ती राष्ट्रीय सहमति बनाए रखा गया है। इस सर्वसम्मति को व्यापक और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। यह हमेशा इस मापदण्ड से नियंत्रित होना चाहिए कि क्या अमुक नीतिगत परिवर्तन देश तथा आम आदमी के हितों को बढ़ावा देते हैं। सुधार प्रक्रिया को इस प्रकार व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है कि आत्मनिर्भरता को पुष्ट किया जा सके, रोजगार के अधिक अवसर सृजित किये जा सकें, गरीबी को तेजी से दूर किया जा सके। पिछले दशक के अनुभव ने यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि आर्थिक सुधार तभी वांछित परिणाम दे सकते हैं जब प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक और श्रम सुधार उनके अनुपूरक हों। ये सभी सुधार एक राष्ट्रीय प्रयास का अभिन्न अंग हैं, जिसका लक्ष्य भारत की प्रचुर क्षमता को 21वीं सदी में नवीकृत वास्तविकता में बदलना है।

भारत विश्व की दस तीव्रतम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में 6 से 7 प्रतिशत तक की वार्षिक दर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसा देश के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ, बाह्य मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों के बावजूद हुआ है। तथापि, हमें अपनी प्रति-व्यक्ति आय को दुगुना करने और गरीबी को आधा करने के लिए अगले दस वर्षों हेतु 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। यदि सरकारें, राजनीतिक दल तथा जनता "तीव्र एवं अधिक संतुलित विकास" को दशक के सामूहिक मंत्र के रूप में अंगीकार कर

लें, तो आज की समस्याओं को भविष्य में एक महोत्कर्ष की प्राप्ति के लिए अवसरों के रूप में बदला जा सकता है।

कृषि हमारे अधिकतर लोगों की जीविका का साधन बनी हुई है। पिछले वर्ष खाद्यान्नों की 209 मिलियन टन की रिकार्ड उपज के लिए हमारे परिश्रमी किसान शाबाशी के हकदार हैं। हमारा बफर स्टाक 40 मिलियन टन से अधिक हो गया है जो अब तक का सर्वाधिक है। आज भारत संसार में अधिकतम दूध उत्पन्न करने वाला प्रथम देश तथा अधिकतम चावल, गेहूं, फल और सब्जियां पैदा करने वाला दूसरा देश बन गया है। हम संसार में अंडों के पांचवें तथा मछलियों के छठे सबसे बड़े उत्पादक हैं। कृषि का त्वरित और सतत विकास करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। पिछले वर्ष, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। इसमें चार प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर रखी गई है जो हमारी मृदा, जल और जैव-विविधता के संसाधनों के प्रभावी दोहन पर आधारित है। इसका उद्देश्य कृषि, सिंचाई, कृषि प्रसंस्करण, वितरण तथा विपणन में अधिक सार्वजनिक और निजी निवेशों को बढ़ावा देना भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैव-उर्वरकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछले वर्ष घोषित की गई राष्ट्रीय भण्डारण नीति से खाद्यान्नों की थोक में समेकित उठाई-धराई, भण्डारण एवं ढुलाई के लिए अत्याधुनिक भण्डारगृहों के निर्माण में निजी निवेश को सुलभ बनाया जाएगा।

अपने किसानों को गैर-वाजिब विश्व प्रतियोगिता से बचाने के लिए खाद्य तेलों सहित कई कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिए गए। सरकार ने लेवी चीनी का अनुपात 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करके चीनी पर से चरणबद्ध रूप में नियंत्रण हटाना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष के खरीफ मौसम के दौरान, 65 लाख किसानों का राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अधीन बीमा किया गया। अब तक, 105 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं।

सिंचाई, विद्युत और ग्रामीण आधारभूत ढांचे में नई पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाने के बजाय इन्पुट्स पर सब्सिडी देकर अधिक कृषि उत्पादन पर जोर देने की नीति ने कृषि में सार्वजनिक निवेश को काफी कम कर दिया है। इसने दुर्लभ संसाधनों के अकुशल इस्तेमाल को प्रेरित करने के अतिरिक्त, भूमि, जल संसाधनों, नहरों तथा सड़कों को खराब कर दिया है। इससे फसल उत्पादकता तथा किसानों के लाभ अवरुद्ध हुए हैं। इस दुष्चक्र को अधिक कार्यक्षमता और उत्पादकता के सुचक्र में बदलने की आवश्यकता है ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को, खासकर उनमें से निर्धनतम को फायदा हो सके।

तीव्र ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बहुत कम गांवों का सड़कों से जुड़ा होना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य अगले सात वर्षों में 500 से अधिक

की जनसंख्या वाली एक लाख से ज्यादा की ऐसी ग्रामीण बस्तियों को, जो सड़कों से नहीं जुड़ी हैं, बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराना है। केन्द्र ने, पहली बार, ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए ₹2,500 करोड़ प्रतिवर्ष का प्रावधान किया है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना राज्य सरकारों तथा पंचायती राज निकायों की पूर्ण भागीदारी से कारगर ढंग से कार्यान्वित की जाएगी।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सभी जल विभाजक और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को एक ही छत्र के नीचे लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्कीमों पर अभी तक पर्याप्त संसाधन लगाए गए हैं, लेकिन स्वामित्व की स्पष्ट व्याख्या के अभाव, घटिया आयोजन तथा रखरखाव के कारण इन योजनाओं के ठोस तथा अपेक्षित लाभ नहीं मिले हैं। अत: ग्रामीण पेयजल पूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन, प्रबंधन तथा अनुरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत करने के लिए, प्रारंभ में अनेक जिलों में प्रायोगिक आधार पर, नए प्रयास किए गए हैं।

सरकार ने, खाद्य सब्सिडियों के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के संबंध में सर्वसम्मति को देखते हुए, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का मासिक आबंटन, आधी आर्थिक लागत पर दस किलो से बढ़ाकर बीस किलो कर दिया है। दिसम्बर में शुरू की कई अंत्योदय अन्न योजना हमारे आर्थिक सुधारों के मानवीय पक्ष को दर्शाती है। यह देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को और भी कम दरों पर हर महीने 25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करायेगी तथा यह दर गेहूं के लिए दो रुपये प्रति किलो और चावल के लिए तीन रुपये प्रति किलो होगी। सरकारी नीतियों के कारण, अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य उचित रहे हैं। देश के किसी भी भाग से किसी भी वस्तु की कमी की सूचना नहीं मिली है।

तीव्रतर एवं अधिक संतुलित आर्थिक विकास के लिए भारत की भौतिक अवसंरचना को आधुनिक बनाने और उसका विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। हमने हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में गंभीर अड़चनें अभी भी बनी हुई हैं। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में सुधारों को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है। नई दूरसंचार नीति में निर्दिष्ट कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। दूरसंचार सेवा विभाग को भारत संचार निगम लिमिटेड के रूप में निगमित कर दिया गया है। इन सुधारों के परिणाम अब साफ दिखाई देने लगे हैं। टैरिफ में तेजी से कमी हुई है, स्थानीय कॉलों के दायरे का विस्तार हुआ है और इंटरनेट सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति और सुधार हुआ है। प्रस्तावित संचार अभिसरण विधेयक दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण के उभरते परिदृश्य के अनुसार होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी हमारी अर्थव्यवस्था में तीव्रतम गति से विकसित हो रहे एक क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आई है। हमारे सॉफ्टवेयर निर्यात 50 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर से लगातार बढ़ रहे हैं; यह दर प्रशंसनीय है। यह निर्यात पिछले वर्ष 4 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था। यह हमें विश्वास दिला रहा है कि सन् 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य यकीनन प्राप्त हो सकेगा। 'द नॉलेज इकोनामी' गरीबी दूर करने और हमारे सभी नागरिकों को समृद्ध बनाने हेतु भारत के समक्ष एक युग-प्रवर्तक अवसर प्रस्तुत करता है बशर्ते हम सभी स्तरों पर शिक्षा में सुधार करके अपने समृद्ध मानव संसाधन का त्वरित उपयोग कर सकें। सरकार ने 2002 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य अग्रणी अभियांत्रिकी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दुगुना करने और 2003 में तिगुना करने का एक कार्यक्रम तैयार किया है। निजी क्षेत्र तथा अनिवासी भारतीयों के परोपकारार्थ प्रयासों द्वारा विश्वस्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति देने संबंधी एक योजना विचाराधीन है। मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में प्रौद्योगिकी शिक्षा पर एक राष्ट्रीय मिशन शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। ये सभी प्रयास सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास की गति को तेज करेंगे।

समुचित सुरक्षा उपायों के साथ डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं को अनुमति दे दी गई है ताकि इस बेहतर प्रौद्योगिकी के लाभ हमारे टेलीविज़न दर्शकों को मिल सकें। विकास संबंधी प्रसारण में दूरदर्शन का योगदान तथा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका सुविदित है। इसने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के लिए कशीर चैनल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे के प्रसारण वाला उपग्रह चैनल शुरू किया है ताकि इन राज्यों तथा देश के अन्य हिस्सों में रह रहे हमारे भाई-बंधुओं के बीच भावात्मक तथा सांस्कृतिक एकता के बंधन सुदृढ़ बन सकें। अनेक शहरों में प्राइवेट एफएम रेडियो सेवाएं शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगी। इन प्रत्येक शहरों में एक चैनल को विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है।

सुसमन्वित और बहु-विधियों वाली परिवहन अवसंरचना का समग्र विकास हमारी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वर्णिम चतुर्मार्गीय तथा उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम मार्ग वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर प्रगति तीव्र गति से हो रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बहुपक्षीय वित्तपोषण सहित पर्याप्त गैर-बजटीय संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इस पर 54,000 करोड़ रु. की लागत आने का अनुमान है। केन्द्र व राज्यों द्वारा कई नीतिगत परिवर्तन लागू किए गए हैं जिससे कि हमारे बंदरगाहों की क्षमता में बढ़ोतरी हेतु निजी एवं कैप्टिव प्रयोक्ता क्षेत्र का निवेश आकर्षित किया जा सके। इस माह के आरंभ में, एन्नोर स्थित एक नया बड़ा

बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारत का पहला निगमित पत्तन होने के कारण यह भविष्य में, देश में होने वाले बंदरगाह विकास के लिए पथ-निर्धारक होगा।

यद्यपि भारतीय रेल राष्ट्र की जीवनरेखा है, फिर भी वह वर्षों से उपेक्षित रही है। उसकी वित्त-व्यवस्था शोचनीय दशा में है, जिससे वह काफी समय से लंबित कई विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाई है। रेल सुरक्षा में सुधार के अत्यावश्यक कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिए भी उसके पास संसाधनों की भारी कमी है। इस कार्य के लिए अनुमानित 15,000 करोड़ रु. चाहिए। अपारंपरिक तरीकों द्वारा आंतरिक संसाधन जुटाने की एक बड़ी और अभी तक अप्रयुक्त क्षमता रेलवे के पास है। इसने हाल ही में नई लाइनें बिछाने, आमान परिवर्तन और डबलिंग परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों के साथ कई अभिनव कार्यक्रम शुरू किए हैं। रेलवे संबंधी एक विशेषज्ञ समिति ने प्रचालनों, संगठन, वित्तपोषण, निवेश, टैरिफ और अन्य नीतिगत मुद्दों का एक व्यापक अध्ययन हाल ही में पूरा किया है। सरकार इस समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और शीघ्र ही यथोचित कार्रवाई करेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु, इस भूमिका का स्वरूप उसी स्थिति में स्थिर नहीं रह सकता जिसकी परिकल्पना 50 वर्ष पहले की गई थी। वह ऐसा समय था जब प्रौद्योगिकीय परिदृश्य तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण बहुत भिन्न थे। भारत में निजी क्षेत्र ने समय के साथ उन्नति की है तथा वह हमारे राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से योगदान दे रहा है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों को राष्ट्रीय क्षेत्र के परस्पर अनुपूरक घटकों के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र को उसी प्रकार और अधिक सार्वजनिक जिम्मेदारियां वहन करनी चाहिए जिस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक प्रतियोगी बाजार में परिणाम प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यम तो लाभ कमा रहे हैं, जबकि कुछ को भारी संचित हानि हुई है। सार्वजनिक वित्तपोषण व्यवस्था पर भारी दबाव के कारण सरकारें उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हैं। तद्नुसार, केन्द्र और कई राज्य सरकारों को विनिवेश कार्यक्रम अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, सरकार के दृष्टिकोण के त्रिविध उद्देश्य हैं: क्षमतायुक्त व्यवहार्य उपक्रमों का पुनरुत्थान; सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों को बंद करना जिनका पुनरुत्थान संभव न हो; और सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-अनुकूल उपक्रमों में सरकारी भागीदारी को कम करके 26 प्रतिशत या उससे कम करना। आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एवं अन्य उपायों के द्वारा

कामगारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इस कार्यक्रम ने पहले ही कुछ आरंभिक सफलता अर्जित कर ली है। सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया, भारतीय पर्यटन विकास निगम, आई.पी.सी.एल., विदेश संचार निगम लि., सी.एम.सी., बालको, हिन्दुस्तान जिंक और मारूति उद्योग जैसे उद्यमों में अपनी भागीदारी के पर्याप्त हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय किया है। जहां अनुकूल साझेदारों की आवश्यकता होगी, उनका चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। देश के अधिकतर भागों में विद्युत क्षेत्र में लम्बे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने, और बिजली को सबके लिए सुलभ बनाने हेतु, हमने सन् 2012 तक संबद्ध पारेषण एवं वितरण प्रणालियों सहित 100,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग 800,000 करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता होगी। विद्युत विनियमन आयोगों को, केन्द्र तथा राज्यों दोनों में, टैरिफ के यथोचित निर्धारण, राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने, और निजी निवेशकों में विश्वास पैदा करने में प्रधान भूमिका निभानी होगी। मैं, राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और विद्युत सेवाओं के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से विद्युत क्षेत्र में सुधारों का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। आरंभ में, इस परिवर्तन से परेशानी हो सकती है, परंतु बाद में, यह सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा।

इस वर्ष तीन नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया। न्यूक्लिअर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की चतुर्थ इकाई के क्रिटिकैलिटी और सिंक्रोनाइजेशन के बीच मात्र चौदह दिन का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऊर्जा की कमी को पूरा करने और पर्यावरणीय ह्रास नियंत्रित करने के लिए एक व्यवहार्य और स्वच्छ विकल्प के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा पर अब सारे विश्व का ध्यान है। हमारा लक्ष्य अगले बारह सालों में नवीकरणीय स्रोतों से 10,000 मेगावाट और उत्पादन करने का है, जिससे संस्थापित होने वाली अतिरिक्त क्षमता में इसका भाग 10 प्रतिशत हो जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधिक नीति बनाने के लिए 'इंडिया हाइड्रोकार्बन विज़न 2025' रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। पिछले अट्ठारह माह में कच्चे तेल की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि से इस वर्ष हमारा तेल आयात बिल लगभग 80,000 करोड़ रु. तक बढ़ गया है। इसलिए, सरकार अपने देश में कच्चे तेल का उत्पादन और बढ़ाने के लिए विशेष उपाय कर रही है। हमने इस वर्ष पच्चीस प्रखंड अन्वेषण के लिए दिए हैं। हमें आशा है कि सितम्बर तक पच्चीस और प्रखंड दे दिए जाएंगे। हमने रूस स्थित सखालिन-I ऑयल फील्ड में बीस प्रतिशत इक्विटी खरीद कर विदेश में तेल इक्विटी भी प्राप्त कर ली है। विदेश में

ऐसी ही और अन्य तेल इक्विटी प्राप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। हमने कृष्णा-गोदावरी थाले के गहरे समुद्र में और कैम्बे क्षेत्र के उथले पानी में तेल और गैस का पता लगाया है। भारत ने, इस वर्ष कच्चे तेल के परिष्करण में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष तेल विपणन कंपनियों ने 12 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए, जबकि लक्ष्य 10 मिलियन का था। एलपीजी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो चुकी है और अब ये केन्द्रों पर तुरंत उपलब्ध हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार कोयला क्षेत्र में प्रगति के लिए एक द्विपक्षीय नीति अपना रही है। कोयला खनन में हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देंगे। हम संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाकर, कोल इंडिया को भी सुदृढ़ बनाएंगे। धनबाद के निकट बागदिगी में हाल में हुई त्रासदी ने कोयला खदानों में सुरक्षा के मामले की तरफ एक बार फिर ध्यान आकृष्ट किया है। सुरक्षा संबंधी अनिवार्यता नवीनतम खनन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तकनीक अपनाकर कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ गहन रूप से संबद्ध है। इसमें विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं है। दुर्घटना-संभावित सभी कोयला खदानों का एक व्यापक पुनर्सर्वेक्षण करने के आदेश दे दिए गए हैं।

वस्त्र व्यवसाय एक पारंपरिक उद्योग है, जिसमें भारत विश्व में काफी समय तक लाभप्रद स्थिति में रहा है। लेकिन वह स्थिति अब नहीं रही क्योंकि यह क्षेत्र विश्व बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता के अनुरूप अपना पुनर्गठन नहीं कर पाया। इसकी उपेक्षा समाप्त करने और इस क्षेत्र में त्वरित विकास की प्राप्ति के लिए एक नई वस्त्र नीति बनाई गई है। इसका उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने और सन् 2010 तक वस्त्र और परिधान निर्यात वर्तमान 13 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन अमरीकी डॉलर करने के लिए अपने देश के वस्त्र गुणवत्ता क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक युक्त प्रसुविधाओं को बढ़ावा देना है। वस्त्र गुणवत्ता उन्नयन निधि योजना और कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन के अलावा, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना जैसी पृथक योजनाएं भी शुरू की गई हैं जिससे कि जुलाहों, किसानों और दस्तकारों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

भारत रसायनों और फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में है। इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्ताव है कि ऑटोमैटिक रूट के जरिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा वर्तमान 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी जाए। नई औषध नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे कि भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग विश्व में अग्रणी बन सके।

पर्यटन उद्योग विश्व में तीव्र गति से बढ़ता उद्योग है। इसकी भारत में अत्यधिक अदोहित सम्भाव्यता है। सरकार ने राज्यों के समन्वय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आधारभूत संरचना में सुधार करने और परंपरागत व अपरंपरागत, दोनों प्रकार के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को सुदृढ़ बनाया है।

वर्षों की धीमी विकास-दर के पश्चात् हमारा निर्यात तेजी से बढ़ता रहा है। यह अप्रैल और दिसम्बर के बीच डॉलर के हिसाब से 20.4 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पूरे वर्ष के लिए 18 प्रतिशत का लक्ष्य था। विदेशी मुद्रा भण्डार इस वर्ष 2 फरवरी को 38.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो सुखद स्थिति है। व्यापार नीति की हमारी उदारीकरण की प्रक्रिया में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार लाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन को दी गई अपनी वचनबद्धता के अनुसार, अप्रैल में ज्यादातर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह परिवर्तन भारतीय कृषि और उद्योग विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कष्टदायी न हो। मुम्बई, कांडला, सूरत और कोची स्थित विद्यमान निर्यात संवर्धन अंचलों को विशेष आर्थिक अंचलों में बदल दिया गया है। ऐसे नए अंचल नौ अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए जाएंगे।

लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा औद्योगिक उत्पादन में 38 प्रतिशत और प्रत्यक्ष निर्यात में 35 प्रतिशत से ज्यादा है। हमने लघु और अति लघु क्षेत्र के लिए एक विस्तृत नीतिगत पैकेज तैयार किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की योजना भी तैयार की जा रही है। देशी व विदेशी बाजारों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों को कारगर ढंग से बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य ब्रांड नाम "सर्वोदय" शुरू किया गया है।

अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में भारत के समक्ष आ रही कड़ी चुनौतियों को देखते हुए यह बात ज्यादातर स्वीकार की जा रही है कि हमारे कुछ श्रम कानूनों में होने वाले संशोधनों को अब और टाला नहीं जा सकता। यह संशोधन वास्तव में श्रम अनुकूल हैं क्योंकि उनसे संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। वे व्यवसायिकों को विद्यमान यूनिटों के विस्तार और नई यूनिटों अर्थात् दोनों में निवेश के अवसर प्रदान करके तीव्र आर्थिक विकास में आने वाली अड़चनों को हटाकर ऐसा करेंगे। उदाहरण के तौर पर, भारत वस्त्र, हल्की इंजीनियरी, खिलौने, दस्तकारी, चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना एक विशिष्ट स्थान बना सकता है। सरकार ऐसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित करेगी तथा उनके द्रुतगामी विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी।

सरकार इन अत्यावश्यक श्रम सुधारों को लागू करते हुए यह संकल्प करती है कि वह श्रमिकों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता को किसी भी प्रकार शिथिल नहीं होने देगी। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए श्रमिकों के प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। उनकी उद्यमशीलता के विकास तथा स्वरोजगार की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्षेत्र बढ़ाने तथा लाभों के उदारीकरण के लिए पहले ही कई उपाय किए जा चुके हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों तथा असंगठित श्रमजीवी वर्ग के लाभ हेतु जून, 2000 में जनश्री बीमा योजना शुरू की गई। श्रम मंत्रालय खेतीहर मजदूरों के लिए एक व्यापक समाज कल्याण योजना पर विचार कर रहा है। यह देश के श्रमिक वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। जिन राज्यों में मजदूरी की प्रथा अब भी मौजूद है, वहां हम शिक्षा के माध्यम से पुनर्वास परियोजना प्रारंभ करना चाहते हैं। इसमें बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत का भविष्य बनाने में शिक्षा विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा, सर्वाधिक लाभप्रद निवेश है। सभी को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक समेकित राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसका उद्देश्य सन् 2010 तक चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता वाली आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का स्वामित्व और प्रबंधन स्थानीय लोगों के हाथों में रहेगा। इसमें शिक्षा की वैकल्पिक विधियों द्वारा बालिकाओं और सुविधा वंचित समूहों पर विशेषतया ध्यान दिया जाएगा। सरकार व्यावसायिक स्वरूप की शिक्षा देने और युवा वर्ग को इस योग्य बनाने के लिये उपाय करेगी कि वे स्वयं अपने कामधन्धे और स्वरोजगार के नए उपक्रम शुरू कर सकें।

हमारे समाज के सभी कमजोर वर्गों के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति मेरी सरकार मूलतः वचनबद्ध है। हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, सफाई कर्मचारियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए वित्त तथा विकास निगमों को और कारगर बनाने के लिए बहुत से कदम उठा रहे हैं। आय उपार्जित करने वाले उद्यमों, स्वरोजगार कार्यों तथा हुनर एवं प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु और सुविधाएं दी जाएंगी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धनों की आर्थिक उन्नति के लिए स्वावलंबी, विशेषतया महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे समूहों, को दिए जाने वाले अल्पऋण के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कृतसंकल्प है।

किसी राष्ट्र की संपदा मुख्यतः उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही है। विगत में किए गए प्रयासों के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए एक नई स्वास्थ्य नीति "सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा" के अभी तक अप्राप्त लक्ष्यों की

प्राप्ति के लिए, शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इन उपयोगी कार्यक्रमों में से एक, पिछले माह समाप्त हुआ "पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान" था जो अत्यधिक सफल रहा। सरकार लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य बड़ी चुनौतियों जैसे मलेरिया, कालाजार और एचआईवी/एड्स की महामारी से निपटने के लिए यथासंभव रूप से अधिकाधिक सरकारी व गैर-सरकारी संसाधन जुटाकर शीघ्र ही इसी तरह के और राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। हमने कुष्ठरोग को समाप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। क्षय रोग के लिए अपनाई गई प्रत्यक्षतः अवलोकित रोग उपचार अल्पावधिक नीति के अंतर्गत 300 मिलियन से अधिक लोगों को चिकित्सा प्रदान की गई जबकि दो वर्ष पहले 20 मिलियन को यह चिकित्सा मुहैया कराई गई थी। जब से इसे लागू किया गया है तब से अब तक लगभग सत्तर हजार जानें बचायी गईं। नाबालिगों को निकोटीन का आदी होने से बचाने के लिए मैं सरकार द्वारा सभी प्रकार के तम्बाकू विज्ञापनों एवं प्रायोजनों को प्रतिबंधित करने के लिए विधान बनाए जाने व किए गए अन्य उपायों की प्रशंसा करता हूं। हमने मानव जीन पर आधारित चिकित्सा अनुसंधान शुरू किया है ताकि आधुनिक विज्ञान के इस तेजी से उभरते हुए नये क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाया जा सके।

आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में प्रतिरोधक, प्रोत्साहक और रोगनाशक उपचार बड़ी संख्या में हैं जो किफायती और कारगर दोनों ही हैं। हम अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यनीति में इन महत्वपूर्ण प्रणालियों की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। देशी और विदेशी दोनों बाजारों के लिए जड़ी-बूटी संबंधी उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, उत्पादन और मानकीकरण को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड गठित किया गया है। इस विषय के हमारे परंपरागत ज्ञान के संरक्षण के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले वर्षों के दौरान व्यापक स्तर पर विश्व का ध्यान आकर्षित होने की आशा है।

हमारे शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में हो रहा ह्रास गंभीर चिंता का विषय है। हमें पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ, आर्थिक रूप से प्रभावी, सामाजिक रूप से उचित, सांस्कृतिक रूप से जीवंत, तथा क्षेत्रीय रूप से संतुलित शहरी विकास की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार राज्य और स्थानीय स्वशासी निकायों के सहयोग से नीतियां तैयार करेगी। हुडको की सहायता से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवासीय मकानों के निर्माण कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रमों से शहरी गरीबी के उन्मूलन तथा गरीबों के लिए आश्रय की व्यवस्था करने में बहुत सहायता मिलेगी।

बार-बार सूखा पड़ने, बाढ़ आने, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आने, तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल की कमी ने जोरदार ढंग से हमें यह स्मरण कराया है कि यदि हम अपने जल संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंध शुरू नहीं करते तो हमें भविष्य में अधिक गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को बनाए जाने के बाद, हमारे जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में अनेक समस्याएं उभर कर आयी हैं। इसलिए राष्ट्रीय जल नीति का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया जिस पर पिछले वर्ष जुलाई में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की चौथी बैठक में चर्चा की गई। इस संबंध में उभरे मतभेदों को सुलझाने के लिए मंत्रियों का एक कार्यदल गठित किया गया है। सरकार विभिन्न प्रयोगकर्ता समूहों की सक्रिय भागीदारी से जल संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शीघ्र ही शुरू करेगी। आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 1999 की रिपोर्ट में यह पता चला है कि हमारा वन क्षेत्र 1997 में किए गए पिछले निर्धारण के बाद से 3,896 वर्ग कि.मी. बढ़ गया है।

भारत का अंतरिक्ष विज्ञान में तीव्र प्रगति करना जारी है। पिछले वर्ष अपने यहां विकसित क्राइयोजेनिक इंजन का प्रथम परीक्षण किया जाना हमारी जीयो-स्टेशनरी सेटेलाइट लांच केपेबिलिटी के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे नवीनतम इनसेट-3बी की सहायता से स्वर्ण जयंती विद्या विकास अंतरिक्ष उपग्रह योजना शुरू की जाएगी जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। दो जय विज्ञान नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किए गए हैं। पहला, कृषि जैव विविधता के संरक्षण और दूसरा घरेलू खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में संबंध में है।

न्याय विभाग मुकदमों में होने वाले विलंब को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक और मूल विधि की समीक्षा कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए दो विशिष्ट योजनाएं शुरू की गई हैं। पहली योजना में, काफी समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 1,734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करना शामिल है। दूसरी में, चार महानगरों में न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की एक प्रायोगिक योजना है। यह जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मॉडल के रूप में काम करेगी।

सरकार, वर्तमान तथा अतीत को जोड़कर, भारतीय संस्कृति की रचनात्मक भावना को और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हमने अपनी समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत की देखभाल के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की समान सहभागिता को सुकर बनाने के लिए अभिनव पहल की है। हमने अन्य देशों से सांस्कृतिक और खेल संबंध बढ़ाने के लिए भी प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत नवम्बर में प्रथम एफ्रो-एशियन खेलों का आयोजन करेगा।

निरंतरता और राष्ट्रीय सहमति की मजबूत नींव पर आधारित भारत की विदेश नीति को बदलते विश्व परिदृश्य के अनुरूप बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह मानने लगा है कि शांतिप्रिय, समृद्ध, सुदृढ़ और पुनरुत्थानशील भारत एशिया में और विश्व में शांति, स्थायित्व और संतुलन के लिए एक विश्वसनीय आधार है। हमारी विदेश नीति का मुख्य दृष्टिकोण दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इससे हम राष्ट्र निर्माण कर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखना है। वस्तुतः पाकिस्तान के सिवाय, अन्य सभी पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ बने हैं।

भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में व्यापक पारस्परिक संपर्क हैं। प्रधान मंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला पिछले वर्ष जुलाई में भारत आए और द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों ने उनकी विस्तृत पुनरीक्षा की। अभी हाल ही में निहित स्वार्थों द्वारा बाधा पहुंचाए जाने के बावजूद, यह प्रक्रिया भविष्य में भी ऐसे ही चलती रहेगी। भूटान और मालदीव की प्रगति में भी हमारी प्रबल रुचि है तथा एक-दूसरे के प्रति सम्मान तथा आपसी विश्वास के अपने संबंधों से यह लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। भारत आशा करता है कि अशांत अफगानिस्तान में शांति की बहाली जल्द होगी तथा वहां की जनता, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप तथा धार्मिक उग्रवाद के, स्वयं अपना भाग्य निर्मित करेगी।

अपने पड़ोसी देशों के साथ द्वितीय सहयोग का केन्द्र बिन्दु आधारभूत व्यवस्था संबंधी संपर्कों में सुधार करना भी रहा है। अपने घनिष्ठ सहयोग और लोगों के आपसी संबंधों को और बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ तीसरा ब्रॉड गेज रेल संपर्क अभी हाल ही में पुनः शुरू किया गया है। भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार को लागू करने से आशा है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी वृद्धि होगी। हम इसी सप्ताह के अंत में राष्ट्रपति चंद्रिका भण्डारनाइके कुमारतुंगा का दिल्ली में स्वागत करने और अपने उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों पर उनके साथ व्यापक समीक्षा करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं। भारत की सहायता से म्यांमार के साथ सड़क संपर्क दोनों देशों के बीच यात्रा को सुगम और व्यापार को सुकर बनाएगा।

पिछले वर्ष की मेरी चीन यात्रा तथा अभी हाल ही में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री ली पेंग की भारत यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और सुधार हुआ है। हम पंचशील और एक-दूसरे के मसलों में परस्पर संवेदनशीलता बरतने के आधार पर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण तथा अच्छे पड़ोसी संबंध बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं।

भारत की "लुक ईस्ट" नीति के तहत प्रधानमंत्री ने गत माह वियतनाम तथा इंडोनेशिया की सफल यात्राएं कीं। मैंने नवम्बर, 2000 में सिंगापुर की राजकीय यात्रा

की। इंडो–चाइना तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध घनिष्ठ और सुदृढ़ हैं। इस क्षेत्र के देशों के साथ, जो हमारे पड़ोसी समान ही हैं, आर्थिक तथा लोगों के आपसी संबंधों को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। इस प्रयास में, मेकोंग–गंगा सहयोग पहल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले वर्ष अगस्त में जापान के प्रधानमंत्री श्री योशिरो मोरी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हमने 21वीं शताब्दी में विश्वव्यापी साझेदारी बनाने पर सहमति प्रकट की। इस वर्ष के अंत में, हम कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री किम डाइजंग की भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं।

हमारे मध्य एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से प्रगाढ़ संबंध हैं तथा उनके साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने को अधिक महत्व देते हैं। पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध कई सहस्राब्दियों पुरानी सभ्यता से चले आ रहे हैं, और हम इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपने संबंधों का सम्मान करते हैं। मध्य–पूर्व महत्वपूर्ण शांति प्रक्रिया में गतिरोध, बल के अत्यधिक प्रयोग और हाल ही में हुई हिंसा पर हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि फिलिस्तीन तथा इज़रायल समेत क्षेत्र के सभी राष्ट्रों को, सुरक्षित तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य सीमाओं में रहने का अधिकार है।

रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मैत्री अक्तूबर के दौरान राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की यात्रा से और अधिक सुदृढ़ हुई, जब हमने नई शताब्दी में भारत–रूस संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तय करके नीतिगत साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर किये।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के निरंतर मजबूत होते संबंध हमारे विदेशी संबंधों का एक महत्वपूर्ण नया आयाम है। राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा तथा पिछले वर्ष प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा ने हमारे संबंधों के इस नए दौर की मजबूत नींव रखी है। मैं सिलिकॉन वैली के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों तथा वास्तव में संपूर्ण भारतीय अमरीकी समुदाय की, उसकी शानदार सफलता पर, सराहना करता हूं। उन्होंने भारत के प्रति न केवल अमरीका के, बल्कि विश्व के नजरिए को बदल दिया है। हम मजबूत तथा पारस्परिक हितकर द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जार्ज डब्ल्यू. बुश प्रशासन के साथ लगातार प्रयासरत हैं।

पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री की पुर्तगाल यात्रा के दौरान लिस्बन में संपन्न हुई सर्वप्रथम भारत–यूरोपीय शिखरवार्ता से यूरोपीय संघ के साथ भारत की नीतिगत साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई इसके तहत हमारे राजनीतिक, आर्थिक तथा

वाणिज्यिक विनिमय को बढ़ाने के लिए हमें विश्वास है कि युनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंधों को नये आयाम मिलते रहेंगे। भारत पूर्वी तथा मध्य यूरोप के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को और सुदृढ़ कर रहा है। उनमें से कई देशों के साथ उच्चस्तरीय विचार विनिमय किए जाने की योजना है।

अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ रूप से मैत्रीपूर्ण हैं और विकासशील देशों के हितों के प्रति हम सभी समान रूप से सजग हैं। इंडियन ओशन रिम भारत और दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ और अधिक घनिष्ठ सहयोग की संभावनाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सर अनिरूद्ध जगन्नाथ की हाल की भारत यात्रा से मॉरीशस से हमारी घनिष्ठ मैत्री और प्रगाढ़ हुई है। मैं, उनके राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर वहां जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति श्री अब्देलाजिज बाउतेफ्लीका इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति श्री ओल्यूसेगन ओबासंजो की यात्रा से इस महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। हम मोरक्को के शासक महामहिम मोहम्मद-6 की इस माह के अंत में भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हम लेटिन अमरीका के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और कैरिबियन देशों और राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों के साथ अपने परंपरागत घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। फिजी के बहुजातीय समाज में लोकतंत्र का दमन हमारे लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत, फिजी में भेदभाव-रहित लोकतंत्र की शांतिपूर्ण बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करेगा।

संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह सहमति जताई है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सभी का समावेश हो तथा वह न्यायोचित हो। इसमें, सीमापार आतंकवाद सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, हथियारों और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, धार्मिक कट्टरपन और सैन्य दुस्साहस की भी निंदा की गई। आतंकवाद के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शीघ्र बुलाए जाने की भारत की मांग का समर्थन किया गया। अधिकाधिक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और उत्तरदायी बनाने की मांग करने लगे हैं। सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावित विस्तार की स्थिति में उसकी स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को भी अधिकाधिक समर्थन मिल रहा है। हम, विश्वव्यापी, व्यापक और भेदभाव-रहित नाभिकीय नि:शस्त्रीकरण की अपनी मांग को दोहराते हैं। साथ ही, हमारी सुरक्षा आवश्यकताएं हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति होने तक आत्मरक्षा हेतु एक विश्वसनीय न्यूनतम नाभिकीय शस्त्र अपने पास बनाए रखने के लिए बाध्य करती हैं।

मेरी सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ अपने विविध संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। उनकी संख्या बीस मिलियन है तथा वे सारे विश्व में फैले हुए हैं तथा वे जिन देशों में बसे हैं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि के साथ भी घनिष्ठ सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संपर्क बनाए रखे हैं। भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है।

माननीय सदस्यगण, आज आप बजट सत्र शुरू कर रहे हैं। रेल तथा आम बजट से संबंधित वित्तीय कार्यों के अलावा पर्याप्त विधायी कार्य भी इस सत्र में किया जाना है। दो अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक बनाने की भी आवश्यकता है। यह सभी कार्य मूलरूप में हमारे देश के सर्वांगीण तथा तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ा है। लोगों ने आपको चुना है, उन्हें आप से बहुत आशा है कि संसद के बहुमूल्य समय का सर्वोत्तम उपयोग निर्धारित कार्य को पूरा करने में किया जाएगा।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण* — 25 फरवरी 2002

लोक सभा	-	तेरहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री कृष्ण कांत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.एम.सी. बालयोगी

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2002 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है इस सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले बजट और विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जैसे यह सत्र प्रारंभ हो रहा है, चार राज्यों—उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर व उत्तराखण्ड की विधान सभाओं के लिए हुए चुनावों के अधिकांश परिणाम भी हमारे सामने आ चुके हैं। मैं आप सबके साथ नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई देता हूं। हम उत्तरांचल की जनता को विशेष रूप से बधाई देते हैं, जिन्होंने अपना राज्य बनने के बाद, पहली बार, अपनी विधान सभा चुनी है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हुए उप-चुनावों के परिणामस्वरूप, लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का भी मैं स्वागत करता हूं।

भारतीय लोकतंत्र के इस मंदिर पर पिछले वर्ष 13 दिसम्बर को हुए अभूतपूर्व आतंकवादी हमले के बाद, संसद का यह पहला सत्र है। इस हमले ने हमारी संप्रभुता को खुलेआम ललकारा। यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला था। यह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जन-प्रतिनिधियों का बड़े पैमाने पर संहार करने का क्रूर व घिनौना कुचक्र था। यदि यह सफल हो जाता तो इससे ऐसी तबाही होती, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपनी संसद और अपने सांसदों को

---
*अभिभाषण का हिन्दी पाठ भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

बचाने के लिए, नौ वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

विगत 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ, वह भारत के विरुद्ध सीमा-पार से बीस वर्षों से चलाए जा रहे निंदनीय आतंकवादी कुकृत्यों में सबसे घिनौना था। ऐसी चुनौती से निर्णायक व अंतिम रूप से निपटने का हमारा संकल्प और भी दृढ़ हुआ है। इस षड्यंत्र की जांच से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि इसमें आतंकवादी संगठनों का हाथ है, जो पाकिस्तान की धरती और वहां की शासन-सत्ता के समर्थन से काफी समय से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। अब यह भी सिद्ध हो चुका है कि ये आतंकवादी संगठन विचारधारा, प्रेरणा, संसाधन व संभार-तंत्र के जरिए उन संगठनों से निकटता से जुड़े हुए हैं जिन्होंने 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर हमला किया था।

मेरी सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने सभी संसाधनों के जरिए सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। हमारी सशस्त्र सेनाओं के बहादुर जवान और अफसर पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद हैं और विषम परिस्थितियों के बावजूद लगातार चौकसी बनाए हुए हैं। किसी भी प्रकार के हमले को नाकाम करने के लिए आवश्यक सैन्य शक्ति व तैयारी को बनाए रखा जाएगा। साथ ही साथ, हमने पाकिस्तान के विरुद्ध कूटनीतिक व राजनयिक स्तर पर बहुत से कदम उठाए हैं। हमने, सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के विरुद्ध अपने न्यायोचित संघर्ष के बारे में विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों और वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास भी तेज कर दिए हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आतंकवाद की कहीं तो निंदा की जाए और कहीं उसे अनदेखा कर दिया जाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्व स्तर पर और व्यापक रूप से संघर्ष किए जाने की आवश्यकता है। इस संघर्ष में न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें समर्थन देने, धन उपलब्ध कराने या पनाह देने वालों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन प्रयासों में योगदान देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कई सांसदों ने हाल ही में विभिन्न देशों की यात्रा की। अब भारत की स्थिति को अन्य देश बेहतर ढंग से समझते हैं वे उसका समर्थन करते हैं। हाल ही में, कोलकाता में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य अभियुक्त को हमारे सुपुर्द कर देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को राजी करने में हमने जो सफलता पाई है, वह इसका उदाहरण है।

आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष के इस दौर में समूचा राष्ट्र एक है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में हुई सर्वसम्मति से हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और महानता एक बार फिर उजागर हुई है।

यह मांग की जाती रहती है कि पाकिस्तान से पुनः बातचीत शुरू की जाए। यह नहीं हो सकता कि आतंकवाद भी जारी रहे और वार्ता भी की जाए। हाल ही की

घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि भारत, पाकिस्तान के साथ, सदैव ही सार्थक बातचीत के लिए तैयार रहा है परंतु पाकिस्तान अपनी विश्वासघाती करतूतों से बातचीत को विफल करता रहा है। भारत, पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए तैयार है बशर्ते कि वह इस बारे में हमें संतुष्ट कर दे कि उसने आतंकवादियों को प्रशिक्षण, हथियार, धन आदि उपलब्ध न कराने और जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए वस्तुतः प्रभावी उपाय कर लिए हैं। हम पाकिस्तान से यह भी मांग करते हैं कि वह उन बीस आतंकवादियों को हमें सौंप दे, जिन्होंने भारत में गंभीर अपराध किए हैं और जिन्हें पाकिस्तान शरण देता आ रहा है। भारत के विरुद्ध शत्रुता समाप्त करने और जम्मू-कश्मीर सहित सभी अनसुलझे मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से विचार-विमर्श करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में पाकिस्तान की ईमानदारी की परीक्षा तभी होगी जब वह उक्त मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करे।

जम्मू-कश्मीर की आंतरिक स्थिति से निपटने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति है, इसके तहत पहले तो आतंकवादियों से कड़ाई से निपटा जाना है। इसमें हमारे सुरक्षा बल पहले ही उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हम जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को उसी प्रकार समाप्त करने में सफल होंगे जैसा कि पिछले दशक में हमने पंजाब में किया था। इस विषय में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमारी नीति का दूसरा उद्देश्य, राज्य के तीनों क्षेत्रों के द्रुत आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना, विशेषकर, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है। तीसरी बात यह है कि हम राज्य के किसी भी ऐसे समुदाय के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो हिंसा का मार्ग छोड़ना चाहते हैं और जिनकी शिकायतें जायज हैं।

जम्मू-कश्मीर की जनता निष्पक्ष चुनाव के जरिए इस वर्ष नई विधान सभा चुनेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें उन तत्वों से सावधान रहना चाहिए, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और जो लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि आगामी चुनावों से शांति व सामान्य स्थिति बहाल होने में मदद मिलेगी और जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी।

सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मंत्री समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की व्यापक समीक्षा की थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर, उच्चतर रक्षा प्रबंधन में दूरगामी सुधार किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के बीच गहन समन्वय और सैन्य व सिविल प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में एकीकरण भी स्थापित किया जा रहा है। रक्षा संबंधी खरीदों में तत्परता लाने, उन्हें सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के और अधिक अनुरूप बनाने और खरीद कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अलग से रक्षा खरीद बोर्ड गठित किया गया है।

मैं, पिछले माह अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किए जाने पर, अपने रक्षा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूं। हमारे द्वारा पहले परीक्षण की गई अन्य

मिसाइलों के साथ इस मिसाइल के जुड़ जाने से, हमको निशाना बनाकर की जाने वाली किसी भी दुस्साहसपूर्ण सैन्य कार्रवाई के खिलाफ भारत की प्रतिरक्षा क्षमता और मजबूत हो जाएगी।

आत्मनिर्भरता के अपने अनवरत प्रयास में, हमने अनेक प्रकार के रक्षा उपकरणों का विनिर्माण निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया है ताकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को, निजी भारतीय कंपनियों द्वारा, हाल के दशकों में, विकसित प्रभावशाली क्षमताओं का लाभ मिल सके। निजी कंपनियां अब रक्षा उद्योग लगाने, और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के साथ सहयोग स्थापित करने के संबंध में लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकेंगी। ऐसी कंपनियां इक्विटी के 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी ले सकती हैं। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन और निर्यात को नई शक्ति प्राप्त होगी।

आंतरिक सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बन चुकी है। संघ सरकार, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से देशभर में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपाय करती रही है। आज आंतरिक सुरक्षा को आतंकवाद और संगठित अपराध से सबसे ज्यादा खतरा है। इनसे हमारी बाह्य सुरक्षा और हमारी राष्ट्रीय एकता को भी खतरा है क्योंकि इनके हमारे पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी ताकतों के नेटवर्क से जग-जाहिर संपर्क हैं। इसलिए, सरकार ने आतंकवादी अपराधों से शीघ्र व कारगर ढंग से निपटने के लिए संघीय कानून बनाना आवश्यक समझा। इस काम में, सरकार ने कुछ राज्यों में पहले से मौजूद या फिर कुछ अन्य राज्यों में विचाराधीन समान कानून भी देखे। तद्नुसार, 24 अक्तूबर, 2001 को आतंकवादी निवारण अध्यादेश, 2001 प्रख्यापित किया गया। चूंकि संसद इसके स्थान पर विधेयक पारित नहीं कर सकी थी, इसलिए इस अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित करना पड़ा। ऐसा करते समय, सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सुझाव लिए और समुचित संशोधन किए।

साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और अपने संविधान के पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करना हमारे राष्ट्र की विशेषताओं का मूल आधार है। मैं काफी संतोषप्रद रूप से यह कहना चाहता हूं कि यदि पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें, तो वर्ष 2001 में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं अपेक्षाकृत कम ही हुई हैं। तथापि, सरकार साम्प्रदायिक अशांति भड़काने का प्रयास करने वालों पर लगातार कड़ी नजर रखेगी। इस दिशा में, सरकार ने कुछ कट्टरपंथी संगठनों पर उनकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। मैं लोगों से तथा सभी राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों से अपने अनेक धर्मों वाले समाज में शांति और सौहार्द को पुख्ता करने के लिए हर संभव कार्य करने और ऐसा करके राष्ट्रीय एकता के बंधनों को और अधिक मजबूत बनाने की अपील करता हूं।

अयोध्या विवाद भी राष्ट्र के समक्ष मौजूद विवादास्पद मुद्दों में से एक है। साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्र की अखण्डता के लिए इसका सौहार्दपूर्ण और शीघ्र

समाधान निकालना जरूरी है। सरकार का दृढ़ मत है कि इस विवाद को या तो सभी संबंधित पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति से या फिर न्यायपालिका के निर्णय से सुलझाया जा सकता है। इस विवाद का समाधान करने में आसानी के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में, हाल में अयोध्या सेल बनाया गया है। कानूनी रिसीवर होने के नाते भारत सरकार अयोध्या में इस विवादित स्थल पर यथास्थिति कायम रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास पर हमारी सरकार का निरंतर ध्यान केन्द्रित रहा है। इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि और कल्याण के मार्ग में आतंकवाद और उग्रवाद मुख्य बाधाएं रही हैं। उग्रवादी गुटों में अनेक के पीछे पड़ोसी देशों में विद्यमान भारत-विरोधी ताकतों का हाथ रहा है। सरकार हिंसा का रास्ता अपनाने वालों से सख्ती से निपटेगी। तथापि, सरकार उन सभी से बातचीत करने के लिए तैयार है जो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। साथ ही, सरकार इस बहु-जातीय क्षेत्र में लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्रवाई करेगी। पहली बार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष मंत्रालय का गठन किया गया है। पूर्वोत्तर परिषद को सुदृढ़ किया गया है। विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का धीमा क्रियान्वयन बहुत समय से पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का कारण रहा है। इन परियोजनाओं के लिए अलग से काफी धन की व्यवस्था की गई है। नए मंत्रालय के बनने से यह स्थिति सुधरने लगी है। मैं इस क्षेत्र की सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रयास में पूरा सहयोग करें।

विभिन्न उग्रवादी गुटों के साथ वार्ता की संतोषजनक प्रगति होने से नागालैण्ड में शांति प्रक्रिया को बल मिला है। पिछले एक वर्ष में, खासकर अच्छी बात यह रही है कि नागालैण्ड के लोग शांति, वार्ता और विकास के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं। मिजोरम पहले से ही शांति स्थापना का लाभ ले रहा है। सरकार अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों के प्रयासों में पूरी सहायता करेगी ताकि वे उसके उदाहरण का अनुकरण करें।

राष्ट्रीय सुरक्षा और चहुंमुखी विकास के दोहरे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था का होना अति आवश्यक है। विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी से भारत भी प्रभावित हुआ है। वर्ष 2000-2001 में वृद्धि-दर में कमी हुई है। तथापि, चालू वर्ष के पूर्वानुमानों से लगता है कि 5.4 प्रतिशत तक वृद्धि हो, एवं एक बार फिर भारत विश्व में तीव्रतम गति से अग्रसर पांच वृहद अर्थव्यवस्थाओं के समूह में आ सका है। बहरहाल, वृद्धि की यह दर न तो पर्याप्त है और न ही संतोषजनक। हमें तीव्र गति से अनेक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8 प्रतिशत और इससे अधिक हो सके। मात्र इससे ही अगले दस वर्षों में

प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या को घटाकर आधी करने के अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस कार्य की तात्कालिकता को महसूस करते हुए, सरकार ने सुधार-कार्यसूची तैयार करने और उसके कार्यान्वयन को सुकर बनाने एवं मानीटर करने के उद्देश्य से आर्थिक सुधार संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना इस वर्ष आरम्भ हो रही है। इस योजना के दृष्टिकोण पत्र का उद्देश्य योजना अवधि 2002-2007 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से बढ़ाना है। इसमें मानव विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल करते हुए, ऐसे विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का भी प्रस्ताव है, जिनकी मानीटरिंग की जा सकती हो। योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश दर में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकें, विद्यमान पूंजीगत परिसम्पत्तियों की उत्पादकता बढ़ा सकें; नए निवेश की क्षमता में सुधार करने के लिए दूसरे चरण के नीतिगत सुधार अपनाएं; और सभी राज्यों में सुधारों को कारगर बनाने और उन्हें गहन और व्यापक बनाने के लिए बढ़ावा दे सकें।

मैं, किसानों को हार्दिक बधाई देने में आप सबके साथ हूं। इन्होंने फिर से भरपूर पैदावार की है। खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 2001-2002 में 210 मिलियन टन होने की संभावना है, जो एक नया रिकार्ड होगा, जबकि पिछले वर्ष यह 196 मिलियन टन हुआ था। वर्ष 2000-2001 के दौरान 81 मिलियन टन दूध का उत्पादन करके, भारत विश्व में डेरी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमने कृषि उत्पादन के बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावशाली प्रगति की है।

सरकार का प्रयास है कि वह भारतीय कृषि को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें और अतीत के बंधनों से मुक्ति दिलाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकें। चीनी उद्योग से पूरी तरह नियंत्रण शीघ्र हटा लिया जाएगा। इसे लाइसेंस मुक्त किए जाने से लाभ मिलने पहले ही शुरू हो गए हैं। पहली बार, चीनी मिलों को एथेनाल की आपूर्ति की अनुमति दी गई है ताकि इसे पेट्रोल व डीजल के साथ 5 प्रतिशत तक मिलाया जा सके। इससे न केवल हमारे तेल आयात में बचत होगी, बल्कि हमारी चीनी मिलों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता भी बढ़ेगी। इन सबके अतिरिक्त, गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को अधिक मूल्य भी मिलेगा। सरकार सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध है जिससे कि वे आर्थिक सुधारों के पूरे लाभ उठा सकें। सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण का दिया जाना

उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि के विकास के लिए यथासमय पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाना। सरकार ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों को, जोकि किसानों की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को उनके द्वार पर उपलब्ध कराती है, सुदृढ़ बनाने के उपाय करेगी ताकि कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। ये कृषि विकास बनाए रखने और किसानों को उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सुविधा सुलभ कराती हैं।

सबसे गरीब व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा कृषि नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तद्नुसार, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के लिए लक्ष्यांकित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन और बढ़ाकर जुलाई, 2001 से 25 किलो प्रति परिवार कर दिया गया है। इसके पहले, यह अप्रैल, 2000 से 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो प्रति परिवार किया गया था। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य भी घटाकर आर्थिक लागत का लगभग सत्तर प्रतिशत कर दिया है। इसके अतिरिक्त, काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सूखा या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्यारह राज्यों को जनवरी, 2001 से तीन मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न निःशुल्क आबंटित किया गया है।

उत्पादन, परिवहन और वितरण में अपव्यय और क्षति, भारत में खाद्य अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या हैं। अनुमान है कि कटाई के दौरान और उसके बाद कृषि वस्तुओं में प्रत्येक वर्ष 70,000 करोड़ रु. से अधिक का नुकसान होता है। सरकार इन क्षतियों को रोकने के लिए व्यापक कार्यनीति बनाने पर विचार कर रही है।

भारत का पशुधन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है। पिछले वर्ष, सरकार ने पशुओं की सुरक्षा, संरक्षण, विकास, कल्याण एवं लाने ले जाने संबंधी संगत कानून की समीक्षा करने और गोशालाओं, गोसदनों और पिंजरापोलों की उन्नत कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए "राष्ट्रीय पशु आयोग" का गठन किया है। इस आयोग की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

अप्रैल-नवम्बर, 2001 में औद्योगिक वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत रही, जो वर्ष, 2000 की इसी अवधि में प्राप्त 6 प्रतिशत की तुलना में कम है। औद्योगिक वृद्धि में यह गिरावट कई कारणों से आई है जिनमें विश्वव्यापक मंदी, व्यापार चक्र के उतार-चढ़ाव, कॉरपोरेट पुनर्संरचना में अंतर्निहित समायोजन में देरी आदि और परिणामस्वरूप उपभोक्ता और निवेश मांग—दोनों में गिरावट शामिल हैं।

हमारी अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में मंदी के बावजूद, इसके आधार मजबूत बने हुए हैं। मुद्रास्फीति और कम हुई है, जो पिछले दो दशकों में निम्नतम है, हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार रिकॉर्ड स्तर पर है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ा है। पिछले वर्ष,

पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी के बावजूद, देश की भुगतान संतुलन की स्थिति स्थिर रही है। भारत के निर्यात में सकारात्मक बढ़ोत्तरी जारी है। निस्संदेह, पिछले वर्ष की वृद्धि दर विगत दशक में सबसे अधिक थी।

भारत ने पिछले वर्ष दोहा में हुए विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपने राष्ट्रीय हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की। हमने उरुग्वे दौरे के करारों के कारण उत्पन्न कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न मुद्दों को उजागर करने में समान सोच वाले विकासशील देशों के साथ समन्वय किया। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि व्यापार वार्ता के अगले दौर में विकासशील देशों की मुख्य चिंताओं पर ध्यान दिया जाए।

आर्थिक परिवेश बेहतर बनाने एवं आधारभूत संरचना संबंधी बाधाएं दूर करने के लिए, पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न नीतिगत सुधारों के परिणाम सामने आने लगे हैं। यह स्थिति दूरसंचार सेवाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्पष्टत: दृष्टिगोचर होती है। माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अब, भारत में प्रति घंटे टेलीफोन की एक हजार नई लाइनों की बढ़ोत्तरी हो जाती है। वर्ष 1999 में सेल्यूलर फोन के उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 1.2 मिलियन थी जो अब 5.7 मिलियन से भी अधिक हो गई है। फिक्स्ड लाइन कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 36 मिलियन से भी अधिक हो गई है जबकि वर्ष 1999 में यह 21 मिलियन थी। अब पहले से बहुत ज्यादा भारतवासी दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र के निवासी भी शामिल हैं। परन्तु, पहले की तुलना में, ये सेवाएं काफी सस्ती हो गई हैं। एसटीडी की दरें 62 प्रतिशत तक कम हो गई हैं। आज, किसान अपने जिले में बहुत से स्थानों पर लगभग स्थानीय काल की दरों पर ही फोन पर बात कर सकता है।

इसी प्रकार की उपलब्धि, जनसाधारण तक सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने में भी दिखाई देती है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 1999 में केवल ढाई लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 4 मिलियन हो गई है। भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का प्रयोग भी नियमित रूप से बढ़ रहा है। जब माननीय सदस्य संसदीय कार्य में भाग लेने के लिए दिल्ली में हों, तो वे उसी दिन अपने राज्यों से प्रकाशित होने वाले बहुत से समाचार पत्र इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। इसलिए हम गर्व से यह दावा कर सकते हैं कि हमने, वास्तव में, डिजीटल डिवाइड को कुछ हद तक कम कर दिया है। फिर भी, अभी हमें काफी लम्बी दूरी तय करनी है। देशभर में तीव्र, व्यापक और किफायती डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया नया संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चला रहा है। इन दोनों क्षेत्रों के कार्यों के बीच सहज समानता को ध्यान में रखते हुए, संचार मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दोनों को मिलाकर, यह नया मंत्रालय बनाया गया है, ताकि प्रौद्योगिकीय अभिसरण की आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया जा सके।

विश्व अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात में अपना प्रमुख स्थान बनाए रखा है। दस वर्ष पहले, भारत का साफ्टवेयर निर्यात नाममात्र का था जबकि अब यह हमारे कुल निर्यात का 14 प्रतिशत हो गया है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयरों का और सेवा उद्योग का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.7 प्रतिशत हो गया है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के साफ्टवेयरों का निर्यात करना है और हम इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। बायो-प्रौद्योगिकी जैसे अन्य ज्ञान आधारित उद्योग भी तेजी से विकसित होने की स्थिति में आ रहे हैं और आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ पाएगा।

भारत का मनोरंजन उद्योग ज्ञान-अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभरा है। भविष्य में, इस क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं। पिछले तीन वर्षो के दौरान भारतीय फिल्मों का निर्यात प्रति वर्ष वस्तुतः दुगना हुआ है। सरकार, भारतीय फिल्मों और संगीत की विश्व बाजार में पहुंच को बढ़ाने और उनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए विभिन्न अनुकूल रूप से नीतिगत प्रयास कर रही है। इससे इस क्षेत्र के भारतीय विषय-वस्तु विशेषज्ञों और सर्विस प्रोवाइडरों की मांग विदेश में उसी तरह बढ़ जाएगी जिस तरह हमारे सूचना प्रौद्योगिकी प्रोफेशनलों की बढ़ी है। टेलीविजन और एफ.एम. रेडियो, दोनों क्षेत्रों में हमारी उदारीकृत नीतियों से इन क्षेत्रों में निजी निवेश बढ़ा है, तथा देखने-सुनने के लिए उपभोक्ताओं को अधिक प्रोग्राम मिलने लगे हैं। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रसारण सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया है। सरकार ने विश्वस्तरीय राष्ट्रीय प्रेस सेंटर बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों को देखते हुए, उनके कल्याण के लिए एक स्कीम अधिसूचित की गई है।

जहां सरकार की एक प्राथमिकता विश्वव्यापी डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है, वहीं उसकी दूसरी प्राथमिकता पूरे देश में फिजिकल कनेक्टिविटी को तीव्र गति से सार्थक रूप से उन्नत बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने दो विशिष्ट परियोजनाएं—राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शुरू की हैं, और ये दोनों ही स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक की सबसे महत्वाकांक्षी आधारभूत परियोजनाओं में से हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की तीव्र प्रगति को देखते हुए, सरकार सड़क विकास कार्य को बड़े पैमाने पर बढ़ा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों को तेरह हजार किलोमीटर तक चार व छह लेन का बनाया जा रहा है। इसमें से, 1,800 किलोमीटर मार्ग को चौड़ा किया जा चुका है। चार महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चौमार्गीय नामक इस परियोजना के पहले चरण का कार्य अपनी नियत समयावधि से एक वर्ष पहले ही पूरा हो जाने की ओर अग्रसर है। आशा है कि यह वर्ष 2003 तक पूरा

हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले दो वर्षों में, प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रु. व्यय करेगा। अकेले इस प्रथम चरण से ही 19 करोड़ श्रम दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। इसके अतिरिक्त, इससे 10 मिलियन टन सीमेंट, 1 मिलियन टन स्टील और बड़ी मात्रा में सड़क संबंधी स्वदेश निर्मित उपस्करों की मांग बढ़ेगी। साथ ही, केन्द्र सरकार राज्यों को उनके राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष दे रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन सही दिशा में प्रारंभ हुआ है। इसके प्रथम चरण में, 1,000 से अधिक आबादी वाले सड़कों से न जुड़े गांवों के लिए बारहमासी सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 2007 तक पूरा हो जाएगा। केन्द्र द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित इस स्कीम के अंतर्गत, लगभग 7,000 करोड़ रु. के प्रस्ताव, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं। सरकार, इस स्कीम के तहत आबंटन को गैर-बजटीय स्रोतों से और बढ़ाना चाहती है।

रेलवे की विमान परिसंपत्तियों के स्थान पर दूसरी परिसंपत्तियों की व्यवस्था, विशेषकर सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में, करने के लिए 17,000 करोड़ रु. की व्यपगत न होने वाली एक विशेष रेलवे सुरक्षा निधि बनाई गई है। इस वर्ष के साथ ही समाप्त हो रही नौवीं योजना में, भारतीय रेलवे 2,300 किलोमीटर मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लेगी। इसके साथ, भारतीय रेलवे नेटवर्क के 25.2 प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण हो जाएगा। इससे लगभग 63 प्रतिशत माल की ढुलाई की जा सकेगी और 49 प्रतिशत यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा।

एक नया पोत परिवहन मंत्रालय बनाया गया है जो महत्वपूर्ण क्षेत्र पर और अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। यह हमारे प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता और कार्यदक्षता को समुचित रूप से बढ़ाने में सफल हुआ है। पहली बार जहाजों को घाट के लिए इंतजार नहीं करना होता है। सरकार, भारत की नौवहन कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शीघ्र ही नए नीतिगत उपायों की घोषणा करेगी। एक अंतर्देशीय जल परिवहन विकास परिषद् की स्थापना की गई है। पिछले वर्ष पारित संगत अधिनियम में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में संगठनात्मक परिवर्तन लाने में सहायता मिली है और इससे प्राधिकरण को यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि वह बांड या डिबेंचर जारी करके बाजार से निधियां जुटाए। इन उपायों से, हमारे देश को बड़े पैमाने पर परिवहन के किफायती और कम प्रदूषित साधन का भरपूर उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

भारतीय विद्युत क्षेत्र आज विकट स्थिति में है। देश में, विद्युत की सर्वाधिक मांग के समय विद्युत आपूर्ति में 13 प्रतिशत की कमी एवं ऊर्जा में 7 प्रतिशत की कमी लगातार बनी हुई है। इसके साथ-साथ आपूर्ति की घटिया क्वालिटी, निम्न वोल्टेज व

ग्रिड में अस्थिरता की समस्याएं भी हैं। विद्युत क्षेत्र में चिंताजनक स्थिति का मुख्य कारण राज्य विद्युत बोर्डों और जनोपयोगी संस्थानों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति है। वर्ष 1992–93 में राज्य विद्युत बोर्डों को 4,560 करोड़ रु. की हानि हुई थी, जो 2000–01 में बढ़कर 20,527 रु. हो गई। राज्य विद्युत बोर्डों की यह खराब वित्तीय स्थिति बहुत से कारणों से है, जिनमें बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी और घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को, सामर्थ्य से बाहर दी जाने वाली क्रॉस-सब्सिडी भी शामिल है।

बिजली क्षेत्र में सुधारों को और गति प्रदान करने के लिए, सरकार ने एक नए विद्युत विधेयक का मसौदा तैयार किया। इसे पिछले वर्ष, संसद में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक से सभी राज्यों के लिए सुधारों को करना अनिवार्य हो जाएगा और राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने-अपने राज्य विद्युत विनियमन आयोग का गठन करें। साथ ही, यह विधेयक लचीला भी है और इसके अंतर्गत संबंधित राज्य को अपने यहां की वस्तु स्थितियों के आधार पर सुधारों का मॉडल अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है।

इस वर्ष, अप्रैल से निर्देशित कीमत निर्धारण तंत्र को समाप्त कर देने के परिणामस्वरूप, धीरे-धीरे एक प्रतिस्पर्धी बाजार उभरेगा जिस पर न्यूनतम नियंत्रण ही होगा। ऐसा होने से पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता और पेट्रोलियम उद्योग-दोनों ही लाभान्वित होंगे। ऑयल पूल एकाउंट मैकनिज्म की बजाय, सरकार के राजकोषीय बजट के मार्फत सब्सिडी देने की व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी। हाल ही में, पहली बार, हाइड्रोकार्बन के अपारंपरिक स्रोतों के दोहन के लिए कोल बेड मीथेन के सात प्रखण्डों का आबंटन किया गया है। संविदाओं पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1.1 करोड़ से भी अधिक एलपीजी कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची वर्ष 2001 में पूरी तरह से समाप्त हो गई। ग्रामीण जनता को एलपीजी की और अधिक सुविधा मुहैया कराने के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1500 एलपीजी वितरण एजेंसियों की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र-उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2005 तक मल्टी फाइबर करार के चरणबद्ध रूप से समाप्त होने से जो चुनौतियां आएंगी, उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार करने में वस्त्र-उद्योग को, नई वस्त्र नीति से सहायता मिली है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि से तीव्र आधुनिकीकरण में मदद मिल रही है। यह अन्य वस्त्र उत्पादक देशों के साथ विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है।

नई पर्यटन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पर राज्य सरकारों, होटल उद्योग, पर्यटन और ट्रैवल आपरेटरों तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ व्यापक

विचार-विमर्श किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समन्वित पर्यटन सर्किटों को विकसित करना और भारत के अद्वितीय आकर्षणों का अधिकाधिक लाभ उठाना है। आधारभूत संरचना एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करके और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण करके, इस दूरदर्शी नीति को अपनाने से भारतीय पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख स्रोत बन जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। तथापि, भारत और पूरे विश्व के आर्थिक माहौल में आए महत्वपूर्ण बदलाव से यह जरूरी हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र—दोनों प्रतिस्पर्धात्मक बनें। अपने अनुभव, विशेषरूप से पिछले दशक के अनुभवों से, सीख लेते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। अधिकांश उपक्रम लंबे समय से घाटे में चल रहे हैं। इसे अब और सहन नहीं किया जा सकता। लोगों ने विनिवेश नीति और इसकी पारदर्शी प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिसमें कम शेयरों वाली कंपनियों का विनिवेश करने की बजाए, स्ट्रेटेजिक बिक्री को महत्व दिया गया है। इसके उत्कृष्ट परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों के लिए बने सुरक्षा तंत्र में सुधार करने के लिए दो प्रमुख कदम उठाए हैं। इनमें से पहला है-सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों में 1992 या 1997 में वेतन संशोधन नहीं हुआ है उनमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में बढ़ोत्तरी होगी तथा दूसरे कदम से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के तहत सेवा निवृत्त होने वाले श्रमिकों के लिए स्वरोजगार के प्रशिक्षण-अवसरों में वृद्धि होगी।

अपने संसाधनों का उत्पादनकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, यह वांछनीय नहीं है कि ये अलाभकारी, अनुत्पादक इकाइयों में बेकार पड़े रहें। इन इकाइयों, इनके कामगारों और लेनदारों तथा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा कि अनुत्पादक इकाइयों का तत्काल अधिग्रहण कर लेने की कोई व्यवस्था हो ताकि पूंजी का लाभकारी ढंग से इस्तेमाल किया जाता रहे। तदनुसार, दिवाला विषयक कानून को तत्काल लाने की आवश्यकता है जिससे कि कामगारों को देय राशियों का शीघ्र भुगतान हो सकेगा और अलाभकारी फर्में बंद हो सकेंगी।

परिमाण संबंधी पाबंदियों के हटने से, लघु क्षेत्र के समक्ष विभिन्न चुनौतियां व अवसर आ गए हैं तथा विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा उनके समक्ष है। इस बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए, इस क्षेत्र को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्य पर विश्व मानकों के अनुरूप उत्पाद तैयार हो सकें। इस क्षेत्र की सहायता के लिए, सरकार पहले ही कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। यदि आवश्यक हुआ तो और योजनाएं भी बनाई जाएंगी।

हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए चुनाव संबंधी सुधार काफी समय से लंबित है। इस प्रयास के एक भाग के तहत राजनीतिक दलों के खातों में अधिक पारदर्शिता लाने और चैक से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन देने के संबंध में नीति बनाई जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि खुले मतदान द्वारा राज्य सभा का चुनाव किया जाए और किसी राज्य विशेष से राज्य सभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त हटा दी जाए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट, दो वर्ष अथवा उससे अधिक समय लम्बित सत्र मामलों तथा जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों को देख रहे हैं। इस समय कारागारों में लगभग दो लाख विचाराधीन कैदी हैं तथा राज्य सरकारें उनकी देखरेख पर लगभग 400 करोड़ रु. प्रतिवर्ष खर्च करती हैं। इस समय, लोक अदालतें दोनों पक्षों के बीच हुए सुलह समझौते के आधार पर ही विवादों का निपटारा कर सकती हैं। यदि दोनों पक्षों के बीच कोई सुलह समझौता नहीं हो पाता है तो मामला या तो न्यायालय को लौटा दिया जाता है अथवा पक्षों को किसी भी अन्य न्यायालय में जाने की सलाह दी जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए, इस अधिनियम में संशोधन करके स्थायी लोक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये अदालतें कुछ जनोपयोगी सेवाओं के मामलों का समाधान करने और उनका हल ढूंढ़ने के लिए मुकदमे से पूर्व अनिवार्य तंत्र के रूप में कार्य करेंगी।

माननीय सदस्यगण, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करके लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करने का पहला दशक इस वर्ष पूरा हुआ है। दस वर्ष पहले इस सम्माननीय संसद ने संविधान के ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन पारित किए थे। देश के कई हिस्सों में लोकतंत्र की इन आधारभूत संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें महिला प्रतिनिधियों और हमारे समाज के अन्य विपन्न वर्ग के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ी है। सकारात्मक कार्रवाई के कारण ऐसा संभव हुआ है। परन्तु, हमें ईमानदारी के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि अभी तक यह क्रांतिकारी पहल की भावना, वास्तव में पंचायती राज संस्थाओं को यथेष्ट प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण के रूप में पूरी तरह से परिणत नहीं हो पायी है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारें स्वयं संविधान के उद्देश्य तथा मूल वस्तु-स्थिति के बीच विद्यमान अंतर की आलोचनात्मक समीक्षा करें। केन्द्र सरकार ने अपनी ओर यह निर्णय लिया है कि तीन वर्ष के भीतर तीनों स्तरों पर पंचायत के तमाम निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1,027 मिलियन है। नब्बे के बाद के वर्षों के दौरान जन्म व मृत्यु दोनों दरों में पूर्वानुमान एवं नौवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अपेक्षाकृत कम गिरावट आई है। वर्ष 1981-1991 के दशक में यह वृद्धि 23.9 प्रतिशत थी जो 1991-2001 के दशक में घटकर 21.3 प्रतिशत रह गई। यह आजादी के बाद की सबसे ज्यादा गिरावट है। अगले पंद्रह वर्षों के दौरान जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में से आधी से अधिक वृद्धि उन आठ राज्यों

में होगी जो क्रिटिकल सामाजिक जनसांख्यिकी सूचकों की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। सरकार ने विशिष्ट रूप से इन राज्यों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर विचार करने लिए एक अधिकार प्राप्त कार्य-दल का गठन किया है।

पिछले वर्ष भारत ने सबको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ऐतिहासिक संविधान (93वां संशोधन) विधेयक, 2001 पारित करने के लिए, मैं आप सभी की सराहना करता हूं। प्रत्येक भारतीय बच्चे का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उत्तम शिक्षा भी मिले। तदनुसार, समूचे शिक्षा-क्षेत्र में गुणवत्ता-संस्कृति का परिवेश बनाने व उस पर जोर देने के लिए हमने 2002 को "उत्कृष्ट शिक्षा वर्ष" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

जनगणना 2001 ने देश के अनेक भागों में कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और नवजात शिशु मृत्यु की घटनाओं को उजागर किया है। ये सभी घटनाएं बालिकाओं के प्रतिकूल हैं। सामाजिक जागरूकता द्वारा और कानून का कड़ाई से पालन करके दोनों प्रकार से इस स्थिति पर काबू पाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारे देश में लिंग निर्धारण परीक्षणों पर पूर्ण रूप से रोक लग सके, प्रसव पूर्व निदान अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

कुछेक व छोटे-छोटे क्षेत्रों को छोड़कर, भारत पोलियो-रोग से मुक्त हो चुका है। आशा है कि इस वर्ष के अंत तक इन क्षेत्रों से पोलियो का उन्मूलन हो जाएगा। पोलियो के विरुद्ध इस अभियान की सफलता से सीख लेकर, सरकार ने तपेदिक और एचआईवी/एड्स जैसी अन्य भयानक बीमारियों के विरुद्ध जन-अभियानों को तेज कर दिया है। तम्बाकू-विरोधी अभियान को और बल दिया जाएगा।

समुचित स्वच्छता न होने से, हमारे अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य और रहन-सहन पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण, हमारे शहरों और गांवों के बहुत से भाग गंदे और भद्दे भी दिखाई पड़ते हैं। गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की आवास समस्याओं में सुधार लाने के लिए पिछले वर्ष वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना आरंभ की गई। इस नई योजना के सह-अंग के रूप में, अधिक संख्या में सामुदायिक शौचालय परिसर बनाने के लिए सरकार शीघ्र ही "निर्मल भारत अभियान" नामक एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारम्भ करेगी। इनका रखरखाव स्वयं गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने हाल में एक ऐतिहासिक वन्यजीव कार्य-योजना अपनाई है। वन्यजीव संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया जाएगा। शीघ्र ही एक वन आयोग की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकारों को

पार्कों, चिड़ियाघरों की बेहतर देखरेख तथा अवैध रूप से वन्यजीवों का शिकार और उत्पादों के व्यापार को रोकने के लिए अपने स्टाफ को दक्ष और अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में सहयोग दिया जाएगा।

कृषि कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा की प्रसुविधाएं मुहैया कराने के लिए, सरकार ने "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना" शुरू की है। देश के पचास चुनिंदा जिलों में जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही इस योजना में तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक मिलियन कृषि कामगारों को शामिल किए जाने का विचार है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति बढ़ा दी है। स्वावलम्बी समूहों को धन उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो-वित्तपोषण कार्यक्रम को ज्यादा ऋण उपलब्ध कराया गया है। सफाईकर्मियों व उनके आश्रितों की मुक्ति व पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम के तहत, कई राज्यों में सैनिटरी मार्ट्स ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

जनजातीय मंत्रालय ने देश के सभी 1 लाख 14 हजार जनजातीय ग्रामों को शामिल करने के लिए खाद्यान्न भंडार स्कीम का विस्तार करने एवं उसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है। सरकार, भंडारण एवं अन्य लागतों के साथ प्रति परिवार दो क्विंटल खाद्यान्नों की दर से, एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराएगी।

पिछले वर्ष अप्रैल में श्रीहरिकोटा से जिओ-सिन्क्रोनस सैटेलाइट लांच व्हीकल (जीएसएलवी) की सफल विकास उड़ान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता है। भारत इस प्रकार की क्षमता प्राप्त करने वाला विश्व में छठा राष्ट्र है। दो या तीन परीक्षण उड़ानों के बाद जीएसएलवी कार्य करना प्रारंभ कर देगा। विगत माह इनसैट-3सी के सफल प्रक्षेपण के साथ ही दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम-विज्ञान की इनसैट प्रणाली को और बल मिला है।

भारत की विदेश नीति, सुरक्षा एवं विकास के दोनों ही क्षेत्रों में, हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के लिए एक विश्वसनीय संरक्षक और प्रभावी प्रवर्तक की भूमिका निभाती रही है। पिछले वर्ष, 11 सितम्बर और 13 दिसम्बर की घटनाओं के पश्चात् विश्व के समक्ष भारत का दृष्टिकोण रखने में हमारे विदेश नीति प्रतिष्ठानों को बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, विश्व के महत्वपूर्ण नेताओं की भारत यात्राओं के दौरान सरकार को क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी मुद्दों पर अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के अवसर मिले हैं।

समीपवर्ती अफगानिस्तान हमारा सम्मानित मित्र है जिसके साथ हमारे प्राचीन काल से सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संबंध रहे हैं। तालिबान द्वारा बामियान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिए जाने पर पूरे सभ्य जगत के साथ हमें भी असीम व्यथा हुई। भारत को इस बात का हर्ष है कि अफगानिस्तान कट्टर एवं दमनकारी

शासन के चंगुल से मुक्त हो गया है, जिसने उसकी भूमि को पूरे विश्व में फैले जेहादी आतंकवाद की जननी बना दिया था। 22 दिसम्बर, 2001 को काबुल में अफगान अंतरिम सरकार की स्थापना अफगानिस्तान के साथ-साथ, इस क्षेत्र में भी शांति एवं स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। युद्ध की त्रासदी से प्रभावित इस राष्ट्र के सामने मौजूद मानवीय एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा कर पाना कितना कठिन कार्य है, यह हम भली-भांति समझते हैं और हम उनको पूरा करने के लिए अफगानी बंधुओं की सहायता हेतु कृत संकल्प हैं। हमें शीघ्र ही, अफगान अंतरिम प्रशासन के अध्यक्ष हमीद करजई, का भारत में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।

भारत व नेपाल के संबंध पहले के समान घनिष्ठ एवं मित्रवत हैं। हाल के महीनों में, नेपाल को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा है—पहले शाही परिवार में हुई दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी और फिर माओवादी विद्रोहियों द्वारा जारी नृशंस हत्याएं। सामान्य स्थिति बहाल करने और शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए नेपाल की सरकार एवं जनता के प्रयासों के लिए हमने सहानुभूति व सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

भूटान के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण, परस्पर विश्वास और हितकर सहयोग के घनिष्ठ संबंध निरंतर बने हुए हैं।

भारत बांग्लादेश के साथ सभी क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, दोनों देशों के बीच आवागमन को और सुगम बनाने और लोगों के मध्य आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए एक नई वीजा प्रणाली लागू की जा चुकी है। बांग्लादेश के साथ विविध प्रकार के अनेक क्षेत्रों में परस्पर आर्थिक संपर्क बढ़े हैं। इनमें सेवाएं, आधारित संरचना के विकास के लिए संयुक्त प्रयास, परिवर्तन सेवाएं और नदी-जल बंटवारा शामिल हैं।

जातीय हिंसा को समाप्त करने और स्थाई शांति के लिए श्रीलंका में किए गए हाल के प्रयासों से हम संतुष्ट हैं। श्रीलंका की संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इस आधार पर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों का समर्थन करते हैं।

यह संतोष का विषय है कि सार्क प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसे अगस्त, 2001 में कोलम्बो में हुई विदेश सचिवों की बैठक तथा जनवरी की शुरुआत में काठमांडू में हुए राज्याध्यक्षों व सरकार के प्रमुखों के ग्यारहवें शिखर-सम्मेलन से बल मिला। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को गहन व व्यापक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के लक्ष्य के संबंध में उत्तरोत्तर टैरिफ उदारीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत म्यांमार के साथ सृजनात्मक और सकारात्मक संबंधों की नीति का अनुसरण करता आ रहा है। मान्डले में हमारा वाणिज्य दूतावास और कोलकाता में म्यांमार का वाणिज्य दूतावास शीघ्र ही पुनः खोल दिए जाएंगे।

भारत व रूस के बीच चिरकालिक मित्रता एवं सामरिक साझेदारी पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नियमित राजनीतिक विचार-विमर्श से और भी सुदृढ़ हुई है। आर्थिक सहयोग और विविध प्रतिरक्षा सहयोग द्वारा इन्हें और प्रगाढ़ बनाया जा रहा है। पिछले वर्ष नवम्बर में प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के समय कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

चीन के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध विविध क्षेत्रों में निरंतर बढ़ रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री श्री झू रोंग्जी की हाल की यात्रा इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाती है। आपसी विश्वास व समझ बनाने के प्रयास जारी हैं। जापान के साथ हमारी ग्लोबल सहभागिता, हमारे आर्थिक सहयोग व स्ट्रेटेजिक कनवरजेंस—दो मुख्य स्तंभों के आधार पर सुदृढ़ हो रही है। दिसम्बर, 2001 में प्रधानमंत्री का जापान यात्रा के दौरान जारी किया गया संयुक्त घोषणापत्र महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों तथा सार्वभौमिक चुनौतियों से संबद्ध दोनों देशों के एक समान परिप्रेक्ष्य को निर्दिष्ट करता है।

हाल के वर्षों में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तथा आसियान के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। इनसे आपसी सहभागिता की संभावनाओं में और इजाफा हुआ है। इस वर्ष के अंत में कंबोडिया में होने वाला प्रथम भारत-आसियान सम्मेलन इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी।

भारत मध्य-पूर्व में लगातार बढ़ती हिंसा से चिंतित है। इससे शांति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस धारणा को भी और बल मिला है कि अपनी-अपनी सुरक्षित तथा मान्य सीमाओं के अंदर इजराइल के निकट, वायेबल फिलीस्तीन राज्य के बिना स्थायी शांति कायम नहीं हो सकती। हम फिलीस्तीनी बंधुओं को सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

यूरोप के साथ राजनीतिक वार्ता, जर्मन चांसलर श्रोडर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तथा नौर्वे के प्रधानमंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग की भारत यात्राओं के दौरान सर्वोच्च स्तर पर आगे बढ़ी है। दिसम्बर, 2001 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ भारत-यूरोपियन शिखर सम्मेलन हमारे तथा यूरोपियन यूनियन के संबंधों में एक और उपलब्धि रहा। शिखर स्तर पर पारस्परिक संपर्क को संस्थागत रूप देते समय, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच समान हितों को स्वीकार किया गया है, ताकि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना किया जा सके। हम पूर्वी तथा मध्य यूरोप के देशों के साथ मित्रता व सहयोग के अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध हैं।

अमरीका के साथ हमारे संबंध निरंतर और मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में, प्रधानमंत्री तथा उनके बाद मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने वहां की सफल यात्राएं कीं। सरकार, लाभप्रद द्विपक्षीय संबंध कायम करने तथा एशिया और अन्य क्षेत्रों में कई समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अमरीका के साथ व्यापक रिश्ता बनाने की नीति को जारी रखेगी। 11 सितम्बर व 13 दिसम्बर के उग्रवादी हमलों के बाद

लोकतंत्र, स्वतंत्रता व बहुलवाद के अपने समान मूल्यों की, आतंकवादी ताकतों से सुरक्षा के प्रयास में, दोनों देश और निकट आ गए हैं। हम सुरक्षा संबंधी मामलों पर पारस्परिक संबंध और अधिक सुदृढ़ करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थायित्व बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

अफ्रीका का हमारे राजनयिक संबंधों में विशेष स्थान है। इस महत्वपूर्ण महाद्वीप के साथ हमारे संबंधों की राजनीतिक बुनियाद बहुत मजबूत है जो उपनिवेशवाद को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों को हमारे सैद्धांतिक सहयोग और रंगभेद के प्रति हमारे कड़े विरोध पर आधारित है। नए एवं उभरते हुए अवसरों को ध्यान में रखे हुए, इस ऐतिहासिक सबंध में और अधिक आर्थिक पहलुओं को शामिल कर लेना ही आज के समय की चुनौती है। अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों की मुख्य विशेषता सतत् उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संपर्क हैं। मैं पिछले वर्ष मार्च में मुख्य अतिथि के रूप में मारीशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वहां गया। अन्य द्विपक्षीय संपर्कों को अंजाम दिया जा चुका है और कुछ अन्य की योजना है।

मध्य और दक्षिण अमरीकी देशों के साथ हमारे राजनीतिक व आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं।

भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के विषय में सितम्बर, 2000 में गठित उच्चस्तरीय समिति ने 8 जनवरी, 2002 को प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने समिति की इस सिफारिश को मान लिया है कि हर वर्ष 9 जनवरी को "प्रवासी भारतीय दिवस" मनाया जाए। वर्ष 1915 में, इसी दिन महात्मा गांधी, लगभग दो दशकों तक दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय के रूप में रहने के बाद, भारत लौटे थे। अगले वर्ष से प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रमुख अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को दस प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जाएंगे। सरकार चाहती है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पीआईओ कार्ड योजना पुनः तैयार की जाए तथा कार्ड का शुल्क कम कर दिया जाए।

माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र में रेलवे तथा आम बजट से संबंधित वित्तीय एजेंडा के साथ-साथ बड़ी मात्रा में विधायी कार्य भी पूरा किया जाना है। इस समय लोक सभा में 36 और राज्य सभा में 40 विधेयक लंबित हैं। चार अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक लाए जाने हैं। हम जानते हैं कि संसद के कामकाज और विशेषतौर पर बजट सत्र के दौरान किये जाने वाले काम को हमारी जनता, जिनकी आशाओं और आकांक्षाओं का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्सुकता से देखेगी। वह विशेषतौर पर यह देखना चाहेगी कि भारतीय संसद के अमूल्य समय का सदुपयोग सभी नियत कार्यों को संपन्न करने में लगे।

मैं आपके प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

संसद के समक्ष अभिभाषण — 17 फरवरी 2003

लोक सभा	-	तेरहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री भैरों सिंह शेखावत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री मनोहर जोशी

माननीय सदस्यगण,

मैं, वर्ष 2003 में, संसद के इस प्रथम सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बजट सत्र आरंभ होने के अवसर पर संसद के समक्ष यह मेरा पहला संबोधन है।

पहले, मैं राज्य सभा के और साथ ही लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने अक्तूबर में हुए विधान सभा चुनावों में, गोली के खतरे का जवाब मत की ताकत से दिया। पूरा राष्ट्र अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी समर्पित सेवा करने वाली हमारी सशस्त्र सेनाओं, अर्ध-सैनिक बलों और पुलिस बलों का आभारी है। हम उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए।

मैं चाहूंगा कि आज हम सब मिलकर कल्पना चावला और उनके छः साथी अंतरिक्ष यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिनका निधन 1 फरवरी को अंतरिक्षयान कोलम्बिया के धरती पर उतरने के कुछ मिनट पूर्व उसमें हुए दुःखद विस्फोट के कारण हुआ। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे की इस भारतीय महिला के साहस और दृढ़ निश्चय से भरी जीवन यात्रा, जिसने उसे आकाश गंगा का नागरिक बना दिया, भारतवासियों और भारतवंशियों के लिए गर्व की बात रहेगी। इससे भारतीय युवाओं, खासकर महिलाओं को सपने देखने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलेगी। मेटसैट सीरीज के उपग्रहों का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखने के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के कदम का मैं स्वागत करता हूं।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना अपनाए जाने के पश्चात्, संसद का यह प्रथम सत्र है। इस योजना का उद्देश्य, रोजगार-सृजन और इक्विटी पर अधिक जोर देते हुए, त्वरित आर्थिक विकास करना है। इस योजना अवधि के दौरान इसमें सकल घरेलू उत्पाद में औसत 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ-साथ, 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार और स्वरोजगार अवसर सृजन का भी लक्ष्य रखा गया है। योजना में पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्यों प्राप्त किए जाने चाहिएं। दसवीं योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से, इस दृष्टि से अलग है कि यह संसाधन योजना ही नहीं, वरन सुधार योजना भी है। राज्य सरकारों को सुधार संबंधी प्रोत्साहन देकर, इसमें खासतौर पर आर्थिक सुधार के क्षेत्र को बढ़ाया गया है। सिविल सेवा, न्यायपालिका, शिक्षा और इन सबसे ऊपर, केन्द्र, राज्य और पंचायती राज संस्थाओं—सभी स्तरों पर शासन में सुधार के माध्यम से त्वरित विकास में आने वाली अनेक गैर-वित्तीय बाधाओं को दूर करने की स्पष्ट अनिवार्यता परिलक्षित की गई है ताकि इसमें सुधारों के एजेंडा को व्यापक बनाया जाए। मैं संघ और राज्य सरकारों का ध्यान इस योजना दस्तावेज में दी गई उस विस्तृत सूची की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें 10वीं योजना के लक्ष्यों व उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक विधायी एवं प्रशासकीय उपाय दिए गए हैं।

दसवीं योजना एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। कोई भी राष्ट्र तब तक महान नहीं बन सकता, जब तक कि वह एक ऊर्जान्वित संकल्पना के मार्गदर्शन से अपनी क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग नहीं करता। प्रधानमंत्री ने, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अपने अभिभाषण में 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में तब्दील करने के लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने के लिए जनता का आह्वान किया था। इस संकल्पना में जनता का आत्मविश्वास परिलक्षित होता है, जिसका मूल अनेक क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में निहित है। साथ ही, इसमें नई सदी के आरंभ में हमारी जनता की अपेक्षाएं भी परिलक्षित होती हैं कि भारत को अब गरीब देशों की श्रेणी में गिनने की बात तो दूर बल्कि हमें विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी से भी ऊपर उठना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लगभग 260 मिलियन लोग विकास की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। हमारी जनता शत-प्रतिशत साक्षरता, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए मकान, ज्ञान-आधारित उत्पादन-क्षमता से समृद्धि तथा रहन-सहन का बेहतर स्तर पाने के लिए उत्कंठित हैं और यह सब हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। अतः भारत ने एक नई संकल्पना तैयार की है, जिसे मैं 'संकल्पना-2020' कहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारी संसद, जो अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है, वह इस विषय पर विचार-विमर्श करे। मैं संघ व राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वे दसवीं योजना को लोकपरक योजना और विकास को जन-आंदोलन बनाने के लिए एक कार्य-योजना बनाएं। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें दो मंत्रों पर ध्यान देना चाहिए—जनता की भागीदारी के साथ प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की भागीदारी के लिए प्रभावी संपर्क।

संकल्पना 2020 की एक मुख्य विशेषता है—'ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना'। भारत की दो-तिहाई से अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमें उनके सशक्तिकरण हेतु एक वृहत मिशन के जरिए उनके सर्वांगीण विकास पर नए सिरे से बल देने की आवश्यकता है। चार महत्वपूर्ण संयोजनों की व्यवस्था करके यह बहुत अच्छी तरह प्राप्त की जा सकती है। ये हैं–अच्छी सड़कें और परिवहन सुविधाएं; गुणवत्तायुक्त ऊर्जा मुहैया कराकर भौतिक संयोजन; विश्वसनीय संचार तंत्र मुहैया कराकर इलेक्ट्रॉनिक संयोजन; और अधिक व्यावसायिक संस्थाएं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, उच्च गुणवत्ता की अवसंरचना वाले विद्यालय, अध्यापन के प्रति समर्पित अध्यापक, ग्रामीण दस्तकारों के लिए उत्पादन केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, आदि की स्थापना करके ज्ञान संबंधी संयोजन; और मार्किट संयोजन जिससे ग्रामीण जनता के उत्पादों व सेवाओं के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनके लिए रोजगार अवसरों में लगातार बढ़ोत्तरी होगी। यह परिकल्पित नमूना सर्वांगीण पर्यावास के रूप में बनाया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर में सुधार होगा और शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा मेरी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। पाकिस्तान मूल के आतंकवादियों द्वारा 13 दिसम्बर को हमारी संसद पर किए गए आक्रमण के बाद, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सेना तैनात करने के लिए हम बाध्य हो गए। इस निर्णय से पड़ोसी विरोधी देश से निपटने में हमारे आत्मसंयम तथा दृढ़ निश्चय दोनों के प्रदर्शन से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। गत वर्ष अक्तूबर में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया कि सशस्त्र सेनाओं को उनके तैनाती स्थलों पर सामरिक नीति के अनुसार दोबारा तैनात किया जाए। ऐसा करते समय, किसी आपात स्थिति में दृढ़तापूर्वक जवाब देने की उनकी क्षमता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है और न ही जम्मू-कश्मीर में चौकसी में कोई कमी की गई।

एक व्यापक नाभिकीय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसमें सामरिक परिसम्पत्तियों का अंतिम नियंत्रण नागरिक राजनीतिक कार्यपालिका के हाथों में रखा गया है। अग्नि-1 मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों पर देश को गर्व है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की अन्य उपलब्धियों में स्वदेश में विकसित पिनाका, एरिया वेपन सिस्टम, और रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस शामिल हैं–जिसका सफल उड़ान-परीक्षण किया जा चुका है।

वर्ष 2002 में, सीमापार से आतंकवाद की लगातार हुई घटनाओं ने फिर से इस बात को रेखांकित किया कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को मुख्य खतरा बाहर से है। निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्याएं; सुरक्षा कार्मिकों के परिवार के सदस्यों को विशेष लक्ष्य के रूप में निशाना बनाना, तीर्थयात्रियों पर हमला—इन

घटनाओं में पाक समर्थित आतंकवादी हिंसा के जुनून के पीछे सोची-समझी चाल थी, लेकिन यह चाल कामयाब नहीं हुई। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर और जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर हुए भड़काने वाले हमलों के बावजूद, हमारी जनता ने शांति बनाए रखी। परन्तु हमें अपने ऐसे शत्रु से सतर्क रहना चाहिए जो अपना भारत-विरोधी रवैया छोड़ने का इच्छुक नहीं है। सीमापार से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा दिए गए आश्वासन भी पूरे नहीं हुए। आतंकवादी संगठनों की अवसंरचना पाकिस्तान में बरकरार है तथा आतंकवादी संगठनों को पैसा भी बराबर दिया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा अपने राज्य में शांति, सामान्य स्थिति और आर्थिक विकास लाने के प्रयासों में सहयोग के लिए केन्द्र सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने 6,000 करोड़ रु. से भी अधिक लागत की परियोजनाओं एवं स्कीमों की घोषणा की है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों के सृजन तथा आतंकवाद और सीमापार गोलाबारी से प्रभावित विस्थापितों को राहत देने पर बल देने के साथ-साथ, विकास एवं सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समाविष्ट किया गया है।

उत्तर-पूर्व में शांति बहाल करने के सरकार के संगठित प्रयास अब परिणाम देने लगे हैं। मैं नागालैंड की जनता को विशेष रूप से बधाई देता हूं। शांति के प्रति उनकी तीव्र इच्छा ने इस दिशा में केन्द्र के प्रयासों को बल प्रदान किया है। शांतिवार्ता के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर, मैं बोडो समुदाय को भी बधाई देता हूं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास कार्य ने और गति पकड़ ली है। अव्यपगत केंद्रीय पूल के जरिए कई अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इस पूल के जरिए अब तक 1,500 करोड़ रु. से अधिक की राशि दी गई है। 50 सीटों वाले चार वायुयानों की उड़ानें प्रारंभ करके उत्तर-पूर्व में विमान यात्रा को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की गई है।

पिछले तीन दशकों में, राज्यों को अपने पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए लगभग 550 करोड़ रु. दिए गए। इसके विपरीत, दो वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई पुलिस आधुनिकीकरण योजना में अगले दस वर्षों तक हर वर्ष 1,000 करोड़ रु. का प्रावधान है। जिन राज्य सरकारों ने इस निधि का समुचित उपयोग नहीं किया है, उनसे मेरा आग्रह है कि वे तुरंत सुधारात्मक उपाय करें। अप्रैल से 13 राज्यों में प्रायोगिक आधार पर बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र परियोजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की समस्या गंभीर हो गई है और इससे कई राज्य प्रभावित हुए हैं। उत्तर-पूर्व में सक्रिय विद्रोही गुटों द्वारा बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र का इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट मिली है। आई.एस.आई. भी बांग्लादेश में सक्रिय है। इससे घुसपैठ का मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। इस समस्या को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

गुजरात में विधान सभा चुनावों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है और इस राज्य के इतिहास के एक दु:खद अध्याय का अंत किया है। हमें यह सुनिश्चित करने का संकल्प करना चाहिए कि हमारे देश के किसी भी भाग में कभी भी कोई सांप्रदायिक हिंसा की पुनरावृत्ति न हो। सरकार पंथ-निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि अयोध्या विवाद को या तो दोनों समुदायों के मध्य वार्ता द्वारा सुलझाया जा सकता है अथवा न्यायपालिका के निर्णय द्वारा जिसे सभी संबंधितों को मानना होगा। न्यायपालिका को अपना कार्य तीव्रता से करके शीघ्र फैसला देना चाहिए। राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं और विशिष्ट सामाजिक व्यक्तियों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे परस्पर समझ-बूझ, सद्भाव और अनुकूलता का माहौल तैयार करें।

आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए सरकार की सुसंगत एवं समेकित कार्यनीति है। विश्वस्तर पर आयी मंदी के बावजूद, पिछला वर्ष काफी अच्छा रहा, क्योंकि भारत का स्थान तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बना रहा। इस वित्त वर्ष के प्रथम नौ महीनों में, भारत का निर्यात 20 प्रतिशत तक बढ़कर, 38 बिलियन अमरीकी डॉलर (81,300 करोड़ रु.) तक पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था में सापेक्ष गिरावट के बावजूद, इस वर्ष के पहले नौ महीनों में उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क से कुल राजस्व 15 प्रतिशत तक अधिक बढ़ा है। मुद्रास्फीति साधारण स्तर पर रही। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 73 बिलियन अमरीकी डॉलर (3,48,429 करोड़ रु.) पार कर चुका है। 14 राज्यों में गंभीर सूखे के बावजूद, खाद्य भंडार की स्थिति संतोषप्रद है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काबू में हैं। सकल घरेलू उत्पाद के हाल के अनुमान में गिरावट लगभग पूरी तरह से कृषि उत्पाद में कमी आने की वजह से हुई। इससे एक बार फिर यह बात उभर कर सामने आई है कि सिंचाई में और कृषि उपज बढ़ाने वाले अन्य सभी घटकों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि हमारा कृषि क्षेत्र मानसून पर अत्यधिक निर्भर न रहे।

उप-प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सूखा संबंधी एक कार्य-दल गठित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के तहत अभी तक 1,000 करोड़ रु. से अधिक की राशि राज्यों को दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्यों के आपदा राहत कोष में केन्द्र सरकार का योगदान 1,400 करोड़ रु. से अधिक का है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम के बदले अनाज कार्यक्रम के जरिए राहत रोजगार के सृजन हेतु प्रभावित राज्यों को लगभग 5,000 करोड़ रु. मूल्य का लगभग 50 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया जा चुका है।

बार-बार बड़े पैमाने पर मानवीय और आर्थिक क्षति करने वाली सूखे और बाढ़ जैसी समस्याओं का स्थायी हल ढूंढ़ने के लिए राष्ट्र प्रयास करता रहा है। हमारी

नदियों का एक ऐसा नेटवर्क बनाने के विचार पर कई दशकों से जनता का ध्यान रहा है, जिससे अधिशेष जल वाले नदी क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में जल भेजा जा सके। सरकार ने पर्यावरणीय सुरक्षा एवं विस्थापित लोगों के हितों से कोई समझौता न करते हुए, इस परियोजना की व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्य-दल का गठन किया है। इस प्रयास से पेयजल, सिंचाई ऊर्जा उत्पाद, अंतर्देशीय जल परिवहन एवं पर्यटन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस बृहद परियोजना के कारण स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए लघु कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती। यह दोनों परस्पर पूरक हैं।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् ने एक नई राष्ट्रीय जल नीति अपनाई है। इस नीति में उपलब्ध धरातलीय व भू-जल के इष्टतम और सतत उपयोग के लिए समन्वित जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर जोर दिया गया है। केन्द्र ने एक वर्ष में पूरी की जा सकने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए एक फास्ट ट्रैक कार्यक्रम शुरू किया है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई। इससे सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी और सिंचाई की समस्या कम हुई है।

दिसम्बर में शुरू किए गए स्व-जलधारा कार्यक्रम से पूरे देश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति पहल कार्य को बढ़ावा मिला है। यह समुदाय तथा ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला भागीदारी कार्यक्रम है। समुदाय पूंजीगत निवेश के लिए 10 प्रतिशत राशि का योगदान करता है तथा 90 प्रतिशत राशि केन्द्र वहन करता है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्यक्रम के इस संदेश, 'दस कदम आप चलें, नब्बे कदम हम चलेंगे' से देश के सभी भागों में इस कार्यक्रम को अपार समर्थन मिला है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल विभाजक कार्यक्रमों के समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाली' नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण एवं शहरी भारत में पानी की गंभीर व बढ़ती हुई कमी को ध्यान में रखते हुए अब उपयुक्त समय आ गया है कि जल संरक्षण और कारगर जल उपयोग को एक जन-आंदोलन के रूप में शुरू किया जाए।

कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए संस्थागत ऋण तीन वर्ष में लगभग 45,000 करोड़ रु. से बढ़कर लगभग 75,000 करोड़ रु. हो गया है। तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में तीव्र गति से प्रगति हुई है। सितम्बर, 2002 तक 2.7 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए। मार्च, 2004 तक इस स्कीम में सभी पात्र किसानों को शामिल कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में काफी प्रगति हो रही है।

जिन राज्यों में गेहूं व चावल की अत्यधिक उपज हुई है, वहां के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की नीति से, सरकारी एजेंसियों के पास गेहूं व चावल के भारी स्टॉक जमा हो गए हैं। अतः इस स्थिति को देखते हुए, सरकार खाद्यानों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। दीर्घावधि खाद्य व्यवस्था के लिए निर्यात संबंधी उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई व्यापक सिफारिशों की जांच की जा रही है। मौजूदा नीतियों की भी तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि इनके कारण फसल विविधीकरण में बाधा आई है और खाद्य सब्सिडी के स्वरूप को सुव्यवस्थित नहीं किया जा सका है। अत्यधिक खरीद किए बिना, किसानों को अलग-अलग फसलों के लिए सहायता सुनिश्चित करने के लिए भी ऐसा किया जाना जरूरी है।

खाद्य सुरक्षा की हमारी योजना में उर्वरक का महत्वपूर्ण स्थान है। यूरिया के लिए अप्रैल, 2003 से लागू की जाने वाली नई मूल्य निर्धारण नीति में और अधिक पारदर्शिता, कारगरता तथा वित्तीय अनुशासन लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार उर्वरकों के विपणन और वितरण को नियंत्रण-मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है और साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि अच्छी किस्म के प्रमुख उर्वरक पर्याप्त मात्रा में देश में उपलब्ध रहें ताकि वे सभी राज्यों में किसानों को उचित कीमतों पर मिल सकें।

हाल ही में, चीनी उद्योग के सामने गम्भीर कठिनाइयां आई हैं, जिससे गन्ना उत्पाद किसानों को समय पर अदायगी करने में चीनी फैक्ट्रियों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चीनी मिलों की आर्थिक-क्षमता सुनिश्चित करने के साथ-साथ, गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। कृषि में विविधीकरण के लिए बागवानी को प्रमुख क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज स्कीम अच्छे ढंग से कार्य कर रही है और इसमें 28 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित की गई है। ग्रामीण गोदामों के निर्माण, नवीकरण तथा विस्तार की एक नई ग्रामीण भंडारण योजना आरम्भ की गई है। इस योजना से, छोटे व सीमांत किसानों को अपनी फसल बाध्यतावश नहीं बेचनी पड़ेगी। एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय बीज नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पिछले वर्ष शुरू की गई एग्रीक्लीनिक और एग्रीबिजनेस सेंटर स्कीम के तहत, भुगतान पर, किसानों को विस्तार सेवाएं मुहैया कराने के लिए, बेरोजगार कृषि स्नातकों की सहायता ली जाती है। कृषि और बागवानी उत्पाद में मूल्य-संवर्धन की आवश्यकता को स्वीकारते हुए, सरकार ने खाद्य

प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। विद्यमान असंख्य नियम–कानून होने के कारण इस क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है, अत: इनके स्थान पर नया समन्वित खाद्य कानून और संबद्ध विनियम बनाने हेतु सुझाव देने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है।

सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता बनी हुई है। अन्त्योदय अन्न योजना इस प्रतिबद्धता का ही एक प्रमाण है, जिसके अंतर्गत एक करोड़ निर्धनतम परिवार दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं एवं तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्राप्त करने के हकदार हैं। केन्द्र आशा करता है कि राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से कार्य करने में आने वाली अन्य बाधाओं को शीघ्र दूर करेंगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आजादी के बाद की सबसे अधिक महत्वाकांक्षी ग्रामीण अवसंरचना परियोजना है। पिछले दो वर्षों के दौरान इसने राज्यों को 7,000 करोड़ रु. से अधिक मंजूर किए हैं जिससे लगभग 20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो सका है। इस परियोजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के नए उपाय करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल में अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया जिसमें केन्द्र सरकार से, संविधान में संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का तीव्र और प्रभावी हस्तांतरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण पंचायत स्तर से प्रस्तुत इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर गहन रूप से विचार–विमर्श करें।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना आजादी के बाद की भारत की गौरवमयी सफलताओं में से एक है। स्वतंत्रता के प्रथम 50 वर्षों के दौरान बनाए गए कुल 556 किलोमीटर के चार व छह लेन वाले राजमार्गों की तुलना में, आज, हम प्रतिदिन पांच किलोमीटर लम्बे विश्वस्तरीय राजमार्गों का निर्माण कर रहे हैं। सरकार, 1999–2007 के दौरान लगभग 15,000 किलोमीटर के विश्वस्तरीय राजमार्गों के निर्माण पर प्रतिदिन 20 करोड़ रु. खर्च कर रही है। लगभग 6,000 किलोमीटर सड़कों वाली इस स्वर्णिम चौमार्गीय परियोजना का कार्य कई स्थानों पर अपनी नियत समयावधि से आगे चल रहा है। 18,000 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के ठेके, जिसमें अधिकतर ठेकेदार भारतीय हैं, पहले ही दिए जा चुके हैं। यह परियोजना पहले ही 2.5 लाख निर्माण कामगारों तथा 10,000 पर्यवेक्षकों के लिए दैनिक रोजगार का सृजन कर रही है। इसका प्रथम चरण पूरा होने पर यह रोजगार के 18 करोड़ श्रम दिवस सृजित कर चुकी होगी। भारत के सीमेंट और इस्पात उद्योग को भरपूर बढ़ावा देने के साथ–साथ, आशा है कि अकेले स्वर्णिम चौमार्गीय परियोजना से ईंधन व

वाहन रख-रखाव लागतों पर 8,000 करोड़ रु. की वार्षिक बचत होगी। मेरी राय में, इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमने यह विश्वास प्राप्त कर लिया है तथा विश्व को दिखा दिया है कि भारत अब बड़ी परियोजनाओं के बारे में सोच सकता है तथा उन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा भी कर सकता है।

सरकार ने, देश की प्रमुख परिवहन अवसंरचना, भारतीय रेल, को तीव्र विकास के मार्ग पर लाने के लिए विभिन्न प्रयास शुरू किए हैं। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के नाम से गैर-बजटीय निवेश के क्षेत्र में नई पहल की गई है। इसमें अगले पांच वर्षों में 15,000 करोड़ रु. के निवेश की परिकल्पना की गई है। जम्मू-कश्मीर में उधमपुर से बारामूला तक रेल लाइन के निर्माण के लिए 3,500 करोड़ रु. से अधिक की लागत वाली एक प्रमुख परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कश्मीर घाटी में पहली रेलगाड़ी 15 अगस्त, 2007 से पूर्व चलने लगे। लगभग 40,000 करोड़ रु. की लागत वाली विचाराधीन कुल परियोजनाओं में से, अगले दस वर्षों के भीतर, सभी व्यवहार्य स्वीकृत रेल परियोजनाओं को पूरा करने की योजना भी बनाई जा रही है। अपनी मियाद पूरी कर चुकी परिसंपत्तियों के नवीकरण के लिए तथा सुरक्षा बढ़ाने संबंधी कार्यों के लिए 17,000 करोड़ रु. का अव्यपगत विशेष रेल सुरक्षा कोष बनाया गया है।

पोत परिवहन और बंदरगाह विकास कार्य में सुदृढ़ता से सुधार हो रहा है। वर्ष 2002 में, प्रमुख बंदरगाहों की कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता पिछले वर्ष के यातायात की तुलना में अधिक रही। भारतीय बंदरगाहों पर अब क्षमता संबंधी बाध्यताएं नहीं रहीं जिनके कारण वहां भीड़भाड़ हो जाती थी। जहाजों के टर्न-अराउण्ड में भी अब अधिक समय नहीं लगता। निजी क्षेत्र से निवेश जुटाने के अपने सतत प्रयास में, सरकार ने कंटेनर टर्मिनल के संचालन के लिए तीन प्रमुख परियोजनाओं की पेशकश की है।

सरकार का इरादा जल्दी ही एक नई नागर विमानन नीति लाने का है, जिससे इस क्षेत्र में उदारता आएगी, व्यवस्थित प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी, निवेश बढ़ेगा तथा हमारे विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण होगा, ताकि यात्रियों को कम कीमत पर, विश्वस्तरीय सेवाएं मुहैया कराई जा सकें।

भारत में दूरसंचार सेवाओं की उल्लेखनीय विकास दर, इस क्षेत्र का वृहद आकार, गुणवत्ता में अप्रत्याशित सुधार तथा शुल्क में भी इतनी ही अप्रत्याशित कमी, ये सब अभी पिछले कुछ वर्षों से देश की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां सुधारों के लाभ आम आदमी तक सीधे पहुंचे हैं। कुछ वर्ष पहले तक, टेलीफोन लेने के लिए लोगों को इन्तजार करना पड़ता था। आज, अनेक टेलीफोन कंपनियां लोगों को अपने टेलीफोन देने की होड़ में लगी हुई हैं। अप्रैल, 1999 और

अक्तूबर, 2002 के बीच, 1.67 लाख गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन मुहैया करा दिए गए हैं, फलस्वरूप, 85 प्रतिशत गांव इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मोबाइल फोनों की संख्या, जो अप्रैल, 1999 में 14 लाख थी, अब बढ़कर एक करोड़ से भी अधिक हो गई है। मोबाइल फोन अभी कुछ वर्ष पहले तक ऐश्वर्य का प्रतीक था, जो अब आम आदमी के सशक्तिकरण का वहनीय साधन बन गया है। दूरसंचार क्रांति ने देश में डाक सेवाओं को भी सशक्त बनाया है। भारत में डाकघर नेटवर्क, अपनी प्रमुख डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने के साथ-साथ, अनेक नई मूल्य-संवर्धित सेवाएं प्रदान करने की ओर भी अग्रसर है।

राष्ट्र के गौरव के रूप में उभर कर आया भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद सही ढंग से कार्य कर रहा है। पिछले वर्ष के दौरान 7.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के सॉफ्टवेयर का निर्यात किया गया। इस वर्ष इसके 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने लगे हैं। मैं, अपने सभी प्रतिभावान सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायियों तथा उद्यमियों को न केवल राष्ट्र के लिए धन सृजित करने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भी बधाई देता हूं।

मीडिया और प्रसारण क्षेत्र में अनेक नई पहलें की गई हैं। उपभोक्ताओं को पर्याप्त विकल्प देने के लिए सरकार ने पे-चैनलों के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही यह चार महानगरों में लागू हो जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी को सशक्त किया जाएगा ताकि वे प्रसारण की सार्वजनिक सेवा के अपने दायित्व को प्रभावी ढंग से निभा सकें। शैक्षिक और विकासपरक संचार को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक और कैम्पस रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। गहन परिचर्चा के बाद, समाचारों एवं समसामयिक विषयों से संबंधित भारतीय प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए नीति में परिवर्तन किया गया है। तथापि, इस संबंध में समुचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं। भारत के बढ़ते हुए मनोरंजन क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के लिए, चोरी रोकने के प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

विगत कुछ वर्षों में, देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में एक क्रांति हुई है, जिसका श्रेय मिलेजुले रूप में, सरकार द्वारा की गई पहल और ग्रह निर्माण ऋण के ब्याज की निरंतर घटती दरों को जाता है। मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां हुडको ने गृह निर्माण के लिए 1970 से 1998 तक लगभग 11,000 करोड़ रु. स्वीकृत किए थे, गत चार वर्षों में उसके द्वारा स्वीकृत राशि इससे भी अधिक है। इसने, इस सरकार के बनने के बाद से अब तक, निर्धन और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 60 लाख से अधिक मकानों के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत

किए हैं। अन्य सरकारी और गैर-सरकारी आवास वित्त कंपनियों ने भी इस दिशा में अच्छा योगदान दिया है। वाल्मीकि-अम्बेडकर आवास योजना का लक्ष्य शहरी झोपड़पट्टी वालों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाना है, जिसका खुले दिल से स्वागत किया गया है। शहर के स्तर पर आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक चुनौती कोष शीघ्र स्थापित किया जाएगा। सरकार ने रक्षा कार्मिकों के लिए 17,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली पारिवारिक आवास निर्माण की एक वृहत परियोजना को सिद्धांततः स्वीकृति दे दी है जिसके प्रथम चरण के लिए 5,500 करोड़ रु. लागत की मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली मैट्रो के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक आरम्भ किए जाने से जनता में काफी गौरव और उत्साह की भावना जागृत हुई है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने बड़ी सावधानी से इस योजना को कार्यान्वित किया। एक शहरी परिवहन नीति तथा अन्य शहरों में मैट्रो रेल के निर्माण की योजनाएं विचाराधीन हैं।

विकास प्रक्रिया में विद्युत प्रमुख प्रेरक शक्ति है। अच्छी बात यह है कि विद्युत क्षेत्र में सुधारों के धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक, 18 राज्यों ने, त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में विद्युत वितरण के निजीकरण से आपूर्ति में पहले ही सुधार आ चुका है। शुल्क निर्धारण व्यवस्था को युक्तियुक्त बनाने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया गया है। साथ ही, 21 राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन किया गया है। व्यापक विद्युत विधेयक संसद के समक्ष अनुमोदनार्थ है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भी अच्छी तरह चल रहा है। ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो स्थापित किया जा चुका है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकारी भवनों में 30 प्रतिशत ऊर्जा की बचत संबंधी योजना, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय में उचित रूप से तथा वास्तव में शुरू हो चुकी है।

अधिकतम आत्मनिर्भरता हमारी ऊर्जा सुरक्षा कार्यनीति का आधार है। अभी तक, नई अन्वेषण लाइसेंसीकरण नीति के अंतर्गत बोलियों के तीन दौर पूरे हो चुके हैं तथा 70 ब्लाकों का कार्य सौंप दिया गया है, जिसमें लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालर (14,500 करोड़ रु.) का निवेश हुआ है। चौथे दौर की योजना तैयार है। यह नीति विस्तार और विशेषकर गहरा जल क्षेत्रों में विदोहन को बढ़ाने के अपने उद्देश्यों में सफल हुई है। इस नीति के तहत अनेक स्थानों पर बहुत सी बड़ी-बड़ी खोजों से सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। पहली बार, कोयला संस्तर मीथेन एवं उसका उत्पादन करने के लिए आठ ब्लाक दिए गए हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने वियतनाम अपतटीय गैस परियोजना से अपना पहला गैस उत्पादन शुरू कर दिया है। हाल ही में, कच्चे तेल पर रॉयल्टी की दर को पूर्व प्रभाव, अर्थात अप्रैल, 1998 से बढ़ा दिया गया है। इससे तेल उत्पादक राज्यों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो

सकेगा। पेट्रोलियम क्षेत्र में लागू मूल्य प्रणाली को अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया गया। गृहणियों के लिए भी अच्छी खबर है। पिछले चालीस वर्षों में दिए गए तीन करोड़ सैंतीस लाख गैस कनेक्शनों की तुलना में, पिछले चार वर्षों के दौरान तीन करोड़ तीस लाख गैस कनेक्शन दिए गए।

कोयला, भारत की मुख्य और गौण वाणिज्यिक ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रमुख स्रोत है। अभी तक विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए, आबद्ध खनन आधार पर 27 कोयला खनन खण्डों का कार्य 22 कंपनियों को सौंपा गया है। ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने कोयला खनन राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिनमें आबद्ध अंतिम उपयोग के प्रतिबंध के बिना, निर्बाध कोयला खनन का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का प्रावधान है।

पहली अप्रैल को भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक प्रमुख लक्ष्य को पार कर लेगी। हमारे सभी राज्य कर वसूली की एक समान प्रणाली अर्थात मूल्यवर्धित कर प्रणाली अपना लेंगे। मूल्यवर्धित कर प्रणाली के लागू करने की प्रारंभिक अवधि के दौरान राज्यों को यह शंका है कि उन्हें इस प्रणाली से राजस्व की हानि होगी। लेकिन इस शंका का यह आश्वासन देकर निराकरण किया गया है कि यदि मूल्यवर्धित प्रणाली लागू करने से राज्यों को राजस्व की कोई हानि होती है, तो भारत सरकार उसकी भरपाई करेगी।

सुव्यवस्थित पूंजी बाजारों और भली-भांति नियंत्रित वित्तीय संस्थाओं से तीव्र आर्थिक विकास के लिए लाभकारी निवेश जुटाने में मदद मिलती है। गत वर्ष निवेशकों का विश्वास बनाए रखने और संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को बहाल करने के लिए सरकार ने कई सुधारात्मक और संवर्धनात्मक कदम उठाए हैं। इनमें वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को लागू करना शामिल है जिसमें लेनदारों को ऋण न लौटाने वालों की परिसम्पत्तियां प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। छोटे निवेशकों के हितों को उचित संरक्षण देते हुए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का सफलतापूर्वक पुनर्गठन किया गया है। स्टॉक मार्किट के नियंत्रक सेबी को सुदृढ़ बनाया गया है। हाल में विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्टॉक मार्किट 'घोटाला' की जांच की गई जिससे खंडित दृष्टिकोण की सीमाबद्धता उजागर हुई है। ऐसी धोखाधड़ी की तहकीकात के लिए एक 'गंभीर घोटाला जांच कार्यालय' स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निगमित लेखापरीक्षा और अभिशासन संबंधी नरेश चन्द्र समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। राष्ट्र की अग्रणी वित्तीय संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सम्मुख आ रही समस्याओं को हल करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इसका पुनर्गठन करके इसे एक नियमित निगमित अस्तित्व प्रदान किया जाए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को निगमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है।

राजकोषीय समेकन की अनिवार्यता के कारण जरूरी हो जाता है कि सार्वजनिक धन का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जाए। ऐसा अधिक राजस्व की वसूली करके और अलाभकारी खर्च पर नियंत्रण करके ही किया जा सकता है। स्थायी, पारदर्शी और कारगर कर-प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित करके, कर प्रणाली के पुनर्गठन के जरिए राजस्व में वृद्धि की जा सकेगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में केलकर समिति की रिपोर्टें ऐसा कर ढांचा तैयार करने में मार्गदर्शक हो सकती हैं। खर्च के बारे में, केन्द्र और राज्यों, दोनों को, अपने राजस्व खर्च को युक्तिसंगत बनाने और अपनी सब्सिडी को बेहतर तरह से लक्षित करने की आवश्यकता है। हाल ही में गठित बारहवां वित्त आयोग, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेगा।

आर्थिक सुधारों की व्यापक नीति के एक भाग के रूप में विनिवेश प्रक्रिया को सतत गति प्राप्त हुई है। राज्य सरकारें भी इस नीति को अपना रही हैं जिससे यह जाहिर है कि इस प्रक्रिया को व्यवहार में सर्वसम्मति मिली है। विनिवेश से प्राप्त लाभ से लोक ऋण का बोझ कम होता है, जिससे सामाजिक और संरचना संबंधी क्षेत्रों के लिए सरकारी संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान, अभी तक के विनिवेश के तेरह मामलों में से, ग्यारह मामले घाटे में चल रहीं इकाइयों के थे। विनिवेश की प्रक्रियाओं ने पारदर्शिता, कार्यकुशलता, प्रशासनिक सरलता और सम्यक् निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए मानदण्ड स्थापित किए हैं।

उदारीकरण के इस युग में भी संगठित और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना से 3.7 करोड़ अंशदाता लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत दावों को निपटाने में लगने वाले समय को 30 दिन से कम करके 2-3 दिन करने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्र स्तर पर प्रत्येक श्रमिक को एक अलग सामाजिक सुरक्षा संख्या देने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अब ₹50 प्रतिदिन कर दी गई है। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें श्रमिकों से संबंधित अनेक मुद्दे शामिल हैं। इसकी विशिष्ट सिफारिशों पर विभिन्न स्टेक-होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इन चर्चाओं के आधार पर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक व्यापक कानून को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे संसद के इस सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

वस्त्र उद्योग विश्वव्यापी बाजार की चुनौतियों और धीमी गति से हो रहे आधुनिकीकरण से उत्पन्न समस्याओं से घिरता जा रहा है। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त परिधान इकाइयों के लिए नौ-अपैरल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है। देश में प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अनेक नई योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। साथ ही परम्परागत हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों की समस्याओं को एक विशेष पैकेज के मार्फत बड़े पैमाने पर हल करने के प्रयत्न

किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हमारे बुनकरों और दस्तकारों को रोजी-रोटी मिलती है।

सरकार ने देश के लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने और इसे विश्वस्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए नई पहल की है। इसमें प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने, संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने, भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण योजना के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने, चरणबद्ध रूप में लघु उद्योग क्षेत्र में वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त करने, और व्यावहारिक माहौल में लघु उद्योगों का संवर्धन करने की योजनाएं शामिल हैं। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रणाली के भीतर और बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रहा है।

नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, 2003 में एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है ताकि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सके। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण, विद्यमान भौतिक और ज्ञान संबंधी संसाधनों के इष्टतम उपयोग, अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन और प्रबंधन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और लाभों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का उल्लेख किया गया है। वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा और मान्यता देने के लिए 25 लाख रु. का एक भारत विज्ञान पुरस्कार प्रारम्भ किया गया है। जैव-प्रौद्योगिकी में भारत जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है उससे हमें यह विश्वास हो गया है कि हम इसे स्वास्थ्य-देखभाल, खाद्य-सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि की अनेक कठिन समस्याओं के किफायती समाधान खोजने और साथ ही संपदा और रोजगार सृजन के नए अवसर प्राप्त करने के लिए विकसित कर सकते हैं।

भारत का पहला मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। इनसेट-3 सीरीज में आगे छोड़े जाने वाले उपग्रहों से इनसेट प्रणाली की क्षमता में और बढ़ोत्तरी होगी। यह पहले ही एशिया की सबसे बड़ी स्वदेशी संचार उपग्रह प्रणाली है। शिक्षा के लिए एक अलग उपग्रह 'एडुसेट' भी विकसित किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दूर-चिकित्सा संयोजन का कार्य शुरू किया है। भारतीय दूर-संवेदी उपग्रह निरंतर हमारे संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए बहुमूल्य आंकड़े देते आ रहे हैं। हाल ही में छह राज्यों के लिए भू-जल की संभावना वाले क्षेत्रों के मानचित्र जारी किए गए हैं जिससे बोरवैल खोदने के लिए स्थलों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

भारत के जैव-संसाधनों की प्रचुरता और विविधता हमारे लिए प्रकृति की एक प्रमुख देन है। शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया जैविक विविधता विधेयक, 2002 हमारे जैव-संसाधनों के संरक्षण और लगातार उपयोग की भारत की प्रतिबद्धता के संबंध में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोगों की भागीदारी से एक महत्वाकांक्षी वनरोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें वन क्षेत्रों की सीमाओं पर बसे सभी 1.73 लाख गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के कार्यक्षेत्र का काफी विस्तार किया गया है जिससे कि 17 राज्यों में प्रवाहित हो रही 29 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों के निकटवर्ती 155 कस्बों में कार्य किया जा सके। भारत ने पिछले वर्ष नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के आठवें सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। दिल्ली घोषणा को सफलतापूर्वक अपनाए जाने से जलवायु परिवर्तनों के प्रति विकासशील देशों की जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिली है। भारत, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में अपनाई गई कार्य योजना का स्वागत करता है। यह शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष जोहान्सबर्ग में हुआ था।

माननीय सदस्यों, हाल के महीनों में देशभर के हजारों बच्चों के साथ हुई मेरी बातचीत में मैंने पाया है कि उन सभी का यह सपना है कि वे अपने जीवन में कुछ बन पाएं और अपने देश भारत के लिए भी कुछ कर पाएं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें वे अपने सपनों को साकार कर सकें। हम समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से बाल स्वास्थ्य और पोषाहार के बारे में, विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा दी जा रही महत्वपूर्ण सेवाओं को देखते हुए, गत वर्ष अप्रैल से उन्हें दिए जाने वाले मानदेय को लगभग दोगुना कर दिया गया है। जनसांख्यिकीय दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े 51 जिलों में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन आरंभ किया गया है। एक सांविधिक निकाय, राष्ट्रीय बाल आयोग का भी गठन किया जाएगा जो बच्चों की समस्याओं के निवारण के लिए कार्य करेगा।

सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की राष्ट्रीय वचनबद्धता हमारे इस कदम से परिलक्षित होती है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के लिए हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान को लगभग 5,500 करोड़ रु. के परिव्यय से सफलतापूर्वक आरंभ किया गया है। प्रौढ़ साक्षरता योजनाएं अब देश के लगभग 98 प्रतिशत जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पचास वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका पुनर्गठन करके विश्वविद्यालय विकास आयोग बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में शीघ्र ही आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। आज मैं

आई.आई.टी. प्रणाली को भी राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा के पचास वर्ष पूरे करने पर बधाई देना चाहता हूं। अपने स्नातकों की गुणवत्ता के लिए इसने विश्व भर में ख्याति प्राप्त की है। चौदह क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना दिया गया है। अल्पसंख्यकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेषरूप से ध्यान दिया गया है। माननीय सदस्यों, यह सर्वविदित है कि सभी स्तरों पर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंध में सुधार लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए अनेक ठोस सुधार करने की आवश्यकता होगी। मैं चाहूंगा कि इस पर दोनों सदन चर्चा करें।

आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं के सशक्तिकरण का एक मुख्य पहलू है। महिला संघटक योजना की अवधारणा एक कार्यनीति के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि बजटीय संसाधनों का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं के लाभ के लिए खर्च किया जाए। मुझे इस संज्ञान से प्रसन्नता हो रही है कि 9वीं योजनावधि के दौरान सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों में बजट आबंटन का लगभग 43 प्रतिशत वस्तुतः महिला विशिष्ट अथवा महिलाओं से संबद्ध योजनाओं पर खर्च किया गया है। इस प्रणाली को इस वर्ष और सुदृढ़ किया जाएगा। महिलाओं में स्व-सहायता समूह आंदोलन बहुत सफल सिद्ध हुआ है।

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 की घोषणा कर दी है। इसका लक्ष्य जनसामान्य में अच्छे स्वास्थ्य की एक स्वीकार्य स्थिति प्राप्त करना है। खराब स्वास्थ्य स्थिति वाले क्षेत्रों में नई अवसंरचना बनाकर तथा विद्यमान संस्थानों की अवसंरचना में सुधार करके विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली की उपलब्धता बढ़ाकर ऐसा किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी संबंधी एक नई राष्ट्रीय नीति की भी घोषणा की गई है। मलेरिया, काला-अजार, डेंगू, अंधापन तथा कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के हमारे प्रयास सही ढंग से जारी हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 1998 में 20 मिलियन लोगों को उपलब्ध उपचार सुविधा अब बढ़कर 560 मिलियन लोगों के लिए उपलब्ध है। सरकार ने, देशभर में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ अपनी सहभागिता बढ़ाई है। उदारीकरण के युग में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मूल औषधियां उचित मूल्यों पर आसानी से उपलब्ध हों। वह हमारे फार्मास्युटिकल उद्योग को और सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कदम उठाएगी। हाल के वर्षों में इस उद्योग ने कारगर निर्यात क्षमताएं तथा नई औषधियां विकसित करने में विश्व स्तर पर व्यापक प्रतिस्पर्धा शक्ति हासिल की है।

भारत के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की खराब स्थिति में सुधार करना आवश्यक है, जिससे कि बीमारियों, विशेषकर बच्चों और गरीबों में होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। सरकार नागरिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से शीघ्र

ही एक व्यापक सफाई अभियान शुरू करेगी जिसे रेल, सरकारी भवनों, अस्पतालों तथा सार्वजनिक स्थानों में आरंभ किया जाएगा।

बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। यह राष्ट्रीय चिंता का गंभीर विषय है। इन चार राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क से केन्द्र ने इस समस्या से निपटने के लिए अधिक ध्यान दिए जाने की योजना बनायी है। यह भी उतनी ही चिंता का विषय है कि देश के विभिन्न विकसित हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जन्मदर का अनुपात अखिल भारतीय औसत से काफी कम है और यह पिछले कुछेक दशकों से घटता ही जा रहा है। संसद ने जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का पता लगाने के संबंध में दण्डात्मक प्रावधानों को और कड़ा किया है। तथापि, सरकारों और सिविल सोसायटी के लिए समय आ गया है कि वे बालिका भ्रूण हत्या और नवजात बच्चियों की हत्या जैसी बुराई के विरुद्ध एक सतत अभियान चलाए। चिंता का दूसरा क्षेत्र यह है कि उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में पोलियो की बीमारी फिर से उभरी है। इसने भारत को 2001 तक पोलियो मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को धक्का पहुंचाया है। 15 राज्यों में हैपेटाइटिस-बी के खतरनाक प्रसार को देखते हुए, बच्चों को आवश्यक टीके लगाने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

मेरी सरकार का निरंतर प्रयास है कि कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में शामिल किया जाए और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है आर्थिक न्याय तथा रोजगारोन्मुखी शैक्षिक सहायता प्रदान करना। इस वर्ष 18 लाख से अधिक अनुसूचित जाति, पांच लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति एवं 6 लाख से अधिक पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। इस वर्ष दसवीं कक्षा के बाद दी जाने वाली दो नई योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियां प्रारम्भ की गई हैं। इनमें से एक डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर है दूसरी विकलांग छात्रों के लिए है। विभिन्न वित्तीय एवं विकास निगमों के लिए इस दायित्व की पूर्ति एक चुनौती है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास पर और अधिक बल देने के लिए अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ऐसे आयोग का गठन पहले 1960 में किया गया था। इसी तरह, पचास वर्षों के बाद, संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति सूची में त्वरित संशोधन किया गया है। जिसमें 142 समुदायों को सूची में शामिल करना अथवा सूची में से निकाल देना भी शामिल है। अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित करके एक पृथक् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाने का प्रस्ताव है।

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा नीति का नया मसौदा तैयार किया है। एक राष्ट्रीय युवा आयोग बनाया गया है। 17वें राष्ट्रमंडल खेलों तथा 14वें एशियाई खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। इस वर्ष के अंत में अफ्रीकी-एशियाई खेल आयोजित करने के निर्णय से देश में खेलों को और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अपने होनहार खिलाड़ियों तथा खेल संस्थाओं से अपील करता हूं कि वे अगले वर्ष होने वाले ओलम्पिक खेलों की तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाएं। माननीय सदस्यगण, आइए, हम दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप टूर्नामेंट खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी शुभकामनाएं दें।

चुनाव सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता गत वर्ष प्रारंभ किए गए ठोस विधिक उपायों से प्रदर्शित होती है। इसने दर्शाया कि संसद राजनीति के अपराधीकरण के प्रति जनता की चिंता की ओर ध्यान दे रही है। साथ ही राज्य सभा चुनावों में कथित धन-शक्ति प्रभाव को रोकने के लिए राज्य सभा के चुनावों के संबंध में खुली मतदान व्यवस्था शुरू किए जाने संबंधी लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2001 तथा चुनावों में भ्रष्टाचार तथा धन शक्ति को रोकने के लिए राजनीतिक पार्टियों को चुनाव फण्ड प्रदान करने संबंधी चुनाव एवं अन्य संबद्ध विधि (संशोधन) विधेयक, 2002 संसद के समक्ष विचाराधीन है।

न्यायपालिका में लम्बित मामलों का देरी से निपटान गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस स्थिति के निराकरण के लिए, लगभग 500 करोड़ रु. की राशि न्यायिक प्रशासन के लिए विशेष परियोजनाओं तथा उसमें सुधार लाने से संबंधित अनुदान के रूप में आबंटित की गई है। यह इस प्रयोजन के लिए किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। कुछ राज्यों में फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाने से मामले निपटाने में तेजी आई है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में, न्यायाधीशों तथा मजिस्ट्रेटों के लगभग 2,000 रिक्त पदों को भरने का सम्मिलित अभियान शुरू किया गया है।

बीते वर्ष में भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्जीवित करने हेतु बहुत से प्रयास किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक संस्कृति-सह-पर्यटन केन्द्र की स्थापना करने की नई संकल्पना उभरी है। संस्कृति व पर्यटन के बीच तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गयी जिसके तहत कुछ स्मारकों के समन्वित संरक्षण एवं विकास का कार्य शुरू किया गया है। इन स्मारकों के आस-पास संपूर्ण मूलभूत विकास करने तथा जन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य व्यापक स्तर पर शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र, लालकिला, अजंता-एलोरा, हम्पी तथा हुमायूं का मकबरा इसके कुछ उदाहरण हैं। आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गांधी के महान यात्रा पथों पर सांस्कृतिक पर्यटन फिर शुरू करने का प्रस्ताव है। पौराणिक सरस्वती नदी के पथ पर परिसरों के विकास का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के 2600 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव के

दौरान कई योजनाएं शुरू की गईं। कुरुक्षेत्र में "महाभारत उत्सव" अब प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। भारत का बहुत-सा प्राचीन ज्ञान देशभर में फैली हुई संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के पास बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध पाण्डुलिपियों में सुरक्षित है। एक राष्ट्रीय पाण्डुलिपि पुस्तकालय में इन अमूल्य पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण, सूचीकरण, संरक्षण करने तथा इन्हें एकत्र करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन प्रारंभ किया गया है।

मेरी सरकार, हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करने तथा उनकी सुरक्षा के लिए भारत की विदेश नीति का उपयोग करने के अपने पुरजोर प्रयासों को जारी रखेगी। विश्व के सभी देशों के साथ अपने सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंधों की शक्ति के आधार पर हम अपने राजनीतिक संबंधों को व्यापक बनाने, अपने आर्थिक सहयोग तंत्र को विस्तृत करने, सामरिक महत्व के परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने तथा नवीनतम प्रौद्योगिकियों के संबंध में सहयोग करने की ओर अग्रसर होंगे।

भारत ने हमेशा अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक संबंध रखने का प्रयास किया है। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान ने लगातार हमारे प्रयासों का जवाब नफरत तथा हिंसा से, सीमा-पार से आतंकवाद की लगातार भारी मुहिम चलवाकर और उस मुहिम में सक्रिय सहयोग देकर दिया है। हाल ही के रहस्योद्घाटनों से पता चलता है कि किस तरह संपूर्ण राजनयिक मर्यादा को दरकिनार करके दिल्ली स्थित राजनयिक मिशन का इस्तेमाल देश में आतंकवादी गुटों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए किया जा रहा है। हमें संबंधित राजनयिकों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी, परन्तु हमने साथ ही यह भी कहा कि हम निष्कासित अधिकारियों के स्तर पर दूसरे अधिकारियों को स्वीकार करके अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व के स्तर को कायम रखने के इच्छुक हैं। हमारे इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि सीमापार आतंकवाद समाप्त होने पर ही हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार होंगे।

सार्क को इस क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण तथा समुचित विकास का प्रेरक मानने की भारत की प्रतिबद्धता कायम है। काठमाण्डु घोषणापत्र में उल्लिखित आर्थिक एजेण्डा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए हमने निरन्तर प्रयास किए हैं। हम निरंतर यह कहते आ रहे हैं कि यदि इन मामलों में कोई सार्थक प्रगति हो सके तो हम अगले सार्क सम्मेलन में भाग लेंगे।

भारत भूटान के साथ अपने बहुआयामी सहयोग को और बढ़ाना जारी रखेगा। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पारंपरिक संबंधों ने बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ हमारे संबंधों को दिशा दी है। हम म्यांमार में भारतीय सहयोग से विकास परियोजनाओं को भी क्रियान्वित कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ आपसी विचार-विमर्श के दौरान उठे

कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सुरक्षा मामलों पर भी हम वार्ता कर रहे हैं। पिछले वर्ष सितम्बर में प्रधानमंत्री की मालदीव की यात्रा से उस देश के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध और बढ़े हैं।

नेपाल राजनीतिक परिवर्तनों तथा माओवादी विद्रोह के मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। हमारा मानना है कि बहु-दलीय लोकतंत्र तथा संवैधानिक राजतंत्र नेपाल की स्थिरता, सुरक्षा तथा विकास के लिए दो आवश्यक स्तंभ हैं। हम यह आशा करते हैं कि वर्तमान समस्याएं इसी व्यवस्था के भीतर शांतिपूर्ण तथा सर्वसम्मति के वातावरण में सुलझा ली जाएंगी। हमने श्रीलंका के साथ गहन राजनीतिक संवाद तथा लाभकारी आर्थिक सहयोग कायम रखा है। हम वहां की राजनीतिक समस्याओं के ऐसे हल के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे जो उस देश की भौगोलिक अखण्डता तथा जनसंख्या के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करें।

भारत व अफगानिस्तान की जनता के बीच मैत्री व सहयोग के घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों की परंपरा रही है। हम अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन के प्राधिकार के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का स्वागत करते हैं और वहां की सरकार का पूरा समर्थन करते हैं। बहुत शीघ्र ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं और हमें उनका स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त होगा। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक स्तर पर मानवीय, वित्तीय व परियोजनागत सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।

हमने भारत और इस्लामिक गणराज्य ईरान की प्रगाढ़ मित्रता, वहां के राष्ट्रपति को इस वर्ष अपने गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि बनाकर, और अधिक सुदृढ़ की है। हम ईरान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना, सुदृढ़ करना तथा उन्हें विविध स्वरूप देना चाहते हैं। ऊर्जा व पारगमन के क्षेत्रों में इनका बहुत महत्व है।

चीन के साथ भारत के संबंध बढ़े हैं और उनमें विविधता आई है। व्यापारिक और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। अन्य क्षेत्रों में विश्वास व समझबूझ कायम करने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री को इस वर्ष चीन की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है और उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हमने भूमण्डलीय भागीदारी के साझे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना जारी रखा है। कोरिया गणराज्य के साथ भारत का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हम कोरियाई प्रायद्वीप की घटनाओं पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इन रिपोर्टों से गंभीर चिंता उत्पन्न हुई कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य ने पाकिस्तान से प्राप्त प्रौद्योगिकी की सहायता से परमाणु हथियार बनाने की योजना फिर से शुरू कर दी है। यह चिंता, सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों और उन दोहरे मानदंडों के संबंध में उत्पन्न हुई है जिन्हें बहुत से देशों ने संधि के दायित्वों और परमाणु प्रसार के मुद्दों के बारे में अपनाया है।

दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के पारंपरिक रूप से चले आ रहे गहरे संबंध हाल ही की द्विपक्षीय वार्ताओं और प्रधान मंत्री की कंबोडिया, लाओस व थाइलैंड की राजकीय यात्राओं से प्रतिबिंबित हुए हैं। जब नवंबर, 2002 में आसियान के साथ हमारी शिखर स्तर पर वार्ता हुई तब इस क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों को एक नया आयाम मिला। नोम पेन्ह में भारत–आसियान शिखर वार्ता में तय की गई आर्थिक योजनाओं के संबंध में हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

हाल ही के राजनीतिक व आर्थिक घटनाक्रम में विचारों की समानता से मध्य एशिया के साथ भारत के गहरे संबंध और भी बढ़ गए हैं। भारत व मध्य एशियाई देशों की, आतंकवाद, उग्रवाद व मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के संबंध में समान सोच है, ये बुराइयां हमारे सभी पड़ोसी क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिए बहुत महत्व है। यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का एक मुख्य स्रोत है और व्यापार एवं निवेश में प्रमुख आर्थिक भागीदार है। खाड़ी देशों के आर्थिक विकास में 3.5 मिलियन से भी अधिक भारतीय योगदान कर रहे हैं। पारस्परिक संपर्क से ये बहुआयामी और विविध स्वरूप वाले संबंध निरंतर मजबूत किए जा रहे हैं।

इराक से संबंधित दु:खद स्थिति पर संपूर्ण विश्व की चिंता में हम भी शामिल हैं। उस क्षेत्र की शांति, स्थायित्व व सुरक्षा में हमारी गहरी रुचि है। हम आशा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के जरिए प्रकट की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बुद्धिमत्ता से इस मामले का ऐसा शांतिपूर्ण समाधान कर लिया जाएगा जो मानवता के लिए हितकर होगा।

मेरी सरकार भारत व रूसी संघ के बीच सामरिक महत्व की भागीदारी को बहुत महत्व देती है जो लगातार राजनीतिक परामर्शों, बहुआयामी आर्थिक सहयोग तथा गहन रक्षा सहयोग से और भी बढ़ी है। राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के पिछले वर्ष भारत की राजकीय यात्रा के समय आतंकवाद के विरुद्ध किए जाने वाले संघर्ष में सहयोग पर हमने समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।

यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंध व्यापक व घनिष्ठ बने रहे। क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नियमित रूप से विचारों का आदान–प्रदान करने से ये देश हमारे जायज सरोकारों को बेहतर रूप से समझ सके हैं और इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिली है। कोपनहेगन में भारत–यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता से यूरोपीय संघ के साथ हमारे संस्थागत सम्पर्क सुदृढ़ हुए हैं तथा इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में, भारत में आयोजित होने वाली अगली शिखर बैठक से ये सम्पर्क और भी बढ़ेंगे।

भारत और अमेरिका के बीच निरन्तर नए संबंध बन रहे हैं। दोनों देश यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व सामरिक महत्व के स्थापत्य के समक्ष दिनों-दिन बढ़ती जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। दोनों देश परस्पर हितों के बहुपक्षीय सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार-विनिमय करने की दिशा में भी प्रयासरत हैं।

हमारे राजनयिक संबंधों में अफ्रीका का विशेष महत्व बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस महाद्वीप के देशों की संख्या सबसे अधिक है और भारत के आर्थिक भागीदार के रूप में इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है।

लेटिन अमेरिका व कैरिबियाई देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं। वर्ष 1997 से शुरू किए गए "फोकस एलएसी" कार्यक्रम के परिणामस्वरूप भारत के सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र का ध्यान इस क्षेत्र की ओर बढ़ा है।

जनवरी में आयोजित प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन समारोहों में विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के सरकार के सतत प्रयासों को उजागर किया गया है। इस अवसर पर, हमने भारतीय मूल के दस ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जिन्होंने उन देशों में जहां वे रच-बस गए हैं ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनसे हमारे देश का गौरव बढ़ा है। सरकार ने कतिपय देशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता देने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए आवश्यक कानून इस सत्र में लाया जाएगा।

माननीय सदस्यगण, यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि संसद ने अपने शीतकालीन सत्र में विधायी कार्य करने में अति उत्कृष्टता दर्शायी है। इस सत्र के दौरान, दोनों सदनों ने लगभग 42 विधेयक पारित किए और मैंने उन सभी पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सरकार ने पिछले वर्ष अनेक विधेयक प्रस्तुत किए। इनमें से 93 विधेयक पारित किए जा चुके हैं, जिनमें महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन भी शामिल हैं। पिछले 25 वर्षों में, पहली बार एक वर्ष में और 1947 के बाद से तीसरी बार, इतनी अधिक संख्या में विधेयक कार्यान्वित किए गए। रेल बजट और आम बजट से संबंधित वित्तीय कार्यसूची के अलावा, इस सत्र में बहुत से विधिक कार्य पूरे किए जाने हैं। मैं आशा करता हूं कि संसद के बजट सत्र, और आगामी सभी सत्र, पिछले सत्र की तरह ही सार्थक सिद्ध होंगे।

मैं आपके प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 7 जून 2004

लोक सभा	-	चौदहवीं लोक सभा
सत्र	-	चौदहवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री भैरों सिंह शेखावत
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री सोमनाथ चटर्जी

माननीय सदस्यगण,

चौदहवीं लोक सभा के चुनावों के पश्चात् संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। सभी सदस्यों, विशेषकर लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का मैं अभिनन्दन करता हूं। पिछले तीन महीनों के दौरान, आप सभी ने ग्रीष्म ऋतु की झुलसा देने वाली गर्मी में काम किया, कई रात सोये भी नहीं, सैंकड़ों-हजारों किलोमीटर की यात्रा की, हजारों मतदाताओं से मिले और उन्हें बताया कि किस प्रकार आप लोगों और देश के भविष्य को संवारेंगे। इस गरिमामय संस्था के लिए आपके सफल निर्वाचन पर, मैं आप सभी को बधाई देता हूं।

इससे पहले कि हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों की चर्चा की जाए, मैं भारत के निर्वाचन आयोग को बधाई देना चाहूंगा जिसने पहली बार, सभी मतदान केन्द्रों में इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करते हुए लोक सभा के चुनाव सुचारू रूप से सम्पन्न कराए।

इस सहस्त्राब्दि के पहले आम चुनाव परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे लोगों के दृढ़ विश्वास को दर्शाते हैं। इन चुनावों में प्रजातंत्र का मुखरित रूप देखने को मिला है। चुनावों के निष्कर्ष आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेश के लिए जनता की उत्कंठा और अलगाववादी तथा असहिष्णुतावादी ताकतों को नकारने के द्योतक हैं। जनता का यह फैसला विधि सम्मत शासन लाने और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को सुदृढ़ करने के लिए है। यह सरकार, जनादेश द्वारा दर्शायी गई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही परिवेश प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है।

वाम और अन्य समान विचारधारा वाले दलों द्वारा समर्थित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का साझा न्यूनतम कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने और समवेत रूप में अधिकतम कार्य-निष्पादन के लिए इसे आधार बनाने हेतु सभी भागीदारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय विकास से संबंधित विचार-विमर्शों में आपकी सक्रिय भागीदारी तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करने के आपके दृढ़संकल्प के द्वारा ही, हम करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लक्ष्य को पाने में सफल होंगे।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम इस सरकार की प्राथमिकताओं की मूल दिशा को दर्शाता है। अगले पांच वर्षों के दौरान सरकार इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करेगी। तथापि, कार्यक्रमों की वास्तविक विषय-वस्तु एवं उनका चरणबद्ध निष्पादन, संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न क्षेत्रों की उन्हें आत्मसात करने की क्षमता में होनी वाली प्रगति, दोनों पर निर्भर करेगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उच्चस्तरीय वित्तीय व राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए दक्षता और समता के सहगामी पथों पर अग्रसर हों। मेरी सरकार को अपनी कल्पनाशीलता से ऐसे उपाय ढूंढ़ने होंगे जिससे हमारी बृहद्-आर्थिक नीतियां, तीव्र विकास, स्थिरता और सामाजिक समता की आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन सुनिश्चित हो पाए।

मेरी सरकार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सुरक्षित रखने, उन्हें बढ़ावा देने और सामाजिक सौहार्द तथा शांति को भंग करने वाले सभी रूढ़िवादियों और कट्टरपंथियों से निपटने के लिए भय व पक्षपात के बिना कानून का प्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्थव्यवस्था लंबे समय तक प्रतिवर्ष कम से कम 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर इस प्रकार बनाए रखे जिससे रोजगार का सृजन हो और हर परिवार को सुनिश्चित जीविका प्राप्त हो। ऐसा करते समय, मेरी सरकार किसानों, खेतिहर मजदूरों और कामगारों की आय में वृद्धि करने और उनका कल्याण करने; महिलाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करने पर बल देगी।

मेरी सरकार सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी ताकि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी बन सके। इसके लिए उन आर्थिक सुधारों में तेजी लाने की आवश्यकता है जिनकी बदौलत देश में तीव्र आर्थिक विकास के नये युग का सूत्रपात हुआ। कृषि, उद्योग और सेवाओं में और सुधार किए जाएंगे। इन सुधारों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनसे होने वाले लाभ शहरी गरीबों और उन ग्रामीणों तक पहुंचे जहां हमारी अधिकांश जनता रहती है।

संवैधानिक प्रावधानों की भावना के अनुरूप ग्राम स्तरीय लोकतंत्र के जरिए ग्रामीण विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे देश में लगभग 2.3 लाख ग्राम पंचायतें तथा मध्यवर्ती व जिला स्तरों की पंचायती राज संस्थाएं हैं। कार्यों, कार्यकर्ताओं और निधियों के कारगर अंतरण की मार्फत इन्हें सशक्त बनाया जाएगा ताकि ये भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र की सच्ची संस्थाओं के रूप में उभर सकें। ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी निधियां पंचायत निकायों को सीधे उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे लोगों की बेहतर सेवा कर सकें। इस प्रकार की निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए समुचित दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

सरकारी निवेश का एक बड़ा हिस्सा गांवों तक पहुंचाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जाएगा। शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने हेतु ग्राम-समूहों को एक-दूसरे से जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि सभी वर्गों के लोगों को समान आर्थिक अवसर उपलब्ध हो पाएं। हमारे मन में यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि निम्नतर गुणवत्ता की ग्रामीण अवसंरचना या निम्नस्तरीय उत्पाद ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होंगे।

पिछड़े और गरीब क्षेत्रों को तरजीह देते हुए कृषि में सरकारी निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा ताकि किसान की आय में और अधिक वृद्धि की जा सके। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ऋण प्रवाह को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए और छोटे तथा सीमान्त किसानों को अधिकाधिक संस्थागत ऋण मुहैया कराया जाए। संपूर्ण ग्रामीण ऋण प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार किसानों के ऋणभार के प्रति संवेदनशील है और इस संबंध में समुचित उपाय करेगी। कृषि बीमा योजनाओं को किसानों की जरूरतों के और अनुकूल बनाया जाएगा। सरकार छीजन को कम करने और किसानों को लाभ पहुंचाने वाले मूल्य-वर्धन को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में निवेशों को सक्रियता से प्रोत्साहित करेगी।

सरकार, बारानी खेती के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी। देश के शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में स्थित जिलों के लिए एक गहन कृषि विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। जलागम विकास परियोजनाओं का बड़े पैमाने पर संवर्धन किया जाएगा और पिछले कुछ वर्षों से निष्क्रिय पड़े बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया जाएगा।

मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पूरे देश में किसानों को उचित और लाभप्रद कीमतें मिलें और सरकारी एजेंसियां, जिन्हें उपार्जन और विपणन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, गरीब और पिछड़े राज्यों और जिलों के किसानों पर विशेष

ध्यान दें। विश्व व्यापार संगठन में हमारे विशाल कृषक समुदाय, जोकि देश की रीढ़ हैं, के हितों और जीविका की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का कार्यान्वयन भली-भांति हो। सभी कृषि श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। भूमि सुधार प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और भूमिहीनों को अतिरिक्त उपजाऊ भूमि के वितरण हेतु द्विगुणित प्रयास किये जाएंगे।

सरकार देश की सिंचाई क्षमता के दोहन को गति प्रदान करेगी। प्रायद्वीपीय नदियों से प्रारम्भ करके, देश की नदियों को जोड़ने की पर्यावरणीय, पारिस्थितिक और प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाएगा। कावेरी जल विवाद जैसे दीर्घकाल से लंबित नदियों और जल-विभाजन संबंधी अन्तर्राज्यीय विवादों के हल ढूंढ़ने के सम्यक् प्रयास किए जाएंगे ताकि विवाद से जुड़े पक्षकारों के हितों की सुरक्षा हो तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। इस समय चल रही सभी सिंचाई परियोजनाओं को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

सरकार को इस बात की चिन्ता है कि हमारी जनंसख्या का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित है। मेरी सरकार नवपरिवर्तनकारी योजनाएं तैयार करने हेतु राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। इन योजनाओं में वर्षाजल का एकत्रीकरण तथा विद्यमान तालाबों की गाद को साफ करने का कार्य भी शामिल होगा। सूखा प्रवण क्षेत्रों और चेन्नई जैसे नगरों में पीने के पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे जिनमें, जहां कहीं व्यवहार्य होगा वहां खारापन दूर करने के संयंत्र लगाना शामिल होगा। पर्वतीय भू-भागों में स्थित बस्तियों की विशेष समस्याओं को तत्काल हल किया जाएगा।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के ह्रास का पीड़ादायी बोध सरकार को है। संगठित क्षेत्र में निवेश के लिए सहायक वातावरण तैयार करके सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतियां अपनाएगी। लघु उद्योग और स्व-रोजगार के लिए ऋण सुविधाओं का व्यापक विस्तार करने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र को सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी ताकि वह अपनी वास्तविक रोजगार क्षमता को मूर्त रूप दे सके। ग्रामीण उद्योग, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, बागवानी, जलकृषि, वानिकी, दुग्ध विकास और कृषि प्रसंस्करण जैसे अन्य क्षेत्रों में भी नए रोजगार सृजित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण और शहरी युवा लाभान्वित हो सकें। प्रत्येक ग्रामीण घर में शारीरिक रूप से समर्थ कम से कम एक व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार देने की दृष्टि से शीघ्र ही एक राष्ट्रीय सुनिश्चित रोजगार अधिनियम बनाया जाएगा और इसे चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

हमारे युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का समावेश करने और सृजनात्मक सरकारी-निजी साझेदारियों के माध्यम

से देश के प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु प्रणालीबद्ध प्रयास किए जाएंगे।

महिलाएं और बच्चे, विशेष तौर पर जो गरीब परिवारों के हैं, हमारे समाज के अत्यन्त असुरक्षित वर्ग हैं और इनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार पंचायतों को दी जाने वाली सारी निधियों का कम से कम एक-तिहाई अंश महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करेगी। ग्रामीण महिलाओं और उनके संगठनों को पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषाहार से संबंधित सभी विकास योजनाओं का उत्तरदायित्व संभालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्व-सहायता समूहों पर आधारित लघु-वित्त पोषण की योजनाओं का, विशेषतया पिछड़े और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक विस्तार किया जाएगा। सरकार विधान सभाओं और लोक सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण हेतु विधान लाने की पहल करेगी। घरेलू हिंसा और लिंग-भेद के विरुद्ध विधान बनाया जाएगा। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण कानूनी समानता को मूर्त रूप दिया जाएगा।

यह चिन्ता का विषय है कि आज भी भारत में पैदा होने वाला हर तीसरा बच्चा सामान्य से कम वजन का पैदा होता है जो विशेषकर बालिकाओं के गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। पोषाहार कार्यक्रमों का, विशेषत: बालिकाओं हेतु, बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। मुख्यत: केन्द्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित एक राष्ट्रीय मध्याह्न पक्व पोषाहार योजना प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध रूप में शुरू की जाएगी। सरकार समेकित बाल विकास सेवा योजना से पूरे देश को उत्तरोत्तर आच्छादित करेगी।

विकलांग व्यक्तियों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि वे देश की मुख्य धारा से अलग न रह जाएं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करेगी कि विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हों और वे राष्ट्र-निर्माण में सार्थक योगदान दें। इस संबंध में व्यापार एवं उद्योग-जगत को उनके सामाजिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल की भी आवश्यकता है। सरकार उनकी समस्याओं पर विचार करेगी तथा ऐसे उपाय करेगी जिनसे वृद्धावस्था में उनका जीवन और आरामदायक हो सके।

बेहतर स्वास्थ्य, विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने का महत्वपूर्ण कारक है। सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को तरजीह देते हुए अगले पांच वर्षों में स्वास्थ्य पर होने वाले सरकारी खर्च को बढ़ाकर इसे सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2-3 प्रतिशत तक ले जाएगी। निवारणीय

बाल रोगों का उन्मूलन करने के लिए पूरे देश में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम कारगर ढंग से चलाए जाएंगे। सरकार संचारी रोगों के नियंत्रण के कार्यक्रमों में सरकारी निवेश बढ़ाएगी। देश में एच.आई.वी./एड्स के फैलाव को रोकने पर विशेष बल दिया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की एक राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी। सरकार उचित मूल्यों पर जीवनरक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी। परिवार कल्याण कार्यक्रमों में नई जान फूंक कर उन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा।

भारत का सबसे बड़ा संसाधन इसके लोग हैं। हमारे मानव संसाधन की पूरी क्षमता का अभी कारगर ढंग से उपयोग किया जाना है। इसलिए शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य शिक्षा पर सरकारी खर्च में वृद्धि करने का रहेगा जिससे कि अंततः यह सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6 प्रतिशत तक पहुंच जाए, जिसमें से आधी राशि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित की जाएगी। उत्तम बुनियादी शिक्षा को सब तक पहुंचाने के लिए की गई वचनबद्धता के वित्त पोषण के लिए सभी केन्द्रीय करों पर उप-कर लगाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। संसाधनों के आबंटन और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।

मेरी सरकार विगत वर्षों में अपनी प्रतिष्ठित संस्थाओं की स्वायत्तता में आयी क्रमबद्ध कमी से अवगत है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उच्चतर अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा की सभी संस्थाओं की स्वायत्तता पूर्ववत कायम की जाए। साथ ही, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई गरीबी के कारण व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। बैंकों के माध्यम से ऋण, छात्रवृत्तियां देने और पुनर्वित्तपोषण के कार्य में वृद्धि करने के अलावा, सरकार उन लोगों के लिए वहनीय दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए सांस्थानिक व्यवस्था करेगी जो विज्ञान, इंजीनियरी, चिकित्सा और प्रबंधन अध्ययन में कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा के खर्च को वहन नहीं कर सकते।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् आदि निकायों में सभी नियुक्तियों के लिए एकमात्र मानदण्ड शैक्षिक उत्कृष्टता और व्यावसायिक योग्यता होगी। हाल के वर्षों में स्कूल पाठ्यक्रम में साम्प्रदायिकता के जिन तत्वों का समावेश किया गया है उन्हें समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

यह गंभीर चिंता का विषय है कि सांप्रदायिक शक्तियों ने देश के वातावरण को दूषित किया, जिससे दंगे हुए और जिसका सर्वाधिक घिनौना रूप हाल में गुजरात में देखने को मिला। मेरी सरकार इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार सांप्रदायिक शांति और सौहार्द को बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए

हर संभव उपाय करेगी ताकि अल्पसंख्यक समुदाय पूर्णतया सुरक्षित महसूस करे। मेरी सरकार सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए आदर्श कानून बनाएगी और राज्यों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर विचार करेगी और उर्दू भाषा को संविधान के अनुच्छेद 345 और 347 के अंतर्गत मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।

अयोध्या के मामले में, मेरी सरकार न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। इस दौरान हम विवाद में शामिल पक्षों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो जिसे अन्ततोगत्वा विधिक स्वीकृति प्राप्त हो। पूजा-स्थल संरक्षण अधिनियम, 1992 को कार्यान्वित करने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है।

अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्थाओं की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रत्यक्ष संबद्धता से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक आयोग गठित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे। एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाएगी जो इस बारे में सिफारिशें करेगा कि किस प्रकार धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने सहित, अधिकाधिक कल्याण किया जा सके।

सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर संवेदनशील है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तीव्रतर सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कटिबद्ध है। मेरी सरकार राजनीतिक दलों, उद्योग-जगत और अन्य निकायों के साथ इस बात पर विचार-विमर्श शुरू करेगी कि कैसे निजी क्षेत्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है।

सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति संबंधी कोटे सहित, आरक्षण के कोटे, समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। आरक्षण संबंधी सभी नीतियों को संहिताबद्ध करने के लिए समुचित विधान बनाया जाएगा। सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भूमि की लघु सिंचाई का एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगी। भूमि की अधिकतम सीमा और पुनर्वितरण विधान को कार्यान्वित करके भूमिहीन परिवारों को भूमि मुहैया कराई जाएगी। अधिकतम सीमा विधान को बदलने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

वनों में काम करने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को गौण वनोत्पाद में स्वामित्व का अधिकार प्रदान किए जाने के लिए एक विधान लाने हेतु राज्य सरकारों से आग्रह किया जाएगा। आदिवासी समुदायों और वनों में रहने वाले अन्य समुदायों की वन क्षेत्रों से बेदखली को रोका जाएगा। सरकार, पारिस्थितिक संतुलन को खतरे में डाले बिना

अथवा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उद्देश्यों में कोई कमी लाए बिना पर्यावरणीय संरक्षण और तीव्रतर आर्थिक विकास के उद्देश्यों में तालमेल स्थापित करेगी। विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित जनजातीय समुदायों का पुनर्वास करने के लिए एक कारगर प्रणाली बनाई जाएगी।

देश के विभिन्न भागों में नक्सलवादी हिंसा में हुई वृद्धि से मेरी सरकार चिन्तित है। यह हिंसा एक आम कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, वरन् यह एक गहन सामाजिक-आर्थिक अव्यवस्था की सूचक है, जिससे सुव्यवस्थित तरीके से निपटे जाने की आवश्यकता है। अतः मेरी सरकार ऐसी निरर्थक हिंसा में हुई वृद्धि के कारणों को जानने का प्रयास करेगी और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु कदम उठाएगी ताकि वे बाकी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें।

सरकार, विशेष तौर पर देश के निर्धनतम और पिछड़े इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी और स्थानीय स्तर पर इसके प्रबंधन में महिलाओं और पूर्व-सैनिकों की सहकारी संस्थाओं को भी शामिल करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अत्यधिक निर्धन और असहाय तक खाद्यान्न पहुंचे, विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। गंभीर रूप से खाद्यान्न-अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित किए जाएंगे। ऐसे परिवारों को अन्त्योदय कार्ड दिए जाएंगे जिनका भूख से पीड़ित होना संभावित हो।

सभी श्रमिकों, विशेषतया असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जो हमारे कुल श्रमिक बल के 90 प्रतिशत से अधिक हैं, के कल्याण और कुशल-क्षेम को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध है। ऐसे श्रमिकों, मछुआरों, ताड़ी संग्राहकों, चर्म उद्योग के श्रमिकों, बागान श्रमिकों, बीड़ी मजदूरों आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार, असंगठित क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करेगी।

मेरी सरकार मानती है कि श्रम कानूनों में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में तीव्र विकास हो और साथ ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। तथापि, इस प्रकार परिवर्तन करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक और उनके परिवार पूर्णतया सुरक्षित रहें। इस विषय पर विशिष्ट प्रस्ताव लाने से पहले सरकार उद्योग एवं मजदूर संघों से वार्ता करेगी। सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश में श्रमिक-प्रबंधन संबंधों पर परामर्श, सहयोग और आम सहमति की छाप होनी चाहिए। उद्योग एवं मजदूर संघों से संबंधित सभी प्रस्तावों पर उनसे सक्रिय त्रिपक्षीय परामर्श किए जाएंगे।

अवसंरचना के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सड़कों, पत्तनों, विमानपत्तनों, विद्युत, रेलवे, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी भौतिक अवसंरचना के विस्तार के लिए सरकारी-निजी भागीदारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अवसंरचना में सरकारी निवेश बढ़ाया जाएगा और एतदर्थ सब्सिडी हेतु बजट में प्रत्यक्ष प्रावधान किया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों में रेलवे की स्थिति बिगड़ी है और इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव रेल सुरक्षा पर पड़ा है। रेलवे के विस्तृत नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए सरकार, रेलवे के आर्थिक और सामाजिक, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी।

सरकार पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर विशेष बल देते हुए, देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नीतियां बनाएगी। विदेशों में हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में निवेश को सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक घर को निर्बाध रूप से बिजली मिले, एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। विद्युत क्षेत्र में सरकारी निवेश पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जाएगा। विद्युत उत्पादन तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। विद्युत क्षेत्र में सुधारों को इस प्रकार से जारी रखा जाएगा कि समाज के सभी वर्गों को वहनीय मूल्य पर पर्याप्त बिजली मिले। सरकार ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देगी।

सरकार, झुग्गी-झोंपड़ी में निवास करने वालों की जरूरतों पर खास ध्यान देते हुए शहरी नवीकरण तथा कस्बों व नगरों में सामुदायिक आवास के विस्तार का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर तबकों के लिए आवास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। शहरी नवीकरण करते समय, बलपूर्वक विस्थापन करने और झुग्गी-झोंपड़ियों को तोड़ने से बचा जाएगा।

यह चिन्ता का विषय है कि क्षेत्रीय असंतुलन न केवल ऐतिहासिक उपेक्षा के कारण बल्कि योजनागत आबंटनों की विसंगति से भी बढ़ा है। सरकार राजकोषीय, प्रशासनिक तथा अन्य उपायों के द्वारा अन्तर्राज्यीय तथा राज्यों के भीतर बढ़ रहे क्षेत्रीय असंतुलनों को मिटाने के लिए कृतसंकल्प है। राज्यों के ऋण-भार को कम करने के लिए सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जाएगी जिससे सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ सके। संवैधानिक संसाधन अंतरणों से इतर केन्द्र सरकार की तरफ से किए जाने वाले अन्य अंतरण गरीबी और पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों के पक्ष में किए जाएंगे। सरकार, एक पिछड़ा राज्य अनुदान निधि स्थापित करने पर विचार करेगी जिसका उपयोग पिछड़े राज्यों में उत्पादक परिसंपत्तियां सृजित करने के लिए किया जाएगा लेकिन ऐसा करते समय निष्पादन मानदण्ड भी निर्धारित किए जाएंगे। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। सरकार एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरम्भ करेगी और

अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों में सहायता देगी। सूखा प्रवण क्षेत्रों के विकास के लिए वर्तमान योजनाओं की समीक्षा करने के बाद एक अलग बृहत् राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के लिए विगत में घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के द्रुत कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए जाएंगे।

दो दशक पूर्व केन्द्र-राज्य संबंधों के मुद्दे पर सरकारिया आयोग ने विचार किया था। इस अवधि में भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हुए व्यापक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकार, एक नया आयोग गठित करेगी। राष्ट्रीय विकास परिषद को सहकारी संघवाद का एक अधिक कारगर साधन बनाया जाएगा। अन्तर्राज्यीय परिषद को भी सक्रिय बनाया जाएगा। अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग पर सरकार यथोचित विचार-विमर्श के पश्चात् उचित समय पर विचार करेगी।

सरकार जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 में व्यक्त भावना का आदर करेगी। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई राज्य सरकार से परामर्श करके, जम्मू और कश्मीर के सभी समूहों तथा अलग-अलग मत रखने वाले लोगों के साथ लगातार विचार-विमर्श जारी रखा जाएगा। इस राज्य को अपनी अवसंरचना के शीघ्र पुनर्निर्माण के लिए सहायता दी जाएगी। सरकार, तात्कालिक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उत्तर-पूर्व में, उग्रवाद, आतंकवाद और विद्रोह से निपटने के लिए दृढ़संकल्प है। पूर्वोत्तर राज्यों को अवसंरचना के उन्नयन एवं विस्तार के लिए विशेष मदद दी जाएगी।

सरकार एक समिति गठित करेगी जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को राजभाषाओं के रूप में घोषित किए जाने संबंधी प्रश्न पर विचार करेगी। तमिल को क्लासिकल भाषा घोषित किया जाएगा।

हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारे राष्ट्र का गौरव है और अनेकता में हमारी एकता का आधार है। सरकार हमारी विविध राष्ट्रीय विरासत को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय प्रयास करेगी। उसी भावना से सरकार अपनी जैव-विविधता की समृद्धि को बनाए रखने के सभी सम्भव उपाय करेगी तथा ऐसा करते समय वन्य जीवों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा।

सरकार आर्थिक विकास में पर्यटन द्वारा देश के दूर-दराज के भागों में भी, अकुशल से लेकर विशेषज्ञता प्राप्त, बेरोजगार जन-समूह को लाभकारी रोजगार मुहैया कराने के महत्व को समझती है। सरकार ग्रामीण पर्यटन, धरोहर पर्यटन, साहसपरक और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने और उच्चकोटि के पर्यटन स्थल स्थापित करने के लिए समुचित प्रोत्साहन देगी। उचित नीतियां बनाकर सार्वभौमिक आकर्षण वाले हमारे फिल्म उद्योग की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाएगा।

युवा, भारत की जनसंख्या का एक बड़ा और सक्रिय हिस्सा है। विशेष कार्यक्रमों द्वारा उनकी ऊर्जा, जोश और प्रेरणा को दिशा प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी क्षमता के अनुरूप आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों से लेकर कलाओं व खेलों तक, सभी गतिविधियों में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। आने वाली सभी स्पर्धाओं, विशेषकर इस वर्ष अगस्त में एथेंस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले अपने खिलाड़ियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

एक प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की जाएगी जो लोक प्रशासन में समग्र सुधार लाने के लिए एक व्यापक रूप-रेखा तैयार करेगा ताकि लोक प्रशासन अधिक कार्य निष्पादनपरक तथा जवाबदेह बन सके। बुनियादी शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने को प्राथमिकता दी जाएगी तथा आम आदमी से संबंधित ई-गवर्नेन्स को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी एजेंसियां जिम्मेदारी और जवाबदेही से कार्य करें। सूचना का अधिकार अधिनियम को और अधिक प्रगामी, भागीदारीयुक्त और सार्थक बनाया जाएगा। सरकार उच्च न्यायालयों और न्यायपालिका के निचले स्तरों पर होने वाले विलम्ब को कम से कम करने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। कानूनी सहायता सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। चुनाव सुधारों संबंधी अपनी वचनबद्धता के एक भाग के रूप में सरकार चुनावों का सरकारी वित्तपोषण शुरू करने पर विचार करेगी।

सरकार देश को भ्रष्टाचार की विकट समस्या से मुक्त कराने के लिए दृढ़संकल्प है। भ्रष्टाचार के मूल कारणों तथा काले धन की उत्पत्ति की समस्या से कारगर ढंग से निपटा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, पद्धतियों को सरल व कारगर बनाया जाएगा और प्रक्रियाओं को समुचित ढंग से पुनर्निर्धारित किया जाएगा जिससे कि शासन में पारदर्शिता लाई जा सके।

सरकार ऐसी नीतियां अपनाएगी तथा ऐसे कार्यक्रम शुरू करेगी जो भारत की विशाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूती प्रदान करते हों। प्रमुख क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। सरकार देश में संस्था-निर्माण और अन्य परियोजनाओं के लिए विदेश में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों तथा अन्य व्यावसायियों के कौशल और विशेषज्ञता का उपयोग करेगी।

औद्योगिक विकास में पुनः गति लाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन शुरू किए जाएंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दिया जाता रहेगा। भारतीय उद्योग को उत्पादनशील और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। खुली व निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली दक्ष विनियामक संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि पूरे उद्योग जगत में आंतरिक व

बाह्य, दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धा और अधिक गहन बने। सरकार नीतिगत तालमेल के लिए एक स्थायी मंच प्रदान करते हुए एक राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना करेगी ताकि उत्पादन उद्योग का विकास होता रहे और इसमें नई ऊर्जा का संचार हो। शिल्पकारों और गृह उद्योगों द्वारा दिए जा रहे उत्पादन कार्य में और अधिक प्रौद्योगिकीय, विपणन और निवेश संबंधी सहायता दी जाएगी। शीघ्र ही लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक बृहत् संवर्धनात्मक पैकेज की घोषणा की जाएगी।

जनवरी, 2005 में वस्त्र एवं पहनावे संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत कोटा समाप्त किए जाने से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वस्त्र उद्योग को समर्थ बनाया जाएगा। पूरे विश्व में तथा देश के अन्दर पटसन उद्योग के विशेष पारिस्थितिक महत्व के दृष्टिगत इस उद्योग को हर प्रकार से विशेष बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार एक ऐसे सुदृढ़ और प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है जिसके वाणिज्यिक कार्यकलापों से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। परन्तु इसके लिए उचित चयन और कार्यनीतिक एकाग्रता की आवश्यकता है। मेरी सरकार प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्य कर रही सफल व लाभ कमाने वाली कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता देगी। प्रकरण विशेष को देखते हुए निजीकरण पर विचार किया जाएगा। लंबे समय से घाटे में चल रही कंपनियों को उनके कामगारों को उचित देय राशि और मुआवजा देने के बाद या तो बेच दिया जाएगा अथवा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पुनरुद्धार की संभावना वाली कंपनियों को पुन: लाभकारी बनाने के लिए उनमें निजी उद्योग की भागीदारी की जाएगी।

मेरी सरकार को विश्वास है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्धा में कमी आने के बजाय उसे बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारा यह भी विश्वास है कि निजीकरण और सामाजिक जरूरतों के बीच सीधा संबंध होना चाहिए, उदाहरणस्वरूप निजीकरण राजस्व का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की अभिहित योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को संसाधन जुटाने और खुदरा निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश हेतु बढ़ावा दिया जाएगा।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए पूंजी बाजार में नई स्फूर्ति पैदा कर निवेश दर को बढ़ाना होगा। सरकार ऐसे पूंजी बाजार के व्यवस्थित विकास व संचालन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है, जो अर्थव्यवस्था का यथार्थपरक आधार प्रतिबिंबित करता हो। वित्तीय बाजारों को सशक्त बनाया जाएगा। विदेशी सांस्थानिक निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा की जाएगी और उन्हें अपनी बचत के सुरक्षित निवेश के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को और मजबूत बनाया जाएगा।

अनिवासी भारतीय न केवल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल हुए हैं, अपितु यहां रह रहे अपने भाइयों के लिए प्रेरणा-स्रोत भी रहे हैं। उनकी महत्ता के दृष्टिगत, नवगठित अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, हमारे आर्थिक विकास में उनके योगदान की क्षमता का उपयोग करेगा।

पिछले दशक में वैश्विक व्यापार परिवेश में भारी बदलाव देखे गए हैं। विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। सरकार एक ऐसा वातावरण बनाएगी जिससे हमारा निर्यात तेज गति से बढ़े। इसके लिए, प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया जाएगा, शुल्क दरों को संगत बनाया जाएगा तथा अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा कार्य-निष्पादन में होने वाले व्यय को कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

सरकार करदाताओं के आधार को पर्याप्त रूप से बढ़ाने, कर अदायगी में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने तथा कर प्रशासन को और अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख कर सुधार शुरू करेगी। कर दरें स्थिर रहेंगी और विकास, अनुपालन और निवेश के लिए सहायक होंगी। व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ विचार-विमर्श करके तथा उनके सहयोग से मूल्य संवर्धित कर लागू किया जाएगा।

मेरी सरकार 2009 तक केन्द्र सरकार के राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है जिससे सामाजिक व भौतिक अवसंरचना में निवेश के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराये जा सकें। केवल गरीब और जरूरतमंद को ही सब्सिडी दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए कारगर और ठोस कदम उठाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत, सट्टेबाजों, जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों से निपटने संबंधी प्रावधानों में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी।

हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। देश की सीमा को सुरक्षित रखने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राहत व बचाव उपाय करने के लिए जब कभी भी उन्हें सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए कहा गया, उन्होंने कुशलतापूर्वक कार्य पूरा करके अपनी योग्यता सिद्ध की है। मेरी सरकार सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के कार्य को बाधित करने वाले सभी प्रकार के विलम्ब को समाप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित निधियों का पूर्ण और विनिर्दिष्ट कार्य के लिए ही उपयोग हो। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी और राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्यों में उन्हें शामिल किया जाएगा।

विगत समय में पोटा के हुए दुरुपयोग से मेरी सरकार चिन्तित है। यद्यपि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, तथापि सरकार का विचार है कि विद्यमान कानूनों के जरिए आतंकवाद की समस्या से समुचित ढंग से निपटा जा सकता है। इसलिए, सरकार पोटा को रद्द करने का प्रस्ताव करती है।

सरकार दक्षिण एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ घनिष्ठतर राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य संबंध स्थापित करने तथा सार्क को सुदृढ़ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। जल संसाधनों, विद्युत तथा पारिस्थितिकी संरक्षण संबंधी क्षेत्रीय परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते तथा उसके परवर्ती सभी समझौतों जिसमें 6 जनवरी, 2004 का संयुक्त वक्तव्य शामिल है, के अंतर्गत सभी लंबित मुद्दों पर सतत वार्ता की जाएगी। श्रीलंका की प्रादेशिक अखण्डता और एकता का सम्मान करते हुए, सभी भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की जायज आकांक्षाओं को पूरा करने वाले तथा सभी वर्गों के लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान युक्त जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले श्रीलंका के शांति प्रयास का मेरी सरकार समर्थन करेगी। मेरी सरकार बांग्लादेश के साथ शेष मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेगी और इस महत्वपूर्ण पड़ोसी के साथ संबंधों को सुदृढ़ करेगी। यह भूटान, नेपाल और मालदीव के साथ हमारी घनिष्ठ और जीवन्त भागीदारियों को अत्यधिक महत्व देती रहेगी। चीन के साथ व्यापार और निवेश को और आगे बढ़ाया जाएगा तथा सीमा के प्रश्न पर उद्देश्यपरक वार्ता की जाएगी। भारत, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चीन के साथ राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों में भी विस्तार करेगा। हम इराकी जनता की संप्रभुता की जल्द बहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों का स्वागत करते हैं। इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी से हम आश्वस्त हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी परम्परागत मित्रता को राष्ट्रपति करजई के शासनकाल में पुनः सक्रिय किया गया है। मेरी सरकार ने म्यांमार, ईरान और केन्द्रीय एशिया के सभी देशों के साथ बहुमुखी सहयोग विकसित किए हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के साथ घनिष्ठतर सामरिक और आर्थिक सहयोग-संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। भारत और रूस के बीच चिरकालिक एवं बहुआयामी हितों की समानता तथा इससे बनी सामरिक साझेदारी के कारण भारत की विदेश नीति की अवधारणा में रूसी परिसंघ का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। आसियान के साथ समग्र रूप में, और इस क्षेत्र के देशों के साथ अलग-अलग भी, संबंध गहन बनाए जाएंगे। पश्चिम एशिया के देशों के साथ पारंपरिक संबंधों को नये सिरे से बल दिया जाएगा। फिलिस्तीनी लोगों की जायज आकांक्षाओं को मेरी सरकार का पूर्ण समर्थन जारी रहेगा। इजरायल के साथ हमारे संबंध, जो आपसी हितकारी सहयोग के आधार पर बने हैं, महत्वपूर्ण हैं; परन्तु इनसे फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं के लिए हमारे सैद्धांतिक समर्थन में कोई कमी नहीं आएगी। भारत, अपने

हितों का ध्यान रखते हुए, सभी स्थानीय और वैश्विक मुद्दों पर एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा। शीत युद्ध के उपरांत इस भूमंडलीकृत विश्व में गुट निरपेक्षता की भूमिका को नई दिशा देनी होगी। विश्व की राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था में बहु-ध्रुवीय अवधारणा को प्रोत्साहन देने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है।

एक उक्ति के अनुसार समय-समय पर सत्ता का पुनर्वितरण ही लोकतंत्र है। भारत की जनता ने खुलकर अपनी मंशा जता दी है। उसने मेरी सरकार को जो जनादेश दिया है, वह है—सत्ता को एक पवित्र सामाजिक न्यास के रूप में मानना, जिसका उपयोग, हमारे किसानों और अन्य दलित वर्गों की अनिवार्य जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए, समाज की भलाई के लिए किया जाएगा। हमारी सरकार इस दर्शन को निष्ठापूर्वक अपनाएगी। सरकार, हमारी राजनीति की धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी नींव को सुदृढ़ करने और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने पर आम सहमति बनाने के लिए ईमानदारी से कार्य करेगी। हमारी जनता में सृजनात्मक शक्ति का अपार भंडार है। उन्हें शासन पद्धति में सुधार की उत्सुकता से प्रतीक्षा है जिससे कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में इस ऊर्जा का पूर्ण उपयोग किया जा सके। इक्कीसवीं सदी को भारत की सदी बनाने का दायित्व हम सब पर है। यह अवश्यंभावी है कि भारत उदीयमान विश्व अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा और इस प्रक्रिया में हमारे समाज के बड़े भाग को अभी भी प्रभावित करने वाली अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता और बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा। जनता के प्रतिनिधियों के रूप में आपका यह दायित्व है कि हमारे जनता के इस उमड़ते आवेग को सही दिशा दें जिससे कि अभाव और शोषण के भय से मुक्त एक नए भारत का निर्माण हो सके। यह मेरी हार्दिक आशा और इच्छा है कि देश हित में आपके विचार-विमर्श में परिपक्वता और बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति होगी और ये देशभक्तिपूर्ण और निःस्वार्थ भावना से प्रेरित होंगे।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 25 फरवरी 2005

लोक सभा	-	चौदहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री भैरों सिंह शेखावत
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री सोमनाथ चटर्जी

माननीय सदस्यगण,

नव वर्ष में संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आप सबको मेरा अभिनंदन। नए साल की शुरुआत मिली-जुली भावनाओं के साथ हुई है। एक ओर, ऐसे अनेक कारण थे जो इस वर्ष के लिए हमारे अंदर आशा और उत्साह जगाते तो, दूसरी ओर, समूचा राष्ट्र सुनामी त्रासदी से ग्रस्त रहा। 26 दिसम्बर, 2004 को सुमात्रा के निकट महासागर के तल में आए एक बड़े भूकंप से उत्पन्न हुई एक सुनामी लहर ने अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों तथा आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी* और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे हृदय उनके लिए आहत हुए, जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस हत्यारी लहर के साथ जाते देखा, जो सागर से उठकर आई और हजारों लोगों के जीवन और जीविका को समाप्त कर गई। समस्त राष्ट्र उन सभी लोगों के शोक में भागीदार है जिनके जीवन और जीविका को इस आपदा ने नष्ट कर दिया।

तब भी, माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि वक्त पड़ने पर पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आने में हमारी जनता की तत्काल प्रतिक्रिया इस अंधकार की घड़ी में रोशनी की किरण के समान रही। इस तथ्य के अलावा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अभूतपूर्व योगदान दिया गया, लाखों भारतीयों और विदेशी मित्रों ने अपने-अपने तरीके से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, राहत पहुंचाई तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्य को आसान बनाने के लिए योगदान दिया।

---
*अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है।

राज्य और स्थानीय सरकारों, सशस्त्र सेनाओं और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों की मैं पूरे देश की ओर से सराहना करता हूं। हमने अपनी जिन्दगी में सुनामी का प्रकोप अपने इलाके में नहीं देखा था। ऐसी स्थिति में सुनामी ने हमें सकते में डाल दिया। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों के दूर-दराज इलाकों में स्थित होने के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई। तब भी हमारी प्रतिक्रिया तीव्र रही। भारतीय नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों ने न केवल हमारे लोगों वरन् श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के प्रभावित लोगों को भी शीघ्र राहत पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

मेरी सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि तत्काल बचाव व राहत कार्य के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य को स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने बड़े अच्छे ढंग से संपन्न किया और अपेक्षित संसाधन राज्य व केन्द्र सरकारों के पास उपलब्ध थे। भारत उन सभी का धन्यवाद करता है जिन्होंने सहानुभति दिखाई और उदारतापूर्वक मदद करने की पेशकश की। तटीय क्षेत्रों की ध्वस्त अर्थव्यवस्थाओं तथा पारिस्थितिकी तंत्रों में पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापना के लिए हम बाहरी सहयोग और परामर्श का स्वागत करते हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाकर और तटीय पारिस्थितिकी को सुरक्षित करके हम इस त्रासदी को विकास के एक अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं।

यह अत्यावश्यक है कि प्रतिक्रियात्मक संवेदना की तीव्रता तथा राहत और पुनर्वास चरण के कार्यों की गति को पुनर्निर्माण चरण तक बनाए रखा जाए। मैं आशा करता हूं कि हम पुनर्निर्माण के अपने प्रयासों को आपदा शमन के प्रभावी, मानवोचित तथा प्रगतिशील जन कार्यकलाप के विश्वव्यापी नमूने के रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे।

सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाएगी। संसद में जल्दी ही आपदा प्रबंधन पर एक केन्द्रीय विधान लाया जाएगा। मैं सिफारिश करूंगा कि इस प्राधिकरण के कार्यकलापों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ठोस घटक निहित हो। हमें प्राकृतिक आपदाओं और अपने तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को होने वाले खतरों से निबटने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में दीर्घकालिक उपाय विकसित करने होंगे। जम्मू व कश्मीर में भारी हिमपात के परिणामस्वरूप हाल ही के हिम-स्खलनों जैसी विपत्तियों से हुए जान-माल के अत्यधिक नुकसान के मद्देनजर इस प्रकार के प्राधिकरण की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। राष्ट्र, जम्मू व कश्मीर के लोगों की दु:ख की इस घड़ी में उनके साथ है।

सुनामी त्रासदी के प्रति हमारे देश की जनता की उदार प्रतिक्रिया ने एक बार फिर यह दर्शा दिया है कि हमारे राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण में आमूल-चूल बदलाव आया है। हममें से जो लोग व्यक्तिगत हित साधन की सामाजिक प्रवृत्ति तथा

बहिष्कार की राजनीति की राजनैतिक प्रवृत्ति के बारे में चिंतित रहे हैं। उन्हें सुनामी के बाद वास्तविक परहितवाद और सम्मिलन की भावना, जिसने राष्ट्र की मनोदशा को चरितार्थ किया, से संतोष मिला होगा।

मेरी सरकार, एक समवेत समाज, हितचिन्तक राज्य व्यवस्था तथा साझी अर्थव्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। यही राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम का सार है जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटकों ने अपनाया है तथा जिसका वाम और अन्य समान विचारधारा वाले दलों ने समर्थन किया है। राजनैतिक मुख्यधारा में निहित बहुलवाद, सर्वसमावेश, पंथनिरपेक्षता तथा समता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक वृद्धि की ओर वापसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का राष्ट्र के प्रति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की जनता ने हमारे राष्ट्रत्व के इन सारगर्भित मूल्यों के प्रति बार-बार अपने समर्पण की अभिपुष्टि की है।

मेरी सरकार, जनता को आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रगति की ओर अपनी ऊर्जा को पुनः संकेन्द्रित करने के लिए उत्साहित करने में सक्षम रही है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि इस समय देश में आशावाद की भावना व्याप्त है और हम उन्नत आर्थिक निष्पादन, साम्प्रदायिक सद्भावना तथा राजनीतिक स्थायित्व वाले वर्ष की आशा कर सकते हैं। सभी मुख्य आर्थिक संकेत बेहतर हो रहे हैं तथा निवेशकों ने हमारी योग्यता में अपना विश्वास पुनः जताया है। मेरा विश्वास है कि परोपकारिता के साथ-साथ आशावाद के इस वातावरण का उपयोग हमारे समवेत लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्यगण, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने एक वर्ष की तीन तिमाहियों की अवधि के दौरान सत्तासीन रहते हुए, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पहले ही पर्याप्त समय और ऊर्जा लगाई है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता पर आधारित, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरता का एक वातावरण सृजित किया गया है। सरकार ने समता तथा सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बनाए रखा है। इसने साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित किया है और अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए आशा की भावना सृजित की है। मेरी सरकार पूरे देश में विभिन्न असंतुष्ट समूहों, विशेषतः उत्तर-पूर्वी राज्यों में, और जनजातीय समुदायों के बीच अपनत्व की भावना उत्पन्न करने में भी समर्थ रही है। ऐतिहासिक कांगला किले को मणिपुर की जनता को समर्पित करना न केवल मणिपुरी लोगों के इतिहास में गौरवशाली घड़ी थी बल्कि यह हमारे समाज के सभी घटकों के प्रति मेरी सरकार की इस वचनबद्धता की भी प्रतीक थी कि उन्हें मान-मर्यादा और आत्मसम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। इसी संदेश के साथ प्रधानमंत्री ने कश्मीर

घाटी में रह रहे लोगों और जम्मू में प्रवासी कश्मीरी पंडितों से सहृदयता व्यक्त करने के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य की यात्रा की।

मेरी सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक आयोग गठित किया है। यह आयोग इन वंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करेगा और उनके लिए शैक्षिक, रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगा। हम भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर एक श्वेत-पत्र भी तैयार करेंगे। आगे चलकर, सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देगी ताकि विशिष्ट कार्यक्रमों का समावेश किया जा सके।

इस देश में अनेक क्षेत्रों में आदिवासी असुरक्षा का जीवन बिता रहे हैं क्योंकि उनके संपदा अधिकारों का हल नहीं निकाला गया है। यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में, जहां वे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, सुनिश्चित संपत्ति और भूमि अधिकार की उनकी आवश्यकता को समझा जाए। यह विडम्बना की बात है कि उन जनजातीय लोगों, जो कई पीढ़ियों से 'वन ग्रामों' में निवास कर रहे हैं तथा इन जमीनों पर कृषि कर रहे हैं, के अधिकारों को उचित मान्यता नहीं दी गई है। सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे रही है और हम जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों के मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे। इसका परिणाम जनजातीय लोगों और वन संरक्षण के लक्ष्य, दोनों के लिए लाभदायक होगा।

मेरी सरकार मानती है कि यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि समाज के वंचित वर्गों का सम्यक् ध्यान रखा जाए। हम उनके शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उपाय करने के प्रति वचनबद्ध हैं। साथ ही, हमें उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए तथा उन्हें सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से भी मुक्त करना चाहिए। सरकार सिर पर मैला ढोने के अपमानजनक कार्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी तथा राज्यों को इसे लागू करने के लिए अगस्त, 2005 तक का समय दिया जाएगा। मेरी सरकार शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उत्थान और सशक्तीकरण के लिए भी वचनबद्ध है।

यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे द्वारा शुरू की गई विकास प्रक्रियाओं का लाभ हमारे समाज के वंचित वर्गों को मिले। सरकार ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए उद्योग जगत से विचार-विमर्श करने हेतु एक मंत्री-समूह का गठन किया है। सरकार में आरक्षण के सभी उपबंधों को संहिताबद्ध करते हुए सरकार ने संसद में आरक्षण विधेयक पेश किया है। इसके अतिरिक्त, दलितों के कल्याण से

संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए दलित कार्य संबंधी एक मंत्री-समिति बनाई गई है।

माननीय सदस्यगण, कीमतों को स्थिर रखने की राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लिखित महत्वपूर्ण वचनबद्धता को सरकार ने पूरा किया है। खराब मानसून के प्रभाव के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण गत वर्ष के मध्य में मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई थी। तथापि, तेल मूल्य के निरन्तर दबाव के बावजूद आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक हस्तक्षेप के सम्मिलित विवेकपूर्ण प्रयासों से मुद्रास्फीति दर को कम करने में मदद मिली है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अगस्त, 2004 में 8 प्रतिशत से कुछ ऊपर तक बढ़ने के बाद नीचे आकर 5 प्रतिशत हो गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा आंकी गई मुद्रास्फीति की दर कम हुई है और थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में काफी कम है। मेरी सरकार, मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण रखने के लिए वचनबद्ध है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा गरीब प्रभावित होते हैं। मुद्रास्फीति की दर को कम करने में सरकार की सफलता, सरकार द्वारा पिछले नौ महीनों के किए गए अनेक गरीबोन्मुख कार्यकलापों में सबसे महत्वपूर्ण रही है। सरकार कीमतों को स्थिर रखने और गरीबों की वास्तविक आय को संरक्षित रखने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहेगी।

मुद्रास्फीति नियंत्रण एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश और व्यावसायिक गतिविधि को बल मिले। सभी वृहत आर्थिक सूचक बेहतर हो रहे हैं। 2003-04 में हुई रिकार्ड वृद्धि जो अधिकांशत: पूर्ववर्ती वर्ष की अल्प वृद्धि में हुए सुधार से हुई, के अलावा 2004-05 में कम मानसून और तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद अर्थव्यवस्था पुन: लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। निवेश गतिविधि के पुनर्जीवित होने और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होने से 2004-05 में औद्योगिक उत्पादन में 8.9 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की आय में 8.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। कम मानसून के कारण कृषि पैदावार में 1.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बावजूद, खाद्य कीमतें नियंत्रण में रही हैं।

विदेश व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहा है जिसमें अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 की अवधि में अमेरिकी डॉलर के हिसाब से निर्यात में 25.6 प्रतिशत की तथा आयात में 34.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू तथा विदेशी, दोनों प्रकार के निवेश में वृद्धि हो रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। नीतिगत तथा प्रचालनात्मक अवरोधों को हटाकर निवेश-गतिविधि को और तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने एक निवेश आयोग का गठन किया है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकार्ड स्तर पर बना हुआ है जबकि निवेश गतिविधि के पुनरुत्थान और इसके परिणामस्वरूप, आयात मांग में हुई वृद्धि ने संचय दर को स्थिर कर दिया है। समग्र रूप से, सभी वृहत आर्थिक सूचक मजबूत और सकारात्मक हैं और अर्थव्यवस्था तथा

मण्डियों में ऊंचाई का रुख है। मेरी सरकार ऐसी नीतियों का अनुसरण करेगी जिससे यह उछाल बरकरार रहे और विकास की गति तेज हो तथा उच्चस्तरीय राजकोषीय और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए, कुशलता और निष्पक्षता के मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें।

माननीय सदस्यगण, कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, अवसंरचना, शहरी नवीकरण और जल के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की मुख्य वचनबद्धताएं हैं।

मेरी सरकार 'ग्रामीण भारत को नई पहल' देने के लिए वचनबद्ध है। इस 'नई पहल' में अन्य बातों के अलावा कृषि में घटते निवेश के रुख को पलटना; किसानों के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाना; सिंचाई और बंजर भूमि विकास में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना; कृषि अनुसंधान और विस्तार के लिए निधियां बढ़ाना; कृषि पैदावार के लिए 'एकल मण्डी' बनाना; ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में निवेश; ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों को बढ़ावा; वस्तुपरक वायदा बाजारों की स्थापना; और खेती एवं ग्रामीण व्यवसाय में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना शामिल हैं।

कृषि के लिए ऋण प्रवाह में तीव्र वृद्धि करना गत वर्ष मेरी सरकार द्वारा सर्वप्रथम उठाए गए कदमों में एक था। पूरा देश उस विपत्ति से अत्यन्त व्यथित था जिसने देश के कुछ भागों में कुछ किसानों को हताश होने व आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मेरी सरकार ने प्रभावित परिवारों के दु:ख का निवारण करने के लिए अनेक उपाय किए और किसानों को आसानी से ऋण मुहैया कराने के लिए अनेक पहलें कीं। आगामी तीन वर्षों में कृषि ऋण के प्रवाह को दो गुना करने और किसानों को ऋण संबंधी राहत मुहैया कराने के लिए जून, 2004 में एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई। इस वर्ष के लिए 1,05,000 करोड़ रु. के कृषि ऋण प्रवाह के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2005 के अंत तक 99,240 करोड़ रु. उपलब्ध कराए जा चुके हैं जो कि लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत बैठता है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बाजार की अनिश्चितताओं से संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने फार्म और फार्म आय बीमा उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं। फार्म आय बीमा योजना, जो रबी फसलों के लिए कार्यान्वित की गई थी, उसे खरीफ की फसलों के लिए भी लागू कर दिया गया है। मौसम विज्ञान की पूर्वानुमान प्रणाली का आधुनिकीकरण, मौसम के बारे में अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाकर हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में भी योगदान करेगा।

बागवानी, प्राथमिकता से ध्यान दिए जाने के लिए चुने गए क्षेत्रों में से एक है जिसके लिए एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। इस पहल में हमारे ग्रामीण परिदृश्य तथा कृषि उत्पादों के मामले में हमारी निर्यात स्थिति को भी

बदल डालने की क्षमता है। इसकी ब्यौरेवार रूपरेखा वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में पेश करेंगे।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जल उपलब्धता तथा इसके इस्तेमाल संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। जल एक राष्ट्रीय संसाधन है और हमें अपने देश के जल संसाधनों, अपनी आवश्यकताओं, अपनी नीतियों और जल के इस्तेमाल के अपने तरीकों पर एक समग्र दृष्टिकोण बनाना होगा। हमें दुष्प्राप्य जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मैं आपसे और अपने सभी राजनेताओं से यह अनुरोध करता हूं कि वे हमारे जल संसाधनों के प्रबंधन की चुनौतियों को राष्ट्रीय तथा सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखें।

जल संरक्षण के लिए हमें सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। लोगों ने इस क्षेत्र में अग्रणी होने की अपनी क्षमता को दर्शाया है। मेरी सरकार की योजना है कि जन आंदोलन द्वारा बड़े स्तर पर जल संरक्षण तथा जल एकत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। शुष्क भूमि कृषि तथा कृत्रिम पुनर्भरण के वर्तमान कार्यक्रम ऐसे मिशन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे जबकि मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित निवेश जल संरक्षण के नागरिक तथा जन आधारित आंदोलन के लिए निधि प्रदान करेगा। जलागम प्रबंधन के वर्तमान कार्यक्रम इन प्रयासों के पूरक होंगे जो स्वयं भी जलागम पर आधारित होंगे। इससे विशेषकर हमारे शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार का कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। कृषि क्षेत्र, विशेष तौर पर ग्रामीण अवसंरचना में विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

ब्रह्मपुत्र घाटी तथा गंगा के मैदानी इलाकों में आने वाली मौसमी बाढ़ की समस्या सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रही है। दीर्घकालिक उपाय सुझाने तथा ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के पानी को काम में लाने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो उत्तर-पूर्व घाटी प्राधिकरण की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करेगी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए वित्तीय आबंटन को बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2004-05 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के किसानों के लिए जल एकत्रीकरण योजनाओं की सहायता हेतु कदम उठाए गए हैं। सिंचाई तथा पेयजल, दोनों प्रयोजनों हेतु, जल प्रबंधन के सभी पक्षों पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। यह सरकार पड़ोसी देशों के साथ जल संबंधी सभी मामलों पर सहयोग की भावना से कार्रवाई भी कर रही है।

कृषि अनुसंधान और विस्तार मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र होगा। कृषि अनुसंधान के लिए वित्तपोषण बढ़ाया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों और स्नातकों की संख्या बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता के नए केन्द्रों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कृषि का और आगे आधुनिकीकरण किया जा सके। 'ग्रामीण भारत को नई पहल' देने के लिए ग्रामीण विकास संस्थाओं को भी पुनर्जीवित करना अपेक्षित है। बुनियादी लोकतंत्र की मेरी सरकार की वचनबद्धता नया पंचायती राज मंत्रालय बनाने में प्रदर्शित हुई है। मुख्यमंत्रियों से परामर्श करके मंत्रालय ने पंचायती राज के 18 पहलुओं को शामिल करते हुए 150 सूत्री कार्य योजना तैयार की है। सरकार विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करेगी। देश में सहकारी क्षेत्र में कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया रहा है। सरकार सहकारी संस्थाओं में एक व्यावसायिक प्रबंधन पद्धति लागू करके और उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को पुन: स्थापित करके उन्हें सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। नाबार्ड द्वारा सहकारी ऋण ढांचे के पुनर्जीवीकरण के लिए एक योजना तैयार की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं और ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण अवसंरचना संबंधी राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। ग्रामीण विद्युत वितरण आधार-तंत्र और ग्रामीण विद्युत अवसंरचना सृजित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण नीति तैयार की गई है। मेरी सरकार वर्ष 2009 तक देश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अवसंरचनात्मक असमानता को समाप्त करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और निवेश के अवसर उपलब्ध कराये जाने हैं। इससे नगरों की ओर दु:खद पलायन जिससे शहरी अवसंरचना पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है, निरुत्साहित होगा। हमें ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं में सुनियोजित ढंग से सुधार करना चाहिए।

मेरी सरकार ने अनेक अन्य उपाय किये हैं जिनसे कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अत्यधिक लाभ होगा। इनमें ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उसका आधुनिकीकरण करने तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने पर लक्षित कार्यक्रम और नीतियां शामिल हैं। कुल मिलाकर ये सभी उपाय हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को प्रमुख विकासात्मक बल प्रदान करते हैं। यह कथन कि भारत गांवों में बसता है एक घिसी पिटी बात हो सकती है लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें हमेशा याद रखना है। जब तक ग्रामीण भारत में रहने वाले हमारे नागरिक, खास तौर पर किसान और कमजोर वर्ग आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त नहीं होते, भारत उदय नहीं हो सकता। मेरी सरकार भारत उदय चाहती है लेकिन यह उदय सभी के लिए हो।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के लिए विशेष ध्यान दिया जाने वाला दूसरा क्षेत्र रोजगार का है। यह हमारे देश के लिए प्राथमिकता है जहां जनसंख्या में युवाओं का हिस्सा बढ़ रहा है और आने वाले कुछ दशकों तक बढ़ता ही रहेगा। निवेश बढ़ाने और कृषि, विनिर्माण, अवसंरचना तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़ाने पर लक्षित नीतियां निःसन्देह रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। विकास प्रक्रियाओं में जिनके पिछड़ जाने की संभावना है, उनका ध्यान रखने और एक सुरक्षा कवच सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से, देश के कुछ अधिक पिछड़े क्षेत्रों में, मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी विधेयक बनाया है। संसद के समक्ष प्रस्तुत यह विधेयक शुरुआती तौर पर देश के कुछ सबसे पिछड़े जिलों में प्रत्येक गरीब घर में कम से कम एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों के रोजगार के लिए विधिक गारंटी प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का क्रमशः विस्तार किया जाएगा ताकि सभी ग्रामीण क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएं। इस बीच, सरकार ने 150 पिछड़े जिलों में 'काम के बदले अनाज' का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की वर्षगांठ पर आंध्र प्रदेश के एक पिछड़े जिले में प्रारंभ किया गया। 50 लाख और परिवारों को अंत्योदय कार्ड दिए जा चुके हैं। जिससे इनकी कुल संख्या 2 करोड़ तक पहुंच गयी है।

सदियों से हमारी सभ्यता ज्ञान पर आधारित रही है और तब भी हमारे देश में निरक्षरता की दर अस्वीकार्य रूप से उच्च है। आज हमारे सर्वोत्तम और सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वैश्विक ज्ञान व्यवस्था में सबसे अग्रणी हैं, तब भी हमारे अनेक विद्यालय और महाविद्यालय उन सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं जो ज्ञान का प्रकाश पाना चाहते हैं। इसे बदला जाना चाहिए। भारत को एक नवीन ज्ञान क्रांति की आवश्यकता है, गांवों के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर विश्व-स्तरीय अनुसंधान संस्थाओं तक, ज्ञान के पिरामिड के सभी स्तरों पर शिक्षा में निवेश की एक नई लहर की आवश्यकता है। मेरी सरकार शिक्षा की सुलभता और उत्कृष्टता, दोनों मुद्दों को प्राथमिकता देगी।

शिक्षा उपकर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए संसाधनों को बढ़ाया गया है जिससे प्रारंभिक शिक्षा कोष का निर्माण होगा। इससे सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न आहार योजना और किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम का बेहतर वित्त-पोषण हो सकेगा। पहली बार, सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रीय मिशन गठित किया गया है। एडूसेट, एक शैक्षिक उपग्रह के प्रक्षेपण और दूरदर्शन की डायरेक्ट-टू-होम टेलीविजन सुविधा की शुरुआत से साक्षरता के प्रसार में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग हो सकेगा। मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान दिया है। अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित उच्चतर अध्ययन संस्थाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को एक विशेष अनुदान प्रदान किया गया है। सरकार ने उत्तर-पूर्व के लिए एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्वीकृत किया है और कश्मीर विश्वविद्यालय में संकाय विकास हेतु सहायता करने पर सहमति दी है।

शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार द्वारा उठाए गए ये कुछेक शुरुआती कदम हैं। काफी कुछ और किये जाने की आवश्यकता है और उसे किया जाएगा। हमें एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो पंथ निरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा दे तथा 21वीं शताब्दी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम, चिंतनशील, प्रतिबद्ध और योग्य नागरिक बनाए। हमें अपने समाज में अपने इर्द-गिर्द के संसार के बारे में अधिक जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए और एक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे महान राष्ट्र का भविष्य हमारी शिक्षा व्यवस्था की गुणता और अंतर्वस्तु पर निर्भर है। सरकार ने भारत को 21वीं सदी में ज्ञान का पूरा फायदा देने के लिए एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी है। इस ज्ञान आयोग की पांच शाखाएं होंगीः जनसमुदाय के हित के लिए ज्ञान की सुलभता बढ़ाना, विश्वविद्यालयों में ज्ञान की अवधारणा का पोषण करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान का सृजन, हमारे व्यापार और उद्योग जगत में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार में सेवा-प्रदानगी को सुधारने में ज्ञान का उपयोग करना। मूलभूत विज्ञान तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। अनुसंधान और विकास, विशेषकर जैव-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकियों में सार्वजनिक-निजी भागीदारियों को बढ़ावा देने तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों का वित्तपोषण बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

नीतिगत कार्रवाई के लिए और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है—स्वास्थ्य देखभाल। सरकार की एक प्रमुख प्रतिबद्धता है—अगले पांच वर्षों के दौरान जनस्वास्थ्य संबंधी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत की वर्तमान दर से 2 प्रतिशत की दर तक बढ़ाना, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीब लोगों के लिए बेहतर बनाना। मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करने का प्रस्ताव करेगी जो जिला आधारित नियोजन तथा स्वास्थ्य देखभाल करने के प्रबंधन मॉडल पर आधारित होगा। स्वास्थ्य प्रबंधन का यह विकेन्द्रीकृत मॉडल पहली बार स्वास्थ्य समस्याओं के स्थानिक समाधानों को संभव बनाएगा और आशा है कि 'सबके लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार शहरी अवसंरचना के विकास और हमारे कस्बों एवं शहरों को अधिक निवास योग्य बनाने पर भी विशेष ध्यान देगी। ऐसे देश के लिए जहां एक तिहाई से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, कस्बों और शहरों में मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच बनाने तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना मुहैया कराने के कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने का समय आ गया है। इससे हमारे शहर आर्थिक विकास को कारगर ढंग से आकर्षित कर सकेंगे। शहरी नवीकरण पर प्रस्तावित मिशन इस आवश्यकता को पूरा करेगा।

अवसंरचना मेरी सरकार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यदि अगले दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की वृद्धि करने का सरकार का उद्देश्य पूरा करना है तो देश को अवसंरचना में वृहत निवेश की आवश्यकता होगी। विद्युत, सड़कों, रेलवे, पत्तनों और अंतर्देशीय जलमार्गों, नागरिक उड्डयन और गृह निर्माण में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अवसंरचना संबंधी समिति का गठन किया गया है। पूर्वी एशिया के अपने पड़ोसियों के समकक्ष पहुंचने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को अगले दशक के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में कम से कम 150 बिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत है।

अवसंरचना संबंधी इस समिति ने पहले ही एक नई नागरिक उड्डयन नीति के लिए रूपरेखा निर्धारित कर दी है जो उड्डयन सेवाओं में सुधार करे, घरेलू वायुसेवाओं को प्रोत्साहन दे, नागरिक उड्डयन अवसंरचना को आधुनिक बनाए और उपभोक्ताओं को चयन के और अधिक अवसर प्रदान करे। नागरिक उड्डयन नीति जो अतीत में पारदर्शिता के अभाव तथा तदर्थवाद के समावेश से ग्रस्त थी, में पारदर्शिता एवं प्रगामी नीति का समावेश किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में नवीन निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को और अधिक व्यावसायिक और दक्ष बनाने हेतु कदम उठाते हुए इसे अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क निर्माण की दर, विशेषकर स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिणी एवं पूर्व-पश्चिमी कॉरिडोरों में बढ़ा दी गई है। सरकार सभी अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रेल और सड़क संयोजन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरी सरकार इस प्रयोजन के लिए समुचित तंत्रों की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। मुगल रोड जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं के उन्नयन के साथ जम्मू और कश्मीर में सड़क एवं रेल विकास को उच्चतर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

गत दशक के दौरान हमारी दूरसंचार की नीति की सफलता ने अवसंरचना के क्षेत्र में उदार नीति अपनाने के फायदों को दर्शा दिया है। ऐसी नीति का लाभार्थी,

अन्ततः उपभोक्ता ही होगा। मेरी सरकार की योजना है कि भारत के वर्तमान दूरसंचार घनत्व को 8.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2008 तक 20 प्रतिशत से अधिक कर दिया जाए। हमारी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि तथा डाटा ट्रांसमिशन संयोजन प्रदान करने की होगी। हाल ही में घोषित ब्राडबैंड नीति से इंटरनेट संयोजन में और भी तेज गति से बढ़ोतरी होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को क्रमशः ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा तथा ई-स्वास्थ्य के लाभ उठाने में मदद मिलेगी। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी में छलांग लगाने में हम सक्षम हैं। अतः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के मध्य डिजिटल विभाजन को अविलम्ब समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

मेरी सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय विद्युत नीति इस क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि अन्य उपभोक्ताओं सहित ग्रामीण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो। 13,000 करोड़ रु. से अधिक की लागत, 4000 मेगावाट से अधिक की कुल क्षमता वाली 11 निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय उपलब्धता सुगम करने में अंतर-संस्थागत दल को मिली सफलता इस क्षेत्र में भावी निवेश के लिए अच्छा शगुन है। मेरी सरकार द्वारा की गई पहलों से निजी प्रोत्साहकों तथा वित्तीय संस्थानों का विश्वास काफी बढ़ा है और उन्होंने व्यवहार्य निजी विद्युत परियोजनाओं को निधि प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है। नवम्बर, 2004 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जारी नई इक्विटी के साथ-साथ इसमें सरकारी इक्विटी के विक्रय के प्रति जनता की प्रतिक्रिया इस क्षेत्र में नीतिगत पहलों के लिए अच्छा संकेत है।

अपनी आर्थिक विकास दर में प्रत्याशित बढ़ोत्तरी को बरकरार रखने के लिए हमें ऊर्जा की सुलभता सुनिश्चित करनी होगी। अतः ऊर्जा सुरक्षा मुख्य राष्ट्रीय प्राथमिकता है। मेरी सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आर्थिक तथा कूटनीतिक, दोनों तरह के कई कदम उठाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ऊर्जा सुरक्षा, त्वरित वृद्धि दर तथा सतत आर्थिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्यों के संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि तेल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी अनन्य क्षमता संबंधी क्षेत्रों में अपनी ताकत को बढ़ाएं ताकि वे उनके लिए परिकल्पित मुख्य भूमिका को पूर्णरूप से निभा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा में सहस्फोट पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। मेरी सरकार ने 4 जनवरी, 2005 को नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का पांचवां दौर शुरू किया है जिसमें कंपनियों को तेल और गैस के अन्वेषण के लिए निवेश हेतु आकर्षक अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, हमारी दीर्घावधिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का दोहन करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां विकसित करने को मेरी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

माननीय सदस्यगण, यद्यपि, हमारी जनता से संबंधित इन सातों क्षेत्रों पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देगी तथापि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विशेषकर हमारे औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्रों के आधुनिकीकरण तथा विकास पर भी जोर दिया जाएगा। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय आय में औद्योगिक उत्पादन का घटना अंश चिन्ता का विषय है। अपने औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धा परिषद् की स्थापना की है जो इसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति एक ऐसे संसार में बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है जहां व्यापारिक द्वार खोले जा रहे हैं। मेरी सरकार देश में औद्योगिक विकास को तेज करने को उच्च प्राथमिकता देगी। वस्त्र तथा परिधान, आटोमोबाइल तथा उनके कलपुर्जों, चमड़ा तथा फार्मास्यूटिकल सहित विनिर्माण उद्योगों का एक विशाल क्षेत्र है जिसमें विद्यमान असीम अवसरों का दोहन किया जाएगा। इस पर मेरी सरकार विशेष ध्यान देगी।

मल्टी-फाइबर एग्रीमेंट की समाप्ति से कपड़ा क्षेत्र में बाह्य व्यापार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं जिन्हें भारतीय उद्योग को काम में लाना होगा। सरकार का इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी व उनमें सुधार करेगी। कपड़ा क्षेत्र में भारत को पारम्परिक तथा आधुनिक, दोनों स्तरों पर काफी वरीयता प्राप्त है और इसे विश्व बाजार में अपने पूर्व-प्रतिष्ठित पद को पुनः प्राप्त करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन से बहु-उपेक्षित हथकरघा क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरी सरकार हथकरघों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करेगी तथा उनकी डिजाइन और विपणन क्षमताओं को बढ़ाएगी। कुछ समय से बुनकरों की दुर्दशा जनता का ध्यान आकृष्ट कर रही है परन्तु इस संबंध में पर्याप्त रूप से कुछ नहीं किया गया है। मेरी सरकार अगले दो वर्षों तक चलने वाले एक समयबद्ध कार्यक्रम के जरिए बुनकरों की स्थिति सुधारने पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव करती है। इस कार्यक्रम का नाम 'बुनकरों के लिए दो वर्ष' होगा। इस कार्यक्रम के तहत, पारम्परिक करघों को बदला जाएगा, मूल्य संवर्धन के लिए डिजाइन क्षमता को सुधारा जाएगा तथा बुनकरों को नयी प्रौद्योगिकी, ऋण व बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। व्यावसायिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे भारतीय बुनकरों को उन प्रमुख बाजारों से जोड़ें जहां भारतीय हथकरघा अभी भी उच्चस्तरीय स्थान बनाए हुए हैं। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने में सबसे बड़ी चुनौती ब्रान्ड इंडिया, 'मेड इन इंडिया' लेबल का संवर्धन करना है।

हमारी 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में है। मेरी सरकार उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत और विनियामक तंत्र स्थापित करेगी। बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रयास करते हुए, हमें प्रोत्साहनों तथा विनियमन के विवेकपूर्ण मिश्रण के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता

की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की समस्याओं का पता लगाने तथा इस क्षेत्र के लघु और अति लघु उद्यमों एवं स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को तकनीकी, विपणन और ऋण संबंधी सहायता मुहैया कराने के बारे में सिफारिशें देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया गया है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर, हम यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यक्रम बनाएंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र न केवल आर्थिक कार्यनिष्पादन में बल्कि रोजगार अवसरों के प्रदाता के रूप में भी फले-फूले। सार्वजनिक क्षेत्र की सफल कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता देने और साथ ही लगातार घाटे में चल रही कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड बनाया गया है।

माननीय सदस्यगण, आर्थिक विकास और कल्याण तथा हमारी जनता का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। तथापि, कुछेक ऐसी ताकतें कार्यरत हैं जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक हैं। मेरी सरकार शांति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले इस प्रकार के सभी खतरों से निपटने के लिए कृतसंकल्प है। मेरी सरकार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की आंतरिक और बाह्य चुनौतियों के प्रति पूरी तरह सचेत है तथा आतंकवाद के खतरे या मनमुटाव फैलाने के प्रयासों तथा कानून व व्यवस्था में गड़बड़ी से निपटने के लिए आवश्यक कोई भी कदम उठाने में हिचकिचाएगी नहीं। 2004 में देश में समग्र आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में रही। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाले तीन प्रमुख क्षेत्रों के रूप में जम्मू तथा कश्मीर में सीमा पार से आंतकवाद, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्रोह तथा कुछ राज्यों में नक्सलवादी हिंसा को चिह्नित किया गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें बहुपक्षीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानून तथा व्यवस्था लागू करने संबंधी तंत्र को अधिक कारगर बनाना पड़ेगा। साथ ही, हमें उन आधारभूत कारणों से भी निपटना चाहिए जो शांति और सुरक्षा के साथ जीने की इच्छा रखने वाली हमारी जनता के किसी वर्ग में अलगाव की भावना पैदा करते हैं। सभी स्तरों पर प्रशासन को समान तथा जन-केन्द्रित विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मेरी सरकार विकास आयाम तथा मानवाधिकारों संबंधी चिन्ताओं पर समान ध्यान देगी।

इन खतरों से निपटने में मेरी सरकार का यह विचार था कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 का दुरुपयोग किया जाता रहा था तथा वास्तव में इस अधिनियम की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि विद्यमान कानून आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त थे। अतः सरकार ने पोटा को निरस्त कर दिया तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया ताकि आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए एक विधिक व्यवस्था लाई जा सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोधी तत्वों से निपटने में हमारा संकल्प किसी

भी प्रकार से कमजोर हुआ हो। सरकार हमारे सुरक्षा बलों के कल्याण तथा उनके साजो-सामान के आधुनिकीकरण में निवेश करेगी।

मेरी सरकार लोगों की वास्तविक चिन्ताओं पर समान ध्यान देने तथा उनकी शिकायतों का निपटारा करने के लिए कृतसंकल्प है। यह सामाजिक तथा आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए कदम उठाएगी जिससे कि जम्मू व कश्मीर के युवाओं को मान-मर्यादा, आत्मसम्मान और खुशहाली का जीवन जीने के पर्याप्त अवसर मिल सकें। शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार ने किसी भी समूह से बातचीत करने की अपनी इच्छा बार-बार व्यक्त की है बशर्ते कि वे हिंसा का रास्ता त्याग दें। सीमापार से आतंकवाद हमारे पश्चिम तथा पूर्व दोनों भागों में संभावित खतरा बना हुआ है हालांकि हाल के महीनों में जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादी हमलों की संख्या में कमी आई है। सीमा के उस पार आतंकवाद की अवसंरचना को ध्वस्त नहीं किया गया है। सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार तार लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ताकि सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी तथा अन्य भारत विरोधी गतिविधियों को रोका जा सके।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में भूमिगत समूहों की गतिविधियां तथा जातीय तनाव सतत् रूप से वातावरण को दूषित कर रहे हैं। हम यहां सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कृतसंकल्प हैं ताकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोग सामान्य जीवन जी सकें तथा आर्थिक रूप से खुशहाल बन सकें। मेरी सरकार हिंसा का त्याग करने वाले किसी भी समूह से सार्थक बातचीत करने की इच्छुक है। इसी भावना से सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों के विभिन्न समूहों से बातचीत करने में लगी है। हमारी सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास की गति में तेजी लाने की ओर पर्याप्त ध्यान देगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार के विकास में उनकी वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाए।

जम्मू व कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास पर मेरी सरकार विशेष ध्यान देगी। सरकार ने जम्मू व कश्मीर राज्य की पुनर्संरचना और इसके विकास के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के अवसंरचनात्मक घटक राज्य के रुग्ण पर्यटन उद्योग में जान डालेंगे, नई क्षमता सृजित करेंगे तथा रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रस्तावित परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उन्नत शासन, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शांति, सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, राजकोषीय जिम्मेदारी तथा जनोपयोगी वस्तुओं के किफायती मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होगी।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद को नया रूप दिया जा रहा है तथा उसका विस्तार किया जा रहा है। मेरी सरकार सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जांच करने के लिए एक

स्वतंत्र समूह गठित करने के अपने निर्णय पर मणिपुर की जनता की अनुकूल प्रतिक्रिया से प्रसन्न है। यह समूह सिफारिश करेगा कि विद्यमान अधिनियम में संशोधन किया जाए अथवा उसके स्थान पर एक और अधिक मानवीय कानून लाया जाए ताकि हमारे जनसमुदाय के मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस क्षेत्र को आशा के नए एजेंडा की आवश्यकता है। सरकार के द्वार हमेशा उन सभी समूहों के लिए खुले हैं जो इस क्षेत्र के आर्थिक उत्थान तथा सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के प्रति कृतसंकल्प हैं। ऐसा कोई भी मुद्दा, कोई भी शिकायत नहीं है जो इतनी जटिल हो कि उसे धैर्यपूर्ण, रचनात्मक बातचीत के माध्यम से हल न किया जा सके। आगे बढ़ने का एकमात्र यही रास्ता है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी खुली तथा इतनी लचीली है कि उसमें सभी प्रकार की विचारधाराओं का समावेश हो जाता है। अंत में कहा जा सकता है कि भारत में सत्ता का प्रवाह मतपेटी से निकलता है, बन्दूक की नाली से कदापि नहीं।

मेरी सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए भी कृतसंकल्प है। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का पुनर्गठन किया गया है। साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक आदर्श व्यापक कानून बनाया जा रहा है। मेरी सरकार साम्प्रदायिकता फैलाने, कानून व व्यवस्था में गड़बड़ करने तथा किसी भी नागरिक को शांति और सुरक्षा से जीवनयापन न करने देने के लिए किसी भी प्रयास से दृढ़ता से निपटेगी। नक्सलवाद की समस्या देश के कई हिस्सों में शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। प्रत्येक राज्य सरकार को कमजोर वर्गों की वास्तविक मांगों और राष्ट्रविरोधी तत्वों के घृणित मनसूबों में अंतर समझते हुए इस खतरे से निपटने के उपाय निकालने होंगे। मेरी सरकार सभी कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है और लोगों के कल्याण को शांतिपूर्वक बढ़ावा देने की इच्छुक सभी राजनीतिक ताकतों के साथ बातचीत को प्रोत्साहन देगी। हालांकि, वह लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई किसी भी सरकार की संवैधानिक सत्ता को चुनौती देने वाले तथा शस्त्रों का प्रयोग करने वाले किसी भी समूह के साथ कारगर ढंग से निपटेगी।

माननीय सदस्यगण, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल, हमारी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण हमारी सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए निधियों के आबंटन में वृद्धि की गई है। थलसेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण की परियोजनाएं चल रही हैं। विभिन्न उपकरण और शस्त्र प्रणालियों की स्थापना के लिए अनेक नयी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' के तीन प्रोटोटाइपों का उड़ान परीक्षण चल रहा है और सुपरसोनिक उड़ानों सहित 307 परीक्षण उड़ानें पूरी कर ली गई हैं। एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली–'संयुक्त'

का सेना द्वारा सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर लिया गया है और उसे अपना लिया गया है। नौसेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली–'संग्रह' को अपना लिया गया है और उत्पादन के आदेश दे दिए गए हैं। तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र 'नाग' और जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'आकाश' के सफल उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं। रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम–सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल 'ब्रहमोस' का जहाजरोधी अस्त्र के रूप में परीक्षण किया जा चुका है और यह सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रमुख युद्ध टैंक 'अर्जुन' को सफलतापूर्वक सेना में शामिल कर लिया गया है।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में की गई घोषणा के अनुसार रक्षा मंत्रालय में अलग से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया है। यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करेगा। विश्व के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय बनाया गया है।

सरकार का सुधार करने और उसे अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल बनाने के लिए मेरी सरकार कृतसंकल्प है। प्रशासन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के व्यापक सुधार के भाग के रूप में लोक सेवकों के लिए अच्छे शासन हेतु एक आदर्श संहिता तैयार की जा रही है। यह सरकार लोक प्रशासन प्रणाली का पुनर्गठन करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित करेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम बनने से नागरिक सशक्त होंगे और प्राधिकारी अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बाध्य होंगे। शासन की गुणवत्ता को बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के एक भाग के रूप में अनेक नए उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में उचित रूप से प्रशिक्षित हों और नागरिकों के पास शिकायत निवारण के प्रभावी तंत्र उपलबध हों।

माननीय सदस्यगण, विदेशों के साथ हमारे सबंधों के निर्वहन में और हमारे आर्थिक हितों को साधने के लिए मेरी सरकार की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर ही केन्द्रित है। सरकार ने विकल्पों की अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी चिंताओं के प्रति सचेत रहते हुए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण अधिक सुरक्षित बना है। हमने अपनी स्थिति और विचार स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किए हैं ताकि हमारे विदेशी भागीदार हमारे महत्व के विषयों पर हमारी स्थिति के तर्क को बेहतर ढंग से समझ सकें।

मेरी सरकार ने अपने पड़ोसियों से रिश्ते और सार्क को सुदृढ़ बनाने पर प्रमुखता से ध्यान दिया है। मेरी सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ कार्य करके समृद्धि और शांति का एक साझा पड़ोस बनाया जाए। सार्क की आगामी शिखर बैठक में इसमें निहित क्षमता को साकार करने के महत्व की हम पुनः पुष्टि करते हैं। अपने पड़ोसियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि इस क्षेत्र में लोग बढ़े हुए सहयोग, दृश्यमान अवरोधों और रुकावटों को पार करने की इच्छा रखते हैं। हमारा प्रयास होगा कि पारम्परिक मित्रता को प्रगाढ़ और व्यापक बनाया जाए और नई भागीदारियों की शुरुआत की जाए। भूटान के साथ हम अपने विशेष रूप से घनिष्ठ संबंधों को मूल्यवान समझते हैं और हम उन्हें और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश के साथ हमारे विशेष और गर्मजोशी भरे संबंध चले आ रहे हैं। भारत सुनामी के प्रकोप से प्रभावित श्रीलंका और मालदीव, दोनों को राहत और सहयोग तीव्रता से पहुंचाने वाले देशों में से एक था। वह भी तब, जब हम खुद अपने तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी के प्रभावों से जुझ रहे थे और अपनी क्षति का अनुमान लगा रहे थे। इससे इन संबंधों का हमारे लिए महत्व एवं अच्छे पड़ोसी संबंधों के प्रति हमारी वचनबद्धता परिलक्षित होती है। श्रीलंका के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार हमारे आर्थिक सहयोग को और गहन बनाएगा। राष्ट्रपति करजई का हाल का दौरा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण प्रयासों में हमारी भागीदारी को और सुदृढ़ बनाएगा।

शांति, स्थायित्व और सम्पन्नता वाला पड़ोस बनाने के अपने प्रयास में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान के साथ एक गंभीर वार्ता में हम संलग्न हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए कई पहलें की गई हैं। निकट भविष्य में आपसी सहयोग और विश्वास बढ़ाने के तरीकों सहित विभिन्न प्रकार के उपायों की हमारी पेशकश, जो आगे दीर्घावधिक आर्थिक सहयोग का रूप ले सकती है, हमारे जनसमुदायों की दिली इच्छा के अनुरूप है। तथापि, सामान्यीकरण की प्रक्रिया पूर्णरूपेण पाकिस्तान के इस आश्वासन पर निर्भर करती है कि वह आतंकवादी गतिविधियों को अपना सहयोग बंद कर देगा।

भारत-पाकिस्तान वार्ता प्रक्रिया को हाल में पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाया गया। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए एक समझौता किया गया। ननकाना साहिब जैसे धार्मिक स्थानों सहित लाहौर और अमृतसर के बीच बस सेवाएं शुरू करने के लिए सिद्धांततः सहमति भी बनाई गई। पाकिस्तान खोकरापार-मुनाबाओ रेल संपर्क को शीघ्र बहाल करने पर कार्य करने के लिए भी राजी हुआ। इन उपायों से लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेंगे और इनसे वर्तमान वार्ता प्रक्रिया को भी सुस्पष्ट समर्थन मिला है।

नेपाल के साथ हमारा संबंध उच्च प्राथमिकता पर रहेगा और हमारा दृष्टिकोण यह है कि नेपाल के सामने आज उपस्थित समस्याएं केवल एक संवैधानिक राजशाही तथा बहुदलीय लोकतंत्र द्वारा राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करके हल की जा सकती हैं। महामहिम नेपाल नरेश द्वारा 1 फरवरी, 2005 को बहुदलीय सरकार को भंग करने, आपात स्थिति की घोषणा करने और राजनेताओं को गिरफ्तार करने पर भारत ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।

हमारे प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ अपने रिश्तों को हम अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत–अमरीकी संबंध इस कारण निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि वे दोनों देशों के लोकतंत्र एवं सामरिक साझेदार होने के कारण उनके मध्य उत्पन्न सतत् आकर्षण पर आधारित हैं। हम इस संबंध में इस एकजुटता को लगातार बढ़ाते रहेंगे और अपने द्विपक्षीय आर्थिक तालमेल तथा दोनों देशों के लोगों के मध्य जीवन्त सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाएंगे। यूरोपीय संघ और इसके 25 सदस्य राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध निरन्तर बढ़ते रहे हैं और अपनी ओर से हम हाल में प्रारंभ इस सामरिक भागीदारी को अधिक गति प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे जिसमें इस वर्ष नई दिल्ली में होने वाली अगली भारत–यूरोपीय संघ शिखर वार्ता भी शामिल है। रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी सामरिक साझेदारी को हम मूल्यवान समझते हैं, जो रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति के हालिया दौरे से सुदृढ़ हुई है। हमारे सहयोग की सघनता उस प्राथमिकता को प्रदर्शित करती है जो हमने इस महत्वपूर्ण रिश्ते को प्रगाढ़ और घनिष्ठ बनाने में की है। मेरी सरकार ने चीन के साथ अपनी वार्ता और संलग्नता को गति प्रदान करने का प्रयास किया है और वहां के प्रधानमंत्री के दौरे को हम इस प्रत्याशा से देखते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मील के पत्थर के समान सिद्ध होगा।

'लुक ईस्ट पालिसी' ने जापान, आसियान के सदस्य राष्ट्रों और कोरिया गणराज्य के साथ हमारे संबंधों को काफी सुदृढ़ बनाया है। हम आशा करते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्पूर्ण घटना होगी। आसियान के साथ हमारे संबंध नई दिशाओं में बढ़े हैं। और इसकी पूर्ण क्षमता का दोहन करने की हम आशा करते हैं। नवम्बर, 2004 में आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की प्रभावी उपस्थिति तथा जुलाई, 2004 में पहले बिम्सटैक शिखर सम्मेलन की सफलता ने हमारे पूर्वी पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में हमारी मदद की है।

हमारी ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में हमारी विदेश नीति और घरेलू आवश्यकताओं का जुड़ना महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार विकास संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की हमारी आवश्यकता के साथ हमारी राजनयिक गतिविधियों का तालमेल बनाने को पूरा महत्व देगी। पश्चिम एशिया, खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे नागरिक तथा हमारे स्थापित एवं पारम्परिक हित आपसी

व्यवहार में प्रकट होते रहेंगे। फिलिस्तीनी लोगों के सामने आ रहीं समस्याओं के न्यायोचित एवं स्थायी समाधान ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के प्रयासों के प्रति हम समर्पित हैं ताकि वे अपना एक स्वयं का राज्य प्राप्त कर सकें। साथ ही इजराइल के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंधों को हम अत्यधिक महत्व देते हैं तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने व उनमें विभिन्नता लाने की आशा करते हैं।

बेंदुंग सम्मेलन की आने वाली 50वीं सालगिरह, एक ऐतिहासिक पहल को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है जो ऐसे समय में की गई जब उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी थी और जिसने गुट-निरपेक्ष आंदोलन के मूल्यों की पहले ही कल्पना कर ली थी। इसी भावना से अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका के देशों के साथ अपने रिश्तों के दायरे को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अपने व्यापक प्रयास को हम जारी रखेंगे। हम इस वर्ष नवम्बर में होने वाले राष्ट्रमंडल के शिखर-सम्मेलन में उसके मूल्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दृढ़तापूर्वक दोहराएंगे।

इस वर्ष हम दूसरे विश्व युद्ध के अंत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि वे समस्याएं जिनका आज संसार सामना कर रहा है, निश्चित रूप से विश्वव्यापी हैं और ऐसी समस्याएं हैं जिनकी कोई सीमाएं नहीं हैं, जिनके लिए सामूहिक नीतियों की आवश्यकता है। वैश्विक चिन्ताओं से संबंधित सभी वार्ताओं में हम सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति और क्षमता के अनुसार एक बड़ी भूमिका निभाने की भारत की युक्तियुक्त आकांक्षा की अधिकाधिक मान्यता प्राप्त हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आवश्यक नवीकरण के एक भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया को हम महत्वपूर्ण समझते हैं और हमारी मंशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता की अपनी आकांक्षा को बलपूर्वक व्यक्त करने की है।

माननीय सदस्यगण, यह वर्ष कई सालगिरहों का वर्ष है। इस वर्ष हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह की प्लैटिनम जयन्ती मना रहे हैं। मुझे आशा है कि सम्पूर्ण राष्ट्र आदर्शवाद तथा आत्म-बलिदान की उस भावना का स्मरण करेगा जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के चरमोत्कर्ष की विशेषता रही है। अपनी धरती के नमक मात्र से ही गांधी जी ने उपनिवेशी शासन को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अग्राह्य बना दिया। इसने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट किया।

नमक सत्याग्रह को याद करते हुए प्रत्येक भारतीय को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की अपनी चाह में फिर से गर्व महसूस करना चाहिए तथा हमारे पूर्वजों, जिन्होंने उपनिवेशी शासन से हमें आजादी दिलाई, के आत्मविश्वास से सीख लेनी चाहिए।

हमने इन 75 वर्षों में बड़ा लम्बा रास्ता तय किया है। आज भारत स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, बहुलता और सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध स्वतंत्र गणराज्य के रूप में सौहार्दपूर्ण राष्ट्रों के बीच सीना ताने खड़ा है।

यह वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन के मामले में ब्रिटिश राज के षडयंत्र के विरुद्ध महान राष्ट्रीय क्रांति का शताब्दी वर्ष भी है। मेरी सरकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेताओं के योगदान को नमन करती है जिन्होंने बंगाल को विभाजित करने के लार्ड कर्जन के घृणित प्रयासों का विरोध किया। इस विभाजन के विरुद्ध लोगों को इकट्ठा करने, साम्प्रदायिक सद्भावना को सुदृढ़ करने तथा विरोध व्यक्त करने में राष्ट्रीय नेताओं तथा गुरुदेव टैगोर के नेतृत्व तथा कटिबद्धता के प्रति हम आभारी हैं। अतिविशाल जनांदोलन के कारण ब्रिटिश राज को अपना फैसला वापिस लेना पड़ा था।

हाल ही में, देश ने भारतीय डाक की 150वीं वर्षगांठ मनाई। इण्डिया पोस्ट के सम्मान स्वरूप सरकार ने हाल में डॉट-इन डोमेन को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए पहल की। मैं आशा करता हूं कि अपनी खुद की वेबसाइट रखने वाले आदरणीय सदस्यगण अब डॉट-इन डोमेन का प्रयोग करेंगे। इस साल विख्यात लेखक प्रेमचन्द की 125वीं जयंती है। उन्होंने न केवल हिन्दी व उर्दू गद्य को नई दिशा दी जिसने उन्हें भारतीय जनमानस की कई पीढ़ियों का प्रिय बना दिया, वरन् उनके गद्य ने भारत के आम आदमी के दुख-दर्द को हमारे चिंतन के केन्द्र में ला बिठाया। मुझे आशा है कि हमारे विस्तृत गणराज्य के हरेक विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी की प्रेमचन्द से नए सिरे से पहचान होगी।

वर्ष 2005 में अल्बर्ट आइंस्टीन की 50वीं पुण्यतिथि है और उनके जीवन के सर्वाधिक स्मरणीय वर्ष की 100वीं वर्षगांठ अर्थात्, वह वर्ष जब एक 26 वर्षीय पेटेन्ट क्लर्क ने अपनी चार में से तीन महानतम कृतियों, जिनमें सापेक्षता का सिद्धांत सम्मिलित है, को प्रकाशित किया। मेरी सरकार हमारे विद्यालयों व महाविद्यालयों में मूलभूत विज्ञानों पर विशेष ध्यान देकर, हमारी विज्ञान संबंधी संस्थाओं को आधुनिक बनाकर और उनका पुनर्निर्माण करके, और सबसे महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक सोच के प्रसार के लिए अपने को पुनः समर्पित करके आइंस्टीन की सालगिरह मनाएगी।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण मेरे साथ उन युवकों एवं युवतियों की ऊर्जा और उत्साह की सराहना करेंगे जो विभिन्न खेलों में अधिकाधिक हिस्सा ले रहे हैं और अपने देश के लिए और विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। मेरा विचार है कि राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के आयोजन तथा ओलम्पिक्स 2018 के आयोजन का दावा प्रस्तुत करने की हमारी तैयारियों के लिए यह एक शुभ संकेत है।

इस सरकार ने 'ग्रामीण भारत को नई पहल' का आश्वासन दिया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में मैंने ग्रामीण विकास के लिए एक दृष्टिकोण का उल्लेख किया था। इस दृष्टिकोण में गरीबी का संपूर्ण उन्मूलन, शिक्षा के लिए उत्कृष्ट और आसान अवसर और सभी नागरिकों के लिए कौशल विकास, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल और सफाई व्यवस्था तथा सभी भारतीयों के लिए उच्चतम आय स्तरों के सृजन की संकल्पना है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि, औद्योगिक उत्पादन तथा सेवा-क्षेत्र न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करेंगे बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में शिखर स्थान भी प्राप्त करेंगे। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाएं मुहैया कराकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगी। भौतिक संयोजन, इलेक्ट्रॉनिक संयोजन और ज्ञान संयोजन से आर्थिक संयोजन प्राप्त होगा।

ग्रामीण भारत को विकास के सारथी के रूप में देखा जाना चाहिए और इसकी विकास संभाव्यता को खोलने के लिए ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। मेरी सरकार ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण हेतु 'भारत निर्माण' नामक एक वृहत योजना लागू करना चाहती है। सिंचाई, सड़कें, गृह निर्माण, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार संयोजन के क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना बनाने के लिए यह एक समयबद्ध कार्य योजना होगी। सरकार इन उद्देश्यों में प्रत्येक के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करेगी। सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि ग्रामीण भारत अपनी अंतर्निहित क्षमता को साकार करे। भारत निर्माण वह मंच होगा जिस पर मेरी सरकार ग्रामीण भारत के लिए अपनी नई पहल करेगी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा केन्द्रीय वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में प्रस्तुत करेंगे।

माननीय सदस्यगण, आपके पास लंबित विधायी कार्य का भारी बोझ है। इस सत्र में केन्द्रीय बजट और अन्य विधायी कार्य पर चर्चा होगी। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के विभिन्न चरणों में हैं, जिन पर आपको विचार करना है। भारत की जनता इन महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विधानों पर आपके विचारों और निर्णयों की आतुरता से प्रतीक्षा करती है। माननीय सदस्यो, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जनता ने आपमें जो आस्था और विश्वास व्यक्त किया है, आप इन विधेयकों पर समुचित रूप से विचार करने के लिए स्वयं को समर्पित करके उसका सम्मान करें। संसद के समय का हर क्षण कीमती है और प्रत्येक नागरिक और करदाता इसे काफी तरजीह देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास जितना समय है आप उसका कारगर उपयोग करेंगे और नागरिकों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं आपके कार्यों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 16 फरवरी 2006

लोक सभा	-	चौदहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री भैरों सिंह शेखावत
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री सोमनाथ चटर्जी

माननीय सदस्यगण,

आप सबको मेरा अभिवादन। नए वर्ष के आगमन पर हम आशावादी हैं। अपने सामर्थ्य की ऊंचाइयों को छूता हुआ एक अरब की जनसंख्या वाला राष्ट्र उल्लास की अनुभूति देता है। यह अनुभूति सहजग्राह्य है। केवल आर्थिक विकास के आंकड़े या दुनिया द्वारा भारत में उपलब्ध सरकार के प्रति दिखाया गया उत्साह ही इस वेला को रोमांचक नहीं बनाते हैं। यह सच है कि एक देश के रूप में हम सबने मिलकर अतीत के मतभेद भुलाने का निर्णय कर लिया है; कि हमने अपने राज्यतंत्र में उपचारक भावना पुन: उत्पन्न कर दी है; कि हम अपने समाज में सर्वसमावेशिता के बोध को वापस ले आए हैं और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को उद्देश्यपरकता प्रदान की है।

हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति पर है और हमारी जनता लगातार उन्नति कर रही है। 1999-2003 के दौरान लगभग 5.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अनुत्साही विकास दर के पश्चात् 2004-05 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके अर्थव्यवस्था में अब उछाल आया है और 2005-06 में इसमें 8.0 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। यह संभवत: भविष्य में आने वाले अच्छे समय का पूर्व संकेत है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा के वैश्विक मूल्यों में तीव्र वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीति की दर साधारण स्तर पर ही रही है। आम आदमी के लिए और हमारे हर परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू वस्तुओं की कीमतें हैं। अत: यह अत्यंत संतोष का विषय है कि तेल के वैश्विक मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के

बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत ही अच्छी प्रगति की है। मेरी सरकार के बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकशील आर्थिक प्रबंधन ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन लोगों के पुनर्जाग्रत आशावाद ने भी अपनी भूमिका निभाई है जिनकी रचनात्मक ऊर्जा को प्रस्फुटित होने का अवसर मिला है। यह आशावाद 29 प्रतिशत से अधिक की वर्तमान बचत दर और लगभग 31 प्रतिशत की निवेश दर में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।

भारत पर, हमारे लोकतंत्र में और हमारी अर्थव्यवस्था में इतना अधिक विश्वास पहले कभी नहीं रहा है। हम अपने समाज की उस बहुलरूपी प्रकृति को पुनः लौटा पाए हैं, जो भारत की सहजवृत्ति रही है। हम असहिष्णुता के एक ऐसे खतरनाक रुझान, जिसने हमारे देश की जीवनी-शक्ति का ह्रास करना शुरू कर दिया था, को पलटने में तथा बहुलरूपता, सहिष्णुता एवं सहृदयता को फिर से बहाल करने में सफल रहे हैं। राष्ट्र को विभाजित करने वाली चर्चाओं के स्थान पर हम ऐसी चर्चाओं को चलाने में सफल रहे हैं, जो लोगों की दैनिक जीवनचर्या को प्रभावित करती हैं और जो आम आदमी से जुड़े मुद्दों से ताल्लुक रखती हैं। मन यह देखकर उत्साह से भर उठता है कि सरकार, मीडिया और नागरिक समाज में विकास के विकल्प, गरीबी उपशमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाएं, अवसंरचना, लोगों को सशक्त बनाने और सीमान्त एवं कमजोर वर्गों की सहायता करने के संबंध में सक्रिय विचार-विमर्श चल रहा है। इस प्रकार की चर्चाएं हमारे लोकतंत्र की जीवनी-शक्ति हैं। यही विशेष परिवर्तन लाने के लिए इस सरकार को जनादेश मिला था, यह पूरा किया जा चुका है। आजादी के हमारे संघर्ष की सफलता का जश्न मनाने के लिए भारतीयों की नई पीढ़ी को प्रेरित करने हेतु मेरी सरकार अगले वर्ष भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रभावशाली योजनाएं बना रही है।

मेरी सरकार पांच स्तंभों की नींव पर सर्वसमावेशी विकास का एक नया वास्तुशिल्प गढ़ने में सफल रही है। ये हैं:—निर्धनों को आमदनी सुरक्षा प्रदान करने तथा ग्रामीण निर्धनता अंतर को पाटने के लिए एक ऐतिहासिक विधान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बेहतर ग्रामीण अवसंरचना बनाने के लिए एक समयबद्ध योजना-भारत निर्माण, मूलभूत स्वास्थ्य की कमियों को दूर करने के लिए-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शहरीकरण की एक क्रियाशील, कल्पनाशील, समावेशी और हितचिंतक प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए-जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन और सर्वव्यापक मध्याह्न आहार कार्यक्रम के साथ एक मजबूत सर्वशिक्षा अभियान।

काम के अधिकार की गारंटी देने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हमारे देश में एक नई शुरूआत को निर्दिष्ट करता है। आरंभ में 200 अल्पविकसित जिलों में लागू यह अधिनियम निर्धनों को एक सुरक्षा कवच उपलब्ध

कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने का क्रांतिकारी सामर्थ्य रखता है। इससे परिसंपत्तियों का सृजन भी हो सकेगा। विश्व में यह पहली बार हो रहा है कि एक वृहद रोजगार कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और इसकी प्रगति के आकलन में संपूर्ण विश्व के विकास संबंधी प्रेक्षकों की दिलचस्पी होगी। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। एक वृहत जल संरक्षण जन कार्यक्रम को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना प्रदान करने के लिए भारत निर्माण एक समयबद्ध योजना है। मेरी सरकार के इस अग्रणी कार्यक्रम के वर्ष 2009 तक लक्ष्य होंगे:—

* देश के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराना;
* 1000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाली अथवा पहाड़ी एवं जनजातीय इलाकों में 500 की जनसंख्या वाली हर बस्ती में एक बारहमासी सड़क उपलब्ध कराना;
* हर बस्ती को पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराना;
* हर गांव में एक टेलिफोन उपलब्ध कराना;
* 1 करोड़ हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना;
* ग्रामीण निर्धनों के लिए 60 लाख मकानों का निर्माण करना।

चल रही स्कीमों और इस प्रयास में इस्तेमाल किए जा रहे बड़े अतिरिक्त निवेशों को आधार बनाते हुए 'भारत निर्माण' इस कार्यक्रम को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर इन उद्देश्यों की तत्काल प्राप्ति को इंगित करेगा। ग्रामीण अवसंरचना में ये समेकित निवेश ग्रामीण भारत की विकास क्षमता को बंधनमुक्त कर देंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

हमारे लोगों को सार्वभौमिक आधारभूत स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने की मंशा से एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है। स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रासंगिक जिला स्तरीय योजनाओं के आधार पर यह मिशन स्वास्थ्य देखभाल को इस प्रकार सक्षम बनाएगा जिससे स्थानीय आवश्यकताएं पूरी होंगी। स्वास्थ्य देखभाल में किए जा रहे कार्य को यह सुरक्षित पेयजल, सफाई एवं पोषाहार जैसे अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे पूरक प्रयासों से भी जोड़ेगा। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन के साथ-साथ प्रथम चरण में हर जिले में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकों द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर तक उन्नत किया जाएगा।

आजादी के बाद हमारे शहरों के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन सबसे बड़ा प्रयास है। 63 शहरों में लागू यह मिशन शहरी अवसंरचना और शहरी निर्धनों को मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्रों में उनका समेकित विकास करेगा और नए निवेश को शासन सुधारों से जोड़ेगा। दिल्ली मेट्रो के सफल कार्यान्वयन ने कई अन्य शहरों में उन्नत शहरी परिवहन की मांग पैदा कर दी है। मुंबई मेट्रो और बंगलौर* मेट्रो के लिए योजनाएं विचार के अंतिम चरणों में हैं।

सर्वशिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाया गया है और इसे मध्याह्न आहार के सार्वजनीकरण कार्यक्रम से जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत अब 12 करोड़ बच्चे आते हैं। विद्यालयों में प्रवेश और उपस्थिति तथा बच्चों के पोषणस्तर पर इन पहलों का सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए।

मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वसुलभता को बढ़ाने तथा उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिकों और अल्पसंख्यक समुदायों के परिवारों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के उदार वित्तषोषण से इन वंचित वर्गों के शैक्षिक स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर कम साधन सम्पन्न लड़कियों के लिए नि:शुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 21 राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 1000 से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित करने के लिए मेरी सरकार ने मंजूरी दे दी है।

मेरी सरकार ने हमारे किसानों के कल्याण तथा हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कृषि क्षेत्र में दिए जा रहे ऋण में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वैद्यनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए दीर्घावधिक उपाय क्रियान्वित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना, जिसमें लगभग ₹14000 करोड़ का वित्तीय पैकेज शामिल है और जो सहकारी क्षेत्र में सुधारों से जुड़ा है, के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज पर सहमत हो चुकी है। दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज का अध्ययन किया जा रहा है। मेरी सरकार कृषि उपज के लिए एक साझा बाजार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसानों को बेहतर कीमत फार्म पर ही उपलब्ध हो। ऐसा करने के लिए मालगोदाम रसीदों को परक्राम्य लिखत बनाया जा रहा है; आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है; स्थानीय कृषि उपज विपणन अधिनियमों को संशोधित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और खाद्य आपूर्ति एवं भण्डारण शृंखला का विस्तार किया जा रहा है।

*अब बेंगलुरू के नाम से जाना जाता है।

कृषि कार्यों में निहित जोखिमों से सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रभाव क्षेत्र और दायरे को बढ़ा दिया गया है। मेरी सरकार वह सब कुछ करने के लिए कटिबद्ध है जो छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए करना संभव है। कृषि-जलवायु में भिन्नता और उसके परिणामस्वरूप देश में फलों और सब्जियों की विभिन्न किस्मों की पैदावार के बेहतर अवसरों पर विचार करते हुए, सरकार बागवानी के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस उद्देश्य से सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए 2005-06 के दौरान 2300 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया है।

बेहतर जल प्रबंधन देश के कृषि उत्पादन की कुंजी है। ड्रिप, स्प्रिंकलर और फर्टिगेशन प्रणालियां अपनाकर जल उपयोग दक्षता में काफी सुधार किया जा सकता है। उन क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा करने की आवश्यकता है जो अभी भी वर्षा पर आश्रित हैं। एक राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा है जो इन क्षेत्रों में जल संसाधनों के प्रबंधन के सभी आयामों का जायजा लेगा। सिंचाई के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत लाई गई एक करोड़ हैक्टेयर भूमि के अतिरिक्त, मेरी सरकार ने प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने का काम भी शुरू किया है और ऐसी दो परियोजनाओं पर कार्य आरंभ हो गया है।

मेरी सरकार एक राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी विनियामक प्राधिकरण गठित करने की प्रक्रिया में है जो जीएम फसलों तथा बीजों को जारी करने, उनका आयात करने तथा उनके जारी करने के बाद की मानीटरिंग के लिए शीर्ष निकाय होगा। जीएम बीजों का गुणवत्ता नियंत्रण एक महत्वपूर्ण विषय है और राज्य बीज जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है। जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए 2006-07 में एक राष्ट्रीय बायो-डीजल कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है।

आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए अवसंरचना में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास करने के लिए कटिबद्ध है ताकि प्रत्येक नागरिक गर्व महसूस कर सके। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा, तथापि एक ऐसी नीति एवं विनियामक वातावरण तैयार करना भी आवश्यक है जो अवसंरचना में दीर्घावधिक निजी निवेश को आकर्षित करे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति सक्रिय रूप से इस उद्देश्य की प्राप्ति में संलग्न है।

मेरी सरकार ने अवसंरचना क्षेत्रों की वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को दीर्घावधिक ऋण-निधियां मुहैया कराने के लिए भारत अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन साधक संस्था गठित की है। इससे यह सुनिश्चित

हो सकेगा कि ऐसी दीर्घ विकास अवधि के कारण अव्यवहार्य करार दी जाने वाली अवसंरचना परियोजनाएं वित्तीय बाजारों में दीर्घावधिक ऋण के अभाव में उपेक्षित नहीं रहेंगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज को चार लेन का बनाने का कार्य पूरा होने ही वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का आगे और विकास करने के लिए अगले सात वर्षों में 1,75,000 करोड़ रु. के कुल निवेश वाली एक कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें अत्यधिक यातायात वाले अतिरिक्त 10,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना और स्वर्णिम चतुर्भुज को छह लेन का बनाना शामिल है। सड़कों के लिए सरकारी-निजी साझेदारी को आसान बनाने के लिए मेरी सरकार ने एक नए आदर्श रियायत करार को स्वीकृति दी है।

मेरी सरकार का इरादा भारत में विश्व स्तर के हवाई अड्डे बनाने का है। एक व्यापक नागर विमानन नीति तैयार की जा रही है। सरकारी-निजी साझेदारी के द्वारा दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विस्तार की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। बंगलौर और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को स्वीकृति दे दी गई है। कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। अन्य क्षेत्रीय हवाई अड्डों के नियोजित विकास के लिए एक व्यापक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आर्थिक वृद्धि के लिए पत्तन अवसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्तनों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य भारतीय पत्तनों पर सरकारी-निजी साझेदारी के माध्यम से निर्माण के लिए जगह आबंटित करने के कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए एक आदर्श रियायत करार प्रतिपादित किया जा रहा है।

निष्पादन क्षमता में आए प्रत्यक्ष सुधार से, हमारी रेल व्यवस्था एक बार फिर अत्यधिक गर्व का स्रोत बनी है। सरकार ने 20,000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश करके उच्च क्षमता वाले दो समर्पित माल कॉरिडोर-लुधियाना से सोननगर तक का पूर्वी कॉरिडोर और जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास से दादरी तक का पश्चिमी कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। इन परियोजनाओं पर प्रारंभिक कार्य एक वर्ष के अन्दर शुरू हो जाएगा। कंटेनरों द्वारा माल की ढुलाई की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस सेक्टर को, जिस पर सरकारी सेक्टर का एकाधिकार था, प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जाएगा और निजी सेक्टर कंटेनर ट्रेनें चला सकेगा।

मेरी सरकार, देश में बिजली की स्थिति को सुधारने पर विशेष बल देती है। दाभोल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है और आशा है कि यह इस वर्ष विद्युत उत्पादन शुरू कर देगी। विद्युत मंत्रालय शुल्क दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के मार्फत 4000–4000 मेगावाट की क्षमता वाली पांच अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के संस्थापन को आसान बना रहा है, इनमें से आयातित कोयले पर आधारित तीन संयंत्र तटीय क्षेत्र में हैं और शेष दो खानोन्मुख क्षेत्रों में हैं। मांग–आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए ऐसी और विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति हमारे सुधार कार्यक्रम की सफल गाथाओं में से एक है। प्रतिस्पर्धा के प्रभाववश दूरसंचार शुल्क दरें लगातार घटी हैं और आज हमारी शुल्क दरें विश्व में सबसे कम शुल्क दरों में आती हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता–भारत संचार निगम लिमिटेड एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा घोषित 'वन इंडिया प्लान' इस क्षेत्र में मील का पत्थर है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवृत्ति–मंडल की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार में विद्यमान उपयोगकर्ताओं द्वारा आवृत्ति–मंडल को खाली कराने के लिए सरकार का एक प्रणाली लाने का प्रस्ताव है जिससे कि इसे समयबद्ध तरीके से वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश में इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार हार्डवेयर के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। अर्ध–चालक विनिर्माण पद्धति को भारत में लाने तथा एक विनिर्माण केन्द्र बनाने के लिए नई पहल की जा रही है।

जून, 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम अधिसूचित किया गया। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश में निर्यातोन्मुख विनिर्माण और सेवाओं के तीव्र विकास को आसान बनाने के लिए अपेक्षित अवसंरचना और समुचित ढांचा सृजित किया जाए। समर्पित अनिवासी भारतीयों के समूह द्वारा रखे गए विचारों के आधार पर सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो–रसायन निवेश क्षेत्र संबंधी एक कार्य–दल का गठन किया है। यह कार्य–दल विश्वस्तर के विकासकर्ताओं को शामिल करके क्षेत्र विशिष्ट निवेश क्षेत्रों के विकास के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करेगा जो प्रत्येक स्थान पर 10 बिलियन डॉलर तक का निवेश आकर्षित कर सकता है।

तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाएं। विनिर्माण क्षेत्र को रोजगार और आर्थिक वृद्धि के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति बनाने हेतु मेरी सरकार का इरादा एक दस वर्षीय राष्ट्रीय विनिर्माण कार्यक्रम प्रारंभ करने का है। वस्त्र और परिधान, चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑटो

कलपुर्जों जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर, आउटसोर्सिंग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल समेत हमारे गतिशील सेवा क्षेत्रों के विकास पर गहन ध्यान दिया जाएगा, ताकि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। हम एक नीतिगत ढांचा भी तैयार करेंगे जो हमारे समग्र राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करे। अनावश्यक बाधाओं और अप्रचलित प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्यों से मेरी सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को तर्कसंगत बनाने के लिए उपयुक्त निर्णय लिए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे गणराज्य के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार हो कि सरकारी कार्यक्रम कैसे कार्यान्वित किए जा रहे हैं, सभी स्तरों पर सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हम एक पथप्रवर्तक विधान लाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक ऐतिहासिक विधान है। सरकार की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करके यह विधान भ्रष्टाचार कम करने में मदद करेगा।

शासन के साधनों और प्रक्रियाओं में सुधार लाना मेरी सरकार की सुधार कार्यसूची का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने यह प्रक्रिया बिल्कुल शीर्ष स्तर से शुरू करने के लिए कई उपाए किए हैं। वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की विद्यमान पद्धति के स्थान पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों और प्रख्यात व्यक्ति समूह द्वारा मूल्यांकन की नई पद्धति रखी गई है। मेरी सरकार वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए नए मापदण्ड पर आधारित प्रोन्नतियों और त्वरित पैनलीकरण प्रक्रिया के साथ करिअर-मध्य प्रशिक्षण प्रणालियां लागू कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छे शासन के प्रति उनके कार्य-निष्पादन और प्रतिबद्धता के लिए सर्वोत्तम को ही पुरस्कृत किया जाए, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए करिअर-मध्य जांच के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति गैर-प्रोन्नति पद्धति लाई जाएगी। सिविल सेवकों में अच्छे शासन के प्रति पहल, दक्षता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार आरंभ किए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग गठित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मेरी सरकार ने सभी स्तरों पर सरकारी तंत्र की व्यापक समीक्षा करने और लालफीताशाही को समाप्त करने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया है और इस प्रकार राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दिए गए एक वचन को पूरा किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्य करना शुरू कर दिया है और आशा है कि यह आपदा के न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्रयासों के समन्वय और नियोजन में सफल भूमिका अदा करेगा।

हमारी न्याय प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को घटाने तथा मामलों पर निर्णय करने में लिए जाने वाले समय को कम करने की आवश्यकता है। इस बात की भी अत्यधिक आवश्यकता है कि सभी नागरिकों को न्याय सुगम और बोधगम्य तरीके से मिले। मेरी सरकार, अधिक न्यायालयों, प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटरीकरण के प्रयोग, उन्नत प्रक्रियाओं और स्थानीय न्यायालयों की स्थापना द्वारा इन मामलों को हल करने के प्रस्तावों पर कार्य कर रही है।

हमारी निर्वाचन पद्धति दोषमुक्त रही है और हमारे राष्ट्र को इस पर गर्व है। तथापि, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, विशेषकर निर्वाचन प्रक्रिया को अपराधमुक्त बनाने, निर्वाचन प्रक्रिया को गंभीरता से न लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटाने तथा निर्वाचन अधिकारियों को और अधिकार देने में मेरी सरकार इन सभी क्षेत्रों में प्रस्तावों पर कार्य कर रही है।

25 मिशन मोड परियोजनाओं के साथ एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना तैयार की गई है। एक राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान स्थापित किया जा रहा है और 2007 तक सभी राज्यों में एक राज्य-वार एरिया नेटवर्क सृजित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति के समग्र निर्देशों के अंतर्गत 13,348 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की एक योजना अलग से शुरू की गई है। भारतीय फर्मों को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने तथा कंपनी विधि की अपेक्षाओं का आसानी से अनुपालन संभव बनाने के लिए एमसीए-21 नामक एक पथप्रवर्तक ई-गवर्नेंस कार्यक्रम इस वर्ष प्रारंभ किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक और शैक्षिक तौर से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में संविधान में संशोधन किया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए मेरी सरकार द्वारा पेश किए गए कई विधेयकों पर संसद में भी विचार-विमर्श हो रहा है। मेरी सरकार ने आदिवासी लोगों को उस भूमि पर अधिकार प्रदान करने के लिए एक युगांतरकारी कानून बनाया है जो सदियों से उनके कब्जे में रही है। सरकार में भरे न गए आरक्षित पदों के बैकलॉग को एक द्रुत कार्यक्रम के अंतर्गत तेजी से कम किया जा रहा है। शैक्षिक पदों और उच्च शोध अध्ययन के लिए चयन हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए मेरी सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 2000 शिक्षावृत्तियों का वित्तपोषण किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की निजी खेती भूमि के सुधार का प्रावधान है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों की भूमि के लिए लघु सिंचाई योजनाएं शुरू करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने का एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया है।

मेरी सरकार ने एक नया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया है ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित सभी अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग बनाया गया है। आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति अल्पसंख्यकों की स्थिति का गहन अध्ययन कर रही है और आशा है कि यह उनका आर्थिक और सामाजिक विकास करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करेगी।

अल्पसंख्यकों के लिए एक नया 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों, विशेषरूप से गरीबों का सामाजिक उत्थान करना, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करना और उद्यमशीलता के विकास और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा। मेरी सरकार साम्प्रदायिक हिंसा, साम्प्रदायिक अपराधों को रोकने और साम्प्रदायिक दंगों के शिकार लोगों का पुनर्वास करने के लिए सांविधिक उपाय प्रस्तावित करना चाहती है।

मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में महिलाओं को पूर्ण समानता दिलाने का वचन पूरा हो। सम्पत्ति में महिलाओं को समान विरासत अधिकार देने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन किए गए हैं। सरकार संरक्षक और प्रतिपालन अधिनियम, 1890, हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 और हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 में से विभेदकारी प्रावधानों को हटाने के लिए उनमें संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। विवाह के अनिवार्य पंजीकरण हेतु एक विधेयक पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। निकट भविष्य में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना संभव हो सके, इसके लिए मेरी सरकार हरेक प्रयास करेगी।

महिलाओं और बच्चों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक नया महिला और बाल विकास मंत्रालय सृजित किया गया है। बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य-योजना अनुमोदित की गई है और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और सुखद बचपन के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल भी मिले। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय

शिशुगृह योजना हाल ही में अनुमोदित की गई है। इसमें बच्चों के लिए लगभग 30,000 शिशुगृह स्थापित करने की योजना है। समन्वित बाल विकास सेवा योजना को सर्वव्यापक बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत लगभग 1.88 लाख अतिरिक्त आंगनवाड़ियां स्वीकृत की जा रही हैं। प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल सेवाओं, टीकाकरण, पोषाहार और आरम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा सेवाओं की व्यापक पहुंच के साथ इस कार्यक्रम की सर्वव्यापकता शिशु और मातृ मृत्युदर को कम करने की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा। कन्या भ्रूणहत्या को समाप्त करने तथा बालक-बालिका अनुपात में सुधार लाने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

आपने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने का एक व्यापक विधेयक पारित किया है। यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने पर एक विधेयक को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाना है। सती (निवारण) अधिनियम में भी शीघ्र उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे। महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार के विरुद्ध प्रावधानों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

महिलाओं के लिए और अधिक संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है। इसमें अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व महिलाओं की गिरफ्तारी पर पाबंदी, बलात्कार की शिकार महिलाओं की 24 घंटे के भीतर तत्काल चिकित्सा जांच सुनिश्चित करने का प्रावधान, डी.एन.ए. परीक्षण और हिरासत में बलात्कार की घटनाओं की एक न्यायिक अथवा मैट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट द्वारा जांच शामिल है।

माननीय सदस्यों को ज्ञान अर्थव्यवस्था में निवेश के महत्व पर मेरे विचारों की जानकारी है। प्राचीन समय से हमारे समाज ने ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया है। हमारे प्रजातंत्र के कारण हम ज्ञान के लाभों को व्यापक रूप में फैलाने में समर्थ रहे हैं। आज हम ज्ञान के युग से गुजर रहे हैं जिसमें प्रत्येक सामाजिक और आर्थिक गतिविधि ज्ञान से चलती है।

मेरी सरकार ने ज्ञान के युग के अनुकूल कुशलताओं और क्षमताओं से हमारे लोगों को संपन्न बनाने पर विशेषज्ञ राय लेने के लिए एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया था। हमें आशा है कि आयोग यह भी जांच कर सकेगा कि किस प्रकार हम भविष्य की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बना सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है। इस बीच, मेरी सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान की तर्ज पर कोलकाता, पुणे और पंजाब में बुनियादी विज्ञान में उत्कृष्टता के नए केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार

सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में घरेलू अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पर्याप्त निवेश कर रही है ताकि भारत इस ज्ञान युग में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर सके। सहयोगी प्रयासों के जरिए ज्ञान के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हम पूरे विश्व में अपने सहभागियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

गत वर्ष एक लांग ट्रैक स्टीरियो इमेजिंग क्षमता वाला हाई रिजोल्यूशन कार्टोग्राफिक मैपिंग उपगृह–कार्टोसेट–1 जो कि अपने किस्म का विश्व में पहला है, हैमसेट के साथ छोड़ा गया था जो रिमोट सैंसिंग एंड एमैच्योर रेडियो ऑपरेशन में भारत की उत्कृष्टता को पुनः दृढ़ करता है। पी.एस.एल.वी.सी.–6 भी श्रीहरिकोटा में हाल ही में स्थापित अत्याधुनिक दूसरे प्रक्षेपण स्थल से छोड़ा गया था। दिसम्बर में छोड़ा गया इनसेट–4ए हमारे देश में डी.टी.एच. सेवाओं सहित प्रसारण अवसंरचना में क्रांति लाएगा। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और दूरसंचार इंजीनियरों ने हमारे अध्यापकों, मीडिया कार्मिकों और सृजनात्मक व्यावसायिकों को अपेक्षित प्रौद्योगिकीय साधनों से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस सहस्फोट ने भारत को एक प्रमुख ज्ञान, मीडिया और मनोरंजन शक्ति के रूप में उभारा है। मेरी सरकार सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास के इस क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को और सुदृढ़ बनाएगी। मनोरंजन उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में हमारे अवसरों का और विस्तार करने के अर्थोपायों का पता लगाने के लिए हाल ही में सूचना, संचार और मनोरंजन संबंधी एक कार्यदल गठित किया है। इस ओर यदि पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो, मुझे विश्वास है कि हमारे मनोरंजन क्षेत्र में विश्व स्तर प्राप्त करने और सर्वोत्तम से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। भारतीय मनोरंजन उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए मेरी सरकार कदम उठाएगी ताकि वह वैश्विक स्तर प्राप्त कर सके और अपनी पूर्ण क्षमता को साकार कर सके।

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारी सीमाओं के पार भी लाभप्रद रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान हमने पैन–अफ्रीकन–ई–नेटवर्क परियोजना पर काम शुरू कर दिया है जो कि इस महाद्वीप में डिजिटल अभाव को पूरा करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता अफ्रीका के 53 देशों में भी उपलब्ध होगी।

मेरी सरकार, जीवजन्तु और वनस्पति की सभी प्रजातियों सहित हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए गहनता से वचनबद्ध है। वन–क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक नीतिबद्ध कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु और एक संकटापन्न प्रजाति है। गत वर्ष एक बाघ कार्यदल स्थापित किया गया था जिसके सुझावों पर कार्रवाई की जा रही है। मेरी सरकार, हमारे बाघ अभयारण्यों के और अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव

करती है। इन शानदार जानवरों के शिकार को कम करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में सामंजस्य के लिए पहली बार एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।

मेरी सरकार ने उत्तर-पूर्व के लोगों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए हैं। स्थानीय कोयला और गैस का इस्तेमाल करके बोंगइगांव, डिब्रूगढ़ और त्रिपुरा में ताप विद्युत परियोजनाओं पर लगभग 10,000 करोड़ रु. का निवेश किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में, विशेषरूप से अरूणाचल प्रदेश में, अवसंरचना और सड़क विकास को विशेष तरजीह दी जाएगी। त्वरित उत्तर-पूर्वी सड़क विकास परियोजना विचाराधीन है जो उत्तर-पूर्व में राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों को जोड़ेगी और जिसमें ऐसे राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों के अन्य खंडों का उन्नयन शामिल है जो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मेरी सरकार, उत्तर-पूर्व के लिए संसाधनों के गैर-व्यपगमनीय केन्द्रीय पूल के अंतर्गत प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और उन्हें सुचारू बनाने पर सक्रियता से कार्य कर रही है। उत्तर-पूर्व के लिए एक नई औद्योगिक नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी। एक उत्तर-पूर्व स्वास्थ्य पैकेज भी विकसित किया जा रहा है और उसे यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। उत्तर-पूर्व के विद्यार्थियों और कामकाजी महिलाओं को उनके राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय में 500 बिस्तरों का महिला छात्रावास और कामकाजी महिलाओं के लिए 500 बिस्तरों का आवास अनुमोदित किया गया है। मेरी सरकार त्रिपुरा में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझाड़ में एक केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और उत्तर-पूर्व में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगी। प्रस्तावित उत्तर-पूर्वी जल संसाधन प्राधिकरण से इस क्षेत्र में, विशेषत: अरूणाचल प्रदेश में जल-विद्युत सृजन क्षमता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होने की आशा है। उत्तर-पूर्वी परिषद को पुन: कार्यशील बनाया गया है और भारत-बंगला देश सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेजी लाई जा रही है।

मैं आपको सहर्ष सूचित करता हूं कि जम्मू और कश्मीर के लिए 24,000 करोड़ रु. का पैकेज सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है और कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई है। राज्य में भूकंप की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों और पूरे समाज की प्रतिक्रिया सराहनीय रही। पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता सीधे ही प्रभावित लोगों में वितरित करने के सरकार के साहसिक निर्णय की लोगों ने सराहना की है। अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, अधिकांश पुन:स्थापन कार्य लगभग पूरा

हो चुका है। पूरे देश की अन्य राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों से काफी मात्रा में सहायता मिली। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा सामान्य रूप से चल रही है और इस बारे में मेरी सरकार की पहल की, विशेषरूप से जम्मू व कश्मीर के लोगों द्वारा चहुंमुखी सराहना की गई है। मैं शांति के प्रति इस राज्य की जनता के संकल्प की हार्दिक सराहना करता हूं जिससे शांति प्रक्रिया तथा बुनियादी स्तर पर स्थिति को सामान्य बनाने में अत्यधिक बल मिला है।

मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गहनता से प्रतिबद्ध रही है और इसने उग्रवादियों और अन्य राष्ट्रविरोधी शक्तियों से मुस्तैदी से निपटते हुए हमारे समाज के असंतुष्ट वर्गों तक पहुंचने की एक द्विमुखी नीति अपनायी है। देश में, विशेषरूप से जम्मू व कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। गत वर्ष के दौरान, जम्मू व कश्मीर और उत्तर-पूर्व, दोनों में नागरिकों के मारे जाने और लोगों के अपहरण की घटनाओं की संख्या में कमी आई है। सरकार दोनों क्षेत्रों में अनेक राजनीतिक समूहों से सर्वोच्च स्तर पर भी वार्ता में संलग्न है। ये वार्ताएं रचनात्मक रूप से आगे बढ़ी हैं तथा हमारे कुछ लोगों में विद्यमान अलगाव की भावना को दूर करने में योगदान कर रही हैं।

मेरी सरकार ने सभी राजनैतिक समूहों से बात करने की इच्छा भी प्रकट की है ताकि उनकी वास्तविक अथवा काल्पनिक शिकायतों का निपटारा किया जा सके। इसके साथ ही मेरी सरकार आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरवाद का मुकाबला करने और विधि का शासन बनाए रखने के संकल्प पर दृढ़ है। हमने अपनी राष्ट्रीय राजधानी और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर* जैसे ज्ञान मंदिर सहित देश के विभिन्न भागों में आंतकवादी हमलों से निपटने में तेजी से कार्रवाई की है। एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समेत अनेक बेकसूर नागरिकों की हत्या से मैं अत्यधिक आहत और दुखी हुआ हूं। यह सरकार दोषी को सजा दिलाने में बिना किसी भय और पक्षपात के कार्रवाई करेगी और आतंकवाद के खिलाफ निरंतर युद्ध जारी रखेगी। हम समस्त विश्व के उन सभी देशों के साथ मिलकर काम करेंगे जो इस युद्ध के लिए कृतसंकल्प हैं।

राष्ट्र को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा की जरूरतों और पूर्व सैनिकों के कल्याण की ओर नए सिरे से ध्यान दिया है। पूर्व सैनिकों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने और हमारे बहादुर जवानों के परिवारों

*अब बेंगलुरू के नाम से जाना जाता है।

की सहायता करने हेतु भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग सृजित किया गया है। हमने अपने उन पूर्व सैनिकों, विशेषत: अपने जवानों, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए, के लिए एक बेहतर पेंशन योजना अनुमोदित की है, जिससे एक मिलियन से अधिक पूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचेगा। प्रणालीबद्ध तरीके से रक्षा ढांचे का आधुनिकीकरण करके सरकार ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया है। अपने कार्यनीतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए और अपने प्रौद्योगिकीय कौशल के आधार पर यह दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में हमारा मार्गदर्शन करेगा।

मेरी सरकार की विदेश नीति सदा की भांति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह हमारे नीतिगत चयन को विस्तृत करने के अनुकूल रही है। मेरी सरकार ने हमारे पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित करने और दक्षेस को सुदृढ़ करने के लिए जोरदार प्रयास किए हैं। भारत क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षेस को एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में मानता है और हम आठवें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान के दक्षेस में शामिल होने की आशा करते हैं। पहली जनवरी, 2006 को साफ्टा का प्रभावी होना एक ऐतिहासिक घटना थी। भारत को अगला शिखर सम्मेलन आयोजित करने का अवसर मिला है और इस संदर्भ में अनेक पहलें की जाएंगी जो हमने प्रस्तावित की हैं।

मेरी सरकार ने हमारे सभी पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए अनेक उपाय किए हैं। अगस्त, 2005 में प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक अफगानिस्तान यात्रा ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है। पाकिस्तान सहित हमारे सभी पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और लोगों के आपसी संपर्क में भी अच्छी प्रगति हुई है। पाकिस्तान में भूकंप के शिकार लोगों के लिए भारत के लोगों की उमड़ी सहानुभूति और सहायता, दोनों देशों के लोगों के बीच सद्भाव को रेखांकित करती है। जहां हम घुसपैठ और सीमापार आतंकवाद से चिंतित हैं और इस संबंध में पाकिस्तान से उनकी प्रतिबद्धताएं पूरी करने की आशाएं करते हैं, वहां हम पाकिस्तान के साथ संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। अमृतसर और लाहौर तथा अमृतसर और ननकाना साहिब के बीच नए बस संपर्क की शुरुआत तथा खोखरापार-मुनाबाव रेल संपर्क की शुरुआत हमारे दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने में अगले कदम हैं।

हम अपने वैश्विक आर्थिक भागीदारों के साथ संबंध सुदृढ़ करने को अत्यधिक महत्व देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंधों से 2005 में महत्वपूर्ण

रूपान्तरण हुआ है और हम प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के आधार पर अपनी कार्यनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाते हैं। सरकार आशा करती है कि देश संयुक्त वक्तव्य में निहित भारत और अमेरिका की आपसी प्रतिबद्धताओं के आधार पर असैनिक नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर सकता है। इस सत्र में इस विषय पर चल रहे विचार-विमर्शों से संसद को अवगत कराया जाएगा। भारत-अमेरिका संबंध में और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे भी सम्मिलित हैं। निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के विस्तार को बढ़ावा देने, कृषि, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास में, ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने, रक्षा सहयोग के लिए एक ढांचे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रमुख पहलें की जा रही हैं।

रूस के साथ एक व्यापक संबंध में पुनः स्थापित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार काम करती रही है। रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मित्रता के जरिए तेल और गैस, व्यापार एवं निवेश, नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, उच्च प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के व्यापक संबंधों में वृद्धि और विकास हुआ। रूस की मेरी राजकीय यात्रा, प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर बैठक और बड़ी संख्या में मंत्रिमंडल स्तरीय विचार-विनिमय से इसे बल मिलेगा। सरकार को आशा है कि आने वाले दिनों में, विशेषतया सामरिक महत्व के क्षेत्रों में हमारे संबंध और सुदृढ़ होंगे।

अप्रैल, 2005 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की यात्रा के दौरान बनाई गई हमारी सामरिक और सरकारी साझेदारी के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अप्रैल, 2005 में हस्ताक्षरित राजनीतिक मापदण्डों एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों संबंधी करार के आधार पर, सीमा के प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों के मध्य, चर्चा के दूसरे चरण में एक सकारात्मक शुरुआत की जा चुकी है और हमें आशा है कि यह प्रक्रिया और जोर पकड़ेगी।

यूरोपीय संघ और इसके 25 सदस्य राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध काफी बढ़े हैं। सर्वोच्च स्तरीय नियमित विचार-विनिमय के माध्यम से भारत की फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ कार्यनीतिक भागीदारियां हैं। गत वर्ष प्रधानमंत्री ब्लेयर ने एक सफल यात्रा की जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की आगामी यात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि उससे इस महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मित्र के साथ हमारे संबंध को नया बल मिलेगा।

क्वालालमपुर में आयोजित ऐतिहासिक पूर्व-एशिया शिखर सम्मेलन, जिसमें भविष्य के क्षेत्रीय संगठन के निरूपण की क्षमता है, में भागीदारी से भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और मजबूत हुई है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम श्री ली हसाइन लूंग

ने जून, 2005 में भारत की राजकीय यात्रा की जिसके दौरान सिंगापुर और भारत ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए और यह अब एक आधार दस्तावेज बन चुका है। इस क्षेत्र के साथ हमारा सक्रिय तालमेल है, हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तथा थाईलैंड के प्रधानमंत्री की मेजबानी कर चुके हैं। हाल में, मैंने खुद सिंगापुर, फिलीपींस और कोरिया गणराज्य की राजकीय यात्राएं की जिससे हमारे संबंध उनसे और घनिष्ठ हुए।

जापान से हमारे संबंध उच्चस्तरीय तालमेल और वार्ता से और सशक्त हुए हैं। अप्रैल, 2005 में जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत और जापान के मध्य वैश्विक साझेदारी को एक नई दिशा मिली और द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर घनिष्ठ एवं सहयोगी संबंधों की हमें आशा है।

मेरी सरकार खाड़ी क्षेत्र के उन देशों, जो 4 मिलियन से अधिक भारतीयों का घर बन चुके हैं और जो हमें तेल और गैस की आपूर्ति करने वाले प्रमुख स्रोत भी हैं, के साथ हमारे संबंधों पर गहन ध्यान दे रही है। दोनों पवित्र मस्जिदों के संरक्षक, सऊदी अरब के महामहिम सुलतान का गणतंत्र दिवस समारोह, 2006 में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस यात्रा ने एक नया रास्ता खोल दिया है और हमारे पारंपरिक संबंधों को बढ़ाया है। अप्रैल, 2005 में कतर के अमीर ने तथा उसके बाद हाल में वहां की प्रथम महिला ने भारत की यात्रा की। हम पश्चिम एशियाई मुद्दों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं तथा फिलिस्तीनी जनता द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का एक न्यायोचित एवं स्थायी समाधान ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हैं ताकि वे अपना स्वयं का राष्ट्र प्राप्त कर सकें। साथ ही, हम इजरायल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें सुदृढ़ बनाने एवं उनमें विविधता लाने की आशा करते हैं।

गत वर्ष, भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में एक विशेष परिवर्तन आया तथा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रभावशाली पात्र के रूप में पहचान मिली। एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा उदय, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के अनुसार ढ़लने की हमारी योग्यता और वैश्विक एवं क्षेत्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी क्षमता के कारण हमें यह मान्यता मिली। इस बदले हुए दृष्टिकोण के लिए प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मेरी सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए प्रवासी नागरिकता स्कीम प्रारंभ करके उनके योगदान को स्वीकार किया है। हम अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान करने की योजना भी बना रहे हैं। हम आशा करते हैं कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करके तथा 2012 के एशियाई खेलों के आयोजन का दावा प्रस्तुत करके, हम संपूर्ण विश्व में अपना कद और ऊंचा कर सकेंगे।

अंत में, मैं उसी विचार पर आता हूं जिससे मैंने अपनी बात शुरू की थी। 21वीं सदी में हमारा देश राष्ट्रों के समूह में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करके ही रहेगा। तथापि, इस क्षमता को मूर्तरूप देने तथा हमारी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अपने घर में ही करना है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जरिए ऐसा करने के लिए मेरी सरकार कृतसंकल्प है।

आज अर्थव्यवस्था बेहतर निष्पादन को बनाए रखने की स्थिति में है। मेरी सरकार का विश्वास है कि यदि हम ऐसी नीतियां तैयार करेंगे जो हमारी जनता की क्षमताओं का उपयोग करेंगी तथा उनकी रचनात्मकता और उद्यमशीलता के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी तो लोग भी यथेष्ट प्रत्युत्तर देंगे। इसके लिए सुशासन की आवश्यकता है। सुशासन का आज अर्थ है—सरकारी धन का ऐसे क्षेत्रों में कारगर उपयोग करना जिनमें सरकार को निवेश करना चाहिए और उन क्षेत्रों में सरकार का कम हस्तक्षेप होना जहां व्यक्ति विशेष ज्यादा उपलब्धि अर्जित कर सकें। कोई भी देश नोट छाप कर या अत्यधिक ऋण लेकर समृद्ध नहीं हो सकता। केवल कठोर परिश्रम, उच्चतर उत्पादकता और मानव, प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों के विवेकी प्रबंधन के जरिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। मेरी सरकार जन-उपयोगिताओं और उपक्रमों के कुशल प्रबंधन तथा सुधार लागू करने के लिए सभी दिशाओं में सरकारी धन के न्यायोचित प्रबंधन हेतु प्रतिबद्ध है। साथ ही, साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने और एक संगठित समाज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिसमें समाज का हरेक वर्ग अपने भविष्य के बारे में स्वयं को सुरक्षित, सशक्त और आश्वस्त महसूस करे। मेरी सरकार ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए वचनबद्ध है। जिससे हमारे लोगों में छिपी क्षमता बाहर आ सके और हम अपने सपनों के नए भारत का निर्माण कर सकें।

संसद का यह एक महत्वपूर्ण सत्र है। हमारे देश के लोग, जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों के रूप में आपको यहां भेजा है, हार्दिक आशा करते हैं, कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप उपलब्ध समय का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर परिपक्व विचार-विमर्श हेतु अपनी ऊर्जा लगाएंगे और देश और हमारे नागरिकों के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप कार्य करेंगे। समय मूल्यवान है, कृपया इसे नष्ट न करें। जनता की सेवा में आपके सच्चे प्रयासों में सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 23 फरवरी, 2007

लोक सभा	-	चौदहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री भैरों सिंह शेखावत
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री सोमनाथ चटर्जी

माननीय सदस्यगण,

हमारे देश के लिए यह अत्यंत उल्लेखनीय वर्ष है। हम अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्ष, हम भारत की आजादी की पहली लड़ाई की 150वीं सालगिरह और सत्याग्रह की शताब्दी भी मना रहे हैं। एक सशक्त, आधुनिक, सर्वसमावेशी, पंथनिरपेक्ष और गतिशील भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने के ये अवसर हैं।

पहले, मैं समझौता एक्सप्रेस पर कायरतापूर्ण और संवेदनाहीन हमले के शिकार निर्दोष व्यक्तियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। हम इन मासूमों के परिवारों की पीड़ा से आहत हैं। हमें भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के हमारे प्रयास पर इस त्रासदीपूर्ण घटना का प्रभाव पड़ने नहीं देना चाहिए।

हम आज अपने आर्थिक क्रियाकलापों और भविष्य के संबंध में अत्यधिक आशावादिता के माहौल में एकत्र हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में 8 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। सभी आकलनों के अनुसार, हम वर्तमान वर्ष में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करेंगें। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत के लिए यह शुभ संकेत है। मेरी सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान रुझानों और सामान्य नीति-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में, यह एक व्यवहारिक प्रस्ताव है। तथापि, आर्थिक विकास ही अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं है। यह एक माध्यम है जिसके

जरिए हम अधिक रोजगार पैदा करने, आय को सामाजिक समूहों और क्षेत्रों में अधिक समानता से बांटने तथा सर्वाधिक निर्धनों को गरीबी, अज्ञानता और रोग के दुखों से निजात दिलाने की आशा करते हैं।

मेरी सरकार यह मानती है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सर्वसमावेशी विकास की किसी भी कार्यनीति का अहम घटक है। वर्ष 2006 के पूर्वार्द्ध में तेल की वैश्विक कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि तथा वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में आए उछाल के प्रतिकूल प्रभाव से हमारे लोगों को बचाने के लिए मेरी सरकार ने कई कदम उठाए। तथापि, हाल ही के महीनों में, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। जब विकास तथा निवेश में तीव्र वृद्धि हो रही हो और आमदनी बढ़ रही हो तो सभी उत्पादों, विशेषकर दैनिक उपभोग के उत्पादों की मांग बढ़ना स्वाभाविक ही है। इस बढ़ी मांग को आपूर्ति बढ़ाकर पूरा किया जाना है जिसमें कुछ समय लगता है। पिछले आठ सप्ताहों के दौरान, मेरी सरकार ने मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए अनेक राजकोषीय तथा आर्थिक कदम उठाए हैं। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी कि गरीबों पर मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है।

विकास की प्रक्रिया को चलाए रखने और सर्वसमावेशी विकास की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उसे वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु यह आवश्यक है कि हमारे सार्वजनिक वित्तीय कार्यकलाप समझदारी और विवेकपूर्ण ढंग से चलाए जाएं। राजकोषीय उत्तरदायित्व कोई अकादमिक बंदिश नहीं है। यह कार्यकलापों की समझदारी भरी एक श्रृंखला है जिसका लक्ष्य हमारी विकास प्रक्रिया की निरंतरता, समता लाना और मुद्रास्फीति नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 11वीं योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक वृद्धि न केवल तीव्रतर हो अपितु और अधिक सर्वसमावेशी तथा समतापूर्ण हो। 11वीं योजना की नीति का लक्ष्य होगा अर्थव्यवस्था को एक सतत और त्वरित विकास पथ पर गतिशील करना और समूचे देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रोजगार के उत्पादक अवसरों का सृजन करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में अर्थव्यवस्था के सामने आ रही नौ बड़ी चुनौतियों की पहचान की गई है। ये हैं: (1) कृषि में गतिशीलता की पुनः प्राप्ति; (2) रोजगार ढ़ांचे में बदलाव और नई नौकरियों का सृजन; (3) निर्धनों को आवश्यक जन-सुविधाएं मुहैया कराना; (4) विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना; (5) मानव संसाधनों का विकास; (6) विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण; (7) पर्यावरण संरक्षण; (8) पुनर्वास और पुनःस्थापन कार्यों में सुधार; (9) शासन में सुधार। इन चुनौतियों से निपटते हुए, सर्वसमावेशीय विकास की बड़ी चुनौती से भी निपट लिया जाएगा।

मेरी सरकार सर्वसमावेशी विकास का एक नया शिल्प तैयार कर रही है। इस शिल्प में भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सुदृढ़ीकृत और विस्तारित सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न आहार और समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रमों का सार्वजनीकरण तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शामिल हैं। सरकार के इन सभी अग्रणी कार्यक्रमों में काफी प्रगति की जा चुकी है। कुछेक राज्यों को छोड़कर भारत निर्माण के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं में, अधिकांश वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोनी, ग्रामीण आवास और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछड़ रहे राज्यों, खासकर देश के कम विकसित भागों से कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन में केन्द्र और राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय की भागीदारी के जरिए जनता के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य है। इस मिशन का केन्द्र बिन्दु विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय नियोजन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचकों में सुधार लाना है। अब तक जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर 18 राज्यों में लगभग 3.2 लाख गांव आधारित अधिकृत महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) तैनात की जा चुकी हैं।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 63 शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 61 शहरों के लिए नगर विकास योजनाएं पहले ही तैयार की जा चुकी हैं जिनमें शहरी शासन और विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण और लक्ष्यों का खाका खींचा गया है। इनमें निवेश योजनाएं भी शामिल हैं जिनका लक्ष्य नगरव्यापी शहरी अवसंरचना, शहरी निर्धनों के लिए जलापूर्ति, साफ-सफाई, जल-निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक आवास उपलब्ध कराना भी है। अब तक मलिन बस्ती सुधार एवं विकास के लिए 102 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। हमारे नगरों को शहरी शासन में बड़े सुधार तथा हमारी नगरपालिकाओं के उन्नत और लोकतांत्रिक कार्यकरण की अत्यंत आवश्यकता है। इसे बढ़ावा दिया जा रहा है और फेरी वालों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संबंधित पक्षों के परामर्श से एक नये कानून के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इनमें से हर कार्यक्रम अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा जो मेरी सरकार के ध्यान का केन्द्र बिन्दु है। सकल घरेलू उत्पाद के 34 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर को छू चुकी निवेश दर में सतत वृद्धि और रोजगार उत्पन्न करेगी। मेरी सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा साथ ही ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के लिए एक बड़े कार्यक्रम के रूप में उभरा है। 200 जिलों में चल रही इस स्कीम से 1.4 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा पहुंचा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों

में पांच लाख से अधिक कार्य चल रहे हैं, जिनमें आधे से अधिक जल संरक्षण और सूखारोध (ड्राउट प्रूफिंग) के क्षेत्र में हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के आधार को पुनर्निर्मित करने में सहायक हैं। इस आयाम का कोई भी सामाजिक सुरक्षा कवच विश्व में और कहीं नहीं बनाया गया है। इसलिए इसे बहुत दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है। मेरी सरकार इस अधिनियम के प्रभावी होने से पांच वर्ष में समूचे राष्ट्र को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाने के लिए कटिबद्ध है तथा अगले वर्ष, और जिले इसके अंतर्गत लाए जाएंगे।

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रयासों से कानूनी ढांचा मिला। मेरी सरकार पंचायती राज को और गहन स्तर पर ले जाने के लिए वचनबद्ध है और इसलिए 250 जिलों में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक समेकित योजना के माध्यम से विकेंद्रीकृत जिलास्तरीय नियोजन को सुदृढ़ बनाने का काम हाथ में लिया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर महत्वपूर्ण विकास कार्यकलापों में अंतर को पाटने के लिए तैयार की गई है।

मेरी सरकार शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है। युवा जनों के राष्ट्र के रूप में, भारत जनसांख्यिकीय लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा जब हम अपने बच्चों की क्षमताओं तथा बौद्धिक व भावनात्मक विकास में निवेश करेंगे। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आबंटित निधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सुदृढ़ीकृत सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न आहार कार्यक्रम, शिक्षा के द्वारा हमारे बच्चों के सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के तहत, गत तीन वर्षों में उच्च प्राथमिक स्तर पर 2000 से अधिक नए आवासीय विद्यालय, मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

एक सर्वसमावेशी और समतापूर्ण समाज की ओर बढ़ते हमारे कदमों में महिलाओं और बच्चों के अधिकार और उनकी आकांक्षाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा महिलाओं और बच्चों संबंधी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक पृथक महिला और बाल विकास मंत्रालय बनाया गया है। यह विकास में समान भागीदार के रूप में महिलाओं को दिए जा रहे महत्व को दर्शाता है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले तथा उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने वाले ऐतिहासिक विधान बनाए गए हैं। बच्चों के कल्याण हेतु किया गया निवेश राष्ट्र के भविष्य के लिए किया गया निवेश है। कुपोषण उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए आंगनवाड़ियों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है जिनकी संख्या शीघ्र ही एक मिलियन तक पहुंच जाएगी। साथ ही बाल सुरक्षा संबंधी मुद्दे मेरी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं।

उच्चतर शिक्षा में हमारे प्रयासों का केन्द्र बिंदु, तंत्र को पुनरुज्जीवित करना, पहुंच के दायरे को बढ़ाना और उत्कृष्टता के नए संस्थान बनाना है। मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानती है। सरकार सभी विद्यार्थियों में मेहनत और प्रतिभा को पुरस्कृत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें ज्ञान पिरामिड के सभी स्तरों पर शिक्षा में निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। मेरी सरकार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को पुनरुज्जीवित करने के लिए कटिबद्ध है। देश के विभिन्न हिस्सों में कई नए भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाए जाने का प्रस्ताव है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं।

मेरी सरकार गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आगे और कदम उठा रही है। गेहूं का उत्पादन कम रहा है लेकिन कीमतों में वृद्धि पर काबू पाने के लिए गेहूं स्टॉक को पूरा किया गया है। साथ ही, अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, गेहूं व मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में समुचित वृद्धि की गई है। समय पर लिए गए और उपयुक्त निर्णयों से गन्ना किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है और गन्ने की बकाया धनराशि अब तक के सबसे कम स्तर पर आ गई है। शुष्क भूमि और वर्षा सिंचित कृषि के मामलों पर समन्वित एवं संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है जो इस संबंध में नीति का मार्गदर्शन करेगा। हमारी सामुद्रिक और अन्तर्देशीय मत्स्यपालन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड गठित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसानों को और अधिक आय उपलब्ध कराने वाली फसलें उगाने में मदद कर रहा है।

माननीय सदस्यों को कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता में भारी-वृद्धि के बारे में पहले से ही जानकारी है। कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण प्रवाह को दुगुना करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए 13,000 करोड़ रु. का एक पैकेज तैयार किया गया है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान पर बल देने तथा किसानों को नई प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना स्वीकृत की गई है। नारियल, चाय और कॉफी जैसी बागानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं और कई नई ''स्कीमें'' बनाई गई हैं।

किसानों द्वारा आत्महत्याओं की अधिक घटनाओं वाले 31 जिलों के लिए 16,000 करोड़ रु. की राशि वाला एक विशेष पैकेज कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसमें अल्पावधिक व दीर्घावधिक उपाय शामिल हैं तथा ऋण, सिंचाई सुविधाओं, कृषि निवेश और आय के वैकल्पिक स्रोतों संबंधी मसलों पर ध्यान दिया गया है। एक विशेषज्ञ दल कृषि ऋणग्रस्तता की समस्या की जांच कर रहा है और यह त्रस्त किसानों को राहत देने के उपाय सुझाएगा।

कुल मिलाकर मेरी सरकार की इन पहलों से, कृषि में निवेश की दर बढ़ेगी, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और वे समृद्ध होंगे तथा दूसरी हरित क्रांति का सूत्रपात होगा। यह संतुष्टि की बात है कि 2005-06 में कृषि विकास की दर 6 प्रतिशत रही। तथापि इसे ऐसे विश्वसनीय उपायों के द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता है जो निवेश की उच्च दर बरकरार रखें, नई प्रौद्योगिकियों और कृषि पद्धतियों को उपयोग में लाएं, विपणन माध्यमों में सुधार लाएं, बेहतर जोखिम प्रबंधन सुविधाएं मुहैया कराएं और हमारे किसानों को बेहतर लाभ दें। मेरी सरकार यह सब करने के लिए प्रतिबद्ध है।

औद्योगिक विकास और संबंधित उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण तथा मुआवजे की शर्तें हमारे देश में लोक चिन्ता का प्रमुख मुद्दा बन गया है। एक तरफ तो कृषि भूमि के अधिग्रहण के संबंध में किसानों की वास्तविक चिंताएं हैं और दूसरी तरफ उद्योग और संबंधित क्रियाकलापों के मार्फत रोजगार पैदा करने के लिए भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए मानवीय पुनर्वास तथा कृषि भूमि के उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता के मुद्दों पर नीति और कानून, दोनों की दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी सरकार एक नई पुनर्वास नीति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए जहां कहीं आवश्यक होगा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।

मेरी सरकार कृषि तथा शहरी अर्थव्यवस्था, दोनों में जल उपलब्धता व जल उपयोग की गंभीर समस्या को स्वीकार करती है। हमें जल प्रबंधन प्रणालियों, जिनमें भागीदारी सिंचाई प्रबंधन; जल का विनियमित उपयोग व संरक्षण; किसानों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना तथा विद्यमान परियोजनाओं का रख-रखाव, बेहतर भूजल पुनर्भरण और वर्षाजल संचयन शामिल हैं, पर सामाजिक सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार देश की सिंचाई क्षमता तथा जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए कटिबद्ध है।

अपने पर्यावरण का ध्यान रखना और अपनी विकास प्रक्रिया की पारिस्थितिकीय स्थिरता सुनिश्चित करना एक प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौती है। मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का हमारी पृथ्वी पर जीवन तथा हमारी विकास संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सतत् विकास की चुनौती से निपटने के लिए हमें आर्थिक रूप से वहनीय, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से व्यवहार्य और सामाजिक

समानता वाली नीतियों की आवश्यकता है। "पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफी कुछ देती है परन्तु वह उसके लालच की पूर्ति नहीं कर सकती"–महात्मा गांधी के इस विवेकपूर्ण कथन के अनुसार चलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सतत् विकास के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए जिसमें विकासशील विश्व की विकास आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाए। भारत पर्यावरण की दृष्टि से व्यवहारिक विकास की कार्यनीतियों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। घटती वन-भूमि में बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण के लिए एक वृहद् कार्यक्रम 'हरित भारत' पर मेरी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

हमारे वन्य जीव हमारी अमूल्य धरोहर हैं। मेरी सरकार ने टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर अभयारण्यों के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। एक बाघ संरक्षण प्राधिकरण और साथ ही एक वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है। सरकार स्कूल पाठ्यक्रम के द्वारा पर्यावरण शिक्षा की गतिविधियों को सुदृढ़ करना और वन्य जीवों के प्रति सम्मान पैदा करना चाहती है।

मेरी सरकार किसान समुदाय की आय में सुधार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के महत्व को पहचानती है। इस क्षेत्र के लिए सरकार के विजन, 2015 में अगले दशक में खाद्य क्षेत्र के आकार को तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि हमारा खाद्य क्षेत्र सर्वोत्तम विश्व स्तर से मेल खाता हो, मेरी सरकार ने खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 नामक एक एकीकृत खाद्य कानून बनाया है और शीघ्र ही एक खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा है। यह स्वायत्त प्राधिकरण मानक निर्धारित करेगा और स्वास्थ्यप्रद व सुरक्षित खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए लाइसेंस देगा।

सर्वसमावेशी विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के फलस्वरूप हमारे समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा सका है। मेरी सरकार सामाजिक न्याय और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण को अत्यधिक महत्व देती है। शिक्षा, क्षमताओं का सृजन करके, सशक्त बनाने का कार्य करती है। इसलिए मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में वृद्धि की है और अन्य पिछड़े वर्गों की पहुंच उच्चतर शिक्षा तक बढ़ाई है। अनुसूचित जातियों में से सर्वाधिक वंचितों को सशक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ने सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना नामक एक नई स्कीम शुरू की है। मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली पदों के बैकलॉग को

भरने में काफी प्रगति की है और यह शेष खाली पदों को भरने के लिए कटिबद्ध है।

संसद ने पिछले सत्र में अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों को उस भूमि पर अधिकार देने का एक ऐतिहासिक विधान बनाया है जो सदियों से उनके कब्जे में रही परन्तु जिसे वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह एक क्रांतिकारी विधान है जो इन वर्गों को सुरक्षा प्रदान करेगा, इनका उत्पीड़न रोकेगा और इनकी आजीविका में वृद्धि करेगा। हमने जनजातीय समुदाय की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देने वाली एक राष्ट्रीय जनजातीय नीति तैयार की है।

मेरी सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषतया उनमें से अत्यधिक पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अलग से एक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया गया है। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट 30 नवम्बर, 2006 को संसद के पटल पर रखी गई थी और इस सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे कि विकास के लाभों में सभी समान रूप से भागीदार हों और पिछड़े अल्पसंख्यक समूह हमारी विकास प्रक्रियाओं के सक्रिय भागीदार व लाभार्थी बनें। मेरी सरकार उन जिलों और कस्बों के लिए एक कार्यक्रम बनाने पर विचार कर रही है जिनमें अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा तादाद में हैं।

पिछले वर्ष अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम में कुछेक महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं की पहचान की गई है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र सृजित किया गया है कि इन स्कीमों का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को भी मिले। कतिपय अल्पसंख्यक समुदाय अभी भी अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं जिनमें स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक है, बीच में स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा है तथा शैक्षिक उपलब्धियां कम हैं। इन पर संकेन्द्रित ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यमान स्कीमों के अलावा मेरी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक व्यापक छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है। मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों में समता व उनके कल्याण के प्रति दृढ़ता से वचनबद्ध है।

विकास प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। त्वरित आर्थिक विकास और वाणिज्यिक ऊर्जा की बढ़ती मांग के लिए भारत में ऊर्जा सुरक्षा के एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है। ऊर्जा की मूल्य-निर्धारण व संवितरण

नीतियों पर एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने की तत्काल आवश्यकता है। मेरी सरकार को पारंपरिक और नवीकरणीय, दोनों स्रोतों से ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता का बोध है। कोयला क्षेत्र देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य आधार बना रहेगा। अत: यह आवश्यक है कि आगामी वर्षों में कोयला उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके साथ-साथ, मेरी सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगी। दो अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रतियोगी प्रशुल्क बोलियों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और इस दिशा में आगे भी प्रयत्न जारी रहेंगे। संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग तथा स्वैच्छिक समर्थन से देश की विपुल जल-विद्युत क्षमता का उपयोग भी किया जाएगा। मेरी सरकार ने ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने और पर्यावरण संबंधी मामलों पर ध्यान देने के लिए असैनिक नाभिकीय ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा के सभी स्रोतों को उनकी पूर्ण क्षमता तक विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

मेरी सरकार ने हमारे देश में विश्वस्तरीय अवसंरचनाएं विकसित करने पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का 227,000 करोड़ रु. के निवेश के लक्ष्य के साथ बहुत अधिक विस्तार किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज पूरा होने ही वाला है। उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कॉरिडोरों के निर्माण का कार्य आबंटित कर दिया गया है। सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज सहित लगभग 4,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने तथा 6500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन का बनाने के कार्य को भी अनुमोदित कर दिया है। मेरी सरकार उत्तर-पूर्व क्षेत्र के साथ संपर्क में सुधार लाने की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उत्तर-पूर्व के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

मेरी सरकार भारतीय रेल की कायापलट करने में सफल रही है। पिछले 30 महीनों में रेल माल वाहन में 8-10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और यात्रियों की संख्या भी दुगुनी हुई है। कंटेनर व्यापार को निजी व्यापार-क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। बेहतर आपूर्ति व मांग प्रबंधन, क्षमता के युक्ति संगत उपयोग तथा बाजार संचालित मूल्य-निर्धारण नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय रेल एक बार फिर से दौड़ पड़ी है। अब आवश्यक है कि इस गति को बरकरार रखा जाए। इसके लिए आधुनिकीकरण तथा अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण अनिवार्य है। सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी द्वारा अवसंरचना विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी कंटेनर ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई है। प्रस्तावित डेडिकेटिड रेल फ्रेट कॉरिडोर पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। यह परियोजना कंटेनर, कोयला तथा अन्य खनिज यातायात के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सहयोग प्रदान करेगी। यह परियोजना द्रुतगति से कार्य कर रही है। इस परियोजना को क्रियान्वित

करने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम-डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है।

हाल ही के वर्षों में नागर विमानन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। तेजी से बढ़ते हवाई यातायात की मांग पूरी करने के लिए मेरी सरकार ने देश के बड़े हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण तथा हवाई-सेवाओं को उदार बनाने की शुरूआत की है। हवाई-अड्डों के विकास के क्षेत्र में निवेश तेजी से बढ़ रहा है।

वैश्विक व्यापार में तेजी से बढ़ती हमारी हिस्सेदारी के साथ-साथ चलने के लिए मेरी सरकार ने पत्तन अवसंरचना के वृहत् क्षमता विस्तार हेतु एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। चेन्नई में एक भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है जिसके कोलकाता, मुम्बई और विशाखापत्तनम में क्षेत्रीय परिसर होंगें। गोदावरी और महानदी के कुछ भागों को अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भी है।

मेरी सरकार ने सड़कों, पत्तनों, हवाई अड्डों तथा विद्युत उत्पादन जैसी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए कार्यनीति के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। ऐसी नीति से अतिरिक्त निवेश आता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित संसाधनों में वृद्धि करता है। साथ ही, निजी क्षेत्र की दक्षता से कीमतों में कमी आती है, परियोजनाएं शीघ्र पूरी होती हैं तथा सेवाएं बेहतर रूप से प्रदान की जा सकती हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार देखे जा सकते हैं।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि वर्ष 2006-07 में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि की दर 11 प्रतिशत के लगभग आंकी गई थी। ऑटोमोटिव उद्योग, वस्त्र, फॉर्मास्यूटिकल, इस्पात, पैट्रो रसायन, सीमेंट इत्यादि महत्वपूर्ण क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन उत्साहजनक रहा है। हम घरेलू उद्यमों को पुनः सशक्त बनाने में स्पष्टतः सफल रहे हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद द्वारा तैयार विनिर्माण की राष्ट्रीय कार्यनीति त्वरित औद्योगिक व रोजगार विकास का आधार प्रदान करती है। भारत में ऑटो क्षेत्र के विकास के लिए संरचना प्रदान करने के लिए एक ऑटोमोटिव मिशन योजना 2006—2016 तैयार की गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बढ़ते आगमन से औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ हुआ है। यहां भी, इस वर्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 10 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया है और यह पहली बार विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश को भी पार कर गया है।

यह संतोष का विषय है कि हमारा वस्त्र उद्योग बहु-तन्तु (मल्टी फाइबर) करार के बाद की व्यवस्था में व्यापक रोजगार का सृजन करने, निर्यात को बढ़ावा देने तथा अपना कार्य-निष्पादन सुधारने में सफल रहा है। बुनकरों की सहायता के लिए एक संकेंद्रित व्यवस्था जिसके अंतर्गत समूह विकास केंद्रों की संख्या में वृद्धि और अधिक

धागा डिपो, प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहयोग, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा कार्यक्रम तथा हथकरघा उत्पादों को ब्रांड आधारित बनाने के लिए एक नया "हैंडलूम मार्क" विद्यमान है।

मेरी सरकार ने केंद्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की पुनर्संरचना की है। ग्रामीण उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए वर्धा में महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग संस्थान की स्थापना की गई है। ये उद्योग हमारी ग्रामीण जनता के एक बहुत बड़े भाग को लाभप्रद रोजगार प्रदान करते हैं। अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 प्रभावी हो गया है। इससे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता की प्रगति, विकास और संवर्धन में सुविधा होगी। मेरी सरकार असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए बनाए जाने वाले कानून का प्रारूप विचाराधीन है। मेरी सरकार हमारे कार्यबल के कौशल तथा सामर्थ्य में सुधार लाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा मिशन तथा अन्य पहलों सहित कौशल विकास का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी। यदि हमें बढ़ते युवा कार्यबल द्वारा उत्पन्न जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाना है तो ऐसा करना आवश्यक है।

हमारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र लगातार विकास कर रहा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में है। वर्ष 2007 ब्रॉडबैण्ड का वर्ष होगा। हम पूरे देश में ब्रॉडबैण्ड कवरेज उपलब्ध कराकर "डिजिटल डिवाइड" को पाटने के लिए वचनबद्ध हैं। मेरी सरकार इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग तथा सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए मेरी सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजना को आगे बढ़ाएगी तथा चरणबद्ध रूप से इसे देशभर में लागू करेगी।

पर्यटन की संभावनाएं असीम हैं और इसके लाभ हमें दिखने भी लगे हैं। हाल ही के महीनों में, विदेशी पर्यटकों के आगमन, विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार सृजन में प्रभावी वृद्धि हुई है। तथापि पर्यटन की क्षमताओं तथा भारत की समृद्ध धरोहर व विविधता को देखते हुए, हम घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। पर्यटन के लिए सार्वजनिक तथा निजी अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करने के अलावा, मेरी सरकार देशभर में पर्यटन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है।

आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों में अपने प्रयासों को बनाए रखने के लिए हमें वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि करनी होगी और भारतीय विज्ञान की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। मेरी सरकार बुनियादी विज्ञान की शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की घटती संख्या तथा अन्य नई उद्योगजनक अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय विज्ञान के पीछे रह जाने से अत्यंत चिंतित है। भारत को विज्ञान तथा

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए सिरे से बल देने की आवश्यकता है। हमें बाजार के दबावों का मुकाबला करने के लिए अपनी विश्वविद्यालय पद्धति में भी शक्ति का संचार करने तथा उसे समर्थ बनाने की आवश्यकता है ताकि यह प्रतिभाओं के पलायन को रोक सके व उन्हें आकर्षित कर सके।

2015 तक एक सशक्त विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधार विकसित करने के लिए भावी रूपरेखा बनाई गई है। प्रतिभाओं को आकर्षित करने, विश्वविद्यालय अनुसंधान में नयापन लाने, महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान के क्षेत्र में फिर से करियर बनाने के लिए समर्थ बनाने, प्रौद्योगिकी व्यापार उद्भवन (इनक्यूबेशन) प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, अनुसंधान तथा विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने तथा अपने लोगों में विज्ञान के प्रति और अधिक जागरूकता तथा वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वित्तीय आबंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से कम से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत करने की इच्छुक है।

हमारे वैज्ञानिकों ने नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी तथा औषधीय क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। इस वर्ष हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी प्रभावशाली सफलताएं प्राप्त की गई हैं। हाल ही में पीएसएलवी को लगातार नौंवी बार सफलतापूर्वक छोड़ा जाना, चार उपग्रहों को सही पूर्व निर्धारित कक्षा में रखा जाना और स्पेस कैपसूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट तथा साथ ही चन्द्रयान मिशन की तैयारियों में हो रही प्रगति उत्कृष्टता की उस सुयोग्य प्रतिष्ठा को साबित करती है जो इसरो तथा हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिली है। परमाणु ऊर्जा विभाग, जो स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करते हुए सुरक्षित, किफायती तथा पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए नाभिकीय प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है, ने तारापुर में देश में विकसित 540 एमडब्ल्यूई यूनिट 3 व 4 को प्रारंभ कर दिया है। हम अपने देश के तीन चरण वाले नाभिकीय कार्यक्रम के विकास के लिए वचनबद्ध हैं।

मेरी सरकार पुलिस बल, सुरक्षा बल तथा आसूचना एजेंसियों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर तथा नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाए गए संकेंद्रित तथा सर्वांगीण प्रयास अब सफल हो रहे हैं। मेरी सरकार आतंकवाद तथा उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करती है और उनसे निपटने के लिए कृतसंकल्प है। जहां हमारी सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियों ने आतंक फैलाने के आतंकवादी गुटों के कई प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है वहीं मुम्बई तथा असम में और अभी हाल ही में, समझौता एक्सप्रेस पर हमले की दुखद और कायरतापूर्ण आतंकी घटनाएं हुई हैं। मेरी सरकार सामने आई इन सभी चुनौतियों से सख्ती से निपट रही है।

उत्तर-पूर्व, जम्मू व कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मेरी सरकार हमारे देश के इन हिस्सों के समग्र, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी जिसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों की राष्ट्रीय मुख्य धारा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। मेरी सरकार जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व, दोनों क्षेत्रों में लोगों के दुख-दर्द का निवारण करती रहेगी जबकि आतंकवादी और उग्रवादी ताकतों पर कड़ी नजर रखेगी। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च महत्व देती है कि सभी एजेंसियां कठिनतम परिस्थितियों में भी बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करें।

शहरी अपराध और हिंसा, जिसके शिकार विशेषतौर पर बच्चे और महिलाएं हैं, के बारे में लोगों की चिंता बढ़ रही है। मेरी सरकार हमारे पुलिस बलों को, हमारे नागरिकों की चिंताओं और आवश्यकताओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने और उनकी समस्याओं को निपटाने में और अधिक दक्ष और मानवतावादी बनाने के लिए कटिबद्ध है।

मेरी सरकार हमारी न्यायिक पद्धति, विशेषतौर से जहां यह हमारे नागरिकों के कल्याण पर प्रभाव डालती है, में और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और न्याय प्रदानगी पद्धति को तेज करने पर लक्षित न्यायिक सुधार करने के लिए कटिबद्ध है। न्यायपालिका में और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् के गठन हेतु एक विधेयक संसद के पटल पर पहले ही रखा जा चुका है। छोटे मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए प्रक्रियाओं को कुछ लचीला बनाकर जन-अनुकूल स्थानीय न्यायालयों की स्थापना के लिए ग्रामीण न्यायालय विधेयक लाया जा रहा है।

देश की रक्षा मेरी सरकार की अडिग प्रतिबद्धता है। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए और अपारंपरिक खतरों में वृद्धि देखी जा रही है, सामरिक माहौल क्षीण बना हुआ है, सरकार देश की रक्षा को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित रखेगी। ऐसा करने के लिए हम अपने सशस्त्र बलों को सर्वोत्तम संभव साधन उपलब्ध करवाएंगे। मेरी सरकार हमारे सशस्त्र बलों और हमारे देशी रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण में निवेश कर रही है ताकि उन्हें मौजूदा और उभर रही चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम बनाया जा सके। हमारे सशस्त्र बल अनेक भागीदार देशों के साथ सहयोगी अभ्यासों में भी लगे हुए हैं और उनका कार्य-निष्पादन निरपवाद रूप से प्रशंसनीय रहा है। राष्ट्र उनके योगदान के लिए उनका आभारी है। हमारे पूर्व सैनिकों का कल्याण मेरी सरकार की प्राथमिकता है।

मेरी सरकार की विदेश नीति क्षेत्र में शांति और स्थिरता के अनुकूल बाह्य वातावरण बनाने, अपना द्रुत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और अपनी राष्ट्रीय

सुरक्षा के उपाय करने की इच्छा से तैयार की गई है। इस प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित के अनुसरण में, मेरी सरकार व्यापक रूप से सक्रिय हुई है—विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों के साथ, अपने बढ़ते पड़ोस के साथ और विकासशील विश्व तथा गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अपने भागीदारों के साथ।

अभी फरवरी में, हमने 1949 की पहली संधि के स्थान पर नई भारत-भूटान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। नई संधि समकालिक वास्तविकता को दर्शाने के लिए हमारे द्विपक्षीय संबंधों के कानूनी आधार को अद्यतन बनाती है। यह दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारे संबंधों को उच्चतर स्तर पर सुदृढ़ करेगी और बढ़ाएगी। हमने नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली और शांति प्रक्रिया की सफलता के लिए अपने पूर्ण समर्थन को दोहराया है। एक मित्र और पड़ोसी के नाते भारत यह चाहता है कि बंगला देश एक लोकतांत्रिक, स्थिर और खुशहाल देश हो। हमने जातीय मुद्दे का बातचीत के जरिए किए जाने वाले राजनीतिक समाधान, जो कि श्रीलंकाई समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य हो, की आवश्यकता श्रीलंका के उच्च-राजनीतिक नेताओं को बताई है। यह संतोष का विषय है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। संयुक्त वार्ता, संयुक्त आयोग और आतंकवादरोधी सांस्थानिक तंत्र ने एक संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध कराया है जिसके भीतर सभी मुख्य मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। हम घुसपैठ और सीमापार आतंकवाद के बारे में चिंतित हैं और बातचीत की प्रक्रिया की सफलता पाकिस्तान की अपनी इस प्रतिबद्धता पर आधारित है कि वह किसी भी तरीके से अपने नियंत्रणाधीन किसी भी क्षेत्र को आतंकवाद को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल न होने दे।

भारत इस वर्ष अप्रैल में 14वें सार्क शिखर सम्मलेन की मेजबानी करेगा। सार्क का अध्यक्ष होने के नाते भारत यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि सार्क हमारे क्षेत्र में शांति और प्रगति का दूत बने। दक्षिणी एशिया के लोगों की एक साक्षी धरोहर और एक साझी नियति है। हम विशेष रूप से खुश हैं कि अफगानिस्तान आगामी शिखर-सम्मेलन में सार्क का 8वां सदस्य बनेगा। भारत-अफगानिस्तान संबंधों के महत्व पर भारत और अफगानिस्तान द्वारा नवम्बर, 2006 में आयोजित अफगानिस्तान संबंधी दूसरे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन में बल दिया गया था।

भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में आए बदलाव से रक्षा और सुरक्षा मुद्दों, आतंकवादरोधी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, व्यापार, अंतरिक्ष, नाभिकीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, कृषि, समुद्री सहयोग और पर्यावरण सहित अनेक क्षेत्रों में व्यापक स्तरीय संबद्धताएं की हैं। 18 जुलाई, 2005 में भारत-अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य और 2 मार्च, 2006 की सेपरेशन प्लान में तय मापदण्डों के भीतर असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग पर अमेरिका के साथ हुए एक करार के लिए किए गए

हमारे प्रयासों से माननीय सदस्य अवगत हैं। भारत यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक भागीदार है जिसमें व्यापार और निवेश, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। विस्तृत आधार वाले भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश करार पर बातचीत शुरू की जानी हैं।

हाल ही में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुतिन की ऐतिहासिक यात्रा ने उस व्यापक आधार वाले सहयोग की विशिष्टता उजागर की है जो रूस के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों को दर्शाता है। दोनों देशों के एक संयुक्त उद्यम के द्वारा ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र का विकास, हमारे आपसी सहयोग से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। यात्रा के दौरान हुए करारों से ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में हमारे सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी और अधिक सुदृढ़ होगी।

नवम्बर, 2006 में चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ की भारत यात्रा से भारत-चीन संबंधों के सतत और व्यापक विकास की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई है। दोनों देश हमारी नीतिगत साझेदारी को अधिक सशक्त बनाने और भविष्य के लिए कार्योन्मुख कार्य सूची विकसित करने के लिए 10 आयामी नीति पर सहमत हुए।

भारत की "लुक ईस्ट पालिसी" आसियान और हमारे पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंध बढ़ाने में सहयोगी रही है। पूर्वी एशियाई और भारत-आसियान शिखर सम्मेलनों में भारत की भागीदारी से इस क्षेत्र के साथ हमारे पुराने संबंध ताजा हुए हैं और आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। सिंगापुर, चीन, जापान, कोरिया और अन्य देशों ने "नालन्दा परियोजना" में काफी रुचि दर्शायी है जिसमें भारत में अन्तर-सभ्यतापरक संवाद के लिए एक एशियाई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

गत वर्ष एक सार्वभौमिक और रणनीतिक साझेदारी प्रारम्भ होने के साथ ही जापान के साथ भारत के संबंधों ने नए युग में प्रवेश किया है। एक विशेष आर्थिक साझेदारी की पहल विशेष रूप से अवसंरचना, विद्युत उत्पादन और एक औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना में निवेश को बढ़ावा देगी। एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार के लिए बातचीत प्रगति पर है। हम इस वर्ष प्रधानमंत्री आबे के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

गत वर्ष गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत ने विकास को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे का केन्द्र बिन्दु बनाने में अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम किया। मेरी सरकार पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। हम इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता देखना चाहते हैं। हिंसा का परित्याग करने और सभी संबंधितों के न्यायसंगत हितों को ध्यान में रखते हुए शांतिवार्ताओं द्वारा इसका एक व्यापक समाधान ढूंढ़ने के लिए हमने

पश्चिम एशिया के सभी पक्षों का आह्वान किया है। मेरी सरकार ने इराक को एक स्थिर, शांतिमय, सम्पन्न, संगठित और लोकतांत्रिक रूप में देखने की अपनी इच्छा को भी दोहराया है। गत वर्ष सऊदी अरब के आला हज़रत शाह और उसके बाद कुवैत के अमीर, जोर्डन के राजा की यात्राएं और अभी हाल ही में विदेश मंत्री की ईरान यात्रा, भारतीयों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में हमारे स्थायी हितों के महत्व को उजागर करती है। भारत, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के देशों के साथ अपने संबंधों को और गहन बनाने और उनमें विविधता लाने पर भी कार्य कर रहा है। गत वर्ष दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ भारत के संबंध बढ़े हैं। भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के सबसे बड़े लोकतंत्रों को एकजुट कर दक्षिण–दक्षिण सहयोग के प्रति हमारी वचनबद्धता को पुनरुज्जीवित किया है। पैन अफ्रीकी–ई–नेटवर्क, जो हमारी मदद से कार्यान्वित किया जा रहा है, ने अफ्रीका और भारत के बीच उच्च तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया है।

मेरी सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में कार्य कर रहे कामगारों के संरक्षण और कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया है। हम उनकी उद्यमशीलता की भावना की सराहना करते हैं और उन्हें भारत के विकास में और अधिक सक्रियता से लगे हुए देखना चाहते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड योजना से भारतीय मूल के लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। हम अब भारत में भारतीय मूल के व्यक्तियों का विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर कार्य कर रहे हैं। मेरी सरकार प्रतिभा पलायन की दिशा पलटने के लिए कदम उठा रही है ताकि भारत की कुछ मेधावी और प्रतिभावान संतानें अपनी मातृभूमि को लौटें।

भारत ने एक शीघ्र सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर के सभी क्षेत्रों में बातचीत को पुनः शुरू करने का स्वागत किया है। गतिरोध दूर करने के लिए विकसित देशों को अपने कृषि क्षेत्र को बड़ी मात्रा में दी जा रही व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडियों को कम करने के सार्थक उपाय करने चाहिए। साथ ही, विकासशील देशों में जहां कृषि जीवन–यापन का प्रमुख साधन है, वहां यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारों को उनके कम आय वाले तथा असुरक्षित किसानों के सम्मुख विद्यमान कीमतों में गिरावट व अस्थिरता और आक्रामक प्रतियोगिता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए समुचित लचीली नीतियों की मार्फत समर्थ बनाया जाए। विकासशील देशों द्वारा निर्यात किये जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराना भी इतना ही महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोहा दौर वास्तव में विकास का दौर ही हो।

माननीय सदस्यों, हमारा देश विकास के एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। हमारे कामगार लोगों, हमारे व्यावसायिकों और उद्यमियों में आत्मविश्वास की भावना और उनकी गतिशीलता हमें आशान्वित करती है। तथापि, मेरी सरकार मानती है कि विकास तभी सार्थक होगा जब यह सर्वसमावेशी होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवीन ऊर्जा का संचार करें और गांवों तथा शहरों के बीच बढ़ती असमानताओं को दूर करें। सरकार में सुधार, इसे अधिक पारदर्शी और उत्तरकारी बनाना तथा भ्रष्टाचार के कैंसर का उन्मूलन समग्र विकास की किसी भी नीति के अनिवार्य तत्व हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने का एक साधन है। एक और अधिक शक्तिशाली अस्त्र जो उनके हाथों में है वह है हमारी गरिमामयी संसद में अपनी आवाज उठाने और शिकायतों का समाधान पाने का अधिकार। जैसा कि कहा जाता है—सतत जागरूकता के जरिए ही लोकतंत्र बहाल रखा जा सकता है। माननीय सदस्यों, आप, यहां हमारी जनता के प्रतिनिधि हैं। आपका यह दायित्व हो जाता है कि आप हमारे लोकतंत्र की महान संस्थाओं की मार्फत यह सुनिश्चित करें कि हमारे देश के लोगों को बेहतर प्रशासन मिले। मुझे आशा है कि आपको जो अधिकार मिले हैं, आप उनका इस्तेमाल हमारी जनता और हमारे राष्ट्र के हित में करेंगे। इस वर्ष संसद की कार्यवाही के सार्थक संचालन के लिए मेरी हार्दिक शुभ कामनाएं।

जय हिन्द।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील

संसद के समक्ष अभिभाषण — 25 फरवरी 2008

लोक सभा	-	चौदहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत की राष्ट्रपति	-	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री सोमनाथ चटर्जी

माननीय सदस्यगण,

मैं आप सभी का और देश की जनता का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। संसद का यह अधिवेशन ऐसे समय पर हो रहा है जब अर्थव्यवस्था प्रगति पर है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है कि आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया सामाजिक रूप से समावेशी, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और पर्यावरणीय रूप से अक्षुण्ण हो। मेरी सरकार द्वारा किए गए उपायों ने समावेशी विकास का आवश्यक ढांचा तैयार कर लिया है।

विकास प्रक्रिया को सामाजिक रूप से समावेशी और क्षेत्रीय रूप से संतुलित बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इनमें, विकास में ग्रामीण–शहरी अंतर को पाटने के लिए–भारत निर्माण; गरीबी की पीड़ा को कम करने के लिए और मूलभूत आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम; हमारे बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराने एवं उनकी क्षमताओं को मूर्त रूप देने के लिए–सर्वशिक्षा अभियान जो सार्वभौमिक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम द्वारा और सुदृढ़ किया गया है; ग्रामीण निर्धनों को मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सामाजिक रूप से समावेशी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शामिल हैं। विकास प्रक्रिया को और अधिक भागीदारीयुक्त संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रही है और सूचना का अधिकार अधिनियम नामक एक अनुस्मरणीय कानून बनाया गया है।

मेरी सरकार की "समावेशी विकास" की कार्यनीति आर्थिक विकास में आई तेजी से समर्थ हुई है और इसने आर्थिक विकास को त्वरित करने में योगदान भी किया है। इतिहास में पहली बार, भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार चार वर्षों से लगभग 9.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के 35 प्रतिशत से अधिक की ऐतिहासिक उच्च निवेश दर और सकल घरेलू उत्पाद के 34 प्रतिशत से अधिक की बचत दर हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई गतिशीलता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवावर्ग की रचनात्मकता, उद्यमिता और कड़ी मेहनत आने वाले वर्षों में इन उच्च दरों को बनाए रखने में सक्षम होगी।

तेल की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और खाद्य पदार्थों सहित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के परिप्रेक्ष्य में यह उपलब्धि और भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का यह सतत प्रयास रहेगा कि कीमतों को नियंत्रण में रखते हुए विकास को बनाए रखा जाए। मेरी सरकार ने भारतीय उपभोक्ता को इन वैश्विक मुद्रास्फीतिक रुझानों से बनाए रखने की कोशिश की है। विगत दो वर्षों में विश्व में कच्चे तेल की कीमतें लगभग दोगुनी होकर 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल की अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं, तब भी मेरी सरकार ने घरेलू उपभोक्ता पर पड़े प्रभाव को सीमित रखा है।

समावेशी विकास के ढांचे को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के जरिए और मजबूती मिली है। इस योजना में समूचे राष्ट्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जिसे इस प्रकार प्राप्त किया जाना है ताकि यह गुणवत्तायुक्त शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के लिए समान अवसर प्रदान करे, अस्वस्थता के भार से लोगों को निजात दिलाए और भेदभाव मिटाए।

प्रमुख क्षेत्रों को दी जाने वाली केंद्रीय सकल बजटीय सहायता का भाग पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा पर होने वाला परिव्यय 10वीं योजना में केंद्रीय सकल बजटीय सहायता के 7.68 प्रतिशत से बढ़कर 11वीं योजना में 19 प्रतिशत से अधिक हो गया है। कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर होने वाले परिव्यय को तिगुना कर दिया गया है। शिक्षा को शामिल करते हुए, ये क्षेत्र केंद्रीय सकल बजटीय सहायता का आधे से अधिक हिस्सा प्राप्त करते हैं। जबकि दसवीं योजना में यह एक-तिहाई से भी कम था। योजना की प्राथमिकताओं में यह एक बृहत संरचनात्मक परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य असमानताओं को कम करना और जनता को सशक्त बनाना है।

इस योजना में, अवसंरचना में कुल वार्षिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत होने की आशा है। सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा और इसे, जहां व्यवहार्य होगा,

निजी निवेश से पूरित किया जाएगा। मेरी सरकार ऐसे समूहों और क्षेत्रों, जो हाशिए पर हैं, को विकास की प्रक्रियाओं से लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों को बढ़ाएगी।

मेरी सरकार हमारे किसानों की ओर विशेष ध्यान दे रही है तथा इसने कृषि में सार्वजनिक निवेश में आई गिरावट के रुख को पलट दिया है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कृषि ऋण को तीन वर्षों में दुगुना करने के तय लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ा जा चुका है। 2007-08 के लिए निर्धारित 2,25,000 करोड़ रु. का लक्ष्य पहले ही दिसम्बर, 2007 तक प्राप्त किया जा चुका है। सरकार ने ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना का पुनरुत्थान शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रो. आर. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कृषि ऋणग्रस्तता पर एक विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की थी। इसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है तथा इसकी सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

"वित्तीय तौर पर वंचित" जनता को औपचारिक बैंक व्यवस्था के भीतर लाने के लिए बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे इस प्रयोजन हेतु स्वयं-सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और अन्य नागरिक समाज संगठनों की सेवाओं का उपयोग करें। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक स्वयं-सहायता समूहों की मदद की जा रही है और स्वरोजगारियों में 52 प्रतिशत महिलाएं हैं। सरकार ने सूक्ष्म वित्तीय सेक्टर (विकास और विनियमन) विधेयक भी संसद में प्रस्तुत कर दिया है। स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी गरीबों, विशेषकर महिलाओं के दक्षता विकास और रोजगार के लिए अवसर प्रदान कर रही है।

मेरी सरकार ने हाल में कृषि क्षेत्र के लिए दो बड़ी पहलें की हैं: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 11वीं योजना अवधि में चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमश: 10, 8 और 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है। फार्म पुनरुत्थान के लिए 25,000 करोड़ रु. के परिव्यय वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य 11वीं योजना में इस क्षेत्र में और निवेश करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देकर कृषि विकास को 4 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

मेरी सरकार के प्रयासों से कृषि उत्पादन में भरपूर वृद्धि हुई है। कृषि, सिंचाई और जल संसाधनों, जिनमें एक बड़ा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम शामिल है, के सम्मिलित संसाधन 10वीं योजना में 46,131 करोड़ रु. से बढ़कर 11वीं योजना में 1,38,548 करोड़ रु. हो जाएंगे। विगत चार वर्षों में मेरी सरकार ने गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में क्रमश: 50 प्रतिशत से अधिक और लगभग 33 प्रतिशत की अभूतपूर्व त्वरित वृद्धि की है।

मेरी सरकार का लक्ष्य 2015 तक प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार में तीन गुना वृद्धि करना और वैश्विक व्यापार में इसका हिस्सा दोगुना करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 30 मेगा फूड पार्क और एक इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन स्थापित की जाएगी। इस क्षेत्र के लिए ज्ञान संस्था के रूप में कुंडली में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने शिक्षा में पहुंच को बढ़ाकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर अत्यधिक जोर दिया है। छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जातियों के लगभग 30 लाख बच्चों को लगभग 900 करोड़ रु. की राशि तथा 10 लाख से अधिक जनजातीय बच्चों को 225 करोड़ रु. से अधिक की राशि दी गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की विशेष कोचिंग संबंधी स्कीमों को सक्रियता से क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे जनजातीय समुदायों की कला, संस्कृति, परंपरा, भाषाओं, रीति-रिवाजों और चिकित्सीय पद्धतियों में अध्ययन और अनुसंधान तथा जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम एक ऐतिहासिक विधान है जिसका उद्देश्य जनजातीय और परंपरागत वनवासियों की विगत वंचनाओं को दूर करना तथा भूमि पर उनके अधिकारों को उन्हें पुन: प्रदान करना है। राज्य सरकारों से इस अधिनियम के उपबंधों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जो हमारे श्रमिक बल का अधिकांश भाग है, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मेरी सरकार ने असंगठित सेक्टर सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया है। असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार के लिए 30,000 रु. की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, पहले वर्ष में ही ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लगभग एक करोड़ परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए आम आदमी बीमा योजना और गरीबी रेखा से नीचे तथा 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 200 रु. प्रतिमाह पेंशन देने के लिए–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम प्रारंभ की गई है। सरकार ने राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी को भी 66 रु. से बढ़ाकर 80 रु. प्रतिदिन कर दिया है। श्रमिकों को बोनस की अदायगी की पात्रता सीमा को 3500 रु. से बढ़ाकर 10,000 रु. प्रतिमाह कर दिया है। भवन-निर्माण ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों को भी बोनस के भुगतान के लिए पात्र बनाया गया है।

मेरी सरकार ने विकास परियोजनाओं के कारण अपनी भूमि से विस्थापित लोगों की चिरकालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अक्तूबर, 2007 से एक राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति लागू की है। इस नीति में अनैच्छिक विस्थापन उत्पन्न करने वाली सभी परियोजनाओं के संबंध में मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान है। इस नीति को सांविधिक समर्थन प्रदान करने के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2007 और भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 भी संसद में पेश किए जा चुके हैं।

समावेशी विकास के लिए समावेशी शासन की जरूरत होती है। पंचायती राज इसके लिए प्रमुख उपकरण है। सरकार ने सुपुर्दगी व्यवस्था को पंचायतों के माध्यम से कार्य करने के लिए दिशानिर्देशित करने के अलावा स्थानीय विकास योजना को सहारा देने के लिए बंधनमुक्त निधियों के जरिए पंचायती राज को सुदृढ़ किया है। क्षेत्रीय असंतुलनों की समस्या का समाधान करने के लिए मेरी सरकार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा अल्प विकसित क्षेत्रों की सहायता कर रही है।

मेरी सरकार कमजोर वर्गों के नागरिकों को सिविल और आपराधिक, दोनों प्रकार के मामलों में न्याय, उनकी चौखट पर ही उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने हेतु एक विधान लाई है।

मेरी सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रधान मंत्री के नये पंद्रह सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यकों को समतापूर्वक मिले। निर्दिष्ट अनुपात में विकास परियोजनाएं अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्थित होंगी और जहां संभव होगा, विभिन्न स्कीमों के तहत उद्देश्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए विनिर्दिष्ट होगा। अल्पसंख्यकों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिए सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 11वीं योजना में पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन पर आधारित छात्रवृत्ति के लिए 800 करोड़ रु. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए लगभग 3300 करोड़ रु. और 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के विकास के लिए 3780 करोड़ रु. का प्रावधान है। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के अनुपात को वर्तमान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। समावेशी विकास के ढांचे के लिए ये पहले महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

समाज में महिलाओं का बराबर का योगदान है। स्त्री साक्षरता द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक क्षेत्र में हमारे लिए एकमात्र सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्त्री साक्षरता में तेजी लाने को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाएगा। भेदभावपूर्ण विधान को हटाकर, विद्यमान विधान को संशोधित करके और ऐसा नया

विधान बनाकर जो महिलाओं को मकान और भूमि जैसी परिसंपत्तियों में समान मालिकाना अधिकार प्रदान करता हो, हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पूर्ण कानूनी समानता के और निकट आए हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। बंधुआ मजदूर, बागान मजदूर, कारखाना और प्रवासी मजदूर से संबंधित कानूनों को भी लिंग संवेदी बनाया जाएगा। सदियों पुराने पूर्वाग्रहों विशेषतया समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना, समानता प्राप्त करने में सबसे बड़ी चुनौती है। मेरी सरकार दहेज, कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूणहत्या और मानव तस्करी संबंधी कानूनों को कड़ाई से लागू करने और लिंग भेद रहित भारत बनाने के प्रति वचनबद्ध है।

बाल अधिकारों का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया गया है। सरकार बड़ी संख्या में हमारे बच्चों में कुपोषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए तैयार किए गए कई उपाय प्रारंभ करना चाहती है।

हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियां जोरों पर हैं। मेरी सरकार ब्लॉक और ग्राम स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभा के विकास के लिए "पंचायत युवा खेल और क्रीड़ा अभियान" भी शुरू करेगी।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मेरी सरकार के 'अग्रणी कार्यक्रम' समावेशी शासन व्यवस्था के ढांचे की पहचान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार चाहने वालों के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का दायरा अप्रैल, 2008 से 330 जिलों से बढ़ाकर देश के सभी ग्रामीण जिलों तक करने का निर्णय लिया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में, जनवरी, 2008 के मध्य तक 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। सामाजिक लेखा परीक्षा के जरिए पारदर्शिता को कार्यक्रम कार्यान्वयन का अहम हिस्सा बना दिया गया है और यहां तक कि उपस्थिति नामावलियां भी पहली बार इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गई हैं। यह कार्यक्रम जनता से छानबीन की अपेक्षा करता रहा है तथा यह सुनिश्चित हो कि कार्यक्रम के लाभ उन्हीं को मिलें जिनके लिए वे उपलब्ध कराए गए हैं। हमें विश्वास है कि राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं और नागरिक समाज के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अपना महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाकर प्रारंभिक शिक्षा हेतु सर्वशिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। मेरी सरकार उत्कृष्टता के अनुकरणीय मानदण्ड स्थापित करने के लिए देश के प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल के हिसाब से 6000 नए उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल स्कूल उपलब्ध कराकर माध्यमिक शिक्षा को सभी की पहुंच में लाना चाहती है। 11वीं योजना में 30 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 370 नए महाविद्यालय और 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 नए भारतीय प्रबंधन संस्थान और पुणे, कोलकाता तथा मोहाली में शुरू किए गए तीन संस्थानों के अतिरिक्त दो और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोलकर तकनीकी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि के साथ उच्चतर शिक्षा में भारी निवेश किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन हमारे युवाओं की नियोजनीयता को सुनिश्चित करेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में इस समय महसूस की जा रही कौशल की कमी को दूर करेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत अब तक 1.38 लाख उप केन्द्रों, 22,669 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 3,947 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 540 जिला अस्पतालों को संसाधन देकर उनकी मदद की गई है। अब हमारे गांवों में लगभग 5 लाख आशा (अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और संपर्क स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार के प्रोत्साहन से जनता की बढ़ी हुई भागीदारी द्वारा ग्रामीण स्वच्छता का दायरा वर्ष 2001 में 22 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों से काफी बढ़कर आज लगभग 50 प्रतिशत हो गया है।

भारत निर्माण ने सड़कों, बिजली और टेलीफोन संपर्क द्वारा ग्रामीण भारत को विकास के अवसरों से जोड़ने की कोशिश की है। वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के अंत तक 17,000 बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है, 44,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचायी गई है, ग्रामीण निर्धनों के लिए 40 लाख मकान बनाए गए हैं, 2 लाख बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है और 36 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई व्यवस्था की गई है। इस अवधि के दौरान सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ने का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है। दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार केवल 14,000 गांवों को जोड़ना बाकी रह गया है। गांवों में टेलीफोनों की उपलब्धता में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन का इसमें शामिल राज्यों और शहरों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया है। 26 राज्यों के 51 शहरों में 25,287 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके मूलभूत सेवाओं

वाले घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए 8 लाख से अधिक मकान स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति द्वारा वहनीय आवास को बढ़ावा देगी।

हमारी अवसंरचना का द्रुत आधुनिकीकरण और विकास मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। 68,000 मेगावाट विद्युत पैदा करने की क्षमता वाले कोयला ब्लॉकों के आबंटन सहित विभिन्न उपाय पहले ही कर लिए गए हैं। 4000-4000 मेगावाट की क्षमता वाले कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए नौ राज्यों में नौ स्थलों का चयन कर लिया गया है और सासन और मुंधरा परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है। संयंत्रों में आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाएगी। भारत के प्रथम 540 एमडब्ल्यूई नाभिकीय विद्युत संयंत्र—तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन की यूनिट 3 और 4 वर्ष 2007 में राष्ट्र को समर्पित की गईं जोकि हमारे स्वदेशी नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम की एक प्रमुख उपलब्धि है।

जल-विद्युत, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक नीतिगत पहल की जा रही है। जैव-ईंधनों और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी राष्ट्रीय नीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र संबंधी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ऐसी विभिन्न पहलों का समर्थन किया गया जिनका उद्देश्य क्षमता में वृद्धि, किफायती कीमत-निर्धारण और विद्युत क्षेत्र में सुधार करना है।

मेरी सरकार ने घरेलू तेल और गैस भंडारों की तीव्र खोज के साथ-साथ विदेशों में अर्जन द्वारा ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने पर अधिक जोर दिया है। 15 ब्लॉकों में प्रचुर तेल व गैस के भंडारों का पता लगाया गया है। हाल ही में कोल बैड मिथेन का प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है और गहरे पानी में प्राकृतिक गैस का पहला उत्पादन भी इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। एनईएलपी-VII के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा अन्य 57 ब्लॉकों की पेशकश की जा रही है। हमारी तेल कंपनियां विदेशों में सक्रियता से ब्लॉक अर्जित कर रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक प्राधिकरण ने कार्य करना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिक शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है।

रक्षा, रेल, विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई कोयला वितरण नीति अधिसूचित की गई है। कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से उत्पादक राज्यों को लाभ मिलेगा। एक नई खनिज नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो खनन में निवेश और रोजगार के अवसरों में अत्यधिक वृद्धि करेगी।

विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के 6500 किलोमीटर लंबे हिस्से को छह लेन का बनाने को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत 1000 किलोमीटर लंबे, पूर्णत: आवागमन नियंत्रित एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को चौड़ा करने और उनमें सुधार करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है जिससे कि इस क्षेत्र के सभी 85 जिला मुख्यालयों को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके। चालू वर्ष में प्रमुख पत्तनों पर यातायात में 13 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। प्रमुख पत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नए मॉडल रियायत करार तथा सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए टैरिफ तय करने हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुमोदन से आगामी वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होने की आशा है।

मेरी सरकार भारतीय रेल की वित्तीय और तकनीकी कार्य-निष्पादन क्षमता में बड़ा बदलाव लाई है। रेल संपर्क और अवसंरचना विकास में और सुधार करने के लिए महानगर केन्द्रों और प्रमुख पर्यटन केन्द्रों पर स्थित 22 स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी द्वारा विकसित किया जाएगा। मुंबई-दिल्ली-कोलकाता डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर रेल अवसंरचना की एक अनोखी उपलब्धि होगी जो व्यापक औद्योगिकीकरण करने में भी मदद करेगी।

यात्री और माल, दोनों प्रकार के यातायात में तीव्रतम वृद्धि के कारण नागर विमानन क्षेत्र एक अभूतपूर्व विकास के दौर से गुजर रहा है। सरकार ने हवाई अड्डा अवसंरचना का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने तथा इस क्षेत्र में दक्ष कार्मिकों की उपलब्धता में वृद्धि करने को प्राथमिकता दी है। इस वर्ष बंगलौर और हैदराबाद में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। नई दिल्ली और अन्य महानगरों में नए टर्मिनलों का निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तर-पूर्व सहित देश के विभिन्न भागों में हवाई मार्ग संपर्क बढ़ा है।

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है जिसमें प्रतिमाह 7 मिलियन से अधिक ग्राहक जुड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना करने और उसके प्रबंधन में सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है जिससे कि मोबाइल दूरसंचार सेवाओं का किफायत और शीघ्रता से विस्तार किया जा सके।

मेरी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण में वृद्धि की प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की है। सेमी कन्डक्टर फैब्रिकेशन और अन्य माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्कीम

की घोषणा की गई है। सरकार को पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय ई–शासन योजना पूरे देश में क्रियान्वयन की उन्नत स्थिति में है। पूरे देश में लगभग 13,000 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू कर दिया गया है। देश में उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सभी संस्थाओं को जोड़ने के लिए गिगाबाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने हेतु एक एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

हमारे देश के औद्योगिक विकास के वातावरण में लगातार सुधार हो रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय उद्योग और अधिक रोजगार पैदा कर सके और विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके, सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद को उपयुक्त नीतियां सुझाने को कहा है। भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धी स्थिति, विशेषकर इस्पात और धातु–विज्ञान, वस्त्र, ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटकों, औषधीय और जैव–प्रौद्योगिकी, पेट्रोरसायन और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में, पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ है। भारत के माल निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की दर से अच्छी–खासी वार्षिक वृद्धि हुई है जिससे यह 2004–05 में 84 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2006–07 में 126.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। स्थिर नीतिगत ढांचे और व्यापार अवरोधों तथा कारोबार लागतों को कम करने के सरकार के सतत प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है।

मेरी सरकार ने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य–निष्पादन में प्रतिवर्तन लाने पर अत्यधिक बल दिया है। 25 से ज्यादा बीमा तथा घाटे में चल रही कंपनियों के लिए पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित कर दिए गए हैं। पिछले वर्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल लाभ में 17 प्रतिशत से अधिक की उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनियों की लाभप्रदता 2003–04 में 5373 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2006–07 में 15567 करोड़ रु. हो गई है। इससे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में ऊर्जा का संचार हुआ है और वे बृहत विस्तार योजनाओं की ओर अग्रसर हो पाई हैं।

सरकार द्वारा प्रवर्तित विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने अब तक लगभग 100,000 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्रदान कर दिया है जबकि इससे दोगुने व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। इनमें 50,000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश हो चुका है और इस वर्ष इनसे 67,000 करोड़ रु. का निर्यात होने की उम्मीद है।

मेरी सरकार हमारे वस्त्र उद्योग के संवर्धन के लिए वचनबद्ध है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्त्र संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित किया जाएगा। चिकित्सा प्रौद्योगिकी, जिओटेक, कृषि प्रौद्योगिकी तथा निर्माण प्रौद्योगिकी जैसे

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चार उत्कृष्टता केंन्द्र स्थापित किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम 11वीं योजना के लिए बढ़ा दी गई है।

मेरी सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के संवर्धन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इसे वित्तीय, अवसंरचनात्मक तथा विपणन सहायता प्रदान करती रहेगी।

11वीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि करके सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास पर अत्यधिक बल दिया है। एक नैनो टैक्नोलॉजी मिशन शुरू किया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का सफर जारी रहा है। 15 नवम्बर, 2007 को देश में ही विकसित जीएसएलवी के क्रायोजेनिक अपर स्टेज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 2007 में हमारे अपने जिओ-सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल करते हुए इनसेट-4सीआर तथा इनसेट-4बी छोड़े गए। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम ने हमें दूर-चिकित्सा, दूर-शिक्षा, दूर-संचार और अन्य सेवाओं का देश तथा विदेश, दोनों में विस्तार करने में सक्षम बनाया है। इन सफलताओं के आधार पर और आगे कार्य करने के लिए एक नए भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। भारत का प्रथम मानवरहित चंद्र मिशन 'चंद्रयान-1' इस वर्ष के अंत तक छोड़ा जाना है।

मेरी सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मामले पर तत्काल कार्रवाई की और जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके अनुकूल बनने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद गठित की। जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जा रही है। भारत यह सुनिश्चित करने के लिए सहर्ष तैयार है कि यहां होने वाला प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों के औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से कभी भी अधिक न हो। जलवायु परिवर्तन के संबंध में हुए बाली सम्मेलन में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रावधानों तथा सिद्धांतों के अनुसार इस मामले से निपटने के लिए दीर्घकालिक सहयोगपूर्ण कार्रवाई हेतु एक व्यापक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ रचनात्मक बातचीत की है। प्रमुख नदियों की सफाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नदी संरक्षण कार्यक्रम को नए सिरे से शुरू किया जाएगा। नव-सृजित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की नीतियों को दिशा देने के लिए पृथ्वी विज्ञान संगठन परिषद गठित की गई है। एक अत्याधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित कर दी गई है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गत वर्ष पवित्र "ऋग्वेद" को "विश्व स्मृति" रजिस्टर में दर्ज किया गया।

सरकार ने जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। दूरदर्शन के उर्दू चैनल ने सातों दिन चौबीसों घंटे सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिड रेडियो चैनलों का व्यापक विस्तार हुआ है। ऐसे 152 चैनल पहले से ही चल रहे हैं और अनुमान है कि जल्द ही इनकी संख्या बढ़कर 266 हो जाएगी। समुदाय रेडियो ने एक नई नीति के जरिए बड़े स्तर पर संवर्धन किया है। प्रिंट, दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म तथा मनोरंजन जैसे क्षेत्रों सहित भारतीय मनोरंजन तथा मीडिया उद्योग में भारी वृद्धि हो रही है जिससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हो रहा है।

पर्यटन में, देश भर में आय तथा रोजगार, दोनों के सृजन की काफी क्षमता है। "अतुल्य भारत" अभियान से भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिला है और पहली बार विदेशी पर्यटकों की संख्या 50 लाख को छू गई है। 2007 में पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय 12 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है।

आंतरिक सुरक्षा स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में है। मेरी सरकार आतंकवाद तथा वाम-पक्षीय उग्रवाद के खतरों के प्रति सजग है। जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा असम में हुए आतंकवाद के अमानवीय कृत्यों की भर्त्सना करने में पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा था। सरकार वाम-पक्षीय उग्रवाद को समाप्त कर देने के प्रयासों के प्रति कृतसंकल्प है। आंतरिक सुरक्षा पर हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने उग्रवाद तथा आतंकवाद के खतरे से लड़ने के लिए केंद्र तथा राज्यों द्वारा मिलकर काम करने की महत्ता को रेखांकित किया है। सरकार वाम-पक्षीय उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को आंतरिक सुरक्षा तथा विकास और सामाजिक रूप से शक्ति संपन्न बनाने के दोनों मोर्चों पर मदद कर रही है। पुलिस तथा सुरक्षा बलों और आसूचना संग्रहण प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर सरकार अधिक ध्यान दे रही है।

धार्मिक स्थलों के निकट रहने वालों सहित अन्य निर्दोष व्यक्तियों के प्रति होने वाले उग्र हिंसात्मक कृत्यों के समक्ष भारत की जनता घृणा की राजनीति को नकारने में एकजुट रही है। हमारी जनता का उत्तेजित न होना एक बार फिर हमारे सहज मानववाद तथा हमारे राष्ट्र की एकता व अखंडता, बहुलवाद तथा पंथ-निरपेक्षता के हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाता है। मुख्यत: इसी प्रकार देश भर में सांप्रदायिक सद्भावना तथा सौहार्द का वातावरण है। मेरी सरकार ऐसे किसी भी समूह के असामाजिक तथा राष्ट्र-विरोधी षड्यंत्रों के प्रति सदा सतर्क रहेगी जो हमारे गणराज्य की कानून और व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भावना तथा एकता और अखंडता को विघटित करने के इरादे से होंगे।

मेरी सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर में शांति, सामान्य स्थिति तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए बहु-आयामी रणनीति पर कार्य कर रही है। विद्युत तथा रोजगार सृजन सहित संपर्क तथा अवसंरचना के सुधार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना तेजी से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के एक भाग के रूप में राज्य में कश्मीरी प्रवासियों के लिए आवास परियोजना चलाई जा रही है।

आप जानते हैं कि मेरी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सभी वर्गों के लोगों के साथ गोलमेज सम्मेलनों का सिलसिला शुरू किया था। इन विचार-विमर्शों से राजनीतिक और विकासात्मक मसलों पर व्यापक नागरिक और राजनीतिक सर्वसम्मति प्रतिबिंबित होती है। सरकार समाज के सभी वर्गों का विश्वास बढ़ाने, नियंत्रण रेखा के आर-पार यात्रा को आसान बनाने तथा जम्मू और कश्मीर की जनता को बेहतर शासन तथा उनकी आकांक्षाओं पर निकटता से ध्यान देने के उद्देश्यों से एक सर्वांगीण दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संपर्क में सुधार लाना, अवसंरचना का विस्तार करना तथा रोजगार सृजित करना मेरी सरकार की पहलों का केन्द्र बिन्दु रहा है। उत्तर-पूर्वी परिषद, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 18 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रही है। असम तथा अरूणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। उत्तर-पूर्वी परिषद ने इस क्षेत्र के लिए एक समर्पित एयरलाइन स्थापित करने की पहल की है। 43,000 करोड़ रु. के वित्तपोषण से उत्तर-पूर्व में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, सुधार और उन्हें चौड़ा करने के लिए तैयार किया गया है। ट्रांस-अरूणाचल प्रदेश हाईवे राज्य की लंबाई में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बनाया जाएगा। क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। संचार तंत्र में सुधार करने के लिए ब्रॉडबैंड तथा बेतार संपर्क में और वृद्धि की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में की गई नई पहलों में नए विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं की स्थापना शामिल है। उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। असम गैस क्रैकर परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है जिससे क्षेत्र के औद्योगिक विकास में और वृद्धि होगी।

सरकार विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की उपलब्धियों तथा राष्ट्र के लिए उनके योगदान को अत्यंत महत्व देती है। उनके योगदान का सम्मान करते हुए कई पहलें की गई हैं। पहला भारतीय मूल के लोगों का विश्वविद्यालय प्रारंभ होने वाला है। भारतीय डायस्पोरा के संसाधनों को काम में लाने के लिए प्रधान मंत्री की भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सलाहकार परिषद

गठित करने का निर्णय किया गया है। संभावित प्रवासी कामगारों को मदद देने तथा विपत्ति में फंसे प्रवासी कामगारों की सहायता करने के लिए, "प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र" तथा "प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद" की स्थापना की जा रही है।

मेरी सरकार ने हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तथा देश में रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे सशस्त्र बल हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में मदद करते हैं तथा आपदा प्रबंधन और आवश्यक सहायता तथा पुनर्वास का प्रबंध करने में सिविल प्राधिकारियों की बहुमूल्य सहायता करते हैं। सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 से सेवा कार्मिकों को कोर्ट मार्शल के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा तथा सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु सार्थक अवसर मिलेगा। अग्नि-III मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण तथा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को हमारे सशस्त्र बलों में शामिल करना हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी के उन्नयन में मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं।

मेरी सरकार की विदेशी नीति त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास को सुगम बनाने तथा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमारे क्षेत्र में विश्व में शांति तथा स्थिरता के वातावरण को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार ने हमारे सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक रिश्ते विकसित करने तथा महाशक्तियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के कारगर प्रयास किए हैं। भारत ने अप्रैल, 2007 में नई दिल्ली में हुए 14वें सार्क शिखर सम्मेलन से लेकर अब तक सार्क को सुदृढ़ करने के सभी प्रयास किए हैं और इसे घोषणात्मक चरण से कार्यान्वयन चरण की ओर बढ़ाया है। सार्क विकास निधि, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय तथा सार्क फूड बैंक की स्थापना के क्षेत्र में प्रगति हुई है।

हमारा ध्येय है कि हमारे पड़ोस में शान्ति, स्थायित्व और समृद्धि बनी रहे। भारत, नेपाल को इसके राजनीतिक परिवर्तन के दौर में, इसके विकास के लिए पूरी सहायता करने के लिए वचनबद्ध है। भारत, एक लोकतांत्रिक, स्थिर और संपन्न राष्ट्र के लिए, परिवर्तन काल में नेपाली लोगों की अभिलाषाओं को पूरा करने में मदद देने के लिए भी तैयार है। एक निकट और मित्र पड़ोसी के नाते हम बंगलादेश को एक शान्तिपूर्ण, स्थिर और उदार लोकतंत्र के रूप में देखना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि बंगलादेश की जनता पूर्ण लोकतंत्र की बहाली के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मार्फत अपनी इच्छा को व्यक्त करेगी। श्रीलंका में हिंसा की घटनाओं में दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि हुई। हमारा स्पष्ट विचार है कि नस्ली विवादों का समाधान सैन्य बल नहीं कर सकता। यह जरूरी है कि एक संगठित श्रीलंका की संरचना के भीतर बातचीत करके एक ऐसा राजनीतिक हल खोजा जाए जो समाज के हर वर्ग को स्वीकार्य हो। हम अफगानिस्तान की, इसके पुनर्निर्माण में और एक बहुलवादी और

समृद्ध समाज के निर्माण में जो भी मदद कर सकते हैं, करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और एक अच्छे पड़ोसी के संबंधों के लिए वचनबद्ध हैं। एक स्थिर, संपन्न और आंतरिक शांति संपन्न पाकिस्तान में हमारे पूरे क्षेत्र की भलाई है। जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, हम आपसी विश्वास पैदा करने और लंबित विवादों को आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ वार्ता-प्रक्रिया पुनः आरंभ करेंगे। हम आशा करते हैं कि म्यांमार में चल रही राष्ट्रीय मेल-मिलाप और राजनीतिक सुधार प्रक्रिया और इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने की आवश्यकता की पहचान, इसे और समावेशी बनाएगी ताकि वहां शान्तिपूर्ण और स्थिर लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित हो सके।

भारत, चीन लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसके साथ हमारी शान्ति और समृद्धि के लिए कार्यनीतिक और सहकारी साझेदारी है, के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को उच्च महत्व देता है। गत माह प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान 21वीं सदी के लिए साझी दृष्टि पर हस्ताक्षर होने से यह साझेदारी और व्यापक बनी है और इसे वैश्विक विस्तार मिला है। चीन के साथ हमारी सीमा पर शान्ति और अमन-चैन बना हुआ है और दोनों देश इसे बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं।

मेरी सरकार ने विश्व की बड़ी ताकतों के साथ हमारे संबंधों में तेजी से सुधार किए हैं। विगत कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है और अब ये उच्च प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कृषि, शिक्षा और व्यापार तथा अन्य संपर्कों सहित अनेक क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य मित्र देशों के साथ असैन्य नाभिकीय सहयोग संभव होगा। सरकार रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी मित्रता को और आगे विकसित करने पर काम कर रही है। नवम्बर, 2007 में प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा से रूस के साथ हमारी सामरिक साझेदारी और सुदृढ़ हुई है। हम यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ अलग-अलग और सामूहिक रूप से अपने संबंधों को महत्व देते हैं। 8वां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन-नवम्बर, 2007 में नई दिल्ली में हुआ था। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया और फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे।

सरकार ने नवम्बर, 2007 में सिंगापुर में आसियान-भारत और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेकर अपनी 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत जापान के साथ अपनी साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए निरन्तर काम कर रहा है। अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों को अक्तूबर, 2007 में प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा और 2007 में ब्राजील और मैक्सिको के राष्ट्रपतियों की भारत यात्राओं से और बल मिला है। अक्तूबर, 2007

में प्रिटोरिया में हुए दूसरे आईबीएसए शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। भारत इस वर्ष अप्रैल में पहले भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

हमने खाड़ी क्षेत्र, जो कि 45 लाख से अधिक भारतीयों का घर है और एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझीदार है और हमारे तेल और गैस आयात का एक प्रमुख स्रोत है, के देशों के साथ अपने आपसी तालमेल का काफी विस्तार किया है। पश्चिमी एशिया के देशों के भारत के साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध हैं और वे हमारे बढ़े हुए पड़ोस का हिस्सा हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में होने वाली हलचलों से हमारे हितों और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। भारत इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इन देशों के साथ सहयोग करना चाहता है। सरकार इराक में हो रही घटनाओं पर नजर रखे हुए है और आशा करती है कि इराक में शीघ्र ही शान्ति और स्थिरता बहाल होगी। सरकार ने नए सिरे से शुरू हुई इजराइली-फिलिस्तीनी वार्ता का भी समर्थन किया है और यह अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्ण तरीके से रहते हुए एक स्वतन्त्र फिलिस्तीनी राष्ट्र बनने से सम्बन्धित मुद्दों के शान्तिपूर्ण समाधान की आशा करती है। यह दुःख की बात है कि गाजा और वैस्ट बैंक में हुई हाल की घटनाओं ने फिलिस्तीन की जनता को दयनीय कष्ट तथा तंगहाली में डाल दिया है। भारत फिलिस्तीनी जनता को अतिरिक्त सहायता देगा और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद के लिए तैयार है।

भारत अपने दूरवर्ती पड़ोसी के केंद्रीय एशियाई देशों के साथ ही सहयोग का दायरा बढ़ाने के लिए संबंध विकसित कर रहा है। एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत ने क्रमशः अगस्त और नवम्बर, 2007 में हुई शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार-प्रमुखों की बैठकों में भाग लिया। भारत-रूस-चीन के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय वार्ता भी काफी फलदायी हो रही है।

जैसा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना में व्यक्त किया गया है, भारत सार्वभौमिक, गैर-विभेदकारी और व्यापक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए अभी भी वचनबद्ध है तथा हमने सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण, विशेष रूप से नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए नए सिरे से आवाज उठाई है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रतिवर्ष महात्मा गांधी की जयन्ती को अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे आम सहमति से स्वीकार कर लिया गया था। पहला अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 अक्तूबर, 2007 को मनाया गया।

सरकार ने व्यापार वार्ताओं के विश्व व्यापार संगठन के दोहा विकास दौर में एक रचनात्मक भूमिका निभायी है और हमारे विकास के लिए बेहतर विदेशी आर्थिक

वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझीदारों और क्षेत्रीय समूहों के साथ व्यापार और आर्थिक साझीदारी के करार करने के लिए वार्ताओं को आगे बढ़ाया है। भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार पर वार्ताओं को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। भारत ने आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम किया।

माननीय सदस्यगण, भारत प्रगति कर रहा है। हमारे युवाओं में कुछ कर गुजरने की ललक है और समाज के कमजोर वर्गों की कुछ आकांक्षाएं हैं। हमारे सामने बाह्य और घरेलू खतरों के बावजूद विकास प्रक्रिया को बनाए रखने की चुनौती है। भारत के लोगों में सार्वभौमिक विकास को ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है। मेरी सरकार विवेकपूर्ण और ठोस आर्थिक प्रबंधन के द्वारा ऐतिहासिक रूप से उच्च वृद्धि दरों को लगातार बनाए हुए है। इससे विकास प्रक्रिया में स्थिरता और नीति में पूर्वसूचनीयता और पारदर्शिता आयी है। यह निवेश दर में वृद्धि और केंद्र तथा राज्य सरकारों, दोनों के कर राजस्व में आए उछाल से परिलक्षित होती है। आपका नेतृत्व हमारे लोगों की पूर्ण क्षमता को उजागर कर सकता है और हमारी विकास प्रक्रिया में स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि इस वर्ष संसद की कार्यवाही उद्देश्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और फलदायी होगी।

आज विश्व इस महान लोकतंत्र को, पहले से भी अधिक आशाओं और आकांक्षाओं से भरी नजरों से देख रहा है। एक स्वतंत्र समाज और एक खुली अर्थव्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत लाखों लोगों को गरीबी, अनभिज्ञता और बीमारी से मुक्ति दिलाने की हमारी क्षमता सदैव सार्वभौमिक महत्व की रही है। ऐसे समय में, जब लोकतांत्रिक जीवन असहिष्णुतावादी ताकतों के नए दबाव का सामना कर रहा है, बहुलवादी, पंथनिरपेक्ष और समावेशी लोकतंत्र के रूप में भारत की सफलता उन लाखों लोगों को आशा की नई किरण दिखाती है जो देशोन्माद, उग्रवाद के बढ़ने और पृथकता तथा घृणा की विचारधाराओं से चिंतित हैं।

माननीय सदस्यगण, आप में से प्रत्येक को यह याद रखना है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में, आप जो करते हैं, वह न केवल आपके अपने मतदाताओं, बल्कि हमारे सभी लोगों, और हमारे क्षेत्र तथा विश्व के कोने-कोने में शांति और स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों में नई आशाएं जगाता है। इसलिए, लोकतंत्र के इस प्रतिष्ठित सदन के भीतर जो आप कहते हैं और करते हैं, उसका प्रभाव न केवल हमारे लोगों की नियति पर, बल्कि लोकतंत्र और पूरे विश्व में स्वतंत्र समाज के भविष्य पर भी पड़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ आप सबको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 12 फरवरी 2009

लोक सभा	-	चौदहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत की राष्ट्रपति	-	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री सोमनाथ चटर्जी

माननीय सदस्यगण,

आपको और हमारी जनता को मेरी शुभकामनाएं। मैं, सबकी ओर से, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को शुभकामनाएं देती हूं। हमें इस बात की खुशी है कि आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। हम कामना करते हैं कि आप जल्द स्वस्थ हों और अपनी अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहने वाले हमारे सुरक्षा बलों के सदस्यों को भी मेरा विशेष अभिवादन। हम एक ऐसे संघर्षमय वर्ष से गुजरे हैं जिसने हमारी खुली अर्थव्यवस्था और खुले समाज को चुनौती दी। एक ऐसा वर्ष जिसने सामुदायिक सद्भावना, सहनशीलता, सहृदयता, न्याय और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के हमारे शाश्वत सिद्धांतों की अग्निपरीक्षा ली।

विगत को देखकर हम आशावान हैं। हमने न सिर्फ चुनौतियों का सामना किया है वरन उन पर काबू करते हुए और भी सशक्त हुए हैं। आम जनता में एकजुटता की भावना आने से हम देश के सामने आने वाली आतंकवादी हिंसा की चुनौती से उबर पाए हैं। हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए सुआकलित और बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक सुधार वैश्विक आर्थिक मंदी के अत्यंत प्रतिकूल प्रभावों से बचने में हमारी मदद कर रहे हैं।

इन दोनों विघटनकारी स्थितियों में लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति हमारी सतत प्रतिबद्धता ही हमारी ताकत रही है। हमारे आर्थिक सुधारों को हमारे विवेकशील लोकतंत्र के जरिए उत्प्रेरणा मिली है। हमारी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली के कारण ही हमारे राष्ट्रवाद के समक्ष आने वाली चुनौतियों को मुंह की खानी पड़ी। जम्मू और

कश्मीर की राज्य विधान सभा में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान के लिए भारी संख्या में उमड़ी जनता अपने-आप में लोकतंत्र के प्रति उनके विश्वास तथा आंतकवाद और हिंसा के प्रति उनके अविश्वास को दर्शाता है। ये चुनाव इस राज्य की जनता के लिए नई आशाएं लेकर आए हैं।

हमारे क्रियाशील लोकतंत्र ने मेरी सरकार के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए सटीक मानक निर्धारित किए हैं। जनता सरकार का मूल्यांकन उसके कथनों से न करके उसके कृत्यों से करती है। लोकतंत्र में सरकार का मूल्यांकन एक सरल सिद्धांत पर होता है—आम आदमी को क्या मिला? जब इस सरकार में लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष और प्रगतिशील शक्तियां साथ आईं तो इसने एक राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाकर अपने-आप को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया। आज लगभग पांच वर्ष सत्ता में रहते हुए मेरी सरकार का यह विश्वास है कि उसने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जरिए जनता से किए करीब-करीब सभी वादों पर अमल किया है।

मेरी सरकार द्वारा समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में की गई वचनबद्धता को कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों में साकार किया गया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के काम के अधिकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए सुनिश्चित किया गया। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 से 43 करोड़ असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना सुगम होगा। सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम से अपनी शासन-व्यवस्था के लिए नागरिकों के सामने जवाबदेह बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के जरिए जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों को भूमि-अधिकार प्रदान किए गए तथा उनके साथ अतीत में हुए अन्याय को समाप्त किया गया। केंद्रीय शैक्षिक संस्थाएं (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम ने शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है। शिक्षा के अधिकार पर विधेयक पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास पर एक नए विधेयक सहित भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक तथा लोक सभा एवं राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण मुहैया कराने वाला संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो अब पूरे देश में लागू है, पूरे विश्व में पहला ऐसा प्रयास है जहां किसी देश ने नागरिकों के किसी भी वर्ग को निश्चित दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी है। 2007-08 में, लगभग 3.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार मुहैया कराया गया। जिनको काम दिया गया, उनमें से 55 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के थे तथा

49 प्रतिशत महिलायें थीं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 46 लाख से अधिक काम प्रारंभ किए गए हैं जिनमें से 19 लाख काम पूरे कर लिए गए हैं। 2008-09 में 83 प्रतिशत काम जल संरक्षण, सिंचाई और भूमि विकास से संबंधित रहे जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। इस कार्यक्रम को पंचायतों के जरिए लागू करने से मूलभूत लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भुगतान डाकघरों और बैंक खातों के द्वारा किया जाता है और इस समय ऐसे लगभग 6 करोड़ खाताधारक हैं जिससे उनका वित्तीय व्यवस्था में शामिल होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। गरीबों को उपभोग खर्च मुहैया कराने और उसके साथ-साथ ग्रामीण उत्पादकता और आमदनी बेहतर बनाने के दोनों उद्देश्यों को जोड़ने वाले इस कार्यक्रम को एक भारतीय नवप्रयोग के रूप में पूरे विश्व में ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में, इस कार्यक्रम के परिणामों से पता चलता है कि पूरे देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, प्रवास में कमी आई है तथा खेती संबंधी रोजगार की मजदूरी दरों में भी वृद्धि हुई है। जब भारत गणतंत्र के साठवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है ऐसे समय में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत को एक कार्यशील गणतंत्र की ओर ले जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के साथ-साथ, प्रारम्भ की गई आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा संशोधित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, जो अब गरीबी रेखा से नीचे के सभी बुजुर्गों तक पहुंचा दी गई है, के द्वारा सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और सुदृढ़ बनाया गया है।

मेरी सरकार ने कृषि, जिस पर हमारी जनसंख्या का 60 प्रतिशत हिस्सा निर्भर है, के पुनरुद्धार के द्वारा ग्रामीण भारत को एक नई व्यवस्था देने का वचन दिया था। कृषि क्षेत्र में सावधानीपूर्वक तैयार की गई नीतियों द्वारा हम निम्न निवेश, निम्न उत्पादकता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के फंदे से कृषि अर्थव्यवस्था को उबारने में सफल रहे हैं। मेरी सरकार ने कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को 2003-04 में 87,000 करोड़ रु. से 2007-08 में 2,43,000 करोड़ रु. तक तीन गुना बढ़ा दिया है। लघु-अवधि कृषि ऋण के ब्याज को सरकारी सहायता के जरिए 7 प्रतिशत की वहन करने योग्य दर पर ला दिया गया है। मेरी सरकार ने बुरे वक्त के शिकार 3.7 करोड़ किसानों के ऋण चक्र को पुन:व्यवस्थित करने के लिए उन पर लगभग 65,000 करोड़ रु. के बकाया कर्ज को माफ कर दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को लाभकारी मूल्य दिए गए। इसके तहत गेहूं के लिए 2004 में न्यूनतम समर्थन मूल्य को 630 रु. से बढ़ाकर 2009 में 1080 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया तथा धान के लिए 2004 में 550 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2008 में बोनस सहित 900 रु. कर दिया गया। कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियमों में संशोधन से एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के प्रयास फलीभूत होने लगे हैं। कृषि में निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा कृषि विविधता को बढ़ावा दिया गया तथा शुष्क भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई। उत्पादन तथा फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रु. के आवंटन के साथ एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 4,822 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की गई। एक विशेष पैकेज के द्वारा संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया। बागान फसलों को उगाने वाले किसानों को भी एक विशेष पैकेज दिया गया। मेरी सरकार ने सुनिश्चित किया कि विश्व व्यापार संगठन में दीर्घकालिक वार्ताओं में हमारे किसानों के हितों को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाए।

उर्वरक हमारे किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रसायनों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण उर्वरकों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। फिर भी मेरी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में एक बार भी उर्वरकों की कीमतें नहीं बढ़ाईं। साथ ही भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में उर्वरक इकाइयों में निवेश से उचित कीमतों पर विदेशों से उर्वरक की सुरक्षित आपूर्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रयोजन हेतु उर्वरक विदेश लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम को भी निगमित किया गया है।

इन सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप, इस वर्ष कृषि क्षेत्र 4.5 प्रतिशत बढ़ा है। 2004 से 2008 के बीच लगभग सभी फसलों में उत्पादन बढ़ा है। गेहूं के संबंध में, यह 2004 में 68 मिलियन टन से बढ़कर 2008 में 78 मिलियन टन हो गया, धान के मामले में, यह 2004 में 83 मिलियन टन से बढ़कर 2008 में 96 मिलियन टन हो गया, कपास के मामले में यह 2004 में 164 लाख गांठों से बढ़कर 2008 में 258 लाख गांठ हो गया तथा सोयाबीन के मामले में 2004 में 68 लाख टन से बढ़कर 2008 में 99 लाख टन हो गया। फार्मर-फस्ट पॉलिसी के माध्यम से देश 2007-08 में 230.67 मिलियन टन खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन को प्राप्त करने तथा खाद्य सुनिश्चित करने में समर्थ रहा है।

गांवों में आधारभूत सुविधाओं की कमी होने से फार्म और ग्रामीण गैर-फार्म रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। ग्रामीण आधारभूत संरचना हेतु हमारी समयबद्ध योजना भारत निर्माण के द्वारा इस समस्या को समयबद्ध रूप से हल किया गया। भारत निर्माण के अंतर्गत 5.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। सामुदायिक स्तर पर जल सुरक्षा में वृद्धि के लिए मेरी सरकार ने जल-निकायों की मरम्मत, पुनर्नवीकरण तथा पुनरुद्धार के लिए एक वृहत कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इसी के साथ-साथ 14 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में हाथ में लिया गया है तथा

उन्हें भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान सहायता मिल रही है। राज्यों के साथ सहमति के जरिए, केन-बेतवा, पार-तापी-नर्मदा और दमन गंगा-पिंजल जैसी नदी-संयोजन परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं।

ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए 25,000 गांवों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन 50,000 से अधिक गांवों को बिजली उपलब्ध कराई जा चुकी है। आज हमारे 98 प्रतिशत गांवों में टेलीफोन कनेक्टिविटी है और ग्रामीण भारत में मोबाइल टेलीफोनी तेजी से फैल रही है। भारत निर्माण के इंदिरा आवास योजना घटक के अधीन 60 लाख घर बनाए जाने थे जो लक्ष्य पहले ही प्राप्त किया जा चुका है तथा 16 लाख और घर निर्माणाधीन हैं। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जलापूर्ति का विस्तार और इसके लिए मुहैया निधि में भी काफी वृद्धि की गयी है। भारत निर्माण ने ग्रामीण भारत को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाने तथा इसकी क्षमता के खुलकर साकार होने में मदद की है।

पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का अभाव ग्रामीण निर्धनता का एक मुख्य कारण रहा है। मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। यह मिशन गांवों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं में आमूल परिवर्तन ला रहा है। ग्रामीण परिवारों की मूलभूत स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 लाख से अधिक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अथवा 'आशा' का एक वृहत नेटवर्क तैयार किया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को भी काफी सुदृढ़ किया गया है। इन प्रयासों की सफलता इस सच्चाई से परिलक्षित होती है कि जब से मिशन ने अपना कार्य प्रारम्भ किया है तब से संस्थागत प्रसूति सात गुना बढ़ गई है और इससे मातृ और नवजात मृत्यु दर में भी कमी आई है। अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण, पूर्ण स्वच्छता के लिए चलाए गए अभियान ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है और इसका विस्तार-क्षेत्र 2004 में 27 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष जनवरी तक 60 प्रतिशत हो गया है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के जरिए स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिला है। 17,969 पंचायतों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए और सिक्किम देश का प्रथम निर्मल राज्य बन गया है। चिकित्सीय अनुसंधान तथा एड्स नियंत्रण के लिए पृथक विभाग बनाए गए हैं और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकार चुनिंदा बड़े शहरों से शुरू करके शहरी गरीबों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर फोकस करने के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन बनाने पर विचार कर रही है।

औषधियां और औषध निर्माण स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार ने एक पृथक औषध निर्माण विभाग बनाया है तथा आवश्यक और प्राणरक्षक औषधियों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण थोक औषधि फॉर्मूलेशन्स तथा एंटीबॉयोटिक्स के विनिर्माण के लिए स्थापित किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुत्थान किया गया है। औषध निर्माण में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छह स्थानों पर राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है।

प्रारम्भिक शिक्षा में शैक्षिक सुविधाओं की कमी को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा लगभग हर जगह उपलब्ध है, अब फोकस गुणता को बढ़ाने पर है। विद्यालय में प्रवेश की संख्या 2004 में 15.6 करोड़ बच्चों से बढ़कर 2008 में 18.5 करोड़ हो गई। विद्यालय में प्रवेश न लेने वाले बच्चों की संख्या 2004 में 320 लाख से कम होकर 2008 में 76 लाख रह गई। मेरी सरकार द्वारा बच्चों को स्कूलों में रोके रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में लागू किए गए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पिछले वर्ष 15 करोड़ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों को दी गई सहायता से 8 लाख से अधिक अध्यापक भर्ती किए गए। प्रारम्भिक शिक्षा के लगभग सर्वव्यापक होने की वजह से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए एक उतने ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की है और 6 हजार मॉडल स्कूलों को गुणता के प्रतीकों के रूप में देश भर में स्थापित भी किया जा रहा है।

सरकार सूक्ष्म वित्तपोषण द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण पर ध्यान देती रही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। स्थापित किए गए लगभग 31 लाख स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों में से दो-तिहाई महिलायें हैं। मेरी सरकार तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राज्यपालों की समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

नवजात शिशुओं और छः वर्ष से कम आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम को सर्वव्यापक बनाने के लिए अत्यंत उच्च प्राथमिकता दी गई है और लगभग 11 लाख बस्तियों को अब इसमें शामिल किया जा चुका है। इसमें शामिल बच्चों की संख्या विगत चार वर्षों में दुगुनी हो गई है और लगभग 8 करोड़ बच्चे और माताएं अब पूरक आहार प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की है।

मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों जैसे विशिष्ट वर्गों को लक्षित करने वाले कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक समावेशिता को सुदृढ़ बनाया गया है। शिक्षा ही इन वर्गों के सशक्तीकरण की कुंजी है। मापदण्डों का पुनरीक्षण करते हुए चालू छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को काफी बढ़ाया गया है। प्रतिवर्ष लगभग 6.5 लाख विद्यार्थी, मुख्यतया सफाई कर्मचारियों के परिवारों के विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लगभग 10.50 लाख विद्यार्थियों और अनुसूचित जातियों के 35 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां अन्य पिछड़े वर्गों के 25 लाख विद्यार्थियों को दी जाएंगी। इन वर्गों के लिए विभिन्न नई छात्रवृत्ति स्कीमों की भी स्थापना की गई है। राजीव गांधी अध्येतावृत्ति कार्यक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को एम. फिल. और डॉक्टरेट स्तरों पर अनुसंधान अध्ययन करने में सहायता करता है। प्रतिवर्ष 3 नई छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के औसतन 8 लाख विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे। प्रतिवर्ष बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 11 लाख छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। प्रतिवर्ष विज्ञान के लिए प्रतिभाओं की शीघ्र खोज स्कीम के अंतर्गत 2 लाख छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक अन्य छात्रवृत्ति स्कीम प्रतिवर्ष 82,000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगी। इन सभी स्कीमों के जरिए अब प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिलने लगेंगी। पहली बार, मेरी सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया।

अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक समावेश को और मजबूत बनाने के लिए मेरी सरकार ने एक नया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। सरकार द्वारा गठित सच्चर समिति ने मुस्लिमों की स्थिति का सम्मेकित रूप में जायजा लिया ताकि सरकार विकास में आई सापेक्ष कमियों को पूरा करने में समर्थ हो सके।

सरकार द्वारा की गई पहलों से इस वर्ष अल्पसंख्यक समुदायों के लगभग 8 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। अगले 4 वर्षों के दौरान यह संख्या लगभग 40 लाख विद्यार्थियों तक पहुंच जायेगी। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 10 हजार से अधिक नए प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया गया है। अल्संख्यक समुदायों के उद्यमियों को स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई गई है। 2008-09 के दौरान अल्पसंख्यकों को इंदिरा आवास योजना के अधीन 2.39 लाख घर आबंटित किए गए हैं। अल्पसंख्यकों को ऋण की उपलब्धता तीव्रता से बढ़ी है और आशा है कि यह बढ़कर 15 प्रतिशत

तक पहुंच जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 500 से अधिक शाखाएं खोली हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विकास अंतरालों को पाटने की दृष्टि से देश के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में एक बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। सार्वजनिक सेवाओं, अर्द्धसैनिक बलों, रेलवे, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व विगत दो वर्षों में काफी बढ़ा है।

समाज में विकलांगों की आवश्यकताएं किसी भी सरकार के लिए एक विशेष चिंता का विषय होना चाहिए। इस वर्ग के लोगों के सम्मुख आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर मेरी सरकार ने विकलांगों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है जिसे अब लागू किया जा रहा है। विकलांगों के लिए विशेष विद्यालयों के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय, विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था करेंगे। सार्वजनिक सेवाओं में विकलांगों के लिए रोजगार के प्रावधान को अखिल भारतीय सेवाओं में भी लागू किया गया।

जब मेरी सरकार सत्ता में आई तो देश के कई हिस्सों में बुनकरों की तंगहाली चिन्ताजनक थी। एक समेकित पैकेज जिसमें प्रौद्योगिकी, ऋण एवं विपणन सहायता के प्रावधान के साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा भी है, बुनकरों को प्रदान किया गया। समूह-आधारित विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। वस्त्र उन्नयन निधि स्कीम के अन्तर्गत पोस्ट-कोटा तंत्र से लाभ उठाने के लिए वस्त्र उद्योग को आधुनिक बनाया गया है।

हमारे युवाओं को अपेक्षित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योग और सेवाओं में तीव्र वृद्धि अनिवार्य है। मेरी सरकार ने ऐसी समुचित नीतियां बनाई हैं जिनसे विकास और रोजगार अवसरों को बढ़ावा मिला है। विशेषकर मेरी सरकार ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम बनाया है जिसने पहले ही 90 हजार करोड़ रु. के वर्तमान निवेश को सुगम बनाया है और 7 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार उत्पन्न किए हैं। मेरी सरकार ने दिल्ली और मुंबई के बीच डैडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरीडोर के साथ-साथ एक औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने के लिए दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) गठित किया है। प्रस्तावित प्रौद्योगिक कॉरीडोर देश के छह राज्यों से गुजरेगा तथा संबंधित राज्यों के परामर्श से विनिर्दिष्ट स्थानों पर अवसंरचना सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मेरी सरकार पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्र में निवेश क्षेत्रों के विकास के जरिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र बनाने की दिशा में काफी प्रगति हुई है।

भारत युवाओं का राष्ट्र है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को तभी साकार किया जा सकेगा जब देश हमारे युवा वर्ग को नियोजनीय बनाने के लिए दक्षता विकसित करने हेतु निवेश करेगा। यदि कौशल विकास में योजनाबद्ध तरीके से निवेश किया जाए तो देश जब अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा अर्थात् 2022 में भारत के पास विश्व का एक-चौथाई कार्य बल होगा। मेरी सरकार ने कौशल विकास को प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् के माध्यम से कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई शुरू की है। कौशल विकास के लिए सरकारी और निजी स्रोतों को सहक्रियात्मक बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड और निजी क्षेत्र की अगुवाई में कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भी गठित किए गए हैं।

नई ज्ञान अर्थव्यवस्था में अपनी सक्षमता को पूर्ण रूप से समझते हुए भारत चाहता है कि ऐसे संस्थान बनाए जाएं जो रचनात्मकता और नवसृजनात्मकता को प्रोत्साहन देते हों। यह नेहरूवादी दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि हमारी आजादी के शुरुआती दशकों में स्थापित किए गए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने सॉफ्टवेयर विकास में शताब्दी के अंत तक भारत को विश्व-शक्ति के रूप में उभारा है। मेरी सरकार ने 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 भारतीय प्रबंधन संस्थान, 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और 15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करके उच्चतर शिक्षा में निवेश की दूसरी लहर चलाई है। ग्यारहवीं योजना का मुख्य केंद्र-बिन्दु है ज्ञान में निवेश करना और इसके लिए आबंटनों को बढ़ाकर चार गुना किया गया है। भारत ज्ञान को एक ऐसे सामरिक संसाधन के रूप में देखता है जो उसे नेतृत्व का दर्जा दिलाएगा। इस तरह इस निवेश से संभावित उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। मेरी सरकार ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रतिभा को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमानों की मूलतः पुनर्रचना की है।

मेरी सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ज्ञान संसाधनों का विकास करने एवं उनके आदान-प्रदान के लिए उपयोगी इनपुट्स प्रदान कर रहा है। इसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, प्रमुख राष्ट्रीय ज्ञान संस्थाओं को जोड़कर एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है और इसका प्रथम चरण शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा।

मेरी सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें एक नए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सृजन, एक नई मानचित्र नीति का ऐलान, विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्स्पायर कार्यक्रम का प्रारंभ तथा नेशनल स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना प्रमुख हैं। जैव-प्रौद्योगिकी के उदीयमान क्षेत्र में 35 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और आम आदमी

के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्यरक्षक टीकों तथा कृषि के लिए नए बीजों के विकास को अनुसंधान से सहायता मिली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नैनोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स या जेनोमिक्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए सरकार ने खुला स्रोत औषधि खोज कार्यक्रम एवं सीएसआईआर परियोजना 800 जैसी पहलों से सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए विशेष प्रयास भी प्रारंभ किए हैं।

हमारे वैज्ञानिकों ने बार-बार यह दर्शाया है कि उनमें विश्व में सर्वोत्तम बनने की क्षमता है। नवंबर, 2008 में चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया जाना विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारी प्रतिभा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसने भारत का प्रवेश उन चुनिंदा देशों के समूह में करा दिया है जिन्होंने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर मिशन भेजे हैं। भारत ने सफलतापूर्वक अठारह मिशन पूरे किए हैं जिनमें आठ प्रक्षेपण यान मिशन और पीएसएलवी और जीएसएलवी द्वारा छोड़े गए आठ उपग्रह शामिल हैं। हमारे उपग्रहों से प्राप्त होने वाले डाटा को बड़े पैमाने पर भूमि और जल संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण की मॉनीटरिंग और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है और इसका विदेश में वाणिज्यिक आधार पर सफलतापूर्वक विपणन किया जा रहा है।

सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने में सूचना का अधिकार अधिनियम का सकारात्मक प्रभाव रहा है और जनता में इसका व्यापक स्वागत हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से हमारे प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली को नवीनतम बनाने के अवसर प्रदान करती है। मेरी सरकार ने गांवों में सेवाएं मुहैया कराने वाले एक लाख सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। इनमें से 25,000 केन्द्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। नागरिकों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याएं बनाने और प्रदान करने हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण गठित किया गया है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से और साथ ही विकास और कल्याण योजनाओं को लागू करने में भी महत्वपूर्ण है।

मेरी सरकार का विश्वास है कि पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विकेन्द्रीकृत शासन की सेवाओं को मुहैया कराने की प्रक्रिया में सुधार कर सकता है और समावेशी विकास को बनाए रख सकता है। केन्द्रीय स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना से पंचायती संस्थाओं को निधियां मुहैया कराने, काम सौंपने तथा कार्यकर्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी आई है। राज्य और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने से विकेन्द्रीकृत शासन की संरचना को सुदृढ़ बनाया गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उपयोग जिला योजना को संस्थागत बनाने के लिए किया गया है। पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर विकास गतिविधियों को नेतृत्व कर रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने

शासन में सुधार के लिए व्यापक सिफारिशें की हैं जिनमें से कई सिफारिशें विकेन्द्रीकरण से संबंधित हैं।

हमारी जनता को शीघ्र और वहनीय न्याय दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका की कार्य प्रणाली को सरल बनाया जाए। मेरी सरकार ने न्याय प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् स्थापित करने हेतु एक विधेयक पेश किया है। इसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करने के प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए इन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। मेरी सरकार ने जनता को घर के समीप न्याय मुहैया कराने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम बनाया है।

यह जानते हुए कि भारत के शहर और छोटे कस्बे आर्थिक विकास का एक मुख्य अंग हैं तथापि इनमें नगरीय सुविधाओं और सेवाओं का गहन अभाव है, मेरी सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन प्रारम्भ किया। यह मिशन हमारे शहरी क्षेत्रों के नवीकरण के लिए पहला प्रमुख प्रयास है। इस मिशन के अन्तर्गत शामिल किए गए 63 शहरों में से 61 शहरों में 40 हजार करोड़ रु. से अधिक की लागत की ऐसी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं जो शहरी विकास योजनाओं पर आधारित हैं। इसके मूलभूत सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों की पहुंच के अंदर आने वाले 11.7 लाख सस्ते मकानों का निर्माण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लिए आवासों को बढ़ावा देने के लिए आवास ऋणों पर 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी गई है। मेरी सरकार ने एक शहरी परिवहन नीति प्रारम्भ की जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो का विस्तार गुड़गांव और नोएडा तक किया जा रहा है और कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में शहरी रेल प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया है। राज्यों को अपने शहरी परिवहन सिस्टम के लिए बसें खरीदने हेतु निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

मेरी सरकार ने पहली बार एक एकीकृत ऊर्जा नीति की घोषणा की। यह नीति ऊर्जा के विभिन्न ईंधनों और तरीकों का प्रयोग करते हुए कारगर, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए मार्गदर्शी होगी। यह नीति न केवल ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि एक ऐसा समूचा ढांचा मुहैया कराती है जो समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक है।

देश में कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मेरी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में इसका उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी और निजी विद्युत, सीमेंट और स्पंज लोहा कंपनियों को कैप्टिव उपयोग के लिए लगभग 40 बिलियन टन के भंडार वाले 158 कोयला ब्लॉक आबंटित किए हैं। एक नई कोयला वितरण नीति बनाई गई है और सभी को कोयला उपलब्ध कराने के लिए ई-नीलामी शुरू की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड को तीव्रता से परियोजना कार्यान्वित करने के लिए नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है जिससे प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा कोयला खंडों का पारदर्शी आबंटन किया जा सके। देश में तरल ईंधन की तीव्रता से बढ़ रही आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोल-टू-लिक्विड परियोजना शुरू की जा रही है। स्रोत राज्यों के लिए बेहतर राजस्व सुनिश्चित करने के लिए कोयला और लिग्नाईट की रॉयल्टी की दरों में काफी बढ़ोतरी की गई है।

मेरी सरकार ने खनिज स्रोत राज्यों की आवश्यकताओं और इनकी अति संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्वेक्षण स्थलों और खनन हेतु एक बड़े निवेश को आकर्षित करने और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के लिए एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति तैयार की है।

पिछले चार वर्षों के दौरान तेल और गैस के लिए 112 खोजें की गई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अति गहरे जल क्षेत्रों में गैस की पहली बार की गई खोज। रिफाइनिंग क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और हमारे पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात 2004-05 में 6.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से चार गुना बढ़कर 2007-08 में 26.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या को शामिल करते हुए 300 लाख से अधिक नए ग्राहकों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं और निम्न आय वाले ग्राहकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेण्डर आरम्भ किए गए हैं। सरकार ने ग्राहकों और पेट्रोलियम कम्पनियों के हितों की रक्षा के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड गठित किया है। पेट्रोलियम और ऊर्जा सेक्टरों में अध्ययनों और अनुसंधान के लिए राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है।

पर्यावरण के अनुकूल सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहित 4,000 मेगावाट की क्षमता वाले कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों (यूएमपीपी) के विकास के लिए एक प्रमुख पहल की गई है। तीन परियोजनाएं अर्थात् 2007 में मध्य प्रदेश में सासान, 2007 में गुजरात में मुंद्रा और 2008 में आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम पहले ही सफल बोलीदाताओं को सौंप दी गई हैं और क्रियान्वयन चरण में हैं।

प्रारम्भ की गई नई जल-विद्युत नीति, 2008 का लक्ष्य निजी विकासकर्ताओं को समान स्तर मुहैया कराना है। इस योजना में, मेजबान राज्य को वर्तमान 12 प्रतिशत

मुफ्त बिजली के अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रतिशत बिजली मुफ्त देने पर विचार किया गया है। परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना के प्रारम्भ होने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को संगत वितरण कंपनी के द्वारा 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुहैया कराई जाएगी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए संशोधित निबंधन और शर्तों और 51,577 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की पुनर्संरचना की गई है। इस कार्यक्रम का फोकस चयनित शहरी क्षेत्रों में वास्तविक प्रदर्शनीय कार्य निष्पादन द्वारा नुकसान को कम करने पर है।

मेरी सरकार ने समग्र ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने पर जोर दिया है। 1300 एमडब्ल्यूई की कुल क्षमता वाली तीन नाभिकीय विद्युत इकाइयों को ऑनलाइन किया गया है। 3160 एमडब्ल्यूई की कुल क्षमता वाली छह और नाभिकीय विद्युत इकाइयां निर्माण की उन्नत अवस्था में हैं। हम तीन चरणों के नाभिकीय विकास कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध हैं जिससे ऊर्जा उत्पादन के लिए थोरियम का बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकेगा। नाभिकीय ऊर्जा के विकास के हमारे दीर्घकालीन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कई नई प्रौद्योगिकियों, जिनमें उन्नत भारी जल रिएक्टर, उच्च ताप वाले रिएक्टर और त्वरित चालित सिस्टम शामिल हैं, का विकास किया जा रहा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आधारभूत संरचना में कुल वार्षिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने का है। इससे हमारे देश में आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। देश की औद्योगिक प्रगति काफी हद तक उसके द्वारा उत्पादित इस्पात की मात्रा पर निर्भर करती है। भारत अब विश्व में कच्चा इस्पात पैदा करने वाला पांचवां सबसे बड़ा देश है और आशा है कि वह 2015 तक इस्पात पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य अपने इस्पात उद्योग का विकास करने के लिए बड़े निवेश प्राप्त कर रहे हैं।

मेरी सरकार ने हमारे देश में सड़कों का नेटवर्क बढ़ाया है और राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार किया है। सरकार ने लगभग 34,000 किलोमीटर की कुल लम्बाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नत बनाने के लिए 2,36,000 करोड़ रु. का निवेश करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। चार महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज लगभग पूरा होने वाला है। आशा है कि उत्तर-दक्षिण और पूर्ण-पश्चिम कॉरीडोर अगले वर्ष के दौरान पूरे हो जाएंगे।

भारतीय रेल ने पिछले चार वर्षों में अपनी कार्यकुशलता और उन्नत सेवाओं के माध्यम से लगातार रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया। रेलवे ने नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाया है। रेल संपत्ति को सुरक्षित रखने और यात्रियों की रक्षा के लिए राज्यों के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए रेल सुरक्षा बल का गठन संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया है। माल यातायात को ढोने की क्षमता को बढ़ाने के लिए पूर्वी रूट पर कोलकाता और लुधियाना के बीच और पश्चिमी रूट पर मुंबई और दादरी के बीच एक डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम ने पहले ही इस परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया है। यह परियोजना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए 28,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 2700 किलोमीटर लम्बी रेल पटरी का निर्माण करेगी।

नागर विमानन सेक्टर का विस्तार और बढ़ रहा हवाई यातायात भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के बोधक हैं। हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 2004 में लगभग 5.7 करोड़ थी जो लगभग दोगुनी होकर 2008 में लगभग 11 करोड़ हो गयी। विमानपत्तन आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाया जा रहा है। हैदराबाद और बेंगलुरू में विश्वस्तरीय हवाई अड्डे बनाए गए हैं जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कार्य प्रगति पर है। साथ ही, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 35 नॉन–मेट्रो विमानपत्तनों को उन्नत बनाया जा रहा है। संसद द्वारा विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम पारित कर दिया गया है।

मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि वहनीय दूरसंचार सेवाओं की पहुंच में काफी विस्तार किया जाए। मेरी सरकार ने कानूनों में संशोधन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का तेजी से विस्तार किया है। यह विस्तार ऐसी सेवाओं के लिए निर्मित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से सम्भव हुआ है। आज, हरेक तीन व्यक्तियों पर एक फोन कनेक्शन है और लक्ष्य 2010 तक 50 करोड़ कनेक्शन मुहैया कराने का है। मेरी सरकार द्वारा 2004 में शुरू की गई ब्रॉडबैंड पॉलिसी से ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या अति निम्न स्तर से बढ़कर 53 लाख से अधिक हो गयी है।

आर्थिक विकास की नीतियों पर कार्रवाई करते हुए मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पर्यावरण और विकास की चिंताओं में न्यायोचित संतुलन रखने के लिए एक नई पर्यावरण नीति और एक जैव–विविधता कार्य योजना चालू की गई है। हमारे पेड़–पौधों और जीव–जंतुओं को बचाव की आवश्यकता है और मेरी सरकार ने भारतीय बाघ और साथ ही वन्य जीवों की अन्य सभी प्रजातियों को बचाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। हमारी महान नदियां भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। मेरी सरकार ने उजड़े वनों

की 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फिर से वन लगाने संबंधी एक हरित भारत मिशन बनाया है। यह संसार के सबसे बड़े वनीकरण प्रयासों में से एक है। इस कार्यक्रम के लिए संसाधनों का पता लगाने वाला एक प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक संसद में विचाराधीन है। सभी भारतीयों के दिलों में गंगा नदी का एक विशेष स्थान है। पिछले कई वर्षों से यह महसूस किया जाता रहा है कि गंगा पर सम्पूर्णता से ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए शहर विनिर्दिष्ट प्रदूषण में कमी लाने की गतिविधियों के बजाय एक व्यापक बेसिन विकास योजना बनाई जाए। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जिसमें गंगा नदी बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, को गठित करने की शुरुआत की है जिससे गंगा नदी के पुनरुद्धार और उसके प्रचुर लाभों के उपयोग के लिए व्यापक योजना बनाई जा सके।

मेरी सरकार ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा समझौता में वर्णित इस स्थिति को कायम रखने में दृढ़ता से विश्वास रखता है कि साझा वरन् विभेदीकृत उत्तरदायित्व का सिद्धांत ही अलग-अलग देशों की प्रतिक्रियाएं निर्धारित करे। भारत ने पहले ही स्वैच्छिक रूप से यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कभी भी विकसित देशों के औसत उत्सर्जन से अधिक नहीं होगा। मेरी सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मिशन देश को सामूहिक रूप से सतत् विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। सौर ऊर्जा को काम में लाने वाला राष्ट्रीय सौर मिशन इन आठ मिशनों में से एक है। धारणीय पर्यावास संबंधी मिशन भविष्य में होने वाले निर्माण कार्यों को दिशा-निर्देशित करने के लिए हरित मानक स्थापित करेगा। इन महत्वपूर्ण मिशनों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव का हल निकालने के लिए महाराष्ट्र के बारामती में आबायोटिक स्ट्रैस मैनेजमेंट संबंधी एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

मेरी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा क्षेत्र में इसके भाग को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। भारत ने 13,740 मेगावाट वाली ग्रिड संयोजित नवीकरणीय विद्युत क्षमता को प्राप्त किया। ग्यारहवीं योजना में 14,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य है।

संसार भारत की संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। देश में बड़ी संख्या में उपलब्ध सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता और साथ ही व्यावसायिक नेतृत्व की आवश्यकता है। मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को बदलने का निर्णय लिया है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र के व्यवसायी ही

सांस्कृतिक संस्थाओं के अध्यक्ष चुने जाएं। सरकार ने कन्नड़ और तेलुगु को क्लासिकी भाषा के रूप में घोषित किया है जबकि तमिल और संस्कृत भाषाएं पहले से ही क्लासिकी भाषाएं घोषित हैं। सरकार इनके विकास से संबंधित क्रियाकलापों के लिए सहायता भी मुहैया कराएगी। 2 अक्तूबर को "अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस" के रूप में मनाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सफलतापूर्वक एक संकल्प पेश किया जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। देश ने पिछले चार वर्षों के दौरान श्री गुरुग्रंथ साहिब की गुरुता गद्दी की 300वीं वर्षगांठ, महात्मा गांधी की अगुआई में दांडी मार्च की 75वीं वर्षगांठ, सत्याग्रह की शताब्दी, आजादी की पहली लड़ाई की 150वीं वर्षगांठ और भगवान बुद्ध के जन्म की 2550वीं वर्षगांठ मनाई। ये अवसर ऐसे हैं जो हमें विचार की अनेकता, सहिष्णुता, सहानुभूति और सत्य तथा स्वतंत्रता की तलाश को कायम रखने वाली हमारी सामाजिक संस्कृति की पुनः स्मृति कराते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानना हमारी संस्कृति का मूल आधार है और इस भारतीय सोच को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी प्रयास भारतीय होने की प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसे तत्वों से लड़ने और उन्हें पराजित करने की आवश्यकता है।

आर्थिक पुनरुत्थान का परिणाम यह रहा है कि भारत के लिए पर्यटन के अवसर बढ़े हैं। आवास, हवाई यात्रा और यात्रा सुविधाओं में सुधार लाने के संगठित प्रयासों के साथ-साथ 'अतुल्य भारत' और 'अतिथि देवो भव:' अभियान अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। विदेशी पर्यटकों का आगमन 2004 में 3.46 मिलियन से बढ़कर 2008 में 5.37 मिलियन हो गया। इसी अवधि में विदेशी मुद्रा का अर्जन 6.17 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 11.75 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

भारत 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। मेरी सरकार इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 678 करोड़ रु. की योजना के अन्तर्गत भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापक और गहन खेल प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर मुहैया कराया जाएगा। ग्रामों तथा ब्लॉक पंचायतों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत खेल अवसंरचनाओं के सृजन हेतु पंचायत युवक क्रीड़ा तथा खेल अभियान नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है।

मेरी सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसई) को प्रबंधकीय तथा वित्तीय स्वायत्तता हस्तांतरित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। परिणामस्वरूप, पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसई) के टर्नओवर तथा लाभ में क्रमशः 45 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण तथा घाटे वाले केंद्रीय उद्यमों के पुनरुद्धार तथा पुनर्व्यवस्थापन संबंधी सलाह देने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्रचना बोर्ड

(बीआरपीएसई) की स्थापना की गई है। सरकार ने बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 34 रुग्ण तथा घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के लिए 14 हजार करोड़ रु. से अधिक राशि के पुनरुद्धार पैकज को अनुमोदित किया है। मेरी सरकार ने द्वितीय वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मेरी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण पिछले चार वर्षों में 8.9 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि दर रही है जबकि पिछले तीन वर्षों में तो यह वृद्धि दर 9 प्रतिशत से भी अधिक रही है। ऐसा विकास पहले कभी नहीं हुआ। इससे मेरी सरकार को बड़े पैमाने पर विकास संबंधी निवेश करने के लिए समुचित संसाधनों का पता लगाने में मदद मिली। यह निवेश न केवल केंद्र सरकार के स्तर पर किया गया बल्कि राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता को बढ़ाकर भी किया गया। यह सहायता 2003-04 में 186 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 में 240 हजार करोड़ रु. हो गई। इससे रक्षा कार्मिकों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए बहु-प्रतीक्षित छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू करने में मदद मिली।

हालांकि, शेष विश्व के साथ-साथ भारत भी आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, मेरी सरकार की नीतियों से यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारी मूल स्थिति बेहतर रहे। भारत की घरेलू मांग हमारी अर्थव्यवस्था में नवीन संवेग का संचार कर सकती है। भारत बैंक पूंजी से परिपूर्ण है और उनके समक्ष ऐसा कोई खतरा नहीं है जो विश्व के अन्य भागों में कई बैंकों के समक्ष है। मेरी सरकार ने ऐसे समय में हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। औद्योगिक विकास, निर्यात तथा सेवा क्षेत्र में मंदी की समस्या से निपटने के लिए सभी सरोकारियों के साथ विचार-विमर्श करके ये उपाय अविलम्ब घोषित किए गए। इन उपायों में नकदी तथा ऋण उपलब्धता में वृद्धि, करों तथा शुल्कों में कमी, अवसंरचनावर्धन तथा निर्यात, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग, आवासन तथा ऑटोमोबाइल जैसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को विशेष सहायता शामिल है। मेरी सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अधिरोपित सीमाओं को शिथिल किया है। इन उपायों से माल तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी जिससे विनिर्माण तथा सेवा दोनों क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। ऐसी आशा है कि विद्यमान प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक वातावरण में भी हमारी अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत उच्च विकास दर अवश्य दर्ज करेगी।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि वस्तुओं की वैश्विक कीमतों, विशेषकर पेट्रोलियम तथा खाद्य कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि ने हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल

प्रभाव डाला है। इस आघात को बहुत हद तक सरकार ने ही झेला और नागरिकों को इससे सुरक्षित रखा। इसके लिए आवश्यक था कि सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राजकोषीय तथा आर्थिक उपाय करे। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप मेरी सरकार मुद्रास्फीति की दर को सितम्बर, 2008 में 12 प्रतिशत से नीचे लाकर जनवरी 2009 में 5-6 प्रतिशत के लगभग कर सकी है। आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी की कीमतों में भी कमी की गई है।

राष्ट्र ने बहुत सी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है। देश के विभिन्न शहरों में अधिकाधिक सुनियोजित तथा विदेशी सहायता प्राप्त आतंकी हमले हुए हैं। इनमें अनेकों मासूम जानें चली गई हैं। मुंबई में हुए आतंकी हमले तथा दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरू तथा असम और उससे पहले काबुल में हमारे दूतावास में हुई आतंकवादी घटनाएं, उन सभी मूल्यों पर आघात हैं जिनके लिए हमारा देश जाना जाता है। जान-बूझकर हमारी आर्थिक प्रगति में बाधा डालने के लिए ही मुंबई हमले की योजना बनाई गई थी। इन हमलों के बाद मिले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मेरी सरकार के हौसले और बुलंद हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान से उपजने वाले आतंकवाद से इस क्षेत्र तथा विश्व को होने वाले खतरे के प्रति बोध बढ़ा है।

राज्य पुलिस बलों के सदस्यों सहित हमारे सुरक्षा बलों के सदस्य अभिनंदन के पात्र हैं जो आतंकवादियों, वामपंथी उग्रवादी एवं विद्रोही समूहों की गंभीर चुनौतियों का सामना करते हैं और हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता की सदा रक्षा करते हैं। इनमें से अनेकों ने मुंबई के हालिया हमलों में सर्वोच्च बलिदान दिए और अपने जीवन की बलि दी। हम उनके परिवारों के शोक में सहभागी हैं तथा मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए पर्याप्त मुआवजा मिले।

मेरी सरकार ने लोगों को हिंसा के ऐसे अंधाधुंध कृत्यों से सुरक्षित रखने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। आतंकवाद से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की स्थापना की गई है। आतंकवाद से संबधित अपराधों तथा आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में संशोधन किया गया है। इन उपायों ने आतंकवादी ताकतों से निपटने के लिए विधिक तथा जांच के ढांचे को सुदृढ़ किया है। आंतरिक सुरक्षा तंत्र को इन शक्तियों से सुसज्जित करते हुए विधिक प्रक्रियाओं को बनाये रखने तथा ऐसी शक्तियों के किसी भी दुरुपयोग को रोकने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। समुद्र से होने वाले खतरों से निपटने के लिए नौवहन तथा तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है।

वामपंथी उग्रवाद कई राज्यों में चिंता का मुख्य कारण रहा है। मेरी सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण तथा अति पिछड़े क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन द्वारा प्रभावित राज्यों के साथ गहन समन्वय करके समस्या को सुलझाने के लिए सर्वसमावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। इसी प्रकार, उत्तर-पूर्व में विद्रोह की समस्या से निपटने के लिए कई पहलें की गईं।

गत चार वर्षों में उत्तर-पूर्व की सामान्य स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हिंसा से दूर रहने वाले विभिन्न दलों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से उनसे संवाद प्रक्रिया शुरू करने के प्रयास किए गए हैं। उत्तर-पूर्व राज्यों में अवसंरचना की कमी से निपटने के लिए लगभग 8700 किलोमीटर लम्बे अंतर्क्षेत्रीय, अंतर्राज्यीय तथा जिला स्तर के सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए एक विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। 1840 किलोमीटर लम्बा ट्रांस अरुणाचल-एक्सप्रेसवे अनुमोदित कर दिया गया है। सिक्किम के लिए एक वैकल्पिक राजमार्ग विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है और उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए रेल तथा हवाई संपर्क बनाने के कार्य को तीव्र गति से किया जा रहा है। कालादान परियोजना मिजोरम तथा उत्तर-पूर्व को समुद्र से जोड़ेगी तथा इससे यह संपूर्ण क्षेत्र सुगम्य हो जाएगा। अवसंरचना के साथ-साथ इस क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसके लिए प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया गया। शिलांग में पहले ही भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा चुका है।

जम्मू और कश्मीर के लिए मेरी सरकार ने एक पुनर्संरचना योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत 67 परियोजनाआ में 24,000 करोड़ रु. का निवेश किया जा रहा है। इसका लक्ष्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख इन तीनों क्षेत्रों की अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है। बगलिहार जल-विद्युत परियोजना प्रारम्भ हो चुकी है। वादी में पहली रेल लाइन शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों का शेष भारत के साथ भौतिक तथा भावनात्मक संपर्क स्थापित हुआ है। श्रीनगर-करगिल-लेह मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और इसका उन्नयन किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में मेरी सरकार हिंसा का सहारा लेने वाले लोगों को मुख्यधारा में शामिल करके जम्मू तथा कश्मीर के कल्याण तथा त्वरित विकास के लिए कार्य कर रही है।

भारत की सुरक्षा तथा प्रादेशिक अखंडता की रक्षा पर मेरी सरकार ने अत्यधिक ध्यान दिया है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अपनी वचनबद्धता, बलिदान तथा व्यावसायिकता की भावना से देश को गौरवान्वित किया है। वे विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में विद्रोहों से निपटने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी बार-बार सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए आगे आए हैं।

विभिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों तथा क्षेत्रों वाली हमारी लंबी सीमाओं के लिए यह आवश्यक है कि सशक्त बलों को हर प्रकार से लैस रखा जाए जिससे कि वह अलग-अलग चुनौतियों का हर समय सामना कर सकें। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का फोकस नवीनतम प्रौद्योगिकी और नेटवर्क सैंट्रिक वारफेयर पर है और इसमें अंतरिक्ष के सैन्यकरण से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक एकीकृत अंतरिक्ष सैल भी शामिल है। सरकार अपेक्षित सीमा तक आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती के खतरों से निपटने के लिए तथा हमारी समुद्री संचार व्यवस्था को सुरक्षित करने में भारतीय नौसेना द्वारा की गई कार्रवाई से अपने हितों को सुरक्षित करने की हमारी क्षमता तथा इच्छा शक्ति प्रदर्शित होती है।

रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे अनुसंधान तथा विकास प्रयासों ने अग्नि-I तथा अग्नि-III तथा अन्य मिसाइलों के प्रक्षेपण जैसे साकार परिणाम दिए हैं। मुख्य जंगी टैंक अर्जुन का विनिर्माण चल रहा है। अधिकतम पारदर्शिता, संसाधनों की किफायत तथा हमारे देशीकरण प्रयासों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा प्रापण प्रक्रियाओं का निरन्तर पुनरीक्षण किया गया तथा उन्हें अद्यतन बनाया गया।

भारत का डायस्पोरा विश्व में दूसरे स्थान पर है। 25 मिलियन से अधिक अनुमानित प्रवासी भारतीय विश्व के प्रत्येक मुख्य क्षेत्र में फैले हुए हैं। मेरी सरकार ने प्रवासी भारतीयों, विशेषकर पश्चिमी एशिया तथा खाड़ी में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए तथा राष्ट्र निर्माण से संबंधित गतिविधियों में उनको जोड़ने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें छात्रवृत्ति कार्यक्रम, भारत विकास प्रतिष्ठान का सृजन, प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद तथा प्रवासी कामगार संसाधन केन्द्र तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों/अनिवासी भारतीयों के एक विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल हैं। प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राष्ट्रीय विकास की विचारधारा को उत्प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री की भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सलाहकार परिषद् गठित की गई है।

मेरी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने तथा हमारी जनता के लिए त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण तथा शांतिपूर्ण बाह्य वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए प्रभुता-संपन्न, समानता तथा परस्पर सम्मान के आधार पर सभी देशों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध विकसित करने को उच्चतम प्राथमिकता दी है। इस तथ्य को मानते हुए कि हम सुदृढ़ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा नृजातीय सूत्रों से बंधे हैं, हमने एक स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया को बढ़ावा देने के सतत प्रयास भी किए हैं।

हमारी विदेश नीति के संचालन ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। मेरी सरकार की विदेश नीति उन्हीं मूल्यों से अनुप्राणित है जिन पर हमारा राष्ट्र टिका हुआ है—विचार तथा कार्य की स्वतंत्रता, जो एक प्रजातांत्रिक, न्यायशील तथा समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था तथा विधि का शासन सुनिश्चित करती है। हमारे समय के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत के विचारों पर न केवल ध्यान ही दिया जा रहा है बल्कि अब उन्हें अपनाया भी जा रहा है।

मेरी सरकार ने समकालीन वास्तविकताओं के अनुसार आतंकवाद, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा सतत् विकास, वैश्विक, आर्थिक तथा वित्तीय संकट और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य किया है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत विशिष्ट रक्षोपाय करार के परिणामस्वरूप तथा 2008 में नाभिकीय पूर्ति समूह द्वारा अपने सदस्यों को भारत के साथ नाभिकीय सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूर्ण असैनिक नाभिकीय सहयोग तथा व्यापार करने की अनुमति देने के निर्णय से 34 साल के ऐसे नाभिकीय असहयोग तथा प्रौद्योगिकी वंचना तंत्र का अंत हुआ है जिसे भारत अभी तक झेल रहा था। इसने हमारे देशीय नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त किया है जो अंतर्राष्ट्रीय असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग द्वारा प्राप्त अतिरिक्त शक्ति से और सुदृढ़ हुआ है और जिसने पर्यावरण परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में भी योगदान दिया है। भारत के साथ ऐसे सहयोग की शुरुआत अप्रसार पर भारत के त्रुटिहीन रिकॉर्ड तथा सार्वभौमिक, भेदभाव रहित तथा व्यापक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रति हमारी चिरस्थायी वचनबद्धता को सही सिद्ध करती है।

भारत ने अपने पड़ोस में आर्थिक पुन:एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया है। भारत की दक्षेस अध्यक्षता के दौरान और उसके बाद कई क्षेत्रीय पहलें की गईं जिनमें भारत में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय भी एक था। इससे दक्षेस ने घोषणात्मक चरण तक ही सीमित न रहकर कार्यान्वयन चरण में भी प्रवेश कर लिया है।

हमने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है और इसकी आर्थिक पुन:संरचना और विकास के प्रयासों में निकटता से शामिल रहे हैं। हम अफगानिस्तान को एक स्थायी, बहुलवादी और प्रजातांत्रिक देश के रूप में देखना चाहते हैं। 2008 में काबुल में हमारे दूतावास पर हुआ आतंकवादी हमला गहन चिंता का मामला था और इसने अफगानिस्तान की जनता के प्रति हमारी वचनबद्धता को

पूरा करने के संकल्प को और मजबूत किया। हम बंगलादेश में बहुदलीय प्रजातांत्रिक राजनीति की वापसी का स्वागत करते हैं और नवनिर्वाचित सरकार के साथ निकटता के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा और महामहिम जिग्मे खेसर वांगचुक की ताज़पोशी में भारत की ओर से मेरी शिरकत से हमारे इस निकटतम पड़ोसी के साथ हमारे बहु-पक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। भारत और मालदीव परस्पर मित्रता और घनिष्ठ सहयोग के परम्परागत संबंध बनाए हुए हैं। म्यांमार के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं जो सीमा पर शांति और सुकून को बढ़ावा देने के हमारे सांझे इतिहास और पारस्परिक इच्छा को परिलक्षित करते हैं। सरकार नेपाल के लोगों को उनके द्वारा लाए गए बहुदलीय प्रजातंत्र के ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अपना पूर्ण समर्थन देती है और उनको शुभकामनाएं देती है।

हम श्रीलंका में सैन्य संघर्ष बढ़ने से देश में ही विस्थापित नागरिकों की दशा के प्रति चिंतित हैं। श्रीलंका में अविभाजित श्रीलंका की संरचना के भीतर ही बातचीत के जरिए निकले ऐसे राजनीतिक हल को जो तमिल समुदाय सहित सभी समुदायों को स्वीकार्य हो, हम समर्थन जारी रखेंगे। श्रीलंका सरकार और लिट्टे से मेरी अपील है कि वे फिर से बातचीत शुरू करें। यह तभी संभव हो सकता है जब श्रीलंका सरकार सैन्य कार्रवाई रोकने और लिट्टे हथियार डालने तथा सरकार के साथ बातचीत शुरू करने की अपनी इच्छाओं की घोषणा एक साथ करे।

2004 से पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में काफी प्रगति हुई परन्तु यह खेदजनक है कि पाकिस्तान से आतंकवाद ने द्विपक्षीय संवाद प्रक्रिया की उपलब्धियों को व्यर्थ कर दिया और इससे हमारे संबंधों को गहरा धक्का लगा। पाकिस्तान ने सर्वोच्च स्तर पर हमसे यह वायदा किया था कि वह अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र का किसी भी तरह से भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए प्रयोग नहीं होने देगा, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान से आतंकवादियों का भारत पर हमला जारी है। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान हमसे किए गए वायदों का सम्मान करेगा और वह उसे यहां आधारित तथा वहां से संचालित आतंकवादी गुटों के खिलाफ निर्णायक और विश्वसनीय कार्रवाई करेगा।

चीन जन-गणराज्य के साथ हमारे संबंध नियमित उच्चस्तरीय वार्ताओं, बढ़ते आर्थिक और व्यापारिक संबंधों, बढ़ते सैन्य संपर्को और दोनों देशों की जनता के बीच बढ़ते पारस्परिक संबंधों के साक्षी हैं। चीन के साथ हमारी स्ट्रैटिजिक और सहकारी भागीदारी अब और अधिक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रही है। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुकून बनाए रखते हुए सीमा के मसले और बकाया मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने के लिए भी प्रयासरत हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्वक प्रयोग संबंधी सहयोग के करार पर हस्ताक्षर हमारे संबंधों में आए परिवर्तन की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर व्यापार और निवेश तक फैले हुए हैं। हम वहां नए शासन के साथ द्विपक्षीय क्षेत्र में परस्पर हितों के साथ-साथ हमारे सम्मुख आई मुख्य चुनौतियों के लिए कार्य करने को उत्सुक हैं। रूस के साथ हमारे सामरिक और चिरकालिक संबंध और मजबूत तथा व्यापक हुए हैं। रूस हमारी रक्षा और नाभिकीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा अमूल्य सहयोगी रहा है। यूरोपीय संघ और यूरोप के अन्य देशों के साथ हमारे संपर्क रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, कृषि, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में काफी गहरे हुए हैं। रूस और फ्रांस के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए और अन्य मित्र देशों के साथ इसी प्रकार के करार करने के लिए बातचीत चलाई गई।

जापान के साथ हमारी सामरिक और वैश्विक साझेदारी बढ़ी है और हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे संबंध परस्पर परिपूर्ण हों। पूर्व एशिया के साथ हमारे संपर्क हमारे इस विश्वास का संकेत देते हैं कि इक्कीसवीं सदी एशिया की है और भारत को एशिया के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। वियतनाम और इंडोनेशिया की मेरी यात्राओं और एएसईएम के देशों की शिखर बैठक में पहली बार भारत की प्रतिभागिता से हमारी "लुक ईस्ट पॉलिसी" को बहुत बल मिला है।

हमने खाड़ी देशों के साथ अपने परम्परागत और ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री की ओमान और कतर यात्रा ने ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और खाड़ी में कार्यरत भारतीयों के कल्याण के क्षेत्रों में सहयोग के नए मार्ग खोले हैं। मिस्र, सीरिया और फिलिस्तीनी शासन के राष्ट्रपतियों के दौरों से पश्चिम एशिया के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए। गाजा के अंदर हाल ही में हुए हमले से हुई जनजीवन की त्रासद हानि और गहन पीड़ा से आवश्यक हो जाता है कि फिलिस्तीनी मुद्दे का पूर्ण समाधान तत्काल होना चाहिए। हम फिलिस्तीन के मामले में अपने सहयोग और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता देखने की अपनी इच्छा पर कायम हैं। सरकार ने ईरान के साथ समसामयिक संबंध बनाने के लिए कार्य किया। हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कज़ाखस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा, सरकार द्वारा मध्य एशिया के हमारे सुदूर पड़ोस को दिए जाने वाले महत्व की प्रतीक है।

मेरी सरकार ने विशाल अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। भारत-अफ्रीकी फोरम की भारत में हुई पहली शिखर वार्ता ने अफ्रीका के साथ हमारे भावी संबंधों की रूपरेखा तैयार की। अफ्रीका के

विकास प्रयासों में सहायता करने के लिए हम उसे अपने संसाधन और तकनीकी जानकारी मुहैया कराएंगे। राष्ट्रपति के रूप में मेरी पहली विदेश यात्रा ब्राजील, मैक्सिको और चिली की थी। लैटिन अमेरिकी और कैरिबिआई देशों के साथ हमारे संबंधों में विद्यमान व्यापक सम्भावनाओं का उपयोग करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

भारत की जी–20 देशों की शिखर बैठक में भागीदारी और भारत में तृतीय इब्सा शिखर सम्मेलन तथा द्वितीय बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी को, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रणाली में उतार–चढ़ाव के समय, नए आर्थिक संबंध बनाने और वर्तमान आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के काम में लाया गया।

माननीय सदस्यों, मेरी सरकार का एकनिष्ठ लक्ष्य यही रहा है कि वह उपलब्ध अवसरों का समान उपयोग करके अपनी जनता को और समृद्ध बनाए। मेरी सरकार को विश्वास है कि समग्र विकास के लिए उसके कार्यक्रम प्रगति के लाभों को एक समान बांटने में सहायता करेंगे। जब किसी सुदूर जनजातीय गांव में किसी बच्चे को उसके घर के पास ही स्कूल उपलब्ध है, जब उसकी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, जब उसके माता–पिता को कार्य की तलाश में अन्यत्र नहीं जाना पड़ता बल्कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा उन्हें वहीं रोजगार मिल जाता है, जब उनको अपनी भूमि के अधिकार प्राप्त हैं और जब वे सूचना के अधिकार के जरिए इन कार्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने के लिए सशक्त हैं, तब हम पण्डित नेहरू द्वारा राष्ट्र के लिए प्रवर्तित इन लक्ष्यों को पूरा करने के और करीब आ गए हैं। स्वतंत्रता के दिन इसी प्रतिष्ठित सदन में उन्होंने आह्वान किया था कि हमें "गरीबी, अज्ञान, रोग और अवसर की असमानता हटाने के लिए" सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। यह स्वीकार करते हुए भी कि हमारे सभी देशवासियों के लिए समान अवसरों के साथ एक समावेशी समाज का कार्य अभी भी चल रहा है, मेरी सरकार को अपनी उपलब्धियों के आधार पर यह विश्वास है कि हम इस लक्ष्य की पूर्ति के और पास आ गए हैं।

मेरी सरकार ने वैश्विक अवसरों को युवाओं तक पहुंचाने हेतु विकास की गति को तेज़ करने के लिए लगातार कोशिशें की हैं। युवा भारत ऊंची उड़ान भरने की क्षमता रखता है। हमारी आर्थिक उन्नति ने इस प्रकार की विश्वस्तरीय आकांक्षाओं को संभव बनाया है। ज्ञान के क्षेत्र में निवेश हमें अपने उद्देश्यों के और करीब ले जाएगा। हमारे युवा भविष्य के बारे में पहले कभी इतने आश्वस्त नहीं थे। आओ हम अपनी पहुंच को अपनी अपेक्षाओं से आगे ले चलें।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 4 जून 2009

लोक सभा	-	पंद्रहवीं लोक सभा
सत्र	-	पंद्रहवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत की राष्ट्रपति	-	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्रीमती मीरा कुमार

माननीय सदस्यगण,

पंद्रहवीं लोक सभा के चुनावों के बाद संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं, लोक सभा के सभी सदस्यों, खासतौर पर नवनिर्वाचित सदस्यों का अभिनंदन करती हूं। आप यहां हैं क्योंकि आपने पिछले कुछ महीने भीषण गर्मी में अपने मतदाताओं को यह समझाने में बिताए हैं कि आप किस प्रकार बेहतर ढंग से उनकी अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आज आपके पास जनादेश है, और भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका है। भारत की सौ करोड़ से अधिक जनता, जो संपूर्ण मानव जाति का छठा हिस्सा है, उनकी आशाओं का प्रतिनिधित्व करने का यह सौभाग्य असल में कुछेक चुनिंदा लोगों को ही मिलता है।

मुझे विश्वास है कि जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो उनकी चिंताओं और आशाओं को प्राथमिकता देंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप अगले पांच वर्षों में प्रत्येक दिन जनता की इन आकांक्षाओं को पूरा करने में बिताएंगे और ऐसा करते हुए अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

मैं लोक सभा के सदस्यों को सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुनने के लिए बधाई देती हूं और वह भी एक महिला, जो दलित है और गौरवमयी है। इससे भारतीय लोकतंत्र का, सदन का तथा उसके सदस्यों का खुद का सम्मान बढ़ा है।

पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल राज्य में चक्रवात के कारण जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। आइए, हम शोक संतप्त परिवारों के लिए अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करें। मेरी सरकार पश्चिम बंगाल की चक्रवात से पीड़ित जनता को हर संभव राहत मुहैया कराएगी।

मैं, निर्वाचन आयोग को और उन लाखों कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने 15वीं लोक सभा के चुनावों को सुगमता और कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया। भारतीय संसद के लिए चुनाव प्रस्तुत: विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और यह बृहत् और महत्वपूर्ण कार्य अत्यंत सुचारू रूप से संपन्न किया गया। लोकतंत्र की संकल्पना, मानवजाति की श्रेष्ठतम विचारधाराओं में से एक है, और भारत में होने वाले प्रत्येक चुनाव में प्रतिनिधि चुनने की इस स्वतंत्रता को अमल में लाया जाता है जिससे यह संकल्पना और अधिक बलवती होती है। यह सर्वविदित है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का समूचे विश्व में विशिष्ट स्थान है। किसी सुदूर गांव में जब कोई बुजुर्ग महिला गर्व से अपनी तर्जनी उठाकर उस पर अमिट स्याही का निशान दिखाती है, तो वस्तुत: वह दुनिया से यही कह रही होती है कि उसके पास अपने देश में परिवर्तन लाने की शक्ति है।

वर्ष 2004 में मेरी सरकार ने राष्ट्र के समक्ष एक समावेशी समाज और समावेशी अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी थी। सरकार ने इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। मेरी सरकार का मानना है कि इस चुनाव में उसे जो भारी जनादेश प्राप्त हुआ है वह इसी समावेशी नीति का ही परिणाम है। यह जनादेश समग्र वृद्धि, समतापूर्ण विकास और पंथनिरपेक्ष तथा बहुलवर्गीय भारत के लिए है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेरी सरकार और अधिक परिश्रम से तथा बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार की सतत् प्राथमिकता समावेशन के लिए चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की है। इस कार्य के लिए सरकार को पुन: ऊर्जावान बनाने और शासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए आर्थिक विकास को पुन: उच्च विकास पथ पर लाने की चुनौती का मुकाबला करने की जरूरत होगी जो वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा सके इसके लिए जल्द विकास आवश्यक है। सभी क्षेत्रों और सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अवसंरचना में परिव्यय बढ़ाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकास प्रक्रिया न केवल त्वरित हो बल्कि उसे सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से अधिक समावेशी और समतापूर्ण बनाया जाए। जैसा कि मेरी सरकार ने 2004 में भी चर्चा की थी-आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशिता के लिए हमारी जनता की तीव्र लालसा और विघटनकारी एवं असहिष्णु शक्तियों को नकारना, आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है और इस दिशा में सतत् प्रयास किए जाने हैं।

मेरी सरकार बढ़ती अपेक्षाओं की चुनौती के प्रति पूर्ण रूप से सजग है। अगले पांच वर्षों में मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता वाले दस विस्तृत क्षेत्र हैं, जो इस प्रकार हैं:—

- आंतरिक सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखना;
- कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ाना;
- रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना, शहरी नवीकरण के लिए विद्यमान प्रमुख कार्यक्रमों का समेकन तथा खाद्य सुरक्षा और कौशल विकास के लिए नए प्रमुख कार्यक्रम शुरू करना;
- महिलाओं, युवाओं, बच्चों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, भिन्न रूप से सक्षम तथा बुजुर्गों के कल्याण के लिए संगठित कार्रवाई और सुदृढ़ीकृत सामाजिक सुरक्षा;
- शासन-व्यवस्था में सुधार;
- अवसंरचना का सृजन और आधुनिकीकरण तथा प्रमुख सैक्टरों में क्षमता-वर्धन;
- विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन;
- ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण;
- विश्व के साथ रचनात्मक और सृजनात्मक तालमेल; और
- उद्यम और नवाचार की संस्कृति का संवर्धन।

मेरी सरकार आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यंत सतर्कता बरतेगी। किसी भी स्रोत से उत्पन्न आतंकवाद को सिरे से नकारने की नीति अपनाई जाएगी। विद्रोह और वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए कठोर उपाय किए जायंगे। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से लागू की जाने वाली एक विस्तृत योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। आसूचना के कारगर आदान-प्रदान तथा कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए बहु-एजेंसी केंद्र को मजबूत बनाया जाएगा तथा सभी राज्यों में सहायक बहु-एजेंसी केंद्रों को सक्रिय किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है तथा आतंकवाद-संबंधी अपराधों से निपटने के लिए उसे सशक्त बनाया जाएगा। केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों तथा आसूचना एजेंसियों का विस्तार किया जाएगा और उन्हें सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी से पूरी तरह लैस किया जाएगा। प्रोएक्टिव आतंकवादरोधी उपाय करने के लिए एक राष्ट्रीय आतंकवादरोधी केंद्र की स्थापना की जाएगी। विशेष बल एवं त्वरित कार्रवाई दल गठित किए जाएंगे और उन्हें संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। रियल टाइम आधार पर सूचना एवं आसूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाने का काम एक नैट-सैन्ट्रिक सूचना कमान संरचना के गठन से संभव हो सकेगा।

मेरी सरकार पुलिस सुधार के लिए सक्रिय कार्रवाई करेगी और आंतरिक सुरक्षा में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, सरकार उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर एवं देश के अन्य भागों में हिंसा का परित्याग करने वाले सभी समूहों को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का प्रयास करती रहेगी।

सांप्रदायिक सद्‌भावना को हर कीमत पर बनाए रखा जाएगा। मेरी सरकार को मिला जनादेश स्पष्ट है कि जनता इस देश के पंथनिरपेक्ष स्वरूप को बचाए रखना चाहती है। इसी उद्देश्य से मेरी सरकार सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक के शीघ्र अनुमोदन हेतु प्रयास करेगी।

हमारे सशस्त्र बल राष्ट्र के गौरव, बलिदान और पराक्रम के हमारे मूल्यों तथा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के प्रतीक हैं। भारतीय रक्षा बल राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के कार्य के प्रति कटिबद्ध हैं। भूमि, समुद्र और आकाश से होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा पूर्ण रूप से समर्थ बनाया जाएगा। युद्ध-कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक समय के युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। भूतपूर्व-सैनिकों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने एक रैंक एक पेंशन के मुद्दे की जांच-पड़ताल करने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है और आशा है कि जून, 2009 के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।

प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट पहचान पत्र स्कीम लागू करने का कार्य एक अधिकार-प्राप्त समूह की निगरानी में तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। इससे विकास कार्यक्रमों और सुरक्षा के लिए पहचान का प्रयोजन सिद्ध होगा।

मेरी सरकार विगत पांच वर्षों में विकास की गति बढ़ाने में सफल रही है और इसके दौरान इसका रिकॉर्ड औसत 8.5 प्रतिशत रहा। इससे उच्च गुणवत्तायुक्त नौकरियों में खासी वृद्धि हुई तथा हमें ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने और सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने के लिए क्षमता भी प्राप्त हुई। मेरी सरकार ने कृषि को नई दिशा दी। कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाया गया। रुपये पैंसठ हजार करोड़ से अधिक के कृषि ऋण माफ किए गए तथा प्रापण कीमतों में काफी वृद्धि हुई। इन उपायों से कृषि विकास में नई शुरुआत हुई। मेरी सरकार बड़ी संख्या में नए स्कूलों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं के जरिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, पंद्रह करोड़ से अधिक बच्चों के लिए एक मध्याह्न आहार कार्यक्रम चलाने, प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं सोलह लाख से अधिक विद्यार्थियों को ऋण देने तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में निवेश की एक नई

लहर उत्पन्न करने में सफल रही है। वह ग्रामीण जनस्वास्थ्य अवसंरचना का पुनरुद्धार करने और बीमा स्कीमों एवं पेंशनों के जरिए सामाजिक सुरक्षा को व्यापक स्तर पर बढ़ाने में सफल रही है। सरकार रक्षा कार्मिकों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों सहित अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को लागू करने में भी सफल रही है। मेरी सरकार ने विगत पांच वर्षों में राज्यों को दी जाने वाली सहायता में काफी वृद्धि की। ये सभी कार्य इसीलिए संभव हो सके क्योंकि उच्च विकास से अधिक संसाधनों का सृजन हो सका। इसलिए, यह आवश्यक है कि विकास की यह गति बनी रहे।

वैश्विक मंदी के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास की गति धीमी होने की संभावना है। मेरी सरकार ने इस अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए अनेकों उपाय किए हैं, जिनमें तीन प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। इनके परिणाम दिखने लगे हैं। यह संतोषजनक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैसी मंदी से नहीं गुजरना पड़ा जैसा कि विश्व में लगभग अन्य सभी देशों के साथ हुआ है। मेरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ, विशेष रूप से जी-20 के मंच के माध्यम से, सक्रिय संपर्क में रही है ताकि वैश्वक स्तर पर समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके तथा आवश्यक सुधार शीघ्रातिशीघ्र किए जा सकें। हमारी तात्कालिक प्राथमिकता अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर फोकस करने की होनी चाहिए जिससे सैक्टरीय तथा बृहत्-स्तरीय नीतियों के संयोजन के जरिए वैश्विक मंदी के प्रभाव का निस्तारण हो सके। मेरी सरकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित सैक्टरों, विशेषतया लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात, वस्त्र, वाणिज्यिक वाहन, अवसंरचना और आवास पर ध्यान केंद्रित करेगी। उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में सरकारी-निजी भागीदारी करके ढांचागत क्षेत्रों में सरकारी निवेश में प्रतिचक्रीय बढ़ोत्तरी के लिए उपाय किए जाने चाहिए। निवेश का वित्तपोषण करना एक बड़ी समस्या है तथा मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस क्षेत्र में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन की मध्यावधिक कार्यनीति के अनुरूप नए कदम उठाए जाएं।

हाल के वर्षों में हमारे देश को बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश का लाभ मिला है। इस निवेश को, विशेष तौर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को एक समुचित नीतितंत्र के माध्यम से प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। बैंकिंग और बीमा सैक्टरों में संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत भी है ताकि वे समाज की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। इस प्रयोजन से, मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उनका पुनः पूंजीकरण करेगी तथा पेंशन सैक्टर के लिए एक विनियामक स्थापित करने के लिए विधान भी लाएगी।

गत पांच वर्षों के दौरान कृषि एवं सिंचाई में सार्वजनिक निवेश में आई गति को और बढ़ाया जाएगा तथा सरकार द्वारा शुरू किए गए तीन बड़े कार्यक्रमों-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को सुदृढ़ किया जाएगा।

मेरी सरकार ने जो प्रमुख कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं उनके फलस्वरूप देश समग्र विकास की ओर अग्रसर हुआ है। हमारा प्रयास अगले पांच वर्षों में इन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने का होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसकी पूर्ति हुई है अर्थात् यह सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में और ग्रामीण पुनर्सरचना के लिए विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम के तौर पर सिद्ध हुआ है। बदलाव लाने की इसकी क्षमता स्पष्ट दिखायी पड़ रही है। मेरी सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के क्षेत्र में विस्तार करेगी जो इस समय अकुशल श्रमप्रधान कार्य तक ही सीमित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अन्य कार्यक्रमों के साथ बेहतर रूप से जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मार्फत भूमि उत्पादकता में सुधार के अवसर को बढ़ाया जाएगा। पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर स्वतंत्र मॉनीटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण शुरू कर दिया है। अगले पांच वर्षों में शिशु-मृत्युदर और मातृ-मृत्युदर में स्पष्ट कमी लाने के लिए इस मिशन को और मजबूत किया जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम की मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के टीका बनाने वाले संस्थानों का पुनरुद्धार किया जाएगा। मेरी सरकार अगले पांच वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करेगी। कुपोषण स्वास्थ्य की बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए पोषाहार वितरण कार्यक्रम को पंचायत संस्थाओं की निगरानी के अंतर्गत लाने के लिए और आंगनवाड़ियों में ताजा पके हुए खाने की व्यवस्था अपनाने के लिए उसमें व्यापक रूप से सुधार किया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान ने प्रारंभिक स्कूलों तक बच्चों की पहुंच को सुलभ बनाया है और सर्वव्यापी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के फलस्वरूप बच्चों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति कम हुई है। नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, जो अभी संसद के विचाराधीन है, के अधिनियमन द्वारा स्तरीय शिक्षा को अधिकार बनाने पर मुख्यत: ध्यान दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा सर्वसुलभ होगी। ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली नई संस्थाओं के माध्यम से उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार किया जाएगा जिससे देश शिक्षा की चुनौती का पूर्णरूप से सामना करने में समर्थ हो सकेगा। पिछले पांच वर्षों

में जरूरतमंद और पात्र विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की छात्रवृत्तियां और शैक्षिक ऋण प्रारम्भ किए गए। इन कार्यों की समीक्षा की जाएगी और इन्हें और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा के लिए सरकार की कार्यनीति विस्तार, समावेश और उत्कृष्टता के तिहरे लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाएगी। इस कार्यनीति का निरूपण और कार्यान्वयन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार किया जाएगा।

पिछली जनगणना में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 75 से भी अधिक था और अब इसके और बढ़ने की आशा है। वर्ष 2001 में महिला साक्षरता का प्रतिशत मात्र 54 ही था। मेरी सरकार अगले पांच वर्षों में प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन के रूप में पुनर्गठित करेगी। आशा है कि महिला साक्षरता में वृद्धि से सामाजिक विकास के हमारे सभी कार्यक्रमों में कई गुना बढ़ोत्तरी होगी।

मेरी सरकार ने पांच वर्ष पूर्व भारत निर्माण को ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना के रूप में प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम से सड़क, बिजली और टेलीफोन जैसी मूलभूत अवसंरचना को बहुत से गांवों में पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। इससे ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण आवास जैसे अधिकतर लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और सिंचाई क्षमता में भी वृद्धि हुई है। शेष कार्यों को भारत निर्माण के दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में भारत निर्माण के लिए और अधिक लक्ष्य तय करना भी प्रस्तावित है।

- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2004-2009 की अवधि में साठ लाख घरों के मूल लक्ष्य से भी अधिक घर बनाए गए। अब अगले पांच वर्षों में यह ग्रामीण आवास लक्ष्य दोगुना हो जाएगा जिसके तहत एक करोड़ बीस लाख घरों का निर्माण किया जाएगा।
- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को 2011 तक पूरा कर लिया जाएगा और अगली योजना में इसका प्रबंधन पंचायतों को सौंप दिया जाएगा।
- अगले पांच वर्षों में ग्रामीण दूरसंचार का लक्ष्य ग्रामीण दूरसंचार घनत्व को 40 प्रतिशत तक पहुंचाने का रहेगा और तीन वर्षों में प्रत्येक पंचायत को एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए ब्रॉडबैंड कवरेज को बढ़ाया जाएगा। सामान्य सेवा केंद्रों अथवा ई-कियोस्कों की योजना को समुचित रूप से पुनः अवस्थित किया जाएगा ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी सेवाएं मुहैया कराने के लिए पंचायत स्तरीय भारत निर्माण सामान्य सेवा केन्द्रों का नेटवर्क बन सकें।
- ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई और गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए नए लक्ष्य तय किए जाएंगे।

पिछले चार वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रु. की स्वीकृत परियोजनाओं के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हमारे शहरों का रूप बदल रहा है और इसका व्यापक स्वागत हुआ है। सरकार अवसंरचना, मूलभूत सेवाओं और शासन व्यवस्था में सुधार पर मुख्य रूप से ध्यान देती रहेगी और सार्वजनिक परिवहन को उन्नत बनाने के लिए शहरों को अधिक सहायता प्रदान की जाएगी। शहरी गरीबों के लिए 15 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जा रहा है। शहरी आवास कार्यक्रमों को स्लम-बस्तियों में रह रहे गरीबों पर केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार का प्रस्ताव, ग्रामीण गरीबों हेतु इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर स्लम-बस्तियों के निवासियों और शहरी गरीबों हेतु राजीव आवास योजना प्रारंभ करने का है। भागीदारी की मार्फत किफायती आवास की योजनाओं और शहरी आवास के लिए ब्याज-सब्सिडी की योजना को राजीव आवास योजना में मिला दिया जाएगा जिससे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उन राज्यों को सहायता दी जाएगी जो स्लम-बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति के अधिकार सौंपने के इच्छुक हैं। मेरी सरकार का प्रयास होगा कि राजीव आवास योजना द्वारा पांच वर्षों में भारत को स्लम-रहित कर दिया जाए।

मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव करती है जो एक ऐसे ढांचे के लिए सांविधिक आधार मुहैया कराएगा जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन हो। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्राम चावल अथवा गेहूं प्राप्त करने का कानूनन हकदार होगा। इस विधान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक व्यवस्थित सुधार लाने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा।

सरकार महिलाओं, युवाओं, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और बुजुर्गों को और अधिक अवसर मुहैया कराने तथा विशेष रूप से दुर्बल वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ करने की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग है। महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित करने वाले कुछ ठोस प्रस्तावित कदम हैं—सभी स्तरों पर निर्वाचित निकायों में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और एक राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन।

हमारी 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की है और उनकी सृजनात्मक ऊर्जा हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। उनकी शिक्षा, रोजगार क्षमता और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निवेश करना एक चुनौती है। यदि भारत अपने युवाओं के कौशल विकास में निवेश करता है तो इसकी क्षमता समूचे वैश्विक कार्य-बल के एक-चौथाई के बराबर होगी। रोजगारपरक कौशल मुहैया कराने वाली शिक्षा अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों

को समान अवसर प्रदान करने की कुंजी है। मेरी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में इस दिशा में कानूनी परिवर्तन किए हैं और इस क्षेत्र में निवेश किया है। इन प्रयासों को और सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षा में भारी निवेश करने के अलावा सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास की पहल पर ध्यान केन्द्रित करेगी जिसके अंतर्गत 2022 तक पचास करोड़ कुशल लोग तैयार करने के अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ कार्य शुरू हो गया है ताकि हमें अपनी इस कौशलयुक्त आबादी का लाभ प्राप्त हो सके।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के कार्यान्वयन की देखभाल यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि 2009 के अंत तक सभी विलेख वितरित कर दिए जाएं।

मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण को उच्चतम प्राथमिकता देना जारी रखेगी। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15-सूत्री कार्यक्रम और सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई कुछ सीमा तक सरकारी संसाधनों, नौकरियों और योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए न्यायोचित हिस्सा सुनिश्चित करने में सफल रही है। इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों को और सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार वक्फों के प्रशासन को सुदृढ़ करने और आधुनिक बनाने के लिए प्रयास करेगी, हज संचालन के प्रबंधन में सुधार लाएगी और एक समान अवसर आयोग स्थापित करेगी।

किसानों और कृषि पर निर्भर अन्य व्यक्तियों की अनुचित विस्थापन से रक्षा के लिए तैयार और संसद में प्रस्तुत किए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन विधेयक और पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास विधेयक पारित नहीं हो सके थे। हमारा प्रयास होगा कि ये विधेयक संसद के बजट सत्र में पुनः प्रस्तुत और अधिनियमित कर दिए जाएं।

मेरी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे और 65 वर्ष की आयु से अधिक के सभी लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, सभी विकलांगों और चालीस वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाओं को पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि की है। सरकार विशेष जोखिम के दायरे में आने वाले अन्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने के मुद्दे पर विचार करेगी। भूमिहीन मज़दूरों, बुनकरों, मछुआरों, ताड़ी निकालने वालों, चर्मकारों, बागान श्रमिकों, निर्माण मजदूरों, खान श्रमिकों और बीड़ी मजदूरों जैसे अन्य व्यवसायों को भी समुचित रूप से सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के दायरे में लाया जाएगा।

सार्वजनिक सेवाएं प्रभावी रूप से उलब्ध कराने हेतु शासन में सुधार करना मेरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होगी। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें इस प्रयास में मार्गदर्शी होंगी। मेरी सरकार इन मुद्दों पर भी प्रमुखता से ध्यान देगी जैसे सरकार के उच्चतर स्तरों की संरचनाओं में सुधार, अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण, शासन

में महिलाओं और युवाओं को शामिल करना, प्रक्रिया सुधार और जनता के प्रति जवाबदेही आदि। प्रक्रिया सुधार के भाग के रूप में, मंत्रिमंडल को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों में यह उल्लेख किया जाएगा कि विचारार्थ प्रस्तावों से समता अथवा समावेश, नवाचार तथा जनता के प्रति जवाबदेही के लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार होगी।

मेरी सरकार अगले 100 दिनों के भीतर इन उपायों पर कदम उठाएगी:

- राज्य विधानमंडलों तथा संसद में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित कराना;
- पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन। महिला को वर्ग, जाति तथा महिला होने के कारण अनेक अवसरों से वंचित करना पड़ता है इसलिए पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण को बढ़ाने से और अधिक महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगी;
- केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास;
- बेहतर समन्वय हासिल करने के लिए महिला-केंद्रित कार्यक्रमों को मिशन के रूप में लागू करने हेतु महिला सशक्तीकरण पर एक राष्ट्रीय मिशन;
- एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय युवा कोर जो नदी सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के दायरे में रचनात्मक सामाजिक कार्य कर सके और जिसकी शुरुआत गंगा नदी से हो;
- विकेंद्रीकृत नियोजन तथा पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता विकास पर फोकस करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, जो अन्य विकास निवेश से भी संबद्ध है, का पुनर्गठन करना। आगामी तीन वर्षों में पंचायती राज कार्यकर्ताओं को प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा;
- असामरिक क्षेत्रों से संबंधित सभी सूचना को जनता के दायरे में लाने के लिए एक सार्वजनिक डाटा नीति तैयार करना। इससे नागरिकों को डाटा पर प्रश्न पूछने और शासन सुधार में प्रत्यक्ष भागीदारी करने में मदद मिलेगी;
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा लागू करना और शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति करना;

- सरकार द्वारा सभी असामरिक क्षेत्रों में सूचना देने की व्यवस्था करने के लिए विधि में समुचित संशोधन करके सूचना के अधिकार को और सुदृढ़ करना;
- प्रमुख कार्यक्रमों में जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए योजना आयोग द्वारा सम्प्रेरित एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना। यह कार्यालय प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संगठनों के सहयोग से एक नेटवर्क मॉडल के रूप में कार्य करेगा, साथ ही प्रमुख कार्यक्रमों की उपलब्धि का मूल्यांकन करके उन्हें जनता के समक्ष लाएगा;
- सरकार में नियमित आधार पर कार्य-निष्पादन देखभाल तथा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए तंत्र स्थापित करना;
- सरकार एक राष्ट्रीय चर्चा प्रारंभ करने के उद्देश्य से 'जनता को रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण तथा अवसंरचना पर पांच वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;
- नगर विकास गतिविधियों को सहयोग देने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से सभी शहरी क्षेत्रों में व्यवसायियों की एक स्वैच्छिक तकनीकी कोर का गठन करना;
- विकास कार्यों में संलग्न सरकारी सहायता के इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों के लिए सरकारी पोर्टल पर वेब-आधारित सुविधा प्रदान करना जिससे आवेदन की स्थिति पारदर्शी रूप से मानीटर की जा सके;
- डाकघरों तथा बैंकों में खातों के माध्यम से छात्रवृत्तियों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान करना और चरणबद्ध रूप से इनका स्मार्ट कार्डों में अंतरण करना;
- वित्तीय समावेश के लिए संपर्क इकाइयों के रूप में कार्य हेतु बैंकों तथा डाकघरों में व्यापक सुधार करना जिसमें प्रौद्योगिकी संपन्न बिजनेस कोरसपोन्डेंट भी शामिल हैं;
- अगले तीन वर्षों में सभी पंचायतों में भारत निर्माण सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक शासन व्यवस्था;
- राज्यों के साथ परामर्श करके एक मॉडल जन सेवा कानून तैयार किया जाएगा जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा जो अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह होंगे;

- वर्तमान विनियामक ढांचे में सुधार करने तथा कुशल कार्मिकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सर्वोच्च विनियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद का गठन;
- यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विनियामक संस्थाओं में सुधार;
- 11वीं योजना में प्रस्तावित 14 विश्वविद्यालयों को 'नवाचार विश्वविद्यालय' के रूप में स्थापित करने हेतु विश्व भर की प्रतिभाओं को आकृष्ट करने के लिए प्रतिभा-लब्धि (ब्रेन गेन) नीति का विकास;
- न्यायिक सुधार की रूपरेखा छह महीने में तैयार की जाएगी जिसे समयबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाएगा;
- बहु-प्रयोजन गरीबी रेखा से नीचे की सूची (बीपीएल) के स्थान पर लक्षित पहचान पत्र को लागू किया जाना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अनिधियम के अंतर्गत एक जॉब कार्ड उपलब्ध है तथा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी एक नया कार्ड उपलब्ध होगा। वर्तमान में बहुप्रयोजन बीपीएल सूची का प्रयोग करने वाले अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान से कार्यक्रम के उद्देश्यों पर आधारित पहचान में सुधार होगा। यह पहचान इस साझे आधारभूत सिद्धांत पर आधारित होगी कि सभी लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जानी है और इस सूची को जनता के सामने लाया जाएगा, ताकि यदि आवश्यक हो, तो आपत्ति दर्ज की जा सके;
- प्रमुख कार्यक्रमों तथा विशेष परियोजनाओं को मॉनीटर करने के लिए तथा सार्वजनिक रूप से उनकी स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक कार्य-निष्पादन मॉनीटरिंग यूनिट का गठन;
- 'भारत निर्माण त्रैमासिक रिपोर्ट' के रूप में प्रमुख कार्यक्रमों पर समुचित रूप से संस्थागत त्रैमासिक रिपोर्टिंग जिसमें मंत्री मीडिया के माध्यम से प्रगति पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट देंगे।

आधुनिक अर्थव्यवस्था में अवसंरचना मूलभूत कारक है और अगले पांच वर्षों में अवसंरचना विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा। अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नीतियों तथा प्रक्रियाओं के कारण अवसंरचना परियोजनाओं, विशेषकर रेल, विद्युत, राजमार्गों, पत्तनों, विमानपत्तनों तथा ग्रामीण दूरसंचार के कार्यान्वयन में आने वाले व्यवधानों और उनमें होने वाली देरी को व्यवस्थित रूप से दूर किया जाएगा। सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाएं इस

कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाएं, जो इस समय सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें शीघ्रतापूर्वक स्वीकृति दी जाएगी। सरकारी-निजी भागीदारी के विनियामक तथा विधिक ढांचे को और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जाएगा। मेरी सरकार उत्तर-पूर्व और जम्मू और कश्मीर में अवसंरचना विकास तथा इन क्षेत्रों के साथ और अधिक संपर्क स्थापित करने पर विशेष बल देती रहेगी।

हमारे साथी नागरिकों को यह पूरा हक है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरधारक बन सकें, और सरकार मेजॉरिटी शेयरधारक और नियंत्रक बनी रहे। मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लिस्टिंग करने तथा इनमें जनता के स्वामित्व के लिए एक रूपरेखा विकसित करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि सरकार की इक्विटी 51 प्रतिशत से कम न हो जाए।

मेरी सरकार विशेष तौर से आवश्यक कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के संबंध में उच्च विकास के साथ-साथ निम्न मुद्रा स्फीति बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व का दृढ़ता से निर्वहन करेगी जिससे आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना में निवेश करने के लिए केंद्र का सामर्थ्य लगातार बढ़ता रहे। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सभी आर्थिक सहायता हमारे समाज के वास्तविक जरूरतमंदों तथा गरीब तबकों को ही पहुंचे। इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति बनाई जाएगी और आवश्यक नीतिगत परिवर्तन किए जाएंगे।

मेरी सरकार बेहतर तथा सरलीकृत कर-प्रशासन के कारण प्रत्यक्ष करों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि कर पाई है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। माल तथा सेवा कर की ओर अग्रसर होने के लिए इसकी रूपरेखा पर तेजी से कार्य किया जाएगा। मेरी सरकार, भारतीय नागरिकों के देश के बाहर गुप्त बैंक खातों के अवैध धन के मुद्दे के प्रति पूरी तरह से सजग है। सरकार संबंधित देशों के साथ समन्वय स्थापित करके सभी आवश्यक कदम तेज़ी से उठाएगी।

एकीकृत ऊर्जा नीति के आधार पर ऊर्जा के लिए समन्वित कार्रवाई की जाएगी। प्रयास यह रहेगा कि विभिन्न स्रोतों—कोयला, जल-विद्युत, नाभिकीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से प्रतिवर्ष कम से कम 13 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता की वृद्धि की जाए। ग्राम तथा ग्रामीण परिवार विद्युतीकरण करने तथा समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसानों में कमी लाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। समयबद्ध उपायों द्वारा विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता तथा कार्य-कुशलता को बढ़ाया जाएगा जिसमें खुली भागीदारी के प्रावधानों को लागू करना भी शामिल है।

तेल तथा गैस अन्वेषण की गति में तेजी लाई जाएगी और भारत की तेल संबंधी कूटनीति को पूर्ण उत्साह से जारी रखा जाएगा। कोयला क्षेत्र में सुधार संबंधी विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है, और इस कार्य को तुरंत आगे बढ़ाया जाएगा। यद्यपि यूरेनियम के घरेलू स्रोतों का दोहन किया जा रहा है तथा देश में डिजाइन किए गए फास्ट ब्रीडर तथा थोरियम रिएक्टर पर कार्य चल रहा है तथापि विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सिविल नाभिकीय करार शुरू किए जाएंगे।

मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो एक विशिष्ट पहचान प्राप्त कर चुका है, दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण तथा मौसम पूर्वानुमान में योगदान करने के अतिरिक्त कृषि, दूर-चिकित्सा, दूर-शिक्षा में तथा ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को सूचना मुहैया कराकर समाज को भरपूर लाभ पहुंचाता रहे। पिछले पांच वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कई नवाचारी पहलों, जिन पर अब कार्य किया जा रहा है, को और सुदृढ़ किया जाएगा।

मेरी सरकार आठ राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से पर्यावरण परिवर्तन के मामलों पर सक्रिय कार्य कर रही है। इनमें से राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन को इस वर्ष के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में गठित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, बेसिन राज्यों के साथ सहभागिता करके नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए एक नई कार्य योजना विकसित करेगा।

मेरी सरकार की विदेश नीति भारत की सामरिक स्वायत्तता और अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बरकरार रखते हुए देश के सुविचारित राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाती रहेगी जो हमारी असली पहचान भी है। भारत को अपने पड़ोसियों की स्थिरता तथा संपन्नता में गहरी रुचि है। इस क्षेत्र में स्थिरता, विकास तथा संपन्नता बढ़ाने के लिए सार्क देशों में हमारे मित्रों के साथ कार्य करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ निष्ठापूर्वक कार्य करेगी जिससे बकाया मसलों को सुलझाया जा सके तथा इस क्षेत्र की संपूर्ण संभाव्यताओं का इष्टतम लाभ उठाया जा सके।

मेरी सरकार पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को नया रूप देने का प्रयास करेगी जो इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करने वाले समूहों के विरुद्ध वास्तविक रूप में क्या कार्रवाई करता है। हम श्रीलंका सरकार के उन प्रयासों का समर्थन करेंगे जिनसे वहां के संघर्ष का स्थायी राजनैतिक समाधान हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि श्रीलंका के सभी समुदाय, विशेषकर तमिल सुरक्षित महसूस करें और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हों जिससे वे गरिमापूर्ण और आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत कर सकें। भारत इस संघर्ष

से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में समुचित योगदान करेगा। भारत–नेपाल और बांग्लादेश में जहां बहुदलीय लोकतंत्र वापस आ चुका है, आपसी हितों के लिए दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार को जारी रखने के लिए निकटता से कार्य करेगा। भूटान और मालदीव के साथ भारत अपनी सघन और जीवंत सहभागिता सुदृढ़ करेगा और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग देना जारी रखेगा।

प्रमुख शक्तियों के साथ हमारे संबंधों में सुधार की गति को बनाए रखा जाएगा। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारी सहभागिता में आए बदलाव को और आगे बढ़ाया जाएगा। विगत वर्षों में रूस के साथ हमारी सामरिक भागीदारी बढ़ी है और हम इसे और सुदृढ़ करेंगे। मेरी सरकार यूरोप के देशों और जापान के साथ उन सतत राजनयिक प्रयासों को जारी रखेगी जिनके फलस्वरूप 2004 को हमारे संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। चीन के साथ बहु–आयामी साझेदारी का विस्तार किया जाएगा।

मेरी सरकार अन्य विकासशील राष्ट्रों के साथ कार्य करना जारी रखेगी। हमारी सरकार शीघ्रातिशीघ्र व्यवहार्य फिलीस्तीन राज्य की स्थापना के जरिए, पश्चिम एशिया में शांति के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देगी। खाड़ी के देशों के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंधों को सुदृढ़ किया जाएगा। मेरी सरकार द्वारा आयोजित प्रथम भारत–अफ्रीका शिखर वार्ता से अफ्रीका के साथ चल रहे हमारे संबंधों को मजबूती मिली है, जो और सुदृढ़ होंगे। दक्षिण–पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र और साथ–साथ मध्य एशिया और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के देशों के साथ बहुआयामी साझेदारी को सुदृढ़ किया जाएगा।

पूरे विश्व भर में दो करोड़ पचास लाख से अधिक अनुमानित भारतीय बिखराव एक महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत हैं तथा मेरी सरकार इनके साथ और भी प्रगाढ़ संबंध स्थापित करेगी। इस बिखराव के साथ हमारे संबंध और भाईचारे के कारण ही हम इनकी सलामती के प्रति पूर्ण सजग और उनके हितों के प्रति संवेदनशील बने रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वैश्विक आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और समसामयिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार जैसे सांझी चिंताओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए अन्य देशों के साथ काम करेगा।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का विश्वास है कि आज हम जिस ज्ञान आधारित समाज में रह रहे हैं, उसमें लोगों और राष्ट्र द्वारा अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सृजनशीलता, नवाचार और उद्यमशीलता प्रमुख आधार हैं। निर्जीव परंपराओं का परित्याग अवश्य ही कर दिया जाना चाहिए। हमारी

युवा पीढ़ी उन पर बंदिश लगाने वाली धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति और स्त्री-पुरुष के भेद संबंधी संकीर्ण विचारधाराओं को तोड़ रही है। राष्ट्र को उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए उसकी नीतियां नवाचार की भावना से ओत-प्रोत हों ताकि सौ करोड़ से अधिक लोगों की रचनात्मकता उभर कर सामने आए। अगले दस वर्षों को नवाचार के दशक के रूप में समर्पित किया जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक संकेत हो सकता है। परन्तु हमारी बहुत सी चुनौतियों का हल ढूंढ़ने के लिए अभिनव होने की आवश्यकता जताने वाला यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। भारत की युवा पीढ़ी स्वभावतः क्रियाशील है और शीघ्र ही परिवर्तन देखना चाहती है। उनके सपनों को साकार करने का दायित्व भी मेरी सरकार पर है। आइए, हम सब मिलकर, अगले पांच वर्षों के प्रत्येक दिन उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 22 फरवरी 2010

लोक सभा	-	पंद्रहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत की राष्ट्रपति	-	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्रीमती मीरा कुमार

माननीय सदस्यगण,

इस नए दशक में, संसद के दोनों सदनों के पहले सत्र के लिए आज आप जहां उपस्थित हुए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूं। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य, अपने देश को समृद्धि की ओर ले जाने और विश्व समुदाय में इसे उचित स्थान दिलाने के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे और इस दशक को गौरवशाली दशक बनाएंगे। आगे आपको बहुत अधिक विधायी कार्य करने हैं, इनके लिए आपका पूर्ण ध्यान अपेक्षित है।

मैं उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं जिन्होंने हाल ही में पुणे में हुए आतंकवादी हमले में अपने प्रियजन खो दिए हैं। वामपंथी अतिवादियों की विवेकहीन हिंसा जारी है जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुए हाल ही के हमलों से स्पष्ट होता है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस प्रकार के कायरतापूर्ण कार्य ऐसी हिंसा की चुनौतियों का और अधिक ताकत के साथ सामना करने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ करते हैं। मेरी सरकार ने वामपंथी अतिवादियों से हिंसा का मार्ग छोड़कर बातचीत के लिए आने को कहा है। नागरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने और सभी को सर्वांगीण विकास के लाभ पहुंचाने की हमारी योजना के पक्के इरादे के साथ जारी रहेगी।

मेरी सरकार को बहुलवाद और पंथनिरपेक्षता के मूल्यों को संरक्षित व मजबूत करने और सभी के लिए न्यायपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट जनादेश मिला है। मई, 2009 में कार्यग्रहण करने के समय से ही मेरी

सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर अधिक तीव्र एवं सर्वांगीण विकास के वायदे को पूरा करने के लिए एकत्रित होकर कार्य किया है। हमारे इस वायदे का केन्द्र बिंदु आम आदमी था और है। वैश्विक महामंदी के बाद, अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट के दुष्प्रभावों और वर्ष 2009 के मध्य में देश के अधिकांश भागों में मानसून की विफलता से उपजे संकट, से आम आदमी को बचाना जरूरी था।

मेरी सरकार ने मौजूदा आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए सजग एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने संबंधी उपाय किए हैं। सरकार ने भिन्न-भिन्न राजनीतिक व क्षेत्रीय मांगों का समाधान ढूंढ़ने और अपनी संघीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निष्ठा से कार्य किया है। विश्व समुदाय से संबंध बनाने की पहल में अपने सुविचारित राष्ट्रीय हितों को मजबूती से आगे बढ़ाया है। शासन की संस्थाओं एवं नागरिक समाज के बीच की भागीदारी में संवेदनशीलता लाई गई है।

अपनी अर्थव्यवस्था को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहन देने की सुदृढ़ नीतियों के जरिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सामना किया गया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। आर्थिक विकास की दर, जो वर्ष 2008-09 में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई थी, वर्ष 2009-10 में बढ़कर करीब 7.5 प्रतिशत होने की संभावना है। जिस समय औद्योगिकृत देशों में विकास दर नकारात्मक रही, भारत की विकास दर प्रभावी गति से बढ़ती रही।

अप्रत्याशित और भयंकर सूखे के कारण वर्ष 2009 में अर्थव्यवस्था के प्रबंध में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस गंभीर प्रतिकूल स्थिति के प्रभाव को न्यूनतम रखने में किसानों की मदद करने के लिए, मेरी सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कार्य किया। सूखा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि से अब तक रुपये चार हजार करोड़ से भी अधिक की राशि आबंटित की जा चुकी है। डीजल सब्सिडी स्कीम शुरू की गई। सरकार ने कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा सृजित करने के लिए, केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों, जैसे—'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' और 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' की निधियों का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी है ताकि फसल विशेष के अनुसार कार्यनीति बनाई जा सके और सूखे के कारण कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके। 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' में संशोधन किया गया ताकि छोटे व सीमांत किसानों के खेतों में भी जल संरक्षण का कार्य किया जा सके। इन प्रयासों के कारण खाद्यान्न के उत्पादन की गिरावट को काफी हद तक रोका जा सका। रबी की पैदावार प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

हम अपनी खाद्य सुरक्षा को किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं, फिर भी खाद्यान्नों और खाद्य उत्पादों की कीमतों पर दबाव रहा है। घरेलू उत्पादन में कमी और विश्व स्तर पर चावल, दालों तथा खाद्य तेल के बढ़े हुए मूल्यों के कारण, कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य थी। यह मूल्य वृद्धि सर्वांगीण विकास की हमारी स्कीमों के कार्यान्वयन का भी कुछ हद तक प्रतिबिंबन है, जिनके तहत किसानों को खरीद कीमतों का अधिक भुगतान किया गया तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा अधिक खर्च किया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि हुई।

बढ़ती खाद्य कीमतों से, आम आदमी को राहत देने के कार्य को मेरी सरकार लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। खाद्यान्नों की खरीद कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बावजूद, सार्वजनिक वितरण के प्रयोजन से केन्द्र द्वारा निर्धारित कीमतें वर्ष 2002 से अपरिवर्तित रखी गई हैं। अनिवार्य वस्तुओं के लिए आयात व्यवस्था को उदार बनाया गया है। सरकार ने अगले दो महीनों में खुले बाजार में तीस लाख टन गेहूं व चावल लाने और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ एवं राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और उनकी संबद्ध सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 5 लाख टन गेहूं और 2 लाख टन चावल जारी करने का निर्णय किया है, ताकि खुदरा स्तर पर उपभोक्ता को राहत मिल सके। सरकार ने कार्डधारकों को जनवरी और फरवरी, 2010 के दौरान वितरित किए जाने के लिए छत्तीस लाख टन गेहूं व चावल की अतिरिक्त मात्रा जारी की है। यह मात्रा कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सामान्य मात्रा के अतिरिक्त होगी। खाद्य तेलों और दालों पर सब्सिडी देने की स्कीम जारी रखी गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जमाखोरी रोककर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में न आने वाले वाली खाद्य वस्तुओं की भारी मात्रा में खरीद करने के लिए राज्य एजेंसियों जैसे–नागरिक आपूर्ति निगमों का सही उपयोग करके राज्य स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करें। गेहूं और रिफाइंड चीनी के आयात को और उदार बना दिया गया है। चीनी की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और समन्वित कार्यनीति बनाने के लिए हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा खाद्य व आपूर्ति मंत्रियों की बैठक आयोजित की। विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचार करने के लिए कोर ग्रुप गठित किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कुछ मुख्यमंत्री शामिल हैं।

हम अपनी खाद्य सुरक्षा को दीर्घ अवधि के लिए तभी सुनिश्चित कर पाएंगे जब हम कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुले बाजार को नियंत्रित करने की नीतियों में भी व्यापक सुधार

करेंगे। मेरी सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के प्रति कृतसंकल्प है।

वर्ष 2010-11 के दौरान अपनी विकास-दर में और सुधार करने की दिशा में अब हम दृढ़ता से अग्रसर हो रहे हैं। मेरी सरकार वर्ष 2010-11 में 8 प्रतिशत से अधिक की विकास दर का लक्ष्य रखेगी और वर्ष 2011-12 में 9 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का प्रयास करेगी। बुनियादी ढांचागत विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम अधिक बल देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह विकास प्रक्रिया समाज के कमजोर वर्गों के सरोकारों और कल्याण के प्रति पर्याप्त रूप से अनुकूल हो। हम ऐसा वातावरण तैयार करने की दिशा में कार्य करेंगे जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ सभी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिले।

मेरी सरकार ने देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कई नए उपाय किए हैं ताकि आतंकवाद की भारी चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे समर्थ बनाया जा सके। राज्य व जिला पुलिस मशीनरी और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी को सक्रिय बनाना, किसी संभावित आतंकी हमले से तेजी व कारगर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के चार केन्द्रों की स्थापना करना, आसूचना ब्यूरो के कर्मियों की संख्या बढ़ाना, आसूचना ब्यूरों में मल्टी एजेंसी सेंटर को सुदृढ़ करना ताकि वह चौबीसों घंटे कार्य कर सके और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना इन उपायों में शामिल है।

आतंकवाद की सभी प्रकार की चुनौतियों के प्रति सरकार पूरी तरह सजग रहती है। आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करना हमारी सैद्धांतिक नीति रही है। हमें लगातार निगरानी रखनी होगी और विश्वव्यापी आतंकी समूहों से निपटने के लिए नए-नए उपाय खोजने होंगे।

वर्ष 2009 के दौरान देश में आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ गई है। इसके बावजूद जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, यद्यपि वामपंथी अतिवाद विशेष चिंता का कारण बना हुआ है।

राष्ट्र को अपने सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है। हमारे ये सशस्त्र बल देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में खरे उतरे हैं। सरकार सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने सशस्त्र बलों को अपेक्षित अस्त्र-शस्त्रों, उपकरणों एवं प्लेटफार्मों से

सुसज्जित करने के लिए हम आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। अग्नि–III मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमताओं का शानदार उदाहरण है और वे इसके लिए भूरि–भूरि प्रशंसा के पात्र हैं। भारतीय सेना को मुख्य युद्धक टैंक, 'अर्जुन' सौंपने से प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के हमारे प्रयासों को नई ऊर्जा मिली है।

मेरी सरकार सैनिकों और पूर्व–सैनिकों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्प है। सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों एवं विवादों और अन्य अपीलों के निपटान के लिए 'सशस्त्र बल अधिकरण' का गठन किया गया है। अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पेंशनरी लाभों में पर्याप्त सुधार करने के लिए सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि अब समय आ गया है जब हम यह सुनिश्चित करने पर जोर दें कि शासन प्रक्रियाएं संवेदनशील हों, प्रशासनिक साधन अधिक कारगर हों और कल्याण कार्यक्रमों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। सुशासन के सिद्धांतों के प्रति हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसी से सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की 'भारत निर्माण' और अन्य स्कीमों के तहत ग्रामीण एवं शहरी पुनर्निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा।

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' के कार्यान्वयन में गति आई है। वर्ष 2009–10 के दौरान, अब तक, 4.33 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 203 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। इस स्कीम से कमजोर वर्गों को लाभ मिला है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों की भागीदारी 52 प्रतिशत और महिलाओं की भागीदारी 49 प्रतिशत रही, जो उत्साहवर्धक है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप ग्रामीण मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी हुई है।

मेरी सरकार भारत निर्माण के शेष कार्यों को दूसरे चरण में पूरा करने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है।

ग्रामीण आवास योजना घटक के अंतर्गत, वर्ष 2009–10 के दौरान, पिछले दिसम्बर तक 14 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है। ग्रामीण सड़क योजना घटक के अंतर्गत, नवंबर, 2009 तक 96 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण करके, लगभग 34 हजार गांवों को जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण जल–आपूर्ति योजना घटक के अंतर्गत, वर्ष 2009–10 में 627 में से 586 ऐसी बस्तियों को जल की आपूर्ति कर दी गई है जिन्हें अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई थी। वर्ष 2009–10 में 1.79 लाख अपेक्षित गुणवत्ता–रहित बस्तियों में से लगभग 35 हजार

बस्तियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सिंचाई योजना घटक के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत वर्ष 2005-06 में की गई थी, वर्ष 2011-12 तक एक करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 31.12.2009 तक 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के फलस्वरूप 67 हजार से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 84 लाख परिवारों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं। वर्ष 2014 तक 40 प्रतिशत ग्रामीण टेली-डेनसिटी प्राप्त करने के लिए प्रयास आरंभ किए गए हैं।

हमारे देश के शहरी क्षेत्र जहां एक ओर चुनौती खड़ी करते हैं वहीं अनेक अवसर भी प्रदान करते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2005 में 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' प्रारंभ किया गया। इस मिशन के अंतर्गत, शहरी विकास और शहरी गरीबों के कल्याण के लिए रुपये एक लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

हमें शहरी आवास और स्लम क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। सरकार महत्वाकांक्षी 'राजीव आवास योजना' पर कार्य कर रही है जिसका उद्देश्य ऐसे राज्यों की सहायता करना है जो स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्लम निवासियों के लिए हमारे शहरों के भीतर ही निश्चित स्थान निर्धारित करना होगा और इन शहरों को स्लम रहित बनाने के लिए वांछित परिवर्तन करने और इनका पुनर्विकास करने का प्रयास किया जाएगा।

सतत एवं सर्वांगीण विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का बहुत महत्व है। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर गठित कार्यबल की सिफारिशें शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ऋण प्राप्ति सुविधा में सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास, जिला उद्योग केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, कच्चे माल की आपूर्ति में सुधार, उत्पाद विपणन की सुगमता और संस्थागत सुधार इनमें शामिल हैं।

मेरी सरकार सीमावर्ती राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय विकास के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की पक्षधर है।

प्रधानमंत्री की जम्मू-कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत सड़कों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

और आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण का कार्य तत्काल आधार पर शुरू किया गया है। सर्दी के महीनों में राज्य को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदान की गई।

मेरी सरकार, उत्तर-पूर्व राज्यों में बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत सभी राज्यों की राजधानियों और इन राज्यों में प्रत्येक जिले को दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत 1600 किलोमीटर से अधिक लंबे अरूणाचल राजमार्ग का निर्माण शामिल है। अरूणाचल प्रदेश के सभी सीमावर्ती गांवों को 'होम लाइटिंग सिस्टम' मुहैया कराने के लिए विशेष कार्यक्रम का काफी हद तक कार्यान्वयन हो चुका है।

हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के वंचित वर्गों को भी सफलता की इस कहानी का हिस्सेदार बनाया जाए।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के अंतर्गत, अभी तक लगभग 7 लाख अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। शेष दावों का यथाशीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे।

सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया है। वर्ष 2008-09 में अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए ऋणों में ₹ 82 हजार करोड़ तक वृद्धि हुई, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के 12 प्रतिशत से अधिक है। केन्द्र सरकार में रिक्त पदों पर अल्पसंख्यकों की भर्ती में बढ़ोतरी हुई है और नई भर्तियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व जो वर्ष 2006-07 में 7 प्रतिशत था, बढ़कर वह 2008-09 में 9 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी रही है। वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई तीन छात्रवृत्ति स्कीमों को जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़कर लगभग 15 लाख तक पहुंच गई है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में बालिकाओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

मेरी सरकार संसद के इस सत्र के दौरान वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश करेगी।

हमारी एकता और सामाजिक सौहार्द ही, आतंकवादियों और उनकी विघटनकारी योजनाओं का सही जवाब है। इसीलिए हमारी सरकार अपने सामाजिक ताने-बाने की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी प्रयोजन से, हम संसद के इस सत्र के दौरान 'सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण एव पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005' को शीघ्र पारित करवाने का प्रयास करेंगे।

मेरी सरकार मई, 2008 में राज्य सभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित करवाने के लिए वचनबद्ध है। माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप सब इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव की ओर विशेष ध्यान दें।

पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से, संविधान में संशोधन करने के लिए दो विधेयक पहले ही पेश किए जा चुके हैं। आशा है कि इस सत्र में इन्हें पारित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम शुरू की गई है जिसके अंतर्गत 25 से 35 वर्ष के युवा वर्ग को राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों में दो वर्ष तक सेवा करने योग्य बनाया जाएगा। पहले चरण में बीस हजार स्वयंसेवकों को लगाया जाएगा और जम्मू-कश्मीर में डल झील की सफाई करने जैसे विभिन्न रचनात्मक सामाजिक कार्यों में उनकी सेवाएं ली जाएंगी।

सभी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना आवश्यकता है। सरकार ने 'सर्व शिक्षा अभियान' एवं 'मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में भारी निवेश किया है और नए 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सार्वजनीकरण करने की दिशा में प्रयास कर रही है। 'बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' अधिसूचित किया जा चुका है जो पहली अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में 373 आदर्श महाविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु एक स्कीम अनुमोदित कर दी गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से 'राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' की स्थापना की गई है जिससे देश के लगभग 18 हजार महाविद्यालयों और 400 विश्वविद्यालयों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों द्वारा लिए जाने वाले शैक्षिक ऋणों के ब्याज पर सब्सिडी देने की भी स्कीम शुरू की गई है। 'साक्षर भारत' नाम से एक नया अभियान चलाया गया है जिसमें महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मेरी सरकार शैक्षिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह शैक्षिक ढांचा विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता के तीन स्तंभों पर आधारित होगा। भारत में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की नियामक संस्था के रूप में 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद' की शीघ्र स्थापना की जाएगी जिसका कार्यक्षेत्र व्यापक होगा। सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके आधार पर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविख्यात और उत्कृष्ट अकादमिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए विदेशों से शिक्षा प्रदाताओं को लाया जा सके।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास में कम से कम 10 प्रतिशत इक्विटी के पब्लिक ऑफर के जरिए आम आदमी को भागीदारी का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने लाभकारी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन' शुरू किया गया जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक 20 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

'ऊर्जा दक्षता वृद्धि मिशन' का अनुमोदन किया जा चुका है और जिसके अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के अंत तक 10 हजार मेगावाट बिजली की बचत होने की आशा है।

पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण से संबंधित सिविल मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009' (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल, 2009) पेश किया गया है।

हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह तेल और गैस पर आश्रित है। लगभग एक दशक तक उत्पादन में गतिरोध बने रहने के बाद, वर्ष 2009-10 में 20 नए तेल क्षेत्रों की खोज होने से तेल उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

मेरी सरकार, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों को आम आदमी तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना' नाम से गांवों में एलपीजी वितरण की एक नई योजना आरंभ की गई है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार वर्ष 2012 तक 'घर-घर बिजली' पहुंचाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के विशेष प्रयास किए गए हैं। फलस्वरूप, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दसवीं योजना में शामिल क्षमता से तीन गुना अधिक क्षमता वृद्धि की संभावना है।

मेरी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों को तीव्र गति से करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 20 किलोमीटर के निर्माण कार्य का लक्ष्य रखा है। कई नीतिगत पहलें की गई हैं ताकि एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में नई गति आई है।

नागर विमानन क्षेत्र भी इस विश्व मंदी से अप्रभावित नहीं रह सका। विशेषकर हमारी राष्ट्रीय विमान सेवा, 'एयर इंडिया' तो बुरी तरह प्रभावित हुई। मंत्री समूह के सजग मार्गदर्शन में इसके यथाशीघ्र पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं।

विमानपत्तनों, विशेषकर चार महानगरीय विमानपत्तनों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है। दिल्ली विमानपत्तन परियोजना जुलाई, 2010 तक अर्थात् राष्ट्र-मंडल खेलों से काफी पहले ही पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगी। विमानपत्तन के क्षेत्र में नियामक कार्यों के निष्पादन के लिए 'विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण' की स्थापना की गई है।

मेरी सरकार, 'राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम' चला रही है जिसके अंतर्गत पत्तन और जहाजरानी क्षेत्र में चिह्नित परियोजनाओं पर निजी निवेश सहित एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश होगा। 'भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय' ने पूरी तरह से कार्य करना आरंभ कर दिया है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम और कोच्चि में इसके कैंपस खोले गए हैं।

भारतीय रेल इस विशाल देश को एक सूत्र में पिरोती है। मेरी सरकार रेलवे की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने और रेल प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा में सुधार करने के साथ-साथ यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों की गति में वृद्धि करने के प्रति वचनबद्ध है।

संपूर्ण कश्मीर घाटी में 'काजीगुंड से बारामूला' तक रेल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं जिससे हमारे देश के सभी क्षेत्रों के विकास के प्रति मेरी सरकार की वचनबद्धता प्रदर्शित होती है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की 9 मुख्य राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित वित्त-पोषण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक विशेष 'उत्तर-पूर्व रेल विकास निधि' का सृजन किया गया है।

भारतीय रेलवे ने पूर्वी और पश्चिमी मुख्य मार्गों पर महत्वाकांक्षी 'डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर' भी शुरू किया है। इस परियोजना से भारत के विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।

हमारी सरकार ने जापान सरकार के साथ साझेदारी में एक महत्वाकांक्षी परियोजना 'दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर' के क्रियान्वयन में प्रगति की है। यह चुनौतीपूर्ण पहल पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचा, कारगर परिवहन,

विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति तथा प्रभावी लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराकर छह राज्यों में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगी।

मेरी सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक संचार सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध है। ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने हेतु 'विश्व सेवा दायित्व निधि' से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मेरी सरकार ने देश भर के दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में 10 हजार टावर स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्ष 2012 तक 60 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन के लक्ष्य में से अब तक 57 करोड़ से भी अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से अकेले दिसम्बर, 2009 में ही लगभग दो करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं, जो अभूतपूर्व वृद्धि कही जा सकती है।

'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' के तत्वावधान में 'मिशन निर्मल गंगा' यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2020 तक किसी भी शहरी नाले और औद्योगिक बहिस्राव को शोधन किए बिना गंगा में नहीं बहने दिया जाएगा। गंगा की 'निर्मल धारा' और 'अविरल धारा' को सुनिश्चित करने के इस कार्य में केन्द्र और संबंधित राज्यों के संगठित और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

हम जिस समावेशी समाज की आकांक्षा करते हैं, उसमें निष्पक्ष न्याय प्रणाली तक जनता की पहुंच और भरोसा होना आवश्यक है। सरकार ने 'राष्ट्रीय न्याय एवं विधि सुधार मिशन' बनाने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य सरकार को एक जिम्मेदार एवं सजग पक्षकार बनाना, न्यायिक प्रबंधन की शुरुआत करना, न्यायालय प्रशासन और केस प्रबंधन में सुधार करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा लंबित मुकदमों की संख्या को कम करना है।

'सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य' अभी भी हमारे लिए एक राष्ट्रीय चुनौती बना हुआ है। 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' के जरिए जन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को क्रियाशील किया गया है। इसके लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें कम चिकित्सा सुविधा वाले क्षेत्रों में मेडिकल, नर्सिंग और पराचिकित्सा संस्थानों की स्थापना, विशेषज्ञों और सुपर-विशेषज्ञों के लिए अतिरिक्त सीटों का सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहित करना शामिल है। प्रारंभिक आंकड़े, इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव को इंगित करते हैं।

मेरी सरकार ने इन्फ्लूएंजा एच1एन1 नामक विश्वव्यापी महामारी से निपटने के लिए तत्परता से कार्य किया। देश में आने वाले एक करोड़ से भी अधिक यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जांच की गई। एच1एन1 परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं, राज्यों को औषधियों की दो करोड़ खुराक निःशुल्क

वितरित की गईं और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 15 लाख टीकों का आयात किया गया। देश में पहली बार इन्फ्लूएंजा एच1एन1 का टीका विकसित किया जा रहा है, जो इस वर्ष उपलब्ध हो जाएगा।

मेरी सरकार ने भारत से बाहर जमा काले धन का पता लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 'आयकर अधिनियम, 1961' में संशोधन करना शामिल है जिससे केंद्र सरकार गैर-संप्रभुता वाले क्षेत्रों के साथ कर संबंधी समझौते कर सके। बड़े क्षेत्रों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए करार करने के उद्देश्य से वार्ता शुरू करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। स्विट्जरलैंड के साथ कर-संधि के लिए पुनर्वार्ता चल रही है। भारत कर संबंधी सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने तथा कर चोरी की सुविधा देने वाले क्षेत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित वैश्विक प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है।

समाचार और मनोरंजन के साधन सभी के लिए वहनीय तथा सर्वसुलभ होने चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हैड एंड इन द स्काई सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु दिशा-निर्देश अधिसूचित करने के अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के डिजिटलीकरण पर विचार किया जा रहा है। पहली बार दूरदर्शन राष्ट्रमंडल खेल-2010 का 'हाई डेफीनिशन फॉर्मेट' के साथ प्रसारण करेगा। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय फिल्मों तथा संगीत रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और हमारे कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

भारत के सभी नागरिकों को बायोमीट्रिक प्रणाली के आधार पर विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण' स्थापित किया गया है। सरकार के प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों और जनसेवाओं के लक्ष्यों एवं डिलीवरी को खासकर गरीबों तथा अलग-थलग पड़े लोगों तक पहुंचाने में यह बृहत् एवं अभूतपूर्व कार्यक्रम कारगर सिद्ध होगा। विशिष्ट पहचान संख्याओं का पहला सेट वर्ष 2011 के पूर्वार्द्ध में जारी होने की संभावना है।

कुछ चुने हुए अग्रणी कार्यक्रमों और अन्य कार्यों की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक 'डिलीवरी मॉनीटरिंग यूनिट' (डीएमयू) की स्थापना की गई है। इस यूनिट की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराने के लिए संबंधित नोडल मंत्रालयों ने अपनी-अपनी वेबसाइटों पर तिमाही डीएमयू रिपोर्टें प्रदर्शित करनी शुरू कर दी हैं।

सरकार, अपने लिए और उद्योग, उद्यमियों, प्रौद्योगिकीविदों और शिक्षाविदों के लिए एक नवाचार कार्यनीति बनाने के लिए वचनबद्ध है जिसमें विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में नए बदलाव लाने के लिए आवश्यक सर्वांगीण विकास और उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

देश अक्तूबर, 2010 में 19वें प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। खेलों का सुचारू और सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

हमने वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाई है और अपने देश तथा देश के बाहर के क्षेत्रों में शांति, स्थायित्व और प्रगति के लिए भी कार्य किया है। सरकार, विश्व के साथ हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित अपनी सक्रिय सहभागिता निभाती रहेगी और इसका उद्देश्य परस्पर निर्भर विश्व में त्वरित एवं सर्वांगीण आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन के हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाना होगा।

भूटान के राजा एवं प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति और नेपाल के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की भारत यात्राओं ने पड़ोसी देशों के साथ हमारी मित्रता और पारंपरिक संबंधों को नए आयाम दिए हैं। श्रीलंका में हुए चुनावों के बाद, अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए हम वहां की सरकार के साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे। भारत, संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में तमिल अल्पसंख्यकों के लिए माननीय एवं पुनर्वास प्रयासों तथा दीर्घकालिक पुनर्निर्माण कार्यों में योगदान करेगा। अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के प्रयासों में भारत ने सहयोग के कई महत्वपूर्ण सोपान तय किए हैं और हम अफगानिस्तान के विकास प्रयासों में उनके साथ साझेदारी करते रहेंगे। यदि पाकिस्तान आतंकवाद के खतरे को गंभीरता से ले और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए तो भारत, पाकिस्तान के साथ भी सार्थक संबंध तलाशने के लिए तैयार है।

बड़ी शक्तियों के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा ने भारत-अमेरिकी साझेदारी के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर और आगे विस्तार की नींव तैयार कर दी है। मेरी और प्रधानमंत्री की रूस यात्राओं ने समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मित्रता को फिर से ताजा किया है तथा सहयोग के नए द्वार खोले हैं। नई दिल्ली में हुई दसवीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर वार्ता यूरोप के साथ विस्तार पाती हमारी साझेदारी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। चीन के साथ हमारी नीतिगत और सहकारी साझेदारी उत्तरोत्तर, क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा ने सभी क्षेत्रों में हमारे सहयोग की गति को तीव्रतर बनाने की हमारी पारस्परिक इच्छा को प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री ने 'ब्रिक' देशों की पहली शिखर वार्ता में भाग लिया।

मेरी सरकार ने 'लुक ईस्ट' नीति का पूरे उत्साह के साथ अनुसरण किया है। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि थे। सरकार ने मंगोलिया के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया एवं मलेशिया के प्रधानमंत्रियों की मेजबानी की। भारत–आसियान मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर तथा भारत–आसियान ढांचे एवं पूर्व एशिया शिखर वार्ता प्रक्रिया के भीतर कई नई पहलों की शुरुआत, हमारे देश को एशिया–प्रशांत क्षेत्रों से जोड़ेगी।

तज़ाकिस्तान की मेरी यात्रा तथा शंघाई सहयोग संगठन की शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री की पहली बार उपस्थिति, मध्य एशिया के साथ मित्रता और आपसी समझ के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने की सरकार की नीति को दर्शाती है। तुर्की के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से तुर्की के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं।

मिस्र में गुटनिरपेक्ष शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री की शिरकत ने विकासशील देशों के साथ हमारे संबंधों को और सुदृढ़ किया है। खाड़ी और पश्चिम एशिया के देशों पर हम विशेष ध्यान देते रहेंगे। फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा के दौरान फिलिस्तीनी हितों के लिए भारत ने अपने दृढ़ समर्थन को दोहराया है। नामीबिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और हमारे उपराष्ट्रपति की बोत्स्वाना, मालावी और जांबिया की यात्रा से अफ्रीकी महाद्वीप के साथ हमारे संबंध और गहरे हुए हैं। हम लैटिन अमेरिका के साथ लगातार बढ़ते सहयोग को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

आतंकवाद, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं आर्थिक संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के संबंध में भारत का दृष्टिकोण उपयुक्त मंचों पर स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता रहा है। वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में शीर्ष पर रखा गया। ग्रुप–20 प्रक्रिया, ग्रुप–8 एवं ग्रुप–5 शिखर वार्ता और कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत की आवाज पूरे सम्मान के साथ सुनी गई।

हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि प्रवासी भारतीय समुदाय ने विश्व स्तर पर जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और इसके लिए उन्हें पर्याप्त सम्मान भी प्राप्त हुआ है। 'प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय वैश्विक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक इस वर्ष हुई। अगले नियमित आम चुनावों के समय तक सरकार विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को मतदान के अवसर प्रदान करने के लिए कार्य करेगी। भारतवंशियों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति हम वचनबद्ध हैं। इस उद्देश्य से 'भारतीय समुदाय कल्याण निधि' स्थापित की गई है।

देश के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी विस्तार के एक घटक के रूप में अतिरिक्त 'दाबानुकूलित भारी जल रिऐक्टरों' के निर्माण और 'हल्के जल रिएक्टर'

स्थापित करने के लिए स्थलों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सिविल नाभिकीय सहयोग के शुरू हो जाने के फलस्वरूप आयातित ईंधन उपलब्ध हो जाने से, 'राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना' की दो इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है और आशा है कि एक और इकाई शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी। सिविल नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए रूस, मंगोलिया, नामीबिया, अर्जेंटीना और युनाइटेड किंगडम के साथ नए करार किए गए हैं और कुछ अन्य करारों पर बातचीत चल रही है।

टेली-चिकित्सा, टेली-शिक्षा के क्षेत्रों और ग्राम संसाधन केंद्रों में अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्र को लगातार सामाजिक सेवाएं मुहैया करा रहा है। पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान से ओसियनसैट-2 उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़ा गया। निकट भविष्य में स्वदेशी क्रायोजेनिक युक्त जीएसएलवी-डी3 प्रक्षेपण यान का उड़ान परीक्षण तथा कार्टोसैट-2बी, इनसैट-3डी और रिसोर्ससैट-2 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना है। जीएसएलवी-मार्क III प्रक्षेपण यान को और विकसित किया जाएगा तथा चन्द्रयान-2 मिशन से संबंधित कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हमारे राष्ट्रनिर्माताओं ने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का जो सपना संजोया था, उसे साकार करने के हम इतने करीब कभी नहीं थे जितने आज हैं। इन आकांक्षाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त, 1947 की मध्य-रात्रि को इसी हॉल में इन शब्दों में कहा था:

> "भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा, जो पीड़ित हैं। इसका अर्थ है गरीबी और अज्ञान तथा रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना।"

हमने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, राह लंबी है किंतु हमारी यात्रा जारी है। तो आइए, पूरे विश्वास के साथ एक नए एवं उज्जवल भविष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 21 फरवरी 2011

लोक सभा	-	पंद्रहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत की राष्ट्रपति	-	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्रीमती मीरा कुमार

माननीय सदस्यगण,

नए दशक के प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। आशा है, यह सत्र पूरी तरह सफल और उपयोगी रहेगा।

बादल फटने की विनाशकारी घटना से प्रभावित लद्दाख की जनता के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। इस घटना के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित जान-माल की हानि हुई। मेरी सरकार ने प्रभावित लोगों के तत्काल राहत और पुनर्वास के लिए कारगर उपाय किए हैं और वह तत्परता के साथ शेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हाल ही में, पंडित भीमसेन जोशी के देहावसान के कारण राष्ट्रीय क्षति हुई है। इससे हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो सूनापन उत्पन्न हुआ है, उसकी भरपाई कर पाना कठिन होगा।

पिछले वर्ष अक्तूबर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल पूर्णतः सफल रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने अप्रत्याशित संख्या में पदक हासिल किए। दिल्ली के नागरिकों ने अनुकरणीय अनुशासन और शिष्टाचार का परिचय दिया। हमें इन उपलब्धियों पर गर्व है।

पिछले वर्ष देश कठिनाइयों से गुजरा है। देश में मुद्रास्फीति एक समस्या बनी रही। हमारे देश के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और कश्मीर घाटी में भारी संख्या में हिंसक घटनाएं हुई हैं, जो अस्वीकार्य हैं। कुछ तबकों की यह शिकायत रही है कि गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को दिया जाने वाला लाभ उन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है।

वर्ष 2011-2012 में मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं इस प्रकार होंगी:-

(i) मुद्रास्फीति को रोकना, और विशेष रूप से बढ़ते खाद्य मूल्यों के प्रभाव से आम जनता को राहत पहुंचाना;

(ii) सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी के कारण उत्पन्न समस्याओं को प्रमुखता के आधार पर निपटाना;

(iii) समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक विकास में उपयुक्त भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना;

(iv) आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मामलों में अचूक सतर्कता बनाए रखना; और

(v) ऐसी विदेश नीति को जारी रखना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विश्व मंच पर हमारी आवाज सुनी जाए और हमारे हित सुरक्षित रहें।

प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां सही सिद्ध हुई हैं। बहरहाल, हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। घरेलू वातावरण को निवेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक व निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधारों की गति को बनाए रखना होगा।

मेरी सरकार *आम आदमी* पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को चुनौती देने वाली मुद्रास्फीति से अत्यधिक चिंतित है। मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सक्रिय उपाय किए हैं। महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आयात व्यवस्था को उदार बनाया गया है। खाद्य तेल और दाल जैसे पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती मूल्यों पर दालों की आपूर्ति की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निदेश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए और अधिक खुदरा बिक्री-केन्द्र

स्थापित करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं के निर्गम मूल्यों में पिछले आठ वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है। इन उपायों के परिणाम सामने आ रहे हैं। अनाज के मूल्य भी अब नियंत्रण में हैं, जबकि पिछले वर्ष यह अत्यधिक चिंता का कारण बना हुआ था। वस्तुतः पिछले नवम्बर तक मुद्रास्फीति की दर गिरावट पर थी, किंतु इसके बाद कुछ राज्यों में बेमौसम बरसात के कारण सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि हुई। नई फसल के आने के बाद मूल्यों में पुनः गिरावट आई है।

उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि से ही इस समस्या का दीर्घावधिक समाधान संभव है। मेरी सरकार ने फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को अनेक प्रोत्साहन दिए हैं। पिछले छह वर्षों की अवधि में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1000 रु. प्रति क्विंटल और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 630 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1100 रु. प्रति क्विंटल किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान गन्ने के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। हम किसानों को रियायती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति के माध्यम से प्रोत्साहन देते आ रहे हैं। पोषक-तत्व आधारित नई व्यवस्था से उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग में वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में लगभग 35,000 करोड़ रु. का निवेश किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ने हरित क्रांति को पूर्वी भारत तक पहुंचा दिया है। कृषि क्षेत्र में ऋण सुविधाओं में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 से अब तक लगभग एक करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण के उपाय युद्ध स्तर पर किए गए हैं।

मेरी सरकार किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें अपने उत्पाद बेरोक-टोक उपभोक्ताओं को बेचने का सुयोग मिलना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम अधिकांशतः राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस दिशा में निवेश बढ़ाने और राज्यों को उपयुक्त प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

मैंने खाद्य सुरक्षा कानून लाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में घोषणा की थी। इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी हक मिल जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों के साथ इस संबंध में परामर्श किया जा रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम की सफलता सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपेक्षित सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर निर्भर है।

हमारी जनता सुशासन की हकदार है; यह उनका प्राप्य है और हमारा दायित्व। मेरी सरकार शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वैधानिक, प्रशासनिक तथा अन्य सभी उपायों पर विचार कर रहा है। यह समूह सार्वजनिक क्रय नीति तैयार करने और सार्वजनिक क्रय मानक निर्धारित करने, मंत्रियों को प्रदत्त विवेकाधिकारों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए खुली और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था प्रारंभ करने, भ्रष्टाचार के आरोपी लोकसेवकों के विरुद्ध तीव्र गति से अभियोजन चलाने और उनके विरुद्ध द्रुत कार्यवाही करने के लिए कानूनों में यथोचित संशोधन करने संबंधी मामलों पर विचार करेगा। उक्त समूह चुनाव पर होने वाले खर्च के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के संबंध में भी विचार करेगा। मंत्री-समूह की रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है। विसल ब्लोअर (Whistle Blower) विधेयक संसद में पेश किया गया है। मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक कन्वेशन का अनुमोदन करने का भी निर्णय लिया है।

वर्षों से चुनाव सुधार के बारे में बहस होती रही है। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर ऐसे सुधारों को लागू करने का समर्थन करेंगे। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने चुनाव सुधार की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति ने संबंधित सहभागियों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। इस वर्ष अप्रैल में राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आशा है कि परामर्श की इस प्रक्रिया से सुधारों की स्वीकार्य कार्यसूची पर आम सहमति बन पाएगी।

न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाना और मामलों को निपटाने में होने वाले विलंब को कम करना मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। न्याय प्रदान करने एवं विधिक सुधारों के बारे में राष्ट्रीय मिशन संबंधी प्रारूप को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इससे प्रक्रिया में बदलाव आएगा, इस क्षेत्र में मानव संसाधन बेहतर होंगे और इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो पाएगा। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक पहले ही संसद में पेश कर दिये गये हैं। इस विधेयक का आशय न्यायपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है ताकि न्यायपालिका की छवि में सुधार हो और उसकी क्षमता में वृद्धि हो सके।

हाल ही में, काले धन, विशेषकर विदेशी बैंकों में कथित रूप से छिपाकर रखे गए काले धन संबंधी मामलों की ओर लोगों का ध्यान गया है। सरकार काले धन के

दुष्प्रभाव संबंधी चिंताओं से सहमत है, चाहे वह ईमानदारी से की गई कमाई पर देय कर की चोरी से एकत्र किया गया धन हो या फिर गैर–कानूनी तरीके से कमाया गया हो। मेरी सरकार इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार की एजेंसियों सहित कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को गंभीर और निरन्तर प्रयास करने होंगे।

मेरी सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने, नई संस्थाओं का गठन करने और उनकी क्षमता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस समस्या से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए तथा इस समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त कार्यनीति की सिफारिश करने के लिए एक बहु–प्रयोजनीय अध्ययन करवाया गया है। सरकार ऐसे काले धन की पहचान करने और उसे वापस लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर जी–20 के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हवाला कारोबार निरोधक और कर–चोरी निरोधक उपायों के मद्देनजर भारत अब वित्तीय कार्यों संबंधी कार्यबल का सदस्य बन गया है। इसके अलावा भारत, यूरो–एशियाई समूह और वित्तीय सुव्यवस्था तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यबल का भी सदस्य बन गया है। मेरी सरकार ने उन देशों और संस्थाओं के साथ कर संबंधी सूचनाओं के सुचारू और सुलभ आदान–प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जहां भारतीय नागरिकों द्वारा अपना धन छिपाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके आरंभिक परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप कर के रूप में 34,601 करोड़ रु. की अतिरिक्त वसूली हुई और 48,784 करोड़ रु. की अतिरिक्त आय का पता चला। मेरी सरकार विदेशों में जमा भारत की धन–संपदा को वापस लाने और दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं का होना महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार ने ढांचागत सुविधाएं बेहतर बनाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 20 लाख करोड़ रु. से भी अधिक किया गया निवेश दसवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए निवेश के दोगुने से भी अधिक है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस राशि को और दोगुना किए जाने का प्रस्ताव है।

निवेश के लिए इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था अकेले सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। इसके लिए निजी भागीदारों के सहयोग की जरूरत भी पड़ेगी। इस संदर्भ में मेरी सरकार ने एक पारदर्शी सार्वजनिक–निजी भागीदारी व्यवस्था के लिए वांछित रूप रेखा तैयार की है। पिछले वर्ष ढांचागत क्षेत्र में किए गए कुल निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी 34 प्रतिशत रही।

भारत में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार से कनेक्शनों की संख्या लगभग 80 करोड़ हो गई है। हमारा वायरलेस नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मेरी सरकार मोबाइल और ब्रॉड बैण्ड सेवा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों तक निजी एफएम रेडियो सेवा उपलब्ध करवाई जाए। 283 शहरों में कुल 806 नए एफएम रेडियो चैनल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीप समूहों में भावी एफएम रेडियो को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है।

निरन्तर तेजी से आगे बढ़ती हमारी समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए बिजली की अहम भूमिका है। हालांकि, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप क्षमता में वृद्धि हुई है, इसके बावजूद बिजली की कमी बरकरार है। मेरी सरकार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों सहित सभी को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना तभी संभव होगा जब हमारा विद्युत क्षेत्र और अधिक सक्षम होगा। अत: विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए, विशेषकर राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

मेरी सरकार कोयला क्षेत्र को और अधिक कुशल, उत्पादनकारी, पर्यावरण अनुकूल और उपभोक्तापरक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कैप्टिव खानों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की खानों में कोयला उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया है। वर्ष 2020 तक सौर ऊर्जा क्षमता में 20,000 मेगावाट की वृद्धि करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है।

मेरी सरकार का यह मानना है कि देश की खनिज संपदा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है जिसका दोहन तीव्र औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति के लिए किया जाना चाहिए। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के स्थान पर नया कानून लाने का प्रस्ताव है जो अन्य उपायों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय समुदायों को भी विकास प्रक्रिया का पर्याप्त लाभ प्राप्त हो।

आर्थिक प्रगति की गति को तीव्र बनाए रखने के लिए एक सक्षम, विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार ने एकीकृत और स्थायी परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करने हेतु एक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति संबंधी समिति गठित की है।

विमानपत्तनों का विकास कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। पिछले वर्ष दिल्ली में एक आधुनिकतम एकीकृत टर्मिनल चालू किया गया। इससे इस क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की सहायता से विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाओं की एक नई शुरुआत हुई है।

अक्तूबर, 2010 में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय नौपरिवहन द्वारा की जाने वाली ढुलाई से प्राप्त होने वाले कर का आंकड़ा एक करोड़ को भी पार कर गया। जनवरी, 2011 में भारतीय पत्तनों की क्षमता एक सौ करोड़ टन प्रतिवर्ष को भी पार कर गई है।

भारतीय रेल ने तीव्र विकास, अपने नेटवर्क के द्रुत विस्तार तथा क्षमता में वृद्धि करने और आधुनिकीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर पर कार्य शुरू हो गया है।

राजमार्गों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। लगभग 16,000 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मेरी सरकार ने एक विशेष परियोजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1,100 किलोमीटर से अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों तथा 4,300 किलोमीटर से भी अधिक लंबे राज्य मार्गों के विकास के लिए एक योजना अनुमोदित की है। अरुणाचल प्रदेश के सड़क तथा राजमार्ग संबंधी पैकेज में लगभग 2,300 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास किया जाएगा जिसके अंतर्गत जून, 2015 तक अरुणाचलपारीय राजमार्ग के पूरा हो जाने की संभावना है।

वैश्विक मंदी के बावजूद भारत भ्रमण के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन की अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र में कम से कम 10 हजार बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए।

मेरी सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वे विदेशों में तेल और गैस इक्विटी के लिए जोर–शोर से अवसरों की तलाश करें। देश में मौजूद हाइड्रोकार्बन के भण्डारों का दोहन करने के लिए अन्वेषण संबंधी नई लाइसेंस नीति का नौवां दौर शुरू हो चुका है। शेल गैस की संभावनाओं का पता लगाने और उनका दोहन करने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की गई हैं ताकि उन्हें उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने में सुविधा हो। ऐसे क्षेत्रों में होने वाले निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि हुई जो 2 लाख करोड़ रु. से भी अधिक है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्ग (Industrial Corridor) पर कार्य चल रहा है, जिसके चालू होने पर विनिर्माण उद्योग के लिए यह विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधा होगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र उत्पादन, रोजगार के अवसरों का सृजन करने और निर्यात में भागीदारी सुनिश्चित करने के मामले में अपनी गति को बरकरार रखे हुए है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट के आधार पर जल्दी ही नई पहल की जाएंगी।

खादी उद्योग क्षेत्र भारी संख्या में रोजगार प्रदान करता है। खादी और ग्रामीण इकाइयां एक करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। इस संबंध में एक व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।

मेरी सरकार समाज के कमजोर वर्गों के समावेशी विकास और सशक्तीकरण के लिए निरन्तर प्रयासरत है। अभी तक अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख हक-विलेखों का वितरण किया जा चुका है। अनुसूचित जाति उप-योजना तथा जनजाति उप-योजना संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है ताकि उनके लक्ष्य कारगर ढंग से पूरे किए जा सकें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने के लिए अभिकल्पित कार्यों को अब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों के सदस्यों की निजी भूमि पर किया जा सकता है। छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किया गया है जिससे अनुसूचित जातियों के 45 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की सहायता के लिए निर्धारित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 38 लाख से भी अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन लाभार्थियों में लगभग आधी संख्या छात्राओं की है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या में भी वृद्धि की गई है।

वर्ष 2004 में, मेरी सरकार ने भारत निर्माण नामक एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत कमियों को दूर करके गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया। इसका दूसरा चरण वर्ष 2009 में शुरू हुआ।

अब तक लगभग 90 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लगभग 1.40 करोड़ परिवारों को बिजली के मुफ्त

कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र को शामिल करने और ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक लोगों को दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है। अगले तीन वर्षों में सभी पंचायतों को ब्रॉड बैण्ड सेवा से जोड़ दिया जाएगा।

ऐसी 55 हजार बस्तियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का प्रारंभिक लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है। जहां अब तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं था; अब ऐसी केवल 103 बस्तियां ही बची हैं जिन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। भारत निर्माण के प्रथम चरण में 70 लाख मकान बनाए गए थे। अब, वर्ष 2009-14 के दौरान मेरी सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 120 लाख मकान बनाने का है और इनमें से 45 लाख मकान पहले ही बनाए जा चुके हैं।

मेरी सरकार ने संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है और मुझे पूरी आशा है कि लोक सभा द्वारा इस पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी विधेयक भी संसद में पेश किया गया है। मेरी सरकार का, बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के संबंध में भी एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

वृद्धों और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने के लिए मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए 'स्वावलंबन' नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है।

आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने रवीन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानन्द के 150वें जयंती समारोहों को भव्यता से मनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

किसी भी सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र के लिए जरूरी है कि उसके नागरिक स्वस्थ और शिक्षित हों। पिछले सात वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हमारी भावी पीढ़ियां स्वस्थ, सुशिक्षित और सक्षम हों ताकि वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारत विश्व के उन कुछेक देशों में से एक है जहां कार्य करने के अधिकार को कानूनी गारंटी दी गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में गरीबों के लिए प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत उन्हें 100 रु. प्रतिदिन की दर से 100 दिन के लिए सुनिश्चित

रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसे जीवन-निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में लगभग 5.25 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया है। पारदर्शिता, सुविधा और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10 करोड़ खाते खोले गए हैं।

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम मेरी सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जो अधिकारपरक शासन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उजागर करता है। सर्व शिक्षा अभियान को इस अधिनियम के कार्यान्वयन से जोड़ा गया है। प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए इसमें दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है ताकि अधिक संख्या में बच्चे दाखिला लें और पढ़ाई अधूरी छोड़कर न जाएं।

मेरी सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,500 ब्लॉकों में से प्रत्येक ब्लॉक में लड़कियों के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है ताकि लड़कियों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम तैयार किया गया है। वर्ष 2012 तक उन 365 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा, जहां पर प्रौढ़ महिला साक्षरता दर कम है।

एक युवा राष्ट्र होने के नाते हमारा देश लाभप्रद स्थिति में है। यदि हमें अपनी जनसांख्यिकीय संपदा से लाभ उठाना है तो हमें अपने युवाओं को कुशल बनाने पर ध्यान देना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कौशल संबंधी कमी को पूरा करने के लिए मेरी सरकार बड़ी संख्या में मॉड्यूलर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और कौशल आधारित प्रशिक्षणों को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षु अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए कदम उठा रही है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी व्यापक जरूरत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अभी तक राज्यों को 53 हजार करोड़ रु. से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी वाले 235 जिलों के स्वास्थ्य उप केन्द्रों में 53,500 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2005-06 में लगभग छह लाख थी जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर एक करोड़ के करीब पहुंच गई। इस योजना से हुए लाभ को शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

मेरी सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के अधीन तीस वर्ष से अधिक उम्र के 15 करोड़ से अधिक लोग और सभी आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हो पाएगी।

सतत् आर्थिक विकास के लिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सक्षमता का होना अनिवार्य है। तारापुर में दूसरे विद्युत रिएक्टर प्रसंस्करण संयंत्र के चालू होने के परिणामस्वरूप स्वदेशी त्रिस्तरीय नाभिकीय कार्यक्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। अंतर-विषयी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवीनतम क्षेत्रों में शिक्षण के लिए वैज्ञानिक तथा नवीन अनुसंधान अकादमी स्थापित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रयासों को तेज करने और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में औद्योगिक अनुसंधान के संवर्धन और विकास तथा नवीन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् का गठन किया जाएगा। फसलों की उन्नत किस्मों के विकास के लिए फसल आनुवांशिकी संवर्धन नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस सत्र में भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है। देश में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड को अधिसूचित कर दिया गया है।

हमारे देश में जल संसाधनों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इसलिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में जनता में जागरूकता को बढ़ाने तथा लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकीय साधनों का उपयोग करते हुए सतही जल और भूमिगत जल के लिए एकीकृत नदी घाटी योजना को लागू किया जाएगा।

मेरी सरकार पर्यावरण और वनों के संरक्षण संबंधी सभी कानूनों को लागू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आर्थिक विकास की द्रुत गति ने हमारे सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। भारत जैसे विकासशील देश को विकास की जरूरतों और पर्यावरण अनिवार्यताओं के बीच उचित संतुलन स्थापित करने के मार्ग अवश्य खोजने होंगे। विभिन्न प्रकार की विकास गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान संबंधी सभी मुद्दों पर विचार के लिए मेरी सरकार ने एक मंत्री-समूह गठित किया है। यह समूह पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल विकास के मानदंडों के साथ समझौता किए बिना सभी मुद्दों पर विचार करेगा।

केन्द्र और राज्य सरकारें नदियों के संरक्षण के लिए निरन्तर सामूहिक रूप से प्रयास कर रही हैं। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अंतर्गत कई

उपाय प्रारंभ किए हैं। सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का संयुक्त संकाय गंगा नदी के लिए एक घाटी प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है।

मेरी सरकार ने पर्यावरणीय सुरक्षा और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है, उन्हें इस कार्य में केन्द्र सरकार सहयोग देती है। आतंकवाद, कट्टरवाद, जातीय हिंसा तथा वामपंथी उग्रवाद लगातार बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। मेरी सरकार ने मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र में भारी बदलाव किया है। बहु-एजेंसी केन्द्र और सहायक बहु-एजेंसी केन्द्र शुरू किए गए हैं; राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की लगभग सौ नई बटालियनों की स्वीकृति दी गई है और उनमें से कई विगत दो वर्षों में गठित की गई हैं। तटीय सुरक्षा और अधिक बढ़ाई गई है। मेरी सरकार, प्रशिक्षण और ढांचागत सुविधाओं के अंतर को पाटने के लिए राज्यों को अगले पांच वर्षों के दौरान दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पुणे और वाराणसी की दो आतंकवादी घटनाओं को छोड़कर, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिकांशतः नियंत्रण में है।

वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में भर्ती पर जोर देते हुए पुलिस बलों में की गई बढ़ोतरी के परिणाम दिखने लगे हैं। मेरी सरकार ने हाल ही में नौ राज्यों में से चुने गए जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एक एकीकृत कार्य योजना को मंजूरी दी है जिससे स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

जम्मू और कश्मीर के हालात में सुधार आया है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक एहतियाती उपाय किए हैं। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य का दौरा किया। वार्ताकार भी अपने प्रयासों में सफलता के साथ कार्यरत हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न समूहों के साथ गहन वार्ता करने के बाद से इन राज्यों में व्याप्त हिंसा में काफी कमी आई है।

इस अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों का अभिनंदन करती हूं। मेरी सरकार सदैव सैनिकों और पूर्व-सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करेगी और सशस्त्र बलों में अनुकरणीय सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता को कायम रखेगी।

मेरी सरकार अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बल बनाने के लिए ऐसे सभी आवश्यक कदम उठा रही है, जो इक्कीसवीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में

पूरी तरह सक्षम हों। रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास, रक्षा उत्पादन क्षमताओं के विस्तार और रक्षा उत्पादन में निजी उद्योगों की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वदेशी बहु-उद्देश्यीय हल्के लड़ाकू विमान, तेजस को भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा रहा है।

मेरी सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकता भारत के सामाजिक-आर्थिक बदलाव के अनुकूल वातावरण तैयार करने और उसे बढ़ावा देने की रही है। भारतीय उप महाद्वीप में और हमारे पड़ोसी देशों में शांति के लिए किए जा रहे उद्यम, साझा समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग मेरी सरकार का दिग्दर्शन करते रहेंगे। पिछले वर्ष बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत में किए गए उच्चस्तरीय दौरों के परिणामस्वरूप हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छी समझ विकसित हुई है। हम अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति बहाल करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। इसके लिए हम अफगानी लोगों के पुनर्निर्माण कार्यों में अपना सहयोग देते रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ सार्थक बातचीत के माध्यम से मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं बशर्ते पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल न होने दे।

मेरी सरकार ने खाड़ी देशों, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार किया है। पड़ोसी देश चीन और लाओस तथा कम्बोडिया के मेरे दौरों से भारत के एक ऐसे क्षेत्र के साथ संबंध विकसित हुए हैं, जो हमारे लिए उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और हमारे प्रधान मंत्री ने मलेशिया, वियतनाम और जापान का दौरा किया। परिणामत: इन देशों के साथ हमारे संबंध निरंतर बढ़ रहे हैं।

हमारे लाखों नागरिक आज खाड़ी तथा पश्चिम एशिया में काम कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय जिन देशों में रहते हैं, वहां बहुमूल्य योगदान देते हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम अपने डायस्पोरा के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। भारत के प्रति उनके योगदान की हम सराहना करते हैं और हम उनके साथ संपर्कों को बढ़ाते रहेंगे।

अपने विस्तारित पड़ोस के देशों में शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित होने में हमारा स्थायी हित निहित है। हाल ही में मिस्र में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने में आई हैं। एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते हम किसी भी देश में लोकतांत्रिक शुरुआत का स्वागत करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात तथा सीरिया की मेरी यात्राओं ने तथा प्रधान मंत्री की सऊदी अरब की ऐतिहासिक यात्रा ने हमारे संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है।

मध्य एशिया में अब भारत भी तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत पाइप लाइन परियोजना में एक पक्षकार है। यह परियोजना इस उप-क्षेत्र में ऊर्जा परिदृश्य को परिवर्तित कर सकती है।

मेरी सरकार का इसी वर्ष में इथियोपिया में द्वितीय भारत-अफ्रीका फोरम शीर्ष सम्मेलन आयोजित करने का इरादा है। अफ्रीका में भारत द्वारा की गई पहल इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत के जनमानस में अफ्रीका का एक विशेष स्थान है।

महाशक्तियों के साथ भी हमारे संबंध संतोषजनक रूप से विकसित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी सदस्यों—चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका के नेताओं ने 2010 के दौरान भारत की यात्रा की। मेरी सरकार भारत के हितों के लिए इन संबंधों का भरपूर लाभ उठाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के प्रभावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति अभी भी जटिल बनी हुई है। हमने एक खुली और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जी-20, ब्रिक और इब्सा समूहों में अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ, संरक्षणवादी विचारधारा से बचते हुए काम किया है। उप-राष्ट्रपति ने बेल्जियम में पिछले एशिया-यूरोप (असेम) शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हमने वैश्विक नागरिकों के रूप में अपने उत्तरदायित्वों, वैश्विक साम्यता की मांगों और भारत के तीव्र आर्थिक बदलाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में भाग लिया है। इस वर्ष जनवरी से शुरू होने वाली दो-वर्षीय अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में मेरी सरकार शांति, विकास और सुरक्षा के मसलों को बढ़ावा देगी और बहुपक्षीयता के मूल्यों को बरकरार रखेगी।

यह हमारा सौभाग्य है कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का वरदान मिला है। हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने विरासत में हमें ऐसी संस्थाएं, परम्पराएं और प्रथाएं सौंपी हैं जो हमारे लिए हमेशा से ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को चाहिए कि हम इन संस्थाओं, परम्पराओं और प्रथाओं को सुदृढ़ बनाकर एक शक्तिशाली, स्वतंत्र, समृद्ध और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। इस प्रयास में मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 12 मार्च 2012

लोक सभा	-	पंद्रहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत की राष्ट्रपति	-	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्रीमती मीरा कुमार

माननीय सदस्यगण,

मैं इस सत्र में आपका स्वागत करती हूं। मेरी सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। आशा है, यह सत्र सफल और उपयोगी रहेगा।

यह वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलों भरा रहा है। आर्थिक अनिश्चितताओं का पूरे विश्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राजनीतिक अनिश्चितता व अस्थिरता बढ़ी है और जिस परिवेश में हम कार्य कर रहे हैं वह पिछले एक वर्ष में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। वर्ष 2010-11 में हमारी अर्थव्यवस्था 8.4 प्रतिशत की आकर्षक दर से बढ़ी, लेकिन इस वर्ष यह घटकर लगभग 7 प्रतिशत हो गई है। विश्व की मौजूदा प्रवृत्तियों को देखते हुए यह विकास दर अच्छी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक मूल तत्व स्वस्थ बने हुए हैं। भारत की विकास संभावनाएं उच्च घरेलू बचत एवं निवेश दर, अनुकूल जनसांख्यिकी और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे कारकों द्वारा प्रेरित हैं। मेरी सरकार को विश्वास है कि वह शीघ्र ही देश के आर्थिक विकास को पुन: 8 से 9 प्रतिशत की उच्च दर पर वापस ले आएगी।

मेरी सरकार ईमानदार तथा अधिक कारगर शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने इस दिशा में और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संसद में कई महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व विधेयक पेश किए गए हैं। इनमें लोकहित

प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, विदेशी लोक पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक शामिल हैं। भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेन्शन का भी अनुसमर्थन किया है। ये सभी भ्रष्टाचार को रोकने में रूपांतरकारी परिवर्तन कराने एवं शासनतंत्र में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने में सक्षम होंगे। सार्वजनिक खरीद संबंधित एक व्यापक कानून तैयार किया जा रहा है। न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन पहले ही किया जा चुका है।

सरकार काले धन की समस्या से निपटने के लिए विविध मोर्चों पर कार्रवाई प्रारम्भ कर चुकी है। इस क्रम में बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम बन चुका है और धन-शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया है। साथ ही देश में काले धन को पनपने से रोकने के लिए मजबूत कानून बनाने के उपायों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। देश में और देश से बाहर मौजूद काले धन का आकलन करने के लिए कई स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है। प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता के अंतर्गत द जनरल एंटीअवाइडेंस रूल्स और कन्ट्रोल्ड फॉरेन कंपनी रूल्स तैयार किए जा रहे हैं। माल और सेवा कर पर राजनीतिक सहमति कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाकर तथा पूर्ण निवेश क्रेडिट उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकेगी।

हम देश में अवैध निधियों के सृजन और उनके देश से बाहर जाने को रोकने के लिए कई कदम उठा रहे हैं तथा विदेशों से काले धन संबंधी व्यापक सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल स्थापित कर रहे हैं। इनमें विदेशों में नई आयकर यूनिटें शुरू करना, नए दोहरे कराधान निवारण करारों और नवीन कर सूचना विनिमय करारों पर हस्ताक्षर करना तथा अंतरण मूल्य निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय कराधान उपबंधों को बेहतर ढंग से लागू करना शामिल है।

सार्वजनिक सेवाएं दक्ष एवं स्वचालित तरीके से प्रदान करना, जिसमें माननीय दखल कम-से-कम हो, भ्रष्टाचार को कम करने के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में 97,000 जनसुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं ताकि नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं सुविधापूर्ण तरीके से प्राप्त हो सकें। आयकर, पासपोर्ट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा कॉरपोरेट कार्य विभागों ने ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण और डाक

सेवाओं में भी जल्दी ही नए ई-गवर्नेन्स प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। संसद में इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज डिलीवरी बिल पेश किया जा चुका है। सभी ई-गवर्नेन्स प्रोजेक्टों के अधीन जनसेवाएं अधिकाधिक इंटरनेट और मोबाइल फोन के माध्यम से दी जाएंगी।

मेरी सरकार ने देश के लाखों वंचित लोगों तक पहुंचने के लिए 'आधार' नामक अनूठी योजना शुरू की है जो सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की उपलब्धता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगी और जिससे लोगों की वित्तीय समावेशिता बढ़ेगी।

वर्ष 2012-13, 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होगा। इसका लक्ष्य है 'त्वरित, वहनीय और समावेशी विकास'। 12वीं योजना के एप्रोच पेपर में 9 प्रतिशत विकास दर और 4 प्रतिशत कृषि विकास दर का लक्ष्य है।

आज देश के समक्ष 5 प्रमुख चुनौतियां हैं जिन पर मेरी सरकार काम करेगी—

- आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने हेतु सतत् प्रयास करना तथा देश से गरीबी, भूख और निरक्षरता समाप्त करने के लिए कार्यरत रहना;
- त्वरित एवं व्यापक विकास तथा जनता के लिए आजीविका आधारित कार्यों का सृजन करते हुए आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना;
- त्वरित विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- पारिस्थितिकीय और पर्यावरण सुरक्षा को जोखिम में डाले बिना विकास लक्ष्य प्राप्त करना; तथा
- न्यायसंगत, बहुलवादी, पंथनिरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के दायरे में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

सभी नागरिकों को शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर प्रदान करके उन्हें समर्थ बनाते हुए आजीविका सुरक्षा के लक्ष्य को त्वरित एवं समावेशी विकास की प्रक्रिया से ही बेहतर प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार के सुदृढ़ आधार पर कौशल प्रशिक्षण को शिक्षा के सभी स्तरों पर जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त योग्यता पद्धति के विकास हेतु समान सिद्धांत और निशानिर्देश तय करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता व्यवस्था कायम की जा रही है।

मेरी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2012-13 में 85 लाख लोगों को और 12वीं योजना में कुल 800 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। देश में पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के तहत, सरकार 13 हजार करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 5 हजार कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करेगी।

उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है। भविष्य के लिए कार्य-योजना तैयार करने हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग का गठन भी किया जा रहा है।

अध्यापक शैक्षिक व्यवस्था के केन्द्र-बिन्दु हैं। मेरी सरकार अध्यापक शिक्षण एवं फैकल्टी विकास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करेगी।

समस्त छात्रों को, उनकी अदायगी क्षमता पर विचार किये बिना उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार उच्च शिक्षा ऋण गारंटी प्राधिकरण का गठन करेगी, जो कि शैक्षिक ऋणों का जोखिम संग्रहण (Risk Pooling) करते हुए सीमित ऋण गारंटी की व्यवस्था करेगा।

कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण में शिक्षा के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने के बाद, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति की दरें हाल ही में बढ़ाई हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के डेढ़ करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और फैलोशिप प्रदान की गई है।

पढ़ने-लिखने, कामकाज करने और एक बेहतर एवं संतोषपूर्ण जीवन-यापन के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रभाव दिखने लगा है एवं स्वास्थ्य सूचकांकों में भी प्रतिबिम्बित हो रहा है। शिशु मृत्यु-दर, जो वर्ष 2005 में 58 प्रति हजार जन्म थी, वर्ष 2010 में घटकर 47 प्रति हजार रह गई। मातृ मृत्यु-दर वर्ष 2004-06 में 254 प्रति लाख प्रसव से घटकर वर्ष 2007-09 में 212 प्रति लाख प्रसव हो गई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2010-11 के दौरान 1 करोड़ 13 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया जो एक सराहनीय उपलब्धि है। देश से पोलियो लगभग खत्म किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को वाइल्ड पोलियो वायरस से आक्रांत देशों की सूची से हटाने का निर्णय लिया है।

पिछले 7 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार बढ़ते निवेश के बावजूद स्वास्थ्य मद पर सरकारी खर्च अभी भी कम है। सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार 12वीं योजना के अंत तक केन्द्र

व राज्यों के कुल योजनागत व गैर-योजनागत व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 2.5 फीसदी तक ले जाने का प्रयास करेगी। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से सभी लोगों को नि:शुल्क जेनेरिक आवश्यक दवाइयां चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदलकर इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। मेरी सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम और वृद्धों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हम उन्नत स्तर की द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करेंगे। मेरी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए भी कार्य कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, एमबीबीएस की सीटों में 26 प्रतिशत और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 62 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

भारत की महान विरासत को आधार बनाते हुए आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) को एलोपैथिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ 64 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना का विस्तार किया जाएगा। उम्मीद है कि 12वीं योजना की समाप्ति तक, इस योजना के अंतर्गत करीब 7 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

कुपोषण, बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित करता रहा है जिससे उनके शिक्षा प्राप्त करने और वहनीय आजीविका अर्जित करने के अवसरों पर भी असर पड़ता है। मेरी सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) को पुनर्व्यवस्थित व सुदृढ़ करेगी। मातृ-शिशु पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समस्या प्रभावित 200 जिलों में आईसीडीएस के अलावा, मल्टी-सेक्टोरल पोषण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

मेरी सरकार समाज के कमजोर व असुरक्षित तबकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने से रोकने के लिए बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करेंगे। बच्चों की जगह स्कूल में है, कामकाज की जगहों पर नहीं।

रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचकर जीविका अर्जित करने वाले लाखों व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करने तथा उनके विकास के लिए सरकार नया कानून बनाने पर कार्य कर रही है।

मेरी सरकार सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म करने और अस्वच्छ शौचालयों को समाप्त करने के लिए संसद में नया विधेयक पेश करेगी। इसमें सिर पर मैला ढोने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवसायों में अवसर प्रदान करते हुए उपयुक्त पुनर्वास का भी प्रावधान होगा ताकि वे सम्मानजनक जीवनयापन कर सकें।

नि:शक्तता प्रभावित लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक पृथक नि:शक्तता कार्य विभाग बनाया जाना प्रस्तावित है। सरकार नि:शक्त लोगों के लिए मौजूदा कानून के स्थान पर नया कानून बनाने पर भी विचार कर रही है।

मेरी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन कर रही है जो हमारी आबादी के इस महत्वपूर्ण वर्ग के लिए एक व्यापक भागीदारी आधारित फोरम के तौर पर कार्य करेगी।

लाभ-वंचित वन निवासियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन्य अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के तहत 12.46 लाख से भी अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। गौण वन्य उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

मेरी सरकार प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के लाभों को समेकित करेगी जिसके तहत सरकार की चिह्नित स्कीमों के 15 प्रतिशत लक्ष्य और परिव्यय को अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ-वंचित वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है। अल्पसंख्यक संकेंद्रित जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से अल्पसंख्यक संकेंद्रित 90 जिलों में सामाजिक-आर्थिक ढांचे में ₹3500 करोड़ से अधिक निवेश करने में सफलता मिली है। वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम को और अधिक कारगर बनाया जाएगा और इसके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा।

वर्ष 2011-12 में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले अदत्त ऋण बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गए हैं। मेरी सरकार, वर्ष 2012-13 में 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करेगी।

अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित कोटे में से 4.5 प्रतिशत का उप-कोटा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियत 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत दिया जाएगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार द्वारा कृषि पर लगातार जोर देने के अच्छे परिणाम मिले हैं। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो हाल के समय में हुई वृद्धि की उच्चतम दर है। वर्ष 2010-11 के दौरान देश

में 24.156 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ। हमने 231 मिलियन टन फल और सब्जियों का, 18 मिलियन टन दालों का, 31.1 मिलियन टन तिलहन का और कपास की 33.42 मिलियन गांठों का रिकार्ड उत्पादन किया है। मेरी सरकार ने अपने प्रमुख कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित किया है। मेरी सरकार ने पिछले सात वर्षों से प्रचलित किसान हितैषी मूल्य समर्थन नीति को जारी रखा है। वर्ष 2011-12 के दौरान, चुनिंदा कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि की गई।

2010-11 के दौरान 4 लाख 60 हजार करोड़ रु. का कृषि ऋण दिया गया, जो लक्ष्य से 22 प्रतिशत अधिक है। मुझे विश्वास है कि 2011-12 का 4 लाख 75 हजार करोड़ रु. का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा। छोटे किसानों का 3 लाख रु. तक के फसल ऋण 7 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध कराने के लिए ब्याज में छूट स्कीम लागू की गई। जो किसान अपने अल्पावधि फसल ऋण समय पर चुकाते हैं उन्हें ब्याज में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत ही रह जाएगी।

मेरी सरकार सिंचाई की सृजित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के बीच करीब 10 मिलियन हेक्टेयर के अंतर को कम करने के उपाय करेगी। इसके लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा और उसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में जल-उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत सुधार करना है। मेरी सरकार वर्षा सिंचित और शुष्क भूमि क्षेत्रों की कृषि उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। ऐसा, सभी संबंधित पक्षों की स्वस्थ भागीदारी सुनिश्चित करके और सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों में तालमेल कायम करके किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, आवश्यकता के अनुसार अनुदानित उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। उर्वरक मंत्रालय ऐसी व्यापक उर्वरक निगरानी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके जरिए किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता की सूचना एसएमएस, इंटरनेट और टेलीफोन पर दी जाएगी। मेरी सरकार ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की 8 यूरिया यूनिटों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है, ताकि 9 मिलियन टन यूरिया की अतिरिक्त संस्थापित क्षमता सृजित की जा सके। हमारा लक्ष्य अगले 5 साल में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है।

जैसा कि जून, 2009 में मैंने संसद में अपने अभिभाषण में ऐलान किया था, मेरी सरकार ने लोक सभा के पिछले शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश

कर दिया है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान उपलब्ध होगा। साथ ही साथ मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में राज्य सरकारों से मिलकर कार्य कर रही है।

मेरी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने की पूरी कोशिश करती रहेगी। इस योजना के प्रारंभ से अब तक लगभग 11 सौ करोड़ श्रम-दिवसों के रोजगार का सृजन किया गया है और इस योजना पर लगभग 1 लाख 48 हजार करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इस योजना का अब तक 25 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। इस योजना के दिशानिर्देशों में, यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए गए हैं कि इसे भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य के और अधिक अनुरूप बनाया जा सके।

मेरी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया है, जिससे गरीब ग्रामीण परिवारों को रोजगार के सतत् अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

मेरी सरकार, समावेशी विकास नीति पर जोर देते हुए, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक को जल्द अधिनियमित करने के लिए प्रयासरत रहेगी। इस विधेयक में न केवल भू-स्वामी किसानों को बल्कि आजीविका के लिए ऐसी भूमि पर आश्रित लोगों को भी अनिवार्य पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन पैकेज सहित उदारतापूर्वक मुआवजा देने का भी प्रावधान है।

मेरी सरकार ने वर्ष 2004 में ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का दूसरा चरण 2009 में शुरू हुआ। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन करने, 1 लाख गांवों और 1 करोड़ 75 लाख गरीब परिवारों को बिजली देने और मौजूदा 1 लाख 94 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार करने और सभी चिह्नित घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य, 31 मार्च, 2012 की नियत तारीख से पहले ही पूरा किया जा चुका है।

शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार जल्द ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू करेगी जो व्यापक स्तर पर कारीगरों के कौशल का उन्नयन, उद्यमिता का विकास एवं रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का कार्य करेगा।

मेरी सरकार, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विकास मिशन के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस कार्यक्रम का अगला चरण शुरू करेगी। अब मिशन में

महानगरों या बड़े नगरों की जगह प्रथम श्रेणी और मध्यम नगरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

धारणीय और पर्यावरण अनुकूल शहरी यातायात—व्यवस्था उपलब्ध करवाने के अपने निरन्तर प्रयासों की श्रृंखला में, मेरी सरकार इस वर्ष दिल्ली मेट्रो का तीसरा फेज शुरू करेगी और बेंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता एवं चेन्नई में मेट्रो परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। मेरी सरकार ने 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में मदद करने का भी निर्णय लिया है।

मेरी सरकार का समान नियामक व्यवस्था बनाने के लिए एक ऐसा विधेयक लाने का प्रस्ताव है जिसमें उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने, विवादों का जल्दी निपटारा करने और रीयल एस्टेट क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाएगा।

मेरी सरकार शहरों में रहने वाले बेघर और बेसहारा लोगों की आवश्यकताएं पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि हम एक नया "शहरी बेघर लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में मिश्रित आश्रय स्थलों का ऐसा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी जिनमें बेसहारा लोगों के रहने और खाने का पर्याप्त इंतजाम होगा।

पर्यटन उद्योग में रोजगार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। मेरी सरकार का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में हर साल 12 फीसदी की वृद्धि करना होगा। वर्ष 2012-13 में लगभग 50 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वर्ष 2011-12 में लगभग 63 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए, जो पिछले वर्ष से 9 प्रतिशत अधिक हैं।

मेरी सरकार ने, संपूर्ण एनालॉग केबल टेलीविज़न सिस्टम को दिसम्बर, 2014 तक डिजीटल सेवा में बदलने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। इससे सिस्टम और अधिक साम्यिक एवं पारदर्शी बनेगा और सुलभ लागत पर बेहतर दृश्यता सुविधा प्राप्त होगी।

छोटे नगरों और दूरदराज के इलाकों में रह रहे लाखों लोगों तक एफएम रेडियो सेवाएं पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित, पूरे देश के 245 शहरों में 839 नए एफएम रेडियो चैनलों की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

हथकरघा बुनकरों के कल्याण को और सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने हाल ही में ₹ 3884 करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है ताकि हथकरघा बुनकरों और उनकी समितियों के ऋण को माफ किया जा सके। इसके अलावा,

बुनकरों को सस्ते कर्ज और अनुदानित सूत देने के लिए 2362 करोड़ रु. के व्यापक पैकेज की भी घोषणा की गई है।

कपड़ा उद्योग में निवेश के लिए मेरी सरकार ने पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम का अनुमोदन किया है और 11वीं योजना में निवेश की राशि लगभग दुगुनी अर्थात् 8 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 हजार करोड़ रु. कर दी गई है।

मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य वस्तुओं में, भारत सहित विश्व के अनेक देशों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। दुनिया भर में वस्तुओं, औद्योगिक सामग्री और ईंधन की कीमतें बढ़ने से भी मुद्रास्फीति बढ़ी है। सरकार ने आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं: जैसे आयात शुल्क में कटौती और निर्यात पर सुविचारित रोक। ईंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के भारी दबाव को कम करने के लिए कच्चे तेल पर सीमा शुल्क और पेट्रोल तथा डीजल पर आयात शुल्क घटा दिए गए हैं।

रिज़र्व बैंक की मजबूत नीतिगत कार्रवाई और सरकार के प्रभावी उपायों के नतीजे अच्छे रहे हैं। प्रमुख खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। सामान्य मुद्रास्फीति में भी कमी आई है।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं—विदेशी वाणिज्यिक ऋणों से संबंधित नियमों का उदारीकरण, विदेशी संस्थागत निवेशकों की उधार देने की सीमा में बढ़ोतरी और पात्र विदेशी निवेशकों से म्यूचुअल फंड्स में निवेश और इक्विटी आकर्षित करने की योजनाएं।

सरकार ने वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कानून, नियम व विनियम पुन: तैयार करने व उन्हें सुसंगत बनाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग गठित किया है जिससे वित्तीय क्षेत्र की सामयिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

भारत में करदाता सेवाओं में सुधार करने, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मेरी सरकार ने ई-गवर्नेन्स संबंधी कई उपाय किए हैं। आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग, करों के ई-पेमेंट, करदाता के बैंक खाते में सीधे ही इलेक्ट्रॉनिक रिफंड हेतु ईसीएस सुविधाएं और टीडीएस रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा अब समूचे देश में उपलब्ध है। पेपर आयकर रिटर्न सहित करदाताओं के सभी आवेदनों के कंप्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए आयकर सेवा केन्द्र नामक एकल खिड़की व्यवस्था शुरू की गई है।

वर्ष 2011 में भारत का वाणिज्य वस्तु निर्यात 298 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो वर्ष 2010 की तुलना में 34 फीसदी अधिक है। मेरी सरकार ने वर्ष

2013–14 तक निर्यात को दुगुना करने अर्थात् 500 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने की कार्य–योजना तैयार की है। जापान, मलेशिया, कोरिया गणराज्य के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार और आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार–करार किये गए हैं। यूरोपीय संघ सहित कई अन्य देशों के साथ वार्ता चल रही है।

वित्तीय समावेश योजना के तहत देश में लगभग 73 हजार ऐसे रिहायशी इलाकों की पहचान की गई है, जिनकी आबादी 2000 से ज्यादा है। इन इलाकों में बैंकों अथवा प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग व्यवस्था के जरिए बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जानी हैं। इस योजना के तहत नवम्बर, 2011 तक 49 हजार गांव आच्छादित किए जा चुके थे। स्व–सहायता समूहों, विशेषकर, महिलाओं द्वारा संचालित समूहों को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, ताकि इनमें गैर–सरकारी संगठनों को भी भागीदार बनाया जा सके।

मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जरूरत के अनुसार इनको पूंजी उपलब्ध कराएगी। साथ ही 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मेरी सरकार भारतीय विद्युत उपस्कर उद्योग के लिए मिशन योजना 2012–2022 तैयार कर रही है। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विद्युत संचरण बोर्ड और राष्ट्रीय विद्युत संचरण परिषद् का गठन किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना भी शुरू की जाएगी। विदेशों में कच्चे माल की परिसंपत्तियों को अर्जित करने की नीति बनाई गयी है।

मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य इसी दशक में जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना और रोजगार के 10 करोड़ नए अवसर पैदा करना है। सरकार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन बनाएगी।

दादरी से लेकर नवी मुंबई के बीच वेस्टर्न डेडिकेटिड रेल फ्रेट कॉरिडोर के समानांतर आयकॉनिक दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मेरी सरकार ने, मुख्य मार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पांच वर्षों के दौरान डीएमआईसी को 17,500 करोड़ रु. तथा परियोजना विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रु. उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।

सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म और लघु उपक्रमों द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं के लिए ऐसी सार्वजनिक खरीद नीति अनुमोदित की है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले उपक्रमों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

देश में सुदृढ़ प्रतिस्पर्धा संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संशोधित कंपनी विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

मेरी सरकार पर्याप्त एवं गुणात्मक ढांचागत विकास को उच्च प्राथमिकता देती है जिससे भारत वहनीय एवं समावेशी आर्थिक विकास कर सके और भारत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आए। ढांचागत विकास के लिए संसाधन जुटाने जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए, मेरी सरकार ने कई पहल की हैं, जैसे पेंशन और बीमा फंड को पूरा करने के लिए अवसंरचना ऋण फंड की स्थापना करने संबंधी विनियम पहली बार जारी किए गए हैं। अवसंरचना की एक समान परिभाषा तय की जा रही है।

ढांचागत निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, "वायबिलिटी गैप फंडिंग" स्कीम के अंतर्गत, सरकार ने ढांचागत निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त उप-क्षेत्रों को भी शामिल किया है। इसमें कोल्ड चेन एवं फसल उत्पाद भंडारण सहित आधुनिक भंडारण क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए पूंजी निवेश शामिल है।

देश की आधारभूत संरचना में हमें और अधिक विस्तार और सुधार करने की जरूरत है। मेरी सरकार बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है और उन्हें रेलमार्गों तथा सड़कों से जोड़ा जा रहा है। देश में, खासकर उत्तर-पूर्वी इलाकों में, अंतर्देशीय जल परिवहन की अतिरिक्त परियोजनाओं की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं।

रेलवे के आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। पूर्वी व पश्चिमी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर, जिनका कार्य पहले से ही प्रगति पर है, के अतिरिक्त माल और यात्रियों के लिए रेलमार्ग अलग-अलग करने के लिए और अधिक डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर निर्मित किए जाएंगे।

मेरी सरकार सड़कों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इस वर्ष कम से कम 7000 किलोमीटर सड़क निर्माण परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक खरीद और इलेक्ट्रॉनिक-निविदा की नीति अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

विमान यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सुरक्षित और वाजिब दाम पर विमान सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष संसद में नागर विमानन प्राधिकरण के लिए विधेयक लाया जाएगा। विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का

गठन किया जाएगा जो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं और हवाई अड्डों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा।

मेरी सरकार देश में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रही है। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का नौवां चरण शुरू हो चुका है। हर साल 6 मिलियन मीट्रिक टन तेल के शोधन की क्षमता वाली भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जून, 2011 में शुरू की जा चुकी है। यह कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा ओमान ऑयल कंपनी का संयुक्त उद्यम है।

मेरी सरकार, देश में सभी लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है। इस समय देश में प्रति 100 व्यक्ति 76 टेलीफोन कनेक्शन हैं। मेरी सरकार दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नीतियां बना रही है। देश की सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पर 20 हजार करोड़ रु. की लागत आएगी। आईटी हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं।

हमारी अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ हमारी ऊर्जा आवश्यकता भी एक दशक में दुगुनी हो जाने की संभावना है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, हमारी बड़ी उपलब्धियां रही हैं। जहां 10वीं योजना अवधि में, 21 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई, वहीं 11वीं योजना में लगभग 52000 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने की संभावना है। संभावना है कि केवल 2011-12 में ही हम 15000 मेगावाट रिकार्ड क्षमता की वृद्धि हासिल कर सकेंगे।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के तहत, 1400 अभिनिर्धारित नगरों के लिए लगभग 30 हजार करोड़ रु. वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अन्य क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए, मेरी सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत फंड स्थापित करने का अनुमोदन किया है, जिससे राज्य विद्युत कंपनियों को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस फंड का लक्ष्य अगले दो वर्षों में लगभग 25 हजार करोड़ रु. का निवेश जुटाना है। मेरी सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन की आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

हमें अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 400 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने की योजना है। मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सौर ऊर्जा के उत्पादन की लागत को ग्रिड विद्युत लागत के नजदीक लाना है। मुझे आपको यह बताते हुए

खुशी है कि जब दो वर्ष पहले यह मिशन शुरू किया गया था, तब के मुकाबले हाल की टैरिफ बोलियां 50 प्रतिशत कम हैं।

देश में न्यूक्लियर संयंत्रों की संस्थापित क्षमता बढ़कर 4780 मेगावाट हो गई है और बारहवीं योजना के अंत तक इसके 10080 मेगावाट होने की संभावना है। मेरी सरकार, न्यूक्लियर ऊर्जा के उपयोग में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और न्यूक्लियर ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समाज के किसी भी वर्ग की सुरक्षा और उनकी आजीविका अर्जन से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फुकुशिमा, जापान में मार्च, 2011 में हुई दुर्घटना के बाद, मेरी सरकार ने देश में लगे सभी न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा प्रणालियों की तकनीकी समीक्षा करने के आदेश दिए। इनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में की गई सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। नाभिकीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है।

मेरी सरकार ने संसद के पिछले सत्र में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसी कानूनी व्यवस्था उपलब्ध करवाना है जिससे निवेश में तेजी आए, खनन क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी समाविष्ट हो सके और खनन कार्य से प्राप्त राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और पर्यावरण संतुलन कायम रखने के लिए सुनिश्चित हो सके।

दिसम्बर, 2011 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर डरबन में हुई शिखर वार्ता में भारत ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में रचनात्मक और अग्रणी भूमिका निभाई है। आगे भी हम, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इस काम को जारी रखेंगे।

अपने पर्यावरण और जैव-विविधता के संरक्षण को मेरी सरकार सर्वाधिक महत्व देती है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा गंगा नदी की सफाई करने के लिए किए गए समग्र प्रयासों को मजबूती प्रदान कर रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों में लगभग 2600 करोड़ रु. के कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जैव-विविधता पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेन्शन के सदस्य राष्ट्रों के 11वें सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। यह सम्मेलन अक्तूबर, 2012 में हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। मेरी सरकार का प्रयास रहेगा कि इस सम्मेलन में उपयोग एवं लाभ-सहभागिता जैसी पहल के प्रभावी कार्यान्वयन पर वैश्विक सहमति बने और इस दिशा में अग्रगामी कार्रवाई हो। इससे संसाधनों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।

मेरी सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान 1200 करोड़ रु. से अधिक की केंद्रीय सहायता प्रदान करके प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम को संशोधित तथा सुदृढ़ किया है।

देश से विलुप्त बाघों का पुनः प्रवेश कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी बनाया गया है।

वन-विस्तार और एक करोड़ हेक्टेयर वन भूमि को हरा-भरा बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य-योजना के तहत राष्ट्रीय हरित भारत (ग्रीन इंडिया) मिशन बनाया गया है।

दुनिया के देशों में भारत का उचित स्थान, वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के जरिए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। मेरी सरकार का सतत् प्रयास रहेगा कि अनुसंधान और विकास पर खर्च जीडीपी के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत हो जाए। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश प्रतिवर्ष 20 से 25 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। सरकार ने 'इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इन्स्पायर्ड रिसर्च' अर्थात् 'इन्स्पायर' स्कीम सफलतापूर्वक शुरू की है और इसके तहत अब तक विज्ञान विषय के 5 लाख से अधिक छात्रों को पुरस्कार दिए जा चुके हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को सुसाध्य करने के लिए कई नए संस्थागत प्रयास किए गए हैं। छोटे और मझोले उपक्रमों की मदद हेतु जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को सुगम बनाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् नामक एक लाभनिरपेक्ष कम्पनी का गठन किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विज्ञान नीति कार्यान्वयन एवं अनुसंधान अकादमी अर्थात् 'एस्पायर' बनाई गई है। वैज्ञानिक एवं नवाचार अनुसंधान अकादमी भी स्थापित की गई है।

मेरी सरकार ने मानूसन मिशन कार्यक्रम शुरू किया है जिससे किसानों की मदद हेतु मानसून की भविष्यवाणी को और बेहतर करने में योगदान मिलेगा। अगली पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि-मौसम विज्ञान सेवाएं 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। एकीकृत समुद्री सूचना परामर्श सेवाएं हमारे देश के 90 प्रतिशत तटीय मछुआरों तक पहुंचाई जाएंगी।

राष्ट्रीय हित में मेरी सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। आठ उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़े गए। संचार उपग्रह जीसैट-8 को कक्षा में स्थापित किया गया। वर्ष 2012 में कई बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपणों की योजना है जिनमें हर तरह के मौसम में इमेजिंग क्षमता वाला भारत का पहला माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह और पहला नेविगेशनल उपग्रह भी शामिल है। हमारा प्रस्ताव वर्ष 2012 में, स्वदेशी क्रायोजनिक अपर स्टेज का प्रयोग करके, जीयोसिंक्रॉनस सेटेलाइट लांच व्हीकल का अगला प्रक्षेपण करने का है।

कार्य कौशल, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। भारत सरकार हमारे सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

सेना के तीनों अंगों को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं जिससे वह तटीय सुरक्षा सहित, सुरक्षा संबंधी समस्त भावी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमताएं बढ़ाई जाएं और साथ ही हथियारों और उनकी प्रचालन प्रणाली (डिलीवरी सिस्टम) के मामले में हम आत्मनिर्भर बनें। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारी सेना, दुनिया की तकनीकी रूप से सबसे उन्नत सेनाओं में से एक हो। अग्नि 4 मिसाइल का प्रक्षेपण और प्रस्तावित हल्के लड़ाकू विमान—तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना, इस दिशा में प्रमुख उपलब्धियां हैं।

देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हमारी सीमाओं के साथ-साथ देश के आंतरिक क्षेत्रों की भी पूरी बहादुरी और बलिदान की भावना से सुरक्षा करते हैं। मेरी सरकार इन सुरक्षा बलों के लिए देश की पहली बृहत् स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजना के रूप में चिकित्सा संस्थान एवं सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल बना रही है।

आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार ने वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त इलाकों में विकास के लिए कई उपाय किए हैं। देश के अत्यधिक पिछड़े और हिंसा प्रभावित जिलों के गांवों में पिछले दो वर्षों में 3300 करोड़ रु. के परिव्यय वाली एकीकृत कार्य-योजना द्वारा विकास कार्य हुआ है। यह कार्य-योजना अब तक 60 जिलों में लागू थी और अब इसका विस्तार 78 जिलों तक कर दिया गया है।

मेरी सरकार ने दिखाया है कि हिंसा को, दृढ़ लेकिन मानवीय तरीकों से रोका जा सकता है। पिछले वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मेरी सरकार हमेशा ऐसे गुटों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहती है, जो हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हों। यह उत्साहवर्धक है कि कई संगठन अपनी शिकायतों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे आए हैं।

जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी तब हासिल हुई जब वहां पर लम्बे अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कराए गए। इन चुनावों को जनता का भारी समर्थन मिला और 80 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। वर्ष 2011 में एक करोड़ से ज्यादा तीर्थ-यात्रियों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए "उड़ान" नामक विशेष उद्योग प्रोत्साहन स्कीम और "हिमायत" नामक कौशल विकास एवं रोजगार स्कीम शुरू की गई है। अगले पांच वर्षों के दौरान जहां "उड़ान" स्कीम के तहत 40 हजार युवाओं के कौशल-विकास का लक्ष्य रखा गया है, वहीं

"हिमायत" स्कीम के अंतर्गत एक लाख युवाओं को लाया जाएगा, जिस पर कुल 235 करोड़ रु. खर्च होंगे। एक हजार से अधिक प्रशिक्षुओं को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां दी जा चुकी हैं।

13 जुलाई, 2011 को मुंबई में और 7 सितम्बर, 2011 को दिल्ली में हुए बम धमाके इस बात की गम्भीर चेतावनी देते हैं कि देश में आतंकवादी समूह अभी भी सक्रिय हैं। वर्ष 2011 में 18 आतंकी समूहों को निष्क्रिय कर दिया गया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेशनल काउंटर टैररिज्म सेंटर का लक्ष्य आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता में वृद्धि करना है।

मेरी सरकार ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके उस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग का सम्मान किया है। असम में यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी के साथ भी त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर-पूर्व में केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए निधि की आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के लिए संसाधनों का स्थायी केंद्रीय पूल बनाया गया है।

विदेशी मामलों के क्षेत्र में मेरी सरकार ने हमारे निकटवर्ती पड़ोसी एवं अन्य देशों के साथ शांति और सहयोग बढ़ाने की नीति पर अनुसरण किया है ताकि हम सामाजिक-आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मेरी सरकार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की सफलता के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। हमारी इच्छा है कि दक्षिण-एशिया के सभी राष्ट्र समृद्ध हों, वहां स्थिरता हो और वे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, व्यापार और मूलभूत अवसंरचना को विकसित करते हुए अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें।

प्रधान मंत्री की अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव की यात्राओं से तथा म्यांमार के राष्ट्रपति, भूटान नरेश, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा से इस प्रक्रिया को काफी बल मिला है।

भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भू-सीमा करार संबंधी प्रोटोकॉल से लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान और परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मेरी सरकार ने श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए हैं।

हम पाकिस्तान के साथ लंबित सभी मामलों का हल बातचीत के जरिए करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के लिए आवश्यक है

कि वह अपनी जमीन पर आतंकवादी गुटों और उनसे संबंधित ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, अब तक हुई प्रगति को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे।

भारत की "पूर्व की ओर देखो" (लुक ईस्ट) की नीति के परिणामस्वरूप पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ हमारे संबंध और घनिष्ठ हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में थाइलैंड की प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि रहीं। दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रसंघ (आसियान) के साथ स्मारक शिखर वार्ता की मेजबानी भारत पहली बार करेगा जो उनके साथ हमारे परस्पर संवाद के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, इस वर्ष दिसंबर में आयोजित की जाएगी।

पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों में शांति, स्थिरता और प्रगति में भारत की विशेष अभिरुचि है। खाड़ी क्षेत्र में 60 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोग बदलाव और परिवर्तन के इस ऐतिहासिक दौर में राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए अपने मार्ग स्वयं तलाशें। फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम पूर्ववत् समर्थन देते रहेंगे।

पिछले साल अफ्रीका में पहली बार आयोजित दूसरे अफ्रीकी-भारत शिखर सम्मेलन के फलस्वरूप अफ्रीका के साथ हमारे पारंपरिक रिश्तों को और नया बल मिला है। अफ्रीकी महाद्वीप के 54 में से 47 देशों में हमारी महत्वाकांक्षी पैन-अफ्रीकन-ई-नेटवर्क परियोजना प्रारंभ की गई है।

स्लोवेनिया के राष्ट्र प्रमुख की भारत यात्रा, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैण्ड की मेरी यात्राएं और उप-राष्ट्रपति की तुर्की यात्रा से मध्य यूरोप के साथ हमारे राजनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधान मंत्री की कजाकिस्तान यात्रा और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से मध्य एशिया के साथ हमारे संबंधों को नया आयाम मिला है।

दुनिया की महाशक्तियों के साथ हमारी भागीदारी बढ़ रही है। अमरीका हमारा एक अहम स्ट्रैटेजिक भागीदार है जिसके साथ हमारे बहुआयामी संबंध हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। पिछले वर्ष प्रधान मंत्री की रूस यात्रा से भारत की रूस के साथ विशेष और तरजीह प्राप्त स्ट्रैटेजिक भागीदारी और अधिक मजबूत हुई है। हम चीन के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक और सहयोगी भागीदारी बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देते हैं। चीन के साथ हमारे व्यापार और आर्थिक रिश्तों में हो रहे द्रुत विकास का महत्व न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए है, बल्कि समूची वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी है। यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध, साझा मूल्यों और बढ़ते वाणिज्यिक, आर्थिक और जनता के परस्पर संबंधों पर आधारित हैं। जापान के साथ भारत के संबंध आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ सुरक्षा क्षेत्रों में भी बढ़ते जा रहे हैं, जो दोनों देशों की प्रबल राजनीतिक इच्छा-शक्ति पर आधारित हैं।

भारत ने जी-20, ब्रिक्स और इब्सा प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। हम निकट भविष्य में भारत में अगली ब्रिक्स शिखर वार्ता की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्य के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता के सुस्थापित सिद्धांतों का सम्मान करते हुए अन्य देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं।

मेरी सरकार ने मिशन के रूप में बनाई गई "पासपोर्ट सेवा परियोजना" के जरिए पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था में आमूल सुधार करने का काम शुरू कर दिया है और आशा है कि यह मौजूदा वर्ष में पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दी जाएगी। इमीग्रेशन, वीजा और विदेशी रजिस्ट्रेशन तथा ट्रैकिंग स्कीम के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है।

प्रवासी भारतीय समुदाय, भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक परंपरा का एक जीवंत तत्व है। मेरी सरकार ने लीबिया के बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां से 16 हजार से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए पिछले वर्ष "ऑपरेशन सेफ होमकमिंग" चलाया। हमने मिस्र और यमन में अशांति के फलस्वरूप वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था भी की। नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके भारतीय मूल के लोग और प्रवासी भारतीय नागरिक स्कीमों को सरलीकृत व आमेलित करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार त्वरित विकास व आधुनिकीकरण का नया मार्ग दर्शा रही है जो इस धारणा पर आधारित है कि एक समृद्ध समाज का निर्माण मानवता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है, जिसका सपना हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने देखा था। हम समाज की ऐसी नई तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमें सुविधावंचित लाखों लोगों को आजीविका मिल सके और हमारे युवा वर्ग की बेहतर जीवन जीने की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके; एक ऐसा समाज-जहां बड़ी विकास परियोजनाओं से पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा प्रभावित न होती हो; एक ऐसा समाज जो उदार, लोकतांत्रिक और पारदर्शी हो परंतु जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता हो।

माननीय सदस्यगण, संसद के पास एक लंबी कार्यसूची है। मैं आशा करती हूं कि दोनों सदनों के समक्ष जो कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए आप सभी रचनात्मक सहयोग की भावना से मिलकर कार्य करेंगे। सभी जन-आकांक्षाओं को पूरा करने के आपके कार्य में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जय हिंद।

श्री प्रणब मुखर्जी

संसद के समक्ष अभिभाषण — 21 फरवरी 2013

लोक सभा	-	पंद्रहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री प्रणब मुखर्जी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्रीमती मीरा कुमार

माननीय सदस्यगण,

मैं, राष्ट्रपति के रूप में पहली बार दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए इस सत्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह सत्र सफल एवं उपयोगी होगा।

जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि एक महत्वाकांक्षी भारत का उदय हो रहा है, एक ऐसा भारत जहां अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर आधारभूत संरचना तथा अधिक संरक्षा एवं सुरक्षा होगी। हमारे युवा जो हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय धरोहर हैं, आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इनका जोश, इनकी ऊर्जा और इनका उद्यम भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

इन आकांक्षाओं के बीच, हमारे सामने आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के सृजन की चुनौतियां भी हैं। समाज हमारी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लोग समय पर अपेक्षित सेवाओं को प्राप्त करने तथा व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को लेकर भी चिंतित हैं।

पिछला वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहा है। यूरोप में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। अधिकांश उभरते बाजारों में विकास की गति बहुत धीमी है। यह वर्ष भारत के लिए भी कठिन रहा है। वैश्विक एवं घरेलू, दोनों ही कारणों से हमारा विकास प्रभावित हुआ है। हमें इन दोनों के दुष्प्रभावों का समाधान करना होगा।

मेरी सरकार ने इस स्थिति की ओर ध्यान दिया और निवेश गतिविधियों को पुनर्जीवित करने तथा निवेश वातावरण को सुधारने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान अनेक उपाय किए हैं।

मेरी सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पहल की है जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली प्रारंभ की गई है। इससे सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों, यथा छात्रवृत्ति, पेंशन और मातृत्व लाभ, को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा जा सकेगा। लाभार्थी अपनी आधार संख्या के माध्यम से इन लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले समय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के अंतर्गत मजदूरी तथा खाद्य पदार्थों एवं एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रणाली की सहायता से निधि के रिसाव को कम करने, लाखों लोगों को वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाने और लाभार्थियों को बेहतर रूप से चिह्नित करने में मदद मिलेगी। यह, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे निर्धनतम नागरिकों को लाभ पहुंचाने में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में एक नई दिशा-निर्धारक का कार्य करेगी, परंतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली सार्वजनिक सेवाओं का स्थान नहीं लेगी और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूरक होगी।

पिछले वर्ष में समाप्त हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8 प्रतिशत थी। इस योजना का उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि इसमें पिछले दशक की तुलना में गरीबी में तेजी से कमी के साथ सामाजिक समावेशिता की दिशा में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंगीकार किया है जिसमें तीव्रतर, अधिक समावेशितापूर्ण और चिरस्थायी विकास पर और अधिक बल दिया गया है। 12वीं योजना में यह माना गया है कि विकास के नतीजे हमें तभी प्राप्त होंगे जब हम कठिन निर्णय ले पाएंगे। इस योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों को समेकित करते हुए इनकी संख्या कम करने और इन्हें अधिक लचीला बनाने का प्रस्ताव है। इससे राज्यों को नए प्रयोग और नई पहल करने के लिए वांछनीय स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी।

हाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी रही है। चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही। यह पिछले दशक के लगभग 8 प्रतिशत वार्षिक विकास औसत दर से काफी कम है। हमारी विकास दर वैश्विक और घरेलू दोनों ही कारणों से धीमी रही है। मेरी सरकार इस मंदी के कारणों से निपटने के लिए कदम उठा रही है। मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है किंतु यह अभी भी एक समस्या बनी हुई है।

हाल के महीनों में सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। मुद्रास्फीति में कुछ कमी आई है और विकास दर में पुनः वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णयों से भी देश और विदेश में लोग पुनः आशावादी हुए हैं।

मेरी सरकार ने चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद की 5.3 प्रतिशत की दर पर सीमित करते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्य-योजना घोषित की है। मेरी सरकार माल एवं सेवा कर के संबंध में आम सहमति कायम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी कार्य कर रही है।

कृषि के मोर्चे पर हमारे खुश होने की वजह है, 11वीं योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास दर, 10वीं योजना के 2.4 प्रतिशत की तुलना में 3.7 प्रतिशत रही।

यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि सरकार की सहायक नीतियों के साथ-साथ कृषकों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप, लगातार दो वर्षों में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है और गत वर्ष में यह 260 मिलियन टन तक पहुंचा। आशा है कि हम, इस वर्ष अनियमित और कम वर्षा के बावजूद, 250 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे।

इस प्रकार देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है। 1 फरवरी, 2013 को सरकारी एजेंसियों के पास कुल खाद्यान्न 662 लाख टन था, जिसमें 307 लाख टन गेहूं और 353 लाख टन चावल था। मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2011-12 में गन्ना और कपास की रिकार्ड पैदावार हुई है।

मेरी सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षा-सिंचित एवं परती क्षेत्रों के विकास पर जोर देती रहेगी। इस योजना अवधि के लिए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 29,296 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान बागवानी उत्पादन, अब तक के उच्चतम 251 मिलियन टन तक पहुंच गया। वर्ष 2012-13 को "बागवानी वर्ष" घोषित किया गया है। प्रशीतन शृंखला (कोल्ड चेन) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रशीतनशृंखला विकास केन्द्र की स्थापना की गई है।

वर्ष 2011-12 में देश में 128 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना हुआ है। दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डेरी योजना चरण-I का अनुमोदन किया है,

जिससे वर्ष 2016-17 तक 150 मिलियन टन की अनुमानित राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

खाद्य प्रसंस्करण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" प्रारंभ किया है। मेरी सरकार ने "सार्वजनिक निजी भागीदारी" के अंतर्गत गोदामों के निर्माण को प्रोत्साहित किया है। आगामी दो वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5.4 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सहित देशभर में लगभग 181 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन किया जाएगा।

हाल ही में यूरिया के लिए नई निवेश नीति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के सृजन की संभावना है, जिससे देश यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

11वीं योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 34 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 12वीं योजना के दौरान, 87 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन की योजना है। हाल ही में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् द्वारा अपनाई गई नवीन राष्ट्रीय जल नीति में जल के सही उपयोग तथा जल संसाधनों की योजना को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, समता, सामाजिक न्याय और चिरस्थायी विकास के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

कठिनाई के समय रोजगार चाहने वाले लोगों को काम दिलाने के मेरी सरकार के प्रयास के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लगातार नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। वर्ष 2011-12 में इस योजना के तहत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

ग्रामीण गरीबों के लिए उन्नत आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने "इंदिरा आवास योजना" के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में काफी बढ़ोतरी की है जिसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में इसे प्रति इकाई 45,000 रु. से बढ़ाकर 70,000 रु. और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रति इकाई 48,500 रु. से बढ़ाकर 75,000 रु. कर दिया गया है।

मेरी सरकार ने हाल ही में भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक में महत्वपूर्ण सरकारी संशोधन किए हैं। मैं आश्वस्त हूं कि यह कानून अधिनियमित हो जाएगा।

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अगले चरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान चालू परियोजनाओं को जारी रखने के लिए तथा नई

परियोजनाओं की मंजूरी के लिए वर्तमान मिशन की अवधि को मार्च, 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि शहरी आधारभूत संरचना के विकास की गति को बरकरार रखा जा सके। शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता-निर्माण प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अलग से 1,000 करोड़ रु. की निधि के सृजन का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि राजीव आवास योजना के अंतर्गत 12वीं योजना में 10 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ योजना का विस्तार सभी लघु एवं मध्यम नगरों तक किया जाए।

मेरी सरकार पेयजल स्रोतों के संदूषण की समस्या के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2012-13 के दौरान, "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि" का 5 प्रतिशत इस समस्या का सामना कर रहे राज्यों को आबंटित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। जिन राज्यों में पाइपलाइन जलापूर्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है उनकी सहायता के लिए, विश्व बैंक की सहायता से निम्न आय वाले राज्यों हेतु ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना तैयार की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5000 करोड़ रु. है।

बीमारियों को कम करने में ग्रामीण स्वच्छता के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने इसे उच्च प्राथमिकता दी है। "पूर्ण स्वच्छता अभियान" को "निर्मल भारत अभियान" के रूप में संशोधित किया गया है जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मेरी सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत विधवाओं और नि:शक्त लाभार्थियों की पेंशन को 200 रु. से बढ़ाकर 300 रु. प्रति माह कर दिया है। 80 वर्ष की उम्र हो जाने पर इन दोनों स्कीमों के लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं जिसके अंतर्गत उन्हें प्रतिमाह 500 रु. की पेंशन प्राप्त होती है।

पथ विक्रेताओं के योगदान को मान्यता प्रदान करने तथा राज्यों में इनके लिए विधिक ढांचे में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012" संसद में पेश किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन्य अधिकारों की पहचान) अधिनियम, 2006 के अधीन 32 लाख से अधिक दावे दर्ज किए गए हैं और लगभग 13 लाख अधिकार-पत्र वितरित किए गए हैं।

मेरी सरकार अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए तीन छात्रवृत्ति स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है और प्रत्येक स्कीम में

30 प्रतिशत निधि छात्राओं के लिए निर्धारित की गई है। वर्ष 2012–13 में 31 दिसंबर तक 55 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 880 करोड़ रु. की राशि का वितरण किया जा चुका है। अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 66 करोड़ रु. की राशि दे दी गई है। वक्फ़ अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। और वक्फ़ संपत्तियों के विकास एंव संरक्षण के लिए वक्फ़ विकास निगम की स्थापना की जाएगी।

प्रधान मंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि चिह्नित योजनाओं के लक्ष्यों एवं परिव्ययों का 15 प्रतिशत लाभ अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचे। वित्तीय समावेशन के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान दिनांक 30.09.2012 तक राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों को 1,71,960 करोड़ रु. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिया गया, जो कि कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के 15 प्रतिशत से अधिक था।

मेरे पूर्ववर्ती द्वारा विगत वर्ष में किए गए वादे के अनुरूप, सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा को समाप्त करने तथा सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए एक नया विधेयक सितंबर, 2012 में लोक सभा में पेश किया गया।

कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिससे लगभग 40 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है।

मेरी सरकार ने एक पृथक नि:शक्तता कार्य विभाग का सृजन किया है। सरकार ने नि:शक्त छात्रों के लिए हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना प्रारंभ की है जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए मेरी सरकार ने 12वीं योजना के दौरान समेकित बाल विकास स्कीम के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 1,23,580 करोड़ रु. के परिव्यय का अनुमोदन किया है।

मेरी सरकार ने "लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम" के रूप में एक नया कानून बनाया है, जिसके अंतर्गत अपराध करने वालों या ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

मेरी सरकार ने, कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, निषेध एवं समाधान) विधेयक, 2012", संसद में पेश किया। यह विधेयक लोक सभा में पारित हो चुका है। मेरी सरकार महिलाओं के प्रति यौन अपराधों की

घटनाओं के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत 100 जिलों में सरकारी अस्पतालों में, "वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर" के नाम से पायलट परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जो हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला एक विशिष्ट सुविधा केन्द्र होगा।

वर्तमान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 12 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है। मेरी सरकार ने इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार क्रमिक रूप से इस कार्यक्रम का दायरा पूर्व-प्राथमिक स्कूलों तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' नामक एक नए कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को केंद्रीय निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कार्यनीतिक बदलाव पर विचार कर रही है। यह कार्यक्रम राज्यों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार, समानता और उत्कृष्टता संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए समेकित रूप से व्यापक उच्चतर शिक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

मेरी सरकार ने हमारे कौशल विकास प्रयासों को तीव्र करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आईटीआई की संख्या, जो वर्ष 2006-07 में 5114 थी, वर्ष 2012 के अंत तक, दोगुने से भी अधिक होकर 10,344 हो गई है।

हमने जनवरी, 2013 तक वाइल्ड पोलियो वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आने के दो वर्ष पूरे किए। पोलियो उन्मूलन कार्यों के शुरू होने के बाद यह देश में सर्वाधिक लंबी पोलियो-मुक्त अवधि है।

स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत 2005-06 से 2012-13 तक की अवधि में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित 43,500 से अधिक नए निर्माण और उन्नयन कार्य शुरू किए गए और सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में लगभग 70,000 अतिरिक्त शय्याओं की व्यवस्था की गई। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में लगभग 1.45 लाख स्वास्थ्यकर्मी नियोजित किए गए।

विगत दो वर्षों में दूरवर्ती और अल्प-सुविधाओं वाले जिलों में नर्सिंग स्टॉफ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 200 से अधिक नर्सिंग स्कूलों को मंजूरी दी

है। चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधार किए गए, जिनके फलस्वरूप विगत 5 वर्षों में एमबीबीएस सीटों में 46 प्रतिशत और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 70 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए सर्वसमावेशी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वर्ष 2011-12 के दौरान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1.1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में पूर्णत: नि:शुल्क चिकित्सा सेवा प्राप्त करने की हकदार हैं।

बच्चों के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार ने 30 विभिन्न प्रकार के रोगों, विकारों, कमियों और विकलांगताओं के लिए 18 वर्ष से छोटे बच्चों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस राष्ट्रीय पहल में अंतत: पूरे राष्ट्र से 27 करोड़ बच्चों को शामिल किया जाएगा।

सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में काफी कमी आई है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो कि 1996-2000 की अवधि में 61.9 वर्ष थी, 2006-10 की अवधि में बढ़कर 66.1 वर्ष हो गई है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। विगत दशक में इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष नए एचआईवी संक्रमण में 57 प्रतिशत की कमी आई है। वयस्क एचआईवी संक्रमण वर्ष 2000 में 0.40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 0.27 प्रतिशत हो गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ होने के बाद इस स्कीम के अंतर्गत 3.35 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए और 43.26 लाख से अधिक व्यक्तियों ने अस्पताल सुविधा का लाभ उठाया। इस बीमा योजना के अंतर्गत भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों, पथ विक्रेताओं, बीड़ी कामगारों और अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है।

पर्याप्त और उत्तम बुनियादी ढांचे का अभाव हमारी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में एक बड़ी बाधा है। अत: यह अनिवार्य है कि बुनियादी ढांचे में इस कमी को दूर किया जाए और इसमें पर्याप्त निवेश किया जाए। सरकार ने इस दिशा में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं।

पहला कदम है, निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन, ताकि परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन और अनुमति लेने संबंधी निर्णय शीघ्र लिए

जा सकें। दूसरा कदम है, बुनियादी ऋण निधि का सृजन, ताकि बुनियादी परियोजनाओं को पुनः वित्त-पोषित करने के लिए किफायती और दीर्घकालिक संसाधन जुटाए जा सकें।

मेरी सरकार, एक दशक के भीतर, विनिर्माण को सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत तक बढ़ाने और 10 करोड़ रोजगारों के सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अंतर्गत, 12 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन अधिसूचित हो चुके हैं, जिनमें से 8 दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के साथ-साथ तथा 4 अन्य—नागपुर, तुमकूर, चित्तूर और मेडक में बनाए गए हैं। मेरी सरकार ने सिंगल-ब्रांड और मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार, विमान परिवहन सेवाओं, पावर एक्सचेंजों और प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया है। निवेशकों और व्यापारों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक 24x7 ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करने के लिए ई-बिज़ परियोजना शुरू की गई है।

राष्ट्रीय विद्युत परिवहन मिशन योजना—2020 तैयार कर ली गई है। इसमें ऐसे वैद्युत और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने की कार्य-योजना तैयार की गई है जो पर्यावरण अनुकूल हों तथा जीवाश्म ईंधनों (फॉसिल फ्यूल) पर हमारी निर्भरता को कम कर सकें।

मेरी सरकार ने राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति—2012 अधिसूचित की है ताकि किफायती मूल्यों पर आवश्यक औषधियां मिलने के साथ-साथ उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा के पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जा सकें। हैदराबाद, गांधीनगर, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में छह नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में कार्य शुरू हो गया है।

मेरी सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा श्रम बहुल क्षेत्रों को सहायता देने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं। वर्ष 2012-13 में भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।

हथकरघा बुनकरों को और अधिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से मेरी सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है। ताकि लगभग 10 लाख हथकरघा बुनकरों को लाभ दिया जा सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, कुल सरकारी क्रय का 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जाना है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने वर्ष 2012 में लघु और मध्यम उद्यम एक्सचेंज प्लेटफार्म शुरू किए हैं ताकि लघु एवं मध्यम उद्योग, पूंजी बाजार का आसानी से लाभ उठा सकें।

हमारे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दिसम्बर, 2012 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 एक बड़ा कदम है। धन-शोधन निवारण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन किया है।

वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा के अनुसार सरकार ने पहली बार खुदरा निवेश करने वालों के लिए राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना अधिसूचित की है। विनिवेश नीति के माध्यम से हमने सरकारी उद्यमों में आम लोगों के स्वामित्व को बढ़ाया है।

देश के विदेशी मुद्रा अर्जन में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है जो कि वर्ष 2012 के दौरान अनुमानतः 94,487 करोड़ रु. था। यह पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2012 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अनुमानतः 66.5 लाख थी।

भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा नागर विमानन बाजार है। कोलकाता और चेन्नै विमानपत्तनों पर अब नए टर्मिनल बनाए गए हैं। मेरी सरकार ने नवी मुंबई, मोपा और कन्नूर विमानपत्तनों के अलावा, केरल में अरनमूला में भी नए विमानपत्तन स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।

डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना हमारे पूर्वी और पश्चिमी तटों को देश के भीतरी भागों से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसमें 3300 किलोमीटर रेलमार्ग शामिल होगा। 1000 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है।

आधुनिक स्टेनलैस स्टील रेलवे कोचों का निर्माण करने के लिए रायबरेली में अत्याधुनिक कोच निर्माण सुविधा प्रारंभ की गई है। प्रथम और अंतिम मील परियोजनाओं के लिए तथा रेलवे स्टेशनों का विकास करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अधीन अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में बनिहाल-काजीगुंड सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है और रेल सेवा प्रारंभ करने का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2012-13 में 2600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और 3000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण अपेक्षित है। सड़क निर्माण के लिए नई ईपीसी पद्धति अपनाई गई है। इस पद्धति से पारंपरिक संविदा पद्धतियों की तुलना में लागत और समय की काफी बचत होगी। 2900 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा, जिससे सड़क रख-रखाव में सुधार होगा। कश्मीर घाटी को कारगिल-लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने के लिए 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए पहले ही अनुमोदन दिया जा चुका है और 13 किलोमीटर लंबी एक और सुरंग की योजना तैयार कर ली गई है। इससे हर मौसम में आवागमन सुनिश्चित होगा।

वर्ष 2012-13 में, 42 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पत्तन परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें वर्ष 2012-13 में 14,770 करोड़ रु. के निवेश से 251 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करना शामिल है। लगभग 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कुल अतिरिक्त क्षमता वाले दो नए बड़े पत्तन, एक पश्चिम बंगाल में सागर आइलैंड में तथा दूसरा आंध्र प्रदेश में स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण तथा माइन डेवेलपर व ऑपरेटर लगाकर नए कोयला ब्लॉकों के विकास जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। लंबित मुद्दों का समाधान करने के बाद, सीआईएल द्वारा विद्युत कंपनियों के साथ 46 ईंधन आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रतिस्पर्धा बोली नियम द्वारा नई नीलामी की अधिसूचना का अनुपालन करते हुए मेरी सरकार, प्रारंभ में, सरकारी कंपनियों को 17 कोयला ब्लॉकों का आबंटन करने की प्रक्रिया में है।

मेरी सरकार ने हमारे खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 12वीं योजना के दौरान, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 5.71 लाख वर्ग किलोमीटर अत्यधिक संभावनापूर्ण क्षेत्र के भू-भौतिकीय एवं भू-रासायनिक मानचित्रण को पूरा करने की योजना बनाई है। गहन समुद्र में खनिजों की खोज करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महासागरीय अनुसंधान जलयान के वर्ष 2013 में जलावतरण की संभावना है।

11वीं योजना के दौरान 54,964 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है, जो कि 10वीं योजना के दौरान की गई क्षमता वृद्धि का लगभग ढाई गुना है। 11वीं योजना के अंत में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 2 लाख मेगावाट थी। 12वीं योजना के अंत तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, इस योजना में 88,537 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता वृद्धि का लक्ष्य है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत एक लाख से अधिक ऐसे गांवों में बिजली पहुंचाई गई, जहां अभी तक बिजली नहीं थी, लगभग 2,85,000 गांवों को सघन रूप से बिजली दी गई है और गरीबी रेखा से नीचे के 2 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।

राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक स्कीम भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके और वे लंबे समय तक चल सकें। इससे वित्तीय संस्थाओं का विद्युत कंपनियों पर 1.85 लाख करोड़ रु. से अधिक के ऋणों का निपटान किया जा सकेगा।

तेल और गैस के आयात पर हमारी निर्भरता, जो इस समय हमारी जरूरत के 75 प्रतिशत से अधिक है, को अनुकूल नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए काफी कम करने का मेरी सरकार का लक्ष्य है।

आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अहम भूमिका रहेगी। देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिष्ठापित क्षमता 26,400 मेगावाट से अधिक है जो कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता के 12 प्रतिशत से अधिक है।

मेरी सरकार के सुधार प्रयासों और सक्रिय नीतियों तथा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 935 मिलियन से अधिक टेलीफोन कनेक्शनों के साथ, भारतीय टेलीफोन नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अक्तूबर, 2012 में दूरसंचार सुविधा की सघनता 76.75 प्रतिशत थी और गांवों में यह 40 प्रतिशत को पार कर गई। सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति–2012 अनुमोदित कर दी है जिसमें दूरसंचार क्षेत्र के लिए विज़न और स्ट्रेटेजिक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क योजना के अधीन ढाई लाख ग्राम पंचायतों को दिसंबर, 2014 तक ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ा जाएगा।

डाक विभाग ग्रामीण आईसीटी कार्यक्रम शुरू कर रहा है जिसके माध्यम से सभी डाकघर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़े जाएंगे। इसके अंतर्गत डाक और बैंकिंग दोनों प्रकार की सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए 1,30,000 डाकघरों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

वर्ष 2011–12 में, भारतीय आईटी और आईटी आधारित सेवा उद्योग ने 101 बिलियन अमरीकी डॉलर का राजस्व अर्जित कर उल्लेखनीय क्षमता दर्शाई है। 2011–12 में आईटी सॉफ्टवेयर और सेवाओं में कुल नियोजन लगभग 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 2.8 मिलियन तक पहुंच गया।

मेरी सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति–2012 अनुमोदित की है जिसमें ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया है जिनमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति अनुमोदित कर दी गई है। इस नीति में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और उभारने एवं मजबूत करने तथा देश के तीव्र, समावेशी और निरंतर विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के सक्रिय उपयोग करने की संकल्पना की गई है। वर्तमान में लगभग एक लाख नागरिक सेवा केन्द्र लोगों को आईटी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

सरकार ने तीन महानगरों में केबल टीवी डिजिटाइजेशन का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे अन्य महानगरों में भी चरणबद्ध ढंग से विस्तारित किया जाएगा।

हम भारतीय सिनेमा का 100वां वर्ष मना रहे हैं। राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का प्रथम चरण गुलशन महल, मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किए जाने का प्रस्ताव है।

सरकार ने वर्ष 2012 के दौरान, स्वामी विवेकानंद का 150वां जन्म दिवस तथा गदर आंदोलन की शताब्दी मनाने के लिए तैयारी के अतिरिक्त गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री मदन मोहन मालवीय और श्री मोती लाल नेहरू का 150वां जन्म दिवस मनाया। एक नए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार "टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार" की शुरुआत की गई है। पहला पुरस्कार स्वर्गीय पंडित रवि शंकर को मरणोपरांत दिया जाएगा। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय लाइब्रेरी मिशन भी आरंभ कर दिया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2012 में अपनी स्थापना का 150वां वर्ष मनाया और कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए महत्वपूर्ण पहल की।

लंदन ओलंपिक और पराओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्साहवर्धक रहा। मेरी सरकार ने चुनिंदा खेलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए दीर्घावधि योजना बनाने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार पंचायत से जिला स्तर तक के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए भी नई प्रणाली लागू करना चाहती है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा क्रीड़ा विकास संस्थान, तमिलनाडु को राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान का दर्जा किया गया है।

देश के कुछ भागों में पिछले दिनों सांप्रदायिक घटनाएं देखी गई हैं। मेरी सरकार सांप्रदायिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कृत संकल्प है।

जुलाई, 2012 में असम के कुछ जिलों में हिंसा की घटनाएं हुईं, जिनमें लगभग 100 लोग मारे गए। हिंसा को काबू करने के लिए पर्याप्त सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। राज्य सरकार ने राहत शिविरों की स्थापना की और प्रभावित लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई। केंद्र सरकार ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 300 करोड़ रु. के पैकेज की घोषणा की है।

वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या वर्ष 2011 में 611 थी, जो वर्ष 2012 में घटकर 414 रह गई।

मेरी सरकार वामपंथी उग्रवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उग्रवादियों के विरुद्ध सक्रिय एवं निरंतर अभियान चलाने तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास एवं शासन संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की

द्वि-आयामी नीति के अनुसार कार्य कर रही है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 400 पुलिस थानों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक नई योजना शुरू की गई है। सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में 7300 करोड़ रु. की लागत से सड़क संपर्क सुधार योजना का प्रथम चरण मार्च, 2015 तक पूरा होने की संभावना है।

जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जम्मू और कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2011 में 8.99 लाख थी जो वर्ष 2012 में बढ़कर 12.37 लाख हो गई। वर्ष 2011 की तुलना में, वर्ष 2012 में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में मृतकों की संख्या घटकर लगभग आधी रह गई। नियोजन से जुड़ी 'उड़ान' योजना के तहत, जम्मू और कश्मीर के लगभग 25000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के निजी क्षेत्र के प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। 'हिमायत' नामक एक अन्य नियोजन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम के तहत, राज्य के 1650 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 650 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है।

मेरी सरकार ने सीमा प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं म्यांमार के साथ लगती सीमाओं पर घेराबंदी करने, सड़क बनाने एवं फ्लडलाइटों के कार्य के अतिरिक्त सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश एवं भारत-पाकिस्तान सीमा पर 509 अतिरिक्त सीमा चौकियां बनाने का निर्णय भी लिया गया है। अटारी स्थित एकीकृत जांच चौकी को अप्रैल, 2012 में चालू कर दिया गया है।

त्रिपक्षीय करार के अनुपालन में दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अगस्त, 2012 में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) नामक स्वायत्त निकाय का गठन किया गया है। मेरी सरकार आर्थिक-सामाजिक ढांचे के विकास के लिए 3 वर्ष तक जीटीए को 200 करोड़ रु. की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह पश्चिम बंगाल राज्य को दी जाने वाली सामान्य योजना सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।

मेरी सरकार शासन में अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में मेरी सरकार व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक, विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक और लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित करने को प्राथमिकता देती है और ये विधेयक पहले ही संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। मेरी सरकार प्रभावी रूप से दोषियों को दंडित करने और ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है।

मेरी सरकार ने देश में विधिक और न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 12वीं योजना में 4867 करोड़ रु. के संवर्धित वित्तपोषण सहित कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। 14000 से अधिक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना एवं संचार तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि वादकारियों को उत्तम नागरिक-केंद्रित सेवाएं मुहैया हो सकें। आम आदमी को किफायती और शीघ्र न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरी सरकार का न्यायिक सुधारों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक को इस सत्र में पेश करने का प्रस्ताव है।

भारत की जनता, सशस्त्र बलों द्वारा राष्ट्र की रक्षा करने में उनके अनुकरणीय कार्य-कौशल, प्रतिबद्धता एवं बहादुरी के लिए कृतज्ञ है। देश अपने उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकजुट है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है।

हमारे सशस्त्र बल देश को किसी भी खतरे से बचाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। मेरी सरकार सशस्त्र सेवाओं को आधुनिक एवं सुसज्जित बनाने तथा रक्षा ढांचे को, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, सुदृढ़ करने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास में आत्मनिर्भरता लाने और रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहेगी। मिसाइल कार्यक्रम की निरंतर प्रगति से हमारी निवारक (deterrence) क्षमता और अधिक बढ़ी है। तटीय सुरक्षा भी और सुदृढ़ की गई है।

मेरी सरकार सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को सर्वाधिक महत्व देती है। सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के वेतन एवं पेंशन में वृद्धि करने और विसंगतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इससे 13 लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे।

मेरी सरकार की विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने, राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमारे अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने के उद्देश्यों से प्रेरित है।

हम इस उप-महाद्वीप में शांति, स्थिरता, सहयोग एवं आर्थिक विकास बनाए रखना चाहते हैं। हम अपने निकट पड़ोसियों के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, द्विपक्षीय व्यापार तंत्र को सुदृढ़ करने तथा दोनों देशों की जनता के बीच परस्पर संबंधों को बढ़ाने की दिशा में प्रगति की है। यद्यपि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, फिर भी यह जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे और ऐसे कार्य न करे जिससे विश्वास कम हो। अफगानिस्तान, वर्ष 2014 एवं आगे के लिए

राजनीतिक एवं सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है, हम अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने और आतंकवाद एवं उग्रवाद से लड़ने के लिए उसे सहयोग देते रहेंगे।

मेरी सरकार का बांग्लादेश के साथ हुए भू-सीमा करार एवं इसके 2011 के प्रोटोकॉल के उपबंधों को लागू करने के लिए एक संवैधानिक विधेयक संसद में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। इससे सीमा प्रबंधन और हमारी सुरक्षा मजबूत होगी।

हम श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें वहां आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को बसाने और उनका पुनर्वास करने के प्रयास शामिल हैं ताकि तमिल लोगों के लिए शांति व सम्मान के साथ भेदभाव रहित जीवन सुनिश्चित हो सके।

पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में मेरी सरकार संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करने के ऐसे प्रयासों का समर्थन करती है जिसमें लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं शामिल हों। हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि खाड़ी क्षेत्र में लगभग 60 लाख भारतीय रहते हैं और कार्य करते हैं तथा हम अपनी अधिकांश ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं। हमने अफ्रीका के देशों के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है और उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि की है।

वार्षिक आसियान-भारत शिखर वार्ता की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर, 2012 में नई दिल्ली में आयोजित आसियान-भारत स्मारक शिखर वार्ता में हम आसियान के साथ अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक भागीदारी के स्तर तक ले गए हैं और हमने सेवाओं तथा निवेश के क्षेत्र में आसियान-भारत मुक्त व्यापार करार से संबंधित वार्ता को अंतिम रूप दे दिया है।

मेरी सरकार चीन के साथ हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा में सुदृढ़ करने के लिए नए चीनी नेतृत्व के साथ कार्य करने की इच्छुक है। जापान हमारे ढांचागत विकास के प्रयासों में मुख्य भागीदार है, उनके साथ हमारे बहुआयामी संबंधों में अच्छी प्रगति हुई है। दिसंबर, 2012 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से रूस के साथ हमारी विशेषाधिकृत एंव स्ट्रेटेजिक भागीदारी को और बल मिला है।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक भागीदारी, हमारे संबंधों के सभी क्षेत्रों में प्रगति सहित और अधिक गहन हुई है तथा हम राष्ट्रपति ओबामा के दूसरे कार्यकाल के दौरान इन संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की आशा करते हैं। यूरोप के साथ भारत के पारंपरिक मजबूत रिश्तों में और बढ़ोतरी होती रहेगी। फरवरी, 2013 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रौंस्वा ओलौन्द के दिल्ली दौरे से, जिनका राष्ट्रपति के रूप में एशिया का पहला दौरा है, फ्रांस के साथ हमारी मित्रता तथा व्यापक स्ट्रेटेजिक सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा।

भारत में पिछले दो वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिषद के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के शीघ्र सुधार को गति देने के लिए प्रयास तेज किए हैं। हम जलदस्युओं के विरुद्ध संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जलदस्युओं के विरुद्ध भारत में अभियोजन करने के लिए पिछले वर्ष संसद में जलदस्युता विधेयक प्रस्तुत किया गया था।

भारत वैश्विक बहुपक्षीय राजनय के क्षेत्र में भी सकारात्मक रूप से सक्रिय रहा। हमने मार्च, 2012 में नई दिल्ली में चौथी ब्रिक्स शिखरवार्ता का आयोजन किया और अक्तूबर, 2012 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर सीमा संघ की मंत्रालयी बैठक का भी आयोजन किया।

हमारी विकास भागीदारी के विस्तार और हमारी विदेश नीति में इसकी बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मेरी सरकार ने विदेश मंत्रालय में एक विकास भागीदारी प्रशासन की स्थापना की है जिससे हमारे व्यापक सहायता कार्यक्रम को अधिक दक्षता एवं प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। इसमें वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण तथा हमारे विकास संबंधी अनुभव एवं विशेषज्ञता का आदान-प्रदान शामिल है।

मेरी सरकार ने नागरिकों को समय पर, सुविधाजनक और पारदर्शी रूप में पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक मिशन आधारित पासपोर्ट सेवा परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है।

मेरी सरकार प्रवासी भारतीयों के हित एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों को जीवन बीमा, पेंशन तथा वापसी और पुनर्वास बचत आदि लाभ प्रदान करने के लिए मई, 2012 में प्रायोगिक आधार पर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना आरंभ की है। हमने फिनलैंड, कनाडा, जापान एवं स्वीडन के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आस्ट्रिया एवं पुर्तगाल के साथ भी इसी प्रकार के समझौतों पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है और इससे देश को कई क्षेत्रों में फायदा हुआ है। 9 सितंबर, 2012 को पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण हमारा 100वां अंतरिक्ष मिशन था। हर मौसम में प्रतिबिंबन क्षमता वाला भारत का प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह रीसैट-I को भी वर्ष 2012 में प्रक्षेपित

किया गया। वर्ष 2013 में कई अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना है जिसमें मंगल ग्रह के लिए प्रथम मिशन तथा प्रथम नेविगेशनल उपग्रह का प्रक्षेपण भी शामिल है।

हमारा देश नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से बिजली के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। रूस के सहयोग से स्थापित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की दो इकाइयां इस वर्ष कुडनकुलम में चालू हो जाएंगी। मेरी सरकार नाभिकीय संयंत्रों की सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता देती है। नाभिकीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण गठित करने संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। हमने देश के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की समस्त सुरक्षा प्रणालियों की आंतरिक तकनीकी समीक्षा भी की है। इसके अतिरिक्त हम नाभिकीय सुरक्षा संबंधी समस्त मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी के साथ भी काम कर रहे हैं।

सरकार ने तीव्र, सतत् एवं समावेशी विकास के लिए विज्ञान आधारित समाधानों की खोज, विस्तार एवं प्रसार में तेजी लाने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2013 तैयार की है। स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए और अनुसंधान को प्रेरित करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार योजना के अंतर्गत लगभग 7.30 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में लगभग 48 प्रतिशत छात्राएं और 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं। इस वर्ष "डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए प्रधानमंत्री अध्येतावृत्ति योजना" नाम से एक नई सार्वजनिक-निजी भागीदारी अध्येतावृत्ति शुरू की गई है।

सरकार एक समर्पित भूकंप विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित कर रही है और सरकार ने पूर्ववर्ती परिवर्तनों के अध्ययन के लिए महाराष्ट्र के भूकंप संभावित कोयना-वारना क्षेत्र में अनूठा अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली को अक्तूबर, 2012 में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अंटार्कटिका में भारत के तीसरे स्थायी स्टेशन को मार्च, 2012 में चालू किया गया।

भारत ने अक्तूबर, 2012 में हैदराबाद में जैव-विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 11वें सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस सम्मेलन से भारत को जैव-विविधता से संबंधित अपनी क्षमताओं को समेकित करने, बढ़ाने एवं प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इस सम्मेलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक, पक्षकारों द्वारा वर्ष, 2015 तक विकासशील देशों को उपलब्ध कराए जाने वाले जैव-विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों को दोगुना करने की प्रतिबद्धता थी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा "हैदराबाद संकल्प" जारी किया गया जिसमें उन्होंने

पक्षकारों के सम्मेलन की भारतीय अध्यक्षता के दौरान, भारत में जैव-विविधता के संरक्षण के लिए संस्थागत तकनीकी एवं मानवीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने और अन्य विकासशील देशों में समान क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित करने की घोषणा की।

अभी हाल ही में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर दोहा सम्मेलन में भारत ने यह सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाई कि समानता और साथ ही साथ समान किंतु अलग-अलग उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत पक्षकारों के प्रयासों के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता रहे।

राष्ट्र के रूप में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हमें ऐसे उदार और बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है जिसने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। विश्व भारत की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष परिपाटियों को बड़ी उपलब्धि मानता है। ऐसी बहुलता से प्राप्त होने वाले लाभों से, जहां हमें आनंदित होना चाहिए, वहीं हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत आर्थिक विकास की गति को तेज करने और अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों को लगातार जारी रखना भी एक चुनौती है। ऐसा कर पाने और आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी राष्ट्रीयता को परिभाषित करने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों का निरंतर नवीकरण तथा उनकी रक्षा करनी होगी। मैं अपनी सरकार की ओर से आप सबसे अपील करता हूं कि एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में, भारत को आगे ले जाने के हमारे प्रयासों का समर्थन करें।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 9 जून 2014

लोक सभा	-	सोलहवीं लोक सभा
सत्र	-	सोलहवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री प्रणब मुखर्जी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री नरेन्द्र मोदी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय सदस्यगण,

मुझे 16वीं लोक सभा के चुनावों के बाद, संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, मैं अपने साथी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हाल में हुए लोक सभा चुनावों में बड़ी संख्या में भाग लिया। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उन्हीं की वजह से यहां हैं। उनकी सेवा करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं इस नई लोक सभा के सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूं। आप इन चुनावों में जनादेश प्राप्त करने में सफल हुए हैं और अब आप उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि प्रचुर विधायी कार्य भरे आने वाले सत्र सार्थक और उपयोगी होंगे।

यह बड़े संतोष का विषय है कि हाल के आम चुनाव सुचारु रूप से एवं काफी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मैं भारत के निर्वाचन आयोग और उससे जुड़े सरकारी तंत्र को सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए बधाई देता हूं। इन चुनावों में हमारे नागरिकों द्वारा दर्शाई गई अभूतपूर्व रुचि हमारे जीवंत लोकतंत्र की गहराती जड़ों का द्योतक है। दूसरी विषय-वस्तुओं पर चर्चा करने से पहले मैं सशस्त्र बलों के उन सदस्यों के परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया।

मैं, लोक सभा के नए अध्यक्ष को इस गरिमापूर्ण पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने के लिए बधाई देता हूं। लोक सभा ने अध्यक्ष पद के लिए लगातार दोबारा किसी

महिला को चुनकर भारतीय समाज में महिलाओं के महत्व की सदियों पुरानी मान्यता को पुनः पुष्ट किया है।

यह उम्मीदों का चुनाव रहा है। यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव है। चुनावों में 66.4 प्रतिशत मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी और लगभग 30 वर्षों पश्चात् किसी एक ही पार्टी को मिला स्पष्ट जनादेश लोगों की बढ़ी हुई आकांक्षाओं और उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही पूरा किया जा सकता है। मतदाताओं ने जाति-पंथ, क्षेत्र और धर्म की सीमाओं को तोड़ा है और उन्होंने सुशासन द्वारा विकास के पक्ष में एकजुट होकर निर्णायक मत दिया है।

देश को ऐसी मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता है जो प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे। इस वर्ष के प्रारंभ में गणतंत्र दिवस के अपने भाषण में मैंने आशा व्यक्त की थी कि वर्ष 2014, विगत वर्षों की विभंजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला वर्ष होगा। आज यहां मैं अपने साथी नागरिकों के विवेक की सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसे उदीयमान भारत में स्थिरता, ईमानदारी और विकास के लिए मत दिया जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। उन्होंने संगठित, सुदृढ़ और आधुनिक भारत–"एक भारत–श्रेष्ठ भारत" के लिए मत दिया है। मेरी सरकार इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस महान देश की 125 करोड़ जनता के साथ मिलकर काम करेगी।

मेरी सरकार इस जनादेश को पूरा करने के लिए सही वातावरण तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' सिद्धांत को अपनाएगी जो आपकी सक्रिय भागीदारी से ही पूरा किया जा सकता है। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को पुनः कायम करने के लिए साथ मिलकर कार्य करेंगे। मेरी सरकार "न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन" के मंत्र पर कार्य करेगी। अपने सभी कार्यों में हम अपनी महान सभ्यता के मूलभूत मूल्यों से मार्गदर्शन लेंगे।

मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है, भूख का कोई पंथ नहीं होता है और निराशा का कोई भूगोल नहीं होता है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत में गरीबी के अभिशाप को समाप्त करना है। मेरी सरकार केवल "निर्धनता उपशमन" से संतुष्ट नहीं होगी बल्कि यह "गरीबी का पूर्ण निवारण" करने के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। सरकार इस दृढ़ मत के साथ कि विकास पर पहला हक गरीब का है, अपना ध्यान उन पर केन्द्रित करेगी जिन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की तुरंत आवश्यकता है। सरकार सहानुभूति, सहायता

और सशक्तीकरण द्वारा सभी नागरिकों को हर तरह की सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ने से रोकना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विभिन्न कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के आपूर्ति पक्ष को सुधारने पर बल दिया जाएगा। मेरी सरकार जमाखोरी और कालाबाज़ारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। सरकार राज्यों की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करेगी। मेरी सरकार इस वर्ष सामान्य से कम मानसून की संभावना के प्रति सतर्क है और इसके लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार की जा रहीं हैं।

हमारी दो तिहाई से अधिक जनता के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के बावजूद भी हम इसे पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं और जीविका के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। मेरी सरकार सशक्त पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से गांवों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेश के एक बड़े भाग का उपयोग सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन और आधारभूत ढांचों जैसे सड़क, आश्रय, बिजली व पेयजल को सुधारने के लिए किया जाएगा। मेरी सरकार ग्राम-शहर की संकल्पना अपनाकर, गांव की मूल प्रकृति को बरकरार रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण-शहरी असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी।

कृषि हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है। पिछले कुछ समय से हमारे किसान बहुत ही विषम परिस्थिति में हैं और हताशा के कारण कुछ तो आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो गए। मेरी सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण हालात को पूरी तरह बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। वह कृषि में, विशेषकर कृषि-बुनियादी ढांचे में सरकारी व निजी दोनों ही तरह के निवेश को बढ़ाएगी। वैज्ञानिक तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी अपनाकर खेती को लाभकारी उद्यम में बदलने के लिए उपाय किए जाएंगे। मेरी सरकार कृषि उपज की कीमत निर्धारण व खरीद, कृषि बीमा तथा उपज पश्चात् प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगी। पशुपालन की उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। मेरी सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन देगी। सहकारी क्षेत्र के मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाएगी ताकि विसंगतियां और कमियां दूर की जा सकें। मेरी सरकार ऐसी राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति अपनाएगी जो कृषि अनुपयुक्त भूमि की वैज्ञानिक तरीके से पहचान करने और उसका कारगर विकास करने में सहायता करेगी।

पानी की बूंद-बूंद कीमती है। मेरी सरकार जल सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार काफी समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी और "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" लागू करेगी जिसका उद्देश्य होगा "हर खेत को पानी" हमारे जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा बाढ़ एवं सूखे की पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए नदियों को जोड़ने

समेत अन्य सभी विकल्पों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हम वर्षाजल का 'जल संचय' और 'जल सिंचन' द्वारा संचयन कर जल संरक्षण करेंगे और भूजल स्तर को बढ़ाएंगे। 'प्रति बूंद–अधिक फसल' सुनिश्चित करने के लिए, माइक्रो सिंचाई को लोकप्रिय बनाया जाएगा।

भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। आज यह विश्व का ऐसा देश भी है जिसमें युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। हमें "आबादी के लाभांश" का फायदा उठा सकने के लिए अपने युवाओं को सही शिक्षा, कौशल और अवसरों से सुसज्जित करना होगा। मेरी सरकार केवल 'युवा विकास' की संकल्पना की बजाए 'युवा संचालित' विकास व्यवस्था प्रदान करेगी। सरकार मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सिस और वर्च्यूअल कक्षाएं तैयार करेगी। हमारी शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता, अनुसंधान और नवीन–प्रक्रिया में कमियों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाएगी। हम प्रत्येक राज्य में आईआईटी और आईआईएम स्थापित करेंगे। स्कूली अध्यापकों और छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई–लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। मेरी सरकार "हर हाथ को हुनर" के उद्देश्य से औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास के बीच की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगी और ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिसमें व्यावसायिक योग्यताओं को अकादमिक समानता दी जाएगी। मेरी सरकार 'हुनरमंद भारत' के लक्ष्य से "नेशनल मल्टी स्किल मिशन" भी शुरू करेगी।

देश के बच्चों और युवाओं को मनोरंजन के लिए ऐसे अवसरों की आवश्यकता है जो उनका रचनात्मक विकास करे और उन्हें चुस्त रख सके। मेरी सरकार 'राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम' की शुरुआत करेगी। सरकार भारतीय खेलों के विकास और संवर्धन को सुसाध्य बनाएगी जिसमें ग्रामीण खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खेलों को स्कूली–पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाकर तथा शैक्षिक प्रोत्साहन प्रदान करके खेलों को लोकप्रिय बनाया जाएगा।

देश को एक ऐसी संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो सर्वसुलभ, किफायती और प्रभावी हो। इस उद्देश्य के लिए, मेरी सरकार नई स्वास्थ्य नीति तैयार करेगी और "नेशनल हैल्थ एश्योरेंस मिशन" शुरू करेगी। योग और आयुष को प्रोत्साहन देगी। हैल्थ केयर प्रोफेशनलों की कमी दूर करने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में क्रमबद्ध रीति से एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

हम ऐसी अपमानजनक स्थिति को सहन नहीं करेंगे जिसमें घरों में शौचालय न हों और सार्वजनिक स्थान गंदगी से भरे हों। देशभर में स्वास्थ्यकर परिस्थितियां (हाइजिन), कचरा प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए "स्वच्छ भारत

मिशन" चलाया जाएगा। ऐसा करना महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर हमारी श्रद्धांजलि होगी जो वर्ष 2019 में मनाई जाएगी।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका के समान अवसरों के लिए उपयुक्त इको-सिस्टम तैयार करने के लिए कदम उठाएगी। मेरी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग उभरते अवसरों का लाभ उठा सकें। मेरी सरकार अनुसूचित जातियों के लिए 'वन बंधु कल्याण योजना' शुरू करेगी। जनजातीय बस्तियों का विद्युतीकरण एवं उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता दी जाएगी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय गरीबी से पीड़ित है और सरकारी स्कीमों के लाभ अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंचते हैं। मेरी सरकार, भारत की प्रगति में सभी अल्पसंख्यकों को बराबर का भागीदार बनाने के लिए कृत-संकल्प है। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के उपायों को विशेष तौर पर कारगर बनाएगी और राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू करेगी।

भिन्न रूप से सक्षम लोगों का कल्याण और पुनर्वास मेरी सरकार की संवेदनशील समाज की संकल्पना का अभिन्न भाग है। सरकार जीवन के सभी क्षेत्रों में भिन्न रूप से सक्षम लोगों की भागीदारी को सुकर बनाकर, उनके जीवन को गरिमा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी। उनकी विशेष आवश्यकताओं की पहचान करने और उनके लिए संस्थागत देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाएंगे।

मेरी सरकार समाज के विकास और राष्ट्र की समृद्धि में, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। वह संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" की प्रतिबद्धता के साथ, मेरी सरकार बालिका को बचाने और उसकी शिक्षा के लिए व्यापक जन-अभियान आरंभ करेगी। इसके लिए ऐसी व्यापक स्कीम तैयार की जाएगी, जिसमें इस संबंध में राज्यों के सर्वोत्तम कार्यों को शामिल किया जाएगा। हाल ही में, देश में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की कुछ जघन्य घटनाएं हुई हैं। सरकार, महिलाओं के विरुद्ध, हिंसा को बिल्कुल सहन न करने (जीरो टॉलरैंस) की नीति अपनाएगी और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दांडिक न्याय प्रणाली को समुचित रूप से मजबूत किया जाएगा।

भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है। परन्तु काफी वर्षों से, इसकी संघीय भावना को कमजोर किया गया है। राज्यों और केंद्र को सामंजस्यपूर्ण टीम इंडिया के रूप में

काम करना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों के साथ सक्रियता से कार्य करने के लिए मेरी सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद् जैसे मंचों को पुनः सशक्त बनाएगी। केंद्र, सहकारी-संघवाद के जरिए राज्यों की त्वरित प्रगति में सहायक बनेगा। तटीय, पर्वतीय और रेगिस्तानी राज्यों की विशेष आवश्यकताओं और अलग तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्दिष्ट विकास प्रारूप विकसित किए जाएंगे। देश के पूर्वी भागों को भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में पश्चिमी भागों के बराबर लाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी। मेरी सरकार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के विकास संबंधी मुद्दों का समाधान करेगी। सरकार उत्तर-पूर्व क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर में इन्ट्रा-रीज़न कनेक्टिविटी और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को सुधारने पर विशेष जोर देगी। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में घुसपैठ और गैर-कानूनी प्रवासियों के मुद्दे को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा तथा उत्तर-पूर्व सीमा पर बाड़ लगाने के रुके संपूर्ण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे कि कश्मीरी पंडित अपने पूर्वजों की भूमि पर पूर्ण गरिमा, सुरक्षा और सुनिश्चित जीविका के साथ लौटें।

मेरी सरकार वांछित परिणाम दे पाने पर केन्द्रित एक साफ-सुथरा और कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए कृत-संकल्प है। लोकपाल, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण संस्था है और मेरी सरकार अधिनियम के अनुरूप नियम बनाने का प्रयास करेगी। मेरी सरकार नौकरशाहों का विश्वास और मनोबल कायम करने के लिए कदम उठाएगी और साथ ही उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता देते हुए उनके नए विचारों का भी स्वागत करेगी। सरकार पारदर्शी प्रणाली कायम करने और सरकारी सेवाएं समय पर मुहैया कराने पर बल देगी। सरकारी तंत्र और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि इन्हें नागरिक अनुकूल, भ्रष्टाचार मुक्त तथा जवाबदेह बनाया जा सके। अप्रचलित कानूनों, विनियमों, प्रशासनिक ढांचों तथा पद्धतियों को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। लक्षित कार्य-परिणाम प्राप्त करने के लिए मंत्रालयों, विभागों तथा सरकार के अन्य संगठनों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा और उनमें तालमेल स्थापित किया जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड का डिजीटलीकरण किया जाएगा ताकि वे सुलभता से उपलब्ध हो सकें।

ई-शासन से समर्थता, साम्यता और दक्षता आती है। इसमें लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है। मेरी सरकार के काम करने के नए तरीकों का मूलाधार डिजीटल इंडिया होगा। सरकारी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा ताकि सेवा प्रदान करने में तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। अगले पांच वर्षों में हम महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों में वाई-फाई क्षेत्र बनाने के लिए कार्य करेंगे। मेरी सरकार ब्रॉडबैंड-हाइवे कायम करेगी जिसे सभी गांवों तक पहुंचाया जाएगा और सभी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से ई-सक्षम बनाया जाएगा। ज्ञानजीवी समाज के लिए अपने बच्चों को तैयार

करने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना का विस्तार करके केन्द्र से लेकर पंचायतों तक सभी सरकारी कार्यालयों को इसके तहत लाया जाएगा। सहभागितापूर्ण शासन के साधन के तौर पर सोशल मीडिया जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा जिससे नीति निर्माण और प्रशासन में लोगों को सीधे ही जोड़ा जा सके।

मेरी सरकार देश को भ्रष्टाचार और काले धन जैसी बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए कृत-संकल्प है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हुए इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न्याय में विलंब का अर्थ है न्याय न मिलना, मेरी सरकार न्यायिक प्रणाली में बड़ी संख्या में लंबित मामलों की समस्या को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाएगी। सरकार न्यायालयों की कार्यक्षमता सुधारने के लिए उनका क्रमिक रूप से आधुनिकीकरण करेगी और दाण्डिक न्याय प्रणाली में सुधार करना प्रारंभ करेगी ताकि न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल, द्रुत व अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यह न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए और अधीनस्थ न्यायपालिका में कोर्ट एवं न्यायाधीशों की संख्या को चरणबद्ध तरीके से दोगुनी करने के लिए मिशन रूप में परियोजना की शुरुआत करेगी। सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों के विकास पर विशेष बल देगी।

आर्थिक मोर्चे पर हम अत्यधिक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लगातार दो वर्षों से हमारा जीडीपी विकास 5 प्रतिशत से कम रहा है। कर उगाही कम हुई है। मुद्रास्फीति अवांछित स्तर पर बनी हुई है। अत: भारतीय अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना मेरी सरकार के लिए बड़ा काम है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को सतत् उच्च विकास पथ पर ले जाने के लिए मिल-जुलकर कार्य करेंगे, महंगाई नियंत्रित करेंगे, निवेश चक्र में तेजी लाएंगे, रोजगार सृजन को त्वरान्वित करेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था के प्रति घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बहाल करेंगे।

मेरी सरकार एक ऐसा नीतिगत वातावरण तैयार करेगी जिसमें स्थायित्व हो और जो पारदर्शी तथा निष्पक्ष हो। यह कर व्यवस्था को युक्तिसंगत तथा सरल बनाएगी जो निवेश, उद्यम और विकास के विरुद्ध नहीं होगी वरन् उसे बढ़ाने में सहायक होगी। सरकार राज्यों की चिंताओं का निराकरण करते हुए जीएसटी लागू करने का हर संभव प्रयास करेगी। व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए सुधार किए जाएंगे। मेरी सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाएगी जिसमें ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश (एफडीआई) भी शामिल है जिसकी अनुमति उन क्षेत्रों में होगी जिनसे रोजगार तथा परिसंपत्ति सृजन में सहायता मिले।

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के तेज सृजन के लिए सरकार श्रम-आधारित विनिर्माण को युक्तिसंगत तरीके से बढ़ावा देगी। पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों से भी रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाएगा। मेरी सरकार रोजगार केन्द्रों को करियर केन्द्रों में रूपांतरित करेगी—जहां युवाओं को प्रौद्योगिकी के साथ परामर्श व प्रशिक्षण के द्वारा पारदर्शी और कारगर तरीके से रोज़गार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। सरकार सभी वर्ग के श्रमिकों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करेगी और उन्हें आधुनिक वित्तीय सेवाएं सुलभ कराएगी।

अपने देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करने की जरूरत है जिसकी मुख्य विशेषताएं दक्षता, मात्रा और गति होंगी। इस संबंध में, सरकार विशेष रूप से देशभर में, डेडिकेटेड फ्रेट गलियारों एवं औद्योगिक गलियारों के साथ विश्वस्तरीय निवेश एवं औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेगी। मेरी सरकार नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देगी। सरकार हब एवं स्पोक मॉडल के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर मंजूरी के लिए सिंगल विंडो प्रणाली लागू करने का प्रयास करेगी।

वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य पद्धतियों को सरल बनाया जाएगा और व्यापार ढांचा मजबूत किया जाएगा ताकि कारोबार संचालन समय तथा लागत में कमी लाई जा सके। उन्नत प्रौद्योगिकी, विपणन व निवेश सहायता उपलब्ध करवाकर, छोटे उद्योग क्षेत्र और हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस क्षेत्र की निर्यात संभावनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। मेरी सरकार विशेषरूप से हमारे बुनकरों की कार्य दशाओं में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम सेक्टर की समीक्षा करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए भी सरकार एक कार्यबल का गठन करेगी।

मजबूत बुनियादी ढांचे की कमी भारत की मुख्य बाधाओं में से एक है। सरकार एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम तैयार करेगी जो अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। सरकारी तथा निजी भागीदारी से संचालित एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जाएगा जो फास्ट-ट्रैक, निवेश-अनुकूल और स्थायित्व प्रदान करने वाला हो। आधारभूत ढांचा सुधार एजेंडे में रेलवे के आधुनिकीकरण और नवीकरण का कार्य सबसे ऊपर है। मेरी सरकार हाई स्पीड ट्रेनों की हीरक चतुर्भुज परियोजना शुरू करेगी। जल्दी खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए देश में

विशेष कृषि-रेल नेटवर्क वाले फ्रेट-गलियारे होंगे। नई वित्तीय पद्धतियों के प्रयोग द्वारा रेलों में निवेश में वृद्धि लाई जाएगी। पर्वतीय राज्यों तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में रेलमार्ग के विस्तार तथा रेल संरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम रेलवे प्रणालियों के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य तथा उच्च स्तरीय स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। विगत कुछ वर्षों के गतिरोध को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए त्वरित, समयबद्ध और पूर्ण निगरानी रखते हुए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। छोटे नगरों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। सरकार, पत्तन-आधारित विकास का एक मॉडल विकसित करेगी। हमारी लंबी तटरेखा भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार होगी। मेरी सरकार एक ओर जहां मौजूदा पत्तनों का आधुनिकीकरण करेगी वहीं दूसरी ओर नए विश्वस्तरीय पत्तनों का विकास करेगी। इन पत्तनों की सागर माला को एक साथ पिरोते हुए हम इन्हें सड़क एवं रेल द्वारा भीतरी प्रदेशों से जोड़ेंगे। अंतर्देशीय और तटीय जलमार्गों का विकास परिवहन के मुख्य मार्गों के रूप में किया जाएगा।

मेरी सरकार, एक वृहत् राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार करेगी और ऊर्जा संबंधी अवसंरचना, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान देगी। सरकार का लक्ष्य पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा के उचित मिश्रण से विद्युत उत्पादन क्षमता को पर्याप्त मात्रा तक बढ़ाना है। यह राष्ट्रीय सौर मिशन का विस्तार करेगी तथा घरों और उद्योगों को गैस-ग्रिड से जोड़ेगी। पारदर्शी तरीके से निजी निवेश आकर्षित करने के लिए कोयला क्षेत्र में तत्काल सुधार किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गैर-सामरिक न्यूक्लियर करार लागू किए जाएंगे और गैर-सामरिक प्रयोजनों के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजनाएं तैयार की जाएंगी।

मेरी सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हमारी शहरी अवसंरचना अत्यधिक दबाव में है। जल्द ही, हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रह रहा होगा। शहरीकरण को चुनौती मानने के बजाय अवसर के रूप में लेते हुए सरकार विशिष्ट विषयों पर केन्द्रित और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 100 शहर बनाएगी। स्वच्छता और साफ-सफाई पर ध्यान देने के लिए आदर्श नगरों में, एकीकृत अवसंरचना तैयार की जाएगी। जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब तक प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होगा जिसमें पानी का कनेक्शन, शौचालय सुविधाएं और चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति और आवागमन की सुविधाएं होंगी।

देश को उच्च विकास की ओर ले जाते हुए, मेरी सरकार, अक्षुण्णता का अपनी योजना प्रक्रिया के केन्द्र में रखेगी। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि पर्यावरण संरक्षण एवं विकास साथ-साथ हो सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, पर्यावरण एवं

वन मंजूरी तंत्र को ज्यादा विश्वसनीय, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाएगा। इसके साथ-साथ, मूल्यांकन की ठोस प्रक्रिया और मंजूरी शर्तों का पूर्ण पालन कराने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा जो खासतौर पर विस्थापित समुदायों के पुनर्वास तथा पुनर्वनीकरण से संबंधित मुद्दों को देखेगा। शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए और इसे कम करने के लिए तत्परता से कार्य करेगी और इस संबंध में विश्व समुदाय के साथ मिलकर काम करेगी। हिमालय की पारिस्थितिकी का संरक्षण, मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी। एक राष्ट्रीय हिमालय मिशन शुरू किया जाएगा।

निकट अतीत में, हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग के संबंध में गंभीर चिंताएं व्यक्त की गईं। सरकार महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, खनिज व स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां बनाएगी।

गंगा नदी जो लाखों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक और जीवन-रेखा है, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है; लेकिन गंगाजी प्रदूषित बनी हुई है और उसके कई भाग क्षीण मौसम (लीन सीज़न) में सूख जाते हैं। मेरी सरकार गंगा को उसके प्राचीन स्वरूप की तरह बारहमासी, स्वच्छ व पावन बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करेगी।

हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारे राष्ट्र की अनेकता में एकता की भावना का मूल आधार है। भारतीय भाषाएं हमारे समृद्ध साहित्य, इतिहास, संस्कृति, कला और अन्य उपलब्धियों का भंडार हैं। मेरी सरकार एक "ई-भाषा" नामक राष्ट्रीय मिशन चलाएगी जो विभिन्न भाषाओं में डिजीटल सामग्री तैयार करेगी तथा हमारे क्लासिक साहित्य का विभिन्न भाषाओं में प्रचार-प्रसार करेगी। मेरी सरकार राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रख-रखाव और जीर्णोद्धार के लिए भी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी।

भारत में पर्यटन की व्यापक एवं अपार संभावनाएं हैं जो हमारी सामाजिक-आर्थिक प्रगति में विशेष भूमिका अदा कर सकती हैं। सरकार ऐसे 50 टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए मिशन के रूप में परियोजना शुरू करेगी जो विशिष्ट विषय-वस्तु पर आधारित होंगे। तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्मों के तीर्थ-स्थलों के सौंदर्यीकरण और वहां जनसुविधाओं एवं अवसंरचना के सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा।

मेरी सरकार जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका को स्वीकार करती है। सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तथा नवाचार को

बढ़ाने वाले उच्च अनुसंधानों में, घरेलू एवं विदेशी दोनों, निजी निवेश को बढ़ावा देगी एवं प्रोत्साहित करेगी। सरकार नेनो टेक्नोलॉजी, मटीरियल–साइंस, थोरियम टेक्नोलॉजी, ब्रेन रिसर्च, स्टेम सेल्स आदि के क्षेत्र में विश्व स्तर के अनुसंधान केंद्र बनाएगी। सरकार ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमालयी अध्ययन के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित करेगी।

सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में, अत्यधिक सतर्कता बरतेगी। आतंकवाद, चरमपंथ, दंगा और अपराध को बिल्कुल भी न सहने की नीति अपनाई जाएगी। नार्को आतंकवाद एवं साइबर खतरों सहित आतंकवाद के नए तरीकों से निपटने के लिए राज्यों की पुलिस को, उनके ढांचे और उपस्करों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी जाएगी। राज्य सरकारों से परामर्श करके राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी ताकि वामपंथी चरमपंथ से उत्पन्न चुनौतियों और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। मेरी सरकार, सुरक्षा बलों को आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित करने और इनकी कार्य दशा सुधारने के लिए कदम उठाएगी।

मेरी सरकार रक्षा क्षेत्र में क्षमता व किफायत बढ़ाने के लिए रक्षा खरीददारी व्यवस्था में सुधार करेगी। यह रक्षा उपकरणों के डिजाइन तथा उत्पादन में अधिक हिस्सेदारी के लिए निजी क्षेत्र सहित घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। हम रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुदृढ़ बनाने के लिए, उदारीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित, नई नीतियां बनाएंगे। सुलभता से उपलब्ध कुशल मानव संसाधन के माध्यम से भारत सॉफ्टवेयर सहित रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में एक विश्वव्यापी प्लेटफॉर्म के रूप में उभर सकता है, जिससे हमारी रक्षा सुदृढ़ होगी और देश में औद्योगिक विकास और निर्यात में तेजी आएगी।

देश को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, वे कौशल, समर्पण और पराक्रम से राष्ट्र की सेवा करते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं और आपदाओं एवं विपत्तियों के समय राहत व बचाव कार्यों में सहायता करते हैं। हम प्राथमिकता के आधार पर अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करके और मानव संसाधनों की कमी को दूर करके, सामरिक–दक्षता को सुदृढ़ बनाएंगे। तटीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए, मेरी सरकार राष्ट्रीय समुद्रतटीय प्राधिकरण स्थापित करेगी।

मेरी सरकार अपने वीर एवं निःस्वार्थ सैनिकों के ऋण को चुकाने के लिए सब कुछ करेगी। हम उनकी शिकायतों के निवारण के लिए भूतपूर्व सैनिक आयोग का गठन करेंगे, ताकि उन्हें यह ज्ञात हो कि सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त होने के उपरांत भी हम उनकी कद्र करते हैं। सरकार अपने सैनिकों के पराक्रम का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध–स्मारक बनाएगी। एक रैंक, एक पेंशन योजना लागू की जाएगी।

भारत की विदेश नीति, अपनी सभ्यता के मूल तत्वों और विरासत के अनुसार, सभी देशों के साथ शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के सिद्धान्तों पर आधारित है। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुविचारित राष्ट्रीय हित के आधार पर अग्रसर करेंगे जिसमें हम अपने मूल्यों की दृढ़ता को व्यवहारिकता तथा पारस्परिक हितकारी संबंध के सिद्धांत से जोड़ेंगे। मेरी सरकार एक सशक्त, आत्मनिर्भर तथा विश्वास से भरपूर भारत का निर्माण करने और देश को राष्ट्रों के समुदाय में उसका सही स्थान दिलाने के लिए वचनबद्ध है।

मेरी सरकार ने, 26 मई को नए मंत्रिपरिषद् के शपथ ग्रहण समारोह में स्वतंत्र भारत में पहली बार, सभी पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित कर दक्षिण एशियाई क्षेत्र और विश्व को एक विशिष्ट और साहसी संकेत दिया है। इतने कम समय में इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए हम उनके आभारी हैं। उन सभी की तथा मॉरिशस के प्रधान मंत्री की उपस्थिति से न सिर्फ इस समारोह की रौनक में वृद्धि हुई बल्कि यह इस क्षेत्र में लोकतंत्र के उत्सव का और हमारी साझी उम्मीदों और आकांक्षाओं के मेल का भी प्रतीक बना। यह सरकार की अपने अड़ोस-पड़ोस के माहौल को शांतिपूर्ण व स्थिर रखने और आर्थिक रूप से जोड़ने की दिशा में प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाती है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सामूहिक विकास और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। हम दक्षिण एशियाई नेताओं के साथ मिलकर सार्क को क्षेत्रीय सहयोग के प्रभावी साधन बनाने और वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक आवाज बनने के लिए कार्य करेंगे।

साथ ही, हम द्विपक्षीय स्तर पर मुद्दों को उठाने में कभी भी संकोच नहीं करेंगे। हमारा यह मानना है कि इस क्षेत्र में साझी समृद्धि का भविष्य, स्थिरता की नींव पर ही बनाया जा सकता है, जिसके लिए सुरक्षा समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और पड़ोसी देशों में आतंक के निर्यात को समाप्त करने की आवश्यकता है।

मेरी सरकार, चीन सहित, इस क्षेत्र के अन्य पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय संबंध स्थापित करेगी, जिनके साथ हम अपनी स्ट्रेटेजिक एवं सहयोगपूर्ण साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। हम जापान के सहयोग से, हमारे देश में, विशेषरूप से आधुनिक अवसंरचना निर्माण के क्षेत्र में चल रही विभिन्न गतिविधियों में प्रगति के लिए प्रयास करेंगे। रूस अभी भी हमारा खास और सामरिक साझीदार है और मेरी सरकार इस साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाएगी।

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने विगत वर्षों के दौरान अपनी सामरिक साझेदारी को बढ़ाने में काफी प्रगति की है। मेरी सरकार इन संबंधों में नए उत्साह का संचार करेगी तथा व्यापार, निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित सभी

क्षेत्रों में इन संबंधों को घनिष्ठ बनाएगी। भारत यूरोप के साथ अपने व्यापक सहयोग संबंधों को भी महत्वपूर्ण मानता है। सरकार यूरोपीय संघ तथा इसके अग्रणी सदस्यों के साथ मिलकर प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति के लिए भरसक प्रयास करेगी।

अपनी सॉफ्टपावर की क्षमता को पूर्ण रूप से चरितार्थ करने के लिए हमें विशेष तौर पर अपनी समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को बाहरी आदान-प्रदानों से जोड़ना पड़ेगा। सरकार हमारी परम्परा, कौशल प्रतिभा, पर्यटन, व्यापार और प्रौद्योगिकी (5-टी) (ट्रेडिशन, टैलेंट, टूरिज्म, ट्रेड और टेक्नोलॉजी) से जुड़ी अपनी ताकत के बल पर फिर से ब्रांड-इंडिया को कायम करेगी।

पूरे विश्व में, जीवंत, प्रतिभाशाली और उद्यमशील भारतवंशी समुदाय है जो हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने वहां पर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अग्रगामी कार्य किए हैं, उच्च सरकारी पद धारण किए हैं और भारत में स्थित अपने परिवारों एवं स्थानीय क्षेत्रों की मदद के लिए कठिन परिश्रम किया है। जहां-जहां वे बसे हैं, वहां-वहां उन्होंने प्रचुर योगदान किया है, फिर भी उनके दिल में भारत की एक छोटी-सी लौ बसती है, जो उन्हें हमारे देश में बदलाव लाने की ओर प्रेरित कर सकती है। सौ साल पहले, सन् 1915 में, भारत के महानतम् प्रवासी भारतीय, महात्मा गांधी भारत लौटे थे और उन्होंने भारत की नियति को ही बदल डाला। जनवरी, 2015 का प्रवासी भारतीय दिवस इस दृष्टि से एक खास महत्व रखता है। अगले वर्ष हम गांधीजी के भारत लौटने की शतवार्षिकी मनाएंगे और साथ ही ऐसे कदम भी उठाएंगे जिनसे प्रत्येक प्रवासी भारतीय का भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ हो और वे भारत के विकास में भागीदार बने।

भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। वह एक जीवंत, गतिशील तथा समृद्ध भारत देखना चाहती है। वह एक ऐसा उदीयमान भारत देखना चाहती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सराहना और सम्मान फिर से हासिल हो। आशाओं एवं अभिलाषाओं से भरे भारतवासियों को शीघ्र परिणाम की अपेक्षा है। भारत की ये अभिलाषाएं पूरी होना तय हैं चूंकि हमारे पास लोकतंत्र, आबादी और मांग तीनों मौजूद हैं। हमें इन बड़ी अभिलाषाओं को पूरा करने पर खरा उतरना होगा। अब से साठ महीनों बाद हम विश्वास और गर्व से यह कह सकने की स्थिति में हों, कि हमने यह कर दिखाया है।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण — 23 फरवरी, 2015

लोक सभा	-	सोलहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री प्रणब मुखर्जी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री नरेन्द्र मोदी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय सदस्यगण,

मैं, आशा और आकांक्षाओं से भरपूर इस नववर्ष में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आपकी चर्चा सार्थक और उपयोगी होगी।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, *"भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है"*। हमारी सभ्यता का मूलमंत्र 'सर्वजन हिताय' अर्थात् सबकी भलाई है। मेरी सरकार की मूल नीति है **सबका साथ सबका विकास।** नौ महीने के कार्यकाल में मेरी सरकार ने हमारे देश की पूर्ण क्षमता और 125 करोड़ की बेशकीमती जनशक्ति का सदुपयोग करने की एक व्यापक कार्यनीति तैयार की है। कई क्षेत्रों में कार्रवाई तेज करने के उपाय किए गए हैं जैसे स्वच्छता से लेकर स्मार्ट शहर बनाना, गरीबी उन्मूलन से लेकर समृद्ध बनाना, कौशल विकास से लेकर अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करना, आबादी का फायदा लेने से लेकर राजनयिक पहल करना, व्यवसाय को आसान बनाने से लेकर नीतिगत ढांचा तैयार करना, लोगों को सशक्त बनाने से लेकर उत्तम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, वित्तीय असमानता को दूर करने से लेकर देश को निर्माण का केन्द्र बनाना, मुद्रास्फीति को रोकने से लेकर अर्थव्यवस्था को उन्नत करना, नए विचारों को बढ़ावा देने से लेकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने से लेकर राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। उज्ज्वल भविष्य हमारी राह देख रहा है।

गरीबी मानव के गौरवपूर्ण अस्तित्व के लिए अभिशाप है। विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति को महसूस हो कि उसकी न्यूनतम जरूरतें पूरी हो रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हर व्यक्ति के समग्र विकास पर बल दिया था—**एकात्म मानवता दर्शन (एकीकृत मानवतावाद)**। मेरी सरकार समाज के गरीब, कमजोर और लाभवंचित वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है।

निर्धनता उन्मूलन के लिए वित्तीय समावेशन जरूरी है। मेरी सरकार ने सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी **प्रधानमंत्री जन धन योजना** शुरू की है—जिसमें बैंक खाते के साथ रूपे डेबिट कार्ड एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 13.2 करोड़ नए बैंक खातों, 11.5 करोड़ रूपे डेबिट कार्ड जारी करने और 11,000 करोड़ रुपए जमा राशि के रिकार्ड के साथ इस योजना के अंतर्गत लगभग 100 प्रतिशत कवरेज हो गई है। यह अभूतपूर्व लक्ष्य छह महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया गया, जिससे यह कार्यक्रम विश्व का इस प्रकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया।

विकासात्मक कार्यक्रमों के लाभ किसी रुकावट एवं बाधा के बिना सबसे अंतिम पात्र तक पहुंचाने के लिए **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम** (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम) को उत्साह के साथ गति दी जा रही है। एलपीजी अनुदान के अंतरण के लिए विश्व के सबसे बड़े प्रत्यक्ष नकद अंतरण कार्यक्रम **पहल** को 1 जनवरी, 2015 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है जिसमें अब तक 75 प्रतिशत प्रयोक्ता परिवार शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर 35 स्कीमों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संरचना में शामिल किया जा चुका है। *आधार* आधारित नामांकन को व्यापक बनाने पर विशेष बल दिया गया है।

मेरी सरकार के लिए *स्वच्छता* आस्था का विषय है। *स्वच्छता* का प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर गरीबों के समग्र जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अक्तूबर, 2019 तक **स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त भारत** का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए **स्वच्छ भारत मिशन** शुरू किया गया है। सरकार ने **'स्वच्छ विद्यालय'** कार्यक्रम शुरू किया है और यह 15 अगस्त, 2015 से पहले हर स्कूल में एक शौचालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। *स्वच्छता* का राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ेगा और अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जा सकेगा। सफाई और *स्वच्छता* के लिए लोगों की सोच बदलनी होगी। मेरी सरकार यह आह्वान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस मिशन में सक्रिय रूप से भाग ले। मैं सभी माननीय संसद सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का कम से कम पचास प्रतिशत स्वच्छ भारत मिशन पर खर्च करें।

भारत गांवों में बसता है। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सतत् सामाजिक-आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) ग्रामीण निर्धनता को दूर करने का सशक्त माध्यम हो सकती है। नई ऊर्जा के साथ एमजीएनआरईजीएस को लागू करते हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आस्तियों की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें स्थायित्व प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है, इसमें व्यय का कम से कम साठ प्रतिशत कृषि अवसंरचना के सृजन पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है। मेरी सरकार के केन्द्रीय विचार **"हुनरमंद भारत"** को ध्यान में रखते हुए, **"दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना"** और **"दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना"** की घोषणा की गई है। अक्तूबर, 2014 में शुरू की गई **सांसद आदर्श ग्राम योजना** सांसदों की सक्रिय भागीदारी से हमारे गांवों के समन्वित एवं समग्र विकास पर केन्द्रित है।

गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। मेरी सरकार हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर **मिशन "हाउसिंग फॉर ऑल"** के अंतर्गत **2022 तक** सभी परिवारों, विशेष रूप से अत्यधिक गरीब परिवारों की आवास की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अडिग है। सरकार द्वारा धारित-भूमि का लाभ उठाने के लिए और राज्य सरकारों को उनके अपने आवास कार्यक्रमों को रूपरेखा तैयार करने में अधिक छूट प्रदान करने के लिए राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों का एक ढांचा तैयार किया गया है। आवास क्षेत्र में निवेश को सहयोग देने हेतु मेरी सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को उदार बनाया है, आवास ऋणों के लिए कर संबंधी प्रोत्साहनों में बढ़ोतरी की है और नेशनल हाउसिंग बैंक की मूल निधि में वृद्धि की है।

मेरी सरकार भूमि अर्जन से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के हितों की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है। प्रतिपूर्ति हकदारी सहित किसानों के हितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम" में उपयुक्त सुधार किए गए हैं ताकि अवसंरचना की महत्वपूर्ण जन परियोजनाओं और विशेषकर दूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण आवास, विद्यालयों और अस्पतालों के निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अपेक्षित भूमि अर्जन में आने वाली प्रक्रियागत समस्याओं को कम किया जा सके।

किसान हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रहरी है। **अन्नदाता सुखीभव** हमारी सभ्यता के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मेरी सरकार किसानों की खुशहाली को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानती है। इसके लिए मूल्यवर्धित कृषि, बाजार सुधार, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अप्रयुक्त क्षमता वाले क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत होगी। वर्ष 2015 को अंतरर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है। उत्पादकता और खेत की उपज में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम प्रारंभ

की गई है। शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं के लिए 500 करोड़ रुपये की मूल निधि के साथ एक मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित की गई है। प्रत्येक गांव की सिंचाई आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से निरंतर पूरा करने के लिए **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना** प्रारंभ की जा रही है। जैविक खेती और ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी पर विशेष बल देते हुए अल्प संसाधन वाले, छोटे और सीमांत किसानों के लिए विस्तार कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। देशी पशु प्रजातियों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** शुरू किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से भूमिहीन गरीबों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा, इससे कृषि उत्पाद की लाभकारी कीमत की भी गारंटी मिलती है। आपूर्ति शृंखला में होने वाली हानि में कमी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। 72 अधिसूचित फूड पार्कों में संचालित यूनिटों को कम दरों पर कर्ज देने के लिए 2000 करोड़ रुपये का विशेष फंड बनाया गया है। पिछले 6 महीने में तुमकुर और फजिल्का में 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने हेतु दो-दो बड़े फूड पार्क शुरू किए गए हैं।

पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, "*गरीबी के अनेक दुष्प्रभाव हैं। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के अलावा यह हमारे लोकतंत्र को भी कमजोर बनाती है*"। समाज के अत्यंत संवेदनशील और वंचित वर्गों के सर्वाधिक गरीब तबके को साथ लेते हुए सबका समेकित विकास मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय** के छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है ताकि लाभार्थियों को समय से भुगतान मिल सके। सरकार ने अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए नई उद्यम पूंजीगत निधि की स्थापना की है। अल्पसंख्यकों में परंपरागत कला/शिल्प के क्षेत्र में कौशल व प्रशिक्षण को उन्नत बनाने के लिए एक नई योजना "अपग्रेडिंग दि स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट/क्राफ्ट्स फॉर डिवलेपमेंट (**उस्ताद**)" आरंभ की जा रही हैं **वन बंधु कल्याण योजना** के अंतर्गत जनजातियों के विकास के लिए परिणाम आधारित समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है। अनधिसूचित, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु **नानाजी देशमुख योजना** आरंभ की जा रही है।

शिक्षा को मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी स्तर पर शिक्षा के परिणामों में सुधार हेतु **'पढ़े भारत बढ़े भारत'** योजना शुरू की गई है। स्कूल रहित बस्तियों की पहचान के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म पर पूरे देश को लाने की पहल की गई है। शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने एवं उनके सशक्तीकरण हेतु **पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण**

राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने हेतु **राष्ट्रीय आविष्कार अभियान** की शुरुआत की गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए **ईशान विकास** तथा **ईशान उदय** नामक योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय खेल विकास निधि और **लक्ष्य ओलंपिक पोडियम** के माध्यम से 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना** तैयार की है।

भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा पहले से ही कार्यशील आयु समूह में आता है। आबादी के इस लाभांश का फायदा उठाने तथा कुशल कार्यबल में मांग व आपूर्ति के मध्य अंतर को पाटने हेतु मेरी सरकार ने **"हुनर है तो कल्याण है"** के ध्येय के साथ एक नया मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय गठित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास को समेकित करने के लिए **"राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास नीति"** पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधावंचित परिवारों के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कौशल संबंधी क्रियाकलापों में कौशल विकास मॉडल के निर्माण तथा सीएसआर निधि को नियोजित करने हेतु सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मेरी सरकार अपने सभी नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को दक्षतापूर्ण और समतापूर्ण वहनीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। परिहार्य शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिए **भारत नवजात शिशु कार्य योजना** की शुरुआत की गई है तथा **चार नई वैक्सीन** का अनुमोदन किया गया है। देश भर में 184 अति प्राथमिकता वाले जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वभौमिक ईम्यूनाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए **'मिशन इंद्रधनुष'** की शुरुआत की गई है। विकलांगजनों के लिए समावेशी, समर्थ एवं सशक्त वातावरण बनाने के लिए मेरी सरकार ने विकलांगताग्रस्त छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजनाओं की शुरुआत की है। नशा-मुक्ति और पुनर्वास के जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए टोल फ्री नंबर के साथ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है।

अभी हाल ही में मेरी सरकार ने पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय तरीकों में सुधार के उद्देश्य से और यह मानते हुए कि हमारे गांव हमारी समृद्ध आयुर्वेदिक विरासत के भंडार रहे हैं, **आयुष** विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया है। किफायती **आयुष** सेवाओं, संबंधित शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उत्तम गुणवत्ता की **आयुष** दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए **राष्ट्रीय आयुष मिशन** की शुरुआत की गई है।

प्राचीन काल से ही महिलाओं को हमारे समाज में सम्मान दिया जाता रहा है। मेरी सरकार ने महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने तथा उन्हें सशक्त करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पूर्ण सहायता देने के लिए समन्वित सेवाओं का प्रावधान करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर' की स्थापना की जा रही है जिसमें मेडिकल सहायता, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय और विधिक एवं मनो–सामाजिक परामर्श शामिल हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **हिम्मत** नामक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है।

सन् 1961 से ही शिशु लिंगानुपात में निरंतर कमी होना अत्यंत चिंता का विषय है। इस ट्रेंड को बदलना होगा। बेटियों के जीवन, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान** की शुरुआत की है जो लोगों की सोच में बदलाव के लिए है ताकि वे बेटियों के जन्म पर भी हर्षित हों। बेटियों की शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु **'सुकन्या समृद्धि खाता'** नामक एक लघु बचत योजना अधिसूचित की गई है। बाल अपराध से जुड़े कानून में सुधार हेतु बाल अपराध अधिनियम में संशोधन के उद्देश्य से एक बिल संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्रमिक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मेरी सरकार **श्रमेव जयते** में विश्वास रखती है और इसने श्रम कल्याण हेतु अनेक कदम उठाए हैं। विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित करने हेतु **प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना** की शुरुआत की गई है। ईपीएफ अंशदान को सरल एवं सुवाह्य बनाया गया है जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत अधिकतम मजदूरी तथा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर क्रमशः 15,000 तथा 1,000 कर दिया गया है। मेरी सरकार रोजगार क्षेत्र के विस्तार तथा कार्मिक कल्याण में सुधार के साथ श्रम संबंधी विनियमों को लागू करने में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रति भी कृतसंकल्प है। इसके लिए उद्योग को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने और 16 अलग–अलग रिटर्न फाइल करने के बजाय एक ही ऑनलाइन रिटर्न फाइल की अनुमति प्रदान करके व्यवसाय को आसान बनाने के लिए **श्रम सुविधा पोर्टल** शुरू किया गया है। एक पारदर्शी ऑनलाइन निरीक्षण स्कीम शुरू की गई है। प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों से अब विधिक ढांचा, उद्योगों और रोजगार योग्य युवाओं, दोनों के लिए अनुकूल हो गया है।

विधिक सुधार करना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मेरी सरकार यह मानती है कि **सुशासन** और सुधार **टीम इंडिया** का मिला–जुला प्रयास है जिसमें संसद, केन्द्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकारें और भारत के लोग

शामिल हैं। इस सामूहिक प्रयास का उदाहरण है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार और **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग** की स्थापना का कानून। सरकार पुराने और अव्यावहारिक कानूनों को निरस्त करने के लिए वचनबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ गठित समिति ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 1741 केन्द्रीय अधिनियमों को निरस्त करने के लिए पहचान की है।

अधिकतम सुशासन न्यूनतम सरकार मेरी सरकार का दिशानिर्देशक सिद्धांत है। दूरवर्ती क्षेत्रों में निर्धनतम व्यक्ति तक सुशासन लाने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार में निर्णय लेने के स्तरों को कम करने तथा सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रिसमूह की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और त्वरित निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है। यद्यपि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े कदमों के प्रावधान किए जा रहे हैं; तथापि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि लोक हित में लिए गए *सद्भावपूर्ण* निर्णयों को संरक्षण प्रदान किया जाए जिससे सिविल सर्विस में विश्वास को प्रोत्साहित किया जा सके।

मेरी सरकार शासन तथा नीति-निर्धारण प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने के प्रति दृढ़ संकल्प है। इस आशय से बिल्कुल एक नई एवं अनूठी पहल—My Gov. **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म**—शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म ने नीति-निर्धारण में लोक सहभागिता को सुनिश्चित किया है तथा विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों जैसे *स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना* तथा *नीति आयोग* के बारे में जनता के विचारों को जानने में अहम भूमिका निभाई है।

मेरी सरकार ने ज्ञान-आधारित परिवर्तन तथा सेवा उन्मुख नागरिक केन्द्रित पारदर्शी शासन के लिए भारत को तैयार करने के लिए अम्ब्रेला (समावेशी) कार्यक्रम **डिजिटल इंडिया** की परिकल्पना की है। *आधार*-आधारित उपस्थिति प्रणाली तथा **जीवन प्रमाण,** *आधार*-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पोर्टल से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रौद्योगिकी के नए प्रयोग द्वारा व्यापक अंतर लाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों, उत्तर-पूर्व एवं अन्य दूरस्थ इलाकों में *डिजिटल समावेशन* के कार्य को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार के अपार अवसरों का सृजन होगा। इलेक्ट्रॉनिक माल के निर्माण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

मेरी सरकार शक्ति के विकेन्द्रीकरण के प्रति कृतसंकल्प है और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन निकाय—**दि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया—नीति आयोग** बनाया गया है।

नीति आयोग का अंतर्निहित उद्देश्य है सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना ताकि गरीबों को सशक्त बनाने पर बल देते हुए विकास के लिए सर्वमान्य कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें एक प्लेटफार्म पर आएं।

मेरी सरकार के सतत प्रयासों तथा नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पुनः उच्च विकास पर है। हाल के अनुमानों के अनुसार, हमारी जीडीपी 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है, जिसने भारत को विश्व में तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। सरकार द्वारा कई निर्णायक कदम उठाने के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति में रिकॉर्ड कमी आई है। नियत पूंजी निर्माण, जिसने पिछले कुछ वर्षों में लगभग ठहराव का सामना किया है, उसमें वृद्धि हुई है। पूंजी बाजार ऊंचाई के स्तर पर है। हमारा बाह्य क्षेत्र अब कहीं अधिक सुदृढ़ है, विशेषतः सामान्य चालू खाता घाटा तथा व्यापक तौर पर स्थिर रुपया। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

मेरी सरकार ने कर प्रणाली में व्यापक कार्यकुशलता तथा साम्यता लाने के लिए अपने प्रयासों को तीव्र किया है। व्यय प्रबंधन में मितव्ययिता भी हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। **माल एवं सेवा कर** को लाने के लिए एक संविधान (संशोधन) विधेयक लाया गया है जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाएगा, कर आधार को व्यापक बनाएगा जिससे कर नियमों का बेहतर अनुपालन होगा।

मेरी सरकार घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही स्तरों पर काले धन के सृजन को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध है। इन उपायों को मजबूत विधायी एवं प्रशासनिक ढांचे, प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए लागू किया गया है जिसमें क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना के एकीकरण तथा मुकदमों का तुरंत निपटान करना शामिल है।

वित्तीय क्षेत्र की संस्थागत पुनर्संरचना एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। मेरी सरकार वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में तेजी लाएगी। सेबी के नए विदेश पोर्टफोलियो निवेश विनियमनों द्वारा एक समान, सरल विनियामक ढांचा स्थापित किया गया है। बीमा नियम (संशोधन) अध्यादेश, 2014 द्वारा भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण को सुरक्षित रखते हुए विदेशी इक्विटी भागीदारी को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इससे पूंजी की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होगी एवं बीमा सेवाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सुनिश्चित की जा सकेगी। बैंकिंग प्रणाली के विस्तार हेतु छोटे बैंकों एवं भुगतान बैंकों को अनुमति दी जा रही है।

मेरी सरकार ने मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं को सरल करके और तर्कसंगत बनाकर **'व्यवसाय करने को आसान बनाने'** के लिए अनेक पहल की हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मुख्य कार्यनीति है। **हब-स्पोक** मॉडल में सिंगल विंडो को वास्तविक रूप दिया जा रहा है। अब औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन के लिए आवेदन eBiz वेबसाइट पर 24×7 ऑनलाइन किया जा सकता है। बहुत से प्रवेश और निर्गम विनियमों को सरल बनाया गया है।

मेरी सरकार ने **"मेक इन इंडिया"** कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य स्वस्थ पारितंत्र के माध्यम से भारत को विनिर्माण हब में बदलना है। रेलवे के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में आवश्यक पूंजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी और विश्वव्यापी बेहतर प्रक्रियाएं लाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को कुछ शर्तों के अधीन 49 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। निर्माण और विकास क्षेत्र में एफडीआई मानदंडों में छूट दी गई है। भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए इनवर्टिड ड्यूटीज़ का निरंतर मूल्यांकन किया जा रहा है। अनुसंधान और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। अधिक से अधिक रोजगार के सृजन के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देते हुए मेरी सरकार सेवा क्षेत्र में अपनी प्रबल क्षमताओं पर भी कार्य करती रहेगी।

मेरी सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को विकसित करके भारत के उद्यमों की वास्तविक क्षमता प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। एमएसएमई उद्यमों के 21 समूहों को कला कौशल और सार्वजनिक सुविधाएं 965 गतिविधियों के जरिए प्रदान की जा रही हैं। देश के सीमावर्ती, पहाड़ी और गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग और पारंपरिक उद्योग लगाने का काम शुरू किया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, बेहतर वित्तीय पहुंच और उन्हें बाजार से जोड़ने का है।

कृषि के बाद कपड़ा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, इसमें 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे रोजगार प्रदान किया जा रहा है। औद्योगिक उत्पादन में इस क्षेत्र का 1/7वां हिस्सा है और यह देश की विदेशी मुद्रा प्रवाह का एक-चौथाई से अधिक है। इस क्षेत्र की वृद्धि और संपूर्ण विकास का हमारी अर्थव्यवस्था विशेषकर गरीब शिल्पकारों के सुधार से सीधा संबंध है। भारत के भिन्न-भिन्न भागों में व्यापार सुविधा केन्द्र की स्थापना करने, वस्त्र विपणन को ऑन-लाइन करने, तकनीकी वस्त्र उद्योग के लिए प्रोत्साहन देने, पश्मीना को बढ़ावा देने, देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कवरेज को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने जैसे हाल ही में किए गए प्रयासों से इस क्षेत्र की प्रगति होगी।

हमारे शहर आर्थिक विकास के संवाहक हैं। मेरी सरकार हमारे शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं और आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए वचनबद्ध है। जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना पर विशेष ध्यान देते हुए **राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन** को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्टेकहोल्डर के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद **स्मार्ट शहर कार्यक्रम** को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। ये दोनों कार्यक्रम परस्पर संबद्ध हैं और इससे हमारा देश तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण के लिए तैयार होगा।

आर्थिक विकास को तीव्र करने और आर्थिक वृद्धि में सुधार करने के लिए सुदृढ़ अवसंरचना का होना अनिवार्य है। भारतीय रेल हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। मेरी सरकार बेहतर सेवाएं, बेहतर यात्री-सुरक्षा, मालवाहन की गति में वृद्धि करके इस क्षेत्र में सुधार करने और जीवंतता लाने के लिए वचनबद्ध है। दो डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) यथा पूर्वी डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी के वर्ष 2019 तक चालू होने की संभावना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ने वाली द्रुत गति की रेल चलाने की हीरक चतुर्भुज (डायमंड क्वाड्रिलेट्रल) परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अहमदाबाद और नागपुर के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।

राजमार्ग क्षेत्र में सुधार करने के लिए कई नीतिगत प्रयास किए गए हैं। देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए **"राष्ट्रीय राजमार्ग अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड"** की स्थापना की गई है। राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की दशा में सुधार करने के लिए नए मानक स्थापित किए गए हैं और विशिष्ट राजमार्गों पर निर्बाध यातायात शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल स्थापित किए गए हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन पृथक् श्रेणी के रूप में ई-रिक्शा और ई-गाड़ी शुरू किए गए हैं जिससे यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी और हजारों नौकरियां सृजित होंगी।

मेरी सरकार ने नौवहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसमें भारतीय जहाजों को उनकी पूर्ण उपयोगिता अवधि के लिए लाइसेंस देना, भारतीय जहाजों को देश से बाहर के समुद्रों में जाने की अनुमति देना, बंकर ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करना और टूटे हुए जहाजों के स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क कम करना शामिल है। सरकार ने तटीय क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रवासी समुदायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए **"सागर माला"** परियोजना भी तैयार की है। **"मेक इन इंडिया"** पहल के अंतर्गत जहाज को डिजाइन करने की क्षमता, जहाज निर्माण और जहाज-मरम्मत के कार्यों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। भारतीय जहाजों की टन-क्षमता को बढ़ाने और बंदरगाहों पर लगने वाले समय को कम करने के लिए

आवश्यक व्यवस्था भी की जा रही है। **'जलमार्ग विकास'** परियोजना द्वारा जलमार्ग के जरिए परिवहन के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों के व्यापक विकास के लिए संस्थागत प्रबंधन पर विचार किया गया है।

पावर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसमें वर्ष 2014-15 के दौरान 17,830 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2015 तक 76 प्रतिशत क्षमता हासिल कर ली गई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे गुणात्मक पावर की आपूर्ति के लिए 43,000/- करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय से **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** एवं 32,600/- करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय से **इंटीग्रेटिड पावर डेवलपमेंट स्कीम** प्रारंभ की गई है। सुदूर क्षेत्रों में बिजली रहित गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रमुख परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। हम उच्च क्षमता वाले पावर कॉरिडोर का विकास करके राष्ट्रीय ग्रिड को विकसित एवं सुदृढ़ करने पर बल देंगे। बिजली क्षेत्र में और अधिक सुधारों के लिए विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 प्रस्तुत किया गया है। **राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन एवं ऊर्जा बचत** की महत्वाकांक्षी **स्कीमें** भी प्रारंभ की गई हैं।

मेरी सरकार **स्वच्छ ऊर्जा** पर अत्यधिक जोर देती है। यह महत्वपूर्ण है कि अगले सात वर्षों में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। 25 मेगा सौर पार्कों की स्थापना की स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया है। **हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम** के कार्यान्वयन को गति प्रदान की गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं की स्थापना पर प्रमुख ध्यान दिया जाएगा। इस क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के मेरी सरकार के प्रयास सफल रहे हैं। इसी प्रकार बायो-मास और जल-विद्युत पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के उच्चतम वैश्विक मानकों के आधार पर भारत की नाभिकीय विद्युत क्षमता को और बढ़ाया जाएगा।

पेट्रोलियम क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। डीजल की कीमतों को सरकार ने नियंत्रण-मुक्त कर दिया है और अब कीमतें बाजार-भाव पर आधारित हैं। पेट्रोल की कीमत में भी 17 रुपये प्रति लीटर से अधिक की कमी आई है। सरकार ने गैस कीमतों में संशोधन के काफी समय से लंबित मुद्दे संबंधी सारी भ्रांतियों को समाप्त कर दिया है और राष्ट्रहित में एक न्यायोचित नीति बनाई है। पेट्रोल में एथनॉल का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए और गन्ना-किसानों की मदद के लिए एथनॉल नीति को संशोधित किया गया है।

मेरी सरकार प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन की अभीष्टतम उपयोगिता एवं पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया इस प्रकार

से प्रारंभ की गई है जिससे देश में विद्युत के उत्पादन की लागत में कमी आएगी एवं विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराया जा सकेगा और इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम एवं अन्य अनिवार्य सामग्री के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकेगी। खानों के आबंटन से खनिजों और कोयले वाले राज्यों, विशेषकर पूर्वी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए वृहत संसाधन भी प्राप्त होंगे। इस संबंध में मेरी सरकार द्वारा शीघ्र और समय पर की गई कार्रवाई ने खानों के बंद होने को रोका जिनके बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो जाते। आगामी वर्षों में, मेरी सरकार खनन संबंधी क्षमताओं में बढ़ोतरी करने के लिए और कोयले के घरेलू उत्पादन को 1000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करेगी।

मानव सभ्यता के लिए जल अनिवार्य है। गंगा नदी का हमारे देश की सामूहिक चेतना में एक विशेष स्थान है। **"नमामि गंगे"** एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन 2000/- करोड़ रुपये से अधिक के बजटीय आबंटन के साथ प्रारंभ किया गया है। सरकार विधिवत परामर्श प्रक्रिया के साथ नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के कार्यान्वयन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और स्वच्छ पर्यावरण के संवर्धन के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। सीमेंट उद्योग के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 17 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में औद्योगिक यूनिटों की रियल-टाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रारंभ कर दी गई है और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रारंभ कर दिया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (केम्पा) को सुदृढ़ किया जाएगा और त्वरित वनीकरण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पर्याप्त धनराशि जारी की जाएगी। सरकार ने पारदर्शिता तथा राज्य सरकारों के सशक्तीकरण द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जुलाई, 2014 से पर्यावरण, वन एवं सीआरजेड संबंधी अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

पर्यटन क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन में वृद्धि करने एवं उसे कायम रखने के लिए एक नई पर्यटन नीति तैयार की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यात्रा का प्राधिकार देने के साथ **"आगमन पर पर्यटक वीज़ा"** को 44 देशों के लिए लागू कर दिया गया है। प्रमुख पर्यटक एवं तीर्थस्थानों में अवसंरचना एवं सुविधाओं को उन्नत बनाया जा रहा है। कई तीर्थ स्थानों में नदी घाटों को नवीकृत किया जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय विरासत के पर्यटन स्थलों एवं स्मारकों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। **ज्योतिर्लिंग सर्किट, सुखमंगल सर्किट** एवं **दक्षिण धाम सर्किट** के लिए विशेष पर्यटक रेल गाड़ियां प्रारंभ की गई हैं। पर्यटक सर्किटों के विकास के लिए

"स्वदेश दर्शन" नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसमें कृष्ण सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, बुद्ध सर्किट एवं उत्तर-पूर्व सर्किट शामिल हैं। सरदार पटेल की स्मृति में स्टेचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया जा रहा है।

मेरी सरकार शहरों की संस्कृति को बनाए रखने एवं उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो कि हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। पहले चरण में **'हेरीटेज डेवलपमेंट एण्ड ऑगमेन्टेशन योजना' (हृदय)** को प्रारंभ कर दिया गया है जिसमें 12 शहर शामिल हैं जिसका उद्देश्य इन शहरों की मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों का संरक्षण करना है। 12 तीर्थ स्थानों के पुनर्जीवन के लिए **"प्रसाद-पिल्ग्रिमिज रीजुवेनेशन एण्ड स्पिरिट्युअलिटी ऑगमेन्टेशन ड्राइव"** नामक एक विशेष योजना घोषित की गई है जिसे **"हृदय"** योजना के साथ समन्वित रूप से लागू किया जाएगा।

आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। मेरी सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावित लोगों एवं प्रभावित राज्यों की सरकारों के समन्वित सहयोग के साथ पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

जम्मू और कश्मीर का हमारी सरकार के एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में विशेष तौर पर इसके विस्थापित लोगों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया है। इसमें 60,000 से अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों के पुनर्वास को सुगम बनाना शामिल है। सरकार ने इस संबंध में कारगर कदम उठाए हैं। इसमें *अन्य कार्यों के साथ-साथ* सरकारी नौकरियां, आर्थिक अवसर और सुरक्षा उपलब्ध करवाना शामिल है। राज्य में अभी हाल ही में आई अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति के दौरान मेरी सरकार ने इस आपदा के प्रभाव को कम करने और पुनर्वास उपायों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से विशेष प्रयास किए हैं। जम्मू और कश्मीर में बाढ़-पीड़ित लोगों के लिए राहत अभियानों के दौरान उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्र हमारे सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों का ऋणी है।

किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली जान-माल की हानि से बचने का एकमात्र उपाय उच्चस्तरीय आपदा प्रबंधन है। केन्द्र सरकार के साथ आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की राज्य सरकारों द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी ये तैयारियां अत्यधिक भीषण तूफान **'हुदहुद'** का सामना करने के दौरान दिखाई दीं।

मेरी सरकार सक्षम, शिष्ट एवं प्रभावी नागरिक सेवा प्रदान करने एवं महिला पुलिस कार्मिकों सहित पुलिस कार्मिकों की ऑपरेशन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **स्मार्ट पुलिस** (स्मार्ट परन्तु संवेदी, आधुनिक एवं गतिमान, सतर्क एवं जिम्मेदार, विश्वसनीय एवं तत्पर, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली एवं प्रशिक्षित) की अवधारणा को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार रक्षा अर्जन योजनाओं में **"मेक इन इंडिया"** पर अत्यधिक बल देते हुए हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को त्वरित कर रही है। स्वदेशी रक्षा उद्योग को विस्तारित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं जिनमें रक्षा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण, नई रक्षा निर्यात नीति, रक्षा निर्यात के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए उदारीकृत प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी विकास निधि शामिल हैं। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण को प्रेरित करने एवं आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाली रक्षा क्षेत्र से संबंधित मदों की सूची में कटौती की गई है।

अंतरिक्ष में हमारे क्रियाकलापों में प्रभावशाली प्रगति हो रही है। 24 सितम्बर, 2014 को **मंगलयान** को मंगल की कक्षा में स्थापित कर भारत पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल करने वाला प्रथम राष्ट्र बन गया है। हमने 19 दिसम्बर, 2014 को **जीएसएलवी मार्क**-III की पहली प्रायोगिक उड़ान का सफल प्रक्षेपण किया है जिससे हम निकट भविष्य में अधिक भार वाले उपग्रहों का प्रक्षेपण कर पाएंगे। मेरी सरकार शासन, सामाजिक और आर्थिक विकास और संसाधन प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों का इस्तेमाल करने के लिए कटिबद्ध है। मेरी सरकार ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास और सार्क देशों के मध्य साझेदारी को बढ़ाने हेतु सार्क देशों के लिए एक उपग्रह प्रक्षेपित करने का निर्णय भी लिया है।

मेरी सरकार दूरवर्ती क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एफएम चरण-II के 69 नगरों में 135 रिक्त चैनलों के लिए एफएम चरण-III के पहले बेच के एक भाग के रूप में नीलामी आयोजित की जाएगी। इससे एफएम चरण-II का एफएम चरण-III में रूपांतरण भी सुगम हो जाएगा। इससे प्राइवेट एफएम रेडियो एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों तथा जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती कस्बों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और द्वीप राज्य-क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से पहुंच जाएगा।

हमारे समक्ष आने वाली विकास संबंधी चुनौतियां ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को तय करेंगी। अनुसंधान और विकास के लिए और अधिक संसाधनों का उपयोग करने, विश्वस्तरीय अनुसंधान केन्द्रों का निर्माण करने, युवा प्रतिभा को विकसित करने और विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल **'तीस मीटर टेलीस्कोप'** सहित अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

यह मानते हुए कि हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है, मेरी सरकार ने पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों में नई जान फूंकी है और यह दक्षिण एशिया में और अधिक सहकारिता और मेल-मिलाप को बढ़ावा दे रही है। साथ ही हम अपने हितों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा और अपनी जनता की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा से हमारे सबसे बड़े पड़ोसी चीन के साथ हमारे संबंध काफी बढ़े हैं जो परस्पर सम्मान और एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता पर आधारित हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा ने रूस के साथ हमारी समय की कसौटी पर खरी उतरी स्ट्रेटेजिक भागीदारी में विश्वास और गति को फिर से कायम किया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में ऐतिहासिक यात्रा ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे संबंधों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। आने वाले समय में हमारी आकांक्षा यूरोप के साथ और गहन सहयोग करने की है। जापान के साथ गहन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी रिश्ता हमारी एक्ट-ईस्ट-पॉलिसी को अधिक सक्रिय एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने में अग्रणी है जो दक्षिणपूर्व एशिया के साथ हमारे संबंधों की नींव पर टिकी है और अब यह बढ़कर ऑस्ट्रेलिया एवं पैसिफिक द्वीपों तक फैल गई है। हम पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकाज़ के साथ गहनतर संपर्क के लिए वचनबद्ध हैं।

मेरी सरकार संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार लाने और इन संस्थाओं में भारत को उचित स्थान दिलाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करती रहेगी। हम क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समूहों में भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

मेरी सरकार के प्रयासों से विश्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की मान्यता में वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रधानमंत्री के आह्वान के ठीक 75 दिनों में संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसम्बर, 2014 को 193 सदस्य देशों में से रिकॉर्ड 177 सह-समर्थकों के साथ 21 जून को **'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस'** घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

मेरी सरकार ने विदेश में भारतीय समुदाय तक पहुंचने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किया है। महात्मा गांधी की भारत में वापसी की 100वीं वर्षगांठ को इस वर्ष के **प्रवासी भारतीय दिवस** के रूप में मनाया गया। इन प्रयासों से प्रेरित होकर विदेशी भारतीय समुदाय आज न केवल भारत से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है बल्कि भारत के बदलाव के आह्वान में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए और अधिक उत्साहित भी है। पीआईओ और ओसीआई कार्ड-धारकों पर हमारे निर्णय का विदेश में भारतीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।

हमारी संसद लोकतंत्र का परम-पावन स्थल है। भारत के लोगों, विशेषकर दूरवर्ती क्षेत्रों के अत्यधिक निर्धन लोगों, ने अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस संस्था में अटूट विश्वास दिखाया है। मेरी सरकार सुचारू विधायी कार्य संचालित करने और संसद में ऐसे प्रगतिशील कानूनों को बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगी, जो लोगों की इच्छा एवं आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। मैं संसद के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सहयोग और आपसी सद्भावना के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। प्रत्येक नागरिक की देश-प्रेम की शक्ति से हम सबको एकजुट होकर एक सशक्त और आधुनिक भारत के निर्माण हेतु कार्य करना चाहिए। **एक भारत श्रेष्ठ भारत।**

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 23 फरवरी 2016

लोक सभा	—	सोलहवीं लोक सभा
सत्र	—	वर्ष का प्रथम सत्र
भारत के राष्ट्रपति	—	श्री प्रणब मुखर्जी
भारत के उपराष्ट्रपति	—	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	—	श्री नरेंद्र मोदी
अध्यक्ष, लोक सभा	—	श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय सदस्यगण,

नवजीवन और विकास लाने वाले बसंत के इस मौसम में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि यहां पर होने वाली चर्चा उस भरोसे पर खरी उतरेगी जो हमारे नागरिकों ने हमारे प्रति जताया है। इस पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने गौरवशाली देश के विकास और प्रगति में हम सभी बराबर के भागीदार बनेंगे।

पिछले वर्ष संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मैंने अपनी सरकार की परिकल्पनाओं की एक रूप–रेखा बताई थी जिसका आशय ऐसे भारत का निर्माण करना है जो भविष्य में पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्रसर होगा। ऐसा सशक्त और दूरदर्शी भारत जो लोगों को विकास के वे सारे अवसर मुहैया कराएगा जिनका संविधान में प्रावधान किया गया है। विकास का यह सिद्धांत ''सबका साथ सबका विकास'' में निहित है और यही मेरी सरकार का मूलभूत सिद्धांत है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानवता दर्शन में अंत्योदय की परिकल्पना की है जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक अवसर प्रदान करते हुए उसे सशक्त करना है। मेरी सरकार के सभी कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। मेरी सरकार विशेष रूप से ''गरीबों की उन्नति'', ''किसानों की समृद्धि'' और ''युवाओं को रोजगार दिलाने'' पर केंद्रित है।

मेरी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य गरीबी उन्मूलन है। गांधीजी ने कहा था, ''गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है।'' प्रगति का सार इसी में है कि जो गरीब और वंचित हैं और समाज के हाशिए पर हैं उनमें भी परितोष का भाव हो। देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार सबसे गरीब व्यक्ति का है। गरीबी और अभाव को दूर करना हमारी परम नैतिक जिम्मेदारी है।

वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के दो पंखों पर सवार होकर ही मानव अभिलाषा उड़ान भरती है। मेरी सरकार इन्हीं के माध्यम से इस उद्देश्य को सम्भव बनाने के लिए कृतसंकल्प है। इस प्रयोजन से मेरी सरकार ने खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास और ऐसी सब्सिडियों पर अधिक जोर दिया है जो सबसे अधिक जरूरतमंद को तब जरूर मिले जब उसे उनकी सर्वाधिक आवश्यकता हो। गत वर्ष, मैंने महत्वाकांक्षी 'प्रधान मंत्री जन–धन योजना' के बारे में बात की थी। आज, मैं गर्व से कह सकता हूं कि यह संसार का सफलतम वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खोले गए 21 करोड़ से भी अधिक खातों में से 15 करोड़ खाते चालू हालत में हैं, जिनमें कुल मिलाकर 32 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। यह कार्यक्रम मात्र बैंक खाता खोलने तक सीमित न रहकर गरीबी उन्मूलन का एक माध्यम बन गया है जो निर्धनों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं और सुरक्षा मुहैया कराता है।

सबको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने तीन नई योजनाएं 'प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना', 'प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' और 'अटल पेंशन योजना' शुरू की है,जो समाज के अब तक वंचित वर्गों को बीमा सुरक्षा एवं पेंशन मुहैया कराएंगी।

सरकार वर्ष 2022 तक सबको आवास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 25 जून, 2015 को प्रारम्भ की गई प्रधान मंत्री आवास योजना में प्राथमिक रूप से स्लम निवासियों, शहरी गरीबों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लगभग 2 करोड़ घर बनाने की योजना है। इस मिशन में आगामी 5 वर्षों में सभी 4041 शहरों को शामिल किया जाएगा। इस मिशन के तहत पहले वर्ष में ही 27 राज्यों के 2011 शहरों को शामिल किया गया है। चौबीस हजार छह सौ करोड़ रुपए की लागत से चार लाख पच्चीस हजार से अधिक घरों के लिए मंजूरी दी गई है।

टार्गेटेड सब्सिडी से जरूरतमंदों तक लाभ का पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। मेरी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अब तक 42 स्कीमों पर लागू कर दिया है।

प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) विश्व में अपने ढंग का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष नगद अंतरण कार्यक्रम बन गया है जिससे लगभग 15 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। जून, 2014 से खाद्य सुरक्षा कवरेज दोगुनी से ज्यादा हो गई है और 68 करोड़ से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल हो गए हैं।

'गिव–इट–अप' अभियान के साथ–साथ 'गिव–बैक' प्रोग्राम के फलस्वरूप 50 लाख बी.पी.एल. परिवारों को नए सब्सिडाइज्ड कनेक्शन मिल चुके हैं। इस अभियान के अंतर्गत 62 लाख से अधिक एल.पी.जी. उपभोक्ता अपनी एल.पी.जी. सब्सिडी छोड़ चुके हैं। वर्ष 2015 में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को सबसे बड़ी संख्या में कुकिंग गैस कनेक्शन दिए गए।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि ''राजनीतिक लोकतंत्र तब तक बना नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो।'' हमारे संविधान की पहली प्रतिबद्धता समावेशन के साथ सामाजिक न्याय है और मेरी सरकार की प्राथमिकता गरीब तथा पिछड़े हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन किए गए हैं। सामाजिक समरसता की भावना को आत्मसात करते हुए पूरे देश में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। 26 नवंबर, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है ताकि देश के नागरिक संविधान के मूल्यों को अधिक गहराई से आत्मसात कर सकें। मेरी सरकार डॉ. अम्बेडकर की धरोहर के पांच स्थलों को 'पंचतीर्थ' के रूप में संरक्षित करने का काम कर रही है।

शिक्षा लोगों को समर्थ बनाती है और इसके लिए मेरी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 50 प्रतिशत से अधिक बजट को छात्रवृत्ति फंड के लिए आबंटित किया है। अल्पसंख्यकों को समर्थ बनाने के लिए 'नई मंज़िल' और 'उस्ताद' नाम की दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं। 'नई मंज़िल' स्कीम के अंतर्गत इस समय मदरसा के लगभग 20,000 बच्चे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पारसी समुदाय के जीवन, इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु 'एवरलास्टिंग फ्लेम' नाम की एक प्रदर्शनी अगले माह आयोजित की जा रही है।

''किसानों की समृद्धि'' ही राष्ट्र की समृद्धि का आधार है। इस बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करते हुए मेरी सरकार ने कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया है और किसान–कल्याण के लिए अनेक अन्य उपाय भी किए हैं। मेरी सरकार ने हाल ही

में किसानों के लिए लाभकारी 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' शुरू की है जिसमें किसानों को किस्त के रूप में अब तक की सबसे कम राशि देनी होगी और सरकार का अंशदान अब तक का सबसे अधिक अंशदान होगा। यह पहली बार हो रहा है कि पूरे देश में फसल कटाई के पश्चात बाढ़ और बेमौसम की बरसात के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। सरकारी सब्सिडी की कोई सीमा नहीं होगी तथा दावों के शीघ्र और सटीक निपटान के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और पात्रता की शर्तों में भी ढील दी गई है।

मार्च, 2017 तक देश के सभी 14 करोड़ जोतधारकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिए जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम से किसान अपनी जमीन के पोषक तत्वों की स्थिति का पता लगा सकेंगे, जिससे उचित उर्वरक का चुनाव करने में मदद मिलेगी। इससे बचत के साथ–साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बेहतर होगी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 'परंपरागत कृषि विकास योजना' शुरू की गई है। अभी तक आठ हजार समूह विकसित किए जा चुके हैं।

'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना' से निश्चित रूप से फसलों की सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा और पानी के जरूरत आधारित उपयोग से सूखे का सामना किया जा सकेगा। मेरी सरकार ''हर बूंद अधिक फसल'' और ''जल सिंचन के लिए जल संचय'' के प्रति वचनबद्ध है।

किसानों को अधिकतम बाजार मूल्य दिलाने के लिए 585 नियमित थोक बाजारों को एक साथ जोड़ने वाले एक साझा ई–मार्केट प्लेटफार्म की स्थापना करने के उद्देश्य से एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए कार्य किया जा रहा है। इससे भारत को 'वन फूड जोन, वन कंट्री, वन मार्केट' बनाया जा सकेगा। इससे हमारे किसानों को उनकी फसल और मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। पिछले वर्ष में किए गए लक्षित नीतिगत उपायों से गन्ना का बकाया, जो 21,000 करोड़ रुपए से भी अधिक था, घटकर 1800 करोड़ रुपए हो गया है।

मेरी सरकार ने नई यूरिया नीति 2015 अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन और ऊर्जा के सही उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे अगले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 17 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होगा। शत–प्रतिशत नीम लेपित यूरिया से न केवल उर्वरक क्षमता बढ़ेगी बल्कि इससे कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी वाले यूरिया के अवैध प्रयोग पर रोक लगेगी। इससे सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने में भी सहायता मिलेगी। वर्ष 2015 में यूरिया का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है।

मेरी सरकार देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मछली पालन जैसे क्षेत्रों के महत्व को मानती है। आज भी भारत 6.3 प्रतिशत सतत् वृद्धि दर के साथ सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड और रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट कार्यक्रमों के कारण अंडों का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। 3 हजार करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय से मछली पालन के समेकित विकास और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए ''नीली क्रांति'' (ब्ल्यू रेवोल्यूशन) आरंभ हो चुकी है।

पूर्वी राज्यों की कृषि क्षमता का भरपूर उपयोग के उद्देश्य से द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। मेरी सरकार ने तीन नए कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों एवं 109 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना, उनका सुदृढ़ीकरण एवं कृषि उच्चतर शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के उपाय किए हैं। किसानों के लाभ के लिए नई नीतियों, कीमतों और अन्य कृषि संबंधी विषयों पर सूचना प्रदान करने के लिए 24×7 किसान चैनल प्रारंभ किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है। खाद्य प्रसंस्करण निधि विगत वर्ष आरंभ की गई है ताकि निर्दिष्ट फूड पार्कों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सके। पिछले 19 महीनों में पांच नए मेगा फूड पार्क शुरू किए गए हैं। शीत श्रृंखला स्कीम (कोल्ड चेन स्कीम) के अंतर्गत 33 परियोजनाएं विगत 18 माह में कार्यान्वित हो गई हैं।

ग्रामीण विकास हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2015–16 में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत दो लाख करोड़ से भी अधिक का अनुदान अगले 5 वर्षों के लिए खासतौर पर ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आबंटित किया गया है। राज्यों ने बड़े उत्साह के साथ इसका स्वागत किया है। इससे विकास की गतिविधि लोगों तक पहुंचेगी और वे अपने गांव और वार्डों की दशा सुधारने के फैसले लेने में सक्षम होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ने भी 300 ग्रामीण विकास समूहों की शुरुआत की है जिससे लोगों के कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। इससे आधारभूत संरचनाओं की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

युवा हमारे देश का भविष्य हैं और व्यापक रोजगार सृजन के माध्यम से युवाओं को रोजगार देना मेरी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। हम मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा, स्किल इंडिया आदि एकीकृत पहल के माध्यम से रोजगार सृजन कर रहे हैं।

मेरी सरकार की अभिनव पहल से विश्व बैंक की ''कारोबार करने में सुगमता'' (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) के मामले की नवीनतम रैंकिंग में भारत 12 पायदान ऊपर पहुंच गया है। यह बात गौरतलब है कि 'मेक इन इंडिया' पहल से प्रतिकूल वैश्विक निवेश के माहौल के बावजूद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 39 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

मेरी सरकार ने ''कारोबार करने में सुगमता'' (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच प्रतियोगी सहयोग को बढ़ावा दिया है। राज्य सरकारों को निवेश का माहौल सुधारने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाने, ई–संगत प्रक्रिया आरंभ करने तथा अवसंरचना में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए सहायता प्रदान की गई है। अनुमोदन प्रक्रिया को सरल किया गया है। उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक न्यायालय तथा वाणिज्यिक संभाग स्थापित किए गए हैं। वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र समाधान के लिए मध्यस्थता अधिनियम में संशोधन किए गए हैं।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। बैंकों ने 'प्रधान मंत्री मुद्रा योजना' के तहत 2.6 करोड़ से भी अधिक लोगों को समेकित रूप से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि संवितरित की है, जिनमें 2.07 करोड़ महिला उद्यमी हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के ऑनलाइन पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए 'उद्योग–आधार पोर्टल' स्थापित किया गया है। मेरी सरकार ने कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण आजीविका तथा प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्टार्ट–अप विलेज इंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम कारीगरों तथा बुनकरों की आजीविका को सशक्त बनाने का नया आधार है। इसके पहले चरण में 24 राज्यों के 125 ब्लाकों में 1 लाख 82 हजार ग्राम उपक्रमों को सृजित तथा सशक्त किया जाएगा, जिससे लगभग 3 लाख 78 हजार लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा।

कपड़ा उद्योग के रोजगारोन्मुखी घटक को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार ने एक संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की है, जिसमें 7 वर्षों के लिए लगभग अठारह हजार करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

रोजगार चाहने वाले लोगों को रोजगार सर्जक बनाने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। मेरी सरकार ने स्टार्ट–अप इंडिया अभियान आरंभ किया है। इससे देश में नवाचार को मजबूती मिलेगी तथा उसके विस्तार में सहायता होगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सुधारा गया है, जिससे मजदूरी के प्रभावी संवितरण, अधिक पारदर्शिता और उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन सुनिश्चित किया जा सके। सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियों को चिह्नित करने के लिए 'मिशन अंत्योदय' —एक गहन भागीदारी योजना निर्माण प्रक्रिया— 2569 अत्यधिक पिछड़े ब्लॉकों में पहुंच चुकी है।

मेरी सरकार के स्किल इंडिया मिशन में तेजी आ चुकी है और इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान लगभग 76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

मेरी सरकार का उद्देश्य 'शिक्षित, स्वस्थ, स्वच्छ भारत' का निर्माण करना है। स्वच्छ भारत की भावना इस बात में परिलक्षित होती है कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं के लिए लगभग चार लाख, सत्रह हजार शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए संस्थान स्थापित किए गए हैं। दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, छह भारतीय प्रबंधन संस्थान, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। मेरी सरकार ने अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया है और इस उद्देश्य के लिए इम्प्रिंट इंडिया की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से रक्षा से लेकर संपोषणीय जीवन निर्वाह तक 10 अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की गई है। ज्ञान के तत्वावधान में, विदेशी संकाय और हमारे छात्रों के बीच आदान–प्रदान को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने पहले चरण में 'टीच इन इंडिया' में 400 विदेशी शिक्षाविदों को आमंत्रित किया। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल सभी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन के लिए वन–स्टॉप प्लेटफार्म प्रदान करता है।

स्वस्थ भारत के लिए खेल सबसे अच्छा माध्यम है। मेरी सरकार ने 5 से 16 फरवरी, 2016 तक गुवाहाटी और शिलांग में 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें सभी दक्षेस देशों के 3500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह पूर्वोत्तर भारत में अभी तक का सबसे बड़ा खेल कार्यक्रम था।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जच्चा–बच्चा टेटनस उन्मूलन के लिए सारे विश्व के लिए निर्धारित दिसंबर 2015 की तारीख से बहुत पहले ही हमने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वर्ष 2015 में ही सर्वाधिक संख्या में बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया।

मेरी सरकार हमारी स्वास्थ्य संस्थाओं में साफ–सफाई में सुधार लाने, अस्पतालों में होने वाले संक्रमण को कम करने और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए 'कायाकल्प' नाम से एक अंतर–संस्था रैंकिंग सिस्टम शुरू कर रही है।

मेरी सरकार ने समग्र स्वास्थ्य देखभाल को महत्व दिया है। इसके लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा पद्धति और होमियोपैथी चिकित्सा प्रणाली को सशक्त किया है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 को पूरे विश्व में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया गया।

मेरी सरकार कुपोषण की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों और कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित कर रही है और हमारा पूरा ध्यान ठोस परिणामों पर है। एकीकृत बाल विकास स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसे अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत अगले चार वर्षों में 2,534 सबसे पिछड़े ब्लॉकों में 2 लाख आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा।

मेरी सरकार ने 'सुगम्य भारत अभियान' को राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया है ताकि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में विकलांगजन (दिव्यांग) की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। गत वर्ष के दौरान, 342 कैम्प आयोजित किए गए और 1.7 लाख विकलांगजन (दिव्यांग) को सहायता सामग्री और सहायक उपकरण वितरित किए गए।

'स्वच्छ भारत मिशन' एक सामुदायिक अभियान का रूप ले चुका है। इसका उद्देश्य लोगों की सोच बदलकर विशेषकर गरीबों के जीवन–स्तर को बेहतर तथा खुशहाल बनाना है। मेरी सरकार ने अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी उत्पाद तैयार करने पर बल देते हुए कचरे से ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों से विद्युत की अनिवार्य खरीद, रसायनों और उर्वरक कंपनियों द्वारा कम्पोस्ट खाद के विपणन और मलबे के प्रयोग संबंधी नीतियां बनाईं हैं।

मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए भी आर्थिक विकास संभव है। पेरिस में आयोजित महत्त्वपूर्ण जलवायु शिखर–सम्मेलन में क्लाइमेट जस्टिस, सतत् जीवनशैली और स्वच्छ विकास के संबंध में भारत की सोच को जोरदार समर्थन मिला। सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली सत्रह श्रेणियों में शामिल 1487 उद्योगों और औद्योगिक इकाइयों का ऑनलाइन अनुश्रवण शुरू कर

दिया गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मोटर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन मानकों के लक्ष्य यानी भारत स्टेज–VI मानदंड को समय से पहले, वर्ष 2021 में ही प्राप्त किया जाएगा। 'बाघ परियोजना' का दायरा बढ़ा दिया गया है और पिछली बार की तुलना में बाघों की संख्या 30 प्रतिशत बढ़ गई है।

मेरी सरकार ने 'जल क्रांति अभियान' शुरू किया है, जो ग्राम पंचायतों और प्रभावित होने वाले अन्य सभी लोगों के बीच जल–संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने वाला एक जन केंद्रित कार्यक्रम है। 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी सरकार पावन गंगा के किनारे बसे सभी 118 शहरों में विभिन्न परियोजनाओं और 1,649 ग्राम पंचायतों के लिए संपूर्ण स्वच्छता समाधानों को कार्यान्वित कर रही है।

मेरी सरकार ने बेहतर शासन के लिए अनेक उपाय किए हैं। संस्थाओं को बेहतर बनाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पुराने कानूनों को हटाने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लगभग 1800 पुराने कानूनों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है। संघ में सहभागिता की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग, नीति निर्माण में राज्यों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। नीति निर्माण में जनता की भागीदारी MyGov जैसे प्रयासों से सुनिश्चित हुई है। मेरी सरकार ने देश के 12 राज्यों में सरकार और निजी क्षेत्रों की भागीदारी के जरिए 500ई – शासन सेवाएं प्रदान करने की पहल की है। सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार में कनिष्ठ पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं।

मेरी सरकार ने जहां एक ओर भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त करने के उपाय किए हैं, वहीं भ्रष्ट पाए गए व्यक्तियों को दंड देने में भी कोई नरमी नहीं बरती है। भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम में कड़े संशोधन भी किए जा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार विरोधी कानून में बचाव की कोई गुंजाइश ही न हो।

सशक्त ढांचागत विकास से सभी को अवसर मिलते हैं। मेरी सरकार ने स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शहरों का चयन किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के प्रथम चरण में अठानवे शहरों में से बीस शहरों को गहन प्रतिस्पर्धा के बाद चुना गया है। प्रोग्राम का दूसरा और तीसरा चरण शुरू होने वाला है।

मेरी सरकार अधिक से अधिक स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 GW तक बढ़ाने का प्रयास करेगी। इन प्रयासों में ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, थर्मल पावर की सौर ऊर्जा के साथ बंडलिंग, राज्यों में सोलर पार्कों का निर्माण करना आदि शामिल हैं। स्थापित सौर क्षमता गत 20 महीने में लगभग दुगुनी हो गई है और यह 5000 मेगावाट से अधिक हो गई है। आज मेरी सरकार में सौर ऊर्जा किफायती है और हजारों लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं।

जब से मेरी सरकार ने कार्यभार संभाला है, ऊर्जा की कमी 4 प्रतिशत से घटकर 2.3 प्रतिशत हो गई है। मेरी सरकार मई, 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय लाभ के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) शुरू की है। बारहवीं योजनावधि के लिए 88,537 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता संवर्धन लक्ष्य का 83 प्रतिशत पहले ही पूरा कर लिया गया है।

मेरी सरकार ने ट्रांसमिशन लाइसेंस पर भार को कम करने के लिए प्रमुख ट्रांसमिशन परियोजनाएं शुरू करने पर बल दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण भारत के लिए उपलब्ध अंतरण क्षमता में मई, 2014 से दिसंबर, 2015 तक 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे दक्षिण भारत में सस्ती और प्रचुर बिजली उपलब्ध हुई है और अंततः हम 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक मूल्य' के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं। मेरी सरकार ने गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को पुनर्जीवित करने के लिए परिष्कृत एलएनजी की आपूर्ति करके नई पहल शुरू की है। इससे 11,717 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले मानक गैस संयंत्र को पुनः चालू करना सुनिश्चित हुआ है। वर्ष 2015 में भारत में अब तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन हुआ है।

मेरी सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए उचित और प्रतियोगी दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुल्क नीति में महत्त्वपूर्ण संशोधन किए हैं। शहरों में सड़कों के लिए प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइटिंग) तथा घरों में प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी बल्बों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दो महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। अभी तक 6 करोड़ से भी अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। थोक खरीद कार्यनीति से एलईडी बल्ब की लागत, जो जनवरी 2014 में 310/—रुपए थी, जनवरी 2015 में घटकर 64/- रुपए हो गई।

मेरी सरकार ने कोयला क्षेत्र में गतिशील और व्यापक सुधार किए हैं और पारदर्शी नीलामी प्रणाली द्वारा 70 से अधिक कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया है।

आने वाले वर्षों में इससे पूर्वी राज्यों को अत्यधिक लाभ होगा। कोयला उत्पादन को बढ़ाने पर अत्यधिक बल देने के कारण कोल इंडिया के कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। इससे कोयले के आयात में भी कमी आई है।

खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा खनन संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता लाने के लिए खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 को संशोधित किया गया है और खानों की नीलामी प्रांरभ की गई है। उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए संभावित खनिज संपदायुक्त क्षेत्रों में व्यवस्थित खोज के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, खनन से प्रभावित लोगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने तथा उनके लिए धारणीय आजीविका सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों में विकास और कल्याण परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगी।

मेरी सरकार ने हाल ही में नौ हजार नौ सौ करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत वाली असम गैस क्रैकर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की उम्मीद है।

मेरी सरकार ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए अनेक महत्वाकांक्षी उपाय किए हैं।''सम्मान''परियोजना हमें ट्रेनों से खुले में मल विसर्जित करने की व्यवस्था और मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए मार्गदर्शन देती है। सभी नए कोचों में बायो–टॉयलेट लगाए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने डबल रेललाइन बिछाने, गेज परिवर्तन और रेलवे में क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों पर भी ध्यान दिया है। ब्रॉड गेज बिछाने का कार्य और विद्युतीकरण कार्य अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर है। वर्ष 2015 में रेलवे में पूंजीगत व्यय में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हुई है।

जापान सरकार के साथ महत्त्वपूर्ण करार से मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की परिकल्पना साकार होगी। मेरी सरकार ने मरहौरा में डीजल और मधेपुरा में इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्टरियां लगाने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी है।

मार्च, 2019 तक 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत एक लाख अठहत्तर हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। मेरी सरकार ने रुकी हुई 73 सड़क परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू किया है, 7200 कि.मी. लंबे

राजमार्गों का निर्माण पूरा किया है और 12,900 कि.मी. लंबे राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का निर्णय लिया है जोकि अभी तक की सर्वाधिक स्वीकृति है।

मेरी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक व्यापक योजना, भारतमाला प्रारंभ की है जिसकी अनुमानित लागत दो लाख सड़सठ हजार करोड़ रुपए से भी अधिक है। चारों धामों को जोड़ने वाली सभी सड़कों को हर मौसम में एक दूसरे से जोड़ने के लिए बारह हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की एक परियोजना का निर्माण शुरू किया गया है। एक विशेष हरित राजमार्ग पॉलिसी 2015 प्रारंभ की गई है ताकि राजमार्गों को हरा–भरा रखा जा सके और डीजल बसों को इलैक्ट्रिकल बसों में परिवर्तित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। वर्ष 2015 में देश में अब तक सबसे अधिक मोटर वाहनों का उत्पादन किया गया है। सड़क दुर्घटना के मामलों में सहायता करने वाले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

मेरी सरकार ने 'मेक इन इंडिया' को ध्यान में रखते हुए जहाजरानी क्षेत्र को नया जीवन देने तथा घरेलू शिपयार्डों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना प्रारंभ की है। प्रमुख पत्तनों के प्रचालन को सुचारू बनाने और नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2015 में भारत के पत्तनों पर उतराई–लदाई का (टर्नअराउण्ड) औसत समय सबसे कम रहा और प्रमुख पत्तनों पर आने–जाने वाले कार्गो की मात्रा सबसे अधिक रही। मेरी सरकार अंतरदेशीय जलमार्गों और तटीय जल–परिवहन के व्यापक प्रयोग को परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में बढ़ावा देना चाहती है।

मेरी सरकार छोटे शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई नागर विमानन नीति पर भी कार्य कर रही है। वर्ष के दौरान घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक में काफी वृद्धि हुई है।

देशभर में इलैक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए विश्वस्तरीय संरचना स्थापित करना मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। उनतीस इलैक्ट्रॉनिक विनिर्माण समूहों का विकास किया जा रहा है। मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण उद्योग में ड्यूटी व्यवस्था में हाल ही के सुधारों से चालू वर्ष में मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन लगभग दुगुना हो गया है। स्पैक्ट्रम की पारदर्शी एवं दक्ष नीलामी के कारण अभी तक की अधिकतम लगभग एक लाख दस हजार करोड़ रुपए की कीमत प्राप्त हुई है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए स्पैक्ट्रम ट्रेडिंग एवं शेयरिंग जैसी नीतियां बनाई गई हैं।

वर्ष 2015 के दौरान देश से अधिकतम सॉफ्टवेयर का निर्यात हुआ है। हमारे गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी शीघ्रता से लाने के लिए भारतनेट के अंतर्गत नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की संरचना एवं डिजाइन को और अच्छा बनाया जा रहा

है। कॉमन सर्विस सेंटर के नेटवर्क का विस्तार कर, छोटे कस्बों में बीपीओ की स्थापना कर तथा स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण के जरिए मेरी सरकार आम नागरिकों को डिजिटल इंडिया के लाभ पहुंचा रही है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से नागरिक सशक्तीकरण एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकोनॉमी) को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा।

वर्ष 2017 तक आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इससे देश में 1,55,000 डाकघरों का कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की जाएगी। प्रस्तावित पोस्टल पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया से वित्तीय समावेशन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

मेरी सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जैसे नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन, ईंधन दक्षता को बढ़ाना एवं उत्सर्जन को नियंत्रित करना। मेरी सरकार ने हमारे परंपरागत विवेक की आधुनिक वैज्ञानिक जड़ों की खोज करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योग एंड मेडीटेशन (सत्यम) शुरू किया है।

पिछले वर्षों में सफलता अर्जित करते हुए मेरी सरकार का प्रयास अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां हासिल करना है। स्वदेशी नैविगेशन तथा अवस्थित आधारित सेवाओं की पूर्ति के लिए 2016 में हमारा प्रयास भारतीय नैविगेशनल सैटेलाइट के समूह को पूरा करने पर केंद्रित होगा।

वाराणसी तथा जयपुर दो शहरों को यूनेस्को सृजनात्मक शहर नेटवर्क के भाग के रूप में घोषित किया गया है। 'स्वदेश दर्शन' योजना तथा 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत विकास के लिए क्रमशः तेरह सर्किटों तथा तेरह तीर्थस्थलों को चुना गया है।

रेडियो एक बार फिर से लोगों के माध्यम के रूप में उभरा है। नए रेडियो स्टेशनों की स्थापना को एक नया प्रोत्साहन मिला है। 69 शहरों में 135 चैनलों वाले तीसरे चरण के लिए निजी एफ एम रेडियो के पहले बैच के लिए सफल तथा पारदर्शी बोली लगाने की अच्छी प्रतिक्रिया इस माध्यम के लिए अच्छा संकेत है।

लगातार अशांत वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी भारत में आर्थिक स्थायित्व बना हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है तथा इसने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य भारत को विश्व की सबसे अधिक गतिशील अर्थव्यवस्था बनाया है। मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा तथा वर्तमान लेखा घाटा सभी घटे हैं। 2015 में भारत ने अभी तक का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः सशक्त करने के लिए तथा सत्तर हजार करोड़ रुपए के समर्पित निम्नतम पुनः पूंजीकरण सहित अर्थव्यवस्था में क्रेडिट प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 'इंद्रधनुष' कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त

हमने प्रमुख शासन संबंधी सुधार आरंभ किए हैं, निजी क्षेत्र का कौशल समाहित किया है तथा पूरी तरह से पारदर्शी तथा योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। हमने 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 23 बैंकिंग लाइसेंस भी जारी किए हैं।

काले धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार के सामंजस्यपूर्ण प्रयासों ने परिणाम दिखाने आरंभ कर दिए हैं। कालेधन के अधिनियमन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के साथ इस समस्या के समाधान के लिए एक कड़ी कानूनी प्रक्रिया तैयार की गई है।

अनुपयोगी परिसंपत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने नवम्बर, 2015 में 'स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम' और 'सॉवरेन स्वर्ण बंधपत्र स्कीम' शुरू की है।

सरकार ने कर प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम तरीकों को अपनाकर कर प्रणाली को सरल, प्रगतिशील और अनुकूल बनाने के अनेक उपाय किए हैं। अब रिटर्न और विभिन्न फॉर्मों की ई–फाइलिंग, इलैक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग और दस्तावेजों को पुनः निकालने और ऑनलाइन शिकायत दूर करने जैसी अनेक करदाता सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

मेरी सरकार देश की सुरक्षा से संबंधित सभी चुनौतियों से सख्ती से निपटने के लिए कृतसंकल्प है। आतंकवाद विश्वव्यापी खतरा है और इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर आतंकवाद विरोधी कठोर उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अभी हाल में पठानकोट वायुसेना बेस पर आतंकवादियों के हमले को सफलतापूर्वक निष्फल करने के लिए मैं अपने सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं। सीमापार के आतंकवाद के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

उत्तर–पूर्व राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में समग्र सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार आया है। यह राज्य सरकारों के सहयोग से, आसूचना एजेंसियों और सुरक्षा बलों के सतत् प्रयासों और उनके द्वारा किए गए उपायों से संभव हुआ है।

देश के कुछ राज्यों को भयंकर सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ा। पिछले वर्ष दिसम्बर में चेन्नै में आई अभूतपूर्व बाढ़ से पूरा शहर जलमग्न हो गया, जिसके कारण अवर्णनीय मानवीय यातना और आर्थिक हानि हुई। मेरी सरकार उन लोगों के साथ है, जिन पर प्राकृतिक आपदाएं पड़ी हैं। मेरी सरकार ने उन्हें तत्काल संसाधन और वित्तीय सहायता भेजी। राज्य और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत तेरह हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई।

रक्षा सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सुचारू व कारगर बनाया गया है जिसके लिए देश में ही तैयार, विकसित और निर्मित शस्त्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सशस्त्र बल विश्व के अत्याधुनिक और सर्वाधिक सक्षम अस्त्र–शस्त्र से सुसज्जित हों।

हमारे देश में 'शक्ति' जिसका अर्थ ताकत है, स्त्री शक्ति का साकार रूप है। यही शक्ति हमारी ताकत को दर्शाती है। मेरी सरकार ने भारतीय वायु सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों और फाइटर पायलट के रूप में महिलाओं को शामिल करने का अनुमोदन कर दिया है। मेरी सरकार भविष्य में हमारे सशस्त्र बलों के सभी युद्धक क्षेत्रों में महिलाओं को शामिल करेगी। मेरी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, एक केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, महिला और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध निषेध और संगठित अपराध जांच एजेंसी और रेल में महिलाओं की सुरक्षा के एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली जैसे कई उपाय किए हैं।

हम उन व्यक्तियों के ऋणी हैं, जिन्होंने अपनी निःस्वार्थ सेवा और कर्तव्य पालन में अपने सर्वोच्च बलिदान से हमें प्रेरणा दी है। उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए समारोह आयोजित करना या कृतज्ञता दिखाना ही काफी नहीं है। सात हजार करोड़ प्रतिवर्ष के भारी वित्तीय भार के बावजूद मेरी सरकार ने 'एक रैंक–एक पेंशन' की चार दशक पुरानी मांग को लागू करने के अपने वादे को पूरा किया है।

मेरी सरकार एक निर्भीक और सक्रिय विदेश नीति जारी रखे हुए है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए पूंजी, प्रौद्योगिकी, संसाधन, ऊर्जा और कौशल की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर देने के साथ राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान करना है। हमारे राजनयिक प्रयासों में राज्यों को भी शामिल किया गया है।

वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ पूरा विश्व एक परिवार है। मेरी सरकार इस सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए उठाए गए हमारे कदमों में इस सिद्धांत की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। पिछले वर्ष मेरी सरकार ने बांग्लादेश के साथ एक ऐतिहासिक भूमि–सीमा करार पर हस्ताक्षर किए। परिणामस्वरूप दो देशों के बीच विवादित क्षेत्रों की शांतिपूर्ण तरीके से अदला–बदली संभव हुई। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच मोटर वाहन करार पर हस्ताक्षर होने से निर्बाध रूप से आवागमन होगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे। अप्रैल, 2015 में नेपाल में आए भयानक भूकंप के दौरान हमने अपनी दोस्ती बखूबी निभाई। हमने अपनी हवाई सीमाओं को खोल दिया, जिससे हमारा देश एक महत्त्वपूर्ण ट्रांजिट हब और सहायता करने वाला देश बना।

इससे संकट की घड़ी में अन्य देशों से आने वाले राहत सामान नेपाल तक पहुंच सके। मेरी सरकार पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक आपसी संबंध बढ़ाने और सीमापार आतंकवाद का सामना करने के लिए सहयोग का माहौल तैयार करने के प्रति कृत–संकल्प है। मेरी सरकार पड़ोसी देशों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में विश्वास रखती है। भारत अफगानिस्तान को स्थायी, समावेशी और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में अफगानिस्तान की जनता का सहयोग करने के प्रति वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अफगानिस्तान संसद को अफगान जनता को समर्पित करना हमारी ओर से अफगानिस्तान की शांति और समृद्धि में योगदान है।

हम जमीन और समुद्र दोनों के रास्ते पूरे विश्व तक पहुंचे हैं। 54 राष्ट्रों की भागीदारी वाले भारत–अफ्रीका शिखर सम्मेलन में 41 देशों की सरकारों और राष्ट्रों के अध्यक्षों की उपस्थिति से इस महाद्वीप के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती मिली है और सहयोग और भाईचारे के नए युग की शुरुआत हुई है। मेरी सरकार समुद्रों को भारत और इन देशों के रिश्तों के बीच नहीं आने देगी। प्रशांत द्वीप समूहों के 14 देशों के साथ सहयोग की सक्रिय शुरुआत की गई है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ सभ्यताओं को जोड़ने के लिए जोर–शोर से प्रयास शुरू किए गए हैं। भारत के दूसरे इन्टरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 50 विदेशी नौसेनाओं ने भाग लिया। इससे हमारे निकट और दूर के समुद्री पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और सामरिक संबंधों में और अधिक मजबूती आई है।

मेरी सरकार ने सर्व–स्वीकृत इन्टरनेशनल सोलर एलाएंस शुरू कर जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। हम आज भी आतंकवाद विरोधी वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे हैं। भारत के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के लिए ठोस कदम उठाए गए। भारत ने ब्रिक्स, जी–20, डब्ल्यू.टी.ओ., ईस्ट एशिया समिट, आसियान और एससीओ जैसे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुटों को मजबूत नेतृत्व और नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया है।

मेरी सरकार ने एनआरआई और पीआईओ के लिए पासपोर्ट सुविधा को सरल बनाया है और कई देशों के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन' द्वारा आगमन पर वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे आवाजाही में वृद्धि हुई है। आज विदेशों में रहने वाले और काम करने वाले हमारे नागरिक जानने लगे हैं कि सरकार उनके हितों की रक्षा करने और मुसीबत में उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'ऑपरेशन राहत' से यह प्रमाणित हो गया

है, जिसमें हमने यमन में फंसे 4748 भारतीयों को सुरक्षित निकाला। हमने अन्य देशों के नागरिकों की भी सहायता की तथा 48 देशों के 1,962 नागरिकों को सुरक्षित निकाला।

मेरी सरकार का मुख्य उद्देश्य 'सबका विकास' करना है न केवल आर्थिक विकास करना जो समाचार–पत्रों में चर्चा का विषय रहता है। 'सबका विकास' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धन और वंचित वर्ग के लोगों को वास्तव में सशक्त किया जाए ताकि वे अवसरों का लाभ उठा सकें और अपने रहन–सहन में सुधार कर सकें। 'सबका विकास' से अभिप्राय है समाज के पिछड़े वर्गों को समान महत्त्व देना। हमारे सभी देशवासी देश की प्रगति के वास्तविक भागीदार हैं। 'सबका विकास' से यह अभिप्राय है कि हम प्रदूषण, यातायात और कचरे की समस्या का भी समाधान करें, जो हमारे शहरों में फैला हुआ है। और अंत में, 'सबका विकास' संपूर्ण विश्व का 'विकास' है। इसलिए हमें राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय का जिम्मेदार सदस्य बनना होगा और आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय अस्थिरता जैसी बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में संपूर्ण मानवता की सहायता करनी होगी।

हमारी संसद जन-आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में वाद-विवाद और चर्चा जरूरी है न कि अवरोध पैदा करना। लोकतंत्र में चर्चा का सिद्धांत 'आ नो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः' होना चाहिए, अर्थात् चर्चा में सभी वर्गों के लोगों के सुविचार शामिल किए जाने चाहिए। इस माननीय संस्था का सदस्य होना गौरव की बात तो है ही, इसके साथ महत्वपूर्ण दायित्व भी जुड़े हैं। मेरी सरकार संसद के सुचारू और रचनात्मक कार्य संचालन के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं संसद के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सहयोग और आपसी सद्भावना के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। हम सब मिलकर एक समृद्ध भारत बनाने का प्रयास करें।

हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के ऋणी हैं और अब समय आ गया है कि उनके इस ऋण को चुकाने के लिए हम देश को वैसा ही बनाएं, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी और जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के शब्दों में ''राष्ट्रीयता मानव जाति के उच्चतम आदर्शों, सत्यम, शिवम, सुंदरम से प्रेरित होती है।'' आइए देश के सुंदर भविष्य के लिए इन आदर्शों को अपनाएं।

जय हिंद।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 31 जनवरी 2017

लोक सभा	—	सोलहवीं लोक सभा
सत्र	—	वर्ष का प्रथम सत्र
भारत के राष्ट्रपति	—	श्री प्रणब मुखर्जी
भारत के उपराष्ट्रपति	—	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	—	श्री नरेंद्र मोदी
अध्यक्ष, लोक सभा	—	श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय सदस्यगण,

नूतन और नवजीवन की प्रतीक इस बसंत ऋतु में, मैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक संयुक्त सत्र है, जिसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट सत्र के निर्धारित समय को इस वर्ष आगे लाया गया है एवं आम बजट के साथ रेल बजट का विलय किया जा रहा है। हम एक ऐसे लोकतंत्र के उत्सव के लिए पुनः एकत्र हुए हैं, जिसके मूल्य और संस्कृति इस देश के लंबे इतिहास के हर दौर में फलते–फूलते रहे हैं। वास्तव में इसी संस्कृति ने मेरी सरकार को सबका साथ, सबका विकास की ओर प्रेरित किया है।

हमारी सभ्यता चिरकाल से ही सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु जैसे महान सिद्धांत से प्रेरित रही है—जिसका अर्थ है कि हम परस्पर दोनों साथ–साथ एक दूसरे की रक्षा करें, हम दोनों का साथ–साथ पोषण करें। इस वर्ष महान सिख गुरु-गुरु गोबिंद सिंह जी की तीन सौ पचासवीं जयंती है। हम महान संत–दार्शनिक रामानुजाचार्य की सहस्रवीं जयंती भी मना रहे हैं। इन महान विभूतियों द्वारा दिखाया गया आलोकित पथ सामाजिक परिवर्तन और सुधार का पथ, जो सबके लिए प्रकाश स्तंभ है, मेरी सरकार के लिए प्रेरणादायी है।

इस वर्ष हम चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी और औपनिवेशिक ताकतों से लड़ने के लिए भारत की जनशक्ति को प्रेरित किया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आदर्शों ने प्रत्येक भारतीय के मन में अदम्य साहस, आत्मविश्वास और जनहित के लिए बलिदान की भावना भर दी। आज यही जनशक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

हमारे देशवासियों ने, विशेषकर गरीब तबके के लोगों ने, हाल ही में काले धन के विरुद्ध संघर्ष में असाधारण समुत्थान शक्ति और सहनशीलता का परिचय दिया है। रसोई गैस के मामले में 'गिव इट अप' अभियान की सफलता के पीछे भी यही प्रेरक भावना रही है। 1.2 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने रसोई गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी है, जिससे वंचित लोगों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने में बहुत मदद हुई है। इसी 'जनशक्ति' ने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। 1.4 लाख गांवों, 450 से ज्यादा शहरों, 77 जिलों तथा 3 राज्यों ने अपने क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है। मेरी सरकार जनशक्ति को शत–शत नमन करती है और प्रण करती है कि हम इस शक्ति का राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक प्रयोग करेंगे।

गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवाओं का कल्याण ही मेरी सरकार की नीतियों का केंद्र–बिन्दु है। मेरी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अन्त्योदय विचारधारा के मार्गदर्शन में चल रही है। उनकी जन्म शताब्दी को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन की कुंजी है। 26 करोड़ से अधिक जन–धन खाते खोलकर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से पहली बार जोड़ा गया है, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। कैशलेस भुगतान के लिए 20 करोड़ से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए। "जन–धन से जन–सुरक्षा" की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए लगभग 13 करोड़ गरीबों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया है।

गरीब और अब तक जिनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं ऐसे लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए, भारतीय डाक भुगतान बैंक (इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक) प्रारंभ किया गया है। भारत में डाक नेटवर्क बहुत व्यापक है, जिसमें डेढ़ लाख डाक घर गांव–गांव तक फैले हुए हैं। ये डाक घर पोस्टल बैंक के रूप में भी कार्य करेंगे। बैंकों द्वारा नियुक्त किए एक लाख से अधिक बैंक–मित्रों के साथ–साथ, ढाई लाख ग्राम-डाक-सेवक भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए के 5.6 करोड़ ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इससे जरूरतमंद उद्यमियों को बिना कोई ऋणाधार बैंक से कर्जा मिल सकेगा जिससे छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत सत्तर प्रतिशत ऋण का लाभ महिला उद्यमियों ने उठाया है।

दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत महिलाओं, विशेष रूप से वंचित समुदायों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष में 'स्वयं सहायता समूहों' को सोलह हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में 5 करोड़ महिलाओं तक लाभ शीघ्र पहुंचाने का लक्ष्य है।

मेरी सरकार ने आवास, किफायती स्वास्थ्य संरक्षण, सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता, तथा स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता से गरीबों की जीवनशैली बेहतर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

मेरी सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से कम ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान कर बेघर गरीब परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

साफ–सफाई न होने से गरीब घरों की आर्थिक स्थिति और कमजोर होती है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों की स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस मिशन में 3 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना से गरीबों को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन—एल.पी.जी. उपलब्ध कराकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और उन्हें धुआं भरी रसोई के और ईंधन इकट्ठा करने में लगने वाले समय के दुष्परिणामों से बचाना है। 5 करोड़ गरीब घरों को गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से 37 प्रतिशत उज्ज्वला लाभार्थी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों में से हैं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत स्वतंत्रता से अब तक अंधेरे में रह रहे 18,000 गांवों में से 11,000 गांवों में रिकॉर्ड समय में बिजली पहुंचाई गई है। उजाला (उन्नत ज्योति बाइ अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल) कार्यक्रम के अंतर्गत 20 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली

के बिलों में दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। इनमें से अधिकांश उपभोक्ता गरीब तबके के हैं।

अपने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, और विशेष रूप से गरीबों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं किफायती और सुगम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इन्द्रधनुष मिशन ''हर बच्चे को हर जगह'' निवारणीय बीमारियों से टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इससे अभी तक 55 लाख बच्चों को लाभ दिया जा चुका है। गरीबों को गुणात्मक औषधियां किफायती दामों पर उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का प्रारंभ किया गया है। इंडैमिक जापानी इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने के लिए मुहैया कराई गई विशेष सुविधाओं के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं और इस बीमारी से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है।

किसान के कल्याण में ही राष्ट्र की समृद्धि है। कई वर्षों से लगातार सूखे के बाद अनुकूल मानसून और किसान उन्मुख परियोजनाओं से खरीफ फसलों के क्षेत्रफल एवं उपज में वृद्धि हुई है। वर्तमान रबी मौसम में बोए गए क्षेत्र में भी गत वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मेरी सरकार ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारा ध्यान कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास पर केंद्रित है जैसे—सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, बीज और उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना, व्यापक जोखिम सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से बेहतर उत्पादकता, ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–एन ए एम) के माध्यम से उत्पाद के लिए सुनिश्चित बाजार और लाभकारी कीमतें आदि।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जोखिम कवरेज को विस्तारित किया गया है, बीमा राशि को दो गुना किया गया है और किसानों के लिए प्रीमियम राशि को अब तक के न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। 2016 खरीफ फसल की अवधि के दौरान, लगभग 3.66 करोड़ किसानों के लिए, 1.4 लाख करोड़ की राशि का बीमा किया गया।

किसान क्रेडिट कार्डों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से, मौजूदा कार्डों के अलावा तीन करोड़ कार्डों को, जल्द ही रुपे डेबिट कार्डों में बदला जाएगा। नाबार्ड निधि की राशि को दुगुना करके इकतालिस हजार करोड़ किया गया है ताकि सभी किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके।

हर बूंद अधिक फसल तथा ''हर खेत को पानी'' को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का कवरेज बढ़ाया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान 12.7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था की गई है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष इसी समय दालों की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि गंभीर चिंता का विषय था। मेरी सरकार ने सक्रिय उपाय किए और दालों की कीमतें अब नियंत्रण में हैं। किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक रखने की योजना है, जिसके अंतर्गत 8 लाख टन दालें अब तक खरीदी जा चुकी हैं।

मेरी सरकार नारी शक्ति को देश की विकास यात्रा का अभिन्न अंग बना रही है। हमारे देश में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त करने का हक है। रियो ओलम्पिक में पी.वी. सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा करमाकर और कई अन्य महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर हमें गर्व है, और यह महिला शक्ति की कामयाबी का प्रतीक है। महिलाएं सशस्त्र सेनाओं के लड़ाकू दस्ते में भी शामिल हो रही हैं। पहली तीन महिला फाइटर विमान पायलटों पर राष्ट्र को गर्व है। यह हमें स्मरण कराता है कि यदि महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त हों, और उनकी प्रतिभा तथा कौशल का इष्टतम उपयोग किया जाए, तो एक राष्ट्र के रूप में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।

घटते बाल लिंगानुपात के समाधान हेतु शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। लड़कियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई जिसमें एक करोड़ से भी अधिक खाते खोले गए और 11 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि जमा हुई है। प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को सक्षम चिकित्सा परिचरों द्वारा प्रसवपूर्व देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मातृत्व सुविधा अधिनियम में संशोधन और प्रसूति अवकाश अवधि को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक बढ़ाने से गर्भवती महिलाओं को कार्य स्थल पर सहायता मिलेगी।

आज हमारी 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारे युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है तथा युवा ऊर्जा का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। हमारी सरकार ने 'हर हाथ को हुनर' के उद्देश्य से, युवकों को कुशल बनाने और उन्हें बेहतर रोजगार के योग्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पूर्व में 21 मंत्रालयों और 50 विभागों में फैले कौशल विकास कार्य को एक ही मंत्रालय के अधीन लाया गया है। अगले चार वर्षों में एक करोड़ युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए बारह हजार करोड़ रुपए के बजट परिव्ययन के साथ प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में 20 लाख से अधिक युवक पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। 10 हजार करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्रशिक्षुता

प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। देशभर में फैले हुए 978 रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल में एकीकृत किए गए हैं।

मेरी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खोले हैं और उनके लिए उच्च तकनीकी शिक्षा को अधिक सुगम बनाया है। पहली बार, ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से, आईटीआई प्रशिक्षार्थियों को मैट्रिक और हायर सेकेंडरी स्तर पर अकादमिक बराबरी प्रदान की गई है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। युवकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 50 भारतीय अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्रों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। सात लाख विद्यार्थियों के लिए उद्यम में शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री युवा योजना आरंभ की गई है।

मेरी सरकार ने वस्त्र और परिधान (मेडअप्स) क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए छह हजार करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज के अंतर्गत 1.1 करोड़ से अधिक जॉब के सृजन की उम्मीद है जिसमें से अधिकांश महिलाओं के लिए होंगे।

श्रमेव जयते मेरी सरकार का प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत है और इसलिए सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। कृषि और कृषि से भिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पहली बार 42 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बोनस के कवरेज के लिए, गणना की अधिकतम सीमा दोगुनी करके सात हजार रुपए की गई है और बोनस के लिए पात्रता की सीमा दस हजार रुपए से बढ़ाकर इक्कीस हजार रुपए की गई है। इसका सीधा लाभ 55 लाख अतिरिक्त कामगारों को मिलेगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से कर्मचारी भविष्य निधि खातों का अंतरण सुनिश्चित हुआ है और उससे करोड़ों कामगारों के हितों की रक्षा हुई है।

मेरी सरकार के इस निर्णय जिससे नियोक्ता अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बैंक के द्वारा कर सकें, का सर्वाधिक लाभ अनौपचारिक क्षेत्रों में नियोजित कामगारों को होगा। इससे न्यूनतम वेतन के भुगतान का अनुपालन बढ़ेगा। इससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ और भविष्य निधि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।

सातवां वेतन आयोग लागू करने से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 35 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिला है। ब्याज दरों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रभाव से वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए 8 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है, जो हर महीने देय है।

समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता हमारे संविधान की पहली प्रतिज्ञा है। मेरी सरकार इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार की योजना है कि स्टेंड–अप इंडिया पहल के माध्यम से, ढाई लाख से अधिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जाए। उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब बनाया गया जिसके लिए 490 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक आबंटन किया गया है।

वन अधिकार अधिनियम के तहत, 55.4 लाख एकड़ वन भूमि के क्षेत्रफल में 16.5 लाख व्यक्तिगत वन अधिकार स्वामित्व प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 47 लाख एकड़ वन भूमि क्षेत्रफल पर सामुदायिक वन अधिकार स्वामित्व प्रदान किए गए हैं।

हमारे देश की खनिज संपदा अधिकांशतः जनजातीय आबादी (अधिवास) वाले क्षेत्रों में है। प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना से जहां एक ओर सतत खनन कार्य के प्रयोजन की पूर्ति होगी वहीं खनन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और गरीब निवासियों के जीवन में सुधार के लिए स्थानीय क्षेत्र का विकास भी होगा। इस दिशा में जिला खनिज फाउन्डेशन की स्थापना एक नवीन पहल है।

मेरी सरकार ने जनजातीय उप-योजना के तहत आबंटन बढ़ाया है। वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत जनजातीय लोगों के सशक्तीकरण के लिए, चौदह क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन (ग्रामीण-शहरी) मिशन के अंतर्गत शामिल 300 जन-समुदायों में से 100 जन-समुदायों का विकास जनजातीय क्षेत्रों में किया जाएगा।

नेत्रहीनों के लिए विश्व कप, 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम और रियो 2016 में भारतीय पैरालैंपिक दल की सफलता दर्शाती है कि दिव्यांगजनों को समुचित अवसर दिए जाएं तो वे महान ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। मेरी सरकार दिव्यांगजनों के विकास के लिए समान अवसर देने के प्रति वचनबद्ध है। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने के साथ–साथ मेरी सरकार ने बैकलॉग रिक्तियों को भरने का काम भी तेज कर दिया है। मई, 2014 से अब तक पूरे देश में आयोजित 4700 विशेष सहायता शिविरों में 6 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं।

सुगम्य भारत अभियान से दिव्यांगजनों के सार्वजनिक स्थानों पर आने–जाने में सुगमता हुई है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में वाणी और भाषा संबंधी अशक्तता तथा विशिष्ट शिक्षण संबंधी अशक्तता को पहली बार शामिल किया गया है। पूरे देश के लिए एक समान संकेत भाषा का विकास किया जा रहा है। आटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टीपल डिसएबिलिटी से प्रभावित दिव्यांगजनों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् एक लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रावधान किया गया है।

जिस प्रकार सितार के अलग–अलग तार से अलग–अलग सुर निकलते हैं किंतु सभी तारों के एक साथ बजने पर मधुर संगीत उत्पन्न होता है, इसी प्रकार भिन्न–भिन्न मतों और धर्मों के लोग मिलकर राष्ट्र की आत्मा एवं शक्ति बनते हैं। इस वर्ष हम बाबा बंदा सिंह बहादुर का 300वां शहीदी दिवस आयोजित कर उनके साहस एवं बलिदान के स्मरण तथा हाल ही में 'संत' घोषित की गई मदर टेरेसा की स्वार्थहीन सेवा भावना से प्रेरणा ले रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा सभी समुदायों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदाय के लोगों के समावेशी विकास के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। जहां एक ओर छात्रवृत्ति तथा शिक्षावृत्ति स्कीमों के माध्यम से उनके शैक्षिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया गया है वहीं सीखो और कमाओ, उस्ताद तथा नई मंजिल जैसी कौशल विकास स्कीमों द्वारा उनके आर्थिक सशक्तीकरण को संभव बनाया गया है।

जैसे वर्षा और जलधाराओं की सभी बूंदें सागर में समाहित हो जाती हैं वैसे ही मेरी सरकार की सारी नीतियां, निर्धनों, वंचितों तथा अल्पसुविधा प्राप्त लोगों के कल्याण की ओर उन्मुख हैं। आश्रयहीनों को आवास मुहैया कराने से लेकर बिजली रहित गांवों में बिजली पहुंचाने तक, निर्धन लोगों को निःशुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने से लेकर एलईडी बल्ब मुहैया कराने तक, जनधन से जनसुरक्षा तक, गरीब जन को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तक—मेरी सरकार की समग्र नीतियों का एकमात्र केंद्र बिंदु 'गरीबों' का कल्याण करना है।

सभी क्षेत्रों का संतुलित और न्यायसंगत विकास भारत की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी सक्रिय 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी के तहत, मेरी सरकार द्वारा सड़क, रेल, वायुमार्ग, दूरसंचार, विद्युत और जलमार्गों का विकास करके देश के अन्य भागों से दूर पूर्व और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मेरी सरकार ने दो हजार पांच सौ किलोमीटर लंबी जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के निष्पादन के साथ प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना शुरू की है। बारह हजार पांच सौ करोड़ रुपए के निवेश वाली यह परियोजना पांच राज्यों के 40 जिलों और 2600 गांवों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस परियोजना द्वारा तीन बड़ी उर्वरक इकाइयां फिर से शुरू होंगी, 20 से अधिक शहरों का औद्योगिकीकरण होगा तथा 7 शहरों में सिटी गैस नेटवर्क का विकास होगा।

मेरी सरकार उत्तर–पूर्वी राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में देखती है जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण–पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। हम सड़क–रेल मार्ग से अपने पड़ोसी देशों को जोड़ रहे हैं ताकि इस क्षेत्र के तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

उत्तर–पूर्वी राज्यों को निरंतर सहायता और उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा उत्तर–पूर्वी राज्यों को दी जाने वाली सहायता के पैटर्न में विशेष व्यवस्था जारी रखी गई है और इन राज्यों की कोर–सेंट्रल स्कीमों के लिए 90:10 के अनुपात से तथा नॉन–कोर सेंट्रल स्कीमों के लिए 80:20 के अनुपात से सहायता प्रदान की जा रही है।

इस वर्ष के अंत तक उत्तर–पूर्वी राज्यों में स्थित सभी मीटर–गेज पटरियों को ब्रॉड–गेज में बदल दिया जाएगा। रेलवे ने इस क्षेत्र में लगभग दस हजार करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर विस्तार कार्य शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय को रेल मानचित्र में शामिल कर लिया गया है एवं त्रिपुरा में अगरतला को ब्रॉड–गेज लाइन के जरिए जोड़ दिया गया है।

ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड तथा नूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की वैक्स यूनिट ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जो उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगी। सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नॉर्थ–ईस्ट बीपीओ प्रोत्साहन स्कीम को अनुमोदित किया है।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र अपने सौंदर्य और विविधता के कारण पर्यटन के लिए एक सहज आकर्षण केंद्र है। पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए एक थीमेटिक सर्किट की पहचान कर ली है।

मेरी सरकार ने देश के पर्वतीय तथा अन्य क्षेत्रों में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण हुई क्षति को कम करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है।

हाइवे से लेकर आईवे तक; रेलमार्ग से लेकर जलमार्ग तक; समुद्रीपत्तन से हवाई अड्डों तक; जल की पाइपलाइनों से लेकर गैस पाइपलाइन तक; भू–विज्ञान से उपग्रहों तक; ग्रामीण आधारभूत संरचना से लेकर स्मार्ट सिटी तक; अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के सृजन पर हमारी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है।

रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 1.21 लाख करोड़ रुपए का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय किया गया है। मेरी सरकार का उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने का है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 73,000 कि.मी. सड़क बनाई गई है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 44 जिलों में 5,000 कि.मी. से अधिक सड़कों को अपग्रेड किया गया है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति से छोटे नगरों तक वायुयान से कनेक्टिविटी को अत्यधिक गति मिलेगी। भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबिल जो मई 2014 तक केवल 59 ग्राम पंचायतों तक पहुंचा था, अब 75,700 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुका है।

भारत ने 8 ऑपरेशनल मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें मौसम–विज्ञान, नौवहन, पृथ्वी–प्रेक्षण और संचार–उपग्रह शामिल हैं। इसरो ने भारतीय क्षेत्रीय नौवहन–उपग्रह–प्रणाली नाविक के सात उपग्रहों के समूह को पूर्ण किया है। इसरो ने इस वर्ष एक साथ 20 उपग्रहों को एकल प्रक्षेपण के जरिए अंतरिक्ष में भेजा है जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।

मेरी सरकार समुद्री संपदा का इष्टतम उपयोग कर सागर–आधारित विकास को नई गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्तन आधारित विकास पर आधारित सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, आगामी तीन वर्ष में तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कुल 199 परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए चिह्नित की गई हैं। इनमें से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं। भारतीय प्रायद्वीप से संबद्ध सागर में हमारे एक हजार तीन सौ बयासी द्वीप हैं, जिनमें से शुरुआत में 26 को एकीकृत विकास के लिए चुना गया है। नीली (समुद्री) अर्थव्यवस्था पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और इसमें भी मत्स्यपालन के सतत् विकास पर हमारा विशेष जोर रहेगा।

स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुनः पुष्ट करते हुए, मेरी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं और लक्षित 175 गीगावाट क्षमता में से 47 गीगावाट तक की क्षमता विकसित कर ली है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना पर ताजा बल देते हुए वर्ष 2015–20 के दौरान ग्राम पंचायतों को दो लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि बंधन मुक्त वित्तीय

संसाधन के रूप में अंतरित की जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए वर्ष 2016–17 में सैंतालीस हजार करोड़ रुपए से भी अधिक निधि आबंटित की गई है, जो अब तक की अधिकतम राशि है तथा अब स्थायी परिसंपत्तियों और ग्रामीण आधारभूत संरचना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

शहरी आधारभूत संरचना के विकास में तेजी लाने के लिए 500 शहरों के लिए पचास हजार करोड़ रुपए के परिव्यय वाली वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। चार शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिनमें अहमदाबाद, नागपुर और पुणे शामिल हैं तथा चेन्नै मेट्रो के विस्तार का भी अनुमोदन किया गया है।

मेरी सरकार ने गरीबों के हित में साहसिक निर्णय लिए हैं।

काला धन, भ्रष्टाचार, जाली मुद्रा और आतंकवादियों के लिए धन की उपलब्धता जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए 8 नवम्बर, 2016 को मेरी सरकार ने पुराने पांच सौ एवं हजार रुपए के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण (नोटबंदी) करने का निर्णय लिया। मेरी सरकार का सबसे पहला कैबिनेट निर्णय काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना था। काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम, 2015 का अधिरोपण तथा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 पारित करने; संधियों के प्रावधानों के दुरुपयोग से कर–चोरी तथा भारत में काले धन की आवाजाही की रोकथाम के लिए सिंगापुर, साइप्रस और मॉरिशस के साथ संधियों में संशोधन करने तथा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान संशोधन अधिनियम पारित करने से काले धन के विरुद्ध एक नीतिगत पहल हुई है।

पूर्व–सैनिकों की 'एक रैंक, एक पेंशन' (ओआरओपी) की चार दशक पुरानी मांग पूरी की गई है। इस पर लगभग ग्यारह हजार करोड़ रुपए का कुल वित्तीय भार आएगा। 19.6 लाख से अधिक पूर्व–सैनिकों को लाभ पहुंचाते हुए छह हजार दो सौ करोड़ रुपए से अधिक की दो किस्तें जारी की गई हैं।

क्षेत्रीय संप्रभुता के बार–बार उल्लंघन करने का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मेरी सरकार ने निर्णयात्मक कदम उठाए हैं। आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए 29 सितंबर, 2016 को हमारे रक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर अनेक लांच पैड पर सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमारे रक्षाकर्मियों के इस अदम्य साहस और पराक्रम पर हमें गर्व है और हम उनके प्रति कृतज्ञ और ऋणी हैं।

शासन संस्कृति में बदलाव लाने के लिए मेरी सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाया है और पुराने और अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया तथा भ्रष्टाचार के अवसर समाप्त किए।

जनधन–आधार–मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी के माध्यम से सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत लीकेज (भ्रष्टाचार) की रोकथाम हुई है और छत्तीस हजार करोड़ रुपए की बचत की है। पहल (PAHAL) विश्व की सबसे बड़ी नगद लाभ अंतरण स्कीम है जिससे दो वर्षों में इक्कीस हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। डिजीधन अभियान और दो लाख कॉमन सर्विस केंद्रों से 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और डिजिटल साक्षरता बढ़ी है।

भीम (BHIM) — भारत इंटरफेस फॉर मनी नामक मोबाइल एप का शुभारंभ डॉ. भीमराव अम्बेडकर जो गरीबों का आर्थिक सशक्तीकरण चाहते थे, की दृष्टि के प्रति श्रद्धांजलि है। कुछ ही दिनों में यह देश में सबसे लोकप्रिय मोबाइल एप–आधारित भुगतान तंत्र बन गया है। शीघ्र ही आरंभ किए जाने वाली बायोमीट्रिक आधार भुगतान प्रणाली भारत में प्रौद्योगिकीय क्रांति लाएगी।

कोल ब्लॉक और स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में मेरी सरकार ने पारदर्शिता के उच्च मानक अपनाए हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकारी प्रापणों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जीईएम) जैसे एकल प्लेटफार्म के अंतर्गत लाया गया है।

सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है तथा चौंतीस लाख से अधिक गैर–राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की बाध्यता को समाप्त किया गया है। सरकार में वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को भी सरल और कारगर बनाया गया है और केवल वस्तुनिष्ठता, योग्यता और ईमानदारी को ही चयन का आधार बनाया गया है।

ग्यारह सौ से ज्यादा अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया गया है तथा ऐसे ही 400 अन्य कानूनों को निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं, दिव्यांगजन, श्रम, प्रशिक्षुओं, फैक्टरियों, बेनामी लेनदेन, आधार तथा आवासीय सम्पदा (रिअल ऐस्टेट) आदि क्षेत्र से संबंधित कानून ऐसे कुछ कानूनों में से हैं—जो मेरी सरकार के पारदर्शिता तथा सामाजिक न्याय उन्मुख मार्गदर्शी दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं।

बार–बार चुनाव होने से विकास कार्य रुक जाते हैं, सामान्य जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है और इससे सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा लंबी

चुनाव ड्यूटी से मानव संसाधन पर बोझ पड़ता है। मेरी सरकार लोक सभा तथा राज्य की विधान सभाओं के एक साथ चुनाव करवाए जाने के विषय पर रचनात्मक दृष्टि से विचार—विमर्श किए जाने का स्वागत करती है। चुनावों के लिए पैसा उपलब्ध कराए जाने के विषय पर भी चर्चा किया जाना जरूरी है ताकि धन के दुरुपयोग को रोका जा सके। मेरी सरकार इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करके लिए गए किसी भी निर्णय का खुले दिल से स्वागत करेगी।

प्रत्येक राज्य की भाषा और उसकी विरासत की समृद्धि के साथ-साथ उसकी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए, मेरी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम की विशिष्टता यह है कि यह कार्यक्रम अलग—अलग राज्यों को एक वर्ष तक विभिन्न संस्कृतियों से जोड़ता है ताकि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य की सांस्कृतिक भावनाओं को आत्मसात कर सके।

सहयोगपूर्ण संघवाद की भावना को एक राष्ट्र-एक कर और एक राष्ट्र-एक बाजार के माध्यम से बढ़ावा देते हुए संसद के दोनों सदनों ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित 17 राज्यों ने रिकार्ड 23 दिनों में इसका अनुसमर्थन किया है। मेरी सरकार बकाया मुद्दों के समाधान पर कार्य करने के लिए जीएसटी परिषद की आभारी है।

ऐसे समय में, जब वैश्विक विकास की गति मंद है, भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल बिन्दु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2014 से मुद्रास्फीति की दर, भुगतान संतुलन, चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे में निरंतर कमी आई है। एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और विदेशी मुद्रा रिजर्व रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है। देश के मैक्रो—इकोनामिक (समष्टि अर्थव्यवस्था) मूल तत्व सुदृढ़ हैं जोकि सतत् उच्च वृद्धि का आधार हैं।

2015—16 में 55.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जो किसी भी वित्त वर्ष में हुए विदेशी निवेश की तुलना में सबसे अधिक है। मेरी सरकार ने जून 2016 में विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नीति प्रावधानों का और उदारीकरण किया है।

मेरी सरकार व्यापार में आने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की रैंकिंग से पता चलता है कि सुधारों के राष्ट्रीय कार्यान्वयन का औसत, लगभग 49 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष के 32 प्रतिशत से काफी ज्यादा है। अंकटाड (UNCTAD) द्वारा जारी की गई विश्व निवेश रिपोर्ट 2016 में, भारत को 2016—18 की सर्वोच्च निवेश आमंत्रित करने वाली भावी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है।

भारत, पिछले चार दशकों से आतंकवाद की अति गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। आतंकवाद से, विश्व समुदाय को गंभीर खतरा है। भारत, इन शक्तियों के उन्मूलन के लिए, अन्य देशों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मेरी सरकार, आतंकवाद का उन्मूलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि इन अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाए।

जम्मू–कश्मीर राज्य सीमापार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद से प्रभावित रहा है। घुसपैठ की कोशिशें, आतंकवादियों की हिंसापूर्ण घटनाएं और हमारे नागरिकों तथा वीर सुरक्षाकर्मियों के अमूल्य जीवन की क्षति हमारे लिए गंभीर चिंता के विषय हैं।

पिछले तीन वर्षों में वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है, 2600 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उत्तर–पूर्वी राज्यों की सुरक्षा स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार दिखाई पड़ा है।

मेरी सरकार शांति और प्रगति के लिए सहभागिता की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सक्रिय डिप्लोमेसी का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, हमारी सुरक्षा में वृद्धि और वैश्विक मंचों में अधिकाधिक भारतीय प्रभाव सुनिश्चित करना है।

हमारे अंतरराष्ट्रीय संपर्कों में लगातार वृद्धि से हमें अपने वैश्विक भागीदारों के साथ विविध और उद्देश्यपूर्ण एजेंडा तय करने में सहायता मिली है। मित्र–देशों और बड़ी शक्तियों के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ हुए हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र के राष्ट्रों ने अधिक समृद्धि और विकास की अपनी सामूहिक आकांक्षाओं के दृष्टिगत आतंकवाद के विरोध में एकजुटता दिखाई है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण रिजीम (एमटीसीआर) की सदस्यता और शंघाई सहयोग संगठन के दायित्व ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना वैश्विक मामलों में भारत की बढ़ती और बहुआयामी भूमिका को प्रदर्शित करता है।

भारत ने गोवा में बिम्सटेक आउटरीच सहित आठवें ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन और अमृतसर में छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया, जो हमारे क्षेत्रीय और बहु-पक्षीय महत्त्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। भारत ने दिल्ली में तीन दिवसीय एशियन मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) का आयोजन किया, जिसमें 50 से अधिक एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के देशों ने भाग लिया।

विश्व के लगभग प्रत्येक कोने में तीस मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय बसे हुए हैं। वे निरंतर भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अमूल्य योगदान दे रहे

हैं। मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण और अपनी वैश्विक पहुंच को बढ़ाने में भारतीय डायस्पोरा की शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करेगी।

मेरी सरकार ने पर्यटन के विकास के महत्त्व को समझते हुए, नई ई–वीजा नीति को अनुमोदित किया है और अल्पावधिक चिकित्सा उपचार और कारोबारी दौरों जैसे प्रयोजनों को ई–पर्यटक वीजा के दायरे में शामिल किया है। अब 161 देशों को ई–वीजा के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2016 में 88 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए जिससे पर्यटन क्षेत्र में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

भारत ने पैरिस समझौते का 2 अक्तूबर, 2016 को अनुसमर्थन किया है और जलवायु न्याय तथा सतत् जीवन–शैली पर ध्यान देते हुए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सशक्त संदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को स्वैच्छिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक अग्रसर देश के रूप में माना गया है। 25 देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जोकि भारत द्वारा शुरू किया गया पहला संधि आधारित संगठन है।

मेरी सरकार द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों के परिणामस्वरुप जो जागृति हो रही है, उसके लिए आज भारतवासी अत्यधिक गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत में बदलाव लाने के हमारे प्रयासों के प्रति देशवासियों ने व्यापक एकजुटता दिखाई है। मेरी सरकार हमारे नागरिकों की आकांक्षाएं पूरा करने के प्रति पुनः प्रतिबद्ध है। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्र निर्माताओं के विचार नए भारत के निर्माण के लिए व्यापक पथ प्रदर्शित करते हैं। यह चर्चा, विचार–विमर्श, समायोजन और सूझ–बूझ का मार्ग है। यह संवाद, समन्वय और संवेदना की समृद्ध परंपरा है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण की भावना को अविरल प्रशस्त करेगी।

आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम अपने देशवासियों, विशेषकर गरीब नागरिकों, के द्वारा संसद जैसी पवित्र संस्था के प्रति दर्शाए गए विश्वास को बनाए रख सकें। हमारा हर कदम, लोकतंत्र के इस मंदिर में, देश के निर्माण के लिए किए गए असंख्य बलिदानों की वेदी में आहूति होगी। हम सब मिलकर सबका साथ सबका विकास की भावना से ओत प्रोत होकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिससे सभी को संविधान में प्रदत्त समानता और गरिमा प्राप्त हो सके।

जय हिंद।

श्री राम नाथ कोविंद

संसद के समक्ष अभिभाषण – 29 जनवरी 2018

लोक सभा	—	सोलहवीं लोक सभा
सत्र	—	वर्ष का प्रथम सत्र
भारत के राष्ट्रपति	—	श्री राम नाथ कोविंद
भारत के उपराष्ट्रपति	—	श्री एम. वेंकैया नायडू
भारत के प्रधानमंत्री	—	श्री नरेंद्र मोदी
अध्यक्ष, लोक सभा	—	श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय सदस्यगण,

संसद के संयुक्त सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सभी भारतीयों ने हाल ही में पोंगल, बिहु, लोहड़ी, मकर संक्रांति और वसंत पंचमी के उत्सव मनाए हैं। गणतंत्र दिवस भी हमारा एक प्रमुख उत्सव है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में, दस आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों की उपस्थिति ने, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की हमारी दीर्घदृष्टि में एक विशेष आयाम जोड़ा है।

2018 का वर्ष नए भारत के सपने को साकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि यहां उपस्थित देश के कोने-कोने से आए सभी जनप्रतिनिधि, हमारे देश की विकास की इस महान यात्रा को और गति देने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

हमारे संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता। कमजोर वर्गों के लिए समर्पित मेरी सरकार, संविधान में निहित इसी मूलभावना पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य कर रही है।

शायद ही किसी ने सोचा हो कि शौचालय निर्माण भी सामाजिक न्याय की इस भावना को बढ़ाने में सहायक होगा। शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा ही नहीं बचती बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय का एहसास भी होता है। सामाजिक न्याय का ये आंदोलन दिन-प्रतिदिन और व्यापक होता जा रहा है। हम सबका दायित्व है कि जब 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाए,तब तक हम देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाकर पूज्य बापू के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करें।

इस सदन में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक स्वयं देखा है कि महिलाओं को किस तरह लकड़ी बीनकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। महिलाओं और उनके बच्चों के पास धुएं भरी सांस लेने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। इस वजह से वे अनेक बीमारियां और कष्ट सहन करते थे। ऐसी गरीब महिलाओं को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' ने सुविधा संपन्न महिलाओं से बराबरी करने का अवसर दिया है और सामाजिक न्याय के एक अनदेखे पक्ष का समाधान किया है। अब तक इस योजना के तहत 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनीतिक लाभ-हानि का बंधक रहा। अब देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है। मेरी सरकार ने तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी।

बेटियों के साथ भेदभाव खत्म करने के लिए मेरी सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू की थी। इस योजना के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए अब इसका दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक कर दिया गया है। मेरी सरकार ने 'मेटेरनिटी बेनेफिट एक्ट' में बदलाव करके एक बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को 12 सप्ताह के स्थान पर वेतन सहित, 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। अब कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के जीवन के सबसे नाजुक शुरुआती दिनों में, उनकी देखभाल के लिए अधिक समय मिला करेगा।

गरीबों की पीड़ा महसूस करने वाली मेरी सरकार की योजनाओं से देश में आर्थिक लोकतंत्र और भी सशक्त हो रहा है। हम अब देश के बैंकिंग सिस्टम और

गरीब के बीच की खाई को पूरी तरह खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। 'जनधन योजना' के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।

मेरी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए, विशेषकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, बिना बैंक गारंटी कर्ज देने पर जोर दिया है। अब लोग अपना उद्यम चलाने के सपने को साकार करने के लिए आसानी से कर्ज ले पा रहे हैं। 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है।

लगभग तीन करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है और स्वरोजगार शुरू करने में सफल हुए हैं।

आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने के सरकार के ये प्रयास हमारे राष्ट्रीय जीवन को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। ये कोशिशें देश में नए तरह के सामाजिक संतुलन की स्थापना कर रही हैं जिसमें हर गरीब को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिल रहा है।

किसानों की मुश्किलों का समाधान करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, मेरी सरकार की उच्च्व प्राथमिकता है। मेरी सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कर रही हैं बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं। सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

मेरी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है, eNAM पोर्टल पर अब तक 36 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है।

दशकों से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी प्रगति पर है। दलहन और तिलहन क्षेत्र के उत्पादन बोनस के माध्यम से भी सरकार किसानों के हितों की रक्षा कर रही है। दालों के लिए बनाई गई नई नीति की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में दाल के उत्पादन में 38 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है।

किसानों की उपज, बाजार तक पहुंचने से पहले क्षतिग्रस्त न हो, देश में कृषि उत्पादों की बर्बादी न हो, इस उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' शुरू की गई है। इसके तहत कृषि क्षेत्र में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11 हजार करोड़ रुपए की 'डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि' के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है।

मेरी सरकार की नीतियों की वजह से जहां एक तरफ यूरिया का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 100 प्रतिशत नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी भी रुकी है। गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, तालचेर और रामागुंडम में उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

गरीबों, किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आर्थिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए, मेरी सरकार संवेदनशील और सक्रिय है।

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 2017 के दौरान, रबी और खरीफ की फसलों के लिए, 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।

इसी तरह, मेरी सरकार ने गरीबों को एक रुपए प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर, बीमा योजनाएं सुलभ कराई हैं। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गरीब 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' और' 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के तहत गरीबों को लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि मिल चुकी है।

बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी मेरी सरकार वचनबद्ध है। 'अटल पेंशन योजना' के तहत लगभग 80 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।

एकात्म मानववाद के प्रणेता दीन दयाल उपाध्याय के दिखाए रास्ते पर चलते हुए, मेरी सरकार देश में ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिनसे समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी लाभ हो रहा है।

देशभर में लगभग 2 लाख 70 हजार कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, जो सस्ती दरों पर देश के दूर-दराज वाले इलाकों में भी विभिन्न सेवाओं की डिजिटल डिलिवरी कर रहे हैं।

'भारत नेट परियोजना' के तहत, देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में एक लाख से अधिक पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। यह योजना ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स को देश के हर गांव तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।

गरीबों के जीवन में उजाला फैलाने और उन्हें विकास की राह पर चलने के लिए समर्थ बनाने के लिए, मेरी सरकार ''सौभाग्य'' योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दे रही है।

मेरी सरकार, समाज के हर तबके तक विकास पहुंचाने की इसी सोच के साथ, 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' का कार्य और तेजी से आगे बढ़ा रही है। 2014 में केवल 56 प्रतिशत गांव ही सड़क संपर्क से जुड़े थे। अब 82 प्रतिशत से ज्यादा गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं जिनमें से अधिकांश दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में हैं। हमारा लक्ष्य 2019 तक देश के प्रत्येक गांव को सड़क संपर्क से जोड़ देने का है।

हर गरीब को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए कानून के उद्देश्य को प्रभावी बनाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के सभी राज्यों में सस्ती दरों पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था को पारदर्शी और लीकेज प्रूफ बनाया जा रहा है।

समाज के प्रत्येक कमजोर एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं सम्मान मेरी सरकार की प्राथमिकता है।

समाज के प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील मेरी सरकार ने 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है।

पिछड़े वर्ग में भी, अति पिछड़ों को उच्च शिक्षा और नियुक्तियों का लाभ सुलभ कराने के लिए पिछड़े वर्ग के उप-श्रेणीकरण के अध्ययन हेतु आयोग का गठन किया गया है।

आदिवासियों द्वारा एकत्र किए जाने वाले कई वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है।

देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों, खासकर उत्तर पूर्व में लाखों लोगों का जीवन, बांस से जुड़े उद्योग पर आधारित है। पेड़ की श्रेणी में रखे जाने के कारण, बांस का

जीविकोपार्जन के लिए उपयोग कर पाना मुश्किल था। इन मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया है। इससे, अब बांस को काटने, उसके परिवहन और उपयोग की स्वतंत्रता मिल गई है।

स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के बहुमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए देश में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। ऐसे पहले संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में गुजरात में नर्मदा के तट पर, सरदार सरोवर बांध के पास केवड़िया में रखी गई है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल और मणिपुर जैसे अन्य कई राज्यों के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

हमारे देश में ढाई करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं। मेरी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके सशक्तिकरण और आर्थिक समावेश के लिए निरंतर कार्यरत है। सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016' लागू किया है। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछले तीन वर्षों में उन्हें 6 हजार से ज्यादा कैंप लगाकर, 9 लाख से अधिक आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए गए हैं।

'तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण' के संकल्प के साथ, मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती से काम कर रही है।

'सीखो और कमाओ'; 'उस्ताद'; 'गरीब नवाज कौशल विकास योजना'; 'नई रोशनी' आदि कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ भी दिया गया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आजादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना, 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई है। इस वर्ष 1,300 से ज्यादा महिलाएं बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं।

सभी के सिर पर छत हो, और उसे पानी-बिजली-शौचालय की सुविधा मिले, इस संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। पहली बार मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए दो नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

गरीब और मध्यम वर्ग की एक बड़ी चिंता बीमारियों के इलाज से जुड़ी रहती है। इलाज के खर्च का आर्थिक आघात, बीमारी के आघात को और भी अधिक कष्टकारी बना देता है।

मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर और सस्ती सुविधा के लिए नई 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' बनाई है। इसके साथ ही 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' द्वारा योग-आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे आप सबके साथ यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है किः

- 'प्रधान मंत्री जन औषधि' केन्द्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं। इन केन्द्रों की संख्या 3 हजार के पार पहुंच चुकी है।

- 'दीनदयाल अमृत योजना' के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है।

- दवाओं के साथ ही, हृदय रोगियों के लिए 'स्टेंट' की कीमत को 80 प्रतिशत तक कम किया गया है। घुटने के ऑपरेशन में लगने वाले इम्प्लांट की कीमत को भी नियंत्रित किया गया है।

- 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम' के माध्यम से 500 से अधिक जिलों में, रियायती दरों पर सवा 2 लाख मरीजों के लिए डायलिसिस के 22 लाख से ज्यादा सेशन किए गए हैं।

- डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रैजुएट की 7 हजार से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं।

- चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोक सभा में 'राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक' भी प्रस्तुत किया है।

- मुझे यह बताते हुए खुशी है कि देश में टीकाकरण की जो वृद्धि दर पहले सिर्फ 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष हुआ करती थी, वह अब बढ़कर 6.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष

पहुंच गई है। इससे, देश के दूर-दराज, विशेषकर आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को भी बहुत लाभ मिला है। हाल ही में मेरी सरकार ने एक सशक्त कार्यक्रम 'मिशन इन्द्रधनुष' भी शुरू किया है।

शिक्षा ही राष्ट्र के भविष्य-निर्माण का आधार है। मेरी सरकार, देश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार द्वारा 'अटल इनोवेशन मिशन' के तहत 2,400 से ज्यादा 'अटल टिंकरिंग लैब्स' को स्वीकृति दी जा चुकी है ताकि बच्चों में छोटी उम्र से ही उद्यमिता और रचनात्मकता की नींव डाली जा सके।

मेरी सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा संगठन, 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' के गठन को मंजूरी दी है।

युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सक्रिय मेरी सरकार देश में 20 'इंस्टिट्यूट्स ऑफ एमिनेन्स' बनाने पर काम कर रही है। इस मिशन के तहत चुने हुए शिक्षण संस्थानों को 10 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

सभी 'इंडियन इंस्टिट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट' को और बेहतर बनाने के लिए स्वायत्तता देने वाला एक कानून भी बनाया गया है।

हमारा देश, दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवा अपने सपने पूरे कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, इसके लिए मेरी सरकार स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है।

युवाओं में आज की औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास करने के लिए हाल ही में मेरी सरकार ने 'संकल्प' और 'स्ट्राइव' नाम की दो योजनाओं को स्वीकृति दी है।

जो उद्योग या कंपनियां नौकरियों के नए अवसर सृजित कर रही हैं उन्हें 'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना' के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। 20 लाख से ज्यादा लाभार्थी इस योजना से सहायता प्राप्त कर चुके हैं।

'नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम' से लगभग 5 लाख नौजवान लाभान्वित हो चुके हैं।

हमारे श्रमिक बंधु, राष्ट्र निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार द्वारा, श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ, श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

मेरी सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है। श्रम कानूनों के पालन के लिए रजिस्टर की संख्या 56 से घटाकर 5 कर दी गयी है। अब श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी रिटर्न ऑनलाइन भरे जाते हैं।

खेल-कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता को पूरे विश्व में विकास के एक मापदंड के रूप में देखा जाता है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सजग मेरी सरकार, खेल-कूद के क्षेत्र में भी देश की विश्व पटल पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्य कर रही है।

देश में बीते महीनों में फीफा अंडर–17 वर्ल्ड कप और एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हुआ।

इससे खेल के क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही है, आज देश के हर कोने में फुटबॉल जैसे खेलों के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है।

मेरी सरकार ने 1,750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से 'खेलो इंडिया कार्यक्रम' नाम से एक महत्वाकांक्षी अभियान आरंभ किया है।

प्रतिभावान खिलाड़ियों के पारदर्शिता से चयन के लिए 'स्पोर्ट्स टैलेन्ट सर्च पोर्टल' भी शुरू किया गया है।

एक हजार प्रतिभावान खिलाड़ियों को मेरी सरकार की तरफ से 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष का स्टाइपेन्ड देने की योजना प्रारंभ की गई है।

हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराएं हमारी पहचान हैं और 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' की भावना को आधार देती हैं।

यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हाल ही में कुंभ-मेले को यूनेस्को द्वारा 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर' की सूची में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा भारत की पहली 'हेरिटेज सिटी' का दर्जा दिया गया है। चेन्नई ने भी संगीत की गरिमामय परंपरा के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की सूची में स्थान प्राप्त किया है।

'स्वदेश दर्शन' और 'अमृत योजना' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मेरी सरकार ऐतिहासिक विरासतों को सहेजने और उन्हें संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

देश के विकास के लिए, किसानों, मछुआरों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों तक सही समय में सही जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का बहुत बड़ा

योगदान है। इस दिशा में भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास तथा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

दुनिया में पहली बार इसरो ने एक बार में 104 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। जून 2017 में, भारत के जीएसएलवी एमके–III की पहली विकास (डेवलपमेंटल) सफल रही जो कि देश की प्रक्षेपण क्षमता को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम है।

पिछले वर्ष 5 मई को इसरो द्वारा दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। इस प्रक्षेपण के साथ भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपनी तकनीकी क्षमताओं के लाभों को साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

इस वर्ष 12 जनवरी को इसरो ने पीएसएलवी–सी 40 का सफल प्रक्षेपण करके देश का मान बढ़ाया है। इसी दिन इसरो ने सौवें उपग्रह का प्रक्षेपण किया।

डिजिटल कनेक्टिविटी के आधुनिक दौर में हमारे देशवासी, हमारी भावी पीढ़ी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग कर सके, इसके लिए मेरी सरकार लगातार प्रयासरत है। डिजिटल इंडिया मिशन, गरीबों एवं वंचितों को सम्मानपूर्वक उनका अधिकार दिलाने के लिए, एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' के अंतर्गत मेरी सरकार विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक एक करोड़ लोगों को डिजिटल रूप में साक्षर कर दिया गया है।

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में 'भीम ऐप' बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए 'उमंग ऐप' द्वारा सौ से ज्यादा जनसुविधाओं को मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया है।

आधार द्वारा गरीब लाभार्थियों को, उन्हें मिलने वाली सुविधाएं, बिना बिचौलियों के, सीधे पहुंच रहीं हैं। वर्तमान सरकार की 400 से अधिक योजनाओं में डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। इसकी वजह से सरकारी लाभ सही व्यक्ति को मिलना संभव हुआ है और अब तक 57 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि गलत हाथों में जाने से बचाई गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में सराहनीय प्रयासों के कारण अब देश में 113 मोबाइल कंपनियां कार्यरत हैं, जिनकी संख्या 2014 में मात्र 2 थी। इससे देश के छोटे शहरों में भी हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।

देश के संतुलित विकास में डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी, दोनों की ही बड़ी भूमिका है। मेरी सरकार 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार देश के परिवहन क्षेत्र को तैयार करने और संपर्क बढ़ाने पर कार्य कर रही है। आधुनिक परिवहन व्यवस्थाएं इस तरह विकसित की जा रही हैं कि सभी यातायात सुविधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों।

रेलवे आज भी देश में यातायात का प्रमुख साधन है और इसलिए रेलवे में क्षमता विकास और आधुनिकीकरण के लिए निवेश में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। मेरी सरकार विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के लिए वचनबद्ध है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।

मेरी सरकार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी एक नई नीति बनाई है। नई नीति में 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' पर जोर दिया गया है। देश में, अभी 11 शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

हाल ही में मेरी सरकार ने राजमार्ग क्षेत्र के एक नए वृहद कार्यक्रम 'भारतमाला' को स्वीकृति दी है। इसके लिए 5 लाख 35 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय गलियारे की क्षमता में वृद्धि करने के लिए लगभग 53 हजार किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग चिन्हित किए गए हैं।

'जलमार्ग विकास परियोजना' के अंतर्गत गंगा नदी पर वाराणसी, साहिबगंज, फरक्का और हल्दिया में प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

'सागरमाला कार्यक्रम' के अंतर्गत, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में विशेष आर्थिक जोन और पारादीप एवं दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट पर 'स्मार्ट पोर्ट इंडस्ट्रियल सिटीज' का कार्य आरंभ हो गया है।

देश के छोटे शहर हवाई मार्ग से जुड़ सकें और निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और युवा कम खर्च पर, आसानी से हवाई यात्रा का लाभ उठा सकें, इसके लिए 'उड़े देश का आम नागरिक' यानी, 'उड़ान' योजना शुरू की गई है। स्वतन्त्रता के बाद देश में जहां केवल 76 हवाई अड्डे ही वाणिज्यिक उड़ानों से जुड़े थे वहीं 'उड़ान' योजना के मात्र 15 महीनों में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों को जोड़ने के लिए कार्य शुरू किया गया है। अब तक 16 ऐसे हवाई अड्डों से उड़ानें शुरू भी हो चुकी हैं।

इन योजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ-साथ देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

पहली बार ऐसा अवसर आया है जब देश में बिजली क्षमता के विस्तार में लक्ष्य से अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब भारत बिजली का नेट एक्सपोर्टर बन गया है।

मेरी सरकार ने 'वन नेशन वन ग्रिड' का कार्य पूरा करके राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है। देश के प्रत्येक गांव तथा कस्बे में विद्युत वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं। 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य भी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है।

'उजाला योजना' के अंतर्गत अब तक देश में 28 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा भी 50 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब की बिक्री की गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में सालाना 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो रही है। इतना ही नहीं, पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश में प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ यूनिट बिजली की बचत भी हो रही है।

बिजली बचाने के अभियान के साथ ही, देश में बिजली उत्पादन बढ़ाने का कार्य भी जारी है। पिछले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई है।

भारत के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात् इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक विधायी निकाय बन चुका है। इसका मुख्यालय भारत में ही स्थापित किया गया है।

देश के प्रत्येक क्षेत्र तक विकास का लाभ पहुंचाने की दृष्टि के साथ, मेरी सरकार उत्तर-पूर्व के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

इस क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए हाल ही में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता वाली उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत पेयजल, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।

पिछले तीन वर्षों में, पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रसारण एवं वितरण नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है।

हाल ही में, मिजोरम में 913 करोड़ रुपए की लागत से बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा उत्तर-पूर्व में संपर्क मार्ग बढ़ाने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है।

अगरतला-आखुरा रेल-लिंक पर तेजी से कार्य चल रहा है। यह रेल लिंक भारत को बांग्लादेश से जोड़ेगा।

शिलॉन्ग-तुरा रोड प्रोजेक्ट का पिछले वर्ष दिसंबर में लोकार्पण किया गया है। इस सड़क से पूरे 'उत्तर-पूर्व' क्षेत्र में सड़क संपर्क सुधारने में मदद मिलेगी।

पिछले वर्ष देश के सबसे लंबे नदी पुल ढोला-सादिया को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस पुल ने असम और अरूणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है।

मेरी सरकार द्वारा बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-16 के तौर पर विकसित करने का फैसला भी लिया गया है।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के नियमित प्रयासों के कारण, देश की आंतरिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर में, सुरक्षा स्थिति में भी बदलाव आया है। नक्सली-माओवादी हिंसा की घटनाओं में भी कमी आई है। इसके लिए इन क्षेत्रों के जागरूक निवासी और हमारे सैन्य, अर्ध सैन्यबल और हमारे पुलिस बल बधाई के पात्र हैं। हम अपने उन सभी प्रहरियों की सराहना करते हैं और जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

जम्मू और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में आतंकवादी हिंसा, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ से सीधे-सीधे जुड़ी है। हमारे सैन्य और अर्ध सैन्य बल तथा जम्मू-कश्मीर पुलिस आपस में बेहतर तालमेल के साथ इस हिंसा का उपयुक्त जवाब दे रहे हैं।

मेरी सरकार ने उन लोगों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखा है जो हिंसा छोड़ना चाहते हैं और भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। नक्सली-माओवादी विचारधारा से प्रभावित युवा, पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्वाधिक संख्या में समर्पण करके मुख्यधारा में आए हैं।

हाल ही में मेरी सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी है।

डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रणनीतिक भागीदारी से संबंधित नीति को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे प्रमुख डिफ्रेस प्लेटफार्म्स और उपकरणों के निर्माण में निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

मेरी सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' के अपने वचन को पूरा करते हुए 20 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैनिकों को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है।

मानवता की सेवा, भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग रहा है। चाहे नेपाल में भूकंप हो या श्रीलंका में बाढ़ की आपदा, या मालदीव में पेयजल का संकट, इन्हीं मूल्यों के कारण भारत हमेशा सहायता का हाथ बढ़ाने वाला पहला देश रहा है।

आज विश्व के किसी भी कोने में बसे सभी भारतीयों को यह भरोसा है कि वे कहीं भी संकट में पड़ेंगे तो उनकी सरकार उन्हें सुरक्षित निकालकर स्वदेश वापस ले आएगी। वर्ष 2014 के बाद से विदेश में संकट में फंसे 90 हजार से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है।

मेरी सरकार के सफल राजनयिक प्रयासों के कारण, विश्व में भारत को एक नया सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके फलस्वरूप इंटरनेशनल ट्रायब्युनल फॉर दि लॉ ऑफ दि सी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (इकोनॉमिक एंड सोशल काउन्सिल) में भारत को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चुनाव तो काफी रोचक रहा जिसमें अंततोगत्वा भारत ने सफलता पाई।

पिछले वर्ष 'मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम' में शामिल होने के पश्चात् भारत को इस वर्ष वेसेनर अरेंजमेंट और 'आस्ट्रेलिया ग्रुप' में भी सदस्य के रूप मे शामिल किया गया है। यह सफलता लंबी जद्दोजहद और लंबे इंतजार के बाद मिली है और मेरी सरकार की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

चाबहार पोर्ट का प्रारम्भ होना एक ऐतिहासिक घटना है। इस पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप भेजी गयी है। इस वर्ष भारत-अफगानिस्तान के बीच हवाई-गलियारे की शुरुआत भी हुई है, जिसमें माल-ढुलाई का कार्य आरम्भ हो गया है।

विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों के साथ देश का जुड़ाव लगातार मजबूत हो रहा है। इस वर्ष 9 जनवरी को 'प्रवासी भारतीय दिवस' के अवसर पर पहली बार प्रवासी भारतीय सांसदों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 24 देशों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग के साथ मिलकर देश में पासपोर्ट सेवाओं का विस्तार करने का एक वृहद कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 251 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को मंजूरी दी जा चुकी है और इनमें से 60 केन्द्र काम करना शुरू कर चुके हैं।

देश के विकास को और अधिक ठोस आधार देने के लिए मेरी सरकार ने आर्थिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम प्राथमिकता के तौर पर किया है।

इसी का परिणाम है कि धीमी वैश्विक आर्थिक विकास दर के बावजूद, भारत की विकास दर प्रभावशाली रही है। अर्थव्यवस्था में, 2016-17 की पहली तिमाही से, जीडीपी विकास में अस्थायी मंदी रही। वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में इस गिरावट में बदलाव आया। पिछले साढ़े तीन वर्षों में मुद्रास्फीति की दर, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट औसतन कम हुए हैं।

वर्ष 2017 में विदेशी मुद्रा भंडार 410 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से ऊपर चला गया। मेरी सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी पिछले तीन वर्षों के दौरान 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। पिछले तीन वर्षों में 1,428 अनावश्यक कानून समाप्त किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

ठोस और समावेशी विकास की दिशा में, मेरी सरकार ने देश में ईमानदारी को संस्थागत करने का महत्वपूर्ण काम किया है और पारदर्शी व्यवस्थाओं की स्थापना कर रही है।

देश के आर्थिक एकीकरण के लिए, मेरी सरकार ने स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स–सुधार, माल एवं सेवा कर अर्थात् जीएसटी के रूप में किया है। कीमतों के कम होने का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, इसके लिए मेरी सरकार द्वारा 'नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग आथॉरिटी' का गठन भी किया गया है।

मेरी सरकार बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का री-कैपिटलाइजेशन करने का निर्णय भी किया गया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में पिछले एक वर्ष में लगभग साढ़े 3 लाख संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।

सरकारी खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अधिकतम उद्यमियों को अवसर देने के लिए मेरी सरकार ने, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी GeM नाम की एक नई व्यवस्था स्थापित की है। GeM पोर्टल की मदद से देश का छोटे से छोटा उद्यमी भी सरकार को अपना उत्पाद बेचने में सक्षम हुआ है।

सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने के लिए नई नीति बनाई गई है। इस नीति से घरेलू उत्पादों के निर्माण और सेवाओं में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।

केन्द्र सरकार, व्यापार के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है।

मेरी सरकार की इन कोशिशों के कारण ही तीन वर्षों में भारत, वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142 से 100वीं रैंक पर पहुंच गया है। इससे विश्व बाजार में देश की साख और बढ़ी है।

मेरी सरकार का प्रयास जनभागीदारी द्वारा जनकल्याण करने का है। मेरी सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों विद्यार्थियों, श्रमिकों के साथ बातचीत करके तथा सिविल सोसायटी के लोगों के साथ भी चर्चा करके उनके सुझावों को नीतियों-निर्णयों में शामिल कर रही है।

देश में गवर्नेंस के प्रति सजग लोगों में, देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार हो रहे चुनाव से, अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिंता है। बार-बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो बढ़ता ही है, आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाई जानी चाहिए।

राष्ट्र निर्माण एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसमें देश के हर व्यक्ति की अपनी-अपनी भूमिका है। हम सभी का कर्तव्य है कि देश के सम्मुख अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करें। राष्ट्र निर्माण से जुड़े लक्ष्य समय पर पूरे हों, यह दायित्व हम सभी का है।

2022 में, जब हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा तब तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं के सपने पूरा करेगी बल्कि नए भारत का आधार भी मजबूत करेगी।

नए भारत का सपना किसी एक राजनीतिक दल या संगठन का नहीं है। यह देश के 130 करोड़ लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं को परिलक्षित करता है। इस सपने को पूरा करने के लिए, हम सभी को मिलकर पूरे समर्पण के साथ काम करना होगा।

आइए, हम सब मिलकर अपने संविधान के समता और बंधुता के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक साथ चलें, एक दिशा में चलें, एक निष्ठा से चलें, और भव्य भारत के निर्माण के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें।

जय हिन्द ।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 31 जनवरी 2019

लोक सभा	—	सोलहवीं लोक सभा
सत्र	—	वर्ष का प्रथम सत्र
भारत के राष्ट्रपति	—	श्री राम नाथ कोविंद
भारत के उपराष्ट्रपति	—	श्री एम. वेंकैया नायडू
भारत के प्रधानमंत्री	—	श्री नरेंद्र मोदी
अध्यक्ष, लोक सभा	—	श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय सदस्यगण,

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। 2019 का वर्ष हमारे लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस वर्ष हम भारत के लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसी वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुए दुखद नरसंहार के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये।

इस वर्ष हमारा देश संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ भी मनाएगा। इसी ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में हमारे महान संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की रचना की थी। सेवा भाव और सद्भाव के साथ जीवन जीने की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी हम इसी वर्ष मना रहे हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों में शोषण की राजनीति के विरुद्ध जन-चेतना की मशाल जलाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समानता पर आधारित समाज के प्रति आस्था स्पष्ट दिखाई देती है।

वर्ष 2014 के आम चुनावों से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद मेरी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता न हो, जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान न हो। पहले दिन से मेरी पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन–सुविधाएं पहुंचें।

वो गरीब मां जो लकड़ी के धुएं में खाना बनाती थी, वो बेबस बहन जो पैसे की चिंता में गंभीर बीमारी के बावजूद अपना इलाज टालती थी, वो बेटी जो शौच जाने के लिए सूरज ढलने का इंतजार करती थी, वो बच्चा जो बिजली के अभाव में पढ़ाई के लिए सूरज की रोशनी का इंतजार करता था, वो किसान जो ओले से फसल बर्बाद होते देखकर कर्ज चुकाने की चिंता में घिर जाता था, वो युवा जो कर्ज न मिल पाने के कारण अपना रोजगार शुरू नहीं कर पाता था, ऐसे ही असंख्य असहाय चेहरों ने मेरी सरकार के लक्ष्य तय किए और इसी सोच ने मेरी सरकार की योजनाओं को आधार दिया। यही दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय का आदर्श रहा है और उनका यह आदर्श ही मेरी सरकार के कामकाज की सार्थकता की कसौटी बना है।

पिछले साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने लोगों में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया है, देश की साख बढ़ाई है और सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। परिणामस्वरूप मेरी सरकार ने देशवासियों का अपार स्नेह और विश्वास जीता है। हर एक भारतवासी का जीवन बेहतर हो, यही मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है।

समग्र और आधुनिक विकास के लिए अनिवार्य है कि हमारे देश का एक भी भाई–बहन या एक भी परिवार बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे। आम नागरिक का दर्द समझने वाली मेरी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की और सरकारी योजनाओं को नया स्वरूप देकर, अभूतपूर्व गति से काम किया। प्रभु बसवन्ना ने सबके प्रति संवेदनशीलता के इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा था:

‘दयवे धर्मद मूल वय्या’

अर्थात, ‘करुणा ही सभी आस्थाओं का आधार है’। सभी प्राणियों के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रेम और करुणा का भाव होना ही चाहिए।

शौचालय की सुविधा का न होना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारी बहू–बेटियों को गरिमाहीन और अस्वस्थ जीवन जीने के लिए मजबूर करता था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था। एक आकलन के अनुसार, इन शौचालयों के बनने से गरीबों की अनेक बीमारियों से सुरक्षा हो पा रही है और 3 लाख से ज्यादा गरीब देशवासियों के जीवन की रक्षा संभव हुई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के इस वर्ष में हमें याद रखना है कि हमने पूज्य बापू की स्मृति में इस वर्ष 2 अक्तूबर तक देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है।

हमारी बहुत-सी माताएं, बहनें और बेटियां चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं, पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश परिश्रम और समय, ईंधन जुटाने में लग जाता था। ऐसी बहनों–बेटियों के लिए मेरी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। दशकों के प्रयास के बाद भी वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवल साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है।

हम इस बात से भली–भांति परिचित हैं कि बीमारी के इलाज का खर्च किसी गरीब परिवार को और भी गरीब बनाता है। इस पीड़ा को समझने वाली मेरी सरकार ने पिछले वर्ष 'आयुष्मान भारत योजना' शुरू की। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना–'प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान' के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है। सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब अस्पताल में अपना इलाज करवा चुके हैं।

मेरी सरकार का यह भी प्रयास रहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर इलाज के खर्च का बोझ कम से कम पड़े। 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी तरह, दिल की बीमारी में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट की कीमत कम किए जाने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को औसतन लगभग 4,600 करोड़ रुपए सालाना की बचत हो रही है। घुटने के ट्रांसप्लांट की कीमत कम किए जाने से लोगों को सालाना लगभग 1,500 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। मेरी सरकार

ने किडनी की बीमारी से परेशान भाइयों और बहनों के लिए डायलिसिस की नि:शुल्क सेवा उपलब्ध कराई है। इससे डायलिसिस के हर सेशन में लोगों को 2 हजार रुपए से अधिक की बचत हो रही है।

इसके साथ ही, सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई–बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। किसी अनहोनी के समय प्रत्येक योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना के माध्यम से 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि उपलब्ध कराकर मेरी सरकार ने देशवासियों का उनके संकट के समय में साथ दिया है।

मेरी सरकार गरीब महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की चुनौती को समाप्त करने के लिए भी पूरी शक्ति से काम कर रही है। कुपोषण के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को दूर करने के लिए तथा कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। देश के दूरदराज और आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक भी टीकाकरण की सुविधा पहुंचे, इसके लिए सरकार ने 'मिशन इंद्रधनुष' योजना की शुरुआत की। जिसके फलस्वरूप अब देश बहुत तेजी के साथ 'पूर्ण टीकाकरण' के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है।

चाहे शहर हो या गांव हो, मेरी सरकार स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम तेजी से कर रही है। सरकार द्वारा नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है और देश की हर बड़ी पंचायत में वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै से लेकर जम्मू–कश्मीर के पुलवामा तक और गुजरात के राजकोट से लेकर असम के कामरूप तक नए 'एम्स' बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, सरकार नए आयुर्वेद विज्ञान संस्थान भी खोल रही है और साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को भी बढ़ावा दे रही है। गांवों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए बीते चार वर्षों में मेडिकल की पढ़ाई में 31 हजार नई सीटें जोड़ी गई हैं।

जब मेरी सरकार ने यह लक्ष्य तय किया कि वर्ष 2022 में, जब देश स्वतन्त्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब कोई भी परिवार बेघर न रहे, तो कुछ लोग सोचते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन सरकार ने पुरानी योजनाओं के

घरों का निर्माण पूरा करने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर और गांव में घर बनाने के काम को अभूतपूर्व गति दी है।

पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि वर्ष 2014 के पहले, पाँच साल में, सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था। गरीबों के लिए घर के निर्माण और घर की चाबी देने में पाँच गुना से ज्यादा की ये तेजी देश के गरीबों की तकदीर और हमारे गांवों की तस्वीर बदल रही है।

इसी तरह शहरों में भी अब अपना घर बनवाना या खरीदना सामान्य आय के व्यक्ति के लिए अधिक आसान हुआ है। काले धन और ऊंची कीमतों की वजह से, किसी सामान्य परिवार का, अपना घर होने का सपना पूरा होना मुश्किल हो गया था। मेरी सरकार ने 'रेरा' कानून लागू करके यह सुनिश्चित किया है कि घरों का निर्माण समय से पूरा हो और समय से आवेदक को सौंपा जाए, जिससे कि उसकी जीवनभर की कमाई फंसे नहीं। इस कानून के बाद देश भर में करीब 35 हजार 'रियल एस्टेट प्रोजेक्ट' रजिस्टर किए जा चुके हैं जिनमें लाखों घरों का निर्माण करके परिवारों को सौंपा जाना है।

'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों को साढ़े 6 प्रतिशत की इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है। एक आकलन है कि अगर किसी ने 20 लाख रुपए का होम लोन 20 वर्षों के लिए लिया है, तो उसे करीब–करीब 6 लाख रुपए की सहायता मिल रही है।

मेरी सरकार हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रही है। वर्ष 2014 में 18 हजार से अधिक गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची थी। आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। 'प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना' के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। अब भारत तेजी से उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसके प्रत्येक घर में बिजली होगी और कोई भी परिवार अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा।

मेरी सरकार हर वर्ग की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। आयकर का बोझ घटाकर और महंगाई पर नियंत्रण करके, सरकार ने मध्यम वर्ग को बचत के नए अवसर दिए हैं। सरकार का प्रयास है कि कड़ा परिश्रम करने वाले हमारे मध्यम वर्ग की पूंजी बढ़े और निवेश के नए विकल्पों से उनकी आय और भी बढ़े।

जब देश को अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक दूरदर्शी, सर्व–समावेशी, संवेदनशील, गरीब का दुःख समझने वाले प्रधानमंत्री मिले थे, तो अनेक नए विभाग, मंत्रालय और कार्यक्रम शुरू किए गए थे। उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अलग मंत्रालय हो या आदिवासी कल्याण मंत्रालय, सर्व शिक्षा अभियान हो या स्वर्णिम चतुर्भुज के जरिए देश को सड़कों द्वारा जोड़ने का अभियान, ये सब अटल जी की देन थे। अटल जी ने देश में व्याप्त असंतुलन को दूर करने का महायज्ञ शुरू किया था। अटल जी द्वारा शुरू किए गए ये कार्य और मंत्रालय 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारत में सामाजिक असंतुलन समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे थे लेकिन दुर्भाग्यवश बाद में इन कार्यों को वैसी गति और निरंतरता नहीं मिली, जैसी मिलनी चाहिए थी।

हम सभी जानते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई–बहनों को अगर उनके शारीरिक संघर्ष कम करने में सहायता मिल जाए, तो वे अपने दमखम पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी सोच के साथ अटल जी द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए सहायता शिविरों की परंपरा शुरू की थी। लेकिन वर्ष 2014 तक स्थिति ये रही कि ऐसे सिर्फ 56 शिविरों का ही आयोजन हो सका।

2014 में सरकार बनने के बाद अटल जी के विजन पर चलते हुए मेरी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ दिव्यांगजनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का प्रयास शुरू किया। बीते साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने औसतन हर महीने 140 सहायता शिविरों का आयोजन किया है, जहां पहुंचकर दिव्यांगजन खुद सहायता उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ करीब 12 लाख दिव्यांगजनों को 700 करोड़ रुपये के सहायता उपकरण दिए गए हैं।

दिव्यांगजनों को, आने–जाने के समय, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर किस तरह की असुविधा होती है, इससे हम सभी परिचित हैं। मेरी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाकर लगभग एक हजार सरकारी इमारतों और 650 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया है।

दिव्यांग बच्चों को दूसरे राज्यों में जाने पर दूसरी तरह की सांकेतिक भाषा की वजह से तकलीफ होती थी। कई जगह एक ही राज्य में भी अलग–अलग सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। उनकी इस तकलीफ को समझते हुए मेरी सरकार ने पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए एक ही सांकेतिक भाषा पर काम शुरू किया। दिल्ली में स्थापित इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा दिव्यांगजनों के लिए 3,000 शब्दों की डिक्शनरी प्रकाशित की जा चुकी है और 3,000

नए शब्दों की डिक्शनरी पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, केन्द्र सरकार की लगभग सौ वेबसाइटों को भी दिव्यांगजनों की आवश्यकता के मुताबिक बदला गया है। मेरी सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' लागू करके उन्हें शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी में समानता का अवसर भी प्रदान किया है।

वर्षों से हमारे देश में मानव–रहित रेलवे क्रॉसिंग्स पर होने वाले हादसों को लेकर बड़ी चर्चा होती रही है। संसद में भी यह विषय कई बार उठा है। वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव–रहित क्रॉसिंग्स की संख्या 8,300 थी। मेरी सरकार ने मानव–रहित रेलवे क्रॉसिंग्स समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग्स लगभग समाप्त हो गई हैं।

हमारे देशवासियों को प्रायः किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से जूझना पड़ता है। हर वर्ष कुछ जिलों में बाढ़ आती है, कुछ जिलों में सूखा पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर भी सरकार पूरा बल दे रही है और हम अपने राहत के कार्य पूरी क्षमता से कर सकें, इसके लिए पहले के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा राशि मुहैया कराई गई है। चाहे दक्षिण भारत के राज्यों में समुद्री तूफान की आपदा हो या फिर पूर्वी भारत में बाढ़ का संकट, मेरी सरकार ने राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

समाज में व्याप्त हर प्रकार के अभाव और अन्याय को समाप्त करने की संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था में समुचित परिवर्तन का प्रयास किया है। नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा उन पीड़ितों को भारत की नागरिकता प्राप्त होने का मार्ग आसान होगा, जो प्रताड़ना के कारण पलायन करके भारत आने पर मजबूर हुए हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है बल्कि वे परिस्थितियों का शिकार हुए हैं।

किसी नाबालिग के साथ बलात्कार करने के जघन्य अपराध की सजा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद, दोषियों को फांसी की सजा मिलने से, ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है।

हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिन्दगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार, तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है।

इसी तरह, 'अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्जा दिया जाना, सामाजिक न्याय के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके, गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। यह पहल, देश के उन गरीब युवक–युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे। इस नई व्यवस्था का वर्तमान आरक्षण पर असर न पड़े, इसके लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ाई जा रही है।

हमारे युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और 21वीं सदी के युवा भारत की उम्मीदें, तथा उसके सपने मेरी सरकार की नीतियों–निर्णयों को प्रेरित करते रहे हैं।

अपने पैरों पर खड़ा होने की ललक रखने वाले युवाओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत पिछले चार वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। आने वाले समय में देश में 15,000 से ज्यादा आई.टी.आई., 10,000 से ज्यादा कौशल विकास केन्द्र और 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र, भारत के युवाओं के कौशल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत, बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ, ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है। इस योजना के तहत, 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों ने पहली बार ऋण लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है।

मेरी सरकार ने 'स्टार्ट अप इंडिया' तथा 'स्टैंड अप इंडिया' के माध्यम से नौजवानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आर्थिक सहायता प्रदान की है जिसके फलस्वरूप आज भारत का नाम 'स्टार्ट अप' की दुनिया में अग्रिम पंक्ति के देशों में लिया जा रहा है।

'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना' के द्वारा सरकार ने नौकरियों को इंसेन्टिव के साथ जोड़ा है। इस योजना के तहत, किसी नौजवान को नई नौकरी मिलने पर, जो ईपीएस और ईपीएफ का 12 प्रतिशत, एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाना होता है, वो पहले तीन वर्ष तक सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ देश के एक करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिल चुका है।

हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बेटी-बेटे अच्छी तरह पढ-लिख कर जीवन में आगे बढ़ें। उच्चस्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 ट्रिपल आई टी, 1 एनआईटी और 4 एनआईडी की स्थापना की जा रही है। देश में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही स्कॉलरशिप और फेलोशिप की राशि में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, 103 केन्द्रीय विद्यालय, हर आदिवासी बहुल तालुके में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और 62 नए नवोदय विद्यालय बनाने की दिशा में कदम उठाकर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत आधार देने का काम किया जा रहा है।

शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई दिशाओं में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो बच्चे अभी विद्यालयों में हैं, उन्हें अपने विचारों की उड़ान को सच्चाई में बदलने का पूरा अवसर मिले। 'आइडियाज' से 'इनोवेशन' की इसी सोच के साथ सरकार, 5,000 से अधिक 'अटल टिंकरिंग लैब्स' की स्थापना के लिए तत्पर है।

बदलते समय और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ रोजगार और व्यवसाय के तरीके बदल रहे हैं। हमारे देश का युवा इसके लिए तैयार हो सके, इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

युवा केन्द्रित 'खेलो इंडिया' अभियान के तहत, मेरी सरकार देश के कोने–कोने से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके चयन में पारदर्शिता है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। इसका परिणाम हमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे पदकों के रूप में दिखाई देता है।

आज भारत की बेटियां, हर क्षेत्र में प्रभावशाली योगदान दे रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार की नीतियों और योजनाओं से महिलाओं को उद्यमिता के इतने नए अवसर मिले हैं, उनका व्यापक स्तर पर आर्थिक समावेश और सशक्तीकरण हुआ है।

'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 प्रतिशत लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं। 'दीन दयाल अंत्योदय योजना' के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे महिला स्वयं-सहायता समूहों को

मेरी सरकार द्वारा 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। यह राशि वर्ष 2014 के पहले के चार वर्षों में दिए गए ऋण से ढाई गुना ज्यादा है।

देश के छोटे और मझोले उद्योगों में महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अब बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे कम से कम 3 प्रतिशत खरीददारी महिला उद्यमियों के प्रतिष्ठानों से ही करें।

मेरी सरकार अलग–अलग क्षेत्रों में महिला होने की वजह से उनके साथ होने वाली गैर–बराबरी को दूर करने का प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष ही यह फैसला लिया गया था कि सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को, पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह ही, एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्थाई कमीशन दिया जाएगा। आजादी के इतने वर्ष बाद भी महिलाएं भूमिगत खनन के क्षेत्र में नौकरियों के अधिकार से वंचित थीं। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में भी महिलाओं को नौकरी के समान अवसर दिए जाएंगे।

इसके साथ ही, कामकाजी महिलाओं को, अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन–पालन का पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।

चाहे चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो, बर्फबारी हो, या कोई और चुनौती हो, हमारे देश के मेहनती किसानों ने दिन–रात एक करके खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, डेयरी उत्पादों और मछलीपालन तथा अन्य क्षेत्रों में इजाफा किया है। आप में से बहुत से सदस्यों ने गाँव के जीवन और किसानों के संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। हमारे किसान भाई-बहन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार तो हैं ही, वे हमारे देश की परम्पराओं के भी संरक्षक हैं।

मैं पूरे सदन की ओर से भारत के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूँ। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए, उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है।

खेती पर होने वाला खर्च कम करने, किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार मुहैया कराने तथा कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के लिए

नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। मेरी सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एम.एस.पी. को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

इसके साथ ही, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वैज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद मिले, इसके लिए देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मिट्टी की सेहत के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए 17 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग भी की गई है।

सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार पहले की 99 अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रही है। इनमें से 71 परियोजनाएं, अगले कुछ महीनों में पूरी होने जा रही हैं। जल की प्रत्येक बूंद का समुचित उपयोग हो, इसके लिए सरकार माइक्रो–इरिगेशन को बढ़ावा दे रही है।

फसल खराब होने की स्थिति में किसानों पर आने वाले संकट में सहायता के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को फसल बेचने में आसानी हो, इसके लिए देश की 1,500 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का अभियान चलाया गया है। फसलें बाजार तक पहुंचने में खराब न हो, उनका सही भंडारण हो सके, इसके लिए देशभर में जगह-जगह नए कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। फसल के बाद खेतों से निकलने वाले अवशेष से भी किसानों की कमाई हो सके, इसके लिए 'वेस्ट टु वेल्थ' अभियान चलाया जा रहा है।

मेरी सरकार, ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के द्वारा, मछुआरों को गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देने के साथ आधुनिक फिशिंग ट्रॉलर्स उपलब्ध करा रही है।

ये सारे व्यापक कार्य, 70 वर्ष से चली आ रही हमारी कृषि व्यवस्था में स्थाई बदलाव लाएंगे और हमारे अन्नदाता किसानों को सशक्त करके उन्हें मुश्किलों से उबार पाएंगे तथा उनके सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएंगे।

मेरी सरकार डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ी योजनाओं को गति देकर, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी ई-गवर्नेंस का पूरा लाभ मिले। वर्ष 2014 में देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों

तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच पाई थी। आज एक लाख 16 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है तथा लगभग 40 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए हैं।

ग्रामीण भाई-बहनों तक सुविधाएं आसानी से पहुंचें, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना बहुत तेजी से की गई है। इन केन्द्रों में बैंकिंग से लेकर बीमा और पेंशन से लेकर स्कॉलरशिप की तमाम सुविधाएं गांव के लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2014 में देश में सिर्फ 84 हजार 'कॉमन सर्विस सेंटर' थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 3 लाख से अधिक हो गई है। इसमें से भी 2 लाख 12 हजार सर्विस सेंटर केवल ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए हैं।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में 'डेटा' का आसानी से और कम दरों पर उपलब्ध होना, हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है और विकास का जरिया भी। वर्ष 2014 में जहां एक जीबी डेटा की कीमत लगभग ढाई सौ रुपए थी, अब वह घटकर 10-12 रुपए हो गई है। इसी तरह, मोबाइल पर बात करने में पहले जितना खर्च होता था, वह भी अब आधे से कम हो गया है।

पहले सामान्य उद्यमियों के लिए सरकारी विभागों को अपना सामान बेचना प्रायः नामुमकिन होता था। अब सरकारी खरीद के लिए GeM यानि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। GeM की वजह से जहां एक ओर सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है, वहीं दूसरी ओर देशभर के छोटे–बड़े शहरों और गांवों के व्यापारी अपना उत्पाद बिना किसी मुश्किल के सरकारी विभागों को बेच सकते हैं।

प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कड़ी में, सरकार ने हाल ही में सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के ऋण की स्वीकृति देने वाली योजना भी शुरू की है।

महान संत तिरुवल्लुवर ने कहा है–

"इयट्रलुम् ईट्टलुम् कात्तलुम् कात्त,
वगुत्तलुम् वल्लदअरसु"

यानि कि अच्छी सरकार समुचित ढंग से संपत्ति अर्जित करती है, राज्य के धन और सेवाओं को बढ़ाती है, उनका ठीक से संरक्षण करती है और लोगों के बीच राज्य की सुविधा और संपदा को सजगता के साथ न्यायपूर्ण तरीके से पहुंचाती है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 45 साल बाद भी हमारे देश में गरीबों के लिए बैंकिंग सुविधाओं की क्या स्थिति थी, इससे हम सब भली–भांति परिचित हैं। मेरी सरकार की जनधन योजना इस बात का एक उत्तम उदाहरण है कि कैसे एक बड़े आर्थिक परिवर्तन का आधार तैयार किया जाता है। यह योजना सिर्फ लोगों के बैंक खाते खोलने मात्र की नहीं है। इसके उद्देश्य बहुत व्यापक हैं। यह योजना, देश के गरीब का आर्थिक समावेश कर रही है और उसका आत्मविश्वास बढ़ा रही है।

जनधन योजना की वजह से आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार वर्ष 2014 से लेकर 2017 के बीच पूरे विश्व में खोले गए कुल बैंक खातों के 55 प्रतिशत खाते, भारत में ही खुले हैं। आंकड़ों से आगे बढ़कर इसका जो सकारात्मक प्रभाव देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, उसे भी जानना आवश्यक है।

हमारी माताएं–बहनें, बुरे वक्त में काम आने के लिए हमेशा कुछ पैसे बचा कर रखती थीं। लेकिन अक्सर ये पैसे रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च हो जाते थे। आज जनधन खातों में जमा 88 हजार करोड़ रुपए इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है। जनधन योजना की वजह से ही आज मनरेगा का पैसा, अलग-अलग बीमा योजनाओं की राशि, स्कॉलरशिप, पेंशन, ज्यादातर सरकारी लाभ, डीबीटी के जरिए सीधे गरीबों के बैंक खातों में जाने लगा है। गरीब और सरकार के बीच बिचौलियों की भूमिका जनधन खातों ने समाप्त कर दी है।

आज अगर देश में 60 करोड़ से ज्यादा रुपे डेबिट कार्ड हैं और भीम ऐप के द्वारा कम लागत पर डिजिटल लेन-देन सुलभ हो रहा है, तो उसके पीछे जनधन योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी कड़ी में अब डाक-घरों में स्थापित'इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक' के माध्यम से सरकार, बैंकिंग सेवाओं को लोगों के और निकट पहुंचा रही है। भारत में हो रहे इस आर्थिक समावेश की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है।

समाज कल्याण के अनेक क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं तो बीते कई दशकों से चल रहीं थीं लेकिन उनका अपेक्षित प्रभाव देखने को नहीं मिलता था। नागरिकों के सुख-दुःख, उनकी परेशानियों के प्रति मेरी सरकार की सजगता, सक्रियता और सही नीयत ने बड़े बदलावों को संभव कर दिखाया है।

वर्ष 2014 में मेरी सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत देने के साथ ही यह आदेश भी दिया था कि कालेधन और भ्रष्टाचार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बीते साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। जन-मन को समझने वाली मेरी सरकार ने पहले दिन से ही कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी और कैबिनेट की पहली ही बैठक में कालेधन के खिलाफ एसआईटी यानि विशेष जांच दल के गठन का निर्णय लिया। इसके बाद सरकार ने कालेधन के खिलाफ नया और कठोर कानून बनाया। विदेश में गैर—कानूनी तरीके से जुटाई गई संपत्ति के खिलाफ भी मेरी सरकार ने अभियान चलाया। टैक्स हेवेन समझे जाने वाले अनेक देशों के साथ नए सिरे से समझौते किए गए और कई देशों के साथ पुराने समझौतों की कमियों को दूर करते हुए, नए बदलाव लाए गए।

भारत से विदेश जा रहे काले धन को रोकने के साथ ही मेरी सरकार ने देश के भीतर भी कालेधन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। देश का हर वह सेक्टर जहां कालेधन का प्रवाह था, उसके लिए नए कानून बनाए गए, उन्हें टैक्स के दायरे में लाया गया। इन कार्रवाइयों के बीच सरकार ने लोगों को अपनी अघोषित आय और अघोषित धन को स्वेच्छा से घोषित करने का अवसर भी दिया।

काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन, जो व्यवस्था से बाहर था, उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया।

सरकार के इस कदम ने देश को अस्थिर करने वाली ताकतों और कालेधन के प्रवाह में मदद करने वाली व्यवस्थाओं की कमर तोड़ दी है। कालेधन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार 3 लाख 38 हजार संदिग्ध शेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा खत्म किया जा चुका है। इन कंपनियों के निदेशकों के दोबारा चुने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

वहीं 'बेनामी संपत्ति कानून', 'प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट' और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ बने कानून के तहत 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है। ये मेरी सरकार की नीतियों का ही प्रभाव है कि आज रीयल इस्टेट सेक्टर में कालेधन के उपयोग में भारी कमी आई है जिसकी वजह से घरों की कीमतें कम हुई हैं और एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार का अपना घर होने का सपना सच हो रहा है।

मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार की इन नीतियों से सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 से पहले जहां 3.8 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था, वहीं अब 6.8 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आए हैं। आज करदाता को यह विश्वास है कि उसका एक-एक पैसा राष्ट्र-निर्माण में ईमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है।

मेरी सरकार मानती है कि भ्रष्टाचार और कालाधन देश के ईमानदार करदाता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। भ्रष्टाचार सदैव किसी गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति का अधिकार छीनता है। इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बल दिया है।

'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार वर्ष में 6 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है। इस वजह से अब लगभग 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है, जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिए फर्जी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे।

देश को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करें, जो देशवासियों को पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने में मददगार हो।

वर्ष 2014 से पहले, पारदर्शिता के अभाव में, कोयला खदानों का आबंटन चर्चा में रहा करता था। मेरी सरकार ने उन्हीं कोयला खदानों की, पारदर्शी व्यवस्था विकसित करके नीलामी की है और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा की है। 'इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड' के नए कानून की वजह से अब तक बैंकों और देनदारों के 3 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निपटारा हुआ है। डिफाल्ट करने की नीयत से, बड़े–बड़े कर्ज लेकर उन्हें हड़प जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है।

सरदार पटेल ने देश के भौगोलिक और राजनैतिक एकीकरण का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अपनी असाधारण क्षमताओं के बल पर प्राप्त किया था। लेकिन पूरे देश के व्यापक आर्थिक एकीकरण का काम अधूरा रह गया था। हमारे व्यापारी और उद्यमी हमेशा परेशान रहते थे कि वे अपना सामान कहां से खरीदें और कहां बेचें, किस तरह से अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग कर प्रणालियों का

पालन करें। अब जीएसटी जैसा व्यापक कर सुधार लागू होने से वन नेशन–वन टैक्स–वन मार्केट की अवधारणा साकार हुई है। जीएसटी से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है जिसका काफी बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है। इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। मैं देशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद, देश के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया। मेरी सरकार ने व्यापार जगत से मिल रहे सुझावों को ध्यान में रखकर जीएसटी में सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा है।

मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है कि हमारे युवा सम्मान के साथ अपना रोजगार शुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें। स्वरोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी सरकार ने व्यापक सुधार किए हैं जिनकी विश्व स्तर पर सराहना हो रही है। इन सब सुधारों के परिणामस्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत जहां 2014 में 142वें स्थान पर था, वहीं अब 65 रैंक ऊपर आकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। यह एक असाधारण उपलब्धि है।

पिछले साढ़े चार वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था औसतन 7.3 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2014 में विश्व के जीडीपी में भारत का योगदान 2.6 प्रतिशत था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब यह बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया है। आज भारत, विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हमारे देश के सामने चौथी औद्योगिक क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर आया है। मेरी सरकार का यह प्रयास है कि देश के लोग इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं।

औद्योगिक विकास और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में आज मेक इन इंडिया की पहल के प्रभावी परिणाम सामने आ रहे हैं। अब भारत, मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। हाल ही में लोकोमोटिव डीजल इंजनों को 10 हजार हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन में परिवर्तित करने का कीर्तिमान भी भारत ने स्थापित किया है। मेक इन इंडिया के तहत ही आंध्र प्रदेश में, एशिया के सबसे बड़े मेड टेक जोन की स्थापना की जा रही है। रक्षा उपकरणों के उद्यम

स्थापित करके देश को सुरक्षित बनाने तथा युवाओं को नए अवसर देने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' की अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

आज मैं अपने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में निरंतर बढ़ा रहे हैं। विशेषकर इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर, सैटेलाइट प्रक्षेपण में लगातार नए रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। मैं अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को राष्ट्र की ओर से 'मिशन गगनयान' के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

मेरी सरकार द्वारा तेजी से काम पूरा करने और जवाबदेही पर जोर देने से लोगों में सरकार पर विश्वास बढ़ा है तथा विकास को नई गति मिली है। आज मेरी सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पहचानी जाती है।

असम में, दशकों से लंबित, भारत का सबसे बड़ा बोगीबील रेल-रोड ब्रिज हो, दिल्ली के पास 'वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे' हो या फिर केरल का कोल्लम बाईपास, ऐसी अनेक परियोजनाओं में देरी के कारण देश के आम नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा था। इन्हें तत्परता के साथ पूरा करके मेरी सरकार ने देश के साधनों, सामर्थ्य तथा जनमानस की आकांक्षाओं के साथ न्याय किया है।

21वीं सदी के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, हर देशवासी की, विशेषकर मध्यम वर्ग और युवाओं की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है। इस आकांक्षा के अनुरूप मेरी सरकार, नई परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर रही है।

प्रयागराज में रिकॉर्ड 11 महीने में बना एयरपोर्ट टर्मिनल इसका उदाहरण है। पिछले वर्ष देश का पहला कंटेनर वेसल कोलकाता से चलकर, राष्ट्रीय जलमार्ग के जरिए वाराणसी तक पहुंचा है। 'ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे' को भी नवंबर 2015 में शुरू करके, पिछले साल देश को समर्पित किया जा चुका है।

मेरी सरकार मानती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों यानि संपूर्ण पूर्वी भारत में देश का नया 'ग्रोथ इंजन' बनने की क्षमता है। इसलिए पूर्वी भारत में रेलवे, हाईवे, वॉटरवे, एयरवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार निरंतर बल दे रही है।

पूर्वी भारत में 19 एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। इसमें से 5 एयरपोर्ट पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जा रहे हैं। सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट और ओडिशा के झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के बरौनी और झारखंड के सिंदरी में बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स के पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 13 हजार करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की गई 'ऊर्जा गंगा परियोजना' पूर्वी भारत के अनेक शहरों में गैस पाइपलाइन पर आधारित उद्योगों का विस्तार करेगी।

सरकार, पूर्वी भारत में नए एम्स के साथ–साथ नए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना भी कर रही है। सरकार द्वारा महात्मा गांधी की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण–मोतीहारी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है।

इसी तरह असम के लिए महत्वपूर्ण 'गैस क्रेकर प्रोजेक्ट' और ओडिशा में पारादीप तेल रिफाइनरी के कार्य में भी तेजी लाई गई है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ढोला–सदिया पुल जिसे भूपेन हजारिका सेतु नाम दिया गया है, अब देश को समर्पित किया जा चुका है। सरकार ने जिन 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई है उनमें से लगभग 13 हजार गांव पूर्वी भारत के ही हैं। इनमें से भी 5 हजार गांव पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदराज वाले इलाकों में स्थित हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जीवन को आसान बनाने के लिए मेरी सरकार 'परिवहन और पर्यटन से परिवर्तन' के लक्ष्य पर काम कर रही है। पूर्वोत्तर की लगभग सभी रेल लाइनों को ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। अब सभी 8 राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसके लिए लगभग 50 हजार करोड़ रुपए की लागत से 15 नई रेल लाइनों पर काम चल रहा है।

देश की सबसे तेज ट्रेन हो या देश का सबसे ऊंचा पुल; देश का सबसे लंबा सी-लिंक हो या देश की सबसे लंबी सुरंग; दोगुनी गति से हाईवे का निर्माण हो या रेल लाइनों के गेज में बदलाव; रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देना हो या देश के अनेक शहरों में नई मेट्रो परियोजनाएं; देश के छोटे–छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ना हो या नए जलमार्ग का निर्माण हो, इन सभी क्षेत्रों में मेरी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास कर रही है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी आगे बढ़ रही है।

हमारे शहरों को आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित व्यवस्थाएं मिलें, हमारे शहर अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन बनें, इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भी देश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 4 वर्ष से लगातार इस सेक्टर की विकास दर दो अंकों में रही है। वर्ष 2017–18 में देश के 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है। इस संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह बदलाव, बढ़ते हुए भारत की एक झलक पेश करता है। 'उड़ान योजना' के अंतर्गत लोगों को 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई हैं। इसके कारण आज साधारण परिवार के व्यक्ति को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिल रहा है।

साथ ही, सरकार द्वारा बीते साढ़े चार वर्षों में देश में तीन सौ से ज्यादा नए पासपोर्ट केन्द्रों की भी स्थापना की गई है। वर्ष 2014 से पहले देश में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 400 से ज्यादा हो गई है। अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बार-बार बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

देश में चौतरफा विकास के लिए हो रहे इन कार्यों में हमारे श्रमिक भाई-बहन, हमारे लघु और मध्यम उद्यमी, हमारे इंजीनियर, हमारे ऑडिटर, डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक और हर पेशे तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सभी जिम्मेदार नागरिक संत रविदास के इस कथन को चरितार्थ करते हैं कि परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा है:

श्रम कउ ईसर जानि कै, जऊ पूजहि दिन रैन।

'रैदास' तिन्हहिं संसार मह, सदा मिलहि सुख चैन।।

यानि श्रम को ही ईश्वर जानकर जो लोग दिन-रात श्रम की पूजा करते हैं उन्हें संसार के सभी सुख–चैन प्राप्त होते हैं।

सरकार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हमारे सभी परिश्रमी प्रोफेशनल्स, राष्ट्र निर्माण के सजग प्रहरी हैं। इनकी आशाओं-आकांक्षाओं में जब सरकारी कर्मचारियों की इच्छा शक्ति भी जुड़ जाती है, तो वही अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिलते हैं, जो आज देश देख रहा है। मेरी सरकार हर कर्मचारी के सुख–दुःख में उसके साथ खड़ी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके मेरी सरकार ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की है।

मेरी सरकार ने कंपीटीटिव को-ऑपरेटिव फेडरेलिज्म की व्यवस्था को निरंतर सशक्त करने का कार्य भी किया है। सरकार की ये सोच रही है कि राज्य सरकारें, अपने राज्य में विकास के कार्य, और प्रभावी तरीके से करें। इसी सोच पर चलते हुए वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मेरी सरकार ने राज्यों को विकास के लिए पहले की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक राशि देने का निर्णय किया।

इस समय प्रयागराज में आयोजित कुंभ पूरी दुनिया में चर्चित हो रहा है। इस विशाल आयोजन में इस बार तेज गति के साथ विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का स्थाई विकास किया गया है। गंगा-यमुना-सरस्वती का संगम क्षेत्र इस समय स्वच्छता और आधुनिक प्रबंधन का प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

गंगा, हमारे लिए केवल एक नदी ही नहीं है, गंगा हमारी मां जैसी है, हमारी संस्कृति और आस्था का जीवंत रूप है। गंगा को स्वच्छ रखना हमारा पुनीत कर्तव्य है। इसके लिए मेरी सरकार द्वारा शुरू किए गए 'नमामि गंगे मिशन' के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरों को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर मेरी सरकार गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के साथ जुटी हुई है।

राष्ट्र नायकों के योगदान को सम्मान देना, हर देशवासी का और सरकार का कर्तव्य है। आधुनिक भारत के निर्माताओं को सम्मानित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार ने गांधी जी की पुण्यतिथि पर दांडी में निर्मित 'राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक' देश को समर्पित किया है। इसी महीने दिल्ली में क्रांति मंदिर का भी लोकार्पण किया गया है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। सरकार ने उनके सम्मान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी देना शुरू किया है। सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े पांच पवित्र स्थानों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित करने का कार्य भी संपन्न किया है। देश ने लौहपुरुष सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' बनाकर उन्हें नमन किया है। मेरी सरकार देश के आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति में, अलग–अलग राज्यों में म्यूजियम का निर्माण करवा रही है।

मेरी सरकार ने वर्ष 2015 में महामना मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से अलंकृत किया। इस वर्ष नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया है।

जिन कर्मठ व्यक्तियों ने बिना किसी अपेक्षा के, नि:स्वार्थ भाव से जन-कल्याण के कार्य किए हैं, उन्हें बिना किसी भेद-भाव के उनकी योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करके मेरी सरकार ने त्याग और सेवा के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता जतायी है।

हमारी परंपरा में संतों और गुरुओं का दर्जा सबसे ऊपर है। इसी महीने सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का जारी किया है। यह भी हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरी सरकार ने करतारपुर कॉरीडोर बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

विश्व पटल पर, जहां एक ओर भारत, हर देश के साथ मधुर संबंध का हिमायती है, वहीं प्रतिपल हमें हर चुनौती से निपटने के लिए स्वयं को सशक्त भी करते रहना है। बदलते हुए भारत ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी 'नई नीति और नई रीति' का परिचय दिया है। पिछले वर्ष भारत उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में शामिल हुआ है जिनके पास परमाणु त्रिकोण की क्षमता है।

हमारी सेनाएं और उनका मनोबल, 21वीं सदी के भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। मेरी सरकार ने चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व–सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के एरियर का भुगतान भी किया है।

मेरी सरकार का मानना है कि अपनी रक्षा जरूरतों को एक पल के लिए भी नजरअंदाज करना, देश के वर्तमान और भविष्य, दोनों के ही हित में नहीं है। बीते वर्ष रक्षा क्षेत्र में हुए नए समझौतों, नए सैन्य उपकरणों की खरीद और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही उनके निर्माण ने सेना का मनोबल बढ़ाया है और सैन्य-आत्मनिर्भरता की ओर देश का मार्ग प्रशस्त किया है। दशकों के अंतराल के बाद भारतीय वायुसेना, आने वाले महीनों में, नई पीढ़ी के अति आधुनिक लड़ाकू विमान–राफेल को शामिल करके, अपनी शक्ति को और सुदृढ़ करने जा रही है।

आज इस अवसर पर मैं देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में हमेशा मुस्तैद रहने वाले सुरक्षाबलों को भी बधाई देना चाहता हूं। आतंक और हिंसा में कमी लाने में उनके संगठित प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जितने युवक विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आए हैं, वह एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष पुलिस मेमोरियल का लोकार्पण करके देश के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित किया गया है और उनकी स्मृति को भावी पीढ़ियों के लिए संजोया गया है।

मेरी सरकार जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में विकास का वातावरण बनना शुरू हुआ है। हाल ही में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 13 वर्ष बाद और पंचायतों में 7 वर्ष के अंतराल के बाद शांतिपूर्वक चुनाव हुए जिनमें लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया और 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। जम्मू–कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार द्वारा 80 हजार करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। इस पैकेज में से, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी अलग–अलग परियोजनाओं के लिए अब तक 66 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति दी जा चुकी है।

यह मेरी सरकार की राजनयिक सफलता है कि आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है। कुछ दिन पूर्व वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में भारत की यह अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि और ज्यादा मुखर हुई है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज यह दिवस पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरी दुनिया में योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। आज भारत को यह गर्व है कि हमने विश्व समुदाय को योग जैसी श्रेष्ठ पद्धति की सौगात दी है।

सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के पासपोर्ट की ताकत और उसका मान ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि उनके सुख-दुःख की सहभागी भी बनी है। पिछले चार वर्ष में संकट में फंसे 2 लाख 26 हजार से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है।

पर्यावरण के संरक्षण में भारत की पहल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिले सम्मान ने प्रत्येक भारतीय का गौरव बढ़ाया है। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत आज, विश्वव्यापी सौर ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। पिछले वर्ष इंटरनेशनल सोलर एलायंस की पहली महासभा की बैठक सफलता पूर्वक दिल्ली में आयोजित की गई।

वर्ष 2022 में भारत, जी–20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के साथ आयोजित किया जाने वाला यह सम्मेलन, भारत के वैश्विक प्रभाव को और बढ़ाएगा।

इस वर्ष हमारा देश, 21वीं सदी के सशक्त, स्वावलंबी और समृद्ध नए भारत के लिए एक निर्णायक दिशा तय करेगा। इस वर्ष आम चुनावों के रूप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। इस सदी में पहली बार लोक सभा के लिए

मतदान करने वाले युवाओं को,मैं इस सदन के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत का नागरिक होने के नाते, अब वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देश की नीति एवं निर्णयों की दिशा तय करेंगे।

मेरी सरकार के प्रयासों से पूरे देश में, बेहतरी के लिए बदलाव हो रहे हैं और बदलाव की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। देश के 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और उनके सहयोग से मेरी सरकार नया भारत बनाने की ओर चल पड़ी है:

– एक ऐसा नया भारत, जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

– एक ऐसा नया भारत, जहां हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और शिक्षित हो।

– एक ऐसा नया भारत, जहां हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर हों।

– एक ऐसा नया भारत, जहां हर बच्चा बिना किसी अभाव के जीवन में आगे बढ़े और हर बेटी सुरक्षित महसूस करे।

– एक ऐसा नया भारत, जहां प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले और उसकी गरिमा सुनिश्चित हो।

– एक ऐसा नया भारत, जिसे पूरे विश्व में सम्मान से देखा जाए।

आइए! हम सभी एक साथ मिलकर, नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें और 21वीं सदी में भारत की प्रतिष्ठा को नए शिखर पर पहुंचाएं!

जय हिंद।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 20 जून 2019

लोक सभा	—	सत्रहवीं लोक सभा
सत्र	—	17वें आम चुनाव के बाद पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	—	श्री राम नाथ कोविंद
भारत के उपराष्ट्रपति	—	श्री एम. वेंकैया नायडू
भारत के प्रधानमंत्री	—	श्री नरेंद्र मोदी
अध्यक्ष, लोक सभा	—	श्री ओम बिरला

माननीय सदस्यगण,

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष में, 17वीं लोक सभा का चुनाव होने के बाद, संसद के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस लोक सभा के लिए निर्वाचित सभी सांसदों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं।

देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान कर, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। भीषण गर्मी में भी लोगों ने लंबी कतारों में खड़े रहकर अपना वोट दिया है। इस बार, महिलाओं ने पहले की तुलना में अधिक मतदान किया है और उनकी भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही है। करोड़ों युवाओं ने पहली बार मतदान करके भारत के भविष्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं।

मैं लोक सभा के नए अध्यक्ष को भी उनके इस नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

विश्व के सबसे बड़े चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। चुनाव-प्रक्रिया की सफलता में, प्रशासन-तंत्र के अनेक विभागों और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों, तथा सुरक्षा-बलों का योगदान अत्यंत सराहनीय है।

इस लोक सभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। लोक सभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में, 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है।

यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत की विविधताओं का प्रतिबिंब इस संयुक्त सत्र में दिख रहा है। हर आयु के, गांव और शहर के, हर प्रोफेशन के लोग, दोनों सदनों के सदस्य हैं। अनेक सदस्य समाज सेवा से हैं, बहुत से सदस्य कृषि के क्षेत्र से हैं, व्यापार और अर्थजगत से हैं, तो अन्य बहुत से सदस्य शिक्षा के क्षेत्र से हैं, लोगों का जीवन बचाने वाले मेडिकल प्रोफेशन से हैं, लोगों को न्याय दिलाने वाले लीगल प्रोफेशन से हैं। फिल्म, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले सांसदगण भी यहां उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी के विशेष अनुभवों से, संसद में होने वाले विचार-विमर्श और समृद्ध होंगे।

इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद, देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है।

वर्ष 2014 से पहले देश में जो वातावरण था, उससे सभी देशवासी भली-भांति परिचित हैं। निराशा और अस्थिरता के माहौल से देश को बाहर निकालने के लिए, देशवासियों ने तीन दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी थी। उस जनादेश को सर्वोच्च मान देते हुए मेरी सरकार ने 'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र पर चलते हुए, बिना भेदभाव के काम करते हुए, एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया।

मैंने, इसी वर्ष 31 जनवरी को इसी सेंट्रल हॉल में कहा था कि मेरी सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरुरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है।

बीते पांच वर्षों के दौरान देशवासियों में यह विश्वास जगा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है, उनका जीवन बेहतर बनाने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देशवासियों के विश्वास की इस पूंजी के आधार पर ही एक बार फिर जनादेश मांगा गया।

देश के लोगों ने, जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार किया। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। मेरी सरकार जन-साधारण को इतना सजग, समर्थ, सुविधा-युक्त और बंधन-मुक्त बनाना चाहती है कि अपने सामान्य जीवन में उसे सरकार का 'दबाव, प्रभाव या अभाव' न महसूस हो। देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करना मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है।

मेरी सरकार राष्ट्र-निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है, जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी। देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए, अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह यात्रा 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की मूल भावना से प्रेरित है।

नए भारत की यह परिकल्पना केरल की महान आध्यात्मिक विभूति, समाज सुधारक और कवि श्री नारायण गुरू के इन सद्विचारों से प्रेरित हैः

"जाति-भेदम मत-द्वेषम एदुम इल्लादे सर्वरुम
सोदरत्वेन वाडुन्न मात्रुकास्थान मानित "

अर्थात्, एक आदर्श स्थान वह है जहां जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग भाई-भाई की तरह रहते हैं।

तीन सप्ताह पहले, 30 मई को शपथ लेते ही सरकार नए भारत के निर्माण में और तेजी के साथ जुट गई। एक ऐसा नया भारतः

– जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों;

– जहां प्रत्येक देशवासी का जीवन बेहतर बने और उसका आत्म-सम्मान बढ़े;

– जहां बंधुता और समरसता सभी देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती हो;

– जहां आदर्शों और मूल्यों की हमारी बुनियाद और भी मजबूत बने; और

– जहां विकास का लाभ हर क्षेत्र में एवं समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।

यह नया भारत, गरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के आदर्श भारत के उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ेगा जहां लोगों का चित्त भय-मुक्त हो, और आत्म-सम्मान से उनका मस्तक ऊंचा रहे। गुरूदेव के शब्दों में:

"चित्तो जेथा भय–शून्नो, उच्चो जेथा शिर। "

हर भारतवासी के लिए यह गौरव का विषय है कि जब वर्ष 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब हम नए भारत के निर्माण के अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे। नए भारत के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त करना, मेरी सरकार का संकल्प है:

– नए भारत के इस पथ पर ग्रामीण भारत मजबूत होगा और शहरी भारत भी सशक्त बनेगा;

– नए भारत के इस पथ पर उद्यमी भारत को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और युवा भारत के सपने भी पूरे होंगे;

– नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार देशवासी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी;

– नए भारत के इस पथ पर 21वीं सदी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए सभी संसाधन जुटाए जाएंगे।

इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में, 21 दिन के अल्प समय में ही मेरी सरकार ने तेजी से किसानों, जवानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के कल्याण हेतु कई फैसले लिए हैं और उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही, कई नए कानून बनाने की दिशा में भी पहल की गई है।

जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान-राशि की पहुंच बढ़ाते हुए, अब 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' को, देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अपने खेत में दिन-रात काम करने वाले किसान भाई-बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी 'पेंशन योजना' को भी स्वीकृति दी जा चुकी है।

पशुधन, किसानों के लिए बहुमूल्य है। जानवरों से जुड़ी बीमारी के इलाज में उनका बहुत पैसा खर्च होता है। इस खर्च को कम करने के लिए मेरी सरकार ने 13 हजार करोड़ रुपए की राशि से एक विशेष योजना शुरू करने का भी फैसला लिया है।

पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रीटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग 'पेंशन योजना' को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा।

अपनी हर खुशी, हर सुख, हर त्योहार को त्याग करके, देशवासियों की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करने वाले जवानों के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं। वह जवान, जो सीमा पर डटा रहता है, जिसकी वजह से सभी देशवासी निश्चिंत रहते हैं, उसके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना भी हमारा दायित्व है। इसी भावना से प्रेरित होकर 'नेशनल डिफेंस फंड' से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है।

21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है– बढ़ता हुआ जल-संकट। हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरागत और प्रभावी व्यवस्थाएं समय के साथ लुप्त होती जा रही हैं। तालाबों और झीलों पर घर बन गए और जल–स्रोतों के लुप्त होने से गरीबों के लिए पानी का संकट बढ़ता गया। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग के बढ़ते प्रभावों के कारण आने वाले समय में, जलसंकट के और गहराने की आशंका है। आज समय की मांग है कि जिस तरह देश ने 'स्वच्छ भारत अभियान' को लेकर गंभीरता दिखाई है, वैसी ही गंभीरता 'जल संरक्षण एवं प्रबंधन' के विषय में भी दिखानी होगी।

हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा। नए 'जलशक्ति मंत्रालय' का गठन, इस दिशा में एक निर्णायक कदम है जिसके दूरगामी लाभ होंगे। इस नए मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

मेरी सरकार सूखे की चपेट में आए क्षेत्रों की समस्याओं के प्रति पूर्णतया सचेत है और हर प्रभावित देशवासी के साथ खड़ी है। राज्य सरकारों और गांव के स्तर पर सरपंचों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीने के पानी की कम से कम दिक्कत हो, और किसानों को भी मदद मिल सके।

सहयोगी संघवाद की व्यवस्था और भावना को निरंतर मजबूत बनाते हुए, मेरी सरकार, राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों को साथ लेकर चल रही है। पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्रियों के साथ, विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया

गया तथा कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्रियों की एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर ही सशक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है। हमारे किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। राज्यों को कृषि विकास में पूरी मदद मिले, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए का और निवेश किया जाएगा।

वर्ष 2022 तक देश के किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला हो, या फूड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी; दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर 'फसल बीमा योजना' का विस्तार; 'सॉयल हेल्थ कार्ड' हो या फिर यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग; मेरी सरकार ने किसानों की ऐसी छोटी-बड़ी आवश्यकताओं को समझते हुए, अनेक फैसले लिए हैं। सरकार ने कृषि नीति को उत्पादन-केंद्रित रखने के साथ-साथ आय-केंद्रित भी बनाया है।

इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है – 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि'। इसके माध्यम से सिर्फ तीन महीने में ही 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के पास पहुंचाई जा चुकी है। हर किसान को इस योजना के दायरे में लाए जाने के बाद, अब इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

कृषि उपज के भंडारण की सुविधा से किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बल मिलता है। अब 'ग्रामीण भंडारण योजना' के माध्यम से किसानों के अपने गांव के पास ही भंडारण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

कृषि क्षेत्र में सहकारिता का लाभ, डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को मिल रहा है। कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी, किसानों को लाभान्वित करने के लिए, 10 हजार नए 'किसान उत्पादक संघ' बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आज भारत मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। हमारे देश में प्रथम स्थान पाने की क्षमता है। समुद्री मछली उद्योग तथा आंतरिक मत्स्य पालन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि की अपार संभावना है। इसीलिए सरकार, 'ब्लू रिवोल्यूशन' यानि 'नीली क्रांति' के लिए प्रतिबद्ध है। मछली पालन के समग्र विकास के लिए एक अलग विभाग गठित किया गया है। इसी प्रकार, मत्स्य उद्योग से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए, एक विशेष फंड बनाया गया है।

देश के निर्धन परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाकर ही, हम अपने संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में किसानों, मजदूरों, दिव्यांगजनों, आदिवासियों और महिलाओं के हित में लागू की गई योजनाओं में व्यापक स्तर पर सफलता मिली है। गरीबों को सशक्त बनाकर ही उन्हें गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए सरकार ने गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को आवास, स्वास्थ्य, जीवन की आवश्यक सुविधाओं, आर्थिक समावेश, शिक्षा, कौशल तथा स्वरोजगार के जरिए उन्हें सशक्त करने का मार्ग अपनाया है। यही दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय का कार्यरूप है।

देश के 112 'आकांक्षी जिलों' यानि 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स' के विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। इन जिलों में देश के सबसे पिछड़े 1 लाख 15 हजार गांव हैं। इन गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से, करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

'जनधन योजना' के रूप में विश्व के सबसे बड़े आर्थिक समावेशन के अभियान की सफलता के बाद, मेरी सरकार बैंकिंग सेवाओं को देशवासियों के द्वार तक पहुंचाने का काम भी कर रही है। देश के गांव-गांव में और नॉर्थ-ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों में भी, बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक' के माध्यम से देश के लगभग डेढ़ लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे डाकिया-साथी ही चलते-फिरते बैंक बनकर, बैंकिंग सेवाएं घर–घर तक पहुंचाएं।

इलाज के खर्च से गरीब परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। उन्हें इस संकट से बचाने के लिए, 50 करोड़ गरीबों को 'स्वास्थ्य-सुरक्षा-कवच' प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम 'आयुष्मान भारत योजना' लागू की गई है। इसके तहत, अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए 5,300 'जन

औषधि केंद्र' भी खोले जा चुके हैं। हमारा प्रयास है कि दूर-सुदूर इलाकों में भी लोगों को जन औषधि केंद्रों से सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकें।

वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण अंचलों में लगभग डेढ़ लाख 'हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। अब तक, लगभग 18 हजार ऐसे सेंटर शुरू किए जा चुके हैं।

जनजातीय समुदायों से हमारे अन्य देशवासी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर्यावरण एवं प्रकृति के अनुकूल जीवनयापन करने वाले आदिवासी भाई-बहन विकास और परंपरा का सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं। नए भारत में, जनजातीय समुदायों के हित में, समावेशी तथा संवेदनशील व्यवस्था के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। वन्य क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को 'पढ़ाई से लेकर कमाई तक' की सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य प्रगति पर हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में, बच्चों के लिए 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' बनाए जा रहे हैं। वन-धन केंद्रों के माध्यम से वन-उपज में वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर बल दिया जा रहा है।

महिला सशक्तीकरण, मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है। सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, राज्यों के सहयोग से अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के दंड अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। 'बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ' अभियान से भ्रूण हत्या में कमी आई है और देश के अनेक जिलों में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है।

'उज्ज्वला योजना' द्वारा धुएं से मुक्ति, 'मिशन इंद्रधनुष' के माध्यम से टीकाकरण, 'सौभाग्य' योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना में अगले तीन वर्षों के दौरान गांवों में लगभग 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।

असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। 'दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन' के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 'राष्ट्रीय आजीविका मिशन' के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है।

राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में, महिलाओं को समान रूप से भागीदार बनाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। उद्योग और कॉरपोरेट क्षेत्र के सहयोग से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही, सरकारी खरीद में ऐसे उद्यमों को वरीयता दी जाएगी जहां कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित स्तर से अधिक हो।

देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 'तीन तलाक' और 'निकाह-हलाला' जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें।

नए भारत के निर्माण में हमारी युवा पीढ़ी की प्रभावी भागीदारी होनी ही चाहिए। बीते 5 वर्षों में, युवाओं के कौशल विकास से लेकर उन्हें स्टार्ट–अप एवं स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देने और उच्च–शिक्षा के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। साथ ही स्कॉलरशिप की राशि में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

समाज के हर वर्ग का युवा अपने सपने पूरे कर सके, इसके लिए समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है। 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' का प्रभाव व्यापक स्तर पर महसूस किया गया है। इस योजना के तहत, स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं। इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाले क्षेत्रों में समुचित नीतियों के माध्यम से, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।

आज भारत दुनिया के सबसे अधिक स्टार्ट-अप वाले देशों में शामिल हो गया है। स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, सरकार नियमों को और भी सरल बना रही है। इस अभियान में और तेजी लाई जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक देश में 50 हजार स्टार्ट-अप स्थापित हों।

उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस प्रयास को और सशक्त बनाने के लिए 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित फाउंडेशन, केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों के बीच सेतु का काम करेगा।

विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में भारत के अनेक संस्थान अपना स्थान बना सकें, इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता तथा वित्तीय योगदान के जरिए प्रेरित किया जा रहा है।

मेरी सरकार, देश के उच्च शिक्षा प्रणाली में सीटों की संख्या को वर्ष 2024 तक, डेढ़ गुना करने के लिए प्रयासरत है। इस पहल से युवाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 2 करोड़ अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी।

बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उचित अवसर एवं वातावरण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए 'प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम' की शुरुआत की जाएगी।

स्कूली स्तर पर ही बच्चों में टेक्नॉलॉजी के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। 'अटल नवोन्मेष मिशन' के माध्यम से देशभर के लगभग 9 हजार स्कूलों में 'अटल टिंकरिंग लैब' की स्थापना का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसी प्रकार, 102 विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में 'अटल इंक्यूबेशन सेंटर' बनाए जा रहे हैं।

विश्व-स्तर पर, खेल-प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ता है। साथ ही, बच्चों और युवाओं में खेल-कूद के प्रति रुचि बढ़ती है। इससे स्वास्थ्य को जीवन में प्राथमिकता देने की संस्कृति को भी बल मिलता है। भारत को विश्व-स्तर की खेल-शक्ति बनाने के लिए, देश के दूर-दराज इलाकों में रहने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान और उनका पारदर्शी चयन, महत्वपूर्ण है। राज्य

और जिला स्तर पर, खिलाड़ियों की पहचान के लिए 'खेलो-इंडिया कार्यक्रम' को व्यापक रूप देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत, 2,500 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करके, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब आने वाले हर साल में यह सुविधा 2,500 नए खिलाड़ियों को दी जाएगी।

देश के खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के साथ ही उसका विस्तार भी किया जाएगा। यह आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध हों, इसके लिए नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। हमारा प्रयास है कि खेल-जगत में उच्च स्थान प्राप्त करके हमारे खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएं।

देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। महंगाई दर कम है, फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में है, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है तथा मेक इन इंडिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

अब भारत, जीडीपी की दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनॉमी बने।

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए, जल्द ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी। 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था। पिछले 5 वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर, नियमों को सरल बनाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में कंपनी कानून में भी आवश्यक बदलाव लाए जा रहे हैं।

आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में, टैक्स-व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टैक्स-व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ-साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी प्रकार, अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्था को भी आसान और प्रभावी बनाया जा रहा है। जीएसटी के लागू होने से 'एक देश, एक टैक्स, एक बाजार' की सोच साकार हुई है। जीएसटी को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।

छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने उनके लिए नई पेंशन योजना शुरू की है। अब जल्द ही 'राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड' का गठन किया जाएगा और खुदरा कारोबार में बढ़ोतरी के लिए 'राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति' भी बनाई जाएगी। जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड, सभी व्यापारियों को, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर, देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। रोजगार सृजन में इस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। छोटे उद्यमियों के व्यापार में कैश–फ्लो बना रहे, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को ऋण लेने में दिक्कत न हो, इसके लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज का दायरा एक लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।

सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है, नागरिकों का आत्म–सम्मान बढ़ता है और वे अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का पूरा उपयोग कर पाते हैं।

मेरी सरकार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की अपनी कड़ी नीति को और व्यापक तथा प्रभावी बनाएगी। सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का अभियान और तेज किया जाएगा। इसके लिए मिनिमम गवर्नमेंट –मैक्सिमम गवर्नेंस पर और अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही ह्युमन इंटरफेस को कम करने के लिए, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति से भी, पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले 2 वर्ष में, 4 लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है और 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।

आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब हमें 146 देशों से जानकारी प्राप्त हो रही है जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है। इनमें से 80 देश ऐसे हैं जिनसे हमारा ऑटोमैटिक एक्सचेंज करने का भी समझौता हुआ है। जिन लोगों

ने विदेश में काला धन इकट्ठा किया है, अब हमें उन सबकी जानकारी प्राप्त हो रही है।

रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन के लेनदेन को रोकने और ग्राहकों के हित की रक्षा में 'रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट' यानि रेरा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत राहत मिल रही है।

'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता', देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है। इस कोड के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है। इस कोड ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया हुआ कर्ज न चुकाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया है।

'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' के तहत आज 400 से अधिक योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, 7 लाख 30 हजार करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। डीबीटी की वजह से अब तक 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। इतना ही नहीं, लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। आने वाले समय में डीबीटी का और विस्तार किया जाएगा। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि वे भी ज्यादा से ज्यादा योजनाओं में डीबीटी का इस्तेमाल करें।

समृद्ध भारत के निर्माण में इन्फ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मेरी सरकार का सतत प्रयास है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इको-फ्रेंडली हो। हाईवे और एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं में कंक्रीट के साथ, हरियाली का भी समावेश किया जा रहा है। बिजली की आपूर्ति के लिए, सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया जा रहा है। घरों और उद्योगों से निकले वेस्ट का उपयोग भी सड़क निर्माण में हो रहा है।

21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में शहरीकरण की गति और व्यापकता निरंतर बढ़ेगी। शहरों और उपनगरों में अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से आर्थिक प्रगति और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मेरी सरकार, आधुनिक भारत के लिए देश के गांवों से लेकर शहरों तक, विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है। विशेषकर नॉर्थ-ईस्ट, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में, कनेक्टिविटी सुधारने पर खास जोर दिया जा रहा है। नॉर्थ-ईस्ट में रहने वाले हमारे देशवासियों का जीवन आसान बनाने के साथ ही, बेहतर

कनेक्टिविटी का लाभ पर्यटन, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा। नॉर्थ-ईस्ट में जैविक खेती का प्रसार बढ़े, इसके लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

'भारतमाला परियोजना' के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाना है। साथ ही, 'सागरमाला परियोजना' के द्वारा देश के तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास, बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।

सरकार हाईवे के साथ-साथ रेलवे, एयरवे और इनलैंड वॉटरवे के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। 'उड़ान योजना' के तहत, देश के छोटे शहरों को, हवाई यातायात से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है।

शहरी ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आज की जरूरतों के साथ–साथ, भविष्य के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ ही शहरों में प्रदूषण की समस्या के समाधान पर भी बल दिया जा रहा है। मेरी सरकार एक ऐसी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का निर्माण कर रही है, जिसमें गति और सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अनेक शहरों में, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाई जा रही है। सीमलेस मोबिलिटी के सपने को सच करने के लिए 'वन नेशन, वन कार्ड' की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। इसी तरह, प्रदूषण रहित यातायात के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शहरों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम तेजी से हो रहा है।

गैस-ग्रिड और आई–वे जैसी आधुनिक सुविधाओं के विकास के कार्यों में तेजी लाई जा रही है। पीएनजी आधारित घरेलू ईंधन, और सीएनजी आधारित यातायात व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। आधुनिक भारत में बायो-फ्यूल के निर्माण पर हमारा विशेष जोर है। 2014 से पहले देश में 67 करोड़ लीटर इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। इस साल लगभग 270 करोड़ लीटर इथेनॉल की ब्लेंडिंग निर्धारित है। इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ने से हमारे किसानों को लाभ होगा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात घटने से विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी।

मेरी सरकार, गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। हाल ही में, जगह-जगह से गंगा में जलीय जीवन के लौटने के जो प्रमाण मिले हैं, वे काफी उत्साहवर्धक हैं। इस वर्ष प्रयागराज में अर्धकुंभ के दौरान गंगा की स्वच्छता और श्रद्धालुओं को मिली सुविधा की चर्चा पूरे विश्व में हो

रही है। मेरी सरकार ने अर्धकुंभ के सफल आयोजन में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित करके उनका आत्म-गौरव बढ़ाया है।

मेरी सरकार 'नमामि गंगे' योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेजी लाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाए।

वन, वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए मेरी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। हाल के वर्षों में वन और वृक्ष आवरण विस्तार में 1 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है। पिछले पांच साल में देश के संरक्षित क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया है। वर्ष 2014 में देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी जो अब बढ़कर 868 हो गई है। वायु प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, देश के 102 शहरों में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' शुरू किया गया है।

क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों को कम करने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के सक्रिय प्रयासों से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ है। इस संगठन के माध्यम से दुनिया के विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के विकास में भारत अहम योगदान कर रहा है।

सामान्य आदमी के जीवन को बेहतर बनाने, आपदाओं की पूर्व सूचना देने, प्राकृतिक संपदाओं को चिह्नित करने, संचार माध्यमों को सिग्नल उपलब्ध कराने से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की केंद्रीय भूमिका है। मेरी सरकार का प्रयास है कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए। सड़कें हों, गरीबों का घर हो, खेती हो, मछुआरों के लिए उपयोगी उपकरण हों, ऐसी अनेक सुविधाओं को अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है।

अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की सहायता से जल, थल और नभ में हमारी सुरक्षा और मजबूत हुई है। मौसम का सटीक पूर्वानुमान करने की हमारी विशेषज्ञता बढ़ी है। इसका प्रमाण हाल ही में देश के पूर्वी तट पर आए 'फणि चक्रवात' के दौरान देखने को मिला। समय पर सही जानकारी और तैयारी के कारण बड़े पैमाने पर जान–माल की रक्षा करने में देश को सफलता मिली है।

अंतरिक्ष में छुपे रहस्यों को जानने और समझने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिक, 'चंद्रयान–2' के लॉन्च की तैयारी में लगे हुए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा। वर्ष 2022 तक, भारत के अपने 'गगनयान' में पहले भारतीय को स्पेस में भेजने के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से काम चल रहा है।

लोक सभा चुनाव के दौरान, देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। हालांकि इसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई, जितनी होनी चाहिए थी। 'मिशन शक्ति' के सफल परीक्षण से भारत की अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की क्षमता और देश की सुरक्षा–तैयारियों में नया आयाम जुड़ा है। इसके लिए आज मैं, अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को फिर से बधाई देता हूं।

सुरक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। इस पर ध्यान देते हुए स्पेस, साइबर और स्पेशल फोर्सेस के लिए तीन ज्वाइंट सर्विस एजेंसियों के गठन पर काम चल रहा है। इन साझा प्रयासों से देश की सुरक्षा मजबूत होगी।

नया भारत, विश्व समुदाय में अपना उचित स्थान पाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है तथा अन्य देशों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 2022 में भारत जी–20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किए जाने के भारत के प्रस्ताव को विश्व समुदाय ने व्यापक और उत्साहपूर्ण समर्थन दिया। इस समय विश्व के अनेक देशों में बड़े उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके सबसे महत्वपूर्ण आयोजन, कल 21 जून को किए जाएंगे।

जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक और साइबर अपराध हों, भ्रष्टाचार और काले धन पर कार्रवाई हो या फिर ऊर्जा सुरक्षा; हर मुद्दे पर भारत के विचारों को विश्व समुदाय समर्थन देता है। आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व, भारत के साथ खड़ा है। देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है।

मेरी सरकार की 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति दक्षिण एशिया एवं निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की हमारी सोच का प्रमाण है। इस पूरे क्षेत्र की प्रगति में भारत

की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यही कारण है कि इस क्षेत्र में व्यापार, कनेक्टिविटी और पीपुल–टू–पीपुल कॉनटेक्ट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई सरकार के शपथ–ग्रहण समारोह में 'बिमस्टेक' देशों, 'शंघाई सहयोग संगठन' के अध्यक्ष किर्गिस्तान और मॉरीशस के राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों का शामिल होना इसी सोच को दर्शाता है।

मेरी सरकार, विदेशों में बसे तथा वहां कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा के प्रति भी सजग है। आज विदेश में अगर कोई भारतीय संकट में फंसता है तो उसे शीघ्र मदद और राहत का भरोसा होता है। पासपोर्ट से लेकर वीजा तक की अनेक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाया गया है।

भारत के दर्शन, संस्कृति और उपलब्धियों को मेरी सरकार के प्रयासों से विश्व में एक विशिष्ट पहचान मिली है। इस वर्ष, दुनिया भर में आयोजित हो रहे, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रमों से भारत की 'थॉट लीडरशिप' को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार, गुरू नानक देव जी की 550वीं जयंती के कार्यक्रमों से भी, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा।

नया भारत संवेदनशील भी होगा और आर्थिक रूप से समृद्ध भी। लेकिन इसके लिए देश का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यही कारण है कि आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

सीमा-पार आतंकवादी ठिकानों पर, पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी, आतंरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। इससे देश के अनेक क्षेत्रों में सामाजिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही आजीविका के अवसरों पर भी भारी दबाव अनुभव किया जा रहा है। मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स' की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा। घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा को और सशक्त किया जाएगा।

सरकार जहां घुसपैठियों की पहचान कर रही है, वहीं आस्था के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए परिवारों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को उचित संरक्षण देते हुए नागरिकता कानून में संशोधन का प्रयास किया जाएगा।

मेरी सरकार जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल देने के लिए, पूरी निष्ठा के साथ प्रयास कर रही है। वहां पर स्थानीय निकायों के शांतिपूर्ण चुनाव और हाल में संपन्न हुए लोक सभा चुनाव से हमारे इन प्रयासों को बल मिला है। मेरी सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए आवश्यक हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार देश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने पर भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इस दिशा में पिछले 5 वर्ष में काफी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दायरा निरंतर घट रहा है। आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रमों में और तेजी लाई जाएगी जिससे वहां रहने वाले आदिवासी भाई-बहन लाभान्वित होंगे।

मेरी सरकार, सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। निकट भविष्य में ही भारत को पहला 'राफेल' लड़ाकू विमान और 'अपाचे' हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहे हैं।

सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' के तहत आधुनिक अस्त्र-शस्त्र बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। आधुनिक राइफल से लेकर तोप, टैंक और लड़ाकू जहाज तक भारत में बनाने की नीति को सफलता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे 'डिफेंस कॉरिडोर' इस मिशन को और मजबूती प्रदान करेंगे। अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए रक्षा उपकरणों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

सैनिकों और शहीदों का सम्मान करने से सैनिकों में आत्म-गौरव और उत्साह बढ़ता है तथा हमारी सैन्य क्षमता मजबूत होती है। इसीलिए सैनिकों और उनके परिवार-जनों का ध्यान रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। 'वन रैंक वन पेंशन' के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी करके तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

आजादी के सात दशक के बाद, मेरी सरकार द्वारा दिल्ली में इंडिया गेट के समीप बनाया गया 'नेशनल वॉर मेमोरियल' शहीदों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि है। इसी तरह देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले हमारे पुलिस बल के जवानों की स्मृति में, मेरी सरकार ने 'नेशनल पुलिस मेमोरियल' का निर्माण किया है।

राष्ट्र निर्माण के पथ पर, इतिहास से मिली प्रेरणा, भविष्य का हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। इसके लिए, राष्ट्र-निर्माताओं की स्मृति को कृतज्ञतापूर्वक संजोना भी हमारा दायित्व है। पिछले पांच वर्षों में देश में अनेक ऐसे कार्य हुए हैं। पूज्य बापू और ऐतिहासिक दांडी मार्च के सम्मान में 'दांडी म्यूजियम' का निर्माण किया गया है। लौह-पुरुष सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' की स्थापना की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के अन्य सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए, दिल्ली के लाल किले में 'क्रांति मंदिर' का निर्माण किया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण स्थल, दिल्ली के 26 अलीपुर रोड को नेशनल मेमोरियल का स्वरूप दिया गया है। देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को सम्मान देते हुए दिल्ली में एक म्यूजियम का निर्माण भी किया जा रहा है।

मेरी सरकार, सरदार पटेल की प्रेरणा से, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राष्ट्रीय आकांक्षाओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को महत्व देना जरूरी है। इसके लिए संवाद और सहयोग की हर संभावना को प्रोत्साहित किया जाएगा। 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की भावना पर चल रही मेरी सरकार का प्रयास है कि भारत की प्रगति यात्रा में कोई भी देशवासी छूटने न पाए।

भारत को लंबे समय तक गुलामी के दौर से गुजरना पड़ा था। लेकिन उस पूरे दौर में देश में कहीं न कहीं भारतवासी आजादी के लिए संघर्ष करते रहे थे। आजादी की चाहत और उसके लिए बलिदान देने की ललक कभी कमजोर नहीं पड़ी। स्वाधीनता की इसी ललक ने सन 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' का रूप लिया। तब पूरे देश ने यह तय किया था कि आजादी हासिल करनी ही है और उस प्रयास में अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने हैं। उस समय हर देशवासी जो कुछ भी कर रहा था वह स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान देने की भावना से कर रहा था। इसी जनभावना की शक्ति से, हमने 1947 में आजादी हासिल की थी।

आज हम सब, एक बार फिर, इतिहास रचने के मोड़ पर खड़े हैं। हम नवयुग के सूत्रपात के लिए एक नया आंदोलन छेड़ने को तत्पर हैं। हमारे आज के संकल्प यह तय करेंगे कि वर्ष 2047 में जब हम अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे, तब हमारे देश का स्वरूप क्या होगा।

आज हमारे देश के पास स्वतंत्रता के बाद के लगभग 72 वर्ष की यात्रा के संचित अनुभव हैं। उन अनुभवों से सीख लेते हुए ही देश आगे बढ़ रहा है। हम सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि वर्ष 2022 में जब हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाएं तब नए भारत की हमारी परिकल्पना साकार रूप ले चुकी होगी। इस प्रकार, आजादी के 75वें साल के नए भारत में:

– किसान की आय दोगुनी होगी;

– हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी;

– हर गरीब के पास स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी;

– हर गरीब के पास बिजली का कनेक्शन होगा;

– हर गरीब खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त हो चुका होगा;

– हर गरीब की पहुंच में मेडिकल सुविधाएं होंगी;

– देश का हर गांव, सड़क संपर्क से जुड़ा होगा;

– गंगा की धारा अविरल और निर्मल होगी;

– राज्यों के सहयोग से, हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के निकट होंगे;

– हम, विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की तरफ अग्रसर होंगे;

– भारतीय संसाधनों के बल पर कोई देशवासी अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएगा; और

– हम, एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ विश्व के विकास को नेतृत्व देने के लिए कदम बढ़ाएंगे।

जनता और सरकार के बीच की दूरी कम करते हुए, जन-भागीदारी पर जोर दिया जाए तो सरकार की योजनाओं को देशवासी जन-आंदोलन का रूप दे देते हैं। बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का यही तरीका है। इसी मार्ग पर चलने से 'बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ' योजना से लेकर 'स्वच्छ भारत अभियान' ने जन-आंदोलनों का रूप प्राप्त किया। जन-भागीदारी की इसी शक्ति से हम नए भारत के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे।

मेरी सरकार का मानना है कि सभी राजनैतिक दल, सभी राज्य और 130 करोड़ देशवासी, भारत के समग्र और त्वरित विकास के लिए एकमत हैं। हमारे जीवंत लोकतंत्र में पर्याप्त परिपक्वता आ गई है। पिछले कुछ दशकों के दौरान देश के किसी न किसी हिस्से में प्रायः कोई न कोई चुनाव आयोजित होते रहने से विकास की गति और निरंतरता प्रभावित होती रही है। हमारे देशवासियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर, अपना स्पष्ट निर्णय व्यक्त करके, विवेक और समझदारी का प्रदर्शन किया है। आज समय की मांग है कि 'एक राष्ट्र-एक साथ चुनाव' की व्यवस्था लाई जाए जिससे देश का विकास तेजी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हों। ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनैतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप, विकास व जनकल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे। अतः मैं सभी सांसदों को आह्वान करता हूं कि वे 'एक राष्ट्र-एक साथ चुनाव' के विकासोन्मुख प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

इसी वर्ष, हमारे संविधान को अंगीकृत किए जाने के 70 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। सांसद के रूप में आप सभी ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ ली है। हम सभी के लिए संविधान ही सर्वोपरि है। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि देश के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान-सम्मत तरीके ही उपयोग में लाने चाहिए।

हमारा संविधान, देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा तथा बंधुता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

मुझे विश्वास है कि राज्य सभा एवं लोक सभा के आप सभी सदस्यगण, सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों को भली-भांति निभाते हुए संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। इस प्रकार, आप सभी नए भारत के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे।

जन-प्रतिनिधि तथा देश के नागरिक के तौर पर हम सभी को अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी। तभी देशवासियों को हम, नागरिक-कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा दे पाएंगे।

आप सभी सांसदों को मेरा सुझाव है कि आप गांधी जी के मूल मंत्रों को हमेशा याद रखिए। गांधी जी ने कहा था कि हमारा हर फैसला इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। आप भी उस मतदाता को याद रखिए जो अपना सब काम छोड़कर, तमाम कठिनाइयों के बीच, वोट देने के लिए निकला, पोलिंग बूथ तक गया और मतदान करके देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। उसकी आकांक्षाओं को पूरा करना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

मैं आप सभी से आगामी पांच वर्षों के दौरान भारत के नव-निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने तथा अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का आह्वान करते हुए, आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 31 जनवरी 2020

लोक सभा	—	सत्रहवीं लोक सभा
सत्र	—	वर्ष का प्रथम सत्र
भारत के राष्ट्रपति	—	श्री राम नाथ कोविंद
भारत के उपराष्ट्रपति	—	श्री एम. वेंकैया नायडू
भारत के प्रधानमंत्री	—	श्री नरेंद्र मोदी
अध्यक्ष, लोक सभा	—	श्री ओम बिरला

माननीय सदस्यगण,

21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुनः नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं।

यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस दशक में, हम सभी को मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पाँच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।

चाहे पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबासाहब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो, सरदार पटेल का एक भारत-श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो, दीन दयाल उपाध्याय का अंत्योदय का लक्ष्य हो या लोहिया जी का सामाजिक समता का दर्शन हो, हम भारत के लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करेंगे।

भारत का संविधान, इन सपनों को पूरा करने में हम सभी का मार्गदर्शक है। कुछ सप्ताह पहले ही, 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। उस दिन देश के 12 करोड़ नागरिकों ने, सार्वजनिक रूप से संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया।

हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ ही, देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध भी कराता है। हमारा संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हुए निर्णयों को देशवासियों द्वारा स्वीकार किये जाने की अपेक्षा भी रखता है। इसके साथ ही हमारा संविधान, इस संसद से तथा इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है।

मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोक सभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है।

मेरी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाक विरोधी कानून, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून, गरीबों की बचत की रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंट संशोधन कानून, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सजा सख्त करने वाला कानून, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून, जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए गए हैं।

संविधान द्वारा अपेक्षित इस दायित्व को निभाने के लिए, मैं संसद के हरेक सदस्य का अभिनंदन करता हूं।

हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जाने वाला विश्वास, हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है।

लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जनादेश। देश की जनता ने मेरी सरकार को ये जनादेश, नए भारत के निर्माण के लिए दिया है।

- एक ऐसा नया भारत, जिसमें हमारी प्राचीन संस्कृति पर गर्व हो और जो 21वीं सदी के विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करे।
- एक ऐसा नया भारत, जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाएं।
- एक ऐसा नया भारत, जिसमें गरीबों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी।
- एक ऐसा नया भारत, जिसका हर क्षेत्र विकास करे, कोई क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे, तथा
- एक ऐसा नया भारत, जो चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए और विश्व मंच में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।

माननीय सदस्यगण,

ऐसे नए भारत के लिए तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, मेरी सरकार हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय गति और निर्णय क्षमता दिखाते हुए काम कर रही है। सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है।

वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की रैंकिंग में भारत 79 स्थान ऊपर चढ़ते हुए आज 63वें स्थान पर है। रिजॉल्विंग इंसोल्वेंसी की रैंकिंग में भारत 108वें स्थान से 52वें स्थान पर और ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में देश 74वें से 52वें स्थान पर पहुंच गया है। लॉजिस्टिक्स पर्फोर्मेंस इंडेक्स में भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 10 अंकों का सुधार किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 52वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है।

अलग-अलग क्षेत्रों में ये सुधार अंतरराष्ट्रीय जगत को भी एक आह्वान है कि भारत ने पिछले 5-6 वर्षों में किस तरह अपनी बुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के निर्माण के लिए उत्साहित हैं।

मेरी सरकार, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है। 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया है। मेरी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म, हर क्षेत्र के गरीबों के हित में, समानता के साथ, सहायता व सुविधाएं पहुंचाई हैं और इसलिए देश के लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है।

बंगाल की धरती के महान सपूत और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, लोक सभा में कहा था कि–"एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में, एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते। क्या जम्मू-कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं, जो हमने शेष भारत के लोगों को दिए हैं"?

आज सात दशक बाद पूरे देश में इस बात की खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों को, वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं, जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तिकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की सभी परियोजनाओं में तेजी आई है।

वर्ष 2018 के अंत में जम्मू–कश्मीर की 4,400 से अधिक पंचायतों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहां 300 से अधिक ब्लॉक विकास परिषदों के चुनाव भी कराए गए हैं। अब वहां के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा

खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। जम्मू-कश्मीर में सेब की सीधी खरीद के लिए नैफेड को जिम्मेदारी दी गई है। इससे कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों को विशेषतौर पर लाभ मिला है।

मेरी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता ने तथा सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों ने, देशवासियों की अपेक्षाएं भी बढ़ाई हैं और सरकार का दायित्व भी।

देशवासियों की बरसों से यह अपेक्षा थी कि वे सुगमता के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएं। मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को देश और दुनिया में पूरे मान-सम्मान के साथ मनाने का अवसर मिलना, मेरी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। मेरी सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा।

देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है।

देश के किसानों, खेतिहर मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा छोटे व्यापारियों की अपेक्षा थी कि वृद्धावस्था में उनकी सहायता के लिए पेंशन योजना शुरू हो। मेरी सरकार ने न सिर्फ उनकी इच्छा को पूरा किया बल्कि अब तक इन पेंशन योजनाओं से करीब 60 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं।

पूज्य बापू ने स्वच्छता को ईश्वर की उपासना से बढ़कर बताया था। पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की गई थी। अब

हम सभी का दायित्व है कि इस दशक में अपने शहरों और गांवों को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाएं।

आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। घर में पानी के न होने से हमारी बहनों-बेटियों का जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही, दूषित पानी से पूरे परिवार का स्वास्थ्य खराब होता है। देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर इस अभियान को जन-आंदोलन में बदल रही हैं। इस योजना पर आने वाले समय में 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरी सरकार ने, देश के सबसे संकटग्रस्त ऐसे सात राज्यों में जहां भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है वहां विशेष तौर पर अटल भूजल योजना शुरू की है।

मेरी सरकार का सबका साथ – सबका विकास – सबका विश्वास का मंत्र देश के प्रत्येक नागरिक के साथ ही देश के अलग-अलग भूभाग और राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। मेरी सरकार मानती है कि जैसे समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वैसे ही विकास में पीछे रह गए क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाए।

देश के 112 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट – आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकारों द्वारा भी इन जिलों में युवा और अनुभवी अफसरों का तालमेल बिठाकर सही नियुक्तियां की गईं। इसका परिणाम है कि इन जिलों में विकास के अनेक मापदंडों में प्रभावी सुधार हुआ है और कई जिले अब अपने राज्य के औसत के बराबर आ चुके हैं। मैं प्रत्येक आकांक्षी जिले की टीम को इस सदन के माध्यम से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक दूरी से अधिक, वहां के लोगों को दिलों की दूरियां खटकती थीं। मेरी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अथक परिश्रम करके इस स्थिति को बदला है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। अगरतला-अखौरा रेल लिंक पर भी काम तेजी से चल रहा है। वर्ष 2022 में ही अरुणाचल प्रदेश के 'हलोंगी' में बन रहे नए एयरपोर्ट का काम भी पूरा हो जाएगा।

इसके अलावा गुवाहाटी में एम्स, नुमालीगढ़ में बायो-रिफाइनरी, मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण तेज गति से हो रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए लगभग 9 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों में गैस आधारित अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा।

पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है। समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है।

देश के आदिवासी भाई-बहनों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। पहली बार किसी सरकार द्वारा वन उत्पादों पर एमएसपी का लाभ दिया गया है। मेरी सरकार का विशेष बल आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर है। सरकार द्वारा कुछ सप्ताह पहले ही, देश में 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोक सभा और विधान सभा में मिलने वाला आरक्षण भी, अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया जा चुका है।

मेरी सरकार अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हुनर हाट के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग के 2 लाख 65 हजार हुनरमंद कारीगरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुस्लिम छात्र-छात्राओं की शिक्षा निर्बाध जारी रहे, इसके लिए बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप दी गयी है।

मेरी सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिस वजह से इस बार रिकॉर्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की। भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है। सरकार देशभर में वक्फ संपत्तियों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन भी करा रही है जिससे इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के भले के लिए किया जा सके।

मेरी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की आशाओं-अपेक्षाओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। आरक्षण में वृद्धि, कानूनी अधिकार में वृद्धि के साथ ही सरकार ने एक हजार से ज्यादा सरकारी भवनों और 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाया है। बीते 5 वर्षों में हजारों कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को लगभग 900 करोड़ रुपए के उपकरण उपलब्ध कराये गए। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों का नेशनल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है और 25 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को ई–विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मेरी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश तैयार करने का। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 6 हजार शब्दों की एक विशेष डिक्शनरी बनाई जा चुकी है।

भारत ने हमेशा सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है। लेकिन विभाजन के समय सबसे ज्यादा प्रहार भारत और भारतवासियों के इसी विश्वास पर किया गया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि–"पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।" पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, उनकी इच्छा को पूरा किया गया है। विशेषकर ऐसे समय में जब देश गांधी जी की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा हो, तब आप सभी सांसदों ने उनकी भावना को सर्वोपरि रखा है। मैं संसद के दोनों सदनों का तथा सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं।

हम सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि समय के साथ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार और बढ़ा है। हाल ही में ननकाना साहिब में जो हुआ, उसे हम सभी ने देखा है। हम सभी का यह भी दायित्व है कि पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार से पूरा विश्व परिचित हो।

मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं।

मेरी सरकार यह पुनः स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं

पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं। किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं।

भारतभूमि के महान संत कवि, थिरुवल्लुवर ने कहा था –

'उर्रुवार उलगत्तार्क आणिअः ताट्राद, एर्रुवारै एल्लाम् पोरुत्त'

अर्थात्, "किसान, धुरी की कील के समान है जो पूरे विश्व को संभालकर रखता है। वह उन सबके भार का वहन करता है जो खेती नहीं कर सकते"।

हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आने वाले वर्षों में सरकार 25 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च करने जा रही है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा आय केंद्रित व्यवस्था विकसित करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है। इसी महीने 2 जनवरी को, एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 12 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करके मेरी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है।

मेरी सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार के प्रयासों से दलहन और तिलहन की खरीद में 20 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

मेरी सरकार खेती के वैकल्पिक उपायों पर भी जोर दे रही है। क्लस्टर आधारित बागवानी के साथ ही ऑर्गेनिक खेती के प्रचार और प्रसार पर भी काम हो रहा है। शहद उत्पादन को लेकर किए गए सरकार के प्रयासों से शहद उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शहद का निर्यात भी दोगुने से अधिक हो गया है। इसी उपलब्धि को और बढ़ाने के लिए नेशनल बी-कीपिंग एंड हनी मिशन को स्वीकृति दी गई है।

नए मत्स्यपालन विभाग के माध्यम से मछुआरों की आय और मछली का उत्पादन, दोनों को दोगुना करने का लक्ष्य है। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल एनीमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के फुट एंड माउथ डिज़ीज से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

प्राकृतिक आपदा से किसान को राहत दिलाने के लिए मेरी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं। इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है।

किसानों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार यानि ई-नाम का प्रभाव भी अब दिखाई देने लगा है। देश के 1 करोड़ 65 लाख किसान एवं करीब सवा लाख व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं। लगभग 90 हजार करोड़ रुपए का कारोबार इस प्लेटफॉर्म पर हो चुका है। इस दशक में ई-नाम को और प्रभावी बनाने के लिए 400 से ज्यादा नई मंडियों को इससे जोड़ने पर काम चल रहा है।

व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रभाव परिवार और देश, दोनों के विकास पर पड़ता है। मेरी सरकार स्वास्थ्य को लेकर समग्रता के साथ काम कर रही है। प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और क्यूरेटिव हेल्थकेयर, हर स्तर पर गंभीर प्रयास हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी अनेक योजनाएं देशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक हो रही हैं।

आयुष्मान भारत योजना का व्यापक असर देश के हेल्थ सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। इसके साथ ही 27 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी तैयार हो चुके हैं।

मेरी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज का खर्च काफी कम हुआ है। एक हजार से अधिक जरूरी दवाइयों की कीमत नियंत्रित होने से मरीजों के 12,500 करोड़ रुपये बचे हैं। स्टेंट्स और नी-इम्प्लांट्स की कीमत कम होने से लाखों मरीजों को नया जीवन मिला है। अब प्रतिदिन 5 से 7 लाख

मरीज गंभीर बीमारियों की दवाई 6,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों से कम कीमत में खरीद रहे हैं।

मेरी सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन बनाकर मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे देश में मेडिकल की लगभग 16 हजार एमबीबीएस और 4 हजार से अधिक पीजी सीटों की बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में 22 एम्स की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनका निर्माण प्रगति पर है।

मेरी सरकार, महिला स्वास्थ्य के लिए भी विशेष प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत देश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत 3 करोड़ 50 लाख शिशुओं और लगभग 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। दलितों और आदिवासी क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। मेरी सरकार ने सिर्फ एक रुपये में 'सुविधा' नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने की भी शुरुआत की है।

मेरी सरकार के प्रयासों से, महिला उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान से अभी तक 6 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्य में समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहली बार अंडर ग्राउंड माइन्स में तथा ओपन कास्ट माइन्स में महिलाओं को रात्रि में भी काम करने की अनुमति दी गई है। समानता के इसी उद्देश्य के साथ पहली बार सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को स्वीकृति दी गई है। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी जारी है। भारतीय वायु सेना ने पहली बार फाइटर स्ट्रीम और डिफेंस अटैची के रूप में भी उन्हें नया अवसर दिया है।

मेरी सरकार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से देश में छह सौ से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है। ऐसे मामलों में न्याय तेजी से मिले, इसके लिए देशभर में एक हजार से ज्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। यह भी

तय किया गया है कि महिला हेल्प डेस्क का विस्तार, देश के हर पुलिस स्टेशन में किया जाए। बच्चों के यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों में सरकार ने फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है।

21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा जाता है और सरकार की प्राथमिकता इस क्षेत्र में युवा लीडरशिप तैयार करने पर भी है। इस दशक में रिसर्च, इनोवेषन, इंक्यूबेशन और स्टार्ट अप के क्षेत्र का नेतृत्व हमारे देश के युवा ही करेंगे। इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का लाभ युवा शक्ति को निरंतर मिल रहा है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है। स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हजार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है। पिछले पांच वर्षों में देश में प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या 4 गुना हो गई है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

स्किल इंडिया अभियान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास के साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए जरूरी धन भी मुहैया कराया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत देश में 5 करोड़ 54 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों ने ऋण लिया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है।

मेरी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर बल दे रही है। उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी – हेफा के माध्यम से देश के 75 शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए 37 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 7 हजार और उच्च शिक्षा में 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहल की गई है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा 'स्वयं 2' की शुरूआत भी की गई है।

मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा संख्या में दाखिला लिया है।

खेल के क्षेत्र में भारत को विश्व की महत्वपूर्ण शक्ति बनाने की पूरी संभावना हमारे युवाओं में है। खेलो इंडिया अभियान और ओलंपिक पोडियम स्कीम सहित अनेक योजनाओं के तहत, युवा टैलेंट की पहचान की जा रही है, उन्हें उच्च स्तर पर मुकाबले के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। कुछ दिन पहले ही खेलो इंडिया अभियान का तीसरा चरण सफलतापूर्वक गुवाहाटी में संपन्न हुआ

है। उल्लेखनीय है कि इस बार इसमें 80 नए नेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं जिसमें से 56 महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं।

इस वर्ष एक अगस्त को महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की सौवीं पुण्यतिथि है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार बताने वाला कालजयी आह्वान किया था। स्वराज की सिद्धि के बाद देश ने सुराज प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। सुराज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए मेरी सरकार तीन स्तरों पर कार्य कर रही हैः

- पहला – सरकार की कार्य संस्कृति में परिवर्तन तथा संगठनों का सशक्तीकरण,
- दूसरा – पारदर्शिता के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और
- तीसरा – जमीनी स्तर पर स्वस्थ स्पर्धा और जनभागीदारी को बढ़ावा।

"मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक सुधार किए गए हैं। हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच गई है। पारदर्शिता लाने के लिए हर स्तर की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है। ग्रुप बी के अधिकांश और ग्रुप सी पदों में इंटरव्यू समाप्त किए जाने का लाभ युवाओं को हो रहा है।

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए साइलो का समाप्त होना और विभागों में समन्वय बहुत आवश्यक है। इस दिशा में पिछले वर्ष अक्तूबर में सिविल सेवा की 20 से अधिक सेवाओं के अफसरों के लिए कॉमन फाउंडेशन कोर्स का आयोजन, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हाल ही में भारतीय रेल के प्रबंधन को भी पुनर्गठित किया गया है। देश के अलग-अलग ट्राइब्यूनल्स और प्रभावी तरीके से काम कर सकें, इसके लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को भी सुधारा जा रहा है। योजनाओं को लक्ष्योन्मुख बनाने के लिए सरकार द्वारा नए मंत्रालयों का गठन भी किया गया है। सरकार द्वारा कौशल विकास मंत्रालय एवं जलशक्ति मंत्रालय का गठन इसी सोच का उदाहरण है।

सरकारी सेवाओं और सरकारी लाभ की तेज और सटीक डिलिवरी मेरी सरकार की विशेषता रही है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी को अभूतपूर्व स्तर पर सुशासन का आधार बनाया गया है। पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों के बैंक खाते में शत प्रतिशत राशि का ट्रांसफर

और योजनाओं की मॉनीटरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाया है। अब इस दशक में यही टेक्नोलॉजी, देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में भी उनकी मदद करेगी।

हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 का आधार डिजिटल टेक्नोलॉजी है। मेरी सरकार द्वारा 21वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाने के लिए, डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से डिजिटल एक्सेस, डिजिटल इन्कलूज़न और डिजिटल एम्पावरमेंट पर अभूतपूर्व बल दिया गया है। देश को इस बात पर गर्व है कि पिछले पांच वर्षो में भारत में विकसित हुई डिजिटल व्यवस्थाएं विश्व के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रही हैं।

आज देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है तथा लगभग 60 करोड़ लोगों के पास रुपे कार्ड है। दिसंबर 2019 में यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। हाल ही में सरकार ने भीम ऐप का नया वर्जन भी लॉन्च किया है।

जेएएम यानि जनधन-आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार द्वारा अपनी लगभग 450 योजनाओं को डीबीटी-डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा जा चुका है। डीबीटी के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं।

गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानि जीईएम ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता स्थापित की है। जीईएम से छोटे और लघु उद्यमियों को जहां सरकार के रूप में बहुत बड़ा बाजार मिला है वहीं इससे सरकार की पहुंच सीधे उद्यमी तक हुई है। पिछले तीन साल में सरकार के अलग-अलग विभागों द्वारा जीईएम के माध्यम से लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का सामान खरीदा गया है।

टेक्नोलॉजी की मदद से मेरी सरकार ने इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। अब हम इनकम टैक्स विभाग में भी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां मानव दखल यानि ह्यूमन इंटरफेस न हो। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स विभाग की कार्य संस्कृति में बड़ा सुधार आएगा।

शहरों और गांवों के बीच दूरी कम करने में भी टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। भारतनेट योजना के तहत अब तक सवा लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई

स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से ज्यादा हो गई है। इससे 12 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मिला है। इन सेंटरों के माध्यम से सरकार अपनी 45 से ज्यादा सेवाएं ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा रही है।

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करते हुए मेरी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से देशवासियों के लिए एकीकृत व संगठित व्यवस्था विकसित कर रही है।

देश में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिन पहले वन नेशन, वन फास्ट टैग लॉन्च किया गया है। वन नेशन, वन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में, यातायात के अलग-अलग माध्यमों में एक ही कार्ड के इस्तेमाल की सुविधा भी विकसित हुई है। सरकार द्वारा वन नेशन, वन राशन कार्ड की शुरुआत भी की जा रही है। वन नेशन, वन टैक्स यानि जीएसटी ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है। जब जीएसटी नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे। अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है।

भारत जैसे संघीय प्रणाली वाले देश में विकास की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्यों के बीच विकास की योजनाओं में स्पर्धा भी हो और राज्य अपनी योजनाओं के अनुभव का लाभ दूसरे राज्यों को भी दें। मेरी सरकार इसलिए कम्पेटेटिव कोऑपरेटिव फेडरेलिज़्म – प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद पर निरंतर बल देती रही है। सरकार द्वारा राज्यों को जिला और गांव के स्तर पर रियल टाइम डेटा से मिलने वाली रैकिंग प्रदान की जा रही है। इसका प्रभाव स्वच्छ भारत अभियान से लेकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक और स्मार्ट सिटी मिशन से लेकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम तक में नजर आता है।

सरकारें सही योजनाएं बना सकें और लक्ष्य केंद्रित कार्य कर सकें इसके लिए सेन्सस से मिली जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेन्सस में इस बार यह प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, इसलिए जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रसार के बीच मेरी सरकार निजता के संरक्षण के प्रति संकल्पित है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार संसद में डाटा संरक्षण विधेयक लेकर आई है।

मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि एफडीआई भी निरंतर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अप्रैल से अक्तूबर के बीच एफडीआई 3 अरब डॉलर बढ़ा है।

वहीं, पब्लिक सेक्टर के छोटे बैंकों के विलय से बैंक सुदृढ़ हुए हैं और ऋण देने की उनकी क्षमता भी बढ़ी है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 12 सरकारी बैंक मुनाफे में रहे हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं। कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा।

अर्थव्यवस्था की गति एवं मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार मेक इन इंडिया को सशक्त कर रही है। सरकार द्वारा तमिलनाडु और यूपी में दो डिफेंस कॉरिडोर और देश में 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग में भारत विशेष रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मैन्युफेक्चरिंग को और गति देने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई गई है। वर्ष 2014-15 में देश में जहां करीब 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण हुआ, वहीं वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 4 लाख 58 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

आजादी के मूलमंत्र में एक भावना थी – आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तब बनता है जब हर भारतीय भारत में बनी हर वस्तु पर गर्व करे। मेरी सरकार 'उज्ज्वल कल के लिए लोकल' के मंत्र पर विश्वास करती है। मैं पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि से, देश की हर सरकार से आग्रह करता हूं कि 'उज्ज्वल कल के लिए लोकल' को एक आंदोलन में परिवर्तित करें।

मैं प्रत्येक भारतीय से भी आग्रह करूंगा कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं का उपयोग करने पर आप अपने क्षेत्र के लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी मदद करेंगे।

देश में 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो ये गरीब से लेकर मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा रहती है। लोगों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए जाएंगे। कनेक्टिविटी पर विशेष बल देते हुए, नए हाईवेज, नए वाटरवेज, नए एयरवेज, नए आईवेज के निर्माण पर भी सरकार ध्यान दे रही है।

देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए देश के कोने-कोने तक ग्रामीण सड़कों का विस्तार हुआ है। इन सड़कों को सुदृढ़ बनाने और उन्हें स्कूल, अस्पताल व मंडियों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है। इसके तहत 1 लाख 25 हजार किलोमीटर की सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा।

सरकार द्वारा नदी जल मार्गों का विकास भी किया जा रहा है। दिसंबर 2019 में पहली बार नेशनल वाटर वे–2 के जरिए असम के पांडू तक कार्गो कंटेनर पहुंचा है। इस वर्ष जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के जरिए गंगा नदी पर हल्दिया में मल्टी-मोडल टर्मिनल और फरक्का पर नैविगेशन लॉक पूरा कर लिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष तक गंगा नदी पर बड़े ट्रांसपोर्ट कार्गो भी चलाये जा सकें।

शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेजी से काम चल रहा है। मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है। अभी तक 670 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो चुकी हैं और 930 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को बहुत सुविधा हुई है।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में देश के टीयर-2 और टीयर-3 शहर एक नई भूमिका के साथ उभर रहे हैं। स्वच्छता हो, सुविधाएं हों, स्टार्ट अप हों या फिर दूसरा कारोबार, छोटे शहरों की प्रगति उत्साहवर्धक है। साल 2014 के बाद से ही छोटे शहरों में स्टार्ट-अप्स की 45 से 50 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है। इसी तरह उड़ान योजना के तहत करीब 35 लाख लोग अब तक हवाई यात्रा कर चुके हैं। पिछले वर्ष 335 नए हवाई मार्गों की अनुमति दी गयी है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में, देश का आधे से ज्यादा डिजिटल लेन-देन इन्हीं टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में होगा।

छोटे शहरों और नए मध्यम वर्ग के विकास को देखते हुए मेरी सरकार द्वारा उनकी अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पांच लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने से भी सबसे अधिक लाभ छोटे शहरों के मध्यम वर्ग को हुआ है। मध्यम वर्ग के जिन परिवारों की आय 18 लाख रुपए तक की है, उन्हें 20 वर्ष तक के होमलोन पर 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। घरों को बनाने की अधूरी और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 25 हजार करोड़ रुपए के फंड की जो व्यवस्था की गई है, उसका लाभ भी सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को ही मिलेगा।

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयासों से अब देश में एलपीजी कवरेज 55 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 97 प्रतिशत हो गया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का अब देश के 407 जिलों में विस्तार किया जा रहा है। अब हम गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।

मेरी सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया है। प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के माध्यम से देश में किसानों को 17 लाख से ज्यादा सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप कार्यक्रम के दूसरे चरण में 38 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है।

देशवासियों के प्रयास से भारत में पिछले चार साल में पेड़ और वन के क्षेत्र में 13 हजार वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसी तरह बाघों की संख्या जो 2014 में 2,226 थी वह जुलाई, 2019 में बढ़कर 2,967 हो चुकी है। देश में बाघों की बढ़ती संख्या संतोष का विषय है।

वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए, देश के 102 शहरों में सरकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी लागू करने जा रही है। मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे मिशन के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इस मिशन के तहत 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है और 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर है।

इन सारे प्रयासों का असर देश के पर्यटन क्षेत्र पर भी दिख रहा है। बीते कुछ वर्षों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया गया है। हाल में देश की हैरिटेज बिल्डिंग्स के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कोलकाता से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से तैयार हो रहे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पर्यटन सेक्टर को

मजबूती मिल रही है। दुनिया की सबसे ऊंची, सरदार पटेल की प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या भी नित नए रिकॉर्ड बना रही है।

देश की विरासत के संरक्षण और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान व्यक्त करने को मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण का प्रमुख अंग मानती है। इसी सोच के साथ सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में हमारी आदिवासी वीरांगनाओं एवं वीरों के सशक्त योगदान को समर्पित म्यूजियम्स का निर्माण, देश के अलग-अलग राज्यों में किया जा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2022 में महान समाज सुधारक और देश को दिशा दिखाने वाले राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती भी भव्यता के साथ मनाई जाएगी।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य सदैव मानवता की सेवा रहा है। देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है। मेरी सरकार द्वारा चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम – गगनयान तथा आदित्य – एक मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है।

बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ - सीडीएस की नियुक्ति और सैन्य कार्य विभाग का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे तीनों सेनाओं में समन्वय भी बढ़ेगा और सेनाओं के आधुनिकीकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया भी तेज होगी।

भारत की सेनाओं और सुरक्षाबलों के पास पर्याप्त हथियार, सुरक्षा उपकरण तथा बुलेट प्रूफ जैकेट हों, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रूस के साथ मिलकर दुनिया की आधुनिक रायफल एके 203 का निर्माण शुरू किया जा रहा है। हाल ही में जब तेजस के नेवल प्रोटोटाइप ने आईएनएस विक्रमादित्य पर लैंडिंग की और उड़ान भरी तो प्रत्येक भारतीय गर्व से भर उठा था। सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। ए-सैट के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।

मेरी सरकार आतंकवाद के खतरे से देश को बाहर निकालने के लिए पूरे सामर्थ्य और दृढ़ता से काम कर रही है। आतंक के बदलते स्वरूप को देखते हुए

नागरिकों की सतर्कता भी बहुत काम आती है। जनता के सहयोग से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कितनी मदद मिलती है ये जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी से भी पता चलता है। मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है। सरकार के निरंतर प्रयास से नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी निरंतर सिमट रहा है।

मेरी सरकार विदेश नीति को देश की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू मानती है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आर्थिक विकास और संपन्नता को गति दे रहे हैं। "नेबरहुड फर्स्ट" की नीति हमारी प्राथमिकता है। अपने पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया है। आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को हम नए स्तर पर ले जा रहे हैं।

भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद सीडीआरआई यानी आपदारोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन नाम की वैश्विक साझेदारी की पहल की है। आपदा से निपटने के लिए उठाए गए इस कदम से एक संवेदनशील विश्व शक्ति के रूप में भारत की भूमिका और सशक्त होने जा रही है।

जो दशक अभी शुरू हो रहा है, वह आने वाले समय में, वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति तय करेगा। इसी दशक में दुनिया को न्यू इंडिया का समावेशी, समृद्ध, समर्थ और सशक्त स्वरूप दिखाई देगा। इसलिए, इस सदन के प्रत्येक सदस्य का तथा हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करें और अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।

देशहित के लिए देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, कर्तव्य के प्रति समर्पित हो तथा यह कर्तव्य बोध हमारे नागरिक जीवन की प्राथमिकता बने, इस दिशा में हम सभी को काम करना चाहिए। आइए, हम सब 2020 के दशक को कर्तव्यों का दशक बनाएं।

हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं। हमारे देश की प्रतिष्ठा हमारी दलीय प्रतिबद्धताओं से कहीं बढ़कर है।

मेरा यह विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम सब मिलकर अपने देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे और अपने प्रयासों में सफल भी होंगे।

आइए, हम सब मिलकर नए भारत का सपना पूरा करें, हम सब मिलकर नया भारत बनाएं।

जय हिंद।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 29 जनवरी 2021

लोक सभा	—	सत्रहवीं लोक सभा
सत्र	—	वर्ष का प्रथम सत्र
भारत के राष्ट्रपति	—	श्री राम नाथ कोविंद
भारत के उपराष्ट्रपति	—	श्री एम. वेंकैया नायडू
भारत के प्रधानमंत्री	—	श्री नरेंद्र मोदी
अध्यक्ष, लोक सभा	—	श्री ओम बिरला

माननीय सदस्यगण,

कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में हो रहा संसद का यह संयुक्त सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नया वर्ष भी है, नया दशक भी है और इसी साल हम आजादी के 75वें वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं। आज संसद के आप सभी सदस्य, हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहां उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, न हम रुकेंगे और न भारत रुकेगा।

भारत जब–जब एकजुट हुआ है, तब–तब इसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ऐसी ही एकजुटता और पूज्य बापू की प्रेरणा ने, हमें सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आजादी दिलाई थी। इसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए, राष्ट्र प्रेम से ओत–प्रोत कवि, असम केसरी, अंबिकागिरि राय चौधरी ने कहा थाः

ओम तत्सत् भारत महत, एक चेतोनात, एक ध्यानोत,
एक साधोनात, एक आवेगोत, एक होइ जा, एक होइ जा।

अर्थात्,

भारत की महानता परम सत्य है। एक ही चेतना में, एक ही ध्यान में, एक ही साधना में, एक ही आवेग में, एक हो जाओ, एक हो जाओ।

आज हम भारतीयों की यही एकजुटता, यही साधना, देश को अनेक आपदाओं से बाहर निकालकर लाई है। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप तो कभी बड़े–बड़े सायक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर बर्ड फ्लू तक, देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से, इतने मोर्चों पर, देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब, देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवाभाव के भी साक्षी बने हैं।

महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को असमय खोया भी है। हम सभी के प्रिय और मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन भी कोरोना काल में हुआ। संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए। मैं सभी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

हमारे शास्त्रों में कहा गया है – ''कृतम् मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य आहितः'' अर्थात्, हमारे एक हाथ में कर्तव्य होता है तो दूसरे हाथ में सफलता होती है। कोरोना महामारी के इस समय में, जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है।

जब हम बीते एक वर्ष को याद करते हैं तो हमें स्मरण होता है कि कैसे एक ओर नागरिकों के जीवन की रक्षा की चुनौती थी तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की चिंता भी करनी थी। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े।

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रतिमाह अतिरिक्त अनाज नि:शुल्क सुनिश्चित किया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की। वन नेशन–वन राशन कार्ड की सुविधा देने के साथ ही सरकार ने उन्हें नि:शुल्क अनाज मुहैया कराया और उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाईं।

महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए मेरी सरकार ने छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी

चलाया। इस अभियान की वजह से 50 करोड कार्य दिवस के बराबर रोजगार पैदा हुआ। सरकार ने रेहड़ी–पटरी वालों और ठेला लगाने वाले भाइयों–बहनों के लिए विशेष स्वनिधि योजना भी शुरू की। इसके साथ ही करीब 31 हजार करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जनधन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किए। इस दौरान देशभर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले।

अपने सभी निर्णयों में मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त किया है।

आचार्य चाणक्य ने कहा है–

तृष्णम् लघु, तृष्णात् तूलम, तूलादपि च याचकः।

वायुना किम् न नीतोऽसौ, मामयम् याचयिष्यति।।

याचना करने वाले को घास के तिनके और रुई से भी हल्का माना गया है। रुई और तिनके को उड़ा ले जाने वाली हवा भी याचक को इसलिए अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती कि कहीं वह हवा से भी कुछ मांग ना ले। इस प्रकार, हर कोई याचक से बचता है।

इसका अभिप्राय यह है कि यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा।

आजादी की लड़ाई के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिस सशक्त और स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे, उस सपने को सच करने का आधार भी देश की आत्मनिर्भरता से ही जुड़ा था। कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने, जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी जरूरतें थीं, हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है।

इस दौरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर, हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके, पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा

टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई हैं। भारत के इस कार्य की विश्व भर में हो रही प्रशंसा, हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना के साथ जग-कल्याण की हमारी प्रार्थना, हमारे प्रयासों को और ऊर्जा दे रही है।

मेरी सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ हमने इस कोरोना संकट के दौरान देखा है। इन वर्षों में इलाज से जुड़ी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के साथ ही बीमारी से बचाव पर भी उतना ही बल दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, खेलो इंडिया अभियान, ऐसे अनेक कार्यक्रमों से स्वास्थ्य को लेकर देश में नई सतर्कता आई है। आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के मेरी सरकार के प्रयासों का लाभ भी हमें देखने को मिला है।

मेरी सरकार के प्रयासों से, आज देश की स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों को आसानी से उपलब्ध हो रही हैं तथा बीमारियों पर होने वाला उनका खर्च कम हो रहा है। आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। इससे इन गरीबों के 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा, खर्च होने से बचे हैं। आज देश के 24 हजार से ज्यादा अस्पतालों में से किसी में भी आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि योजना के तहत देश भर में बने 7 हजार केंद्रों से गरीबों को बहुत सस्ती दर पर दवाइयां मिल रही हैं। इन केंद्रों में रोजाना लाखों मरीज दवाई खरीद रहे हैं। कीमत कम होने की वजह से मरीजों को सालाना लगभग 3600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मेडिकल शिक्षा का विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है। साल 2014 में देश में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज देश में 562 मेडिकल कॉलेज हैं। बीते 6 वर्षों में अंडरगेजुएट और पोस्ट गेजुएट चिकित्सा शिक्षा में 50 हजार से ज्यादा सीटों की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए 'एम्स' को भी मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ ही चार स्वायत्त बोर्ड का गठन कर केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की नींव रखी है। इन्हीं

सुधारों के क्रम में दशकों पुरानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवनस्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है।

आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया था। मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है।

आज कृषि के लिए उपलब्ध सिंचाई के साधनों में भी व्यापक सुधार आ रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र पर चलते हुए सरकार पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के साथ ही सिंचाई के आधुनिक तरीके भी किसानों तक पहुंचा रही है। 2013—14 में जहां 42 लाख हेक्टेयर जमीन में ही माइक्रो—इरिगेशन की सुविधा थी, वहीं आज 56 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अतिरिक्त जमीन को माइक्रो-इरिगेशन से जोड़ा जा चुका है।

मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों को हमारे किसान अपने परिश्रम से और आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश में खाद्यान्न उपलब्धता रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2008—09 में जहां देश में 234 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी वहीं साल 2019—20 में देश की पैदावार बढ़कर 296 मिलियन टन तक पहुंच गयी है। इसी अवधि में सब्जी और फलों का उत्पादन भी 215 मिलियन टन से बढ़कर अब 320 मिलियन टन तक पहुंच गया है। मैं इसके लिए देश के किसानों का अभिनंदन करता हूँ।

समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास सिर्फ एक या दो हेक्टेयर जमीन होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। देश के सभी किसानों में से 80 प्रतिशत से ज्यादा ये छोटे किसान ही हैं और इनकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है।

मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में ये छोटे और सीमांत किसान भी हैं। ऐसे किसानों के छोटे-छोटे खर्च में सहयोग करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में लगभग एक लाख तेरह हजार करोड़ से अधिक रुपए

सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में किसानों को 17 हजार करोड़ रुपए प्रीमियम के एवज में लगभग 90 हजार करोड़ रुपए की राशि, मुआवजे के तौर पर मिली है।

देश के छोटे किसानों को साथ जोड़कर 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों को स्थापित करने का अभियान एक ऐसा ही प्रभावशाली कदम है। इससे इन छोटे किसानों को समृद्ध किसानों की तरह बेहतर तकनीक, ज्यादा ऋण, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग की सुविधाएं और प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा मिलनी सुनिश्चित हुई है। इससे किसानों को अपनी फसल की ज्यादा कीमत और ज्यादा बचत का विकल्प भी मिला है।

व्यापक विमर्श के बाद संसद ने सात महीने पूर्व तीन महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, कृषि (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय-समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग-अलग फोरम पर, देश के हर क्षेत्र में दो दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई।

वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी।

लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार, इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है। लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए।

मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि तीन नए कृषि कानून बनने से पहले, पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थीं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है। बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नए अधिकार भी दिए हैं।

कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है।

देश भर में शुरू की गईं किसान रेल, भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही हैं। यह किसान रेल एक तरह से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। अब तक 100 से ज्यादा किसान रेलें चलाई जा चुकी हैं जिनके माध्यम से 38 हजार टन से ज्यादा अनाज और फल-सब्जियां, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई हैं।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने पशुधन को आय के स्रोत के रूप में स्थापित करने पर भी विशेष जोर दिया है। इसी का परिणाम है कि देश का पशुधन पिछले 5 वर्षों में सालाना 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना भी की है।

मेरी सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन को भी कृषि क्षेत्र की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है। इस क्षेत्र में अगले पांच सालों में लगभग बीस हजार करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का भी अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 20 लाख सोलर पंप दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा गन्ने के सीरे, मक्का, धान इत्यादि से एथनॉल के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 6 वर्षों में सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण एथनॉल का उत्पादन 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 190 करोड़ लीटर हुआ है। यह उत्पादन, इस वर्ष, बढ़कर 320 करोड़ लीटर तक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। एथनॉल, देश के किसानों की आय बढ़ाने का एक बड़ा जरिया बनकर उभर रहा है।

पूज्य बापू आत्मनिर्भर ''आदर्श गांवों'' के निर्माण की इच्छा रखते थे। इसी विचार को लेकर चल रही मेरी सरकार आज गांवों के बहुआयामी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, यह मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसका उत्तम उदाहरण 2014 से गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए बनाए गए 2 करोड़ घर हैं। वर्ष 2022 तक हर गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की गति भी तेज की गई है।

मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना से अब ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर कानूनी हक मिल रहा है। स्वामित्व के इस अधिकार से अब गांवों में भी संपत्तियों पर बैंक लोन लेना, हाउस लोन लेना आसान बनेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इस योजना का भी विशेष लाभ गांवों के छोटे उद्यमियों और कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों तथा छोटे किसानों को होगा।

बाबा साहेब अंबेडकर संविधान के मुख्य शिल्पी होने के साथ-साथ हमारे देश में वॉटर पॉलिसी को दिशा दिखाने वाले भी थे। 8 नवंबर, 1945 को कटक में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था "जल एक संसाधन है। जल लोगों की सम्पदा होने के कारण और इसकी उपलब्धता में एकरूपता न होने के कारण, इसकी कमी के लिए प्रकृति से शिकायत करना उचित नहीं है, अपितु जल के संरक्षण पर ध्यान देना अधिक उपयुक्त होगा।"

बाबा साहेब की प्रेरणा को साथ लेकर, मेरी सरकार 'जल जीवन मिशन' की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत 'हर घर जल' पहुंचाने के साथ ही जल संरक्षण पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ परिवारों को पाइप वॉटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। इस अभियान में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के भाई-बहनों तथा वंचित वर्गों के अन्य लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है।

हमारे गांवों को 21वीं सदी की जरूरतों और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार में भी सराहनीय काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 लाख 42 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस योजना के तीसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों के साथ-साथ स्कूलों, बाजारों और अस्पतालों आदि से जोड़ने वाले 1 लाख 25 हजार किलोमीटर रास्तों को भी अपग्रेड किया जाएगा।

गांवों में सड़कों के साथ ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी उतनी ही अहम है। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद मेरी सरकार देश के 6 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है।

हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत ताकत हमारे गांवों और छोटे शहरों में फैले हमारे लघु उद्योग, हमारे कुटीर उद्योग, एमएसएमई ही हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा सामर्थ्य हमारे इन लघु उद्योगों के ही पास है। देश के कुल निर्यात में इनकी भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत की है। आत्मनिर्भर भारत के मिशन में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं।

एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव हो, निवेश की सीमा बढ़ाना हो या फिर सरकारी खरीद में वरीयता, अब लघु और कुटीर उद्योगों को विकास के लिए जरूरी प्रोत्साहन मिला है। तीन लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना, मुश्किल में फंसे एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ की विशेष योजना और फंड ऑफ फंड्स जैसे प्रयासों ने लाखों लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचाया है। जीईएम (जेम) पोर्टल से देश के दूरदराज वाले क्षेत्रों के एमएसएमई को सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ-साथ अधिक भागीदारी भी मिल रही है।

मेरी सरकार की यह निरंतर कोशिश है कि उद्यमशीलता का लाभ देश के हर वर्ग को मिले। हुनर हाट और उस्ताद योजना के माध्यम से लाखों शिल्पकारों का कौशल विकास भी किया जा रहा है और उनको रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इन लाभार्थियों में आधे से अधिक महिला शिल्पकार हैं। ई-हाट के माध्यम से इन शिल्पकारों को पूरी दुनिया के खरीदारों से जोड़ा जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमियों की विशेष भूमिका है। मेरी सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुद्रा योजना के तहत अब तक 25 करोड़ से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में आज 7 करोड़ से अधिक महिला उद्यमी करीब 66 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। बैंकों के माध्यम से इन महिला समूहों को पिछले 6 वर्षों में 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार एक रुपए में 'सुविधा' सैनिटरी नैपकिन देने की योजना भी चला रही है। सरकार गर्भवती महिलाओं के मुफ्त चेक-अप की मुहिम एवं राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाकर, उन्हें आर्थिक मदद देकर, गर्भवती माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसी का परिणाम है कि देश में मातृ मृत्यु दर 2014 में प्रति लाख 130 से कम होकर 113 तक आ गयी है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी पहली बार घटकर 36 तक आ गई है, जो वैश्विक दर 39 से कम है।

महिलाओं की समान भागीदारी को आवश्यक मानने वाली मेरी सरकार नए-नए क्षेत्रों में बहनों-बेटियों के लिए नए अवसर बना रही है। भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम हो, मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति हो, या फिर अंडर ग्राउंड माइन्स में तथा ओपन कास्ट माइन्स में महिलाओं को रात्रि में कार्य करने की अनुमति, ये सभी निर्णय पहली बार मेरी सरकार ने ही लिए हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन स्टॉप सेंटर, अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम और देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर तेजी से काम किया गया है।

21वीं सदी की वैश्विक आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से विषय पढ़ने की आजादी दी गई है। किसी कोर्स के बीच में भी विषय और स्ट्रीम बदलने का विकल्प युवाओं को दिया गया है।

मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री ई-विद्या के अंतर्गत, स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा ऑनलाइन पोर्टल को वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया है। विद्यार्थियों के हितों के लिए संवेदनशील मेरी सरकार ने जेईई और नीट परीक्षाओं का भी सफल आयोजन कर उनका एक साल व्यर्थ होने से बचाया है।

मेरी सरकार का मानना है कि सबसे ज्यादा वंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक विकास की यात्रा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा से आरंभ होती है। सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ ऐसे ही 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिल रहा है। इनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, वनवासी एवं जनजातीय वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र और जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का लाभ मिले।

इसके साथ ही, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र सरकार के हिस्से को भी बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए हर आदिवासी बहुल ब्लॉक तक एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के विस्तार का काम किया जा रहा है। अब तक इस प्रकार के साढ़े पांच सौ से ज्यादा स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं।

शिक्षा के साथ-साथ नौकरी की प्रक्रियाएं आसान करने और व्यवस्थित करने पर भी मेरी सरकार का जोर है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरव्यू समाप्त करने से युवाओं को बहुत लाभ हुआ है। सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करके नौजवानों को नियुक्ति के लिए कई अलग–अलग परीक्षाएं देने की परेशानी से मुक्त किया है।

मेरी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र के साथ देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास को प्राथमिकता दे रही है। दिव्यांगजनों की मुश्किलों को कम करने के लिए देशभर में हजारों इमारतों को, सार्वजनिक बसों और रेलवे को सुगम्य बनाया गया है। लगभग 700 वेबसाइटों को दिव्यांगजनों के अनुकूल तैयार किया गया है। इसी तरह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बेहतर सुविधाएं और समान अवसर देने के लिए उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम लागू किया गया है। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए भी विकास एवं कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है।

विकास की दौड़ में पीछे रह गए देश के 112 आकांक्षी जिलों में मेरी सरकार प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनाओं को लागू कर रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ आदिवासी भाई-बहनों को हो रहा है। आदिवासियों की आजीविका के प्रमुख साधन यानी वन-उपज की मार्केटिंग और वन-उपज आधारित छोटे उद्योगों की स्थापना का काम भी जारी है। ऐसी कोशिशों से लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जनजातीय परिवारों तक पहुंची है। सरकार द्वारा 46 वन-उपजों पर एमएसपी, 90 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है।

आधुनिक टेक्नोलॉजी का भारत में विकास और हर भारतीय की आधुनिक टेक्नोलॉजी तक आसान पहुंच, आत्मनिर्भर बनते भारत की अहम पहचान है।

दो गज की दूरी की अनिवार्यता के बीच, देश की संस्थाओं और नागरिकों ने डिजिटल इंडिया की ताकत से देश की रफ्तार को थमने नहीं दिया। पिछले वर्ष दिसंबर में यूपीआई से 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का डिजिटल पेमेंट हुआ

है। आज देश के 200 से ज्यादा बैंक यूपीआई व्यवस्था से जुड़े हैं। इसी तरह, डिजिलॉकर का, 400 करोड़ से अधिक डिजिटल डॉक्युमेंट्स के लिए, पेपरलेस प्लेटफार्म की तरह उपयोग किया जा रहा है। उमंग ऐप पर भी देश के करोड़ों नागरिक 2 हजार से ज्यादा सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। देश में साढ़े 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी सेवाओं से जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में, भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन करके अब देश में ई-स्टांप की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है।

जनधन खातों, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने लोगों को उनका अधिकार सुनिश्चित किया है। इस जेएएम त्रिशक्ति की वजह से, एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं।

मेरी सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन' के जरिए चिकित्सा सेवाओं को डिजिटल बनाने की शुरुआत भी की गई है। इसके माध्यम से आने वाले समय में देश के नागरिक डिजिटल अपाइंटमेंट, डिजिटल रिपोर्ट के साथ साथ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

हमारा अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम–नाविक भी आज भारत का गौरव बढ़ा रहा है। इसका लाभ अब हजारों मछुआरे साथियों को मिल रहा है। हाल में नेशनल एटॉमिक क्लॉक और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली के रूप में नए मानक भी राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इन स्वदेशी समाधानों से भारत के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।

टेक्नॉलॉजी का यह अभियान देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी सशक्त कर रहा है। इस दिशा में राष्ट्रीय 'ई–विधान ऐप' के जरिए देश की सभी विधान सभाओं, विधान परिषदों और संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। राज्य विधानसभाओं में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन यानि 'नेवा' का कार्यान्वयन, विधायी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संचालन में एक नए युग की शुरुआत करेगा।

हमारी संसद, लोकतन्त्र में देशवासियों की बढ़ती हुई भागीदारी और नए भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पहले की सरकारों में तथा संसद के सदनों में यह बात उठती रही है कि संसद की यह इमारत, हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। संसद की नई इमारत को लेकर पहले की सरकारों ने भी प्रयास किए थे। यह सुखद संयोग है कि

आजादी के 75वें वर्ष की तरफ बढ़ते हुए हमारे देश ने, संसद की नई इमारत का निर्माण शुरू कर दिया है। नए संसद भवन के बनने से अपने संसदीय दायित्वों को निभाने में हर सदस्य को अधिक सुविधा मिलेगी।

देशवासियों ने जिस तेजी से तकनीक और बदलाव को आत्मसात किया है, वह इस बात का प्रमाण है कि आज हर भारतीय, देश को नई ऊंचाई पर पहुंचते हुए देखने के लिए कितना आतुर है। देशवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार तेजी से निर्णय ले रही है और अर्थव्यवस्था से जुड़े हर सेक्टर में ऐसे सुधार कर रही है जिनकी प्रतीक्षा वर्षों से थी।

फेसलेस टैक्स असेसमेंट और अपील की सुविधा देने के साथ ही मेरी सरकार ने देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी अधिनियम के अनेक प्रावधानों को गैर-आपराधिक बना दिया है। उद्योगों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों का, जीआईएस तकनीक पर आधारित डेटाबेस तैयार किया गया है। इस डेटाबेस में देशभर की लगभग 5 लाख हेक्टेयर औद्योगिक भूमि से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।

मुझे खुशी है कि संसद के दोनों सदनों ने श्रमेव जयते की भावना पर चलते हुए श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने वाला निर्णय लिया है। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को कम करके 4 लेबर कोड बनाए हैं। इन श्रम सुधारों में राज्यों ने भी अगुवाई की है। इन सुधारों से श्रम कल्याण का दायरा बढ़ेगा, श्रमिकों को निश्चित समय पर मजदूरी मिल पाएगी और रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। नए लेबर कोड हमारी महिला श्रमिकों की अधिक और सम्मानजनक भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं।

उद्योगों के लिए, श्रम के साथ-साथ, आसान पूंजी भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए देश के बैंकिंग सिस्टम को सशक्त किया जा रहा है। देश में बड़े और शक्तिशाली बैंकों के निर्माण के लिए छोटे बैंकों का आपस में विलय भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

मैन्युफेक्चरिंग से जुड़े 10 सेक्टर्स के लिए पहली बार देश में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है। इसका लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनेक दूसरे सामान की मैन्युफेक्चरिंग में दिखने भी लगा है। देश और विदेश की अनेक बड़ी कंपनियों ने भारत में इन योजनाओं के तहत काम शुरू कर दिया है।

मेरी सरकार, भारत में बने सामान के उपयोग के लिए जन-भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। आज वोकल फॉर लोकल देश में जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। भारत में बने सामान के प्रति भावनात्मक लगाव के साथ ही गुणवत्ता में भी वे श्रेष्ठ हों, इस दिशा में काम किया जा रहा है।

देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भी निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बड़े हर्ष की बात है कि रैंकिंग में सुधार की गंभीरता को राज्य भी समझ रहे हैं और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

कोरोना के इस काल में, प्रत्येक भारतीय का जीवन बचाने के प्रयासों के बीच अर्थव्यवस्था को जो हानि हुई थी, उससे भी अब देश उबरने लगा है। यह आज अनेक इंडिकेटर्स के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। इस मुश्किल समय में भी भारत दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बनकर उभरा है। अप्रैल से अगस्त, 2020 के बीच लगभग 36 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है।

मेरी सरकार मानती है कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव का काम करेगा। कोरोना काल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम होना और उनका पूरा होना, हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, अटल टनल हो या फिर चार धाम सड़क परियोजना, हमारा देश विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता रहा।

कुछ दिन पहले ही पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शंस, देश को समर्पित किए गए हैं। ये फ्रेट कॉरिडोर पूर्वी भारत में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ ही रेल यात्रा में होने वाली अनावश्यक देरी को भी कम करेंगे।

देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक रूप देने के लिए मेरी सरकार 110 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाईपलाइन पर भी काम कर रही है। साथ ही, भारतमाला परियोजना के पहले चरण में छह नए एक्सप्रेस-वे और 18 नए एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर्स का निर्माण चल रहा है।

गुजरात के हजीरा और घोघा के बीच शुरू की गई रो–पैक्स फेरी सेवा हो या फिर केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच सी–प्लेन सेवा, ये भारत में वॉटर ट्रांसपोर्ट को नया आयाम दे रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा

का गौरव अपने साथ रखने वाले केवड़िया से अब देश के अनेक शहरों से सीधे ट्रेनें भी चलने लगी हैं।

देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए गैस कनेक्टिविटी पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही कोच्चि-मैंगलुरू गैस पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया है। डोभी-दुर्गापुर गैस पाइपलाइन का निर्माण 'ऊर्जा गंगा' का प्रवाह बढ़ा रहा है। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल तक जाएगी और पूर्वी भारत के विभिन्न उद्योगों, विशेषकर खाद कारखानों को, गैस उपलब्ध कराएगी। इसी तरह तमिलनाडु के खाद कारखाने और अन्य औद्योगिक इकाइयों को गैस पाइपलाइन से जोड़ने के लिए तूतीकोरीन-रामनाथपुरम गैस पाइपलाइन पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है।

मेरी सरकार देश में शहरीकरण के विकास को एक अवसर के रूप में देखती है, इसलिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यापक निवेश किया जा रहा है। शहरों में गरीबों के लिए स्वीकृत एक करोड़ से अधिक घरों में से करीब 40 लाख का निर्माण पूरा हो चुका है। कुछ दिन पहले देश के 6 शहरों में आधुनिक टेक्नालॉजी आधारित घर बनाने का काम भी शुरू किया गया है। शहरों में काम करने वाले श्रमिकों को बेहतर आवास मिल सकें इसके लिए उचित किराए वाली योजना भी शुरू की गई है।

शहरों में कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार की प्राथमिकता है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो सेवा के विस्तार के लिए काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली मेट्रो के एक रूट पर ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन भी किया गया। शहरों में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स के निर्माण से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जा रहा है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड के देशभर में हो रहे विस्तार से देश के शहरों में यात्रा और आसान होगी।

मेरी सरकार पूर्वी भारत के संपूर्ण और संतुलित विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर की भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई विशेषताओं और सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए तेज विकास की नीति पर काम किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी असम सहित उत्तर–पूर्वी राज्यों की 'जीबोनधारा' है। इसी जीवनधारा को आर्थिक गतिविधियों का आधार बनाकर विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों के आरंभ के लिए काम हो रहा है। इसका लाभ पूर्वोत्तर के किसानों, युवाओं और उद्यमियों, सभी को होगा। 'अर्थ ब्रह्मपुत्र' प्रोग्राम से 'इंटीग्रेटेड नेशनल वाटरवेज' का विकास कर, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को विकास की धारा बनाने का प्रयास जारी है।

मेरी सरकार ने पूर्वोत्तर में स्थाई शांति के लिए संवेदनशीलता और सहभागिता की जिस नीति के साथ काम किया उसका लाभ आज साफ दिख रहा है। आज पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्ति की ओर है और हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है। हिंसा के रास्ते पर भटके युवा अब विकास और राष्ट्र—निर्माण की मुख्यधारा में लौट रहे हैं।

ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को शांति और सौहार्द के साथ पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार ऐतिहासिक बोडो शांति समझौता भी हुआ है, जिसे सफलतापूर्वक लागू किया गया है। समझौता होने के बाद इस बार बोडो टैरीटोरियल काउंसिल के चुनाव भी सफलता के साथ पूरे हुए हैं।

मेरी सरकार देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है। एक तरफ जहां हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ हिंसा फैलाने वाली ताकतों पर कड़ाई बरती जा रही है। इसी का परिणाम है कि नक्सली हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दायरा सिमट रहा है।

मेरी सरकार की विकास नीति को जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया है। कुछ सप्ताह पहले ही, आजादी के बाद पहली बार, जम्मू-कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव सफलता के साथ संपन्न हुए हैं। बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी ने दर्शाया है कि जम्मू-कश्मीर नए लोकतांत्रिक भविष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ चला है। प्रदेश के लोगों को नए अधिकार मिलने से उनका सशक्तीकरण हुआ है। आयुष्मान भारत—सेहत योजना लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है। जम्मू में सेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की एक बेंच भी स्थापित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, कुछ महीने पहले लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई है। अब लद्दाख के लोग स्वयं, अपने प्रदेश के विकास से जुड़े निर्णय और तेजी से ले रहे हैं।

इस कोरोना काल में हम जब देश के भीतर आपदाओं से निपट रहे थे, तब हमारी सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के प्रयास किए गए। एलएसी पर द्विपक्षीय सम्बन्धों और समझौतों को दरकिनार करते हुए शांति भंग करने की कोशिशें हुईं। लेकिन हमारे सुरक्षाबलों ने न केवल पूरी सजगता, शक्ति और हौसले के साथ इन षड्यंत्रों का मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि सीमा पर यथास्थिति बदलने

के सभी प्रयासों को भी नाकाम किया। हमारे जांबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, कम है। जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है।

मेरी सरकार, देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और सतर्क भी है। एलएसी पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्यबलों की तैनाती भी की गई है।

हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान देशभक्ति के अमर गीतों की रचना करने वाले मलयालम के श्रेष्ठ कवि वल्लथोल ने कहा हैः

भारतम् ऐन्ना पेरू केट्टाल अभिमाना पूरिदम् आगनम् अंतरंगम्।

अर्थात्,

जब भी आप भारत का नाम सुनें, आपका हृदय गर्व से भर जाना चाहिए।

मेरी सरकार भविष्य के भारत की व्यापक भूमिका को देखते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को सशक्त करने में जुटी है। आज अनेक आधुनिक साजो–सामान भारत की सैन्य क्षमता का हिस्सा बन रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी सरकार का जोर है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने एचएएल को 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण का ऑर्डर दिया है। इस पर 48 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा से जुड़े 100 से अधिक सामानों के आयात पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह सुपरसोनिक टॉरपीडो, क्विक रिएक्शन मिसाइल, टैंक और स्वदेशी रायफलों सहित अनेक अत्याधुनिक हथियार देश में ही बन रहे हैं। आज भारत रक्षा सामान के निर्यात के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संर्वधन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) का गठन स्पेस सेक्टर में बड़े सुधारों को गति देगा। आज हमें गर्व है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान–3, गगनयान, और स्माल सेटैलाइट लॉंच व्हिकल जैसे महत्वपूर्ण अभियानों पर काम कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा में भी देश तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। कुछ महीने पहले काकरापार में देश के पहले स्वदेशी प्रेसराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का सफल परीक्षण किया गया है।

विकास के साथ ही पर्यावरण सुरक्षा भी मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी संकल्प को लेकर भारत जीडीपी की एमिशन्स इंटेंसिटी को वर्ष 2005 की तुलना में 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पेरिस समझौते को लागू करने में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है।

हाल ही में, कच्छ के रेगिस्तान में, दुनिया का सबसे बड़ा हाईब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने का काम शुरू हुआ है। पिछले 6 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में ढाई गुना वृद्धि हुई है, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता 13 गुना बढ़ी है। आज देश में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लगभग एक चौथाई हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है।

भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को इस कोरोना काल में भी जिस गंभीरता से निभा रहा है उसे आज दुनिया देख रही है। ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की भावना को चरितार्थ करते हुए भारत ने देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ही 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति की। भारत, वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है कि वंदे भारत मिशन, जो दुनिया में इस प्रकार का सबसे बड़ा अभियान है, उसकी सराहना हो रही है। भारत ने दुनिया के सभी हिस्सों से लगभग 50 लाख भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के साथ ही एक लाख से अधिक विदेशी नागरिकों को भी उनके अपने देशों तक पहुंचाया है।

कोविड-19 की बाधाओं के बावजूद, भारत ने सभी साथी देशों से अपने संपर्कों और सम्बन्धों को और मजबूत बनाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिखर सम्मेलन, बहुपक्षीय कार्यक्रम और आधिकारिक बैठकों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भारत ने आगे बढ़ाया है। भारत ने ऐतिहासिक वैश्विक समर्थन हासिल करके इस वर्ष आठवीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में प्रवेश भी किया है। भारत ने 2021 के लिए ब्रिक्स में अध्यक्ष पद भी ग्रहण किया है।

आज जब भारत दुनिया में अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है तो हमें भी उतने ही बड़े संकल्पों को सिद्ध करना होगा। 2021 का यह वर्ष हमारे लिए इसलिए भी अहम है। देश ने कुछ दिन पहले 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाया है। यह वर्ष नेताजी

की 125वीं जन्मजयंती का वर्ष भी है। नेताजी की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मेरी सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। हम सबके पूज्य, गुरु तेगबहादुर का 400वां प्रकाश पर्व भी हम पूरी श्रद्धा के साथ मनाएंगे। इन समारोहों के साथ ही, देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का शुभारंभ भी इसी वर्ष हो जाएगा।

विगत वर्ष में, सामूहिकता की जिस शक्ति का हमने साक्षात्कार किया है, उसी शक्ति से हमें नए लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनेक ऐसे काम कर दिखाए हैं जिनको कभी बहुत कठिन माना जाता था।

- आर्टिकल 370 के प्रावधानों के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को नए अधिकार मिले हैं।
- नागरिकता संशोधन कानून संसद द्वारा पास किया जा चुका है।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है।
- सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।
- उच्चतम न्यायालय के फैसले के उपरांत भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनस की रैंकिंग में भारत ने रिकॉर्ड सुधार किया है। अब अनुपालन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
- वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 65वें से 34वीं रैंकिंग पर आ गया है।
- जिस डीबीटी को नजरअंदाज किया जा रहा था, उसी की मदद से पिछले 6 साल में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई है।
- कभी हमारे यहां सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है।

- आज मध्यम वर्ग के लाखों लोगों को भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम के तहत भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण यानि रेरा का लाभ मिल रहा है।

- इस दौरान सिर्फ नए कानून ही नहीं बने बल्कि 1500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया जा चुका है।

ऐसे अनेक निर्णय हैं, जो लगभग हर क्षेत्र में लिए गए हैं। मेरी सरकार ने दिखाया है कि नीयत साफ हो, इरादे बुलंद हों तो बदलाव लाया जा सकता है। इन वर्षों में मेरी सरकार ने जितने लोगों के जीवन को छुआ है, वह अभूतपूर्व है।

- हर गरीब का घर रोशन हो, इसके लिए ढाई करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन निःशुल्क दिए गए।

- गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम हो, इसके लिए 36 करोड़ से ज्यादा सस्ते एलईडी बल्ब वितरित किए गए।

- दुर्घटना की स्थिति में गरीब परिवार को दर-दर न भटकना पड़े इसके लिए सिर्फ एक रुपए महीना के प्रीमियम पर 21 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया।

- गरीब की मृत्यु के बाद उसके परिवार के पास एक संबल रहे, इसलिए सिर्फ 90 पैसा प्रतिदिन के प्रीमियम पर लगभग साढ़े 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया।

- गरीब का शिशु किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो इसलिए मेरी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई बल्कि टीकाकरण अभियान को देश के उन आदिवासी इलाकों में भी ले गई जो अब तक अछूते थे।

- मिशन इंद्रधनुष के तहत साढ़े 3 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया।

- गरीब के हक का राशन कोई दूसरा न छीन ले, इसके लिए शत प्रतिशत राशन कार्ड को डिजिटल किया जा चुका है, 90 प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है।

- रसोई के धुएं से गरीब बहन-बेटी की सेहत न खराब हो, इसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कनेक्शन दिए गए।
- गरीब बहन-बेटी की गरिमा बढ़े, उनकी परेशानी कम हो, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए।
- घर में काम करने वाले भाई-बहन, गाड़ी चलाने वाले, जूता सिलने वाले, कपड़ा प्रेस करने वाले, खेतिहर मजदूर, ऐसे गरीब साथियों को भी पेंशन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना चलाई गई।
- गरीब को बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिले, इसके लिए 41 करोड़ से अधिक गरीबों के जनधन खाते खोले गए। इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी गरीब बहनों और बेटियों के हैं।

ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इनमें से हर आंकड़ा, अपने आप में एक जीवनगाथा है। इस संसद के अनेक सदस्यों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय इन्हीं परिस्थितियों में गुजारा है। हमारे जिस कार्य से गरीब भाई-बहनों की चिंता, उनका दुख और तकलीफ कम हो सके, उन्हें अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़कर सशक्तिकरण और आत्मसम्मान के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके, ऐसा प्रत्येक कार्य इस संसद में हमारी उपस्थिति को सार्थक बनाएगा।

मुझे गर्व है कि मेरी सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदार नीयत के साथ, पिछले 6 वर्षों से इस दिशा में निरंतर काम कर रही है, फैसले ले रही है तथा उन्हें लागू कर रही है।

वीरता, आध्यात्म और प्रतिभाओं की भूमि पश्चिम बंगाल के सपूत, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरीन्द्रनाथ टैगोर ने देशप्रेम से भरे एक ओजस्वी गीत की रचना की थी। उन्होंने लिखा था:

चॉल रे चॉल शॉबे, भारोत शन्तान,

मातृभूमी कॉरे आह्वान,

बीर–ओ दॉरपे, पौरुष गॉरबे,

शाध रे शाध शॉबे, देशेर कल्यान।

अर्थात्

मातृभूमि आह्वान कर रही है कि हे भारत की संतानो, सभी मिल–जुलकर चलते रहो। वीरता के स्वाभिमान तथा पौरुष के गर्व के साथ तुम सभी देश के कल्याण की निरंतर कामना करते रहो।

आइए,

हम सब मिलकर आगे बढ़ें, सभी देशवासी मिलकर आगे बढ़ें।

अपना कर्तव्य निभाएं और राष्ट्र-निर्माण में अपना योगदान दें,

आइए, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं।

आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

जय हिंद।

संसद के समक्ष अभिभाषण – 31 जनवरी 2022

लोक सभा	—	सत्रहवीं लोक सभा
सत्र	—	वर्ष का प्रथम सत्र
भारत के राष्ट्रपति	—	श्री राम नाथ कोविंद
भारत के उपराष्ट्रपति	—	श्री एम. वेंकैया नायडू
भारत के प्रधानमंत्री	—	श्री नरेंद्र मोदी
अध्यक्ष, लोक सभा	—	श्री ओम बिरला

माननीय सदस्यगण,

कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्य-परायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्पशक्ति भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ, मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं।

मैं आज संसद के इस समवेत सत्र में, देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आजादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ।

अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसर भी सभी देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु तेगबहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, श्री अरबिन्दो की 150वीं जन्म-जयंती, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई का 150वां जन्मवर्ष और नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जन्म-जयंती जैसे पुण्य

अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सरकार ने इस वर्ष से, गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी की जयंती पर, 23 जनवरी से ही मनाने की शुरुआत की है।

मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना, देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' की घोषणा एवं 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' इसी सोच का परिचायक है। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्म-दिवस 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया।

आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी भारतीयों के लिए अगले 25 वर्षों के संकल्पों को आकार देने का पवित्र अवसर है। मेरी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास' के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्व-समावेशी, सर्व-हितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्मनिर्भरता है। कोरोना के इस कठिन समय की चुनौतियों ने देशवासियों को अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है।

कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों – सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग, लोकतन्त्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूँ।

कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। इस अभियान की सफलता ने देश को एक ऐसा रक्षा-कवच दिया है जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ा है।

आज देश में 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज मिल चुकी है जबकि 70 प्रतिशत से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। 'हर घर दस्तक अभियान' के माध्यम से सरकार बाकी लोगों तक भी पहुंच रही है। इसी माह, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर-किशोरियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रीकॉशनरी डोज की शुरुआत भी की गई है।

अब तक देश में कुल 8 वैक्सीन्स को इमर्जेंसी यूज़ के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। भारत में बन रही तीन वैक्सीन्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आपात स्थिति में उपयोग की मंजूरी भी मिली है। भारत में बन रही ये वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारे देश के प्रयास केवल तात्कालिक चुनौतियों तक सीमित नहीं हैं। इसीलिए, मेरी सरकार ऐसे दूरदर्शी समाधान तैयार कर रही है जो भविष्य के लिए भी प्रभावी और उपयोगी रहें। सरकार द्वारा 64 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा।

मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएँ जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है। सरकार ने 8000 से अधिक जन-औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है। सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाया गया 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' भी एक बड़ा कदम है।

कोरोना काल में भारतीय फार्मा सेक्टर ने भी अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। वर्तमान समय में भारतीय फार्मा कंपनियों के उत्पाद 180 से ज्यादा देशों में पहुँच रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भारत के लिए संभावनाएं कहीं अधिक व्यापक हैं। फार्मा

इंडस्ट्री के लिए मेरी सरकार द्वारा घोषित पीएलआई स्कीम से इन संभावनाओं को विस्तार मिलेगा और रिसर्च को भी गति मिलेगी।

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप योग, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2014 में देश से 6600 करोड़ रुपए के आयुष उत्पादों का निर्यात होता था, जो आज बढ़कर 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दुनिया के सबसे पहले 'डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडीशनल मेडिसन' की स्थापना भी भारत में होने जा रही है।

हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था–

"मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भाई-चारे पर आधारित हो। .... प्रजातन्त्र, सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है। .... प्रजातन्त्र का मूल है, अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना।"

बाबा साहेब के इन आदर्शों को मेरी सरकार अपने लिए ध्येय वाक्य मानती है। मेरी सरकार की आस्था अंत्योदय के मूल मंत्र में है जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हों। इसलिए आज सरकार की नीतियों में गाँव, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कारों के चयन में भारत की यह भावना भली-भाँति झलकती है। विविधता से भरे भारत में, देश के कोने-कोने में समर्पित जीवन जीने वाले लोग राष्ट्र-सेवा में जुटे हुए हैं। उनमें भारत की शक्ति के दर्शन होते हैं।

कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े-बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है। लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है।

कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री-स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी-पटरी वाले भाइयों-बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 29 सौ करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की गई है। सरकार अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड डिलिवरी करने वाली कंपनियों के साथ भी जोड़ रही है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया है जिससे अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं।

जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात् जेएएम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तीकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रान्सफर का लाभ मिला है।

डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के यूपीआई प्लेटफार्म की सफलता के लिए भी मैं सरकार के विजन की प्रशंसा करूंगा। दिसम्बर 2021 में, देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन यूपीआई के माध्यम से हुआ है। यह इस बात का उदाहरण है कि हमारे देश में जन-सामान्य द्वारा बदलाव और तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है।

मेरी सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीब के सशक्तीकरण और गरीब की गरिमा बढ़ाने का माध्यम मानती है। पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत गत तीन वर्षों में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की लागत से एक करोड़ सत्रह लाख घर स्वीकृत किए गए हैं।

'हर घर जल' पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। महामारी की बाधाओं के बावजूद करीब 6 करोड़ ग्रामीण घरों को पेयजल के कनेक्शन से जोड़ा गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव की महिलाओं, बहनों, बेटियों को हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों को उनकी संपत्ति के दस्तावेज देने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना भी एक असाधारण प्रयास है। इस योजना के तहत अब तक 27 हजार गाँवों में 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। ये प्रॉपर्टी कार्ड

न केवल विवादों को रोकने में सहायक हैं बल्कि गांव के लोगों को बैंकों से मदद मिलना भी आसान हो रहा है।

मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। खरीफ की फसल के दौरान रिकॉर्ड लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई जिससे एक करोड़ तीस लाख किसान लाभान्वित हुए।

सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुँच गया है।

हॉर्टिकल्चर और शहद उत्पादन भी किसानों के लिए आमदनी के नए स्रोतों और बाजार तक उनकी बढ़ती पहुँच के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। शहद उत्पादन को प्रोत्साहन देने से वर्ष 2020-21 में देश का शहद उत्पादन एक लाख पच्चीस हजार मीट्रिक टन तक पहुँच गया है जोकि 2014-15 की तुलना में करीब 55 प्रतिशत ज्यादा है। 2014-15 की तुलना में शहद की निर्यात मात्रा में भी 102 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है।

किसानों को उनकी फसल के अधिक दाम मिलें, इसके लिए उनके उत्पादों का सही बाजार तक पहुँचना जरूरी होता है। इस दिशा में सरकार ने किसान रेल सेवा शुरू करते हुए किसानों के लिए खुशहाली के नए रास्ते खोलने का काम किया है। कोरोना काल में भारतीय रेल ने सब्जियों, फलों तथा दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री के परिवहन के लिए 150 से अधिक मार्गों पर 1900 से ज्यादा किसान रेल चलाईं और करीब 6 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की। यह इस बात का उदाहरण है कि अगर सोच नई हो तो पुराने संसाधनों से भी नए रास्ते बनाए जा सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में देश की सतत् सफलता और बढ़ते सामर्थ्य का सबसे बड़ा श्रेय, मैं देश के छोटे किसानों को देना चाहता हूँ। देश के 80 प्रतिशत किसान छोटे किसान ही हैं जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री

किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फसल बीमा योजना में नए बदलावों का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इन बदलावों के बाद से अब तक 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजे के तौर पर एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है।

खेतों के नजदीक जरूरी इनफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी मेरी सरकार अभूतपूर्व स्तर पर निवेश कर रही है। एक लाख करोड़ रुपए के कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत हजारों परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार ने खाद्य तेल में आत्म-निर्भरता को ध्यान में रखते हुए 11 हजार करोड़ रुपए की लागत से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑल्यस – ऑयल पॉम की शुरुआत भी की है। सरकार ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती और क्रॉप डायवर्सिफिकेशन जैसे विशेष प्रयास भी कर रही है।

यह आप सभी की जानकारी में है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। मेरी सरकार इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स को देश के किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओज़, फूड इंडस्ट्री और जन-सामान्य के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर मनाएगी।

मेरी सरकार, वर्षा जल संरक्षण के लिए भी गंभीरता से काम कर रही है। देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पारंपरिक जल-स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं और अटल भू-जल योजना की मदद से देश में 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। नदियों को आपस में जोड़ने की योजनाओं पर भी सरकार ने काम आगे बढ़ाया है। हाल ही में 45 हजार करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना बुंदेलखंड में पानी की चुनौतियों को समाप्त करने में सहायक होगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है। 2021—22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है। सरकार ने हजारों महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर उन्हें

बैंकिंग सखी के रूप में भागीदार भी बनाया है। ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने का माध्यम बन रही हैं।

महिला सशक्तीकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उज्ज्वला योजना की सफलता के हम सभी साक्षी हैं। "मुद्रा" योजना के माध्यम से हमारे देश की माताओं-बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" पहल के अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरूषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है।

सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग तीन करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं जबकि मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे साढ़े चार करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इससे मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है तथा उनके प्रवेश में वृद्धि देखी गई है।

देश की बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूज़न फंड का भी प्रावधान किया गया है। यह हर्ष की बात है कि मौजूदा सभी 33 सैनिक स्कूलों ने बालिकाओं को प्रवेश देना शुरू कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भी महिला कैडेट्स के प्रवेश को मंजूरी दी है। महिला कैडेट्स का पहला बैच एनडीए में जून 2022 में प्रवेश करेगा। मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है।

महान संत थिरूवल्लुवर ने कहा था–

कक्कं कसड्डर कर्पवइ कट्रपिन्,
निक्कं अदक्कं तग ।

अर्थात्, एक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, वह उसके आचरण में दिखाई देता है।

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प व सामर्थ्य को आकार देने के लिए मेरी सरकार, देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्नातक पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है।

स्किल इंडिया मिशन के तहत, आई.टी.आई., जन शिक्षण संस्थान, और प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के जरिए पूरे देश में सवा दो करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास हुआ है। स्किल को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए यू.जी.सी. के नियमों में कई बदलाव भी किए गये हैं।

कोरोना से लड़ाई के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत हेल्थ केयर से जुड़े 6 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनसे हेल्थ केयर सेक्टर को मदद मिल रही है।

सरकार द्वारा जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए हर आदिवासी बहुल ब्लॉक तक एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के विस्तार का काम किया जा रहा है। ये स्कूल लगभग साढ़े तीन लाख जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाएंगे।

टोक्यो ओलम्पिक के दौरान हम सभी ने भारत की युवा शक्ति की क्षमताओं को देखा है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत ने सात मेडल जीते। टोक्यो पैरा-ओलम्पिक में भी भारतीय पैरा-एथलीटों ने 19 पदक जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। ओलम्पिक प्रतिस्पर्धाओं तथा खेल-कूद में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में सैकड़ों खेलो इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है। पैरा स्पोर्ट्स में दिव्यांग युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने ग्वालियर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सेंटर फॉर डिसेबिलिटी की स्थापना भी की है।

दिव्यांगजनों के लिए सुगमता, समानता और सम्मानपूर्ण जीवन के अवसर प्रदान करना एक समाज के रूप में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में आज सुगम्य भारत अभियान हमारी राष्ट्रीय संवेदना का परिचय दे रहा है। दिव्यांगजनों का जीवन बदलने के लिए देश में निःशुल्क सहायक उपकरणों से लेकर कॉकलियर इम्प्लान्ट सर्जरी जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक 25 लाख से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण उपलब्ध

करवाए गए हैं, और करीब 4 हजार सफल कॉकलियर इम्प्लान्ट किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन की स्थापना भी की है। दिव्यांग युवाओं के भविष्य के लिए 10 हजार शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी भी बनाई गई है।

हमारा स्टार्ट-अप ईको सिस्टम, हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है। वर्ष 2016 से हमारे देश में 56 अलग-अलग सेक्टर्स में 60 हजार नए स्टार्ट-अप्स बने हैं। इन स्टार्ट-अप्स के जरिए छह लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है। वर्ष 2021 में कोरोना काल में भारत में 40 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप अस्तित्व में आए जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 7,400 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है।

मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। भारत 5जी मोबाइल कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम कर रहा है जिससे अनेक नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ हमारे स्टार्ट-अप ईको सिस्टम को होगा। भारत के युवाओं को तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, इसके लिए भी सरकार ने अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं, कई नए सेक्टरों में प्रवेश के द्वार खोले हैं। सरकार ने स्टार्ट अप्स इंटलेक्चुअल प्रापर्टी प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से पेटेंट और ट्रेडमार्क से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, उन्हें नई गति दी है। इसी का परिणाम है कि इस वित्त वर्ष में पेटेंट के लिए लगभग 6 हजार और ट्रेडमार्क के लिए 20 हजार से ज्यादा आवेदन किए गए हैं।

मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। देश में जीएसटी कलेक्शन पिछले कई महीनों से निरंतर, एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। इस वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में 48 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आना, इस बात का प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय 630 बिलियन डॉलर से ऊपर है। हमारा निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले रिकार्ड टूट रहे हैं। 2021 में अप्रैल से दिसम्बर के दौरान भारत का गुड्स निर्यात लगभग 300 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जोकि 2020 की इसी अवधि की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा है।

मेरी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को साकार करने और युवाओं को नए अवसर देने के लिए एक लाख सत्तानवे हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से 14 महत्वपूर्ण पीएलआई स्कीम्स शुरू की हैं। ये पीएलआई स्कीम्स, न केवल भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी बल्कि रोजगार के 60 लाख से अधिक अवसर भी उपलब्ध कराएंगी। देश में मोबाइल उत्पादन की सफलता, मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण है। आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। इससे भारत के लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला है।

हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नॉलॉजी हार्डवेयर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए सरकार ने सिलीकॉन और कंपाउंड सेमी-कंडक्टर, फैब्रिकेशन, डिस्प्ले, एफएबी, चिप डिजाइन और इनसे जुड़े वेन्चर्स के लिए हाल ही में 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी घोषित किया है।

मेरी सरकार नए क्षेत्रों के साथ-साथ उन पारंपरिक क्षेत्रों में भी देश की स्थिति को पुनः मजबूत बना रही है, जिनमें हमारे पास सैकड़ों वर्षों का अनुभव है। इसी दिशा में, मेरी सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास के लिए करीब 4500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और ऐपरल पार्क बनाए जा रहे हैं। इससे देश में इंटीग्रेटेड टेक्स्टाइल वैल्यु चैन तैयार होगी। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क्स भारतीय तथा विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करेंगे और रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे।

भारत की समृद्धि में बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड रहे हैं, और आत्म-निर्भर भारत को गति प्रदान करते रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई को संकट से बचाने और जरूरी क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के कोलाट्रल फ्री लोंस की व्यवस्था की। हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस योजना की सहायता से साढ़े 13 लाख एमएसएमई यूनिट्स को जीवनदान दिया गया और डेढ़ करोड़ रोजगार भी सुरक्षित किए गए। जून 2021 में सरकार, 3 लाख करोड़ रुपए की इस गारंटी को बढ़ाकर साढ़े चार लाख करोड़ रुपए कर चुकी है।

एमएसएमई सेक्टर को विस्तार प्रदान करने तथा इस सेक्टर के लिए अवसर बढ़ाने हेतु कई नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं। एमएसएमई की नई परिभाषा से छोटे उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। सरकार ने थोक और खुदरा व्यापारियों

व स्ट्रीट वेंडर्स को उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करने की अनुमति भी दी है, ताकि उन्हें प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग का लाभ मिल सके।

मैं खादी की सफलता का भी विशेष उल्लेख करूंगा। आजादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है। सरकार के प्रयासों से 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री तीन गुना बढ़ी है।

किसी भी देश के विकास का आधार वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मेरी सरकार की दृष्टि में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक असमानता को पाटने वाला सेतु भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले निवेश से न केवल लाखों नए रोजगार पैदा होते हैं बल्कि इसका एक गुणात्मक प्रभाव भी होता है। इससे व्यापार करना सुगम होता है, परिवहन की गति बढ़ती है और हर सेक्टर में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है।

मेरी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों के कामकाज को प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में एक साथ जोड़ा है। यह प्लान भारत में मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट का एक नया युग प्रारम्भ करने जा रहा है। भविष्य के भारत में रेलवेज, हाइवेज और एयरवेज अलग-अलग और अलग-थलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, बल्कि एक देश के एकजुट संसाधन के तौर पर काम करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से देश की उन संभावनाओं को उड़ान मिल रही है जो दशकों से उपेक्षित पड़ी थीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियां गर्व करने योग्य हैं। वर्ष 2020-21 में ग्रामीण इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति दिन से अधिक की रफ्तार से 36 हजार 500 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं और हजारों रिहायशी क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है।

आज देश के नेशनल हाइवेज भी – पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण – पूरे देश को एक साथ जोड़ रहे हैं। मार्च 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 90 हजार किलोमीटर थी, जबकि आज उनकी लंबाई बढ़कर एक लाख चालीस हजार किलोमीटर से अधिक हो गई है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राजमार्गों पर काम किया जा रहा है। इनमें 23 ग्रीन एक्सप्रेस-वेज और ग्रीन-फील्ड कॉरिडोर्स का विकास भी शामिल है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे भी पूरा होने के करीब है जोकि भारत का सबसे लंबा और सबसे तेज एक्सप्रेस-वे होगा। मेरी सरकार को पंढरपुर तीर्थ को जोड़ने वाले संत ज्ञानेश्वर मार्ग और संत तुकाराम पालकी मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू करने का सौभाग्य भी मिला है।

देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से आज जहां एक ओर विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर, इससे देश की सुरक्षा को भी नई ताकत मिल रही है। सीमा सुरक्षा संगठन – बीआरओ ने लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा पर 19 हजार फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख के देमचोक, उत्तराखंड के जोलिंग कोंग और अरूणाचल प्रदेश के हुरी जैसे सर्वाधिक दूरस्थ गांवों को भी आधुनिक सड़कों से जोड़ा गया है।

मेरी सरकार, भारतीय रेलवे का भी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। नई वंदे भारत ट्रेनें तथा नए विस्टाडोम कोच भारतीय रेल की आभा में वृद्धि कर रहे हैं। बीते सात वर्षों में 24 हजार किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ है। नई रेलवे लाइन्स बिछाने और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से जारी है। गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन और मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आज आधुनिक भारत की नई तस्वीर के रूप में सामने आए हैं। कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित हो रहा रेलवे आर्च ब्रिज आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ाने में भी असाधारण काम किया है। देश में 11 नई मेट्रो लाइन्स पर सेवाएँ शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है। भारत आज दुनिया के चार सबसे बड़े ड्राइवर-लेस ट्रेन नेटवर्क वाले देशों में भी शामिल हो गया है। हमने देश में इंडीजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम भी विकसित किया है जोकि मेक इन इंडिया की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। सरकार ने देष में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए भी मंजूरी दी है। इनमें से देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बन रहा है।

देश के महत्वपूर्ण कारोबारी क्षेत्रों को बन्दरगाहों से जोड़ने के लिए सागरमाला कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 से अधिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है। अब तक 24 राज्यों में 5 मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों और 106 नए जलमार्गों सहित कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इनमें से 23 जलमार्गों के जरिए माल-परिवहन भी हो सकेगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में सरकार द्वारा 27 हजार सर्किट किलोमीटर से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स भी बिछाई गई हैं।

बीते समय में हमने देश में आत्म-निर्भर भारत के नए संकल्प को ठोस आकार लेते देखा है। इस संकल्प को रिफार्म्स की ऊर्जा से तेज गति प्राप्त हो रही है। नए लेबर रिफॉर्म्स से लेकर बैंकिंग रिफॉर्म्स और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता तक, सुधारों का यह क्रम बिना रुके, अनवरत चल रहा है। विगत वर्ष, केंद्र और राज्यों के अलग-अलग विभागों में 26 हजार से ज्यादा कंप्लायंसेज़ की आवश्यकता को घटाया जा चुका है। देश में स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलकर संभावनाओं का अनंत आकाश भी उपलब्ध करा दिया गया है। पिछले साल भारत की अन्तरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन-स्पेस का गठन किया जाना ऐसा ही एक प्रमुख कदम है।

तेजी से विकसित हो रही ड्रोन टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी संभावनाओं को लेकर भी मेरी सरकार सजग और सक्रिय है। इस दिशा में सरकार ने सरलीकृत ड्रोन नियम 2021 को अधिसूचित किया है, और ड्रोन व ड्रोन–कलपुर्जों के देश में निर्माण के लिए पीएलआई योजना भी शुरू की है। इससे देश को भविष्य की इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में, विशेषकर रक्षा उत्पादन में, देश की आत्म-निर्भरता लगातार बढ़ रही है।

वर्ष 2020-21 में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए जो भी स्वीकृतियां प्रदान की गईं, उनमें 87 प्रतिशत उत्पादों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार 2020-21 में 98 प्रतिशत उपकरणों से जुड़े अनुबंधों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गयी है। हमारी सेनाओं ने 209 ऐसे साजो-सामान की सूची भी जारी की है जिन्हें अब विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। रक्षा उपक्रमों द्वारा 2800 से ज्यादा ऐसे उपकरणों की सूची जारी की जा चुकी है जिनका देश में ही निर्माण किया जायेगा।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 एलसीए तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं। सरकार ने ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को 7 डिफेंस पीएसयू का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर और स्टार्ट-अप्स को तेजी से बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में ही विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो।

तेजी से उभरते वैश्विक परिवेश में भारत ने अपने राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अगस्त, 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अध्यक्षता की, और इस दौरान कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए। भारत की अध्यक्षता में ही सुरक्षा परिषद् ने पहली बार समुद्री सुरक्षा के विषय पर अपने एजेंडा आयटम के अंतर्गत समग्र रूप से विचार-विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने इस विषय पर पहली बार एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट को सर्व–सम्मति से अंगीकृत भी किया।

हमने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अस्थिरता और नाजुक हालात को भी देखा है। भारत ने इन परिस्थितियों में मानवता को सर्वोपरि रखते हुए 'ऑपरेशन देवी शक्ति' को संचालित किया। हमने अनेक चुनौतियों के बावजूद, हमारे कई नागरिकों और कई अफगान-हिन्दू-सिख-अल्पसंख्यकों को काबुल से सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया। हम उन कठिन हालात के बीच से पवित्र गुरुग्रंथ साहिब के दो स्वरूपों को भी सुरक्षित भारत लेकर आए। मानवीयता की दृष्टि से भारत, अफगानिस्तान में मेडिकल सप्लाई और अनाज पहुंचाने में भी मदद कर रहा है।

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के सामने बड़ी चुनौती है। भारत इस विषय पर एक जिम्मेदार वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। सीओपी-26 शिखर सम्मेलन में मेरी सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन से घटा देगा। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी रखा है। भारत ने विश्व-समुदाय को साथ लेकर ''ग्रीन ग्रिड इनीशिएटिवः वन सन-वन वर्ल्ड-वन ग्रिड" की पहल भी की है। यह ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड का पहला अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बन रहा है। पर्यावरण को लेकर हमारे बड़े लक्ष्य और साहसिक संकल्प प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।

मेरी सरकार भारत की प्राचीन विरासत को संरक्षित, समृद्ध और सशक्त करना अपना दायित्व समझती है। यह गौरव की बात है कि धौलावीरा की हड़प्पा साइट और तेलंगाना स्थित 13वीं शताब्दी के काकतीय रूद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। प्रयागराज कुंभ मेले के बाद यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कोलकाता की प्रतिष्ठित दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया है।

सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि भारत की अमूल्य धरोहरों को देश में वापस लाया जाए। सौ वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति

को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है। दुनिया के अलग-अलग देशों से ऐसी ही कई ऐतिहासिक धरोहरें आज भारत में वापस लाई जा रही हैं।

हम सब जानते हैं कि विरासत और पर्यटन का एक-दूसरे से गहरा नाता है। इसीलिए, आज एक ओर भारत की आध्यात्मिक विरासत को फिर से जीवंत किया जा रहा है तो साथ ही तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो रहा है। मेरी सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनाएं इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं।

गोवा के 60वें मुक्ति दिवस के अवसर पर फोर्ट अगुआडा जेल परिसर में स्मारक का जीर्णोद्धार करके उसका उद्घाटन किया गया है। यह गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानियों के अविस्मरणीय संघर्षों का स्मारक है।

आजादी के अमृतकाल में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के हमारे संकल्प के आधार पर आज लोकतान्त्रिक मूल्यों के साथ विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जो राज्य और क्षेत्र उपेक्षित छूट गए थे, आज देश उनके लिए विशेष प्रयास कर रहा है।

जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28 हजार करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड-बनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं।

जम्मू-कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहाँ सात मेडिकल कॉलेजों के अलावा दो एम्स का कार्य प्रगति पर है जिनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। आई.आई.टी. जम्मू और आई.आई.एम. जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है।

लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख की इस विकास-यात्रा में एक और उपलब्धि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जुड़ रही है।

मेरी सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सतत् विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन राज्यों में हर स्तर पर बुनियादी और आर्थिक अवसरों का विकास किया जा रहा है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का सपना पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अब साकार हो रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियाँ मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं।

ईटानगर के होलोंगी में एक नए एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के 'महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट' में एक नया और आधुनिक टर्मिनल खोला गया है। पूर्वोत्तर का यह विकास भारत की विकास यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। कुछ दिन पहले ही 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना के 50 साल पूरे हुए हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने के साथ इन राज्यों की यात्रा भी हमें विकास के नए संकल्पों के लिए प्रेरित कर रही है।

पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के लिए मेरी सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही कार्बी-आंगलोंग के दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, असम की राज्य सरकार एवं कार्बी समूहों के बीच समझौता हुआ है। इससे इस क्षेत्र में शांति और खुशहाली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से आज देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 126 से घटकर 70 रह गई है।

मेरी सरकार, नागरिकों की जरूरतों के प्रति सरकारी विभागों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कृत-संकल्प है। बकाया मामलों के निपटान हेतु तथा स्वच्छता के लिए भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 'मिशन कर्मयोगी' के अंतर्गत, सिविल सर्वेंट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की है। 'मिशन कर्मयोगी', सिविल सर्वेंट्स के करियर में भी सहायक होगा, और राष्ट्र निर्माण की नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें तैयार भी करेगा।

न्याय प्राप्ति को सरल और सुगम बनाने के लिए भी देश में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। टेली-लॉ प्रोग्राम के माध्यम से, मुकदमों से पहले सलाह देने के लिए एक प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है। विवादों के निपटारे में गति लाने के लिए मेरी सरकार ने राज्य सभा में 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' पेश किया है।

आज देश की उपलब्धियां और सफलताएँ देश के सामर्थ्य और संभावनाओं के समान ही असीम हैं। ये उपलब्धियां किसी एक संस्था या प्रतिष्ठान की नहीं हैं, बल्कि देश के कोटि-कोटि नागरिकों की हैं। इनमें करोड़ों देशवासियों का श्रम और पसीना लगा है। ये सभी उपलब्धियां हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की लंबी यात्रा में एक तरह से मील का पत्थर हैं और आगे बढ़ने के लिए हमारी प्रेरणाएं भी हैं।

वर्ष 2047 में देश अपनी आजादी की शताब्दी पूरी करेगा। उस समय के भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकलें। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है।

कोरोना काल में आप सभी सांसदों ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और सभी सावधानियों का पालन करते हुए दोनों सदन संचालित हुए हैं, मैं उसके लिए आप सभी की सराहना करता हूँ। आप सभी सांसद-गण, करोड़ों देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं के सारथी हैं। इसी भावना के साथ हमें आगे भी काम करते रहना है।

मुझे पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर अपने महान भारतवर्ष को गौरव के शिखर तक लेकर जाएंगे। इसी भावना के साथ, आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द।